PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

1963

(February-March-April Session)

Vol. I. Nos. 16-24

(PART III)

Dated :-

15th March, 1963

18th March, 1963

19th March, 1963

20th March, 1963

21st March, 1963 (Morning Sitting)

21st March, 1963 (Afternoon Sitting)

22nd March, 1963

25th March, 1963

26th March, 1963.

Punjab Vidhan Sabha Debates

15th March, 1963

Vol. I—No. 16

OFFICIAL REPORT

Chief Reporter
Punjab Vidhan Sabha
Chandigarh

CONTENTS

Friday, the 15*th March*, 1963

Rs : 7.25 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 16, DATED THE 15th MARCH, 1963.

Read	*for*	*on page*	*line*
Much	m ch	(16) I	17
Purpose	pur ise	(16) 2	7
Long	Lo g	(16) 2	21
firms	fr ms	(16) 2	31
allotted	all tted	(16) 2	32
in Amritsar District	n Amri sar Disrict		
together	togethe	(16) 2	33
Member	Memb r	(6) 2	Last but one
this information off hand	th s inform ti n o f-hand	(16) 3	8
the	t e	(16) 3	9
something	some thi g	(16) 3	10
him	im	(16) 3	10
Government	overnment	(16) 3	12
what	w at	(16) 3	22
the	t e	(16) 3	22
officers	off cers	(16) 3	10th from below
of the	th	(16) 4	7
Inderjit Vohra	Inderiit Vohra	(16) 4	4th from below
Supplementaries	Supplementaris	(16) 6	8
bearing	bea ing	(16) 6	8
this	tlie	(16) 6	9
pleased	please	(16) I0	19
does	do s	(16) 10	25

High	H gh	(16) 11	6
Subordinate	S bordinate	(16) 11	11
years	y ars	(16) 11	14
regular	reg lar	(16) 11	15
eligible	ligible	(16) 11	25
absorption	absorpi on	(16) 11	25
such	uch	(16) 11	25
Sangrur	Sangr r	(16) 12	12
implemented	implemen ted	(16) 12	29-30
consideration	con ideration	(16) 12	Last
using	u ing	(16) 13	31
time	tu e	(16) 15	20
13th	13 h	(16) 15	25
गाड़ियां	गड़ियां	(16) 18	15
reply	r ply	(16) 19	14
taken	t ken	(16) 19	15
cuts	custs	(16) 25	3
independent	in ependent	(16) 38	29
Janta	Ja ta	(16) 50	3rd from below
Sheet	Shet	(16) 55	14 under col. 2
G.P. Sheet	G..Sheet	(16) 57	2 -do-
G.C. Sheet	G.Sheet	(16) 57	3 -do-
wire	wie	(16) 57	4 -do-
registration	registeration	(16) 57	3 col. 3 of Head-ing Annexure II
Theatre	Threatre	(16) 59	2nd from below
Minister	Miister	(16) 62	1
persons	dersons	(16) 67	9th from below Col. 4

cinem raided	cinem	(16) 72	col. 4 column head No. 2 line 3
detected	detcted	(16) 72	col. head No. line
Dhaliwal	Dhaliwa	(16) 72	col. No.4 line
Shri S. R. Handa	Shr P.R	(16) 72	-do- line 2
1962	196	(16) 72	col.No. 4 line 9
Excise, Taxation and Capital Minister	Excise Taxation & Cpital Miuister	(16) 78	Top left-hand corner of the Statement
Shri Bhupinder Singh	Shri Bhupince Singh	(16) 89	col. 3 line 4
compounded	compoundd	(16) 92	col. 5 line 1
whether	whethe	(16) 95	19
Block	Blcck	(16) 96	7
श्री बलराम जी दास टंडन	श्री बमलामजी दास टंडम	(16) 107	5
not	ot	(16) 107	9th from below
panel	penal	(16) 115	7th from below
जमुनानगर	जमुनागर	(16) 117	11th -do-
चौधरी देवी लाल	चौधरी देली लाल	(16) 120	1st
बारे	बार	(16) 120	10th from below
Delete "in"		(16) 120	5th from below
extend	exend	(16) 124	10th -do-
ਬਾਅਦ	ਬਾਆਦ	(16) 125	8
speak	spak	(16) 130	18
कामरेड राम चन्द्र	कामरेड राम चद्र	(16) 130	20 and 23
श्री जान्नाथ	श्री जान्नाथ	(16) 136	9th from below
जरूर	जारुर	(16) 140	17th -do-
up	p	(16) 143	24
जैसा	जसा	(16) 145	1
पोस्ट	पांस स	(16) 146	14
acre	a re	(16) 149	15th from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 15th March, 1963.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 A. M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Prabodh Chandra) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION No. 2493

Mr. Speaker : Starred Question No. *2493.

The reply was given yesterday. I have just called this question so that if any hon. Member wants to put a supplementary question he may do so.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताने की कोशिश करेंगे कि जो जो एमाउंटस नीफा और लद्दाख में लड़ने वालों को दी गई थीं उन को मिल क्यों नहीं रहीं ?

मुख्य मंत्री : यही ख्याल था कि मिसिंग लोगों को देनी हैं। अगर कहीं नहीं मिलीं तो मैं पता कर लूंगा और जो इत्तलाह होगी वह मैं दे दूंगा।

STARRED QUESTION No. 2505

Mr. Speaker: Starred Question No. *2505 is postponed. But I do not feel much justification for the postponement of this question. The question is—

> "Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is contemplating bringing forward any legislative measure for raising taxes for providing funds for the development of backward areas in the State?

मुख्य मंत्री : मैं समझता हूं कि इस का जवाब तो बड़ा आसान था, पता नहीं कि इस के लिए वक्त क्यों मांगा गया है। गवर्नमैंट अभी नहीं चाहती। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम तजरुबा करना चाहते हैं कि कौनसी चीज़ हरिजनों को जल्दी रिटर्न दे सकती है, और कौनसी चीज़ वे आसानी से कर सकते हैं।

श्री बलराम जी दास टंडन : यह बात हरिजनों के बारे में नहीं है, बैकवर्ड एरियाज़ के बारे में है।

Mr. Speaker : It is better if we take it as postponed. The Government might have second thoughts about it.

ALLOTMENT OF QUOTA OF ZINC, COPPER AND STAINLESS STEEL IN AMRITSAR DISTRICT

***2066. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the persons/firms to whom quotas of zinc, copper and stainless steel have been allotted during the period from 1st March, 1962 to date in Amritsar District together with the quantity of each item so allotted ;

(b) the dates when the applications of each person to whom the said quotas have been allotted were received together with the name of the applicant ;

*Starred Question No. 2493 along with reply appears in the PVS Debate, Vol. I, No. 15, dated 14th March, 1963

[Comrade Ram Piara]

(c) the designation of each officer who verified the antecedents, the existence of the manufacturing concern in each case and the criteria kept in view at the time of allotment of the above-said quotas ;

(d) the quantity of the said quota allotted in the case of each industrial concern together with the purpose for which allotted ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a), (b) and (c) The time and labour involved in collecting the requisite information is not commensurate with the benefit sought to be derived therefrom .

(d) Allotments are made on *pro rata* basis, keeping in view the assessed capacity, past consumption of material and the existing arrangements for production in the factories concerned.

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मैं चार सवाल लाया हूं। सवाल नम्बर 633 कोई 52 सफे का है, सवाल नम्बर 734 कोई 89 सफे का है, सवाल नम्बर 94...

Mr. Speaker : I have got the point. In some cases the replies were cyclostyled and supplied to Members.

कामरेड राम प्यारा : मेरी गुज़ारिश है कि यह सारी इनफर्मेशन हैडक्वार्टर्ज़ में अवेलेबल है। मैं पूछना चाहूंगा कि कौनसी वजूहात हैं जिन की बिना पर वह इनफर्मेशन जो कि हैडक्वार्टर्ज़ पर मौजूद है गवर्नमैंट को देने में घबराहट होती है ?

Chief Minister : It takes too long to collect this information and the benefit to be derived will not be commensurate.

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि इस सूबे के लोगों को और उनके नुमायन्दों को किस तरह से पता चल सकता है कि बगैर फैक्टरीज़ के, बगैर प्रैमिसिज़ के कुछ लोगों को कोटे दिए गए हैं जो कि मिसयूज़ हुए हैं जब वह इनफर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं ?

मुख्य मंत्री : जब आप कोई शिकायत करेंगे तो पता कर लेंगे लेकिन इस तरह जनरल तौर पर सारी स्टेट का पता नहीं हो सकता। आप कोई स्पैसिफिक केस बताएं ऐसी जनरल बातों का क्या फायदा ?

श्री बलराम जी दास टंडन : जनाब, यहां पर पूछा गया था—

"(a) the names of the persons/firms to whom quotas of zinc, copper and stainless steel have been allotted during the period from 1st March, 1962 to date in Amritsar District together with the quantity of each item so allotted"

यह इन्फर्मेशन सारी स्टेट की नहीं मांगी गई है। सिर्फ अमृतसर ज़िले की मांगी गई है जो कि दो तीन आइटम्ज़ के बारे में ही है और वह भी 1962 से लेकर। इस में ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25 फर्में आती होंगी। यह सवाल इस लिए किया गया है कि कई उन आदमियों को कोटे दिए गए हैं....

Mr. Speaker : The hon. Member should confine himself to putting a supplementary question. He should not make a speech.

श्री बलरामजी दास टंडन : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का जवाब देने में क्या दिक्कत है जब कि यह बड़ा लिमिटिड सवाल है ?

मुख्य मंत्री : सरकार को दिक्कत यही है कि यह जनरल बात है। अगर कोई शिकायत है तो बता दें, हम पता करेंगे कि गलत है या सही है।

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि एस. के. इंडस्ट्रीज़ को जो 36 टन का कोटा दिया गया है, क्या उनकी कोई फैक्टरी है, कोई प्रैमिसिज़ हैं और क्या उनकी एप्लिकेशन किसी अफसर ने वेरीफाई की थी ?

Mr. Speaker : How can the Chief Minister give this information off-hand. If the hon. Member gives a notice he will be in a position to say something. He is not carrying with him the list.

कामरेड राम प्यारा : इस ज़ुमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25 फर्में आती होंगी। If the Government and the Chief Minister, particularly, are not prepared to bring forth information about these 25 firms then I would say that this is a sad state of affairs.

Chief Minister : I deny this.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਆਫਿਸ ਵਲੋਂ ਰੀਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਛੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਦਸੋ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 20, 25 ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਟੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ? What is the hitch to the Chief Minister ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਟਾਰਡ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਉ।

Mr. Speaker : All right. Let it be treated as an unstarred question.

Chief Minister : I will be able to supply the information when it is completed.

Mr. Speaker : This question will be treated as unstarred.

Comrade Ram Piara : All right, Sir.

DISTRICT INDUSTRIES OFFICERS

***2068. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the District Industries Officers in the State, district-wise, with the date of their posting in the district in each case ;

(b) whether any of the said District Industries Officers had gone on leave for more than 15 days during the period from the 1st January, 1962 to the 1st September, 1962 ; if so, their names, the period of their leave in each case, the districts where the officers were posted at the time when they proceeded on leave together with the grounds mentioned by each of the said District Industries Officers in their leave applications ;

[Comrade Ram Piara]

(c) whether it is a fact that some of the said District Industries Cfficers had requested the Department of Indvstries for leave telegraphically ; if so, the names of such officers with the district where posted at that time and the date when each applied for leave ; a copy each of the said telegrams be laid on the Table ·`th House ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement giving the requisite informaticn is laid on the Table of the House. (Annexure 'A'.)

(b) & (c) Yes. A statement is laid on the Table of the House (Annexures "B" and "C".)

ANNEXURE 'A'

Statement showing names of the District Industries Officers (including Assistant District Industries Officers, Kapurthala/Simla, where Assistant District Industries Officers are holding independent charge of the districts) with dates of posting

Name of the Distrcit Industries Officer	District	Date of posting
1. Kirpal Singh	.. Hissar	.. July, 1962
2. R. S. Rajanwal	.. Panipat (Karnal)	.. April, 1961
3. O. P. Jain	.. Amritsar	.. May, 1960
4. S. C. Mathur	.. Dharamsala	.. May, 1960
5. R. P. Singh	.. Malerkotla (Sangrur)	.. May, 1961
6. Gore Lal Jindal	.. Rohtak	.. July, 1962
7. Bhagwant Kishore	.. Narnaul (Mohindergarh)	July, 1962
8. V. S. Datta	.. Ludhiana	.. July, 1962
9. Baldev Singh	.. Ferozepore	.. January, 1960
10. L. R. Khosla	.. Jullundur	.. April, 1961
11. Surrender Singh	.. Hoshiarpur	.. July, 1962
12. D. V. Vermani	.. Batala (Gurdaspur)	.. March, 1962
13. Jagdish Rai	.. Patiala	.. April, 1961
14. B. K. Bhalla	.. Gurgaon	.. July, 1962
15. Inderiit Vohra	.. Faridkot (Bhatinda)	.. April, 1961
16. B. S. Nehra	.. Ambala	.. July, 1962
17. G. L. Khanna	.. A.D.I.O., Kapurthala	.. April, 1961
18. Randhir Singh	.. A.D.I.O., Simla	.. January, 1960

ANNEXURE 'B'

Serial No.	Name of District Industries Officer	Duration of leave	District	Grounds given in the leave application
1	O.P. Jain, Amritsar	21st May, 1962 to 30th June, 1962	Amritsar ..	Leave on medical grounds
2	Bhagwant Kishore, Batala	2nd July, 1962 to 22nd July, 1962	Gurdaspur ..	Marriage of his daughter
3	Baldev Singh, Ferozepore	1st May, 1962 to 19th May, 1962	Ferozepore	On account of operation of his wife
4	Inderjit Vohra, Faridkot	12th February, 1962 to 11th March, 1962	Bhatinda ..	Illness of his wife reported to be suffering from blood pressure and diabetes
5	L. R. Khosla, Jullundur	29th August, 1962 to 21st September, 1962	Jullundur ..	On account of his illness

ANNEXURE 'C'

Name of District Industries Officers	District where posted at that time	Date of telegram	REMARKS
Inderjit Vohra ..	Faridkot (Bhatinda)	7th February, 1962	A copy of the telegram is appended

Telegram

Faridkot/8 13-55 Received at 15-20.

Dr. P. N. Thadani, Director of Industries, Punjab, Chandigarh.
BLOOD PRESSURE OF WIFE WITHIN DANGEROUS LIMIT(.)
KINDLY SANCTION LEAVE (.)

Sd/-
Inderjit Vohra.

कामरेड राम प्यारा : यह जो अनैक्सचर 'बी' है इसके नंबर एक पर दिया हुआ है कि leave on medical grounds. तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री ओ. पी. जैन ने सरकार को इस किसम की कोई इंडिकेशन दी कि कुछ पावरफुल ऐलीमेंट्स ने उसे धमकी दी थी जिसकी वजह से.....

Mr. Speaker: I do not permit this question.

Comrade Ram Piara : Another supplementary, Sir.

Mr. Speaker : No, please. Can't the hon. Member put a supplementary question without bitterness and stings.

Comrade Ram Piara : He ran away from the office and then applied for leave.

Mr. Speaker : Please, please. I do not permit this supplementary. I would request the hon. Member, Comrade Ram Piara, not to put supplementaries which have no bearing and which are full of bitterness.

Comrade Ram Piara : Sir, this is all is on record.

Mr. Speaker : I think that should satisfy. The story is rather the other way round.

कामरेड राम प्यारा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि इस श्री ओ. पी. जैन को चीफ मिनिस्टर ने चंडीगढ़ बुला कर धमकी दी थी . . . .

Mr. Speaker : I think we have enough of supplementaries now.

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि क्या श्री ओ. पी. जैन ने मैडिकल लीव के बाद ड्यूटी रिज़्यूम करने से पहले चीफ मिनिस्टर साहिब या डायरैक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ से मुलाकात की थी ?

मुख्य मंत्री : यह तो आप ऐसी बात पूछ रहे हो जिस की बाबत मुझ से उम्मीद नहीं की जा सकती कि ज़बानी याद रखूं। पर इतना कह सकता हूं कि मिस्टर जैन मुझे शायद अमृतसर या चंडीगढ़ में मिला था और उस को मैंने कहा था कि किसी से डरने की बात नहीं, तुम अपना काम ईमानदारी और बेखौफ़ी के साथ करते जाओ। यह बात भी मेरे कान में मेरे किसी कोलीग ने डाली थी कि उसे कोई न कोई तकलीफ़ है। डैफीनिटली नहीं कह सकता कि वह मुझे कहां मिला, लेकिन, जैसा कि मैंने अभी बताया है उसे मैं ने कहा था कि तुम किसी बात की परवाह न करो और बेखौफ़ी से अपना काम करते जाओ।

श्री बल रामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिस डर का उन्होंने हवाला दिया है, उसे वह डर किस सम्बन्ध में था ?

मुख्य मंत्री : मैंने अर्ज़ किया कि मेरे किसी कोलीग ने मुझे बताया था कि उसको कोई तकलीफ है, किसी से भय खाता है। तो मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें किसी से डरने की बात नहीं, निधड़क होकर अपना काम करते जाओ।

कामरेड राम प्यारा : जब उसने बताया कि उसे किसी की तरफ से धमकी दी जा रही है तो क्या मुख्य मन्त्री जी ने राज्य के मुख्य मन्त्री की हैसियत से यह मुनासिब नहीं समझा कि इस बात की एनक्वाइरी की जाए और धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए ?

मुख्य मंत्री : बैस्ट तरीका यही होता है कि अफसर को एन्करेज किया जाए कि वह किसी से न घबराए और अपना काम करे।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : मैं नाम तो नहीं पूछता कि धमकी देने वाला आदमी कौन था लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि धमकी देने वाला कोई अफसर था या प्राइवेट आदमी ?

मुख्य मंत्री : सच पूछो तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या तकलीफ थी। उस से इतना ही कहा कि बेखौफी से काम करो।

कामरेड राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि उन्होंने उस से नहीं पूछा कि तुम्हें किस ने क्या धमकी दी। मगर क्या उस ने चीफ मिनिस्टर साहिब को बताया कि कौन धमकी देने वाला था ?

मुख्य मंत्री : नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसने कहा कि मुझको जब आपकी इमदाद है तो मैं काम करूंगा।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मुख्य मन्त्री जी फरमाएंगे कि इस तरह की रेक्रैन्स को रोकने के लिए क्या वह ऐसे आफिसर्ज़ या इंडिविजुअल्ज़ के खिलाफ कोई ऐक्शन लेंगे या क्या वह किसी प्रकार का कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ?

मुख्य मंत्री : मेरे वाला तरीका फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है।

PROPOSED CONSTRUCTION OF BIG FACTORY AT GANAUR

***2190. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to start the construction of a big factory at Ganaur ; if so, the estimated capital to be invested by Government thereon ;

(b) whether any area of land has been acquired for the purpose ; if so, how much ;

(c) whether the work at the spot has actually started ; if so, the time by which it is expected to be completed ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A large-scale factory to manufacture steel tubes is to be set up at this place by a private firm, under an industrial licence issued by the Government of India. It is premature to say whether any investment will be made in this concern by Government.

(b) Yes, 127.88 acres.

(c) The construction work has started, but it is not possible to say at this stage when it would be completed.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state whether the possession of the land has been taken over by the Government ?

Mr. Speaker : Since the work has started, you can presume that the possession has been taken over. How can the work start in the air ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I have put the supplementary with some responsibility. I want to know from the Chief Minister whether the possession of the land has been taken over by the Government ?

मुख्य मंत्री : मुझे इसका नोटिस दे दो, पता करके बता सकूंगा, मगर, जैसा कि स्पीकर साहिब ने फरमाया, किसी जगह का तो ज़रूर पोज़ैशन लिया गया होगा जिस पर कि इमारत बन रही है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री जी फरमाएंगे कि जो फर्म वह फैक्टरी एस्टैब्लिश कर रही है वह किसी फारेन कोलैबोरेशन से कर रही है ?

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है कि फारेन कोलैबोरेशन ही होगी, मगर आफहैंड नहीं कह सकता।

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि गनौर में जो फैक्टरी लगाई जा रही है उसको लाइसेंस कब मिला, कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, और अगर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनवैस्टमैंट करने के लिए गौर किया गया तो वह कब किया गया ?

मुख्य मंत्री : आप नोटिस दे दें, आफहैंड नहीं कह सकता।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री साहिब फरमाएंगे कि उस फर्म के पास गवर्नमैंट की तरफ से कोई आर्डर भी था जो जारी हुआ कि जल्दी से जल्दी मैनुफैक्चर की जाए ?

मुख्य मंत्री : मुझे नहीं पता, नोटिस दिया जाए।

INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS OF SONEPAT TEHSIL

***2191. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the measures, if any, proposed to be adopted by the Government for Industrial Development of backward areas in tehsil Sonepat ;

(b) whether any loans have so far been advanced to any individual for the purpose in the said areas ;

(c) whether any industry has been started in the above-mentioned backward areas ; if so, what ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) One Rural Industrial Estate and one Rural Industrial Development Centre are being set up at Rai in tehsil Sonepat. A scheme to set up a project for the intensive development of small industries in Rai Block is under consideration.

(b) Yes.

(c) Not by Government.

श्री बलराम जी दास टंडन: जिन लोगों को लोन दिये गए हैं क्या चीफ मिनिस्टर साहिब उन के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री : आफहैंड नहीं बताया जा सकता। जब नोटिस देंगे तो यह चीज़ भी दे देंगे।

Mr. Speaker : He will give the number.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state if it is the policy of the Government to develop the backward areas of tehsil Panipat ?

Chief Minister : Not only Panipat but other backward areas also.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state the measures the Government proposes to take for the industrial development of backward areas ?

Mr. Speaker : This question need not be replied.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Could the Chief Minister kindly give the names of the individuals to whom loans have been advanced by the Government ?

Mr. Speaker : It will be very unfair to ask the names.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, in part (b) of my question I have asked 'whether any loans have so far been advanced to any individual for the purpose in the said areas'.

Chief Minister : In reply to this part of your question I have said 'Yes'.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Could the Chief Minister kindly give the number and names of the individuals to whom loans have been advanced ?

Chief Minister : If the hon. Member asks the number and names of the persons to whom loans have been advanced I will supply the information.

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मन्त्री बताएंगे कि जो राई में इंडस्ट्रियल एस्टेट डिवैलप करने का फैसला किया है तो क्या देहात में रहने वालों को वहां जगह देने का फैसला किया है या बाहर वालों को ?

STARTING OF CLASSES IN POLYTECHNIC SCHOOL, HAMIRPUR

***2403. Shrimati Sarla Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which Government propose to start regular classes in the Polytechnic School at Hamirpur ?

Sardar Partap Singh Kairon : In July, 1963, as a Guest Institute at one of the existing Polytechnics.

INTRODUCTION OF SOVIET PATTERN OF EDUCATION IN THE STATE

***2134. Sardar Gurdial Singh Dhillon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he has ordered adoption of the Soviet pattern of education in some higher secondary schools in the State ; if so, the number and names of institutions selected for the purpose and the details of the system proposed to be introduced therein ;

(b) whether the courses likely to be prescribed for examination in pursuance of the said system are to be different in nature and object from those already prescribed by the Education Department ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Yes.

(ii) Three :

(1) Government Higher Secondary School, Jagadhri.

(2) Government Higher Secondary School, Patiala.

(3) Government Higher Secondary School, Jullundur.

(iii) Details are being worked out.

(b) Covered by (a) (iii) above.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the Chief Minister be pleased to state whether this step has been taken on the suggestion of some educationists or some experts from Soviet Union ?

Chief Minister : The step was taken on our own initiative or say it was an initiative of the Education Department.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : May I know whether this pattern is at the experimental stage or the Government intend to extend this system to all the institutions of the State ?

Mr. Speaker : It depends on the success of the pattern which has been introduced in the three Government Higher Secondary Schools.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the Chief Minister be pleased to state whether the adoption of this system will also necessitate a change in the courses, etc. ?

Mr. Speaker : It is too premature to foresee all these things.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, the hon. Chief Minister may have all these details with him.

Mr. Speaker : He cannot say off-hand. The Soviet pattern of Education has been introduced only in three schools. It is only on the success of these experimental measures that the Chief Minister will be able to say whether it is to be changed or not.

श्री बल राम जी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ऐट प्रैज़ेंट जो यहां हायर सैकंडरी सिस्टम चल रहा है उसमें और सोवियट पैटर्न आफ हायर सैकंडरी सिस्टम आफ ऐजुकेशन में डिफ्रेंस क्या है ?

Mr. Speaker : It is a question of details.

Pandit Chiranji Lall Sharma : Will the hon. Chief Minister kindly state if any officer of the Education Department was sent to Soviet Russia to study the educational system there ?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक टीम सोवियट यूनियन गई थी जिसमें हमारी डी. पी. आई. भी गई थी । उन्होंने वापस आ कर अपनी रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट को एग्ज़ामिन कर के हम ने फैसला किया कि कुछ स्कूलों में वहां का सिस्टम शुरू कर के देखें । हम चाहते हैं कि वहां हायर सैकंडरी स्कूलों में क्राफ्ट्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है वह यहां भी कामयाब हो जाए । इस बारे में हम दो या तीन सालों में अन्दाज़ा लगा सकेंगे कि आया वह यहां भी कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती ।

SCHOOLS IN ROHTAK DISTRICT

***2192. Pandit Charanji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be please to state whether it is a fact that a large number of Government schools in Rohtak District are running without sufficient staff ?

Sardar Partap Singh Kairon : No...

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state if the Government proposes to start any Government school at Sonepat ?

Chief Minister : Sir, how do s it arise ?

Mr. Speaker : It does not arise.

DELAY IN DISPOSING OF CASES OF TEACHERS AT THE SECRETARIAT LEVEL

***2293. Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether complaints have come to the notice of Government that the cases regarding verification of service of or fixation of pay of and payment of salaries to the teachers working in Government institutions in the State are being delayed in the Education Department at the Secretriat level ; if so, the action proposed to be taken in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : No.

SCHOOLS PROVINCIALIZED IN DISTRICT SANGRUR DURING 1962

***2409. Comrade Bhan Singh Bhaura,** (put by **Comrade Babu Singh Master**) **:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of privately-managed schools in district Sangrur which have been provincialized during the year 1962 ;

(b) the manner in which the staff for the High/Higher Secondary Schools, out of those referred to in part (a) above, has been recruited ;

(c) the criteria, if any, a dopted for purposes of appointment of a Headmaster of a High School and that of a Higher Secondary School, separately ;
(d) whether the Headmaster of the High School, Sherpur, district Sangrur fulfils the requisite conditions ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Two (i) Sant Ishar Dass High School, Moom.
(ii) Public High School, Sherpur.
(b) The trained staff of the above schools has been appointed temporarily on six months basis till their candidature is finally approved by the Subordinate Services Selection Board, Punjab/ Public Service Commission, Punjab.
(c) The Headmaster of a privately-managed High/Higher Secondary School taken over by Government having 8 years/ service as Master or Headmaster or both is eligible for regular absorption as such with the approval of Public Service Commission, Punjab. The question as to how far the present policy could be modified is under consideration.
(d) No.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 7, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि जिसे 8 साल का एक्सपीरियेंस हो वह हैडमासटर रह सकता है। (The Chief Minister has stated that a Headmaster having 8 years' experience is eligible for absorption as such.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ. ਏ., ਬੀ. ਟੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਏ., ਬੀ. ਟੀ. ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਆਦਮੀ ਘਟ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ..............

Mr. Speaker : But this particular Headmaster does not fulfil the conditions.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜੇਕਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CRITERIA FOR ADJUSTING UNADJUSTED B.T. TEACHERS

***2410. Comrade Bhan Singh Bhaura** (Put by **Comrade Babu Singh Master**) **:** Will the Chief Minister be pleased to state the criteria, if any, kept in view for purpose of adjusting the unadjusted B.T. teachers together with the number of unadjusted B.T. treachers, now working in district Sangrur and also the number of unadjusted B.T. teachers as were adjusted during the year 1962 ?

Sardar Partap Singh Kairon : Only those trained graduate teachers who have qualified in any two of the following school subjects (shown category-wise) in their B.A. Examination are eligible for being considered for adjustment as Masters/Mistresses :—

(a) *Social Studies*		(b) *Science*		(c) *Mathematics*
(i) History	..	Physics	..	Mathematics A
(ii) Geography	..	Chemistry	..	Matehematics B
(iii) Political Science	..	Botany	..	Physics
(iv) Economics	..	Zoology	..	

	Men	*Women*	*Total*
Unadjusted B.T. teachers working in Sangrur District ..	21	5	26
Unadjusted B.T. Teachers adjusted in B.T. Cadre during the year 1962, in Sangrur District ..	5	1	6

SCHOLARSHIPS FOR PRIMARY CLASS STUDENTS IN S.D. HIGH SCHOOL, DHURI

***2411. Comrade Bhan Singh Bhaura** (Put by **Comrade Babu Singh Master) :** Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that the amounts in respect of scholarships meant for Primary Classes for the year 1960 have not so far been paid to the students studying in S.D. High School; Dhuri, if so, the reasons, if any, therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : No. Scholarships are not given in Primary Classes.

UPGRADING OF PRIMARY SCHOOLS OF BIR BHANGAL ZAIL, DISTRICT KANGRA

***2492. Bakshi Partap Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to upgrade the Primary Schools of the Bir Bhangal Zail of Kangra District to Middle Standard; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes, the Government Primary Schools at Lanod (Uttaral) Kandial, Bhatta Sansal, Bir Lohard and Kandbari are proposed to be upgraded to Middle Standard. The proposal will, however , be implemented from the beginning of the next academic year subject to the availability of funds and the emergency being over.

बख्शी प्रताप सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि बीर भंगाल के नुमाईंदे जब उन्हें मिले थे तो क्या मीटिंग में आपने कहा था कि नैशनल ऐमर्जेन्सी का असर इस इलाके के स्कूलों को अपग्रेड करने पर नहीं पड़ेगा ?

मुख्य मंत्री : यह ठीक है और इसके लिए गुंजाइश रखी गई है। क्योंकि यह बीर भंगाल का इलाका बहुत गरीब है इस लिए कोशिश की जा रही है कि इस पछड़े इलाके की इमदाद करूं और बावजूद इस ऐमर्जेन्सी के अपग्रेडिंग के सिलसिले में उनकी मदद कर सकूं।

ADVANCE INCREMENTS TO THE TEACHERS OF EDUCATION DEPARTMENT

***2503. Shri Jagan Nath :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to grant

advance increments to those teachers in the Education Department as have improved their academic qualifications ; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes, but the proposal is yet under examination and no time-limit can be given in view of the National Emergency.

ALLEGED EMBEZZLEMENT IN THE FEROZEPORE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, FEROZEPORE

***1100. Comrade Gurbakhsh Singh** (Put by **Comrade Babu Singh Master**) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a case of embezzlement has been detected recently in the Ferozepore Central Co-operative Bank Ltd., Ferozepore City ;

(b) whether any enquiry into the said cases has been held so far ; if so, the total amount and the name of the person involved together with details of the case registered against the accused ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No such case has been detected recently. However, an embezzlement came to light during the audit for the year1958-59.

(b) Yes. A case of embezzlement involving a sum of Rs. 4,800 alleged to have been spent on repairs of the Bank building was got registered with the police against Sarvshri Gurdial Singh, ex-Director, Jaswant Singh, ex-Manager, and Som Nath, Cashier, on 6th April, 1961 . The police has, however, filed it as untraced on 9th May, 1962.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਐਂਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਬੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ?

Mr. Speaker. How can the hon. Member expect the Chief Minister to say this ?

Sardar Gurcharan Singh. Sir, it is within the knowledge of the hon. Chief Minister.

Mr. Speaker: How can you expect the Chief Minister to know that the embezzlement was done by using the keys of the safe.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਬਨ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਕਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਕੂਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ।

Mr. Speaker : Are those people still going about or have they left Ferozepore ? May I know from the hon. Member Sardar Gurcharan Singh whether these people are absconding or not ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਕਿ ਅਨਟਰੇਸਡ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਅਨਟਰੇਸਡ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਜਨਾਬ, ਕੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ? ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਨਟਰੇਸਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ: ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1958-59 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਡਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ।

Sardar Gurnam Singh : Will the hon. Chief Minister be pleased to state whether he has got with him the report of the Police about the untracing of the case ?

Chief Minister : I have not got this report with me at this moment. I can, however, have it in my room on receipt of even a private notice from the hon. Member.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state if any action under section 87 and 88 of Cr. P.C. was taken by the Police against the absconding Cashier ?

Chief Minister : I am sorry, I cannot say this off-hand. I need notice.

SUB-INSPECTOR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

*1308. **Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal** (Put by Comrade Babu Singh Master) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Sub-Inspectors of the Co-operative Union whose services were provincialised on 1st April, 1959;

(b) the total amount of provident fund and security deposit still due to the said Sub-Inspectors from the Union together with the reasons for not having paid the said amounts to the said Sub-Inspectors;

(c) the approximate time by which the said accounts are likely to be settled ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 326 (Provincialisation took place on 1st April, 1954 and not on 1st April, 1959.)

(b) *Provident Fund*		*Security deposit Rs.*
Rs. 22,727.32	..	10,015

for want of funds

(c) The accounts will be settled shortly.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਦਾਂ ਜਿਦਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state whether the Government intends increasing the salaries of the Sub-Inspectors of the Co-operative Department keeeping in view the nature of the duties they have to discharge?

Mr. Speaker : It does not arise.

CO-OPERATIVE RESIN FACTORY, GAGRET, DISTRICT HOSHIARPUR

***2022. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Co-operative Resin Factory at Gagret in Hoshiarp r District has been completed and has started working; if not, the reasons therefor and the steps, if any, taken to ensure its functioning during the year 1962-63;

(b) the date when the work with regard to the said factory was started and the stage at which it stands at present and the time by which the factory is expected to start functioning?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No, because the mill requires financial assistance to the tu e of Rs. 11.96 lacs and major portion of machinery is to be imported from abroad.

The question of securing financial assistance is being pursued with the Director of Industries and other financing institutions. Import licence has since been issued and according to the agreement with the suppliers of machinery, the project will be completed by 13 h November, 1963.

(b) The mill was registered on 8th October, 1956. Indigenous machinery worth Rs. 55,252.29 nP. has arrived at the site and parts valuing Rs. 1,12,735.74 nP. have since been booked with the railways and are expected to reach very shortly. Orders have been placed for the purchase of the entire machinery required. Building construction work has already started. Arrangement has been made for the provision of water which will be required for the efficient working of the plant. The factory is expected to start functioning by 13th November, 1963.

SURPRISE WRITTEN TEST OF THE GAZETTED OFFICERS OF THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT HELD AT CHANDIGARH

***2268. Chaudhri Hardwari Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that certain Gazetted Officers of the Co-operative Department who waited upon at Chandigarh in January, 1963, were made to take to a surprise written test;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the purpose for which the said test was held and the result thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) To test the efficiency, intelligence and capacity of the Officers. It is not in the p blic interest to disclose the result.

Chaudhri Hardwari Lal : Will the Chief Minister be pleased to state whether the categorisation was done for purposes of promotion ?

Chief Minister : No please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ । ਅਰੇਂਜਮੇਂਟਸ ਕਰ ਰਖੇ । ਮੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ । (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ: ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। (ਹਾਸਾ)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री बताएंगे कि क्या इन अफसरों को पहले इल्म था कि वहां इम्तिहान होगा ?

मुख्य मंत्री : नहीं ।

श्री बल राम जी दास टंडन : क्या मुख्य मन्त्री बताएंगे कि क्या उन को तरक्कियां इस इम्तिहान के बेसिज़ पर दी जावेंगी ?

मुख्य मंत्री : हां। इस के साथ और चीजें भी देख रहा हूं। उन का फील्ड वर्क, पास्ट सुपरवियन आफ दि सोसायटीज़, उन की पुरानी रिपोर्टें, कान्फीडैंशल फाइलों वगैरह सब को मिला कर कैटेगराइज़ेशन करनी हैं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह पेपर किस ने सैट किया, इस की कापियां किस ने देखीं और इसकी मार्किंग किस ने की ?

Mr. Speaker : It is a question of detail. How can the hon. Member expect the Chief Minister to answer this question ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जनाब, मुख्य मन्त्री साहिब जवाब देने के लिए खड़े हैं।

Mr. Speaker : But I feel that the hon. Chief Minister is not in a position to answer this question.

पंडित मोहन लाल दत्त : इस तरह के टैस्ट क्या और डिपार्टमेंट्स में भी लिये जाया करेंगे ?

मुख्य मंत्री : मेरा इरादा तो यही है कि जो भी तरक्की हो वह टैस्ट लेकर दी जाया करे।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि आया को-आप्रेटिव सोसाइटीज़ के इन्स्पैक्टरों को सीनियरेटी के बेसिज़ पर तरक्की दी जायेगी या नहीं?

मुख्य मन्त्री : सीनियारेटी के बेसिज़ पर तब दी जायेगी अगर वह कुछ जानते होंगे।

Mr. Speaker : The Chief Minister has said that there are so many factors.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मुख्य मंत्री ने वज़ीरों के लिए भी कोई इस तरह के टैस्ट का प्रबन्ध किया हुआ है ?

मुख्य मन्त्री : जरूर किया है तभी तो राज्य प्रबंध चला रहे हैं । कहो तो आपोज़ीशन के लिए भी कुछ इंतज़ाम कर दूं । (हंसी)

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अफसरों का टैस्ट लिया गया उन से जो हाई रैंक के हैं क्या उन का भी लिया जायेगा ?

BUS-FARE ON UNA-MUBARIKPUR ROUTE

*2085. **Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the bus-fare being charged by the Transport Company which at present is plying buses on Una-Mubarikpur route;

(b) whether he and the Provincial Transport Controller recently received any representation to the effect that the Transport Company, running bus-service on the said route, charges higher rates than fixed; if so, the action, if any, taken thereon?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary): (a) Rs. 1.06 nP. (b) Yes. Matter will be considered in the next meeting of Regional Transport Authority, Jullundur.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या सरकार को इल्म है कि जो किराया चार्ज किया जा रहा है वह कब से शुरू है ?

मुख्य मन्त्री : आफ हैंड कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी फिर पूछ सकते हैं ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या यह हकीकत है कि एक साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है पक्की सड़क को बने हुए, मगर अभी तक किराया कच्ची सड़क का ही लिया जा रहा है ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : इस वक्त इस के मुतअल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इतने अर्से से पक्की बनी है तो लाज़मी है कि किराया भी पक्की का ही लिया होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

कामरेड राम प्यारा : कौनसी ऐसी एजेंसी है जिस के कहने पर किराये को रिवाइज़ किया जाता है ?

Chief Parliamentary Secretary: Regional Transport Authority, Please.

BUSES PLYING ON ROHTAK-JIND ROAD

*2371. **Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Pepsu Roadways and Punjab Roadways buses and those belonging to private operators, separately, operating on Rohtak-Jind road ;

(b) whether Government have recently received any complaints regarding inadequate bus-service due to the less number of trips made by these buses on the said road ; if so, the action proposed to be taken by the Government in this connection ?

S. Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary):

		No. of permits	*No. of trips*
(a) Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	..	4	8
Punjab Roadways	..	Nil	Nil
Private Operators	..	2	2

(b) No. Government are, however, aware of the increase in traffic on this route and three additional permits with five return trips are being issued shortly.

श्री मंगल सैन : जब यह सरकार की डिक्लेयर्ड पालिसी थी कि प्राइवेट मोटर मालिकों को नये रूटों के पर्मिट नहीं दिये जाएंगे, तो क्या वजह है कि यह पालिसी रोहतक जींद रूट पर एप्लाई नहीं की गई ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : यह रूटों के मुतअल्लिक 50-50 के बेसिज़ पर तय हुआ है कि प्राइवेट पार्टियों को भी पर्मिट दिये जाते हैं और गवर्नमेंट भी अपनी गड़ियां चलाने का इंतजाम करती है ।

श्री मंगल सैन : जब यह गवर्नमेंट की एक डिक्लेयर्ड पालिसी थी तो रोहतक जींद रोड़ पर क्यों प्राइवेट कैरियर्ज़ को पर्मिट दिये गये ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : यह इनफर्मेशन आप की ठीक नहीं है ।

श्री मंगल सैन : मैं ने जनाब से यह पूछा है कि जब गवर्नमेंट की यह डिक्लेयर्ड पालिसी है कि जो नए रूट्स हैं उन पर प्राईवेट आपरेटर्ज़ को प्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी तो फिर उन को इजाज़त क्यों दी गई ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : इस सड़क पर जिस का आपने ज़िक्र किया है, पहले भी प्राइवेट बसें चलती थीं ।

श्री मंगल सैन : नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि यह बात ठीक नहीं है ।

श्रीमती सरला देवी : क्या सरकार ने ऐसी कोई पालिसी एडाप्ट की है कि जो नई सड़क बनेगी उस पर सिवाय पंजाब रोडवेज़ के और कोई बस नहीं चल सकती ।

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : यह गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो चुका है कि 50 प्रतिशत गवर्नमेंट की गाड़ियां चलेंगी और 50 प्रतिशत ही प्राइवेट ओनर्ज़ की चलेंगी ।

श्री मंगल सैन : जनाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ?

CONSTRUCTION OF BUS STAND AT ROHTAK

*2372. **Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a bus-stand at Rohtak ; if so, the steps so far taken in this connection together with the approximate time by which the construction thereof will be completed?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. The possessin of main portion of the land acquired has been taken. A small strip of land in addition is also under acquisition. The consturction of the bus-stand, it is expected, will be completed during the financial year, 1963-64.

श्री मंगल सैन : क्या चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहिब बतलाएंगे कि जो बस स्टैंड बनाया जा रहा है उसको प्राईवेट आपरेटर्ज़ भी अपनी बसों को खड़े करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : वह जो बस स्टैंड बनेगा उस पर उन की भी बसें खड़ी हो सकेंगी। वैसे मैं आप की इनफर्मेशन के लिए बतला दूं कि जो बस स्टैंड रोडवेज़ बनाता है उस के लिए दूसरों से भी पैसा लिया जाता है।

FARE CHARGED ON PATIALA-SUNAM AND PATIALA-SANGRUR ROUTES

*2420. **Sardar Pritam Singh Sahoke** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the private operators on Patiala-Sunam and Patiala-Sangrur routes are charging higher rate of fare as compared to fare being charged by State-owned buses at present ;

(b) if the r ply to part (a) above be in the affirmative, the steps, if any which are being t ken by Government to bring the fares on these routes at par with those of the Government buses ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes.

(b) All concerned have been asked to bring about uniformity in fare on these routes.

PLYING OF BUSES BETWEEN MOHNIDERGARH AND REWARI

*2562. **Shri Banwari Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the construction of the road from Mohindergarh to Rewari has since been completed ; if so. the time by which plying of buses is likely to be started on it ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. The plying of buses is likely to be started in about three months.

श्री मंगल सैन : क्या चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि क्या उनको पता है कि वह सड़क, जिस के बारे में कहा गया है कि तीन महीने में बसें चल जायेंगी, 8-9 महीने से पक्की सड़क बनी हुई है ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : मुझे पता तो नहीं, लेकिन 3 महीने के अन्दर बसें चल जाएंगी।

श्री मंगल सैन : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ के दरम्यान जो 8 या 9 महीने से सड़क बनी हुई है उस पर 3 महीने में बसें चल सकती हैं ? और क्या वहां बसें प्लाई करने के लिए प्राइवेट आप्रेटर्ज़ को परमिट दिए जाएंगे ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : परमिट देने का भी एक तरीका है। पहले दरखास्तें ली जाती हैं, सजैशन मांगी जाती हैं, फिर बाद में परमिट दिए जाते हैं।

SUSPENSION OF OFFICERS OF THE GOVERNMENT PRESS

*2335. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some officer(s) of the Government Press have recently been suspended ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether any explanations of the officers concerned were called ; if so, contents thereof together with the reply of the officers concerned ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes ; Shri K. C. Kuriyan, Controller of Printing and Stationery, has been placed under suspension. The reasons necessitating the step were laxity of supervision and control, inefficiency, making of misstatements, showing undue favour to a contracting firm and misbehaviour towards superior authority.

(b) No.

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : Was it not necessary to call for his explanation ?

Chief Minister : No, that was not necessary.

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सस्पैन्शन के कितने दिन बाद चार्जशीट देना ज़रूरी होता है ? और इस केस में क्या उतने दिनों के बाद चार्जशीट दी गई है या नहीं ?

Mr. Speaker : All the formalities in this connection had been observed by Government. They then took action in the matter.

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : **ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।**

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि उस ने किस के खिलाफ मिसबिहेव किया था ?

मुख्य मन्त्री : यह बात इस स्टेज पर न पूछी जाए तो अच्छा है क्योंकि अभी हम उस को चार्जशीट कर रहे हैं ।

SAVINGS AS A RESULT OF ECONOMY EFFECTED IN DIFFERENT DEPARTMENTS

*2223. **Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Finance be pleased to state the measures being adopted by the Government to effect economy in the different departments of the State and the estimated amount of saving as a result thereof ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : With a view to meeting expenditure necessitated as a result of the National Emergency and otherwise depletion

of balances at the beginning of the year, a re-appraisal of the State Budget was undertaken from time to time during the course of the year and a cut of Rs 11 crores (Plan Rs 4.41 crores and Non-Plan 6.25 crores besides a reduction in provision for T. A. and contingency) was imposed. It was also decided to slow down or abandon schemes which were not related to defence effort and also to stop the construction of new buildings except where it was either required in connection with the Civil Defence or with essential industrial development. Similarly, reduction of the quantum of loan and subsidies was also made.

2. A statement showing the Plan Heads under which modifications were made and a list of the non-Plan Schemes with the amounts of cuts applied thereunder are laid on the Table of the House.

STATEMENT

Annual Plan, 1962-63

(Rs in lakhs net)

Serial Number	Sub-head of Development	Budget	Cuts imposed in July/August	Non-Plan schemes included in Plan	Revised Plan	Cuts imposed in meeting of 9th/10th November, 1962	Cuts imposed in meeting of 14th November, 1962	Revised Plan as it stands now
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agricultural Production ..	149.90	13.98	..	135.92	..	—1.53	134.39
2	Minor Irrigation—							
	(i) Agriculture ..	118.34	13.27	..	105.07	+9.41	..	114.48
	(ii) Irrigation ..	15.15	..	..	15.15	—9.41	..	5.74
3	Consolidation of Holdings ..	48.00	..	..	48.00	—5.00	..	43.00
4	Animal Husbandry ..	45.46	22.26	..	23.20	—2.30	..	20.90
5	Dairying and Milk Supply ..	33.08	11.11	..	21.97	..	..	21.97
6	Forests (including Game Preservation and Soil Conservation) ..	88.16	9.00	..	79.16	—0.62	..	78.54
7	Fisheries ..	10.00	1.29	..	8.71	..	..	8.71
8	C. D. & N. E. S. ..	229.89	2.48	..	227.41	—45.00	..	182.41
9	Co-operation ..	79.68	20.50	..	59.18	—4.00	..	55.18

10	Panchayats ..	19.12	2.00	48.29	65.41	—55.29	—2.63	7.49
11	Resettlement of landless agricultural workers ..	25.00	14.00	..	11.00	—8.50	..	2.50
12	Multipurposes Projects ..	853.00	42.17	..	810.83	—208.00	—16.00	586.83
13	Major and Medium Irrigation ..	146.30	34.57	..	113.73	—72.66	..	41.07
14	Anti-waterlogging, Drainage and Flood Control ..	269.50	31.90	..	237.60	+437.00	..	674.60
15	Power Projects ..	632.60	46.80	..	585.80	—25.00	..	560.80
16	Industries ..	332.70	90.25	28.22	307.67	—37.00	..	270.67
17	Roads ..	205.89	2.21	..	203.68	—75.00	..	128.68
18	(A) Road Transport, (B) Civil Aviation ..	(A) 10.50	(A) 1.05	(B) 16.07	(A) 9.45 (B) 16.07	..	..	(A) 9.45 (B) 16.07
19	General Education ..	346.39	51.39	22.74	357.74	—17.50	+9.53	349.77
20	Technical Education ..	125.80	27.70	..	98.50	..	..	98.50
21	Health							
	(i) Medical ..	177.95	8.91	0.18	169.22	+50.00	—2.37	216.85
	(ii) Ayurveda ..	8.07	2.06	..	6.01	..	..	6.01
	(iii) Water-supply ..	60.35	..	..	60.35	..	..	60.35
22	Housing ..	40.80	0.20	..	40.60	—7.14	+1.00 —1.25	33.21
23	Labour and Labour Welfare—							
	(i) Labour Welfare ..	1.76	..	..	1.76	..		1.76
	(ii) Employees State Insurance ..	1.08	0.40	..	0.68	..	..	0.68
	(iii) Employment Exchanges ..	1.05	..	..	1.05	..	..	1.05
	(iv) Craftsmen Training ..	30.22	13.57	42.00	58.65	—17.00	..	41.65

Serial Number	Sub-head of Development	Budget	Cuts imposed in July/ August	Non-Plan schemes included in plan	Revised Plan	*Cuts imposed in meeting of*		Revised Plan as it stands now
						9th/10th November, 1962	14th November, 1962	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Development of Border Areas (I & S) ..	26.97	..	..	26.97	..	..	26.97
25	Welfare of Scheduled Castes, Backward Classes and Vimukt Jatis ..	39.16	..	..	39.16	..	..	39.16
26	Social Welfare ..	10.60	1.75	..	8.85	—4.46	..	4.39
27	Public Co-operation ..	0.84	..	..	0.84	..	..	0.84
28	Capital Project ..	84.99	8.50	2.55	79.04	—25.00	..	54.04
29	Printing ..	11.67	5.33	..	6.34	..	..	6.34
30	Statistics ..	3.74	..	..	3.74	..	..	3.74
31	Publicity ..	9.25	..	0.03	9.28	..	..	9.28
32	Tourism ..	3.83	..	..	3.83	..	—0.20	3.63
33	Special Development in Urban Areas ..	11.05	..	..	11.05	—8.36	..	2.69
	Total ..	43,07.84	477.25	160.08	40,68.67	—618.83* +487.00	—13.45	39,23.39*

Note.—(1)* In addition, a cut of Rs 56.66 lakhs has been imposed on buildings. The details will be worked out by B. & R. Department. The net Plan would thus be Rs 39,23.39—56.66=38,66.73 lakhs.

(2)* The cuts imposed in meetings of 9th/10th, 14th November, 1962 are as a result of discussions held with Administrative Secretaries.

ABSTRACT

(In lakhs of rupees)

Administrative Secretary		custs applied	
	July/ August, 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
I. Secretary, Local Government and Housing ..	..	9.50	..
II. Financial Commissioner, Development ..	..	8.00	0.40
III. Financial Commissioner, Planning	..	0.43	..
IV. Secretary, Transport ..	..	50.00	..
V. Commissioner for Home Affairs ..	0.60	6.98	..
VI Commissioner for Industries ..	137.00	150.75	..
VII. Secretary, Labour, Printing and Stationery, Social Welfare, etc. ..	..	2.55	..
VIII. Secretary, Irrigation and Power ..	4.00	85. 98	1.00
IX. Secretary, B. & R. ..	1.00	71.94	3.00
X Financial Commissioner, Revenue ..	..	37.97	..
XI. Secretary, Agriculture and Co-operation ..	9.61	37.05	..
XII. Chief Secretary ..	..	3.00	..
XIII. Education Commissioner ..	..	31.00	—26.00
Total ..	152.21	495.15	—21.60
		625.76	

Major Head	Description of scheme	Cuts applied		
		July/ Agust, 1962	9th/ 10th November, 1962	14th November, 1962
	I. Secretary, Local Government and Housing			
Loans to Local Funds and Private Parties	Loans to Improvement Trusts ..	..	8.00	..
	Loans to Municipal Committees for Compost Scheme	..	1.50	..
	Total	.. ..	9.50	..

[Finance Minister]

Major Head	Description of scheme	Cuts applied		
		July/ August, 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
	II. *Financial Commissioner, Development*			
39—Social and Developmental Organisation	Sports ..	..	3.00	..
Loans to Local Fund, Private Parties, etc	Loans to Panchayat Samitis and Zila Parishads under N.E.S. Schemes	..	3.00	..
37—Community Development Projects	C. D. & N.E.S. Stage III Block ..	..	2.00	..
71—Miscellaneous Directorate of Guidance and Control	..	..	..	0.40
	Total ..	..	8.00	0.40
	III. *Financial Commissioner, Planning*			
39—Miscellaneous Social and Developmental Organisation	Economic and Statistical Organisation cost of production Vegetables ..	..	0.20	..
	Pace of Urbanisation in Punjab ..	..	0.03	..
	National Sample Surveys ..	..	0.20	..
	Total ..	..	0.43	..
	IV. *Secretary, Transport*			
Loans to Local Funds, Private Parties, etc.	Loans to Goods Transport Operators ..	..	50.00	..
	Total ..	..	50.00	..
	V. *Commissioner, Home Affairs*			
50—Public Works	Construction of a new Police Station at Faridabad	..	1.47	..
	Construction of new Police Station at Sadar, Fazilka	..	0.51	..
	Construction of quarters for Head Warders and 4 Warders at District Jail, Rohtak	0.30	..	..
	Construction of Judicial Lock-up at Kandaghat	0.30	..	..
2—Jails	Jail Manufacture ..		5.00	..
	Total ..	0.60	6.98	..

Major Head	Description of scheme	Cuts applied		
		July/ August, 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
	VI. *Commissioner for Industries*			
?5—Industries ..	Extra Ministerial staff—Lump sum cut..	..	2.00	..
96—Capital Outlay on Industrial Development	Contribution towards the share capital of M/s Bedi & Co. ..	75.00	40.75	..
38—Labour and Employment	Special Scheme for expansion of Industrial Training Facilities in the State	30.00	50.00	..
	Purchase of tools and equipment for which orders have not been placed	..	20.00	..
	Scheme for the training of Punjabi Apprentices outside the State	7.00	..	..
	Special Scheme for expansion of Industrial Traninig facilities	13.50	38.00*	..
	Special Scheme for Training of Apprentices within the State	1.50	..	..
	Purchase of Bonds of the Punjab Financial Corporation	10.00	..	..
	Total ..	137.00	150.75	..
	VII. *Secretary, Labour, Printing, and Stationery, Social Welfare, Cultural Affairs, Backward Classes and Scheduled Castes, Punjab*			
39—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations	Financial assistance (grant-in-aid) to voluntary welfare organisations continuing from Second Plan	..	0.25	..
	Non-Plan Technically New Schemes—Welfare expansion projects (Grant-in-aid to Social Welfare Advisory Board)	..	0.55	..
	Establishment of State Houses and District Shelters under After-Care Programme	..	0.60	..
	Protective Homes under Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956	..	0.30	..
	Continuance of the post of Social Welfare Officer and his staff	..	0.50	..
	Lump-sum provision of Bal Bhawan, Madhuban	..	0.20	..
	Holiday Homes for poor children ..	..	0.50	..
	Headquarters staff for Social Welfare Directorate	..	0.10	..
	Total ..	..	2.55	..

*Result of transfer of Plan Schemes.

[Finance Minister]

Major Head	Description of Scheme	Cuts applied		
		July/ August, 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
	VIII. *Secretary, Irrigation and Power*			
42-Multipurpose River Schemes	Working Expenses	..	12.35	..
Charges on Irrigation Establishment	Charges on Irrigation Establishment	..	16.45	..
Loans to Local Funds and Private Parties, etc.	Loans under Canal and Drainage Act, 1873 for construction of water-courses and watercourse culverts (Nil expenditure upto August)	..	4.00	..
	Irrigation (Additional Saving agreed to by S. I. R.,	..	51.42	..
	Staff in the Electrical Inspectorate ..	..	..	1.00
99—Capital Outlay on Construction of Irrigation Works	Non-Plan New Schemes—Conversion of Dhamana Lift Channel into flow channel	..	0.68	..
	Conversion of Soman Lift Channel into Flow Channel (Extension of Karsola Minor)	..	0.68	..
	Construction of Office Building for Sohana Sub-Division at Panipat	..	0.10	..
	Construction of additional Rest-house at No. 4, Northern Road, Delhi	..	0.30	..
	Multipurpose River Schemes—Extension and Improvements— Major Works, Minor Works, Irrigation Establishment Charges	4.00	..	..
	Total ..	4.00	85.98	1.00
	IX. *Secretary, B & R.*			
Charges on B&R. Establishment	Charges on B. & R. Establishment ..	..	11.94	..
103—Capital Outlay on Public Works	Expenditure on original works ..	..	50.00	..
	Rental Housing Scheme ..	..	10.00	..
	Starting of higher diploma course in Production Engineering	1.00	..	..
	Town and Country Planning ..	..	..	3.00
	Total ..	1.00	71.94	3.00

Major Head	Description of Scheme		Cuts applied	
		July/August, 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
	X. *Financial Commissioner, Revenue*			
9—Land Revenue	Payment of compensation to landowners/tenants under the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955	..	20.00	..
19—General Administration	Staff required for the opening of New Sub-Division under the District Reorganisation Scheme	..	4.00	..
Loans to Local Funds, Private Parties	Loans for repairs of houses in Urban Areas	..	1.00	..
9—Land Revenue	Implementation of the provisions of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, and the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955	..	0.58	..
	Continuance of temporary staff employed for thur, sem, choes and sand girdawari work	..	0.08	..
	Regular settlement operation in the State	..	1.40	..
103—Capital Outlay on Public Works	Construction of building under the District Reorganisation Scheme	..	10.91	..
	Total ..	..	37.97	..
	XI. *Secretary, Agriculture*			
Loans to Local Private Parties, etc.	Loans for resettlement of ejected tenants for construction of houses, sinking of new wells, repairs of old wells	..	8.00	..
	Loans for the purchase of tractors	..	7.00	..
	Loans for development of Co-operative Farming in Areas outside Pilot Projects	..	4.00	..
	Non-Plan Technically New Schemes—			
31—Agriculture ..	Continuance of the post of Deputy Director of Agriculture (Seed Farms) and his staff	..	0.14	..
	Scheme for the establishment of seed farms and stores of seed farms in the Punjab	..	3.90	..
	Scheme for the production of Hybrid Maize seed at Naraingarh Farm	..	0.88	..

[Finance Minister]

Major Head	Description of scheme	Cuts applied		
		July/ August, 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
31—Agriculture —*concld*	Scheme for the development and the production of Hybrid seed of Bajra	..	0.14	..
	Scheme for crop-cutting experiments on Principal food crops and assurance of Grow-More-Food results	..	0.39	..
	Scheme for the production of Hybrid maize seed at Chandigarh Farm	..	0.60	..
	Scheme for the control of flying foxes ..	..	0.10	..
	Grant-in-Aid to Farmers Forum, Punjab	..	0.05	..
	Scheme for the continuance of Punjab Co-operative Fruit Development Federation, Ltd., Patiala	..	0.05	..
	Expanded portion of Sugarcane Development Scheme	9.61	..	..
33—Animal Husbandry	Scheme for studying of cattle sterility in the Punjab	..	0.27	..
	Establishment of Research Unit for study of sheep production in mixed farming economy at the Government Livestock Farm, Hissar	..	0.39	..
	Increased duck production in the Bet areas of Punjab	..	0.16	..
	Reclamation and cultivation of grazing land on Bhakra Canal at Government Livestock Farm, Hissar	..	0.64	..
	Establishment of four more Gosadans in Punjab	..	0.40	..
	Development of 29 selected Gaushalas in Punjab	..	0.44	..
70—Forests	Extraction of additional quantities of conifer timber in connection with the setting up of a Newsprint Mill at Mirthal	..	3.50	..
	New Scheme—Non-Plan—			
31—Agriculture	Expanded Portion of Sugarcane Development Scheme	..	5.00	..
	Total	9.61	37.05	..

Major Head	Description of scheme	Cuts applied		
		July/ August 1962	9th/10th November, 1962	14th November, 1962
	XII. *Chief Secretary*			
71—Miscellaneous	Taking over of Mountview Hotel and economy in Hospitality	..	3.00	..
	Total ..	..	3.00	..
	XIII. *Education Commissioner*			
28—Education ..	Taking over of privately managed Schools	..	25.00+	—20.00
	Bringing of un-aided Non-Government A. V. Secondary Schools on the grant-in-aid list	..	6.00	—*6.00
	Total ..	..	31.00	—26.00
	GRAND TOTAL ..	152.21	495.15	—21.50

CURTAILMENT IN EXPENDITURE IN THE STATE

***2248. Comrade Ram Kishan :** Will the Minister for Financc be pleased to state whether Government have recently set up any agency to examine the possibilities of curtailment of expenditure in different Departments of the State ; if so, the details of action so far taken as a result thereof ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No such agency has been set up by the Government.

LOCATION OF CIVIL DISPENSARIES, ETC., IN DISTRICT BHATINDA

***1487. Comrade Babu Singh Master :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of civil dispensaries, health units, health centres, family planning centres and maternity hospitals in the district of Bhatinda at present with their locations, separately, and the strength of the staff provided in each of the said institutions ;

(b) the names of such institutions where the staff provided is less than the sanctioned strength giving the details thereof and the reasons therefor ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

+Education Commissioner stated in the meeting on the 14th November, 1962 that the amount could be saved only if fees were imposed in Government Schools.

STATEMENT

Hospitals/Dispensaries/ Primary Health Centres	*Sanctioned strength in each hospital*				*Posted at present in each hospital*				*Posts lying vacant*				Detail of Miscellaneous	Reason
	Doctors	Nursing staff	Pharmacists	Miscellaneous	Doctors	Nursing staff	Pharmacists	Miscellaneous	Doctor	Nursing staff	Pharmacists	Miscellaneous		
1. Harindra Hospital, Faridkot	3	8	13	3	3	3	8	3	..	5	5	..	..	Shortage is due to the fact that there is a dearth of technical qualified staff
2. Civil Hospital, Bhatinda	3	7	10	5	2	5	8	4	1	2	2	1	Laboratory Assistant, Grade II	
3. Civil Hospital, Kot Kapura	2	2	5	..	2	2	4	..	..	..	..	..	..	
4. Civil Hospital, Mandi Phul	2	1	3	..	2	1	3	..	..	..	..	..	..	
5. Civil Hospital, Mansa	2	1	4	..	2	1	2	..	..	..	2	..	..	
6. Civil Hospital, Jaitu	2	..	3	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	
7. Women Hospital, Bhatinda	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	
8. Women Hospital, Faridkot	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	

Dispensaries													
1. Civil Dispensary, Raman	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
2. Civil Dispensary, Maur	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
3. Civil Dispensary, Phul	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
4. Civil Dispensary, Baretta	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
5. Civil Dispensary, Mehraj	1	1	1	..	1	1	1	..	..	..		..	..
6. Civil Dispensary, Bhucho Mandi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
7. Rural Dispensary, Sadiq	1	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..
8. Rural Dispensary, Golewala	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
9. Rural Dispensary, Bhai Rupa	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
10. Rural Dispensary, Bhikhi	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
11. Rural Dispensary, Boha	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
12. Rural Dispensary, Kubrain	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
13. Rural Dispensary, Joga	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
14. Rural Dispensary, Nathana	1	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..

Hospitals/Dispensaries/. Primary Health Centres	Sanctioned strength in each hospital				Posted at present in each hospital				Posts lying vacant				Detail of Miscellaneous	Reason
	Doctors	Nursing staff	Pharmacists	Miscellaneous	Doctors	Nursing staff	Pharmacists	Miscellaneous	Doctors	Nursing staff	Pharmacists	Miscellaneous		
Hospitals Dispensary, Nahianwala	1	..	2	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	
Primary Heath Centres/ Units														
1. Primary Health Centre/Unit, Panj Grain	2	..	2	6	1	..	..	5	1	..	2	1	Midwife (1)	
2. Primary Health Centre/Unit, Talwandi Sabo	2	..	2	5	1	..	1	4	1	..	1	1	Lady Health Visitor (1)	
3. Primary Health Centre/Unit, Bhegta	2	..	2	5	1	..	2	5	1	..	..	..	..	
4. Primary Health Centre/Unit, Sangat	2	..	2	5	1	..	2	4	1	..	..	1	Midwife	
5. Primary Health Centre/Unit, Budhlada	2	..	2	8	2	..	2	6	..	..	..	2	Midwife (1), Radiographer (1)	
6. Primary Health Centre/Unit, Baje Khanna	2	..	1	7	..	..	1	5	2	..	..	2	Lady Health Visitor (1), Midwife (1)	
7. Primary Health Centre/Unit, Sardul-	2	..	2	7	1	..	1	5	1	..	1	2	Ditto	

8. Primary Health Centre/Unit, Balianwali	2	..	2	6	1	..	2	5	1	..	..	..	Midwife (1)
9. Primary Health Centre/Unit, Jand Sahib	1	..	1	6	..	..	1	6	1	..	..	..	..
10 Primary Health Centre/Unit, Goniana	1	..	1	8	1	..	1	5	..	..	..	3	Lady Health Visitor (1), Midwife(1)
Child Welfare Centres													
1. Child Welfare Centre, Goniana	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Family Planning Centre/ Clinics													
1. Family Planning Centre/Clinic, Bhatinda	1	..	..	2	1	..	..	1	..	..	..	1	Driver (1)
2. Family Planning Centre/Clinic, Talwandi Sabo	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
3. Family Planning Centre/Clinic, Panj Grain	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	Lady Health Visitor (1)
Maternity Hospitals													
Nil													

PERSONS CONVICTED UNDER THE PURE FOOD ACT

***2249. Comrade Ram Kishan :** Will the Minister for Finance be pleased to state the number of persons arrested and sentenced, district-wise, under the provisions of the Punjab Pure Food Act, in the year 1962 ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The information has been laid on the Table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of district	Number of persons sentenced to imprisonment during the year 1962 under the Prevention of Food Adulteration Act
1	2	3
1	Hissar ..	3
2	Rohtak ..	40
3	Gurgaon ..	19
4	Karnal ..	18
5	Ambala ..	18
6	Simla ..	1
7	Kangra ..	5
8	Hoshiarpur ..	30
9	Jullundur ..	10
10	Ludhiana ..	1
11	Ferozepore ..	7
12	Amritsar ..	52
13	Gurdaspur ..	12
14	Patiala ..	33
15	Kapurthala ..	71
16	Bhatinda ..	2
17	Sangrur ..	24
18	Narnaul ..	2
	Total ..	348

BLOOD DONORS IN VILLAGES

***2294. Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government has made any survey in regard to blood donors in the rural areas of the State ; if so, the number of such blood donors, district-wise ?

Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) Yes, Sir.

(*b*)

Serial No.	*Name of district*	*Number of blood donors registered so far*
1	Rohtak ..	448
2	Hissar ..	5,011
3	Gurgaon ..	1,419
4	Karnal ..	4,748

Serial No.	*Name of district*		*Number of blood donors registered so far*
5	Ambala	..	6,295
6	Ludhiana	..	1,348
7	Jullundur	..	2,196
8	Amritsar	..	5,380
9	Gurdaspur		1,935
10	Ferozepore	..	2,580
11	Hoshiarpur	..	1,145
12	Kangra	..	610
13	Simla	..	1,324
14	Keylong	..	225
15	Patiala	..	4,655
16	Kapurthala	..	6,148
17	Bhatinda	..	2,249
18	Mohindergarh	..	540
19	Sangrur	..	2,064
	Total	..	50,320

PATIENTS ATTENDED TO IN HAJIPUR AND MUKERIAN DISPENSARIES

*2352. **Principal Rala Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of patients attended to at the following dispensaries and the total grant for medicines sanctioned to them during the year 1961-62 :—

(1) Mukerian Dispensary; and

(2) Hajipur Dispensary ;

(b) the average expense, per patient, under the head 'Medicines' during the period referred to above ?

Dr. Gopi Chand Bhargava :

(a) *Name of dispensary*		*Patients attended to during* 1961-62	*Total grant for medicines for* 1961-62
			Rs
(i) Mukerian	..	11,739	2,294
(ii) Hajipur	..	5,359	793

(b) Average cost of medicines per patient :—

		Rs
(i) Mukerian	..	0·19
(ii) Hajipur	..	0·14

PROVINCIALISATION OF CIVIL DISPENSARY AT MUKERIAN

*2353. **Principal Rala Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to provincialise the Civil Dispensary at Mukerian ; if so, when ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No, Sir.

ARREST OF PATWARI OF VILLAGE HARIGARH, DISTRICT SANGRUR, IN A CORRUPTION CASE

*1073. **Comrade Harnam Singh Chamak :** Will the Home Minister be pleased to state whether a Patwari of village Harigarh, district Sangrur, was arrested in a corruption case in January, 1961 ; if so, the result of the case, if any ?

Shri Mohan Lal : No. Shri Surjit Singh, Revenue Patwari, was, however, caught red-handed while accepting illegal gratification and the case of departmental action is pending with his Punishing Authority.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਪਟਵਾਰੀ **ਕੁਰਪਸ਼ਨ** ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 1961 ਵਿਚ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

मंत्री : इस केस में पनिशिंग अथारेटी डिप्टी कमिश्नर है । उस पटवारी को डिसमिस करने के लिए शो काज़ नोटिस दिया गया है । उस के विरुद्ध ऐक्शन लेने के लिए प्रोसीज़र बनाया जा रहा है।

Mr. Speaker : When a person is caught red-handed, is he not prosecuted in a Court of Law ?

Sardar Gurnam Singh : This is what I also wanted to know. Was there any doubt about his being caught red-handed ?

Minister : There was no doubt about his being caught red-handed. The point is that I am not fully aware of the details of this case. All that I know is that it was not a fit case to be challaned. In this case, it was thought proper to proceed departmentally. If any more details are needed, I can collect them.

Sardar Gurnam Singh : Well, if a man is caught red-handed, those, who catch him, provide first-hand primary evidence. In this case, therefore, I do not understand what the difficulty is in prosecuting the man.

Minister : Even in a case, where a man has been caught red-handed, some defects may arise here and there. It is possible that an in'ependent evidence may not be forthcoming or records may not have been fully prepared. Similar defects arise which influence the court in taking the decision. It is not always possibleto secure conviction in cases where the persons concerned have been caught red-handed. So, in such cases, it is always considered expedient to take departmental action.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the Home Minister note that when arrangements are made for catching a person red-handed, stock witnesses also accompany the officer catching them ? I would like to know whether the Government showed any leniency in this case ?

Minister : There is no question of showing any leniency, nor does the question of stock witnesses arise here. As I have already submitted I am not in possession of full details of the case. However, I presume that due to some defects in the case, it was thought best to proceed departmentally against him.

Sardar Gurnam Singh : Probably, the man concerned was not caught red-handed.

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, ऐसे केसों में 2 प्रकार से ऐक्शन लिया जाता है । जिन केसों में गवर्नमेंट को उम्मीद होती है कि कोर्ट में गवर्नमेंट के हक में फैसला होगा उन केसों

को कोर्ट में भेज दिया जाता है और जिन केसों में गवर्नमेंट को कुछ डिफैक्ट नज़र आए उन के विरुद्ध डिपार्टमैंटल ऐक्शन लिया जाता है। इस केस में डिपार्टमैंटल ऐक्शन के द्वारा डिसमिसल की जा सकती है।

Sardar Gurnam Singh : Is it the policy of the Government?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਕਢ ਕੇ ਫੇਰ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੈਡ ਹੈਂਡਿਡ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਵਿਟਨੈਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਡਾਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, and the Court is competent to do it, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਅੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। The general policy is to take departmental action first and then to put the case in court, if considered necessary.

श्रीमती सरला देवी : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उसको कब सस्पेंड किया गया था और उसके खिलाफ कब डिपार्टमैंटल एनक्वायरी शुरू हुई और अगर नहीं हुई तो क्यों ?

मन्त्री: 22 फरवरी, 1961 को कुलैक्टर के पास डिपार्टमैंटल ऐक्शन लेने के लिए प्रोसीडिंग्ज़ भेजी गई थीं.........

बाबू बचन सिंह : 3 साल हो गए हैं ?

मन्त्री : हां कुछ ढीले मालूम होता है कुलैक्टर के आफिस में हुई है। जहां तक हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उसने केस 22 फरवरी 1961 को भेज दिया था।

Pandit Chiranji Lal Sharma : A period of two years has since elapsed, but the enquiry has not been completed so far.

Mr. Speaker : There is delay on the part of the Government which does not bring any credit to them.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिस एम्पलाई की डिसमिसल के आर्डर दिए हैं वह पर्मानेंट था या टैम्परेरी।

मन्त्री : मैं ने कहा ही नहीं कि उसे डिसमिस कर दिया गया है।

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आदमी पर्मानेंट था या टैम्प्रेरी ?

Mr. Speaker : How does the Member expect the hon. Minister to give all this information off hand ? The hon. Member may meet him and get all the information he desires. The Minister is not interested in defending or sheltering anybody.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਟਸਰ : ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Minister : I think, he must have been suspended, but I have no definite information with me at present.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

AREA OF LAND IRRIGATED BY TUBEWELL NO. 78 OF SANGRUR DISTRICT

500. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the area of land irrigated by Tubewell No. 78 in Sangrur District during the years 1960-61 and 1961-62, separately ;

(b) whether it was brought to the notice of the Government by the farmers of the said area that the irrigated area of land by the said tubewell had gone down ; if so, the steps taken by the Government in this connection ?

Chaudhri Ranbir Singh :—

(a) Year 1960-61 .. 442 acres

Year 1961-62 .. 335 acres

(b) (i) No. However, the irrigation has gone down.

VILLAGES IN AMRITSAR DISTRICT DECLARED AS BACKWARD

702. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the number and names of villages, tehsilwise in Amritsar District, so far declared as backward areas; and

(b) the criteria kept in view for declaring them as such;

(c) together with the special facilities afforded to them ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) A list of villages declared as 'Backward' so far in district Amritsar is given below.

(b) The following three factors are generally kept in view while declaring any area as 'Backward' :—

(i) Economic position of the area ;

(ii) nature and extent of development activities ; and

(iii) means of communications and marketing facilities available in the area.

(c) The only facility, which has been provided to such areas, is that in addition to the annual quota, fixed for admissions in Government Colleges and Institutions, 10 per cent of the seats are reserved for students permanently residing in Backward Areas, who are not able to secure admission on merit but are otherwise in possession of necessary qualifications for admission.

List of villages declared as Backward Area falling between the Sakki Nallah and the river in Ajnala Tehsil, district Amritsar

Serial No.	Name of village		Total area in acre
1	Manj	..	Partly
2	Ladi Gujar	..	1,291
3	Saidpur Kalain	..	305
4	Channa	..	254
5	Dug	..	289
6	Toot	..	1,001
7	Vehra	..	741
8	Bhagupura Otar	..	Partly
9	Mohlake	..	Do

Note .—Please see annexure also.

Serial No.	Name of village		Total area in acres	
10	Bhagupura Bot	..	703	
11	Kotli Dassundi	..	523	
12	Kotiwal	..	353	
13	Toor	..	618	
14	Buraj	..	484	
15	Bhindi Nan	..	1,092	
16	Fatah	..	310	(Outside the river Ravi)
17	Bhindi Aulokh Kalan	..	1,402	
18	Bhindi Aulokh Khurd	..	1,667	
19	Bhindi Sadian	..	1,953	
20	Ghung	..	225	
21	Tanana	..	161	
22	Ghoga	..	539	
23	Awan Basau	..	8,087	
24	Bahlol	..	408	(as Serial No. 16)
25	Sherpur	..	496	Do
26	Akbarpur	..	582	Do
27	Gul Gharh	..	541	
28	Namitabad	..	261	
29	Shaliwal	..	229	
30	Majhi Mamun	..	718	(As Serial No. 16)
31	Shakt Bhati	..	527	
32	Sadu Gazi	..	323	Partly
33	Raipur Kalair	..	1,169	Do
34	Bhanian	..	600	(as Serial No, 16)
35	Sunder Garh	..	490	Do
36	Channa	..	293	Partly
37	Boghan	..	530	(as Serial No. 16)
38	Kanwal	..	609	Partly
39	Bollerwal	..	1,617	Do
40	Sohowal	..	664	Do
41	Dharyan Singh Pura	..	679	(as Serial No. 16)
42	Bhani Gill	..	313	Do
43	Gill	..	328	Partly
44	Bal Labe Dria	..	1,359	Do
45	Kamirpura	..	252	(as Serial No. 16)
46	Darya Mansur	..	490	Do
47	Arazi Darya	..	116	Do
48	Badhi Chama	..	432	Do
49	Budha Waryal	..	116	Do
50	Dadian	..	349	Do
51	Kotli Burwala	..	488	Partly
52	Shazada Abad	..	186	(as Serial No. 16)
53	Arazi Kot Rajada	..	85	Do
54	Kot Rajada	..	1,203	partly
55	Dojowal	..	743	
56	Lungerpur	..	166	
57	Malakpur	..	925	
58	Darya Mussa	..	855	
59	Gurmarhi	..	518	

[Agriculture and Welfare Minister]

Serial No.	Name of village		Total area in acres	
60	Panch (Gariniawala)	..	1,070	
61	Gajjar	..	500	
62	Phufpura	..	203	(as Serial No. 16)
63	Dadra	..	166	Do
64	Arazi Sanjoki	..	44	Do
65	Naughoki	..	616	Parlty
66	Nasoki	..	457	Do
67	Kamalpur Kalian	..	617	Do
68	Kamalpur Khurd	..	538	Do
69	Saharan	..	598	(as Serial No. 16)
70	Arazi Sabaran	..	455	Do
71	Kasowala	..	1,209	Do
72	Arazi Kasowala	..	396	Do
73	Ghanawala	..	987	Partly
74	Langernaru	..	139	
75	Machhiwala	..	658	
76	Shazada	..	81	
77	Jatta	..	484	
78	Kot Gurbux	..	462	
79	Ramdass	..	5,196	
80	Pasia	..	444	
81	Talibpura	..	166	
82	Mohamad Mandrianwala	..	1,076	
83	Kotli Shah Habib	..	86	
84	Pundori	..	471	
85	Kot	..	525	
86	Nangal Sohal	..	821	
87	Rurawal	..	490	
88	Dhangai	..	313	
89	Awan Near Ramdass	..	2,977	
90	Parawala	.	686	
91	Kotli Jamit Singh	..	191	
92	Momanpura	..	235	
93	Thoba	..	978	
94	Bajwa	..	215	
95	Dhurian	..	716	
96	Kulu Mahal	..	434	
97	Sultan Mahal	..	387	
98	Bhadal	..	132	
99	Samrai	..	144	
100	Sufian	..	557	
101	Chahar Pur	..	554	Partly
102	Ghalab	..	497	
103	Sanmowal	..	353	
104	Dyal Bhatii	..	589	
105	Nangal Amb	..	640	Partly
106	Chak Bala	..	348	
107	Jagdev Khurd	..	910	
108	Dalla Rajputan	..	436	
109	Ter Rajpura	..	996	
110	Kotli Qazian	..	270	
111	Aliwal	..	424	
112	Anayat Pura	..	835	
113	Harar Khurd	..	675	
114	Gorala	..	940	
115	Gujjar Pura	..	1,400	
116	Lakhuwal	..	857	

Serial No.	Name of village		Total area in acres
117	Fatehwal	..	837
118	Chak Dogran	..	787
119	Granth Garh	..	239
120	Sarangdev	..	1,142
121	Kotli Koka	..	223
122	Jaffar Kot		693
123	Chak Aul	..	618
124	Poonga	..	295
125	Bikraur	..	492
126	Saidpur Khurd	..	218
127	Hashan Pura	..	342
128	Dyal	..	162
129	Barlas	..	67
130	Jai Ram Kot	..	181
131	Motla	..	671
132	Saraj Lohar		230
133	Kotli Khera	..	395
134	Bhalot	..	278
135	Dhadal	..	312
136	Nepal	..	Partly
137	Kotli Mughlan	..	53
138	Meadi Kalan	..	786
139	Chak Bazid	..	37
140	Pnaju Kalal	..	402
141	Jasraur	..	2.795
142	Chak Fateh Khan	..	238
143	Meadi Khurd	..	197
144	Shahpur	..	Partly
145	Kot Sidhu	..	112
146	Talla	..	Partly
147	Hashan Puran	..	Do
148	Khussa Pura	..	292
149	Waryah	..	Partly
150	Muzaffar Pur	..	Do
151	Chuchakwal	..	Do
152	Awan Lakha Singh	..	Do
153	Kakar	..	Do
154	Tarain	..	Do
155	Saurian	..	Do
156	Talwandi Rai Dada	..	812
157	Karyal	..	Partly
158	Kamir Pur	..	Do
159	Ajnala	..	Do
160	Ibrahim Pura	..	Do
161	Kotli Amb	..	701
162	Tera Kalan	..	Partly
163	Harar-in-Buragil	..	Do
164	Gago Mahal	..	2357
165	Lengo Mahal	..	Partly
166	Abu Said	..	Do
167	Keralian	..	Do
168	Lakhuwal	..	Do

List of villages belonging to backward area

TEHSIL AJANALA

1	Saidpur Kalain	..	305
2	Chhana	..	254
3	Dug	..	289
4	Toot	..	1,001

[Agriculture and Welfare Minister]

Serial No.	Name of village		Total area in acres
5	Vohra	..	741
6	Mohlake	..	Partly
7	Bhagupura Bot	..	703
8	Kotli Dasundi	..	523
9	Kotiwal	..	353
10	Toor	..	618
11	Buraj	..	484
12	Bhindi Nau	..	1,092
13	Fateh	..	310 (Outside the river)
14	Bhindi Kulakh Kalan	..	1,402
15	Bhindi Aulakh Khurd	..	1,667
16	Bhindi Saidan	..	1,953
17	Ghung	..	225
18	Tanona	..	161
19	Ghoga	..	559
20	Awan Basau	..	1,087
21	Bahlol	..	408 (as Serial No. 13)
22	Sherpur	..	496 (Do)
23	Akbarpur	..	582 (Do)
24	Gul Ghar	..	541
25	Namtabad	..	261
26	Shaliwal	..	229
27	Majhi Mamn	..	718 (as Serial No. 13)
28	Shakt Bhati	..	527
29	Sadu Gazi	..	323 Partly
30	Raipur Kalair	..	1,169 (Do)
31	Bhanian	..	600 (as Serial No. 13)
32	Sunder Garh	..	490 (Do)
33	Chhana	..	295 Partly
34	Bohgan	..	530 (as Serial No. 13)
35	Khanwal	..	609 Partly
36	Bollerwal	..	1,617 Do
37	Sohowal	..	664 Do
38	Dharyan Singh Pura	..	679 (as Serial No. 13)
39	Dhani	..	315 (Do)
40	Gill	..	328 Partly
41	Bal Dabe Dria	..	1,395
42	Kamirpura	..	2,520 (as Serial No. 13)
43	Darya Mansur	..	490 (as Serial No. 13)
44	Arazi Darya	..	116 (Do)
45	Badhi Ghama	..	432 (Do)
46	Budha Waryal	..	116 (Do)
47	Dadian	..	349 (Do)
48	Kotli Burwala	..	438 Partly
49	Shazada Abid	..	186 (as Serial No. 13)
50	Araza Kot Rajada	..	85 (Do)
51	Kot Raizada	..	1,203 Partly
52	Dojowal	..	743
53	Lungerpur	..	166.
54	Malekpur	..	925

Serial No.	Name of village		Total area in acres
55	Darya Mussa	..	855
56	Gurmrathi	..	518
57	Panch Granianwala	..	1,070
58	Gujjar	..	500
59	Phufpura	..	203 (as Serial No. 13)
60	Dadra	..	166 (Do)
61	Arazi Sanjoki	..	44 (Do)
62	Anghoki	..	616 Partly
63	Nasoki	..	457 Do
64	Kamalpur Kalian	..	617 Do
65	Kamalpur Khurd	..	558 Do
66	Saharan	..	598 (as Serial No. 13)
67	Arazi Sabaran	..	455 (Do)
68	Kasowala	..	1,209 (Do)
69	Arazi Aasowala	..	396 (Do)
70	Ghanawala	..	987 Partly
71	Mangernaru	..	139
72	Machhiwala	..	658
73	Shazada	..	81
74	Jatta	..	484
75	Kot Gurbux	..	462
76	Ramdas	..	4,196
77	Paisa	..	4,444
78	Talibpura	..	166
79	Mohamad Mandrianwala	..	1,076
80	Kotli Shah Habib	..	86
81	Pundori	..	471
82	Tiotla	..	325
83	Nangal Sohal	..	821
84	Rurawala	..	490
85	Dhanjai	..	313
86	Awan Near Ramdas	..	2,277
87	Parawala	..	686
88	Kotli Jamit Singh	..	191
89	Momanpura	..	235
90	Thoba	..	978
91	Bajwa	..	215
92	Dhurian	..	716
93	Kalu Mahal	..	434
94	Sultan Mahal	..	387
95	Bhadal	..	132
96	Samrai	..	144
97	Sufian	..	577
98	Chahar Pur	..	554 Partly
99	Ghalab	..	497
100	Samuwal	..	353
101	Dyal Bhatti	..	589
102	Nangal Amb	..	640 Partly
103	Chak Bala	..	348
104	Jago Khurd	..	910
105	Dalla Rajputan	..	436
106	Tern Rajputan	..	996
107	Kotli Qazian	..	270
108	Aliwal	..	424
109	Anayat Pura	..	835
110	Harar Khurd	..	675
111	Gurala	..	940

[Agriculture and Welfare Minister]

Serial No.	Name of village		Total area in acres
112	Gujjar Pura	..	1,400
113	Laekhuwal	..	857
114	Fatehwal	..	837
115	Chak Dogran	..	787
116	Granth Garh	..	239
117	Sarangdev	..	1,142
118	Kotli Koka	..	223
119	Jaffar Kot	..	693
120	Chak Aul	..	618
121	Poonga	..	295
122	Bikraur	..	492
123	Said Pur Khurd	..	218
124	Hashan Pura	..	342
125	Dual	..	162
126	Barlas	..	67
127	Jai Ram Kot	..	671
128	Motla	..	230
129	Saraj Lohar	..	395
130	Kotli Khera	..	278
131	Bhalot	..	312
132	Dhadal	..	Partly
133	Nepal	..	53
134	Kotli Mughlan	..	786
135	Meadi Kalan	..	37
136	Chak Bazid	..	402
137	Panaju Kalal	..	2,795
138	Jasraur	..	238
139	Chak Fateh Khan	..	227
140	Meadi Khurd	..	Partly
141	Shah Pur	..	612
142	Kot Sidhu		Partly
143	Talla	..	Do
144	Hassan Puran	..	292
145	Khusa Pura	..	Partly
146	Waryah	..	Do
147	Muzatfar Pur	..	Do
148	Chuchakwal	..	Do
149	Awan Lakha Singh	..	Do
150	Kakar	..	Do
151	Tarin	..	812
152	Talwandi Bai Dada	..	..
153	Ibrahim pura	..	Partly
154	Kotli Amb	..	710
155	Tara Kalan	..	Partly
156	Gago Mahal		2,353
157	Longo Mahal	..	Partly
158	Lakhu Wal	..	..
159	Panju Kalan	..	..
160	Chack Bazaiel	..	..
161	Daya Mansur	..	..
162	Dalla By Putam	..	..
163	Shazada	..	..
164	Kotlian Muglian	..	..
165	Gul Ghar	..	..
166	Nasi Ki	..	..
167	Hampur	..	..

List of villages with area under the Bet area of the river Sutlej, tehsil Patti, district Amritsar

Serial No.	Name of village		Area in acres
1	Bhangala	..	2,752
2	Jhugian Natha Singh	..	362
3	Jhughian Nau Ahad	..	345
4	Jalu Ki	..	979
5	Sito Me-Ghugian	..	1,477
6	Jughian Pir Pux	..	304
7	Sito Nau Abad	..	749
8	Dumniwala	..	206
9	Gadike	..	189
10	Bhura Athar	..	294
11	Baineke	..	104
12	Kaleke Thar	..	844
13	Ram Singh Aala	..	498
14	Radalke	..	577
15	Bundala	..	2,777
16	Gagarke	..	213
17	Jama Mehgha	..	487
18	Tali Gulam	..	456
19	Kamalwala	..	660
20	Nihala Lawera	..	824
21	Dehra Gurur	..	818
22	Bala Megha	..	396
23	Muthianwala	..	1,791
24	Toot	..	2,854
25	Rasoolpur	..	1,610
26	Kutiwala	..	534
27	Bhojoke	..	328
28	Kot Budha	..	1,026
29	Balkarke	..	330
30	Goliwal	..	863
31	Jughian Nur Mohammad	..	..
32	Bhaowal	..	..
33	Bagla Rai	..	..

List of Flood-affected villages declared as Backward Areas, district Amritsar

Serial No.	Name of tehsil	Name of village	Reason
1	Patti ..	Talwandi Mohar Singh ..	Bet area
2	Do	Jodh Singh Wala ..	Do
3	Do	Gadai Ke ..	Do
4	Do	Jhugian Kalan ..	Do
5	Tarn Taran	Roranwala	
6	Do	Rani Ke	
7	Do	Neshta	
8	Do	Jhanjar Pur	
9	Do	Gharinde	
10	Do	Gharindi	
11	Do	Lahori Mal	

[Agriculture and Welfare Minister]

Serial No.	Name of tehsil	Name of village	Reason
12	Tarn Taran	Kallowala	
13	Do	Bhakna Kalan	
14	Do	Bhakna Khurd	
15	Do	Chak Hear	
16	Do	Malu Wal	
17	Do	Nathu Pura	
18	Do	Chicha	
19	Do	Mahmud Pura	
20	Do	Kotli	
21	Do	Bataul	
22	Do	Daburji	
23	Do	Jobal Raju Singh	
24	Do	Mughal Chak	
25	Do	Dehla	
26	Do	Kadgil	
27	Do	Malia	
28	Do	Fateh Chak	
29	Do	Nalagarh	
30	Do	Kazikot	
31	Do	Marad Pura	
32	Do	Palaspur	
33	Do	Bachre	
34	Do	Pandori Gola	
35	Do	Kaler	Area of these villages is being affected by floods since 1955
36	Do	Ekal Gadda	
37	Do	Dina Wal	
38	DS	Rakh Banwali Pur	
39	Do	Hoshiarpur Nagar	
40	Do	Kale	
41	Do	Mal Mohri	
42	Do	Takhtu Chak	
43	Do	Khakh	
44	Do	Jati Umra	
45	Do	Sangarkot	
46	Do	Mallah	
47	Do	Ghasitpura	
48	Do	Chak Kare Khan	
49	Do	Dhotta	
50	Do	Allowal	
51	Do	Bado Wal	
52	Do	Gill Kaler	
53	Do	Uppal	
54	Do	Mohawa	
55	Do	Khera	
56	Do	Ladhewala	
57	Do	Gallurwala	
58	Do	Burj	
59	Do	Mussa	
60	Do	Lehian	
61	Do	Chabhal	
62	Do	Naushera Dhalla	
63	Do	Daoke	
64	Do	Dhalla	
65	Do	Chhppa	
66	Do	Sohalthathi	
67	Do	Chhina Bidi Chand	
68	Do	Panjwar	
69	Do	Mire Pur	

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village	Reason
70	Tarn Taran	Kot Dharam Chand Kalan	Area of these villages is being affected by floods since 1955
71	Do	Kot Dharam Chand Khurd	
72	Do	Bhojian	
73	Do	Bhaini Mattuan	
74	Do	Kamlio	
75	Do	Padri Kalan	
76	Do	Dalike	
77	Do	Manochahal	
78	Do	Dial Rajputan	
79	Do	Sakhira	
80	Do	Jandoke	
81	Do	Khere	
82	Do	Piddi	
83	Do	Mughal Chak	
84	Do	Lohka	
85	Do	Mathu Chak	
86	Do	Uboke	
87	Do	Bhamniwala	
88	Ajnala	Rodala	
89	Do	Kalar	Situated at Hadiara Drain which affects badly the kharif crops of the villages each year
90	Do	Bopa Rai Kalan	
91	Do	Bopa Raj Khurd	
92	Do	Bopa Raj Baj Singh	
93	Do	Chhiddan	
94	Do	Nur Pur	
95	Do	Padri	
96	Do	Kotla Doom	
97	Do	Sangat Pura	
98	Do	Machhi Nangal	
99	Do	Kando Wali	
100	Do	Lashkari Nangal	Situated at Laskheri Nangal Drain which affects badly the kharif crops of the villages each year
101	Do	Kotli Sagian Wali	
102	Do	Gagdev Kalan	
103	Do	Sehangra	
104	Do	Mehlanwala	
105	Do	Bhala Pind	
106	Do	Dalam	
107	Do	Lalla Afghanna	
108	Do	Dhori Wal near Bagga	
109	Do	Bagga	Situated at Chagawan Drain which affects badly kharif crops each year
110	Do	Shahura	
111	Do	Dhariwal Oddhar	
112	Do	Odhar	
113	Do	Daleke	Situated at Wadala Viram Drain which affects badly the kharif crops each year
114	Do	Kamaske	
115	Do	Thatta	
116	Do	Nawan Pind	
117	Do	Bal Bawa	
118	Do	Chak Sakndar	
119	Do	Vasboa	
120	Do	Kamal Pura	
121	Do	Musam	
122	Do	Kotla Quazian	
123	Do	Chanyari	
124	Do	Ibrahmim Pura	
125	Do	Ajnala	
126	Do	Mohan Bhandari	
127	Do	Dyal Bharang	
128	Do	Loharka	
129	Do	Jassar	
130	Do	Koralian	

[Agriculture and Welfare Minister]

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village	Reason
131	Ajnala	Sudhar	Situated at left side of Sakki Nallah which affects badly the crops each year and the waterlogging over all is increasing day by day due to this Nallah
132	Do	Nanoke	
133	Do	Abu Said	
134	Do	Harzr Near Bhurs Gill	
135	Do	Harar Kalan	
136	Do	Harar Khurd	
137	Do	Dhola Chak	
138	Do	Kotli Korotana	
139	Do	Wanjan Wala	
140	Do	Nangal Wanjan Wala	
141	Do	Chhina Karam Singh	
142	Do	Jastaswal	
143	Do	Karyal	Situated in low-lying area. There is no arrangement of drainage of accumulated rainy-water and as such the agricultural produce of the area is badly affected
144	Do	Bhakra Hari Singh	
145	Do	Teri	
146	Do	Miju Pura	
147	Do	Chetan Pura	
148	Do	Pathan Nangal	
149	Do	Saktu Nangal	
150	Do	Malhu Nangal	
151	Do	Mughlani Kot	
152	Do	Adli Wala	
153	Do	Raja Sansi	
154	Do	Harasa Chhina	

RENT FOR QUARTERS IN INDUSTRIAL HOUSING COLONY, GOBINDGARH

743. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any notices for charging rent at the rate of Rs 20 per month were issued to the occupants of quarters in the Industrial Housing Colony, Gobindgarh; if so, the rules under which such notices were issued ;

(b) whether it is a fact that the rent has not been realised from the residents of the said colony for the last three years; if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh (Planning and Development Minister) : (a) Yes. Notices were issued under the Industrial Housing Act, 1956, and rules framed thereunder.

(b) The rent could not be realised for want of information regarding date of occupation and the details of the occupants of quarters.

QUOTA ALLOTTED TO CERTAIN INDUSTRIES

744. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the material for which quota has been allotted to the Jay Industries, Gobindgarh ; Swastik Steel Works, Gobindgarh ; Ja ta Iron Works, Patiala ; Mangat Industries, Patiala, Megh Chand and Sons, Patiala, and Hem Industries, Patiala, together with the quantity thereof and the dates of allocations ;

(b) the numher of workers employed month wise in each of the said factories frcm the date of their registration ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement showing the requisite information is given in Annexure I.

(b) A statement showing the number of workers employed by each firm concerned, at the time of registration is given in Annexure II.

The time and labour involved in collecting the information month-wise is not commensurate with the benefit sought to be derived therefrom.

ANNEXURE I

Statement showing details of material issued

Name and address of factory	Description of raw material issued	Quantity Ton.	Cwt.	Q.	Lbs.	Date of allocation
Swastik Steel works, Gobindgarh	G.P. Sheet ..	3	0	0	0	25th February, 1958
	B. P. Sheet ..	0	18	3	0	
	Light structural Bars ..	1	12	2	14	20th November, 1958
		1	1	1	14	
	..	5	5	0	0	
	Rods ..	0	3	1	0	
	B. P. Sheet ..	1	17	2	0	28th January, 1959
	G. P. Sheet ..	4	0	0	0	
	Bar ..	1	17	2	0	
	G.P. Sheet ..	11	0	0	0	1st May, 1959
	B. P. Sheet ..	2	5	0	0	
	Round ..	6	0	0	0	
	L.S. ..	4	0	0	0	
	Heavy structural ..	18	0	0	0	16th September, 1960
	Light structural	14	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	3	10	0	0	
	G. P. Sheet ..	2	5	0	0	
	Plates ..	10	0	0	0	
	Bars ..	7	0	0	0	
	Rods ..	12	0	0	0	
	Wire ..	2	10	0	0	
	Hoops and Strips ..	5	0	0	0	
	G. C. Sheet ..	4	0	0	0	
	Wire ..	1	0	0	0	

[Chief Minister]

Name and address of factory	Description of raw material	Quantity				Date of allocation
		Ton	Cwt.	Q.	Lbs.	
Swastik Steel Works, Gobindgarh—*concld*	B. P. Sheet ..	3	5	0	0	31st July, 1961
	G. P. Sheet ..	2	5	0	0	
	G. C. Sheet ..	0	5	0	0	
	B. P. Sheet ..	2	2	0	0	
	G. P. Sheet ..	1	4	0	0	
	G. C. Sheet ..	0	2	0	0	
	B. P. Sheet ..	4	0	0	0	28th February, 1962
	G.P. Sheet ..	1	4	0	0	
	G. C. Sheet ..	2	0	0	0	
	Wire Sheet ..	1	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	7	0	0	0	30th September, 1962
Hem Industries, Patiala	B. P. Sheets ..	3	0	0	0	26th February, 1962
	G. P. Sheets ..	3	0	0	0	
	G. C. Sheets ..	2	0	0	0	
	B. P. Sheets ..	7	0	0	0	9th September, 1962
M/s. Mangat Industries, Factory Area, Patiala	Sheets and other than ..	8	0	0	0	31st May, 1957
	Other than Sheets ..	10	0	0	0	10th August, 1957
	G. P. /B.P. Sheets ..	10	0	0	0	30th October, 1957
	Other than sheets ..	15	0	0	0	25th February, 1958
	B.P. G. P. Sheets/Bars wire ..	22	10	0	0	26th June, 1959
	B. P. Sheets ..	3	0	0	0	17th November, 1959
	G. P. Sheets ..	2	10	0	0	
	G. C. Sheets	1	10	0	0	
	Rods ..	4	0	0	0	
	Wire ..	1	10	0	0	

Name and address of factory	Description of raw material		Quantity				Date of allocation
			Ton.	Cwt.	Q.	Lbs.	
M/s. Mangat Industries, Factory Area, Patiala—*concld*	B.P. Sheets	..	7	0	0	0	10th/14th March, 1960
	G.P. Sheets	..	6	0	0	0	
	G.C. Sheets	..	8	0	0	0	
	Bars	..	5	0	0	0	
	Wire	..	4	0	0	0	
	B. P. Sheets	..	8	0	0	0	16th September, 1960
	G.P. Sheets	..	4	0	0	0	
	G. C. Sheets	..	7	0	0	0	
	13 Rods	..	10	0	0	0	
	Wire	..	6	0	0	0	
	B. P. Sheets	..	5	0	0	0	31st July, 1961
	G. P. Sheets		5	0	0	0	
	Wire	..	7	0	0	0	
	G. P. Sheets	..	2	0	0	0	16th January, 1961
	B.P. Sheets	..	10	0	0	0	
	Wire	..	9	0	0	0	
	B. P. Sheet	..	20	0	0	0	28th February, 1962
	G. P. Sheet	..	5	0	0	0	
	Wire	..	10	0	0	0	
	B. P. Sheet	..	5	0	0	0	31st July, 1962
M/s. Jay Industries, Gobindgarh	B. P. Sheet	..	12	0	0	0	16th January, 1961
	G. P. Sheet	..	9	0	0	0	
	G. C. Sheet	..	5	0	0	0	
	Wire	..	20	0	0	0	
	B. P. Sheet	..	20	0	0	0	31st July, 1961
	G. P. Sheet	..	10	0	0	0	
	G. C. Sheet	..	1	0	0	0	
	B. P. Sheet	..	20	0	0	0	28th February, 1962
	G. P. Sheet	..	22	0	0	0	
	G. C. Sheet	..	24	0	0	0	
	B. P. Sheet	..	9	0	0	0	31st July, 1962

Name and address of factory	Description of raw material		Ton.	Cwt.	Q.	Lbs.	Date of allocation
M/s Janta Iron Works, Factory Area, Patiala	Sheets	..	12	0	0	0	31st May, 1957
	Other than Sheets	..	2	0	0	0	10th August, 1957
	Plane sheet	..	3	10	0	0	2nd December, 1957
	G. P. Sheet	..	3	0	0	0	25th February,1958
	Bar	..	1	1	1½	0	
	Rods	..	0	3	1	0	
	U. T. Bars	..	5	5	0	0	
	Rods	..	0	3	1	0	
	Light Structural	..	1	12	2½	0	20th November, 1958
	B. S.	..	0	18	3	0	
	B.S.	..	5	16	1	0	
	Bars	..	1	17	2	0	28th January, 1959
	G. P.	..	1	0	0	0	
	B. P.	..	5	0	0	0	
	L. S.		4	0	0	0	
	Plates	..	2	0	0	0	1st May, 1959
	G. P.	..	2	0	0	0	
	B. P.	..	11	16	0	0	
	L. S.	..	1	14	0	0	22nd July, 1959
	Plates	..	4	14	0	0	
	L.S.	..	2	0	0	0	17th November, 1959
	B. P.	..	4	0	0	0	
	G. P.	..	2	0	0	0	
	P. S.	..	3	0	0	0	
	Bars	..	2	0	0	0	
	L.S.	..	10	0	0	0	
	B. P.	..	10	0	0	0	10th/14th March, 1960
	G. P.	..	5	0	0	0	
	G. C.	..	5	0	0	0	

Name and address of factory	Description of raw material	Quantity				Date of allocation
		Ton.	Cwt.	Q.	Lbs.	
M/s Janta Iron Works, Factory Area, Patiala—*concld*	Plates ..	7	0	0	0	
	L. S. ..	10	0	0	0	16th September, 1960
	B. S. ..	10	0	0	0	
	G. P. ..	5	0	0	0	
	G. C.	6	0	0	0	
	Plates ..	10	0	0	0	
	B. B. ..	30	0	0	0	
	Rods	10	0	0	0	
	B. P. ..	10 M.T.				16th January, 1961
	G. P. ..	5 M.T.				
	G. C. ..	5 M.T.				
		Ton.	Cwt.	Q.	Lbs	
	B. P. Sheet ..	10	0	0	0	31st July, 1961
	G. P. Sheet ..	10	0	0	0	
	G. C. Shet ..	1	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	1	6	0	0	31st July, 1961
	G. P. Sheet ..	1	0	0	0	
	Wire ..	1	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	15	0	0	0	28th February,1962
	G. P. Sheet ..	10	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	10	0	0	0	31st July, 1962
Megh Chand Jain and Sons, Factory Area, Patiala	G. P. Sheets ..	2	0	0	0	10th August, 1957
	Sheet ..	2	10	0	0	2nd December, 1957
	Black Sheet ..	0	12	0	0	
	Black Sheet ..	0	12	2	0	20th November, 1958
	G. P. Sheet ..	0	9	1	9½	
	G. C. Sheet	0	14	1	15	
	Rounds ..	0	2	0	0	
	G. P. Sheet ..	3	4	0	0	22nd July, 1959
	B. P. Sheet ..	1	11	2	0	

[Chief Minister]

Name and address of factory	Description of raw material		Quantity Ton	Cwt.	Q.	Lbs	Date of allocation
Megh chand Jain and Sons, Factory area, Patiala—*contd*	B. P. Sheet	..	1	14	2	18	29th October, 1959
	G. P. Sheet	..	0	13	0	0	
	Wire	..	0	1	3	0	
	Light Structural	..	2	0	0	0	15th March, 1960
	B. P. Sheet	..	3	4	0	0	
	G. P. Sheet	..	3	1	0	0	
	Rod	..	2	0	0	0	
	Wire	..	1	6	1	0	
	L. S.	..	5	0	0	0	16th September, 1960
	B. P. Sheets	..	1	16	0	0	
	G.P. Sheets	..	1	10	0	0	
	Round	..	8	0	0	0	
	Wire	..	0	10	0	0	
	L. S.	..	4	0	0	0	16th September, 1960
	B. P. Sheet	..	3	6	0	0	
	G. P. Sheet	..	3	5	0	0	
	Plate	..	2	0	0	0	
	Wire	..	1	5	0	0	
	G. C. Sheets	..	3	5	0	0	
	B. P. Sheets	..	2	0	0	0	16th January, 1961
	G. P. Sheet	..	1	7	0	0	
	G. C. Sheet	..	0	4	0	0	
	Wire	..	0	5	0	0	

Name and address of Factory	Details of raw material	Quantity				Date of allocation
		MT.	Qr.			
Megh Chand Jain and sons, Factory Area, Patiala—*concld*	B. P. Sheet ..	4	0	0		16th January 1961
	G. P. Sheet ..	5	0	0		
	G. C. Sheet ..	3	0	0		
	Wire ..	3	5	0		
		Ton	*Cwt*	*Q.*	*Lbs*	
	B. P. Sheet ..	5	0	0	0	31st July, 1961
	G. P. Sheet	4	0	0	0	
	G. C. Sheet ..	0	10	0	0	
	Wire ..	7	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	11	0	0	0	28th February, 1962
	G. P. Sheet ..	10	7	0	0	
	Wire ..	6	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	1	1	0	0	31st July, 1962
	G. P. Sheet ..	0	7	0	0	
	Wire ..	1	0	0	0	
	B. P. Sheet ..	5	0	0	0	30th September, 1962
	B. P. Sheet ..	3	5	0	0	

ANNEXURE II

Serial No.	Name and address of the factory	Number of workers employed on the basis of application for registeration number S.S. unit
1	M/s Jay Industries, Gobindgarh ..	8
2	M/s Swastika Steel Works, Gobindgarh ..	9
3	M/s Janta Iron Works, Factory Area, Patiala	9
4	M/s Mangat Industries, Factory Area, Patiala	15
5	M/s Megh Chand Jain and Sons, Factory Area, Patiala ..	8
6	M/s Hem Industries, Factory Area, Patiala ..	8

ENTERTAINMENT TAX IN CASE OF CINEMAS IN THE STATE

820. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state—

(a) the total amount of entertainment tax realized from the cinemas in the State, giving the details, cinemawise, during the period from 1st April, 1962 to date ;

(b) whether any raids by the authorities had been conducted on the said cinemas for checking up of evasion of the entertainment tax during the period from 1st April, 1962, to date ; if so the names of the cinemas so raided with their location, together with the result thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Ram Saran Chand Mital : (a) A statement giving the requisite in formation is given in Annexure 'A'

(b) Yes A list giving the required information is given in Annexure 'B'.

ANNEXURE 'A'

Serial No.	Name and location of the Cinema	Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th February, 1963)	REMARKS
1	2	3	4
		Rs	
1	Parijat Cinema, Hissar ..	89,320·18	
2	Elite Cinema, Hissar ..	90,147·87	
3	Regal Cinema, Bhiwani ..	36,147·87	
4	Liberty Cinema, Bhiwani ..	71,468·28	
5	Adarsh Theatre, Hansi ..	43,818·88	
6	Bharat Talkies, Hansi ..	30,170·49	
7	Raj Lakshmi Theatre, Uklana ..	20,437·23	Cinema started with effect from 7th July, 1962
8	Ganeriwala Theatre, Fatehbad ..	25,251·20	
9	Bansal Theatre, Sirsa ..	82,847·09	
10	Parbhat Talkies, Sirsa ..	23,750·00	
11	Delite Theatre, Dabwali ..	48,627·99	
12	Amar Touring Talkies, Fatehbad and Tohana	11,389·56	Touring Talkies functioned in this district up to 30th September, 1962
13	Vijay Touring Talkies, Tohana ..	5,687·17	Touring talkies closed with effect from 1st July, 1962

Serial No.	Name and location of the Cinema	Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th February, 1963)	REMARKS
1	2	3	4
		Rs	
14	Mahavira Touring Talkies, Tohana ..	573·49	Touring talkies started with effect from 25th January, 1963
15	M/s Partap Talkies, Rohtak ..	78,790·45	
16	M/s Subhash Talkies, Rohtak ..	79,484·30	
17	M/s Raj Talkies, Rohtak ..	74 772·70	
18	M/s Sarang Talkies, Sonepat ..	43,210·05	
19	M/s Minerwa Talkies ..	53,154·73	
20	M/s Parkash Talkies, Jhajjar ..	20,623·36	
21	M/s Kundan Talkies, Bhadurgarh ..	14,260·00	
22	M/s Moonlight Touring Talkies, Gohana	8,479·53	
23	M/s Kiron Touring Talkies, Gohana ..	1,667·28	
24	Metro Cinema, Faridabad ..	79,184·27	
25	Raj Picture, Rewari ..	52,930·93	
26	Qhushwaqt Cinema, Rewari ..	48,159·55	
27	Naaz Cinema, Palwal ..	40,451·49	
28	Pharabhat Talkies, Ballabgarh ..	31,949·97	
29	Kiran Cinema, Gurgaon ..	33,695·48	
30	Erose Cinema, Gurgaon ..	40,444·74	
31	Krishana Talkies, Sohna ..	1,308·17	
32	Raj Touring Talkies, Sohna ..	489·25	
33	Parkash Talkies, Karnal ..	61,231·76	
34	Novelty Talkies, Karnal ..	60,504·92	
35	Ashoka Talkies, Karnal ..	65,348·90	
36	Nowal Talkies, Panipat ..	54,367·06	
37	Kishore Talkies, Panipat ..	69,605·41	
38	Hind Talkies, Kaithal ..	39,328·17	
39	Ashoka Threatre, Kaithal ..	40,775·78	
40	Rudra Talkies, Thaneser ..	34,679·04	

[Excise, Taxation and Capital Minister]

Serial No.	Name and location of the Cinema	Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th February, 1963)	REMARKS
1	2	3	4
		Rs.	
41	Defence Service Cinema, Ambala Cantt.	24,080·01	
42	New Capital, Ambala Cantt. ..	77,176·45	
43	Minerwa Talkies, Ambala Cantt. ..	70,575·11	
44	Nigar Talkies, Ambala Cantt. ..	73,821·37	
45	Nishat Talkies, Ambala Cantt. ..	58,281·92	
46	Jagat Theatre, Chandigarh ..	1,98,562·67	
47	Novelty Talkies, Ambala City ..	50,309·16	
48	Kiran Cinema, Chandigarh ..	1,44,156·87	
49	Liberty Cinema, Kalka ..	26,062·09	
50	Kalyan Talkies, Rupar ..	3,549·68	
51	Laxmi Theatre, Yamuna Nagar ..	62,532·51	
52	New Yamuna Talkies, Yamuna Nagar	54,629·59	
53	Yamuna Talkies, Jagadhri ..	20,954·88	
54	Neelam Theatre, Chandigarh ..	..	
55	Ritz Cinema, Simla ..	80,000·00	
56	Regal Cinema, Simla ..	85,000·00	
57	Shahi Theatre, Simla ..	30,000. 00	
58	Rewoli Theatre, Simla ..	50,000·00	
59	Defence Services Cinema, Kasauli ..	14,402·00	
60	Gobind Talkies, Narnaul ..	26,551·14	
61	Alankar Talkies (Touring), Dadri ..	6,569·12	
62	M/s Friends Theater, Hoshiarpur ..	57,854·17	
63	M/s Laxmi Theatre, Hoshiarpur ..	40,489·31	
64	M/s New Raj Theatre, Hoshiarpur ..	46,650·34	
65	M/s Swaran Talkies, Hoshiarpur ..	55,282·19	
66	M/s Shiwalik Talkies, Nangal Township	44,075·65	
67	M/s Amar Talkies, Ferozepore Cantt. ..	36,710·94	

Serial No.	Name and location of the Cinema		Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th Februrry, 1963)	REMARKS
1	2		3	4
			Rs	
68	M/s Regal Theatre, Moga	..	48,332·96	
69	Majestic Theatre, Moga	..	30,040·56	
70	Memorial Talkies, Ferozepore Cantt.	..	19,360·00	
71	Raja Theatre, Ferozepore City	..	39,851·78	
72	Simla Talkies, Ferozepore City	..	31,948·80	
73	Cine Payal, Muktsar	..	20,939·52	
74	Ajit Theatre, Muktsar	..	12,783·94	
75	Raja Theatre, Fazilka	..	39,667:30	
76	Adarsh Theatre, Malout.	..	16,784·29	
77	Sandeep Theatre, Gidderbaha	..	17,153·32	
78	Jaswant Theatre, Malout	..	16,243·42	
79	Gian Talkies, Abohar	..	38,379·96	
80	Sandeep Theatre, Abohar	..	42,973·36	
81	Laxmi Theatre, Palampur	..	9,283·68	
82	Defence Service Cinema, Yol	..	12,247.28	
83	Himalya Talkies, Dharamsala	..	17,686.40	
84	Jyoti Theatre, Kangra	..	10,822.39	
85	New Om Touring Talkies, Paprola	..	612.64	
86	Kailash Talkies, Kulu	..	9,127.47	
87	Regent, Amritsar	..	62,681.88	
88	Nishat, Amritsar	..	45,478.16	
89	Raj, Amritsar	..	4,000.00	
90	Adarash, Amritsar	..	1,09,085.40	
91	Inder Palace, Amritsar	..	68,685.12	
92	New Rialto, Amritsar	..	94,487.06	
93	Ashoka, Amritsar	..	89,002.84	
94	Amrit, Amritsar	..	58,247.04	
95	Krishna, Amritsar	..	35,580.74	

[Excise, Taxation and Capital Minister]

Serial No.	Name and location of the Cinema		Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th February, 1963)	REMARKS
1	2		3	4
			Rs	
96	Nandan, Amritsar	..	1,62,564.56	
97	City Light, Amritsar	..	47,089.30	
98	Chitra, Amritsar	..	1,12,850.08	
99	Parkash, Amritsar	..	1,42,522.59	
100	Liberty, Amritsar	..	58,175.80	
101	Partap, Tarn Taran	..	33,893.44	
102	Ashok, Patti	..	5,991.11	
103	Neelam, Jandiala	..	461.44	
104	Raj, Majitha	..	541.52	
105	Plaza, Jandiala	..	67.20	
106	Ganesh, Ajnala	..	201.60	
107	Neelam, Khemkaran	..	1,052.77	
108	Krishna Talkies, Batala	..	57,039.86	
109	Rose Cinema, Batala	..	45,236.75	
110	Parbhat Cinema, Gurdaspur	..	33,013.21	
111	Parkash Theatre, Gurdaspur	..	23,757.69	
112	New Empire Cinema, Pathankot	..	64,643.39	
113	Ramnik Kala Mandir (P) Ltd., Pathankot		81,428.05	
114	Sainik Kalamandir, Pathankot	..	25,254.56	
115	Defence Cinema, Dalhousie Cantt.	..	7,182.31	
116	Dalhousie Talkies, Dalhousie	..	10,690.79	
117	Paradise Theatre, Phagwara	..	78,241.40	
118	Jagatjit Cinema, Kapurthala	..	35,237.20	
119	16th Light Infantry, Kapurthala (since closed)		12,152.22	
120	Capital Cinema, Patiala	..	1,39,606.01	
121	Malwa Picture Palace, Patiala	..	1,08,992.98	

Serial No.	Name and location of the Cinama	Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th February, 1963	REMARKS
1	2	3	4
		Rs	
122	Phul Theatre, Patiala ..	1,17,947.92	
123	Janta Talkies, Samana ..	22,640.30	
124	Nabha Theatre, Nabha ..	41,989.87	
125	Navyug Theatre, Rajpura ..	6,242.49	(Closed since July, 1962)
126	Alpse Theatre, Rajpura ..	33,901.89	
127	Rama Talkies, Sirhind ..	7,641.20	
128	Lal Talkies, Bassi ..	6,747.46	
129	Moti Theatre, Sangrur ..	49,411.59	
130	Jaswant Theatre, Sunam ..	19,366.96	
131	Laxmi Talkie, Narwana ..	10,531.85	
132	Bharat Cinema, Jind ..	31,015.03	
133	Deepak Theatre, Dhuri ..	14,018.89	
134	Moti Talkie, Malerkotla ..	26,697.90	
135	Kamal Theatre, Malerkotla ..	23,114.26	
136	Parbhat Talkie, Barnala ..	28,035.97	
137	Chand Theatre, Ahmedgarh ..	6,202.36	
138	New Palace Theatre, Barnala ..	12,017.67	
139	Jagjit Theatres, Bhatinda ..	26,435.77	
140	Kanwal Theatres, Bhatinda ..	48,334.29	
141	Rajesh Talkies, Bhatinda ..	53,317.22	
142	Jublee Cinema, Faridkot ..	42,902.20	
143	Kuldip Theatres, Kotkapura	32,956.34	
144	Grand Talkies, Mansa ..	23,131.96	
145	Bharat Talkies, Budhlada ..	5,586.00	
146	Ganesh Talkies, Maur ..	2,022.38	
147	Kailash Theatre, Ludhiana ..	1,00,311.64	
148	Deepak Theatre, Ludhiana ..	1,05,653.15	
149	Society Theatre, Ludhiana ..	1,40,741.21	

[Excise, Taxation and Capital Minister]

Serial No.	Name and location of the Cinema	Amount of entertainment tax realised from 1st April, 1962 to date (28th February, 1963)	REMARKS
1	2	3	4
		Rs	
150	Minerwa Talkies, Ludhiana ..	33,370.88	
151	Raikhy Theatre, Ludhiana ..	1,60,672.25	
152	Naulakha Theatre, Ludhiana ..	1,18,604.31	
153	Luxmi Palace, Ludhiana ..	1,60,159.71	
154	Novelty Talkies, Khanna ..	43,970.96	
155	Regal Cinema, Jagraon ..	34,497.67	
156	Defence Service Cinema, Halwara ..	7,648.35	
157	Jyoti Theatre, Jullundur ..	1,27,540.36	
158	Sant Theatre, Jullundur ..	91,189.76	
159	Lakshmi Theatre, Jullundur ..	1,08,720.85	
160	Hari Palace, Jullundur ..	73,111.01	
161	Naaz Theatre, Jullundur ..	1,11,646.95	
162	Odeon Cinema, Jullundur ..	46,921.83	
163	Shankar Rakesh, Nawanshahr ..	43,798.78	
164	Defence, Jullundur Cantt. ..	29,211.17	
165	Defence, Adampur ..	6,731.68	
166	National Talkies, Banga ..	27,055.31	
167	Krishan Theatre, Banga ..	71,624.80	
168	Azad Touring Talkies, Phillaur ..	40,084.68	
169	Minirva Touring Talkies, Phillaur ..	1,017.20	Started with effect from 27th January, 1963
170	Regal Theatre, Phillaur ..	35,514.14	

ANNEXURE B

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
1	Vijay Touring Talkies, Tohana	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.	Four persons were enjoying the show without tickets	Case compounded on payment of Rs. 75	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O.	Counterfoils were not date-stamped and wrongly serial numbered	Case compounded on payment of Rs. 25	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O.	Book No. 71,201 to 71,400 was not available	Case fixed for asssessment	
2	Amar Touring Talkies, Fatehbad	Ch. Banwari Lal, T.I., Shri K. K. Chaudhri, T.S.I., Shri Jaga Ram, T.S.I.	Three persons were enjoying the show without tickets	Case compounded on payment of Rs. 50	
	Ditto ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri Bakhtawar Singh, T.I. Shri Daljeet Singh, T.S.I, Shri Kanwal Singh E.S.I. Shri Rajender Pal, C. Clerk	Six ladies were found without ticket enjoying the show	Case compounded on payment of Rs. 50	
	Ditto ..	Shri K. L. Chaudhri, T.S.I.	Two persons were enjoying the show without ticket	Case compounded on payment of Rs. 50	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O.	One person was found excess in first class	Case was compounded on payment of Rs. 20	

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
	Amar TouringTalkies, Fatehbad ..	Shri K. C. Sulekh, E.S.I.	Four persons were found without tickets	Case was compounded on payment of Rs. 30	
	Ditto ..	Shri K. C. Sulekh, E.S.I.	Overwritings were found in PED 20 Register	Case compounded on payment of Rs. 20	
	Ditto ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri Bakhtawar Singh, T.I.	No show owing to failure of electricity	No irregularity	
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I. Shri Sadhu Ram, A.E.T.O.	Checked	Ditto	
3	Adarsh Theatre ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I. Shri Budh Ram, Orderly	One person was found without ticket	Case compounded on payment of Rs. 25	
	Adarsh Theatre, Hansi	Shri J. S. Dhillon, E.T.O. (PGT) Ambala Division, Ambala City	Two persons in box were found without tickets	Case is pending in the office for further necessary action	
	Ditto ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I.	No irregularity ..	Question does not arise	
4	Bansel Theatre, Sirsa	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.; Shri Banwari Lal, T.I.	PED 20 was not maintained for 14th May, 1962	Case was compounded on payment of Rs. 25	

	Ditto ..	Ditto Shri K. L. Choudhri, T.S.I. Shri Daljeet Singh, T.S.I.	No irregularity ..	Question does not arise
5	Raj Lakshmi Theatre, Uklana	Shri S. R. Sharma A.E.T.O. Shri K. L. Choudhri, T.S.I. Shri Dharam Singh, T.S.I.	Tickets were not date-stamped	Case is still pending for necessary action in this office
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I. Shri K. L. Choudhri, T.S.I.	Management was selling the tickets without affixing the stamps	Ditto
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I.	Information regarding the special show was late received in this office	Ditto
6	Bharat Talkies, Hansi	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.	Two persons were enjoying the show without tickets	Case is still pending for necessary action in this office
	Ditto ..	Ditto ..	Thirty-one dersons were found without tickets	Ditto
	Ditto ..	Ditto ..	Show tax in respect of five persons was not paid	Ditto
7	Parbhat Talkies, Sirsa	Shri Banwari Lal, T.I. ..	On checking difference in the entertainment duties stamp was found	Ditto
8	Liberty Cinema, Bhiwani	Shri P. S. Tiwana, Shri K. L. Choudhri, T.S.I., Shri B. S., T.S.I Shri P. K. Jain, T.S.I.	No irregularity ..	Question does not arise
9	Regal Cinema, Bhiwani	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri Banwari Lal, T.I.	Ditto ..	Ditto

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
10	Delite Theatre, Dabwali	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri K. S., E.S.I.,	No irregularity ..	Question does not arise	
		Shri Kailash Chander, A.E.T.O.S.I. Shri Daljeet Singh, T.S.I. Shri K. S., E.S.I.	Ditto ..	Ditto	
11	Delite Theatre, Dabwali	Shri K. C. Sharma, A.E.T.O. Shri Daljeet Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto	
12	Parijat Theatre, Hissar	Shri P. S. Tiwana, E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Banwari Lal, T.I.	Ditto ..	Ditto	
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I.; Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto	

	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I.; Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I.; Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Banwari Lal, T.I.; Shri K. L. Choudhri, T.S.I.	Ditto ..	Ditto
13	Elite Theatre, Hissar	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.; Shri Banwari Lal, T.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I. ..	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	S. Balwant Singh, A.E.T.O.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri Dharam Singh, T.S.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I.	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	Shri P. S. Tiwana, E.T.O.	Ditto ..	Ditto

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
14	Ganeria Wala Theatre, Fatehabad	Shri S. R. Sharma, A.E. T. O. Shri K.L. Choudhri, T. S. I.	No irregularity ..	Question does not arise	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri K.L. Choudhri, T.S.I.	Ditto	Ditto	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E. T.O. Shri Banwari Lal, T.I.	Ditto	Ditto	
	Ditto ..	Shri Banwari Lal, T.I. .. Shri K. L. Choudhri, T.S.I.	Ditto	Ditto	
	Ditto ..	Shri S. R. Sharma, A.E.T.O. Shri Banwari Lal, T.I.	Ditto	Ditto	
	Ditto ..	Shri K. L. Choudhri, T.S.I.	One person found enjoying the show without ticket.	Case compounded on payment of Rs. 25	
	Ditto ..	Shri S.R. Sharma, A.E.T.O.	On the admission tickets of upper class bearing Nos. 8201 8400 did not contain date-stamp in most of the cases. No entertainment duty was fixed on the foils bearing serial Nos. 9900 to 10000	Case is still pending in the office	

15	M/s Subash Talkies, Rohtak	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri B. R. Sanewal, T Pushker Raj, Steno	*26th April*, 1962.—In 1st class one person was without ticket. Evasion of duty comes to Re 00.40	Case compounded at Rs. 50
	Ditto ..	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri S.N. Bajaj, T.S.I., and A. N. Gupta, T.S.I.	*23rd July*, 1962.—Tickets from Nos. 59663 to 59821 were wrong date-stamped	Case compounded at Rs. 25
	Ditto ..	Shri M.S. Dhaliwal, E.T.O.	*28th May*, 1962.—10 persons in box class and 4 persons in 1st Class were found without tickets. Evasion of duty comes to Rs. 6.10	Case sent to court
	Ditto ..	Shri M.S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri S. R. Handa, and Shri K.S. Bakshi, T.S.I.	*28th July*, 1962.—One person was found without ticket. Evasion of duty comes to Re. 00·20	Ditto
	Ditto ..	Shri A.N. Ahuja, A.E.T.O.,	*21st July*, 1962.—Tickets for 1st class and boxes were wrong date-stamped	Case compounded at Rs. 50
	Ditto ..	Shri K.S. Bakshi, T.S.I. ..	*14th May*, 1962.—One person was found in 1st class without teiket. Tax evaded Re 00.40	Case sent to court
16	M/s Parkash Talkies, Jhajjar	Shri M.S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri K.S. Bakshi, T.S.I.	*29th July*, 1962.—Two tickets were without date stamps.	Case compounded at Rs. 10
	Ditto ..	Ditto ..	*29th July*, 1962.—Two persons were without tickets. Evasion of duty comes to Re. 00.90	Case compounded at Rs. 50

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
	M/s Parkash Talkies, Jhajjar—*concld*	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri . R. Handa, T.I. and Roshan Lal, E.I.	21*st February*, 1963.—Two persons were found without ticket in box. Evasion of duty is Re. 1.50	Under action	
	Ditto ..	Shri T.R. Sabharwal, A.E.T.O., with Shri S.R. Handa, T.I., and B.S. Yadev, T.S.I., and S.N. Bajaj, T.S.I.	12*th October*, 1962.—Three persons were found without tickets in Ist Class. Tax evaded Re. 1.44	Case compounded at Rs. 50	
	Ditto	Shri T. R. Sabharwal, A.E.T.O., with S. R. Handa, T.I.	14*th December*, 196.—One person was found without ticket	Case sent to court	
	Ditto ..	Shri B. S. Yadev, T.S.I. ..	13*th September*, 1962.—One person was found without ticket	Case sent to court	
17.	M/s Minerva Talkies, Sonepat	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri B. R. Sanewal, T.S.I. and R.S. Tanwar	20*th April*, 1962.—IIIrd Class tickets from Nos. 35739 to 35784 were date stamp of 18th April, 1962 and 20th April, 1962	Case compounded at Rs. 25	
	Ditto ..	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri M. L. Wahi, T.S.I.	31*st May*, 1962.—One person was found without ticket in Ist Class and one in IInd Class. Tax evaded Re. 00·60	Case compounded at Rs. 50	

	Ditto ..	Shri O. P. Miglani, T.S.I.	9th *September*, 1962.—Tickets of 1st Class and II Class were issued without entertainment duty stamp	Case compounded at Rs. 80
	Ditto ..	Shri O. P. Miglani, T.S.I.	7th *October*, 1962.—Eight persons were found without ticket in II Class	Case compounded at Rs. 100
18.	M/s Moonlight Touring Talkies, Gohana	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri T. R. Sabharwal, A.E.T.O. and Shri K. S. Bakshi, T.S.I.	28th *April*, 1962.—Seven persons were found without ticket in II class. Tax evaded Rs. 1.60	Case compounded at Rs. 80
	Ditto ..	Shri S. R. Handa, T.I., with Shri B. S. Yadev, T.S.I.	12th *June*, 1962.—Duty stamps of Re 00.08 were affixed on IIIrd class tickets wrongly	Case compounded at Rs. 15
	Ditto ..	Shri B. R. Gupta, E.S.I.	20*th May*, 1962.—PED 20 was incomplete	Case compounded at Rs. 25
19	M/s Partap Talkies, Rohtak	Shri S. N. Bajaj, T.S.I. ..	24*th October*, 1962.—Two persons were found without ticket in Box Class and two persons were in IInd Class. Tax evaded Rs. 1.50	Case compounded at Rs. 50
	Ditto ..	Shri T. R. Sabharwal, A.E.T.O.	4*th October*, 1962.—Two persons in Gallery and one person in 1st Class were without ticket	Case compounded at Rs. 7.50
20	M/s Kundan Talkies, Bahadurgarh	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O.	29*th September*, 1962.—Five persons were in excess in IInd Class. Tax evaded Rs. 1.25	Case compounded at Rs. 62.50
	Ditto ..	Shri T. R. Sabharwal, A.E.T.O., with Shri S. R. Handa, T.I. and K. S. Bakshi T.S.I.	14*th December*, 1962.—One person was found in IIIrd class and one person in IInd class. Tax evaded Re. 00.37	Case compounded at Rs. 25

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
21	M/s Kiron Touring Talkies, Gohana	Shri M. S. Dhaliwal, E.T.O., with Shri S. R. Handa, T.I. and Y.K. Ghai, T.S.I., and B. R. Gupta, E.S.I.	*20th February*, 1963.—One person was found in IInd class and one was found in IIIrd class without ticket. Tax evaded Rs. 00.16	Case compounded at Rs. 50	
22	Metro Cinema, Faridabad	Shri Charan Dass, T.I. ..	Three persons without ticket. Loss of revenue Rs. 2.75	Under action. Compounded on Rs. 10	
23	Raj Touring Talkies, Sohna	Shri Jaswant Singh and S. K. Malhotra, A.E.T.O.	254 persons without ticket. Tax Rs. 30.60	Compounded on Rs. 200	
	Raj Touring Talkies, Hodel	Shri J. N. Gupta, E.T.O.	46 in IInd Class, 98 in IIIrd Class	Under action	
24	Pharbhat Talkies, Ballabgarh	Ditto ..	One person without ticket ..	Ditto	
25	Naaz Cinema, Palwal	Shri Kashmiri Lal, T.S.I. ..	Loss Re. 1 ..	Ditto	
26	Raj Picture, Rewari,	Shri J. N. Gupta E.T.O.	123 persons without ticket in IInd Class	Assessment framed on Rs. 16,200·00	
	Metro Cinema, Faridabad	Ch. Jaswant Singh, A.E.T.O.	Stamps short Rs. 19.85 ..	Compounded on Rs. 180	
	Raj Picture, Rewari ..	Shri Charan, Dass, T.I. ..	Stamp Re 0.32 ..	Under action	

	Metro Cinema, Faridabad	Shri S. P. Singh, T.S.I. ..	One person without ticket ..	Compounded on Rs 10.00
	Ditto ..	Ditto ..	Loss of revenue Rs. 84 ..	Pending for assessment
	Naaz Cinema, Palwai	Shri Charan Dass, T.I. ..	Eight persons without ticket ..	Under action
	Ditto ..	Shri S. K. Malhotra, A.E.T.O.	One book of tickets bearing entertainment tax stamps worth Rs. 50 missing	Ditto
	Raj Picture, Rewari ..	Ditto ..	Five tickets bearing entertainment tax stamps worth Rs. 1.25 missing	Ditto
27	Nawal Talkies, Panipat	E.T.O. and Party ..	Visitors without tickets ..	Compounded
	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Do
	Ditto ..	Special Squad ..	Ditto ..	Pending
28	Kishore Talkies, Panipat	E.T.O. (PGT) ..	Ditto ..	Complaint pending in the court
	Ditto ..	T.I and Party ..	Cash collection without permision	..
29	Radura Talkies, Thanesar	E.T.O. and Party ..	Visitors without tickets ..	Fined by the court
	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto
	Ditto ..	E.T.O. (PGT) ..	Ditto ..	Complaint pending in the court
	Ditto ..	Special Squad ..	Certain accounts were seized	Pending
30	Ashoka Talkies, Kaithal	E.T.O. and Party ..	Visitors without tickets ..	Pending
	Ditto ..	T.I. and Party ..	Ditto ..	Complaint pending in the court

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
31	Defence Service Cinema, Ambala Cantt.	(1) Shri S. S. Bedi, Excise and Taxation Officer (2) Shri D. R. Jain, A.E.T.O. (3) Shri O. P. Sharma, T.I. (4) Shri N. P. Verma, T.S.I.			
32	New Capital Cinema, Ambala Cantt.	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri Mulakh Raj, A.E.T.O. (4) Shri M. M. Malhotra, T.S.I. (5) S. J. S. Dhillon, E.T.O. (PGT)	..	..	
33	Minerva Talkies, Ambala Cantt.	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri N. L. Arora, A.E.T.O (3) Shri O. P. Sharma, T.I. (4) J. S. Bhatnagar, T.S.I.	..	..	
34	Nigar Talkies, Ambala Cantt.	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri T. C. Yadeva, A.E.T.O. (3) Shri O. P. Sharma, T.I. (4) Shri N. P. Verma, T.S.I. (5) Shri M. M. Malhotra, T.S.I.	*25th November*, 1962.—One person without	Case sent to court	

35	Nishat Talkies, Ambala Cantt.	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri G. S. Luthra, A.E.T.O. (3) Shri O. P. Sharma, T.I. (4) Shri Ajit Singh, T.S.I.	..	..
36	Novelty Talkies, Ambala City	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri D. R. Jain, A.E.T. O. (3) Shri O. P. Sharma, T.I. (4) Shri A. P. Malhotra, T.S.I. (5) Shri O. P. Sharma, T.S.I.	*16th June*, 1962.—Two persons without *19th August*, 1962—Four persons with out 10*th September*, 1962—PED 20 in complete.	Case compounded at Rs. 25 Case compounded at Rs. 30 Case compounded at Rs. 25
37	Kiran Cinema, Chandigarh	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri Avtar Singh, E.S.I. (4) Shri O. P. Sharma, T.S.I. (5) Shri J. S. Dhillon, E.T.O. (PGT) (6) Shri Mulakh Raj, A.E.T.O. (7) Shri Joginder Bachan Singh, D.E.T.C., Ambala Division	25*th May*, 1962.—Four persons without 6*th June*, 1962.—One person without	Prosecution lodged Case compounded at Rs. 25
38	Jagat Theatre, Chandigarh	(1) Shri S.S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O.P. Sharma T.S.I. (3) Shri Mulakh Raj, A.E.T.O. (4) Shri O. P. Sharma, T.I. (5) Shri Avtar Singh, E.S.I. (6) Shri J. S. Dhillon, E.T.O. (PGT)	...	..
39	Neelam Theatre, Chandigarh	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri Avtar Singh, E.S.I. (4) Shri Mulkh Raj, A.E.T.O.	..	..

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
40	Liberty Cinema, Kalka	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri Mulkh Raj A.E.T.O. (3) Shri O. P. Sharma, T.I. (4) Shri O. P. Sharma, T.S.I.	22*nd November*, 1962.—Four persons without	Case compounded at Rs. 50	
41	Kalyan Talkies, Rupar	(1) Shri S. S. Bedi, (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri Hardev Singh, T.S.I. (4) Shri Mulak Raj, A.E.T.O.	19*th April*, 1962.—PED 20 incomplete and one person without 15*th May*, 1962.—Three persons without 31*st July*, 1962.—One person without 14*th July*, 1962.—Six persons without 10th *August*, 1962 *and* 11*th August*, 1962.—PED 20 incomplete 4*th September*, 1962.—Seven persons without 12*th September*, 1962.—One person without	Case compounded Case compounded Case compounded at at Rs. 25 Case compounded at Rs. 100 Prosecution lodged Case compounded at Rs. 100 Case is being compounded	
42	Laxmi Theatre, Yamuna Nagar	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri Tilak Ram, T.S.I. (4) Shri K. L. Bhola, T.S.I. (5) Shri T. C. Yadva, A.E.T.O.	22*nd May*, 1962.—One person without 5*th September*, 1962.—One child without 19th *October*, 1962.—Cash collection	Case compounded at Rs. 25 Case compounded at Rs. 25 Case compounded at Rs. 5	

43	New Yamuna Talkies, Yamuna Nagar	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri T. C. Yadva, A.E.T.O. (4) Shri P. K. Kapur, T.S.I. (5) Shri T. C. Kohli, T.S.I.	..	..
44	Jamuna Talkies, Jagadhri	(1) Shri S. S. Bedi, E.T.O. (2) Shri O. P. Sharma, T.I. (3) Shri M. L. Katyal, T.S. I. (4) Shri G. S. Luthra, A.E.T.O. (5) Shri S. P. Sharma, T.S.I.	..	..
45	Shahi Cinema below Ram Bazar, Simla	Flying Squad appointed by the Government (since disbanded)	Ticketless persons were detected	Under action
46	Gobind Talkies, Narnaul	E.T.O. A.E.T.O. T.I. T.S.I.	.. One Nil Nil One	.. Fined Rs 10 by the court .. Fined Rs. 5 by the court
47	Alankar Talkies, Dadri	E.T.O. A.E.T.O. T.I. T.S.I.	.. Nil .. Nil .. Nil .. Three	 .. Show cause notice issued in one case and two cases filed in the court
48	New Raj Theatre, Hoshiarpur	(1) Shri Ajmer Singh Sandhu, E.T.O. alongwith Shri N. R. Goel, T.I. and Shri S. P. Verma, T.S.I. (2) Shri Kartar Singh, Harjai, A.E.T.O. (3) Shri S. P. Verma, T.S.I. (4) Shri V. K. Kansal, T.S.I.	Seventeen	.. Ten cases sent to court. Seven compounded.

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
49	Friends Theatre, Hoshiarpur	(1) Shri Kartar Singh Harjai, A.E.T.O. (2) Shri Hamir Singh, T.S.I.	Five ..	Two cases sent to court Two cases filed One case compounded	
50	Swaran Talkies	Shri Kartar Singh, Harjai, A.E.T.O. Shri N. R. Goel, T.I.	Three ..	One compounded One recommended for composition One pending for assessment	
51	Kailash Touring Talkies, Kulu	Shri Jagdish Ram, T.S.I., Dharamsala	Eight persons were found without ticket	Complaint launched in the court of S.D.M., Kulu	
52	Laxmi Theatre, Palampur	Shri S. K. Jain, E.T.O., Kangra	Two persons were found in excess in II	Fined Rs 13 by the Sub-Divisional Magistrate, Palampur	
53	New Om Touring Talkies, Paprola	Shri Vishwa Nath, T.S.I., Palampur	Ten per cent persons found without ticket in the Hall	Fined Rs. 100	
	Ditto	Shri Hardial Singh, E.T.O., Kangra, alongwith M. L. Vashisht, T.I.	Five persons were found in excess in 2nd Class	Fined Rs. 50	
54	Laxmi Theatre, Palampur	Shri Hardial Singh, E.T.O., along with T.S.I., Palampur	Three affixed foil of III class were found	Acquitted by the court	
55	Defence Services Cinema, Yol	Shri N. S. Girn, D.E.T.C., Jullundur Division, along with Shri M. L. Vashisht	Six children were found without ticket	Fined Rs. 25	

New Om Touring Talkies, Paprola	Shri Hardial Singh, E.T.O., along with T.S.I., Palampur	Less stamped ticket by near 20 nP were found	Compounded in payment of Rs. 15
Laxmi Theatre, Palampur	Shri Hardial Singh, E.T.O., along with T.S.I., Palampur	Counterfoil missing and the ticket not found	Compounded in payment of Rs. 15
Ditto	M. L. Vashisht, T.I., along with T.S.I., Palampur	One ticket not found in PED 20	Compounded on payment of Rs. 10
New Om Touring Talkies, Paprola	M. L. Vashisht, T.I. along with T.S.I., Palampur	Nine tickets found defaced ..	Fined Rs. 35 by the court
Kailash Talkies, Kulu	S. N. Tiwari, T.S.I., Kulu	Prop. failed to produce one defaced ticket	Compounded on payment of Rs. 10
Defence Service Cinema, Yol	Shri Hardial Singh, E.T.O.	Five affixed stamps were not found	Compounded on payment of Rs. 5
Laxmi Theatre, Palampur	T.S.I., Palampur, checked the theatre and found PED 20 was not complete in respect of the denomination of Rs 1.06 and 19 nP for evening and matinee shows of 28th August, 1962	..	Compounded on payment of Rs 50,—*vide* D.E.T.C. Memo. No. 22523/T.III, dated 12th November, 1962
New Om Talkies, Paprola	T. I., Dharamsala, with E.T.O., Kangra, checked the talkies and on 14th September, 1962	Detected one child sitting without ticket in 2nd class resulting the evasion of 10 nP	Complaint launched in the court of S.D.M., Palmapur
Ditto	Shri M. L. Vashisht, T.I., along with T.S.I. checked the talkies and	Found six persons in III class without ticket	Ditto
Ditto	E.T.O., Kangra, checked the talkies, and	Found that ticket No. 148 of 1st class was under-stamped by 20 nP	Ditto
Ditto	Shri V. N. Kapoor, T.S.I., Palampur, checked the talkies on 29th April, 1962	And detected ten persons enjoying show in 2nd Class without tickets	Ditto

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
55	New Om Talkies, Paprola	E.T.O., Kangra, checked the talkies on 8th May, 1962	Five persons in 2nd class enjoying show without ticket	Complaint launched in the Court of S.D.M., Palampur	
56	Ajit Theatre, Muktsar	Shri K.K. Opal, E.T.O., Ferozepur	Five persons found without tickets	Case sent in the court. Fined Rs. 2 by the court	
	Ditto	Shri Gopi Chand, Ferozepur T.I.	Five persons without ticket	..	
57	Memorial, Ferozepur Cantt	Shri G.S. Sekhon, A.E.T.O., Ferozepur	No ticket was date stamped. Old rates were existing on the booking windows. PED 20 was incomplete	Case under consideration for composition	
	Ajit, Muktsar ..	Shri G.S. Sekhon, A.E.T.O., Ferozepur	One person without ticket. PED 20 was incomplete	Case will be lodged in the court of law	
	Ajit Theatre, Muktsar	Gurnam Singh, T.S.I., Re-assessment, Moga, with A.E.T.O.	PED 20 was incomplete. One person was without ticket	Ditto	
58	Gian Talkies, Abohar	Harbans Lal, T.S.I., Abohar	Two irregularities noted	Case under consideration	
59	Simla Talkies, Ferozepur City	S. S. Pahwa, T.S.I., Ferozepur	Ten persons without ticket	Case compounded at Rs. 100	
	Ajit Theatre, Muktsar	R. N. Chotani, A.E.T.O., with T.S.I., Muktsar	(1) PED 20 was incomplete. (2) One person without ticket	Case will be lodged in the court	

	Ditto ..	R. N. Chotani, TSI, Muktsar	Noted irregularity	Not willing to compound the case. Prosecution will be launched in the court
60	Amar Talkies, Ferozepur Cantt	K. K. Opal, E.T.O., Ferozepur	One man without ticket	Case is being referred for composition
	Ditto ..	Joginder Singh, T.S.I., Ferozepur	One person without ticket	Composition at Rs. 20
61	Raja Theatre ..	Mahan Singh, T.S.I., Ferozepur City	Two persons without ticket in special class	Case compounded
	Ajit Theatre, Muktsar	R. N. Chotani, T.S.I., Muktsar	One person without ticket	Case compounded on Rs. 10
	Simla Talkies, Ferozepur City	S. S. Pahwa, T.S.I., Ferozepur	One person without ticket	Case compounded
	Ajit Theatre, Muktsar	R. N. Chotani, T.S.I., Muktsar	One case detected	..
	Raja Theatre, Ferozepur city	Mahan Singh, T.S.I., Ferozepur City	Two persons without tickets in special class	Case compounded
	Simla Talkies, Ferozepur City	S. S. Pahwa, T.S.I., Ferozepur	One person without ticket	Case compounded
	Ajit Theatre, Muktsar	R. N. Chotani, T.S.I., Muktsar	One case detected	..
	Amar Talkies, Ferozepur Cantt	Shri S. S. Pahwa, T.S.I., Ferozepur	Tickets worth 32 nP. were short	Nil
	Ditto	Ditto ..	Two cases were detected	Nil
	Ditto	Ditto ..	Case detected	..
62	Sandeep Theatre, Abohar	Harbans Lal, T.S.I., Abohar	One case detected	..

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
	Gian Talkies, Abohar	Harbans Lal, T.S.I., Abohar	Two cases detected	..	
	Amar Talkies, Ferozepur Cantt	Shri K. K. Opal, E.T.O., Ferozepur Cantt.	Two cases detected	..	
	Ajit Theatre, Muktsar	R. N. Chotani, T.S.I., Muktsar	Two cases were found	Compounded at Rs. 147.70	
	Simla Talkies, Ferozepur	Shri Gopi Chand, T.I., Ferozepur	Six cases found	Case under action	
	Amar Talkies, Ferozepur Cantt	Ditto	Seven cases found	Ditto	..
63	Krishna Talkies, Batala	Special Squad	Evasion of tax	Assessment under Act against the Proprietor of the entertainment house is being made	
64	Parkash Theatre, Gurdaspur	Ditto	Ditto	Ditto	..
65	Parbhat Cinema, Gurdaspur	Ditto	Evasion of tax	Assessment under the Act against the proprietor of the entertainment house is being made	
	Ditto	D.E.T.C. with local staff	Technical offence was detected	Necessary action is being taken	

	Parkash Theatre, Gurdaspur	D.E.T.C. with local staff ..	Evasion of tax	The case has been compounded on a payment of Rs. 25	
66	Rose Cinema, Batala	E.T.O. staff ..	Ditto	The case has been sent to the D.E.T.C., Jullundur for approval on a payment of Rs. 50	
67	Nishat, outside Chatiwind Gate, Amritsar	Special Flying Squad ..	(1) Maintenance of duplication of tickets (2) Admitting 21 persons without payment of proper entertainment duty	Assessment under rule 17 of the Punjab Entertainment Duty Act, 1956, is in progress	
68	Regent, Kt. Sher Singh, Amritsar	Ditto ..	Seven persons were found sitting without payment of proper entertainment duty	The assessment under rule 17 of the PED Act has been finalised and assessed to a tax of Rs. 100	
69	Amritsar ..	Shri Daryao Singh, E.T.O., S. Harnam Singh, A.E.T.O.'s party	32 persons were found sitting without payment of proper entertainment duty	The management has compounded the offence at Rs. 250	
70	Paradise Cinema, Phagwara	Shri Madan Lal, E.T.O. (P&G) Deputy Minister, Excise and Taxation	..	..	
71	Jagatjit Cinema, Kapurthala	Shri G. S. Grewal, and party	..	..	
72	Malwa Picture Palace, Patiala	Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri Chain Lal, E.T.O. Shri M. P. Mittra, E.T.O. Shri R. D. Chauhan, A.E.T.O.	One	Action is being taken ..	208 checkings were made, during the period

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
	Malwa Picture Palace, Patiala—*concld*	Shri Tirlochan Singh, A.E.T.O. Shri Gurbax Singh, T.I. Shri T. N. Kapoor, T.I. Shri G. S. Dasson, T.S.I. Shri Raj Kumar, T.S.I. Shri Parkash Singh, T.S.I. Shri Dharam Paul, T.S.I. Shri G. S. Grewal, T.S.I. (Entt. Cell.) Shri Vidya Sagar, T.I. Shri Dewan Singh, T.S.I.			
73	Phul Theatre, Patiala	Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri Chain Lal, E.T.O. Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri M. P. Mittra, E.T.O. Shri R. D. Chauhan, A.E.T.O. Shri Tirlochan Singh, A.E.T.O. Shri Gurbax Singh, T.I. Shri T. N. Kapoor, T.I. Shri Vidya Sagar, T.I. Shri Raj Kumar, T.S.I. Shri G. S. Dasson, T.S.I. Shri Parkash Singh, T.S.I. Shri Dharam Paul, T.S.I.	Three ..	Action is being taken	206 checkings were made

		Shri Jagjit Singh, T.S.I. Shri Bishan Singh, T.S.I. Shri G. S. Grewal, T.S.I. (Entt. Cell.)			
74	Capital Cinema, Patiala	Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri Chain Lal, E.T.O. Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri R. D. Chauhan, A.E.T.O. Shri Tirlochan Singh, A.E.T.O. Shri Gurbax Singh, T.I. Shri T. N. Kapoor, T.I. Shri Vidya Sagar, T.I. Shri Jagjit Singh, T.S.I. Shri Bishan Singh, T.S.I. Shri Raj Kumar, T.S.I. Shri Parkash Singh, T.S.I. Shri Dharam Paul, T.S.I. Shri Dewan Singh, T.S.I. Shri Shanti Parkash, T.S.I. Shri G. S. Grewal, T.S.I. (Entt. Cell.)	Nil	.. Nil	.. 211 checkings were made
75	Janta Talkies, Samana	Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri Gurbax Singh, T.I. Shri Iqbal Singh, T.S.I. Shri Raj Kumar, T.S.I. Entt. Cell. (Group)	Nil	.. Nil	.. 114 checkings were made
76	Navyug Theatre, Rajpura	Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri T. N. Kapoor, T.I. Shri H. B. Gandhi, T.S.I.	Nil	.. Nil	.. 23 checkings were made and the cinema has been closed since July, 1961

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
77	Alpse Theatre, Rajpura	Ch. Sunder Singh, Deputy Minister (E&T) and Entt. Cell. Party Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri Tarlochan Singh, A.E.T.O. Shri T. N. Kapoor, T.I. Shri H. B. Gandhi, T.S.I.	Nil ..	Nil ..	98 checkings were made
78	Nabha Theatre, Nabha	Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri Sapuran Singh, E.T.O. (P&G) Shri Tarlochan Singh, A.E.T.O. Shri Gurbax Singh, T.I. Shri Varinder Singh, T.S.I. Shri G. S. Grewal, T.S.I. & Shri O. P. Sharma T.S.I. of Entt. Cell.	One ..	Action is being taken ..	139 checkings were made
79	Rama Talkies, Sirhind	Ch. Sunder Singh, Deputy Minister and Entt. Cell. party Shri K. S. Jaspal, E.T.O. Shri Tarlochan Singh, A.E.T.O. Shri T. N. Kapoor, T.I. Shri Bhupinder Singh, T.S.I.	One ..	Compounded at Rs 50	115 checkings were made

80	Lal Talkies, Bassi	Shri Tarlochan Singh, A.E.T.O.	Four	One case is being recommended for composition at Rs. 100 and the remaining three cases are pending for prosecution	101 checkings were made
		Shri T. N. Kapoor, T.I.			
		Shri Bhupinde Singh, T.S.I.			
81	Moti Theatre, Sangrur	Excise and Taxation Officer,	Re. 0.30 nP.	Lodged in the court	
		A.E.T.O., Sangrur	Re. 0.20 nP.	Ditto	
		Taxation Sub-Inspector,	Rs. 2.40 nP.	Ditto	
		E.T.O.	Rs. 45.80 nP.	Assessment framed and additional tax created at Rs. 2,200	
82	Kamal Theatre, Malerkotla	E.T.O., Sangrur	Re. 0.20 nP.	Assessment finalised and created additional tax amounting to Rs. 8,000	
		E.T.O. (P.&G. Tax)	Re. 0.20 nP.		
		T.S.I., Malerkotla	Re. 0.03 nP.		
		E.S.I., Malerkotla	Rs. 10.82 nP.		
		E.T.O. (P.&G. Tax)	Re. 0.12 nP.		
		E.T.O., Sangrur	Re. 0.50 nP.		
		T.I., Barnala	Rs. 21.83 nP.		
		T.S.I., Malerkotla	Affixed short stamps of Re. 0.02 nP. on tickets issued	Assessment framed and additional tax of Rs. 997.18 nP. has been created	
83	Chand Theatre, Ahmedgarh	T.I., Barnala	Rs. 17.30 nP.	Assessment finalised and additional tax of Rs. 1,600 has been created	
		E.S.I., Malerkotla	Rs. 3.00 nP.		
		T.I., Barnala	Rs. 11.90 nP.		
		Special Squad	Rs. 16.50 nP.		
		E.S.I., Malerkotla	Re. 0.26 nP.		
		Ditto	Rs. 1.50 nP.		
84	Deepak Theatre, Dhuri	Special Squad	Rs. 7.37 nP.	Assessment finalised and additional tax of Rs. 1,600 has been created	
		E.T.O. (P.G.T.)	Re. 0.20 nP.		
85	Bharat Cinema, Jind	T.I., Sangrur	Re. 0.40 nP.	Assessment finalised and Rs. 4,000 has been created as an additional tax	
		T.S.I., Jind	Re. 0.40 nP.		
		E.T.O., (P.G.T.)	Re. 0.40 nP.		
		Special Squad	Rs. 4.00 nP.		
		T.S.I., Jind	Re. 0.25 nP.		

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
86	Jaswant Theatre, Sunam	E.T.O., Sangrur .. T.S.I., Sunam	Re. 0.06 nP. .. Rs. 6.50 nP. ..	Cases sent to the court and assessment has been finalised by creating an additional tax amounting to Rs. 250	
87	New Palace Theatre, Barnala	Taxation Inspector, Barnala	Rs. 23.20 nP. ..	Assessment finalised penalty of Rs. 200 created	
88	Bharat Talkies, Budhlada	Shri D. C. Attri, A.E.T.O., Bhatinda	Wrong issue of tickets ..	Case is under action for composition	
89	Rajesh Talkies, Bhatinda	Shri B. S. Ghuman, T.I., Bhatinda	Contravention of rule 10 ..	Fined Rs. 25.00 by the A.D.M., Bhatinda, on 19th July, 1962	
90	Grand Cinema, Mansa	(1) Shri D. C. Attari, A.E.T.O. (2) Shri Gurnam Singh, T.I. (3) Shri R. L. Sehgal, T.S.I. (4) Shri Om Parkash, T.S.I.	Evasion of tax ..	Case is under action for composition	
91	Jublee Cinema, Faridkot	Shri M. L. Kapoor, A.E.T.O.	Ditto ..	Ditto	
92	Bharat Talkies, Budhlada	Shri S. L. Singla, T.S.I., Budhlada	Ditto ..	Ditto	

93	Grand Talkies, Mansa	Shri S. S. Luthra, E.T.O., Budhlada	Evasion of tax	Case is under action for composition
94	Krishna Talkies, Phul	Shri B. S. Ghuman, T.I., Bhatinda	Breach of show tax rule	Ditto
95	Ganesh Touring Talkies, Maur	Ditto	Ditto	Ditto
96	Bharat Talkies, Budhlada	Ditto	Ditto	Ditto
97	Krishna Talkies, Phul	Shri S. S. Luthra, E.T.O., Bhatinda	Ditto	Ditto
98	Ganesh Touring Talkies, Maur	Shri D.C. Attari, A. E. T. O., Bhatinda	Evasion of tax	Ditto
99	Grand Cinema, Mansa	Shri Harmohinder Singh, T.S.I., Mansa	Ditto	Ditto
100	Ditto	Ditto	Ditto	Ditto
101	Bharat Talkies, Budhlada	Shri S. L. Singla, T.S.I., Budhlada	Ditto	Ditto
102	Ganesh Touring Talkies, Maur	Shri D. D. Dixit, T.S.I. Bhatinda	Ditto	Case fixed for 15th March, 1963
103	Jagjit Theatre, Bhatinda	Shri D.C. Attari, A.E.T.O., Bhatinda	Ditto	Case is under action for composition
104	Ditto	Shri Prem Singh T.I., Bhatinda	Ditto	Case is under action for compositon
105	Kanwal Theatre, Bhatinda	Special Flying Squad	Ditto	Assessment proceedings in hand
106	Jublee Cinema, Faridkot	Ditto	Ditto	Ditto

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Irregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
107	Minerwa Talkies. Ludhiana	Shri J.S. Rajyana, E.T.O., Ludhiana	Four persons in reserve class and four persons in 2nd class were admitted without Ent. duty	Compounddd at Rs. 125 but management has not deposited composition fee. Under action	
108	Laxmi Palace, Ludhiana	Ditto	P.E.D. 20 was not completed as number of tickets were not tallied with the register	Compounded Rs. 50	
109	Deepak Talkies, Ludhiana	Shri J.S. Rajyana, E.T.O., Ludhiana, along with T.S. I & T. I.	Tickets were not dated stamped and P.E.D. 20 was not completed.	Compounded at Rs. 25	
110	Novelty Talkies, Khanna	Shri Gurbachan Singh, T.S.I., Khanna	One lady was found enjoying show in higher class, ticket of lower class	Case is with D.E.T.C., Jullundur, for action	
111	Deepak Talkies, Ludhiana	Shri Datar Singh, T. I., along with T.S.I.	Two persons were found enjoying show without tickets	Case is with the D.E.T.C., Jullundur	
112	Ditto	Shri J.S. Rajyana, E.T.O., Ludhiana	Counterfoils were not kept properly	Compounded at Rs. 50	
113	Ditto	Shri Jai Singh, A.E.T.O., Ludhiana	One lady was enjoying show without ticket	Ditto	
114	Raikhy Theatre, Ludhiana	Shri Wassan Singh, T.S.I., Ludhiana	One person was found without ticket in Gallary	Case went to the court for action	
115	Deepak Talkies, Ludhiana	Shri Krishan Puri, T.S.I., Ludhiana	Entertainment duty of Re. 0.01 was less affixed	Compounded at Rs. 25	

116	Regal Cinema, Jagraon	Shri J.S. Rajyana, E.T.O., Ludhiana	Stock of foiled and conter-foils were not kept properly	Compounded at Rs. 50
117	Minerva Talkies, Ludhiana	Ditto	Three persons having tickets of Re. 0.75 nP. were enjoying show in Re 1.45 class and one person was without ticket in 37 nP. class	Compounded at Rs. 50
118	Ditto	Ditto	Four tickets were not torne by the Gate-keeper	Compounded at Rs. 10
119	Defence Service Cinema, Halwara	Shri Jai Singh, A. E.T.O., Ludhiana	One person was found without ticket	Case sent to court for action
120	Kailash Theatre	Shri Nairinder Singh, D.E. T.C., Jullundur	Some tickets have no date	Compounded at Rs. 10
121	Regal Cinema, Jagraon	Shri D.C. Aggarwal, A.E. T.O.	Two beared boys were with-out tickets	Compoundedat Rs. 25
122	Kailash Theatre, Ludhiana	Shri Madan Lal, E.T.O. (P. & G.), Jullundur	Gate-keeer was without badge and ticket	Compounded at Rs. 15
123	Ditto	Shri J.S. Chauhan, T.S.I., Ludhiana	One Gate-keeer was without ticket and badge	Case sent to the court for action
124	Minerwa Talkies, Ludhiana	Shri Inder Jit Singh, T.S.I., Ludhiana	Some tickets were date stamped	Compounded at Rs. 25
125	Deepak Theatre, Ludhiana	Special Squad, headed by Shri Kuldip Rai, Wadera	(1) The Serial No. of tickets were changed	(a) Compounded at Rs. 250
			(2) Three persons found excess with out proper ent. duty	(b) Compounded at Rs. 250
126	Luxmi Palace, Ludhiana	Special Squad, headed by Kuldip Rai Wadera	Management have been evad-ing duty in strange way	The case is under action
127	Krishna Theatre, Rail-way Road, Jullundur	Shri K.L. Hans, T.S.I.	P.E.D. 20 incomplete	Compounded in payment of Rs. 15

Serial No.	Name and location of the cinema raided	Name of the authority who raided the cinema	Ierregularities detected, if any	Action taken against the management, if any	REMARKS
1	2	3	4	5	6
128	Laxmi Theatre, Railway Road, Jullundur	Shri S.K. Jain, E.T.O.	P.E.D. 20 incomplete	Compounded in payment of Rs. 50	
129	Guru Nanak Talkies, Nakodar, Jullundur	Shri S.K. Jain, E.T.O.	72 persons excess	Compounded on payment of Rs. 205	
130	Hari Palace, Railway Road, Jullundur	Shri N.S. Girn, D.E.T.C., Jullundur Division, Jullundur	One person without ticket	Compounded on payment of Rs. 5	
131	Laxmi Theatre, Railway Road, Jullundur	Shri S.K. Jain, E.T.C.	Eight persons without tickets	Compounded on payment of Rs. 250	
132	Defence Cinema, Jullundur Cantt.	Shri S.K. Jain, E.T.O.	Military persons found in plain dress	Compounded on payment of Rs. 10	
133	Ditto	Ditto	Ditto	Compounded on payment of Rs. 25	
134	Krishna Theatre	Ditto	P.E.D. 20 incomplete	Compounded on payment of Rs. 15	
135	National Talkies, Banga	By Flying Squad	..	Compounded on payment of Rs. 100	
136	Joyti Theatre	Shri Gurdev Singh, District Excise and Taxation Officer	Three persons without tickets	Sent to the court of law	
137	Naaz Theatre	Shri N.S. Girn, D.E.T.C., Jullundur Division, Jullundur and Shri Sapuran Singh, E.T.O.		Action being taken ..	(1,541 checkings were conducted on different cinema-houses by the District Staff during the period under reference)

PRIVATE AYURVEDIC RESEARCH CENTRE AT PATIALA

845. Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any employee of the Ayurvedic Department is permitted to run a private college or a Research Centre ;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, whether he is aware of the fact that a Professor of the Government Ayurvedic College, Patiala, is running a Research Centre at Patiala ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken in the matter ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No, Sir.

(b) An Ayurvedic College named "Amar Krishan Ayurvedic College" is functioning at Patiala which is affiliated to the All-India Vidya Peeth, Delhi. This college is being run by the brother of Shri Amar Nath Shastri, a Professor in Government Ayurvedic College, Patiala.

COMPLAINTS AGAINST AN UP-VAID

846. Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether complaints were recently received by the Ayurvedic Department, Punjab, against Shri Hukam Chand, an Up-Vaid ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details thereof and the action, if any, taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, Sir. It was brought to the notice of Government by the Director of Ayurveda, Punjab, in June, 1960 that Shri Hukam Chand, an Up-Vaidya in the Ayurvedic Department passed the Ayurved Rattan Examination by adopting foul means.

(b) The details are given below—

(i) Shri Hukam Chand got a copy of the Ayurved Bhaskar Certificate attested by Shri Keerti Sharma, Principal, Government Ayurvedic College, Patiala, after showing a forged document. On the basis of this certificate he appeared in the Ayurveda Rattan Examination held by the Hindi Sahitya Sammelan, Paryag, and passed the examination.

(ii) Having acquired the qualification of Ayurved Rattan he applied for the post of a Vaidya in the department and was appointed as such on temporary basis.

(iii) He, however, unwittingly disclosed the secret of his success to a third person and thus the matter came to the notice of the Director of Ayurveda. The Up-Vaidya was reverted to his original post. Consequently the matter was also reported to Government. Government advised the Director of Ayurveda to take appropriate action against Shri Hukam Chand as he was fully competent to deal with cases of the establishment of his department. Upon this the Up-Vaidya was placed under suspension and enquiry held under the rules.

(iv) The Director of Ayurveda, Punjab, stopped one increment of the Up-Vaidya with cumulative effect. The period of suspension was treated as leave of the kind due.

(v) The matter is now under the consideration of Government.

ELECTION TO PANCHAYAT SAMITI IN FAZILKA BLOCK OF FEROZEPORE DISTRICT

853. Shri Satya Dev : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the date when the last election to the Panchayat Samiti, in Fazilka Block of district Ferozepore was held ;

(b) the number and names of villages in Fazilka Block ;

(c) the number, names and addresses of each of the members of the said Panchayat Samiti ;

(d) the total number of meetings held by the said Samiti after its elections together with the names of places where these were held and the details of the resolutions passed during the said meetings ;

(e) whether there are any members of the said Samiti, who did not attend any of its meetings held so far ; if so, the names and addresses of such members ;

(f) whether any action has been taken against the said members ; if so, the details thereof ;

(g) whether any persons who are not members of the Panchayat Samiti are allowed to attend the meetings of the Panchayat Samiti ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) 29th September, 1961.

(b)
(c) } Statements I to III giving the information are given below.
(d)

(e) No.

(f) Question does not arise.

(g) Yes. The meetings of the Panchayat Samiti are open to public unless any person is asked to withdraw from the meeting by a special order of the Chairman.

STATEMENT I

List of Villages in Fazilka Block

Serial No.	*Name of village*	*Serial No.*	*Name of Village*
1.	Muthian Wali	11.	Mahd Pira
2.	Kani Khera	12.	Kahkpar
3.	Keryan	13.	Kadar Bakash
4.	Khanwala	14.	Nakhi Ke
5.	Began Wali	15.	Chak Mohammad Usman
6.	Shajrana	16.	Ch. Maldyarchesti
7.	Singh Pura	17.	Dara Dona
8.	Kikar Wala Rupa	18.	Jiwan Pura
9.	Patti Puran	19.	Guj Bakh Sain
10.	Kandur Ke	20	Pacca Chesti

Serial No.	Name of Village	Serial No.	Name of Village
21.	Chuhri Wala Chesti	52.	Banan Wala
22.	Kutab Din Alias Benula	53.	Jhotian Wali
23.	Jhargohina	54.	Jauki Uarkai Wali
24.	Noor Mohammod	55.	Lalo Wali
25.	Ram Pura	56.	Abohar
26.	Korin Wali	57.	Bahkkhas
27.	Pandhar Wali	58.	Bahkhas Uttar
28.	Chulai Wali	59.	Beak Hasta Hithar
29.	Ghumri	60.	Chand Min
30.	Asaf Wala	61.	Saido Ke Hithar
31.	Aliana Alias Waryam Pur	62.	Noullan
32.	Qabul Shah	63.	Mauzzani
33.	Minhe Ke	64.	Gagan Ki
34.	Bakhu Shah	65.	Mahar Khiwa
35.	Kotha	66.	Badha
36.	Jand Wala Kharta	67.	Killi
37.	Ban Wala Hanuwanta	68.	Mian Basti
38.	Suresh Wala	69.	Ganjuana
39.	Qadian	70.	Kambor Wala
40.	Hiran Wali	71.	Tut Wala
41.	Slem Shah	72.	Rana
42.	Alam Shah	73.	Ghurmi
43.	Mohammod-Islam	74.	Lakkheka Utar
44.	Muhammad Amira	75.	Jawal-Ke
45.	Gul Shah	76.	Lakkheka Hithar
46.	Mahd Usman	77.	Hasta Kalan
47.	Dab Wala Kalan	78.	Maithtam Nagar
48	Dhippan Wali	79.	Dona Sakindri
49.	Mulian Wali	80.	Chak Raoela
50.	Ain Wala Sheikh Suban	81.	Rohela Teja-Ke
51.	Mahuana Bodla	82.	Ghatte Wali Jattan

[Planning and Developement Minister]

Serial No.	Name of Village	Serial No.	Name of Village
83.	Chak Kheowali	96.	Tahi Wala Bodla
84.	Jaurki Andhe Wali	97.	Tahliwali Jattan
85.	Ojhanwali	98.	Islam Wala
86.	Depu-Lana	99.	Kamal Wala
87.	Theqalandar	100.	Kand-Wala. H. Khan
88.	Ghurka	101.	Ghatte Wali Bodla
89.	Walle Shah Uttar	102.	Aliana
90.	Walle Shah Hithar	103.	Kokoru Wali
91.	Ghulamrasulwala	104.	Murd Wala Dal Singh
92.	Shaman Khangah	105.	Ghuryana
93.	Chak Ban-Wala	106.	Burjan Hanumangarh
94.	Chak Dab-Wala	107.	Adal Bodha
95.	Chahlan Wali	108.	Jaure Jand
		109.	Mahar Jamsher

STATEMENT II

List showing the names and full addresses of members of the Panchayat Samiti.

Serial No.	Name of Member	Full Address
1.	Kanwar Lajindar Singh Bedi	.. Chairman Panchayat Samiti, Fazilka
2.	Shmt Sawant Kuar Bedi	.. C/o Kanwar Lajindar Singh Bedi, Fazilka
3.	Shri Kashmiri Lal Gichotra	.. C/o Shri Munshi Ram Gicohtra, Fazilka
4.	Shri Sada Lal Gichotra	.. Ditto
5.	Shri Hari Kishan	.. Ditto
6.	Shri Kashmiri Lal Kataria	.. Ditto
7.	Shri Gurbax Singh	.. Village and post office Tahliwal, Jattan, tehsil Fazilka
8.	Shri Rajwant Singh	Village and, post office Kamalwala, tehsil Fazilka
9.	Shri Chanan Ram	.. Village Kikar Wala, Rupa, post office Behkkhas, tehsil Fazilka
10.	Shri Bhagwan Singh	.. Village and post office Behk Khas, tehsil Fazilka
11.	Shri Angrez Singh	.. Village Ghurian, post office Jand Wala Bene Shah, tehsil Fazilka
12.	Shri Kartar Singh	.. Village Aliana, post office Jand Wala Bene Shah, tehsil Fazilka
13.	Shri Mani Ram	.. Village Suresh Wala, tehsil and post office Fazilka

Serial No.	Name of Member	Full Address
14.	Shri Pritam Singh	.. Village Ram Pura, tehsil and post office Fazilka
15.	Shri Boola Ram	.. Village Chak Banwala, post office Behk Khas, tehsil Fazilka
16.	Shri Des Raj	.. Ditto
17.	Shri Mohna Ram	.. Village Laka Wali, post office Behk Khas, tehsil Fazilka
18.	Shri Boota Singh	.. Village and post office Jand Wala Khanta, tehsil Fazilka
19.	Shri Lachman Singh	.. Village Behnishah Pura, post office Jand Wala Bemeshah, tehsil Fazilka
20.	Shrimati Jaswant Kaur	.. C/o Indar Singh Bindra, village and post office Deb Wala Kalan
21.	Shri Middu Ram	.. Village Rana, tehsil and post office Fazilka
22.	Shri Sultana Ram	.. Ditto
23.	Shri Sarwan Singh	.. Village and post office Jand Wala Kharta, tehsil Fazilka
24.	Shri Sajjan Ram	.. Village and post office Dab Wala Kalan, tehsil Fazilka

STATEMENT III

List showing the names of places and details of programme of each meeting

Serial No.	Name of place	programme
1.	Fazilka	.. (1) Formation of Standing Committees (2) Accommodation for holding Panchayat Samiti meetings (3) Purchase of furniture for Panchayat Samiti (4) Purchase of stationery (5) No development scheme should be undertaken till the funds are available (6) Conversion of shadow Block into Pre-extension Block
2.	Do	.. (1) Proceedings of the meeting dated 24th May, 1962 (2) Formation of bye-laws
3.	Do	.. (1) Proceedings of Panchayat Samiti dated 24th May, 1962 (2) Election of the Chairman of Committee No. 3 (3) Election of three Committees
4.	Do	.. (1) Proceedings for the meeting dated 4th June, 1962 (2) Formation of Committee No. 2 (3) Formation of Committee No. 1 (4) Transfer of villages of Fazilka Block which was in the Circle of A.D.I., Abohar

Serial No.	Name of place	Programme
5.	Fazilka	.. (1) Proceedings of Panchayat Samiti meeting dated 16th July, 1962 (2) Proceedings of Committee No. 3, dated 17th August, 1962 (3) Budget for Panchayat Samiti, Fazilka, for the year, 1962-63 (4) Ditto (5) Opening of Fertilizer Depot (6) Construction of Office building of Panchayat Samiti (7) Appointment of Agriculture Inspector (8) Small Saving Scheme (9) Expenditure on certain articles purchased for the use of Panchayat Samiti (10) Upgrading of Primary School, Chak Taba to Middle Standard (11) Opening of Health Centre
6.	Do	.. (1) Condolence resolution on Martyrdom day (2) Delegation of powers to the Executive Officers for opening accounts in the Bank (3) Development works of Panchayat Samiti (4) Appointment of teachers (5) & (6) Appointment of staff (7) Opening of Fertilizer Depot (8) Approval of expenditure (9) Delegation of powers to the Chairman and Executive Officer of Panchayat Samiti, Fazilka (10) Contribution for war fund
7.	Do	.. (1) Proceedings of meeting, dated 30th October, 1962 (2) For preparation of warm clothes for Defence Services
8.	Do	.. (1) Proceedings of meeting, dated 9th November, 1962 (2) For approval of appointment of staff (3) Collection of warm clothes (5) Collection of war funds
9.	Do	.. (1) Proceedings of meeting, dated 11th November, 1962 (2) Construction of road
10.	Do	.. (1) Proceedings of meeting, dated 1st December, 1962 (2) Proceedings of Committee No. 1, dated 19th January, 1963 (3) Proceedings of Committee No. 2, dated 19th January, 1963 (4) Proceedings of Committee No. 3, dated 19th January, 1963 (5) Opening of Primary Health Centre and dispensary (6) Programme for Independence Day (7) Block Tournament (8) Contribution of war fund

Serial No.	Name of place	Programme
11.	Fazilka ..	(1) Proceedings of Committee No. 1 (2) Resolution No. 3 was announced (3) Allotment of funds (4) Proceedings of Committee No. 3, dated 21st February, 1963 (5) Distribution of education grant (6) Distribution of Art and Craft grants (7) Allotment of funds (8) Authorised the Head Clerk to issue receipts (9) Approval of expenditure from 18th January, 1963 to 29th January, 1963 (10) Approval of expenditure, 1st February, 1963 to 18th February, 1963 (11) Scheme for holding training Camps (12) Transport facilities (13) Transport arrangement from Fazilka to Chandigarh

ELECTION TO PANCHAYAT SAMITI IN ABOHAR BLOCK OF FEROZEPUR DISTRICT

854. Shri Satya Dev : Will the Minister for Palnning and Development be pleased to state—

(a) the date when last election to the Panchayat Samiti in Abohar Block in district Ferozepur was held ;

(b) the number and names of villages in Abohar Block ;

(c) the number, names and addresses of members of the said Panchayat Samiti ;

(d) the number of meetings held by the said Panchayat Samiti since its election together with the names of places where the said meetings were held and the details of the resolutions passed during the said meetings ;

(e) whether there are any members of the Panchayat Samiti of Abohar Block who have not so far attended any of the said meetings ;

(f) if the reply to part (e) above be in the affirmative, the names and addresses of such members ;

(g) whether any action has been taken against the said members for not attending the said meetings ; if so, the details thereof ;

(h) whether any persons who are not members of the Panchayat Samiti and are members of the Gram Panchayats are allowed to attend the meeting thereof, if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) 30th September, 1960.

(b) to (d) } Statements I, II and III giving the required information are given below.

(e) None, Sir.

(f) & (g) } Does not arise.

(h) Yes, Sir. The meetings of the Panchayat Samiti are open to public. Any person may attend to watch the proceedings unless disallowed or required to withdraw by an order of the Chairman.

[Planning and Development Minister]

STATEMENT I

List showing the number and names of villages in Abohar Block

Serial No.	Name of Village	Serial No.	Name of Village
1.	Gadhan Dali	25.	Amerpura
2.	Ram Garh	26.	Wahabwala
3.	Bhangalan	27.	Bhagu
4.	Kundal	28.	Bhagsar
5.	Dharangwala	29.	Rajanwali
6.	Jhumanwali	30.	Dottaranwali
7.	Patti Taga	31.	Sardarpura
8.	Roranwali	32.	Sukhchan
9.	Broj Maherwala	33.	Kherpura
10.	Danger Khera	34.	Sitto Ganu
11.	Chanan Khera	35.	Moda Khera
12.	Balourand	36.	Tarmala
13.	Basian	37.	Himatpura
14.	Gobindgarh	38.	Khuhan
15.	Jodhpur	39.	Maherana
16.	Malukpur	40.	Bazidpur Bhema
17.	Daban Khakherian	41.	Kularan
18.	Raipura	42.	Rampura
19.	Kala Tibba	43.	Narainpura
20.	Alumgarh	44.	Dodewala
21.	Kundwala Amerkot	45.	Rajpura
22.	Kikar Khera	46.	Bishanpura
23.	Kera Khurd	47.	Bahadurpura
24.	Ram Saria		

Total number of villages in Abohar block-47

STATEMENT II

List showing the number, names and addresses of members of the Panchayat Samiti, Abohar

Serial No.	Name of Member	Full address
1.	**Shri Raja Ram**	.. Village and post office Sito Guno, tehsil Fazilka
2.	**Shri Het Ram**	.. Ditto
3.	**Shri Hanuman Singh**	.. Village and post office Kular, tehsil Fazilka
4.	**Shri Harcharan Singh**	.. Village and post office Govindgarh, tehsil Fazilka
5.	**Shri Bir Bal**	.. Ditto
6.	**Shri Banwari Lal**	.. Village and post office Sito Guno, tehsil Fazilka
7.	**Shri Basheshar Nath**	.. Village Chanan Khera, post office Balauana, tehsil Fazilka
8.	**Shri Tek Chand**	.. Village Dhaban Kokruan, post office Mehrana, tehsil Fazilka
9.	**Shri Banwari Lal**	.. Village Rajian Wali, post office Dutaran Wali, tehsil Fazilka
10.	**Shri Kuldip Singh**	.. Village and post office Kala Tiba, tehsil Fazilka
11.	**Shri Joginder Singh**	.. Village and post office Kundal, tehsil Fazilka
12.	**Shri Jagir Singh**	.. Village Bhangalan, post office Kundal, tehsil Fazilka
13.	**Shri Devi Lal**	.. Village Alamgarh, post office Abohar
14.	**Shri Puran Singh**	.. Village Muhar, post office Abohar
15.	**Shri Harnam Dass**	.. Village and post office Kadh Wala Amarkot, tehsil Fazilka
16.	**Shri Chuni Lal**	.. Village and post office Bhagsar, tehsil Fazilka
17.	**Shri Bhag Singh**	.. Hospital Road, Abohar
18.	**Shrimati Kusturi**	.. Village and post office Bhagsar, tehsil Fazilka
19.	**Shri Kesar Singh**	.. Village Bhanglan, post office Kundal, tehsil Fazilka
20.	**Shri Hanchand**	.. Village Alam Garh, post office Abohar, tehsil Fazilka
21.	**Shri Jetha Ram**	.. Village Himat Pura, post office Sito Guno, tehsil Fazilka
22.	**Shri Nandu Ram**	.. Village and post office Ram Sara, tehsil Fazilka
23.	**Shri Manphul Singh**	.. Village and post office Patti Taga, tehsil Fazilka
24.	**Shri Kartar Singh**	.. Village and post office Gobindgarh, tehsil Fazilka

[Planning and Development Minister]

STATEMENT III

List showing the names of places and resolutions passed in the meetings

Serial No.	*Name of Place*	*Details of the resolutions*
1.	Town Hall, Abohar ..	No resolution was passed
2.	Ditto ..	Bye-laws were explained to the members
3.	Ditto ..	Oath was taken by some members
4.	Ditto ..	(i) Standing Committee was formed (ii) Expenditure of certain items was approved
5.	Ditto ..	(i) Sub-Committee was formed for appointment of the staff (ii) Scheme of pencil making was sanctioned for Sito Guno Village (iii) To encourage small saving schemes
6.	Ditto	Resolutions were passed to approve the expenditure for the purchase of some articles and other schemes
7.	Ditto	(i) The appointment of staff (ii) Samiti headquarters to be fixed at Abohar (iii) Health Centre at Sito Guno. (iv) Pencil making demonstration party cannot be run in this Block. (v) Bye-laws explained to the members. (vi) To spend Rs 80 on demonstration party (vii) To pay the bill of Tribune, make payment to the demonstrator and purchase the stationery (viii) To purchase Government approved newspapers (ix) To settle the rent of office building (x) New Bata system should be abolished and help the Government in emergency
8.	M.C. Rest-house ..	(i) To pay rent of the office building (ii) To collect N.D.F. and to prepare clothes, etc. for soldiers (iii) To purchase furniture for office (iv) To instal telephone in the office (v) To buy eight locks for the office (vi) Miscellaneous expenditure for Rs 31.78

Serial No.	Name of Place	Details of the resolutions
8—*concld*		(vii) To appoint a part-time sweeper
		(viii) To have signboard
		(ix) To open four sewing centres
		(x) To open a Rural Industrial Estate
		(xi) Situation of office building
		(xii) To fill the vacancy of lady doctor in Abohar Hospital
		(xiii) Meetings should be called in time
9.	Panchayat Samiti's Office	(i) The members were explained regarding village volunteer force
		(ii) Certain amounts of expenditure were approved

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

CUT IN THE CHANDIGARH COMPENSATORY ALLOWANCE

***2959. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

10-00 a.m.

(a) whether Government have taken any decision not to impose any cut in the Chandigarh Compensatory Allowance/Hill allowance of the peons, and other Class IV employees in the State ; if so, when ;

(b) whether any instructions to this effect have since been issued to the different departments ; if so, when ;

(c) how much saving of the Government is likely to be effected by this decision?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In the year 1962-63—Rs 1·58 lacs ;

In the year 1963-64—Rs 18·21 lacs ; and

Ownwards—Rs 19 lacs per annum.

श्री बलरामजी दास टण्डन : यह सवाल बड़ा इम्पार्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि उन की पोज़ीशन खराब हो इस लिये कोई और मिनिस्टर जवाब दे दें......

Mr. Speaker : It will certainly embarrass the hon. Finance Minister. Therefore, I would request the hon. Member not to ask the Supplementary please.

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker : There is a *Call Attention motion given notice of by Shri Balramji Dass Tandon in regard to the news-item in the paper about the reported threat to the life of Mr. R.P. Kapur . The House cannot take notice of what appears in the paper. Therefore, I declare it out of order.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस के बारे में गवर्नमेंट को अपनी पोज़ीशन क्लीयर करनी चाहिए। राज्य सभा में यह बात आई है कि श्री आर0 पी0 कपूर, आई0 सी0 एस0 जो कि एक्स-कमिश्नर हैं उन की लाईफ डेंजर में है और उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया को प्रोटैक्शन के लिए एप्लाई किया है और होम मिनिस्टर साहिब ने विश्वास दिलाया है कि वे उन को प्रोटैक्शन दे रहे हैं। पंजाब पर यह बड़ा भारी ब्लाट है कि यहां पर बड़े-बड़े अफसरों की जान को इस तरह से खतरा हो। इस लिए हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिब अपनी पोज़ीशन क्लीयर कर दें।

Mr. Speaker : The Government has a Public Relations Department and if they at all feel it necessary they will issue a contradiction or express their views through that organization.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरी अर्ज़ यह है कि यह हाउस पब्लिक रिलेशन्ज डिपार्टमेंट से ज़्यादा इत्लाह दे सकता है और उस से ज़्यादा इम्पारटैंस रखता है। मैं तो सिर्फ उस बात की तरफ गवर्नमेंट की अटेन्शन ड्रा करना चाहता हूं कि जो कि राज्य सभा में हुई है। पंजाब के नाम पर यह बड़ा भारी ब्लाट है कि यहां पर आई. सी. ऐस अफसरों की जान खतरे में हो, उन को हरासमेंट होती है। इस के बारे में हम जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पोज़ीशन क्या है। चीफ मिनिस्टर साहिब बता दें।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਨਾਲਿਜ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲਿਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। In order to defame the Punjab Government, such allegations are levelled . It has been done by certain people even earlier and I can recall two such cases at the moment.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਕ ਕੇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਕ ਗਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਗਰੇਵਾਲਾ

---

*"With your permission Sir, I want to draw the attention of the Government to the news-item in all the papers that the life of Shri R.P. Kapur, I.C.S., Ex-Commissioner, Patiala Division, is in danger and as such he has applied for protection being given by the Union Government which has been granted by the Union Home Minister.

This is a serious matter and as such it calls for a serious action.

1. Baldev Parkash, M.L.A.
2. Balramji Dass Tandon, M.L.A."

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਨੇ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। (ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪਰਸ਼ੰਸਾ)

श्री बलरामजी दास टंडन : जनाब स्पीकर साहिब ....

Mr. Speaker : No, please.

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : Again there is a * privilege motion given notice of by Shri Balram ji Dass Tandon in regard to the reply to a supplementary viz., whether the reports, etc., of the Co-ordination Committee are sent to the Congress Committees. Would the hon. Chief Minister like to explain the position ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਪੁਛਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। I have disliked it and I am going to check up that such a thing should not reoccur.

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਪਲਾਈ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗੌਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਪਲਾਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : What else does the hon. Member want the Chief Minister should do after his sportsman like admission of the mistake ?

Shri Balramji Dass Tandon : He should offer his regrets.

Mr. Speaker : I think when the hon. Chief Minister has admitted the mistake, no such question should arise. It was on the basis of his instruction when he said that copies of the proceedings of the Co-ordination Committee are ot supplied to any private agency but on a second thought

*"With your permission, Sir, I want to move the privilege motion in the House today that the Chief Minister has given wrong information to the House yesterday while replying to a supplementary question asked by Dr. Baldev Prakash saying "no copy of the proceedings of the Co-ordination Committee meeting is supplied to the President, Secretary or the office of the District Congress Committee.

This is, Sir, a serious breach of privilege of the House, and as such I request you, Sir, to refer this matter to the Privileges Commitee of the House for appropriate action.

Balramji Dass Tandon, M.L.A.".

[Mr. Speaker]
when he was told that the reply given here was not in keeping with the fact, he has immediately rectified the mistake. In case the hon. Chief Minister had persisted about the correctness of the reply given by him and the hon. Member had also persisted about his stand and had convinced me of the correctness of his statement, I would have certainly referred the matter to the Privileges Committee. I think, in view of the statement now made by the hon. Chief Minister, we should stop the matter here.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

Mr. Speaker : Order, please. The hon. Member would have justification and I would have certainly referred the matter to the Committee of Privileges, if the hon. Chief Minister had insisted about the correctness of the reply given here yesterday (14th March, 1963). But when it was brought to his notice that the reply given was not correct and was not in keeping with the facts, he immediately felt very sorry. Therefore, let us stop the matter here. In view of this I refuse to give consent to the question being raised.

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET (RESUMPTION)

Mr. Speaker : The House will now resume General Discussion of the Budget. Comrade Ram Kishan was on his legs.

Before Comrade Ram Kishan begins his speech, I would request him not to take more than ten minutes. We have hardly two hours for the hon. Members and the number of Members who have approached me for time is about forty. So, senior Members may speak for ten minutes each and junior Members for five minutes each.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, लोगों ने तो चालीस चालीस मिनट तक स्पीच की है और मुझे आप दस मिनट बोलने के लिए कहते हैं।

Mr. Speaker : A minute has sixty seconds and I cannot increase the minutes and seconds. This is the time at our disposal.

कामरेड राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, पिछले पांच दिन स पंजाब का जो तीसरा बजट थर्ड फाइव-ईयर प्लैन के सम्बन्ध में पेश हुआ है, उस पर बहस हो रही है। अगर हम पिछले 15-16 साल के नक्शे को देखें तो पता चलता है कि देश के विभाजन के बाद 1947 में आज के फाइनेन्स मिनिस्टर और उस समय के चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो बजट पेश किया था वह 13 करोड़ रुपए का था और अगर आज के बजट को देखें, जैसे कि बजट प्रोपोजल्ज़, बजट एस्टीमेट्स और जो कैपीटल है तो वह 144.84 करोड़ का है। इस से ज़ाहिर होता है कि पिछले 15-16 साल में हमारी स्टेट के रिसोर्सिज़ 11 गुना के करीब बढ़ गए हैं। इस सारे सिलसिले में अगर हम अपनी फर्स्ट फाइव-ईयर प्लैन और सैकंड फाईव-ईयर प्लैन के दौरान की अचीवमेंट्स को देखें तो पता चलता है कि जहां तक फर्स्ट प्लैन का ताल्लुक है और हमारी स्टेट के रिसोर्सिज़ का ताल्लुक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश को छोड़ कर हमारी स्टेट सारे हिन्दुस्तान में अव्वल नम्बर पर आई है।

जहां तक सैकंड फाइव-ईयर प्लैन का सम्बन्ध है, ठीक है कि इस State की आमदन 27.6 प्रतिशत बढ़ी है लेकिन जिन हालात में आज बजट पेश किया गया उसको भी नज़र

अन्दाज नहीं किया जा सकता। आज हमारी कौम ने एक जबरदस्त ऐग्रैसर और मिलिट्री ऐक्स-पैन्शनिस्ट मुल्क के साथ मुकाबला करना है, इसलिए जरूरी है कि हर पहलू में हम मजबूत हों, राष्ट्र मजबूत हो और उसके लिए किसी भी कुर्बानी को ज्यादा नहीं समझना है।

स्पीकर साहिब, टाइम चूंकि थोड़ा है इसलिए सभी मदों की बाबत न कहता हुआ सिर्फ 7-8 चीज़ों की तरफ आप की तवज्जो लाज़मी तौर पर दिलाना चाहता हूँ। जहां तक नान-प्लैन बजट का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में एक स्कीम है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कम्पलसरी तौर पर इन्शोरेंस की जानी है। पंजाब में इस वक्त कोई एक लाख 50 हजार गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिन से कोई 90,00,000 रुपया इस साल प्रीमियम का आने वाला है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश और मैसूर के बाद हिन्दुस्तान में पंजाब पहली स्टेट है जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कम्पलसरी इन्शोरेंस की जा रही है। इस सम्बन्ध में 10 लाख रुपये का खर्च प्रोवाइड किया गया है। यह बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत दो बातों की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहां तक इस स्कीम का सम्बन्ध है और जहां तक क्लास IV एम्पलाइज़ का ताल्लुक है मैं दरखास्त करूंगा कि जो उनके लिए कम्पलसरी सेविंग फंड 5 रुपए रखी है वह डी. ए. फंड वाली रकम कम्पलसरी इन्शोरेंस फंड में लगाई जाए ताकि वह भी इस का फायदा उठा सकें। इस के अलावा इस वक्त हमारे 76 प्रतिशत एम्पलाइज़ पर्मानेंट हैं और बाकी के 24 प्रतिशत टैम्परेरी हैं। उनकी हालत की बाबत भी सरकार को और गौर करना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि कम्पलसरी इन्शोरेंस से जो 90 लाख रुपया प्रीमियम के तौर पर आएगा उसे लो पेड एम्पलाइज़ के बैनीफिट पर लगाया जाए, उनको रिलीफ प्रोवाइड की जाए और वह रिलीफ चाहे उनके बच्चों को ऐजुकेशन देने के सिलसिले में हो या किसी और सम्बन्ध में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरफ जरूर तवज्जो दी जानी चाहिए।

दूसरी चीज़ जिसकी बाबत मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वह है कैनाल एंड माइनर इरिगेशन के सम्बन्ध में। मुझे खुशी है कि इस सिलसिले में इस साल 1,05,28,000 रुपए खर्च करने की मांग बजट के अन्दर की गई है और इस साल के अन्दर 4,800 ट्यूब-वैलज़ 1,918 परकोलेशन वैल्ज़ और 439 पम्पिंग सैट्स लगाए जाएंगे जिस से 9,243 टन ऐडीशनल फूड की प्रोडक्शन होगी और 60 लाख रुपए के एडीशनल रिसोर्सिज़ हमें प्राप्त होंगे। इस के अलावा यह भी बड़ी खुशी की बात है कि रिवर वैली प्राजैक्टस के तहत सायल एंड वाटर कन्ज़र्वेशन के सिलसिले में 18,00,000 रुपया रखा गया। इस सम्बन्ध में एक जरूरी बात की तरफ मैं आप के द्वारा पंजाब गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कौन नहीं जानता, स्पीकर साहिब, कि भाखड़ा नंगल पर पंजाब की खुशहाली निर्भर है। पंजाब की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का इनहिसार ही भाखड़ा डैम पर है। और इंजीनियर्ज़ और एक्सपर्टस न इसे 200 साल का लाइफ स्पैन दिया है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं पंजाब गवर्नमेंट को याद दिलाना चाहता हूं कि एशिया के उजबेकिस्तान प्राविन्स में जो फरहाथ डैम बना था उस का लाइफ स्पैन एक्सपर्टस् ने 100 साल निश्चित किया था लेकिन आठ साल में ही इरोइयन और सिल्ट के कारण उसमें डिफैक्ट आने शुरू हो गए जिससे सारे इलाके को खतरा पैदा हो गया। इसी तरह मैं आज इस मौके पर अपनी गवर्नमेंट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सतलुज के कैचमेंट एरिया का सम्बन्ध है

[कामरेड राम किशन]

उसका मेजर एरिया आउटसाइड इंडिया है और हमारा कोई 3,000 स्कवेयर माइलज एरिया सायल इरोइयन के लिए ओपन है। इसलिए मैं पंजाब गवर्नमेंट की तवज्जो इस ज़रूरी बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सायल इरोइयन और सिल्ट वगैरा का बन्दोबस्त किया जाए ताकि इस डैम से, जिस पर पंजाब की उन्नति और तरक्की का दारोमदार है, सूबे को किसी तरह का नुकसान न पहुंचने पाए।

अब मैं तीसरी बात पर आता हूं। जहां तक ड्रेनेज, फ्लड कंट्रोल और वाटर-लौगिंग की प्राब्लमज का ताल्लुक है बड़ी खुशी की बात है कि इस सम्बन्ध में पंजाब गवर्नमैंट ने 230 स्कीमें बनाई हैं जिन पर 7,58,18,000 रुपया खर्च किया जाने वाला है। लेकिन इस सम्बन्ध में जिस चीज़ की तरफ मैं पंजाब गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि अभी हाल ही में यू. एस. ए. और पाकिस्तान प्रेस में कुछ खबरें निकली हैं जिन से पता चलता है कि वैस्ट पाकिस्तान के अन्दर यू. एस. ए. के बड़े बड़े साइंटिस्ट और यू. एन. टैक्नीशन आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में 2,000 मिलियन डालर खर्च किए जा रहे हैं ताकि 30 मिलियन वैस्ट पाकिस्तान के फार्मज़ को वाटर-लौगिंग के मैनेस से बचाया जाए और उन का स्टैंडर्ड आफ लिविंग अगले 10 साल में डबल किया जा सके। ऐसे मौके पर जब कि पंजाब में भाखड़ा नंगल जैसे बड़े बड़े प्राजैक्टस बन गए हैं और जबकि इतनी ज़मीन पर इरिगेशन नहीं होती जितनी कि वाटरलौगिंग में चली जाती है मैं आपकी मार्फत पंजाब गवर्नमेंट और खास तौर से चीफ मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें यह मामला गवर्नमेंट आफ इंडिया से टेक-अप करना चाहिए ताकि युनाइटिड नेशन्ज़ के टैक्नालोजिस्ट्स से जितनी ज्यादा मदद ली जा सके ली जाए और पंजाब को जो फायदा हो सकता हो हासिल किया जाए।

इंडस्ट्रीज़ के बारे में 2,80,38,500 रुपए का प्रोवीयन मद में रखा गया है लेकिन हैरानगी होती है कि इस मद में 81,80,000 रुपया बिल्डिंगों की कन्स्ट्रक्शन के लिए रखा है, एमर्जैंसी के बाद नैशनल डिवैल्पमेंट कौंसिल की मीटिंग में 70 आइटम डिसकस हुई जिन में एक के मुताबिक उन्होंने सभी स्टेट्स को हिदायात दीं कि जहां तक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन का सम्बन्ध है उस मद पर कम से कम खर्च किया जाए। लेकिन मैं ने देखा है कि इंडस्ट्रीज़ के तहत 81,80,000 रुपया इस बजट में बिल्डिंगों की कन्स्ट्रक्शन के लिए रखा गया है। इस पर इन दि लाइट आफ दि इन्स्ट्रक्शन्ज आफ दि नैशनल डिवैल्पमेंट कौंसिल दोबारा गौर करने की ज़रूरत है।

इसके अलावा, बड़ी खुशी की बात है कि इंडस्ट्रीज के मैदान में पब्लिक सैक्टर में तीन चार नई फैक्टरियां लगाने की योजना है। सब से पहले पिग आयरन प्लांट लगाया जा रहा है। महिन्द्रगढ़ में 3,000,000 टन के करीब पिग-आयरन के डिपाजिट हैं। पहले पिग-आयरन जापान को भेजा जाता था लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इस ओर तवज्जो दी है, सो बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह स्टील कास्टिंग फैक्टरी के लिए 1,50,00,000 रुपया रखा है। एक लाख रुपया एयर राइफल्ज़ फैक्टरी के लिए रखा गया है। पंजाब को देश के इंडस्ट्रियल मैप पर लाने के लिए सरकार ने यह बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। इसी तरह से यू. एस. एस. आर. और कैनेडा और दूसरे मुल्कों के एक्सपर्टस ने जो कि पंजाब में आए ज़िला कांगड़ा का

सरवे किया और सजैस्ट किया था कि मिनरल्ज को ऐक्सप्लायट किया जाना चाहिए और यहां पर मिनरल म्यूज़ियम कायम किया जाना चाहिए ताकि इस से फायदा उठाया जा सके। इस तरफ जितनी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए थोड़ी है।

स्पीकर साहिब, वक्त थोड़ा होने की वजह से मैं ज्यादा तफ़सील में नहीं जा रहा, सिर्फ प्वाइंट्स को ही बता रहा हूं। तो अगली बात ऐजुकेशन के सिलसिले में करना चाहता हूं। जनरल ऐजुकेशन की मद के अन्दर 3,46,06,444 रुपया रखा गया है। इस में खुशी की बात है कि पूअर एंड ब्रिलियेंट स्टूडैंट्स के लिए मैरिट स्कालरशिप्स को चालू रखा गया है। इस में जहां तक एक्सपैन्शन आफ एन. सी. सी. एंड ए. सी. सी. वगैरह का ताल्लुक है 17,44,180 रुपया खर्च होने जा रहा है जिस के मुताबिक हमारे पंजाब में 10,200 के करीब कैडिट इस साल पूरे तौर पर रेज़ किए जाएंगे और 54,000 कैडिट सन् 1963-64 में तैयार होंगे। बड़ी खुशी की बात है और मैं सरकार को इस सम्बन्ध में मुबारिकबाद देता हूं। जहां तक टैक्नीकल ऐजुकेशन का सम्बन्ध है 1,33,34,570 रुपया खर्च करने की सम्भावना है। इस में सब से बड़ी बात यह है कि फ्रीशिप एंड स्कालरशिप के लिए 14,01,000 रुपया मांग रखा है। इस के अलावा 16,63,000 रुपया डिजर्विंग स्टूडैंट्स के लिए, चाहे वह इंजीनियरिंग के कोर्स में हों या डिपलोमा में, खर्च किया जा रहा है ताकि आज के मशीन और साईंस के युग में हमारे सूबे के अन्दर ज्यादा से ज्यादा टैक्नीशन तैयार किए जाएं। स्पीकर साहिब, इसमें कोई शक नहीं कि यू. एस. ए., यू. एस. एस. आर, यू. के., कैनेडा और दूसरे मगरबी मुमालिक ने आज जो साईंस की तरक्की की है वह इन्हीं टैक्नीशन्ज़, साइंटिस्ट्स के ज़रिये की है। चीन में भी तीन चार साल पहिले 80,000 के करीब रशियन एक्सपर्ट काम करते थे और आज चीन ने इस कदर अपने टैक्नीशन पैदा कर लिए हैं कि सिर्फ 10,000 रशियन एक्सपर्ट अब वहां पर देखने को मिलते हैं।

फिर जहां तक इम्पलीमेंटेशन आफ क्राफ्टसमेन ट्रेनिंग की स्कीम का सम्बन्ध है इस स्कीम के तहत पंजाब में 30 हज़ार क्राफ्ट्समैन तैयार किए जाने हैं। इस के सम्बन्ध में मैं अर्ज़ करता हूं कि पंजाब के बजट में 2,384 सीटों के लिए प्रोवीयन की गई है। यह सारी की सारी जितनी स्कीमें हैं बहुत अच्छी हैं। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान दो-तीन चीज़ों की तरफ दिलाना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान में सारे पंजाब में जब हम यह सारी चीजें देखते हैं तो पता चलता है सारी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने के बाद कि जहां तक हमारे इस प्रान्त का सम्बन्ध है, इस के अन्दर जहां हम ने एक तरफ बड़ी तरक्की की है वहां हमारी स्टेट पर कर्ज़ा भी बढ़ा है। हम देखते हैं कि आज़ादी हासिल करने के 15 या 16 साल बाद जो हमारे फाइनेंन्स सैक्रेटरी ने इस साल के बजट के साथ अपना मैमोरेंडम दिया है उस से पता चलता है कि जहां पहली अप्रैल, 1962 को हमारी यह हालत थी कि हमारी स्टेट के ऊपर 2 अरब 79 करोड़ और 94 लाख रुपए कर्ज़ था वह अब पहली अप्रैल, 1963 को बढ़ कर 3 अरब, सात करोड़ और 47 हज़ार हो जाएगा। इतना कर्ज़ हमारी स्टेट पर पहली अप्रैल, 1963 को होगा ....

बाबू बचन सिंह : ग्रौन ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर सर । स्पीकर साहिब, ग्रापने फरमाया था कि हरेक मैम्बर को इतने इतने मिनट बोलने के लिए दिए जाएंगे क्या यही चीज जो मैम्बर साहिब ग्रब बोल रहे हैं उन पर भी एप्लाई की जाएगी ?

Mr. Speaker : As far as humanly possible. I am asking him to wind up.

The hon. Member should try to wind up now.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, मैं ने पण्डित मोहन लाल जी से ग्रर्ज़ की है कि वह ग्रपने टाइम में से कुछ समय मुझे बोलने के लिए दे दें ग्रौर वह मान गए हैं ।

Mr. Speaker : He cannot give the time by proxy. The hon. Member can speak for another five minutes.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, प्वाइंट ग्रभी बहुत से हैं जिन पर मैंने ग्रभी बोलना है, इस लिए 5 मिनट थोड़े होंगे ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : पार्टी की तरफ से ग्राप को दरखास्त की जा सकती है...

Mr. Speaker : Party can not dictate to me. It is for me to decide.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि इस साल यकम ग्रप्रैल को हमारी स्टेट पर तीन ग्ररब, 7 करोड़, 47 हजार रुपये कर्ज़ होगा जो एक बहुत बड़ी रकम है । सिर्फ इतना ही नहीं, इस के ग्रलावा एक ग्रौर बड़ी ग्रहम बात है जिस की तरफ मैं हाउस की ग्रौर ग्रपनी सरकार की खास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं । वह यह कि इस कर्ज़ पर हम पर 12 करोड़, 40 लाख ग्रौर 96 हज़ार रुपए इंट्रैस्ट हर साल पड़ रहा है । ग्राप ग्रन्दाज़ा लगाएं कि यह जो इंट्रैस्ट की रकम हमें हर साल देनी पड़ रही है यह उस रकम से भी डबल बनती है जो पिछले साल हमने नई टैक्सेशन से वसूल की थी ग्रौर इस साल की जो टैक्सेशन से रकम वसूल होगी । उन दोनों को हम मिलाएं तो भी यह इंट्रैस्ट की रकम उस से दुगनी है जो हमें उस कर्ज़ का देना पड़ रहा है जो हमारी स्टेट के ऊपर है । जब हम इस बजट को इस प्वायंट ग्राफ व्यू से देखते हैं तो यही कहना पड़ता है कि यह चीज़ कुछ ग्रच्छी नहीं है । इस लिए, स्पीकर साहिब, मैं ग्राप के द्वारा पंजाब गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ उन्हें खास तवज्जोह देने की ज़रूरत है ।

हमारे देश के प्लैनिंग कमिशन ने यह फैसला किया हुग्रा है कि 1971 में जबकि हमारा फोर्थ प्लैन पूरा हो जाएगा तो हमारे देश की इनकम डबल हो जाएगी । इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि सारे देश में पंजाब ही एक ऐसा सूबा है जो सब से पहले इस चीज़ में पूरा उतरेगा । ग्रभी हाल ही में कौंसिल ग्राफ नैश्नल एप्लाइड इकनौमिक रिसर्च ने जो ग्रपनी रिपोर्ट छापी है उसमें उन्होंने दिया है कि इस मामले में सारे देश में टाप मोस्ट स्टेट हमारे पंजाब की है जिस ने ग्रपनी पर-कैपिटा इनकम 261 रुपए कर ली है । उन्होंने यह ध्येय हमारे सामने रखा हुग्रा है कि 1,114 करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट करने के साथ पंजाब की पर-कैपिटा इनकम 75 प्रतिशत बढ़ सकती है ग्रौर सारे पंजाब की इनकम 40 प्रतिशत ग्रौर बढ़ सकती है । इन चीज़ों को देख कर मैं नहीं समझ सका कि हम यह किस तरह से बढ़ा सकेंगे इस लिए मैं ग्रर्ज़ करता हूं कि ग्राज हमारे सामने सिर्फ डिफैन्स ग्रौर वार का सवाल ही नहीं है । ग्रगर इस देश ने तरक्की करनी है ग्रौर ग्रगर इस पंजाब राज्य ने तरक्की करनी है तो हमें

आइंदा भी इसी तरह के बजट बनाने होंगे । पीस टाइम के अन्दर भी अगर हम इसी तरह के बजट नहीं बनाएंगे तो हम यह सारे निशाने, जो हम ने अपने लिए बना रखे हैं, हासिल नहीं कर सकेंगे। हम जब 1971 तक पंजाब में 26 लाख और आदमियों को एम्प्लायमेंट देने जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसे बजट बनाने के बगैर हम कैसे यह सारी चीजें कर पाएंगे। फिर आज जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमारे सामने वार की भयानक शकल आ गई है यह सिर्फ हिन्दुस्तान की वार नहीं है। अगर आप सारे बार्डर को देखें तो जो हमारा नार्थवैस्टर्न बार्डर चीन के साथ लगता है उस का मिडल सैक्टर 320 मील लम्बा है जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगता है। इस से पता चलता है कि हमारा पंजाब इस बार्डर वार की सीधी ज़द के अन्दर पड़ता है। इस हालत का मुकाबला करने के लिए अगर यह टैक्सेशन प्रोपोज़ल्ज़ आई हैं तो यह ठीक हैं क्योंकि जब देश की एग्ज़िस्टेन्स को खतरा हो, जब देश की आज़ादी को खतरा हो और देश की रक्षा का सवाल देश की जनता के सामने हो और जब वार और पीस का सवाल हो तो ऐसी टैक्सेशन प्रोपोज़ल्ज़ का लाना लाज़मी हो जाता है। लेकिन इस के मुताबिक टैक्सेशन किस तरह से और किस शक्ल में लगाई जाए, इस चीज़ पर अच्छी तरह से विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि आज जितने टैक्स लगाए जा रहे हैं इन पर अगर हम गौर कर के देखें तो यही अन्दाज़ा लगेगा कि यह तमाम टैक्स ज्यादातर कामन मैन को अफैक्ट करते हैं। जब हम यह समझते हैं कि पीस टाइम में भी हमें अपनी डिवैल्पमेंट की स्कीमों को पूरा करने के लिए टैक्स लाने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि हम अपने देश की इकानोमी को बदलना चाहते तो मेरी यह राए है कि हमारी जो टैक्सेशन पोलिसी है इस को हमें बदलना होगा और इस के अन्दर....

Mr. Speaker : The hon. Member should wind up within two minutes time.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक मौजूदा टैक्सेशन का ताल्लुक है इस का असर ज्यादा तर पूअर मैन पर पड़ता है और हमें टैक्सेशन पालिसी को बदलना चाहिए ताकि पूअर मैन पर कम बर्डन पड़े। आप इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी को देख लें। इस का असर बहुत ज्यादा पूअर मैन पर पड़ता है और रिच्चर क्लासिज़ पर कम पड़ता है। अगर इस ड्यूटी की तफसील में आप जाएं तो आप को पता चलेगा कि 15 यूनिट तक, जो आम तौर पर गरीब तबका के लोग बिजली कन्ज्यूम करते हैं, यह ड्यूटी 9.48 नये पैसे के हिसाब से बढ़ेगी और उस से ज्यादा पर जो अमीर आदमी कन्ज्यूम करते हैं सिर्फ दो नये पैसे के हिसाब से बढ़ेगी।

फिर आप देखें कि जो टैक्स एक्स्ट्रा लैंड रैवेन्यू की शकल में शूगरकेन, काटन और चिल्लीज़ पर लगाया जा रहा है उस का नया असर लोगों पर पड़ने वाला है। एक तरफ तो हम कहते हैं और सारे हिन्दुस्तान के नेता लोग कहते हैं कि प्राइसिज़ नही बढ़ने देनी चाहिए और जो प्रोडक्शन है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, दूसरी तरफ हम यह टैक्स लगा कर एक तो कीमतें बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस टैक्स से इन चीजों की कीमतें तो लाज़मी तौर पर बढ़ेंगी, दूसरा इस से प्रोडक्शन बढ़ने की बजाए कम हो जाएगी क्योंकि किसान का, ज़मीदार का, इन चीज़ों

[कामरेड राम किशन]
को काश्त करने का जो पहले इन्सैंटिव था वह खत्म हो जाएगा । इस सिलसिले में आप चीन की मिसाल देखें । मौजूदा चीन की जो सरकार बनी है इस से पहले वहां मार्शल च्यांग काई शेक की सरकार थी । मार्शल च्यांग काई शेक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और आला दर्जे के आप जनरल भी थे और उन के पास बड़े अच्छे आर्म्ज़ भी थे और फौजें भी बड़ी अच्छी थीं लेकिन वह कम्युनिस्ट फौजों से हार गए और उस का कारण यह था कि वहां चीज़ों की कीमतें इनफ्लेशन की वजह से बहुत बढ़ गईं जिस की वजह से उस के फौजी कम्यूनिस्टों के पास अपने आर्म्ज़ बेच आते थे और आप उधर चले जाते थे । इस का नतीजा यह हुआ कि वहां चाऊ एन लाई की सरकार बन गई । इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम पंजाब के अन्दर आम ज़रूरत की कमोडिटीज़ की प्राइसिज़ को कायम रखें और प्राइसिज़ बढ़ाने न दें और अगर इन कमोडिटीज़ की प्राइसिज़ को हम ने कायम रखना है तो इन की हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ज़मींदारों को इनसेंटिव देना होगा । एक तरफ तो हम यह कहते नहीं थकते कि 'Price line is our life line. Let us hold it.' और दूसरी तरफ हम ऐसे टैक्स लगा कर प्राइसिज़ के बढ़ाने का मूजब बन रहे हैं । इस लिए हमें इन टैक्सों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है । इसी तरह से सेल्ज़ टैक्स के बढ़ जाने से यह सारा सिलसिला होगा...........

Mr. Speaker : One minute more. Kindly try to wind up.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, आपोज़ीशन के कई सदस्य 40, 40 मिनट बोले हैं, आप मुझे भी कम अज़ कम इतना टाइम तो दें ।

Mr. Speaker : Sixty seconds are at your disposal. You should kindly try to wind up.

कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, मैं आप से यह अर्ज़ कर रहा था कि यह जितनी टैक्सेशन पालिसी है यह सारी कामन मैन को हिट करती है और अब इस को बदलने का वक्त आ गया है । हमारे प्रान्त में जो टैक्स लगे हुए हैं वह ज्यादातर नीचे के लोगों पर लगे हैं और इन टैक्सों की जिस तरह से रीयलाइज़ेशन होती है उस के लिए जो लोगों में रिज़ेंटमेंट पाई जाती है उस की तरफ पंजाब गवर्नमेंट को गौर करना होगा ।

स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत पंजाब गवर्नमेंट से एक बात और कहना चाहता हूं । जहां मैं ने पहले टैक्सेशन पालिसी के बारे में कुछ कहा है वहां अब मैं कुछ ऐजुकेशन के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । यहां बजट पर बहस में ऐजुकेशन के बारे में बहुत कहा गया है । मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर ऐजुकेशन को हम ने आज के हालात के मुताबिक चलाना है.... (विघ्न)

फिर, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक इस देश के डिफेंस का ताल्लुक है, इस को मजबूत बनाने की जरूरत है । यह हमारी खुशकिस्मती है कि पंजाब ने इस दिशा में कदम उठाए हैं । हमारी आबादी की हर सातवीं फैमिली का एक आदमी फौज में है । पंजाब एक सरहदी सूबा है । इस नाते इस की बड़ी जिम्मेदारी है । पंजाब ने पर-कैपिटा काफी कण्ट्रीब्यूशन दी है मगर यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है । दूसरी जंगे अज़ीम में 4,000 करोड़ रुपया जमा किया गया था और फिर आज तो हालात ही और हैं । यह भी देखने की बात है कि हमें किस दुश्मन से वास्ता

पड़ा है। चीन हर साल एक हजार मिलियन रुपया खर्च करता है और जितना रुपया हम ने पिछले दस सालों के अन्दर खर्च किया यानी 2,700 करोड़ रुपया दो साल के अन्दर खर्च करता है। तो हमें यह देखना है.........

Mr. Speaker : Wind up please. I will allow two Members from the Opposition to speak.

श्रीमती शन्नो देवी (उपाध्यक्षा) : स्पीकर साहिब, मैं चाहूंगी कि आप मुझे जितना समय देंगे वह आप पहले ही बता दें। उस से ज्यादा मैं एक सैकंड भी नहीं लेना चाहती।

श्री अध्यक्ष : आप 15 मिनट बोल लें। (You can speak for 15 minutes.)

श्रीमती शन्नो देवी : बहुत अच्छा जी। मैं नहीं चाहती थी कि हाउस का समय लूं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन को कि कुछ वक्त के बाद बोलना बन्द कर देना चाहिए मगर कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाया करता है जब उन को बन्द की हुई जबान खोलने की जरूरत पड़ जाया करती है। आज जब इस देश को, जिसको हजारों लाखों नौजवान बहिनों और भाइयों ने अपनी कुर्बानियां दे कर आज़ाद कराया था, खतरा हो, उस पर दुशमन मंडराए तो उस वक्त हमारा जो फर्ज़ बनता है अगर मैं उसे न निभाऊं तो मैं अपने फर्ज़ से कोताही करूंगी। इस लिये इस हाउस का कुछ कीमती वक्त लेने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। मुझे खुशी होती अगर इस वक्त सरदार प्रताप सिंह जी कैरों यहां होते या उन तक मेरी यह आवाज़ पहुंचा दी जाए ताकि उन को पता चले कि मेरे फीलिंग्ज़ क्या हैं। (विघ्न) मैं अपनी इस वैलफेयर स्टेट को बहुत आगे बढ़ा हुआ देखना चाहती हूं और यह मैं सरदार प्रताप सिंह की लीडरशिप में देखना चाहती हूं। इस विषय में शास्त्र में एक श्लोक आया है जिस का अर्थ है कि 'हे राजन अगर तुम इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो तो इस बछड़े रूपी प्रजा का बछड़े की ही तरह पालन करो। अगर इस की पालना अच्छी तरह से नहीं करोगे तो यह गाय दूध नहीं देगी। अगर तुम ने प्रजा की पालना अच्छी तरह से की तो यह कल्प वृक्ष की तरह नाना प्रकार के फल तुम्हें देगी (तालियां) आज यह हो रहा है कि कौन इस तरफ बैठा है, कौन उस तरफ बैठा है और एक ज़बरदस्त पार्टीबाजी चल रही है। अगर हम इसी में लगे रहे तो देश खुशहाल कैसे होगा, हम चीन को अपने देश से निकालने की कैसे कोशिश कर सकेंगे ? इस लिये मैं चाहती हूं कि देश में, हमारे सूबे में जो हकूमत चले वह अच्छे ढंग से चले। आज टैक्स लगाए गए हैं। मैं भी चाहती हूं कि सरकार खसारे में न रहे और जो घाटा है इस को निकालने का रास्ता भी मैं बाद में बताऊंगी मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि जो टैक्स लगाए गए हैं उन को देख कर मुझे निहायत अफसोस हुआ।

(At this stage, Sardar Gurnam Singh, a member of the Penal of Chairmen, occupied the Chair.)

मैं हिसाबदान तो नहीं हूं। जो थोड़ा बहुत इस बारे में जानती हूं उस से मुझे यही समझ आया है कि अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब हो जायेंगे। (आपोज़ीशन की तरफ से तालियां) चेयरमैन साहिब, मैं आप की विसातत से अपने इन भाइयों से दरखास्त करती हूं कि वह ताली न दें और ईंटरप्ट न करें। अगर यह मेरे हाल पर इतना रहम कर सकते हों तो करें मैं किसी से तारीफ कराने या निन्दा सुनने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं। मेरे विचार तो मेरी बहन राजकुमारी अमृत कौर ने अपनी आतमा की आवाज़ बता कर जाहिर कर दिये हैं। उन को

[श्रीमति शन्नो देवी]
भी महात्मा जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे भी उन के चरणों में बैठने का मौका मिला था जिन्होंने कि देश की आत्मा को जगाया था। (तालियां) मैं कैसी स्टेट देखना चाहती हूं ? एक बार एक महात्मा घूमते घमते किसी राजा के दरबार में पहुंच गए। घमना ही तो फकीरों का काम है। आदर सत्कार के बाद राजा ने पूछा कि क्या भोजन करेंगे। तो महात्मा ने सिर मारा। तो राजा ने पूछा कि आपने सिर क्यों मारा, क्या खराबी देखी है आप ने। उस ने कहा कि मेरे राज में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस भी नहीं है। यहां पर चीन का हमला हुआ, फंड खुला। गरीबों और मजदूरों ने पेट काट कर ज्यादा मज़दूरी कर के हिस्सा डाला, कोई बहिन अगर कपड़े सी कर गुजारा करती थी तो उस ने ज्यादा काम कर के बाजार से सोना खरीद कर फंड में दिया मगर सरमायादारों ने अपना माल तीन तीन तालों के पीछे रख लिया। तो आगे उस ने कहा कि मेरे राज में कोई शराब भी नहीं पीता, कोई खुदगर्ज भी नहीं है, न ही अनपढ़ है, मेरे राज में कोई आदमी व्यभिचारी नहीं है तो स्त्री व्यभिचारिणी क्या होगी। यह है आदर्श स्टेट जो कि मैं देखना चाहती हूं। इस मियार से हकूमत चलनी चाहिए। मुझे हकूमत या सर्विसिज़ के खिलाफ कुछ कहने की आदत नहीं है। मैं खुद हकूमत का कोई खास जुज़ भी नहीं हूं। लेकिन यह सूबा मेरा है। यह हकूमत मेरी है। मुझे तो इस तरह से हकूमत चला कर दिखाओ। किसी देश को ऊपर उठाने के लिये खास किस्म के नेताओं की जरूरत होती है। हीरे और मणि की परख कोई जौहरी ही कर सकता है। धूल में पड़ा हुआ हीरा आम आदमी के लिए कंकड़ ही है मगर पारखी उस की परख कर के उसे चुन लेता है। तो मैं कहना चाहती हूं कि इस देश को ऊपर उठाने वाले वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस को पहले साबत कर दिया और कुर्बानियां करने से पीछे नहीं रहे। अगर आज उन पर विश्वास न किया जायेगा तो देश बच नहीं सकता। इस बारे में किसी ने कहा है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हुआ करती, आत्मा अपने आप बोलती है। मन में सच्चाई होगी तो बाहिर आयेगी, मन में खराबी होगी तो वह भी बाहिर आयेगी। सिर्फ मिसाल कायम करने की जरूरत पड़ती है।

संस्कृत का एक श्लोक है जिस का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही दूसरे भी करते हैं। आज़ादी हासिल करने के लिए बड़े लोगों ने कुर्बानियां कीं तो दूसरे उन के पीछे चलने लगे।

जहां तक एमर्जेंसी का ताल्लुक है उस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह अभी टली नहीं है। जो समझते हैं कि यह खत्म हो गई है वह भारी भूल में हैं। चीन हमारे देश पर भले ही हमला न करे, कोई और देश भी चाहे न करे मगर हमें तो ज़िन्दा रहने के लिये खुद को मज़बूत बनाए रखना है। यह हमारा सब का फर्ज़ है।

चेयरमैन साहिब, मैं आपकी मार्फत चीफ मिनिस्टर साहिब को मुबारिकबाद भी पेश कर देना चाहती हूं कि उन्होंने वज़ारत में नुमायां कमी की है। लेकिन चाहे आज के अखबारों में कुछ और ही छपा है, फिर भी उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में वज़ारत का नम्बर कम करने की जो मिसाल कायम की है मैं आशा करती हूं कि वह उसको बरकरार ही रखेंगे। इसलिए मैं उन्हें और भी मुबारिकबाद पेश करती हूं।

मैं 1940 से यानी 22 वर्ष से मैम्बर हूं और मैंने एक ज़माना देखा है। तो मैं उस संतरी की बात कहना चाहती हूं जो रात को घर आता है तो उसकी बीवी पूछती है कि क्या

बच्चों के लिए सब्ज़ी लाए ? तो वह बेचारा चुप रह जाता है । आज हमारी गवर्नमेंट ने उनकी तनखाहें बढ़ाई तो मुझे खुशी हुई । मैं तो यही कहती हूं कि जो छोटे मुलाज़म हैं उनकी तनखाहें 100 रुपए से कम नहीं होनी चाहिएं । मैं अब की बार ऐसे हलके से आई हूं जहां कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता था । यह जगाधरी का इलाका जिसको खां साहिब ने कहा कि 160 गांव हैं जगाधरी और जमुनानगर दोनों को मिला कर । उसको 1946 में जहां मैंने छोड़ा था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है । इसकी तरफ खास ध्यान दिया जाना चाहिए । मैं देखती हूं कि 1946 से म्युनिसिपल कमेटी का इलैक्शन वहां पर हुआ ही नहीं है । वहां पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है लेकिन जमुनानगर के ईम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के मेम्बर साहिब अपनी ही इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं । इसी तरह जगाधरी में एक ट्रस्ट है, वहां के एक मैम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर हैं और बिजली के मालिक हैं । मेरी अपनी राय यह है कि इन दोनो ट्रस्ट्स को मिला कर एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना दिया जाए । वहां पर लेबर बढ़ रहा है, लेबर कालोनीज़ बढ़ रही हैं । मैं यह भी बतला देना चाहती हूं कि यही लेबर तबका और गरीब तबका ऐसा है जिसके अन्दर कु निी करने का मादा है और इस एमर्जेन्सी में जितना रुपया मुफ़लिसों ने दिया है, उतना सरमायेदारों ने नहीं दिया । जमुनानगर में एक शुगर मिल है । 1946 में वह मिल बहुत छोटी थी लेकिन अब वह बहुत बड़ी हो गई है : साथ ही वहां पर बड़े बड़े अफसरों की शानदार कालोनीज़ हैं लेकिन अगर बाहिर जाएं तो सड़क पर इतनी गंदगी है कि आदमी खड़ा तक नहीं हो सकता । लेकिन म्युनिस्पैलिटी के मैम्बर कुछ नहीं करते उसके लिए । इसकी बीमारी कहां है वह भी मैं बतलाना चाहती हूं । जो ट्रक्स वाले हैं वह अपने ट्रकों में बहुत ज्यादा 8-8, 10-10 फुट ऊंचा गन्ना लाद लेते हैं और खड़े रहते हैं । इससे जनता को बड़ी तकलीफ होती है और सड़क रुक जाती है लेकिन गवर्नमेंट ने फिर ट्रकों के पर्मिट सरमायादारों को दे दिए हैं जो कभी देश के काम नहीं आते हैं ।

इसके बाद मैं यह कहना चाहती हूं कि जमुनानगर जो इतना बड़ा शहर है, उस म अभी तक कोई अस्पताल नहीं है । वहां पर एक गवर्नमेंट कालेज और एक गवर्नमेंट हास्पिटल की सख्त ज़रूरत है । कचहरियों का भी यही हाल है, न तीतर न बटेर, न जगाधरी में और न जमुनागर में । मैं यह कहना चाहती हूं कि हम इस तरह से खर्च करें कि इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें ।

एक बात इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहना चाहती हूं कि पहले से अब थोड़ा अन्तर तो आया है लेकिन जितना कोटा मिल सकता है वह ज्यादा से ज्यादा वहां के सरमायेदारों को मिला हुआ है और यह तबका ऐसा तबका है जिसको अगर देश की सेवा के लिए कहा जाए तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती । इन सरमायदारों को तो हर किस्म की सहूलियतें मिल जाती हैं लेकिन वहां पर जो गरीब ठठियार हैं जो बर्तन का काम करते हैं वह अपनी जरूरतों के मुताबिक जब मांग करते हैं तो कुछ नहीं मिलता ।

एक और बात है । यहां चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर तमाम सूबे की जीपें खड़ी हुई हैं और उन के ड्राइवर भी रुके हुए हैं । इन के परिवार कहीं और हैं । इस तरह से इन लोगों को दोहरा खर्च करना पड़ता है । और जहां जहां से जीपें आई हुई हैं उन उन जगहों पर काम रुका हुआ है ।

[श्रीमति शन्नो देवी]
अगर इन्हें वापिस भेज दिया जाए तो उन का काम भी हो सकता है और ड्राइवरों को भी राहत मिल सकती है। अगर फिर ज़रूरत पड़ गई तो फिर मंगाई जा सकती हैं यह जीपें।

ट्रिब्यून कालोनी में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। वहां पर एक माइल स्टोन पर मिट्टी पड़ी हुई थी। पहले अम्बाला से जगाधरी 28 मील का रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन अब 52 या 54 मील का रास्ता तय करके आना पड़ता है। अगर वह सड़क बन जाए जिसका मैंने जीप से रास्ता तय भी किया है तो दूरी कम हो सकती है, समय बच सकता है, किराये की भी सहूलियत लोगों को हो सकती है। अगर सढौरा-पीपली की सड़क को बना दिया जाए तो लोगों को बहुत आराम हो सकता है।

जमुनानगर रेलवे क्रासिंग पर अगर फाटक बन्द हो जाए तो आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। जो शूगर मिल वाले हैं उन की मनोपली है, तो अगर उनकी गाड़ियां खड़ी हुई तो घंटे भी लग जाते हैं और रास्ता नहीं मिलता। एक दफा तो मुझे खुद बड़ेरा के रास्ते से होकर जाना पड़ा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें लोकल सैल्फ गवर्नमेंट और पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर मदद कर सकते हैं और अगर रेलवे की मदद लेनी पड़ेगी तो यह ड्यूटी मैं ले सकती हूं, मैं करवाउंगी। लेकिन इस तरफ हर तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब मैं फाइनेन्स के बारे में कहूंगी। जिस प्रकार हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने मिनिस्ट्री को कम करके इतना खर्च घटा दिया है ....(विघ्न) मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती। सब भाई काबले तारीफ हैं। जिस तरह से मेरे भाइयों तथा बहिनों ने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करके हमारे मुख्य मंत्री का भार हलका किया है उसी तरह से मैं अपनी आवाज़ आप के द्वारा मुख्य मंत्री के परसनल एडवाईज़र तक पहुंचाना चाहती हूं कि वह भी इसी तरह से दस्तबरदार हो जाएं जिस से स्टेट के खर्च में बचत की जा सके।

चेयरमैन साहिब, आज कल हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है। मैं इस के मुतल्लिक कहना चाहती हूं। किसी ने कहा है— मोतियों के नहीं लालड़े न सिंहों के झुंड। मैं यह कहना चाहती हूं कि क्वालिटी वर्क करती है, क्वांटिटी कभी भी वर्क नहीं करती। पार्टीशन से पहले तथा पार्टीशन के बाद भी कितने मिनिस्टर हुआ करते थे? उस वक्त 7 मिनिस्टर होते थे। अगर उस वक्त 7 से 9 मिनिस्टर बनाए जाते थे तो इस के बारे में कितना शोर उठता था। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मंत्री बनाए गए। अब हमारे मुख्य मंत्री ने मिनिस्ट्री घटा कर अच्छा किया है। अब एडमिस्ट्रिेशन इतनी बढ़ चुकी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इस समय पंजाब में चार फाइनेन्शल कमिश्नर हैं। मुझे पूरी फिग्गर तो मिली नहीं लेकिन जहां तक मुझे इल्म है, हर एक डिवीज़न में एक कमिश्नर होना चाहिए। लेकिन वहां भी एक से ज्यादा हैं। मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहना चाहती हूं कि युनाइटिड पंजाब में एक डायरैक्टर या जिसका नाम श्री राम नाथ चोपड़ा है और 2 डिप्टी डायरैक्टर थे, किन्तु अब इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में एक दर्जन के लगभग अफसर हैं जो कि डायरैक्टर, ज्वाइंट डायरैक्टरज़, डिप्टी डायरैक्टर्ज़ और असिस्टेंट डायरैक्टर्ज़ की पोस्टों पर नियुक्त किए गए हैं। सरकार को कुछ दिक्कतें हैं। मैं एक बात आप के ज़रिये सरकार को

कहना चाहती हूं कि अगर बजट को खसारे से बचाना चाहते हैं तो हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करना चाहिए। आप जानते हैं कि घरों के बजट गरीबी में चलते हैं और अमीरी में भी चलते हैं। इस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि अगर हमारे मुख्य मंत्री मिनिस्ट्री में एक दो बहिनों को रख लेते तो यह बचत करने की स्कीमों में सहायता कर सकती थीं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि हमारे सैंटर के कृषि मंत्री के फर्नीचर पर 45 हज़ार रुपये खर्च किए गए हैं जबकि हमारी बहिन सुशीला नायर के फर्नीचर पर 4 हज़ार रुपए खर्च हुए हैं। और बिजली पर श्रीमती सुशीला नायर ने 91 रु० 78 नए पैसे तथा श्रीमती लक्ष्मी एन. मैनन ने 65 रुपए खर्च किए हैं, इन्होंने बड़ी किफायत से सरकार का पैसा खर्च किया है। वे जानती हैं कि किस तरह से बचत की जाती है। यहां पर आपोज़ीशन की तरफ से बहुत सी बातें की जाती हैं, वह मुझे पसन्द नहीं हैं। वह तो केवल क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन आज लोगों के दिलों में सरकार का हौवा छाया हुआ है। उस हौआ को निकालने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। अगर हम अपने भाइयों के बुरे कामों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते तो क्या हम दुश्मनों के विरुद्ध कहेंगे ? जिस ने अपने दश के लिए कुर्बान होना सिखाया है उस ने भलाई कर के उस का दिखावा न करना भी सिखाया है यही बात हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाई थी कि जो कुछ बात कहनी हो वह हिम्मत से कहें और सच्चाई से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस बात का वेद मंत्र भी समर्थन करते हैं। इस लिए जब मैं अपने लिए मांगती कुछ नहीं हूं तो फिर डरने की क्या बात है ? इस लिए सच्ची बात कहने में कोई संकोच नहीं।

इस हाउस के कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम को डिस्ट्रिक्ट या स्टेट डिफेन्स कौंसिल में नहीं लिया गया है और साथ ही मांग करते हैं कि हमें उन में शामिल किया जाए। मैं कहती हूं कि पंजाब हमारी स्टेट है, हमने इस को आगे बढ़ाना है, यह बात छोड़ दी जानी चाहिए कि किसी को कमेटी में लिया जाता है या कि नहीं। मैं इस बारे में कहना चाहती हूं कि खान अब्दुल गफार खां को इस कमेटी में लिया गया है और मुझे इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, तो क्या जब देश की रक्षा का सवाल आएगा तो क्या मैं चुप बैठी रहूंगी हम ने अपने देश की रक्षा करनी है। मैं स्वयं देश के लिये आगे बढ़ूंगी और जो भी हो सकेगा देश के लिये करूंगी, मुझे डर है कि इस तकरीर के बाद फिर बीमार न पड़ जाऊं लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहती हूं उस को बिना संकोच के कहती हूं। यदि मेरे से किसी के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग हो गया हो तो उस के लिए क्षमा चाहती हूं।

चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद): चेयरमैन साहिब, पंजाब सरकार ने जो बजट पेश किया है उस के बारे में कामरेड राम किशन जी ने कहा है कि सरकार ने 13 करोड़ से बढा कर एक अरब तक कर दिया है, और इस पर कामरेड राम किशन ने जो फ़िगर्ज़ दी हैं वह ठीक ही हैं। उन्होंने कहा है कि हम पर 3 अरब 7 करोड़ कर्ज़ा हो गया है जो फिगर्ज़ मैंने कुलैक्ट की हैं वह 2 अरब 78 करोड़ और 84 लाख रूपए हैं। सूद का आप अन्दाज़ा लगाएं, वह 22 करोड़ 34 लाख है। लेकिन कर्ज़े की फिगर्ज़ 3 अरब 7 करोड़ की हैं और आप अन्दाज़ा लगाएं कि जो स्टेट इतनी मकरूज़ हो चुकी हो कि 22 से 25 करोड़ रूपए का खर्च हर साल सूद की शकल में देना पड़े तो यह प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं कहला सकती।

[चौधरी देली लाल]

प्रोग्रैसिव स्टेट वह हो सकती है जिस का खर्च डिवैलपमेंट वर्कस पर हो। कैपिटल एक्स-पैंडीचर से इस बात का अन्दाज़ा लगाया जाता है कि उस पर कितना खर्च हमारी स्टेट कर रही है। मैं इस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सोशल सर्विसिज़ पर पहले 1960-61 में 34 करोड़ रुपये खर्च होते थे जब कि 1963-64 में 20 करोड़ 6 लाख रुपये खर्च होंगे। डिवैलपमेंट सर्विसिज़ पर 1961-62 में 22.9 प्रतिशत खर्च हुआ जब कि 1963-64 में 19 प्रतिशत हो रहा है। प्रोग्रैसिव स्टेट कहने के लिए दलीलें दी जाती हैं और सरकार कहती है कि हमारा पंजाब बहुत तरक्की कर रहा है। यह चीज़ खुद ही सब कुछ साबित करती है। हमारी स्टेट जिस ढंग से चल रही है इससे जाहिर होता है कि यह आगे से ज्यादा मकरूज़ हो जाएगी। हमारे ऊपर इतना कर्जा है जिस का सूद हम कई साल तक भी अदा नहीं कर सकेंगे। इस के साथ ही साथ हमारी सरकार कमेटियां बनाती जा रही है, और उन कमेटियों की रिपोर्टों पर अमल भी नहीं किया जाता है। तो जब इन कमेटियों की रिपोर्टों पर अमल न करना हो तो इन कमेटियों के बनाने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास रिसोर्सिज़ एंड रिट्रैंचमेंट कमेटी की रिपोर्ट है। इस कमेटी के चेयरमैन श्री दरबारी लाल गुप्ता, एम. एल. सी. थे जो कि आज कल पब्लिक सर्विस कमिशन के मैम्बर हैं। इस कमेटी के सरदार दरबारा सिंह और सरदार अजमेर सिंह मेम्बर थे। अगर इस रिपोर्ट पर अमल किया जाता तो उस से 1959-60 में 7 करोड़ 14 लाख रुपये की बचत हो सकती थी और 1961-62 में 15 करोड़ 61 लाख रुपए की बचत हो सकती थी। मैं समझता हूं कि अगर इस रिपोर्ट पर अमल किया जाता तो आज जनता पर टैक्स लगाने की ज़रूरत महसूस न होती। इसी तरह अगर 1963-64 की कमेटी की सिफारशों पर अमल किया जाता है तो 22 करोड़ 17 लाख रुपये की बचत हो सकती है। चेयरमैन साहिब, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस में बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है मैं चाहता हूं कि खर्च के बारे में सरकार तवज्जो दे जो कमेटियां हमारी सरकार ने बनायी हुई हैं और अगर उन की रिपोर्टें सरकार को नामंजूर हों तो इन कमेटियों को खत्म करना चाहिए। इस के अलावा, इंतजाम किस ढंग से चलाया जा रहा है और किस ढंग से ग़बन किया जा रहा है इस के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आप के सामने पेश है, जिस के चेयरमैन कामरेड राम चन्द्र हैं। उस में रानी के महल और उस की लड़की की शादी का ज़िक्र था। उस की तफसील में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वह पहले आ चुकी है कि किस ढंग से रानी की लड़कियों की शादी के लिये पैसा दिया जाता है। चाहिये तो यह था कि किसी गरीब हरिजन की लड़की की शादी की जाती। 65, 65 हज़ार रुपया खर्च किया जाता है। इस कमेटी न इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमैंट की मैल-एडमिनिस्ट्रेशन के बार में लिखा है:

11-00 a.m.

"During the course of examination of the representatives of various departments, the Committee have come across a number of cases of maladministration, inefficiency and incompetence, but they regret to point out that in certain aspects the Industries Department has surpassed all other departments in as much as it has completely brushed a side all the precautions that are in necessary to ensure that the hard-earned money of the people is fairly and properly spent and not a single pie is wasted. It seems that in the Industries Department no such precaution has been considered necessary."

इस कमेटी की यह रिपोर्ट और रिकमेंडेशन्ज़ हैं। मैं एक जिले की मिसाल देता हूं कि जो

इंडस्ट्रियल लोनज़ दिये गए थे वह इन्होंने वसूल नहीं किये और बहुत से माफ किये गए हैं। मैं अमृतसर ज़िल के बारे में कहना चाहता हूं। उसके बारे में लिखा है :

> "The loan records of one of the districts, viz., Amritsar District up to the period ending 31st March, 1962, were completed by the Department at the suggestion of the Committee. As a result of this it was revealed that even the position in regard to the utilisation of loan was far from being satisfactory, The number of loans given in the Amritsar District for the above period was 795. Of these, loans were misutilized in 292 cases, in 49 cases the whereabouts of the loanees were not known to the Department".

जहां पर इतने लोनीज़ का पता ही न लगता हो तो आप अंदाजा लगाएं कि किस ढंग से मिस-ऐप्रोप्रियेशन हो रही है और किस ढंग से यह इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट चलता है। अब सरकार हमारे ऊपर टैक्स पर टैक्स लगा रही है। पिछले एरियर्ज़ कितने हैं, मैं केवल लैंड रैवेन्यू की फिग्गर्ज़ बताना चाहता हूं। बाकी नहीं बताऊंगा। इस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1,26,18,511 रुपये अभी तक लैंड रैवेन्यू के बकाया हैं। लम्बरदारों ने वसूल कर लिये हैं लेकिन उसे रिकवर नहीं किया गया। *(At this Stage, Mr. Speaker occupied the Chair.)* स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी सरकार अपनी बनाई हुई कमेटियों की रिपोर्ट पर भी अमल नहीं करती। पी. ए. सी. जो इस हाउस की तरफ से बनाई गई है, सरकार ने उस की रिपोर्ट पर भी गौर नहीं किया। हमारी सरकार वायदे बहुत ज़्यादा करती है। इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने एशोरेन्सिज़ कमेटी की रिपोर्ट रखता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी एक वायदा किया था कि कोई बात मेरे नोटिस में लाओ तो मैं एनक्वाइरी करवाऊंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि इस सरकार ने कितनी एशोरेन्सिज़ दी थीं। 1955 और 1956 में जब मौजूदा सरकार नहीं थी कोई ऐसी एशोरेन्स नहीं थी जो कि पूरी न की गई हो। 1957 में एक एशोरेन्स थी जो पूरी नहीं की गई। 1958 में 48 एशोरेन्सिज़ पूरी नहीं की गईं। 1959 में 19 एशोरेन्सिज़ पूरी नहीं हुईं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहां पर जितने भी वायदे किये जाते हैं वह पूरे नहीं किये जाते। बारहा गलत बयानियां की जाती हैं। सरकार अपने किये इकरारों को पूरा नहीं करती, अपनी बनाई हुई कमेटियों की रिपोर्टों पर अमल नहीं करती और फिर टैक्स पर टैक्स लगाए जाती है जिन का बोझ आम लोगों पर पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी मिनिस्टर हैं, यह बड़े बड़े अफसर हैं, उन का वास्ता पैसेंजर्ज़ टैक्स से नहीं पड़ता। मेरे जैसों को भी बस में कम सफर करना पड़ता है, लेकिन आम जनता आम तौर पर बसों में सफर करती है। इस लिये मुसाफिर टैक्स का बोझ भी गरीब जनता पर पड़ेगा। इसी तरह से सेल्ज़ टैक्स आम कन्ज़्यूमर पर पड़ेगा। स्पीकर साहिब, आप को तो मालूम ही है कि ज्वाइंट पंजाब में जिन दिनों चार आने फीसदी यह टैक्स लगाया गया था तो लोगों ने किस तरह से ऐजिटेशन चलाई थी और हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई थीं। पंजाब में कितनी हलचल मची थी और केवल चार आने फीसदी के हिसाब से यह टैक्स लगने पर लोगों ने इतनी ऐजिटेशन चलाई थी। लेकिन आज वही टैक्स बढ़ा कर छः फीसदी कर दिया गया है। यानी 24 गुना बढ़ा दिया गया है और यह आम गरीब जनता पर पड़ेगा। कामरेड राम किशन जी भी कह चुके हैं कि गन्ने और

[चौधरी देवी लाल]

कपास जैसी फसलों पर भी पांच रुपये के हिसाब से ऐडीशनल टैक्स लगाया गया है। टैक्स इतना बढ़ाया जा रहा है कि ग्राम ग्रादमी बरदाश्त नहीं कर सकेगा। प्रोलिटिकल पार्टियां पंजाब में नारा लगाती हैं कि टैक्स जो बढ़ाए वह सरकार निकम्मी है। ग्रगर टैक्स इसी तरह से बढ़ते गए तो जनता ग्रौर पोलिटिक्ल पार्टियां यह सोचने पर मजबूर होंगी कि ऐसी सरकार का मुकाबला किस तरह से किया जाए जो कि इस ढंग से टैक्स पर टैक्स बढ़ाती जा रही है। जनता बरदाश्त कर सकती है ग्रगर उस को यह विश्वास हो कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है यह उन की बेहतरी के लिये खर्च किया जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है। जब हम पी. ए. सी. की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जब हम खुरशीद ग्रहमद की स्पीच पढ़ते हैं तो जाहिर होता है कि यह जो रुपया खर्च होता है यह बड़े बड़े ग्रादमियों की मार्फत हज़म किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, ग्राप जो कोल्ड स्टोरेज ग्रौर इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिगें बनी देखते हैं यह सब इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमैंट की मदद से बनाई गई हैं। गवर्नमैंट की इमदाद से यह बनाई गई हैं। यहां पर फरीदाबाद का ज़िक्र किया गया, गन्नौर का ज़िक्र किया गया, कि किस ढंग से वहां पर ज़मीन ऐक्वायर की गई। मैं इस की तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह बातें पहले हाउस में ग्रा चुकी हैं। जब हालात इस किस्म के हैं कि हर ग्रादमी समझता है कि हमारी सरकार हर मामले में ग्रपना ही इंट्रैस्ट देखती है तो वह फ्रस्ट्रेटिड फील करता है। इंडस्ट्री है तो वह भी सरकार के ग्रपने ग्रादमियों के हाथ में है, ट्रांसपोर्ट का काम है तो वह भी ग्रपने ग्रादमियों के हाथ में है। उस में भी किसी न किसी मिनिस्टर का ग्रपना इंट्रैस्ट होगा। इन सब बातों का ज़िक्र करने से मेरा मतलब यह है कि टैक्स का जो रुपया वसूल किया जाता है उस के बारे में जनता यह महसूस करती है कि उस की बेहतरी के लिये खर्च नहीं किया जाता। पहले जो रुपया सोशल सर्विसिज़ ग्रौर कैपिटल ऐक्स्पैंडीचर पर खर्च होता था वह ग्रब कम होता जा रहा है ग्रौर टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के बारे में डींग मारी गई थी कि मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर देंगे, लेकिन, स्पीकर साहिब, ग्राज इसी बजट में इन को 70 लाख रुपया स्कूलों के बच्चों की फीस से मिलेगा। यह सरकार इस तरह से चलती है कि इस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। रेलवे की तरह से ग्रगर ट्रांस्पोर्ट को नैश्नलाइज़ कर लिया जाए तो दस करोड़ रुपये की ग्रामदनी हो सकती है। लेकिन ट्रांस्पोर्ट को नैश्नलाइज़ किया जाए तो किस तरह से किया जाए? ट्रांस्पोर्टर्ज़ को तो पैट्रोनेज दी जा रही है, ताकि उन की तरफ से इन को मदद मिलती रहे। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं कि ग्रगर कोई सेंटर की तरफ से पड़ताल करे तो मिनिस्टरों के घरों में लिफाफों में डाल कर दस दस हज़ार रुपया माहवार ट्रांस्पोर्टर्ज़ की तरफ से पहुंचाया जाता है। ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां उन को रुपया भेजती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूं कि इस तरह का चर्चा ग्राज कल चलता है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उस पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। छोटे से छोटे काम में भी ऊपर से इंटरफीयरेंस होती है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बाबत भी जब सवाल ग्राया तो वहां भी साफ तौर पर बताया गया कि एक पोलिटिकल पार्टी के लोग डिस्ट्रिक्ट

आफिसर्ज के साथ साथ जा कर काम करवाते हैं । इस डायरैक्ट इंटरफीयरेंस से लोगों के दिलों में इस किस्म का ख्याल पैदा हो गया है कि अब कोई काम हो ही नहीं सकता । कोई काम नहीं हो सकता जब तक कि ऊपर किसी इन्फलयूएन्शल आदमी की एप्रोच न हो । यही वजह है कि आज पंजाब के अन्दर आम जनता को बहुत भारी दिक्कतों और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है ।

इस के अलावा जहां तक सरकार की ज़मींदारों की भलाई और बेहतरी करने की पालिसी का ताल्लुक है उस की बाबत भी मैं आप को वह पहला वक्त याद दिलाना चाहता हूं जिन दिनों पंजाब में यूनियनिस्ट सरकार कायम थी जिसे कि ज़मींदारों की सरकार के नाम से पुकारा जाता था । उस को रियैक्शनरी सरकार कहा जाता था । उस सरकार ने कर्ज़ा बिल पास किया था । उस बिल से अरबों रुपये के कर्ज़े से छुटकारा हुआ । उस वक्त यही लोग उस सरकार की मुखालिफत किया करते थे । लेकिन आज जो यह सरकार ज़मींदारों की बहबूदी का दम भरती नहीं थकती उन के लिये क्या कर रही है ? खेतों में ज़मींदार मेहनत से पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन बजाय उस की मदद करने के उस पर टैक्सों का बोझ लादा जा रहा है । किसी तरह से कर्ज़ों की सैंक्शन नहीं मिलती । जो कर्ज़े दिए भी जाते हैं वह बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दिए जाते हैं, बड़े बड़े लैंडलार्डों को दिए जाते हैं । आम किसानों को कुछ भी मदद नहीं मिलती ।

हरिजनों का भी यह सरकार बहुत दम भरती है । जहां तक हरिजनों की हमदर्दी का ताल्लुक है पिछले साल जब इस हाऊस में टैम्परेरी टैक्सेशन बिल लाया गया तो उसकी स्टेटमैंट आफ एम्ज़ एंड आबजैक्ट्स में लिखा था कि यह रुपया हरिजनों के लिए मकान बनाने के सिलसिले में सर्फ किया जाएगा । लेकिन आज उस से बिल्कुल इनकारी है । पता नहीं कि वह रुपया कहां चला गया । स्पीकर साहिब, दम दिलासे तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन असल में उन वायदों को कभी पूरा नहीं किया जाता ।

इसी सिलसिले में मैं एक मिसाल आप के सामने पेश करता हूं । यह कुल्लु में इलैक्शन के वक्त की बात है । दरियाए पारबती के पास एक लारजी नाम की जगह है । इलैक्शन के दिनों में वहां पर चीफ मिनिस्टर साहिब से यह डिमांड की गई कि यहां पर पुल बनवा दो और दो अढ़ाई मील सड़क को बना दो । वादा किया गया । सन् 1957 की इलैक्शन के वक्त भी वादा किया गया लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ । मैं और बाबू अजीत कुमार वहां ही थे । हमने उन लोगों को बताया कि आप के लिए पुल या सड़क वगैरह कुछ नहीं बननी । इन के वादे तो हमारे पंजाबी में जिसे लारालप्पा कहते हैं, वैसे ही होते हैं । यह साहिब पंजाब में भी लारालप्पा लगाते हैं और आप लोगों के साथ भी वही होगा । और जब मैं ने लाहौल और स्पिति के लिए बजट को देखा तो वहां पर न मुझे कोई सड़क नज़र आई, न पुल । इस तरह से उन लोगों के साथ जो वादे किए थे वह पोलिटिकल ढंग के वादे ही साबित हुए ।

इसी तरह से चार साल पहिले अबलाना से सिरसा तक सड़क बनाने का वादा किया था । लेकिन उस सड़क को वहां से उठा कर किसी दूसरी तरफ कर दिया । इसी तरह से दरियाए घग्गर के पुल का वादा किया था, वह भी पूरा न किया । बजट में पैसे तो ले लिए जाते हैं लेकिन मालूम नहीं कि कहां चले जाते हैं ।

[चौधरी देवी लाल]

इसलिए, स्पीकर साहिब, ज़्यादा न कहता हुआ मैं यही अर्ज़ करूंगा कि जिस ढंग से सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ा रही है, जिस ढंग से कोरप्शन चल रही है और खुद अपनी बनाई हुई कमेटियों की सिफारिशात पर अमल नहीं होता उस से पंजाब की जनता के अन्दर बेचैनी और सरकार के लिए बदएतमादी बढ़ रही है। आज के ऐमर्जेंसी के हालात में मैं समझता हूं कि सरकार को इस ढंग से चलना चाहिए जिस से यह बदएतमादी दूर हो। ट्रैज़री बैंचों से बोलने वाले दोस्तों की तरफ से जो तकरीरें हुई उन में भी लुके छुपे इन्हीं सैंटिमेंट्स को बयान किया गया। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस ढंग से बजट तैयार करे जिस से सही मायनों में प्रोग्रेसिव स्टेट हो। जो टैक्स लगाए गए हैं वह आम लोगों पर पड़े हैं। उन की जगह इन को चाहिए कि ट्रांस्पोर्ट को नैशनलाइज़ करें और रिसोर्सिज़ एंड रिट्रैंचमैंट कमेटी की सिफारिशात पर अमल करें ताकि लोगों पर टैक्स न लगाने पड़ें। इन अल्फाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे कुछ ज़्यादा वक्त दिया।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास बीस पचीस दोस्तों ने लिखकर भेजा है कि उन को बोलने के लिए वक्त दिया जाए। वक्त तो अब बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दो आनरेबल मैम्बर साहिबान और बोल सकेंगे। उन से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वह विदिन लिमिट रह कर अपनी अपनी स्पीच को खत्म कर दें क्योंकि अगर मैं बार बार "वाईंड अप, वाईंड अप" कहूं तो वह अच्छा नहीं लगता। (I have received a request in writing from twenty or twenty-five hon. Members that they should be given time to speak. The time at our disposal is short. At the most only two hon. Members can speak and I would request them also to finish their speeches within the time limit. It does not look proper that the Chair should interrupt them again and again by saying wind up please.)

एक माननीय सदस्य : टाईम एक घंटा बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : काश्मीर से आए हुए दोस्तों को दोपहर का खाना दिया गया है। इसलिए अब टाइम को बढ़ाने में मुश्किल होगी। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो I shall try to extend the sitting by 10 to 15 minutes today. (The hon. friends from Kashmir have been invited to lunch. It will, therefore, be difficult to ex end the time further. However, if it is felt necessary, I shall try to extend the sitting by 10 to 15 minutes today.)

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਈਟਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਵਖਰੀ ਮੱਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੈਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2,170 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਿਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਖਰੀਆਂ ਜਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਮਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 60—65 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਾਹਮਣ ਹੋਣ, ਜੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਮਗਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

[ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ]

ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਏਸ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਤਕ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(*At this stage, Shri Balramji Dass Tandon rose to speak*)

Mr. Speaker : I would expect the hon. Member to confine himself only to a few points.

श्री बलरामजी दास टंडन : मुझे कितना समय मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आठ दस मिनट से ज्यादा नहीं होंगे । (The hon. Member can speak for eight or ten minutes at the most.)

श्री बल रामजी दास टंडन (अमृतसर, पश्चिम) : जितना समय आप देंगे उतना ही बोलूंगा ।

स्पीकर साहिब, जो बजट इस हाउस के अन्दर पेश किया गया है उस के बारे में मुझे नहीं कहना है कि इस के ऊपर जो उम्मीदें लगा कर पंजाब के लोग बैठे थे इस से उन्हें बड़ी भारी निराशा हुई है । इस बजट को हम यह समझते थे कि इस साल का बजट इस बात की शहादत होगा कि It is shadowed by Emergency. एमर्जेंसी का इस के ऊपर कोई असर है । लेकिन इस बजट को देख कर, इस की तफसीलात को पढ़ कर, मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि इस बजट के बारे में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस के ऊपर एमेंर्जेंसी की हालत का कोई असर है, क्योंकि सरकार को जो किसी किस्म के इकानोमी मैयर्ज़ लाने चाहिए थे उन के मुताल्लिक इस में कुछ बताने की कोशिश नहीं की गई और जो टैक्सेशन प्रोपोजल्ज़ हैं उन के आखीर में लिखा है कि बजट में जो डैफिसिट है वह तो कवर हो जावेगा बाकी सिर्फ 66 लाख रुपये का गैप रह जाएगा और इस 66 लाख के गैप को पूरा करने के लिए सरकार कुछ इकानोमी मैयर्ज़ लाएगी । मैं हैरान होता हूं यह देख कर आज देश के ऊपर संकट है, देश पर आपत्ति है और इस संकट और आपत्ति के अन्दर जब इस सूबे ने एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में डालना है और इस एमेंर्जेन्सी की हालत में इस ने काम करना है तो इस गवर्नमैंट को इस के लिए काफी इकानोमी मैयर्ज़ लाने चाहिए थे । जैसा के मेरे कुछ साथियों ने बताया है रिसोर्सिज़ एंड रिट्रैंचमैंट कमेटी ने कुछ बातें इकनोमी मेयर्ज़ लेने के लिए बताई थीं या different मौकों पर बचत की कई चीज़ें बताई गई थी । सरकार ने उन की तरफ ध्यान नहीं दिया बलिक इस ने

इस किस्म के अखराज़ात को बढ़ाने की कोशिश की है जिस से मालूम होता है कि सरकार के दिल और दिमाग पर इस एमर्जेन्सी की हालत का कोई असर नहीं है जो इस मुल्क पर और इस सूबे में आज छाई हुई है और इस से यह ज़ाहिर होता है कि इस को इस बात का अहसास नहीं है कि इस एमर्जेन्सी की हालत में इस ने भी कोई कंट्रीब्यूशन देनी है। अगर यह चीज़ इस ने महसूस की होती और इस बारे में इस ने कुछ किया होता तो मैं समझता हूं कि यह इस के लिए बधाई की पात्र थी। लेकिन यह इस बात को न कर के उल्टा ऐसे टैक्सेशन मैयर्ज़ लाई है जिन का असर छोटे आदमियों पर या दरम्याने तबके के लोगों पर पड़ता है। इन टैक्सों का असर उन लोगों पर पड़ता है जिन में से हमें इंटलिजेंट लोग मिलते हैं, जिन के अन्दर हमें इंजीनियर मिलते हैं, जिन के अन्दर फौज के लिए सिपाही मिलते हैं, जिन में से हमें कारखानों में काम करने वाले आदमी मिलते हैं। यह जो टैक्सेशन मैयर्ज़ लेकर आए हैं, इन का असर इन सब लोगों पर पड़ता है। लेकिन, स्पीकर साहिब इस एमर्जेन्सी की हालत में इस बात की बहुत ज़रूरत थी कि छोटे तबके के लोगों पर टैक्स न लगाए जाते। आज से पिछले 15, 16 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हकूमत सारे देश में भी और इस सूबे के अन्दर भी कांग्रेस की रही है। इस से उम्मीद की जाती थी कि यह देश के नैशनल कैरैक्टर को ऊंचा ले जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इस के उलट है। चाहे हम यहां बड़े बड़े डैम बनाने की कोशिश करते हैं, सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए कारखाने लगाने के प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन इन से देश को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने नैशनल कैरैक्टर को ऊंचा करने में कामयाब नहीं हो जाते। जब तक सरकार इस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं करेगी तब तक इन विकास के कामों से देश को कोई लाभ होने वाला नहीं। यह ठीक है कि कुछ शोब्दों के अन्दर हम ने थोड़ी बहुत तरक्की की है और हमारे उद्देश्य के साथ इन शोब्दों में कार्रवाई हुई है। लेकिन नैशनल कैरैक्टर बिल्ड करने में हम ज़रा भी कामयाब नहीं हुए, बल्कि हमारा नैशनल कैरैक्टर आगे से भी नीचे की तरफ गिरा है और यह साफ नज़र आता है अगर हम किसी आदमी के कैरैक्टर को गौर से देखने की कोशिश करें, अगर हम बाहिर न जाएं, इसी हाउस में देखें, तो यह बात साफ नज़र आती है। स्पीकर साहिब, आप ने उस दिन अपनी आबज़र्वेशन दी थी कि इस हाउस में कुछ मेम्बर आपोज़ीशन को छोड़ कर दूसरी तरफ चले गए हैं। यहां जो कुछ हुआ है यह उन वाक्यात की रिफ्लैक्शन है जो सूबे के अन्दर हो रहे हैं। हमारे प्रान्त की तकरीबन दो करोड़ आबादी है और इस हाउस के कुल 154 मेम्बर हैं, जो पंजाब के लोगों ने चुन कर भेजे हैं। इस तरह से हरेक मेम्बर को तकरीबन $1\frac{1}{2}$ लाख लोगों ने चुन कर भेजा है। लेकिन यह बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि यहां हमारा कैरैक्टर इतना नीचे गिरा है जितना शायद और कहीं भी देखने में न आए। इसकी तरफ हम शायद किसी तरह से देख नहीं सकते मगर एक आदमी जो सवा लाख या डेढ़ लाख आदमियों की नुमाइंदगी करता है वह अगर इस ढंग से काम करता हो तो उस को देख कर आम आदमी के चलने का अन्दाज़ा किया जा सकता है। एक आदमी जो यह कह कर लोगों के वोट लेता है कि कांग्रेस की नीतियां खराब हैं वही आदमी एक छोटे से लालच के लिए डेढ़ लाख लोगों से धोखा करता है, उन से चार सौ बीस करता है, उन के सैंटीमैंट्स को कुचलता है और फ्लोर क्रास कर जाता है तो उस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सरकार हमारे कैरैक्टर किस सांचे में ढाल रही है। इस से भी ज़्यादा

[श्री बलरामजी दास टंडन]

अफसोसनाक वह तरीके हैं जिन का इस्तेमाल उसे फ्लोर क्रास कराने के लिए किया जाता है। सरकार पर जहां देश के डिफैंस की ज़िम्मेदारी के साथ साथ पचासों और बातों की भी ज़िम्मेदारी है वहां नैशनल करैक्टर को ऊपर उठाने की भी ज़िम्मेदारी इस पर है। उसी सरकार के वज़ीरों के रिश्तेदार अगर मैम्बरों के पास पहुंचें और कहें कि आप को क्या चाहिए, आप को किस बात की मुश्किल है, हम उस सब को दूर कर देंगे, आप हमारी तरफ आ जाइए, अगर किसी के खिलाफ पैटीशन की गई हो तो जिस ने पैटीशन की होती है उस को साथ ले जा कहें कि हम इस को हुक्म दे देंगे कि यह अपनी पैटीशन वापस ले ले आप हमारे साथ मिल जाओ, अगर चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़के घर घर जा कर........

Mr. Speaker : These petitions are *sub judice.* Please try to avoid any reference to them.

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं पैटीशन की बात नहीं कर रहा। मैं तो उस को वापस कराने के इन के तरीके ही बता रहा हूं। (विघ्न) अगर चीफ मिनिस्टर के लड़के आगे आकर ऐसे काम कराएं और अगर डेढ़ लाख लोगों के नुमाइंदे ऐसे ऐसे काम करें तो मैं नहीं समझता कि छोटे से आम आदमी से, जिस की कोई वुक्कत ही नहीं है, किसी अच्छे करैक्टर की कैसे उम्मीद की जा सकती है? उस पर इन चीज़ों का बुरा ही असर पड़ेगा और फिर कौम कैसे दुश्मन के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है.........

Mr. Speaker : You have practically finished your time, please wind up in a couple of minutes.

श्री बलरामजी दास टंडन : मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस सदन के एक मैम्बर का इस सरकार ने स्टेट्स बिल्कुल खत्म कर रखा है।

स्पीकर साहिब, हम जानते हैं कि पैप्सू में एक मेम्बर का स्टेट्स क्या था, हम यह भी जानते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के प्रैज़िडेंट या सैक्रेटरियों या मेम्बरों की क्या हैसियत होती है। यह हमें देखने का मौका मिला है, मगर यह कितने दुःख की बात है कि इस सदन के मेम्बरों के साथ सरकार के बड़े बड़े अफसर ऐसे सलूक करते हैं, मानो यह चपड़ासी यहां पर बैठे हों। मिनिस्टर साहिबान से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह गद्दियां किसी की बपौती नहीं हैं, डैमोक्रेसी के अन्दर यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इन के पीछे बैठने वाले ही अगली बार आगे आ जाएं और यह पीछे चले जाएं या यह भी हो सकता है कि यह इधर आ जाएं और इधर वाले लोग उधर जा बैठें। मगर इस तरीके से मैम्बरों की कीमत खत्म करना कि दस दस चिट्ठियां डालें, टैलीफून करें, तो इन को जवाब तक न दिया जाए, ठीक बात नहीं है। यही बात आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन के साथ भी बीत सकती है। और फिर जब यह बात चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाई जाए तो यह सो जाएं कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो।

फिर एक ढोंग इस कैपिटल में भी चल रहा है। सरकार के मुंह से निकल गया कि जो इन के कर्मचारी 250 रूपए से कम तनखाह लेते हैं उन को कैपिटल अलाउंस नहीं दिया जायेगा। साथ ही कह दिया कि इस जगह पर कीमतें कम करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर साहिब, चूंकि एक बार यह बात मुंह से निकल चुकी थी, इस लिए डायरैक्टर आफ सिविल सप्लाइज़ को बुलाया

और कहा कि इस के लिए कुछ करना चाहिए । वह साहिब रिटायर होने वाले थे । उन्होंने सोचा कि 58 साल तक तो वैसे ही चलेंगे, उस के बाद भी इस में से कुछ अच्छी बात ही होगी, शायद और मौका, मिल जाए, इसे चलाओ । तो एक ढोंग रचा गया, दुख होता है कि एक बात मुंह से निकल गई तो उस को पूरा करना ही चाहिए.वह भले ठीक न हो । चीप शाप्स खोल दीं । इस वक्त यहां पर 8 ऐसी दुकानें हैं । उन को चलाने के लिए ज़रा अमला देखिए क्या क्या है । एक डिप्टी डायरैक्टर, सिविल सप्लाइज़, उस के नीचे असिस्टेंट डायरैक्टर, तीन डिस्ट्रिक्ट फूड ऐंड सप्लाइज़ अफसर, ऐडमिनिस्ट्रेशन साइड पर एक पी. सी. ऐस. अण्डर सैक्रेटरी, उस के नीचे तीन असिस्टेंट फूड ऐंड सप्लाइज़ अफसर हैं । दफतर को एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट देखता है । उसके नीचे तीन असिस्टेंट, एक अकाउंटेंट , दो क्लर्क, दो टाइपिस्ट और दो स्टैनो टाइपिस्ट्स काम करते हैं । अकाउंट्स का काम करने के लिये एक कन्ट्रोलर आफ फूड अकाउंट्स, 8 सीनियर अकाउंटेंट, 16 जूनियर अकाउंटेंट और जो दूसरी तरफ से निकाल कर चपड़ासी उधर लगाए हैं उन की तादाद 25 है । इस के अलावा पहली दस तारीख तक जब लोगों के पास पैसे रहते हैं और इन दुकानों पर रश रहता तो 25-30 मुलाज़म और दूसरी तरफ से निकाल कर इस तरफ लगा दिये जाते हैं । इन सब मुलाज़मों की तन्खाह का अगर अन्दाज़ा लगाया जाए तो यह 20 हज़ार रुपया माह-वार बनता है । मैं हैरान हूं कि जब सौ रुपये में एक सेल्ज़मैन बड़ी आसानी से मिल सकता है तो यह सारा अमला सिविल सप्लाइज़ के दफतर से वहां क्यों लगाया जाता है । अगर इस स्टाफ की वहां ज़रूरत नहीं है , वहां यह सरप्लस है तो हटाओ इन को वहां से । काम तो यह उधर करते हैं मगर खर्च सिविल सप्लाइज़ साइड पर ही दिखाया जाता है ? इतना ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : अब वाइंड अप करें । (Now wind up please.)

श्री बलरामजी दास टंडन : आप जानते हैं कि जब किसी दुकानदार को कहीं से माल मंगाने की ज़रूरत होती है, तो वह चिट्ठी लिख कर या तार द्वारा वह माल मंगाता है । मगर जब यहां अफसरों के मन में आए कि बम्बई जाकर सैर करनी चाहिए तो वहां से चीज़ें लाने के नाम पर दस दिन का टूर निकाल लिया जाता है । तीन तीन अफसर इकट्ठे हो कर जाते हैं और 5,000 रुपए का आ कर बिल दे देते हैं । अगर आगरा देखने की मन में आई तो वहां से पेठा लाने के नाम पर वहां चले जाते हैं । अगर किसी के दिल में पटियाले जाने की बात आई तो वहां से नाले या जूते लाने के लिए वहां चला जाता है और आ कर टी. ए. सरकार से चार्ज करता है । इस के अलावा दुकानें सरकार ने दे रखी हैं । 17 सैक्टर में ऐसी दुकानों का किराया 700 रुपए माहवार है. . . .

Mr. Speaker : The hon. Member has already taken 16 minutes. He should finish within half a minute and thereafter he will have to sit down.

श्री बलरामजी दास टंडन : यह सारी बातें होती हैं । इस के साथ साथ सरकार ने रिजैक्टिड पालेटीशन्ज़ की एक डम्पिग ग्राउंड बना रखी है । और मैं ने जब देखने की कोशिश की तो ऐसे लोगों को पब्लिक सर्विस कमिशन, सबार्डिनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन बोर्ड और मार्किटिंग कमेटियों के बोर्डों में पाया.........

Mr. Speaker : It does not behove any hon. Member to cast aspersions on anybody. He may please avoid such references.

श्री बल राम जी दास टंडन : मैं ने तो यह कहा है कि जो पालिटीशन यहां से नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए यह सब किया जाता है और अब सुना है कि कैबिनेट को

[श्री बलरामजी दास टंडन]

फिर एक्सपैंड किया जा रहा है । अगर सिर्फ रूठे हुए आदमियों को मनाने के लिए यह बात की गई तो बहुत बुरी बात होगी । धमकियां देकर, स्पीकर साहिब, इनको यह न समझ लेना चाहिए कि कन्स्ट्रक्टिव ज़बान को बन्द किया जा सकता है । मैं चीफ मिनिस्टर साहिब को यह बतला देना चाहता हूं कि धमकियों से कोई आवाज़ जो सचाई के लिए खुलती है वह बन्द नहीं हो सकती । वह आवाज़ निकल कर रहेगी और वह किसी डर से, किसी की धमकी से दब नहीं सकती ।

(*At this stage, some hon. Members and Excise, Taxation and Capital Minister rose to speak.*)

Mr. Speaker : Comrade Ram Chandra, Please. I would request Comrade Jee to try to finish his speech within five or seven minutes.

Mital Sahib, I don't think any Minister other than the Home Minister or the Chief Minister will have a chance to speak today.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ time ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । (Those hon. Members who could not get time to speak now will be given time at the time of discussion on the General Administration.)

कामरेड राम चद्र (नूरपुर) : स्पीकर साहिब ....

श्री अध्यक्ष : कामरेड साहिब, वक्त थोड़ा है, आप जल्दी ही खत्म कीजिएगा । Comrade Sahib may please try to furnish his speech soon as the time at our disposal is short.)

कामरेड राम चंद्र : बहुत अच्छा, जनाब । स्पीकर साहिब, मैं इस बजट के बारे में कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं । इस में कोई शक नहीं कि पिछले 10-15 साल में मुल्क ने इक्तसादी तौर पर बड़ी तरक्की की है । और बजट डेढ़ अरब तक पहुंच जाने से इस का सबूत भी मिलता है कि इतना रुपया लोगों के पास आया । लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि हम पर कर्ज़ चढ़ रहा है और साढ़े तीन अरब रुपया हम पर कर्ज़ चढ़ गया है ।

इस साल सरकार ने कुछ टैक्स लगाए हैं । अगर गवर्नमैंट कुछ चीज़ों को ध्यान में लाए तो टैक्स कम हो सकते हैं । पहली चीज़ यह है कि एरियर्ज़ आफ टैक्स जो है, उन्हें हासिल करना चाहिए । मैं मानता हूं कि एक दो महीने से रिकवरी हुई है, लेकिन यह और भी तेज़ी से हो सकती है । दूसरी चीज़ यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. में जो कोरप्शन चल रही है उस को दूर किया जाए तो बहुत रुपया बचाया जा सकता है । 15 साल से भी ज्यादा का अर्सा हुआ, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक लोग रुपया लेने में साझीदार हों, उसे आज तक कंट्रोल नहीं किया जा सका । इसी तरह अगर सिनेमाओं को नैशनलाइज़ कर लिया जाए तो आमदन ज्यादा बढ़ सकती है । और ट्रांस्पोर्ट को नैशनलाइज़ करने के लिए जो निश्चिय किया है उसे मुकम्मल किया जाए ।

एक बात मैं रिजनल कमेटियों के बारे में कहूंगा कि वे भी कोई मुफीद काम नहीं रही हैं । इसी तरह जो कौंसिल है, वह भी सफ़ेद हाथी है (घंटी)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द वापस लें । (The hon. Member may please withdraw these words.)

कामरेड राम चन्द्र : अच्छा जनाब मैं वापिस लेता हूं। मेरे दोस्त ने यह कहा था कि इनफ्लेशन और कोरप्शन बढ़ती जा रही है। इसी इनफ्लेशन के कारण च्यांगकाई शेक को पीकिंग से भाग कर फारमूसा जाना पड़ा। इसी तरह से रूस में हुआ, जब करंसकी वहां से भागा। मगर इस हद तक हमारे देश की हालत नहीं गई, यह अभी संभल सकती है। स्पीकर साहिब, मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि सरकार ने अच्छी चीज़ें भी की हैं। हमें सिर्फ एक आंख से नहीं देखना चाहिए। दोनों आंखों से देखना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है और हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि इस जंग के दौरान में हमने ज्यादा रुपया, ज्यादा सोना, और ज्यादा आदमी दिए हैं और फौजियों को जो रियायतें दी जाती रही हैं, वह काबले तारीफ हैं। और जो चीफ मिनिस्टर साहिब का ख्याल है कि क्लास फोर के एम्पलाइज़ को महंगाई का अलाउंस तनखाह में शामिल करके बढ़ी हुई रकम पर पेनशन दी जाये, यह अच्छा काम है। मैं इस की तारीफ करता हूं।

हमने सोशलिज़म लाने के लिए दावा किया था और कहा था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करेंगे। It is not a timid heart that can bring out revolution. It requires a valiant heart. और सोशलिस्ट निज़ाम लाने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारे यहां सोशल, पोलिटिकल और इकोनामिक रैवोल्यूशन हो। हमारी यह ख्वाहिश है। लेकिन इधर-उधर से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहां फ्यूडल और कैपिटलिस्ट फोरसिज़ राइज़ कर रही हैं, और संगठित हो रही हैं। अगर हम वाकई सोशलिज़म लाना चाहते हैं तो इन के मुकाबले में किसान मिडल क्लास तथा लेबर क्लास को अपने साथ लाना होगा। और ऐसे कदम उठाने होंगे जिस से वह मज़बूत, दलेर तथा संगठित हों।

एक बात का हमें अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों की तरक्की का काम रोक दिया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे एमर्जेन्सी ही हो, हमें पहाड़ी इलाके की तरक्की के कामों को नहीं रोकना चाहिए। और जो इस इलाके में स्कूलों की कमी वगैरा है उसको पूरा करना चाहिए। धर्मसाला के कालेज में एम. ए. क्लासिज शामिल नहीं की गई हैं। वहां एम. ए. क्लासिज दी जानी चाहिएं और होस्टल भी बनाना चाहिए। नूरपुर में आर्टस और टैक्नीकल इन्स्टीच्यूट भी होना चाहिए। इसी तरह कांगड़ा में सैनिक स्कूल नहीं खोले गए, वह भी खोलना ज़रूरी है और एन. सी. सी. की क्लासिज़ भी होनी चाहिएं। यह हैरानी की बात है कि कांगड़ा से एन. सी. सी. बटालियन का हैडक्वार्टर उठा कर धर्मसाला को गुरदासपुर के अधीन कर दिया गया है।

इस लिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहाड़ी तथा बैकवर्ड इलाके में सैनिक शिक्षा देने के लिए पूरा यत्न करना चाहिए।

मैं सड़कों की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे अपने इलाके में 3, 4 सड़कों की तजवीज़ स्वीकार की गई थी। मैं चाहता हूं कि वह सड़कें पक्की कर दी जाएं ताकि वहां की जनता को सहूलत मिल सके। स्पीकर साहिब, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं किन्तु समय नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि सरकार पहाड़ी इलाके की तरक्की के कामों को नहीं रोकेगी बल्कि उन कामों को आगे चलाने का यत्न करेगी।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब यह जो बजट पेश किया गया है उस में क्लास iv एम्प्लाइज़ को, पुलिस वालों को और कुछ मिलिट्री वालों के बच्चों को

[कामरेड राम प्यारा]

रियायतें दी गई हैं। मैं इस के लिए सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। लेकिन सरकार ने पुलिस के कर्मचारियों को अभी तक तनखाहें देनी शुरू नहीं की, इस के लिए सरकार को शीघ्र ही पग उठाने चाहिएं।

हमारी गवर्नमेंट पर बहुत कर्जा है जिस में 307 करोड़ सैंटर का है और 16 करोड़ 47 लाख पब्लिक का कर्जा है। इसी तरह से सफा 103 पर कुछ ज़मानतें दी हुई हैं। वह भी हमारे ऊपर बोझ हैं। यह कर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस लिए मैं समझता हूं और गवर्नमेंट का ध्यान कान्स्टीट्यूशन के सफा 152 के आर्टिकल 293 की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां लिखा है :

> "293 (1). Subject to the provisions of this Article the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed."

इन की लिमिट लैजिस्लेशन लाकर ज़रूर मुकर्रर करनी चाहिए। मुझे डर है कि हमारा सूबा किसी आने वाले वक्त में कहीं बैंकरप्ट न हो जाए। हमारे ऊपर इतना कर्जा है कि हम आइंदा कई सालों में अदा नहीं कर सकते। सरकार ने यह जो टैक्स लगाए हैं यह मौजूदा हालात में किसी तरह भी जस्टीफाई नहीं होते हैं। इन टैक्सों का अमीर आदमियों पर कोई इफैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि गरीब आदमियों को ही असर अन्दाज़ किया गया है। I understand that the poorest has been taxed and I, therefore, call this budget as an unbalanced budget. स्पीकर साहिब, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो किताब "रिव्यू आफ वर्क डन बाई दि पंजाब विधान सभा ड्यूरिंग 1957—62" छपी है उस में यह लिखा है कि 186 कुल बिल बने हैं जिन में से 166 असेम्बली में तथा 20 अप्पर हाउस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 166 बिलों में से सिर्फ 8 बिल अपर हाउस से वापिस आए जिन में बहुत माइनर चेंजिज़ सजैस्ट की हैं। इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि अप्पर हाउस ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। जब अप्पर हाउस ने कंट्रीब्यूशन नहीं की तो उस पर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है ? इसी तरह जहां रिजनल कमेटियों का सम्बन्ध है 25 बिल इन कमेटियों को रैफर किए गए हैं। उन में से सिर्फ 8 गवर्नर साहिब को भेजे गए, बाकी ज्यों के त्यों पेश कर दिए गए। तो इन हालात में रिजनल कमेटियों का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब इन का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं समझता हूं कि इन कमेटियों की भी कोई ज़रूरत नहीं है।

जहां तक ग़रीबों पर मेहरबानी करने का ताल्लुक है, हरिजन नम्बरदारों को पंचोतरा देने के सिलसिले में 1960 में सरकार ने फैसला किया था, लेकिन वह अब तक नहीं दिया गया और इस के बारे में अब यह कहा जा रहा है :

> "No date can, however, be given when this decision will be implemented as the case has been kept pending due to present emergency."

मैं हैरान हूं कि इस में एमरजैंसी आने पर कौन सी रुकावट पड़ गई है।

इसी तरह से गरीब क्लास IV एम्प्लाइज़ हैं जिन को गरम वर्दियां देने का सवाल था, लेकिन सरकार ने उन को वर्दियां नहीं दीं। नतीजे के तौर पर एमर्जेन्सी की वजह से यह काम अभी तक स्टैंड स्टिल है। और कहा गया है कि:—

"The matter has since been considered by the Government, but in view of the national emergency, it has been decided that the *status quo* should be maintained."

मैं हैरान हूं कि जब गरीबों को देने की बात आती है तो सरकार एमर्जेन्सी को सामने खड़ा कर देती है और जब अमीरों को मदद देने का सवाल आता है तो कोई एमर्जेन्सी नहीं है। तभी मैं महसूस करता हूं कि सरकार तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को सैबोटेज़ कर रही है। वैसे तो सरकार सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगाती है किन्तु काम उस के उलट कर रही है।

स्पीकर साहिब, पिछले साल हरिजन बाल्मीकियों के सूरों को बीमारी पड़ी जिस से उन का बहुत नुक्सान हुआ, यह गरीब अपना रोज़गार चलाने के लिए सूरों को पालते हैं। लेकिन सरकार ने उन की कोई मदद नहीं की, जबकि पिछले साल फ्लड आने से फसलों के नष्ट हो जाने से तथा मकान गिर जाने से लोगों को रिलीफ दिया गया। मैं चाहता हूं कि इन को भी रिलीफ देना चाहिए था।

स्पीकर साहिब, मैं टायरों के बारे में कहना चाहता हूं सरकार ने टायरों के रेट इस तरह मुकर्रर किए हैं कि पहले जो टायर 6 रुपये में मिलता था उस की कीमत 10 रुपये मुकर्रर की गई है। अगर उस की कीमत 7 रुपये हो तो गरीबों का गुज़ारा हो सकता है। साइकल तो पूअर मैन के कनवेयेन्स का साधन है। जो गरीब आदमी साइकल पर गुज़ारा करता है उस को 3 रुपए मुनाफा फालतू देना पड़ता है। जो इस से मुनाफा होगा वह अमीरों की जेबों में जाएगा। वैसे तो हमारी सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी का नारा लगाती है किन्तु यह खुद ही सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को सैबोटेज कर रही है। मैं महसूस करता हूं कि यह बजट अनबैलन्स्ड है।

स्पीकर साहिब चीफ मिनिस्टर साहिब ने मुझे डी. ओ. लैटर नं० 9088।सी आर, डेटिड 20-10 1959 के द्वारा यकीन दिलाया था कि गैम्बलर्ज़ पर छापे पड़ते रहेंगे लेकिन मैं हैरान हूं कि जिन एक, दो गवाहों ने गवाही नहीं दी उन में से एक को कोयले का डिपो दिया गया है और दूसरे को खांड का डिपो दिया गया है। लेकिन जब हम ने कूकी पर छापे डलवाए तो इस का नतीजा यह हुआ है कि जो सज़ा हुई, हाई कोर्ट में भी वह सज़ा बहाल रही। जिन्होंने गवाहियां दीं उन को गवर्नमेंट ने ऐप्रिसियेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। इस लिए मैं महसूस करता हूं कि गवर्नमेंट इन्डायरैक्टली खुद सट्टाबाज़ों को पैट्रोनाइज़ कर रही है।

स्पीकर साहिब, मैं कुरप्शन की इन्तहा की मिसाल देता हूं। मैं तीन लिफाफे भेज रहा हूं। एक चीफ मिनिस्टर साहिब के नाम, दूसरा गृह मंत्री के नाम और तीसरा आप को भेज रहा हूं। इस में एक कैश शुदा चैक्क की फोटो-स्टैट कापी है। यह चैक एक गज़टिड अफसर से लिया गया है जिस के विरुद्ध ऐंटी-कुरप्पशन डिपार्टमेंट एनक्वायरी कर रहा था। उस से और रुपए मांगे गए और उस ने रुपए नहीं दिए। उसके दो महीने बाद उसकी सर्विसिज़ टर्मिनेट कर दी गईं। स्पीकर साहिब, मैं उस अफसर की सफाई नहीं देना चाहता हूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिब के हवारियों की बात करता हूं। जिस अफसर के बरखिलाफ ऐंटी-कुरप्पशन डिपार्टमैंट एनक्वाइरी

[कामरेड राम प्यारा]
कर रही थी तो उस से पैसे लेने का क्या मतलब था। चीफ मिनिस्टर साहिब या गृह मंत्री अगर कहेंगे तो इन डाक्युमेंट्स को टेबल पर ले कर दूंगा।

1960 में एक बेवा के लड़के ने मिडल का इम्तिहान पास किया था तो उस को सुपरिन्टेंडेंट ने रोल नम्बर गलत दे दिया जिस से वल्दीयत तबदील हो गई। 1960 से वह दरखास्तें दे रहा है कि उसकी वल्दीयत ठीक की जाए लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मैंने गवर्नमेंट को मई, 1962 में चिट्ठी लिखी, जून में भी चिट्ठी लिखी। मैं ने नवम्बर, 1962 में असेम्बली क्वैस्चन किया मगर कोई असर नहीं हुआ। अंत में तंग आ कर चीफ मिनिस्टर साहिब को 1963 में चिट्ठी लिखी। उनका जवाब मैं पढ़ देता हूं :

"Please refer to your letter of the 7th January, 1963, in which you have written about the case of the son of a widow connected with the middle school examination. I am making an immediate enquiry into the matter......"

यह चिट्ठी 7 जून की है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं एनक्वायरी कर रहा हूं। अब मुझे चिट्ठी दी है जिस में लिखा है कि 5 दिन के अन्दर उस को सर्टिफिकेट इश्शू कर दिया जाएगा। मगर मैं हैरान हूं कि वह 5 दिन कितने साल हैं, क्योंकि अभी तक सर्टिफिकेट इश्शू नहीं हुआ है।

स्पीकर साहिब, मैं डिमांड करता हूं कि एक प्रभावशाली आदमियों की कमेटी बनाई जाए जो उन आदमियों की जांच पड़ताल करे जो ओवरनाइट रिच हो गए हैं। यह देखना निहायत ज़रूरी है कि उन के क्या रिसोर्सिज हैं और उन के पास इतना रुपया कहां से आया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोरप्पशन बन्द नहीं हो सकती।

12.00 noon

बार बार यह कहा जाता है कि सिनेमा इंडस्ट्री को और ट्रांस्पोर्ट को नैश्नलाइज़ किया जाए। ठीक है कि कुछ वैस्टिड इंट्रैस्ट्स होने की वजह से उन की लाचारी है, वे नैश्नलाइज़ नहीं करते, लेकिन मैं तजवीज़ करता हूं कि इन की नैश्नलाइजेशन होनी चाहिए।

Mr. Speaker . Please, wind up.

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, एक बात कह के मैं बैठ जाऊंगा। गवर्नमेंट ने यह पालिसी बना ली है कि कई जगहों को नैगोशियेटिड प्राइसिज़ में दे देती है। इसी पालिसी के मातहत सिनेमा प्लाट्स, रैस्टोरैंट्स और लुध्याना में इंडस्टिरियल प्लाट भी दिये गए हैं। मैं चाहूंगा कि यह पालिसी आफ गिविंग थिंग्ज आन नैगोशियेटिड प्राइसिज़ स्टाप की जानी चाहिये। इस से गवर्नमेंट को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का नुक्सान होता है। मैं वक्त की तंगी के कारण ज्यादा न कहता हुआ इतना कह कर ही बैठ जाऊंगा कि हमारी स्टेट में कानून का रोब और डर घटता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस टैरर को फेस करने के लिये यह विधान सभा और लोग थोड़ा सा उठें ताकि यह टैरर खत्म हो और लोगों को मुकम्मल आज़ादी हो। स्पीकर साहिब, फ्रांस में एक वक्त आया था कि लोगों में बहुत डिमारेलाइज़ेशन आ गई। मुझे एक फिक़रा याद आया है:

"Men were mean and low, people were sharing in a general scramble. He who grabbed the most was considered to be the cleverest."

मैं चाहूंगा कि हमारी स्टेट में यह हालत न हो जाए । मौजूदा हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं और दोबारा कहता हूं कि हमें इस टैरर का मुकाबला करना चाहिये ताकि कानून की अहमियत हो और लोग आज़ादी को महसूस करें ।

Mr. Speaker : I have to make an announcement. All the Members are lunching at the State Guest House. The lunch is being given by the Congress Legislature Party in the honour of the Chairman and Members of the Kashmir Legislative Council. So, we have to disperse at 1.30 p.m.

The hon. Member, Shri Jagan Nath will speak for three or four minutes. Then the Chief Minister will speak. After that the Home Minister will reply to the debate.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : You will get time when the Demand for General Administration is before the House.

(At this stage all the three Members of the Communist group, viz., Comrade Jangir Singh Joga, Comrade Babu Singh Master and Comrade Didar Singh staged a walk out.)

श्री जगन्नाथ (तोशम) : स्पीकर साहिब, पांच दिन से बजट पर बहस हो रही है। पांच दिन बहस के बाद बजट में कोई चीज़ बहस करने वाली रह नहीं जाती। हां, सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है। वह है यह किताब "पंजाब आन दि मार्च" अगर पंजाब का सरवे कर के देखा जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस किताब का नाम "पंजाब आन दि मार्च माइनस बैकवर्ड ऐंड डैज़र्ट एरियाज़" होना चाहिये। गवर्नमैंट ने एलान किया है कि बैकवर्ड एरियाज़ की डिवैल्पमैंट की जाएगी। हकीकत में बैकवर्ड एरियाज़ के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा। कहीं पर तो बाढ़ आते हैं और कहीं पर डैज़र्ट एरियाज़ हैं जहां पर पानी की बूंद देखने को नहीं मिलती। लोग दोहाई देते हैं कि मर गए, पिट गए लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती। जहां पर बाढ़ आते हैं वहां तो बाद में फसल हो जाती है लेकिन रेगिस्तान में तो कुछ पैदा ही नहीं होता। बजट को देखने से पता लगता है कि 6 करोड़, 74 लाख रुपया घग्गर डैम पर खर्च किया जाएगा। अगर ताजियां वाले मकाम पर डैम बनाया जाए तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव तक पानी मुहैया हो सकता है। सरकार की आमदनी भी बढ़ सकती है और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। हमारे वित्त मन्त्री साहिब डा० गोपी चन्द हिसार ज़िले को रिप्रिजैंट करते हैं लेकिन उन को यह भी मालूम नहीं है कि तोशम एक डैज़र्ट कांस्टीच्वैन्सी है।

Mr. Speaker : Please do not disturb Doctor Sahib.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, सब से ज़रूरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उस डैज़र्ट एरिया में टीचर भी जाना पसंद नहीं करते । वे जाएं भी क्यों ? उन को फैसिलिटीज़ नहीं मिलतीं। न कोई वहां पर सड़क है और न ही कोई और फैसिलिटी उन को मिलती है। इस सम्बन्ध में मैं गवर्नमैंट से अर्ज़ करूंगा कि जिस तरह से नीफा और लद्दाख में जाने वाले नौजवानों को स्पैशल अलाउंस दिया जाता है उसी तरह से जो टीचर उस डैज़र्ट एरिया में जाते हैं उन के लिये भी स्पैशल अलाउंस होना चाहिये। लोभ बड़ी चीज़ है, लोभ में आकर वे ज़रूर वहां जाना पसंद करेंगे । लोभ में आकर ही इस तरफ़ के बहुत से एम. एल. एज़. उस तरफ चले गए हैं । (विघ्न) स्पीकर साहिब, गवर्नमैंट वायदे करती है कि हरिजनों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी । मैं होम मिनिस्टर की स्टेटमैंट के बारे में जो कि उन्होंने मई, 1962 में दी थी, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

> "Addressing a largely attended rural conference at Kheri Naru village, eight miles from here, last evening, Pandit Mohan Lal, Home Minister of Punjab, disclosed that the State Government had under consideration a scheme to give one or two acres of land to each Harijan family in the State. The Government was also contemplating to build pucca houses for them".

होम मिनिस्टर साहिब ने तो यह statement दी लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह कह दिया कि हम अभी हरिजनों को पक्के मकान बना कर नहीं देंगे । मालूम होता है कि होम मिनिस्टर साहिब ने उन को कन्सल्ट नहीं किया था । (विघ्न)

गृह मंत्री : यह कब की बात है ?

श्री जगन्नाथ : यह बात मई, 1962 की है । स्पीकर साहिब, ये तो अपनी स्टेटमैंट पर भी कायम नहीं रह सकते । (विघ्न) इन्होंने कानून बना रखा है कि हरिजनों को ज़मीन दी जाएगी। लेकिन आप देखें कि सरप्लस एरिया पर तो टैनेंट भी नहीं बैठाए जा सकेंगे । हरिजनों को ज़मीन कहां से दी जाएगी ? हमारे मिनिस्टर साहिबान झूठी स्टेटमैंट दे कर जनता का विश्वास खो रहे हैं। एक पंजाबी को दूसरे पंजाबी पर विश्वास नहीं रहा। यही कारण है कि हमारे गवर्नर साहिब ने अपना ए. डी. सी. केरल से मंगवाया है। उन को पंजाबियों पर विश्वास नहीं है।

Mr. Speaker : The hon. Member is new here. He is not conversant with the rules. He should not discuss the conduct of the Governor here.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, अब जो टैक्स इन्होंने बढ़ाए हैं इन का 80 फी सदी भार आम जनता, किसान और मजदूरों पर पड़ेगा। आप मज़दूरों की हालत को देखें । 1947 में इतनी महंगाई नहीं थी और उस समय भी उन की रोज़ाना मज़दूरी डेढ़ दो रुपये होती थी। आज इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है लेकिन उन की मज़दूरी आज भी वही डेढ़ दो रुपये रोज़ाना है। पन्द्रह साल के अन्दर कितने टैक्स बढ़ गए हैं, कितनी महंगाई हो गई है लेकिन उन की आमदनी कुछ भी नहीं बढ़ी। टैक्स उन पर ज़रूर बढ़ा दिये गये हैं । मैं पूछता हूं कि हमारी सरकार करोड़ों रुपये का टैक्स गरीब लोगों पर लगा रही हैं, क्यों नहीं सिनेमा हाउसिज़ को नैश्नलाइज करती, क्यों नहीं रूट पर्मिटों को नैश्नलाइज करती ? अगर इन

को नैश्नेलाइज़ कर लिया जाए तो आराम से इतना रुपया वसूल हो सकता है। इस से उन बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। इन्होंने तो फैसला किया हुआ है कि बाई फेयर आर फाउल मीन्ज़ हकूमत करनी है। डैमोक्रेसी के बड़े बड़े दावे किये जाते हैं, लेकिन यहां पर तो डिक्टेटरशिप है, डैमोक्रेसी नहीं है।

Mr. Speaker: Please wind up.

श्री जगन्नाथ: हमारी सरकार किसी दूसरे की बात को सुनना भी पसंद नहीं करती, अपनी मर्ज़ी ही करती है। जो यह कह दें वही ठीक है, और जो कुछ दूसरा कहता है वह गलत है। स्पीकर साहिब, यह कहता हुआ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों): स्पीकर साहिब, असल में दिल तो नहीं चाहता था कि इस मौके पर मैं हाउस का कुछ वक्त लूं लेकिन इस ख्याल से ले रहा हूं ताकि आपोज़ीशन की तरफ से उठाए गए कुछ एतराज़ात का जवाब दे सकूं। आपोज़ीशन वाले दोस्त तो चले गये, फिर भी थोड़ा सा वक्त लूंगा ताकि जो बयान होम मिनिस्टर साहिब ने देना है वह भी दे सकें।

मुझे सब से पहले यही कहना है कि यह बजट एक ऐसे मौके पर लाया गया है जब कि उस आज़ादी को, जो हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की, बरकरार रखने का सवाल है। ऐसे नाज़ुक हालात में यह बजट पेश हुआ है। जो खर्च होना है वह भी हमारी निगाह में है और जो आमदनी है उस का भी हमें पूरा ध्यान है। पंजाब सरकार ने इस बार, आम हालात में जो खर्च होता था उस में से तकरीबन पन्द्रह करोड़ तक का खर्च कट किया है और इस वक्त के हालात में जो अशद ज़रूरी चीजें हैं—डिफैंस सम्बन्धी खर्च, वाटर-लौगिंग और बाढ़ों को रोकने वगैरा की—उन पर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की है। इस के लिये जो खसारा था, जो कमी थी उस को पूरा करने के लिये टैक्स लगाए हैं। लेकिन यह इस नीयत से नहीं कि पंजाब कमज़ोर हो जाए बल्कि इस नीयत से कि पंजाब ने इन हालात में जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है वह रुके न, जिन ज़रूरी हालात का हमने मुकाबला करना है वह कर पाएं और जो हमारी औलादें आगे को आनी हैं उन औलादों के लिए हम मैदान बना दें ताकि उन्हें पूरे ढंग से तरक्की करने में कोई रुकावट महसूस न हो। (प्रशंसा)

स्पीकर साहिब, बहुत सी बातें कहने को हैं लेकिन वक्त की तंगी और इस लिहाज़ से कि होम मिनिस्टर साहिब को पूरा वक्त मिले, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमैंट को बहस में लाते हुए कुछ एतराज़ उठाए गए, उन्हीं की बाबत जवाब देना चाहूंगा और साथ ही इस सिलसिले में हाउस की वाकफियत के लिये कुछ चीज़ें कहना चाहूंगा।

स्पीकर साहिब, एतराज़ किया गया कि फलां जगह लुधियाना में फलां को क्यों दे दी। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि वह जगह उन्होंने नैगोशियेशन्ज़ से ली। नैगोशियेशन्ज़ का यह मतलब नहीं कि करोड़ों रुपया खराब हो गया। देखना यह है कि डील कितनी है। अगर डील ही हज़ारों या लाखों की है तो करोड़ कैसे आ गए? जिस को हमने नैगोशियेट कर के दिया। जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, वह पंद्रह रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से दिया है। फिर मेरे गुड़गांव से आए हुए भाई ने कहा कि वहां पर

[मुख्य मन्त्री]

इंडस्ट्रीज़ के लिये सौ एकड़ ज़मीन के लिये जो 18 लाख रुपया कलैक्टर ने मंज़ूर किया है वह हम को देना चाहिए । मैं समझता हूं कि उस आनरेबल मैम्बर की जितनी तकरीर है उस को पढ़ा जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि वह उस शख्स को बचाना चाहते हैं ताकि उसके बरखिलाफ कोई अपील न करें । स्पीकर साहिब, ज़ाहिरा तौर पर यह एक किस्म का प्रैशर है । मैं इस प्रैशर को नहीं मानूंगा। मैं समझता हूं कि पंजाब में कोई इंडस्ट्री कायम नहीं रह सकती, पंजाब में इन्डस्ट्री का काम ही ठप हो जाए अगर सोलह हज़ार रुपये की इंडस्ट्री लगाने के लिये लाखों रुपयों या ज़मीन की कीमत अदा करने के लिये ही इनवैस्ट करना पड़े। मुझे याद है कि लायलपुर में ज़मीन के मुरब्बे किस कीमत पर बिका करते थे, किस तरीके से बिका करते थे । मैं सच कहता हूं कि जितने पैसे इस ज़मीन के लगाए गए हैं उस के मुकाबले में आप चाहें तो कुछ ही रुपये में गज ज़मीन लेकर दे सकता हूं । लेकिन यह कोई ढंग है कि कुछ लोग किस तरह से इस सारे सिलसिला को करते हैं ? मैं अभी इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता । पंजाब गवर्नमैंट इस पर अपील करेगी, कोर्ट में जाएगी। स्पीकर साहिब, यह बात भी नहीं कि ज़मीन को बिल्कुल सस्ता किया जाए । जिस आदमी को जो कोई ज़मीन देंगे उस पर शर्त लगायेंगे कि वहां पर वही काम करे, काम नहीं करता और अगर ज़मीन बेचना चाहे तो सरकार की मंजूरी के बगैर नहीं बेच सकता । यह चीज़ें हो सकती हैं और यहां चंडीगढ़ और दूसरी जगहों पर कर भी रहे हैं । और फिर ज़मीन कैसे लेकर दी जाती है ? खुद सैंटर से यह बात दरियाफ्त की जाती है कि उसी तरह की फैक्टरी के लिये कितनी ज़मीन दरकार होती है। हमें किसी को कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देना है । और फिर जिस की ज़मीन ली जाती है उस को कम्पैन्सेशन पूरी दिलवाते हैं । इस लिये यह कहना कि फलां को वहां पर ज़मीन दे दी, फलां को इस तरह से ज़मीन दे दी, यह कर दिया, वह कर दिया, यह बातें मुनासिब मालूम नहीं देतीं और न ही आनरेबल मेम्बर साहिबान को बिना हकीकत मालूम किए इस तरह से एतराज़ात करने शोभा देते हैं । स्पीकर साहिब, अगर कोई आदमी हिन्द सरकार से लाईसेंस लेकर पंजाब में आता है तो उस को यहां पर फैक्टरी एस्टैब्लिश करने के सिलसिले में मदद देना हमारा फर्ज़ हो जाता है । यह हमारा फर्ज़ बन जाता है कि हम उसको मुनासिब जगह पर ज़मीन दिलवाएं । हमने उसे ज़मीन हर हालत में देनी है। अगर नहीं देते तो यह जो सारा बोझ ज़रायत पर पड़ रहा है उसे सूबा कैसे उठा सकता है ? हमने एग्रीकल्चरल पापुलेशन को इंडस्ट्रियल पापुलेशन बनाना है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये पंजाब सरकार पूरा ज़ोर लगा रही है। ज़मीन अगर दूर हो, नज़दीक न हो तो हम वहां पर सड़क ले जाते हैं । ज़रूरी नहीं कि ज़रखेज़ ज़मीन ही लेकर फैक्टरीज़ के लिये देनी है । जहां बिजली नहीं होगी वहां हम बिजली भी देंगे ,लेकिन यह कैसे हो सकता है कि जब 10 एकड़ ज़मीन लेकर देनी हो, पांच एकड़ का मालिक तो पैसे लेकर ज़मीन दे जाता है और पांच एकड़ वाला बीच में अड़ जाए कि मैं नहीं देता जब कि कीमत भी उसे पूरी और वही अदा की जा रही हो जो कि उस के साथ वाले ने ली ? ऐसी हालत में हम क्यों न वह ज़मीन लेकर दें ? सचमुच ऐसा मालूम होता था गोया वह भाई यहां हाउस में और हाउस के

बाहर अपनी रैपुटेशन बनाना चाहते थे जैसे वही लोगों के खैरख्वाह हों, सिर्फ वही लोगों से प्यार करने वाले हों। स्पीकर साहिब, सूबे में बसने वाले एक एक आदमी के लिये पंजाब सरकार की पूरी हमदर्दी है और मेरा दिल दुखता है अगर किसी की ज़मीन नाजायज़ काम के लिये या कम कीमत पर ली जाए। लेकिन मेरी यह खाहिश है, पूरी कोशिश है कि जो आदमी पंजाब में किसी न किसी तरह का भी काम शुरू करना चाहता हो, इंडस्ट्री लगाना चाहता हो तो उस की हर तरह की मदद करूं। पंजाब का मज़बूत और जफाकश जवान क्या काम नहीं कर सकता? ठीक है कि बेसिक तौर पर पंजाब ऐग्रिकल्चर प्रधान सूबा है लेकिन, स्पीकर साहिब, ज़रायत से रोटी का उस कदर गुजारा नहीं होता, वैसी रोटी नहीं मिल सकती जैसी रोटी हम दूसरों को खाते देखते हैं। लिहाज़ा इंडस्ट्रीज़ को यहां पर फरोग देने के बगैर कोई गुज़ारा नहीं। ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए ज़मीन की कीमत कम भी नहीं होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ यह इतनी ज़्यादा, इतनी एक्सैसिव भी नहीं होनी चाहिए कि कोई शख्स यहां पर आकर इंडस्ट्री चालू करने का नाम ही न ले। मैं समझता हूं कि जो सैशन जज फैसला करेगा उस के बाद ज़रूरत पड़ने पर हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे ताकि इस सिलसिले में जुडीशल कोर्टों को अपना फैसला प्रोनाउन्स करने का मौका मिले कि असल में ज़मीन की कीमत कितनी होनी चाहिए। किसी ने किसी का लिहाज़ नहीं करना और न ही लिहाज़ करने का सवाल ही पैदा होता है। ठीक है कि ज़मीन की कीमत मार्किट प्राइस पर होती है लेकिन अगर मार्किट प्राइस सचमुच 18,000 रु. फी एकड़ हो तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कौन इंडस्ट्रीज़ लगाएगा? अठारह लाख रुपये की जिस आदमी ने सिर्फ ज़मीन ही लेनी है वह दूसरे कामों पर लगाने के लिये पैसा कहां से लाएगा? मैं हैरान हूं कि एक तरफ तो वह भाई पंजाब के लोगों के खैरख्वाह बनने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ वह काम नहीं होने देते जिन से खैरख्वाही जाहिर होती हो। मैं नहीं कह सकता कि वह कितने कांग्रेसी हैं, देश के लिये उन के दिल में कितना प्यार है, सूबे के साथ, सूबे के लोगों के साथ उन्हें कितना प्यार है। यह तो जनता आहिस्ता आहिस्ता कुछ जान गई है और आगे को भी जान पाएगी। मैं इस बात की तफसील में नहीं जाता।

अब मैं आप की मार्फत हाउस को कोटों की बाबत भी कुछ बता देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है। हम ने कोटों का पुराना तरीका रद्द कर दिया है, बदल दिया है। वह कैसे किया है? अब कोटा किसी को जागीर की शक्ल में नहीं देना चाहते। अब जिस किसी को भी कोटा दिया जायेगा उस की बाबत चार बातों का ख्याल रखा जाया करेगा। सब से पहली चीज़ मैं यह देखूंगा कि उस कोटे से उस शख्स ने कितनी चीज़ पैदा की, किस किस को बेची, इस का उसे सबूत देना पड़ेगा। उस से यह पूछा जाएगा कि किस किस को बिल्टी की और कितने २ माल की की। फिर उस जगह से दरियाफत किया जायेगा कि वहां पर वह माल पहुंचा या नहीं। दूसरी बात जो करना चाहता हूं वह यह है कि उन चीज़ों पर उस ने कितना सेल्ज़ टैक्स दिया। अगर सेल्ज टैक्स की रसीद देता है तो पता लग जाएगा कि फलां फलां जगह पर उस ने बिल्टी भेजी, फलां फलां दुकानदार को भेजी। फिर यह देखा जाएगा कि कापर या ज़िंक को ढालने के लिये, लोहे

[मुख्य मन्त्री]

को ढालने के लिये और नई चीजें बनाने के लिये कोयला भी लिया या नहीं और अगर लिया तो कितना लिया। इसके अलावा उन चीजों को बनाने के लिये जो मशीनें उस ने रखी हुई हैं उन की कैपेसिटी को ही नहीं देखूंगा कि मशीन कितनी ज्यादा मिकदार में वह चीजें बना सकती हैं बल्कि यह देखूंगा कि असल में चीज़ें बनाई कितनी हैं। उन्होंने मशीनों की कैपेसिटी दिखाने के लिए ज्यादा रखी होती है लेकिन प्रोडक्शन वह उस का कुछ हिस्सा बन्द कर के कम करते हैं। इस लिये मैं देखना चाहूंगा कि मशीनों ने कितना माल बनाया है और यह देखने के लिए यह देखा जाएगा कि अगर वह मशीन कोयले से चलती है तो उस कारखाने ने कितना कोयला खर्च किया है और अगर वह बिजली से चलती है तो उस ने बिजली कितनी कन्ज्यूम की है। फिर यह देखा जाएगा कि उस कारखाने के मालिक ने सेल्ज़ टैक्स कितना दिया है। यह सारी चीज़ें देख कर अच्छी तरह से तसल्ली कर ली जाएगी कि जो कोटा उस कारखाने को दिया जाता है उस से वह सारा माल मैनुफैक्चर करता है तो फिर उस को और कोटा दिया जाएगा। अगर इतनी एहतियात करने के बाद भी कोई ठग ले तो उस में हमारी बेबसी होगी। इस से ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? (सरदार गुरनाम सिंह : आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।) दिल लोगों की सेवा करने को बहुत करता है और चाहता है कि इन आने वाले 5 या सात सालों में हमारे पंजाब के लोग इंडस्ट्री के लिहाज़ से तरक्की कर जाएं और अपने पांवों पर खड़े हो जायें। हम तो लोगों को इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हर तरह की सहूलतें देने को तैयार हैं (पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या हमारी तरफ भी ध्यान दिय जाएगा? हमें तो इंडस्ट्री लगाने के लिए बिजली का कुनैक्शन भी नहीं दिया जाता।) आप इंडस्ट्री लगाएं ज़रूर, कुनैक्शन देंगे। जहां बिजली नहीं है वहां के लिए तो हिन्दुस्तान की सरकार ने और अच्छी चीज़ कर दी है कि जो बड़ी इंडस्ट्री हो और उसे अगर बिजली न मिलती हो तो उसे वह डीज़ल प्लांट बिजली प्रोड्यूस करने के लिये, इम्पोर्ट लाइसेंस देगी और इस से आगे हम ने यह कर दिया है कि जिसे इम्पोर्ट लाइसेंस डीज़ल प्लांट के लिये मिले वह अगर उसे लगाने के लिए कर्ज़ा चाहे तो हम दे देंगे और जब उसे उस प्लांट की ज़रूरत न रहे तो वह प्लांट भी पंजाब सरकार उस से उस प्लांट की डैप्रीसियेशन काट कर बाकी सब दे कर लेने को तैयार होगी और यह उसे उस जगह पर लगाएगी जहां बिजली नहीं दी हो। हम तो चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिये जो कोई सहूलतें चाहते हैं वह हम देंगे लेकिन जिन को सरकार इस के लिये सहूलतें दे रही है उन के रास्ते में यह रुकावटें न डालें। यह तो आप बेशक कहें कि फलां फलां को सहूलतें नहीं मिलीं, लेकिन यह न कहें कि इस इस को मिली हैं। हमारी तो यह खाहिश है कि अगले कुछ सालों में प्रान्त की पापुलेशन के 20 से 30 परसैंट हिस्से को ज़मीनों से हटा कर इंडस्ट्री में लगाया जाए। हम चाहते हैं कि ज़िलेवार कुछ ऐसी स्कीमें बनाई जाएं जिस से वहां के गांवों की 20 से 30 फीसदी आबादी को ज़रायत से निकाल कर इंडस्ट्री में लगाया जा सके। हम तो चाहते हैं कि आप कोई ऐसी स्कीमें बना कर सरकार के पास लाएं। सरकार आप को हर तरह की सहूलतें देगी।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : अगर आप इमदाद दें तो हम कई इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं ।

मुख्य मंत्री : आप ज़रूर लगाएं, सरकार ज़रूर इमदाद देगी। सरकार उधर (हिन्दी रिजन) के आदमियों की इमादाद करने को बड़ी चाह से तैयार है—

सरदार गुरनाम सिंह : इतनी जल्दी न करें। इस तरह से आपोज़ीशन की कहीं एक और सीट कम न हो जाए । इस का हमें खदशा है।

मुख्य मंत्री : शायद मैं इस बात को भूल जाता। आप का शुक्रिया जो आप ने यह याद दिला दिया है। उधर से (आपोज़ीशन बैंचों से) थोड़ी देर हुई एक मैम्बर साहिब बोल रहे थे और मैं अपने कमरे में उन की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बड़े गजब की बात है कि आपोज़ीशन के 16 मेम्बर ट्रैज़री बैंचों पर चले गए हैं और इस का कारण वह बता रहे थे कि सरकार की पैट्रोनेज की वजह से वह चले गए हैं । मैं समझता हूं कि उन का यह कहना कि वे सरकार की पैट्रोनेज की वजह से सरकारी बैंचों पर चले गए हैं उन के साथ बे-इनसाफ़ी करना होगा । क्या कोई यह कह सकता है कि सरदार गुरनाम सिंह को सरकार की पैट्रोनेज हासिल नहीं हो सकी इसी लिए वह आपोज़ीशन बैंचों पर बैठे हैं। ऐसी बात करना उन के साथ ज्यादती करने के बराबर होगा क्योंकि जो भाई आपोज़ीशन को छोड़ कर इस तरफ आए हैं वह इस लिये नहीं आए कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहूलतें मिली हैं बल्कि वह इस लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि वहां कोई असूल नहीं है, और इन की सारी चीज़ें खोखली हैं....
(श्री जगन्नाथ की तरफ विघ्न) आप की दरखास्त भी आई थी।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो आदमी आपोज़ीशन के बैंचों को छोड़ कर हमारी तरफ आते हैं वे पैसे के फ़ायदा को देख कर नहीं आते और न ही पैट्रोनेज के लिहाज़ से आते हैं, वे तो इन सब की बातें सुन सुन कर मायूस हो गए थे, इस लिये इधर आए हैं, न तो हमारे पास इस मतलब के लिये पैसा है और न ही हम ने उन्हें कभी पैट्रोनाइज़ करने की कोशिश ही की है। इन्होंने यह तोहमत लगाते ज़रा सोचा नहीं कि जो आदमी इस तरफ आए हैं वे ज्यादातर इंडिपेंडेंट मैम्बर थे । वे किसी पार्टी की टिकट पर चुन कर नहीं आए थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी अच्छी लगी है इस लिये वे इधर आ गए हैं और अगर कोई आपोज़ीशन की किसी पार्टी की टिकट पर चुन कर आया हुआ था तो उसे जब यह पता लग गया कि आपोज़ीशन की पार्टियों का कोई असूल नहीं है तो इधर आ गया। आप बतलाएं कि जन संघ, कम्युनिस्ट्स, अकाली पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन में कामन हो, जिस की बिना पर इन का गठ जोड़ हुआ है । अजीब बात तो यह है कि इस गठ जोड़ में कम्युनल पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठ जोड़ किया है इस गठ जोड़ में कौन सा असूल काम करता है जिस की बिना पर यह ज्यादा देर तक चल सकता ? (चौधरी नेत राम : सोशलिस्ट पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिस ने किसी दूसरी पार्टी के साथ गठ जोड़ नहीं किया।) बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने किसी से गठ जोड़ नहीं किया। इसी वजह से उस पार्टी का कोई मैम्बर इधर आया भी तो नहीं । कांग्रेस भी तो किसी के साथ गठ जोड़ नहीं करती ।

सरदार गुरनाम सिंह : क्या इस ने केरला में मुस्लिम लीग के साथ गठ जोड़ नहीं किया था ?

मुख्य मन्त्री : मैं तो समझता हूं कि पंजाब में इस तरह से आपोज़ीशन की पार्टियों ने गठ जोड़ कर के पालिटिक्स का दिवाला निकाल दिया है। जहां तक असूल का सवाल है फिरकादाराना पार्टियों का गैर-फिरकादाराना पार्टियों से गठ जोड़ कहां जायज़ हो सकता है ! यह तो वही बात हुई कि कुछ बतखें हों और कुछ मुर्गियां हों। उन के जो चूज़े हों पहले तो उन का पता नहीं चलता कि कौन मुर्गी का है और कौन बत्तख का है लेकिन जब वह बड़े हो जाते हैं तो बतखें अलग हो जाती हैं और मुर्गियां अलग हो जाती हैं और वह तब अलग होती हैं जब उन्हें अपना पता चल जाता है कि हमारा वजूद दूसरे से अलग है। अगर कोई पार्टी यहां पार्टी के तौर पर अपने असूलों पर चलने के लिये आये तो मैं उस की कदर करने को तैयार हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि डैमोक्रेसी पार्टी सिस्टम के बेसिज़ पर चल सकती है और एक डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगी जितनी ज़्यादा मज़बूत आपोज़ीशन की वह पार्टी होगी जो किसी खास असूल को ले कर आई होगी । लेकिन जहां आपोज़ीशन के ग्रुपों के असूल न मिलें जिन की बाकी बातें न मिलें और जो बाहर से तो एक दूसरे को इलैक्शन के दिनों में गालियां देते रहे हों और वह सिर्फ इस लिये इकट्ठे हुए हों कि उन्होंने कांग्रेस को हराना है तो क्या ऐसी आपोज़ीशन पार्टी ज़्यादा देर तक कायम रह सकती है (श्री जगन्नाथ की तरफ से विघ्न) मैं श्री जगन्नाथ से कहता हूं कि आप भी ज़्यादा देर उधर नहीं रह सकोगे। आप के लिये भी ठीक जगह इधर ही है। (सरदार गुरनाम-सिंह की तरफ से विघ्न) सरदार गुरनाम सिंह, अगर फिरकादाराना पार्टी में आए हुए हैं तो इन्होंने कोई हमेशा के लिये अपना दिमाग़ बय तो नहीं कराया हुआ । उन के लिये भी उधर जगह मौज़ूं नहीं है। हां यह ठीक है कि कुछ देर के लिये इन्होंने अपना दिमाग उधर गिरवी रखा हुआ है। यह तो सिर्फ लीडरी की खातिर ही उधर बैठे हुए हैं लेकिन अब वह भी नहीं रही । अब दो आदमी उधर तसल्ली वाले बैठे हुए हैं जिन की असल जगह इस तरफ है। सरदार गुरनाम सिंह तो सिर्फ लीडर रहने के लिए फिरकादारी के नरक कुण्ड में ज़िन्दगी बसर करना चाहते हैं । यह दोनों आदमी बड़े कौमप्रस्त हैं। इन में से एक की बातें तो मैं लायलपुर से जानता हूं कि वह कितने कौम प्रस्त हैं। सिर्फ एक सीट के लिये या चन्द वोटों के लिये नाराज़ हो गए। वरना वह ऐसे आदमी हैं जो सच्चे मायनों में इन चीज़ों को पसन्द नहीं करते और उन के लिये तो ठीक जगह इस तरफ है। (चौधरी देवी लाल : क्या आप इस तरह की बातें कर के चीन का मुकाबला कर लेंगे ?) मेरा ख्याल है कि यह ऐसे आदमियों को उधर बान्ध कर नहीं रख सकते । जब तक वह इन की इंटिलेक्ट को अपील नहीं कर सकते तब तक यह उन में से किसी एक को भी नहीं रख सकेंगे । यह किसी को बांध कर नहीं रख सकते वह फिर निकल जायेंगे। (चौधरी देवी लाल की तरफ से विघ्न) यह थे तो आपोज़ीशन के लीडर लेकिन अब शुक्र है एक ग्रुप के ही लीडर रह गए हैं । (विघ्न) अगर लीडरी का ही शौक है तो इधर से भेज देता हूं दो ।

चौधरी देवी लाल : क्या यह भेड़ें हैं ?

मुख्य मंत्री : अगर आप को इस तरह से राज़ी रख कर खुशहाली आती हो तो यह महंगी नहीं है। नहीं, यह भेड़ें नहीं हैं, यह वर्कर हैं, इन्हें आता है कि किसी अक्लमन्द से कैसे काम लेना है और किसी बेवकूफ से कैसे काम लेना है। (तालियां) तो मैं कहना चाहता हूं, जनाब, कि हम तो यहां पर सारे सूबे में इंडस्ट्री को तेज़ी से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। दूसरों की कोलैबोरेशन लेनी है। यह मामूली बात नहीं है। अगर हम इस में कामयाब होते हैं तो पंजाब की शक्ल बदल जायगी। यह पता चला है कि एक करोड़ रुपये खर्च करने से एक हज़ार आदमी को काम मिलता है। मैं ऐसी इंडस्ट्री की तलाश में हूं जिस में एक करोड़ रुपये खर्च करके दो या तीन हज़ार आदमियों को काम दिलाया जा सके। एसी इंडस्ट्री को ढूंढ रहा हूं जिस में सरमाया कम लगे। और अगर सरमाया ज़्यादा लगेगा तो मदद भी दूंगा। एक भाई ने कहा कि एक मिल को 10 लाख रुपया दे दिया। गारंटी देंगे, हिस्से लेंगे...... (विघ्न) हम तो इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम ने यह फैसला कर रखा है कि इंडस्ट्री को शहरों के अलावा गांवों में भी फैलाना है। अगर कोई शख्स गांव में इंडस्ट्री लगायेगा तो धरती को छोड़ कर हम इमारत, मशीनरी वगैरह के खर्च का पांचवां हिस्सा सबसिडी के तौर पर देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे। (एक आवाज़ : पेपर स्कीम्ज़ हैं) । नहीं यह पेपर स्कीम्ज़ नहीं हैं। चीन वाले अमरीका को पेपर टाइगर कहते हैं, मगर खुश्चैव ने कहा है कि इस पेपर टाइगर के न्युक्लियर टीथ हैं। इसी तरह से जिन को तुम पेपर स्कीम्मज़ कहते हो इन के टीथ गीयर्ज़ के हैं। (एक आवाज़ इंडस्ट्रीज़ में वज़ीरों के हिस्से हैं।) मुझे नहीं पता कि किसी मिनिस्टर का भी हिस्सा है। अगर हो तो बता दो। (विघ्न) बात कर लो। आप के दाईं तरफ बैठे आदमी को शायद ज़्यादा पता रहता है। मुझे उस का सारा पता रहता है। खैर, मैं एक्सपोर्ट की बात करने जा रहा था।

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member to let the Chief Minister wind p his speech.

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : No please.

मुख्य मंत्री : हम ने लोहे की, पिग आयरन की और फाउंड्री के सामान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है। हम ने महेंद्रगढ़ में पिग आयरन का बड़ा कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस मांग रखा है। मुझे हैरानी है कि अब तक हमें यह लाइसेंस क्यों नहीं मिला। हमने कोलैबोरेशन की बात शुरू कर दी है। जब लाइसेंस मिल गया तो इसे सरकार खुद चलाना चाहती है। जिस काम के लिये हिन्द सरकार किसी प्राइवेट पार्टी को लाईसेंन्स नहीं देती, उसे पंजाब सरकार खुद पब्लिक सैक्टर में कर लेती है। हम ने किसी न किसी तरह इंडस्ट्री को बढ़ाना है।

इस के आगे टैक्नीकल एजुकेशन है। यहां पर एक रैज़ोल्यूशन आया कि फीस माफ करो और कि हरेक को गुज़ारा दो। अगर हाउस की यही मर्ज़ी हुई और उस को आप ने पास कर दिया तो मैं उस का यही मतलब निकालूंगा कि आप चाहते हैं कि स्टाइपंड दूं। तो मैं इस के लिये और खसारा डाल लूंगा (विघ्न) अगर मौजूदा बच्चों को वज़ीफे देने से आइंदा कौम बनती हो तो यह भी कर लूंगा। मैं होम मिनिस्टर का ज़्यादा वक्त नहीं

[मुख्य मन्त्री]
लेना चाहता। उन के पास पहले ही 50-55 मिनट रह गए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हम ने पंजाब की इंडस्ट्री को बढ़ाना है। जिस तरह से पंजाबी चीन के मुकाबले में उछल उछल कर जाना चाहते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, इसी तरह से वह इस टैक्सों के बोझ को खुशी से बरदाश्त करना चाहते हैं। वह देश को प्यार करते हैं। मौजूदा बजट देश प्यार का बजट है। इस के ज़रिये जहां पंजाबी को अच्छी रोटी मिलेगी वहां साथ ही साथ पंजाब की भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी, होगी और ज़रूर होगी। (तालियां)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर, मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि अगर किसी मिनिस्टर का हिस्सा है तो कोई मैम्बर बताए.....

Mr. Speaker : If the hon. Member has any information with him, he should convey that to the hon. Chief Minister.

कामरेड राम प्यारा : वह खुद कह दें कि किसी मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, फिर मैं साबत करूंगा provided the Govenment is prepared to lay the file on the Table of the House.

गृह मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, इस 5 दिन की बहस में बहुत से मेम्बर साहिबान ने हिस्सा लिया। मैं आप से क्षमा चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्वाइंट होंगे जिन के मुताल्लिक मैं वक्त की कमी की वजह से शायद ही कुछ कह सकूं। मुझे इस बात का अहसास है कि मेरे पास वक्त थोड़ा है इस लिये जो कुछ मुझे कहना है वह मैं प्वांइट्स के तौर पर ही कह सकता हूं, तफसील में न जा सकूंगा। इस के लिये मुआफी चाहूंगा।

पहली बात टैक्सों की है जिस पर कुदरती तौर पर मेम्बर साहिबान ने ज्यादा ध्यान दिया। मैं चाहता तो था कि कुछ तफसील में अर्ज़ करूं मगर अब मुख्तसर तौर पर ही अर्ज़ कर सकूंगा। मैम्बर साहिबान यह जानते हैं कि हमारी प्लैन 231 करोड़ रुपये की है। इस में से 134 करोड़ गवर्नमेंट आफ इंडिया ने और 97 करोड़ हम ने अपनी तरफ से डालना है। इस में 40 करोड़ के नये टैक्स शामिल हैं। इस 40 करोड़ में से 17 करोड़ रुपये के टैक्स इस प्लैन के पहले साल में तजवीज़ किये गये। 23 करोड़ रुपया हम ने और इकट्ठा करना है। अगर इस साल के टैक्सों को भी सामने रखें तो शायद ही हम अपने 44 करोड़ के टार्गेट को पूरा कर पाएं। आप यह भी जानते हैं कि एमर्जेन्सी की वजह से भी हम पर खर्च का बोझ आन पड़ा। मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूं कि 1962-63 में 54 लाख रुपया खर्च हुआ और इस साल 101 लाख रुपये का प्रोवीजन किया गया है। पुलिस हमें और बढ़ानी पड़ी। उसकी वजह से 119 लाख रुपये का 1962-63 में और आइंदा साल के लिये 238 लाख का प्रोवीजन रखा है। इसी तरह से फाइनेंस एसिस्टैंस 1962-63 में 12 लाख और 1963-64 में 188 लाख का प्रोवीजन है। यानी 1962-63 में टोटल 185 लाख और 1963-64 में 527 लाख है। और इस के अलावा 120 लाख की वह रकम है जो पुलिस कमीशन की सबसिडी मंजूर कर के पुलिस परसोनल की पेज़ और एलाउंसिज़ वगैरह का बोझ अपने ऊपर लिया है। यह सारा 647 लाख बन जाता है। इस के अलावा एक और बड़ी रकम की जिम्मेदारी

हमें जो उठानी होगी वह है भाखड़ा प्राजैक्ट की । जसा कि आप जानते हैं भाखड़ा प्राजैक्ट खत्म हो चुका और इंट्रैस्ट चार्जिज़ उसके हैं। वह कैपिटल में शामिल नहीं हो सकते, हमें वह अदा करने पड़ेंगे। यह रकम साढ़े बारह करोड़ बनती है।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि फ्लड कंट्रोल को एक एमर्जेन्सी प्राब्लम समझ के टैकल किया जा रहा है। इस साल 798 लाख की रकम रखी गई है। 472 लाख की सिक्योरिटीज़ को खर्च करके भी 598 रुपये का घाटा रह जाता है जिस को पूरा करने के लिये टैक्सिज़ की प्रोपोज़ल आपके सामने रखी है। यह बार बार कहा गया कि हमें डैफीसिट बजट न रख के बैलैंस्ड बजट ही रखना चाहिए । टैक्सिज़ के मुताल्लिक जहां तक मेरा ख्याल है मैम्बर साहिबान ने मुलाहज़ा कर लिया होगा कि अधिकतर इनडाइरैक्ट टैक्सिज़ हैं, सिर्फ एक टैक्स है जो लैवी है, वह भी कमर्शल क्राप्स पर। यह डाइरैक्ट टैक्स है। इसके मुताल्लिक मैं बाद में अर्ज़ करूंगा। कुछ लग्ज़री गुड्ज़ पर टैक्स है वह ऊपर के तबका को ही अदा करना पड़ेगा।

आपोज़ीशन के फ्रंट बैंचिज़ के एक मैम्बर साहिब ने यह फरमाया था कि यह पंजाब हिन्दुस्तान में हाइली टैक्स्ड स्टेट है । उन की ज्ञात के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जो फाइनैंस कमिशन के सामने आंकड़े आए थे वह मैं बताता हूं कि पंजाब की पर कैपिटा जो रैवेन्यू है वह है 12.1 रुपये, वैस्ट बंगाल की 13.3 और महाराष्ट्र की 15.2। यह फिग्गर्ज़ 1957-58 की हैं और 1961-62 की जो फिग्गर्ज़ हैं उन में टैक्सिज़ को शामिल करके 15.4 पंजाब की, 17.9 वैस्ट बंगाल की और महाराष्ट्र की 16.6 है। पर कैपिटा इनकम के मुताल्लिक भी मैं मैम्बर साहिबान की वाकफियत के लिये अर्ज़ करता हूं कि 1960 की लेटैस्ट फिग्गर्ज़ के मुताबिक आल इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 305 रुपये और पंजाब की है 84। मैं मैम्बर साहिबान को सही पिक्चर मुखतसिर तौर पर अर्ज़ कर दूं कि हमारा खर्च सोशल सर्विस और डिवैल्पमैंट पर कई गुना बढ़ा है । 1956 में हमारा खर्च 16.64 करोड़ था लेकिन इस साल का खर्च है 42.91 करोड़। अब आप अन्दाज़ा लगा लीजिए कि 1963-64 में 16 करोड़ से बढ़ कर 43 करोड़ सोशल सर्विस और डिवैल्पमैंट पर हमारा खर्च बढ़ा है। यह है हमारा काम। (प्रशंसा) यों तो हमारे पास हर डिपार्टमैंट का अलग अलग ब्यौरा है लेकिन अगर हम सिर्फ ऐजुकेशन डिपार्टमैंट की ही बात देखें तो 5.38 करोड़ से बढ़ कर इस वक्त है 15 करोड़। सिविल सर्विसिज़ के खर्च के मुताल्लिक भी मैम्बर साहिबान ने फरमाया था । सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा खर्च बहुत कम हुआ है। 1956-57 में अगर पुलिस का बजट शामिल न करें तो हमारी सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन की 11 को परसैंटज थी। इसी तरह से पुलिस के खर्च को छोड़ कर अब 1963-64 में 5.2 परसैंट है। यानी 11 से उतर कर 5.2 पर परसैंटेज आई है। और अगर आज पुलिस का भी खर्च शामिल कर लें तो परसैंटेज सिर्फ 14 रह गई है। इस लिये जो मैम्बर साहिबान यह कहते हैं कि सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कम करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया वह गलतफहमी में हैं।

पंजाब में ऐग्रीकल्चर सैक्टर और इंडस्ट्रियल सैक्टर में काफी तरक्की हुई है। उस की तरफ में इस वक्त न जाते हुए सिर्फ इकानोमी मेयर्ज़ पर मुख्तसिर तौर पर अर्ज़ करना

[गृह मंत्री]

चाहता हूं । मैम्बर साहिबान के पास शायद इनफरमेशन मौजूद है। हमने इस के प्लैन आऊटले में 4.14 करोड़ की बचत की है। नान-प्लैंड में 6.26 करोड़ की और इस के अलावा डी० ए० में 10 प्रतिशत और कंटिन्जेन्सी में 15 परसेंट। यानी 11 करोड़ की बचत है और 4 करोड़ बचा कर फलड के सिलसिले में लगाई है। यानी 15 करोड़ की बचत हमने इस साल के शुरू में की है।

कुछ मैम्बर साहिबान ने यह कहा कि रिडक्शन वगैरह का कुल्हाड़ा छोटे लोगों पर चलता है और सरकार ने बड़े आदमियों को हाथ नहीं लगाया। इस बारे में मैं समझता हूं कि मैम्बर साहिबान के पास इनफर्मेशन कम है, मैं उनकी वाकफियत के लिये अर्ज़ करना चाहता हूं कि 11 सर्कल्ज़ की कन्सालिडेशन डिपार्टमेंट में कमी की गई है। इरीगेशन डिपार्टमेंट में 10 पोस्टों की कमी की जा रही है, विजिलेन्स डिपार्टमेंट में बहुत सबस्टांशल कमी की जा रही है। चीफ इंजनीयरों की 2 पोस्टें कम की जा रही हैं, डीज़ाइन मेजर एक्सटेन्शन में 24 पोस्टों की और आई. ए. एस. की 9 पोस्टों की कमी की गई है, इसी तरह से 9 पोस्ट पी. सी. एस. की घटाई जा रही हैं। इस तरह से क्लास I और II में पोस्टों की जगह जगह रिडक्शन की गई है। हम और भी रिडक्शन करेंगे। मैं इस वक्त इस बारे में ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है।

मैं प्राइसिज़ के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। प्राइसिज़ को कंट्रोल करने के लिये जो कदम उठाए गए हैं उन के बारे में इस हाउस में स्टेटमेंट रखी थी। फिर भी मुझे इस बारे में यह कहने में खुशी महसूस होती है कि नैश्नल एमर्जेंसी की वजह से जो फ्रैश टैक्सिज़ सैंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनके बावजूद भी प्राइसिज़ बढ़ने का कोई एबनार्मल ट्रैंड नहीं है,। यहां पर चंडीगढ़ की मिसाल दी जाती है,। इस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में फूडग्रेन्ज़ की प्राइस में 10 प्रतिशत कमी है। इस कमी की वजह यह है कि सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ के लिए फेयर प्राइस शाप्स खोली हैं। दूसरे कन्ज्यूमर गुड्ज़ में 30 प्रतिशत की कमी हुई है, मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ में प्राइसिज़ रेज़ नहीं हुई हैं बल्कि कमी ही हुई है। इस की वजह यह है कि सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ के लिये फेयर प्राइस शाप्स खोली हैं।

(ट्रैज़री बैंचों की ओर से तालियां)

आज जनसंघ के एक मेम्बर ने एतराज़ उठाया है, वह तो कह कर चले गये हैं। मेरे विचार में उनका शायद सवाल करने का मतलब होगा, वह सुनना नहीं चाहते होंगे, इस लिये मैं तफसील में बता देना चाहता हूं।

Sardar Gurnam Singh : We will convey to him.

गृह मन्त्री: उन्होंने एतराज़ किया है कि अफसर बम्बई जाते हैं और वहां जाकर सामान खरीदते हैं। वह शायद इसको जानते न होंगे। अगर जानते होंगे तो जानबूझ कर इस चीज़ को दबा गए होंगे। मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी चीज़ें बम्बई से आती

हैं । वहां पर हमारे अफ़सर खुद जाते हैं और सामान खरीदते हैं । वह तो होल-सेल के अलावा कन्सैशन ले कर आते हैं । इस से कितना ज्यादा फायदा होता है और वहां पर जाने की बजह से कितनी बचत हुई ? मैं जानता हूं कि उन के अन्दर कौन बोल रहा था । (विघ्न)

स्पीकर साहिब, बात यह है कि चंडीगढ़ कम्पैन्सेटरी अलाउंस बन्द किया । चण्डीगढ़ कम्पैन्सेटरी अलाउंस देने का क्या basis था ? चंडीगढ़ में कौस्ट आफ़ लिविंग बहुत हाई था । यहां पर चीज़ें बहुत महंगी मिलती थीं । मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गवर्नमैंट फेयर प्राइस शाप्स खोल दीं । इन की वजह से प्राइसिज़ में कितनी ही कमी हुई है । आज जो प्राइसिज़ जालन्धर, लुधियाना, अमृतसर और किसी सेंटर में यानी हमारे किसी कमर्शल सैंटर में हैं उन की लैवल तक कीमतें आ चुकी हैं । मैं कह सकता हूं कि शाप्स की वजह से प्राइसिज़ में बहुत कमी हुई है ।

मुझे पता है कि इस बारे में श्री टंडन साहिब को क्यों एतराज हुआ है, किसी ने उन को जा कर कहा और उन्होंने एतराज़ किए, जिनकी जेब में अलाउंस की कमी का असर पड़ता है वह इनको मिलें हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।

सरदार गुरनाम सिंह : क्या वज़ीरों को भी गवर्नमैंट फेयर प्राइस शाप्स से माल मिलता है ?

Home Minister : I have no time to go into this controversy. The hon, Member may have this information at some other time.

स्पीकर साहिब, स्पन पाइप कम्पनी के बारे में चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने कुछ वाकफियत दी हैं । उन के पास समय कम था जिस के कारण वह डिटेल में नहीं बता सके । इस लिये मैं मेम्बर साहिबान की वाकफियत के लिये कहना चाहता हूं । सरदार गुरनाम सिंह जैसे समझदार और तजरबेकार लैजिस्लेटर ने अपने आप को कन्सरन्ड फ़ील किया है, इस की चर्चा अखबारों में और पब्लिक में इतनी देर तक लगातार हुई । वह कुछ गलतफहमियों के कारण हुई है । मैं उन गलतफहमियों को दूर करने के लिये मेम्बर साहिबान को जानकारी देना चाहता हूं । स्पन पाइप कम्पनी है, उसकी जो स्कीम है, उसकी इनवैस्टमैंट 2 करोड़ रुपये की होगी । सरिन्दर ओवरसीयर्ज़ उसको स्पान्सर करने वाली फर्म है । उस के असैट्स एक करोड़ रुपये से ज्यादा हैं, 200 एम्प्लाइज़ उस में काम करेंगे । जैसा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने बताया है, इस के लिये गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से लाइसेंस मिल चुके हैं, एक फारेन स्विस फर्म है, उन की कोलैबोरेशन हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहिब ने 2000 बताए हैं जब कि आप 200 एम्प्लाइज बता रहे हैं । (The hon. Chief Minister stated the number of employees as 2,000, but the hon. Home Minister is stating it as 200.)

Home Minister : I am sorry for this. According to my information the number is 200.

[गृह मन्त्री]
मैं देख लूंगा। स्पीकर साहिब, इस वक्त सारे हिन्दुस्तान में 3 ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, 2 वैस्ट बंगाल में, एक मैसूर में और चौथी पंजाब में लगाई जा रही है। इस की 90 प्रतिशत प्रोडक्शन गवर्नमेंट के काम आएगी। यह फैक्ट्री सैंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमैंट की 5 प्रतिशत नीड्ज़ को पूरी करेगी। 48,000 टन प्रोडक्शन होगी, लेकिन यहां पर जिस एक्विज़ीशन का ज़िक्र किया गया है वह 25 अक्तूबर, 1960 को नोटीफिकेशन के जरिए एक्वायर की गई थी, और सरकार ने 1961 में 10 हज़ार रुपये देने का फैसला किया था। जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी अभी बताया है कि लैंड एक्विज़ीशन कलैक्टर होता है जो कीमत मुकर्रर करता है, उस ने 18,000 रु. कीमत मुकर्रर की। तहसीलदार के मुताल्लिक यहां पर काफी चर्चा हुई कि तहसीलदार ने रिपोर्ट कर दी है। कीमत मुकर्रर कर दी है। मैं उन को सही इन्फर्मेशन देना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि यहां पर सही वाक्यात नहीं रखे जाते। पहली बात तो यह है कि तहसीलदार से सिर्फ रिपोर्ट मांगी जाती है, वह पिछले 5 सालों की जो ऐवरेज होती है वह दे देता है और कलैक्टर उस की कीमत मुकर्रर करता है।

सरदार गुरनाम सिंह : क्या उस (तहसीलदार) को सिफारिश की गई थी।

गृह मंत्री : सिफारिश वहां नहीं की जाती।

Sardar Gurnam Singh : I know better than you do.

गृह मंत्री : उसे 5 साल की ऐवरेज रिपोर्ट निकालने के लिये कहा गया था। उस की यह इन्फर्मेशन थी। उस ने तीन किस्म की ज़मीन बताई थी, और तीनों की अलग अलग कीमत बताई थी, चाही की 6,500 रु० फी एकड़, दरमियानी की 2,500 रु० फी एकड़ तथा बंजर ज़मीन की 925 रु० फी एकड़ बताई थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां पर बंजर ज़मीन का ही जिक्र किया गया है और दूसरी ज़मीन जिस की कीमत 6,500 और 2,500 रु० दी गई है उस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। (विघ्न) खैर, यह सब-ज्यूडिस् मामला है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी अभी कहा। इस लिये मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूं कि मैम्बर साहिब को भी इसके मुताल्लिक ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिये था।

1.00 P.M.

(शोर) (विघ्न) मैं अभी बतलाता हूं....

Chaudhri Khurshed Ahmed : On a point of order, Sir. It is an award given by the Court. It cannot be a *sub-judice* matter. The information given by the Honourable Minister on the Floor of the House is not correct.

Mr. Speaker : Does an appeal lie against this order of the court ?

Chaudhri Khurshed Ahmed : Yes, it does.

Mr. Speaker : Then the matter is *sub-judice*. The point raised by the hon. Member is not a point of order.

गृह मंत्री : मैं मैम्बर साहिब की बेचैनी और घबराहट को समझ सकता हूं । मैं अभी बतलाता हूं । मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा । मेम्बर साहिब उस पार्टी के बतौर एडवोकेट आखिर तक पैरवी करते रहे । उन को इस लिये इस बात का ज़िक्र यहां नहीं करना चाहिए था । इस से ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहता । यह मैम्बर साहिब उन के रिश्तेदार भी हैं । इस के बारे में कुछ और ज़िक्र नहीं करता...

आवाजें : आप ने ज़िक्र तो कर दिया । (विघ्न)

गृह मंत्री : लैंड एक्विज़ीशन अफसर ने जो एवार्ड दिया है वह 18 फरवरी को दिया है । (विघ्न) उस के मुताल्लिक पार्टी कन्सर्न्ड समझती है कि जो असैसमेंट हुई है वह बहुत हाई हुई है । उस के बारे में चाराजोई करने के लिये पार्टी और गवर्नमैंट भी तैयार है । मैम्बर साहिब को जो शिकायत है वह यह है कि अभी तक हमें रकम नहीं मिली । 18 फरवरी को एवार्ड हुआ है और मैम्बर साहिब ने तीन हफते भी नहीं गुज़रने दिये और यहां आ कर स्पीच कर दी कि उस पार्टी को इस से भी पहले रकम मिल जानी चाहिये थी । अब अंदाज़ा लगाइये । अभी कानूनी रैमेडी करनी है, । जल्दीबाजी से रुपया उन को मिल जाए, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । यह अभी सब-जुडिस केस है । अभी अपील या कानूनी रैमेडी होनी है । फैसला हो जाए, उस के बाद पेमेंट का सवाल पैदा होता है । इस लिये मैं इस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिस से जुडीशल अथारिटी की जजमैंट प्रैजुडिस हो । मैम्बर साहिब की वाकफियत के लिये मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कम्पनी गुडयीअर वालों को सरकार ने अभी अभी पचास एकड़ ज़मीन एक्वायर कर के दी । उस की असैस्मेंट 2,000 रुपया फी एकड़ हुई थी । (विघ्न) यहां पर असैस्मेंट 18 हज़ार फी एकड़ हुई है तो गवर्नमेंट को हक है कि दूसरी जुडीशरी से या किसी और अथारिटी से फैसला करवा ले कि जो असैस्मेंट इस वक्त लैंड कलैक्टर ऐक्विज़ीशन ने की है वह ठीक है कि नहीं । (विघ्न)

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that the land was assessed at Rs 200 per a re while the hon. Member has written to say that the land adjacent to that was sold at Rs 30,000 per acre. Is it a fact?

गृह मंत्री : मैं इस के मुताल्लिक नहीं कह सकता । मेरा काम जजमैंट देना नहीं है । वह तो जुडीशरी और कोर्ट्स देंगी । मैं तो फैक्चुअल इन्फर्मेशन दे रहा हूं । प्राइसिज़ के डाक्युमेंट्स तो कोर्ट्स देखेंगी (विघ्न)

आवाजें : आप गलत इत्तलाह क्यों नहीं देते हैं ? (विघ्न)

गृह मन्त्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि अभी अभी चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने बतलाया है और मैं भी मैम्बर साहिब को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1960 में गवर्नमैंट ने अपनी पालिसी की एनाउन्समेंट की थी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पंजाब में लगाने के लिये और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ऐट्रेक्ट करने के लिये हमें उन को कुछ इन्सैंटिव देना चाहिये । उस एनाउन्समेंट में कहा था कि जो भी लाइसेंस ले कर पंजाब में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहे उस को सरकार लैंड ऐक्वायर कर के देगी । मेम्बर साहिबान उस पालिसी को याद करें । हम ने कहा था कि हम बिजली भी देंगे और जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर स्टेट पार्टिसिपेशन इन कैपिटल करने को भी तैयार होंगे । रा मैटीरियल जो कि मैनुफैक्चरिंग में इस्तेमाल होगा उस पर दस साल के लिये ड्यूटी न लगाने की एनाउन्समेंट

[गृह मंत्री]
की थी। और भी इन्सैंटिव दिये थे। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने जो पालिसी उस वक्त एडाप्ट की थी उस की वजह से पंजाब में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिये यहां पर आए और हम ने उन की मदद की। (विघ्न) आज भी सरकार की वही पालिसी है। सरकार आज भी उस पर अमल करती है और करेगी। इस लिये मैं यह बात दोहराने की ज़रूरत महसूस करता हूं कि ऐसी नुक्ताचीनी सरकार के काम में रुकावट डालती है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स पंजाब में आना चाहते हों, वे यह नुक्ताचीनी सुनेंगे तो उन के मन में झिझक पैदा होगी। मैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पंजाब सरकार की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि सरकार उसी पालिसी पर कायम है जो कि उस ने 1960 में एनाउन्स की थी। उन को ज़मीन की ज़रूरत होगी तो ज़मीन ऐक्वायर करके देंगे। फाइनैन्शल कोलैबोरेशन की ज़रूरत जहां पर होगी, फाइनैन्शल कोलैबोरेशन करेंगे। पंजाब सरकार के सामने पंजाब की जनता का सवाल है। मुझे अफसोस है कि कुछ मैम्बर साहिबान यहां पर पर्सनल आउट लुक ले कर पंजाब की इंडस्ट्रियल पालिसी पर नुक्ताचीनी करते हैं जिस से पंजाब की इंडस्ट्री में कोई रुकावट पड़ती है तो यह कोई सही बात नहीं है। इस से पंजाब पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमें ज़ातियात से ऊपर उठना चाहिये। किसी एक शख्स की ज़मीन या चन्द खानदानों की ज़मीन जिस में हमारा कुछ भी इंट्रैस्ट हो उस से हमें इतना प्यार नहीं होना चाहिये जितना कि पंजाब की जनता से प्यार होना चाहिये, और पंजाब की इंडस्ट्री से प्यार होना चाहिये।

फिर, स्पीकर साहिब, यहां पर कोआप्रेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी का ज़िक्र किया गया था। मेरे पास इत्तलाह है कि जब लैंड ऐक्विज़ीशन प्रोसीडिंग्ज़ शुरू हुई थीं तो शायद रुकावट डालने के लिये ही बाद में एग्रीकल्चरल को-आप्रेटिव सोसाइटी वहां पर बनाई गई। मैं हैरान हूं कि जो भाई फरीदाबाद को फराडाबाद का नाम लेकर पुकारना चाहते हैं उन के दिल में पंजाब और पंजाब की इंडस्ट्री के लिये क्या प्यार हो सकता है। यह वह फरीदा-बाद है जिस ने पंजाब में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में अपना नाम पैदा किया है। उस के मुताल्लिक सिर्फ इसी बात पर कि एक्वायर की गई ज़मीन के लिये अपनी मर्ज़ी की कीमत नहीं मिली, इस कदर गैर-जिम्मेदाराना बातें कह कर पंजाब को और पंजाब की इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जाए तो इस से बढ़ कर बुरी और बात क्या हो सकती है।

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : ऑन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। होम मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उस को वह ज़मीन एक्वायर कर के देंगे। जो एशोरैंस चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने हाउस के अन्दर दी है कि अगर ऐग्रीकल्चरल ज़मीन को एक्वायर करेंगे तो उसके लिये मार्किट प्राइस देंगे और नौट ऐट दि कौस्ट आफ़ पूअर......

Mr. Speaker : It is not a Point of Order.

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : It is a question of assurance given on the Floor of the House.

Mr. Speaker : The hon. Member can take it up with the Committee on Assurances. It is not a Point of Order.

गृह मन्त्री : इसी तरह से पंचशील कोग्राप्रेटिव सोसाइटी का भी ज़िक्र किया गया था और उस पर बोलते हुए यह कहा गया था कि पंजाब सरकार ने इस सिलसिले में दो लाख रुपये के डिबैंचर खरीद कर बड़ी नामुनासिब बात की। स्पीकर साहिब, पंचशील इंडस्ट्रियल कोग्राप्रेटिव सोसाइटी फरीदाबाद में हैंडलूम खादी को प्रोसैस और फिनिश करने के लिये बनाई गई थी। उस में जो मशीनरी लगाई गई वह नई किस्म की थी और हिन्दुस्तान में अपनी किस्म की ही थी। उसकी मैनेजमैंट में दीवान चमन लाल, मौलवी अब्दुल ग़नी डार, सरदार जोगिन्दर सिंह मान और श्री फिरोज़ चन्द जी जैसे आदमी थे। इंडस्ट्रियल कोग्राप्रेटिव्ज़ को बढ़ावा देने की सरकार की पालिसी है। तो नई किस्म की इंडस्ट्री लगी। इतने सम्मानित उस में व्यक्ति थे तो सरकार का फर्ज़ हो जाता था कि उस को बढ़ावा देती। मुझे अफसोस है कि बाद में उस की मैनेजमैंट कुछ ठीक न रही और सरकार ने उसे टेक ओवर करके अब ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया हुआ है। अब आशा है कि वह सही ढंग से चलेगी।

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair)

इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन अब सरदार गुरनाम सिंह जी की कही हुई बात हो तो जरूरी हो जाता है कि उसका जवाब दूं। कुछ बातों का तो चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਔਬਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

उपाध्यक्षा : सरदार गुरनाम सिंह जी, इन्हें अब अपनी बात कहने दीजिए। (I would request hon. Sardar Gurnam Singh to let the Hon. Home Minister have his say).

गृह मन्त्री तो मेरे दोस्त, सरदार गुरनाम सिंह जी ने फरमाया था कि सरकार को एमर्जेंसी की सिच्वेशन को एक्सप्लायट नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में ज़्यादा तो कुछ मैं कहना नहीं चाहता लेकिन सिर्फ इतनी ही बात अर्ज़ करूंगा कि हम हर ज़िम्मेदार व्यक्ति की इस सम्बन्ध में कोग्राप्रेशन सीक कर रहे हैं। खुद सरदार साहिब की कोआप्रेशन लेते रहे हैं, हर कमेटी में उन को शामिल करते रहे हैं और आगे को भी उन से सलाह मशविरा करते रहेंगे। इस लिये एमर्जेन्सी को एक्सप्लायट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

इस के साथ ही साथ उन्होंने फरमाया था कि किसी भी देश में डैमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिये एक मज़बूत आपोज़ीशन का होना निहायत ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी अभी इस की बाबत अपने ख्यालात का इज़हार किया है। लेकिन एक बात सरदार साहिब ने और कही थी और वह यह कि जब कुछ अर्सा के लिये एक ही पार्टी की हकूमत बनी रहे तो ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिटीरियोरेशन आ जाती है, काम निकम्मा हो जाता है।

सरदार गुरनाम सिंह : यह मैं ने एक कोटेशन दी थी।

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने उन से सरसरी तौर पर ज़िक्र किया था कि अगर इस वक्त कांग्रेस चाहे भी तो हकूमत की बागडोर किस आल्टर्नेटिव पार्टी के स्पुर्द करे

[गृह मन्त्री]
कौन पार्टी आल्टर्नेटिव हकूमत बनाएगी? वह इस बात को टाल गए। फिर भी मैंने बाद में इस बात को सोचा कि क्या सचमुच मौजूदा हालात में कोई ऐसी पार्टी पंजाब में या हिन्दुस्तान में हो सकती है जिस के हाथों में मौजूदा कांग्रेस पार्टी हकूमत की जिम्मेदारी दे सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे तो ऐसी कोई पार्टी नजर नहीं आई जो हकूमत को कांग्रेस के हाथों से सम्भालने के योग्य हो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बहुत ज्यादा बारीकबीनियों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन सरदार गुरनाम सिंह जी से नम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हुआ अर्ज करूंगा कि पंजाब के अन्दर डैमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई उन की सब से बड़ी संस्था शिरोमणि गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी है। उस की 3 मार्च, 1963 को जो मीटिंग हुई उस सिलसिले में सरदार गुरनाम सिंह जी ने जो बयान दिया वह इनकी अपनी अखबार 'प्रभात' में छपा था। उस को मैंने पढ़ा। मैं अपनी तरफ से तो कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता लेकिन सरदार साहिब के ही ख्यालात को जो कि अखबार में छपे, आप की इजाजत से हाउस के सामने पढ़ना चाहता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

गृह मन्त्री : तो 3 मार्च को हुई गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी की मीटिंग से सम्बन्ध रखने वाले उन के बयान को जो कि 5.3.63 के अखबार "प्रभात" में छपा, मैं पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा :

"मीटिंग हज़ा में गुंडागर्दी के हालात देख कर मुझे सख्त मायूसी हुई है।"

आगे चल कर आप ने फरमाया :

"इन की तरफ से हर मुखालिफ तरफ से बोलने वाले मैम्बर की बेइज़्ज़ती की जाती थी, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि अगर इन लोगों का यही रवैया रहा और गुरद्वारा प्रबन्ध इसी तरह से चलता रहा तो शिरोमणि कमेटी और गुरद्वारे पंथ के कब्ज़ा में नहीं रह सकेंगे। शिरोमणि कमेटी सिक्खों की सब से बड़ी धार्मिक मुन्तखिबशुदा जमायत है। सन्त फतेह सिंह जी ने मैम्बरान के इखलाक का दीवाला निकाल दिया है।"

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਥੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के साथ ही साथ इसी अखबार में कंवरानी जगदीश कौर साबका एम. एल. ए. का भी बयान छपा। उन्होंने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था :

"जो गुंडागर्दी, बदतमीज़ी और इखलाक का दीवालापन सन्त फतेह सिंह धड़े की तरफ से देखा उस से सर शर्म से झुक जाता है। यह शिरोमणि कमेटी की मीटिंग न थी बल्कि मछली मंडी का नज़ारा था और यह सब कुछ लच्छमन सिंह गिल की सरकरदगी में हो रहा था।"

आगे चल कर उन्होंने कहा :

"इस से पहिले मैं कई मीटिंगों में शामिल हुई हूं मगर ऐसी गुंडागर्दी और बद-तमीजी कभी न देखी थी और यह सब कुछ एक तैशुदा प्रोग्राम के मुताबिक किया जा रहा था।"

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

उपाध्यक्षा : मुझे डर है कि कहीं यहां पर भी मछली मार्किट न बन जाए।

(I am afraid this house may also become a fish market).

गृह मन्त्री : इस के अलावा अगर मैं सरदार गुरबख्श सिंह जी का, जो कि इस वक्त यहां पर नहीं बैठे हुए, बयान भी पढ़ कर सुना दूं तो हाउस की वाकफियत में शायद इज़ाफा हो। मेरे पास "प्रभात" की ही कटिंग्ज़ हैं क्योंकि मैं किसी और शख्स को यहां कोट नहीं करना चाहता था और न ही अपने ख्यालात बताना चाहता था।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਟਿੰਗਜ਼ 'ਪਰਭਾਤ' ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। (ਹਾਸਾ)

गृह मन्त्री : जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं तो अपनी तरफ से एक लफज़ का भी कमेंट पेश नहीं करना चाहता। मैं उस संस्था की मीटिंग की बाबत उन के ख्यालात आप के सामने रख रहा हूं जिस संस्था के यह मुन्तखिबशुदा मेम्बर हैं, जिस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर यह यहां पर चुन कर बैठे हुए हैं। मैं तो उस सिलसिले में बात कर रहा हूं जो उन्होंने फरमाया कि हम इन को हकूमत की बागडोर ट्रांस्फर कर दें। अगर हम इन को हकूमत के अख्तियारात दे दें तो यह गुंडागर्दी कहां जाएगी ? यह मछली मंडी का नज़ारा कहां जाएगा, और क्या कुछ नहीं होगा ? मैं तो आप के ज़रिये यह बतलाना चाहता हूं.............

Sardar Gurnam Singh : On a point of Order, Madam. A ruling has been given time and again that a reference to Newspapers cannot be made.

गृह मन्त्री : Why not. अखबार में से रैफ्रैंस दिया जा सकता है.....

उपाध्यक्षा : बड़े अफसोस की बात है कि उन के प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब देने के लिये मैं खड़ी हुई हूं और मेरे से पहले आप ने जवाब देना शुरू कर दिया है। मैं गृह मन्त्री साहिब से कहूंगी कि यहां यह अखबार न पढ़ी जाए तो बेहतर होगा।
(I am really sorry to point out to the hon. Minister that he has begun giving the ruling himself on the point of order raised by the hon. Member though I had risen in my seat to do so. I would request him to avoid reading out from the newspaper.)

Sardar Gurnam Singh : Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee has nothing to do with politics and the hon. Minister is getting out of control. He will have to hear the answer from this side.

गृह मन्त्री : अच्छा जी, मैं अखबार में से नहीं पड़ता। मैं इन से पूछता हूं कि यह घबरा क्यों गए हैं ? अगर यह शिरोमणि गुरद्वारा कमेटी में हुई कार्यवाही की ज़िम्मेवारी नहीं

[गृह मन्त्री]
ले सकते तो यह पंजाब असैम्बली में अपनी पार्टी की जिम्मेवारी ले सकते हैं। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि यह यहां कितने चुन कर आए थे और आज यह कितने बैठे हैं और आज इन की पार्टी में कितने ग्रुप हो गये हैं। (सरदार गुरनाम सिंह की तरफ से विघ्न) इन को यह भी क्या पता नहीं कि इन की पार्टी के अब कितने लीडर हैं? और यह भी पता नहीं कि लीडर है कौन? हालत यह है इन की पार्टी की कि दो लीडर बने हुए हैं और हर एक लीडर दूसरे की लीडरशिप को चैलेंज करता है। अगर मैं वहां का हवाला नहीं दे सकता तो यहां का तो दे सकता हूं। इन की अपनी हालत यह है और मांग करते हैं कि हाई पावर्ड कमिशन मुकर्रर किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह भी इन की एक पोलिटिकल चाल थी, एक पोलिटिकल आबजैक्टिव था जिस के बारे में अभी चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने.... (*Interruption by Sardar Gurnam Singh*) यह बकवास है। This is all rubbish and 'Bakwas'

सरदार गुरनाम सिंह : यह जहां रुपये खाते हैं....

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। मैं होम मिनिस्टर साहिब से कहूंगी कि वह बकवास का लफ्ज़ वापस ले लें। (Order please. I would request the hon. Home Minister to withdraw the word 'Bakwas'.

गृह मन्त्री : वह मैं वापस लेता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

गृह मन्त्री : अपनी औकात तो देखो।

उपाध्यक्षा : मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सरदार गुरनाम सिंह जैसे सयाने मैम्बर इस तरह से बीच में बोल रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं। (I am very sorry to point out that a seasoned Member like Sardar Gurnam Singh is interrupting the Minister with such remarks.)

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप इन को कंट्रोल में कर लें तो बेहतर रहेगा वरना मैं तो इन की इंट्रप्शन से घबराता नहीं हूं।

(*Interruption by the Agriculture and Welfare Minister.*)

ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ : ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ।

ਸਰਦਾਰ **ਜੋਗਿੰਦਰ** ਸਿੰਘ : ਪੰਡਤ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ।

गृह मन्त्री : नहीं कहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बता रहा था कि यह यहां हाई पावर्ड कमिशन के बनाने की बात कर रहे थे। यह एक पोलिटिकल बात थी, एक राजनीतिक बात थी और इस के पीछे एक राजनीतिक आबजैक्टिव था। हम जानते हैं उन की घबराहट को। जो आपोजीशन के मैम्बर साहिबान हैं उन की घबराहट को हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इन के पास और कोई बात तो कहने को होती नहीं, इस लिये यही बात कह देते हैं कि एक हाई पावर्ड कमिशन बनाया जाए, एक बड़ा कमिशन बनाया जाए,

छोटा कमिशन बनाया जाए। मैं जानता हूं इन की घबराहट को। मैं इन्हें कहता हूं कि यह मेरे आपोज़ीशन वाले भाई इम्पार्शल ढंग से सोचें कि इस मामले को किस तरह से डील किया जा सकता है। क्या इस की बड़ी अच्छी मिसाल चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने उन के सामने कायम नहीं की थी जो उन्होंने एक नान-आफिशल मैम्बरों की विजिलेन्स कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का चेयरमैन लीडर आफ़ दि आपोज़ीशन, जो उस वक्त पंडित श्री राम शर्मा थे, को बनाया था? यह क्या कोई कम बात थी? हम इस चीज़ से नहीं घबराते। (*Interruption by Ch. Devi Lal and by the Agriculture and Welfare Minister*)

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सैपरेशन आफ़ जुडीशरी फ्राम ऐग्ज़ैक्टिव के मुताल्लिक यहां कहा गया था। यह बात जब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की तरफ से कही गई है, तो इस बारे में कुछ बताना मेरा फर्ज़ हो जाता है। मैं उन्हें और हाउस को आप के ज़रिए बता देना चाहता हूं कि इस बारे में तीन दफ़ा विचार किया जा चुका है। पहली दफा इस बात पर 1957 में डिप्टी कमिश्नर्ज़ कान्फ्रेन्स में विचार किया गया था और उन की युनैनिमस रिकमेंडेशन थी कि अभी इस चीज़ के लिये हमारी स्टेट में ठीक एटमस्फीयर नहीं है। उस के बाद 1959 में फिर जब डिप्टी कमिश्नर्ज़ कान्फ्रेन्स हुई तब भी इस मसले पर विचार किया गया और तब भी उन सब की युनैनिमस रिकमेंडेशन यही हुई कि अभी अनुकूल एटमस्फीयर नहीं है। फिर 1961 में जब यह कान्फ्रेन्स हुई तब भी यही फैसला हुआ। इस साल फिर सितम्बर में जब फिर वह कान्फ्रेन्स होगी तो फिर इस मसले पर विचार करेंगे। मुझे सरदार गुरनाम सिंह, जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, की एक बात सुन कर बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने यह कहा कि सरदार हज़ारा सिंह गिल को सरकार ने झूठे मुकदमे में कैद कर रखा है और उन्होंने यह कहते हुए इस बात को भी तसलीम किया कि उन की कनविक्शन हाई कोर्ट में भी अपहैल्ड रही है यानी उन की अपील को हाई कोर्ट ने नामंजूर किया। इस बात के बावजूद यह फिर भी कह रहे हैं और इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि सरदार हज़ारा सिंह पर झूठा केस बनाया गया और उस के साथ इन्साफ़ नहीं हुआ। अगर यह बात कोई और कहता तो मैं समझ सकता था लेकिन जब यह बात इतने तजरुबाकार आदमी के मुंह से, जो काफी अरसा तक हाई कोर्ट के जज रहे हों, उन के मुंह से निकले तो मुझे देख कर बड़ा अचम्भा हुआ है। (विघ्न) यह देख कर बड़ी हैरानी होती है कि यह काफी देर तक हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और यह हाई कोर्ट की जजमेंट की इतनी कदर करते हैं और कहते हैं कि फैसला गलत हुआ है और सरदार हज़ारा सिंह के साथ धक्का हुआ है। इस के साथ ही यह मांग करते हैं कि जुडीशरी और ऐग्ज़ैक्टिव को अलग कर दिया जाए। यह भी इन की सयासी बातें हैं। (विघ्न)

ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ : ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕਲ ਤਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ?

Deputy Speaker : No interruption please.

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात और एक मैम्बर साहिब ने कही थी जो अब यहां पर बैठे नहीं हैं । मैं उन की वाकफियत के लिये एक बात कहना चाहता था । उन्होंने हिन्दी रिजन की तरफ आप का ध्यान दिलाया था । मैं उन की वाकफियत के लिये यहां कुछ आंकड़े रखना चाहता था । यह बात सही है कि हिन्दी रिजन पंजाबी रिजन के मुकाबले में कम डिवैल्पड है लेकिन सरकार का यह फैसला है कि उस की डिवैलपमैंट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए ।

उपाध्यक्षा : सदन सोमवार 18 March, 1963 के दो बजे दोपहर तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday the 18th March 1963)

21217 P.V.S.—387—9-8-63—C.P., and S.,Pb., Chandigarh.

ANNEXURE

(Please see foot note at page 40 of the debate.)

CINEMAS IN THE STATE

819. Comrade Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state the total number at present of cinemas in the State with the location of each cinema, districtwise ; the name of the license-holders running the cinemas ; the dates when the licenses were granted and the seating capacity in each cinema in accordance with the number mentioned in the application submitted for the issue of the said license ?

Interim Reply

Unstarred Assembly Question No. 819 to be asked by Comrade Ram Piara, M. L. A., regarding Cinemas in the State.

The answer to the Assembly Question No. 819 appearing in the list of unstarred questions on the 15th March, 1963 in the name of Comrade Ram Piara, M. L. A., is not ready. The requisite information is being secured from the District Magistrates in the Punjab. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/- Home Minister

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 2809. 1 H. 63, dated Chandigarh, the 12th/14th March, 1963.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

18th March, 1963

Vol. I—No. 17

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 18th March, 1963

Punjab Vidhan Sabha, Secretariat, Chandigarh

Price : Rs. 8.30 n.P.

ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I, No. 17, dated the 18th March, 1963

Read	*For*	*On page*	*Line*
ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼	ਟ੍ਰਗਾਈਦਜ਼	(17) 2	22
tampered	tempered	(17) 14	3
device	devise	(17) 14	12
latter	later	(17) 14	37
watch	watche	(17) 14	4th from below
tampering	tempering	(17) 15	11 & 24
wrongful	wrongfui	(17) 15	25
Rs. 14	Rs. 1	(17) 15	34
for	fo	(17) 15	35
first	firstr	(17) 15	36
nourishing	hourishing	(17) 19	19
behave	behaves	(17) 20	24
pet	pot	(17) 20	17th from below
Jagraon	Jagroan	(17) 31	28
justified	justifled	(17) 34	6
'में' after 'इस'		(17) 34	25
cost	cos	(17) 41	19
for	fot	(17) 41	20
residents	icsidents	(17) 41	23
soon	on	(17) 41	27
general	genetal	(17) 50	9
Answers	Answe	(17) 55	Top Heading
(Delete one "the")		(17) 68	Last but one
to	o	(17) 71	2
ਸਿੰਘ	ਸਿਘ	(17) 84	18

Chief	Chif	(17) 94	12th from below
Comrade	Comarde	(17) 99	1
शायद	शाद	(17) 100	2
Member	Membcr	(17) 100	9th from below
कि	के	(17) 101	2nd from below
कतल	कत्तल	(17) 101	2nd from below
VIDHAN	VIDHA	(17) 102	Heading
Member	Members	(17) 102	7
सैक्शन	सैक्शनज़	(17) 102	7th from below
sorry	sorty	(17) 104	14th from below
Demands	Demandts	(17) 105	Heading
ਐਡੀਸ਼ੈਂਟ	ੈਡੀਸ਼ੈਂਟ	(17) 114	18
श्री जगन्नाथ	श्री जगगनाथ	(17) 117	9th from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 18th March, 1963

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Prabodh Chandra) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker: We shall first start with the Question Hour. Originally the hon. Minister for Irrigation and Power was to make a statement regarding the incorrect reply previously given to a starred question, but he should do so after the Question Hour.

POLICE OFFICERS/OFFICIALS POSTED IN AMRITSAR DISTRICT

***1231. Comrade Makhan Singh Tarsikka**: (Put by Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal) : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that recently the Police Constables and Police Officers of Amritsar District refused to draw their pay as a protest against the compulsory deduction for National Saving Fund ;

(b) whether it is also a fact that some Police Officials staged a demonstration by way of protest ;

(c) whether the District Police Officials have now received their pay without any such deductions ?

Shri Mohan Lal: (a) to (c) There was no compulsory deduction for National Saving Fund, but the officers and men had been requested to make voluntary contributions. Two constables tried to create mischief by demonstrating that deductions were compulsory. The men, however, drew their pay in the normal course.

POLICEMEN ENROLLED FROM LUDHIANA DISTRICT

***1818. Babu Ajit Kumar**: Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether any policemen have been enrolled from Ludhiana District during the current year ; if so, the number of those amongst them belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes ;

[Babu Ajit Kumar]

(b) the total number of persons who offered themselves for enrolment and the number of those belonging to Scheduled Castes and Backward Classes candidates amongst them ;

(c) whether any candidates belonging to Scheduled Castes and Backward Classes were rejected ; if so, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, 133 Police Constables were enlisted in Ludhiana District during the year 1963 (up to 7th February), of whom 33 belonged to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes.

(b) During the same period, 159 persons offered themselves for enrolment in Ludhiana District, of whom 49 belonged to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes.

(c) Yes, 16 candidates belonging to Scheduled Castes/Backward Classes were rejected, as they were not up to the required physical standard or were declared medically unfit.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 133 ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੇਂਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਾਂਸਟੇਬਲਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਦਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50% ਤਕ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਫਿਟ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣ । ਮਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੇਂਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੇਂਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?

मन्त्री : वह तो पहले ही कम किये हुए हैं ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह कम्युनिटी ही कमज़ोर है या कि जो तगड़े हैं वह आते ही नहीं ?

Mr. Speaker : How can the Minister say that ?

कामरेड राम चन्द्र : क्या सिपाही भर्ती करने के लिये कोई ऐजुकेशनल क्वालीफिकेशन भी रखी हुई है ?

मन्त्री : आम तौर पर मैट्रिकस को प्रैफरैंस देते हैं ।

कामरेड राम चन्द्र : वज़ीर साहिब ने कहा कि अगर मैट्रिकस अपने को पेश करें तो उन को तरजीह दी जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बैकवर्ड इलाकों के अनपढ़ लोग अपने आप को भर्ती के लिये पेश करें तो क्या उन के लिये भी कोई गुंजाइश रखी जाती है या कि मैट्रिकुलेशन पर इन्सिसट किया जाता है ?

मन्त्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि जो रैजरवेशन की हुई है वह सिर्फ शैड्यूलड ट्राइब्ज़ और बैकवर्ड क्लासिज़ के लिये है। सरकार कोशिश करती है कि उन को जितनी परसैंटेज दी हुई है यानी 21 परसैंट, उस को पूरा कर दे। पहले से काफी ज़यादा यह कमी पूरी हो भी चुकी है मगर पूरी तरह से यह कमी पूरी नहीं हुई। इन के अलावा और किसी के लिये रैज़रवेशन नहीं की हुई।

कामरेड राम चन्द्र : मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि क्या जहां शैड्यूल्ड कास्टस में तालीम में कमी है वहां पर सरकार उनकी योग्यताओं को भी ढीला कर देगी क्योंकि आम तौर पर शैड्यूलड कास्टस कम पढ़े होते हैं ?

मन्त्री : मैं ने यह बताया है कि शैड्यूल्ड कास्टस के लिए पहले ही इस बात में ढील दे रखी है. मैं ने कहा था कि मैट्रिक को प्रैफरेंस दी जाती है पर इसका मतलब यह नहीं कि इस के इलावा हम पोस्टस फिल नहीं करते।

(**Shri Balramji Dass Tandon** rose to put a Supplementary Question.)

Mr. Speaker : This will be the last Supplementary Question.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो अब नई डैफिनीशन बैकवर्ड कलासिज़ की गवर्नमेंट ने की है उसके मुताबिक ही और उन्हीं बसिज़ पर ही यह सब लागू किया जाएगा ?

मन्त्री : बैकवर्ड क्लासिज़ के बारे में अब नई डैफिनीशन गवर्नमेंट ने एडाप्ट की है। आगे जितनी भी रिकरुटमेंट होगी इसी के मुताबिक कंसिडर करेंगे।

Mr. Speaker : I would request the hon. Home Minister to re-consider his reply. Will that 19% be reserved for the Backward Classes or it includes Scheduled Castes too ?

मन्त्री : जो बैकवर्ड क्लासिज़ की डैफिनीशन गवर्नमैंट ने इकनामिक बेसिज़ पर की है आयन्दा उसके अनुसार ही रिकरुटमेंट होगी। बाकी जो पहले 19 की रैज़रवेशन है वह उसी तरह रहेगी।

बाबू अजीत कुमार : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੋ 19% ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 2% ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂਨਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ

[ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧ ਘਟ ਰਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੋ 21% ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

REVISION OF PAY SCALES OF JAIL WARDERS

***2029. Comrade Shamsher Singh Josh** (*put by* **Comrade Babu Singh Master**) : Will the Minister for Finance by pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for the revision of the pay scales of the Jail Warders in the State; if so, the details thereof ?

Shri Mohan Lal : (Home Minister) : No.

INCREASE IN THE SCALE OF PAY OF JAIL HEAD WARDERS AND WARDERS

***2044. Sardar Kulbir Singh** : Will the Home Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to revise the scales of pay of Head Warders and Warders in the Jails Department ; if so, the details thereof ?

Shri Mohan Lal : No.

ARRESTS UNDER THE DEFENCE OF INDIA RULES

***2250. Shri Ram Kishan** : Will the Home Minister be pleased to state the number of persons so far arrested districtwise, under the Defence of India Act and Rules made thereunder in connection with the profiteering and black-marketing in the State ?

Shri Mohan Lal : Statement showing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement showing the total number of persons so far arrested districtwise, under the Defence of India Act and Rules

District		Number
Hissar	...	1
Ambala	...	11
Jullundur	...	9
Amritsar	...	28
Gurdaspur	...	3
Patiala	...	2
Sangrur	...	5
Total	...	59

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जो लिस्ट उन्हों ने सप्लाई की है इस में होलसेल दूकानदार कितने हैं और रीटेलर्ज़ कितने हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं ?

मन्त्री : इस वक्त तफसील मेरे पास नहीं है ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन लोगों को डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ के अधीन गिरफतार किया गया इन में से कितने केसिज़ को सरकार ने विदडरा कर लिया है ?

मन्त्री : मुझे इसके मुतालिल्क नोटिस चाहिये, ज़बानी याद नहीं ।

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन केसिज़ का फैसला हो चुका है क्या उनमें सब को सज़ा हो गई है या कुछ बरी भी हुए हैं ?

Mr. Speaker : It is a question of details. I don't think the hon. Minister has all these details with him.

Shri Ram Kishan: Sir, the hon. Minister has all these details with him.

Mr. Speaker Then I have no objection, if he replies to the question of the hon. Member.

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो 59 आदमी गिरफ्तार किए गए इनमें से कितनों के केसिज़ पैंडिंग हैं और किन केसिज़ में सजा दी जा चुकी है ?

मंत्री : जहां तक मुझे याद है ज़यादा तादाद ऐसी है जिनको सजा हुई है ।

श्री राम किशन : क्या मंत्री महोदय यह बतलाएंगे कि यह जो अरैस्ट किए हैं यह पहले के हैं या कि बाद में अरैस्ट किए गए हैं ।

मंत्री : मैं यह अर्ज़ कर सकता हूँ कि यह पुरानी फिगर्ज़ हैं, इसके बाद और भी अरैस्ट हुई हैं ।

CASES OF STABBING AND MURDERS IN HOSHIARPUR DISTRICT

***2354. Principal Rala Ram**: Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of stabbing and murders committed in Hoshiarpur District during the period from April, 1962 to January, 1963 ;

(b) the number of such cases in the said district for the corresponding period of 1961-62 ;

(c) the number of cases of murders which were traced out and the number of those in which conviction was made ?

Shri Mohan Lal: A statement is placed on the Table.

[Home Minister]

Statement Showing cases of stabbing and Murders in Hoshiarpur District

		April, 1961 to January, 1962	*April, 1962 to January, 1963*
(a) and (b)	Number of cases of Stabbing ..	3	7
	Number of cases of murder ..	21	13
(c)	Number of cases of murders traced ..	16	12
	Number of cases of murders which ended in conviction	10	1 (Pending 9)

MUNICIPAL ELECTION IN AMRITSAR DISTRICT

*1229. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** (*Put by* Comrade Gurbakhsh Singh): Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the dates on which the next elections to the Municipal Committees of Amritsar City, Jandiala, Tarn Taran and Patti, district Amritsar, are proposed to be held;

(b) the approximate date by which the Corporation for Amritsar City is proposed to be established ?

Shri Mohan Lal: (a) Election programme has not been finalised as yet. It was, intended to be held in April next but the idea has been dropped on account of the National Emergency recently arisen.

(b) No approximate date can be indicated during the present National Emergency.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि अमृतसर म्यूनिसिपैलिटी के इलैक्शन को हुए 10 साल हो गए, तो क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि इलैक्शन करवाया जाए ?

मंत्री : इस वक्त कोई गौर नहीं कर रही। पहले किया था और यह फैसला किया था कि एक कारपोरेशन एक्ट बना कर यहां लाया जाएगा और उसके तहत वहां पर कारपोरेशन लागू करेंगे लेकिन ऐमरजैंसी के कारण वह बिल नहीं लाया जा सका।

कामरेड राम चन्द्र : जब गवर्नमैंट आफ इंडिया ने लैजिस्लेचर के बाई-इलैक्शन के लिए ऐमरजैंसी को इगनोर कर दिया तो मौजूदा हालात में म्युनिसिपल इलैकशन के लिए भी इसे वेव किया जा सकता है।

मंत्री : अभी हमने गौर नहीं किया ।

श्री बलरामजी दास टंडन : जब 8, 9 साल से कारपोरेशन बिल लाने की तजवीज़ की जा रही है तो क्या वजह है कि अभी तक वह बिल असैम्बली में पेश नहीं किया जा सका ?

मंत्री : कारपोरेशन के बिल के कंसिडरेशन में काफी वक्त लगेगा इसलिए गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि ऐसे हालात में हाउस का ज्यादा टाइम न लिया जाए ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह कारपोरेशन बिल कब तक असैम्बली में आने की उम्मीद है ?

मंत्री : यह मैं इस वक्त नहीं बता सकता ।

Mr. Speaker: This supplementary question does not arise either out of the question or from the reply given by the hon. Minister.

REMOVAL OF SHRI OM PARKASH AGNIHOTRI, M. L. A. AND OTHERS FROM THE MEMBERSHIP, PHAGWARA MUNICIPAL COMMITTEE

***1416. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will** the Home Minister be pleased to state—

(a) whether Shri Om Parkash Agnihotri, M. L. A. and Shri Bhagat Ram Patanga, have been removed from the Membership of the Phagwara Municipal Committee ;

(b) whether it is a fact that they have also been disqualified from contesting elections to the said Municipal Committee for 3 years ;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons for their removal/disqualifications ?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) Yes.

(c) As Shri Bhagat Ram Patanga has filed a Civil Writ in the High Court the matter is sub-judice.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੱਚ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਦੋਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਂਝਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister kindly state the reasons for their removal ?

Home Minister : On the day of the election of the President of the Municipal Committee, Phagwara, there were two candidates. One of them was Shri O. P. Agnihotri and there was another gentleman who was a rival candidate. After the oath was taken, it is alleged that both Shri O.P. Agnihotri and Shri Bhagat Ram 'Patanga' lost their temper, got on the table and Shri Agnihotri started tearing his clothes and beating his chest. Shri Patanga also called some undesirable persons inside the Town Hall. Besides shouting slogans they started throwing chairs. These were the allegations against them.

श्री मंगल सैन : क्या मैं पूछ सकता हूं, जो उन पर चार्ज लगाया गया क्या इस के मुताल्लिक कोई एनक्वारी भी की गई थी या कि नहीं ?

मंत्री : जी हां ।

श्री मंगल सैन : किस ने की ?

Mr. Speaker : How can you expect from him each and every detail off hand ?

श्री मंगल सैन : जनाब, जिस एजेंसी ने डिसक्वालीफाई किया उस की, जो तहकीकात करने वाली एजेंसी है मैं वह पूछता हूं ।

Mr. Speaker: How can the hon. Minister give all these details ?

(*Interruptions*)

Comrade Ram Piara: May I know from the Home Minister whether these are the only charges against them and further whether these charges have been established or not ?

Home Minister: I should not say more than what has already been stated by me here. The matter is still *sub-judice*. I have already stated the charges against these gentlemen. I do not want to make further comments on this matter.

(COMRADE RAM PIARA ROSE TO PUT ANOTHER SUPPLEMENTARY QUESTION)

Mr. Speaker: There will be no more supplementary questions.

Comrade Ram Piara: Sir, these two gentlemen have been disqualified. I would, therefore, like to know whether the charges were established or not.

Mr. Speaker: The case has gone to the Court. I would not like the Government to make a categorical statement in this connection.

EXECUTIVE OFFICER, MUNICIPAL COMMITTEE, RUPAR

***1660. Comrade Shamsher Singh Josh** (*Put by* Comrade Babu Singh Master): Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the minimum qualifications, if any, prescribed by Government for appointment to the posts of Executive Officers in the Municipal Committees in the State ;

(b) whether the present Executive Officer, Rupar, Municipal Committee possesses the requisite qualifications ?

Shri Mohan Lal: (a) The Executive Officers, in Punjab, are appointed under the Punjab Municipal (Executive Officers) Act, 1931, and the Act does not prescribe any qualifications for recruitment to the post of an Executive Officer.

(b) The present Executive Officer, Municipal Committee, Rupar was found suitable to hold the post. He worked as Secretary of the Market Committee, Raiwind, from 1941 to 1947. He also held charge of the post of Secretary of the Notified Area Committee, Raiwind, for a period of three years. He also worked as Secretary of the Market Committee, Batala, for a fairly long time.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय यह बात बतायेंगे कि एग्जेक्टिव आफीसर रोपड़ जो लगाया गया है उस की ऐजुकेशनल क्वालिफीकेशनज़ क्या हैं ?

मंत्री : इस वक्त यह मेरे पास नहीं हैं मैं आफ हैंड नहीं बता सकता ।

श्री बलरामजी दास टंडन : जब पार्ट बी के अंदर यह चीज पूछी गई है कि whether the present Executive Officer, Rupur Municipal Committee, possesses the requisite qualifications, तो............

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया है कि कोई कंडीशन नहीं है, so he possesses the requisite qualifications. (The hon. Minister has replied that no condition is attached to it, so he possesses the requisite qualifications).

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि ऐग्जेक्टिव आफीसर को ऐप्वायंट करने के लिए मिनिमम क्वालीफिकेशनज़ क्या हैं । जो इस अफसर के नीचे काम करते हैं उन की क्या क्वालिफिकेशन्ज़ हैं ?

Mr. Speaker : How does the hon. Member expect the Government to admit that the Executive Officer does not possess the requisite qualifications ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : इस सवाल के पार्ट (ए) में पूछा गया है कि ऐग्जेक्टिव आफीसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन्ज़ क्या रखी गई हैं क्या मिनिस्टर साहब इस के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया है कि ऐप्वायंट करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन्ज प्रेस्क्राईबड नहीं की हैं, (The hon. Minister has replied that no minimum qualifications have been prescribed for the appointment of the Executive Officer.)

Sardar Gurnam Singh : May I know whether, in view of their past experience, the Government propose to lay down minimum qualifications for the post of Executive Officer in future ?

Home Minister : The views of the House will be kept in view in this connection at the time of consideration of the new Bill after its consideration by the Regional Committees.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, whether an illiterate person can be appointed as an Executive Officer ?

Home Minister : Definitely not.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ऐग्जेक्टिव आफीसर ऐप्वायंट किया है कमेटी के रैज़ोल्यूशन के मुताबिक अप्वायंट किया है या गवर्नमेंट ने स्वयं ऐप्वायंट किया है ?

मंत्री : जहां पर कमेटी स्वयं ऐप्वायंट नहीं कर सकती वहां पर गवर्नमेंट ऐप्वायंटमेंटस करती है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਮਿਸਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ?

मंत्री : इसी विषय पर नैक्सट क्वैस्चन आ रहा है उस में तफसील से बता दिया जाएगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਦਾ ਲਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि ऐग्ज़ेक्टिव आफीसर के लिए ला ग्रैजुएट की क्वालिफिकेशन ज़रुरी नहीं है । (The hon. Minister has stated that it is not essential for an Executive Officer to be a Law graduate.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸਡ ਪਰਸਨ ਭੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

मन्त्री : नहीं, जनाब ।

APPOINTMENT TO THE POST OF EXECUTIVE OFFICER

***1661. Comrade Shamsher Singh Josh** (Put by Comrade Babu Singh Master) : Will the Home Minister be pleased to state whether a dismissed employee of the Market Committee can be appointed to the post of Executive Officer, if not, whether Government are aware of the fact that

the present Executive Officer is a dismissed employee, if so, the reasons for making the said appointment ?

Shri Mohan Lal : No dismissed employee is appointed as Executive Officer. Since the hon. member has not mentioned the name of any Municipal Committee, it is not possible to reply the other part of the question.

Mr. Speaker : Was the Executive Officer of Municipal Committee, Rupar, a dismissed employee ?

Home Minister : Sir, he was an employee of the Marketing Committee, which dismissed him. As a result of appeal filed by him, the order of his dismissal was stayed. Thereafter, he was reinstated, but, ultimately, he resigned. The order of dismissal, therefore, did not stand.

(*Comrade Babu Singh Master rose to put a supplementary.*)

Mr. Speaker : I do not think any useful purpose will be served by putting any supplementaries. However, if the hon. Member still insists, he may do so.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਸਮਿਸਲ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

REPRESENTATION AGAINST EXECUTIVE OFFICER, MUNICIPAL COMMITTEE, RUPAR

*1662. **Comrade Shamsher Singh Josh** (*Put by* Comrade Babu Singh Master) : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether Government have recently received any representation signed by a majority of the members of the Municipal Committee, Rupar, against its Executive Officer; if so, a copy thereof be laid on the Table;

(b) the action, if any, taken by Government on the said representation ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. Copy of the representation is placed on the Table of the House.

(b) An inquiry is being conducted.

[Home Minister]

Copy of application dated 1st/10th September, 1962 ; from Sarvshri Babu Ram Jain, President, M.C. Rupar ; Madho Singh, J. V. P., M. C. Rupar ; and Sarmukh Singh, Advocate, M. C. Rupar ; Balmukand Malhotra and Bhagwan Dass, M. C. S, Rupar, addressed to the Sub-Divisional Officer, Rupar.

Subject.—Complaint against the Executive Officer, Municipal Committee, Rupar.

Kindly refer to your Memorandum No. 2261-67/St., dated the 27th August, 1962 on the subject cited above.

Documentary proof substantiating the allegations levelled against the Executive Officer is given below as desired :—

Allegation Nos. 1, 2, 3 (A to L).—Your kind attention is invited to the judgement given by Shri R. S. Randhawa, I. A. S., Commissioner, Jullundur Division, Jullundur in Appeal No. 94 of 1958-59/No. 95 of 1959--Balraj Kapoor *versus* Market Committee, Batala, Deputy Commissioner, Gurdaspur (unattested copy of the judgement is attached herewith for kind perusal—pages 5 Document marked 'A'). From the judgement it is quite clear that Shri Balraj Kapoor was dismissed from Market Committee, Batala where he was serving as Secretary, on the charges of corruption established against him by the Anti-Corruption Department. The Deputy Commissioner, Gurdaspur declared that he was unfit to be retained in the service. *Vide* Punjab Government letter No. 5345-C/53/43116, dated the 20th June, 1953 every employee of the Committee is required to submit an affidavit to the fact that (i) he is not a dismissed employee from any Local Body; (ii) he is not a relative of any Member. In spite of directions of the Committee in its resolution No. 5, dated the 13th August, 1962, Shri Balraj Kapoor has failed to submit the requisite affidavit. This is violation of Government orders and Rules and disregard of Resolution of the Municipal Committee.

Allegation No. 4.—Case No. 132/2A, dated the 30th June, 1961 decided by Shri A. D. Sapra, Magistrate 1st Class, Pathankot refer. Shri Balraj Kapoor prepared a forged Degree of B. A. and the case under Section 420, I. P. C. was instituted. Shri Kapoor has not submitted even a Matriculation certificate as such his being a Matriculate even appears to be doubtful.

Allegation No. 5.—Shri Balraj Kapoor joined Municipal Committee, Rupar on 16th January, 1962 as Executive Officer. During this short period of 7 months he has created a most unhealthy atmosphere in Rupar. He has created an acute party faction amongst the members and the Municipal staff with the result that the administration is being deteriorated day by day. His undesirable activities are hinderance in promoting the welfare of the Town. Following instances will depict true picture of his undesirable activities :—

(a) When Shri Balraj Kapoor joined the Committee, General Election compaign was going on. Shri Kapoor made alliance with one of the candidates and samples from the shops of opponents of that candidate were seized and in order to harass and influence those shopkeepers the E.O. himself went with the Food Inspector. The attitude of the Executive Officer was highly objected to by the public and a huge procession was carried out in the Town in resentment. Rupar public also submitted a representation to this effect to your predecessor and the higher authorities. Shri Kapoor actually took great part in politics and with his uncalled for actions whole of the Town was/has been brought in the grip of party-politics.

(b) The action at (a) was followed by another most objectionable action by Shri Kapoor. The Committee in the Budget Estimate for

the year 1961-62 made a provision to open a free Dispensary for the poor. In order to please the candidate to whom Shri Balraj Kapoor was supporting he (Shri Kapoor) arranged opening ceremony of the Dispensary without any permission of the Committee and even no intimation to the President and the Members was given about this performance. One Shri Hazura Singh, Pleader, a close friend of Shri Kapoor was asked to speak on the occasion under some pre-planned programme and he spoke that the members of the Committee are inefficient and had no interest in opening of Dispensary; the Dispensary was opened with the untired efforts of the candidate contesting the Election for Punjab Assembly, whereas the facts are otherwise. The Dispensary is being run by the Committee and with the Municipal funds. His this speech was nothing but an act to defame the Members with the connivance of the Executive Officer who arranged all this programme without information and permission of the Committee.

(c) There had been many public meetings against the activities of the Executive Officer and he is being vehemently condemned for his illegal actions. Reports of the C.I.D. can be examined.

(d) There had been and are many cases under section 323/504, I.P.C., against Shri Balraj Kapoor in the Court of Judicial Magistrate. From these cases conduct of the Executive Officer can be very well imagined.

(e) The Executive Officer played an other mischief and reported in the Police that he had a danger or apprehension of breach of peace from certain Municipal Commissioners including President although there was no occasion for it. His this mischief resulted in the cases under section 107/151, I.P.C. in your Court against 7 Members. All the Members have given in writing that that there was nothing such sort of things or apprehensions. This step of his acted unncessary misunderstandings which often brings bad results.

(f) For his omission and commissions Municipal funds have been misappropriated and misused. Glaring instances supported with documentary proof will be elaborated in the coming paras. In order to avoid further misuse of Municipal Funds the Committee,—*vide* its resolution No. 2, dated the 13th August, 1962 has restricted his powers under section 6 (2) of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931.

(g) An emergent ordinary meeting of the Committee was held on 29th August, 1962. Shri H.S. Sodhi, Naib-Tehsildar, watched the proceedings under your orders passed on the request of the Executive Officer. There was absolutely nothing serious amongst the Members but to create some misunderstandings the Executive Officer made such request. Anyhow every thing was going on smoothly, but the Executive Officer created a fuss and tried to snatch the proceeding book by grappling with the President. Shri Sodhi was eye witness to this all act of indiscipline of the E.O. Separate report to this effect has already been submitted to your goodself and the Higher Authorities. He continued to interfere the proceedings of the Committee which was not his function.

(h) He has made his practice to use insulting words for the Members and the President. When President goes in the office to ask for certain information he (Shri Kapoor) utters 'You are no body' to the President.

(i) As already brought to your kind notice the Executive Officer keeps his office open late at night and even in holidays without any office work. Party politics is always discussed there and unauthorised persons allowed to sit with him probably with some

[Home Minister]

intriguiging mind as such the record is not at all safe in the hands of Shri Kapoor and there is every likelihood of its being tempered or lost.

Allegation No. 6.—The Executive Officer remains absent from office without the permission of the President as required under the Rules. From time to time this violation of rules had/has been brought to your kind notice. On 23rd July, 1962 your goodself were informed about the absence of Shri Kapoor on telephone by the President. Reports of the office peons dated 24th July, 1962 support our allegations. (Document B/1). On 20th July, the President rejected his leave application as it was his (E.O.) clever devise to avoid the handing over of important record which was requisitioned on that day. Orders were conveyed to him by Shri Jagan Nath, Accountant, but still he disobeyed the orders and left station without permission. Your honour, by chance, called the President along with two Members and the Executive Officer. President and Members attended to your call whereas the E. O. had left the station and this fact was verified by your goodself. (Documents B/2, B/3 attached herewith). Similarly Documents B/4 and B/5 will convince you that Shri Balraj Kapoor has made a habit to violate the Rules and orders of the President.

(b) Your kind attention is invited to M. C. Rupar voucher No. 38 of July, 1962. Shri Kapoor purchased 20 books of form O·4 from M/s Chopra Printing Press, Batala (his native place). These books were purchased @ Rs 2·36 each and total amount of Rs 47·25 was spent. Such type of books were purchased by the Committee from M/s Bharat Press Rupar, at Rs 1.25 each. We have called upon M/s Bharat Press, Rupar and they have quoted the rate of each book as Rs 1·25 and Rs 1·50. During the history of the Committee such books were never purchased at this rate. In the recent tenders decided by the Committee,—*vide* its resolution No. 38 dated the 26th July, 1962 the rate quoted by M/s Bharat Press is Rs 1·25 for each book. Habits once matured and that too for some personal gain can never be changed. Your kind attention is invited to para 8 (allegation) of the decision of the Learned Commissioner, Jullundur in which it is clearly laid down that 'Since Roshan Lal Datta, Proprietor of a Printing Press was friend and partner of the appellant (Shri Kapoor) the later had got the printing work of the Committee done through the former at a higher rate and that no tenders were called for the work'. Same practice is being carried out here by Shri Kapoor and one of the instances is an instance under reference (Document 'C' quotation of M/s Bharat Press, Rupar is attached herewith.)

(c) *Purchase of Floodlights etc.*—Your kind attention is invited to voucher No. 44, dated the 29th June, 1962. Minute study of this transaction will leave no doubt in mind about the case being shadowy one. On 21st June, 1962 Shri Kapoor arranged to go to Ambala for the purchase of Floodlights and Time pieces. He obtained about three quotations personally from Ambala and without making any purchases he came back. One of firms M/s Sehgal Electric Company quoted the rate of floodlight at Rs 70 each. On the 28th June, 1962 he had his private work in Patiala as his case was to be considered in the making of the Marketing Board held on the 28th June, 1962. So he went to Patiala on 26th June, 1962 and in order to make his T. A. he purchased Floodlights from Patiala at Rs 74 each without calling the quotations from Patiala. He also went to M/s Banga Watch Company, Patiala, for the purchase of Time pieces and obtained three quotations from their own firms, namely, Musical Trading Company, Patiala. One quotation for Timepieces was also obtained from M/s National Traders who do not deal with the watche business and deal with electric goods. In order to justify the purchase of watches he managed bogus quotations and time pieces were purchased at Rs 37 each. In order to give vivid picture of the fraud we deal each case separately.

Purchase of Floodlights.—As stated above the E.O. went to Ambala on 21st June, 1962 and some quotations for the purchase of floodlights were obtained by him personally. M/s Sehgal Electric Company, Ambala quoted the rate at Rs 70 each. He did not make any purchase and returned back. He had some private work at Patiala as his case was to be considered in the meeting of Marketing Board, Patiala so he went to Patiala on 28th June, 1962 and purchased Floodlights at Rs 74 each. In order to justify his purchase he made the figure 70 as 79 in the quotation form of M/s Sehgal Electric Company, Ambala. (Attested copy of page 579 of Voucher No. 44, dated the 29th June, 1962 is attached herewith—Document 'D' for kind perusal which clearly proves the tempering of figures.) We have also obtained separate quotation from M/s Sehgal Electric Company, Ambala and he has given the rate at Rs 70 each. (Document D/I is attached). M/s Sehgal Electric Company is ready to give at Rs 70. Quotations from other firms were also obtained such as (I) India Radio Electric Works, Patiala at Rs 63 each (II) International Traders, Patiala at Rs 60 each (Document D/2 and D/3 attached herewith). The perusal of these documents will show that Floodlights are available at Rs 60 each whereas Shri Kapoor purchased at Rs 74, each i.e., Rs 14 in each Floodlight have been charged excess which appears to be the commission of Shri Kapoor. Three floodlights have been purchased and the Committee is put to a loss of Rs 42 or so in a simple transaction. Shri Kapoor is liable for two offences (i) For the loss to the Municipal funds (ii) tempering of record for some personal gain, i. e., wrongful gain to Shri Kapoor and wrongful loss to the Committee (word 70 has been made 79). Original record may kindly be taken in possession for verification.

Purchase of Watches.—Similarly Executive Officer obtained some quotations from Patiala by sitting on one firm, namely, Banga Watch Company, Patiala. The firms who quoted the rates are firms of one family and their relatives etc One firm M/s International Traders, Patiala from whom the quotation for time piece has been obtained do not deal with the watches. Two pieces have been purchased from M/s Banga Watch Company, Patiala at Rs 37 each. We have enquired the rates of same time piece in Rupar and the same is available at Rs 30 each. The Committee is put to a loss of Rs 1 in this purchase. Besides this loss the Executive Officer charged T. A. fo the journey performed on 21st June, 1962 and 28th June, 1962, i.e., firstr for going to Ambala and second for going to Patiala. These purchases could easily be made in Rupar and there was absolutely no necessity of going to Ambala and Patiala. It is quite evident that the Committee is put to a great loss for some commission by the Executive Officer meaning thereby that the fund have been misappropriated. (Document 'E' quotation obtained from Rupar in respect of watch is attached herewith).

Similarly he purchased two file covers at Rs 6 each. Voucher No. 39, dated 6th February, 1962 refers. Such type of file covers are available at Rs 2.50 each at Rupar whereas Shri Kapur purchased these file covers from Ambala. (Document 'F' rate from M/s Roshan Book Depot, Rupar, is attached herewith for perusal).

On 13th February, 1962 (Voucher No. 55) he purchased 100 Cft. Sutlej sand at Rs 31.25 from one Shri Nauranga and on 1st February, 1962 (Voucher No. 46) 50 Cft. Sutlej Sand was purchased at Rs 15.62 whereas it is available at the rate of Rs 25 per 200 Cft. According to his purchase the rate of 200 Cft. comes out to be Rs 62.50 meaning thereby a difference of Rs 37.50. Rate from Public Carrier's Union is attached herewith (Document 'C' attached herewith.) It so appears that the sand as given in Voucher Nos. 55 and 46 has not been purchased actually. Total purchase of sand has been shown as 210 Cft. It is surprising to note that only 4 bags of cement were used with this sand. Four bags of cement does not require 210 Cft. sand and proper utility of the same has not been shown

Similarly there are so many other examples where the Executive Officer has misappropriated the Municipal Funds ruthlessly which if required can be submitted later on. Criminal proceedings after thorough enquiry by the Police be started against the Executive Officer.

Home Minister

(e) **Drawing of T. A. Bills.**—*Vide* Rule XII.10 (5) of the Punjab Municipal Account Code, 1930, every journey performed by the Executive Officer is to be approved by the Committee, then he can draw T. A. Bills. Since, the Executive Officer has joined he has not obtained the approval of the Committee which was mandatory. For instance T. A. drawn on 21st June, 1962, 28th June, 1962, etc. etc., are referred. He has drawn many T. A. illegally almost in every month since he has joined.

(f) **Constructions.**

(a) **Construction of Telephone Exchange Road.**—Matter being quite lengthy we shall deal it at the end.

(b **Construction of Khokha at the Head Works Barrier.**—The Executive Officer while making payment did not check the work honestly (para II of the decision of Commissioner, Ambala document A is also referred). Old wood has been used and this Khokha can easily be constructed at about Rs 600 or so whereas Rs 860 have been paid. It will be very kind of you if you please inspect the Khokha yourself and you will be convinced that old condemned wood has been used. The Committee did not resolve that old and condemned wood should be used

(c) **Installation of Pardhas in the Municipal Office.**—Pardhas were installed in the office of the Executive Officer through one Shri Charanji Lal, Contractor at Rs 65.50. (Voucher No. 50 of 7th February, 1962 refers.) *Vide* Rule XII.20 of the Municipal Account Code it was necessary for the Executive Officer to obtain quotations before allotting the work. The Executive Officer did not call the quotations and allotted the work to his pet contractor although this work could be done departmentally at lesser rates. About Rs 29.50 were paid as labour and fitting of these three pardhas whereas this can be done in about 10 or 15 rupees.

If you kindly see all the files of contract you will find that all the contracts have been allotted to only one man Shri Charanji Lal. Some bogus names of contractors such as Sarkar Lal, Tulsa Singh have been enlisted as contractors whereas their profession is to sell shoes and khadi clothes, etc. Shri Charanji Lal takes undue advantages of these names and tenders are always given in these names by Shri Charanji Lal giving his tender (*i. e.* tender filled in the name of Shri Charanji Lal) at low rates whereas tenders in other names are often given on high rates so as to manage the contract to Shri Charanji Lal who is in league with the Executive Officer and the Accountant (Shri Jagan Nath). In order to examine the truth you are requested that a list from the Executive Officer be obtained in the following form; (I) Description of the work, (II) Name of the contractors who gave tenders; (III) to whom the work was allotted, since the date this Executive Officer has joined.

The work of installation of pardhas was allotted to Shri Charanji Lal. No proper procedure according to law was adopted. Allotment of work was made orally and payment paid to the bills presented by the contractor simply to make some commission. Public funds have been utilized in a most improper way.

(g) Some bottles of squash were detected to be without payment of octroi tax. According to section 78 of the Punjab Municipal Act, 1911 ten times fine, i. e., ten times of the amount of octroi which is evaded, can be imposed. In the open public near Octroi Post Canal, the Executive Officer fined the defaulter Rs 100 and orders were announced. (Affidavits of a few persons are enclosed for perusal 'Document H'). The Executive Officer after three days destroyed the papers on which orders were written and announced and Rs 5 were only charged. Such a loss to the Municipal funds and by doing criminal offence as the previous papers were destroyed, the Executive Officer has shown his interest clearly. Similarly a truck without payment of octroi was seized by the Executive Officer. Truck belonged to M/s Gujranwala Karyana Store, Rupar. The President directed the

Executive Officer to charge ten times, but he charged only three times. This was done by him simply to please Shri Gauri Shankar Jain Municipal Commissioner as the owner of the firm Gujranwala Kiryana Store is a near relative of him, i. e., Shri Gauri Shankar Jain. Executive Officer takes benefit from the defaulters. The Committee keeping in view this all withdrew the powers of compounding such cases from the Executive Officer, *vide* resolution No. 3, dated the 13th August, 1962, but he must be penalized for his previous illegal acts which have resulted in loss to the Municipal funds.

(h) Shri Kapoor made some appointments of Octroi peons illegally. No applications were invited. No interview was held nor any recommendations from the Employment Exchange were invited. This is a contravention of Article 16 of the Indian Constitution and section 4 of the Employment Exchange Additional Act. One Shri Sham Lal Peon was appointed to please Shri Khilari Ram, Municipal Commissioner as the former had been doing the domestic work of the latter. Other peon has been appointed to please Shri Sham Lal Chopra, Municipal Commissioner. These all three Municipal Commissioners are in league with the Executive Officer.

(i) He has earned a bad reputation in the Town and his Character is doubtful. As regards the character of the Executive Officer, the Commissioner, Jullundur Division, Jullundur also referred in his judgment attached herewith that the Anti Corruption Department had written that the Character of Shri Kapoor was bad. This is a matter of evidence. We can produce evidences in support of our allegations and as and when desired we may kindly be informed.

(j) He paid high fees to the Lawyers without the permission of the Committee. Vide section 16 of the Punjab Municipal Act, 1911 every Committee is to be sued or may sue in its corporate name and no suitt can be instituted or defended unless permission of the Committee is obtained. Under no section of the Municipal Act, the Executive Officer can engage a Lawyer and launch or defend any suit.

Voucher No. 27 Rs 40 were given to Shri Krishan Gopal. On 2nd June, 1962 Rs 40 were again paid to Shri Gopal Krishan. On 12th April, 1962 Rs 232 were paid to Chaudhary Bhakhtawar Singh. This all amount along with some more was paid by the Executive Officer without the permission of the Committee and if you minutely study the cases you will be convinced that money has been wasted unnecessarily. Previously all the petty cases were being conducted either by the Executive Officer or by the Head Clerk and since Shri Balraj Kapoor has joined he has started paying heavy amount to the Lawyers unnecessarily on petty cases and that too without the permission of the Committee.

(k) The Committee, *vide* its resolution No. 2, dated the 26th July, 1962 constituted a special sub-committee to scrutinize the accounts since the Executive Officer has taken over. The Sub-Committee called two or three meetings and necessary vouchers were checked which could be made available by the Accountant. On 16th August, 1962 the Sub-Committee was again to meet to check the remaining vouchers and complete its report. The Executive Officer issued the notice accordingly, but office was kept closed and the Members of the Sub-Committee called the Accountant and enquired about the matter. He told the Members that the Executive Officer had directed him not to produce or show any paper relating to Accounts and the proceeding book and all other papers were kept under the lock and key of the E. O. Your goodself were informed to this effect,—*vide* letter dated the 16th August, 1962. So the Sub-Committee could not check the accounts thoroughly. The Executive Officer is not allowing the Members to see the relevant record and in the absence of perusal of record, nothing can be said on the basis of documents. The Executive Officer may

[Home Minister]

kindly be directed as already requested to make all the relevant record available to the sub-commttiee so that documentary proof of glaring instances of irregularities and misuse of funds may be given by us.

The Committee, *vide* its resolution No. 49 appointed one Shri Faqir Chand, Municipal Medical Officer of Health (Part time) and it was resolved that as provided in rule 5 (I) (2) of the Rules for Employment of Medical Notification No. 29124, dated 27th December, 1924, requisite sanction be obtained. No sanction has as yet been received, but the Executive Officer without any authority is making payment to him.

(l) Finances and record of the Committee are not safe in the hands of the Executive Officer. He sits in the office late at night with unauthorised persons and takes many files to his house without adopting proper procedure laid down in Rule 2 of the Executive Officer Rules. There is every possibility from such type of man that record may be tampered and files misplaced. Above noted instances support our allegations.

(m) According to section 6 (3) of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931 every contract made by the Committee is to be placed before the Committee within 15 days of its being made. The Executive Officer has made many such contracts but never placed before the Committee. On persistent desire the Executive Officer has now placed the list as item No. 2 of the agenda of the meeting held on 29th August, 1962 after long time in contravention of Rule 6 (3) *ibid.* The Committee has resolved to check all these contracts because these appear to be unauthorised and illegal but the E. O. is not showing the record as such the sub-committee appointed for the purpose is unable to check all these contracts.

(n) He disobeys the orders of the Committee and the President with the result that work is suffering a lot and his disobedience is a great impediment in promoting the welfare of the Town. The Committee desire to put in the throes of multisided, variegated developments, but the E.O. being in the grip of party politics, committing many irregularities amounting to a loss to the Municipal funds for his own omission and commission, takes the focus of the Committee away and we are of the confirmed opinion that the retention of Shri Kapoor in Rupar as E.O. even for a day is detrimental to the interests of the Committee and the Town as a whole. Following instances will support our allegation and views :—

(1) The Committee in its meeting held on 26th July, 1962 decided to publish the House Tax lists duly prepared by the Tax Superintendent for inviting objections and suggestions under the Rules. House Tax list was ready and upto date. According to section 65 of the Punjab Municipal Act, 1911 one month notice is to be given to every owner for filing objections. Notices were also ready. But the Executive Officer took one month for signing a simple notice for publication of the list and the same has been published just now with the result that the recovery of Rs 40,000 by way of House Tax has been belated unnecessarily and assessment for 1962-63 is held up, which should also have been completed by this time. Rs 80,000 or so is in arrear and the Executive Officer is paying no heed to it. You will kindly agree with us that blockage of recovery is an impediment in development of the Town.

(2) The Committee has sanctioned certain estimates for construction of roads and streets, but the Executive Officer has not raised his little finger to put all these estimates in action.

(3) The Executive Officer has involved the Committee in unnecessary complications and litigation by suspending the Sanitary Inspector and since 6 months or so no information was given to the Committee. There is no Sanitary Inspector of the Committee since

February, 1962 and work of sanitation is suffering. This is all due to illegal and out of the way actions of the Executive Officer.

(4) He takes his personal work from the peons after office hours and all the menial staff i.e. peons always remain at his disposal for domestic work.

(5) The Committee on 26th July, 1962 made an appointment of Assistant Driver and services of Shri Om Parkash a raw hand-domestic servant of the Executive Officer were terminated so that the work of water works may be carried out efficiently and no complaint is received from the public. Efficient man was appointed by the Committee. The Executive Officer did not carry out the resolution and payment is being made to a man whose services have since been terminated.

(6) The Committee vide its resolution No. 33 dated the 26th July, 1962 made a plenipotentiary sub committee to look into the allegations levelled against the Head Clerk and decide the matter on merits so that no complications may arise later on. Because certain representations were made by the Head Clerk that the Executive Officer was hourishing grudges against him and all actions are being taken under vindictive mind, in order to give natural justice to the Head Clerk, the Executive Officer was advised to move further in the matter. The sub committee was formed under Rule 4 (b) of the Executive Officer Rules. The Executive Officer without caring for the orders of the Committee suspended the Head Clerk and complications have been created. He is not handing over the files relevant to the case to the Sub Committee although many requests have been made.

(7) The Committee vide resolutions No. 2 and 3 dated the 26th July, 1962 constituted a sub Committee to check the accounts since the Executive Officer has taken over as complaints of irregularities were received. On 16th August, 1962 when the date for the meeting of the sub committee was fixed the Executive Officer locked the office and the relevant record. It was given in writing to the Members by the Accountant that the Executive Officer had directed him not to show any record to the Members. This was there and then brought to the notice of the Learned Sub Divisional Officer (Civil), Rupar in writing.

(8) On 20th July, 1962 a requisition was sent by the Two Honourable Members under section 25 (2) of the Punjab Municipal Act, 1911 and the President ordered the Executive Officer to reply the questions raised in the requisition within 4 days. In order to create a fuss he submitted his incomplete and irrelevant report on 25th August, 1962.

(9) On 20th August, 1962 the President ordered the Executive Officer to issue the notice for the meeting to be held on 25th June, 1962 and according to rules agenda was approved. The Executive Officer did not issue the notice and tried to avoid the meeting. Similarly the President ordered to call a meeting of the sub committee for the appointment of Second Clerk as the work without is suffering, but he is not calling the meeting with the result that the appointment is held up and the work is suffering. Orders were also passed to call the meetings of other various sub committees but the Executive Officer is avoiding for the reasons best known to him.

(10) Under the by-laws every Member is entitled to see any file except in which he is personally involved without any fee. President or the Vice President can take the files, but the Executive Officer does not show any file and certain policy matters are held up for execution.

[Home Minister]

(11) What to call of the President and the Committee, the E.O. does not care to obey the orders of the Learned S. D. O. Rupar and the Government. Important Dak of Government is not being put up before the Committee or the President as required in Rule 5 of the Executive Officer and the Committee is ignorant.

(12) The Executive Officer insults the President in so much so that the Muuicipal Act and By-laws files required by the President are being given on taking receipts. Under section 202 of the Punjab Municipal Act, 1911 by-laws framed by the Committee can be seen by any citizen of the Town free of cost, but the President has not been allowed by the Executive Officer to see the by-laws file (Document attached herewith to show the attitude of the E.O.). Similarly as already intimated also, the Executive Officer in the meeting held on 29th August, 1962 tried to snatch the proceeding book from the President. Shri H. S. Sodhi Naib Tehsildar who watched the proceedings of the Committee under your directions was eye witness to this scene. In the democratic set up the President of the Committee is a first citizen of the Town and a more responsible person than the Executive Officer. The Executive Officer behaves with the President and the Members rudely and ironically remarks like the following, "The President and the Committee is no body to ask me for any thing." He (E.O.) has ordered the staff not to attend the President and Members, even the peons and the sweepers behaves indifferently under the threat of the Executive Officer. From this all your goodself can easily imagine the true picture of the state of affairs. When a major part of the machine is a hindrance in the working of the Committee (Executive Officer) simply body of the machine (Committee) cannot go ahead. Obstacles being created by the Executive Officer are impediment in promoting the welfare of the Town. The Committee has passed many resolutions regarding development of the Town, but these are not being executed by the Executive Officer with the result that all the work is stand still. The Committee is doing what is required under the Act, but the duties of the Executive Officer are not being performed by the Executive Officer. If you kindly go through the proceedings book of the last two or three years since the present Committee has come into existence, you will find that the Committee had been passing all the resolutions unanimously for the benefit of the Town, but since the Executive Officer (Shri Balraj Kapoor) has joined he has created an acute *party bazi* in the Town. Local Government is a Government of the Local people and we all are servant to them. We are required to look after the interests of the Town and the people, *viz* Deveolopment, sanitation, etc. and if we ignore our duties we stand indebted morally to the makind and our Nation, but the Executive Officer (Shri Kapoor) has made this institution as a institution of a Dictator and he is acting as such.

Telephone Exchange Road and its Construction.—Work of construction of Telephone Exchange Road was also allotted to Shri Charanji Lal pet contractor of the Executive Officer. The work has not been checked and supervised honestly. Shri Kapoor E. O. made a payment or Rs. 1,100 on 31st March, 1962 whereas the work was completed after 7th or 8th April, 1962. People living near this area are witness and can be asked any time. One Shri Ajit Singh Retired S.D.O. (Construction) lives just near to this road and he being technical man watched all this. If you deem proper he may be called and facts verified. There was no Overseer in the employment of the Committee at the time when construction was started. The E.O. called some private overseer who was not authorized to touch the Measurement book and got the measurements done by him. The measurements were made in one day which is impractical under the Rules. The measurements were made on 29th March, 1962, whereas the work finished after 7th or 8th April, 1962. The Executive Officer has committed a gross illegality by getting the measurements done through a Bazari Overseer. Less cement has been used. Excess payment than the work done actually has been made. Adjacent payments

have been dismantled without any need and authority and the bricks have been taken away without any entry in the stock register. Dismantling has caused a loss to the Committee. These payments were made during the last years and bricks were quite in order. Measurements made are over than the actual work has been done. A sufficient amount has been misappropriated in this construction. The construction has not been honestly supervised and checked. The very action of the E.O. getting measurements done from a unauthorised and illegal Overseer clearly shows his motive of doing this. No one in these days is ready to work without any payment and it cannot be believed that the Overseer who was not in the employment of the Committee made the measurements without any interest. He had no responsibility in any way. Measurement book and the relevant file may kindly be taken in custody and the affairs may be examined through some technical person. Shri Ajit Singh Retired S.D.O., Rupar living on Telephone Exchange Road may be consulted who watched all these constructions. One Shri Bhagwan Singh Retired Engineer filed a complaint to this effect (it is so learnt). Checking of the work through some impartial technical person and perusal of relevant file will leave no doubt that all this has been managed by the E. O. simply for his commissions. By doing so he is also criminally liable as to make the wrongful loss to the Committee and wrongful gain to himself.

There are series of allegations against the Executive Officer and if we continue to explain it may take pages and pages, so for the present we close down here and if need be we will submit later on. The trouble is that the Executive Officer is not showing the record nor the President or any Member is allowed by him to see anything or to go to Municipal Office. It is possible that many cases of embezzlement, tampering of record, irregularities of serious nature may come to light if thorough enquiry is made.

We will, therefore, request that Shri Balraj Kapoor Executive Officer be immediately *suspended* and matter handed over to Vigilance Department for proper and immediate enquiry, if your goodself think proper and find the case fit for such action, but suspension is most necessary. If the Executive Officer continued to be in his office fair enquiry is not possible as the relevant record could not be made available which is in his (E.O.) possession and moreover he may tamper with the record. So kindly recommend his suspension and that too at an earliest possible.

A copy is forwarded to Honourable Dr. Parkash Kaur, State Minister for Local Government, Punjab, Chandigarh in continuation of the representation handed over to her on 8th September, 1962, in Nangal. She is requested, very kindly to take immediate steps to suspend or remove Shri Balraj Kapoor, Executive Officer, Municipal Committee Rupar so that enquiry may be conducted against him without fear and favour.

This is Most urgent please in view of the best interests of Ruper Town.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜੀ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ELECTION RESULTS OF MUNICIPAL COMMITTEE ABOHAR

***2369. Dr. Baldev Parkash** : Will the Home Minister be pleased to state the date when the election results of Municipal Committee, Abohar

[Dr. Baldev Parkash]

held on 24th November, 1961 were gazetted, if not gazetted so far, the reasons therefor?

Shri Mohan Lal : It has not been gezetted so far.

Elections of four members from three wards *i.e.* Wards Nos. 1, 5, and 6 were not held, as the Punjab High Court stayed the holding of elections in Wards Nos. 1 and 5 and stayed the publication of notification of election result in regard to Ward No. 6, from where the member came unopposed. It has been decided that the names of 13 members elected from 11 wards should not be notified until and unless elections to all the wards are completed. Nine of the 13 elected members filed a writ petition for early Notification of the election results, but it has been dismissed, as there is no Statutory obligation to do so within a given period.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो 3 सीट्स रहती हैं उन के इलेक्शन करवाने के लिए सरकार विचार कर है या नहीं ?

मंत्री : इस के मुताल्लिक अभी फैसला नहीं किया लेकिन विचार कर रहे हैं ।

EXPENDITURE INCURRED ON IMPROVEMENTS TRUSTS KARNAL AND PANIPAT.

***2415. Sardar Piara Singh** : Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the total expenditure incurred on the employees and Chairman of the Improvement Trusts, Karnal and Panipat seperately;

(b) the progress of work done by the Trusts referred to in part (a) above;

(c) whether it is a fact that the Municipal Committee, Karnal has sent a communication recently to the Government to the effect that there is no use of Karnal Improvement Trust and it is a burden on the Exchequer, if so, the action, if any taken thereon ?

Shri Mohan Lal :

(a) Karnal .. Rs. 17,575.37
Panipat .. Rs. 13,269.65

(b) The Improvement Trusts, Karnal and Panipat have framed and notified 3 and 2 development Schemes respectively.

(c) No.

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह नोटिफिकेशन कब हुई ?

श्री अध्यक्ष : तारीख कैसे बताई जा सकती है?(How can the dates be given off hand ?)

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, डेढ साल से खर्च हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा । इस लिए मैं पूछता हूं कि यह स्कीमें कब नोटिफाई की गई हैं ?

मन्त्री : नोटिफीकेशन की डेट्स मालूम नहीं हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : How does this Supplementary arise out of the main question ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਰਤਮਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : It does not arise

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मिनिस्टर साहिब ने जवाब में कहा है कि इतना खर्च हो रहा है अब स्कीमें नोटिफाई की गई है । क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस की युटिलिटी को किसी तरह से बढ़ाया जाए ?

मन्त्री : अब तीन स्कीमें नोटिफाई की गई हैं । शुरू शुरू में स्कीमें बनाने में वक्त लगता है । इस लिये कुदरती तौर पर इन में भी वक्त लगा । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लागू कर के विदड्रा करने मे नुकसान होता है इस लिये विदड्रा नहीं कर रहे ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं ने पूछा है कि उन की युटिलिटी बढ़ाने के लिये कोई स्टेप लिया गया ?

मन्त्री : सरकार चेयरमैन और मैम्बरों की ड्यूटीज़ उन को रिमाइंड करवाती है । हम ने यह भी कहा है कि स्कीमें ज्यादा बननी चाहियें ।

कामरेड राम प्यारा : जो एक्सपेण्डीचर मिनिस्टर साहिब ने बताया है और उस के मुकाबले में जो काम उन्हों ने बताया है क्या इस हैवी एक्सपेण्डीचर की कोई जस्टीफिकेशन है ?

BRICK KILN LICENCES IN AMBALA DISTRICT

***1417. Sardar Ajaib Singh Sandhu** : Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) The number of brickkiln licences issued tehsilwise in Ambala District from September, 1961 to August, 1962 together with the names of such licence holders;

(b) Whether any of the licences mentioned in part (a) above were withdrawn by the Government during the said period, if so, the names of such licensees tehsilwise and the reasons therefor?

Shri Mohan Lal : (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) No.

Statement showing particulars of the brick kiln licences granted in the various tehsils of the Ambala District during the period from September, 1961, to August, 1962.

S. No.	Name and address of the licensee	Date of Issue of the license	Place of Business
	TEHSIL KHARAR		
1.	M/S Kumar & Sons, Chandigarh ...	22-9-1961	Village Kambala
2.	Shri Surinder Nath Bansal, Jullundur ...	1-10-1961	Village Chatt
3.	M/S Dharam Paul Raghbir Singh, Chandigarh ...	25-10-1961	Village Sohana
4.	M/S Ram Parshad Shadi Ram, Ambala City ...	25-10-1961	Village Sohan
5.	M/S Ajit & Co., Chandigarh ...	2-11-1961	Village Chhat
6.	Shri Ved Parkash Dewan, Chandigarh ...	8-12-1961	Village Bhabat
7.	Shri Sultan Bahadur ...	16-12-1961	Village Chatta
8.	M/S B. S. Iqbal & Co., Chandigarh ...	3-12-1961	Village Sohana
9.	Shri Lalit Mohan, Chandigarh ...	2-2-1962	Village Ghatt
10.	M/S Prithvi Raj Ram Kishan, Chandigarh ...	5-2-1962	Village Chatt
11.	Shri Ved Parkash, Village Kalanaur ...	14-2-1962	Village Sohana
12.	M/S Sharma & Co., Chandigarh ...	21-2-1962	Village Chatt
13.	M/S Lekh Ram Daulat Ram, Ferozepore ...	27-2-1962	Village Chatt
14.	M/S Jagdish Pal Satya Dev ...	2-5-1962	Village Bhudanpur
15.	M/S R. Singh & Brothers ...	2-5-1962	Village Bhudanpur
16.	Shri Bhola Ram s/o Ram Chand ...	2-5-1962	Village Bhudanpur
17.	Shri Atma Singh s/o Tulsi Singh ...	2-5-1962	Village Ballomajra
18.	M/S Swadesh Kumar & Brothers ...	2-5-1962	Village Krishanpura Chatt
19.	Shri Hari Singh ...	2-7-1962	Village Sohana
20.	Shri Satya Pal Kapoor ...	10-7-1962	Village Chatt
21.	M/S Inderjit Singh & Co., ...	31-7-1962	Village Chatt
	TEHSIL JAGADHRI		
1.	Shri Sukh Ram, Jagadhri ...	5-10-1961	Jagadhri
2.	Shri Gurcharan Singh ...	1-3-1962	Jagadhri

STARRED QUESTION NO. 2416

Mr. Speaker : This question has been postponed, but I feel this could have been easily answered.

Minister : I have already sent D. O. letters to the Secretaries to Government to look into the matter.

Mr. Speaker : I wish the hon. Minister could be more strict with these officers.

Minister : The other day I had also sent a note to the Chief Secretary to remined all the Secretaries to pay their personal attention to the preparation of the answers.

REPRESENTATION AGAINST MANAGEMENT OF ASHOKA MARKETING LTD., CHANDIGARH

*1415. **Sardar Ajaib Singh Sandhu** : Will the Home Minister be pleased to state whether Government received any representation from the Ambala Shops and Commercial Establishment Employees Union against the Management of Ashoka Marketing Ltd., Chandigarh about 8 months ago ; if so, the action if any so far taken in the matter ?

Shri Mohan Lal : No such representation was received by Government from the Union, about 8 months ago.

ENQUIRY HELD AGAINST THE EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT (B & R) KARNAL

*2414. **Sardar Piara Singh** : Will the Home Minister be pleased to state whether it is a fact that the Vigilance Department recently held an enquiry against the Executive Engineer, Public Works (B & R) Department Karnal, if so, the result thereof and the action, if any, taken in the matter ?

Shri Mohan Lal : Yes. Two enquiries were held against the Executive Engineer B & R Karnal. In one case he has been chargesheeted and in the other the report of investigation is under consideration of Government. Besides, investigation against him in some complaints is still in progress.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਡਿਫਰੇਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ । ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਕੋਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਹਨ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ । (Must have been.)

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 31st May, 1962 ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

SHADOW BLOCKS CONVERTED INTO FULL FLEDGED BLOCKS

***2047. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the names of shadow blocks converted into full-fledged Blocks in the State during 1962-63 and also the names of those which are proposed to be so converted in 1963-64 ?

Sardar Darbara Singh : A statement is laid on the table of the House.

ANNEXURE 'A'

(a) (i) Shadow blocks prior to 1st April, 1962.

(ii) Shadow blocks started as Pre-extension blocks with effect from 1st April, 1962.

(iii) To be converted into Stage I with effect from 1st April, 1962.

	Name of the block		*District*
1.	Punhana	..	Gurgaon
2.	Badhra	..	Mohindergarh
3.	Mundlana	..	Rohtak
4.	Samlkha	..	Karnal
5.	Uchana	..	Sangrur
6.	Bilaspur	..	Ambala
7.	Mukandpur	..	Jullundur
8.	Nadaun	..	Kangra
9.	Narot Jaimal Singh	..	Gurdaspur
10.	Ratia	..	Hissar
11.	Ghanaur	..	Patiala
12.	Majitha	..	Amritsar
13.	Fazilka	..	Ferozepure
14.	Anandpur Sahib	..	Hoshiarpur
15.	Mukerian	..	Hoshiarpur

(b) (i) Shadow block prior to 1st, October, 1962.

(ii) Shadow blocks started as Pre-extension Blocks with effect form 1st October, 1962.

(iii) To be converted into Stage I with effect from 1st October, 1963.

	Name of the block		District
1.	Beri	..	Rohtak
2.	Assandh	..	Karnal
3.	Kalayat	..	Sangrur
4.	Bara Gurdha	..	Hissar
5.	Bhunerheri	..	Patiala
6.	Jandiala	..	Amritsar
7.	Verka	..	Amritsar
8.	Lambi	..	Ferozepur
9.	Malout	..	Ferozepur
10.	Bhunga	..	Hoshiarpur
11.	Budhlada	..	Bhatinda
12.	Jullundur East	..	Jullundur
13.	Mangwal	..	Kangra
14.	Sujanpur	..	Kangra

(c) (i) Shadow Blocks (at present)

(ii) Shadow blocks proposed to be started as Pre-extension Blocks with effect from 1st April, 1963.

(iii) Proposed to be converted into Stage I with effect from 1ts April, 1964.

	Name of the block		District
1.	Ambala	..	Ambala
2.	Bhiwani	..	Hissar
3.	Khuian Sarwar	..	Ferozepur
4.	Dorangla	..	Gurdaspur
5.	Hoshiarpur II	..	Hoshiarpur
6.	Nagrota	..	Kangra

N.B. With the opening of above 6 blocks, whole State will be covered by blocks. As such there will be no shadow blocks after 1st April, 1964.

OPENING OF DEVELOPMENT BLOCK IN NURPUR TEHSIL IN DISTRICT KANGRA

***2048. Comrade Ram Chandra**: Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether it is under the consideration of Government to open another development block in Nurpur tehsil of District Kangra; if so, when?

Sardar Darbara Singh : Government of India, Ministry of Community Development, is being approached for allotment of an additional block for Nurpur Tehsil.

CASES OF EMBEZZLEMENT BY SARPANCHES

***2370. Sardar Lakhi Singh Chaudhry**: Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether it is a fact that the Director of Panchayats has recently issued any instructions to the Block Development Officers and District Development and Panchayat Officers in the State Advising them not to send any case against Sarpanches to the Police even if the case relates to embezzlement, if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : Yes. The field staff has been instructed to refer such cases to the Government before the same are handed over to Police because such cases require proper scrutiny in view of party factions in villages and in view of the fact that a large number of Sarpanches and Panches are illiterate and not conversant with accounts matters.

ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਜੋ ਕੇਸਿਜ਼ ਆਡਟ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

WATER-SUPPLY SCHEME FOR BHIWANI TEHSIL

***2504. Shri Jagan Nath**: Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the date when the Water-Supply Scheme for Bhiwani tehsil was taken in hand and the time by which it is likely to be completed ?

Sardar Darbara Singh : The Water-supply scheme for group A-II covering 16 villages in Tehsil Bhiwani was commenced in 12/59 and is almost complete and water-supply has been commissioned in 14 villages.

Another scheme for villages Lilus, D-Salana and D. Sahani covering 3 villages was taken in hand in February 1962 and was completed in February 1963,

श्री जगन्नाथ : इस स्कीम का नाम प्रताप वाटर-सप्लाई स्कीम रखा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस का नाम मुख्य मंत्री जी के नाम पर रखा है या किसी और के नाम पर ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ आपको पानी से मतलब या नाम से ? (Order please. Is the hon. Member concerned with the supply of water or the name of the scheme.)

ROADS AND GOVERNMENT BUILDINGS AFFECTED BY RECENT FLOODS IN BHATINDA DISTRICT

***1489. Comrade Babu Singh Master** : Will the Planning and Development Minister be pleased to state:

(a) the names of roads with mileage in each case, affected by the rains and floods of September, 1962 in Bhatinda District with the estimated amount of damage caused to the said roads tehsilwise;

(b) the names and location of Government buildings affected by the rains and floods of September 1962 tehsilwise together with the estimated amount of damage caused to each such building tehsilwise.

Sardar Darbara Singh: (a) (b) As per statements No. I & II placed on the table of the House.

STATEMENT No. I

Serial No.	Name of Roads	Name of Tehsil	Total miles affected	Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6
				Rs	
1	Sunam-Bhikhi-Talwandi Sabo Road	Mansa	5·5		
2	Budhlada-Ratia Road ...	Do	1·0		
3	Bhikhi-Budhlada Road	Do	1.00		
4	Budhlada-Jakhal Road ...	Do	3·00	1,40,182	
5	Hari Singh wala-Sardulgarh Road	Do	1·25		
6	Hari Singh wala-Hadia a Road	Do	2.37		
7	Barnala-Bhatinda-Malout Road reach 30-52	Bhatinda	2·00		
8	Bhatinda-Kotkapura Road	Do	1·25		
9	Talwandi Sabo-Rori Road	Do	0·13		
10	Bhatinda-Muktsar. Road	Do	3·00		
11	Mehraj-Rampura Road	Do	1·62		
12	Barnala-Bhatinda-Malout Road mile 0-30	Do	1·88	4,10,483	
13	Rampura Phul-Maur Road	Do	1·35		
14	Bagha Purana-Nathana Road	Do	2·13		
15	Rampura-Salabatpura Road	Do	2·25		
16	Barnala-Bajekhana Road	Do	5·37		
17	Faridkot-Ferozepur Road	Faridkot	3 to 12	73,390	
18	Faridkot-Kotkapura Road	Do	3,4,5 & 6	29,979	
19	Faridkot-Bir Chahal Road	Do	3	6,910	
20	Faridkot-Mudki Road	Do	1 to 8	6,050	
21	Faridkot-Sadiq Deep Singh Wala Road	Do	7 to 8	1,51,360	
22	Kotkapura-Muktsar Road in Bhatinda District	Do	1 to 10	3,300	

Earth work on berms only

STATEMENT No. II

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Buildings	Name of Tehsil	Amount
			Rs
1	Government Girls Middle School at Phul	Bhatinda	30,000
2	Government High School at Bhairupa	Do	30,000
3	Government Girls High School, Faridkot	Faridkot	20,000
4	Rural Dispensary at Golewala	Do	25,200
5	Agriculture Farm Building at Faridkot	Do	3,300
6	Kothi Waiting Hall used as S.D.O. Civil Residence, Faridkot	Do	2,500
7	Government High School Golewala	Do	25,000
8	Government Girls Primary School, Faridkot	Do	10,00
9	Industrial Quarters at Faridkot	Do	9,000
10	Balbir Primary School Building, Faridkot	Do	29,000
11	Outdoor Dispensary, Faridkot	Do	5,000
12	Government Normal School for Girls at Faridkot	Do	25,000
13	Parimehal (use of as Model School), Faridkot	Do	8,000
14	Government High School at Faridkot	Do	9,000
15	Overseer quarter now used as J.B.T. Hostel for Boys at Faridkot	Do	4,000
16	Bikram College at Faridkot	Do	4,500
17	Rodiwala School Building, Faridkot	Do	8,000

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 1957-58 ਦਾ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 1962 ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 1957-58 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਉ। (The hon. Member may meet the Minister and discuss the matter with him.)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ enquiry ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ....

Mr. Speaker: No more questions please. Let him see the hon. Minister. If he does not feel satisfied even then, I will help him.

ROAD CONSTRUCTION IN LUDHIANA DISTRICT

***1816. Babu Ajit Kumar:** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether any pucca roads have been constructed in Ludhiana District under the Second Five-Year Plan ;

(b) if so, the total mileage of such roads along with their names ; tehsilwise.

Sardar Darbara Singh: (a) Yes.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(b) 25·61, 1·54 and 10·50 miles of pucca roads were constructed in Ludhiana, Jagroan and Samrala Tehsils respectively, of Ludhiana district, during the 2nd Five-Year Plan by the Public Works Department. The detail is as under .—

Serial No.	Na of Road	*Mileage constructed during the 2nd Five-Year Plan in Tehsil*		
		Ludhiana	Jagroan	Samrala
1.	Ring Road Round, Ludhiana ...	2·86	—	—
2.	Khanna—Malerkotla ...	—	—	10·50
3.	Link road joining Industrial Area 'A' with Ludhiana—Samrala road ...	0·90	—	—
4.	G. T. Road Byepass at Ludhiana ...	4.88	—	—
5.	Ludhiana—Rahon road ...	8·75	—	—
6.	Barnala—Raikot road in Ludhiana district ...	—	1·54	—
7.	Kohara Machhiwara road ...	5·68	—	—
8.	Link road from Ludhiana—Samrala road to Gurdwara Jhar Sahib ...	2·54	—	—
		25·61	1·54	10·50

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.54 ਮੀਲ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ 36 ਮੀਲ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜੀ ਪਲੈਨ ਵੀ ਅਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਦਰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲਏਬਿਲਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ: ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ: ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਦਾ ਹੈ।

Mr Speaker: It is a suggestion for action.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਉਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਔਫ ਹੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ? (How can he give the information off hand ?)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.54 ਮੀਲ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦ ਫੰਡਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ।

ISPUR GAGRET DAULATPUR ROAD

*2021. **Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that all the villages in the area of Gagret Block are situated on the Kacha Road of Ispur-Gagret-Daulatpur or are served by this road;

(b) whether it is a fact that the said road becomes unserviceable during rains;

(c) whether Government have recently received any representation from the people of the area or their representatives to the effect that this road be made pacca or metalled;

(d) the steps, if any taken or proposed to be taken to improve the said road with a view to make it serviceable for the whole year ?

Sardar Darbara Singh :

(a) Yes, majority of them.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) None; only a short length extending from Gagret to Oel measuring 3 miles has been provided in III Five-Year Plan and the work will be taken in hand subject to the availability of funds.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस सड़क के बन्द होने से जो काम रुक चुका है, आमदोरफ्त बन्द हो जाती है इस के पेशेनजर सरकार उसे पक्का बनाने का इरादा रखती है ?

Mr. Speaker : It is a request for some action.

PALWAL-CHANHAT ROAD

***2392. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state —

(a) Whether the construction on Palwal-Chanhat road has so far been started; if so, since when and the time by which it is likely to be completed;

(b) if not started the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh :

(a) Part I : No.
Part II :Question does not arise.

(b) Owing to the limited scope of funds it was not included in the III Five-Year Plan proposals.

श्री रूप लाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाकर भेजा है । क्या 2 लाख रुपया भी ज़िला गुड़गांव के लिए खर्च नहीं किया जा सकता ?

मन्त्री : अगर दो लाख की प्रपोज़ल के लिए रुपया प्रोवाइड किया गया होगा तो कंसिडर किया जा सकता है ।

Starred Question No. 2069 Treated as Unstarred

Mr. Speaker: Starred Question No. 2069 is postponed.

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, इस सम्बन्ध में मैं आप की अटेनशन ड्रा करना चाहता हूँ । एक ही फर्म की बाबत यह सवाल है लेकिन इसे पर्पज़ली डीले किया जा रहा है ।

Mr. Speaker : The hon. Member is justified in drawing the attention of the Chair that the question relates to one firm and that Government should not find any difficulty in collecting the information. But the hon. Member should not impute motives please.

Comrade Ram Piara : Sir, the point is that the reply to this question was due on the 28th February, 1963, and to day is the 18th of March, 1963, which means that the reply is exceptionally delayed.

श्री अध्यक्ष : इतना ही पूछ लें, इससे आगे न जाएं । (The hon. Member should ask only this much and should not go beyond that.)

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि इस सवाल का जवाब 18 फरवरी, 1963 को आना था और आज 18 मार्च, 1963 हो गई है । एक्सेप्शनल डीले होने की क्या वजह है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : कुछ लीगल कम्पलिकेशन्ज़ हैं । इस लिए एक्सटैंशन की दरखास्त दी है । मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को इतना उतावला नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : जैसा आपने सवाल किया वैसा चौधरी साहिब ने जवाब दे दिया । (The hon. Minister has replied in the same tone in which the question was put by the hon. Member.)

कामरेड राम प्यारा : क्या इरीगेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इस लीगल कम्पलिकेशनज़ हैं क्या?

मन्त्री : अगर यह बताना होता तो जवाब दिया जा सकता था ।

Comrade Ram Piara : My charge has been proved that the reply has been held up intentionally.

Mr Speaker : That tendency may be there. But I would request the hon. Member not to impute motives. However, the hon. Member had asked the causes for delay in replying to the question and the hon. Minister has given the reply to that. The hon. Minister may be satisfied by the reasons given by him but I am convinced that the reply could be given. Anyhow, I cannot help.

Comrade Ram Piara : Sir, I have already drawn the attention of the Chief Minister about this matter in the month of January, and that is why I attribute motive in this case.

Mr. Speaker : Even then it is not proper to impute motives on the floor of the House.

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, देरी के लिए तो क्षमा मांगी जा सकती है; लेकिन किसी फर्म से गवर्नमैंट का क्या वास्ता हो सकता है ?

Mr. Speaker : I would request the hon. Minister to give the reply after reading the questions. The hon. Minister has tried to justify the postponement by unjustifiable reasons. The matter relates to a firm. Has the Government levied any tax.?

मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार टैक्स लेने के लिए तो उत्सक रहती है। इसमें लीगल इम्पलीकेशनज हैं। फर्म के नाम की बात नहीं है।

कामरेड राम प्यारा : क्या इसी सैशन में इसका जवाब आ जाएगा ?

Mr. Speaker : I would request the hon. Minister to treat this question as unstarred one and supply the necessary information as early as possible.

Comrade Ram Piara : I may submit, Sir, that the question may not be treated as unstarred one during the period when the Assembly is in session.

श्री अध्यक्ष : कामरेड जी, आप हर एक सपलीमेंटरी में एक स्पीच कर देते हैं। (The hon. Member starts delivering a speech while putting a supplementary.)

कामरेड राम प्यारा : गवर्नमैंट को एक लाख रुपये का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमैंट को नुकसान तो हो रहा होगा। (The Government might be incurring a loss.)

कामरेड राम प्यारा : गवर्नमैंट कह रही है कि 50,000 रुपया खर्च किया है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : इरीगेशन मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि इसमें लीगल इम्पली-केशन्ज़ हैं। क्या जिन मामलों में लीगल इम्पलीकेशन्ज़ होती है उनका जवाब नहीं दिया जाता या एवायड किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : उनको पर्स्यू करते हैं। The Government does not want to deny the information. (Such cases are pursued. The Government does not want to deny the information.)

ENTERTAINMENT DUTY REALISED FROM MANAGEMENTS OF CINEMAS IN AMRITSAR CITY

*2225. **Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state the exact amount of entertainment duty realised by Government from the managment of each Cinema running in Amritsar City during the last one year and the actual amount due from the proprietors of each of these Cinemas on this account ?

Chaduhri Ranbir Singh (Minister for Irrigation and Power): A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

Serial No.	Name of the Cinema	Exact amount of entertainments duty realized from the management during the year 1962	Actual amount of entertainments duty due
1	2	3	4
		Rs n.P.	Rs n.P.
1	Parkash Cinema ..	1,38,913.31	1,38,913·31
2	Ashoka ,, ...	1,24,443·96	1,24,443·96
3	Adarsh ,, ...	1,21,013·07	1,21,013·07
4	Inder Palace ...	78,840·17	78,840·17
5	Nandan Cinema ...	1,26,776·68	1,26,776·68
6	Nishat ,, ...	54,980·56	54,980·56
7	Krishana ,, ...	48,856·25	48,856·25
8	Regent ,, ...	69,878·28	69,878·28
9	Amrit ,, ..	65,987·28	65,987·28
10	City Light Cinema ...	53,475·70	53,475·70
11	Rialto ,, ..	79,575·44	79,575.44
12	Chitra ,, ...	1,26,880·41	1,26,880·41
13	Liberty ,, ..	60,569·07	60,569·07

STARRED QUESTION No. 1233

Mr. Speaker : Question No. *1233 is postponed, please. चौधरी साहब, आपको पता होगा कि चोरी हुई है कि नहीं? (Question No. *1233 is postponed, please. The hon. Minister might be knowing whether the Theft Occurred or not.)

मंत्री : यह तोले चाहते हैं, छटांक चाहते हैं ; अगर जवाब दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : आप तो मुश्किल में पड़ जाते हैं । इस में तोले नहीं पूछे हैं । इस में पूछा है कि कितने टन लोहा चोरी हुआ है । (The hon. Minister creates a problem for himself. The hon. Member has not asked the weight in tolas. It has been asked as to how many tons of iron bars had been stolen.)

मंत्री : जनाब, मेरा तोले का मतलब वज़न से है । टन का भी वज़न होता है और तोले का भी ।

श्री अध्यक्ष : सवाल का जवाब नहीं दिया गया । तोले की बात नहीं है । I think the hon. Minister has taken the House very lightly. इसका यह मतलब नहीं है । आप कहते हैं कि तोलों में जवाब देना है । आप कह देते कि इतने टन हुई है the matter would have ended there. जब आप छोटी सी चीज़ नहीं बताते तो कम्पलीकेशन पड़ जाती है । (The reply to the question has not been given. There is no question of Tolas. I think the hon. Minister has taken the House very lightly. He should not have given such a reply. He has said that he has to give the weight in Tolas. He could have said that so many tons of iron bars were stolen and the matter would have ended there. Some complication arises when the hon. Minister wants postponement of a simple question.)

मंत्री : तोल का सवाल है जब तक तोल का पता न हो जवाब कैसे दिया जा सकता है । मेरा मतलब तोले और छटांकों का वज़न से है ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप यह कह देते कि जिस अफसर ने इतनी इनफर्मेशन भी नहीं दी उसकी जवाब तलबी कर रहे हैं then the matter would have ended there. (The matter would have ended there had the hon. Minister said that the explanation of the officer who had not supplied this much information had been called.)

मंत्री : जो सवाल आता है जानकारी ली जाती है, जवाब तलबी की जाती है ।

सरदार लछमन सिंह गिल : स्पीकर साहिब, इस में जवाब तलबी करने का सवाल नहीं है : यह तो हाउस का हक है । जब चोरी होती है तो क्या हाउस पूछ नहीं सकता ?

श्री अध्यक्ष : मैं ने तो कह दिया है कि गवर्नमेंट को इस का जवाब देना चाहिए । I agree that there was absolutely no justification in asking for the postponement of this question. What more does the hon. Member expect from the Chair. (I have already observed that the Government should reply to this question. I agree that there was absolutely no justification in asking for the postponement of this question. What more does the hon. Member expect from the Chair?).

श्री बलरामजी दास टण्डन : मैं सिंचाई मंत्री साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां चोरी हुई भी थी ?

Mr. Speaker; Order, please. The question has been postponed.

GOVERNMENT DUG DRAINS IN BHATINDA DISTRICT

*1491. **Comrade Babu Singh Master**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number, name and mileage of Government dug Drains in Bhatinda District with the amount provided for maintenance and cleaning of each such drain in the years 1961-62 and 1962-63;

(b) the number of breaches and overflows, if any, caused in each of the said drains during the months August and September, 1962, with the total area of land affected by such breaches and over-flows together with the estimated loss of crops in the said district, tehsil-wise;

(c) the relief, if any, given so far or proposed to be given in the near future in each case?

Chaudhri Ranbir Singh :

(a) (i) 4 number

1.	Sahuke Drain	.. 13 miles
2.	Bahadur Singh Wala	.. 12 miles
3.	Sirhind Choe	.. 26 miles
4.	Baretta Drain	.. 12 miles

(ii) No separate amount has been provided for these drains in 1961-62 and in 1962-63, as the maintenance is being charged to the project account. The Project has not yet been completed

(b) (i) No breach occurred in any of these drains in August and September, 1962.

(ii) The drains at serial Nos. 1 and 2 overflowed only once. As regards serial Nos. 3 and 4 the work of excavation was in progress and these drains also overflowed.

(iii) The area affected and the extent of loss to crops is not known to this Department as this relates to Revenue Department.

(c) The information can be had from the Revenue Department.

AREA IRRIGATED BY CERTAIN OUTLETS IN DISTRICT HISSAR

***1840. Comrade Harnam Singh Chamak** (*Put by* **Comrade Bhan Singh Bhaura**) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the outlet at RD 129,000 near village Bhattan Khurd, tehsil Fatehabad, district Hissar, meant to serve 900 acres of land actually serves only 75 acres of land;

(b) whether it is also a fact that water outlet from Rajbha Sultanpur near village Abholi, tehsil Sirsa is required to serve 1,500 acres of land whereas it irrigates only 8 acres of land;

(c) the number of landowners owning 10 acres or less and more than 10 acres of land respectively whose lands are irrigated by the two outlets mentioned in part (a) and (b) above?

Chaudhri Ranbir Singh: (a) The outlet is actually located at RD 129,400 R of Fatehabad Distributary and it is meant to serve 900 acres of CCA. Against the target of 558 acres annual permissible irrigation actual average irrigation done is 197 acres.

(b) This outlet is provided for 880 acres C.C.A. against which the annual permissible area works out to 546 acres and actual average irrigation is 105 acres.

(c) The number of owners owning less than 10 acres of land are 25 and 49; while those owning more than 10 acres are 10 and 15 on the outlets mentioned at (a) and (b) above respectively.

FLOODS IN AMB CONSTITUENCY

***2087. Pandit Mohan Lal Datta**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of chos selected by Government to control floods devastation in the Amb Constituency;

(b) whether Government took any measures during the past 3 years to check the menace of floods in the said constituency, if so, the details thereof;

[Pandit Mohan Lal Datta]

(c) The steps, if any, Government propose to take in this direction for future ?

Chaudhri Ranbir Singh: (a) Yes, Garanikhad has been selected to control the floods in Amb Constituency and survey work has been carried out.

(b) Yes, local protection works near villages Mubarakpur, Oel, and Bhaira were started in the year 1961 and are nearing completion.

(c) The survey of Soan Nadi from foot of hills to outfall into River Sutlej has since been completed and the scheme for its canalization is being prepared.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इन्हों ने कदम उठाए हैं इन से आज तक कोई चो रुका भी है और क्या कोई स्कीम आज तक कामयाब भी हुई है या तबाही और बरबादी वैसे ही जारी है ?

श्री अध्यक्ष : इन्हों ने कहा है सर्वे हो रहा है । It is in the preliminary stage. (The hon. Minister has stated that survey is being carried out. It is in the preliminary stage.)

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या यह हकीकत है कि मुबारकपुर में जो काम इस सिलसिले में सरकार ने किया है वह बह गया है और बांध बह गए है ? क्या यह सत्य है ?

मन्त्री : यह मेरे नोटिस में नहीं है और न ही यह सत्य मालूम होती है ।

श्री सुरिन्द्र नाथ गौतम : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि सवान नदी पर जो चैनेलाईज़ करने की स्कीम है और उस पर जैसा कि इन्हों ने बताया है कि काम शुरू हो गया है सारे खर्च का क्या एस्टीमेट है ?

Mr. Speaker. : How can you expect the hon. Minister to keep all these details with him here ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, is it not necessary for an hon. Minister to come prepared with all the information relating to a particular question ?

Mr. Speaker: It cannot be possible beyond certain limits. Next question please.

REPRESENTATION FROM RESIDENTS OF CERTAIN VILLAGES IN TEHSIL HANSI FOR CONSTRUCTION OF CANAL BRIDGES

***2279. Shri Amar Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Government have recently received any representations from the residents of villages Khanpur, Sindhar. Sotha, Bhada and Mohla Barchhappar in tehsil Hansi, district Hissar, for the construction of the canal bridge;

(b) If the answer to para (a) above be in the affirmative, the action, if any, taken or proposed to be taken in the matter?

Chaudhri Ranbir Singh—(a) Yes.

(b) The demand was received from various villages for construction of 5 bridges. The position of each is mentioned in the "Appendix".

APPENDIX

1. **Khanpur.**—The residents of village Khanpur have requested for the construction of a bridge at R.D. 9,000 Kharkheri Disty. The bridge has to be constructed at the full cost of the beneficiaries. The approximate cost of the bridge is Rs 7,000 against which a sum of Rs 4,200 only has been deposited. The work is scheduled for construction during 1963-64 but can be taken up earlier if beneficiaries deposit the full cost forthwith.

2. **Sindhar.**—The residents of the Sindhar village have requested for the construction of bridge at R.D. 12,500 Kharkheri Disty. The cost of the bridge has to be shared half and half by the Department and the beneficiaries. The beneficiaries have deposited their share of cost. The construction of the bridge is being taken up and it will be completed within this financial year.

3. **Sotha.**—The village Road Bridge at R.D. 19,900 of Kapro Minor has been accepted for construction on the request of residents of village Sotha. The cos of this bridge will be borne by the Depar'ment. The bridge is scheduled fot construction during the year 1967-68 as per approved phased programme subject to availability of funds.

4. **Bhadakhera.**—The residents of village Bhadakhera have requested for a bridge at R.D. 70,500 Barwala Branch. The cost of the bridge has to be borne by the beneficiaries in full. The estimated cost of the bridge will be approximately of Rs. 27,000 against which a sum of Rs 17,000 only has been deposited so far. As on as the balance amount is deposited the work will be taken in hand.

5. **Mohla Barchhapar.**—The villagers of village Mohla Barchhapar in tehsil Hansi submitted a representation for converting foot bridge R.D. 186,097 Sunder Sub Branch into Cart bridge and have deposited a sum of Rs. 2,000. The bridge to be constructed is within about one mile from the existant bridge and villagers are needed to pay 50% cost thereof. Since the estimated cost of the bridge is Rs. 21,510 the 50% share of cost comes to Rs 10,755 which has to be paid by the villagers, according to the policy of the Government before the work is actually started. As the villagers have not deposited the balance amount of their share the work has not been taken up.

श्री अमर सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि खानपुर के बारे में गांव वालों ने पैसे पूरे कर दिए हैं और एग्जैक्टिव इन्जीनियर साहिब को भी बता दिया गया है कि गांव वालों ने अपना शेयर इकट्ठा किया हुआ है । आगे एक सवाल के जवाब में कहा गया था—

"The bridge is being taken up and it will be completed within this financial year."

परन्तु आज जवाब और दिया जा रहा है?

Minister: Sir, extension is applied for to answer this question.

Mr. Speaker: But I have received the answer to this question.

मन्त्री : जनाब, हम जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं इस लिए इस तरह हो जाता है । आप ने पहले एक दिन ज़िक्र किया था कि आपके दफ़तर में जवाब नहीं पहुंचा लेकिन मैं ने पता किया था वह पहुँच चुका था ।

श्री अध्यक्ष : आपने फिर बात शुरू कर दी । I have checked it up. आप का जवाब आज तक हमारे पास नहीं पहुंचा है । यह गलत बात है । (The hon. Minister has again referred to this matter. I have checked it up. The reply to that question has not been received in this secretariatuptill now.)

मन्त्री : मैं आपके पास डाक बही पेश कर सकता हूँ ।

श्री अमर सिंह : आज तकरीबन 18 मार्च है और फिनांशल ईयर के खतम होने में कुछ दिन बाकी हैं अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ । जितना शेयर गांव का डियू था वह पूरा हो गया है लेकिन काम कैसे खतम होगा ?

Mr. Speaker: I have to accept the reply that is given by the Government. I cannot compel them.

श्री अमर सिंह : जनाब, इस सवाल का जवाब हर साल यही आता है । लासट बजट सैशन में भी यही सवाल था और इस सैशन में भी यही है तो कया लोगों की तकलीफों को दूर करने का कोई साधन नहीं ?

Mr. Speaker: No speech, please.

मन्त्री : यह कोई सवाल तो है नहीं यह तो तकरीर थी और मैं ने सुन ली है ।

Mr. Speaker: Question Hour is over now.

श्री अमर सिंह : जनाब, मेरे सप्लीमेंट्रीज़ इस पर जारी रहने चाहिएं ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ELECTION TO ZILA PARISHAD, SANGRUR

502. Comrade Hardit Singh Bhathal: Will the Home Minister be pleased to state—

(a) when was the last election to the Zila Parishad, Sangrur held;

(b) whether the election of the Chairman of the said Zila Parishad has not been held so far, if so, the reasons therefor ?

Note.—Please see annexure also.

Sardar Darbara Singh: (a) The last election to the Zila Parishad, Sangrur was held on 13th February, 1963.

(b) The election of Chairman and Vice-Chairman, Zila Parishad, Sangrur was held on that very date.

KAIRON DRAIN IN SANGRUR DISTRICT

503. **Comrade Hardit Singh Bhathal**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the mileage of Kairon Drain in Sangrur District ;

(b) whether the said drain is now complete and the syphons provided at all necessary points ;

(c) whether the villages covered by the drain mentioned in part (a) above were served satisfactorily during the recent rains ?

Chaudhri Ranbir Singh: (a) About 40 miles length of Kairon Drain has been excavated in Sangrur District.

(b) Kairon Drain is a drain dug by voluntary labour and is not complete in any respect. Existing bridges of the roads, which it crosses at present need widening.

(c) No. The drain needs to be excavated to proper section for satisfactory performance.

PATWARIS RETRENCHED IN AMRITSAR DISTRICT

704. **Comrade Makhan Singh Tarsikka**: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number and names of revenue patwaris retrenched recently in Amritsar District giving the length of service of each ;

(b) the reasons for their retrenchment ;

(c) the steps so far taken to absorb the said retrenched patwaris ?

Sardar Ajmer Singh: (a) A statement is attached.

(b) They have been retrenched being junior-most to make room for the senior hands who were rendered surplus due to the reduction of staff made in the Consolidation Department and dropping of other various schemes in view of the present National Emergency by other departments.

(c) Out of the retrenched Patwaris, ten have since been absorbed in Amritsar District. Those who are physically fit are encouraged to join Military and Police Forces. Wherever possible they are being absorbed in other Departments. Accepted Patwari candidates who have been reverted

[Revenue Minister]

to candidature will be absorbed in accordance with their seniority whenever vacancies occur due to the retirement of Patwaris or the creation of additional posts for miscellaneous duties.

A Statement showing the Number and Names of the Retrenched Patwaris in Amritsar District and their Length of Service

Serial No.	Name of the Patwaris		Length of Service in years, months and days
1	2		3
	Sarvshri—		
1.	Darbari Lal		4-3-12
2.	Amar Nath		3-10-0
3.	Puran Singh		3-6-0
4.	Raj Paul	..	4-3-0
5.	Gurmukh Singh	..	4-4-0
6.	Baldev Singh	..	1-0-0
7.	Pritam Singh	..	4-3-0
8.	Hardip Singh	..	4-4-0
9.	Darshan Singh	..	4-4-0
10.	Harbhajan Singh	..	4-3-0
11.	Balbir Singh	..	4-3-0
12.	Kashmir Singh	..	3-6-0
13.	Dalbir Singh	..	4-3-0
14.	Kanwal Datt	..	4-4-15
15.	Narinjan Singh	..	2-3-0
16.	Mukhtar Singh	..	4-4-0
17.	Santa Singh	..	4-3-0
18.	Santokh Singh	..	3-0-19
19.	Harjit Singh	..	0-8-0
20.	Tirath Singh	..	1-7-28
21.	Mohanjit Singh	..	4-4-0
22.	Raghu Nath Sahai	..	4-3-0
23.	Ajudhia Nath	..	4-3-0
24.	Gian Singh	..	4-0-0
25.	Warinder Singh	..	0-8-0
26.	Hardip Singh	..	4-5-0
27.	Gian Chand	..	4-6-0
28.	Didar Singh	..	2-1-0
29.	Santokh Singh	..	4 3-0
30.	Pritam Singh	..	4-0-0
31.	Gurbux Singh	..	4-3-12
32.	Awtar Singh	..	3-6-0
33.	Jagdish Singh	..	4-3-0
34.	Harbans Singh	..	4-1-0
35.	Harbans Lall	..	4-2-0
36.	Joginder Paul	..	1-7-0

1	2		3
	Sarvshri—		
37.	Udham Singh	..	4-3-20
38.	Kashmiri Lal	..	3-7-0
39.	Ajaib Singh	..	3-7-0
40.	Roshan Lall	..	4-0-0
41.	Sham Sunder	..	3-6-0
42.	Kartar Singh	..	5-6-0
43.	Surjit Singh	..	3-5-0
44.	Sant Kumar	..	1-0-0
45.	Gurcharan Singh	..	4-3-0
46.	Sawaran Singh	..	4-0-0
47.	Major Singh	..	3-7-0
48.	Tarlochan Singh	..	4-4-0
49.	Raj Gopal	..	4-0-0
50.	Sukhdev Singh	..	4-3-0
51.	Puran Singh	..	4-4-0
52.	Manjit Singh	..	5-3-0
53.	Suba Singh	..	4-0-0
54.	Balwant Singh	..	4-3-0
55.	Dharam Paul	..	4-3-0
56.	Madan Lall	..	4-0-0
57.	Hardip Singh	..	3-6-0
58.	Vaishno Dass	..	2-5-0
59.	Paritam Singh	..	4-0-0
60.	Major Singh	..	3-0-0
61.	Rajinder Kumar	..	3-6-0
62.	Jaswant Singh	..	4-4-0
63.	Surjit Singh	..	4-3-0
64.	Baldev Singh	..	4-4-0
65.	Tarlok Singh	..	0-8-0
66.	Ajit Singh	..	0-6-0
67.	Raghbir Singh	..	0-7-0
68.	Santokh Singh	..	3-0-0
69.	Sulakhan Singh	..	3-5-0
70.	Kalwant Singh	..	5-0-0
71.	Ajaib Singh	..	2-6-0
72.	Karnjaspal Singh	..	4-8-0
73.	Mohinder Singh	..	3-1-0
74.	Ajit Singh	..	4-3-0
75.	Gurbachan Singh	..	6-0-0
76.	Brij Lal	..	4-3-0
77.	Hardip Singh	..	2-4-0
78.	Piara Singh	..	3-0-0
79.	Apar Singh	..	2-3-0
80.	Mukhjinder Singh	..	2-2-0
81.	Madan Gopal	..	2-0-0

[Revenue Minister]

1	2	3
	Sarvshri—	
82.	Piara Singh	.. 5-0-0
83.	Mohan Singh	.. 2-3-0
84.	Mohan Singh	.. 4-3-0
85.	Kewal Krishan	.. 2-0-0
86.	Sukhwant Singh	.. 4-3-0
87.	Gurnam Singh	.. 3-9-0
88.	Om Parkash	.. 2-3-0
89.	Surjan Singh	.. 3-4-0
90.	Madan Lall	.. 2-0-0
91.	Sadhu Singh	.. 2-2-0
92.	Joginder Paul	.. 7-5-0
93.	Narvail Singh	.. 1-0-0
94.	Jugal Kishore	.. 3-3-0
95.	Gian Singh	.. 2-7-0
96.	Som Kumar	.. 4-3-0
97.	Jagtar Singh	.. 2-3-0
98.	Sulakhan Singh	.. 4-10-0
99.	Sardari Lal	.. 2-6-0
100.	Ajit Singh	.. 4-10-0
101.	Baldev Raj	.. 2-3-0
102.	Surat Ram	.. 4-4-0
103.	Gurcharan Singh	.. 4-10-0
104.	Dyal Singh	.. 4-9-0
105.	Sabu Ram	.. 2-10-0
106.	Charanjit Singh	.. 2-0-0
107.	Kartar Singh	.. 4-2-0
108.	Makhan Singh	.. 2-0-0
109.	Naranjan Singh	.. 3-0-0
110.	Pal Singh	.. 2-0-0
111.	Piara Singh	.. 2-5-0
112.	Dharam Chand	.. 1-9-0
113.	Krishan Muri	.. 4-3-0
114.	Sawarn Singh	.. 4-2-0
115.	Kharaiti Lal	.. 6-6-17
116.	Sohan Singh	.. 4-2-0
117.	Mukhtar Singh	.. 1-10-0
118.	Jagir Singh	.. 2-0-0
119.	Jagir Singh	.. 4-2-0
120.	Jagat Mohan	.. 4-10-0
121.	Harbans Singh	.. 2-0-0
122.	Sawaran Singh	.. 2-0-0
123.	Aijt Singh	.. 1-11-0
124.	Surinder Kumar	.. 2-6-0

1	2	3
	Sarvshri—	
125.	Jagtar Singh ..	3-0-0
126.	Asa Singh ..	1-7-0
127.	Pargat Singh ..	6-0-0
128.	Nirmal Singh ..	1-7-0
129.	Atma Singh ..	5-4-0
130.	Harbans Singh ..	4-4-0
131.	Piara Lal ..	4-4-0
132.	Mota Singh ..	2-7-0
133.	Ram Partap Singh ..	1-9-0
134.	Kartar Singh ..	4-0-0
135.	Harbhajan Lal ..	2-0-0
136.	Charan Singh ..	2-0-0
137.	Narinder Singh ..	1-7-0
138.	Gurdip Singh ..	2-0-0
139.	Raj Pal ..	1-7-0
140.	Raghbir Singh ..	1-0-0
141.	Raghbir Singh ..	2-0-0
142.	Des Raj ..	2-0-0
143.	Udham Singh ..	3-0-0
144.	Gurmukh Dass ..	2-4-0
145.	Dayal Singh ..	2-8-0
146.	Tilak Raj ..	4-1-0
147.	Sawaran Singh ..	0-2-0
148.	Inder Singh ..	2-0-0
149.	Joginder Pal ..	2-0-0
150.	Wasti Ram ..	0-7-0
151.	Sital Singh ..	2-0-0
152.	Makhan Singh ..	0-5-0
153.	Gurbachan Singh ..	0-8-0
154.	Jowahar Lal ..	0-5-0
155.	Krishan Gopal ..	1-0-0
156.	Rulia Ram ..	0-3-0
157.	Kishor Chand ..	0-2-0
158.	Ram Kishan ..	6-2-18
159.	Ajit Singh Agrarian ..	4-4-0
160.	Ajit Singh ..	4-4-0
161.	Sucha Singh ..	4-3-0
162.	Sat Pal ..	4-5-0
163.	Swaran Singh ..	3-5-0
164.	Jagir Singh ..	3-5-0
165.	Sat Pal ..	4-2-13
166.	Kundan Lal ..	2-6-0
167.	Harnam Singh ..	2-2-0

[Revenue Minister]

1	2	3
	Sarvshri—	
168.	Ram Dass ..	3-0-0
169.	Gurbachan Singh ..	2-0-0
170.	Balwant Singh ..	1-11-8
171.	Rachhpal Singh ..	1-10-0
172.	Bali Singh ..	0-8-0
173.	Kartar Chand ..	0-9-6
174.	Joginder Ram ..	0-6-0
175.	Jagir Singh ..	0-5-0
176.	Davinder Singh ..	0-5-0
177.	Gian Chand ..	0-4-0
178.	Bhushan Kumar ..	0-3-0
179.	Baijinder Singh ..	4-10-0
180.	Devi Dayal ..	4-0-0
181.	Wasakha Singh ..	5-10-0
182.	Kewal Krishan ..	1-2-18
183.	Jagtar Singh ..	1-6-0
184.	Harnam Dass ..	1-6-0
185.	Manohar Lal ..	7-4-0
186.	Surat Singh ..	8-0-0
187.	Lal Chand ..	Service record not available
188.	Kharaiti Lal ..	3-7-15
189.	Swaran Singh ..	0-3-11
190.	Hardip Singh ..	1-1-20
191.	Jagdish Rai ..	Service record not available
192.	Kishan Chand ..	0-2-15
193.	Som Parkash ..	2-0-27
194.	Tirath Ram ..	Service record not available

MEETING CONVENED BY THE LABOUR COMMISSIONER, PUNJAB, AT PATIALA ON 18TH FEBRUARY, 1962

749. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Labour Commissioner, Punjab, summoned a meeting at Patiala on 18th April, 1962;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the purpose for which the said meeting was held and the names of the persons who participated therein?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) The purpose of the meeting was to ascertain the views of the managements and workers regarding fixation of minimum rates of wages for employment in cotton factories. The meeting could not take place as no invitee attended.

BUS FARES AND PASSENGER TAX

821. Comrade Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the rates of bus fares being charged by the buses plying at present on various routes together with the total mileage on which the Punjab Roadways and other private operators are plying their buses in the State separately;

(b) the total amount of passenger tax deposited by the Punjab Roadways during the period from 1st April, 1962 to date;

(c) whether Government is considering the issue of route permits either to the Punjab Roadways or to the private operators on certain new routes; if so, the number and nature thereof, i.e., Kacha or Pucca with the total mileage of each route and the approximate dates when the buses are likely to ply thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived. Information if sought in any specific case will be supplied to the honourable member.

TOTAL AMOUNT OF PASSENGER TAX TO BE REALIZED IN THE STATE

822. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Excise and Taxation and Capital be pleased to state—

(a) the total amount of passenger tax realised in the State during the period from 1st April, 1961 todate, yearwise, from the Private Operators and from the Punjab Roadways separately;

(b) whether the rate of passenger tax is the same on all the routes in the State except in the hilly areas; if so, the rate of the said tax at present ?

Shri Ram Saran Chand Mital :

(a) *Year*	*Private operators*	*Punjab Roadways*
	Rs.	Rs.
1961-62 ..	1,28,12,769.28	56,40,516.82
1962 63 (Up to 28th February, 1963)	1,38,44,564.38	68,76,791.84

(b) The rate of passenger tax is one-fifth of the value of the fare with effect from the 29th September, 1962, on all routes throughout the State including those of Hilly areas.

DIRECTOR OF AYURVEDA, PUNJAB

847. Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the Director of Ayurveda, Punjab was ever charge-sheeted during his service tenure ?

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the charges levelled and the action taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (Sir.

(b) Question does not arise.

GENERAL STORE I, AYURVEDIC DEPARTMENT, PUNJAB

848. Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether Government received any audit objection regarding the deletion of an entry in the Stock Register of Genetal Store I, Ayurvedic Department, Patiala, during the period 1959-60 to 1961-62;

(b) If the reply to part (a) above be in the affirmative, the contents of the audit objection and the action taken thereon?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, Sir.

(b) Contents of the objection are as follows:—

"**Period 1st April, 1959 to 31st March, 1960.** A general review of the Store Register of Pharmacy Section revealed that 40 tolas of *swaran chura* costing Rs 5,034 was purchased from M/s Rajkot Medicine Shop, Ludhiana at the rate contract approved by the Controller of Stores, Jullundur. It was learnt on enquiry that payment of the metal had not been made and it was lying un-utilized in the Store. It was also observed that 120 tolas of *swaran chura* worth Rs 15,102 was purchased from the aforesaid firm and an entry to that effect was recorded on 31st March, 1960 in the Store Register, which was also attested by the officer incharge of the Store. Subsequently the store entry was found to have been cancelled without assigning reason. *Prima facie*, an entry into the Store Register is made when material is actually received from the supplier and is also physically verified by a responsible departmental officer to ensure that the same is according to the approved specification and is in good condition. It is not clear as to why the entry was previously made and then subsequently cancelled. It is just possible that the rates of gold might have gone high and the material if received might have been returned to the supplier to favour him. Since factual position as to why the entry establishing receipt of metal was first recorded and under what circumstances it was subsequently cancelled could not be satisfactorily explained, the matter is brought to the personal notice of the Director of Ayurveda, Punjab, for investigation, results of investigation may be intimated to audit."

It has been reported to Government that the firm in whose name the order was placed for the supply of 2 seers of *swaran chura* (gold) furnished two bills, one for 40 tolas and the other for 120 tolas. Both the bills were entered in the Store Register due to heavy rush of work on the 30th and 31st March, 1960. It was immediately detected that 120 tolas of *swaran chura* was not received from the supplier and the entry had been wrongly made due to rush of work. Subsequently the entry was cancelled by the Store Incharge under proper attestation of the Superintendent, Pharmacy and Stores, Patiala.

The matter however, is under the consideration of Government.

ELECTION TO PANCHAYAT SAMITI IN KHUIAN SARWAR BLOCK OF FEROZEPUR DISTRICT

855. Shri Satya Dev : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the date when the last election to the Panchayat Samiti in Khuian Sarwar Block, district Ferozepore was, held ;

(b) the number and names of villages in Khuian Sarwar Block ;

(c) the names and full addresses of the members of the said Panchayat Samiti ;

(d) the total number of meetings held by the said Panchayat Samiti since its election uptodate together with the names of places where the said meetings were held and the details of the programme of the said Samiti ;

(e) whether there are any members of the said Panchayat Samiti who have not so far attended any of the meetings of the Samiti; if so, the names and addresses of such members ;

(f) whether any action has been taken against the members who have not attended any meetings of the Samiti, if so, the details thereof ;

(g) whether any persons who are not members of the Panchayat Samiti but are members of the Gram Panchayat are allowed to attend the meeting, if so the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) 30th September, 1961,

(b) to (e) Statements I to IV giving this information are attached.

(f) No. It appears from the report of the Executive Officer, Panchayat Samiti Khuian Sarwar that the notices of meetings were not invariably given through registered cover and therefore the Panchayat Samiti decided for future to send notices through a registered cover so that if any member still absented himself from the meetings of the Panchayat Samiti, action could be taken against him according to law.

(g) Yes. The meetings of the Panchayat Samiti are open to public unless any person is asked to withdraw from the meeting by a special order of the Chairman.

STATEMENT I

(for part B of the Assembly Question)

LIST OF VILLAGES IN KHUIAN SARWAR BLOCK

Sr. No.	*Name of Village*
1.	Gamjal
2.	Usman Khera
3.	Paniwala Mahla
4.	Pinjawa Mandal
5.	Kaller Khera
6.	Bhanger Khera
7.	Jutwala
8.	Jandwala Hanwantta

[Planning and Development Minister]

Sr. No *Name of Village*

9. Dhinga Wali
10. Shergarh
11. Varyam Khera
12. Dalmir Khera
13. Rakanpura
14. Sherewala
15. Khatwan
16. Jharar Khera
17. Patti Sadiq
18. Killianwali
19. Saidwala
20. Dharampura
21. Sappanwali
22. Pati Bila
23. Khuian Sarwar
24. Daulatpura
25. Han pura
26. Panjkosi
27. Diwan Khera
28. Kayal Khera
29. Gidranwali
30. Monjgarh
31. Bakianwala
32. Danewala Satkosi
33. Patrewala
34. Khipanwali
35. Azamwala
36. Roop Nagar
37. Jandwala Misa Sangl
38. Churiwala Dhana
39. Nihal Kera
40. Bareke
41. Katehra
42. Ghilu
43. Mamu Khera
44. Ram Kot
45. Shatirwala
46. Khui Khera
47. Sabuana
48. Kheowali Dhab
49. Murad Wala
50. Shiwana
51. Lakhewali Dhab
52. Kabul Shab Khuban
53. Bazid Pura
54. Bodi Wala Pitha
55. Bandiwala.

STATEMENT II

[for part (c) of the Question]

List showing the names and full addresses of members of the Panchayat Samiti, Khuian Sarwar

Serial No.	Name of member	Full address
1.	Shri Ad Lal	... Village and Post Office Panjkosi, tehsil Fazilka, district Ferozepore.
2.	Shri Lal Chand	... Village Dharampura, c/o Dhooda Ram, Ahriti, Abohar.
3.	Shri Kashmiri Lal	... Village and Post Office Diwan Khera, tehsil Fazilka.
4.	Shri Basti Ram	... Village Churi Wala Dhana, Post Office Nihal Khera, tehsil Fazilka.
5.	Shri Babu Ram	... Village and Post Office Nihal Khera, tehsil Fazilka.
6.	Shri Inder Singh	... Village Azam Wala, Post Office Nihal Khera, tehsil Fazilka.
7.	Shri Manphul Singh	... Village Roop Nagar, Post Office Jandwala Mira Sangla, tehsil Fazilka.
8.	Shri Harish Chander	... Village and Post Office Panjkosi, tehsil Fazilka.
9.	Shrimati Sunder Devi	... Village and Post Office Panjkosi, tehsil Fazilka.
10.	Shri Ram Rakh	... Village and Post Office Dhingan Wali, tehsil Fazilka.
11.	Shri Rup Ram	... Village and Post Office Dhinganwali, tehsil Fazilka.
12.	Shrimiti Bakhtawari Devi	... Village and Post Office Dhinganwali, tehsil Fazilka.
13.	Shri Ram Partap	... Village and Post Office Gunhjal, tehsil Fazilka.
14.	Shri Daulat Ram	... Village Paniwala Mahla, Post Office Bhangar Khera, tehsil Fazilka.
15.	Shri Bir Lal	... Village Sawana, Post Office Sahnana, tehsil Fazilka.
16.	Shri Jaimal Ram	... Village Murad Wala Bhoora, Post Office Sohana, tehsil Fazilka.
17.	Shri Kesar Ram	... Village Patrewala, Post Office Panjkosi, tehsil Fazilka.
18.	Shri Kishan Ram	... Village and Post Office Kalar Khera, tehsil Fazilka.
19.	Shri Raja Ram	... Village and Post Office Manjgarh, tehsil Fazilka.
20.	Shri Ajit Singh	... Village and Post Office Killianwali, tehsil Fazilka.
21.	Shri Iqbal Singh, M. P.	... 10-Allibery Road, New Delhi.
22.	Shri Radha Kishan	... Village and Post Office Khabi Khera, tehsil Fazilka.
23.	Shri Nikka Ram	... Village and Post Office Saiyad Wala, tehsil Fazilka.
24.	Shri Mani Ram	... Village and Post Office Barekan, Post Office Jandwala Mira Single, tehsil Fazilka.
25.	Shri Lekh Ram (has died)	... Village and Post Office Haryan Khera, tehsil Fazilka.
26.	Shri Satya Dev M. L. A. (Associate member)	... Village and Post Office Churi Wala Dhana, tehsil Fazilka.

[Planning and Development Minister]

STATEMENT III

[for part (d) of the Question]

List showing the names of places and details of programme of each meeting

Serial No.	*Name of Place*		*Programme*
1.	Panjkosi	...	For the formation of Standing Committees.
2.	Khuian Sarwar	...	Hiring of Office building and purchasing of furniture, stationery, etc.
3.	Khuian Sarwar	...	Meeting could not be held for want of quorum.
4.	Khuian Sarwar	...	(i) Condolence resolution on Martyrdom Day. (ii) Condolence resolution on the death of Shri Lekh Raj, Member, Zila Parishad. (iii) Discussion of office building, Village Volunteer Force, Labour Bank, Promotion of Agriculture Production, etc.

Total number of meetings held by the Panchayat Samiti.

STATEMENT IV

[for part (e) of the Question]

List showing the names and addresses of the members who have not attended any Panchayat Samiti Meeting

Serial No.	*Name of Member*		*Address*
1.	Shri Radha Kishan	...	Village and Post Office Khuikhera.
2.	Shri Babu Ram	..	Village and Post Office Nihal Khera.
3.	Shri Ram Parkash	...	Village and Post Office Gumjal
4.	Shri Harish Chander	...	Village and Post Office Panjkosi
5.	Shri Mani Ram	...	Village Bareka, Post Office Jand Wala Mira Sengla.
6.	Shri Manphul Singh	...	Village Rup Nagar, Post Office Jand Wala Mira Sengla.

———

BAD CHARACTER ON REGISTER A OF POLICE STATION KHUIAN SARWAR, DISTRICT FEROZEPORE

***856. Shri Satya Dev :** Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the number of bad characters on Register 'A' of Police Station Khuian Sarwar in Ferozepore District at present ;

(b) the number of bad characters on Register 'B' of the said Police Station;

(c) the names and full addresses of the said bad characters together with the reasons for declaring them as bad character No. 10;

(d) the reasons for keeping their names in the said Register when they have not indulged in any such action during the last 2/4 years;

(e) the total number of murders committed during the period from 1947 up-to-date in the area under the jurisdiction of Police Station Khuian Sarwar together with the names and addresses of the accused;

(f) the nature of punishments awarded in each case;

(g) the number of dacoities committed and the details of illicit arms recovered in the area of the said Police Station during the said period;

(h) the names and addresses of the persons from whom they were recovered?

Shri Mohan Lal: (a)(b)(c) & (d) It will not be in public interest to disclose the information asked for.

(e),(f),(g) & (h) The time and labour involved in furnishing the requisite information will not be commensurate with any possible benefit to be derived. However, if the information regarding any specific case or cases is desired by the Hon'ble Member, the same will be supplied.

WATERS OF AGRA CANAL USED BY CULTIVATORS OF GURGAON DISTRICT

861. Chaudhri Har Kishan: Will the Minister for Revenue be pleased to state the amount paid annually since 1957 by the cultivators of Gurgaon District, Sub-Division-wise, for the use of water of the Agra Canal?

Sardar Ajmer Singh:

Period	Palwal Sub-Division	Nuh Sub-Division	Rewari Sub-Division	Total District
	Rs	Rs	Rs	Rs
1/57 to 3/57 ..	3,00,528	1,53,361	—	4,53,889
1957-58 ..	2,51,234	1,43,145	—	3,94,379
1958-59 ..	2,17,613	84,912	—	3,02,525
1959-60 ..	5,31,625	2,00,328	—	7,31,953
1960-61 ..	4,83,503	2,03,883	—	6,87,386
1961-62 ..	4,80,317	1,72,146	—	6,52,463
1962-63 (upto 2/63) ..	3,59,825	1,33,709	—	4,93,534

ENQUIRY AGAINST A MEMBER OF PANCHAYAT OF VILLAGE PHUSGARH, TEHSIL KARNAL.

862. Shri Amar Singh: Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether any enquiry against any member of the Panchayat of village Phusgarh, tehsil Karnal, who is also a member of the Karnal Block Samiti is pending with D. C. Karnal/B.D. & P. O. Karnal; if so, the date when the enquiry was started

[Shri Amar Singh]

and the number of officers who conduct the enquiry together with the stage at which the enquiry is at present;

(b) the approximate date when the said enquiry is expected to be completed giving the nature of complaints regarding which the enquiry is being conducted ?

Sardar Darbara Singh: (a) No.

(b) Does not arise.

OFFICERS/OFFICIALS RETRENCHED/REDUCED IN RANK AT BHAKRA DAM.

864. **Shri Surinder Nath Gautam**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of regular officers/officials so far retrenched or reduced in ranks on account of reduction in work at Bhakra Dam?

Chaudhri Ranbir Singh: There is no separate cadre of Regular Establishment of Bhakra Dam. Retrenchment/Reduction in rank of officers/officials up to Head Clerks are ordered on provincial basis taking into consideration their seniority in the Irrigation Branch as a whole. Surplus officials below the rank of Head Clerks are transferred to other Irrigation Circles.

ARREARS OF LAND REVENUE ETC. IN DISTRICT FEROZEPUR.

873. **Sardar Kulbir Singh**: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the amount due for recovery on account of loans, taccavis and land revenue in Ferozepur District tehsilwise;

(b) whether any persons were kept in revenue lock up in connection with the recoveries of land revenue, loans and taccavi in the said district since January, 1963 to date, if so their number and the amount due from each of them;

(c) whether it is a fact that due to floods kharif crops were totaly destroyed in certain areas of the said district;

(d) whether the flood stricken people were given relief in the form of revenue remissions and postponement of recoveries of loans and taccavis;

(e) the number of persons against whom arrears of loans, taccavi or land revenue amounting to Rs 5,000 or more are outstanding in each case together with their names and addresses;

(f) whether any of the defaulters mentioned in part (e) above were detained in the revenue lock up, if so, their names?

Sardar Ajmer Singh :

(a)

Tehsil		Land Revenue	Taccavi Loans
Ferozepur	..	3,36;722	20,70,136
Fazilka	..	67,646	10,17,017
Muktsar	..	53,702	12,57,490
Moga	..	65,475	3,07,297
Zira	..	3,09,369	15,68,246
Total	..	8,32,914	62,20,186

(b) Yes.

Two hundred and four persons were detained.

A statement showing the amount due from each of them is enclosed.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) A statement is enclosed.

(f) Yes. A statement showing their names is enclosed.

Statement showing the names and the amount due from each of them and those who were kept in lock up in connection with recoveries of Taccavi Loans

S. No.	*Name of the person*		*Amount due Since January, 1963*
	TEHSIL MUKTSAR		Rs
1.	Shri Piara Singh, s/o Teja Singh, village Sukhna Ablu	...	1,916
2.	Shri Baldev Singh, s/o Hakam Singh, village Sukhna Ablu	...	1,953
3.	Shri Mal Singh, s/o Hamir Singh, village Sukhna Ablu	...	3,107
4.	Shri Kirpal Singh, s/o Ranjha Singh, village Sukhna Ablu	...	2,018
5.	Shri Rang Singh, s/o Gurditta Singh, villa Babania	...	2,234

[Revenue Minister]

S. No.	Name of the person		Amount due since January, 1963
			Rs
	TEHSIL MUKTSAR—*concld*		
6.	Shri Chanan Singh, s/o Maghar Singh, village Husnar	...	1,202
7.	Shri Arjan Singh, s/o Amar Singh, village Sukhna Ablu	...	4,882
8.	Shri Munsha Singh, s/o Sant Singh, village Sukhna Ablu	...	1,844
9.	Shri Thana Singh, s/o Hardit Singh, village Bhangar	...	189
10.	Shri Dara Singh, s/o Karam Singh, village Dhab Wali Dhab	...	315
11.	Shri Bakhshish Singh, s/o Lal Singh, village Buttar Sharin	...	452
	TEHSIL MOGA		
*1.	Shri Bhag Singh, village Baragarh	...	1,301
2.	Shri Sher Singh, village Lopon	...	2,000
3.	Shri Narbhai Singh, village Ajit Wala	...	319
4.	Shri Sham Singh, village Tharaj	...	475
5.	Shri Bela Singh, village Raunta	...	362
	TEHSIL FEROZEPUR		
1.	Shri Sohawa Singh	...	404
2.	Shri Bagi Ram	...	1,966
3.	Shri Bhana	...	2,642
4.	Shri Teja Singh	...	500
5.	Shri Hans Raj	...	613
6.	Shri Chanan Singh	...	259
7.	Shri Rajinder Singh	...	619
8.	Shri Raghbir Singh	...	973
9.	Shri Harnam Singh	...	1,066
10.	Shri Bishan Singh	...	405
11.	Shri Gian Singh	...	581
12.	Shri Surjan Singh	...	267
13.	Shri Hardit Singh	...	2,401
14.	Shri Resham Singh	...	126
15.	Shri Dalip Singh	...	335
16.	Shri Sunder Singh	...	436
17.	Shri Machi Singh	...	383
18.	Shri Gulab Singh	...	417
19.	Shri Hakam Singh	...	363
20.	Shri Inder Singh	...	68
21.	Shri Teja Singh	...	444
22.	Shri Dogar Singh	...	517
23.	Shri Hardip Singh	...	305
24.	Shri Bainka Singh	...	177
25.	Shri Mohkam Singh	...	759

S. No.	Name of the person		Amount due since January, 1963
			Rs
TEHSIL FEROZEPORE—*concld*			
26.	Shri Sohan Lal	...	240
27.	Shri Ajit Singh	...	1,903
28.	Shri Sohan Singh	...	1,320
29.	Shri Bahal Singh	...	509
30.	Shri Amar Singh	...	535
31.	Shri Arjan Singh	...	348
32.	Shri Ala Singh	...	552
33.	Shri Pala Singh	...	717
34.	Shri Bela Singh	...	354
35.	Shri Kapur Singh	...	261
36.	Shri Darbara Singh	...	1,386
37.	Shri Hukam Singh	...	532
38.	Shri Pala Singh	...	66
39.	Shri Hira Singh	...	269
40.	Shri Hazara Singh	...	1,494
	TEHSIL ZIRA		
1.	Shri Shingar Singh, s/o Dula Singh	...	330
2.	Shri Gurdial Singh, s/o Nur Pur	...	174
3.	Shri Wadhawa Singh, s/o Sohan Singh	...	21
4.	Shri Fauja Singh, s/o Wasawa Singh	...	112
5.	Shri Sohan Singh, s/o Santa Singh	...	80
6.	Shri Teja Singh, s/o Santa Singh	...	73
7.	Shri Gurbachan Singh, s/o Johal Singh	...	327
8.	Shri Atma Singh, s/o Sawan Singh	...	89
9.	Shri Darshan Singh, s/o Hazara Singh	...	125
10.	Shri Kala Singh, s/o Mian Singh	...	329
11.	Shri Kapur Singh, s/o Mahan Singh	...	72
12.	Shri Gurdial Singh, s/o Budh Singh	...	155
13.	Shri Sher Singh, s/o Jiwan Singh	...	27
14.	Shri Bachan Singh, s/o Dewa Singh	...	57
15.	Shri Prem Singh, s/o Ujagar Singh	...	56
16.	Shri Partap Singh, s/o Buta Singh	...	495
17.	Shri Balbir Singh, s/o Ujagar Singh	...	56
18.	Shri Jarnail Singh, s/o Lal Singh	...	115
19.	Shri Bhag, s/o Nathu	...	64
20.	Shri Masa Singh, s/o Paul	...	145
21.	Shri Chanan Singh, s/o Gulam Singh	...	36
22.	Shri Sharif, s/o Gulama	...	305
23.	Shri Gopal Singh	...	845
24.	Shri Natha Singh, s/o Dewa Singh	...	132
25.	Shri Dula Singh, s/o Hazara Singh	...	76
26.	Shri Jagat Singh, s/o Gurmukh Singh	...	379

[Revenue Minister]

S. No.	Name of the person		Amount due since January, 1963
	TEHSIL ZIRA—*concld*		Rs
27.	Shri Harnam Singh, s/o Lal Singh	...	49
28.	Shri Shangara Singh, s/o Dayal Singh	...	96
29.	Shri Puran Singh, s/o Tara Singh	...	256
30.	Shri Ganga Singh, s/o Mit Singh	...	131
31.	Shri Jamel Singh, s/o Mal Singh	...	130
32.	Shri Hamad, s/o Sher	...	105
33.	Shri Chanan Singh, s/o Sajjan Singh	...	38
34.	Shri Ajaib Singh, s/o Gurdit Singh	...	65
35.	Shri Dalip Singh, s/o Santa Singh	...	38
36.	Shri Punjab Singh, s/o Gurdit Singh	...	256
37.	Shri Ujagar Singh, s/o Bhatat Singh	...	151
38.	Shri Sumer Singh, s/o Mohar Singh	...	45
39.	Shri Geja Singh, s/o Mehtab Singh	...	159
40.	Shri Ajaib Singh, s/o Maan Singh	...	238
	TEHSIL FAZILKA		
1.	Shri Jaswant Singh, s/o Sher Singh	...	300
2.	Shri Balwant Singh, s/o Sher Singh	...	301
3.	Shri Sham Singh, s/o Gurdas Singh	...	216
4	Shri Ganga Singh, s/o Buta Singh	...	301
5.	Shri Narian Singh, s/o Buta Singh	...	603
6.	Shri Jagga Singh, s/o Narain Singh	...	1,502
7.	Shri Harnam Singh, s/o Buta Singh	...	301
8.	Shri Nagar Singh, s/o Chanda Singh	...	60
9.	Shri Jagtar Singh, s/o Bahadur Singh	...	712
10.	Shri Bahadur Singh, s/o Nanda Singh	...	303
11.	Shri Gudar Singh, s/o Labh Singh	...	301
12.	Shri Wadhawa Singh, s/o Buta Singh	...	351
13.	Shri Rana Singh, s/o Jawala Singh	...	301
14.	Shri Banta Singh, s/o Buta Singh	...	603
15.	Shri Phuman Singh, s/o Narain Singh	...	303
16.	Shri Inder Singh, s/o Mihan Singh	...	303
17.	Shri Atma Singh, s/o Mota Singh	...	301
18.	Shri Balbir Singh, s/o Surain Singh	...	524
19.	Shri Balwant Singh, s/o Labh Singh	...	303
20.	Shri Saudagar Singh, s/o Gurdit Singh	...	603
21.	Shri Machi Singh, s/o Bur Singh	...	213
22.	Shri Kishan Singh, s/o Maghar Singh	...	301
23.	Shri Sunder Singh, s/o Santokh Singh	...	303
24.	Shri Piara Singh, s/o Chandi Singh	...	1,078
25.	Shri Sardar Singh, s/o Nand Singh	...	603
26.	Shri Lachhman Singh, s/o Munshi Singh	...	1,802
27.	Shri Chaman Singh, s/o Nanka Singh	...	603
28.	Shri Baga Singh, s/o Kundan Singh	...	1,264

S. No.	Name of the person		Amount due since January, 1963
TEHSIL FAZILKA—*concld*			Rs
29.	Shri Arjan Singh, s/o Jagat Singh	...	143
30.	Shri Kundan Singh, s/o Jagat Singh	...	143
31.	Shri Kirpal Singh, s/o Kharak Singh	...	1,973
32.	Shri Labh Chand, s/o Khushal Chand	...	497
33.	Shri Surian Singh, s/o Mahla Singh	...	262
34.	Shri Kartar Singh, s/o Hakam Singh	...	185
35.	Shri Mangal Singh, s/o Sohawa Singh	...	54

Statement showing the name and the amount due from each of them and those who were kept in Revenue Lock Up in connection with recovery of land revenue, etc.

S. No.	Name of the person			Amount due
				Rs
1.	Hargobind	Lambardar	...	1,233
2.	Balwant Singh	Do	...	3,018
3.	Kirpal Singh	Do	...	15,545
4.	Surain Singh	Do	...	15,545
5.	Jaimal Ram	Do	...	7,971
6.	Wanjar Singh	Do	...	172
7.	Kartar Singh	Do	...	901
8.	Bahal Singh	Do	...	1,283
9.	Durga Dass	Do	...	3,233
10.	Sher Singh	Do	...	1,384
11.	Phuman Singh	Do	...	534
12.	Ganda Singh	Do	...	5,733
13.	Lahori Ram	Do	...	2,486
14.	Sardara Singh	Do	...	13,876
15.	Sadhu Ram	Do	...	4,848
16.	Dhara Singh		...	888
17.	Aunkar Singh	Lambardar	...	44
18.	Masa Singh	Do	...	5,283
19.	Kartar Singh	Do	...	9,698
20.	Avtar Singh	Do	...	5,937
21.	Sukhanain Singh	Do	...	15,544
22.	Pritam Singh	Do	...	2,143
23.	Chanan Singh		...	200
24.	Sarwan Singh		...	2,799
25.	Chanan Singh		...	5,364
26.	Des Raj		...	4,107
27.	Jita Singh		...	371
28.	Mulakh Ram		...	2,071

[Revenue Minister]

S. No.	Name of the person		Amount due
			Rs
29.	Sohan Singh	...	1,143
30.	Teja Singh	...	914
31.	Fauja Singh	...	1,569
32.	Sardara Singh	...	10,312
33.	Bahal Singh	...	444
34.	Jagir Singh	...	1,349
35.	Hazara Singh	...	1,494
36.	Darshan Singh	...	441
37.	Uttam Singh	...	2,280
38.	Hara Singh	...	4,180
39.	Thakar Singh	...	4,642
40.	Lal Singh	...	3,432
41.	Dalip Singh	...	3,904
42.	Pala Singh	...	2,300
43.	Gurdip Singh	...	1,148
44.	Kartar Singh	...	857
45.	Jagir Singh	...	18,011
46.	Bur Singh	...	4,004
47.	Kundan Singh	...	152
48.	Amar Singh	...	1,581
	TEHSIL MOGA		
1.	Jassa Singh	...	1,278
2.	Malkiat Singh	...	1,452
3.	Inder Singh	...	1,198
4.	Sadhu Singh	...	14,009
5.	Sajjan Singh	...	2,612
6.	Autar Singh	...	4,447
7.	Mewa Singh	...	2,323
8.	Wasakha Singh	...	3,498
9.	Jangir Singh	...	7,146
10.	Inder Singh	...	218
11.	Sher Singh	...	8,824
12.	Basant Singh	...	5,296
13.	Munshi Singh	...	841
14.	Bhag Singh	...	2,565
15.	Bhag Singh	...	514
16.	Sham Lal	...	176
17.	Hans Raj	...	134
18.	Santokh Singh	...	6,586
19.	Paul Singh	...	1,958
20.	Nadhan Singh	...	385
21.	Sher Singh	...	282
22.	Amar Singh	...	201
23.	Jiwan Singh	...	1,707
24.	Milkha Singh	...	3,284
	TEHSIL FAZILKA		
1.	Kishan Singh	...	81

The number of persons against whom arrears of taccavi loans amounting to Rs 5,000 or more outstanding in each case together with their names and addresses

..............(Item) Part (e)

S. No.	Name of the person		Amount due
			Rs
1.	Harbans Singh, s/o Kishan Singh, village Kishanpura Kalan, tehsil Zira	..	9,500
2.	Charanjit Singh, s/o Sharam Singh, village Nurpur, tehsil Zira	..	7,054
3.	Inder Sain, s/o Bahali Ram, village Nurpur	..	9,170
4.	Dhan Kaur, Wd/o Harbans Singh, village Kili Gandhran	..	11,500
5	Ajaib Singh, s/o Ladha Singh, village Wanjoke	..	5,408
6.	Chand Kaur, Wd/o Ganga Singh, village Kot Mohmd. Khan	..	11,350
7.	Jagtar Singh, s/o Mal Singh, village Kangiana, tehsil Ferozepur	..	5,000
8.	Ganga Singh, s/o Lehna Singh, village Langiana, tehsil Ferozepur	..	5,800
9.	Harbans Singh, s/o Kishan Singh, village Bareke, tehsil Ferozepur	..	23,000
10.	The Sutlej Co-operative Farming Society Ltd., Ferozepur	..	5,600
11.	Jatinder Bikram Jit Singh, Jaswinder Bikram Jit Singh, Sukhminder Bikram Jit Singh, ss/o Arjan Singh of Khai Phemeke	..	11,500
12.	Sodhi Mohinder Singh, s/o Sadhu Singh and Shrimati Rajinder Kaur, w/o Sodhi Mohinder Singh of Sodhi Nagar	..	5,800
13.	Shrimati Kuldip Kaur, w/o Guru Harnam Singh, village Guruharsahai	..	8,500
14.	Iqbal Singh, s/o Hira Singh, village Qutab Garh	..	11,500
15.	Mohinder Singh, Bakhshish Singh, ss/o Gurdit Singh of Kasu Begu	..	10,816

[Revenue Minister]

Statement showing the defaulters of Land Revenue against whom 5,000 or more are outstandiug on 20th March, 1963

Serial No.	Particulars of the defaulter		Amount due
			Rs
1.	Bhagat Singh, Lambardar of Katora	...	10,941·93
2.	Dhara Singh, Lambardar of Dulchike	...	5,635·56
3.	Kirpal Singh, Surain Singh, Lambardars of Khai	...	15,044·64
4.	Suckchain Singh, Lambardar of Satyewala	...	15,085·00
5.	Smt. Rajinder Kaur of Sodhi Nagar	...	7,064·19
6.	Sodhi Harnam Singh of Sodhi Nagar	...	5,082·44
7.	Kartar Singh, Lambardar, Malwa	...	8,697·44
8.	Mohinder Singh, Lambardar of Kasu Begu	...	5,544·15
9.	Pritam Singh, Lambardar, Lakho Ke Behram	...	21,500·00
10.	Sohan Singh, Lambardar of Kari Kalan	...	8,975.22
11.	Ram Singh, Lambardar of Jodh Singh	...	5,525·30
12.	Sardara Singh, Lambardar of Hazara Singh Wala	...	12,965·78
13.	Shivsham Singh, Lambardar, Guruharsahai	...	3,997 ·69
14.	Ladha Singh, Lambardar, Haddi Wala	...	8,906·00

List of persons who remained in Revenue Lock up in respect of Part (e)

Serial No.	Names of the persons and Addresses
1.	Shri Kirpal Singh, Lambardar of Khai
2.	Shri Pritam Singh, Lambardar of Lakhoke Behram
3.	Shri Dhara Singh, Lambardar of Dulchike
4.	Shri Kartar Singh, Lambardar, Malwa
5.	Shri Sardara Singh, Lambardar, Hazara Singh Wala

AREA OF CULTIVABLE LAND IN THE STATE

886. Chaudhri Inder Singh Malik : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total area of cultivable land in the State, districtwise, rendered unculturable during each of the year from 1955 to date together with the total area of land so far reclaimed by Government?

Sardar Gurbanta Singh (Agriculture and Welfare Minister) : The information from the year 1955-56 to the year 1961-62, is given in the enclosed statement.

District wise statement Showing cultivable and

[Agiiculture and Welfare Minister]

Serial No.	District		1955-56	1956-57	1957-58
1.	Hissar	Cultivable ...	3,276,422	3,285,201	3,283,963
		Unculturable ...	57,161	57,161	57,161
2.	Rohtak	Cultivable ...	1,336,355	1,334,700	1,332,336
		Unculturable ...	10,927	11,228	19,618
3.	Gurgaon	Cultivable ...	1,195,333	1,203,351	1,207,231
		Unculturable ...	83,660	71,412	67,463
4.	Karnal	Cultivable ...	1,642,615	1,641,290	1,635,911
		Uuculturable ...	157,042	157,042	157,042
5.	Ambala	Cultivable ...	883,159	874,369	878,679
		Uncultivable ...	244,807	156,624	126,005
6.	Simla	Cultivable ...	403	389	389
		Uncultivable ...	1,277	1,277	1,277
7.	Kangra	Cultivable ...	694,667	694,667	694,461
		Uncultivable ...	4,832,859	4,832,859	4,833,272
8.	Lahaul & Spiti	Cultivable ...	—	—	—
		Uncultivable ...	—	—	—
9.	Hoshiarpur	Cultivable ...	808,411	80,792	806,728
		Unculturable ...	477,822	476,751	467,509
10.	Jullundur	Cultivable ...	717,681	688,315	751,924
		Uncultivable ...	66,499	64,232	64,065
11.	Ludhiana	Cultivable ...	762,196	759,113	755,274
		Uuculturable ...	26,421	26,165	30,466
12.	Ferozepur	Cultivable ...	2,432,392	2,421,466	2,417,447
		Uncultivable ...	11,071	5,949	193,140
13.	Amritsar	Cultivable ...	1,093,692	1,085,421	1,085,461
		Uncultivable ...	12,226	12,226	12,187
14.	Gurdaspur	Cultivable ...	695,817	695,589	695,589
		Uncultivable ...	148,772	149,000	149,000
15.	Kapurthala	Cultivable ...	N. A.	1,515,257	1,515,257
		Uncultivable ...	N. A.	2,785	2,450
16.	Bhatinda	Cultivable ...	N. A.	335,385	350,385
		Uncultivable ...	N. A.	69,579	69,579
17.	Mohindergarh	Cultivable ...	N. A.	785,417	784,952
		Uncultivable ...	N. A.	N, A.	N. A.
18.	Patiala	Cultivable ...	926,524	1,243,216	1,333,511
		Uncultivable ...	461,263	148,304	148,818
19.	Sangrur	Cultivable ...	N. A.	1,812,567	1,817,500
		Uncultivable ...	N. A.	—	116,854
	Total	Cultivable ...	16,465,668	21,183,633	21,346,998
		Uncultivable ...	6,591,807	6,242,594	6,515,906

unculturable area of land in acres in state

1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	Area in acres reclaimed up to 1961-62
3,283,500	3,280,036	3,085,242	3,107,922	770 acres
57,161	62,276	152,085	156,566	
274,955	1,329,721	1,329,721	1,329,943	—
20,127	21,122	21,122	21,122	—
1,214,479	1,207,135	1,199,278	1,214,338	—
67,839	70,843	70,397	63,495	—
1,628,409	1,628,509	1,633,266	1,640,185	11,604 acres
145,672	145,647	137,553	137,553	—
862,828	955,683	958,590	963,762	
144,293	231,043	229,863	222,838	—
295	36,027	35,953	359,466	
1,260	1,260	1,261	1,261	—
679,144	745,467	738,478	734,262	—
4,856,060	4,833,159	2,475,432	2,477,595	
—	—	10,070	10,070	
—	—	2,356,480	2,356,480	—
778,744	780,956	779,860	775,574	
384,336	426,453	426,900	431,186	—
732,893	716,228	717,909	719,093	
64,783	51,810	46,535	44,149	7,500 acres
744,120	747,010	747,271	751,152	
4,608	7,726	7,726	5,719	
2,422,078	2,287,671	2,295,943	230,152	—
190,386	30,390	1,328	805	—
1,074,033	1,074,015	1,074,015	1,074,015	
15,684	22,641	22,641	22,641	388 acres
877,268	624,936	624,936	625,350	
150,501	69,492	69,492	68,970	
1,513,790	350,859	350,249	352,368	
71,030	58,073	58,073	55,741	14,973 acres
348,662	161,200	1,622,604	1,616,023	
2,450	76,431	76,431	83,360	—
784,035	782,502	780,426	779,389	—
N. A.	N.A.	N. A.	N. A.	
1,322,995	1,104,394	1,104,458	1,103,300	77,867 acres
152,393	104,036	105,343	106,079	
1,804,313	1,804,297	1,792,167	1,806,723	4,886 acres
116,238	116,238	123,236	113,257	
21,211,995	21,078,050	20,880,328	20,940,895	1,17,988 acres
6,444,821	6,328,640	6,381,818	6,368,817	

INCOME OF MUNICIPAL COMMITTEE GIDDAR BAHA, DISTRICT FEROZEPORE

889. Sardar Ujagar Singh : Will the Home Minister be pleased to state the year-wise income of the Giddar Baha Municipal Committee, district Ferozepore during the financial years 1960-61, 1961-62 and 1962-63 ?

Shri Mohan Lal:

		Rs	
1960-61	..	2,98,106·00	
1961-62	..	3,26,104·00	
1962-63	..	3,25,200·00	(estimated).

COMPLAINT AGAINST OFFICIALS OF PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

890. Sardar Ujagar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have received any representation from some singers and poets of District Ferozepore against some officials of the Punjab Public Relations Department regarding the non-payment of about Rs 1,500 due to them; if so, the action taken on the representation together with the names of the officials concerned ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. Sarvshri Jaswant Singh, Harbans Lal, Tehal Singh and Amar Nath complained against Shri Swaran Singh, Rural Publicity Supervisor. A departmental enquiry is being held.

STATEMENT BY THE IRRIGATION AND POWER MINISTER

3.00 p.m.

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Ranbir Singh) : Sir, in reply to the Starred Assembly Question No. 622 asked by Shri Hunna Mal, M.L.A. regarding electrification of villages in Hissar District during the First and Second Five-Year Plan, it was stated that the village Dabra was electrified during the 1st Five-Year Plan. Further it was stated that 75 villages were electrified in the Hissar District in the 2nd Plan and Hissar Model Town, Mandi Dabwali and village Parbuwala were included in the list of villages electrified in the 2nd Plan. It has since transpired that this information was not completely correct. Mandi Dabwali and not Dabra was electrified during the 1st Five-Year Plan and only 72 villages were electrified in the Hissar District during the 2nd Plan, as Mandi Dabwali and Hissar Model Town which were included in the list of villages electrified in the 2nd Plan (Annexure A to the reply) were in fact electrified in the 1st Plan and the village Parbuwala was electrified in the third Plan period. The reply may kindly be modified accordingly.

I express my regrets to the House for the inaccurate information furnished in the first instance.

श्री अध्यक्ष : देखिये कितने स्पोर्टसमैन हैं चौधरी साहिब, जब गलती का पता चला खुद ही ठीक करा ली है । (What a sportsmanship has been shown by the the hon. Member. As soon as he detected the mistake he himself got it corrected.)

BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) BILL, 1963

Minister for Planning and Development (Sardar Darbara Singh): Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

> That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Planning and Development (Sardar Darbara Singh): Sir, I introduce the Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1963.

REFERENCE OF THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) BILL, 1963, TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Planning and Development (Sardar Darbara Singh) : Sir, I beg to move —

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1963 be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st March, 1963.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1963, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st March, 1963.

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, पहले भी इस ऐक्ट में अमेंडमैंटस की गई हैं और अब फिर की जा रही है । जो भी बिल बनाया जाता है और जो कि रिजनल कमेटियों को भेजा जाता है उन को बहुत कम वक्त दिया जाता है । उन्होंने उस की खामियों को दूर करना होता है, यह देखना होता है कि उन की ऐपलीकेशन कैसे हो । इस सारी चीज़ को करने के लिये 31 मार्च तक का समय रिजनल कमेटियों को दिया जा रहा है । मैं नहीं समझता कि इतने थोड़े समय के अन्दर इस की अच्छी तरह से कन्सिडरेशन की जा सकती है । इस तरह से कम समय देने के कारण कमियां रह जाती हैं और बार बार यहां पर बिल पेश करने पड़ते हैं । इस लिये इन से दरखास्त की है कि 31 मार्च तक की बजाय इस के लिये ज्यादा समय दिया जाए ।

Mr. Speaker: In case the Regional Committees are not able to make their reports in time, they can ask for more time and the period will be extended.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ time ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1963, be referred to the Regional Comittees with a direction to make a report by the 31st March, 1963.

The motion was carried.

DAMANDS FOR GRANTS

19—GENERAL ADMINISTRATION

23—POLICE

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 3,37,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 19—General Administration.

Home Minister: Sir, if you permit I may move the second Demand also.

Mr. Speaker: You may do so.

Home Minister (Pandit Mohan Lal): Sir, I beg to move—

that a sum not exceeding Rs 10,85,21,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 23—Police.

Mr. Speaker: Motion moved—

that a sum not exceeding Rs 3,37,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year. 1963-64, in respect of charges under head 19—General Administration.

that a sum not exceeding Rs 10,85,21,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 23—Police.

Mr. Speaker: In accordance with the previous practice and in order to facilitate discussion the hon. Members can discuss both the Demands simultaneously.

I have received notices of cut motions from various hon. Members to these Demands. They will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the main motions.

DEMAND NO. 9

(19—GENERAL ADMINISTRATION)

1. **Shri Bubu Dayal Sharma:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
2. **Comrade Gurbakhsh Singh:**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura:**
4. **Comrade Jangir Singh:**
5. **Comrade Babu Singh:**
6. **Comrade Didar Singh:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
7. **Sardar Gurcharan Singh:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
8. **Shri Rup Singh Phul:**
   That the demand be reduced by Re 1.
9. **Pandit Mohan Lal Datta:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
10. **Sardar Ajaib Singh Sandhu:**
    That the demand be reduced by Rs 100.
11. **Sardar Jagir Singh Dard:**
    That the demand be reduced by Re 1.
12. **Sardar Pritam Singh Sahoke:**
    That the demand be reduced by Re 1.
13. **Chaudhri Har Kishan:**
    That the demand be reduced by Rs 100.

DEMAND NO. 12

(23—POLICE)

1. **Shri Babu Dayal Sharma:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
2. **Comrade Gurbakhsh Singh:**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura:**
4. **Comrade Jangir Singh:**
5. **Comrade Babu Singh**
6. **Comrade Didar Singh:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
7. **Sardar Gurcharan Singh:**
   That the demand be reduced by Rs 100.
8. **Shri Rup Singh Phul:**
   That the demand be reduced by Re 1.

9. **Sardar Ajaib Singh Sandhu**:
That the demand be reduced by Rs 100.

10. **Sardar Jagir Singh Dard**:
That the demand be reduced by Re 1.

11. **Chaudhri Har Kishan**:
That the demand be reduced by Rs 100.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੁਰਿੰਡਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਜ਼ ਹੈਡਕਾਂਸਟਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1954 ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੈਂਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਲਖਤ ਕੰਪੈਂਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਘੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਂਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਅਰ ਪਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੇਅਰ ਪਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੇਅਰ ਪਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਯਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਂਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਰਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਂਸਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀ ਕੰਪੈਂਸਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ 1954 ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਖੋ। ਇਸ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਅਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਲਕਿ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਸਰਚ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਿਛਲੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜ 16 ਸੈਕਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਰਵੈਂਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਬਲਕ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵਾਈਅ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੀਸਰਚ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੈਕੰਡ ਭਾਖੜਾ ਹੈ । ਏਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਏਥੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ । ਅਜ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਸ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The hon. Member should confine himself to the Demands in respect of General Administration and Police.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੀਸਰਚ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This cannot be discussed. The Demands before the House are in respect of '19-General Administration' and '23-Police'. It does not come within the purview of General Administration.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵੀ ਸੀਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲਏ । ਅਜ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਸੀਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਕਈ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ।

Mr. Speakar: He did not die in the Jail.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਰੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪੂੰਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 1957 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤਕ 2,697 ਹਰੀਜਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1362 ਹਰੀਜਨ ਅਜ ਤਕ ਵਸਾਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1957 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ 2,488 ਮਕਾਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1929 ਬਣਾਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਧ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਲੋਕ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੌਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਹਰੀਜਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫੇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਲੜੇਗਾ । (Deputy Speaker Occupied the Chair.) ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਪੜ, ਖਰੜ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 30/40 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਏ ਇਕ ਦੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960-61 ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਈਜੈਕਟਡ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਉਹ ਵਕੀਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਰਕਮ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਰੀਜਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਹਰੀਜਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਆਦਮੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੋ ਹੀ ਅਪਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿਉ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Gazetted ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸਦੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਦੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਾਹ ਪਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ)

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहबा, मेम्बर साहिब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन शायद बहुत वसीह सबजेक्ट समझ कर अब एजूकेशन की डीमांड पर भी बोल रहे हैं । एजूकेशन की डीमांड अलग आ रही है वह हाउस में अलग ही डिस्कस होगी । इस में वही डीमांडज़ डिस्कस हो सकती हैं जो कि बजट में जनरल ऐडमिनिट्रेशन के तहत प्रोवाईड की गई हैं । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि मेम्बर साहिब को जनरल ऐडमिनिट्रेशन के प्वायंट्स पर ही बोलना चाहिये । बाकी की डीमांडस अलग डिस्कस होंगी ।

उपाध्यक्षा : आप का शुक्रिया । मैं उन को बंद ही करने वाली थी । (I am thankful to the hon. Minister for pointing it out. I was going to ask the hon. Member to wind up his speech.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਖ ਸਿਧੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿਦੇ ਹਨ । ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਮਲ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਿਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਡ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿੰਨੇ ਚਾਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ-ਹੈ । ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਚ ਹੈ । ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ । ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਤ ਇਹ ਸਿਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਚਾਲਾਨ ਕਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਣਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਮੁਹਤਰਿਮਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲੁਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨਿਹਾਇਤ ਅਛੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਰ ਹਰੀਜਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ । ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਐਮ. ਏ. ਤਕ ਹਰ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕੁਛ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਛ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । (Let the hon. Member develop his point. The point of order has been raised unnecessarily.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇਸੈਕਰੀਟੇਰੀਏਟ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ । ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਰੀਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹਨ । ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਗਰੀਬ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ 45

ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਜੋ 41 ਲਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਤੇ 18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤੇ 41 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ । ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਬਚੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ । ਇਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 65,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ । ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 65,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 700 ਰੁਪਿਆ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : No interruptions please.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੇਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 36,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਵਾਸਤੇ 36,000 ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ 700 ਰੁਪਿਆ । ਐਸਾ ਲੰਗੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ । (The hon. Member may speak something on the General administration also).

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਵਿਚ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ । ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਡਤ। ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੂਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੀਐਕਸ਼ਨਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਖਦੇ ਹੋ ? ਇਹ ਕਿਧਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ? ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ । ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਲਾਊਂਸ ਘਟ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਲ ਅਲਾਊਂਸ ਘਟ ਕਰ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ IV ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਣੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲ ਸਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵੇਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ । (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : No interruptions please. Let him speak.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਸੈਕਰੀਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਕ ਅੱਧਾ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਢ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਵੱਕੋ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਤੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ । ਬਹੁਤ ਘਟ ਆਦਮੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਤੇ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕਢ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰਮ ਪਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਢੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲਖ ਏਕੜ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਟਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਟਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਸਕੇ । ਵਕੀਲ ਕਰੇ, ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਖ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਵਗਾਰ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਟਾਈ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਤੇ ਫਿਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ (ਵਿਘਨ)

ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ **ਅਜ** ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਹੋਰਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕਦੇ । (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ)

ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਨੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ।ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਟੈਮਪਰੇਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ । ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਮੀਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ? ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕੀਤੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । (ਵਿਘਨ)

Pandit Chiranji Lal Sharma: That is a closed chapter.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਲੰਗੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ । ਅੱਜ ਜੱਜ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ

ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲੁਟਿਆ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਥੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਰੀਫ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹਦ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਕ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ । (ਹੀਅਰ ਹੀਅਰ) (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : अपोजीशन वालों की हमेशा यह शिकायत रही है कि सरदार हरचन्द सिंह जी उन को इंटरप्ट करते हैं । अब जब कि यह बोल रहे हैं तो आप उन को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं । आप मेहरबानी करके उन को अपनी बात कह लेने दें । (The hon. Members from the Opposition had a standing complaint that Sardar Harchand Singh interrupts them while they speak. Now why are they themselves interrupting him ? Please let him have his say.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਨਾਂ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ ।

उपाध्यक्षा : मैं आप से पहले भी यह कह चुकी हूं कि आप और किसी का नाम बेशक यहां लें लेकिन खुदा के वास्ते अंग्रेजों का नाम न लें । (I have already requested the hon. Members, that he may refer to any one in his speech but for God's, sake he should avoid referring to the Britishers.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਐਸੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਿਆ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਵਿਚੋਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਲੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਹੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਚਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ । ਅੱਜ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਰਕਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ । (Please be relevant and wind up.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦਵਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ । (ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ । (The hon. Member may say something about administration and wind up.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

Sardar Gurnam Singh : With your permission, Deputy Speaker, we are going to attend the meeting of the Business Advisory Committee.

[*At this stage, Sardar Gurnam Singh and another Member were seen crossing the floor.*]

Chief Minister : No Hon. Member can act like this even with the permission of the Chair. It is against the established practice and convention of the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਇਸ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲੌਂਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ :—

ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ	ਪਹਿਲਾਂ	16	ਹੁੰਦੇ	ਸਨ	ਹੁਣ	17	ਕੀਤੇ	ਗਏ	ਹਨ ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ	,,	10	,,	,,	,,	14	,,	,,	,,
ਸੁਪਰਡੈਂਟ	,,	72	,,	,,	,,	78	,,	,,	,,
ਪੀ. ਏ.	,,	78	,,	,,	,,	100	,,	,,	,,

ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 1955 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰੀ ਬੋਗਸ ਹਨ । ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1962 ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੋਗਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ emergency ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਰੀਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਏਸੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 1959-60 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮਾਲਦਾਰ ਫਰਮ ਜੋਤੀ ਪਰਸ਼ਾਦ ਸਰਾਫ਼ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $3\frac{1}{2}$ ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਉ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ.....

(Pandit Chiranji Lal Sharma a Member of the panel of Chairmen, in the Chair)

Shri Ram Partap Garg: May I know whether any Hon. Member can refer to any person by name who is not present in the House to defend himself ?

Mr. Chairman: The Hon. Member should avoid referring to any person by name.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਘਟ ਭਾਉ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਨ ਦੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ 1960-61 ਵਿਚ ਆਡਟ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋ ਐਂਟਰੀ ਕਟਨ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਰ ਆਡਟ ਦਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜੇ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ।

4.00 p.m.

ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਯੁਰਵੈਦਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ 12.50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਨੀ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਰੀਟੇਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤਕ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿਚ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਪਿਊਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 1954 ਦੇ ਵਿਚ ਤਕਾਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਰੇਹ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਡੀਪੂ ਵਿਚ ਰੇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਤਕਾਵੀ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 9-2-57 ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਤਕਾਵੀ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਸੇ ਹੀ ਮਿਸਲ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

सरदार धर्म सिंह वल्द सरदार गुलज़ार सिंह साकन दौधर

आप को मुतला किया जाता है कि आप की दरखास्त बयान हलफिया और परमिट नम्बर 100 बुक नं० 2267 मवर्खा 31-12-57 तहसीलदार मोगा को इस दफतर की चिट्ठी

नम्बरी 1287 मवर्खा 1-7-57 बाबत मुआफ़ी वसूली तकावी खाद असौल कर दिये गए हैं। आप अपने केस की पैरवी कर लेवें।

दस्तखत बलवंत सिंह गरेवाल
इन्सपैक्टर कोअपरेटिव सोसाइटीज़, मोगा
2-7-57

ਜੁਲਾਈ 1957 ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਲੇਕਨ 3-7-62 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉ । ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਹਨ ਲੇਕਨ ਸਮਾਂ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਥੇ ਹੈ । ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਛੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

"The extent to which there is graft or corruption is wholly within the responsibility of Ministers."

Further it is written Sir,

"........A decision by a Minister over ruling subordinate recommendations and seeming simply to favour some particular citizens at the expense of the general public, does demoralize staff and invite other acts of favouritism......."

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜ ਯਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਦੇ Volume II ਵਿਚੋਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਘਰਨ ਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ।

"..........One of the causes leading to the deteriorated condition of administration, is some what unsystematic working of our othewise sincere and hardworking team of Ministers, more particularly in respect of their undertaking tours, which have now become too frequent, short, unplanned and at random........"

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

Further it is written, Sir,

"unnecessary expenditure and above all avoidable misutilisation of their attentions and energies........."

ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ । ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਸਨ । ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਅਜ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਤਫਤੀਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਮੈਥਡਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛਿੱਤਰ ਮੌਲਾਬਖਸ਼ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਖ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਰਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ । ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਟੱਬਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਤੇ

ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

Chief Minister : Is this case in the Court ?

Comrade Gurbux Singh : I think, the case is in the Court.

Mr. Chairman : If the case is subjudice, it should not be discussed on the floor of the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਸਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਤਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਦ ਡੈਟੀ-ਨਿਊਜ ਅਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਐਮ. ਏ., ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ Supdt. ਜੇਲ ਨੂੰ ਵਖਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫੇਰ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਬਾਦ।

राओ निहाल सिंह (जातुसाना) : जनाब चेयरमैन साहब, पुलिस, और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की मदों पर बहस हो रही है और इसके लिये 14 करोड़ 75 लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेशटिव सर्विसिज़ के लिये मांगा गया है। जहां जनरल एडमिनिस्ट्रेशन

[राम्रो निहाल सिंह]

अच्छी होती है वहां का सूबा ज़्यादा तरक्की करता है। और वह देश की सेवा भी अच्छी तरह से कर सकता है। पंजाब ने चीनी हमले के दौरान जो कुछ किया यह यहां के लोग ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं। मैंने दूसरे सूबों में लोगों को यह कहते सुना है कि यह जंग तमाम हिन्दुस्तान की थी लेकिन आफरीन है पंजाब के लोगों को और वहां के चीफ़ मिनिस्टर को जिन्होंने अपनी ही जंग बना ली। जितने काम चेयरमैन साहब पंजाब में हुए और जिस हद तक हुए उस हद तक दूसरे लोग नहीं पहुंच सके।

पुलिस के कर्मचारियों की ओर जो ध्यान दिया गया है, यह एक देरीना मांग थी जिसको अब पूरा किया गया है। इसके साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पुलिस पर जो खर्च हम करते हैं वह साल हा साल बढ़ता जाता है। सन् 1960-61 में 8 करोड़ 53 लाख रुपया खर्च हुआ। 1961-62 में 12 करोड़ 17 लाख और अब 1963-64 में 14 करोड़ 75 लाख के करीब हम ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज़ पर खर्च कर रहे हैं। इससे यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को हम टाप हैवी बनाते चले जा रहे हैं। यह टाइम एमरजेंसी का है और यह अच्छी बात है कि सरकार ने खर्चा कम करने के लिये काफी काम किया है और कैबेनेट को कम करके चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा दिलेराना कदम उठाया। जिसकी पंजाब में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में सराहना हुई और सब ने इस कदम की ताईद की। हम चीफ़ मिनिस्टर साहब को इसलिये भी मुबारिक बाद देते हैं कि उन्होंने यह भी परवाह नहीं की कि वे महाशय बनारसीदास, और चौधरी सुन्दरसिंह की कीमती ऐडवाइस से महरूम रह जायेंगे। (हंसी आपोज़ीशन की तरफ से)

ऐसा मालूम होता है कि जब यह बजट तैयार किया गया तो बनाते वक्त शायद यह ख्याल नहीं रखा गया कि एमरजेंसी चल रही है। क्योंकि खर्चों को देखने से यही ज़ाहिर होता है। चीफ़ मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब यह कहते हैं कि अभी खतरा दूर नहीं हुआ लेकिन पंजाब का जो तरीका है जैसे बड़ी बड़ी दावतें करना और ऐसे खर्चों में कमी न करना इससे जाहिर होता है कि अभी तक एमरजेंसी पर सही मायनों में अमल नहीं किया जा रहा है। इस तरह से खर्च ज़यादा बढ़ रहे हैं। पंजाब में लड़का या लड़की जन्म ले तो हमारे पंजाब में परम्परा है कि कढ़ाह बांटा जाए। इस तरह से खर्च ज़यादा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि खर्च कम करने चाहिए।

चेयरमैन साहिब, मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पंजाब के ऐम्प्लाइज़ हैं उनकी रिटायरमेंट की एज लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार का यह कदम नामुनासिब और ग़लत है, जितने पुराने कर्मचारी हैं, जो अंग्रेज़ों के वक्त के लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो जबान तथा नए आई. पी. ऐस. और आई. ए. ऐस. आफीसर्ज़ आए हैं वह पुराने

अफसरों के मुकाबले में अच्छा काम करते हैं और पुराने अफसरों से ज़यादा मुफीद साबित हो सकते हैं, पुराने जो अफसर नियुक्त हुए हैं उनके प्रति लोगों में अच्छी भावना नहीं है बल्कि लोग उनकी ज़हनीयत की शिकायत करते हैं। पुलिस के जितने भी यंग आफीसर्ज़ हैं वह पुराने अफसरों के मुकाबले में अच्छा काम करते हैं। पुलिस के रिटायर होने वाले अफसरों का रेपुटेशन अच्छा नहीं है और लोगों को उसके विरुद्ध काफी शिकायत है। मैं सब पुलिस के अफसरों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ हमारे पुलिस के हैड आफ दि डिपार्टमेंट एक सुलझे हुए तथा समझदार आफिसर है, वह पहले पैप्सू में आई. जी. आफ पुलिस लगे हुए थे। उन्होंने वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार किया था। मैं आशा करता हूँ वह अपनी योग्यता से पंजाब पुलिस में भी काफी सुधार करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में ज़बर्दस्ती कम्पलसरी रिटायरमेंट करनी है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि छोटे मुलाज़मों में कम्पलसरी रिटायरमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कम्पलसरी रिटायर करने की नौबत आ जाए तो डी० आई० जी० आफ पुलिस से शुरू करनी चाहिए। हमारे पंजाब में इस किस्म के डी० आई० जी आफ पुलिस मौजूद हैं जोकि tour के दौरान ऐसे कारनामें करते हैं जोकि हाउस में नहीं बताए जा सकते। Tour के दौरान उनका बीहेवियर जनता के साथ तथा अपने कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं होता। वह अफसर अपनी जिम्मेदारी की कुछ परवाह नहीं करते। जिनके काम अच्छे नहीं हैं उन को ज़रूर कम्पलसरी तौर पर रिटायर कर देना चाहिए।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने फैसला किया है कि जिनका काम अच्छा है उनकी सरकार स्वयं रिटायरमेंट एज बढ़ा देगी, उनको एकस्टैनशन दी जायेगी। यह ठीक बात है। मैं चाहता हूँ कि इसको जनरल पालिसी न बनाया जाए। यह ठीक है अनडिजायरेबल ऐलीमेंट जो मौजूद है उनको ज़रूर रिटायर कर देना चाहिए। लेकिन जनरली इस पालिसी को लागू नहीं करना चाहिए।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब हमारे ज़िले में गए थे। उन्होंने कहा कि महिन्द्रगढ़ ज़िले की ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस इलाके के मैम्बर को मिनिस्टर बना कर इलाके की ज़यादा सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो मौका हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने हमारे इलाके के मिनिस्टर साहिब को सेवा करने के लिये दिया है उससे उस इलाके को क्या लाभ हो सकता है? मैं समझता हूँ कि उसकी सेवा उल्टी पड़ी है।

मित्तल साहिब ज़यादा सेवा करेंगे, हमारे मुख्य मंत्री ने उनको ऐसे महकमे दिए हैं! डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ कोशिश करती हैं कि सम्बन्धित मिनिस्टर को ज़यादा से ज़यादा काम करके दिखाएं क्योंकि मिनिस्टर अपने महकमे में ज्यादा से ज्यादा काम देखना चाहते हैं। इनको टैक्सेशन का महकमा दिया गया है ताकि वहां पर ज़यादा से ज़यादा टैक्स लगाएँ, इस तरह से लोगों की सेवा करें। ज़यादा टैक्स लगायें। मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन्ज़ हुए और लोगों से वोट प्राप्त करने के लिये गए। उन्होंने लोगों को कहा कि हम जनता के लिये ज़यादा काम करेंगे, जो अंडर-एम्पलायड हैं उनको

[राम्रो निहाल सिंह]

फुल एम्पलायमेंट दी जाये फिर एक कैंडीडेट एक स्त्री के पास गया ग्रौर वोट के लिये प्रार्थना की। उसने कहा कि वोट तो ग्रापको दे दूंगी किन्तु मेरे पति को फुल एम्पलायमेंट दी जाए। उसने स्त्री को ग्राश्वासन दिया, ग्रौर साथ ही कैंडीडेट ने स्त्री से सवाल किया कि ग्रापका पतिदेव क्या काम करता है ? स्त्री ने कहा कि वह गरेव डिगिंग का काम करता है। स्त्री के कहने पर कैंडीडेट ने कहा कि All right he will be provided । इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने हमारे ज़िले की बेहतरी के लिये ग्राश्वासन दिए हैं, लेकिन कुछ तरक्की नहीं हो रही है। मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूँ कि चौधरी रनवीरसिंह को बिजली तथा नहरों का महकमा दे रखा हुग्रा है। वह पहले ही ग्रोवर वर्क्ड हैं, उनके पास काफी काम है, वह ग्रच्छी तरह से दफ्तर के कामों में ग्रटैनशन पे नहीं कर सकते। जब उनके पास कोई ट्रांसफर की एप्लीकेशन ग्राती है तो उस पर मोघा लगाने के ग्रार्डर्ज़ पास कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका काम हल्का किया जाए, उनसे बिजली का महकमा वापिस लिया जाए।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने वायदा किया था कि महेन्द्रगढ़ ज़िले में कोई सज़ा के तौर पर ग्रफसर नहीं भेजा जायेगा लेकिन देखा जाता है कि वहां पर सज़ा के तौर पर ही ग्रफसर भेजे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे ग्रफसर उस इलाके की भलाई नहीं कर सकते। जो पहले ही नालायक होते हैं वह वहां पर जा कर क्या सेवा करेंगे ? मैं चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिब इस बात पर गौर करेंगे ग्रौर ग्रागे के लिये सज़ा के तौर पर ग्रफसरों को वहां नहीं भेजेंगे ।

चेयरमैन साहिब, मैं इंटैगरेशन के बारे में ग्रर्ज़ करना चाहता हूँ कि पैप्सू ग्रौर पंजाब की सर्विसिज़ की इंटैगरेशन हो चुकी है लेकिन जो फैसला दिया गया है उसको गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सैंट्रल गवर्नमेंट ने बयान दिया था कि पंजाब के तथा दूसरी स्टेटस के जितने केसिज़ थे उनके फैसले कर दिये गए लेकिन ग्रभी तक पंजाब सरकार ने वह फैसले इम्पलीमेंट नहीं किये हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स में यह फैसले रुके हुए हैं। ऐसे ग्रादमी हैं जोकि रिटायर होने वाले हैं किंतु उनके फैसले भी रोके हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उन फैसलों को सरकार शीघ्र ही इम्पलीमेंट करे।

जनाब, इसी तरह से पैप्सू के मुलाज़मों, जो कि हाई कोर्ट में ग्राए हैं, उनके बारे में पंजाब गवर्नमैंट ने फैसला किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि इनको इंटैगरेट किया जाए। लेकिन ग्रभी तक उनकी इंटैगरेशन नहीं हुई। इसी तरह से पैप्सू के जो डिस्ट्रिक्ट जजिज़ थे उनके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया ग्रौर पंजाब गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया है कि इनकी इंटैगरेशन लिस्ट बनाई जाए लेकिन ग्रभी तक उसकी इम्पलीमेंटेशन नई हुई। ग्रगर इम्पलीमेंटेशन हो जाए तो पैप्सू के काफी डिस्ट्रिक्ट जजिज़ हैं जो कि हाई कोर्ट के जजिज़ बन सकते हैं। ग्रन्त में, चेयरमैन साहिब, मैं ग्रापका शुक्रिया ग्रदा करता हूँ कि ग्रापने मुझे बोलने का समय दिया ग्रौर उम्मीद रखता हूँ कि जो सुझाव मैंने हाउस में रखे हैं उनका ध्यान रखा जायगा ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : चेयरमैन साहिब, मैं समझता हूँ कि चौदह करोड़ रुपया जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर खर्च होने से हमारी स्टेट की जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होनी चाहिए क्योंकि हम इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और लोगों से इतना ज्यादा रुपया वसूल कर रहे हैं। इस संबंध में मैं हाउस के सामने दो तीन मिसालें रखना चाहता हूँ। एक केस इंदराज सिंह सुपुत्र जमना दास, जात महाजन, उकलाना मंडी फूड ग्रेन्ज़ के खिलाफ 1959 में दर्ज हुआ था। उस के खिलाफ स्मगलिंग का चार्ज था। तीन साल तक यह केस चलता रहा और आखिर में यह हुआ कि उस केस को विदड्रा कर लिया गया। मेरे पास कोर्ट की जजमैंट है। उसमें लिखा है :

> "In compliance to the orders of the District Magistrate dated 9th June 1962 I have no objection for the withdrawal of the case from my court."

तीन साल मुकदमा चलने के बाद, इतना भारी खर्च करने के बाद केस विदड्रा कर लिया गया। मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहिब इस मामले पर रौशनी डालें कि क्या वजह थी कि इतना खर्च करने के बाद और तीन साल तक मुकदमा चलाने के बाद इस को विदड्रा कर लिया। मेरी इत्तलाह के मुताबिक वह पार्टी कहती फिरती है कि हमने इलेक्शनज़ में तीस हज़ार रुपया किसी पावरफुल ऐलीमेंट के इशारे से किसी पावरफुल ऐलीमेंट के खिलाफ खर्च किया है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह इस बात को क्लियर करें।

इसी तरह से एक केस और भिवानी की म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेज़ीडेंट के खिलाफ दर्ज हुआ था। होम मिनिस्टर साहिब खुद वहां गए थे म्यूनिसिपल कमिशनर्ज़ का एक डेपुटेशन उन को मिला। मेरे पास जजमैंट की कापी है। उन्हों ने लिखा था कि इस की इन्क्वायरी करवाई जाए और अगर केस बनता है तो इस को रजिस्टर किया जाए। होम मिनिस्टर साहिब के हुक्म से एन्क्वायरी हुई। केस रजिस्टर हुआ और उस के बाद चीफ मिनिस्टर साहिब के आर्डर से उस केस को पर्सु नहीं किया गया। होम मिनिस्टर साहिब तो कहते रहे कि इस केस की पैरवी करो लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिब के कहने से पुलिस ने पर्सु नहीं किया। जजमैंट में मैजिस्ट्रेट ने लिखा :

> "As far as the question of fabrication is concerned...........I will not deal with this aspect of the matter. Now it is for the prosecution to bring home the offence to the accused".

पुलिस ने एन्क्वायरी कर के कुछ भी मैटीरियल कोर्ट को नहीं दिया जिस की वजह से वह केस वापस हुआ। मेरी इतलाह के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहिब के हुकम से ऐसा हुआ है। होम मिनिस्टर साहिब का हुकम था कि केस रजिस्टर किया जाए और उस की पैरवी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

एक और केस करनाल में थाना सदर में श्री आर. ऐल. आनंद, एस. डी. ओ. ने दर्ज करवाया। उस के खिलाफ पहले ऐंटी करप्शन कमेटी में एन्क्वायरी चल

[कामरेड राम प्यारा]

रही थी और उस ने एफ. आई. आर. में लिखवाया कि मैं ने पांच हज़ार रुपया बचित्तर सिंह एडवोकेट को रिश्वत के तौर पर दिया ताकि मेने खिलाफ चल रही एन्क्वायरी को खत्म किया जाए लेकिन जब वह पहली एन्क्वायरी में ससपेंड हो गया तो उस ने अपना पांच हज़ार रुपया वापस लेने के लिये ऐफ. आई. आर. दर्ज करवाई । उस ने यह बात ऐफ. आई. आर. में लिखवाई है कि बचित्तर सिंह ने चार वकीलों के सामने माना है कि उस ने पांच हज़ार रुपया बतौर रिश्वत के लिया है । अंडर सेक्रेटरी विजिलेंस जो मौजूदा डायरेक्टर विजिलेंस हैं उनके मकान पर बैठ कर कनफैशन हुई । एफ. आई. आर. के मुताबिक वह कम्पलेंट सेक्रेटरी विजिलेंस ने लेकर फार्वर्ड की और डी. आई. जी. विजिलेंस ने उसकी एन्क्वायरी मार्क की । लेकिन अब उस केस में कमप्रोमाइज़ हो गया है । यह स्टेट केस है लेकिन ऊपर से प्रेशर पड़ा क्योंकि बचित्तर सिंह ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई केस चलेगा तो मैं भी तुम को एक्सपोज़ करूंगा । नतीजा यह हुआ कि केस कम्प्रोमाइज़ हो गया । अंडर सेक्रेटरी, विजिलेंस जो कि आज कल डायरेक्टर हैं उन का भी क्लीयर ज़िक्र है कि उनके सामने रिश्वत लेने वाले ने कहा कि मैं ने विजिलेंस के नाम पर रिश्वत ली है । देने वाला मानता है कि मैं ने रिश्वत दी, लेने वाला भी माना कि मैंने रिश्वत ली और सब कुछ अंडर सेक्रेटरी के मकान पर हुआ लेकिन किसी के खिलाफ़ भी कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । अंडर सेक्रेटरी बचित्तर सिंह के मकान पर काफी अरसा रहता रहा है । करनाल में केस चलता रहा लेकिन आखिर में कम्प्रोमाइज़ हो गया ।

श्री सभापति : सुनी सुनाई बात ना करें । (The hon. Member should not refer to the rumours.)

कामरेड राम पयरा : नहीं जी, मैं डैफिनिट हूं । जजमैंट की अटेस्टेड कापीज़ मेरे पास हैं, अगर चाहें तो मैं भेज सकता हूं । मैं बगैर किसी सबूत के बातें कहने का आदी नहीं हूं ।

Mr. Chairman: The hon. Member should better meet the Chif Minister and discuss these matters with him.

कामरेड राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब जैनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के मालिक हैं । मैं उन को बाद में बताऊंगा कि इन बातों को कैसे दूर किया जा सकता है । सैक्रेटरी विजिलैंस ने आर्डर दिया कि तफतीश होनीं चाहिये, डी० आई० जी० ने आर्डर दिया कि इन्क्वायरी होनी चाहिये, केस कम्पलीट हुआ और कोर्ट में गया लेकिन बाद में कम्प्रोमाइज़ हो गया । यह स्टेट केस है । मेरी इत्तलाह के मुताबिक आई० जी० साहिब की कुछ हिदायात हैं कि जहां पर चीटिंग या चार सौ बीस के केसिज हों वहां कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिये । लेकिन ऐडवोकेट के धमकाने से कि मैं भी तुम को एक्सपोज़ करूंगा ऊपर से प्रेशर डाला गया और कम्प्रोमाइज़ हो गया । जगह का नाम है, जिस के सामने रिश्वत दी गई उस का नाम है, चार और वकीलों के भी नाम दर्ज हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

चेयरमैन साहिब, पहले सैशन में धानी की ज़मीन का ज़िक्र आया था चीफ मिनिस्टर साहिब के साहिबज़ादे के सुसराल के पास ज़मीन थी मैं सवालों में यह इतलाह लेने में कामयाब हो गया । 5th November, 1962 को सवाल का जवाब मतलूब था ।

> "Copy of letter dated 20th April, 1962 from Pawitar Kaur, wife of late Sardar Mukand Singh, House No. 12, Sector-4 Street 'A' Chandigarh to the Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward classes Punjab, Punjab.
>
> We have got a compact piece of land measuring about 500 acres in village Dhani adjacent to Jind Town. We have come to know that the Government is purchasing land for settling Harijans. Our entire land is canal irrigated.
>
> We want to part with this land for this noble cause. Moreover, the land lord of this land is a widow and so she cannot manage the agricultural operations. So, she is very keen to sell away this land. Please, therefore, finalise the contract as soon as possible".

गवर्नमैंट कहती है कि वह तो बेचना नहीं चाहती थी । चीफ मिनिस्टर साहिब रुकावट डालते थे । गवर्नर साहिब ने लिखा, वहां से मंजूरी आई । यह गवर्नमैंट की चिट्ठी है । गवर्नमैंट की तरफ से आई है । गवर्नमैंट ने मुझे दी है । इन वाक्यात से मैं महसूस करता हूं कि हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन दिन बदिन डीटीरियोरेट होती जा रही है । इस की ज़िमेदारी फरंट बैंचिज़ पर बैठने वालों पर है और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहिब पर है । मैं उन की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि वह थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ऐडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होनी लाज़मी है । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा

Mr. Chairman: The hon. Member should avoid naming the Chief Minister.

Comrade Ram Piara: I am not saying 'Sardar Partap Singh Kairon'. I am only saying 'Chief Minister' who is the head of the State and the administration.

प्रताप सिंह और राम प्यारे तो कई धक्के खाते फिरते होंगे, यहां पर तो एम० एल० ए० और चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है ।

सरदार हरचंद सिंह ने कहा कि कुरप्शन बहुत बढ़ गई है । मैं उन की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरी मोशनज़ पर ही गवर्नमेंट ने सट्टा बिल में, गैम्बलिंग में कुछ अमेंडमेंट्स की थीं । लेकिन मैं हैरान हूं कि उसमें अमैंडमेंट लाने के बावजूद और बावजूद इस बात के कि सज़ा भी सख्त रखी कोई अच्छे रिज़ल्ट्स किसी जगह पर नज़र नहीं आए और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि मुख्तलिफ इज़ला में पैरेलल गवर्नमैंट रन किए हुए हैं । यह पैरेलल गवर्नमैंट तभी रन कर सकते हैं जब कि यहां फर्स्ट सीट से उन्हें पेटरोनेज मिलती है । इस सिलसिले में ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ एक ही बात आपके नोटिस में लाना

[कामरेड राम प्यारा]

चाहता हूं और वह यह कि मैंने एक चिट्ठी चीफ मनिस्टर साहिब को लिखी, अगर वह मुझ से पूछें तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि सट्टे दड़े गैंबलर्ज़ की पैटरोनेज इन्हीं के अपने आदमी कर रहे हैं, उन्होंने उस चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मुमकिन है कि जल्दी ही उसका जवाब देंगे लेकिन यहां पर मैं दुबारा इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर वह चाहें तो मैं इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि इनके आदमी उन की पैटरोनेज कर रहे हैं। ज्यादा मिसालें न देकर एक वाक्या का ही यहां पर ज़िक्र करता हूं कि पिछले दिनों चीफ मनिस्टर साहिब के घर जो आठ मन मछली आई थी उसकी पेमैंट सट्टे दड़े और जूवे वालों ने की थी (विरोधी पक्ष की ओर से 'शेम' 'शेम' की आवाजें) इस के अलावा पिंगलवाड़े से एक खबर आई थी कि वहां पर कुछ बदमाश गुंडे पिंगली औरतों से बदफेली करने के लिए चले गए। वह इतने मदहोश थे कि उन्हें कानून का भी डर नहीं था। वहां रेप हुआ। इसकी इन्क्वायरी हुई।

(*Deputy Speaker in the Chair.*)

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, जो पक्की बात न हो उसको यहां पर मत कहें और जल्दी २ वाइंड अप करें (I would request the hon. Member not to make false allegations. He should wind up soon.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता जिस का मेरे पास सबूत न हो। जहां तक वाइंड अप करने का ताल्लुक है, मैंने अभी अभी ही तकरीर शुरू की है।

उपाध्यक्षा : नो, आपने 4.32 p. m. पर शुरू किया था। (No, he started his speech at 4.32 p.m.)

कामरेड राम प्यारा : बहर हाल, जिस वक्त आपका हुक्म होगा मैं बैठ जाऊंगा। उसमें मेरा कोई खास मतलब तो है नहीं, सिर्फ ऐसी बातों की तरफ आप के जरिए गवर्नमैंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन के सिलसिले में ऐक्शन लेना निहायत ज़रूरी है। इम्मोरल ट्रैफिक इतनी बढ़ती जा रही है कि अब गली गली कूचे कूचे में बुरा हाल है। कोई मुहल्ला इससे खाली नहीं। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि यह वबा अब बढ़ती ही चली जा रही है। मैं चूंकि इसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ इसलिए मैं तो अब इन लोगों से डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ार में जाते २ मुरम्मत हो जाए, पिटाई हो जाए वरना मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर यह सरकार इम्मौरल ट्रैफिक को खत्म नहीं कर सकती तो इसके बजाय अच्छा हो कि प्रोस्टीट्यूशन हाउसिज़ खोल दें ताकि हर मुहल्ला, हर गली और हर घर तो इस तरह से खराब न हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे पास कई दफा रात के वक्त भी आदमी आते हैं और कहते हैं, "कामरेड साहिब, हमारी मदद करो"। मैं तो अपनी जान को भी खतरे में डालकर जो मदद हो सकती है करता

हूं लेकिन जिस मुसीबत में फँसे हुए की जो मदद मैं करता हूं मेरी वह सारी कोशिश ऊपर वालों की एक स्ट्रोक ग्राफ पैन से खत्म हो जाती है जब कि कभी केस को विदड्रा कर लिया जाता है, कभी टैलीफोन चला जाता है । ऐसे केसिज़ में कभी कोई एक के पास पहुंच जाता है, कभी दूसरे के पास । मेरे कहने का भाव यही है कि ग्रगर पंजाब सरकार की यह इच्छा है कि इस हालत में इम्प्रूवमेंट हो तो यह तभी मुमकिन हो सकता है जब कि चीफ़ मनिस्टर साहिब खुद ग्रापने ग्राप को इम्प्रूव करें ।

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, जहां पर चीफ मनिस्टर साहिब की ज़िम्मेदारी है वहां ग्रानरेबल मेम्बर साहिबान की भी कुछ जिम्मेदारी है । (The hon. Member should bear in mind that the Cheif Minister as well as the hon. Members are equally responsible.)

कामरेड राम प्यारा : इस सम्बन्ध में बाकी मेम्बरान की इतनी ज़िम्मेदारी नहीं जितनी कि चीफ़ मनिस्टर साहिब की है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जितने फैसले होते हैं वह चीफ मनिस्टर साहिब की 'व्हिम्ज़ एंड विल' के मुताबिक होते हैं । ग्रगर उन में कोई सुधार हो गया तो सभी में सुधार हो जाएगा ।

उपाध्यक्षा : ग्रच्छा, ग्रब ग्राप वाइंड ग्रप करें । (Please wind up now.)

कामरेड राम प्यारा : मैं यह बात खत्म करके कुछ सुजेशन्ज़ देकर खत्म कर दूंगा । तो मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि ग्रगर हम इस सिलसिले में कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इस के साथ साथ मुख्य मन्त्री जी को ग्रपना काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा । कई ईमानदार ग्रफसर, मज़बूत ग्रफसर हमें ग्राकर बताते हैं कि ग्रगर्चि वह भी इन बुराइयों को खत्म करने के हक में हैं, उन के लिए कोशिश भी करते हैं लेकिन क्या करें जब चीफ मनिस्टर साहिब ऊपर से फरमा देते हैं कि 'ग्रोए तूं नौकरी करनी ए या नहीं' । जब उन से यह पेटैंट फिकरा कहा जाता है तो वह भी घबराहट में ग्रा जाते हैं । मैं ईमानदार ग्रफसरों की क़दर करता हूं ग्रौर ग्रगर चीफ मनिस्टर साहिब ईमानदार ग्रफसरों को ताकत दें तो वह ला एंड ग्रार्डर को पूरी तरह से मेंनटेन भी कर सकते हैं लेकिन उन के रासते में यह बहुत बड़ी दीवार है जिसको दूर करना शायद ज़रा मुश्किल है । बहर हाल मैं चीफ मनिस्टर साहिब से ग्रर्ज़ करूंगा कि ग्रगर वह सूबे में से सभी बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं तो उन्होंने ग्रपना जो टैरर क्रियेट किया हुग्रा है उसको खत्म करें । कानून का टैरर इस वक्त बिल्कुल नहीं । ग्रगर इस वक्त लोगों को कोई डर है तो वह चीफ मनिस्टर साहिब के टैरर का है । कानून के मुताबिक भी बातें होती हैं लेकिन ज्यूंही चीफ मनिस्टर साहिब का टेलीफोन या सिफारिश पहुंची नहीं कि सारा मामला ठप हो गया । जैसा कि मैंने पहिले ग्रर्ज़ किया मैं ईमानदार ग्रफसरों की कदर करता हूं ग्रौर उन्हें कोग्रापरेशन भी एक्सटेंड करता हूं लेकिन, डिप्टी

[कामरेड राम प्यारा]

स्पीकर साहिबा, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं लेकिन एक ही बात कह कर बैठ जाऊंगा ।

बार बार चौधरी देवी लाल जी ने ज़िक्र किया कि हमारे चीफ़ मनिस्टर साहिब रिवाड़ी में गए । मैं समझता हूं कि इस से कोई फर्क नहीं पड़ता ।

उपाध्यक्षा : मगर जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहस में इन ज़ाती बातों को जोड़ दिया जाए तो लाज़मी तौर पर फर्क पड़ जाता है । आप जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ही अपने आपको महदूद रखें । (But when the personal affairs are brought into discussion of the General Administration then it does matter. Therefore the hon. Member should confine himself to the discussion of the General Administration.)

कामरेड राम प्यारा : मैं तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ही बोल रहा हूं । इसी पर बोलते हुए जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सिलसिले में जो विक्टेमाइज़ेशन होती है उस का ज़िक्र करते हुए एक मिसाल देना चाहता था । सो मैं यह कह रहा था कि अगर चीफ़ मनिस्टर साहिब रिवाड़ी गए तो इसपर चौधरी देवी लाल जी को हैरान होने की कौन सी बात थी ।

उपाध्यक्षा : इस बात का जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं । (It has no connection with General Administration.)

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । क्या चीफ मनिस्टर साहिब को जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की मद में से तनखाह मिलती है या नहीं ? अगर वह इस मद में से तनखाह लेते हैं तो क्या उन के बतौर चीफ मनिस्टर किसी ऐक्शन पर यहां पर कुमैंट हो सकता है या नहीं ?

(इस वक्त कामरेड राम चन्द्रा भी प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए लेकिन उपाध्यक्षा ने उन्हें कहा कि पहिले बाबू बचन सिंह जी वाले प्वायंट आफ आर्डर पर वह अपनी रूलिंग दे लें । उस के बाद वह अपना प्वायंट आफ आर्डर कर लें)

उपाध्यक्षा : जहां तक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करने का ताल्लुक है वहां तक तो ठीक है लेकिन अगर शख्सीयतों को बीच में लेकर बात की जाए तो अच्छा नहीं लगता । अच्छा कामरेड राम चन्दरा जी ! अब आप बताईए कि आप का प्वायंट आफ आर्डर क्या है । (It is all right so far as the discussion is continued to the Demand for General Adminsitration. But it does not look proper if personalities are brought into it. Now the hon. Member Comrade Ram Chandra may please tell me as to what is his Point of Order.)

Comarde Ram Chandra: May I know whether any allegations can be levelled against any Minister without moving a substantive motion against him ?

उपाध्यक्षा : यह बात तो बिल्कुल बजा है। (It is quite correct.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा और न ही लगाऊंगा । तकरीर कर रहा हूँ और जो रियल वाक्यात हैं वही आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि किस तरह से विक्टेमाईजेशन डीमारेलाइज़ेशन होती है। वहां रिवाड़ी में भी कोई विक्टेमाईजेशन हुई थी जिससे वह डीमारेलाइज़ हुए । अगर उनकी मुलाकात से उस डीमा-रेलाईज़ेशन का पैच अप हो गया तो इसमें क्या हर्ज वाली बात है।

उपाध्यक्षा : जिनकी विक्टेमाईज़ेशन हुई थी वह तो हंस रहे हैं। और आप उनके लिये रो रहे हैं। (Those who were victimised are laughing whereas the hon. Member is shedding tears for them.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो खुशी प्रकट कर रहा हूँ। अंग्रेज़ी में एक फिकरा है 'Birds of the same feather flock together' यानी

कुनद हम जिनस बा हम जिनस परवाज़
कबूतर बा कबूतर बाज़ बा बाज़

दोनों की डीमारेलाइज़ेशन खत्म हो गई मुझे उससे खुशी है लेकिन अर्ज़ करता हूँ कि मेरी भी बड़ी विक्टेमाइज़ेशन हुई है। मैं उस विक्टेमाइज़ेशन का ही जिक्र कर रहा हूँ।

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, बस अब और ज्यादा नहीं बोलने दूंगी। जल्दी खत्म कीजिये । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी हो तो करें। (Addressing Comrade Ram Piara) (I shall not allow more time to the hon. Member. Please wind up. Let the hon. Member say something on General Administration.)

कामरेड राम प्यारा : दो मिनट में खत्म करता हूँ। ऐम०एल०ए० बनने से पहले मैं बिजिनेस पर इनकम टैक्स देता था। मेरी विक्टेमाइज़ेशन हुई और मुझे वह छोड़ना पड़ा । लेकिन उनकी इतनी विक्टेमाइज़ेशन हुई। उनकी जगह मैं रिवाड़ी में होता तो कह देता :—

जला दे बाग सारा किस्मत मेरी जल नहीं सकती
पहुंच सैयाद की ज्यादा से ज्यादा आशयां तक है
लिखा है रोज़े अव्वल से शहीदों के मुकद्दर में
कभी सूली, कभी गोली, कभी खंजर कभी भाला
पिया है जहर अमृत जानकर अल्ला के प्यारों ने
बचशमे नम ज़माने ने यह मंज़र बारहा देखा।

[कामरेड राम प्यारा]

शाद उन्होंने समझा कि अब उनके सामने बहार आ जाएगी । मैं अगर उनके पास होता तो उनको बताता । ....

उपाध्यक्षा : अब उन्हें रिवाड़ी जाकर ही बताना । (Please tell them when you go to Rewari.)

कामरेड राम प्यारा : बस एक शेअर और कह कर खत्म करने जा रहा हूँ ।

उपाध्यक्षा : बस, अब और नहीं । (I will not allow it here on the floor of the House.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आखिर में बस यह शेअर कि :

हमने माना है कि बहारें हैं बहार में लेकिन
बिन बहारों के भी कुछ फूल खिला करते हैं ।

पण्डित चिरंजी लाल शर्मा (सोनीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कशन जारी है । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी हकूमत तजरुबे करती है और तजरुबे के बाद जब कोई चीज़ गवर्नमेंट के नोटिस में आती है कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया है तो यह उस में सुधार करने की कोशिश करती है । भूला न कहिए उसको जो आजाए शाम घर । वज़ारत बनी ३० या ३२ मिनिस्टरों की । चीफ मिनिस्टर साहब ने जब यह महसूस किया कि इतनी बड़ी वज़ारत की ज़रूरत नहीं है तो इन्होंने नौ दस महीने के अन्दर इसको छोटा कर दिया ।

बाबू बचन सिंह : जो इतना रुपया पब्लिक का वेस्ट हुआ उसका कौन जिम्मेवार है ?

पण्डित चिरंजीलाल शर्मा : इसके अलावा स्कूलों में मुफ्त तालीम का सिस्टम जारी किया गया और सारे हिन्दुस्तान के लोगों की शाबाश हासल कर ली कि पंजाब एक ऐसा प्रान्त है जहां स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जा रही है ।

मुख्य मन्त्री : बेहतर होगा यह चीज़ अगर आप ऐजुकेशन की डीमांड के वक्त ले आएं ।

Babu Bachan Singh : It is the Administration that the hon. Member is criticising.

पण्डित चिरंजीलाल शर्मा : इस तजरुबे के बाद यह अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्कूलों में फीस लगानी ही पड़ेगी क्योंकि ७० या ७३ लाख रुपये की आमदनी का सवाल था इस लिये इसने यह फैसला कर दिया । फिर हमारी हकूमत ने पिछले साल या शायद उस से पिछले साल सिस्टम आफ हौलीडेज़ जो लागू किया, जो पिछले साल भी इस हाउस के ज़ेरे गौर आया और इस पर पंजाब के अखबारों ने भी काफी तज़करा किया, बार एसोसिएशन की तरफ से रैज़ोल्यूशन गवर्नमेंट के पास आए और औफिसिज़ की तरफ से भी रिप्रेज़ेंटेशन्ज हुई लेकिन इस सिलसिले में हकूमत का जो यह गलत कदम है और जो एक तरह से नाकामयाब साबत हुआ है, इस पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने गौर नहीं फरमाया । डिप्टी स्पीकर

साहिबा, आप ज़रा गौर फरमायें कि यह कैसा सिस्टम है । इसके तहत आज कल फौजदारी अदालतों में शनिवार वाले दिन छुट्टी होती है लेकिन सिविल कोर्ट्स उस दिन खुली रहती हैं जिसकी वजह से वुकला को सारा दिन वहां हाज़री देनी पड़ती है। लाईयर्ज़ को शनिवार को आजकल कोई छुट्टी नहीं होती यानी उन पर शनिश्चर चढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि उनका जो पुराना सिस्टम चला आता था वह बेहतर था। यह ठीक है कि सिविल कोर्टस हाई कोर्ट के अंडर हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर हैं लेकिन सारे आफीसर्ज़ तो एक ही गवर्नमेंट के हैं और एक ही हकूमत है लेकिन अजीब बात यह है कि मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुख्तलिफ आवर्ज़ आफ वर्क रखे हुए हैं जिससे पब्लिक को, और लाइयर कम्यूनिटी को काफी से ज्यादा दिक्कत पेश आती है। यह ठीक है कि जो सिविल कोर्टस हैं **they are guided by the rules of the Punjab High Court** लेकिन हुकूमत तो एक ही है। इस सिलसिले में काफी से ज्यादा हकूमत की तवज्जुह दिलाई गई, इस सिस्टम के सुधार के लिये इस हाउस में कई बार कहा गया लेकिन सरकार ने इस गल्ती का सुधार अभी तक नहीं किया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में मैं एक चीज़ और इनकलूड करूँगा जिसके लिये यहां शायद कहा जाए कि वह एजुकेशन की डीमांड के साथ संबंध रखती है लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का सीधा ताल्लुक इस डीमांड से है। अभी अखबारों के ज़रिये पता चला है कि शायद मिडल स्टैंडर्ड तक यहां पंजाब में कोऐजुकेशन शुरू कर दी जाएगी । इस लिये मैं कहूँगा कि **while at Rome do as the Romans do.** जैसा देश वैसा भेस । इस बारे में रूस ने तजरुबा किया होगा, अमरीका ने तजरुबा किया होगा लेकिन अभी इसके लिये हमारे देश में वक्त नहीं आया । जो चीज़ हिन्दुस्तान के अन्दर प्राचीन वक्तों से आ रही है उसको अगर हमारी हुकूमत नजर अन्दाज़ कर के एक नई और निराली चीज़ इंट्रोड्यूस करती है तो इसे चेतावनी देता हूँ कि गवर्नमेंट की यह चीज़ हरगिज़ कामयाब नहीं होगी और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठेगी । जिन हालात में हम अपनी ज़िन्दगी व्यतीत करते आ रहे हैं उन हालात में हमारे पंजाब के अन्दर को-एजुकेशन शुरू करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी अभी 13 तारीख को हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब घरौण्डा में तशरीफ ले गये थे। वहां इनके नोटिस में एक नया कम्पलेंट लाया गया था कि वहां एक टीचर है वह किस तरह से लड़कियों के साथ बीहेव करता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त उस टीचर के खिलाफ, इन्क्वायरी करने का आर्डर्ज़ जारी कर दिया। एक स्कूल का टीचर किस तरह से 8, 8 और 9, 9 साल की बच्चियों के साथ सलूक करता था। यह चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में वहीं लाई गई थी और अगर इतने तल्ख तजरुबे के बाद भी अगर यहां पर को-ऐजुकेशन जारी करें तो ठीक न होगा । रोज़ाना हम अखबारात में पढ़ते हैं कि खूद कुशी होती हैं। मेरे हल्का के अन्दर एक गांव है पंच-जटा, वहां को-ऐजुकेशन तो नहीं है वहां एक लड़की किसी टीचर के पास पढ़ती थी उसने खुदकशी कर ली। यह अभी पता नहीं के वह खुदकुशी का केस बनता है या कत्तल का केस बनता है । हम रोज़ाना यह चीज़ें अखबारात में पढ़ते रहते हैं। हम चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह चीज़

[पण्डित चिरंजी लाल शर्मा]

लाए थे और उन्होंने मेरे कहने पर इन्क्वायरी का आर्डर किया। कितनी भयानक खबरें हम इस बारे में अखबारों में पढ़ते रहते हैं। जिन कालिजों में को-ऐजुकेशन है वहां रोज कोई न कोई ऐसा केस होता ही रहता है, कहीं कोई दरया में छलांग लगा देता है, कोई कुतब मीनार से छलांग लगा देता है, मुझे इस में कोई अक्ल की बात नज़र नहीं आती कि..

उपाध्यक्षा : आप इतने सयाने आदमी हैं। आप ही ज़रा बताएं कि यह चीजें जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आती हैं। (The hon. Members is a seasoned parliamentarian; he should keep this thing in his mind that all these things are not relevant with the demand for general administration.)

पण्डित चिरंजी लाल शर्मा : मैं यह इस लिये अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह दूसरी बातें करके फिर स्टैप्स रीट्रेस करते हैं तो यह इस चीज़ में भी वैसा न करें। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो इन्हें हर स्कूल के पास केसिज़ रजिस्टर करने के लिए एक पुलिस पोस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि वहां रोज़ कई झगड़े चलते रहेंगे। आजकल भी जहां स्कूल टीचर्ज़ मर्द और औरतें दोनों हैं वहां से शिकायतें आती रहती हैं। सोनीपत के अन्दर एक स्कूल है वहां की एक लेडी टीचर की रिपोर्ट आई जो उसने लोगों से दस्तखत करा कर भेजी जिसमें यह लिखा था कि वहां मास्टर उससे मज़ाक करते रहते हैं और उसकी रोटी उठा कर ले जाते हैं। इसलिये मौजूदा हालत में हमारे भारतवर्ष में क्या, हमारे पंजाब में भी अगर कोऐजुकेशन का सिस्टम जारी किया गया तो यह बड़ा गलत कदम होगा और यह नाकामयाब रहेगा और इसका असर पंजाब के बच्चों बच्चियों के केरैक्टर्ज़ पर बहुत बुरा पड़ेगा। इस बात का इस चीज़ के साथ कत्तई कोई ताल्लुक नहीं है कि अमरीका और रूस में इस बारे में क्या हुआ है। हम तो समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को उन हालात के मुताबिक ढालना है जिन हालात में हम रहते हैं। जैसी हमारी आबोहवा है और जैसा यहाँ का वायुमण्डल है। हम अगर इसके साथ टकराने की कोशिश करेंगे तो पाश पाश हो जायेंगे।

इसके अलावा एक चीज़ की तरफ मैं सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह है प्योर फूड इन्स्पैक्टर्ज़ जो हमारे पंजाब में लगे हुए हैं वह इसलिये लगाये गए हैं ताकि जो लोग फूड में एडलट्रेशन करते हैं उन्हें पकड़ें और उनका चालान करायें। मैं कह सकता हूँ कि उनको इतने ज्यादा इख्तयारात दिये हुए हैं जितने सैक्शन्ज 30 के मैजिस्ट्रेट को भी नहीं दिये होते। और वह एडल्ट्रेशन को रोकने की बजाये वह इसे एनकरेज करते हैं और उन को हर शहर के अन्दर और कस्बे के अन्दर दुकानदारों से माहवारी पैसे बन्धे हुए होते हैं।

5.00 p.m. शहरों में रोज़ दूध आता है मगर जब उन इन्स्पैक्टरों के रोज़ के आठ दस आने बन्धे हों तो वह उसकी देखभाल क्या करेंगे। वह लोग कस्बे में दाखिल होते हैं, जौहड़ का पानी मिलाते हैं, हमें दूध दे जाते हैं और उनको कोई नहीं पूछता। ऐसा

खालस दूध मिलता है। इस बुराई को रोकने के लिये मैं यह तजवीज़ रखता हूँ That Gazetted Officers of repute and integrity be appointed. यह इन्स्पैक्टर्ज होते कौन हैं। किसी म्युनिसिपैलिटी का कोई लोग्रर डिवीजन क्लर्क हुआ उसे ही प्योर फूड इन्स्पैक्टर बना दिया जाता है। न उनकी कोई क्वालीफिकेशन न उनको तजरुबा। उनके तो पैसे हर महीने बन्धे हुए हैं मगर इसका असर पड़ता है जनता की सेहत पर। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

इसके आगे मैं जिक्र करना चाहता हूँ शौप इन्स्पैक्टरों का। इनके सम्बन्ध में जो शिकायत मेरे नोटिस में आई है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। यह लोग अपने इख्तयारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। इन की भी माहवारी बन्धी रहती है। (विघ्न) मैं सब की बात नहीं करता मगर जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह मेजारिटी के बारे में सही है। अगर कोई दुकानदार अपने इलाके के इन्स्पैकर को माहवारी नहीं देता तो अगर दुकान बन्द करने का वक्त ८ हो तो आठ बज कर तीन मिंट होते ही उसका चालान कर दिया जाता है और यह महज इसलिये कि उसकी बंधी महावारी नहीं देता। अगर देता है तो उसका चालान नहीं होगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि अगर सरकार इस ऐक्ट को लोगों के भले में लागू करना चाहती है तो इस काम के लिये भी रिसपौंसीबल गजेटिड अफसर लगाये जायें। इन इन्स्पैक्टरों को ऐसे इख्तियार न दे जिन को यह नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं।

यहां पर कोरप्शन का लफ्ज़ बार बार आता है। मैं भी इसका थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहता हूँ। बिजली के महकमे से जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस बुराई को खत्म किया है उसके लिये मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। होम मिनिस्टर साहिब को भी उन इकदाम के लिये मुबारक देता हूँ जो इन्होंने इस महकमे से कोरप्शन को मिटाने के लिये किये हैं। मेरी इत्तलाह के मुताबिक करीब 18,20 लाख रुपये का सामान जोकि स्टोर से चोरी गया था वह दिल्ली के कबाड़ी बाज़ार में बेचा गया। उसकी हमारे विजीलैंस के महकमे ने रिकवरी की है। यह बड़ा दलेराना कदम था जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने उठाया। इसके लिये पंजाब के लोग इनके मशकूर हैं। (विघ्न) जो अच्छी बात सरकार करती है अगर मैं उसके लिये इनको मुबारकबाद न दूं, सिर्फ इस बिना पर कि मैं आपोजीशन में खड़ा हूँ तो यह मेरी इखलाकी कमजोरी होगी। इस महकमे में एक और चोरी होती है जिसकी तरफ मैं इन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह कहा जाता है कि पब्लिक को 220 वोल्टेज़ की बिजली सप्लाई की जाती है लेकिन अगर टैस्ट कर के देखा जाए तो पता चलेगा कि 160 या 180 वोल्टेज से ज़्यादा पर बिजली नहीं दी जाती। इससे लोगों का खर्च ज्यादा आता है। वह बल्व तो लगाते हैं दो सौ वाट का मगर उनको रौशनी मिलती है 50 वाट के बराबर के बल्व की। यहां जो वायरिंग की गई है यह भी ठीक नहीं है, डिफैक्टिव है। कहीं लोड ज़्यादा होता है और कहीं कम। जिन सनअती अदारों को 440 वोल्ट की बिजली दी जाती है उनको 360 या 380 वोल्टेज़ से ज़्यादा की बिजली नहीं मिलती। यह बात टैस्ट कर के देखी जा सकती है। लोगों का ज़्यादा

[पण्डित चिरंजी ल.ल शर्मा]
खर्च आता है। इन शिकायतों का अज़ाला करना हमारी सरकार का काम है। लोग ज्यादा खर्च बरदाश्त करते हैं मगर उनको उनके हक़ूक से महरूम किया जाता है। उम्मीद है सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

उपाध्यक्षा : अब वाइंड अप करें। (Please wind up now.)

पंडिन चिरंजीलाल शर्मा : बहुत अच्छा जी। मैं कोरप्शन बारे बात कर रहा था। इसी सिलसिले में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कशमीर सरकार ने एक ऐंटी-कोरप्शन कमेटी बनाई है। यहां पर भी हर महकमे के खिलाफ इल्जाम लगाये जाते हैं कि उनमें कोरप्शन है। अगर यहां पर इसी तरह से एक हाई लैवल ऐंटी-कोरप्शन कमेटी बिठा दें जिसमें कि इन्टैग्रिटी वाले चार-पांच पब्लिक मैन शामिल हों तो इसका बड़ा फायदा होगा। जैसे चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में बिजली के महकमे का केस आया तो वह सारी कोरप्शन पकड़ी गई। इसी तरह से अगर सारी स्टेट के लिये ऐसी ऐंटी-कोरप्शन कमेटी बना दी जाय तो इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। इस का एक तो यह असर पड़ेगा कि जो लोग खाह वह पब्लिक-मैन हों या दूसरे जो कोरप्शन करते हैं उन पर बड़ा डिमौरलाइजिंग असर पड़ेगा। उनको डर हो जायगा कि अगर कोई गड़ब ड़ की तो पकड़े जाएंगे। विजीलंस डिपार्टमेंट के डर के मारे ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। ऐसी हाई लैवल ऐंटी-कोरप्शन कमेटी के बनाने से ऐसा वायुमण्डल पैदा हो सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे पास कुछ और प्वायंटस भी थे मगर अब चूंकि आपकी आज्ञा है कि मैं खत्म करूँ तो मैं इनका जिक्र अब नहीं करता फिर मौका मिला तो अर्ज करूंगा।

सरदार लछमन सिंह गिल : जनाब, उधर से पहले दो मैम्बर बोल चुके हैं। (विघ्न) मैं तो यह बात आपके नोटस में ला रहा हूँ।

Depty Speaker: I am sorty, I am not to be guided by the hon. Member,

श्री ज्ञान चन्द (शिमला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की डिमांडज़ हाउस के सामने हैं। मैं आपकी मारफत हाउस का ध्यान कुछ एक बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

देश में हंगामी सूरते हाल पैदा हुई। देश में एक आवाज़ उठी कि यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए। इसके साथ ही सब सूबों से यह आवाज़ सुनाई देने लगी कि फलां दफ्तर के लोगों ने, फलां अदारे के कर्मचारियों ने एक घंटा ज्यादा रोजाना काम करने का फैसला किया है। मैं पंजाब सरकार की इस बात के लिये सराहना करता हूँ कि उसने ऐमरजेंसी के आने से पहले ही दफ्तरों के काम के समय को बढ़ाया हुआ था। अभी पीछे एक टैक्सटाइल इंडस्ट्री की इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि हिन्दुस्तानी लेबर से यूरोपियन लेबर एक जैसे टाइम में काम करके 20 गुना ज्यादा आउटपुट देती है। तो हमारे यहां जो भाई वैलफेयर स्टेट का ज़िक्र करते हैं उनको यह समझ लेना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन न हुई तो कहां से सोशलिस्ट पैटर्न आफ

सोसाइटी बनेगी और कहां से वैलफेयर स्टेट ? इसलिये हिन्दुस्तान में कपड़ा, अनाज, आदि चीज़ों की पैदावार बढ़नी चाहिए। और इसके लिये यह ज़रूरी है कि काम करने का पीरियड बढ़े और वह पीरियड हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ा कर हिन्दुस्तान की रहनुमाई की है। जहां तक सेहत के नुकतानज़र से देखने का सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्रीज़ में लोग 8 घंटे काम करते हैं और 15, 15 साल तक काम करने के बाद भी वे फिट रहते हैं तो दफ्तरों में भी यही बात लागू हो सकती है।

मैंने आबजर्व किया है कि दफ्तरों में 25 फीसदी लोग अपनी सीटों पर नहीं होते हैं, और 50 फीसदी गप्पें मारते रहते हैं, सिर्फ 25 फीसदी मुलाज़िम ऐसे हैं जो काम करते रहते हैं । यह मुझे पता है कि इनएफीशिएंसी बढ़ी है, और कागज़ों के पीछे जब तक आप साथ साथ न जाएं तब तक काम नहीं हो सकता । इसका एक सबब यह है कि दफ्तरों में काम कम है और लोग,ज्यादा हैं । इसलिये मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह अच्छा काम किया है कि रिट्रेंचमेंट कर दी ।

अब मैं कुछ बातें पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पिछले दिनों यानी पिछले सैशन में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया था कि यह जो चंडीगढ़ आलाउंस या हिल अलाउंस है, वह उस वक्त तक खत्म नहीं किया जायेगा जब तक कि फेयर प्राइस शाप्स नहीं खोली जायेंगी । मैं पूछना चाहता हूँ कि आया फेयर प्राइस शाप्स खोल कर भी उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। यह तो इकानोमिक्स है, देखने वाली बात है। जो रुपया इन दुकानों में इनवैस्ट किया गया है, जो मुलाज़िम उनमें काम करते हैं और दुकानों के लिये जो इमारतें ली गई हैं अगर इन सबको देखा जाए और इसका खर्च और आमदनी लगाई जाए तो क्या यह दुकानें इक्नामिकल हो सकती हैं ? और अगर यह फेयर प्राइस शाप्स खोल भी दी जायें तो इनका पहाड़ी इलाकों में क्या असर पड़ेगा ? अभी तक वहां पर कहीं भी कोई फेयर प्राइस शाप नहीं खोली गई हालांकि कर्मचारियों के अलाउंस पर कट लग गया। चंडीगढ़ की निस्बत पहाड़ी ईलाकों में सर्दी ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है और वहां के लोगों का सूती या गर्म दोनों किस्म के कपड़ों पर ज्यादा खर्च आता है, लकड़ी कोयले पर भी ज्यादा खर्च आता है। एक और बात देखने वाली है कि पहाड़ी इलाकों में जो सामान जाता है, वह मैदानी इलाकों से ही जाता है इसलिये वह वहां जाते जाते मंहगा हो जाता है। इसी तरह किराये बस और रेल के यहां से दुगने हैं। साथ में पहाड़ों पर चंडीगढ़ की निस्बत, हस्पताल की, यूनिवर्सिटी या कालेज की या और छोटे छोटे स्कूलों की भी फैसिलिटीज़ एवेलेबल नहीं हैं। वहां के लोग सिर्फ 2, 2 हज़ार रुपये को तरसते रहते हैं कि अगर 2 हजार रुपया मिल जाये तो वे कहीं कोई स्कूल बना लें। जब ऐसी हालत है तो वहां के कर्मचारियों के अलाउंस की ओर इन सहूलियतों को देने की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए । यह तो साफ ज़ाहिर है कि मैदानी इलाकों में ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है जैसा कि विधान सभा के सदन को देख कर अन्दाज़ा लगाया जा सकता है ।

[श्री ज्ञान चन्द]

इसके बाद मैं बिजली की तरफ आता हूँ। इसका भी यही हाल है कि पहाड़ी इलाके को ज़रूरत के मुताबिक बिजली नहीं दी जाती जब कि विधान सभा में रात दिन बिजली जला करती है। और मैदानी इलाकों को इंडस्ट्रीज़ के लिये व और चीज़ों के लिए बराबर बिजली दी जाती है। इस तरह से इस फैसिलीटीज़ के मामले में पहाड़ी इलाके को पीछे रखना, और कट के मामले में एट पार ट्रीट करना यह अन्याय है। यह नहीं होना चाहिए ।

अभी एक भाई ने कहा था कि जिस अफसर को सज़ा देनी हो उसे महेन्द्रगढ़ भेज दिया जाता है। इसी तरह से पहाड़ी इलाके में भी ऐसे अफसर भेजे जाते हैं, साधारण तौर पर कोई वहां इन हालात की वजह से जाने के लिये तैयार नहीं होता । यह ठीक है कि पंजाब सरकार वहां के लिये ख्याल रखती है लेकिन अच्छे कर्मचारियों को वहां जाने के लिये ऐतराज़ होगा और गुरेज़ करते भी हैं। और अगर चले भी गये तो फिर वहां से आने की कोशिश करते हैं। तो जो फेयर प्राइस शाप के बारे में बात है वह मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि आप पहाड़ी इलाके में इन दुकानों को खोल कर भी वहां की कास्ट नीचे नहीं ला सकते । इसलिये, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मार्फत सरकार से दरखास्त करता हूँ कि वह इस तरफ गौर करे और पहाड़ी इलाकों में जो इस तरह की बेइनसाफी हुई है उसे दूर करे ।

पंजाब सरकार का मकसद पहाड़ी इलाके की तरक्की करना नहीं है। पुलिस एक्सपेंडीचर में पिछले साल 6.75 करोड़ और इस साल 9.32 करोड़ रूपये खर्च हो गए हैं, यह बड़ी खुशी की बात है, छोटे पुलिस कर्मचारियों की तनखाहें बढ़ा दी गई हैं, उनके अलाउंसज में भी इज़ाफा कर दिया गया है।

ऐमरजेंसी के कारण पहाड़ी इलाके की तरक्की की जो स्कीमें थीं वह कम कर दी गई हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार इन स्कीमों में कम कटौती लगाये जो पुलिस खर्च हुआ है वह भी मैदानी इलाकों में ही हुआ है जो ज्यादा तरक्की पसन्द इलाके कहे जाते हैं।

मैं सरकार का ध्यान भर्ती के सिलासले में दिलाना चाहता हूँ, हमारे पहाड़ी इलाके के लोगों को एम्पलायमेंट की एनकरेजमेंट नहीं दी जाती में मैं कहना चाहता हूँ कि मिडल स्कूल में भी पहाड़ी इलाके के लोगों को चपड़ासी की पोस्टस पर नहीं रखा जाता है। वहां पर भी लोकल आदमियों को सर्व करने का मौका नहीं दिया जाता । अगर किसी तरह से लोकल आदमी लग भी जायें तो उसको तंग किया जाता है। वहां पर ज्यादातर मैदानों के लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाती है, इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी भर्ती में कम से कम नीचे की पोस्टस पर पहाड़ी इलाके के लोगों को लगाना चाहिए ताकि वहां के लोग अपना रोजगार कमा सकें । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्षा : पेशतर इसके कि मैं किसी माननीय सदस्य को काल अपोन करूं,

मैं चाहती हूँ कि जो सदस्य गवर्नर साहिब के भाषण के विवाद में या बजट की डिस्कशन में भाग नहीं ले सके उनको समय मिलना चाहिए। इस बारे में मैं फरंट सीट्स पर बैठे हुए सदस्यों से परामर्श लेना चाहती हूँ कि उन सदस्यों को बोलने का समय दिया जाए या कि नहीं।
(Before I call upon the next hon. Member to speak, I would seek the co-operation of the House that only those hon. Members should be given time to speak who have not participated in the debate either on the Governor's Address or General Discussion of the Bodget. I would like to be guided by the hon. Members occupying the front benches whether they should be given time to speak or not.)

आवाज़ें : ठीक है जी ।

चौधरी रण सिंह (राठौर,) ऐस.सी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस हाउस में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड पुलिस की डीमांड पर बहस हो रही है। सरकार ने इस डीमांड पर 14 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम मांगी है। इस हाउस में सरकार ने जो मांग रखी है वह बहुत जायज़ है क्योंकि सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की तनखाहें बढ़ायी हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी तनखाहें बढ़ानी बहुत ज़रूरी थीं। मैं समझता हूँ कि उनकी तनखाहें बढ़ाने से उनमें जो कुरप्शन है वह दूर हो जाएगी, हमारी सरकार ने पटवारियों की तनख्वाहें पिछले दो तीन साल पहले बढ़ायी थीं जिससे अब पटवारियों में रिश्वत लेने की प्रथा कम है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह सराहनीय काम किया है, इससे दोनों महकमों में कुरप्शन दूर होगी, मैं पुलिस के बारे में इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर पर हमारे मौजूदा एस० पी० बहुत काबिल पुलिस अफसर हैं। करनाल ज़िले की यू० पी० स्टेट के साथ बाउंडरी लगती है, बहुत अर्से से मेरे हल्के के मवेशी यू० पी० के लोग चुरा कर ले जांते थे। कुछ बहुत पुराने केसिज़ अभी तक पैंडिंग पड़े थे, उनकी जांच पड़ताल हमारे जिले के एस० पी० ने की। उन्होंने गांव गांव में जाकर केसिज़ का पता लगाने के लिये कोशिश की है और वह कामयाब हुए, बहुत सी पुरानी चोरियां बरामद हो चुकी हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नाजायज़ शराब निकालने के बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे जिले में नाजायज़ शराब बहुत निकाली जाती है, मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस इस बारे में रोकथाम करने के लिये कोई कोशिश नहीं करती। मैं तो यह कहता हूँ कि पुलिस भी उन लोगों की ही मदद करती है जो नाजायज़ शराब निकालते हैं। कई जगहों पर पुलिस के कर्मचारी बड़े बड़े सफेदपोशों से मिले हुए होते हैं और उनकी नाजायज़ मदद करते हैं। विवाह तथा शादियों में ऐसे सफेदपोश काफी मात्रा में नाजायज़ शराब निकालते हैं। और उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर पुलिस इसकी चैकिंग करती है और मौके पर कोई चलती हुई भट्ठी पकड़ लेती है तो भट्ठी चाहे किसी की भी हो उसमें रिश्वत लेकर किसी गरीब मजदूर या सीरी का चालान कर देती है। इस प्रकार से गरीब निर्दोष मजदूरों का चालान होता है। इस बारे में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ।

[**चौधरी रण सिंह**]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एंटी-कुरप्शन के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। यह ठीक है कि एंटी-कुरप्शन विभाग ने कुरप्शन को बन्द करने के लिये काफी कुछ किया है परन्तु कई जगहों में ऐसे केसिज़ भी हुए हैं जहां पर एंटी-कुरप्शन के महकमा के कर्मचारी अपने कुछ दलाल रखते हैं। वह उससे मिले हुए हैं और उनकी मार्फत स्वयं कुरप्शन करते हैं।

उपाध्यक्षा : क्या माननीय सदस्य जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं? (Is the hon. Member saying these things with full responsibility?)

चौधरी रण सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप सबूत चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि एंटी-कुरप्शन के कर्मचारी दलालों से मिले हुए हैं और नाजायज़ ही किसी को पकड़ कर चालान कर देते हैं। मैं इस बारे में ज़ाती तजरुबा से कह सकता हूँ कि ज़िला करनाल में कई केसिज़ ऐसे हुए हैं। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इन केसिज़ की इन्क्वायरी कराई जाये। मैं कह सकता हूँ कि कई बार गलत केसिज होने पर भी कोर्ट में दे दिये जाते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं रिकवरी ओफ लोन्ज़ के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि दस्तकारियों के लिये लोनज़ दिये जाते हैं। उन लोनज़ को दिये हुए मुद्दत हो जाती है परन्तु सरकार ठीक समय पर तो किश्तें वसूल करती नहीं, जब कई किश्तें इकट्ठी हो जाती हैं तब सरकार लोनीज़ पर डण्डा लेकर चढ़ जाती है। इस प्रकार से बहुत लोगों को फजूल तंग किया जाता है और फायदा की बजाये भारी नुक्सान और दिक्कतें होती हैं। सरकार को चाहिये कि टाईम पर लोगों को नोटिस इशू करे ताकि वह वाजिब किश्त या सालाना किश्त समयपर अदा कर सकें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लो-इन्कम-ग्रुप-हाउसिंग स्कीम के अधीन मकान बनाने के लिये भी सरकार 'लोन' देती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि रिकवरी के लिये सरकार टाइम पर नोटिस जारी करे, लेकिन सरकार 4,5 सालों तक कोई नोटिस जारी नहीं करती। लोनीज़ के लिये यकमुश्त कई किश्तें देना कठिन हो जाती है और फिर उन्हें तंग किया जाता है। अगर सरकार वक्त पर नोटिस जारी करे तो लोग भी पैसे दे सकते हैं। अगर लोगों को दो चार किश्तें इकट्ठी देनी पड़ें तो लोगों को मुश्किल हो जाती है। वह किश्त चुकाने में तंग हो जाते हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार इस विषय में शीघ्र ही कदम उठाए जिस से देहात की अनपढ़ जनता भी समय पर किश्तें दे सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने देखा है कि जब से यह सेशन चल रहा है, गवर्नर्ज़ एड्रेस पर भी और बजट की डिस्कशन पर भी कई बार हरिजनों का नाम लिया जाता है। हरिजनों के नाम को एक्सपलायट किया जाता है। जब पिछले सेशन में टेम्परेरी टेक्सेशन बिल की बहस हो रही थी तो मैंने आपोज़ीशन ग्रुप के हरिजन मैंबरों को देखा कि इस बिल के खिलाफ नारे लगाते हुए हाउस से वाक-आउट कर गये। इस अवसर पर मेरा सिर शर्म के

मारे झुका हुआ था । हरिजनों की बेहतरी के लिये टैक्स लगाया जा रहा था और हरिजन मैम्बर ही इसको अपोज़ कर रहे थे । (विघ्न)

Deputy Speaker: The hon. Member should speak on the General Administration. (*Interruptions*).

चौधरी रण सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरिजन वैलफेयर तो General Administration में शामिल है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे हाउस के कई मुअज़िज़ मेम्बर साहिबान ने, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, सरदार गुरनाम सिंह और दूसरे साथियों ने भी अपनी स्पीच में कहा कि सरकार की पालिसी कैसी अजीब है, यह सरकार जमींदारों की ज़मीन छीनना चाहती है । उनके पास ज़मीन नहीं रहने देना चाहती । क्या ज़मींदारों का हक नहीं कि अपनी ज़मीन को डिसपोज़ आफ़ करें । जब भी हरिजन वैलफेयर की बात आती है तो हरिजनों के नाम को एक्सपलायट किया जाता है कि हरिजनों की बहबूदी के लिये कुछ नहीं किया जा रहा (विघ्न) ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हरिजनों के मसले अजीब हैं । उनकी तरफ सरकार ने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है । इसमें शक नहीं है कि आज़ादी मिलने के बाद देश के हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने तरक्की की है । मैं मानता हूँ कि किसी हद तक हरिजनों ने भी तरक्की की है । परन्तु जितनी तरक्की उनको डैमोक्रेसी में करनी चाहिए थी उतनी तरक्की उन्होंने नहीं की है । सरकार ने उनकी तरक्की के लिये कई स्कीमें बनाई हैं । ज़मीन खरीद कर दी है । मकान बनाने के लिये और ज़मीन खरीदने के लिये रुपया दिया है । कानूनी सहायता की स्कीम भी बनाई है । मगर इन सब स्कीमों में खामियां हैं । मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िला करनाल में हरिजनों को 5,7 कौलोनीज़ में सरकार ने ज़मीन खरीद कर दी है । लोग पुराने घरों को छोड़ कर नई जगह पर आकर आबाद हुए हैं । लेकिन वहां भी उनकी हालत बुरी है, वे खुश नहीं हैं । करनाल में जलालां वीरां एक गांव है । वहां पर जो ज़मीन खरीदी गई है वह कल्लर है । इसी तरह से गोंदर गांव में ज़मीन खरीदी है वह तो ज़मींदारों के पास पहले ही सरपलस जमीन थी और वह वैसे ही गरीब लोगों को मिल जानी थी । अब वहां हालत यह है कि सेल डीड में तो यह लिखा है कि बैनीफिशियरीज़ को उस ज़मीन के हिस्से का पानी भी मिलेगा लेकिन मिलता नहीं है । पानी न मिलने के कारण हर साल हरिजनों की फसलें सूख जाती हैं । अगर वे पानी लेने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ ज्यादती होती है । तगड़े जमींदार उन को तंग करते हैं । मरने मारने की नौबत आती है और वे रोते आते हैं । इसी प्रकार रावण हेडा और भोगपुर दो कौलोनीज़ हैं । वहां पर जमीन बेचने वाले ज़मींदार को कुछ रुपया मिल चुका है और कुछ मिलना बाकी है । डीड के मुताबिक तो बैनीफिशियरीज़ को ज़मीन को काश्त करने का हक होता है और मालिक उनसे बाकी रकम पर ब्याज ले सकता है । परन्तु असलीयत है कि मालिक ज़मीन को खुद काश्त कर रहे हैं और हरिजनों को पास भी फटकने नहीं देते । यह स्कीम फेल हो चुकी है ।

कानूनी सहायता के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर एक ज़िले में हरिजन वकील हैं । सरकार को बाकायदा तौर पर उनको लगा देना चाहिए ।

[चौधरी रण सिंह]

इस स्कीम के मुताबिक अगर किसी हरिजन का केस किसी कोर्ट में चलता है तो वह सहायता उनको केस में मिल जानी चाहिए ताकि वह खुद वकील को अदा कर सके। पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि हरिजनों को तरक्कियों में कुछ रिज़र्वेशन मिलनी चाहिए। शायद इन को यह बात याद नहीं रही यह उनके नोटिस में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया हुआ है कि तरक्कियों में भी हरिजनों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हरिजनों के लिये सर्विसिज़ में प्रोमोशन के समय भी रैजरवेशन होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने उस फैसले के मुताबिक आर्डर्ज़ भी पास किए हैं। मैं पंजाब सरकार से निवेदन करता हूँ कि उस फैसला को जल्दी लागू करे।

Deputy Speaker : Please wind up.

चौधरी रण सिंह : एक बात नैशनल ऐमरजेंसी के बारे में कह कर मैं बैठ जाऊंगा। मेरे अपने तजरुबे की बात है कि हरिजनों में जोश है वे भरती होकर देश की खातिर जान देने को तैयार हैं। वे देश सेवा करने के लिये मरने मिटने को तैयार हैं। लेकिन वे भरती नहीं हो सकते उनको भरती होने का मौका ही नहीं मिलता (विघ्न)। वे बेचारे वापस आ जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜ ਸਤ ਮਿੰਟ ਵਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੰਪਲਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਸੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14/15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ-ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸੋਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਨਰਲ

ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਏਥੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 107/151 ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਟੈਕਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੋ। (The hon. Member should bring to the notice of the Minister some specific case.)

ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਨਫੀਡੈਂਨਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਿਉ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਸ: ਪੀ: ਔਰ ਡੀ: ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 29 ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਸ ਐਚ. ਓ. ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 15/20 ਕੇਸਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਫਾ **25** ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

[ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਨੇ 300 ਰੁਪਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ ਐਸ. ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ-ਇਨ-ਪਾਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵੀ ਤੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਨਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਐਸੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫਿਟ ਆਦਮੀ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਸ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ tax ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।

ਪਿਛੇ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਲਖਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਉ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ (ਘੰਟੀ) ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਪੈਸੇ ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਮਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੌਖੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੂਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਸ ਕਮਾਦ ਵਿਚ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਉਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਨਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਮਿਉਨਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸ-ਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ, ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਉ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਚਲੇ ਜਾਉ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 'ਲੀਡ' ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਸੋਨਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ

[ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ]

ਇਥੇ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਥੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੇਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੇਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਤਾਂ ਆਦਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ-ਬਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜੂਹ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਥੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਦੇ ਲੇਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਉਤਨੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਜਕਲ ਇਤਨੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਉ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿਥੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਥੇ 9-2-63 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਐਸ. ਆਈ. ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ । ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ 3/4 ਆਦਮੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ........।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਕੜ ਲਈ ਗਈ । ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ।

ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕੜ ਲਈ ਗਈ । ਉਹੋ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ 3 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ । ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਨਟਰੇਸੇਬਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਮ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮ ਸੀ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਚੋਰੀ ਕਢੀ ਹੈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਗਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਂਡ ਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 14 ਆਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਆਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਨ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਨਡਿਊ ਹੈਲਪ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੈਂਡ ਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੌਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ । ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਚ ਹੈ । ਜੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਭੱਈਏ ਏਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਪੰਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

6.00 p.m.

Deputy Speaker: Wind up please.

ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ: ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਡਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫੀਸ਼ੈਨਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਰੇਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਉਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਭੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ) (ਐਸ. ਸੀ.): ਮੁਹਤਰਿਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਖਸ਼ਾ ਦਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸੈਪੇਰੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ. ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਦਸੋ । (Order please. The hon. Member may please speak on the General Administration.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਹੈ । ਇਹ ਰਖਸ਼ਾ ਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ]

ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿਚ ਜਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ-ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲਾਠੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਫਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫੌਜ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਖਸ਼ਾ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੱਫ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀਜੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਕਈ ਆਦਮੀ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਫ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰੂਸ ਯਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਰਦ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉਚੱਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਗੱਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸ-ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਸ਼ੋਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਰ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿਸਹਾਰਟੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਜ਼ੁਮਾਨ ਡਰੇਨ ਬਟਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ 'ਵਰੀ' ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦੇ ਜੇ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾ ਸਦਰ ਹੈ। ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਮਾਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਮਾਨ ਡਰੇਨ ਤੇ ਬਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਈ।

ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਅਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ । ਅਜ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਹਰੀਜਨ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਹੈ, ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਘ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਲਫਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ: (ਵਿਘਨ) (The word used by the hon. Member is not in good taste. He should withdraw it.)

(Interruption, noise.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ: ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ)

(**श्री मंगल सेन** : बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर साहबा, मैंने एक दिन बोलते हुए डूम शब्द इस्तेमाल किया था तो विदड्रा करवाया गया था अब जो आनरेबल मैम्बर साहब ने यहां हीजड़ा लफ्ज़ कहा है क्या यह पार्लियामैंट्री है ?

उपाध्यक्षा : आप मंगलसेन जी बोलिए। श्री जगन्नाथ जी बैठिए आप । (The hon. Member should please resume his seat. Hon. Member Shri Mangal Sein may make his speech.)

श्री मंगल सेन (रोहतक): आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस चल रही है, पूरे 5 दिन बजट के ऊपर डिसकशन हुई । आज मैं जब बोल रहा हूँ तो जनता की बातें सुनने के लिये मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं है।

उपाध्यक्षा : मैं आपके लिये 10 मिनट रख रही हूँ अगर आपने भूमिका में और इधर उधर की बातों में वक्त लगा दिया तो ठीक नहीं है। (I am giving the hon. Member 10 minutes to speak. It will not be proper if he wastes this time in making introduction and other irrelevant things.)

श्री मंगल सेन : अच्छा तो मैं कहना चाहता हूँ, डिप्टी स्पीकर साहबा, कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी सरकार की पालिसी को ऐक्जीक्यूट करने वाली एक ऐसी मशीनरी है जो पालिसी फ्रेम करने वालों की बात को पूरा करने के लिये है। जो वेलफेयर स्टेट की सरकार होती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी क्लीन होती है। मैं ट्रेज़री बैंचिज़ पर बैठे हुए मंत्री साहबान को कहना चाहता हूँ कि वे अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें और सोचें कि जहां उनकी खामियां हैं उन्हें दूर करें। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी मशीनरी को रन करना है उसको उपाध्यक्षा महोदया, प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस सरकार ने इसी एडमिनिस्ट्रेशन पर पहला वार किया कि कैपिटल अलाउंस बन्द कर दिया, हिल अलाउंस बन्द कर दिया। आप जानती हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सरकार कहती है कि किचन गार्डन बनाएगी। यानी काम करने वाले दफ्तरों में जायेंगे और उनकी घरवालियां घर में खेती बाड़ी करेंगी : कितनी आश्चर्य की बात है? औरतें घर में बैठकर बाग बगीचे लगायेंगी और मूली गाजर उपजायेंगी। कभी दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं चला है? जो सैक्रेटेरियेट में काम करने वाले हैं, वह निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं। आप चाहते हैं कि डाउन ट्राडन की सहायता की जाए तो उनके साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जो अलाउंस उन्हें अपने बच्चों के पेट पालने के लिये दिया गया था वह ज़रूर दिया जाए।

कहते हैं हमारे मुख्यमन्त्री साहब सर्विसिज़ को प्योर करना चाहते हैं। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन और सबोरडीनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन बोर्ड की नियुक्ति हुई है। लेकिन यह कमीशन और यह बोर्ड कैसे कांस्टीच्यूट किये जाते हैं यह देखने वाली बात है। ऐसी बाडीज़ में बड़े बुद्धिमान, विद्वान, और अपराइट लोग होने चाहिएं लेकिन होते हैं उसमें पहले जो अपर हाउस के मैम्बर रहे हैं जैसे दरबारी लाल गुप्ता।

उपाध्यक्षा : आप नाम न लीजिए। (The hon. Member should not refer him by name.)

श्री मंगलसेन : अच्छा जी। इसी तरह सबोरडीनेट सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड में एक ऐसे मैम्बर जो इलैक्शन में हार गए और वह पहले कभी 389 में गिरफ्तार भी हो चुके हैं (विघ्न)। मैं उनकी शान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह बात ज़रूर है कि ऐसे आदमियों को इन बाडीज़ में और बोर्डज़ में लगाया जाता है जिनको पालिटीकल एसाइलम दी जाती है। शरण दी जाती है। उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह एक स्टेट मार्किटिंग बोर्ड बन गया उसका भी चेयरमैन कौन बनाया गया, आप जानती हैं, सारा हाउस जानता है। यही नहीं जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाया गया उसमें ऐसे

लोग रखे हैं जिनका हैडक्वार्टर्ज़ तो है करनाल लेकिन रहते हैं वह शिमले में। वह बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हो गये हैं। 8 घंटे बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, लेकिन सरकार की अपनी मर्ज़ी है जहां जिसको प्रोवाइड करना चाहती है कर देती है।

उपाध्यक्षा : आप इधर उधर न जाइए (Please be relevant.)

श्री मंगल सेन : तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं मैं मुख्य मन्त्री के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि डिफीकल्टीज़ के खिलाफ ऐक्शन लें, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐडीशनल ऐडवोकेट जनरल तथा बी. डी. ओज़. की पोस्टस पर जो ऐप्वांयटमेंट्स की हैं वहां पर अपने आदमियों की ऐप्वायंट किया है या वह आदमी एप्वायंट किए जो पोलिटीकल पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं।

मैं राजपुरा के केस के बारे में कहना चाहता हूँ कि सर्विसिज़ में डीमारेलाइज़ेशन बहुत आ चुकी है। लोग सरकार पर निर्भर हैं उनको बोलने का साहस नहीं है, वह अपनी बात को नहीं कह सकते, वैसे तो हमारी सरकार रामराज्य स्थापित करने का दावा करती है, सरकार तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताये हुए असूलों पर चलने का दावा करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन असूलों को नजरअन्दाज़ किया जा रहा है।

उपाध्यक्षा : आप रेलेवेंट बात करें। (The hon. Member may please be relevant.)

श्री मंगल सेन : मैं पुलिस की demand पर ही बोल रहा हूँ मैं कह रहा था कि ऐस० पी० ने राजपुरा रैस्ट हाउस में अपने रिवाल्वर से खुदकुशी कर ली। इस बारे में सारी पंजाब की जनता जानती है कि वह आदमी बहुत इमानदार था। वह विजिलैंस कमेटी का सैक्रेटरी भी रहा था। मैं उसकी प्राईवेट लाईफ में नहीं जाना चाहता हूँ : मुझे डी० एस० पी० का नाम तो याद नहीं जिसको उसने कार बेच दी थी, लेकिन उसकी कार किसी तरह हत्या के मामले में इनवाल्वड हो गई, वह बहुत परेशान हुआ और अपनी जिन्दगी से बेज़ार हो गया और उसने आत्महत्या कर ली।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ग्रेवाल के केस के बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि वह केस बहुत पुराना हो गया है, कपूर साहब के केस की बहुत चर्चा है, लेकिन एक माननीय सदस्य ने इसी हाउस में एक प्रेविलेज़ मोशन के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया था। उसके बारे में चर्चा हुई कि सरकार के एक जिम्मेदार आदमी से उसकी जान को खतरा है। इस बारे में माननीय गृह मन्त्री ने भी इस बात को माना है। इस विषय को राज्य सभा में भी उठाया गया था। लेकिन कितने दुख की बात है कि उस आदमी के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं और सरकार उसको हैरेस कर रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार का बस नहीं चलता, नहीं तो मालूम नहीं कि यह सरकार क्या करे। वह सुप्रीम कोर्ट में एपलीकेशन देता है कि उस के केसिज़ को दूसरी स्टेट्स में भेजा जाए।

[**श्री मंगल सेन**]

यह मामला न्याय का है। वह अपने केसिज़ को यहां पर न्याय न मिलने के कारण बाहिर तथा दूसरी स्टेट में ट्रांस्फर कराना चाहता है। जब केसिज़ बाहिर चले जाते हैं तो उसके हक में फैसला हो जाता है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए कि कहां पर कमी है : हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कहां रोग है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ला एंड आर्डर को मेनटेन करना पुलिस का काम है, मैं समझता हूँ कि पुलिस के बिना कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। पुलिस को लोगों की लाइफ, प्रापर्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है। मैं कह सकता हूँ लोगों की लाइफ, इनके द्वारा सुरक्षित होनी चाहिए। पुलिस का यह भी कर्त्तव्य है कि लोग कानून के मुताबिक चलते हैं या कि नहीं, जो कानूनों की अवहेलना करते हैं उनको सजा दिलवाने के लिये कोर्ट में केस भेजते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कैपीटल के अन्दर एक बैंक के एम्प्लाई ने दूसरे एम्पलाई पर छुरे से हमला कर दिया। वह मामला पुलिस में रजिस्टर्ड हो गया। बैंक के कुछ अधिकारियों ने मिल मिला कर उसकी मैजिस्ट्रेट से बेल करवा ली क्योंकि पुलिस ने कहा कि इस वक्त रीमांड की ज़रूरत नहीं है, फिर वह केस सैशन जज के पास गया। सैशन जज ने मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध स्ट्रिक्चर पास की। पुलिस ने सैशन कोर्ट में कहा कि उस आदमी की ज़रूरत नहीं रही है। इस केस में वजह यह है कि मैनेजर ने उस आदमी की मदद की। तत्पश्चात् जिसने छुरा मारा था तथा जिसको चोटें आई थीं, दोनों को यहां से ट्रांस्फर कर दिया गया। पुलिस के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो वह बैंक के उच्च अधिकारी के पास गए और कहा कि जिसने मारा है उसकी ट्रांस्फर न करें, उसकी तहकीकात करने में ज़रूरत है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ उस आदमी के पीछे कोई पावरफुल आदमी है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जोकि चीफ मिनिस्टर साहिब के खानदान का नाम लेते रहते हैं। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने हमारे मुख्य मन्त्री को बड़ा दलेराना कदम उठाने वाला कहा है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि अपनी दलेरी का सबूत दें। हमारे मुख्य मन्त्री सब से ज्यादा पावरफुल हैं। उनको चाहिए कि पंजाब की ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें ताकि अच्छी तरह से कानूनों का इस्तेमाल किया जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने गवर्नर साहिब के भाषण पर हुए विवाद में 20-2-63 को रोहतक की पुलिस के बारे में बयान किया था।

रोहतक की शिवाजी बस्ती में एक सज्जन हैं। उनको आप जानती ही हैं। अभी 4 दिन की बात है कि उनके घर से 44 बोतलें शराब की निकलीं और उसी आदमी से जुलाई 1961 में भी शराब की बोतलें बरामद हुई थीं। मैंने इसके बारे में हाई कोर्ट के जज को लिखित रूप में एक स्टेटमेंट दी थी लेकिन किसी वजीर ने किसी मैजिस्ट्रेट को कह कर उसको बरी करवा दिया था। पुलिस ने उसको फिर पकड़ लिया है। जो आदमी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वे आदमी सरकार को अनपापूलर कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसे सच्चे केसिज़ पर ऐक्शन नहीं लेगी कि मैं समझता हूँ कि यह राज बहुत दिन

नहीं चल सकता । मैं विशेष तौर पर गृह मन्त्री से नम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी कानून की अवहेलना करता है उसको सजा दी जाए, सरकार उस की मदद न करे । यह कहना नाजायज़ नहीं होगा कि वह पोलिटीकल पार्टी का सरगरम वर्कर भी है । इसलिये उसकी जमानत के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर भी पहुंचे और भी पार्टी के सदस्य पहुंचे । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने पहले आश्वासन दिया है कि मैं रैलेवेंट ही कहूँगा ताकि आपको बार बार कहने का कष्ट न हो । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा था कि वहां पर श्री बनारसीदास गुप्ता जो कि डिप्टी मिनिस्टर थे, गए और उसके ही घर खाना खाया । जब बड़े बड़े अधिकारी अफसर तथा मन्त्री जाकर उसके पास दावतें खाएं तो बुरे काम करने में उसको एनकरेजमेंट मिलती है । मैं समझता हूँ कि छोटे अधिकारी ऐसे आदमियों के विरुद्ध ऐक्शन नहीं ले सकते हैं । (Shri Mangal Sein was still in possession of the House when it adjourned.)

6-30 p. m. *The Sabha, then, adjourned till 9 a.m. on Tuesday, the 19th March, 1963.)*

790/P.V.S.—20-7-63—387 copies—C.,P., & S., Pb., Patiala.

ANNEXURE

(Please see Foot Note at page 42 of this Debate.)

GRANTS AND TACCAVI LOANS GIVEN BY CERTAIN BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS

866. **Guru Jaswant Singh**: Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the names and addresses of persons to whom grants and taccavi loans have been given by the B.D.O s Guru Har Sahai, Ferozepore and Fazilka during the period from January, 1960 to February, 1963 together with the purposes for which the same were sanctioned ?

Sardar Darbara Singh: The required information is given in the enclosed statement.

S. No.	*Name and address of the person*	*Grants/Taccavi Loans*	*Purpose*
1	2	3	4
	Ferozepur Block		
1.	Shri Inder Singh, s/o Sunder Singh, Shri Gulzar Singh, s/o Ghasita Singh, village Rukna Begu, tehsil and district Ferozepur	Taccavi Loan	Sinking of well
2.	Shri Gurdial Singh, Bir Singh, Amar Singh, etc., village Toot (Ferozepore)	Ditto	Ditto
3.	Shri Chanan Singh, s/o Bhag Singh, village Nizam Wala (Ferozepore)	Ditto	Ditto
4.	Shri Suba Singh, s/o Sham Singh, village Toot	Ditto	Ditto
5.	Shri Sadhu Singh and Ajit Singh, village Assal	Ditto	Ditto
6.	Shri Wazir Singh, s/o Kesar Singh, village Dhira Batra	Ditto	Ditto
7.	Shri Inder Singh, s/o Kishan Singh, village Toot	Ditto	Ditto
8.	Shri Siri Mittar, Shri Krishan Kumar and Shrimati Laj Wanti, village Sadar Din Wala	Ditto	Pumping Set
9.	Shri Karam Singh, s/o Kehar Singh, village Fattu Wala	Ditto	Ditto
10.	Shri Santa Singh, s/o Karam Singh, village Khushal Singh Wala	Ditto	Ditto
11.	Shri Tek Bhadar Singh, s/o Kaku Singh, village Bukkan Khan Wala	Ditto	Ditto
12.	Shri Balwant Singh and Shrimati Gangi, village Nizam Wala	Ditto	Ditto
13.	Shri Kharaiti Lal, s/o Ram Lal, village Suba Qadim	Ditto	Ditto
14.	Shri Tilak Raj, s/o Hari Ram, village Dariake	Ditto	Ditto

S. No.	Name and Address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	3
	Ferozepur Block—*Concld.*		
15.	Shri Hawal Singh, s/o Maghar Singh, village Baghel Singh Wala	Taccavi Loan	Pumping Set
16.	Shri Partap Singh, s/o Nihal Singh, village Noorpur	Ditto	Sinking of well
17.	Shri Hakam Singh, Lachhman Singh, etc. village Rukna Begu	Ditto	Ditto
18.	Shri Harbans Singh, s/o Dalip Singh, village Bharoli Bham	Ditto	Ditto
19.	Shri Boota Ram, s/o Dyal Chand, village Noorpur	Ditto	Ditto
20.	Shri Sullakhan Singh, s/o Jiwan Singh, village Jhoke Hari Har	Ditto	Ditto
21.	Shri Vir Singh and Sant Ram, village Kasu Begu	Ditto	Ditto
22.	Shri Gurdial Singh, s/o Chet Singh, village Jhoke Hari Har	Ditto	Ditto
23.	Shri Samman Singh, s/o Bishan Singh, village Jhoke Hari Har	Ditto	Ditto
24.	Shri Gurdip Singh and Sohan Singh, village Rukna Begu	Ditto	Ditto
25.	Shri Gulzar Singh, Dalip Singh, etc. village Jhoke Hari Har	Ditto	Pumping Set
26.	Shrimati Kulwant Kaur, w/o Mohinder Singh, village Wan	Ditto	Ditto
27.	Shri Mahal Singh, Karnail Singh, village Mehma	Ditto	Ditto
28.	Shri Teja Singh, s/o Alla Singh, village Boote Wala	Ditto	Ditto
29.	Shrimati Bishan Kaur, w/o Hazara Singh, village Kasu Begu	Ditto	Ditto
30.	Shri Ajit Singh, Tara Singh, etc., village Mehma	Ditto	Ditto
31.	Shri Pritam Singh, s/o Chawla Singh, village Toot	Ditto	Ditto
32.	Shri Jagan Nath, village Kamala Bodla	Ditto	Reclamation of land
33.	Shri Bakhtawar Singh, village Pirke Asmail Khan	Ditto	Ditto
34.	Shri Bhan Singh, village Arifke	Ditto	Ditto
35.	Shrimati Aas Kaur, village Jaimal Wala	Ditto	Ditto
36.	Shri Dalip Singh, village Arifke	Ditto	Ditto
37.	Shri Jagat Singh, village Arifke	Ditto	Ditto
38.	Shri Darshan Singh, village Arifke	Ditto	Ditto
39.	Shri Jhanga Ram, etc., village Mattar Uttar	Grant	Ditto
40.	Shri Khushal Singh, village Mattar Uttar	Ditto	Ditto
41.	Shri Deedar Singh, village Hamad	Ditto	Ditto
42.	Shri Kabal Singh, village Arifke	Ditto	Ditto
43.	Shri Dara Singh, village Arifke	Ditto	Ditto
44.	Shri Hans Raj, village Kamala Bodla	Ditto	Ditto
45.	Shri Piara Singh, village Arifke	Ditto	Ditto

S. No.	Name and address of the persons	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(2) Fazilka Block		
	Nil		
	(3) Guru Har Sahai Block		
1.	Shri Jagtar Singh, village Sharinwala	Grants	Purchase of birds
2.	Shri Harmohinder Singh, s/o Pritam Singh, village Guru Har Sahai	Do	Ditto
3.	Shri Harbhajan Singh, s/o Shri Jassa Singh, village Lohra Nawab Sahib	Do	Ditto
4.	Shri Kucha Singh, village Jowaya Singh	Do	Ditto
5.	Shri Parbdayal Singh, village Kahan Singh Wala	Do	Ditto
6.	Shri Mohinder Singh, village Jandwala	Do	Ditto
7.	Shri Guru Hardip Singh, village Mohanke Uttar	Do	Ditto
8.	Shri Ujagar Singh, village Guru Har Sahai	Do	Ditto
9.	Shri Tehal Singh, village Jhandu Wala	Do	Ditto
10.	Shri Morari Ram, s/o Sadhu, village Qutab Din	Taccavi Loan	Fertilizer
11.	Shri Sohan Singh, s/o Dhara Singh, village Ahal Bodla	Ditto	Do
12.	Shri Darshan Singh, s/o Asa Singh, village Ahal Bodla	Ditto	Do
13.	Shri Ranjit Singh, s/o Nirmal Singh, village Amir Khas	Ditto	Do
14.	Shri Mal Singh, s/o Labh Singh, village Buhla Mahatam Uttar	Ditto	Do
15.	Shri Kohar Singh, s/o Babu Singh, village Boola Mahatam	Ditto	Do
16.	Shri Milkha Singh, s/o Mehtab Singh, village Boola Mahtam	Ditto	Do
17.	Shri Phuman Singh, s/o Wazir Singh, village Boola Mahtam	Ditto	Do
18	Shri Nazar Singh, s/o Budh Singh, village Bula	Ditto	Do
19.	Shri Surain Singh, s/o Manna Singh, village Bula Mahatam	Ditto	Do
20.	Shri Bishan Singh, s/o Punu Singh, village Bula Mahatam	Ditto	Do
21.	Shri Sudagar Singh, s/o Shri Budh Singh, village Bula Mahatam	Ditto	Do
22.	Shri Phuman Singh, s/o Punnu Singh, village Bula Mahatam	Ditto	Do
23.	Shri Bhola Singh, s/o Sohan Singh, village Bula Mahatam	Ditto	Do
24.	Shri Hakan Singh, s/o Nazar Singh, village Bula Mahatam Uttar	Ditto	Do

Serial No.	Name and Address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) **Guru Har Sahai Block**—*contd.*		
25.	Fauja Singh s/o Shri Pathan Singh, village Bula	Taccavi Loan	Fertilizer
26.	Lahan Singh, s/o Dhajana Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
27.	Shri Tanember Singh, s/o Sahib Singh village Bulla Mahatam	Ditto	Do
28.	Shri Surjan Singh, s/o Fatta Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
29.	Shri Baja Singh, s/o Jawaya Singh, village, Bulla Mahatam	Ditto	Do
30.	Shri Kishan Singh, s/o Boor Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
31.	Shri Fauja Singh, s/o Hakam Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
32.	Shri Gulab Singh, s/o Jagir Singh, village, Bulla Mahatam	Ditto	Do
33.	Shri Nazir Singh, s/o Hakam Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
34.	Shri Mahla Singh, s/o Lehna Singh, village, Bulla Mahatam	Ditto	Do
35.	Shri Chaman Singh, s/o Pathana Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
36.	Shri Ujagar Singh, s/o Shankar Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
37.	Shri Mahang Singh, s/o Phatta Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
38	Shri Mangal Singh, s/o Chowdhry Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
39.	Shri Sarain Singh, s/o Palla Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
40.	Shri Hira Singh, s/o Atma Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
41.	Shri Babu Singh, s/o Swaya Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
42.	Shri Sunder Singh, s/o Rahanja Singh, village Bulla Mahatam	Ditto	Do
43.	Shri Gokal Singh, s/o Dara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
44.	Shri Khanu Singh, s/o Bishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
45.	Shri Sikandar Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
46.	Shri Kanshi Singh, s/o Jallu Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
47.	Shri Labh Singh, s/o Jallu Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
48.	Shri Kishan Singh, s/o Rahanjha Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
49.	Shri Kalu Singh, s/o Narain Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do

Serial No.	Name and Address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) **Guru Har Sahai Block**—*contd.*		
50.	Khushal Singh, s/o Sunder Singh, village Chhanga Kalan	Taccavi Loan	Fertilizer
51.	Shri Kehar Singh, s/o Sahib Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
52.	Shri Anwar Singh, s/ Bagga Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
53.	Shri Balbir Singh, s/o Chatar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
54.	Shri Bahadur Singh, s/o Phuman Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
55.	Shri Sher Singh, s/o Sardar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
56.	Shri Munshi Singh, s/o Hakam Singh, village Jowaya Singh Wala	Ditto	Do
57.	Shri Kishan Singh, s/o Jamal Singh, village Jowaya Singh Wala	Ditto	Do
58.	Shri Sawan Singh, s/o Chamba Singh, village Jowaya Singh Wala	Ditto	Do
59.	Shri Babu Ram, s/o Maru Mal, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
60.	Shri Jagat Ram, s/o Bagga Mal, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
61.	Shri Mangal Singh s/o Bagga Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
62.	Shri Kashmir Singh, s/o Sardar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
63.	Shri Mannu Singh, s/o Chandi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
64.	Shri Dhaman Singh, s/o Sardara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
65.	Shri Fauja Singh, s/o Jaman Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
66.	Shri Bishan Singh, s/o Sohan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
67.	Shri Chattar Singh, s/o Nand Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
68.	Shri Shital Singh, s/o Munshi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
69.	Shri Labh Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
70.	Shri Gangu Singh, s/o Sodagar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
71.	Shri Sher Singh, s/o Mehtab Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
72.	Shri Manjit Singh, s/o Bahadur Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
73.	Shri Bahal Singh, s/o Bahadur Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
74.	Shri Bahal Singh, s/o Dara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do

Serial No.	Name and Address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) **Guru Har Sahai Block**—*contd.*		
75.	Shri Nadar Singh, s/o Sohna Singh, village Chhanga Kalan	Taccavi Loan	Fertilizer
76.	Shri Hakam Singh, s/o Chandi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
77.	Shri Nathu Singh, s/o Shama Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
78.	Shri Gurdas Singh, s/o Bishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
79.	Shri Bakar Singh, s/o Nazar Singh, village Chak Madi Ke	Ditto	Do
80.	Shri Munshi Singh, s/o Nazir Singh, village Chak Madi Ke	Ditto	Do
81.	Shri Milkhi Singh, s/o Mehtab Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
82.	Shri Hakam Singh, s/o Nazir Singh, village Bulla Rai Uttar	Ditto	Do
83.	Shri Bhula Singh, s/o Shiar Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
84.	Shri Mahan Singh, s/o Fatta Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
85.	Shri Sawan Singh, s/o Mahana Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
86.	Shri Ujagar Singh s/o Shankar Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
87.	Shri Madan Singh, s/o Kishan Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
88.	Shri Bahal Singh, s/o Prem Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
89.	Shri Nazir Singh, s/o Deva Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
90.	Shri Ujagar Singh, s/o Kishan Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
91.	Shri Sunder Singh, s/o Rahanja Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
92.	Shri Phuman Singh, s/o Puran Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
93.	Shri Surain Singh, s/o Phan Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
94.	Shri Bishan Singh, s/o Puran Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
95.	Shri Phuman Singh, s/o Mahana Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
96.	Shri Kundan Lal, s/o Wasawa Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
97.	Shri Kanshi Singh, s/o Mahla Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
98.	Shri Labh Singh, s/o Ranga Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
99.	Shri Kehar Singh, s/o Babu Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) Guru Har Sahai Block—contd.		
100.	Shri Mahan Singh, s/o Buta Singh, village Bhulla Rai Uttar	Taccavi Loan	Fartilizer
101.	Shri Bagga Singh, s/o Nazir Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
102.	Shri Fauja Singh, s/o Pathana Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
103.	Shri Labh Singh, s/o Chhanga Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
104.	Shri Gajjan Singh s/o Hari Singh, village Bhulla Rai Uttar	Ditto	Do
105.	Shri Wallu Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
106.	Shri Sikandar Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
107.	Shri Khushal Singh s/o Sunder Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
108.	Shri Aurjan Singh, s/o Nadar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
109.	Shri Kashmir Singh, s/o Kanshi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
110.	Shri Gulzar Singh, s/o Nadar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
111.	Shri Balbir Singh, s/o Chattar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
112.	Shri Fauja Singh, s/o Sankar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
113.	Shri Bahal Singh, s/o Dara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
114.	Shri Gurdas Singh, s/o Bishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
115.	Shri Bahadur Singh, s/o Phuman Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
116.	Shri Fauja Singh, s/o Jammu Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
117.	Shri Mahana Singh, s/o Chandi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
118.	Shri Kala Singh, s/o Naam Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
119.	Shri Walo Singh, s/o Gahana Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
120.	Shri Guder Singh, s/o Bahadur Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
121.	Shri Kartar Singh, s/o Sarain Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
122.	Shri Sahib Singh, s/o Bahadur Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
123.	Shri Kartar Singh, s/o Amin Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
124.	Shri Mehtab Singh, s/o Punjab Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) **Guru Har Sahai Block**—contd.		
125.	Shri Bahadur Singh, s/o Mohan Singh, village Chak Chhanga Hithar	Taccavi Loan	Fertilizer
126.	Shri Bagha Singh, s/o Pathana Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
127.	Shri Munsha Singh, s/o Jamal Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
128.	Shri Sarain Singh, s/o Balinder Singh, village Chak Cnhanga Hithar	Ditto	Do
129.	Shri Jiwan Singh, s/o Jinder Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
130.	Shri Rulia Singh, s/o Nager Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
131.	Shri Kartar Singh, s/o Jaimal Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
132.	Shri Rulia Singn, s/o Mehtab Singh, village Chak Chhanga Hithar	Ditto	Do
133.	Shri Khushia Singh, s/o Hira Singh, village Bula Pai Uttar	Ditto	Do
134.	Shri Nazir Singh, s/o Babu Singh, village Bhula Pai Uttar	Ditto	Do
135.	Shri Jassa Singh, s/o Dulla Singh, village Lohra Nawab	Ditto	Do
136.	Shri Milkha Singh, s/o Sunder Singh, village Kohar Singh wala	Ditto	Do
137.	Shri Bhim Singh, s/o Harbans Singh, village Jawahre wala	Ditto	Do
138.	Shri Jagdev Singh s/o Harbans Singh, village Jawahre wala	Ditto	Do
139.	Shri Gurdip Singh, s/o Sham Singh, village Ghanga Kalan	Ditto	Do
140.	Shri Kartar Singh, s/o Sunder Singh, village Chak Saidoke	Ditto	Do
141.	Shri Narain Singh, s/o Bachan Singh, village Chak Saidoke	Ditto	Do
142.	Shri Chand Singh, s/o Keher Singh, village Chak Saidoke	Ditto	Do
143.	Shri Babu Ram, s/o Mana Mal, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
144.	Shri Munshi Singh, s/o Hakim Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
145.	Shri Jayal Ram, s/o Beghu Mal, village Jawaya Singh Wala	Ditto	Do
146.	Shri Kishan Singh, s/o Jamel Singh, village Jawaya Singh Wala	Ditto	Do
147.	Shri Sawan Singh, s/o Chamba Singh, village Jawaya Singh Wala	Ditto	Do
148.	Shri Gokal Singh, s/o Dara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
149.	Shri Khanu Singh, s/o Bishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) **Guru Har Sahai Block**—contd.		
150.	Shri Sikander Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Kalan	Taccavi Loan	Fertilizer
151.	Shri Kanshi Singh, s/o Jalu Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
152.	Shri Labh Singh, s/o Salu Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
153.	Shri Kishan Singh, s/o Ranga Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
154.	Shri Kalu Singh, s/o Daman Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
155.	Shri Khushal Singh, s/o Sunder Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
156.	Shri Kehar Singh, s/o Sahib Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
157.	Shri Anwar Singh s/o Baga, Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
158.	Shri Balbir Singh, s/o Chattar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
159.	Shri Bahadur Singh, s/o Phuman Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
160.	Shri Sher Singh, s/o Sardara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
161.	Shri Darshan Singh, s/o Shanker Singh, village Kutti	Ditto	Do
162.	Shri Roshan Lal, s/o Jagan Nath, village Kutti	Ditto	Do
163.	Shri Fauja Singh, s/o Sarain Singh, village Kutti	Ditto	Do
164.	Shri Mangal Singh, s/o Bagga Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
165.	Shri Kashmir Singh, s/o Sardara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
166.	Shri Maman Singh, s/o Chandi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
167.	Shri Dharam Singh, s/o Sardara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
168.	Shri Fauja Singh, s/o Jawan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
169.	Shri Bishan Singh, s/o Sohana Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
170.	Shri Chattar Singh, s/o Nand Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
171.	Shri Sital Singh, s/o Munshi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
172.	Shri Labh Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
173.	Shri Ganga Singh, s/o Sodagar Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
174.	Shri Sher Singh, s/o Mehtab Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	(3) **Guru Har Sahai Block**—contd.		
175.	Shri Mangat Singh, s/o Lahddui Singh, village Chhanga Kalan	Taccavi Loan	Fertilizer
176.	Shri Bahal Singh, s/o Dara Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
177.	Shri Bahal Singh, s/o Bahadui Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
178.	Shri Nadar Singh, s/o Sohana Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
179.	Shri Hakam Singh, s/o Chandi Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
180.	Shri Natha Singh, s/o Shamer Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
181.	Shri Gurdas Singh, s/o Bishan Singh, village Chhanga Kalan	Ditto	Do
182.	Shri Bakar Singh, s/o Nager Singh, village Chak Madian ke	Ditto	Do
183.	Shri Munshi Singn, s/o Nager Singh, village Chak Madian ke	Ditto	Do
184.	Shri Jagga Singh, s/o Sardara Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
185.	Shri Surjan Singh, s/o Bahadur Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
186.	Shri Pathana Singh, s/o Nihal Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
187.	Shri Kanshi Singh, s/o Sardara Singh, village Megha Rai Uttai	Ditto	Do
188.	Shri Kanshi Singh, s/o Ranga Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
189.	Shri Dogar Singh, s/o Bila Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
190.	Shri Kehar Singh, s/o Sardara Singh, village Kutti	Ditto	Do
191.	Shri Ujagar Singh, s/o Shankar Singh, village Kutti	Ditto	Do
192.	Shri Sarain Singh, s/o Sham Singh, village Kutti	Ditto	Do
193.	Shri Aurjan Singh, s/o Didar Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
194.	Shri Wathu Singh, s/o Ganchu Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
195.	Shri Natha Singh, s/o Sham Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
196.	Shri Gurdas Singh, s/o Labh Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
197.	Shri Hira Singh, s/o Jinna Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
198.	Shri Makhan Singh, s/o Bishan Singh, village Chhanga Kalan Uttai	Ditto	Do
199.	Shri Bahadur Singh, s/o Jaimal Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do

S. No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
	2	3	4
	GURU HAR SAHAI BLOCK—*contd*		
200.	Shri Gurdit Singh, s/o Ganesha Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Taccavi Loan	Fertilizer
201.	Shri Munshi Singh, s/o Buta Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
202.	Shri Wallu Singh, s/o Ganesha Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
203.	Shri Khushia Singh, s/o Gulla Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
204.	Shri Bahadur Singh, s/o Kishan Singh, village Chnanga Kalan Uttar	Ditto	Do
205.	Shri Chandi Singh, s/o Buta Singh, village Chhanga Kalan Uttar	Ditto	Do
206.	Thakur Mangal Singh, s/o Sohan Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
207.	Shri Sunder Singh, s/o Mohna Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
208.	Shri Mahla Singh, s/o Lehna Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
209.	Shri Badadur Singh, s/o Ranga Singh, Chak Madiake	Ditto	Do
210.	Shri Chanan Singh, s/o Shanker Singh, Chak Madiake	Ditto	Do
211.	Shri Sarain Singh, s/o Charan Singh, Chak Shikar Gahar	Ditto	Do
212.	Shri Kaka Singh, s/o Gulab Singh, Chak Shikar Gahar	Ditto	Do
213.	Shri Banka Singh, s/o Gulab Singh, Chak Shikar Gahar	Ditto	Do
214.	Shri Santa Singh, s/o Labh Singh, Chak Shikar Gahar	Ditto	Do
215.	Shri Bahal Singh, s/o Hira Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
216.	Shri Munsha Singh, s/o Uttam Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
217.	Shri Sardara Singh, s/o Aroor Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
218.	Shri Mathra Singh, s/o Sunder Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
219.	Shri Wasakha Singh, s/o Mohna Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
220.	Shri Shankar Singh, s/o Hira Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
221.	Shri Ujjagar Singh, s/o Sardara Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
222.	Shri Madir Singh, s/o Ladhu Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
223.	Shri Daman Singh, s/o Bishan Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
224.	Shri Bagga Singh, s/o Manga Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do

S. No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	GURU HAR SAHAI BLOCK—*contd*		
225.	Shri Baz Singh, s/o Pathana Singh, village Mohanke Uttar	Taccavi Loan	Fertilizer
226.	Shri Kala Singh, s/o Sunder Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
227.	Shri Ranga Singh, s/o Mohna Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
228.	Shri Dogar Singh, s/o Jawahar Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
229.	Shri Goman Singh, s/o Bhamba Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
230.	Shri Labh Singh, s/o Jawahar Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
231.	Shri Banka Singh, s/o Gandot Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
232.	Shri Ujagar Singh, s/o Ranga Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
233.	Shri Kishan Singh, s/o Bhan Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
234.	Shri Kehar Singh, s/o Babu Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
235.	Shri Sunder Singh, s/o Ranga Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
236.	Shri Phuman Singh, s/o Nazir Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
237.	Shri Gahda Singh, s/o Sohna Singh, village Megha Rai Uttar	Ditto	Do
238.	Shri Dewan Singh, s/o Wazir Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
239.	Shri Nazir Singh, s/o Babu Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
240.	Shri Milkha Singh, s/o Mehtab Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
241.	Shri Hakim Singh, s/o Nagar Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
242.	Shri Latkan Singh, s/o Dhagana Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
243.	Shri Bagga Singh, s/o Jowaya Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
244.	Shri Sunder Singh, s/o Mehanga Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
245.	Shri Fauja Singh, s/o Pathana Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
246.	Shri Surjan Singh, s/o Phata Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
247.	Shri Harnam Singh, s/o Sunder Singh, village Bula Rai Uttar	Ditto	Do
248.	Shri Bur Singh, s/o Mehtab Singh village Mare Kalan	Ditto	Do
249.	Shri Nand Singh, s/o Gehna Singh, village Mare Kalan	Ditto	Do
250.	Shri Aurjan Singh, s/o Nariku Singh' village Mare Kalan	Ditto	Do

S. No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd*		
251.	Shri Fauja Singh, s/o Gehna Singh, village Mare Kalan	Taccavi Loan	Fertilizer
252.	Shri Kala Singh, s/o Baga Singh, village Mare Kalan	Ditto	Do
253.	Shri Kartar Singh, s/o Sunder Singh, village Mare Kalan	Ditto	Do
254.	Shri Shankar Singh, s/o Hira Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
255.	Shri Thakur Singh, s/o Jowahar Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
256.	Shri Aurjan Singh, s/o Sardara Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
257.	Shri Wasava Singh, s/o Nagai Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
258.	Shri Jagir Singh, s/o Kala Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
259.	Shri Dunna Singh, s/o Mohna Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
260.	Shri Dawinder Singh, s/o Partap Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
261.	Shri Labh Singh, s/o Mangal Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
262.	Shri Amar Singh, s/o Lal Singh, village Qutabgarh	Ditto	Do
263.	Shri Gurbhajan Singh, s/o Harnam Singh, village Jandwala	Ditto	Do
264.	Shri Joginder Singh, s/o Waryam Singh, village Talewali	Ditto	Do
265.	Shri Gurbax Singh, s/o Kalyan Singh, village Dila Ram	Ditto	Do
266.	Shri Pritam Singh, s/o Bishan Singh, village Jhok Mohre	Ditto	Do
267.	Shri Janga Singh, s/o Thakur Singh, village Ghanga Kalan	Ditto	Do
268.	Shri Kullar Singh, s/o Ujagai Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
269.	Shri Sudershan Singh, s/o Ujagar Singh village Guru Har Sahai	Ditto	Do
270.	Shri Bahal Singh, s/o Ishar Singh, village Jamiat Singhwala	Ditto	Do
271.	Shri Bahal Singh, s/o Ishar Singh, village Jamiat Singhwala	Ditto	Do
272.	Shri Bagta Singh, s/o Guru Ditta, village Jamiat Singhwala	Ditto	Do
273.	Shri Bagta Singh, s/o Guru Ditta, village Jamiat Singhwala	Ditto	Do
274.	Shri Manga Singh, s/o Fatta Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
275.	Shri Manga Singh s/o Fatta Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd*		
276.	Shri Phuman Singh, s/o Panu Singh, village Bulla Rai	Taccavi Loan	Fertilizer
277.	Shri Phuman Singh, s/o Panu Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
278.	Shri Lal Chand, s/o Mehtab Rai, village Shamash Din Chisti	Ditto	Do
278-A	Shri Puran Singh, s/o Jamal Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
278-B	Shri Tek Singh, s/o Nihal Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
278-C	Shri Jogar Singh, s/o Sunder Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
278-D	Shri Phuman Singh, s/o Gurdit Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
278-E	Shri Mohinder Singh, s/o Jawala Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
279.	Shri Subhash Singh, s/o Fatta Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
280.	Shri Bagga Singh, s/o Sunder Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
281.	Shri Kahan Singh, s/o Buta Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
282.	Shri Darshan Singh s/o Teja Singh, village Mohanke Uttar	Ditto	Do
283.	Shri Surjit Singh, s/o Karnail Singh, village Mothanwala	Ditto	Do
284.	Shri Baghwan Singh, s/o Karpal Singh, village Jhariwala	Ditto	Do
285.	Shri Ajmer Singh, s/o Teja Singh, village Jhariwala	Ditto	Do
286.	Shri Jarnail Singh, s/o Kunda Singh, village Jhariwala	Ditto	Do
287.	Shri Surjit Singh s/o Resh Singh, village Ghang Kalan	Ditto	Do
288.	Shri Naranjan Singh, s/o Teha Singh, village Ghanga Kalan	Ditto	Do
289.	Shri Gurcharn Singh, s/o Sham Singh, village Ghanga Kalan	Ditto	Do
290.	Shri Surain Singh, s/o Munshi Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
291.	Shri Tahl Singh, s/o Lal Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
292.	Shri Bakhtawar Singh, s/o Waryam Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
293.	Shri Ram Singh, s/o Jagir Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
294.	Shri Balwant Singh, s/o Prem Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
295.	Shri Gurdial Singh, s/o Bhagwant Singh, village Sohangarh	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	GURU HAR SAHAI BLOCK—*contd*		
296.	Shri Bachittar Singh, s/o Jassa Singh, village Jawahar Singh Wala	Taccavi Loan	Fertilizer
297.	Shri Narain Singh, s/o Deva Singh, village Jawhar Singh Wala	Ditto	Do
298.	Shri Jagjitar Singh, s/o Jassa Singh, village Jawahar Singh Wala	Ditto	Do
299.	Shri Chand Singh, s/o Mehar Singh, village Kala Singh Wala	Ditto	Do
300.	Shri Jarnail Singh, s/o Gurdial Singh, village Kala Singh Wala	Ditto	Do
301.	Shri Ajit Singh, s/o Karam Singh, village Burwala	Ditto	Do
302.	Shri Joga Singh, s/o Sant Singh, village Roranwala	Ditto	Do
303.	Shri Chand Singh, s/o Kishan Singh, village Roranwala	Ditto	Do
304.	Shri Kakhan Singh, s/o Lehna Singh, village Jawahar Singh Wala	Ditto	Do
305.	Shri Mukhtiar Singh, s/o Buta Singh, village Jhanduwala	Ditto	Do
306.	Shri Bishan Singh, s/o Jowaya Singh, village Ghulla	Ditto	Do
307.	Shri Mohinder Singh, s/o Kishan Singh, village Ghulla	Ditto	Do
308.	Shri Waryam Singh, s/o Dyal Singh, village Ghulla	Ditto	Do
309.	Shri Dalip Singh, s/o Khazan Singh, village Gulla	Ditto	Do
310.	Shri Narain Singh, s/o Bahadur Singh, village Kathgarh	Ditto	Do
311.	Shri Fauja Singh, s/o Sunder Singh, village Kathgarh	Ditto	Do
312.	Shri Hakam Singh, s/o Sumand Singh, village Kathgarh	Ditto	Do
313.	Shri Deva Singh, s/o Ishar Singh, village Kathgarh	Ditto	Do
314.	Shri Maghi Singh, s/o Bullu Ram, village Rakha Mir	Ditto	Do
315.	Shri Buta Ram, s/o Lal Chand, village Rakha Mir	Ditto	Do
316.	Shri Tek Singh, s/o Rur Singh, village Amir Khas	Ditto	Do
317.	Shri Des Ram, s/o Bhag Ram, village Burhan Din Chisti	Ditto	Do
318.	Shri Subash Singh, s/o Gubal Singh, village Panjeke Utat	Ditto	Do
319.	Shri Soba Singh, s/o Gulab Singh, village Panjeke Utat	Ditto	Do
320.	Shri Shera Ram, s/o Jhangi Ram, village Mohanke	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	GURU HAR SAHAI BLOCK—*contd*		
321.	Shri Mohinder Singh, s/o Bishan Singh, village Guru Har Sahai	Taccavi Loan	Fertilizer
322.	Shri Gurbax Singh, s/o Kalyan Singh, village Dilla Ram	Ditto	Do
323.	Shri Jagir Singh, s/o Bura Singh, village Jhariwala	Ditto	Do
324.	Shri Jarnail Singh, s/o Santa Singh, village Jhariwala	Ditto	Do
325.	Shri Kishan Singh, s/o Kohla Ram, village Sohangarh	Ditto	Do
326.	Shri Joga Singh, s/o Mohan Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
327.	Shri Bhagwan Singh, s/o Phera Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
328.	Shri Ujagar Singh, s/o Jagat Singh, village Mothanwala	Ditto	Do
329.	Shri Thakur Singh, s/o Sudagar Singh, village Mothanwala	Ditto	Do
330.	Shri Kishan Ram, s/o Sawan Ram, village Sohangarh	Ditto	Do
331.	Shri Labh Singh, s/o Talok Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
332.	Shri Kharak Singh, s/o Nand Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
333.	Shri Phul Chand, s/o Rama, village Sohangarh	Ditto	Do
334.	Shri Avtar Singh, s/o Lehna Singh, village Tallewala	Ditto	Do
335.	Shri Lal Singh, s/o Deva Singh, village Tallewala	Ditto	Do
336.	Shri Sant Lal, s/o Hardev Ram, village Sohangarh	Ditto	Do
337.	Shri Hari Chand, s/o Jogi Ram, village Sohangarh	Ditto	Do
338.	Shri Maulo Ram, s/o Asu Ram, village Sohangarh	Ditto	Do
339.	Shri Sunder Singh, s/o Nand Singh, village Sohangarh	Ditto	Do
340.	Shri Naran Ji, s/o Dhanna Ji, village Sohangarh	Ditto	Do
341.	Shri Madan, s/o Hashub Ram, village Sohangarh	Ditto	Do
342.	Shri Santa Ram, s/o Amar Singh, village Kuti	Ditto	Do
343.	Shri Gurdit Singh, s/o Kala Singh, village Kuti	Ditto	Do
344.	Shri Bhajan Singh, s/o Banka Singh, village Kuti	Ditto	Do
345.	Shri Harnam Singh, s/o Hakam Singh, village Kuti	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*conlds*		
346.	Shri Baj Singh, s/o Sarwan Singh, village Kuti	Taccavi Loan	Fertilizer
347.	Shri Kartar Singh, s/o Kala Singh, village Kuti	Ditto	Do
348.	Shri Kehar Singh, s/o Buta Singh, village Madike	Ditto	Do
349.	Shri Sher Singh, s/o Sodagar Singh, village Madike	Ditto	Do
350.	Shri Jaga Singh, s/o Bagga Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
351.	Shri Inder Singh, s/o Mehtab Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
352.	Shri Bagga Singh, s/o Munshi Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
353.	Shri Shankar Singh, s/o Sodagar Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
354.	Shri Anwar Singh, s/o Milkha Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
355.	Shri Joga Singh, s/o Sunder Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
356.	Shri Goma Singh, s/o Phamha Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
357.	Shri Phuman Singh, s/o Gurdit Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
358.	Shri Wazir Singh, s/o Samunder Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
359.	Shri Bula Singh, s/o Teva Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
360.	Shri Bhola Singh, s/o Sohan Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
361.	Shri Hira Singh, s/o Atma Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
362.	Shri Bagha Singh, s/o Nagar Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
363.	Shri Timba Singh, s/o Sohila Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
364.	Shri Phuman Singh, s/o Pannu Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
365.	Shri Nagar Singh, s/o Bur Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
366.	Shri Bahal Singh, s/o Pahla Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
367.	Shri Bishan Singh, s/o Pannu Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
368.	Shri Nagar Singh, s/o Deva Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
369.	Shri Labh Singh, s/o Maru Singh, village Mare Kalan	Ditto	Do
370.	Shri Khushal Singh, s/o Gulab Singh, village Mare Kalan	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd*		
371.	Shri Taja Singh, s/o Ghamhi Singh, village Mare Kalan	Taccavi Loan	Fertilizer
372.	Shri Sher Singh, s/o Ghamhi Singh, village Mare Kalan	Ditto	Do
373.	Shri Munsha Singh, s/o Nagar Singh, village Madi Ke	Ditto	Do
374.	Shri Bishan Singh, s/o Sohawa Singh, village Madi Ke	Ditto	Do
375.	Shri Jaga Singh, s/o Prem Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
376.	Shri Ranga Singh, s/o Wadhawa Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
377.	Shri Inder Singh, s/o Mehtab Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
378.	Shri Phama Singh, s/o Sunder Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
379.	Shri Gurdit Singh, s/o Sohawa Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
380.	Shri Aurjan Singh, s/o Natha Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
381.	Shri Wadhawa Singh, s/o Jowahar Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
382.	Shri Surjan Singh, s/o Bahadur Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
383.	Shri Bishan Singh, s/o Fatta Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
384.	Shri Joga Singh, s/o Tulsi Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
385.	Shri Dogar Singh, s/o Jawahar Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
386.	Shri Kishan Singh, s/o Bhamba Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
387.	Shri Dogar Singh, s/o Beela Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
388.	Shri Jhanda Singh, s/o Buta Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
389.	Shri Munshi Singh, s/o Nadar Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
390.	Shri Jagir Singh, s/o Munshi Sg, village Megha Rai	Ditto	Do
391.	Shri Mohinder Singh, s/o Har Singh, village Qutabgarh	Ditto	Do
392.	Shri Dhanghawa Singh, s/o Uttar Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
393.	Shri Fauja Singn, s/o Pathana Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
394.	Shri Mangal Singh, s/o Fatta Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
395.	Shri Harnam Singh, s/o Sunder Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd.*		
396.	Shri Ujagar Singh, s/o Shankar Singh, village Chhanga Hithar	Taccavi Loan	Fertilizer
397.	Shri Hakam Singh, s/o Hazur Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
398.	Shri Sanjwa Singh, s/o Mehna Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
399.	Shri Bishan Singh, s/o Pannu Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
400.	Shri Kala Singh, s/o Wassu Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
401.	Shri Sunder Singh, s/o Ranga Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
402.	Shri Phuman Singh, s/o Nagar Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
403.	Shri Chaman Singh, s/o Kishan Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
404.	Shri Bhola Singh, s/o Sohan Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
405.	Shri Milkha Singh, s/o Mehtab Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
406.	Shri Phuman Singh, s/o Pannu Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
407.	Shri Labh Singh, s/o Panja Singh, village Chhanga Hithar	Ditto	Do
408.	Shri Jagjit Singh, s/o Bagel Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
409.	Shri Hans Raj, s/o Ganga Ram, village Ranjitgarh	Ditto	Do
410.	Shri Sarup Singh, s/o Santa Singh, village Ranjitgarh	Ditto	Do
411.	Shri Balbir Singh, s/o Sawan Singh, village Chuga	Ditto	Do
412.	Shri Bhagta Singh, s/o Gurdit Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
413.	Shri Sujan Singh, s/o Bahadur Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
414.	Shri Bishan Singh, s/o Bhambo Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
415.	Shri Kishan Singh, s/o Ranga Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
416.	Shri Jaga Singh, s/o Biru Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
417.	Shri Pathana Singh, s/o Nihal Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
418.	Shri Kushal Singh, s/o Jethu Singh, village Thathehranwala	Ditto	Do
419.	Shri Labh Singh, s/o Shangara Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
420.	Shri Milkha Singh, s/o Mehtab Singh, village Bula Rai	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd.*		
421.	Shri Mangh Singh, s/o Bhola Singh, village Bula Rai	Taccavi Loan	Fertilizer
422.	Shri Saiana Singh, s/o Mehan Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
423.	Shri Sunder Singh, s/o Ranga Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
424.	Shri Bhola Singh, s/o Sohan Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
425.	Shri Hakam Singh, s/o Nagar Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
426.	Shri Kehar Singh, s/o Babu Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
427.	Shri Bishan Singh, s/o Pannu Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
428.	Shri Baga Singh, s/o Munsha Singh, village Mohanke	Ditto	Do
429.	Shri Suraj, s/o Magha, village Mohanke	Ditto	Do
430.	Shri Inder Singh, s/o Nagar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
431.	Shri Baj Singh, s/o Pathana Singh, village Mohanke	Ditto	Do
432.	Shri Surain Singh, s/o Bahadur Singh, village Mohanke	Ditto	Do
433.	Shri Kanshi Singh, s/o Inder Singh, village Mohanke	Ditto	Do
434.	Shri Wasawa Singh, s/o Buta Singh, village Mohanke	Ditto	Do
435.	Shri Chanan Singh, s/o Labh Singh, village Mohanke	Ditto	Do
436.	Shri Natha Singh, s/o Sunder Singh, village Mohanke	Ditto	Do
437.	Shri Bagha Singh, s/o Gudar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
438.	Shri Dewan Singh, s/o Bahadur Singh, village Mohanke	Ditto	Do
439.	Shri Sodagar Singh, s/o Nihal Singh, village Mohanke	Ditto	Do
440.	Shri Inder Singh, s/o Jawala Singh, village Mohanke	Ditto	Do
441.	Shri Kushia Singh, s/o Hira Singh, village Mohanke	Ditto	Do
442.	Shri Santa Singh, s/o Wadhava Singh, village Mohanke	Ditto	Do
443.	Shri Chamba Singh, s/o Fatta Singh, village Mohanke	Ditto	Do
444.	Shri Ujagar Singh, s/o Pritam Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
445.	Shri Reshma Singh, s/o Baga Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—contd.		
446.	Shri Lehna Singh, s/o Atu Singh, village Bulla Rai	Taccavi Loan	Fertilizer
447.	Shri Kansa Singh, s/o Mehtab Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
448.	Shri Bagal Singh, s/o Paho Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
449.	Shri Narain Singh, s/o Paho Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
450.	Shri Labh Singh, s/o Ranga Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
451.	Shri Santa Singh, s/o Mohna Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
452.	Shri Mahanga Singh, s/o Fata Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
453.	Shri Hakam Singh, s/o Ram Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
454.	Shri Bishan Singh, s/o Nadar Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
455.	Shri Wazir Singh, s/o Sohan Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
456.	Shri Ram Singh, s/o Jhanda Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
457.	Shri Labh Singh, s/o Hakam Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
458.	Shri Bura Singh, s/o Nanak Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
459.	Shri Matta Ram, s/o Malu Ram, village Mohanke Utar	Ditto	Do
460.	Shri Nila Ram, s/o Jaga Ram, village Mohanke Utar	Ditto	Do
461.	Shri Rukna, s/o Chhanga, village Mohanke Utar	Ditto	Do
462.	Shri Tek Singh, s/o Kahan Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
463.	Shri Basir Singh, s/o Jallu, village Mohanke Utar	Ditto	Do
464.	Shri Patana Singh, s/o Fatta Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
465.	Shri Madan, s/o Kamala, village Mohanke Utar	Ditto	Do
466.	Shri Suraj, s/o Jallu, village Mohanke Utar	Ditto	Do
467.	Shri Buria, s/o Jhanda Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
468.	Shri Dulla Singh, s/o Pathana Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
469.	Shri Milkha Singh, s/o Khushia Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do
470.	Shri Kartar Singh, s/o Bagal Singh, village Mohanke Utar	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—contd.		
471.	Shri Mohinder Nath, s/o Bashamber Nath, village Jandwala	Taccavi Loan	Fertilizer
472.	Shri Jagir Singh, s/o Nihal Singh, village Saidoke	Ditto	Do
473.	Shri Ujagar Singh, s/o Duma Singh, village Mohanke	Ditto	Do
474.	Shri Fauja Singh, s/o Jawahar Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
475.	Shri Dogar Singh, s/o Bhao Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
476.	Shri Joga Singh, s/o Jhanda Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
477.	Shri Hamir Singh, s/o Fauja Singh, village Mohanke	Ditto	Do
478.	Shri Khushal Singh, s/o Narain Singh, village Mohanke	Ditto	Do
479.	Shri Kartar Singh, s/o Bahadur Singh, village Mohanke	Ditto	Do
480.	Shri Surjan Singh, s/o Bhur Singh, village Mohanke	Ditto	Do
481.	Shri Santa Singh, s/o Bagga Singh, village Mohanke	Ditto	Do
482.	Shri Nihal Singh, s/o Kishan Singh, village Mohanke	Ditto	Do
483.	Shri Munshi Singh, s/o Sunder Singh, village Mohanke	Ditto	Do
484.	Shri Khushal Singh, s/o Sunder Singh, village Mohanke	Ditto	Do
485.	Shri Gulab Singh, s/o Jassa Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
486.	Shri Nagar Singh, s/o Deva Singh, village Bula Rai	Ditto	Do
487.	Shri Shankar Singh, s/o Sohawa Singh, village Jandwala	Ditto	Do
488.	Shri Narain Singh, s/o Chanan Singh, village Mohanke	Ditto	Do
489.	Shri Sham Singh, s/o Mohan Singh, village Jandwala	Ditto	Do
490.	Shri Atma Singh, s/o Jallu Ram, village Mohanke	Ditto	Do
491.	Shri Kishan Singh, s/o Ladhu Singh, village Mohanke	Ditto	Do
492.	Shri Ishar Singh, s/o Bishan Singh, village Mohanke	Ditto	Do
493.	Shri Hakam Singh, s/o Tulsi Singh, village Mohanke	Ditto	Do
494.	Shri Gama Singh, s/o Hira Singh, village Mohanke	Ditto	Do
495.	Shri Teja Singh, s/o Nadar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
496.	Shri Bishan Singh, s/o Gulab Singh, village Mohanke	Ditto	Do

Serial No.	Name and Address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	GuruHar Sahai Block—*contd*		
497.	Shri Phuman Singh, s/o Jhandu Singh, village Mohanke	Taccavi Loan	Fertilizer
498.	Shri Guddar Singh, s/o Panju Singh, village Mohanke	Ditto	Do
499.	Shri Bishan Singh, s/o Pannu Singh, village Mohanke	Ditto	Do
500.	Shri Daulat Singh, s/o Narain Singh, village Mohanke	Ditto	Do
501.	Shri Gorial Singh, s/o Panj Singh, village Mohanke	Ditto	Do
502.	Shri Pira Singh, s/o Balanda, village Mohanke	Ditto	Do
503.	Shri Sher Singh, s/o Nagar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
504.	Shri Sarain Singh, s/o Nagar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
505.	Shri Mangat Singh, s/o Guddar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
506.	Shri Lehan Singh, s/o Nadar Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
507.	Shri Pia Singh, s/o Hakam Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
508.	Shri Inder Singh, s/o Lehna Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
509.	Shri Banka Singh, s/o Hira Singh, village Mohanke	Ditto	Do
510.	Shri Jammu, s/o Bahadur, village Mohanke	Ditto	Do
511.	Shri Jhanda Singh, s/o Jawahar Singh, village Mohanke	Ditto	Do
512.	Shri Wazir Singh, s/o Balanda, village Mohanke	Ditto	Do
513.	Shri Hakam Singh, s/o Nadar Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
514.	Shri Inder Singh, s/o Lehna Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
515.	Shri Sain Singh, s/o Mehna Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
516.	Shri Nadar Singh, s/o Kishan Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
517.	Shri Vir Singh, s/o Mehar Singh, village Saidoke	Ditto	Do
518.	Shri Avtar Singh, s/o Thakur Singh, village Saidoke	Ditto	Do
519.	Shri Kishan Singh, s/o Lehna Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
520.	Shri Makhan Singh, s/o Gurdit Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
521.	Shri Inder Singh, s/o Kehar Singh, village Saidoke	Ditto	Do
522.	Shri Ujagar Singh, s/o Sher Singh, village Saidoke	Ditto	Do

Serial No.	Name and Address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd*		
523.	Shri Mehar Singh, s/o Bishan Singh, village Swah Wala	Taccavi Loan	Fertilizer
524.	Shri Jagtar Singh, s/o Sada Singh, village Swah Wala	Ditto	Do
525.	Shri Bagh Singh, s/o Sher Singh, village Chak Saidoke	Ditto	Do
526.	Shri Mukand Singh, s/o Jai Singh, village Chak Saidoke	Ditto	Do
527.	Shri Mangal Singh, s/o Fatta Singh, village Bulla Rai	Ditto	Do
528.	Shri Anup Singh, s/o Asa Singh, village Rakhmir	Ditto	Do
529.	Shri Shamsher Nath, s/o Bawa Bashmber Nath, village Jandwala	Ditto	Do
530.	Shri Chamba Ram, s/o Fata Ram, village Mohanke	Ditto	Do
531.	Shri Sunder Singh, s/o Ram Singh, village Mohanke	Ditto	Do
532.	Shri Sodagar Singh, s/o Nihal Singh, village Mohanke	Ditto	Do
533.	Shri Mohan Ram, s/o Bula Ram, village Mohanke	Ditto	Do
534.	Shri Gurdev Singh, s/o Kirpal Singh, village Saidoke	Ditto	Do
535.	Shri Sodagar Singh, s/o Hardev Singh, village Chhanga Rai	Ditto	Do
536.	Shri Kesar Singh, s/o Dulla Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
537.	Shri Jagjit Singh, s/o Bagel Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
538.	Shri Kirpal Singh, s/o Sucha Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
539.	Shri Jaspal Singh, s/o Sucha Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
540.	Shri Khushia Singh, s/o Munsha Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
541.	Shri Kesar Singh, s/o Nagar Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
542.	Shri Nand Singh, s/o Bhagwan Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
543.	Shri Bakhtawar Singh, s/o Jagat Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
544.	Shri Malkiat Singh, s/o Balbir Singh, village Theh Gujjar	Ditto	Do
545.	Shri Wazir Singh, s/o Sohana Singh, village Theh Gujjar	Ditto	Do
546.	Shri Jagir Singh, s/o Sohana Singh, village Theh Gujjar	Ditto	Do
547.	Shri Tejinder Singh, s/o Jasmar Singh, village Dilla Ram	Ditto	Do
548.	Shri Tara Singh, s/o Mangal Singh, village Dilla Ram	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd*		
549.	Shri Jagtar Singh, s/o Kapur Singh, village Dilla Ram	Taccavi Loan	Fertilizer
550.	Shri Shangara Singh, s/o Sher Singh, village Dilla Ram	Ditto	Do
551.	Shri Nazir Singh, s/o Bishan Singh, village Kohar Singh Wala	Ditto	Do
552.	Shri Sarain Singh, s/o Kehar Singh, village Jiwan Arain	Ditto	Do
553.	Shri Hoshiar Singh, s/o Deva Singh, village Chak Kathgarh	Ditto	Do
554.	Shri Jawara Ram, s/o Soba Ram, village Rakhmir	Ditto	Do
555.	Shri Chumba Ram, s/o Jiwan Ram, village Amir Khas	Ditto	Do
556.	Shri Labh Singh, s/o Wazir Singh, village Burwala	Ditto	Do
557.	Shri Hardit Singh, s/o Khazan Singh, village Saidoke	Ditto	Do
558.	Shri Aurjan Singh, s/o Mehma Singh, village Rehme Shah Bodla	Ditto	Do
559.	Shri Munsha Singh, s/o Mehna Singh, village Rehme Shah Bodla	Ditto	Do
560.	Shri Hakam Singh, s/o Dyal Singh, village Malik Zada	Ditto	Do
561.	Shri Kartar Singh, s/o Khushal Singh, village Malik Zada	Ditto	Do
562.	Shri Makhan Singh, s/o Jawar Singh, village Malik Zada	Ditto	Do
563.	Shri Ram Chand, s/o Ketu Ram, village Buran Bhatti	Ditto	Do
564.	Shri Hukam Chand, s/o Labh Chand, village Buran Bhatti	Ditto	Do
565.	Shri Nadar Singh, s/o Hakam Singh, village Shama-din Chisti	Ditto	Do
566.	Shri Jiwa Ram, s/o Jassa Ram, village Pir Bux Chohan	Ditto	Do
567.	Shri Banta Singh, s/o Sohan Singh, village Pir Bux Chohan	Ditto	Do
568.	Shri Lakhman Singh, s/o Sohan Singh, village Pir Bux Chohan	Ditto	Do
569.	Shri Hushnik Rai, s/o Dewan, village Megha Rai	Ditto	Do
570.	Shri Sodagar Ram, s/o Chanan Ram, village Megha Rai	Ditto	Do
571.	Shri Karnail Singh, s/o Sudarshan Singh, village Megha Rai	Ditto	Do
572.	Shri Mehanga Ram, s/o Sodagar Ram, village Amir Khas	Ditto	Do
573.	Shri Chanan Ram, s/o Jiwan Ram, village Amir Khas	Ditto	Do
574.	Shri Nirmal Chand, s/o Fateh Chand, village Amir Khas	Ditto	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*contd*		
575.	Shri Karam Chand, s/o Buta Ram, village Bodalke Uttar	Taccavi Loan	Fertilizer
576.	Shri Dula Ram, s/o Dargai Ram, village Pir Bux Chohan	Ditto	Do
577.	Shri Pathana Singh, s/o Chandri Singh, village Ghulla	Ditto	Do
578.	Shri Jai Dyal, s/o Bulaki Ram, village Tarpalke	Ditto	Do
579.	Shri Chaudhri Gobind Ram, s/o Bulaki Ram, village Tarpalke	Ditto	Do
580.	Shri Balwant Rai, s/o Rai Chand, village Tarpalke	Ditto	Do
581.	Shri Daljit Singh, s/o Daulat Ram, village Mehmojoya	Ditto	Do
582.	Shri Balwant Singh, s/o Chanan Ram, village Mehmojoya	Ditto	Do
583.	Shri Jagga Singh, s/o Hakam Singh, village Amir Khas	Ditto	Do
584.	Shri Kartar Singh, s/o Teja Singh, village Kehar Singh Wala	Ditto	Do
585.	Shri Jagjit Singh, s/o Dian Singh, village Chak Kala Singh Wala	Ditto	Do
586.	Shri Jograj Singh, s/o Ram Singh, village Chaudhri Jawahar Singh Wala	Ditto	Do
587.	Shri Om Parkash, s/o Ghamandi Ram, village Roranwala	Ditto	Do
588.	Shri Balbir Singh, s/o Partap Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Well
589.	Shri Hardial Singh, and Karpal Singh, sons of Shri Ujagar Singh, village Jhariwala	Ditto	Do
590.	Shri Bahal Singh, Karam Singh, Lal Singh, sons of Shri Isher Singh, village Chak Jamiat Wala	Ditto	Do
591.	Shri Kartar Singh, village Chak Saidoke	Ditto	Do
592.	Shri Narain Singh, village Jawahare-wala	Ditto	Do
593.	Shri Gulab Singh Sodhi, village Ranjitgarh	Ditto	Do
594.	Shri Jagjittar Singh, village Jawahar-wala	Ditto	Do
595.	Shri Bhaghel Singh, s/o Dasondha Singh, village Lalchian	Ditto	Do
596.	Shri Mala Singh, s/o Darshan Singh, village Ghanga Khurd	Ditto	Do
597.	Shri Sudarshan Singh, s/o Ujagar Singh, village Guru Har Sahai	Ditto	Do
598.	Shri Jassa Singh, village Lohra Nawab Singh	Ditto	Do
599.	Shri Ujagar Singh, s/o Harnam Singh, village Jhariwala	Tube-well	Do

Serial No.	Name and address of the person	Grants/Taccavi Loans	Purpose
1	2	3	4
	Guru Har Sahai Block—*concld*		
600.	Shri Kultar Singh, s/o Ujagar Singh, village M.P.S. Guru Har Sahai	Well	Eteilizer
601.	Shri Surain Singh, s/o Gurdit Singh, village Khapianwali	Pumping-set	Do
602.	Shri Balwant Singh, s/o Surain Singh, village Lepon	Well	Do
603.	Shri Kishan Singh, s/o Lehna Singh, village Ghanga Khurd	Do	Do
604.	Shri Amar Singh, s/o Kapur Singh, village Khapianwali	Taccavi Loan	Do
605.	Shri Mangal Singh, s/o Nagin Singh, village Ranjitgarh	Ditto	Do

AUDIT REPORTS OF THE PANIPAT CO-OPERATIVE SUGAR MILLS, PANIPAT

887. Chaudhri Inder Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state the contents of the audit reports for the year 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, of the Panipat Co-operative Sugar Mills, Panipat together with the action, if any, taken in regard thereto ?

Sardar Partap Singh Kairon : (i) The time and labour involved in preparing copies of the audit reports each of which is about 150 pages in length will not be commensurate with the benefit obtained. The reports may, however, be inspected in the office of the Registrar, Co-operative Societies, Punjab.

(ii) The matter with regard to consideration of the audit reports is being referred to the Board of Administrators of the mills which is managing the affairs of the mills in place of the Board of Directors which has been superseded.

SALES TAX ASSESSED AGAINST THE MANAGEMENT OF GUM GOWAR FACTORY, BHIWANI.

***2069. Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Sales Tax or Purchase Tax for more than Rs. one lakh was imposed or assessed by the sales tax authorities, Hissar District against the management of Gum Gowar Factory, Bhiwani, District Hissar, during the period from 1st January, 1961, to-date, if so, the date when the tax was assessed and the amount thereof ;

(b) whether it is also a fact that the management of the said Factory preferred an appeal before the higher authorities competent to hear the appeals of Sales Tax and Purchase Tax, if so, the date when the appeal was filed, the date, when it was heard and the place where the hearing took place ;

(c) whether it is also a fact that the appeal of the above-said factory has been accepted, if so, when and by whom ;

(d) a copy of the appeal be laid on the Table of the House ;

(e) whether the amount assessed as Sales Tax or Purchase Tax was deposited by the factory-owners before preferring an appeal ; if so, when ; and if not deposited, the reasons therefor ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : (a) No, does not arise.

(b) Yes, the dealer preferred appeals in the Court of Deputy Excise and Taxation Commissioner, Ambala Division, on 30th November, 1961 and 5th July, 1962 against the assessment orders relating to the years 1958-59 and 1959-60 respectively. The appeal for 1958-59 was filed on 20th November, 1962, as it was withdrawn by the dealer. The appeal for the year 1959-60 was summarily rejected on 1st November, 1962 at Ambala.

(c) No, does not arise.

(d) Under Section 26 of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, all information given by an assessee is treated as confidential and its disclosure is treated as an offence. So, the copy of the grounds of appeal cannot be furnished.

(e) No. As regards other matters, the information is not liable to disclosure for reasons stated above.

REGISTERED FACTORIES AT PATIALA

750. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of all the registered factories at present at Patiala along with the nature of industry which these are engaged in ;

(b) the number of workers employed at present in each of the said factories ;

(c) the quantity of coal and raw material allotted to each of the said factories ?

The answer to Unstarred Vidhan Sabha Question No. 750 appearing in the list of Unstarred Questions for 18th March, 1963 in the name of Comrade Bhan Singh Bhaura, M. L. A. is not ready. The reply will be sent as soon as the relevant information has been collected.

Sd/- (Partap Singh)
Chief Minister, Punjab.

The Speaker,

Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 2147-I.C.B.-63, dated Chandigarh, the 15th/16th March, 1963.

Note.—St. Q. No. 2069 treated as Unstarred Question.

FERTILIZERS PERMITS GIVEN IN TEHSILS FAZILKA AND FEROZEPORE

867. **Guru Jaswant Singh** : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the names and addresses of persons in tehsils Ferozepore and Fazilka to whom fertilizer permits were given during the period from January, 1960 to February, 1963 together with the number of bags and weight of fertilizers given to each of them ;

(b) the authorities granting these permits ;

(c) the names and addresses of the persons making the attestation therefor ;

(d) the area and details of land in possession of each of the persons to whom the said permits were given ;

(e) whether any verification about the proper utilization of the fertilizers received by the persons mentioned in part (a) above was made by the authorities concerned ; if so, the nature of reports, if any, made by them ?

Subject:—Assembly Question No. 867 (Unstarred)

The answer to Assembly Question No. 867 appearing in the list of Unstarred Questions for the 18th March, 1963, in the name of Guru Jaswant Singh, M. L. A. is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/- (Gurbanta Singh)

Agriculture and Welfare Minister.

To

The Secretary,

Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. A Q-68-FP (III)-63/1954, Chandigarh, dated the 15th March, 1963.

790 P.V.S.—20-6-63—387—C., P. & S., Pb., Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

19th March, 1963

Vol. I—No. 18

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 19th March, 1963

Price Rs. 4.50

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 18, DATED THE 19TH MARCH, 1963.

Read	*For*	*on page*	*line*
1963	19633	(18)12	heading
of this	oft his	(18)19	30
sanction	snaction	(18)20	8
Minister for Irrigation and Power	Minister for Irrigation and Press	(18)24	1
although	althongh	(18)24	13th from below
Diesel	Diesal	(18)24	3rd from below
unserviceable	unservicable	(18)25	30
pleased	pleasd	(18)31	3
state	st te	(18)31	3
arrangement	arrangem nt	(18)31	8
previously	pr viously	(18)31	13
state	st te	(18)31	32
established	establis ed	(18)31	37-38
satisfactory	s tisfactory	(18)31	3rd from below
state	st te	(18)32	3
year	ye r	(18)32	6
capital	capit l	(18)32	14
ਇਸੇ	ਸੇ	(18)50	11
ਜਾਵੇਗੀ	ਜ ਵੇਗੀ	(18)50	12
यकजहती	यकचहती	(18)67	6th from below
आबादी	आजादी	(18)68	7
ਦਸਣੇ	ਦਸੇਣੇ	(18)76	26
ਮਹੀਨਿਆਂ	ਮਹਿਨੀਆਂ	(18)77	14
ਸਾ ਢੇ	ਸਾਡੇ	(18)80	17
ਲੜਕੀ	ਦੇੜਕੀ	(18)81	22
ਇੰਡੀਅਨ	ਇਡੀਅਨ	(18)86	13

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 19th March, 1963

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Prabodh Chandra) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

FILLING UP VACANCIES OF J.B.T. TEACHERS

*1099. **Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal** : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the total number of vacancies of J.B.T. Teachers/Teachresses, district-wise, as on 1st April, 1962 ;

(b) the total number of the said vacancies filled up so far, district-wise, and the number of trained/untrained teachers, separately, posted against each vacancy ;

(c) whether it is a fact that the District Inspectors/Inspectresses of Schools have been provided with a list of J.B.T. Teachers/ Teachresses selected for appointment by the Subordinate Services Selection Board ; if so, the district-wise number of Teachers/Teachresses on these lists ;

(d) whether it is also a fact that untrained Teachers/Teachresses have been appointed in preference to Trained Teachers/ Teachresses ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House:—*vide* (columns 3 and 4).

(c) Yes. *Vide* column 5 of the statement.

(d) No.

Serial No.	Name of District	Total No. of vacancies of J.B.T. teachers/ teachresses District-wise as on 1st April, 1962	Total No. of said vacancies filled so far and the No. of trained/untrained teachers posted		No. of J.B.T. teachers Supplied by S.S.S. Board
			Trained	Untrained	
1	2	3	4	5	6
1	Bhatinda ..	298	127	170	122
2	Patiala ..	688	161	527	171
3	Mohindergarh ..	383	97	284	94
4	Sangrur ..	674	186	488	149
5	Hoshiarpur ..	335	228	107	228
6	Jullundur ..	289	116	173	224
7	Amritsar ..	500	199	301	256
8	Kangra ..	742	315	427	180
9	Gurdaspur ..	434	162	272	158
10	Ludhiana ..	16	16	..	338
11	Ferozepur ..	566	218	348	228
12	Kapurthala ..	177	67	110	58
13	Ambala ..	359	251	108	326
14	Karnal ..	601	375	226	244
15	Rohtak ..	605	398	204	275
16	Hissar ..	367	162	191	172
17	Gurgaon ..	402	262	140	257

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 688 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 171 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 161 ਰਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਦਮੀ ਅਨਟਰੇਂਡ ਕਿਉਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਸਟਾਫ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਟ੍ਰੇਂਡ ਆਦਮੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬੋਰਡ ਆਦਮੀ ਘਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਰਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ. ਏ. ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰਖੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈਏ। ਐਮ. ਏ. ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

Mr. Speaker : The hon. Member's supplementary is why 161 candidates were appointed when S.S.S. Board had sent a list of 171 trained personnel?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। I cannot say off hand.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।

Mr. Speaker : I think it is better to give a fresh notice. That point has been overlooked.

ACCOMMODATION ETC. IN CERTAIN GOVERNMENT SCHOOLS AT NARNAUND, DISTRICT HISSAR

***2174. Shri Amar Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is paucity of accommodation and of teachers in Government High school, Government Junior Basic Training School, Government Middle School for Girls and Government Primary School for Boys at Narnaund, district Hissar;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether Government propose to provide more accommodation for the said schools and also to increase the number of teachers therein; if so, when ;

(c) whether any amount was sanctioned for providing additional rooms in those schools; if so, whether this amount has since been spent for the purpose ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) The deficiencies have come to notice recently and necessary steps are being taken to remove them.

(c) No.

श्री अमर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहिब जल्दी से जल्दी वहां कमरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

Mr. Speaker : It has been replied by the hon. Chief Minister that necessary steps are being taken in this connection.

CULTIVATED WASTE LAND AND ITS RECLAMATION

***2016. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the area of cultivable waste land in the State, district-wise, at present;

(b) the steps taken or proposed to be taken by Government for the reclamation of such cultivable lands ;

(c) whether Government allocated any money for the reclamation of cultivable land in Hoshiarpur district during the past 3 years; if so, how much ;

(d) the amount spent for reclamation of such land in Una Tehsil and the area so reclaimed ;

(e) whether Government have chalked out any plan for the reclamation of cultivable land in Una Tehsil ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(b) There are the following two schemes under operation in the State for this purpose—

(i) Reclamation of culturable waste lands through heavy machinery.

(ii) Reclamation of culturable waste lands through manual labour and bullock power.

(c) *Part I.*—No allocation was made during the years 1960-61, 1961-62 and 1962-63.

Part II.—Does not arise.

(d) Nil.

(e) No.

Statement showing district-wise data of culturable waste land in the Punjab State.

Area in acres.

District		Area of culturable Waste land
Hissar	..	7,034
Rohtak	..	99,034
Gurgaon	..	3,324
Karnal	..	137,382
Ambala	..	57,353
Simla	..	12,922
Kangra	..	165,728
Lahaul and Spiti	..	4,000
Hoshiarpur	..	12,157
Jullundur	..	724
Ludhiana	..	49,601
Ferozepore	..	123,811
Amritsar	..	140,310
Gurdaspur	..	..
Kapurthala	..	49,816
Bhatinda	..	16,085
Mahendragarh	..	54,669
Patiala	..	56,320
Sangrur	..	70,222
Total	..	10,60,492

पण्डित मोहन लाल दत्त : इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि होशियारपुर में 12,157 एकड़ ज़मीन वेस्ट पड़ी है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस जिले को रेक्लेमेशन ग्रांट से महरूम रखने की क्या वजह है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਬਾਕੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

पण्डित मोहन लाल दत्त : क्या यह अमर वाक्या है कि तहसील ऊना में काफी मैदानी बंजर ज़मीन भी है। उस को रीक्लेम करवाने के लिए क्या इन्तज़ाम किया गया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

SEED FARM ASPAL, DISTRICT FEROZEPORE

***2204. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the names of the tenants, with full addresses, who cultivated land of Aspal Seed Farm, district Ferozepur during 1960-61, 1961-62 and 1962-63 ;

(b) whether the land referred to above is being cultivated by the Staff of the Agriculture Department, at present; if so, under what circumstances ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) 1960-61. Land was purchased in March, 1961, so no tenant engaged.

1961-62.—Sarvshri Darshan Singh, Gurnam Singh, sons of Sardar Chanan Singh of Village Khewoli, tehsil Muktsar.

1962.63. Sarvshri Gurdial Singh, Tara Singh of village Sarhali, district Amritsar.

(b) Yes. The matter is being investigated. Action will be taken against the official at fault.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤ ਨੌਕਰ ਰਖਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤ ਉਹ ਆਪ ਆਦਮੀ ਰਖਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

DEFECTIVE BUNDS ON RIVER JUMNA IN GURGAON DISTRICT

***2390. Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that 11 bunds constructed at Jumna River, Gurgaon District have damaged the Khaddar area severely and eroded there;

(b) whether there is approval to construct an other bund at Jumna River with a view to saving the 12 villages of Khaddar area which come under the grip of Jumna Flood every year thus causing loss of property and damage to crop;

(c) whether the bund of Zeharwalla which was washed away during the last rainy season has so far been constructed; if not, the reasons thereof

(d) what steps Government propose to take for the safety of said villages during the coming rainy season ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Eleven bunds were constructed in different creaks in Khaddar area which have usefully served the purpose. People of this area had the kharif crop for the first time and demand for replenishment of these bunds has been put forward by the Public of the area.

(b) Proposals to construct another bund near village Chawsa is under consideration of the Government.

(c) The bunds on the various Nallas were provided for silting the creeks. In the process of silting up, the second bund of Zehar Nalla got partly damaged after serving its purpose. However, the partly damaged bund being replenished and extended beyond the creek by about 250.

(d) Along range protection of the right Bank of River Jumna in this area is under consideration.

श्री रूप लाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय कृपा करके बताएंगे कि आए साल बाढ़ से जो नुक्सान होता है उसके पेशे नज़र जमना पर एक ही दफा बान्ध क्यों नहीं बान्ध दिया जाता ताकि मुश्किलात से निजात मिले ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already replied that the matter is under consideration.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमना पर काम करने का सम्बन्ध है उसके अन्दर जमना कमेटी आती है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के, यू0 पी0 गवर्नमेंट के और सेंटर के नुमायंदे हैं। जब तक वहां पर स्कीम मंज़ूर नहीं हो जाती तब तक कोई काम नहीं हो सकता।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जब पंजाब गवर्नमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करके आखरी फैसला करती है तो कब तक इस बात को किया जाएगा ?

मन्त्री : भविष्य के लिए मैं कैसे बता सकता हूँ ?

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न हो रहा है ताकि जल्दी से जल्दी लोग इस से होने वाले नुक्सान से बच सकें ?

मन्त्री : स्कीमें बन रही हैं। यह एक लम्बा चौड़ा सिलसिला है लेकिन भविष्य के बारे में कोई क्या कह सकता है। वह तो भगवान के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, गवर्नमेंट की कुछ 'लांग रेंज स्कीमें' होती है सभी कुछ भगवान पर नहीं छोड़ा जा सकता। (Addressing Minister for Irrigation and Power) There are certain long range schemes of the Government. After all everything cannot be left to Providence.)

मन्त्री : मैं अर्ज़ करूं कि कोशिश करना हमारा फर्ज़ है और कोशिश कर रहे हैं।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस सारे काम के लिए कोई टाईम लिमिट तै की है ताकि उस के बाद लोगों को इस मुसीबत से राहत मिले?

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता। अभी तो वह बात चल रही है।

Mr. Speaker : The hon. Minister should not assume the powers of the Chair. It is for the Chair to decide whether a supplementary arises or not. The hon. Minister can say that plans are under consideration, etc.

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब तो मुझे देना है। मैंने सवाल का ही जवाब दिया है।

कामरेड राम प्यारा : क्या इरीगेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जैसा उन्होंने फरमाया है कि जमना कमेटी के पास स्कीम को भेजना पड़ता है, क्या बताया जा सकता है कि कब जमना कमेटी को यह स्कीम भेजी और अगर भेजी तो पंजाब के रिप्रेजैंटेटिव होते हुए आप ने कब इसे उन के साथ डिस्कस किया और क्या फैसला हुआ ?

श्री रूप लाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सोलहड़ा गांव को वहां से उठाने का फैसला हुआ था क्योंकि वह जमना के पानी में घिर जाता है......

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इस से कैसे पैदा होता है ? (How does this supplementary arise from the main question ?)

SUB-ELECTRIC PROJECT FOR VILLAGES KADMA AND BAWANIA, DISTRICT MOHINDERGARH

***2560. Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Sub-Electric Project for the villages Kadma and Bawania, district Mohindergarh has been sanctioned by the Electricity Board; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes.

(b) The electrification work is proposed to be taken up in the subsequent years depending upon the availability of funds.

श्री बनवारी लाल : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि ये फंड्ज़ कब तक 'अवेलेबल' हो जाएंगे ?

Mr. Speaker: How can he say about that ?

DISTRIBUTION OF LAND AMONG SCHEDULED CASTES, BACKWARD CLASSES, ETC.

***1812. Babu Ajit Kumar** : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the total area of Government owned land in the State so far distributed among or leased out to Scheduled Castes, Backward Classes, Vimukat Jatis and other landless tribes, tehsil-wise together with the terms and conditions on which it has been distributed or leased to them;

(b) whether Government has finalized any scheme for the distribution of land among scheduled castes and other landless agricultural workers in the State, if so, the details thereof ?

Sardar Ajmer Singh (Revenue Minister) (a) and (b) The information is laid on the Table of the House.

Statement showing the distribution of Government owned land among Scheduled Castes, Backward Classes etc.

Serial No.	Name of District	Names of Tehsils with the area of land						Total	Terms and conditions
1	Hoshiarpur ..	Hoshiarpur A K M 1,827 4 15	Garhshankar A K M 933 0 0	Una A K M ..	Dasuya A K M 351 0 0	A K M		A K M 3,111 4 15	Leased out as inferior evacuee land.
2	Patiala ..	Patiala 2,862 0 0	Nabha 488 0 0	Sirhind 717 0 0	Rajpura 2,143 0 0	Sub-Tahsil Payal 81 0 0	Amloh 211 0 0	6,502 acres	Transferred under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
		74	..	171 0 0	54 0 0	..	..	299 acres	Leased out on annual basis.
3	Gurdaspur ..			NIL					
4	Ferozepur ..	Ferozepur 308.97	Moga 84.71 acres	Zira 233.41 acres	Muktsar 49.89 acres	Fazilka 738.89 acres		1,415.87 acres	Transferred or leased out under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
5	Gurgaon ..	F. P.-Jhirka ..	Rewari 691 acres	Gurgaon 821 acres	Palwal 65 acres	Ballabgarh 18 acres	Nuh ..	1,595 acres	Leased out as inferior evacuee land.
		3	108 acres	7 acres	48 acres	299 acres	45 acres	510 acres	Leased out on yearly basis.
6	Kapurthala ..	Kapurthala 3,017 acres	Phagwara 2,711 acres					5,728 acres	Allotted under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
		2,800 acres	1,641 acres					4,441 acres	Allotment cancelled for non-payment of price.
7	Ludhiana ..	Ludhiana 11 acres	Jagraon ..	Samrala 38 acres				49 acres	Transferred under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
		73 acres	11 acres	11 acres				95 acres	Leased out on yearly basis.
		..	..	1,149 acres				1,149 acres	Leased out as inferior evacuee lands.
8	Ambala ..	Ambala 132 acres	Jagadhri 40 acres	Nalagarh 31 acres	Kharar ..	Rupar ..	Naraingarh 319 acres	203 acres	Transferred under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
		359 acres	572 acres	264 acres	332 acres	1,662 acres		3,508 acres	Leased out for 1962-63.
		34 acres	..	254 acres	..	..		288 acres	Leased out as inferior evacuee land.
9	Bhatinda ..	Faridkot 715 acres	Bhatinda 421 acres	Mansa 196 acres				1,332 acres	Leased out on annual basis.
		2,602 acres	1,337 acres	909 acres				4,848 acres	Allotted under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
10	Simla ..	Kandaghat 100 acres						100 acres	Ditto
		713 acres						713 acres	Leased out on annual basis.
11	Amritsar ..	Amritsar A K M 6 0 0	Ajnala A K M ..	Taran Taran A K M ..				6 acres	Allotted under Nazool Lands Transfer Rules, 1956
		1 6 4	1 1 5	2 2 4				A K M 5 1 13	Leased out on annual basis.
		..	383 27 0	..				383 27 0	Inferior evacuee lands, leased out.
12	Hissar ..	Bhiwani 1,254 acres	Hansi 24 acres	Hissar 167 acres	Fatehabad 398 acres	Sirsa 262 acres		2,105 acres	Leased out on annual basis.
13	Kangra ..	Palampur 0.33 acres	Dera Gopipur 415 acres	Kangra —	Hamirpur 7 acres	Kulu ..	Nurpur 118.18 acres	540.51 acres	Leased out on yearly basis, and as inferior evacuee lands also.
14	Jullundur ..	Jullundur 28 acres	Nakodar 670 acres	Phillaur 4,822 acres	Nawanshar 850 acres		Nirman Sub-Tahsil Big. Bis. Big. Bis. 53 4 53 4	6,370 acres	Leased out as inferior evacuee land.
15	Karnal ..	Kaithal A K M 80 7 17	Karnal A K M 120 7 10	Panipat A K M ..	Thanesar A K M 460 1 16			A K M 662 1 3	Leased out on yearly basis.
		45 5 8	1 6 6	63 5 10	82 6 4			193 7 8	Allotted under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
16	Sangrur ..	Jind 1,831 acres	Narwana 2,658 acres	Sangrur 3,476 acres	Barnala 1,949 acres	Malerkotla 498 acres		10,412 acres	Allotted under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.
17	Mahendragarh	Narnaul 55 acres	Mahendragarh 260 acres	Dadri 1,422½ acres				1,737½ acres	Ditto
18	Rohtak ..	Tahsil Jhajjar 2,790 acres						2,790 acres	Leased out on yearly basis.
		194 acres						194 acres	Allotted under Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956.

Note—Information in respect of Lahaul & Spiti District could not be collected for lack of means of communication due to its being snow bound.

(b) Yes. (i) Nazool lands are allotted to the members of Scheduled Castes on permanent basis under the provisions of Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956, on payment of its price equal to ninety times of land revenue or Rs. 200 per acre whichever is less, payable in 20 equal six monthly instalments.

(ii) Inferior evacuee lands purchased by the Punjab Government from the Government of India, Ministry of Rehabilitation situated within 10 miles of Indo-Pak Border in the Districts of Amritsar, Ferozepur and Gurdaspur were reserved for allotment to the Border Custees in connection with Indo-Pak Border Agreement. Fifty per cent of the remaining inferior ecvacuee lands are leased out to the members of Scheduled Castes and the remaining fifty per cent to other landless tenants of Backward Classes including Indian Christians and ex-servicemen. These lands are leased out for 10 years in the first instance on a very nominal lease money. The lessees have, however, the option to purchase the proprietary rights after five years on payment of its price fixed by Government less the lease money already paid by them.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਹਨ :

(i) Leasing out of Inferior land ;
(ii) Allotment of Nazool land on yearly basis, etc.

ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਚੂੰਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਕਈ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 90 ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਏਕੜ ਜੋ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇ, ਲੈਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰਕਮ ਦੇਕੇ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮੁਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਪਈ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਦਸ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਆਊਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। This is done keeping in view the military and defence point of view. ਉਥੇ ਗਏ ਸਿਖ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਰੀਜਨ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜੋ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਖਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਰੀਫ 1963 ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਨਆਥੋਰਾਇਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਛ ਮੁਕਰਰਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ **subject to the satisfaction of the claims of those persons which are still unsatisfied.** ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ (ਬੀ) ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਫਾਈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। This is inferior evacuee land purchased in the second lot. There was inferior evacuee land within ten miles of our border. We have purchased this land from the Central Government three times and we are disposing of that land according to the situation. The hon. Member is talking of Government waste land which is actually something different.

ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਤ : ਮੈਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਲੌਟ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀ.......

Mr. Speaker : It will lead us nowhere. I would suggest to the hon. members interested in this case to see the hon. Minister separately.

ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਖੱਡ, ਪੰਡੋਗਾ ਔਰ ਈਸਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ?

Minister : That is the evacuee waste land and not the inferior waste land that we are going to auction.

ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਟਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਏ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : The hon. Minister cannot be expected to give all the information off hand.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਇਵੈਕੁਈ ਲੈਂਡ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

Mr Speaker : Please don't say such things.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੈਂ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾ (2) ਦੀ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ oustees or others ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ-ਲੈਸ ਐਗਰੀਕਲ ਚਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਰਖੀ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣ ਯਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, not necessarily confined to the Harijans.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। They are as good cultivators as others are.

Babu Ajit Kumar : One supplementary question, Sir.

Mr. Speaker : Yes and this will be the last supplementary to this question.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਇਵੈਕੁਈ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੁਈ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, । ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਵੈਕੁਈ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਕਲਟੀਵੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। Waste is waste ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। That is under cultivation either on annual lease or on 10 years lease and in some cases leases were existing and in some cases leases were not existing.

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION 2279.

Mr. Speaker : Now we turn to Question No. *2279 printed on page 2 of the List of questions for 28th February, 1963. This question was answered yesterday, the 18th March, 1963. The hon. Members may ask supplementaries to this question.

श्री अमर सिंह : बिजली और सिचाई मंत्री महोदय ने सोथा गांव के पुल के बारे में फरमाया है । "........The cost of this bridge will be borne by the Department. The bridge is scheduled for construction during the year, 1967-68 as per approved phased programme subject to the availability of funds."

इन्होंने बताया है कि यह पुल 1967-68 तक बनेगा । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो उन्होंने जवाब दिया यह भगवान के हाथ में है या मन्त्री महोदय के हाथ में है ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्री : सरकार ने एक फेज़्ड प्रोग्राम बनाया है । यह पूरा कब होगा । यह मैं कैसे कह सकता हूं ।

श्री अमर सिंह : पिछले बजट सेशन में भी यही बताया था । इस बजट सेशन में भी यही फरमाया जा रहा है । यह पांच गांव के पुलों का सवाल है । तकरीबन 42,00

*Please See Debate Vol, 1 No. 17 Dated 18th March, 1963.

रुपया एक पुल के लिये जमा कर रखा है। दूसरे के लिये भी 4,200 रुपया जमा कर रखा है। तीसरे पुल के लिये 17,000 रुपया जमा किया हुआ है। यह रुपया उन लोगों ने जमा किया है। सरकार ज़मींदारों को कोई इंट्रैस्ट नहीं दे रही है; न पुलों का काम शुरु कर रही है। इस बारे में बताया जाए।

मन्त्री : इन सारी बातों का जवाब ब्यौरे में दे रखा है, माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : That is not the way to reply, वह कहते हैं कि लोगों ने अपना हिस्सा जमा कराया है। न उन को बयाज दिया जा रहा है और न ही पुल बनाया जा रहा है। (That is not the way to reply. They say that the people had deposited their share of the amount. But they are neither getting interest thereon nor is the bridge being constructed).

मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप ने सवाल......

श्री अध्यक्ष : The hon. Minister is going too far. I will not permit such replies. आप हर आदमी को कहते हैं कि सवाल नहीं पढ़ा... (The hon. Minister is going too far. I will not permit such replies. He tells every Member that he had not read the question ... ...)

मन्त्री : जनाब, मैं पढ़ कर सुना देता हूं।.....

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, जनाब इन्होंने कहा है कि स्पीकर साहिब ने सवाल पढा नहीं है। यह मुनासब नहीं है। मैं इन से दरखास्त करता हूं कि यह लफज वापस ले लें।

मन्त्री : नहीं मैं ने यह लफ़ज नहीं कहे, इन्होंने कहे हैं यह वापस लें।

श्री बलरामजी दास टंडन : एक मिनट के अन्दर ही इन्होंने गलतब्यानी कर दी है कि मैं ने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : वह भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं। यह कहने लगे थे मगर मैं ने रोक दिया। सारी बात कह नहीं पाये थे। (Both the hon. Members are right. I interrupted the Minister before he could complete the sentence.)

मन्त्री : जी हां। मैं ने तो अभी दो तीन शब्द ही कहे थे मगर इन्होंने इनफ़र कर लिया कि मैं यह कहने वाला था। इन को वापस लेने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : इस की कोई जरूरत नहीं, न वह वापस लें और न ही आप लें। (None of them need withdraw. There is no need for this.)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि आप ने कहा है कि लोगों ने पुलों के बारे में रुपया जमा कराया है। तो जो पुल कनसौलीडेशन की वजह से इधर उधर हो गए हैं क्या ऐसे पुलों के लिये पैसे जमा कराने की जरूरत है या नहीं ?

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं मान सकता हूं कि दोनों महकमों के अन्दर कोआर्डीनेशन की कोई कमी हो मगर नहर के महकमा का एक अलग तरीका है, अलग फैसला है जिस के मुताबिक यह काम करता है।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : हर बात में ऐसी बात न कहिये। आप से तो प्यार है। और चाहे कोई काम न हो कम से कम मेरी घर वाली का और आप का नाम तो एक ही है। (हंसी) आप तो यूंही टाल देते हैं। आप को पता कुछ नहीं। (अपोज़ीशन द्वारा तालियां) आप डैफेनिटली बताएं कि कनसौलीडेशन के महकमे ने जो रास्ते बनाए हैं उन की वजह से नहरों पर जो पुल और माइनर्ज़ इधर उधर हो गये हैं उन के बारे में नहर के महकमे की क्या पोज़ीशन है? (विघ्न)

मन्त्री : इस की महकमा नहर ज़िम्मेदारी नहीं लेता।

श्री अमर सिंह : वज़ीर साहिब ने कहा कि जवाब पढ़ा नहीं। मैं अब पढ़ देता हूं—

> "**Sindhar** :,The residents of the Sindhar village have requested for the construction of bridge at R.D. 12500 Kharkhari distributary. The cost of the bridge has to be shared half and half by the Department and the beneficiaries. The beneficiaries have deposited their share of cost. The construction of the bridge is being taken up and it will be completed within this financial year."

मैं मन्त्री महोदय को बताता हूं कि उन लोगों ने चार साल हुए 4,200 रु० जमा कराया था मगर वहां पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई?

श्री अध्यक्ष : मैं ने पढ़ा है, इन्होंने शायद देखा नहीं। इस में साफ लिखा है कि आधा सरकार ने देना है और आधा रुपया लोगों ने देना है। लोगों ने आधा हिस्सा जमा करा दिया है। आप कहते हैं कि इस फिनांशियल ईयर में बना देंगे मगर वहां तो वह कहते हैं कि एक ईंट भी नहीं रखी और बाकी सिर्फ दस दिन रह गए हैं। तो क्या यह बनाने हैं या नहीं? (I have read it, the Minister has probably overlooked it. It is clearly written that the cost is to be shared half and half between the people and the Government. The people have deposited their share. The hon. Minister says that it will be constructed within this financial year but the Member states that the work has not even been started and there are only ten days left when the financial year will be over. Are these bridges to be constructed or not?)

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, पहला जो सवाल इन्होंने किया था वह No. 3 के बारे में था और जो रुपया भेजा था वह दूसरे नम्बर के बारे में था, नं० 3 के बारे में मैं ने कहा है कि उन्होंने पूरी कीमत दाखिल कर दी है। तो मैं ने यही कहा है कि अगर पूरी कीमत दाखल कर दें तो पुल बन सकता है। अग वह ब्रिज न बनाना चाहें तो रुपया वापस किया जा सकता है। इस की ज़िम्मेदारी तो उन के ऊपर है। जहां तक दूसरे नबंर का ताल्लुक है मैं ने हां कर दी है। अगर आनरेबल मेम्बर कहते हैं कि ईंट वहां पर नहीं मिली तो मैं जानकारी करवा लूंगा। यह भी हो सकता है कि नैश्नशल एमरजेंसी की वजह से cut हो गई हो। मैं दरियाफ्त कर लूंगा।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : मैं ने सवाल किया था और यह सीधा और मुतअल्लिका सवाल था कि आया यह रुपया हरेक से लिया जाएगा या इस में कोई एक्सेप्शन भी की जाएगी ? अगर आप इजाज़त दें तो वज़ीर साहिब जवाब देने को तैयार हैं।

मन्त्री : इसका जवाब मैं ने दिया था शायद मेम्बर साहिब सुन नहीं पाए । मैं ने अर्ज़ किया था कि कंसौलीडेशन के महकमा का काम इरीगेशन का डीपार्टमेंट नहीं करता ।

श्री अमर सिंह : सवाल नं: ३ पर है :—

"The village Road bridge at R.D. 19,900 of Kapro Minor has been accepted for construction on the request of residents of village Sotha. The cost of this bridge will be borne by the Department.........."

और इस के बारे में आपने इनफरमेशन दी है कि 50:50 पर खर्च होना है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि.....

मंत्री : आप तीन की जगह चार समझ लें। चार का जवाब चार ही है, तीन नहीं हो सकता ।

श्री अमर सिंह : जनाब, यह जबाब गलत दिया जा रहा है ।

Mr. Speaker : The hon. Member can raise half-an-hour discussion.

बाबू अजीत कुमार : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲ ਲਈ ਕੰਬਾਇੰਡ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਇਕਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I would request that the P. A. of the hon. Minister may be allowed to answer the questions on this behalf.

Mr. Speaker : No, please. That is too bad.

पण्डित अमर नाथ शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताने के लिये तैयार हैं कि जो रकम दिहातियों की तरफ से जमा है इस पर कोई इंट्रैस्ट सरकार देगी जहां पर कि काम नहीं चलता और रुपया सरकार के पास जमा रहता है ?

मन्त्री : सूद मुझे तो देना नहीं है, यह लोगों की इच्छा है अगर वह रुपया वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं, जमा रखना चाहें तो रख सकते हैं। ऐसी चीजों में सूद देने का सवाल पैदा नहीं होता । दूसरे नम्बर के बारे में कह सकता हूं कि अगर सरकार इस साल न बना सकी तो एक साल का अगर कोई सूद चाहे तो उसे दिया जाना चाहिए ।

DRAUGHT IN THE VILLAGES IN DISTRICT SANGRUR

*2424. **Sardar Pritam Singh Sahoke** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government received any representation during the year 1962 regarding draught in the ponds of villages Bangan, Bushehra, Badalgarh, etc., in Sub-tehsil Sunam, district Sangrur ; if so, the action being taken by Government in the matter ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Only one telegram dated 10th September, 1962, was received from Shri Pritam Singh Sahoke.

(b) Villages were inspected and the ponds were found filled.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ?

मंत्री : जितने गांव बतलाए हैं, उन में से एक गाँव को यानी लद्दामाज़रा को पाटी डिस्ट्रिब्यूटरी से देते हैं और दो गांवों में कमंगढ़ की डिस्ट्रिब्यूटरी का माइनर नम्बर जो 6 है, उस से देते हैं । गांव के डूबने के लिये पानी नहीं दिया जाता ।

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib I would request you that this is not the way to reply the questions. यह कहने की ज़रूरत क्या है कि डूबने के लिये पानी नहीं दिया जाता। (I would request the hon. Minister that this is not the way to give reply to the questions. What is the need of saying that water is not supplied to Submerge the villages.)

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ने तो जवाब ठीक ही दिया है लेकिन अगर आनरेबल मैम्बर यह कहते हैं कि वर्षा क्या वजीर साहिब के हुक्म से हुई है, फिर आप रोकें नहीं तो मैं और क्या जवाब दे सकता हूं ?

डा० बलदेव प्रकाश : जनाब स्पीकर साहिब, सवाल यह है कि जो वर्षा हुई है उस के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया है ? मंत्री जी एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है और अगर हाउस का एक घंटा इसी तरह से ज़ाया करना है तो इस को खत्म ही कर दिया जाए तो अच्छा है ।

Mr. Speaker : I have already said that the way he has replied the questions has not added to the dignity of the House.

मन्त्री : गुस्ताखी माफ हो, मैं जवाब जब दे चुका हूं तो और क्या जवाब दे सकता हूं ? वैसे तो हाउस आप के हाथ में है लेकिन हमारी इज्ज़त भी आप के हाथ में ही है। मैं ने जो जवाब दिया वह ठीक ही था।

श्री अध्यक्ष : आप अब छोड़िए। (Please leave it now.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, चौधरी साहब तैयार हो कर नहीं आए ।

श्री अध्यक्ष : वह तैयार ज़्यादा हो कर आए हैं। (He has come well prepared.)

LAND ACQUIRED FOR THE CONSTRUCTION OF BEIN BUND

*2442. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether a notification to the effect that land is required by Government for the construction of Bein Bund from R. D. zero foot to R. D. 80,000 feet has been published in the Punjab Government Gazette, dated the 1st February, 1963 ;

(b) whether the said land had actually been taken possession of before the issue of the notification referred to above ; if so, the date on which the possession was taken ;

(c) whether as a result of belated issue of the Notification the State Government will have to pay interest to the land owners of about 30 villages whose land was taken possession of without issuing the required notification;

(d) if the reply to part (b) and (c) above be in the affirmative the action taken or proposed to be taken by Government against the official/officers responsible for the delay which would result in payment of avoidable interest charges ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a)Yes.

(b) Yes, the possession of land was taken during the period January, 1956 to June, 1956.

(c) Yes.

(d) No.

श्री बलरामजी दास टंडन : ग्रौन ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर। स्पीकर साहिब, सवाल इस बात का नहीं है कि जो बात की गई है लाईट मूड में की गई है मगर मिनिस्टर साहिब हर बात पर ऐसी ही बातें करते हैं जिस से सारे हाउस पर रिफ्लेक्शन ग्राता है। हर दफा लाईट मूड में कहना is not proper for the Minister.

Mr. Speaker : He did not mean anything serious.

मंत्री : स्पीकर साहिब, इस का इलाज एक ही है कि वह मेरे खिलाफ सबस्टांटिव मोशन ले ग्रायें।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : बात तो इस में दरग्रसल कुछ है नहीं, यह तो एक भोले भाले जाट हैं जरा लाईट मूड में कोई बात कर भी दें तो कोई खास बात नहीं मगर श्री टंडन यह समझते नहीं कि यह एक जाट भी हैं।

मन्त्री : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं तो एक सदस्य हूं।

Mr. Speaker : I will request the hon. Members not to take all things very seriously. He does not mean anything. We should not be sceptic about it.

CANALISING OF KINGRANWALI CHOE IN HOSHIARPUR AND KAPURTHALA DISTRICTS

*2443. **Sardar Lakhi Singh, Chaudhari** : whether there is any proposal or scheme under the consideration of Government to canalize the Kingranwala Choe in Hoshiarpur and Kapurthala Districts; if so, a copy of the Plan showing the area of land to be effected and full details of the Scheme be laid down on the Table of the House?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes, A scheme has already been prepared and submitted to the Technical Committee for approval. As the Scheme in question is on priority approved by the Government as a result of flooding during the Monsoon, 1962, the work in anticipation of approval of the Technical Committee is being taken up.

An area of about 35,000 acres would be saved in the villages Shamchaurasi, Kauja, Kotla of Darapur, Dabuli, Talwandi, Sodhana, Sadhirpur, Ghug, Bula, Khanke Maitle Alampur, Devidasspur, Bhagwanpur, Ramgarh, etc., as a result of completion of the Scheme.

*A blue print of the scheme is also laid on the Table of the House.

Note * Kept in the Library.

ENQUIRY INTO THE WORKING OF STATE ELECTRICITY BOARD

*1714. **Comrade Shamsher Singh Josh** (put by Com. Babu Singh, Master) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Government deputed Shri Ishwer Chander, I.A.S., to look into the working of the State Electricity Board ;

[Comrade Shamsher Singh Josh]

(b) whether the officer mentioned in part (a) above submitted any report to the Government ; if so, a copy thereof be laid on the table ;

(c) the action, if any, so far taken by Government on the said report ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes.

(b) Yes. Copy of the report is laid on the Table of the House.

(c) (i) Shri Karnail Singh, Retired Chairman, Railway Board, has been appointed as Honorary Adviser to the State Government in matters relating to supply of electric power in the State so that benefit of his ripe experience is obtained for revitalizing the Board.

(ii) The following main steps have been taken by the Board to remove the defects pointed out in Mr. Ishwar Chandra's report.

The Board has created an additional post of Chief Engineer to look after the central subjects like store purchase, projects, planning, etc., so that the previous shortcomings in these matters are removed.

A post of Executive Engineer has been created to pursue cases regarding release of foreign exchange , issue of import licences, clearance of Schemes, etc., with various authorities in the Government of India.

Powers of Executive Engineers' to sanction technical estimates in regard to grant of connections have been raised from Rs. 5,000 to Rs. 15,000 to reduce the delays in the grant of connections.

MEMORANDUM

Minister-in charge .. Irrigation and Power Minister.

Secretary-in-charge .. Secretary to Government, Punjab, Irrigation and Power Departments.

In their meeting held on 5th September, 1962, Council of Ministers decided that the consideration of the annual financial statements of the Punjab State Electricity Board may be postponed to another exclusive meeting of the Cabinet for a discussion of all issues involved including the working of the Electric Supply Organisation of the State with the Chairman, Electricity Board and any other Technical Officers he may like to bring, Secretary, Irrigation and Power and a representative of the Finance Department. In the mean while the Administrative Department was asked to circulate a comprehensive paper for the Council of Ministers regarding the existing position of the working of the Electric Supply Organisation of the State, the proposals, if any, for improvements and the possibility of utilizing further potential. The Cabinet expressed special keenness for increasing the supply of electric energy for the expeditious advancement of industries in the state and noted with concern the number of complaints in this context." It is in pursuance of this directive from the Cabinet that this memorandum is being circulated. The conclusion and impression indicated in this memorandum are based on a broad study of the working of the Punjab State Electricity Board carried out in pursuance of the decision taken by the Council of Ministers in their meeting held on the 3rd May, 1962, when the Cabinet "expressed grave concern at the state of affairs in the Electricity Organisation and considered that the whole matter required very careful examination with a view to analysing the present state of affairs and applying the necessary correctives," and the discussions held with the various Officers of the Board, Central Water and Power Commission and the Ministry of Irrigation and Power.

2. So far as the utilisation of the power potential is concerned, the Board has been contending that all the firm power potential created at present has been fully utilized, allowing for the commitments regarding supply of power to the Nangal Fertilizer and Delhi which have to be honoured shortly. A copy of memorandum from Shri H.R. Bhatia, Chairman, Punjab State Electricity Board, along with its enclosures which

explains in detail the Board's point of view, is enclosed at Annexure 1. A copy of the map showing existing and proposed power stations, Grid Sub-Stations and Transmission Lines, 33 KV and above, is also appended at Annexure II to indicate the transmission system. It is considered that since the statement appended to the Chairman's Memorandum compares the capacity with the maximum demand, the capacity of all the Power Houses should have been taken into account without allowing for any stand-by plant as the stand-by plant can be worked during the short period in which peak demand occurs wthout much risk. The capacity of the Hydel system on this basis from May, 1962, onwards would be about 467 M.W. (Bhakra 265 plus Ganguwal and Kotla 154 plus Shanan 48). On this basis power potential corresponding to the peak demand of about 134 M.W. remained un-utilized against which Delhi and Nagal Fertilizer were to be given an additional load of about 56 MW only. Moreover, while in case of Nangal Fertilizer the delay is attributed to non-readiness of the factory, the delay in the supply of additional power to Delhi which has occurred due to delay in the augmentation of the sub-stations at Dhulkote, Panipat and Delhi and transmission line has in any case delayed the utilization of about 12 M.W. of power potential for over 4 months even on Board's own statement, depriving the Board of considerable revenue. The Board, it appears, has not devoted adequate attention to this important matter and has failed to ensure that all the power which is generated is utilized without any avoidable time lag.

In addition to this firm power according to the calculations made by the Chairman, Punjab State Electricity Board, 60,000 K.W. of secondary power is available for 8 months in a year and has been available since June/July this year. The Board did not take active sales promotion measures to ensure utilisation of this power with the result that this entire power is lying un-utilized. The Chairman, Punjab State Electricity Board has indicated that out of this power 40,000 K.W. will be firmed up with the help of the Delhi Thermal Plant and 10,000 K.W. has been decided to be used for construction purpose at the Beas Project. Even after these utilisations nature, which in case of Delhi Thermal Plant will take considerable time, about 12,000 K.W. of this power will still remain un-utilized. The matter has been persistently pursued with the Board, and a number of suggestions have been made for utilisation oft his power, but they have shown a sense of complacency and helplessness in the matter.

3. According to the broad examination carried out so far, the following appear to be the other major defects and weaknesses in the present working of the Punjab State Electricity Board :—

(1) Proper planning has not been done to ensure that the generation and transmission system is able to meet fully the demand for power in the state, which is rising at a very rapid pace. The load surveys, which form the basis of this Planning, have proved to be gross under estimates. The load survey at present is done by the low paid surveyors of Overseers' rank who are unlikely to have the necessary imagination to foresee the future industrial and agricultural growth in the State.

(2) The dates of actual completion of the major generation schemes *vis-a-vis* the date of completion as originally fixed are shown in the table at Annexure III. It will be observed that the delay ranging from 8 months to 1½ years has occurred in all cases depriving the Board of considerable revenue and delaying the availability of the much needed power. Heavy short-falls have occurred in the expenditure under power portion of multi-purpose projects and other generation schemes during the last three years as would be observed from the table at Annexure-IV. The various generation schemes are thus bound to get delayed in future also unless a proper sense of urgency is displayed towards these schemes.

(3) No systematic and timely review of the capacities of the various sub-stations and the lines is done to ensure that the necessary augmentation is completed by the time the capacity is fully utilized. At present this is being left mainly to the individual initiative of the field officers with the result that frequently the proposals for augmentation are initiated only when the existing capacity has already been fully utilized.

(4) No review of the working of the sub-project estimates for electrification is at present done to see whether the number of connections stipulated in these estimates are actually given and the revenue estimated during each year of operation is actually realised.

(5) The procedure for the grant of connections is lengthy and involves un-necessary delays. On 1st April, 1962, as many as 10,891 applications for tube-well connections and 10,170 applications for industrial connections

[Minister for Irrigation and Power]

were pending, out of which more than 15,000 were over six months old and over 8,000 were pending for more than a year. The main procedural bottlenecks are.—

(a) all industrial and agricultural connections above 10 H.P. are required to be sent to the Local Load Committees through the Superintendig Engineers for sanction ;

(b) the power of the Executive Engineer to snaction technical estimates is only Rs. 5,000 which is rather low ;

(c) when the project provision of any distribution project get exhausted, the estimates for grant of even small connections, which would normally be within the competence of the Executive Engineer, are required to be submitted to the Board after technical and financial scrutiny of the estimates by the Superintending Engineers and Chief Engineers ;

(d) after the energisation of the villages in a sub-project the proposal for opening of sub-office has to be sent up to the Board for sanction, which process takes considerable time. In the meanwhile although the adjoining sub-office may be asked to look after the work, the grant of connection in these villages is apt to remain neglected :

(6) The instructions issued by the Board which required that demand notices should be issued in order of receipt of applications and thereafter connections should be given in order of receipt of security and test report from the consumers, are not followed strictly in practice. This leaves scope for corruption by the field staff.

(7) Considerable delays take place in the procurement of stores and equipment. In case of Store Purchase section, which pruchases stores for 33 KV and below, it frequently takes six to eight months to place an order ; in case of project section which is responsible for procurement of stores and equipment for 66 KV and above, the placing of an order often takes two to three years after the tenders are invited. These delays in the procurement of stores are the major causes for delay in the completion of the various schemes and in the grant of connections.

(8) The cases for release of foreign exchange and import licence for imported equipment are not adequately pursued. The actual receipt of the equipment is consequently delayed.

(9) No advance planning was done until December, 1961, for procurement of stores in view of the scarcity of materials and consequent long delivery schedules. The serious shortages of certain important stores have, therefore, occurred. The advance procurement action now taken is also not adequate, nor has any such action been taken by the Superintending Engineers in regard to stores which they are competent to purchase themselves.

(10) The present system of store purchase in the Board is rather chaotic. There is no registration of firms, no standardisation of items, or specifications of drawings of various articles of stores, no standard schedule of rates and no rate contract. This situation, while making the honest officer hesitant to exercise the power of store purchase leaves vast scope for corruption by un-scrupulous ones and also deprives the Board of the economy of large scale purchase of and standard items.

(11) There is no Central Store in the Board. The store Depot in each Circle is under the charge of one Operation Division concerned. The stores are, therefore, not equitably distributed and there is no mechanism to ensure that the surplus material at one place is utilized at the other place where that may be needed.

(12) There is no agency for independent inspection of quality of stores received in the various Store Depots against contracts entered into by the Head office for the subordinate offices. The stock verification is also not being regularly done and the material at site accounts, which are necessary for proper accounting of the material issued for the works, are also generally not maintained or are very badly maintained. There is thus large scope for acceptance of inferior quality of materials and pilfering of

stores. D.I.G./C.I.D. has unearthed cases recently where stores worth lakhs were sold to 'Kabaris' in the State and outside. Stores worth about Rs. 5 lakhs are stated to have been actually recovered.

(13) No effective steps have been taken till recently to prevent theft of energy and corruption which are reputed to be wide-spread. Adequate vigilance is not being exercised by the Board or its officers in this behalf and very few cases of theft or corruption had been detected by the Officers of the Board.

(14) The arrears of revenue in the Board amounted to Rs. 86 lacs on 1st April, 1962. No efforts worth the name have been made so far to liquidate these arrears.

(15) It is the general impression that the standard of maintenance of the equipment, lines, transformers etc., has progressively deteriorated. In case of transformers a large number get burnt every year but these are not expeditiously repaired. This fall in the maintenance standard is the main reason for the frequent complaints of breakdowns of power, low voltage and other similar complaints.

(16) Large number of staff are un-qualified. About 50 per cent of Line Superintendents are stated to be without technical qualifications. There are no arrangements for in-service training or Refresher Courses The efficiency of such a staff is bound to be low. The staff also seems to have lost initiative and the concensus of opinion is that the standard of discipline and efficiency have gone down. This coupled with abnormally heavy charges (some times there are as many as—9—11 Sub-Divisions attached to a Division) has made the conditions bad, leading to demoralisation and frustration among the ranks on the one hand and increase in the complaints of the public on the other.

(17) The Board has continued to work on the P.W.D. system of accounts and commercial system of accounts including balance sheet and profit and loss account have not so far been adopted. The Board has also not set up any research, or cost accounting organisation. In fact, no major improvement has been effected during the last 3½ years.

(18) Chief Engineers of the Board are the principal Executives of the Board but it is regretted to point out that they are not proving effective. Their initiative, drive, zeal and supervision over subordinates is hardly adequate. It is symptomatic of over-centralisation that the subordinate field officers look for technical guidance to the Chairman rather than the Chief Engineers.

4. The various measures which appear to be necessary to improve the state of affairs in regard to the Electricity Board, are indicated below. Some of these suggestions have not yet been fully discussed with the Board because of a certain resistent attitude and these are, therefore, not in the nature of firm conclusions but are intended to mainly serve as a starting point for the discussion :—

(1) Extreme care needs to be exercised in the selection of persons to be appointed to serve on the Board. Shri Bhatia has tendered his resignation from the post of Chairman of the Board and another vacancy in the Board would occur in October when the present term of Shri Kedar Nath Saigal, expires. Advantage should be taken of this opportunity to appoint really completent persons with dynamic outlook, drive and zeal to serve as Chairman and Technical Member of the Board. Retired persons should be employed as whole time members of the Board only in very exceptional cases, if they answer to the above tests.

(2) The Chief Engineers of the Board who are its principal Executive Officers should be made more effective. To ensure this, a strict process of selection to these posts should be enforced and adequate powers should be delegated to them.

(3) The Board should prescribe minimum qualifications for all categories of staff and ensure that these are strictly enforced. There should also be a comprehensive arrangement for in-service training, particularly of those who have previously been appointed without technical qualifications and Refresher Course for senior officers.

(4) In order to improve discipline, adequate disciplinary action should be taken by the Board speedily in all cases of corruption, mis-conduct, in-subordination, etc. The Board may employ whole time Inquiry Officer(s) to ensure that these cases are processed quickly. The Government should also support the Board in this matter

[Minister for Irrigation and Power]

and not interfere in any case where disciplinary action is taken by the Board against its employees. The Board may provide for a simpler procedure for taking disciplinary action in case of those employees to whom the protection of the Civil Services Rules does not apply *viz.*, employees other than those transferred from the Government. With the termination of Foreign Service arrangements, notices regarding which are under issue Board's direct control over the subordinates would be completed up to and including the Executive Engineers level.

(5) There should be adequate delegation of powers at all levels, particularly in personal matters where the powers for the creation of posts are at present concentrated in the Board. The norms may be laid down by the Board and within those norms the powers for creation of posts and appointment of staff (out of list of qualified candidates prepared by the Board's Subordinate Services Selection Committee where necessary) should be delegated to the field Officers.

(6) Government should prescribe a gross as well as a net rate of return on the capital cost of the schemes in operation at a level, which while not being un-realistically high should require a conscious effort to achieve the target. The Chairman of the Board may then be held personally responsible for ensuring that this rate is achieved. This along with the performance in regard to full utilisation of plan provisions and completion of various schemes according to schedule should in fact, be taken as the basic criteria to judge his efficiency.

(7) The Board should adopt as early as possible the commercial system of accounts, particularly balance sheet and profit and loss accounts, for the Board as a whole as well as for each local distribution system separately so that the efficiency or inefficiency, of each Sub-Divisional Officer/Executive Engineer is properly high-lighted. A review of the financial returns from each sub-project *vis-a-vis* anticipation in the project estimates should also be done annually by the Chief Accounts Officer of the Board who should then report his findings to the Board for taking suitable action for improvement of the financial results of the sub-projects where performance may be lagging behind.

(8) The Board should set up its Research Organisation and a Cost Reduction Unit which should constantly analyse the various components of costs in various items of work and recommend suitable measures to effect economy without impairing functional efficiency. The Design Orgainsation of the Board also needs to be suitably strengthened for this purpose.

(9) The norms for setting up of Sub-Offices, Sub-Divisions, Divisions and Circles should be re-appraised and fixed on a realistic basis so that there is neither over-staffing nor in efficiency and poor service to the consumers through excessive load.

(10) The project Section and Store Purchase section in the Head Office require to be equitably strengthened in order to ensure that the present inordinate delays do not occur in the processing of the cases relating to procurement of stores and equipment. The Superintending Engineers-in-charge of these sections should periodically, say once in every month, review the progress of all cases and ensure that no avoidable delay takes place at any level.

(11) The Board should set up an independent Technical Agency for inspection of works and stores and verifications of stocks, which should not be under the control of the authorities responsible for execution of works and procurement and custody of stores, so that various malpractices are dis covered and suitably dealt with.

(12) The entire procedure for the purchase and custody of stores needs to be thoroughly over-hauled. The present system of separate store in each circle may be substituted by a Central Store with its depots located at convenient places. Instead of the various Superintending Engineers purchasing stores on their own, the Store Purchase section may meet these requirements from its depots after Central Purchase of these stores, except for a small number of items which may continue to be purchased locally. In the Head office, there should be a proper advance planning for procurement of the stores according to their anticipated delivery schedules so that orders are invariably placed keeping that margin. There should be proper registration of contractors with the Board and standard specifications and drawings of various articles of stores should be drawn upto the extent possible,

(13) The cases for the release of foreign exchange and issue of import licences should be pursued vigorously. An officer of the sutiable status should be posted as Liaison Officer for this purpose and the Chief Engineers should also, while on tour to Delhi, exert their influence to expedite these cases. Superintending Engineer, Delhi should be authorised to pursue the cases about the release of foreign exchange relating to spare parts of the machinery under his charge directly with the Central Water and Power Commission, etc.

(14) The Board should carry out urgently a re-assessment of the likely demand of power within the State in consultation with the Agriculture and Industries Departments so that realistic data about location and quantum of concentrated load is available while planning for power generation in the 4th Plan and conditions of powers famine do not recur at a later date. Schemes for the 4th Plan should be finalised early and all steps taken to see that power generation keeps pace with load demand at all times, if not, one jump ahead of it.

(15) The Executive Engineers should be required to review formally every year the capacities of the various sub-stations and lines in their areas with reference to the existing load, pending applications and the likely demands during the next 5 to 8 years so that proposals for augmentation are initiated in proper time. They should also review annually the working of the sub-project estimates in their areas to ensure that the number of connections stipulated in these estimates are actually given and various provisions for transformers, etc., are adequate in the light of the development of load. In order to remove the various procedural bottlenecks in the grant of connections indicated in para 3(5) above, Local Load Committees should be abolished, the power to grant connections up to 100 H.P. delegated to the Executive Engineers, the power of Executive Engineer to sanction technical estimates raised to at least Rs. 10,000, the field Officers allowed to give connection according to their normal powers even in cases where the project provisions is exhausted after necessary funds have been provided in the budget, and the power to sanction sub-offices after the energisation of fresh areas in accordance with the norms that may be laid down by the Board should be delegated to the Executive Engineers.

(16) The S.D.Os. should be required to review the service registers every month to ensure that the demand notices are issued strictly in order of receipt of the applications and the connections are given strictly in order of receipt of security and completion of other formalities by the consumers. They should also be requiried to personallv scrutinize all cases in which connections are not actually given within one month of the issue of the demand notice and to ensure that no avoidable delay occurs. The Supervisory Officers during their inspection should ensure that these reviews are being properly done.

(17) TheChairman should review every month the position regarding utilisation of power potential, firm as well as secondary, and the Board should do so once a quarter so that all bottlenecks are spotted out and removed in time.

(18) Once adequate staff is posted, there should be no excuse for unsatisfactory maintenance, lack of vigilance over theft, corruption and other malpractices; and accumulation of arrears. The S.D.Os. should be made personally responsible for these and strong action against them should be taken for any default in these matters. For recovering old arrears the Board may either appoint special staff with a quota for recovery to be done in a specified period, or launch a vigorous drive with the existing staff and provide suitable inducement for good recovery and punishment for default. For keeping a watch over the theft of energy, meters should be expeditiously installed on all 33 KV sub-stations and the units received at these sub-stations regularly compared with the units sold.

(19) The Board should arrange a detailed and continuous examination of the methods and procedures of its working at all levels to find out the cases of delay at various places and to suggest methods to eliminate those delays.

5. The approval of Chief Minister to place this memorandum before the council of Ministers has been obtained.

ISHWAR CHANDRA,
Secretary to Government, Punjab,
Irrigation and Power Departments.

[Minister for Irrigation and Press]

POWER POSITION IN THE STATE *VIS-A-VIS* DEMANDS OF NEW INDUSTIRES

1. The total firm power generation available for the Hydro-stations in the State as under :—

(i) Joginder nager	..	36,000 KW
(ii) Bhakra Left Bank	..	2,12,000 KW
(iii) Nangal Power Houses	..	140,000 KW
Total	..	3,88,000 KW

It is, however, felt that the system can be loaded up to 400,000 KW without causing any serious difficulty for industrial load as peaks up to the maximum of 400,000 KW will be only periodical because of the seasonal variations of land and may not necessarily coincide with the low-water period. In a dry year, some restrictions may have to be imposed on industry, but these will be very minor. In a normal year, no restriction may be necessary so long as the peak load is controlled within this limit.

2. A statement showing the progressive demand on the system from January, 1961, onwards is appended herewith. In November and December, 1961, the peak demand touched a figure of 3,33,000 KW. In January, 1962, the demand went up to 3,37,000 KW, but this was only a temporary phase when the Nangal Fertilizer Factory took some additional power for testing purposes. The figure of 3,33,000 KW may, therefore, be taken as the present peak load. Additional major loads which are expected to materialize in the current month and the next month are :—

(i) Additional load of Delhi	..	12,000 KW
(ii) Additional load of Nangal Fertilizer Factory	..	44,000 KW
(iii) Globe steel and a few other industrial units in the Faridabad area	..	4,000 KW
Total	..	60,000 KW

Small agricultural general and industrial loads are also being connected, daily on the system,and it is expected that the peak load of 4,00,000 K.W. will be reached by December 1962. Thereafter, the tempo of new industrial connections will have to be restricted to very essential loads, which will be permitted to work only during night or off-peak hours. It is intended to stop further connections altogether.

3. Rajasthan's share in the above power generation is of the order of about 15,000 KW, out of which only 7,000 KW is being utilized at present. To the extent Rajasthan uses extra power progressively up to its share, corresponding restrictions will be necessary on the industrial loads in the Punjab. This position will continue in a varying degree up to the middle of December,1965, when the first generating set of the Bhakra Right Bank Power House is expected to go into commission.

4. Anticipating this position, provision was made in the Third Plan proposals for the installation of Thermal Generating sets for an aggregate capacity of 25,000 KW. Out of this capacity, an order for one 15,000 KW Steam Generating Set has since been finalized and Import licence issued. The case for 10 Nos. Diesel Generating Sets of 1,000 KW capacity each, although processed through the Government of India several months back is till hanging on with the Government of India for the issue of Import licence. The 15,000 KW Steam Generating Set is to be installed in Faridabad area and is expected to go in commission in the first half-year of 1964. Thereafter, the present power shortage felt in Faridbad area will disappear. By the time this capacity used up, power from the Right Bank Bhakra Power Plant will become available. The 1,500,000 KW Steam Power Plant to be installed in Delhi, in which the Punjab State Electricity Board holds share to the extent of 50,000 KW will also go into commission shortly thereafter and will be Faridabad Grid Substation through an extra high-tension transmission line. This area will then be one of the best fed areas from the power point of view. The Diesal sets, when received will be installed at different places in the State. and will relieve the shortage to a small extent, Their installation may take about a year. An extract from Document No. 16 relating to the Third Five Year Plan of the

Punjab State in respect of Power Projects, which has a bearing on this subject, is reproduced below :—

"Some thermal plants have also been included for backing up hydro-power to avoid periodical shortages arising from variation in river flows, which are frequent annoyance to industry. A small provision for diesel sets is intended to cover short-term gap of electric power shortage between 1962 and 1964 so as to mitigate the difficulties at least partially."

A list of small Diesel/Steam Generating Sets already available is also enclosed. Except for the Plants at Patiala, Jagadhri and Faridabad, the other sets are brought into use only periodically to meet power shortage in emergencies, so as to run essential services. Their aggregate capacity is very small.

5. Besides firm or primary power, some secondary power is available from the Bhakhra Left Bank Power Plant. In the pre-Right Bank Power Plant Stage, the extent of secondary power available is about 68,000 KW. Deducting line losses the net available for use is about 62,000 KW including Rajashtan's share. This is proposed to be utilised as under :—

(i) 10,000 KW for construction power at Beas Dam, for which commitment has already been made.

(ii) 40,000 K.W. will be firmed up when Delhi Thermal Plant goes into operation.

(iii) Balance 12,000 KW is available for use either by large industry, who can put up their own Thermal Plants for firming up, or for special processes which can be closed down for four months in a year. This power is also eminently suited for use for pumping schemes in waterlogged areas.

The Board has already fixed reduced rates for the sale of this power.

(Sd.) H.R. BHATIA

LIST OF SMALL DIESEL/STEAM GENERATING SETS WITH THE PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD AT VARIOUS PLACES

Plant	Installed capacity in KW	Effective capacity in KW	Serviceable/ Unservicable
(a) Steam Sets—			
1. Jagadhri ..	550	550	Serviceable
2. Faridabad ..	2,750	1,850	Do
(b) Diesel Sets—			
1. Patiala ..	2,370	1,475	Do
2. Hoshiarpur ..	590	325	Do
3. Dalhousie ..	296	186	Do
4. Moga ..	230*	180	Do
5. Fazilka ..	300	190	Do
6. Abohar ..	442**	335	Do
7. Faridabad ..	300	300	Do

*One set of 230 KW sold.
**One set of 152 KW sold.

[Minister for Irrigation and Power]

Plant		Installed capacity in KW	Effective capacity in KW	Serviceable/ Unserviceable
8. Kandaghat	..	347	280	Serviceable
9. Chandigarh	..	1,908	1,580	Do
10. Sangrur	..	235	..	Unserviceable
11. Faridkot	..	1,360	..	Do
12. Rupar	..	400	..	Do
13. Sonepat	..	172	..	Do
14. Bahadurgarh	..	168	..	Do

FIRM POWER GENERATION *VERSUS* DEMAND ON THE PUNJAB POWER SYSTEM

Month		POWER GENERATION (M.W.)					MAX. DEMAND	REMARKS
		Bhakra	Gangu-wal	Kotla	Shanan	Total	M. W.	
January, 1961	..	53	48	48	24	173	161	1st Bhakra Unit Commissioned in December, 1960
February, 1961	..	53	48	48	20	173	219	2nd Bhakra Unit commissioned
March, 1961	..	53	48	48	30	179	233	
April, 1961	..	53	48	48	36	185	256	
May, 1961	..	53	48	48	36	185	276	
June, 1961	..	106	48	70	36	260	292	3rd Bhakra Unit commissioned. Also 3rd Kotla Unit
August, 1961	..	106	48	70	36	260	296	
September, 1961	..	106	48	70	36	260	325	
October, 1961	..	106	48	70	36	260	309	
November, 1961	..	159	48	70	36	313	333	4th Bhakra Unit commissioned

Month	Power Generation (M. W.)					Max. Demand	Remarks
	Bhakra	Ganguwal	Kotla	Shanan	Total (M.W.)		
December, 1961 ..	159	48	70	36	313	333	5th Bhakra Unit commissioned
January, 1962 ..	159	65	65	24	313	337	3rd Ganguwal Unit Commissioned
February, 1962 ..	159	65	65	24	313	327	
March, 1962 ..	159	65	65	30	319	323	
April, 1962 ..	159	70	70	36	335	327	
May, 1962 ..	212	70	70	36	388	326	Increases in Bhakra Power due to increases in river flow
June, 1962 ..	212	70	70	36	388	335	
July, 1962 ..	212	70	70	36	388	340	Anticipated demands (July–November, 1962)
August, 1962 ..	212	70	70	36	388	360	
September, 1962 ..	212	70	70	36	388	360	
October, 1962 ..	212	70	70	36	388	400	
November, 1962 ..	212	70	70	36	388	400	

ANNEXURE III

Name of unit	Date of completion	Actual date of completion	Delays
A— Left Bank Power House	1-1-60	1-11-60	10 months
1. Unit No. 1 ..	1-1-60	14-11-60	10 months
2. Unit No. 2 ..	15-2-60	2-2-61	1 year
3. Unit No. 3 ..	15-4-60	21-7-61	1 year, 3 months
4. Unit No. 4 ..	15-7-60	September, 1961	1 year, 2 months
5. Unit No. 5 ..	30-9-60	10-12-61	1 year, 3 months
B—Kotla Extension Unit ..	11-61	July, 1961	8 months
C—Ganguwal Extension ..	7-3-61	December, 1961	9 months

[Minister for Irrigation and Power]

ANNEXURE IV

PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the progress of planning schemes during the years 1959-60 to 1961-62 with their original grants and Modified grants for the year (figures in lacs).

Heads of Account		Original Grant	Revised Grant	Actual Expenditure	Actual Expenditure
1959-60—					
(1) Left Bank	..	483.56	441.33	389.55	..
(2) Right Bank	..	..	..	..	..
(3) Beas Project	..	..	..	..	..
(4) Investigation of New Projects	..	..	..	..	..
1960-61—					
(1) Left Bank }	..	461.31	426.33 }	324.44	..
(2) Right Bank }	..	..	42.96 }		..
(3) Beas Project	..	..	..	..	..
(4) Investigation of New Projects	..	..	..	..	..
1961-62—					
(1) Left Bank	..	400.00	367.18	248.40	..
(2) Right Bank	..	140.00	69.90	18.41	..
(3) Beas Project	..	80.00	31.11	..	..
(4) Investigation of new projects and extention of Uhl River Scheme II State, etc.	..	..	38.89	32.00	..
(5) Thermal sets at Delhi	..	..	20.00	20.00	..
		620	..	318.81	..

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the honorary Advisor to the State Government who has recently been appointed has any experience of Electricity Department ?

Minister : Mr. Speaker, Sir, the whole country knows that he was the Chairman of the Railway Board which is the biggest Commercial body in the country and which controls property worth about Rs 1,100 crores.

श्री प्रध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पूछा है कि उन को बिजली के महकमे का कोई तजर्बा है। (The hon. Member has enquired whether the honorary Adviser has got any experience of the Electricity Department.)

मन्त्री : वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, वह इलेक्ट्रिसिटी के इन्जीनियर नहीं हैं, सिविल इंजीनियर हैं। वह एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में सलाह दे सकते हैं।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वर चन्द्र ने जो रिपोर्ट सबमिट की है क्या वह सरकार ने स्वीकार कर ली है ?

मन्त्री : इस रिपोर्ट में जो जरूरी रिकमेंडेशन की गई है वह स्वीकार कर ली गई हैं।

श्री बलरामजी दास टंडन : एक ओर एमरजैंसी के कारण पोस्टों में कट्स लगाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स की पोस्टें बढ़ाई जा रही है। क्या एमरजैंसी को देखते हुए ऐसा करना ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : It is not a contradictory attitude अब एमरजैंसी के कारण मिलिटरी बढ़ाई जा रही है। (It is not a contradictory attitude. Now the strength of the Military is being increased in view of the Emergency.)

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो पोस्टें इस महकमा में बढ़ाई जा रही हैं क्या इस केस में कंटराडिक्ट्री ऐटीच्यूड एडाप्ट नहीं किया गया है ?

मन्त्री : इस में कंट्राडिक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर पोस्टें क्रियेट कर ली जाती हैं। जहां पर जरूरत महसूस नहीं होती है वहां पर पोस्टों में कमी कर दी जाती है। मैं समझता हूं कि लड़ाई के वक्त में इलैक्ट्रीसिटी का नम्बर फौज के बाद दूसरा आता है।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 66 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਜਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

मन्त्री : इस सिलसिले में कारवाई की जा रही है और कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही एरियर्स कोलेक्ट कर लिए जाएंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟਰੇਂਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ?

मन्त्री : इस सिलसिले में ज़रूरी कारवाई की जा रही है।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES COVERED BY THE LOCAL DISTRIBUTION PROJECT FOR THE AREA OF GAGRET

***2088. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps, if any, so far taken by Government, to electrify the villages covered by the Local Distribution Project for the area of Gagret, Amb, Amloya, Khad Panjaur and other surrounding villages and the target date by which the said work is likely to be completed ?

Chaudhri Ranbir Singh : Village Gagret has since been electrified. A 33 11 K.V. Sub-station is proposed to be installed at Gagret to cater for the load demands of all villages covered under the Local Distribution Scheme for the electrification of Gagret, Amb, Amloya and surrounding rural area. The Electrification of the remaining villages covered in the scheme will be spread over a period of next five years, depending upon the availability of funds and the load demand of these villages.

पण्डित मोहन लाल दत्त : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो माइनर ईरीगेशन स्कीमें बनाई गई हैं क्या उन के लिये बिजली का प्रबन्ध किया जा रहा है, जहां पर पानी नहीं मिलता और जमीनें वीरान हैं उन स्थानों को बिजली कब तक सप्लाई की जा रही है ?

मन्त्री : इस के लिये पूरी कोशिश की जा रही है, सब स्टेशन बनाने के लिये सामान का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES SANGTI WALA, BHAI KI PISHOUR IN DISTRICT SANGRUR

***2423. Sardar Pritam Singh Sahoke :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for the electrification of villages Sangti Wala, Bhai Ki Pishour and Kaurian, etc. in tehsil Sunam, district Sangrur; if so, the period by which the action on the said scheme is likely to be implemented ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Two villages, namely, Sangtiwala (Dialpur) and Bhaiki Pishour are covered under the sanctioned Sub-Project Estimate of Chhajli, Bakshiwala and surrounding rural area. The village Kaurian is not covered under any scheme so far.

(b) The work for the electrification of covered villages stated in Part (a) above is proposed to be taken up in the subsequent years depending upon the availability of funds.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN TEHSIL MALERKOTLA

***2447. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number and names of villages of tehsil Malerkotla proposed to be electrified during 1963-64 ?

Chaudhri Ranbir Singh : The number and names of the villages proposed to be electrified in tehsil Malerkotla during 1963-64 have not yet been finalized.

ELECTRIFICATON OF VILLAGES IN SAFIDON BLOCK, DISTRICT SANGRUR

***2451. Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal to provide electricity to the villages in Safidon Block in Sangrur District during the current year ; if so, the names of the villages included in this proposal ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) No .

(b) Question does not arise.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मेरा हलका चौधरी साहिब का पार्लियामेंट्री हलका रहा है। क्या इन का फर्ज नहीं कि वहां पर बिजली का प्रबन्ध करें ?

मन्त्री : जो मेरे हलके का हिस्सा रहा हो उस के लिये मेरे दिल में क्यों नहीं खयाल होगा ?

IRREGULAR SUPPLY OF ELECTRICITY IN KANGRA DISTRICT

*2495. **Bakshi Partap Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have recently received any representation from the residents of Kangra District for the installation of a new transformer to regularise the supply of electricity in the district; if so, the action taken thereon ?

Chaudhri Ranbir Singh : Yes.

For interim arrangement the Board's system is receiving power from Joginder Nagar Power House by connecting Himachal Lines which were up to Ghatta by having a Link Line up to Baijnath. At present power to the tune of 50 K.V.A. is being taken from Himachal Pradesh in addition to the power being supplied from Kangra Sub-station and as such restrictions imposed previously have been removed and regular supply is being given in the area.

बख्शी प्रताप सिंह : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि कांगड़े के अन्दर बाकायदा तौर पर बिजली की सप्लाई कब तक होगी ?

सिंचाई मन्त्री : जब दूसरे ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तब पक्का प्रबन्ध हो सकेगा। लेकिन कच्चा प्रबन्ध हिमाचल प्रदेश की लाइन्स के साथ जोड़ कर कर दिया है।

बख्शी प्रताप सिंह : आज से छः महीने पहले जब आप कांगड़ा में गए थे तो आप ने कहा था कि चंद महीनों के अन्दर बिजली आ जाएगी लेकिन अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

मन्त्री : जो वाइंडिंग वायर जली थी उस के बाद फैसला हुआ था कि धारीवाल का ट्रांसफार्मर भेज दिया जाए लेकिन बदकिस्मती से वह भी जल गया। उस के बाद फैसला हुआ कि हांसी का वहां भेज दिया जाए लेकिन फिर भिवानी का ट्रांसफार्मर जल गया और हांसी वाला वहां भेजना पड़ा।

बख्शी प्रताप सिंह : जब हांसी वाला कांगड़े भेजने का फैसला हुआ था तो वह भिवानी क्यों भेजा गया ?

मन्त्री : भिवानी चूंकि पास थी इस लिये भेजना ज़रूरी था।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SCHOOLS IN VILLAGE BADHAR AND DHAULA, DISTRICT SANGRUR

504. **Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Middle schools in villages Badhar and Dhaula, district Sangrur, during the year, 1961-62 stating the condition of the buildings of the said schools ;

(b) whether any Higher Secondary School has recently been established in any of the villages mentioned in part (a) above; if so, the amount of aid, if any, given by the Government to such schools ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) One school in each village. Condition of buildings is satisfactory.

(b) Yes, in Dhaula. Since the upgraded school is a Government school, the question of aid does not arise.

Note—Unstarred Question No. 869 alongwith its reply having been received late from the Government is printed as annexture at the end of this debate.

REMISSION OF LAND REVENUE IN BARNALA SUB-DIVISION

505. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Revenue be pleased to st te—

(a) whether it is a fact that the land revenue and abiana of some villages in Barnala Sub-Division was remitted during the ye r 1958 for Kharif crops ;

(b) whether the Betterment levy for the said Kharif crop has also been remitted ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ajmer Singh : (a) Yes.

(b) No, because no betterment charges were assessed and as such the question of their remission did not arise.

LOANS GRANTED UNDER DIFFERENT HOUSING SCHEMES AT CHANDIGARH

705. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Excise, Taxation and Capit l be pleased to state the names and addresses of persons who have been granted loans under different Housing Schemes from 1955 to date for the construction of houses at Chandigarh ?

Shri Ram Saran Chand Mital : The collection of the names and addresses of the persons granted loans under different Housing Schemes since the year, 1955 will involve labour and time incommensurate with the benefit likely to be derived from such information.

A statment showing the amount of loans disbursed since the year, 1955 and number of persons benefited so far is laid on the Table of the House.

DETAILS OF DISBURSEMENT OF LOANS UNDER VARIOUS LOAN SCHEMES

Serial No.	Name of Scheme	1954-55	No of persons	1955-56	No. of persons	1956-57	No. of persons	1957-58	No. of persons	1958-59	No of persons
1	Low Income Group Housing Scheme	8,94,200	121	34,48,050	454	50,000	8	3,71,550	52	5,95,000	75
2	High Income Group Housing Scheme	..	..	10,00,000	54	..	..	..	..	..	..
3	Small/Big Plot Holders House Building Loan Scheme	..	..	..	..	25,00,000	277	..	..	..	..
4	House Building Loan Scheme at Chandigarh	..	..	..	..	..	..	40,00,000	312	60,00,000	517
5	Middle Income Group Housing Scheme	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Serial No.	Name of Scheme	1959-60	No of persons	1960-61	No. of persons	1961-62	No. of persons	1962-63	No. of persons	Total No. of persons
1	Low Income Group Housing Scheme	3,00,000	38	1,50,000	19	1.18,600	15	1.02,000	13	795
2	High Income Group Housing Scheme	..	..	..	..	..	..	..	..	54
3	Small/Big Plot holders House Buildling Loan Scheme	..	..	..	..	..	..	..	..	277
4	House Building Loan Scheme at Chandigarh	65,00,000	660	1,00,00,000	719	1,00,30,000	707	50,00,000	332	3,147
5	Middle Income Group Housing Scheme	..	..	..	..	8,08,800	61	22,51,000	140	201
										3,774

TOURS UNDERTAKEN BY MINISTERS ETC. BETWEEN CHANDIGARH AND DELHI AND BACK

706. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the detail of tours undertaken by Cabinet Ministers, State Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries between Chandigarh-Delhi and back from 1st March to 31st December, 1962, month-wise, together with the purpose of each such tour ;

(b) the total amount of T. A. received by each Minister etc. mentioned in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

BOGUS REGISTRATION OF VAIDS AND HAKIMS

751. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Shri Tara Giri a member of the Board of Ayurvedic and Unani System of medicine, Patiala, was appointed to enquire into the bogus registrations of Vaids and Hakims under the Pepsu Ayurvedic and Unani practitioners Act, 2008;

(b) if the reply to part (a) above is in the affirmative the details of the report tendered and the action taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No. It may, however, be mentioned that on a complaint of bogus registration of Vaidyas by Swami Taragiri, he was asked to quote specific instances of bogus registration.

(b) The details of the reports submitted to Government by Swami Taragiri and the action taken on these reports have been indicated in the enclosed statement.

Statement showing details of the reports submitted by Swami Taragiri of Patiala in regard to registration of Ayurvedic/Unani Practitioners and action taken thereon.

Serial No.	Reports of Swami Taragiri	Action taken by Government
1	On 29th December, 1961, Swami Taragiri sent a list of 17 persons to the Registrar, Patiala Board indicating some points in regard to their wrong registration. A copy of this list was sent to Government	The Registrar, Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Punjab, Patiala when asked to send his comments in regard to Swami Taragiri's letter stated that the matter had been placed before the Board for decision as required by the Act and action will be taken according to the decision of the Board.
2	On 6th April, 1962, Swami Taragiri demanded dissolution of the Board of Ayurvedic and Unani systems of Medicine, Punjab, Patiala as the members of the Board were in league with the Registrar and the *ex officio* President (Shri K.N. Missar)	It was decided that as it will be of no use to prolong the case by dragging it indefinitely by such tactics of the complaint, the complaint may be ignored. In future too no notice of the complaints of Swami Taragiri was to be taken.

Serial No.	Reports of Sawami Taragiri	Action taken by Government
3	The registration qualifications of :— (1) Shri Kanti Narain Missar (2) Shri Keerti Sharma, Principal (3) Shri Madan Mohan Chopra, Professor (4) Shri R.N. Bhardwaj, Registrar, were called into question ,—*vide* his four-chapter complaint	The cases of persons mentioned at S. No. (1) and (2) having already been decided, no action was considered necessary in their respect. The matter respecting Shri Madan Mohan Chopra is under the consideration of Government. The allegations against Shri R.N.Bhardwaj have not been substantiated.

T.A. AND D.A. CHARGED BY THE DIRECTOR AND *ex-officio* PRESIDENT OF THE BOARD OF AYURVEDIC AND UNANI SYSTEMS OF MEDICINE, PUNJAB.

752. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Director and *ex-officio* President of the Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Patiala, attended the conventions held at various stations in India convened by the All-India State Boards and Council, New Delhi;

(b) whether the said officer charged any Travelling Allowance and Daily Allowance for the purpose of attending the conventions mentioned in part (a) above; if so, the capacity in which he did so ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes.

(b) Yes, In his capacity as *Exofficio* President of the Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicines, Punjab, Patiala.

LOANS TO HARIJAN BENEFICIARIES UNDER THE CENTRALLY-SPONSORED SCHEME

823. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the State Land Mortgage Bank, Jullundur, has decided not to entertain any application for loan to the Harijan beneficiaries to whom loan is to be advanced under the Centrally -sponsored Scheme unless Rs. 25 are paid by the Harijan beneficiaries as loan fee or application fee for making himself eligible for loan; if so, when and the reasons therefor, together with the date when the Harijan Welfare Department was informed of the decision ;

(b) the number of Harijan beneficiaries, if any, who have so far paid Rs. 25 with their applications for the said loan;

(c) whether it is also a fact that the Harijan Welfare Department has protested against the above said decision of the Bank, if so, when;

(d) the rate of interest which the said Bank is charging from the Harijan beneficiaries on the said loans at present ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. The Bank intimated its decision on 21st November, 1962 to charge an application fee amounting to Rs. 25 with effect from 1st December, 1962 to meet incidental expenses incurred by the Bank for the verification of loan application and legal fee. The

matter regarding the exemption from the payment of loan application fee is under consideration of Government.

(b) 147.

(c) Yes, on 14th March, 1963.

(d) The normal rate of interest is 6½ per cent per annum. In case of default it is 7½ per cent per annum.

ARREARS OF HOUSE BUILDING LOANS

824. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state —

(a) whether it is fact that at present there is a large number of defaulters against whom arrears are outstanding in respect of house building loans granted under the L. I. G.H/M.I.G.H. Schemes in Chandigarh; if so, the total number thereof as on the 31st December, 1962;

(b) the names of those against whom loan exceeding Rs. 3,000 is outstanding, as on the 31st December, 1962, together with the reasons for the non-recovery of the above loans so far and the details of steps Government now propose to take in the matter ?

Sardar Darbara Singh (Planning and Development Minister) : (a) (i) The total number of defaulters under Low Income Group Housing Scheme is 157.

(ii) There is no defaulter under the Middle Income Group Housing Scheme.

(b) There is no loanee under MIGH and LIGH Schemes against whom arrears exceeding Rs. 3,000 are outstanding. Serious efforts have been started to recover the arrears.

LAND IRRIGATED IN ABOHAR DIVISION

857. Shri Satya Dev : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total area of land under the Abohar Division Canal Department irrigated during the years 1960, 1961 and 1962, together with the total area of land scheduled to be irrigated in Abohar Division in 1963;

(b) whether any cut was made in any canal in Abohar Division during the years mentioned in part (a) above; if so, by whom and the action taken against them;

(c) the number and names of Patwaries transferred by the X.E.N., Canals, Abohar Division during the period from January, 1962 to date, the names of places from where and the names of places to which these Patwaries were transferred, together with the reasons there for ;

(d) whether any meeting of Zamindars was called by the X. E. N., Canals, Abohar Division during the year 1962; if so, the names of the persons who attended the meeting and the contents of the resolution passed at the said meeting ;

(e) the total number of such cases decided by the X. E.N., Canals, Abohar Division during the year 1962 in which landowners or tenents possessing less than 20 acres were involved, together with the number of applications or cases filed by small landowners in connection with said cases and the number of cases decided in which big and well-to-do landowners possessing more than 20 acres were involved;

(f) whether any new outlets were constructed for irrigation purposes in Abohar Division during the year 1960; if so, their number and names of the places where constructed ;

(g) whether any of the old outlets were widened during the said period; if so, their number and names of the places where widened ?

Chaudhri Ranbir Singh :

	Actual Irrigation Acres	C. C. A. Acres
(a) 1960-61 ..	5,82,060	6,56,118
1961-62 ..	6,22,272	6,56,197
1962-63 ..	7,70,967	8,33,447
1963-64 ..	5,16,737 (Proposed)	6,50,000

(b) Yes, the number of cuts is as under :—

During 1960 : 49
During 1961 : 43
During 1962 : 59

As regards the names, the cuts were effected by certain individuals, who have been challaned and the cases are *sub judice* and those who will be convicted, will be intimated later.

(c) Statement No. 1 attached.

(d) No.

(e) No record is available to show the ownership above and below 20 acres separately and requisite information cannot, therefore,be furnished. 2,684 applications were received during the year 1962 out of which 2,487 cases were decided .

(f) Yes, 2 new outlets in village Malout were constructed.

(g) Statement II showing the details is attached.

STATEMENT NO. 1

Statement showing the names of the Patwaries transferred by the Executive Engineer, Abohar Division, from January, 1962 to date from where and to which place and reasons for transfer.

Serial No.	Name of the I.B.C.	From	Posted to	Reason of transfer
1	2	3	4	5
	Sarvshri—			
1	Bishan Lall ..	Halqa Gadandob of Sarawan Section	Halqa Abohar No. 1 of Abohar Section	Over three years stay
2	Bant Singh ..	Halqa Khunan	Halqa Bhagsar of Mahanbader Section	Over three years stay
3	Amlok Raj ..	Halqa Maujgarh of Jandwala Section	Halqa Khuhian Sarwar of Abohar Section	On request

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the I.B.C.	From	Posted to	Reason of transfer
1	2	3	4	5
4	Bishan Dass, son of Chint Ram	Halqa Sappanwali of Jandwala section	Halqa Rori Kapure of Jaito section	Administrative reasons
5	Ved Parkash son of DesRaj / Sarup Chand	Wara Bandi Malout Wara Bandi Abohar	Wara bandi Abohar of Abohar Section	Mutual Exchage
6	Baga Singh ..	Halqa Abohar No. 1 Abohar section	Halqa Alamgarh of Jandwala Section	Over three years stay
7	Sarja Singh ..	Halqa Bhagsar of Mahanbadder section	Warabandi section Muktsar	Over three years stay
8	Bishan Lall ..	Halqa Abohar No. 1 of Abohar section	Halqa Patrawali of Abhohar section	On request
9	Avtar Singh ..	Halqa Alamgarh of Jandwala section	Halqa Gadandob of sarawan section	Administrative Reasons
10	Niranjan Singh / Jhanda Singh ..	Warabandi Abohar / Warabandi Malout	Warabandi section Malout	Mutual Exchange
11	Baldev Singh ..	Halqa Koni of Kot Kapura Section	Warabandi Muktsar	Administrative reasons
12	Des Raj ..	Warabandi Section of Abohar	Halqa Sappanwali of Jandwala Section	On request
13	Pritam Chand ..	Halqa Sukhnaablu Malout section	Halqa Ghaggar of Malout section	Over three years stay
14	Baboo singh ..	Halqa Ghaggar of Malout section	Halqa Kandwala of Dhaaranwala section	Ditto
15	Ajit Singh / Prap Singh ..	Halqa Chhatianwali / Halqa Jhotianwali of Mahanbauder section	Mutual Exchange	Mutual Exchange
16	Jaswant Singh ..	Halqa Rajpura of Rasulpur section	Halqa Sikhwala of Rasulpur section	On request
17	Bhagwan Singh	Halqa Punjawa of Jandwala section	Warabandi section, Malout	Administrative Reasons
18	Kulwant Rai ..	Halqa Bhagsar of Rasulpur section	Halqa Mahani Kera of Rasulpur section	Over three years stay

Serial No.	Name of the I.B.C.	From	Posted to	Reason of transfer
1	2	3	4	5
19	Ved Parkash ..	Warabandi Abohar	Halqa Bhanger of Jandwala section	Over three years stay
20	Chanan Singh ..	Halqa Sikhwala of Rasulpur section	Warabandi section Muktsar	On request
21	Tershem Lall ..	Jaito of Jaito section	Halqa Kotkapura of Kot Kapura section	Over three years stay
22	Baga Singh ..	Halqa Alamgarh of Jandwala section	Halqa Ramsara of Azimgarh section	On request
23	Keshar Chand ..	Halqa Mouj Garh of Jandwala section	Warabandi section, Malout	Over three years stay
24	Ved Parkash ..	Halqa Kot Kapura of Kot Kapura section	Halqa Jaito of Jaito section	Ditto
25	Inder Bikarem jit Singh	Halqa Warabandi Malout	Halqa Dalbirke of Jandwala section	On request
26	Jagdish Lall ..	Ramgarh of Muktsar section	Halqa Diwan Khera of Jandwala section	Over three years stay

STATEMENT NO. II

List showing adjustment of outlets of channels of Abohar Division due to inclusion of new area, sanction of Gardens, transfer of area from one outlet to another and remodelling

Serial No.	Name of channel	R.D. of outlet	Village where situated
1	2	3	4
1	Punjawa ..	11180/L	Abohar
2	Punjawa ..	17200/R	Abohar
3	Azamwala Minor ..	10705/R	Patrewala
4	Barkandi Minor ..	17191/T.F.	Rupana
5	Ditto ..	17191/T.R.	Geniana, Mukatsar
6	Ditto ..	76816/R	Thandewala
7	Khara Minor ..	40000/T.R.	Haraj
8	Kotkapura ..	29030/R	Kotkapura
9	Doultpur Minor ..	2500/R	Alamgarh

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of channel	R.D. of outlet	Village where situated
	2	3	4
10	Dhanban Minor	.. 10400/R	Dhaban
11	Sheikhu Minor	.. 4788/R	Sheikhu
12	Ditto	.. 10836/R	Jandwala
13	Daultpur Minor	.. 39040/L	Sappanwali
14	Ramsara Minor	.. 23507/L	Rajanwali
15	Malukpur Minor	.. ..	Dalmirkhera
16	Daultpur Minor	.. 34400/L	Sappanwali
17	Malukpur Minor	.. 43126/R	Malukpur
18	Daulatpura Minor	.. 90190/L	Kallarkhera
19	Ditto	.. 2500/R	Alamgarh
20	Malukpur	.. 163805/L	Jandwala
21	Ditto	.. 17854/R	Sarawan
22	Ditto	.. 169600/R	Jandwala
23	Ramsara Minor	.. 35673/L	Ramsara
24	Daulatpura Minor	.. 941591/R	Kallarkhera
25	Malukpur	.. 89721/L	Alamgarh
26	Ditto	.. 100637/L	Gulabgarh
27	Ditto	.. 64650/R	Kera Khera
28	Mehrajwala Minor	.. 25300/R	Duhewala
29	U/Doda	.. 39150/R	Doda
30	Ditto	.. 82835/R	Do
31	U/Doda	.. 84908/R	Do
32	Lower Doda	.. 8767/L	Giljewala
33	Ditto	.. 8767/R	Do
34	Ditto	.. 12347	Do
35	Ditto	.. 14312/R	Khunan
36	Ditto	.. 15798/L	Do
37	Ditto	.. 23412/L	Dubewala
38	Ditto	.. 35712/R	Karaiwala

Serial No.	Name of channel	R.D. of outlet	Village where situated
1	2	3	4
39	Lower Doda	.. 37822/R	Saunke
40	Ditto	.. 38612/R	Ramnagar
41	Ditto	.. 43222/LR	Jhuran
42	Ditto	.. 43222/LL	Aulakh
43	Ditto	.. 43222/T.F..	Ena Khera
44	Ditto	.. 30155/L	Madhak
45	Assabuter	.. 245/L	Kauni
46	Ditto	.. 7315/L	Do
47	Ditto	.. 18730/TF	Do
48	Karmgarh	.. 22116/R6	Sarawan
49	Kauni Mr.	.. 550/R	Assabuter/Kauni
50	Ditto	.. 6415/R	Kauni
51	Ditto	.. 18490/TF	Bhullar Kauni
52	Kotbhai Minor	.. 11135/R	Kotbhai
53	Ditto	.. 22000/R	Do
54	Jaitu Disty.	.. ..	Jaito
55	Gurusar Minor	.. 1250/R	Gurusar
56	Ditto	.. 2800/R	Do
57	Ditto	.. 3075/L	Do
58	Ditto	.. 10260/TR	Ghagha
59	Ditto	.. 10260/TF	Bhaniani
60	Sheikhu Minor	.. 4788/TR	Sheikhu
61	Ditto	.. 4788/TL	Jandwala
62	Ditto	.. 4788/TF	Malout
63	Jaitu Disty.	.. 124810/L	Chhatiana
64	Ditto	.. 32168/R	Jaity
65	Ditto	.. 38386/R	Do
66	Lambi Disty,.	.. 107360/R	Modi Khara
67	Lambi Teona	.. 166593/R	Bhageer
68	Sarawan	.. 68090/L	Gobindgarh

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of channel	R.D. of outlet	Village where situated
1	2	3	4
69	Sawan	.. 23670/L	Pakki
70	Do	.. 50710/L	Gobindgarh
71	Do	.. 37246/L	Balluana
72	Assabuter	.. 4750/R	Arniwala
73	Do	.. 14800/R	Panniwala
74	Arniwala	.. 117350/R	Tahliwala Jattan
75	Bhagsar Minor	.. 13330/L	Gandar
76	Bam Sub-Minor	.. 13330/L	Bam
77	Arniwala	.. 60795/R	Chibranwali
78	Muredwala Minor	.. 31316/L	Dharangwala
79	Midda Minor	.. ..	Mohlan
80	Arniwala	.. 92226/R	Dhipanwali
81	Do	.. 127160/R	Kandhwala and Hazarkhan

INDUSTRIAL LOANS

868. Guru Jaswant Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names and addresses of the persons to whom industrial loans have been advanced in the State during the period from January, 1960 to February, 1963 together with the amount given to each of them ;

(b) the purposes for which the said loans have been sanctioned ;

(c) the names and addresses of the sureties of such loanees ;

(d) the details of recoveries of the said loans and instalments in connection therewith ;

(e) the names and addresses of the persons who are defaulters and details of the amounts involved in these defaults ?

Sardar Partap Singh Kairon : It is not in public interest to disclose the names of the loanees.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

REPRESENTATION FROM PUNJAB GALLA MAZDOOR UNION

***3082. Sardar Gurdial Singh Dhillon :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

10 a.m.

(a) whether he has recently received a representation from the President, All Punjab Galla Mazdoor Union stating their grievances arising out of the implementation of Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961; if so, the details thereof ;

(b) whether the representatives of the Galla Mazdoor Union were consulted before the old system of weighing by Takri was done away with ;

(c) whether these 'Galla Mazdoors' went on strike and the Government gave them an assurance to look into their grievances provided they gave up the strike; if so, the details of the assurances given ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. The demands were that—

(i) The weighmen should not be required to obtain licences ;

(ii) hand scales (Takri) should be permitted to be used in transactions in agricultural produce.

(iii) labour charges should be fixed in consultation with the representatives of the Union ;

(b) No. The use of Takri stands prohibited under Section 43(2) (xi) of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(c) Yes. A compromise on their demands was reached as a result of which the strike was called off.

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : मैं पार्ट 'सी' के बारे में पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो बताया कि कम्प्रोमाइज़ हो गया था, उस की शर्तें क्या थीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਉ। ਜੇਕਰ ਘਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੰਸ ਹੀ ਸੀ। ਕੰਮਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਤਕੜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 43 ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਚ ਤੋਲੇ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਲਹਾਵੇ, ਛਣਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਗ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਹਾਵੇ, ਤੋਲੇ, ਛਣਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਕ ਸੀ ਜੋ ਅਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਪਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ

[ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤੀ]

ਹਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਏੜਗੇੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੋਇਆ।

डा० बलदेव प्रकाश : उन की ये मांगें थीं कि जो अलग अलग काम करने वाले हैं, छानने वाले हैं, तोलने वाले हैं, उतारने वाले हैं, आदि, उन में से कोई बेकार न हो। वे काम पर लगे रहें और उन को पैसे कम न मिलें। मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिलाया था कि उन में से कोई बेकार नहीं होगा और जिस दर से उन को पैसे मिलते हैं वह दर कम नहीं होगा बल्कि उस से ज्यादा पैसे ही मिलेंगे। तो क्या वे बताएंगे कि क्या यह स्पष्ट आश्वासन नहीं था ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਧ ਬੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਘਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜ 5 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਜ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਦੋਸਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਇਹ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਉ।

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

QUESTION OF PRIVILEGE

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ *ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਲਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ।

> "61(1). In February of each year the Board shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure for the ensuing year.
>
> (2) The said statement shall include a statement of the salaries of members, officers and servants of the Board and of such other particulars as may be prescribed.
>
> (3) The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the House or as the case may be Houses of the State Legislature ; and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote."

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1961-62 ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਈ-ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 1961-62 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਜਿਲੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਰਖਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Mr. Speaker : The hon. Member has explained his motion. He should now resume his seat. There is weight in the motion. I think the Government, through an oversight, have not been able to fulfil the conditions laid down in the Statute.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल तो मेरे ख्याल में कुछ गलती रही। अब की दफा समय की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। वैसे यह फैसला हो चुका है और मेरा ख्याल है कि वह कागज़ात अब तक आप के दफ़तर में पहुंच जाने चाहिएं और अगर आज तक नहीं पहुंचे होंगे तो आज पहुंचा दिये जायेंगे ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਂਈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

---

*"**Shri Balramji Dass Tandon :** With your kind permission, Sir. I want to bring to the notice of the House that the privilege of the House has been infringed as the requirements of the Electricity Act, for placing the financial statement of the Electricity Board before the Vidhan Sabha every year, has been openly flouted. So much so that even the statement for the year 1963-64 has not been placed before the House. This is a serious matter, and I request you, Sir, to do the needful accordingly

[ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ]

1961-62 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 1962-63 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਹੈ। It is clearly a matter of privilege of the House.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member not to be very sensitive about these things. The Government should have placed the Annual Financial Statement of the State Electricity Board on the Table of the House and I have already said this.

Shri Balramji Dass Tandon : This is a serious case and it calls for serious action.

Mr. Speaker : I will give another chance to the Government. If it is not immediately placed on the Table of the House, the matter will be referred to the Privileges Committee.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1963-64 की फाईनानशल स्टेटमैंट मिल चुकी है और उस रिपोर्ट को हाउस की टेबल पर रखा जा रहा है। वह आप के दफतर में पहुंच चुकी होगी या आज पहुंच जाएगी। लेकिन जहां तक पिछली रिपोर्ट ......

Mr. Speaker : I would request the hon. Minister for Irrigation and Power that he should not, for God's sake, drag my office in this. It has not yet been received in my office. There is absolutely no justification to say that the Statement has been received in my office. The hon. Minister may say that it will be placed before the House.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, वह रिपोर्ट आप के दफतर में पहुंच जानी चाहिए थी। शनिवार वार को मेरे दस्तखत होकर वह रिपोर्ट मेरे दफतर से चली है। पता नहीं कि अभी तक वह आप के पास पहुंची है या नहीं। अगर नहीं पहुंची तो आज पहुंच जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं ने यही निवेदन करना था।

जहां तक सन् 1962-63 की रिपोर्ट का ताल्लुक है वह रिपोर्ट पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से पंजाब सरकार को मार्च 1962 के आखिरी हफते में मिली थी। पहले आम तौर पर यह रिवाज रहा है कि वह रिपोर्ट पहले कैबिनेट के पास पहुंचती है। वहां पर इस पर गौर करते थे और जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट और फाईनैंस डिपार्टमैंट गौर कर लेता था तो उस के बाद हाउस के सामने रखते थे। लेकिन यह समझा गया कि उस से काफी देरी हो जाती है और जब कि इस सदन और दूसरे सदन के माननीय सदस्यों ने ज़ोर दिया है तो अब की दफा यह फैसला किया गया कि ज्यूं ही वह रिपोर्ट पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे पास पहुंचे तो सरकार उस को सदन में पेश कर दे और हाउस में बहस होने के बाद जो फैसला सरकार ने करना होगा उस वक्त सदन की राए उस के सामने होगी।

डा० बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, इस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक्ट में एक बात साफ तौर पर दर्ज है कि पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हर साल फरवरी के महीने में पंजाब गवर्नमैंट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और as soon as it is received वह रिपोर्ट गवर्नमैंट को हाउस में lay करनी होगी। अब मार्च का आखीर होने को है मगर रिपोर्ट हाउस के सामने नहीं आई। मिनिस्टर साहिब ने बजाय इस बात को मानने

के यह कह दिया कि वह रिपोर्ट आप के दफतर में पहुंच चुकी होगी या पहुंच जाएगी। मैं इस बात में न जाता हुआ यह कहना चाहता हूं कि जब Act के प्रोवीज़न्स के मुताबिक यह रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई तो It is definitely a case of breach of privilege of this House.

इस लिये यह मामला प्रिविलेजिज़ कमेटी को रैफर होना चाहिए, वहां पर पूरी तरह से एग्ज़ामिन होना चाहिए कि क्या यह डिले जानबूझ कर की गई है या नहीं। इसी तरह पिछली रिपोर्ट, जैसा कि मिनिस्टर साहिब ने बताया है, इन के पास मार्च में पहुंच गई। यह भी बताया गया कि कभी फलां डिपार्टमैंट ने इस को एग्ज़ामिन किया कभी फलां ने और आखिर में कैबिनेट ने इस पर गौर किया। अगर बजट सैशन में वह रिपोर्ट हाउस के सामने नहीं लाई जा सकी थी तो कम से कम नवम्बर सैशन में तो ले आनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त भी यहां उसे पेश नहीं किया गया और अब तक हाउस को वह रिपोर्ट डिस्कस करने से महरूम रखा गया है। अभी तक भी वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। इस लिये इन वाक्यात के पेशे नज़र में आप से दरखास्त करूंगा कि यह केस प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाना चाहिए और वहां पर पूरी तरह से इस की जांच पड़ताल होनी चाहिए। यह कहना कि अब गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए और टची नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। सवाल हाउस की डिगनिटी और प्रिविलैजिज़ का है और इसे ज़रूर यहां लेना चाहिए। It should be examined in all its aspects.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, the position has already been discussed in the House a number of times. The position is that such Reports must be laid before the House. But the period when such Reports are to be laid is not very specifically mentioned in the provision made in this connection. If these Reports are laid on the Table of the House, these must be discussed. It is an omission on the part of the Government, but I don't think that it is a question of privilege.

Mr. Speaker : It is a privilege of the House to discuss these Reports and to deny the House to discuss the same will naturally amount to breach of privilege. The State Electricity Board must submit to the State Government the Annual Financial Statement in February each year. I do not know if the Board has submitted this Statement to the Government. According to the provision, the State Government shall, as soon as may be, after the receipt of the Annual Financial Statement cause it to be laid on the Table of the House. Although no specific date as to the laying of the Statement on the Table of the House is given in the provision to this effect, yet the Government shall, immediately after its receipt, cause it to be laid on the Table of the House. I will, as already stated, give another chance to the Government to place it before the House. After it is laid on the Table, time will be given to the House for its discussion.

The Business Advisory Committee of the Vidhan Sabha has taken certain decisions. The duration of the current Session is going to be extended by 2-3 days. Ample opportunities will, therefore, be given to this House to discuss all such Reports. The matter should be closed here.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे सही तारीख याद है तो सन् 1962-63 की रिपोर्ट गवर्नमैंट के पास 26-3-1962 को पहुंची। जहां तक सन् 1963-64

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]
की रिपोर्ट का ताल्लुक है वह चार पांच दिन पहले हमें मिली और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, शनिवार को मैं ने उन कागजात पर दस्तखत किए।

बाबू बचन सिंह : उस में लफ़्ज़ "शैल" लिखा हुआ है।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : ठीक है, वह गवर्नमैंट के लिये है लेकिन जैसा कि मैं ने पहले अर्ज किया पहले यह समझा जाता था कि इस रिपोर्ट पर फिनांस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट गौर करे, कैबिनेट में डिस्कस हो और फिर हाउस में पेश की जाए। लेकिन अब चूंकि इस सदन के और दूसरे सदन के माननीय सदस्य यह चाहते हैं—और हम समझते हैं कि सरकार के लिये भी यह अच्छा होगा कि दोनों हाउसिज़ की राए सरकार के सामने हो, तो यह House में पेश की जा रही है। वैसे मैं जानता हूं कि सदन को इस पर वोट नहीं करना होता लेकिन फिर भी हम ने फैसला किया कि पहले वह रिपोर्ट हाउस में डिस्कस हो जाए ताकि माननीय सदस्यों की राए भी कैबिनेट के सामने हो।

(*Interruptions and Noise*)

Mr. Speaker : I would request the hon. Members not to make noise. They should rather listen to what the hon. Minister is saying.

श्रीमती सन्नो देवी (उपाध्यक्षा) : प्वाएंट आफ आर्डर। जनाब, मैं इस में आप की मदद चाहती हूं कि जब हाउस में चौधरी रणवीर सिंह, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री खड़े होते हैं तो चारों तरफ से शोर मचना शुरू हो जाता है। मुझे डर है कि यह कहीं वायोलैंट न हो जाए क्योंकि इन को वायोलेंट हो जाने की आदत है। इन्होंने रोहतक में एक आदमी को पिटवाया था...

Mr. Speaker : The Deputy Speaker may herself give the ruling on the Point of Order raised by her when she occupies the Chair.

As regards the Question of Privilege, I consider that so far as the Statement of the last year is concerned, the Government have definitely committed a breach of privilege. It is clearly laid down in the Act :

> "In February of each year the Board shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure for the ensuing year....
>
> The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the House or as the case may be, Houses of the State Legislature : and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote."

The Government cannot, therefore, escape their responsibility for laying the same on the Table of the House. The statement should have been placed before the House. So far as this year's Statement is concerned, there is no date fixed as to when it is to be laid on the Table of the House. Now, as the Assembly is in session, I hope the Financial Statement of the Board for the year 1963-64 would be laid before the House immediately. I would, therefore, request that the matter be dropped. I assure that an ample opportunity would be provided to the Members to discuss the Statements, both for the years 1963-64 and 1962-63.

(*At this stage, a copy of the Financial Statement of the Electricity Board for the year* 1963-64 *was made over to the Honourable Speaker by the Secretary.*)

A copy of the Financial Statement of the Electricity Board for the year 1963-64, has just be n delivered in the Vidhan Sabha Secretariat at 10.20. A.M. It appears that apprehending some trouble on this account, someone from the Government has managed to deliver it just now.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से इस के लिये हाउस से माफी चाहता हूं....

चौधरी देवी लाल : प्वाएंट आफ आर्डर, जनाब। जहां तक ब्रीच आफ प्रिवलेज का ताल्लुक है उस का तो आप ने फैसला दे दिया है। मुझे इस पर बड़ी खुशी है लेकिन मुझे यह सुन कर बड़ी हैरानी हुई है कि एक आनरेबल मिनिस्टर बड़े वायोलेंट हैं। इस से हमें खदशा पैदा हो गया है। इस लिये, स्पीकर साहिब, हमें उन से प्रोटेक्टशन मिलनी चाहिए ताकि वह हम पर कहीं हमला न कर दें।

Mr. Speaker : I would request the House not to be touchy about such things, particularly when the Government have admitted their mistake in this connection.

Chief Minister : I may submit, Sir, that the breach of Privilege, if any, has been committed by the State Electricity Board and not by the Government. The Board are required to submit their Financial Statement annually and they are to blame for their failure to do so in time.

Mr. Speaker : The position is that we cannot deal with the autonomous bodies directly. The House can deal with them only through the Government. There is no obligation on the part of the State Electricity Board to submit their annual Statement directly to this House. If it were obligatory on them, they would have been held guilty for the breach of privilege. So, the responsibility squarely lies on the Government. I would request the Government to take a serious note of the lapse on the part of the Electricity Board.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : स्पीकर साहिब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट 26 मार्च को भेजी थी जिस के लिये मैं बोर्ड की तरफ से मुआफी मांगता हूं।

Home Minister : I may submit, Sir, that the vi.ws of the Honourable Speaker as well as of the Honourable Members of this House have been fully conveyed to the Government. We shall see that, in future, the Electricity Board submit their Annual Fin ncial Statement in proper time to the Government, and that it is also laid before the House at the appropriate time.

Mr. Speaker : Now, the matter ends.

CALLING ATTENTION NOTICES

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरी एक *कालिंग अटैंशन मोशन भी है।

श्री अध्यक्ष : टण्डन साहिब की एक *कालिंग अटैंशन मोशन है जिस में उन्होंने लिखा है कि एक सब-जज ने एक केस को सिर्फ इस लिए रिजेक्ट किया है क्योंकि वह हिन्दी में लिखा था। (There is a Calling Attention motion notice for which has been given by Shri BalramJi Das Tondon.

*Shri Balram Ji Dass Tandon : With your permission, Sir, I want to draw the attention of the Government that contrary to the statement of the Chief Minister in the House, a Sub-Judge in Jullurdur has rejected a case merely because it was written in Hindi. Will the Government throw some light on the same?"

[श्री अध्यक्ष]

Through it he wants to draw the attention of the House to the fact that a Sub-Judge has rejected a case because it had been filed in Hindi .)

The Sub-Judges are under the jurisdiction of the High Court, and the affairs of the High Court cannot be discussed in this House. The Calling Attention Notice is, therefore, out of order.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਜੋ ਜਨਾਬ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਜਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜਜ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ **entertain** ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

Mr. Speaker : The Sub-Judges are under the jurisdiction of the High Court. The State Government cannot, therefore, be held responsible for this. I have already given my ruling in this connection.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਗੜੇ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੀ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker: The Government are considering the matter. The hon. Member will have to wait for some time.

THIRD REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : I present the Third Report of the Business Advisory Committee, i.e., the time table fixed by it in regard to holding of double sittings on various days for consideration of Bills repealing Ordinances and in respect of taxations, extension of current session, etc.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

Shri Balramji Dass Tandon : We have not so far received the Report of the Business Advisory Committee. How can we express our views about it ?

Home Minister : It is being distributed to the Members.

Mr. Speaker : Every Group is represented on the Business Advisory Committee. The recommendations made by them were all unanimous. Now, if any Honourable Member wants to criticise the Report, it will be rather unfortunate.

Shri Balramji Dass Tandon : I have not received the Report, Sir.

Mr. Speaker : It is being circulated.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY REGARDING CERTAIN BILLS

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make some announcements.

Secretary : Sir, Under rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1963, passed by the Punjab Vidhan Sabha on the 28th February, 1963 and transmitted to the Punjab Legislative Council on the 4th March, 1963, has been agreed to by the said Council without any amendment on the 18th March, 1963.

2. Further that the Punjab Gift Goods (Unlawful Possession) Bill, 1963, passed by the Punjab Legislative Council on the 18th March, 1963, has been received. I also lay a copy of the said Bill on the Table of the House.

DEMANDS FOR GRANTS

19—GENERAL ADMINISTRATION.

23—POLICE.

(RESUMPTION OF DISCUSSION)

Shri Mangal Sein, who was in possession of the House when it adjourned on 18th March 1963, rose to speak).

Mr. Speaker : I can give the hon. Member only two minutes to speak. He spoke Yesterday for 15 minutes.

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, आप ने कहा है कि मैं एक आध मिनट बोल लूं। मेरी अर्ज़ है कि अभी मैं ने तीन चार प्वाएंटस् पर बोलना है जिस के लिये मुझे कम अज़ कम 7 या 8 मिनट समय चाहिए। इसलिये मुझे बोलने के लिये ज़्यादा time दें।

Mr. Speaker: I have already allowed the hon. Member only two minutes more to Speak.

Shri Mangal Sein : I walk out as a protest. (Shri Mangal Sein then Staged a walk out.)

पंडित बाबू दयाल शर्मा : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, सर। जिन मैम्बर साहिबान ने कट मोशन्ज़ के नोटिस दिये हुए हैं क्या उन को उसी तरतीब से बोलने का हक है या कि नहीं? अगर नहीं है तो इस प्रैक्टिस पर इतना पेपर और समय ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है?

Mr. Speaker : These cut motions are meant to draw the attention of the Speaker. It is not obligatory on him to give time to those who give notice of such motions.

Chaudhri Hardwari Lal (Bahadurgarh) : Mr. Speaker, Sir, when the Home Minister was replying to the general debate on the Budget, the other day, I was carefully listening to his defence of the expenditure on Civil Administration and Police. He practically ignored the increase in

[Chaudhri Hardwari Lal]
expenditure, in the Budget under discussion, on General Administration. The increase amounts to Rs. 21 lakhs on General Administration alone. He tried to make out that the increase is negligible and that the percentage which this new expenditure bears to the total expenditure of the State is much lower to day than it was a few years ago. Surely, Sir, the position would have been fantastic if it had not been so. There has been a continual increase in the income of the State, and in the size of the Budget of the State, and it would have been disastrous for the State if this really had not been the case. I am sure, Sir, that this is a wrong way of looking at things.

Again, the Home Minister tried to institute a comparison between this State and certain other States in the matter of expenditure on General Administration. May I submit, Sir, that this comparison was not much to the point ? The constituents or elements of General Administration differ from State to State ; also the problems of different States are different, and such a comparison would not, therefore, reveal very much. As a matter of fact, Sir, the real question to be considered with regard to the grant relating to General Administration is whether the scope for economy has been fully explored and exploited. I maintain that there is still considerable scope for further economy, especially in higher ranks of the Administration. The explanatory memorandum to the Budget says with regard to the General Administration :

> "Compared with the total provision the increase of Rs. 21 lakhs is negligible and needs no specific explanation".

To be sure, Sir, it is a very strange way of looking at things. For one thing, the increase of Rs. 21 lakhs is not negligible. Secondly, the scope for economy in General Administration is not being explored. But, I would not quarrel over a few lacs of rupees, or even over 21 lacs of rupees. I would not quarrel, if we could give to the people, a clean, decent and efficient Administration. The State, you will agree, needs nothing so much at present as a clean and speedy Administration. I, therefore, propose to talk only about the manner in which we are administering the State.

The dominant theme of the Budget has been and should have been that the entire economy and the entire Administration of the State should be geared to the promotion of war effort. It is all the more reason for me to concentrate on certain basic principles of the prevalent style of our Administration. After all, Sir, war effort will not be a matter of mere rifle training ; it will not be a matter of merely holding of rallies ; it will not be a matter of merely collecting funds. It will be, more than anything else, a matter of raising the morale of the services, the morale of the Administration and of the public, and of infusing in them the spirit to resist wrong, and the will to fight for certain political and social values. I regret to say that the prevalent style of Administration, or the manner in which we are administering the State, is calculated to demoralise the services, to demoralise the public and to destroy all decent basis of political and social life in the State. (Voices : *Hear, hear*).

You will agree, Sir, that leadership at various levels is the basic principle of all organised Government. It is as necessary in the field of Administration as it is in the public life. Now, leadership has been completely destroyed so far as the Administration is concerned. It has been destroyed according to what would seem to me a set pattern and through certain calculated steps, which include things like surprise written tests of senior officers, frequent display of calculated discourtesy to senior officers, and arbitrary categorisation of the personnel for the purpose of

promotion. There are, then, improper appointments, not only in the Departments directly under the Government, but also in statutory bodies, like the Marketing Board, the State Electricity Board, and even in bodies like the Public Service Commission. Promotions and demotions are often arbitrary. Certain recent promotions in the Police, for example, are the chief scandals of the day. I would not refer to the officers by name. Orders from the top are often rash and improper and if there are any officers who would question the propriety of such orders, they may even have to face criminal cases, to be started without much base or substance, to involve them and their families, in discredit, anxiety and expense, and to provide examples which the other Government officers and their families would be all the more eager to avoid.

As to interference in day-to-day administration, Sir, there seems no point at all where the Central authority gives place to local initiative or to local exercise of powers. Indeed, all the initiative in the administration has been killed at the circumference and all the leisure has been abolished at the top. And this is not only because of the excessive desire on the part of Cabinet to handle administration from Chandigarh down to the minutest details but also because of a desire to frighten the services. The result is complete demoralization and inaction in all the ranks of administration.

You would recall, Sir, that the other day I put a question to one of the hon. Ministers. I tried to elicit information whether he had tried to interfere in some semi-judicial case. You would also recall, Sir, the answer he gave. The hon. Minister said that he had written a letter, but that he had subsequently withdrawn the letter. He had withdrawn it, Sir, because I had written to protest that even though he was a Minister, he had no business to interfere in semi-judicial cases. This is the state of affairs, Sir, and I dare say that this is not an imaginary state of affairs. Every second or third Government servant whom you come across, will narrate to you the manner in which the services have been demoralized and frightened. As a matter of fact these happenings in the State have attracted the notice even of foreign observers. I shall quote from a book recently published in London. The book is 'Reporting India'. The author of the book, sometime ago, happened to meet the Prime Minister and she spoke about certain features of some of our Governments and corruption was one of them.

Shri Balramji Dass Tandon : Who is the author of that book ?

Chaudhri Hardwari Lal : The author of the book is 'Taya Zinkin'. The book was published in 1962. She spoke about corruption and the Prime Minister said—

> "........and you said over corruption. Like what ?"

and the author replied—

> "Take the Chief Minister of the Punjab. After what the High Court said, everybody expected you to sack him. Why don't you sack him and clean up the Congress in the Punjab ?"

Sir, Governmental power, Governmental authority, Governmental resources and Governmental patronage have been so used that leadership has been completely destroyed even in the political field. The head of the Government is there, but he has no real deputy. He has no known successor. Personal or individual terrorism has been accepted as the normal means of political struggle. (*Cheers*). The present style of Government has produced fierce hatreds, intrigues and plots in the public life of the State. There are fantastic vows and fantastic betrayals among public men, surprising separations and equally surprising re-unions. The

[Chaudhri Hardwari Lal]
head of the Government, as a matter of fact, sees in each man, to whatever party he may belong, a constant threat and an obstacle and the process of liquidation of public men one after the other is constantly afoot. Sir, among public men the will to resist wrong has been completely paralysed and if anybody shows the will to resist, steps are taken to relieve him of this, because it is supposed to be a disease. To resist a wrong is supposed to be a disease. (*Cheers*). There is an effective medicine for the disease. It is a mixture of initial neglect, corruption, threats and victimization. The various constituents of the mixture or the various elements of the mixture and also the dozes are varied to suit individual taste and temprament. Also, the mixture is administered only in obstinate cases, because time is trusted to cure the disease if it has not taken roots. The familiar formula is to ignore the person with utter contempt in the first instance. If his will to resist persists, he is wooed and then threatened, if necessary. If the wooing and threats do not work, the next logical step is victimization and persecution. When he, his friends and constituents have undergone adequate suffering, he is approached with proposals of renewed friendship. This is best typified by what has come to be known as the famous 'Rewari approach'. One by one, in a most systematic manner, public men of st nding and experience have been broken and discredited and the result is an extreme dearth of experienced public men in the State, who can organize democratic, political and social life, in the State. Sir, with the services utterly demoralized, especially in their senior ranks, and with the representatives of the public utterly paralysed, the public is left to look upwards to the top ; to the Head of the Government, in mute fear and utter helplessness. Of course, a patent medicine has been discovered or has been invented to keep the public also in an acceptable shape. I would call it confusionism, confusionism from confusion. The formula of confusionism is simple. We create crisis after crisis ; we create problem after problem, all to the utter fright of the public. We then resolve them and solve them to the great relief and jubilation of the public. As a matter of fact, this confusionsim keeps the public in the State and outside in constant bewilderment and ignorance. Take a telling example. A veritable army of Ministers is foisted on the State. The public feels outraged. It becomes a joke. The size of the Cabinet becomes a joke. Then, the Ministry is drastically reduced. The innocent public, the confused public applauds. But before the applause stops, another offensive creation is brought into being—a body of personal advisers. Now the public will be busy again denouncing this offensive creation. In due course this also will be scrapped and the public—the innocent, confused and ignorant public—will again shower praise for the timely step.

Sir, an impression is sedulously fostered that if anybody in the State wants results, he must approach the Head of the Government. Indeed, everything is dependent on his smiles and frowns. If he smiles at you, the whole administration is at your feet and if he frowns at you, you are in for trouble—the whole administration is against you. I shall give you a personal example. Last Summer, I happened to visit, by a regular appointment, one of the officers—the office of the Divisional Inspector of Schools, Ambala. When I entered his room, I was smoking a cigarette and the orderly at once pounced upon me and said that I could not smoke. Sir, I enquired whether I could not smoke in that room or in the precincts of the office. He replied that I could not smoke anywhere in the precincts of that office. First I tried to resist, but then I threw away the cigarette thinking that it would create an ugly scene. Later on, I wrote to the Chief

Minister protesting against this kind of behaviour. You might recall, Sir, I even sent notice of a question on the point. Unfortunately, I was not present on the day the question was put down for answer and could not ask the question and supplementaries. But I saw the written reply which said that there was no ban on smoking in Government offices. In fact, we can smoke even in the Prime Minister's office. With the letter which I had written to the Chief Minister protesting against the insult, I had also enclosed a copy of the letter which I had received from that grand Divisional Inspector of Schools in which he had said 'It is the Government's policy. We shall never allow smoking in this office'. I never received even an acknowledgment of the letter from the Chief Minister. This was months ago. I had said that the officer concerned should be pulled up. He has no business to insult fairly respected people, representatives of the people.

Sir, the truth is that the style of administration which has been evolved and perfected over the past few years tends to make one single individual too powerful.

Mr. Speaker : Kindly try to expedite.

Chaudhri Hardwari Lal : I will. As you know, I have not spoken previously during this session. This is the first major speech that I am making.

Comrade Ram Chandra : Does the hon. Member want the officer concerned to be pulled up or pulled down ?

Chaudhri Hardwari Lal : Well, Sir, the truth is that the style of administration which has been perfected over the past few years tends to make one single individual too powerful, too powerful, Sir, for the public good. The Cabinet, the Legislature, the party and the myriad committees of non-officials only provide a facade. Behind the facade sits one single individual, uncontrolled by rules, unchecked by colleagues and contemptuous even of the curbs provided in the Constitution. I am tempted again, Sir, to quote from the book from which I quoted a moment ago. This time the author, during the Communist Regime, happened to visit Kerala and she talked to the Governor of Kerala. She pointed out that it was the Governor's duty to protect the citizens and all that and the Governor, it was I think, Mr. Rama Krishna Rao, said "But the Congress Government in the Punjab is also misusing the Constitution. Why, Partap Singh Kairon, has been accused of doing things Namboodiripad would not dream of doing. Have you seen what the rebel congress charge-sheet has to say about the Chief Minister of Punjab ?" Sir, if I were to give examples in support of all this and in support of what I have said about improper appointments, promotions, unwarranted criminal prosecutions of service men and about political corruption and victimization, rampant in the State it would take me hours to narrate these countless examples.

(Voices : Not hours, but days). To save the time of the House, I would refer it to the latest report of the Public Accounts Committee. It is replete with such examples. I would also compile a list of all such examples and will send it to you, the Chief Minister and if necessary, I shall circulate it among the Members.

I shall close, Sir, by drawing your attention to the dire danger which besets democracy in this State. There is too much power in too few hands. That is the root of the trouble. There is no sense of fairplay in the administration. Those whose conduct is not conformable to the wishes of the Chief Minister are treated as second class citizens by the entire Government

[Chaudhri Hardwari Lal]
and the administration, whatever their past experience, whatever their social standing, whatever their social position. We are being rendered, Sir, more and more incapable of working the system, the political system of our adoption. The various elements of the system stand totally apart from one an other, the Chief Minister apart from the Cabinet, the Cabinet apart from the majority party and very much apart from the House and the Government and the administration, as a whole, totally apart from the public. There is really no bond of confidence among the various elements, the bond which alone can make democracy function successfully. And, Sir, against those who may wish to fight against the prevailing atmosphere and the prevalent style of administration, the odds are exceptionally heavy. There are demoralized services, panic stricken politicians, a confused and ignorant public and lastly, Sir, to our great misfortune, a subservient press, or a substantial section of it. But if we want to promote war effort in order to fight any likely foreign aggression we must restore dignity and confidence both among the services and the public , even if some of us have to form ourselves in a band willing to fight the prevailing evils of Government, without measuring the cost. It will, of course, have to be a kind of suicide squad which can fight against all evils without fear. Sir, we must speak out. At this dark moment, I call it dark in the history of the State deliberately, Sir— at this dark moment in the history of the State we need to turn back to the famous observation of the last German Emperor. The observation, Sir, is—

" To sin by silence when one should protest
makes cowards out of men
And those who dare should speak and speak
again to right the wrongs of men."

Sir, a word about the Police and I close. I shall take only a minute more. I submit that a part of the police, at any rate, is being grossly abused. I refer particuarly to the C.I.D. which is being employed to report the movements of the Members of this House. We are peaceable citizens. We are representatives of the public. Why are we ever pursued by the C.I.D. ? I talked about it to the Chief Minister. I have written to him also. If I can read out from the letters that I have written they would make a depressing reading. I have talked about it. I will not mention any particular names. I have sent letters to the Chief Minister but the pursuit has not stopped. It will, perhaps, never stop. But, Sir, so far as residential arrangements for legislators at Chandigarh are concerned you, Sir, have a duty. Excuse my impertinence, Sir, if I say so. You have a duty as the Speaker of this House. I am occupying one of the M.L.A. flats. On the top of my flat is an office of the C.I.D. I and all those who visit me never have a moment of peace. If we go to the Hostel during off session days we find ourselves besieged by marriage parties. If we go to M.L.A's flats we find that they are dotted all over the place by Police officials, Vigilance Department and C.I.D. office. There is another C.I.D. office in the same row. I would submit to you that you, as Speaker of this House, as the authority incharge of the residential arrangements in Chandigarh for legislators, should at least get these flats vacated and transfer the C.I.D. and Police offices to some other quarters of the town.

Mr. Speaker : Kindly wind up now.

Chaudhri Hardwari Lal : In fact I finish. Thank you, Sir.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों) : स्पीकर साहिब, दो दिन से जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की डिमांड पर बहस चल रही है, चौधरी हरद्वारी लाल ने अपनी

स्पीच में कहा है कि पुलिटिकल कुरप्शन हर जगह बढ़ी हुई है, आगे से हालात खराब हो चुके हैं, अखबार में परसों छपा था और हाई कमांड को लिखा है—कि सरदार दरबारा सिंह के साथ कांग्रेसी ज्यादा नहीं रहे हैं, और उन के साथ कांग्रेस एम. एल. ए. भी ज्यादा नहीं रहे हैं। यहां पर देखा जाता है कि यहां पर रेलवे इंजन ही रह गए हैं और डिब्बे सब खत्म कर दिये गये हैं, सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला का ग्रुप खत्म कर दिया है, सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों का ग्रुप खत्म कर दिया गया है, डा० गोपी चंद भार्गव का ग्रुप खत्म कर दिया गया है और श्री बृषभान का ग्रुप भी खत्म कर दिया गया है, इस तरह से इंजन ही रह गया है, बाकी डिब्बे शंट आउट कर दिये हैं।

उन सब को इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमैंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में और सिविल सप्लाईज़ डिपार्टमैंट में तरह तरह के कोटे और परमिट दे दे कर अपने साथ मिला लिया गया है। सब को लालच दे कर अपने साथ खींच लिया है। चीफ मिनिस्टर साहिब मुबारिकबाद के हकदार हैं क्योंकि he is a good shunter. मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि ज्यूडीशल लाक-अप्स का यह हाल है कि हमारे जींद में जो लाक-अप है वहां न तो किसी को पीने के लिये पानी मिलता है और न नहाने के लिए पानी मिलता है अगर कोई औरत वहां चली जाती है तो वहां से वह शादी करवा कर निकलती है किसी वार्डर से या किसी कान्स्टेबल से उस की शादी हो जाती है। नाभे के कई वाक्यात ऐसे हैं जिन में अगर वहां कोई औरत लाक-अप में चली गई तो हामला हो कर निकलती है।

11.00 a. m.

Mr. Speaker: The hon. Member should avoid making references to such things.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि लाक-अप्स का यह हाल है। उन में पीने के लिये पानी नहीं मिलता। इन्तज़ाम बहुत बुरा है उन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जेनरल कुरप्शन का यह हाल है कि ए से लेकर जेड तक और चपड़ासी से लेकर हैड आफ दि स्टेट तक इतना टैरर फैला हुआ है कि हर एक आदमी यह महसूस करने पर मजबूर हो गया है कि उस का कोई काम नहीं बन सकता जब तक कि वह रिश्वत न दे। कैसा भी काम हो, छोटा या बड़ा काम बिना रिश्वत के नहीं हो सकता। सारी स्टेट में डीमारेलाइज़ेशन आ चुकी है।

इस से आगे मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हर तहसील हैड क्वार्टर पर सब रजिस्ट्रार बैठाए हुए हैं और यह सब रिश्वत के अड्डे बनाए गए हैं। वे लोग खुल्लम खुल्ला रिश्वत लेते हैं। (विघ्न) It is a hard fact. अगर किसी से वे सात सौ रुपया लेते हैं तो पांच सौ रुपये की रसीद काट कर देते हैं और दो सौ रुपया जेब में डालते हैं। बजट के मेमोरंडम में यह लिखा हुआ है—

"Continuance of 42 posts of Sub-Registrars"

ऐसे हंगामी हालात हैं लेकिन वहां पर सब-रजिस्ट्रार लगा दिये हैं। पहले तहसीलदार बहुत अच्छा काम किया करते थे। अब कमिशन की रकम वही सब-रजिस्ट्रार वसूल करते हैं। उन की कमिशन चार सौ रुपये से ले कर साढ़े चार सौ तक बनती है।

[चौधरी इन्द्र सिह मलिक]
इतना इतना रुपया वे लोग माहवार कमाते हैं। इस के साथ रिश्वत भी चलती है। चपड़ासी से लेकर क्लर्क तक रिश्वत लेते हैं। वहां पर अंधेर मचा रखा है। उस की व्हिम पर डिपैंड करता है कि किसी की रजिस्टरी करे या न करे। बहुत बुरी हालत है। उन की क्वालिफिकेशन्ज़ देखिये कोई उन में से मैट्रिक है, कोई ज्ञानी है, कोई प्रभाकर है और कोई सिर्फ उर्दू ही जानता है। कई लोग उन में से ऐसे हैं जो कि केवल अपने दस्तखत ही कर सकते हैं एक लफज़ भी पढ़ना नहीं जानते। जो लोग चुनाव में हार गए थे उन को उठा कर सब-रजिस्ट्रार लगा दिया है। यह लूट के अड्डे बना दिये गये हैं। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।

लीगल रिमेम्बरेंसर के महकमे के लिये 2,24,710 रुपया रखा गया है। मैं ने पिछली बार भी बजट पर बोलते हुए बताया था कि यह महकमा बहुत ना अहल और लापरवाह है। इस की लापरवाही के कारण लाखों रुपया सरकार को डिक्रीटल एमाउंट्स का देना पड़ता है। लोग नोटिस देते हैं, उन को इगनोर किया जाता है और कोर्ट में डिग्री हो जाती हैं लाखों रुपया जनता का इस तरह से खर्च हो रहा है। इस की बचत हो सकती है। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महकमे को खत्म कर देना चाहिये। नहीं तो किसी तरह से चेकअप रखा जाना चाहिये।

इसी तरह से भाषा विभाग के ऊपर बहुत खर्च किया जा रहा है। इन हंगामी हालात में भी 11 लाख रुपया पंजाबी के महकमे के लिये, हिन्दी के महकमे के लिये और भाषा विभाग के लिये मांगा जा रहा है। खाहमखाह पोस्टें क्रियेट कर के अपने आदमियों को लगाया जा रहा है। नाहक जनता का रुपया बर्बाद किया जा रहा है। पुलिस के मातहत ऐंटी स्मगलिंग विजिलेंस डिपार्टमेंट और होम गार्ड्ज और रक्षा दल के लिये 732 हज़ार यानी आठ लाख रुपये के करीब रुपया मांगा गया है। यह ऐंटी स्मगलिंग का महकमा बिलकुल नाकारा साबत हुआ है। इस से स्मगलरों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। कुछ आदमियों को पकड़ कर अमृतसर भेजा जाता है। वहां पर तफतीश होती है। लोग बड़ी बड़ी रिश्वतें देते हैं और उन को छोड़ कर दूसरे लोगों को पकड़ लिया जाता है। इस महकमे में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अफ़सरों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है। डिसमिसल का नम्बर हर साल बढ़ता जा रहा है। इतने अफसरों को डिसमिस करने पर भी कुरप्शन नहीं रुकी। इस लिये मैं कहूंगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट नाकाम साबत हुआ है। सी. आई. ए. के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन का दफ़तर मेरे हलके में कैनाल रैस्ट हाउस, तरखा कोठी, जीन्द सब-डिवीजन में बना हुआ है। वहां लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। उन का रीमांड भी नहीं लिया जाता और उन को 15, 20 दिन तक वहां रखा जाता है। बहुत बुरी तरह लोगों को मारा जाता है। अगर कोई छुड़ाने के लिये जाता है तो उस से पैसे मांगे जाते हैं। अगर वे पैसे दे देते हैं तो उन को छोड़ दिया जाता है और दूसरे लोगों को पकड़ कर उन के खिलाफ केस बनाया जाता है। ऐसी ऐसी जगह पर उन के हैडक्वार्टर्ज़ होते हैं जहां पर कनवेयेंस का कोई ज़रिया नहीं होता और न ही वहां पर कोई आसानी से जा सकता है। रात को अगर कोई अफसर वहां पर जा कर देखे तो हज़ारों केस ऐसे पकड़े जा सकते हैं। लोगों को वहां पर उल्टा लटकाया हुआ होता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि स्टेट में कुरप्शन

बहुत बढ़ी है और लोगों में डीमारेलाइज़ेशन आई है। चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं इस स्टेट को वैलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूं। उन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इन खराबियों को दूर करना चाहिये। इस से उन का वकार पब्लिक में बढ़ेगा। उन का वकार गिरता जा रहा है, कोई कहे या न कहे। लेकिन अंदर अंदर यह ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा तो अन्त में सारे पंजाब को अपनी लपेट में ले लेगा।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਪਾਇਲ ਐਸ.ਸੀ.): ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਅਤਕਿਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਪੁਛੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਗਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਉ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੀਚ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਗਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਇਸ ਪਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਿਥੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿਤੇ ਉਥੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਐਮਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਇਕ ਬਿਸਵਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਸੀ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਨਾਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਉਚਾ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਲਗੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਈ ਮਦਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮਸਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਗਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਲੇ ਕਲੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਡਸਟਰੀ ਕਿਨੀ ਕੁ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਲਖ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਰਕਮ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

[ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿਘ]

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਰਿਆਇਤੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰ-ਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਐਮਰ-ਜੰਸੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਭ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਜੋ ਅਜ ਕਲ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਫਸਰ ਇਥੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੇਸਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾ ਸ਼ਕ ਸੂਬਾ ਅਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਜੋ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਡਿਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਇਨਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਖੰਨੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ X E N ਲੁਧਿਆਨੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀ. ਐਂਡ. ਆਰ. ਦਾ ਇਕ X E N ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤ-ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਸੀ ਦੁਰਾਹਾ ਕੀਲੋਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾਂ XEN ਐਨ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਬਜਟ

ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਪਰੂਵਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਸਾਇਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਅਜ ਕਲ ਰਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਤਾਂ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜ਼ੀਰਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 37 ਲਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 85 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਨਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਰਾਇਮ ਘਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਟ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਡੈਬਿਟ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21% ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹੀ ਵੀ ਰਕਮ ਬਚ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

[*At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.*]

लाला रुलिया राम (घरौंडा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पहले तो आप का धन्यवाद करता हूं जो आप ने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया है। आखर अल्ला अल्ला

[लाला रुलिया राम]

कर के कुफर टूटा । मैं ने इस बारे में प्वायंट आफ आर्डर भी किया और कई बार पहले खड़ा भी होता रहा लेकिन पहले मुझे टाइम नहीं मिला। खैर अब आप ने मुझे टाइम दे दिया है ।

अर्ज़ यह है कि मैं आप के द्वारा हाउस को बतलाना चाहता हूं कि जो पुलिस देहात के अन्दर होती है उस की हालत बहुत नाजुक मरहला पर पहुंच चुकी है। एक तो हमारी पुलिस के पास दफा 109 एक ऐसी दफ़ा है जिस के तहत वह किसी भी बाइज़्ज़त आदमी को, या किसी ऐसी आदमी को जो चल फिर रहा हो, अन्दर दे देती है जिस से पब्लिक के अन्दर बड़ी परेशानी होती है और इस के नतीजे के तौर पर गवर्नमेंट के खिलाफ भी बड़ी चर्चा होती है। इस के अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे एक्साइज़ का महकमा है जिस में हफ्तावारी चलती है। यह ऐसा महकमा है जिस में ज्यादा कागज़ी कार्रवाई चलती जैसे पुलिस के टाउट होते हैं वैसे ही इस महकमे वालों के भी टाउट होते हैं। जहां उन्होंने अपनी कार्यवाई दिखानी होती है तो इन के टाउट गरीबों के घरों में जाकर शराब रख देते हैं और नाजायज असला रख देते हैं और एक्साइज के महकमे का स्टाफ वहां छापा मारकर उन्हें पकड़ लेता है और अपनी कार्रवाई दिखा लेता है। इस लिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो हमें अपने मुल्क में और अपने पंजाब में खासतौर पर यहां जो हफ्तावारी कार्रवाई चलती है इसे बन्द करने की कोशिश करें ताकि शिकायतें न हों ।

फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, कई दफा चोरियां हो जाती हैं, उन के मुताल्लिक जब कहा जाता है तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं ने एक दफा एस. पी. से ज़िक्र किया और कहा कि आप एक ऐसा काम करें कि आप हमारे थाने में एक ऐसा थानेदार लगा दें जो कुरप्ट न हो। एस. पी. साहब ने कहा मैं कहां से ऐसा थानेदार दूं जब सारे थानेदार ही कुरप्ट हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आप के द्वारा....

उपाध्यक्षा : तो आप ने उन के कहने को कबूल कर लिया था? (Did the hon. Member accept his reasons as a gospel truth?)

लाला रुलिया राम : मेरी अर्ज़ यह है कि आज महकमा पुलिस में इतनी कुरप्शन हो गई है जितनी देश के आज़ाद होने के पहले भी नहीं थी। इस लिये मैं आप के द्वारा सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस को रोकने की कोशिश करें। इस के अलावा, मैं एक चीज़ आपके सामने और रखना चाहता हूं । मेरे हल्का घरौंडा के अन्दर एक शरणार्थी की 25 हज़ार रुपये की चोरी हो गई थी। मैं ने उस के लिये काफी कोशिश की लेकिन कुछ न बना। जो चोरी करने वाला था उसे पुलिस ने छोड़ दिया। आखिरकार एक मुख्बिर पैदा हो गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। फिर मैं इस सिलसिले में मैं ने होम मिनिस्टर साहब को मिलकर खास हालात बताए लेकिन फिर भी कुछ न बना क्योंकि इन्होंने फिर वह केस उसी एस. पी. के सुपुर्द कर दिया। इस लिये डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आप के द्वारा होम मिनिस्टर साहब से यह बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि पुलिस मे गरीब लोगों को इन्साफ नहीं मिलता, इस के लिए वह इस बात पर गौर कर के

कोई ऐसी चीज़ तो करे जिस से कम अज़ कम गरीबों को तो इन्साफ मिल सके ताकि पब्लिक गवर्नमैंट के साथ चले । आज कुरप्शन का यह हाल है कि देहात के अन्दर और शहरों के अन्दर सारी गड़बड़ चलाने के लिये पटवारी ज़िम्मेवार हैं । जितनी कुरप्शन आज पटवारियों के अन्दर है इस का कोई हिसाब ही नहीं । इस लिये डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आप की मार्फत सरकार से दरख़ास्त करता हूं कि इस को हटाने के लिये हिदायत जारी की जाए । इस बारे में मैं ने फलैचर साहब से कहा था तो उन्होंने कहा कि पटवारियों पर माल के महकमे का भी कंट्रोल नहीं है वह भी बेबस है ।

उपाध्यक्षा : आप मेहरबानी कर के अफसरों के नाम ले कर यहां था उन का ज़िक्र न कीजिए । (The hon. Member should avoid referring to officers by name.)

लाला रुलिया राम : मैं तो आप कि विसातत से सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुरप्शन को रोकने के लिये जल्दी से जल्दी हिदायत जारी की जाए ताकि लोगों को इस से निजात मिले ।

इस के अलावा एक चीज़ और मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं और वह सब से बड़ी बात है । अब जब मार्च और अप्रैल में जब ट्रांसफर का मामला चलता है, इस बारे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शुरू में जो ट्रांसफर के आर्डर जारी होते हैं उन में से 50 परसेंट आर्डरज कैंसल हो जाते हैं । कोई किसी तरीके से और कोई किसी तरीके से अपनी ट्रांसफर रुकवा लेता है । इस का नतीजा यह होता है कि वह बात पब्लिक में मशहूर हो जाती है कि जो लोग ज़ोर वाले होते हैं वे अपनी ट्रांसफर रुकवा लेते हैं । इस तरह गवर्नमेंट की बदनामी होती है जब एक आदमी को पहले एक आर्डर मिलता है और उस के बाद उस के लिये एक स्टे आर्डर जारी हो जाता है ।

दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह है कि मैं अपने हलके के मामलों में नहीं जाना चाहता जैसे कि मेरे दूसरे भाई अपने अपने हलकों की बातें करते रहते हैं । एक चीज़ मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि स्कूलों में पांचवीं जमात के बाद को-एजूकेशन बिल्कुल शुरु नहीं होनी चाहिए । इस सिलसिले में मैं एक मिसाल अपने हलके की बतलाना चाहता हूं । वहां 15 दिनों में प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल के अन्दर जहां पांचवीं जमात में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहां दो इस किस्म के केस हुए हैं जो चीफ़-मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में लाए गए थे । इस लिये मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा आप की विसातत से सरकार से यह अर्ज़ करूंगा कि पांचवीं जमात के बाद को-एजुकेशन न रखी जाए और उस के बाद लड़कियों के जो स्कूल हों वह लड़कों से बिल्कुल अलग हों ।

फिर मैं ने एक बात महकमा डिवेलपमेंट के बारे में कहनी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा देहात के अन्दर बी. डी. ओ., ग्राम सेविका और ग्राम सेवकों के जलूस निकलते हैं, जिन से देहात के लोगों को ज़रा भी फायदा नहीं पहुंचता, इस बात के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस ने कम अज़ कम बी. डी. ओ. से जीपें तो वापस मंगवा ली हैं वर्ना जीपों

[लाला रुलिया राम]
के अन्दर उन के बहुत जलूस निकला करते थे और पब्लिक पर इन का बहुत बुरा असर पड़ता था।

उपाध्यक्षा : जब जलूस निकलते थे तो आप वहां क्या करते थे ? Now please wind up. (What was the hon. Member doing there when those processions were taken out? Now please wind up.)

लाला रुलिया राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि बी. डी. ओ., ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं की तमाम पोस्टों को उड़ा देना चाहिए और इस बजट में उन के लिये कोई प्रोवीज़न नहीं करनी चाहिए ताकि खर्च में बचत हो सके, क्योंकि इन पोस्टों से कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान हैं। इस लिये मैं राए दूंगा कि इस महकमा को ही खत्म कर दिया जाए।

श्री अमर सिंह (नारनौंद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल से डीमांड नं. 9 और 10 जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की हैं इन पर डिस्कशन हो रही है। पिछले साल इस मद पर 12 करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला किया गया था और इस साल 14 करोड़ रुपये खर्च करने के लिये मांगा जा रहा है। इस तरह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर खर्च तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन इस के साथ ही साथ इस स्टेट में क्राइम्ज़ की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आप ज़रा गौर फर्मायें, 1961-62 में जहां क्राइम्ज़ की तादाद 44,158 थी वहां यह 1962-63 में बढ़ कर 47,713 हो गई। 1963-64 में भगवान जाने यह कितनी बढ़ कर हो जाती है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज 'क्वैश्चन आवर' में एक प्वाइंट आफ आर्डर पर पूछा गया था कि क्या एक मंत्री महोदय रोहतक में जाकर एक अफसर को पीट सकते हैं ?

Deputy Speaker : No please.

श्री अमर सिंह : इस के साथ साथ पुलिटीकल कुरप्शन और दूसरी किस्म की कुरप्शन भी है। इस सिलसिले में चौधरी हरद्वारी लाल जी ने काफी रौशनी डाली है। इस लिये मैं तो पुलीटीकल कुरप्शन की मद्द पर हिस्सा नहीं लूंगा (हंसी) उन्होंने बहुत कुछ हाउस के सामने इस बारे में रखा है। मेरा मतलब है कि मैं इस बारे में बहस में कोई ज्यादा पार्ट play नहीं करूंगा। हां तो जनाब मैं यह कह रहा था कि दो किस्म की कुरप्शन है, एक पोलीटीकल और दूसरी है कुरप्शन इन दी गवर्नमैंट डिपार्टमैंटस। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप विश्वास जानें कि हालत यह है कि आज कोई गरीब आदमी या शरीफ आदमी इन्साफ नहीं प्राप्त कर सकता। अगर किसी ने कोई काम करवाना है उस की कोई सिफारिश होनी चाहिए और वह भी चंडीगढ़ की। अगर यह नहीं तो वह रिश्वत दे कर ही अपना काम करवा सकता है और तीसरा कोई तरीका नहीं रहा कि जिस से उसे इन्साफ मिल सके। सरकारी दफ्तर में कागज़ बिना इन बातों के इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं आप को हांसी थाने की एक मिसाल पेश करता हूं। वहां पर एक केस बना। ए० ऐस० आई० ने तफतीश करते हुए यह कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है कि यह जो मुल्ज़िम है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से डिफैंस फंड के लिये मिला है और बहुत काम किया है। चीफ मिनिस्टर के पास तो सैंकड़ों गुंडे रात को आ कर ठहरते

हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी सैंकड़ों गुडे मिलते हैं। यह उस मामूली जनता के नौकर की हिम्मत है कि वह ऐसी बातें करे। वहां के लोगों ने प्रोटैस्ट किया। 17-3-63 को वह होम मिनिस्टर साहिब से भी हिसार मिले। वह ए० ऐस० आई० कहता है कि मैं तो पंडित मोहन लाल का आदमी हूं। उस के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। ऐसी बातों का जनता पर बुरा असर पड़ता है।

इसी तरह से थाना नारनौद के बुडाना गांव में फाग वाले दिन झगड़ा हो गया। उस में एक आदमी को चोट लग गई और वह मर गया। इस केस में थाना नारनौद के मुहर्रर ने रिश्वत ले ली। वह मुअत्तल हो गया। यह हालत हो रही है। अगर कोई गरीब आदमी इन्साफ चाहे तो उस की तो एफ. आई. आर. तक दर्ज नहीं होगी जब तक कि इन लोगों की सेवा न की जाए। यह हालत है पुलिस की। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें और इस बात का इलाज करें कि एक गरीब आदमी और शरीफ आदमी इन्साफ ले सके।

इस के बाद मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं। यहां पर जिक्र आया कि हरिजनों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। मगर असलियत यह है कि उन की हालत बद से बदतरीन हो गई है। मैं इस बारे में कुछ आंकड़े हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं। हरिजनों की आबादी 4,139,106 है और विमुक्त जातियों की 75,000 है। सरकार का ढांचा कुछ ऐसा बन गया है कि इन लोगों को ऐक्स्पलायट किया जाता है और वह डिमारलाइज़ होते जाते हैं। (घंटी) मैं एक मिनट और लूंगा। सरकार ने इन लोगों की भलाई के लिये एक वैलफेयर डिपार्टमैंट बनाया है। उस के नीचे ज़िला भलाई अफसर और तहसील भलाई अफसर लगाए हैं। इस महकमे ने दो स्कीमों को चालू किया है। एक लैंड परचेज स्कीम और दूसरी हाउसिंग स्कीम। पहली के तहत 1962 हरिजनों को जमीनें दी हैं जबकि उन की आबादी 42 लाख है। दूसरी स्कीम के तहत भी ऐसा ही हाल है। यहां पर टैम्पोरेरी टैक्सेशन बिल लाया गया। मुख्य मन्त्री जी ने हाउस के सामने यह एहसास किया कि हरिजनों की हालत दिन बदिन खराब होती जा रही है। (घंटी) हरिजनों के लिये जो मकान बनाए गए हैं उन की तादाद इस तरह से है :

1956-57	..	400
1957-58	..	450
1958-59	..	508
1959-60	..	344
1960-61	..	227
1961-62	..	211
1962-63	..	86
1963-64	..	54

यह मकान बनाने का फैसला किया गया है। दरअसल नियत हो तो हरिजनों की हालत सुधर सकती है..... (घंटी) मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : बस जी, अब आप बैठिए। (That is all. The hon. Member may resume his seat.)

श्री अमर सिंह : मैं ने एक तजवीज़ देनी है और वह यह है कि लैजिस्लेटिर्ज का एक ज्वायंट हाई पावर्ड कमिशन बनाया जाए और इस बारे में सर्वे कराई जाए कि हरिजनों की हालत बेहतर हुई है या कि बद से बदतरीन हुई है। जिस के साथ ही चीफ मिनिस्टर साहिब भी इस तरफ ध्यान दें और इन गरीबों के भले के लिये कुछ ठोस काम किया जाए ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (राजौंद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले वर्ष राज्य की शासन व्यवस्था काफी ठीक रही है। हालांकि हमारे देश पर चीन ने हमला कर दिया था और इस के कारण यहां पर गड़बड़ हो सकती थी मगर ऐसा नहीं हुआ और यहां की शासन व्यवस्था के काम में कोई रुकावट नहीं आई। यहां की जनता और राज्य कर्मचारियों तथा दूसरी सरकारी मशीनरी ने मिल कर काम किया और इसी की बदौलत आज पंजाब सारे हिन्दुस्तान में अपना सर ऊंचा कर सकता है।

पिछले साल यहां पर अपराधों की संख्या दूसरे सालों की अपेक्षा कम रही (विघ्न) इस से किसी को इन्कार न होगा कि अपराधियों को सुधारने में ज़्यादा वक्त लगता है। किसी बुराई के बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मगर भलाई होने में देर लगती है। यहां पर जो हालात सुधरे हैं वह अगर किसी की कोशिशों की वजह से ऐसे सुधरे हैं (विघ्न) तो यह हमारे मुख्य मन्त्री की हिम्मत के सहारे ही सुधरें हैं। (विघ्न) एक ऐसे समय में जब कि देश पर संकट का समय था तो इन्होंने नीफा और लद्दाख के मोर्चों पर जाकर जवानों के हौसले बढ़ाए । इन की ही कोशिशों की बदौलत पंजाब ने सारे सूबों से ज्यादा धन डिफैंस फंड में दे कर अपना नाम ऊंचा किया। इस के साथ ही साथ हमारी पुलिस तथा दूसरे महकमे वालों ने, डिस्ट्रिक्ट लैवल और उस से भी नीचे वाले लोगों तथा अफसरों ने अपनी डियूटी को पूरी तरह से निभाया। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब गवर्नमैंट ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सीमा पर रहने वाले पुलिस के कर्मचारियों तथा दूसरे पुलिस कर्मचारियों के वेतन और अलाउंस में वृद्धि की। अब यह उनका भी फर्ज़ बन जाता है कि वे अपना कर्तव्य समझते हुए जनता के साथ ठीक ढंग का बर्ताव करें। वैसे मैं मानती हूं कि अंग्रेज के राज्य की अपेक्षा आज पुलिस का डर जनता में बहुत कम है । लेकिन अभी भी है। और एक बात जो पुलिस के बारे में मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि बहुत से केसिज़ इन्क्वायरी के लिये पड़े रहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मुकम्मल करना चाहिए ।

मैं एक बात के लिये अपने चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब की कैबिनेट को बधाई देती हूं कि उन्होंने अपनी कैबेनिट की संख्या को घटा दिया और प्रान्त का खर्च कम किया । इस तरह जनता की आशाओं के अनुकूल कार्य करके उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया ।

गवर्नमैंट ने आफिसिज़ स्टाफ को हटाने का जो कार्य किया है उस से भी प्रान्त के पैसे की बचत हुई है। (घंटी) बस डिप्टी स्पीकर साहबा मैं आप का बड़ा धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद ।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : डिप्टी स्पीकर साहबा, कुछ कहने का हौसला तो नहीं पड़ता क्योंकि यह कहने की ही बातें रह जाती हैं, इन को कोई सुनता तो है नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि हमारी न सुनें लेकिन उधर वालों ने तो अच्छी अच्छी बातें की हैं जिन में बड़े बड़े विद्वान शामिल हैं, जैसे चौधरी हरिद्वारी लाल जी, सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों, सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला वगैरह, उनकी तो सुन ले। यों तो मुझे बड़ी निराशा है लेकिन जब मैं यहां आया हूं तो कुछ न कुछ उचरना ही पड़ता है। मुझे तो स्वयं आलोचना करने में दुःख होता है लेकिन उस वक्त कुछ कहना ही लाजमी हो जाता है जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हों कि यहां तो सफाई हो या फिर सफाया हो।

यहां डिप्टी स्पीकर साहबा, एक आदमी के हाथ में सत्ता केन्द्रित है। और इतनी अंधेरगर्दी मची हुई है कि वह चीफ मिनिस्टर के दूर किए भी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकती। इस लिये मैं उन्हें ही दोषी ठहराता जाऊं यह बात नहीं है लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि इस अंधेरगर्दी में कुछ कमी तो हो सकती है वह उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने दुनिया भर का बोझ भगवान की तरह से अपने ऊपर लिया है वह कम करना चाहिए ताकि वह कंस्ट्रक्टिव कामों की ओर देख सकें। छोटे-छोटे पटवारियों का काम तक अपने हाथ में लिए हुए हैं। लाइसेंस भट्ठों का, कोयले का, लोहे का, और इसी तरह अनेक प्रकार के काम सब अपने हाथ में लिये घूमते हैं और इन के द्वार पर रात दिन पल्टन की पल्टन खड़ी रहती है। उन्हें चाहिए कि वह अपने इतने बोझिल काम को बांट दें। ताकि संजीदगी से आवश्यक मसलों पर विचार कर सकें। और जो काम मिल जुल कर करने वाले हों उन के लिये जगह जगह के एम० एल० एज० को बुला कर पास बिठा कर सलाह और विचार कर के उन की पूर्ति के लिए कदम उठाना चाहिए। जैसा कि वज़ीर आबपाशी ने किया। हमारे ज़िले के सारे एम. एल. एज़. और अफसरान को उन्होंने बुलाया और बड़ी शान्तिपूर्वक बात हुई और काम काफी अच्छा हुआ।

मैं एक बात कहता हूं कि जो ज़रई मसले हैं इस प्रान्त के उनको बड़ा उलझा दिया गया है। छोटे मालिक भी कोसते हैं, बड़े भी कोसते हैं और मुज़ारे भी कोसते हैं। एक ऐसी बेचैनी है सब ओर कि अन्दर ही अन्दर एक आग भड़क रही है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लडी रैवोल्यूशन इसी ज़रई मामलों को लेकर होता है। इसलिए इस मसले की तरफ ज़रूर ध्यान देकर दुरुस्त करो।

इसी तरह हरिजनों का मामला है, उन्हें भी साथ बुला कर बिठाओ और बात करो। उनके दोनों तरफ के एम. एल. एज़ को बुला कर बातें अगर निपटा लो तो बहुत अच्छा रहेगा।

यह ठीक है कि आप कुछ खुदगर्ज़ियों को ले कर अपनी ताक़त को कायम किए हुए हैं लेकिन जब पंजाब की जनता नाराज़ है, असंतुष्ट है तो आप भी चैन से नहीं रह सकते। जब आपकी अपनी पार्टी में यकजहती नहीं है, कई ग्रुप बने हुए हैं तो जो नेशनल इंटेग्रेशन एक बुनियादी चीज़ है, उसे आप कब ला सकेंगे। और यही कारण है कि आपकी बात का लोगों पर असर नहीं होता है कि वे आपके एक रहने के उपदेश को मान सकें। आपके राज्य में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे देख कर तो मेरा खून खौलता है—वैसे खून तो है नहीं मेरे में, लेकिन जितना है उतना ही खौलता ज़रूर है। आप सब के बीच में आ कर मैं तो अपने आप को Criminal among greater criminals समझता हूँ।

[पंडित मोहन लाल दत्त]

यह कहते हैं कि हम पब्लिक के बड़े सेवक हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा देहातों में जाते हैं तो देखते हैं कि 80 प्रतिशत गरीब जनता झोंपड़ियों में रहती है। उन को तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है। खुश्क रोटी भी नहीं मिलती। और जहां पर हमारे मुख्य मंत्री तो अपने आप को जनता का मुख्य सेवक बताते हैं। आप मुख्य सेवक की हालत पर तो ग़ौर करें कि उन का और देहातों में रहने वालों का कितना फर्क है। हिन्दुस्तान की स्टडी टीम ने दौरा किया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 80 प्रतिशत आजादी ऐसी है जिन की आमदन 1 हजार से कम है। 50 प्रतिशत ऐसे घर हैं जिनकी 500 से कम इन्कम है, लेकिन उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता मैं समझता हूं कि यहां पर सब लूट रहे हैं। वैसे तो मैं भी 300 अलाउंस लेकर लूट रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लूट खसूट करना ठीक नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के रुपए को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। अन्त में मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

सरदार प्यारा सिंह (पिहोवा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा 10 लाख रुपए पुलिस की मांग पर रखे गए हैं। इस में सब से बड़ी अहम बात यह है कि सरकार ने कांस्टेबल से लेकर इंस्पैक्टर तक तनख्वाह बढ़ाई है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात के लिए मुबारकबाद की मुस्तिहक है। मैं पंजाब सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं

डिप्टी स्पीकर साहिबा आज पंजाब में कुरप्शन बहुत बढ़ी हुई है। इस के बारे में विरोधी पक्ष की तरफ से नहीं बल्कि सरकारी पक्ष की तरफ से भी कुरप्ट के लफज़ इस्तेमाल किए गए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मन्त्री इस कुरप्शन के मम्बा हैं। हमारे गृह मंत्री जिला हैडक्वार्टर्स में जाते हैं वह कांग्रेस के दफ्तर में भी जाते हैं वहां पर रिकार्डस को देखते हैं। और खुद आर्डर पास करते हैं मैं समझता हूं कि बाकी अफसरों का क्या हाल होगा। शेख सादी ने कहा है कि एक राजा था उसने बाग का फल तोड़ लिया उसके बाद बाकी फौज ने सारा बाग उजाड़ दिया।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

स्पीकर साहिब हमारे पंजाब में काफी कुरप्शन बढ़ी हुई है। उस का कारण मैं ने आपके सामने तथा हाउस के सामने रखा है। इस वक्त आई. पी. ऐस. बड़े नौजवान, सुलझे हुए और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं उन के अन्दर मुलक की सेवा करने की लगन है। स्पीकर साहिब, इस बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, मैं उस आदमी का नाम इस हाउस में नहीं लेना चाहता। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहिब करनाल में गए और एस. पी करनाल को कहने लगे कि इस का नाम बदमाशों के रजिस्टर से काट दो। इस पर एस. पी. साहिब हैरान रह गए। मैं उस के बारे में और अर्ज़ करना चाहता हूं कि दूसरे ज़िलों के बदमाश भी उस के पास पनाह लेते हैं। उस बदमाश का नाम अभी तक बस्ता "बे" में मौजूद है। उस को पिस्तौल का लाइसैंस दिया गया है। और उस को बन्दूक का लाइसैंस भी दिया गया है। स्पीकर साहिब अगर आप कहें तो नाम बता देता हूं। मैं लिख कर ही भेज दूंगा। आप तहकीकात कर लें। मैंने इस बारे में एक असेम्बली क्वैस्चन किया था। जो बन्दूक और पिस्तौल का लाइसैंस दिया गया है वह नाजायज असले का नहीं बल्कि नए लाइसैंस दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मन्त्री कुरप्शन को बढ़ा रहे हैं।

स्पीकर साहिब, हमारे ज़िले में ईंटों की ब्लैक होती है। उस की रोकथाम के लिए फ्लाइंग-सक्वैड मुकर्रर किया गया था। फ्लाइंग सक्वैड ने 40 भट्ठों के लाइसैंस सस्पैंड किए हैं। हमारे गृह मंत्री जिन के पास फूड एंड सिविल सप्लाईज़ का भी महकमा है, उन्हों ने करनाल का दौरे का प्रोग्राम बनाया। मैं कहना चाहता हूं कि ज़िला गुरदासपुर का आदमी मेरे ज़िले में लाया गया। उसको वहां पर भट्ठों के लाईसैंस दिए गए। उस को एक नहीं बल्कि 3 लाइसैंस दिए गए। फिर हमारे गृह मंत्री ने रेस्ट हाउस में एक कान्फ्रैंस बुलाई जिसमें पंचायत, ब्लाक समिति, ज़िला परिषद् एम. एल. एज़ तथा एम. पी. को बुलाया गया। वहां पर जो आदमी गुरदासपुर से इम्पोर्ट कर के लाया गया था उस ने सब को चाय पार्टी दी, उस भट्ठे वाले ने शायद ज़िला गुरदासपुर से शायर मंगवाया था। उस शायर ने हमारे होम मिनिस्टर की बहुत प्रशंसा की थी। उस ने कहा कि मैं ने अपनी जिन्दगी में 3 आदमी देखे हैं एक मदन मोहन मालवीय, दूसरे बाबा खड़ग सिंह तथा तीसरे गृह-मंत्री।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : प्वायंट आफ इन्फरमेशन। क्या सरदार प्यारा सिंह चाय पीने के लिए वहां पर गए थे।

सरदार प्यारा सिंह : मैं भी वहां पर चाय पीने के लिए गया था। तभी तो मैं कह रहा हूं। स्पीकर साहिब मैं समझता हूं कि हमारे गृह मन्त्री तो कुरप्शन को बढ़ावा देने वाले हैं। मैं समझता हूं कि आई. पी. ऐस. अफसरों तथा आई० जी० पुलिस सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन वह क्या कर सकते हैं? उन को डाइरेक्टिव इश्यू किए जाते हैं। उन को टेलिफोन किए जाते हैं जो सही काम करना चाहते हैं वे कर नहीं सकते।

स्पीकर साहिब, मैं जिला करनाल की एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं। स्पीकर साहिब, जिला करनाल में ऐसा डिप्टी कमिश्नर लगाया है। मुझे पता नहीं कि हमारे मुख्य मंत्री उसे कहां से ले आए हैं उस के बोलने का ढंग बहुत निराला है। वह तो हर एक को दहाड़ता है।

Mr. Speaker : The hon. Member should please refer to the officer in a more dignified manner.

सरदार प्यारा सिंह : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस के बोलने का इतना अच्छा ढंग है कि वह बयान नहीं किया जा सकता। कोई आदमी उस को मिलने के लिए जाता है तो उस के साथ बुरा सलूक करता है। अगर यह गुस्ताखी न हो, मैं यह भी चाहता हूं कि हाउस की डिगनिटी को बरकरार रखा जाए, मैं चाहता हूं कि उस के लिए कटु शब्द न कहूं फिर भी इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि अपने आप को करनाल ज़िले का डिक्टेटर समझता है। स्पीकर साहिब इस के बारे में मेरे पास बहुत मिसालें हैं। एक नम्बरदार जो दुल्ले गांव का था वह मालगुज़ारी के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर को मिला और अपनी तकलीफ ज़ाहिर की किन्तु डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस को जेल में डाल दिया जाए, बाद में बात चीत की जाएगी। मैं समझता हूं कि शरीफ नम्बरदारों के साथ बुरा सलूक होता है। उन को डिप्टी कमिश्नर बहुत ज़लील करता है।

स्पीकर साहिब, मैं करनाल जिले की बाबत कहना चाहता हूं कि वहां पर लो इन्कम ग्रुप स्कीम के अधीन कर्ज़े तकसीम नहीं किए गए थे मैं चाहता हूं कि यह कर्ज़े 31 मार्च, 1963 से पहले बांटे जाने चाहिए ताकि रकम लैप्स न हो जाए, यह रकम लोगों को बांटने के लिए क्लर्क गांव गांव में जाते हैं किसी को 500 तथा किसी को 200 रुपए मिलते हैं और कर्ज़े देते वक्त मुलाज़म भी

[सरदार प्यारा सिंह]

बड़बड़ करते हैं। लेकिन जब कोई आदमी डिप्टी कमिश्नर के पास शिकायत को एड्रेस करने के लिए जाए तो वह सुनता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर के पास कोई काम नहीं है। उस को ऐसे ही बैठाया हुआ है।

12-00 noon

सिवाये इसके कि सर्दियों में धूप सेंकते रहें और गर्मियों में हवा लेते रहें उनको कोई काम नहीं है। मुझे पता नहीं कि शायद चीफ मिनिस्टर साहिब से यह बात सीखी है कि सारे के सारे महकमे डी. सी. ने अपने पास रखे हुए हैं। स्पीकर साहिब, आप के द्वारा मैं ने चन्द तकलीफें अपने ज़िले की हाउस में रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब सरकार इन पर ग़ौर करेगी। आखिर में मैं आप का शुक्रगुज़ार हूं कि आप ने मुझे समय दिया है।

गृह **मंत्री** (पंडित मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, मैं आप का और हाउस का सिर्फ उतना वक्त, जितना आप ने मुझे दिया है, पुलिस के बारे में **लूंगा**। इस वक्त मैं ज़ाती बातों का जवाब दूं तो शायद बहुत समय उसी तरफ लग जाएगा इस लिये मैं ज़ाती बातों की बहुत चर्चा नहीं करूंगा। अभी अभी करनाल के एक मैम्बर साहिब बोल रहे थे। उन्होंने मेरे मुताल्लिक कुछ बातें कहीं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसी बातें करने के लिए यह मौका मुनासिब समझा। दरअसल कांग्रेस इलैक्शन्ज़ में जो बातें हुई थीं या मुझ से इन को रंज पहुंचा था, उन को वह बातें इस बहस में नहीं लानी चाहियें थीं। कांग्रेस के इलैक्शन्ज़ में मुझ पर एक जिम्मेदारी डाली गई थी कि बोगस मेम्बरशिप की स्क्रूटिनी कमेटी का मैं मेम्बर था। वहां से शिकायत आई थी (विघ्न) मैंने सिर्फ एक ही रैलेवैंट बात कहनी है। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने वहां जा कर ताले तुड़वाए। उन्होंने होम मिनिस्टर को अपनी मौजूदगी में ताले तुड़वाने के मामले में इनवाल्व करने की बात कही है। अगर ऐसा हो तो यह बड़ा सीरियस चार्ज है। (विघ्न) मैं सिर्फ आप की वाकफियत के लिए अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं वहां डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गया था। प्रेज़ीडेंट साहिबा श्रीमती प्रसन्नी देवी एम. एल. ए. और श्री प्यारा सिंह, एम. एल. ए. भी मेरे साथ थे अगर इन को भी किसी ऐसे ज़ुमरे में शुमार किया जाता है तो जो उन्होंने कहा है वह समझ लें। लेकिन मेरी मौजूदगी में ताला तोड़ने का सवाल पैदा नहीं हुआ। मैं इनक्वायरी करने के लिए गया था वह मैं ने की। वह बातें मैं अलहदगी में कर लूंगा। उन्होंने बड़ी ग़ैर-ज़िम्मेदारी की बात की है। इन के अपने ऊपर एक दूसरे के खिलाफ ताले तुड़वाने के इल्ज़ाम थे उस की इनक्वायरी मैं ने करनी थी। रिपोर्ट मैं ने की, अगर इन को वह रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो इस का यह मतलब नहीं है कि वह बात आकर हाउस में कह दें। मैं इस बात को ज़ाहर करने का यत्न करूंगा कि जो कुछ भी हालत रहे और उन की वजह से पंजाब पर और पंजाब की पुलिस पर जिम्मेदारी आई, एमरजंसी की वजह से हमारे ऊपर रेलवे की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आई, कुछ वलनरेबल प्वायंट्स पर और बार्डर के बारे में भी ज़िम्मेदारी आई। आबादी के बढ़ने से और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के होने से जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आई, इन सब हालात को सामने रखते हुए इतनी ज़िम्मेदारी बढ़ने के बावजूद भी, मुझे खुशी है कि यहां पर ला एंड आर्डर की पोज़ीशन तसल्लीबख्श रही है। हर साल के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। मैं इतना वक्त नहीं लूंगा। 1957 में मर्डर के केसिज़ 603 हुए थे। लेकिन कम होते होते 1962 में 558 रह गए। (विघ्न)

बाबू बचन सिंह : बीच के आंकड़े क्यों छोड़ दिये ?

गृह मंत्री : मेरे पास 1957 से ले कर 1962 तक के ग्रांकड़े हैं ग्रौर ग्रगर मैं तमाम ग्रांकड़े बताऊं तो बहुत वक्त लगेगा। इस लिये मैं मुख्तसर तौर पर ब्यान कर रहा हूं। ग्रगर मर्डर के मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो ग्रांकड़े ऐसे हैं :—

1957	.. 603
1958	.. 596
1959	.. 595
1960	.. 544
1961	.. 551
1962	.. 558

इसी तरह से डकैती के ग्रांकड़े ऐसे हैं। 1957 में 10 केस हुए ग्रौर 1962 में 6 केस हुए। राबरी के केसिज़ 1957 में 132 हुए तो 1962 में 57 केसिज हुए थे। इसी तरह से बरग-लरी के 1957 में 4153 केस हुए ग्रौर इस साल 3141 केस हुए। थेफ्ट के केस 1957 में 555 ग्रौर 1962 में 589 हुए। एक्साईज के केस 1957 में 9,505 हुए तो 1962 में 16,455 हुए। यह फर्क इस लिये पड़ा कि पहले के मुकाबले में पिछले साल डिटेक्शन ज़्यादा हुई। इसी लिए केस ज़्यादा पकड़े गए। इसी तरह से हम ने 368 केस ग्राम्र्ज़ एक्ट के मातहत ज़्यादा पकड़े। ऐसी ही नेचर के 821 केस पुलिस ने ग्रौर ज़्यादा पकड़े हैं। मर्डर केसिज़ का मैं ने ज़िक्र किया है कि पिछले पांच सालों की ऐवरेज 577 थी लेकिन पिछले साल की बाबत मैं ने बताया 558 केस हुए, इस साल के 551 हैं। डकैती के केसिज़ में भी काफी फर्क पड़ा है। राबरी में भी काफी फर्क पड़ा है। 162 के मुकाबले में 57 केस हुए बंटवारे से पहले के दिनों में 745 थे। बर्गलरी के केसिज़ में भी काफी कमी हुई है। (विघ्न)

बाबू बचन सिंह : सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं।

Mr. Speaker : He is not suppressing. He is just trying to save time.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਪੁਵਾਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ 558 ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ 'ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਦੀ ਮਾਰਚ' ਵਿਚ 560 ਫਿਗਰਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਠੀਕ ਹਨ ?

गृह मंत्री : मेरे पास जो सन् 1962 की बाबत रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह फिगर 558 है। मैं देख लूंगा ग्रगर किसी ग्रौर जगह ग्रौर फिगर्ज़ दिए हैं। इसी तरह क्राइम्स के सिलसिले में मेरे पास जो ग्रांकड़े हैं, ज्यादा वक्त न लेता हुग्रा, मुख्तसिर तौर पर ग्रर्ज़ करता हूँ। उस सिलसिले में ग्रलग स्टेटमेंट किसी मौके पर ग्राप के सामने रख दूंगा क्योंकि ग्राप का ज़्यादा वक्त इन ग्रांकड़ों को बताने में नहीं लेना चाहता।

पी. ए. पी. के मुताल्लिक थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहता हूँ। बार्डर पर 30 ग्राम्र्ड एन-काउंटर हुए जिन में 32 स्मगलर मारे गए ग्रौर 309 स्मगलर गिरफ्तार हुए। इसके ग्रलावा सोना, ग्रफीम, करंसी नोट रु० 5,01,587.02 नए पैसे के बरामद हुए। इम्मौरल ट्रैफिक को दबाने के लिए हम ने एक एस. पी. 4 डी. एस. पी. लगाए हुए हैं। 181 रेड्ज़ किए गए थे जिन में 93 कामयाब हुए जो चालान हुए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की होम-मिनिस्ट्री के इन्फरमेशन ब्युरो की जो रिपोर्ट है उसको रैफर करना ज़रूरी समझता हूं। हमारे देश में 15

[गृह मन्त्री]

क्लास 'ए' स्टेट्स हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सब से कम डकैतियां हुईं। जहां तक जेनरल क्राइमस का सम्बन्ध है पंजाब की पोज़ीशन तेरहवीं है यानी एक दो को छोड़ कर पंजाब की पोज़ीशन कम से कम इंसीडेंस के लिहाज़ से सब से बढ़िया रही कत्ल के केसों में हमारी पोज़ीशन नौवीं लोएस्ट है, अग़वा में भी नौवीं लोएस्ट है। इसी तरह से राहज़नी में चौदहवीं लोएस्ट, हाउस ब्रेकिंग में तेरहवीं लोएस्ट, मवैशियों की चोरियों में दसवीं लोएस्ट और मामूली चोरियों में तेरहवीं लोएस्ट है। धोखे में पंजाब की पोज़ीशन ग्यारहवीं लोएस्ट है। रायट के केसों में हमारी पोज़ीशन सब से अच्छी है। इस के अलावा पंजाब में आर्म्ड गैंग्ज़ की कोई एक्टिविटी नहीं रही बावजूद इस बात के कि आप जानते हैं कि दूसरी बार्डर स्टेट्स की इस सम्बन्ध में क्या हालत है।

Sardar Gurnam Singh : What are the steps being taken for that?

गृह मंत्री : इस के अलावा, स्पीकर साहिब, पुलिस को बेहतर बनाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं उनकी बाबत भी मुख्तसर तौर पर अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ। सुपरवीज़न के मुताल्लिक, पुलिस एनलिस्टमेंट के मुताल्लिक, ट्रेनिंग के मुताल्लिक, फुल्लर रजिस्ट्रेशन आफ क्राइम्स के मुतल्लिक और रजिस्ट्रेशन की इवेज़न को रोकने के लिए पूरी तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। इस के लिए हमने स्क्रीनिंग का काम भी अपने ज़िम्मे लेकर शुरू कर दिया है। मतलब यह कि महकमा पुलिस में जो भी हमारे अफसर ऐसे हैं जिन का रिकार्ड खराब है, जिन की आदत खराब हैं, जिन के खिलाफ कुरप्शन की शिकायात आती है और जो पब्लिक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनकी स्क्रीनिंग करके हम उनको जवाब दे रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कुछ और हो रहे हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के मुताल्लिक हम बहुत मोहतात हैं कि जिस किसी क्राइम की रिपोर्ट हो उसमें किसी किस्म की सप्रेशन न हो बल्कि जहां कहीं कोई रिपोर्ट करें वहीं पर उस केस को रजिस्टर कर दिया जाए।

इसी सिलसिले में मैं आप से अर्ज़ करता हूँ कि मैम्बर साहिबान ने एप्रिशियेट किया पुलिस कमिशन का वह हिस्सा जिसे गवर्नमेंट ने मानकर उन की तन्खाहों को बढ़ाया और अलाउंस वगैरह को बढ़ाया।

सरदार गुरनाम सिंह : पुलिस कमिशन की रिपोर्ट क्या हमें अभी दिखाएंगे भी या नहीं?

गृह मंत्री : पुलिस कमिशन की बाकी रिपोर्ट को एग्ज़ामिन किया जा रहा है। वक्त की कमी की वजह से एमरजेंसी के हालात में अभी सारी की सारी रिपोर्ट कंसिडर नहीं हो सकी जिस वक्त बकाया सिफारिशात पर कंसिड्रेशन हो जाएगी उस वक्त लाज़मी तौर पर लैजिस्लेचर को हम कन्फिडेंस में लेंगे।

स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिए पुलिस के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त जब कि पुलिस कर्मचारियों की तन्खाह काफी हद तक, मुनासिब हद तक बढ़ा दी गई हैं उनको कुरप्ट रहने की कोई गुंजायश नहीं।

चौधरी देवी लाल : तन्खाह तो आप की भी बहुत है।

गृह मंत्री : इस के बाद गवर्नमेंट मज़बूती से इस सिलसिले में कदम उठाएगी कि पुलिस के अन्दर जहां कहीं भी कोई कुरप्ट एलीमेंट होगा उसको स्क्रीनिंग के ज़रिए जवाब दे दिया जाएगा। (विघ्न)।

Mr. Speaker : No interruptions please.

गृह मंत्री : स्पीकर साहिब, लेकिन इस सिलसिले में एक बात का ज़िक्र ज़रूर करना

चाहूंगा कि पुलिस द्वारा की जाने वाली तफतीश का, जरायम को रोकने का और ला एंड आर्डर को मेनटेन करने का एक ऐसा काम है जोकि पुलिस की कोआप्रेशन के बग़ैर पूरा नहीं हो सकता ठीक तरह से जल्दी नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस पर भी एक खास तौर पर ज़िम्मेदारी आती है। रोज़ चर्चा होती है, नुक्ताचीनी होती है कि पुलिस गलत किस्म की गवाहियां बनाती है। वह पुलिस की, जैसा कि आप जानते हैं, मजबूरी होती है जब कि दुरुस्त हालात उनके सामने आकर न रखे जाएं या चश्मदीद गवाह आकर शहादत न दें। यह काम हम सब का है। पब्लिक के चुने हुए नुमाइन्दे होते हुए हमारी सब की ज़िम्मेदारी है कि हम पब्लिक को इस सिलसिले में इस हद तक तैयार करें कि पुलिस में जो क्राइम्ज़ की रिपोर्ट होती हैं वह सही और दुरुस्त ढंग से हों और जो चश्मदीद गवाह हों वह पुलिस के सामने आ कर सचाई बयान करें। उसी सूरत में पुलिस अपना काम और ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा सकती है।

स्पीकर साहिब, इस के अलावा मेम्बर साहिबान की तरफ से एक दो ऐसे प्वायेंट्स रेज़ किए थे जिनका, मैं समझता हूं, मुख्तिसर सा जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी है। एक मेम्बर साहिब ने कामरेड शमशेर सिंह जोश के मुताल्लिक कहा कि उनको अपनी इलेक्शन पेटीशन की पैरवी करने की सुविधाएं नहीं मिल रहीं। शायद उन मेम्बर साहिब को इत्तलाह नहीं मिली होगी कि जिस वक्त भी उनकी तरफ से हमारे पास ऐसी दरखास्त आई थी उसी वक्त उन के वकीलों को उन से मिलने, सलाह मशिवरा करने और पेटीशन की पैरवी करने की इजाज़त दे दी गई थी।

एक माननीय सदस्य : पुलिस की हाजरी में।

गृह मंत्री : जैसा रूल्ज़ में प्रोवाइडिड है, उसके मुताबिक उनके वकीलों को उन से मिल कर मशिवरा करने की इजाज़त दे दी गई थी। इसी तरह दूसरे मेम्बर साहिब..... (विघ्न)

Mr. Speaker : I would request the hon. Members not to interrupt please.

गृह मंत्री : श्री अग्निहोत्री जी का भी उन्होंने ज़िक्र किया था। वह केस सब-ज्यूडिस है इसलिए उसके मुताल्लिक मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता।

स्पीकर साहिब, इस सिलसिले में मैं अब और ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। सिर्फ एक बात कह कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। यहां पर बहुत सी बातें हुईं, बहुत कुछ नुक्ताचीनी हुई..............

एक माननीय सदस्य : किरपाणों वाली बात का भी कुछ बता दीजिए।

गृह मंत्री : किरपाणों के मुताल्लिक आगे से ऐसा नहीं होगा। अब हिदायात दे दी हैं कि सिर्फ सीधी होने की वजह से इस सम्बन्ध में चालान न किया जाए। यह बात मैंने कल भी कही थी।

तो मैं कह रहा था कि यहां पर बहुत सी बातें हुईं बहुत कुछ नुक्ताचीनी हुई। कुछ पर्सनल और कुछ दूसरी किस्म की। कुछ तो मैं समझता हूं कि मुबालगा करके कोई बहुत ज़िम्मेदारी की बातें नहीं कही गई। इसका तफसील के साथ जवाब तो खुद चीफ मिनिस्टर साहिब ही देंगे मैं उस तफसील में इतना नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात मेम्बर साहिबान को ज़रूर कहना चाहता हूं और वह यह कि वह ऐसे हालात में चीफ मिनिस्टर पंजाब के बोझ और ज़िम्मेदारी का एहसास करें। इतना बोझ, इतनी ज़िम्मेदारी शायद आज से पहले किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कंधों पर न पड़ी हो। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जिस पर पब्लिक

[गृह मंत्री]

खुश है मैम्बर साहिबान को इस बात के लिए खुशी महसूस करनी चाहिए (अपोजीशन की तरफ से शोर) कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस एमरजेंसी के वक्त पंजाब का नाम ऊंचा किया है। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए अगर कोई पंजाब का आदमी आल इंडिया स्टेट्स का लीडर बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हम उलटा उस की टांग खैंचें और हमें इस बात के लिए अपनी हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए। इस लिए मैं मैम्बर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि हमें जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की वजह से एक खास पोजीशन हासिल हुई है, हम अपने जाती ग्रुदस, जाती कंसिड्रेशन्ज और जाती रंजश की वजह से ऐसा वायुमण्डल कायम न करें कि जिस से हमारा अपना वकार कम होता है और पंजाब का वकार कम होता है। कभी कभी मैं जानता हूं इस बात को, जैसा कि जस्टिस गुरनाम सिंह जी बतलाते हैं जाती हमले ट्रेजरी बैंचिज से होते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि कुछ आदमी सिर्फ अपनी मायूसी की वजह से और अपनी जाती रंजश की वजह से यह हमले करते हैं जिस बात को सारे हाउस के मैम्बर साहिबान पूरी तरह से जानते हैं। इस के सिवा और कुछ नहीं है।

Comrade Ram Piara : I resent these remarks.

गृह मंत्री : अभी अभी जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने कहा है पण्डित मोहन लाल दत्त जी ने भी कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने ऊपर बहुत बोझ और ज़िम्मेदारी ले रखी है। एक प्रान्त के चीफ मिनिस्टर पर और देश के प्राइम मिनिस्टर पर कौन कौन सी जिम्मदारी होती है, इस बारे में मैं मिस्टर चर्चल की किताब 'देयर ब्राइट फाइनेस्ट आवर' की सैकंड वाल्यूम में से आप की इजाजत से पढ़ कर सुनाता हूं। इस में इस बात को चर्चा की गई है कि ऐसे वक्त में जो देश का लीडर हो उस पर क्या क्या जिम्मेदारी होती है। मैं इस किताब के सफा 14 पर से 'कोट' कर रहा हूं।

> "But power in a national crisis, when a man believes he knows what orders should be given, is a blessing. In any sphere of action there can be no comparison between the positions of number one and numbers two, three or four. The duties and the problems of all persons other than number one are quite different and in many ways more difficult.
>
> * * * * * *
>
> At the top there are great simplifications. An accepted leader has only to be sure of what it is best to do, or at least to have made up his mind about it. The loyalties which centre upon number one are enormous. If he trips he must be sustained. If he makes mistakes they must be covered. If he sleeps he must not be wantonly disturbed."

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। जनाब मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि क्या होम मिनिस्टर साहिब डिबेट का जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं या उपदेश करने के लिए खड़े हुए हैं। इन्होंने तो अपना उपदेश शुरू कर दिया है हालांकि इन्हें चाहिए कि चौधरी हरद्वारी लाल जी ने जो रैफरेंस दिया था उस का जवाब देते।

गृह मंत्री : स्पीकर साहिब, यह भी क्या कोई प्वायंट आफ आर्डर है हालांकि चौधरी देवी लाल लीडर आफ दि अपोजीशन भी हुआ करते थे। जो प्वायंट आफ आर्डर इन्होंने उठाया है उस का जवाब आप ही दें। मैं तो सिर्फ इस किताब में से दो तीन लाइनें और कोट करता हूं।

यह बताने के लिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और नेशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं इस में से कुछ लाइनें और पढ़ता हूं ।

"This was a time when all Britain worked and strove to the utmost limit and was united as never before. Men and women toiled at the lathes and machines in the factories till they fell exhausted on the floor and had to be dragged away and ordered home, while their places were occupied by newcomers ahead of time.

* * * * * *

Mr. Eden's plan of raising Local Defence Volunteers, which he had proposed to the Cabinet on May 13, met with an immediate response in all parts of the country."

स्पीकर साहिब, मैं तो संजीदगी से मैम्बर साहिबान को इस वक्त जो उन की जिम्मेवारियां हैं, उन का अहसास कराना चाहता हूं । मैं इस बात को जानता हूं कि वह इस अहसास करने के मूड में नहीं है लेकिन फिर भी मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं उन के सामने सुझाव रखूं कि नैशनल ऐमरजेंसी में हमारी खास जिम्मेदारियां हैं लोगों को लीड करने में और उन की अगवाई करने के लिए............

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, जो मैम्बर साहिबान ने तकरीरें की होती हैं, यह वक्त उन के जवाब देने का होता है और इस बात की इजाज़त होती है कि जो बातें रैलेवेंट हों जो डिबेट के अन्दर रेज की गई हों, उन को तो किसी ने टच नहीं किया और यह सारे का सारा time which is meant for reply is being utilised for sermons.

गृह मंत्री : स्पीकर साहिब, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर साहिब ने बोलना है इस लिए अब मैं और उन का टाईम नहीं लेना चाहता । वही सारी बातों का जवाब देंगे । मैं ने पुलिस के मुताल्लिक थोड़ी सी बातें कह कर मैम्बर साहिबान से प्रार्थना की है । मैम्बर साहिबान इन बातों पर गौर करें और अगर वे गौर नहीं करेंगे तो आज के हिस्टोरियन्ज़ जो होंगे वे रिकार्ड करेंगे कि क्या कुछ किस किस की तरफ से किया गया । (सरकारी पक्ष की ओर से प्रशंसा)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਸੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲਖ ਆਦਮੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਥੇ ਉਹ ਦਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਵੇਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਕੇ ਪਰਸਨਲ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚਲ ਦੀ ਗਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3/4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਰੀਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸ ਕਢਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਥੇ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਸਵਾਏ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੋਆਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲਭਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਉ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਉਸਾਰੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲ ਸਚੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਲ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗਲਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲ ਇਕ ਦਫਾ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਹਿਕੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਦਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਹ ਸਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਭਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਨਾ, ਕਰਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1954 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਲਾਉਂਸ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ

ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ । ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾ ਮੁਲ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕੋ ਦਫਾ ਕਢ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਗਈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਉ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਉ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਹੋਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਦ ਰਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹਿਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਤਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ 2½ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗ ਪੈਣ। ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਉ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਚੰਡੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਲਖ ਜਾਂ 18 ਲਖ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਫਿਗਰਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਲਾਉਂਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਲੱਕ ਹੈ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਕਸ਼ਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 800 ਆਈਟਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਥ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕਸ਼ਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ 800 ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘਟ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਵੀ ਰਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 800 ਆਾਈਟਮਾਂ ਵਿਚ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਕਸ਼ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਗਿਰਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਿ ਇਸ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ। ਜੇ ਭਾਅ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਨਾ ਘਟਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦੇਈਏ। ਕਲਾਸ IV ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ ਮੈ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਅਨਤ ਲਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਕ ਦਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਜ ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਦੁਖ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਪਰਸੰਸਾ)। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਜਾਈਏ। ਕਲਾਸ IV ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਫਬਦੀ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ) ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਗਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਇਕ ਗਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਂਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਥੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਈਏ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾ ਉਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਾਊਂਸ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਜਾਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਭਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾ ਨਾ ਘਟਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ IV ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਨਸੇਟ੍ਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਫੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਛੀ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪੈਨਸੇਟ੍ਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਪਾਕੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮਪੈਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਮਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਬਾਲਗੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਏਥੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, कमेटियों के सदस्यों का जो यह राइट है कि वह डिपार्टमेंटस के हैडज़ को बुला कर जानकारी कर सकें खास मामलों की तो क्या चीफ मिनिस्टर साहिब उनके हकों पर छापा मार सकते हैं ?

Mr. Speaker: The Minister has not said this at all. The Ministers take oath of office and secrecy. The hon. Chief Minister was saying that the advantage that accrues to a member of the Public Accounts Committee by virtue of his being a Member of that Committee is not to be mis-used by him. He was saying this.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर सर । क्या इस हाउस के किसी सदस्य के पास जो इनफरमेशन होती है , उसको ग्रसैम्बली में कहना क्या उस का मिसयूज़ है ?

Mr. Speaker : The Report of the Public Accounts Committee is laid on the Table of the House. If some irregularities come to the notice of its Member by virtue of his being a member of that Committee, those should not be pin pointed because those irregularities came to his notice in his capacity as a Member of the Committee. The irregularities that come to his notice as a Member of the Committee should be avoided by him.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या यह misuse है ?

Mr. Speaker : I think you should avoid it.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੈਪਸੂ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰਾਣੀ ਯਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਡੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਵਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਡਾਈਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

Sardar Gurnam Singh : She got married after abdication.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਝਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ 1,500 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ......(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਉ।

Mr. Speaker : No interruption please.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਹਨ।

Mr. Speaker : It is very unfortunate.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ 2,500 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ । ਹੋਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚਿਠੀ ਆਈ ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਠੀ ਆਈ ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਨਾਂਸ

ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ, ਫਿਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰ ਬਨਾਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੋਠੀ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁਛ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀ ਲੜਕੀ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਹਾਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮਹਾਵਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਵਾਰ ਅਲਾਉਂਸ ਜੋ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਕਠਾ ਦੇ ਦਿਤਾ 25,000 ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇ 25,000 ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਅਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 25,000 ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇ 25,000 ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਤਿਨ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਨ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 400 ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]
ਸੀ ਉਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18-18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮਲਕ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਡਾਈਕਨਾਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਨੇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)।

ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਸਮਾਜ ਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਪੰਤ ਜੀ ਨੇ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀ-ਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜੀਂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਵਿਘਨ)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਸੀ। (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇ-ਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਛੇੜਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਪਿਆ ਕਢ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀ। ਮੈਂ ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਝੂਠਾ ਬਣਾਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਕਢ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਅਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ, 5,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Mr. Speaker : I would request Sardar Gurnam Singh to ask the hon. Member S. Gurcharan Singh not to make interruptions like this.

(*At this stage, Sardar Gian Singh Rarewala rose to say something*).

Mr. Speaker : The Chief Minister does not give way.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਨ ਲਗੀ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿਤੇ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਚਲਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੁਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਬਸਿਸਟੈਂਨਸ ਅਲਉਂਸ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਬਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।

1-00 p.m.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਉਸ ਦਾ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਾਂ ਵਾਧੂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹਾਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। (ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਚੁਪ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਉ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਾਰ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਰ ਵਿਚ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]
ਇਕ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-7 ਮਿਉਨਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧੜੇ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚੂੰਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। (ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਾਬਲ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਹੋਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ : ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਾਡੀ ਰਿਵਾੜੀ ਐਪਰੋਚ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਏਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਜੇ ਇਕ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ? ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਉਕਲਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿਘ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਆਈ ਪੈਡੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ 2084 ਮਣ ਚੌਲ ਤੇ ਪੈਡੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਖੇ ਤਾਂ 1185 ਮਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਈਸੰਸ ਦਖਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ 900 ਮਣ ਚਾਵਲ ਅਜੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਲੈਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗਰੋਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਕਲਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਵਾੜੀ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 10/20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਕੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਕੁਸ਼ਰਮੀ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੋਰੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਆਦਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਮਿਸਿਜ਼ ਟਾਯਾ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਜ਼ਿੰਕਿਨ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮਝਕੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਹਤ ਵਾਰੀ ਛਾਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ-ਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਰਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਅਤੇ ਮੈਲਿਸ਼ਿਅਸ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਭੀ ਹੈ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਚੁਪ ਕਰ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ ਇਡੀਅਨ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕ-ਰੀਰਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਡਰ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇਕੋ-ਅਨੈਲਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੰਟ ਆਫ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟਰੇਟਿਡ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕਾ-ਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਧ ਲਾਗੇ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਭੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਰੂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਘੁਟ ਨਾਲ ਪੀ ਲਵੇ (ਹਾਸਾ)। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਐਂਬਿਸ਼ਿਅਸ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿਘ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਖਾਲਣ ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ........

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।

Mr. Speaker : This is no point of order.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਖੁਦ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੋਰ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਗਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਆਵਰ ਦੀ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (*Loud noise and Interruption by Communist Members*). ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹਮਲਾਆਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬੈਲੰਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਢਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ (ਤਾਲੀਆਂ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਦਿਉ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮ-ਲਾਆਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਉ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊ-ਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਟੀਚੂਡ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿ-ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਆਵਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੋ (ਘੰਟੀ) । I am sorry, Sir ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

19—GENERAL ADMINISTRATION

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs, 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,37,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 19—General Administration.

The motion was carried.

23—POLICE

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,85,21,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 23—Police.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9 A.M. tomorrow.

(*The Sabha then adjourned till 9 A.M. on Wednesday, the 20th March,* 1963).

21142 P.V.S. 321 22-7-63—C., P. and S., Pb., Chandigarh.

ANNEXURE

[Please see foot note at page (18)31 of this debate]

LOANS GRANTED UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME IN FEROZEPORE DISTRICT.

869. Guru Jaswant Singh : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state —

(a) the names and addresses of the loanees in Ferozepore District to whom loans were advanced under the Low Income Housing Scheme during the period from January, 1960 to February, 1963 together with the amount of loan given to each of them ;

(b) the names and addresses of the persons who stood sureties for the said loanees ;

(c) the names and addresses of those who issued plinth level and roof level certificates in favour of the loanees ;

(d) the authorities who made verification and reports about the truth or otherwise of the certificates before making the full and final payment to the loanees ;

(e) the details of the instalment paid back by the loanees and also the details of the defaulters and amounts involved in each case ;

(f) what action has been taken by the Government or is proposed to be taken against the loanees who have constructed the houses and rented them out to other people and have paid no instalments of loans ;

(g) the dates when the verifications and checking was made by the officers, if any ?

Sardar Darbara Singh: (a) to (g) The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived.

Punjab Vidhan Sabha Debates

20th March, 1963

Vol. I—No. 19

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 20th March, 1963

Price : Rs. 3.80 nP

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 19, DATED THE 20TH MARCH, 1963

Read		*For*	*On page*	*Line*
लिए	after	सरकार	(19)6	23
sureties		securities	(19)6	11th from below
हिदायत		हिमायत	(19)7	6
one		on	(19)9	31
न		ना	(19)11,58	4,17
liaison		liaion	(19)17	27
EMBANKMENT		ENBANKMENT	(19)39	6
ਇਨ੍ਹਾਂ		ਇ	(19)42	10th from below
(19)62		(19)92	(19)62	top left
डिप्टी स्पीकर साहिबा		स्पीकर साहिब	(19)62	22
बाढ़		बाड़	(19)64	7th from below
दस्तयाब		दस्तायाब	(19)64	2nd from below
delete	(चौधरी राम प्रकाश)		(19)72	1
चौधरी रिज़क राम (राए)	before 'डिप्टी स्पीकर साहिबा'		(19)72	2
मुतफिक		मुतदिक	(19)74	7
(ਜਿਧਵਾਂ ਬੋਟ, S.C.)		(ਜਿਧਵਾਂ ਬੇਟ)	(19)76	12
ਦਈ		ਦੀ	(19)77	8
ਰੁਪਏ		ਸਏ	(19)77	24
bemoaning		be moaning	(19)79	19
XEN		Xen	(19)79	1,3rd from below & last one
XEN		Xen	(19)80	2nd & third
ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ		ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ	(19)80	12
ਕੋਈ		ਕਈ	(19)80	13
retrenchment		retreachment	(19)80	15

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 20th March, 1963

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock.

ABSENCE OF THE SPEAKER

Secretary : I have to inform the House that the Hon. Speaker is unavoidably absent. The Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

(*At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair*).

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN TEHSIL BHIWANI

***2508. Shri Jagan Nath** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of villages in tehsil Bhiwani proposed to be electrified during the 3rd Five-Year Plan period ;

(b) the number of villages so far electrified in the said tehsil?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) 33, depending on availability of funds.

(b) Number of villages so far electrified in tehsil Bhiwani is 16, out of this seven villages have been electrified in the Third Five-Year Plan.

श्री जगन्नाथ : क्या वज़ीर साहब बतलायेंगे कि इन 16 गांवों में जो electrification हो रही है वह दूसरी तहसीलों की निस्बत क्या कम नहीं है ?

मन्त्री : यह सब transmission line के बिछाने के मुताबिक होता है और भिवानी काफी दूर पड़ता है, इस लिये यह नम्बर थोड़ा है।

श्री जगन्नाथ : क्या वज़ीर साहब बतलायेंगे कि जब से आप खुद वज़ीर बने तब से electricity से concerned Department को भिवानी से transfer करके आप रोहतक ले आए। ऐसा क्यों किया ?

मन्त्री : बात यह है कि हिसार में Executive Circle Office है, और Executive Engineer Office भी और भिवानी में सिर्फ एक Sub-Division है।

श्री जगन्नाथ : एक Sub-Division कोई कारण नहीं है। क्या आपने 20 अगस्त को वहां पर एक पब्लिक मीटिंग में यह announce नहीं किया कि जगन्नाथ अगर चौधरी देवीलाल के साथ रहेगा तो जिन गांवों को electricity मिली भी हुई है वह भी हटा ली जाएगी ?

मन्त्री : ऐसी कोई बात नहीं कही।

REMISSION OF LAND REVENUE ON THE AREA AFFECTED BY FLOODS IN DISTRICT BHATINDA

***1490. Comrade Babu Singh Master**: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of land affected by rains and floods in the month of September, 1962, in Bhatinda District, stating the area of land where the loss of crops is 25 per cent or above, 50 per cent or above and 75 per cent or above ;

[Comrade Babu Singh Master]

(b) the amount of relief, if any, provided to the affected persons, tehsil-wise ;

(c) whether land revenue in the affected areas referred to in part (a) above has been remitted, if so, the total amount thereof ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ajmer Singh :

		Acres
(a) (i) total area affected	..	133,816
(ii) Area of land where the loss of crops is 25 per cent or above		10,469
(iii) Area of land where the loss of crops is 50 per cent or above	..	11,725
(iv) Area of land where the loss of crops is 75 per cent or above	..	42,067

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) No remission has been sanctioned by the Collector, Bhatinda, so far as the lists of villages of flood-affected area were not received by him from tehsildars. These lists have now been received by him. The remission of Rs 96,193 is to be allowed in the District on account of fixed land revenue for the year 1962.

Statement showing amount of relief provided to flood-affected people in Bhatinda District (tehsil-wise)

Serial No.	Name of Tehsil	RELIEF DISTRIBUTED OUT OF GOVERNMENT FUNDS						RELIEF FROM PUBLIC				
		House Repair grant (in Rs)	Number of Sirkie provided for shelter (No.)	Wheat Atta (in mds)	Parched Gram (in mds)	Tea leaves (in seers)	Gur (in mds)	Clothes (No.)	Kheses (No)	Quills (No.)	Medicines (Value in Rs)	Free ration (in Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mansa ..	90,000	479	1,024	50	24	..	..	..	185	..	..
2.	Faridkot ..	1,10,000	418	1,319	27	..	7	2,000	200	175	1,000	5,000
3.	Bhatinda ..	1,10,000	732	1,057	137	24	28	..	..	350	..	..
	Total ..	3,10,000	1,629	3,400	214	48	35	2,000	200	710	1,000	5,000

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਲੇਟ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ action ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ। Land revenue ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ suspend ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ lists ਲੇਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ land revenue ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ suspend ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Formal ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ।

PURCHASE OF SIRKIS TO HOUSE THE FLOOD VICTIMS IN FEROZEPORE DISTRICT

***1695. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the rate at which 'Sirkis' to house the flood victims of Ferozepur District were recently purchased by the authorities concerned/together with the total amount spent thereon ;

(b) the total number of 'Sirkis' so purchased ;

(c) the average market rate of 'Sirkis' obtaining in the State ;

(d) whether any tenders or quotations for the purchase of the said 'Sirkis' were invited ?

Sardar Ajmer Singh : (a) 995 Sirkis have been purchased for Rs 3,209.50 nP. Average rate per pair of Sirkis comes to Rs 3.23 nP. varying from Rs 3.00 to Rs 5.00 per pair depending on the size of Sirkis.

(b) 995 Sirkis were purchased.

(c) Average market rate according to quotations received is Rs 4.30 nP. per pair.

(d) Quotations had been invited and obtained except in cases where number of dealers was not more than one or where Sirkis were required to meet the emergency and it was not possible to invite quotations/tenders without inconvenience to the flood sufferers.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਦਾ market rate 4 ਰੁਪਏ 30 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਫੀ ਜੋੜਾ ਸਿਰਕੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਿਰਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੋਈ ਸਿਰਕੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ size ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਫੀ ਜੋੜਾ ਸਿਰਕੀ ਮਾਰਕਟ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਘਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਥੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

REMISSION OF LAND REVENUE IN DISTRICT MOHINDERGARH

***2565. Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to grant remission of land revenue in district Mohindergarh where crops have failed due to draught this year ;

(b) whether Government propose to make any arrangements for irrigation facilities in the said district, if so, details thereof ?

Sardar Ajmer Singh : (a) There is no such proposal at present.

(b) Yes. The following irrigation schemes have been executed/under execution/under investigation in Mohindergarh District for providing irrigation facilities :—

Executed	*Under execution*	*Under Investigation*
Dadri Irrigation Scheme	Rewari Lift Scheme Basin Irrigation (Construction of Kalba Band)	(1) Sohana Lift Irrigation Scheme (3rd Stage) ; (2) Lift Irrigation by extending Dadri Distributary of Western Jumna Canal; (3) Ganwari Jat Bund ; (4) Dhani Chhemawali Bund ; (5) Durga Nangal Bund ; (6) Moghot Bija Bund; (7) Masnoota Bund.

श्री बनवारी लाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि District महेंद्रगढ़ से report आई है कि वहां फसल खराब हो गई है इस लिये land revenue मुआफ होना चाहिए ?

ਮੰਤਰੀ : ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ । ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਰ loss ਦੀ ਹਦ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਿਥੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ।

श्री बनवारी लाल : जहां floods आते हैं, floods control करने के लिये गवर्नमैंट special grants देती है । जहां महेंद्रगढ़ में हमेशा famine आता है वहां क्यों मदद नहीं की जाती ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ grant ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, remission of land revenue ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ । (The hon. Member should please read his question carefully before putting the supplementary).

RECOVERY OF LOANS GIVEN TO DISPLACED PERSONS IN BHATINDA DISTRICT

*1492. **Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the amount of loans, if any, given to the displaced persons in the district of Bhatinda, together with the amount of said loan recovered from 1st April, 1962 to 1st October, 1962 from the said loanees and the amount of arrears yet to be recovered therefrom ?

Sardar Ajmer Singh : The disbursement of loans was stopped in the year 1957-58 in the case of Urban Loans and in the year 1955-56 in the case of Urban Loans and in the year 1955-56 in the case of Rural Loans. The requisite information is given below :—

		Rural Loans (Given upto the year 1955-56)	*Urban Loans* (Give upto the year 1957-58)
		Rs nP.	Rs nP.
(a) Amount of loans given to displaced persons	..	15,84,927·00	10,46,852·00
(b) Amount recovered upto 31st March, 1962	..	11,19,736·19	5,43,907·58
(c) Amount recovered from 1st April, 1962 to 1st October, 1962		56,067·37	3,69,648·47
(d) Balance amount yet to be recovered	..	4,09,123·44	1,33,295·95

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो date s rural तथा urban areas में loans बंद करने की अलग अलग रखी है, इस की क्या वजह है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ Central Government ਤੋਂ loan ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो loans लोगों के पास रहते हैं उन को वसूल करने के सरकार क्या यत्न कर रही है ?

ਮੰਤਰੀ : ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ cases ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ untraceable ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को loans दिए गए थे क्या उनसे sureties नहीं ली गई थी अगर ली गई थी तो sureties से loans वसूल क्यों नहीं किए जाते ।

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ securities ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ securities ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ loans ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਜਿਹੜੇ ਲੋਗਾਂ ਕੋਲੋਂ loan ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ untraceable ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ loans ਦੇਣ ਵਾਲੇ officers ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ officers ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਦ action ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ loan distribute ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ loans ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ sureties ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ mortgage ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ actually mortgage ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Central Government ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ transfer ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਭੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Rehabilitation loan ਦਿਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਵਿਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ loan ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

कामरेड राम किशन : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि Ministry of Rehabilitation, Government of India की तरफ से यह हिमायत है कि ऐसे लोगों के जो non-claimant है loans को write off कर दिया जाए।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨੀ ਗਲ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਤਕ ਅਸਾਂ write off ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ loans ਸਨ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ।

कामरेड राम किशन : वजीर साहिब ने फरमाया है कि 300 रुपये तक loans write off किये है क्या इन्हें Central Government की तरफ से इस से ज्यादा के non-claimant के loans write off करने का अख्तियार दिया गया है? और फिर 50 फीसदी Central Government और 50 फीसदी State Government देती है। तो क्या आप जिस केस को fit समझते हैं उन्हें write off करते हैं क्या D.C. की recommendation जरूरी है?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ recommend ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹਨ।

कामरेड राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि recently Rehabilitation और Works Housing के विभाग से पंजाब Government की बात चीत हुई है कि 500 रुपये तक के non-claimant loans को write off करने का अख्तियार State Government को है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ General Order ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ to the extent of five hundred ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

कामरेड राम प्यारा : क्या Government के notice में यह बात है कि कई ऐसे cases हैं जहां पर loanees unknown हैं और Magistrate unknown हैं और पटवारी भी unknown हैं?

ਮੰਤਰੀ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਲਭ ਲਵਾਂਗੇ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कामरेड राम प्यारा के सवाल में इन्होंने कहा है कि मेम्बर साहिब को सब मेम्बरों की इतलाह होगी तो क्या इन्हें सरकार ने investigating officer लगाया हुआ है?

Deputy Speaker : This is not a supplementary question.

कामरेड राम किशन : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि 500 से ज़्यादा अगर write off करने के अख्तियार पंजाब Government के पास हैं तो Punjab Government ने कोई इस सम्बन्ध में पालिसी बनाई है कि कितने cases में write off किया जाए ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਨੂੰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਕਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ write off ਕਰ ਦਿਉ on account of certain reasons ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो बात Central Rehabilitation Minister और Punjab Government के दरमयान हुई थी कि यहां पर Rehabilitation का काम Punjab Government के सपुर्द किया जाए तो क्या इसको मान लिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ loans ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਥੇ ਹਨ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ on certain terms ਸਾਡੇ ਪਾਸ transfer ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ।

THE CHIEF MINISTER ADVISORY COMMITTEE

***1995. Shri Rup Singh Phul** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that a Committee of Advisers to the Chief Minister, Punjab, has recently been constituted, if so, the names of members of the said Committee with the details of the function thereof, together with the reasons for forming the same ?

Sardar Partap Singh Kairon : No Committee as such has been constituted, but the following persons have been appointed as Personal Advisers to the Chief Minister in their individual capacity :—

(1) Shri Ram Narain Chaudhry.
(2) Pt. Sri Ram Sharma.
(3) Sardar Isher Singh Mujhail.
(4) Chaudhry Suraj Mall.
(5) Capt. Ranjit Singh.
(6) Rao Abhay Singh.
(7) Sardar Umrao Singh.
(8) Ch. Siri Chand, M.L.C.
(9) Sardar Bhupendra Singh Mann.
(10) Shri S. Krishna Murthy.
(11) Shri Ram Singh Dutt.

These Advisers are required to visit the various places in the State for undertaking extensive propaganda for the defence effort during the present Emergency and to keep the Chief Minister informed of the trends in public thinking in the State and advise him in regard to any action that should be taken in this connection.

For this work they will not receive any special emoluments but will be given T.A./D.A. to cover their expenses.

Shri Rup Singh Phul : May I know whether the duties being performed by the Advisers, could not be performed by the Members of the Cabinet or the Legislators ?

Chief Minister : These could be performed by them, but we needed some persons who could give more information during the present Emergency.

Shri Rup Singh Phul : May I know as to what gain the State got from these Advisers ?

Chief Minister : They come and tell some of the things which other people hesitate to do.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ character ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ।

Sardar Gurnam Singh : May I know as to what criterion was kept in view for selecting the Advisers ?

Chief Minister : It was the ability of the man, his public contacts, his intelligence and his approach to get things done.

Pandit Chiranjit Lal Sharma : May I know whether some of these Advisers have agreed to work without charging any T.A. or D.A., in view of the letter addressed to them by the Chief Minister.

Chief Minister : I cannot reply off hand. A separate notice may be given.

Shri Rup Singh Phul : May I know, Sir, as to how long these Advisers will continue ?

Chief Minister : Till they perform their duties or until the Emergency lasts, whichever is earlier.

Sardar Gurnam Singh : Did you know these persons before their appointment as Advisers ?

Chief Minister : I think so.

Sardar Gurnam Singh : If you knew all of them individually, was it in your knowledge that one of them had been convicted by a criminal court ?

Chief Minister : I did not know that.

Sardar Gurnam Singh : Is it or is it not in your knowledge that residents or inhabitants of this State could be better advisers than outsiders ?

Chief Minister : I think that they are residents of this State in the sense that of the two Advisers, one is residing in Gurgaon and I believe he is a voter ; the other stood for Rajya Sabha and so far as my information goes, he must have a vote in my province.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब से उन्होंने Advisers को appoint किया है तब से उन्होंने अपने काम के मुताल्लिक कोई advice उन को दी है ?

Chief Minister : They have said many good things which you have not done so far. (*interruptions*). That is what you have been telling and criticising in the House.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि सलाह के लिये Members जो आते हैं क्या वह एक ही दिन आते हैं या जुदा जुदा दिनों पर आते हैं ?

मुख्य मन्त्री : मेरी तो यही ख्वाहिश है कि वह अलहदा अलहदा आयें मगर वह आते एक दिन ही हैं ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आया वह किसी दिन, या किसी खास दिन आते हैं या अकसर आते जाते रहते हैं ?

मुख्य मन्त्री : वह जब भी आते हैं इकट्ठे होकर मेरे साथ बात करते हैं ?

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : Defence के बारे में जो वह लोगों से बात चीत करते हैं क्या वह आप की सलाह से करते हैं और जो instructions उन को दी हुई है उन के मुताबिक करते हैं ?

उपाध्यक्षा : यह तो जो उस कमेटी के लिए instructions हैं उन के मुताबिक बात करते हैं, यह तो आप को पता है । (The hon. Member might know that they hold talks according to the instructions laid down for that Committee.)

मुख्य मन्त्री : वह घूमते हुए आम लोगों से बातें करते हैं और Deputy Commissioners से बात चीत करते हैं ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या Deputy Commissioner सारी बातों की information नहीं दे सकता ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या Chief Minister साहिब यह बता सकते हैं कि यह Members हफते में एक दफा दो दफा इन को meet करते हैं, या ज्यादा दफा ?

Chief Minister : In the beginning, they have been meeting after a fortnight and now after a month.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या वह Members ही आज तक इन को मिले हैं जिन को Committee का Member appoint किया हुआ है या वह भी मिले हैं जिन को कि drop किया हुआ है ?

मुख्य मन्त्री : वह एक दफा मेरे पास defamation के case में आये थे । मैंने लिखा भी था मगर जवाब नहीं आया ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मुझे इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ।

उपाध्यक्षा : कह जो दिया कि लिखा था मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया । (He has stated that no reply to his letter had been received.)

मुख्य मन्त्री : वह मुझे Notification निकलने के बाद मिले हैं ।

Shri Nihal Singh : May I know, Sir, whether ladies have failed to impress upon the Chief Minister their utility as Adviser ?

Chief Minister : The Honourable Member has wrong information. He should know that ladies effect everybody and influence everybody.

Sardar Gurnam Singh : Is the Chief Minister aware that one of his Advisers is a dismissed employee of the Rajasthan Government ?

Chief Ministers: I do not know that, but he has been holding a very prominent position there.

चौधरी देवी लाल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बात बतायेंगे कि जो letter लाला राम नारायण ने कृष्ण मूर्ति के मुतल्लिक लिखा था उस की परवाह ना करते हुए उस को dismiss किया गया था, चीफ मिनिस्टर साहिब ने अपने चेयरमैन की बात क्यों नहीं मानी ।

मुख्य मन्त्री : उन की advice को मानूं या न मानूं यह मेरी मर्जी है । यह बात नहीं कि जो कुछ वह कहें मैं मान लूं । मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी थी । या तो मैं ने जवाब नहीं दिया अगर दिया होगा तो यही कहा होगा कि I am competent enough to deal with it.

उपाध्यक्षा : अगर आनरेबल मेम्बर साहिबान ने जवाब को ग़ौर से पढ़ा होगा तो उन को पता लग गया होगा कि उन की advice को मानना या न मानना चीफ मनिस्टर साहिब की अपनी मर्ज़ी पर है । इस लिये इस सिलसिले में सवाल पूछने की कोई गुंजायश नहीं । (If the hon. Members have studied the reply carefully they must have realized that it is within the competence of the Chief Minister to accept or reject their advice. Therefore, there is no scope for asking any supplementaries in this connection.)

STARRED QUESTION No. 1996

श्री बलरामजी दास टंडन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सवाल में कोई ऐसी खास information नहीं पूछी गई जिस की वजह से इतनी delay हो सकती हो । जो इस कमेटी के चेयरमेन साहिब बनाए हुए हैं उन्हीं के सम्बन्ध में यह सवाल है । इस में कोई खास बात नहीं, सारी की सारी information यहां सैक्रेटेरिएट में मौजूद है ।

उपाध्यक्षा : दरियाफ्त करने में कुछ न कुछ दिक्कत तो होगी ही । (There must be some difficulty in collecting the information.)

श्री बलराम जी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सवाल 28 फरवरी की लिस्ट पर है । पंद्रह दिन पहिले इसका नोटिस दिया गया था । आज 20 मार्च का दिन है लेकिन बावजूद इस बात के कि सारी इत्तलाह सैक्रेटेरियेट में मौजूद है, यहां पर जवाब नहीं दिया जा रहा ।

उपाध्यक्षा : आप ने अब ध्यान दिलवा दिया है तो जवाब जल्दी ही देने की कोशिश करेंगे । (Now that the hon. Member has invited our attention to it, efforts will be made to send the reply soon).

Chief Minister : In the Question, the Honourable Member has enquired:

"The total number of the Government Employees who attended the lectures delivered by the President, Gram Sevak Sahyog Samaj, at Faridabad recently together with the total amount paid to the President of the said Samaj on this account with the total amount of T.A. and D.A. drawn by the employees, who attended these lectures ?

All this information is required to be collected from various offices, the persons concerned, etc. This is the difficulty.

Shri Balramji Dass Tandon: Should I expect the reply ? If so, when ?

Chief Minister : It will not be possible to give the information easily.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मैं इस की details में तो जाना नहीं चाहता लेकिन क्या मैं चीफ मनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि क्या ग्राम सहयोग समाज के चेयरमैन वही साहिब हैं, जिन्हें ग्राप ने अपनी Advisory Committee का चेयरमैन बनाया हुआ है ?

मुख्य मन्त्री : ग्राप को इस का पता ही है।

RURAL PUBLICITY WORKERS

***2049. Comrade Ram Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the pay scale with allowances of the Rural Publicity Workers in the State ;

(b) the number of days for which Rural Publicity Workers are expected to remain on tours during a month ;

(c) the rate of T.A. permissible to the said workers while on tour.

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary): (a) The Rural Publicity Workers are paid a consolidated remuneration of Rs 79.50 nP. (fixed) per mensem.

(b) They are required to remain on tour for at least 20 days in a month.

(c) No T. A. is paid.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि जो Rural Publicity Workers हैं, उनकी duties क्या हैं ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : वह गांव में जाकर conferences करते हैं, meetings करते हैं, स्कूलों में जाते हैं ग्रौर जा जा कर Government की developmental activities की बाबत लोगों को बताते हैं।

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि जब उन को इतना important काम दिया गया है ग्रौर जब कि उन से तवक्को की जाती है कि वह महीने में 20 दिन दौरे पर रहें तो क्या उस के मुकाबले में उन्हें जो 80 रुपए 8 ग्राने माहवार का Consolidated allowance दिया जाता है, इस काम के लिये काफी है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : वह ग्रपने गांव में रहते हैं, ग्रपने घर रहते हैं ग्रौर उसी के ग्रासपास इलाकों में जाते हैं। ग्राम तौर पर एक ही Constituency में उन की duty होती है। सो वह रोज़ाना ग्रपने गांव में ग्रा जा सकते हैं, साईकल उन के पास होते हैं।

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि जब उन्होंने यह फरमाया है कि उन लोगों को महीने में बीस दिन दौरे पर रहना होता है, तो इस हालत में उन से यह उम्मीद की जाती है कि वह खाना किसी के घर पर जा कर खाते रहें या अपनी जेब से खाएं ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : बाहर जाने का मतलब जरूरी तौर पर यह नहीं कि रात को बाहर रहें। रात को वापिस आकर अपने घर पर ही रोटी खा सकते हैं। जो पैसे उन को दिये जाते हैं वह रोटी खाने के लिये काफी होते हैं। आखिर गांव में कितना खर्च होता है, वहां पर कोई होटल तो नहीं होते ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि क्या यह Rural Publicity Workers उसी वक्त दौरे पर नहीं जाते जब के कि कोई बड़ा अफसर या मिनिस्टर वहां जाता है ?

उपाध्यक्षा : यह आप information दे रहे हैं या information ले रहे हैं। (Is the hon. member giving the information or seeking it ?)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : उन को वैसे ही यह तनखाह दी जा रही है।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : जो सवाल पूछा गया है उस का जवाब मैं ने दे दिया है । यह सवाल इस से पैदा नहीं होता ।

कामरेड राम चन्द्र : चीफ पार्लियामेंटरी साहिब ने फरमाया है कि वह सुबह जाकर शाम को वापिस आ जाते हैं । क्या गवर्नमैंट के नोटिस में यह बात आई है कि कई बार उस तहसील का रकबा जिस को उन्होंने cover करना होता है दो दो, तीन तीन हजार मुरब्बा मील होता है और इस तरह से वह सुबह जाकर शाम को घर कैसे वापिस आ सकते हैं ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : मैं ने तहसील नहीं कहा। मैंने कहा है कि उन की duty एक Constituency में होती है ।

चौधरी देवी लाल : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि उन की डयुटी यह भी है कि वह वहां पर जाकर कहें कि मिनिस्टर साहिब दाल नहीं खाते चिकन खाते हैं ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : वह तो गांव में रहते हैं । वहां पर चिकन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर होटल ही नहीं होते। अगर मेम्बर साहिब को किसी specific case का पता हो तो वह बताएं, पता कर लिया जाएगा ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ Rural Publicity Workers ਆਪਣੀ post of duty ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਤਹਿਸੀਲ headquarters ਵਿਚ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ office ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ particular case ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਣਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Rural Publicity Worker ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ political C. I. D. ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ publicity workers ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ elections ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ suspend (ਜਾਂ) dismiss ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ arise ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

INCREASE IN THE WORKLOAD OF THE SECRETARIES TO GOVERNMENT, PUNJAB AND OTHER GAZETTED OFFICERS

*2135. **Sardar Gurdial Singh Dhillon** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government is considering any proposal to introduce some reforms in the Civil Secretariat to increase the work load of the Secretaries to Government and other Gazetted Officers ; if so, the details thereof;

(b) whether Government is considering any proposal to introduce single file system in the Civil Secretariat ; if so, the details and the advantages thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Government has under consideration certain proposals for re-organising work—it is not possible to give any concrete details as yet.

(b) Yes. It is being introduced in those branches of the Secretariat where it is considered practicable and where Heads of Departments are located at Chandigarh. Under this system, cases referred to the Government by Heads of Departments are dealt with at officers' level and orders of the Government passed on this files of the Heads of Departments without starting separate files in the Secretariat. It is expected that this system will result in some economy as well as expeditious disposal.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ work load ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ single file system ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ single file system ਹੈ, ਇਕ reduction in the staff ਹੈ, ਇਕ increase in the norm of work ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो staff में reduction हो रही है क्या यह सारी Classes में यानी Class I, Class II, Class III और Class IV Government Servants में हो रही है या सिर्फ नीचे के staff में ही हो रही है ?

मुख्य मन्त्री : सभी में होगी ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री सहिब बताएंगे कि Secretariat के staff की जो वह reorganisation कर रहे हैं, तो ऐसा करते वह इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश करेंगे जो उन की अपनी भेजी हुई चिट्ठियां चीफ सैक्रेटरी तक नहीं पहुंचतीं ?

Deputy Speaker : This is not a supplementary question. The hon. Member is giving information rather than asking for it ?

कामरेड राम प्यारा : यह जो चीफ मिनिस्टर सहिब ने efficiency को raise करने के लिये सैक्रेटेरीयेट के staff में reforms लाने के लिये बताया है मैं इस बारे में उन से पूछना चाहता हूं कि यह जो उन की अपनी भेजी हुई चिट्ठियां चीफ सेक्रेटरी को नहीं पहुंचतीं, इस चीज़ को रोकने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं ?

Deputy Speaker : No please.

Comrade Ram Piara : All right, another supplementary please. क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या उन की अपनी चिट्ठी Chief Secretary को भेजी हुई उन के पास पहुंचने से पहले रास्ते में गुम हो गई थी ?

श्री बलरामजी दास टंडन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि कुछ Class II और Class I Government Servants को reduction में लाया जा रहा है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन employees में से जो permanent हैं उन को निकालने का उन्हों ने कोई रास्ता निकाल लिया है ?

मुख्य मन्त्री : Permanent तो उस में होते ही हैं चाहे वह Class I के हों चाहे Class II के हों ।

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्योंकि जो permanent employees होते हैं उन को service से निकालना मुश्किल होता है, इस लिये उन को reduction में लाने का क्या सरकार ने कोई रास्ता निकाल लिया है ?

मुख्य मन्त्री : उन के लिये यह ज़रूरी नहीं कि उन की services को खत्म किया जाए । उन को किसी और काम पर लगाया जा सकता है । हरेक employee की certain position होती है । अगर एक Deputy Secretary है तो उसे Deputy Commissioner लगाया जा सकता है और जो Deputy Commissioner लगा हुआ है उस के लिये यह जरूरी तो नहीं कि वह Deputy Commissioner ही लगा रहे । उसे किसी और post पर लगाया जा सकता है । एक Under Secretary को Assistant Secretary और एक Assistant Secretary को Superintendent लगाया जा सकता है । हम ने तो आदमी कम करने हैं ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : चीफ मिनिस्टर साहब ने जो staff की reduction और reforms लाने के लिये बताया है यह बिल्कुल साफ नहीं है । क्या यह

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

उसी तरीका के साथ कर रहे हैं जैसा के इन्होंने Co-operative महकमा वालों के साथ किया था या कोई और रास्ता निकालेंगे ? जो इस से unemployment पैदा होगी उस का क्या हल निकालेंगे ?

मुख्य मन्त्री : यह कोई जरूरी तो नहीं कि unemployment को दूर करने की खातर ही हम ज्यादा आदमी रखते जाएं। इस लिये यह जरूरी है कि जो service के लिहाज से junior होंगे उन्हें निकाला जाएगा।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि Class I और Class II के जो अफसर reduction में लाए जा रहे हैं उन की तादाद कितनी है ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिये notice दे दीजिए। Reduction का मतलब यह नहीं कि उन्हें service से ही बाहर निकाल देना है। They will go to other jobs.

श्रीमती सरला देवी : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि जो लड़के reduction में आ रहे हैं क्या उन के लिये यह सोचा जा सकता है कि उन्हें industries में training देने के लिये दूसरे सूबों में भेजा जाए ?

मुख्य मन्त्री : यह तो मेरे मन की खाहिश है। लेकिन मैं दूसरे सूबों में भेजने के लिए कुछ नहीं कह सकता। जो लड़के technical training लेना चाहेंगे उन्हें हम अपने सूबा में training देने का इंतजाम करेंगे। जो military में लेना चाहेंगे उन्हें वहां training मिल सकती है। जो technical काम सीखना चाहेंगे उन्हें हम चाहे Small Tool Factory में या किसी और कारखाने में या military में भेजने का इंतजाम कर देंगे।

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो single file system जारी करने के बारे में बताया है उस के बारे में क्या वह बताएंगे कि क्या single file system रखने का उन्होंने मुस्तकिल तौर पर फैसला कर लिया है ?

मुख्य मन्त्री : अभी तो एक file का system follow कर रहे हैं। इस बारे में my views are कि कई महकमे ऐसे हैं जहां यह single file system नहीं चल सकेगा, जैसे कि Vigilance Department है, Intelligence का Department है और Finance Department है। इन के अलावा शायद एक आध और महकमा हो। और जो दूसरे Information type के नहीं होते उन में single file system ही चलना चाहिये। जब तक हम इस में बिल्कुल फेल नहीं हो जाते, यही system चलना चाहिये।

NATIONAL DEFENCE PUBLICITY

***2136. Sardar Gurdial Singh Dhillon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the steps so far taken by the Public Relations Department to expedite publicity of matters relating to National Defence;

(b) the number of meetings held, dramas and other performances staged after the 20th October, 1962 ;

(c) the number of radio sets so far provided for publicity to the village panchayats and on what terms ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A statement regarding the steps taken by the Public Relations Department in connection with National Defence Publicity is placed on the table of the house.

(b) Nine hundred ninety-three conferences . 21,576, meetings and 1,252 drama performances were organised by the Public Relations Department from 20th October, 1962 to 31st January, 1963.

(c) Eight thousands three hundred and eighty-five community listening radio sets. Fifty per cent cost of each set is met by the Government of India, 25 per cent by the State Government and 25 per cent by the allottees on ten years lease.

STATEMENT

Steps taken by the Public Relations Department in Furtherance of National Defence

Since the declaration of National Emergency the work of the Public Relations Department was given a new orientation. To secure best co-ordination between the publicity and propaganda drives launched by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India and the State Publicity Organization, advance publicity Cell was created in the Public Relations Department under a Campaign Officer.

2. Apart from the productions and distribution of a variety of printed material on national defence. Talking Points have been supplied to the field organization which is functioning right up to the village level. As many as 87 items have been published and distributed by the State Organization.

3. Co-ordination with All-India Radio was promoted with the assistance of two Liaion Officers, one at Jullundur and the other at Delhi, so as to arouse people's interest in the various measures taken by the Government in aid of National defence. In addition, the press was fed regularly. 18 article having bearing on Punjab's Defence Efforts were released to the press alongwith translation in regional languag es. The number of press-notes released in respect of the defence effort during the perio d from 20th October, 1962 to 12th February, 1963 is 176. 35 broadcasts by the Governor, Chief Minister and Ministers were arranged and 84 messages were released to the press.

4. 993 conferences, 21,576 meetings and 1,252 drama performances were given by the District Public Relations Officers in the State. A 15-member Central Drama Troop has been organized for field purposes. This troop is at present entertaining the troops in the forward areas of NEFA after giving successful performances at Chandigarh, Ambala, Simla and Daghshai, mainly for the Armed Forces.

5. The 20th day of each month is being celebrated as Martyr's Day all over the State when special meetings are organized to pay homage the brave heroes, who have sacrificed their lives in defence of the country. The Republic Day was celebrated as a Pledge Taking Day all over the State when the people took the Pledge to defend the country at all costs in mammoth meetings.

6. Defence orientation has also been given to the five monthly and one-quarterly departmental journals.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ performances stage ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ subject ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ select ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਸਾਡਾ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ select ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੋਣ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 900 ਤੋਂ ਉਪਰ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ selection ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 900 ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਕ ਹੀ ਡਰਾਮਾ 100 ਦਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਡਰਾਮਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ subject matter ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ 100 ਦਫਾ stage ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ 900 ਦਫਾ stage ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ variety ਵੀ ਰਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ select ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਰਾਮੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਚੁਣ ਕੇ stage ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ special party ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ NEFA ਵਿਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ performances ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਲਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ appreciation ਦੀਆਂ letters ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ radio set ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ community development ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Defence Ministry ਵਾਲੇ ਦਿਦੇ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : Defence ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਉ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਪੈਸੇ ਪਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਥੇ radio sets ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ loan ਦਿੰਦੇ ਹੋ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : 25 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਹਨ, co-operative societies ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।

PERSONAL ADVISERS' COMMITTEE TO THE CHIEF MINISTER

***2145. Sardar Kulbir Singh** (Shri Balramji Dass Tandon on his behalf) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any personal advisors' committee to the Chief Minister has recently been formed by Government, if so, the list of its members with their full addresses ;

(b) whether any meetings have been held by the said Committee uptil 31st January, 1963, if so, on what dates and the places where held ;

(c) the total amount of allowances or remuneration, if any, received by each of its members uptil 31st January, 1963 ;

(d) the reasons for setting up the said committee ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No Advisory Committee as such has been constituted but the following persons have been appointed as Personal Advisors to the Chief Minister in their individual capacity :

(1) Shri R.N. Chaudhry, Gram Sahyog Samaj, Faridabad.
(2) Pandit Sri Ram Sharma, Rohtak.
(3) Sardar Ishar Singh Majhail, Patiala.
(4) Ch. Suraj Mall, Hissar.
(5) Capt. Ranjit Singh, village Dabra, district Hissar.
(6) Rao Abhay Singh, Rewari (Gurgaon).
(7) Sardar Umrao Singh, Jullundur City.
(8) Ch. Sri Chand, M.L.C., Rohtak.
(9) Sardar Bhupinder Singh Mann, Village and post office Bara, Sirhind.
(10) Shri S. Krishanmurthy, 144, North Avenue, New Delhi.
(11) Shri Ram Singh Dutt, Village and post office Sahuwal, district Gurdaspur.

(b) Since there is no Advisory Committee as such, the question does not arise.

(c) No amount has yet been paid.

(d) Personal Advisers have been appointed to associate as large a number of prominent men from public life as possible in the National Defence Efforts.

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि चौधरी रामनारायण किस capacity में मैंबर बनाए गए ?

मुख्य मन्त्री : अपने काम को भुगताने के लिये वह मेम्बर बनाए गए ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Chief Minister kindly state if such an advisory committee/advisers were ever appointed prior to this in the history of Punjab ?

Chief Minister : I do not know whether or not any such advisers were appointed earlier, but this is within my rights to appoint such advisers.

श्री बलरामजी दास टंडन : एक आदमी को चेयरमैन designate करना और बाकी को मेम्बर designate करना क्या यह कमेटी form होना नहीं है, तो और क्या है ?

मुख्य मन्त्री : यह इस लिये कि वह आपस में बैठ कर बात कर सकते हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Chief Minister kindly state if the Chairman was to be appointed by him or he was to be elected by the members themselves ?

Chief Minister : They have to give me advice and if they want to form a Committee in the sense that they want to come and discuss any points with me jointly, they can do so.

चौधरी देवी लाल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि जो चेयरमैन पंजाब का दौरा कर रहा है, वह T. A., D. A. draw नहीं करेगा।

मुख्य मन्त्री : जो भी चीज़ आएगी, वह आप को बता दी जाएगी। आप के सामने ही आएगी।

Sardar Gurnam Singh : Is it or is it not the purpose of appointment of this committee to oust inconvenient dissidents from the field ?

Chief Minister : I did not follow the question. Will the hon. Member please repeat it ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ Advisory Committee ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ members ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ?

चौधरी नेत राम : क्या Chief Minister साहब बताएंगे कि जो उन के नये सलाहकार हैं वे ज्यादा काबल हैं या Cabinet के मेम्बर ?

मुख्य मन्त्री : यह भी आपकी तरह ही काबिल हैं।

ADVISORY COMMITTEE APPOINTED BY THE CHIEF MINISTER

*2263. **Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the members of the Advisory Committee appointed by him to advise him on the affairs of the State ;
(b) functions of the said Committee in detail ;
(c) T.A. and office facilities provided to the Chairman and the members of the said Committee ;
(d) the number of the meetings so far held by the said Committee and on what dates ;
(e) the detail of the problems considered by the said Committee and advice rendered to the Chief Minister ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No Advisory Committee as such has been constituted but the following persons have been appointed as Personal Advisers to the Chief Minister in their individual capacity :—

(1) Shri Ram Narain Chaudhry.
(2) Pandit Sri Ram Sharma.
(3) Sardar Ishar Singh Majhail.
(4) Ch. Suraj Mall.
(5) Capt. Ranjit Singh.
(6) Rao Abhey Singh.
(7) Sardar Umrao Singh.

(8) Ch. Sri Chand, M.L.C.
(9) Sardar Bhupinder Singh Mann.
(10) Shri S. Krishnamurthy.
(11) Shri Ram Singh Dutt.

(b) Since there is no Advisory Committee as such, the question of its functions as a Committee does not arise. The Personal Advisers are, however, required to visit various places in the State for undertaking extensive propaganda for the Defence effort during the present emergency and to keep the Chief Minister informed of the trends in public thinking in the State and advise him in regard to any action that should be taken in this connection.

(c) The Personal Advisers have been allowed T.A./D.A. (as in the case of First Class Officers) to cover their actual expenses. No separate office has been set up for them.

(d) and (e) Question does not arise in view of (a) and (b) above.

कामरेड राम चन्द्र : सवाल के जवाब में बताया गया है कि यह advisers defence के सिलसिले में propaganda करेंगे । मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि Public Relations Department जो इतने ड्रामें और मीटिंगें करता है और propaganda कर रहा है क्या उस के इलावा और भी propaganda की जरूरत है ?

मुख्य मन्त्री : कई जगह लोगों में resistance थी। नई 2 चीजों के लिये वे चाहते हैं कि उन आदमियों को लगाया जाए जो जनता में से हों, उन से बातें करते हों। इस तरह का propaganda हो। वह propaganda नहीं कि माईक ले कर भागे फिरें।

कामरेड राम चन्द्र : Chief Minister साहिब ने फरमाया है कि लोगों में कुछ resistance थी। क्या मैं उन से दरयाफत कर सकता हूं कि जो वह पहले बयानात देते रहे हैं कि लोगों में defence के लिये जज़बा पाया जाता है, जिस जज़बे की बिना पर इतना रुपया जमा हुआ, उन में और इस बयान में फर्क क्यों है ?

मुख्य मन्त्री : ऐसी बात नहीं है। पैसे इकट्ठे करने में शिकायत थी कि कई अफसर coerce करते हैं। लोगों ने कहा कि उन अफसरों को नहीं देंगे, और कोई आ जाए उस को देंगे। तो अब यह deal करते हैं। मुझे बतलाते रहते हैं कि फलां काम ठीक नहीं चल रहा, circular भेजना चाहिए; वह cicular भेजते हैं। Local resistance की वजह से, कई अफसरों के गुस्से और नाराज़गी की वजह से जो रोज़-मर्रा करते थे, इस की वजह से इन्हें लगाया गया है।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि वे Congress Party के affairs में भी मश्विरा देते हैं ? दो तीन दिन हुए अखबार में पढ़ा था। वे Lectures देते हैं। पिछले चुनाव में Chief Minister ने नाम मांगे तो 100 में से 60 को टिकट मिले।

मुख्य मन्त्री : उस वक्त advisers नहीं थे । मैं तो कहता हूं कि 200 के नाम दे दें, मैं चुन लूं ।

चौधरी देवी लाल : क्या Organisational टिकट देने के लिये मुख्य मन्त्री की पहले सलाह थी या कोई Board बनाया हुआ था ? कौन सी capacity में 100 में से 60 नाम चुने गए ?

मुख्य मन्त्री : उन्होंने सरदार गुरदयाल सिंह का नाम भी मुझे दिया था कि तुम्हें लेना ही चाहिए ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि यह जो Advisers हैं या कमेटी है इन का दर्जा Super-Cabinet का है या Kitchen Cabinet का ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : Hon. Member ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ Cabinet ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ (ਬਾਕੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਵਲ ਹਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਤੇ Super ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Chaudhri Ram Singh : Will the hon. Chief Minister be pleased to state if the word 'resistance' used by him means that there was personal resistance to the Chief Minister and if the advisers have been appointed to remove that resistance only ?

Chief Minister : I believe the hon. Member has streched the meaning of that term too far.

श्री जगन्नाथ : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि जो आदमी इस Committee में लिए गए हैं वह दूसरों से होशियार थे, लायक थे । क्या C.M. साहिब बताएंगे कि पिछले Elections में उन में से कितने हारे हुए candidates हैं ?

मुख्य मन्त्री : यह यकीन रखें हारे हुए जीते हुओं से प्रबल हैं ।

Deputy Speaker : The Question Hour is over now.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ROADS IN SANGRUR DISTRICT

506\. **Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Minister for planning and Development be pleased to state—

(a) the number and the names of roads in district Sangrur at present for which survey has been completed ;

(b) whether the public did any earthwork on any of the said roads ; if so, the details thereof ;

(c) further action proposed to be taken by the Government in this connection ?

Sardar Darbara Singh : (a) Four roads—

(1) Barnala-Thikriwala.

(2) Babar-Langowal Road.

(3) Pakho-Tapa Road.

(4) Khanauri-Arna Road.

(b) Yes. The Public did earthwork on the following roads and the amount is shown against each :—

(1) Barnala-Thikriwala	..	Rs 9,000
(2) Babar-Langowal	..	Rs 15,000

(c) The roads mentioned against (b) above are under construction and will be completed soon subject to the availability of funds. In the case of other two roads land is being acquired after which earthwork shall be got done by Government on payment basis.

LINK ROAD CONNECTING BARNALA-MANSA ROAD IN BARNALA SUB-DIVISION

507. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that at the time of the previous consolidation of lands in village Kanoke of Barnala sub-division, nine karams (Gathas) of land was earmarked for the link-road connecting the said village with the Barnala-Mansa road ; if so, the area of land in the said village now reserved for the purpose ;

(b) whether the said link-road has been completed according to the scheme; if not, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes ; nine karmas have been left in village Kanoke and five in Dhaula ;

(b) This link road has not been constructed as it is not included the Third Five-Year Plan.

IRON AND STEEL AND CAMPHOR FACTORIES STARTED AT BATALA, AMRITSAR ETC.

707. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of new iron and steel and camphor factories started at Batala, Amritsar, Jullundur, Ludhiana and Chandigarh since March, 1956 to 31st December, 1962 together with names and addresses of the proprietors ;

(b) the quantity of quota of iron, stainless steel and camphor allotted to each, annually, during the said period ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) Time and labour involved in the compilation of this information will not be commensurate with the benefit sought to be derived therefrom.

BETTERMENT LEVY COMMITTEE

708. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the action, if any, so far taken by Government on the recommendations made by the Betterment Levy Committee ;

(b) a copy of the said recommendations be laid on the Table of the House.

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Report is under consideration of the Government ;

(b) A copy of the report will be placed, if desired, on the Table of the House after necessary action by the Government.

REGISTRARS, BOARDS OF AYURVEDIC AND UNANI SYSTEMS OF MEDICINE, PATIALA AND AMRITSAR

753. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Finance be pleased to state—

Whether the Registrars, Boards of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Patiala and Amritsar keep the cash (receipts) in their custody if so, the reasons therefor ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (1) *Patiala Board*—No. Sir. The cash is kept in the custody of the Cashier under the supervision of the Registrar.

(2) *Amritsar Board.*—All the cash (receipts) of the Board is kept in a joint custody (safe) of the Registrar and the Head Clerk. Both of them keep one key of the two locks with them. The heavy iron safe remains in the office. All the money is sent to the State Bank of India next day as it cannot be deposited in the Bank after 2. p.m. on the day of receipt.

ESCORTS LTD., BAHADURGARH (PATIALA)

754. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Home Minister be pleased to state whether it is a fact that the Escorts Ltd., Bahadurgarh (Patiala) constructed and operated the Foundry without the requisite permission ; if so, the action taken against the management ?

Shri Mohan Lal : Yes. Foundry and Forge Shops of M/s Escorts Ltd., Bahadurgarh (Patiala) is an extension to the existing factory building. The Factory Inspector, Patiala, who detected this violation of the Factory Rules on the part of the management on 28th July, 1961 directed them to submit the building plans for the approval of the Chief Inspector of Factories, Punjab. The management accordingly submitted them on the 18th August, 1961, which were approved by the Chief Inspector of Factories, Punjab after thorough scrutiny. However, before the management could submit their plans, the Factory Inspector had launched prosecution against them for the alleged violation of Factories Rules. The management represented against this action of the Factory Inspector and on examination it was observed that the violation committed by them was of a minor nature for which prosecution was not called for. Thus it was decided not to follow up the prosecution case in the Court.

AGRICULTURE CIRCLE IN THE STATE

825. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of Agriculture circles in the State as on 1st February, 1963 together with the location of headquarters of each circles and the name of the Deputy Director of Agriculture Incharge thereof :

(b) whether Government is considering any proposal either to close down or to shift any circle from one station to another station ; if so, the details thereof ;

(c) the names of headquarters of Agriculture circles which have their own buildings to accommodate offices residence of certain officers/officials together with the details of the rents being paid by the Department in respect of rental buildings where either the Government owned accommodation is short or there is no Government accommodation.

Sardar Gurbanta Singh : A statement is laid on the table of the House.

Statement showing the Agriculture Circles in the State as on 1st February, 1963

(a) :—

No. of Circles	Name of Circle	Headquarters of each Circle	Name of the Deputy Director of Agriculture Incharge
Five ..	(1) Hilly Areas	Palampur	Shri Balmukand Batra
	(2) Gurdaspur	Gurdaspur	Shri Pritam Singh, Hoshiarpuri
	(3) Jullundur	Jullundur	Shri Gurcharan Singh Kalkat
	(4) Nabha	Nabha	Shri Ram Kishan Singh
	(5) Hansi	Hansi	Shri Darshan Singh Kang

(b) No.

(c) (i) Buildings to accommodate offices/residence of certain officers/officials are available at the headquarters of the following Agricultural Circles :—

Name of Circle		*Kind of accommodation available*
Gurdaspur	..	Office-accommodation as well as residential accommodation for the Deputy Director of Agriculture and certain officials.
Nabha	..	Office accommodation only
Hansi	..	Office accommodation as well as residential accommodation for the Deputy Director of Agriculture and most of the concerned officials

(ii) There is no Government accommodation at the headquarters of the following Agricultural Circles. The rent of hired buildings is given against each :—

Name of Circle		*Rate of rent per month* Rs
Hilly Areas, Palampur	..	100
Jullundur	..	210

SURVEYORS IN THE IRRIGATION DEPARTMENT

826. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) The number of temporary/permanent surveyors in the Irrigation Department together with the period of service of each one at present ;

(b) whether any proposal for bringing up the said surveyors on regular and permanent basis is under the consideration of Government, if so, since when together with the approximate time likely to be taken to finalise the same ;

(c) whether Government have received any request or representation from any of the Legislators so far for bringing up the said Surveyors on regular and permanent basis ; if so, the copies thereof be laid on the Table of the House together with the details of the action, if any, taken thereon?

Chaudhari Ranbir Singh : (a) There are only 13 posts of regular temporary Surveyors in the Irrigation Branch. Their period of service is as under :—

	Year	Months	Days
1 ..	14	8	0
2 ..	12	4	0
3 ..	8	4	0
4 ..	7	0	0
5 ..	2	0	13
6 ..	2	0	13

7 to 13. Offered appointments on 22nd February, 1963.

However there are 41 posts of work-charged surveyors also.

(b) No. Question does not arise.

(c) Yes. From Comrade Ram Piara, M.L.A. Copies of the representation are laid down on the Table of the House. The matter is under consideration.

Copy of D.O. No. 9455-*Irr-Estt-II*-(2) 62/38340, *dated* 9th *November*, 1962, *from S4ri J.N. Mehta, P.S.E., Assistant Secretary to Government, Punjab, Irrigation and Power Departments, Punjab Civil Secretariat, Chandigarh, to Shri Ujagar Singh, Executive Engineer (A.E.) 1..W., Punjab, Chandigarh.*

Subject.—Bringing Surveyors in the Irrigation Department in regular and permanent scales.

I am desired to forward herewith a copy of letter, dated the 28th July, 1962, from Shri Ram Piara, M.L.A., wherein has requested to bring the Surveyors of Irrigation Department on regular and permanent scale. I shall feel grateful if the matter is looked into and a report is sent for the information of Irrigation and Power Minister at an early date.

2. This may please be treated as urgent.

No. 962-990-CR/11018, dated the 4th December, 1962

COPY, with a copy of its enclosures forwarded to all Superintendending Engineers, for information and necessary action. The posts of work-charged Surveyors which are considered necessary to be converted into regular ones, particularly of those who have been got longer service at their credit may please be converted into regular basis by providing them in the S.N.E., and giving full justification thereof, as per instructions already issued on the subject, so that approval of the Government be obtained thereto.

(Sd.)....

ADMINISTRATIVE OFFICER (II),
for Chief Engineer (Admn.) Irrigation Works, Punjab, Chandigarh.

No. 991-92-CR/11018, dated the 4th December, 1962

COPY forwarded to the General Manager , Bhakra Dam/Beas Dam, for information and necessary action.

(Sd.)....

ADMINISTRATIVE OFFICER, (II),
for Chief Engineer (Admn.) Irrigation Works, Punjab, Chandigarh.

No. 993/CR dated the 4th December, 1962

COPY forwarded to the Assistant Secretary to Government, Punjab, Irrigation and Power Departments, for information, with reference to his D. O. No. 9455-irr-Estt-II-2-62/38340, dated 9th November, 1962.

(Sd.)....
ADMINISTRATIVE OFFICER (II),
for Chief Engineer (Admn.) Irrigation Works, Punjab, Chandigarh.

No. 994/CR dated the 4th December, 1962

COPY forwarded to the Superintendent E. G. Section, for information.

(Sd.) ...
ADMINISTRATIVE OFFICER (II),
for Chief Engineer (Admn.) Irrigation Works, Punjab,

Copy of letter, dated the 28th July, 1962, from Shri Ram Piara, M.I.A., regarding bringing Surveyors of the Irrigation Department on regular and permanent scale to the Irrigation and Power Minister, Punjab.

I avail of an opportunity to bring to your kind notice that as per Government orders most of the work-charged establishment in the Irrigation Department like Beldars, Mates, Chaukidars, Malis and Dak Runners, etc.,etc., who were formerly charged to A. M. and R. estimate have been brought on regular and permanent scale, whereas the post of Surveyors connected to the A/I M. and R., estimate, have not so far been brought on regular and permanent scale for the reasons best known to the Department. I feel that the case of Surveyors deserves a sympathetic consideration.

2. It seems rather strange that though the Surveyors in the Irrigation Department have been serving for the last so many years, ranging from 8—12, yet no heed has been paid to them.

3. It is further added that the post of surveyors in the Electricity Branch have been brought on regular and permanent scale. Moreover , in the Irrigation Department also the post of Surveyor in Ferozepore Circle has been brought on regular scale with effect from 1st March, 1960. I do not know why the rest of the Surveyors in the State have not been given the same treatment.

Under the circumstances explained above, in my opinion, the posts of surveyors in the Irrigation Department, should be brought on regular scale so that they may not suffer and deprived of the benefiits of leave, pension, gratuity, etc.

Hoping to be favoured with an early reply and obliged.

CONSOLIDATION OPERATIONS IN TEHSIL FAZILKA, DISTRICT FEROZEPORE

865. Shri Satya Dev : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of villages in tehsil Fazilka, district Ferozepore, where consolidation operations are over together with the number and names of villages where consolidation work is still being carried on and the time by which it is expected to be completed ;

(b) whether any provisions were made for circle roads 'phirni' around each of the villages where the consolidation operations are over, if so the number of such villages and the number and names of villages where such provisions have not been made together with the reasons therefor ;

(c) the details of the consolidation operations made in village Khui Khera, tehsil Fazilka, in regard to the points raised in part (b) above ;

[Shri Satya Dev]

(d) whether any areas of land have been allotted or are proposed to be allotted to village panchayats in the villages where consolidation operations are over or are still being carried on ;

(e) whether there is any proposal to allot new areas to village Panchayats or the areas already in their possession are proposed to be retained by them?

S. Ajmer Singh : (a) *First Part.*—154.

Second Part.—Statement is attached.

(b) The provisions for Phirni were made in all the villages except two, Gulshan and Kanwan Wali as these villages are 'Be-Charag'.

(c) In village Khui Khera, the provision for circle road 'Phirni' has been made on South, North and West sides of Abadi Deh.

(d) Yes.

(e) There is no such proposal to allot new area to village Panchayats. In cases where areas already under the possession of Panchayats fall short, some new area is being given, otherwise village Panchayats are being allotted the areas already under their possession.

Statement showing the total Number of villages in tehsil Fazilka, district Ferozepur, where consolidation work is still being carried on and the time by which it is expected to be completed.

Serial No.	Name of the village	The date on which the Consolidation of holdings work is expected to be completed in the village
1	Karni Khera	.. 31st March, 1963
2	Kerian	.. 20th September, 1963
3	Mauzam	.. 30th June, 1963
4	Chuhari Wala Chisti	.. 31st March, 1964
5	Qader Bux	.. 31st July, 1963
6	Mohd Amira	.. 31st July, 1963
7	Mohd Aslam	.. 31st July, 1963
8	Mohd Pira	.. 30th September, 1963
9	Nur Mohd	.. 31st August, 1963
10	Naki Ke	.. Not yet taken up
11	Qutab Din alias Beri Wala	.. 30th November, 1963
12	Mohar Khewa	.. Not yet taken up
13	Mohar Jamsher	.. Ditto
14	Sultan Pura	.. 31st March, 1964
15	Mohd Asman	.. 31st December, 1963
16	Khokhar	.. 31st December, 1963
17	Jiwan Pura	.. 31st August, 1963
18	Kandar Ke	.. 31st December, 1963
19	Jhangar	.. 31st December, 1963
20	Ganj Bux Sani	.. 30th November, 1963
21	Fazilka	.. 30th August, 1964
22	Sawana alias Jhugian	.. 30th November, 1963
23	Banwala Hanwanta	.. 30th September, 1963
24	Sabuana	.. 31st January, 1964
25	Bandiwala	.. 31st December, 1963
26	Muradwala Bhumgarh	.. 21st December, 1963
27	Ram Kot	.. Stay Proceedings

Serial No.	Name of the village	The date on which the consolidation of holdings work is expected to be completed in the village
28	Qabul Shah Khuban	.. 30th September, 1963
29	Lakhi Wali Mutsil Qabul Shah	.. 29th February, 1964
30	Bare Ke	.. 30th November, 1963
31	Khippanwali	.. 31st March, 1964
32	Jandwala Mira Sangla	.. 15th May, 1963
33	Ghallu	.. 31st March, 1963
34	Bukan Wala	.. 31st March, 1963
35	Koel Khera	.. 15th July, 1963
36	Chuhari Wala Dhanna	.. 15th August, 1963
37	Azamwala	.. 15th May, 1964
38	Rup Nagar	.. 31st March, 1964
39	Mamu Khera	.. 15th July, 1963
40	Tahli Wala Jattan	.. 31st July, 1963
41	Danger Khera	.. 31st March, 1964
42	Kamal Wala	.. 31st July, 1963
43	Mahuana	.. 30th June, 1963
44	Tahliwala Bodla	31st August, 1963
45	Shajrana	.. 10th May, 1964
46	Jandwala Bime Shah	.. 30th June, 1963
47	Koharianwali	.. 30th June, 1963
48	Kandh Wala Hazar Khan	.. 30th June, 1963
49	Ghuriana	.. (Revoked) (Year 1964)
50	Aslamwala	.. 25th March, 1963
51	Khuranj	.. Year 1963
52	Hasta Kalan	.. 1964
53	Wallah Shah Uttar	.. 1963
54	Chak Rohela	.. 1963
55	Rohella Tehe Ka	.. 1963
56	Tarobri	.. 1963
57	Chak Totianwala	.. 1963
58	Chak Tahliwala	.. 1963
59	Chak Khewali	.. 1963
60	Ghulam Rasul Wala	.. 1963
61	Ladhu Ka	.. 1964
62	Behak Khas	.. 1963
63	Chak Sarian	.. 1963
64	Pakkan	.. 1964
65	Paliwala	.. 1963
66	Mahatam Nagar	.. 1964
67	Lalanwali	.. 1963
68	Panchanwali	.. 1963
69	Hauz alias Gandhari	.. 1963
70	Wallah Shah Hithar	.. year, 1963
71	Jalalabad	.. 1963
72	Dhandi Qadim	.. 1963
73	Duna Sakindri	.. 1963
74	Kamal Wala	.. 1963
75	Chak Sohele	.. 1963
76	Chak Sarkar Muhazi Parbhat Singh Wala	.. Not yet taken up
77	Chak Sa rkar No. 1	.. Ditto
78	Chak Sarkar No. 2	.. Ditto
79	Gatti Hasal	.. Ditto
80	Chak Bazida	.. Year 1963
81	Parbhat Singh Wala Uttar	.. 1963
82	Fattu Wala	.. 1963
83	Chak Khewa	.. 1963
84	Ram Singh Wala	.. 1963
85	Makhi Wala	.. 1963
86	Bazidpur	.. 1964

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the village	The date on which the consolidation of holdings work is expected to be completed in the village
87	Khuban ..	Not yet taken up
88	Modi Khera	Year 1964
89	Himat Pura ..	Not yet taken up
90	Sito Gano ..	Year 1965
91	Maharaj Pura ..	1964
92	Jodh Pur ..	1964
93	Maluk Pura ..	1964
94	Bahadur Khera ..	1963
95	Sardar Pura ..	1963
96	Dotaraian Wali ..	1965
97	Sukh Chain ..	1964
98	Bhagsar ..	1964
99	Khair Pur ..	1965
100	Bishanpura ..	1964
101	Narain Pura ..	1963
102	Rampura ..	1963
103	Kalaran ..	1964
104	Bhagu ..	1965
105	Dode Wala ..	1964
106	Rajpura ..	1963
107	Wahab Wala ..	1964
108	Reranwali alias Shere Wala ..	Year 1963
109	Khatwan ..	1963
110	Amar Pura ..	1963
111	Ramsara ..	1963
112	Kikar Khera ..	1963
113	Dharampura ..	1963
114	Kandwala Amar Kot ..	1964
115	Jhurar Khera ..	1963
116	Patti Sadiq alias Patti Amra ..	1963
117	Waryam Khera ..	1965
118	Rajanwali ..	1964
119	Said Wala	1963
120	Alamgarh ..	1964
121	Azim Garh ..	1964
122	Abohar ..	1965
123	Killiwanwali ..	1964
124	Dhaban Kokrian ..	1964
125	Rukan Pura ..	1964
126	Sher Garh ..	1964
127	Dhingan Wali ..	1964
128	Mauj Garh ..	1964
129	Patti Bela ..	1963
130	Sappanwali ..	1964
131	Daulat Pura ..	1964
132	Giddaran Wali ..	1964
133	Dalbir Khera ..	1963
134	Jandwala Hanwantia ..	1963
135	Bhaggar Khera ..	1963
136	Panni Wala Mahla ..	1963
137	Gamjaal ..	1963
138	Kallar Khera ..	1964
139	Asman Khera ..	1964
140	Tutwala ..	1964
141	Panjawa ..	1963
142	Diwan Khera ..	1964
143	Hari Pura ..	1964
144	Khuian Sarwar ..	1964
145	Kala Tibba ..	1964
146	Rai Pura ..	1964
147	Bawal Bassi ..	1965

Serial No.	Name of the village	The date on which the Consolidation of holdings work is expected to be completed in the village
148	Kera Khera	1963
149	Baluana	1965
150	Chanan Khera	1964
151	Gobind Garh	1964
152	Burj Mohar	1963
153	Panj Kosi	1964
154	Dane Wala Satkosi	1964
155	Patti Taja	1964
156	Kundal	1963
157	Dharangwala	1963
158	Bhangalan	1963
159	Gaddon Dob	1963
160	Ram Garh	1963

ADVISORY COMMITTEE FOR TEXTILE INDUSTRY

880. Comrade Jangir Singh Joga : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Advisory Committee for Textile Industries set up by Government under the Minimum Wages Act in 1961 submitted any report to the Government; if so, the action taken or proposed to be taken thereon ;

(b) whether the term of the said Committee has been extended or is proposed to be extended ?

Shri Mohan Lal : (a) No Advisory Committee for Textile Industry under the Minimum Wages Act was set up by Government in the year 1961, hence the question of submission of report to Government and action thereon does not arise.

(b) Question does not arise.

PATWARIS OF JANDIALA AND MAJITHA DIVISIONS DUE TO RETIRE IN 1967, 1968 AND 1969

881. Sardar Kultar Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number and names of Canal Patwaris of Jandiala and Majitha Divisions in Upper Bari Doab Canal, Amritsar, who are due to retire in the years 1967, 1968 and 1969;

(b) whether the service books of the said Patwaris have been completed in all respects to date ;

(c) whether the arrears of the increments due to the said Patwaris have been paid; if so, when, if not, the reasons therefor and the time by which the said arrears are likely to be paid to the said Patwaris ?

Chaudhari Ranbir Singh : (a) There are nine Patwaris who are going to retire in the years 1967 to 1969 from Jandiala and Majitha Divisions of Upper Bari Doab Canal and their names are given below :—

			1967	*1968*	*1969*
	JANDIALA DIVISION				
1.	Shri Jaswant Singh	..	..	1-1-68	..
2.	Shri Hardip Singh	..	..	15-5-68	..
3.	Shri Waryam Singh	..	..	13-3-68	..
4.	Shri Pritam Singh	..	13-6-67	..	..
5.	Shri Girdhari Lal	..	..	25-7-68	..
6.	Shri Dwarka Dass	..	7-2-67	..	..
7.	Shri Tara Singh	..	..	..	25-11-69
	MAJITHA DIVISION				
8.	Shri Balwant Singh	..	2-11-67	..	..
9.	Shri Romesh Chander	..	..	30-7-68	..

(b) Yes.

(c) Yes, as soon as it is sanctioned.

ARREAR OF PAY OF PATWARIS OF JANDIALA AND MAJITHA DIVISIONS

882. Sardar Kultar Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number and names of those Canal Patwaris of Jandiala and Majitha Divisions of Upper Bari Doab Canal, Amritsar, who had gone on earned leave for fifteen days or less during the period 1st January, 1956 to 28th February, 1963 ;

(b) whether the leave salary for the said periods of earned leave have been paid to the said Patwaris, if so, when, if not, the time by which the arrears of leave salary are likely to be paid to the said Patwaris ?

Chaudhari Ranbir Singh : (a) The following eighteen Canal Patwaris of Jandiala and Majitha Divisions remained on leave for 15 days or less during the period 1st January, 1956 to 28th February, 1963 :—

(i) JANDIALA DIVISION

Serial No.	Name of the Canal Patwaris		Period of leave
	Sarvshri—		
1	Joginder Paul	..	15th January, 1960 to 27th January, 1960
2	Jagdish Chander	..	13th April, 1959 to 25th April, 1959
3	Chaman Lal	..	26th August, 1958 to 3rd September, 1958

Serial No.	Name of the Canal Patwaris	Period of leave
	Sarvshri—	
4	Kartar Singh, son of Hira Singh	9th February, 1961 to 21st February, 1961
5	Rattan Singh ..	1st July, 1959 to 10th July, 1959
6	Ram Chand ..	13th September, 1961 to 26th September, 1961
7	Rup Lal ..	28th January, 1961 to 8th February, 1961
8	Pritam Singh ..	15th July, 1957 to 29th July, 1957
9	Mohan Chand ..	13th March, 1961 to 31st March, 1961
10	Nathu Ram ..	9th July, 1959 to 21st July, 1959
	(ii) MAJITHA DIVISION	
1	Daljit Singh ..	28th January, 1957 to 11th February, 1957
2	Chanan Singh ..	28th November, 1960 to 9th December, 1960
3	Kuldip Singh ..	9th December, 1956 to 10th December, 1956 and 16th March, 1958 to 29th March, 1958
4	Kashmir Singh ..	21st September, 1956 to 23rd September, 1956
5	Kalwant Rai ..	29th September, 1961 to 8th October, 1961
6	Inderjit Singh ..	1st January, 1958 to 3rd January, 1958
7	Avtar Singh ..	10th November, 1961 to 18th November, 1961
8	Manohar Lal ..	17th January, 1957 to 23rd January, 1957

(b) Yes, the details are given below :—

JANDIALA DIVISION

Item No.		*Particulars of Treasury Voucher—vide which drawn*
1	..	28 February, 1960
2	..	69 May, 1959
3	..	61 September, 1958
4	..	26 December, 1961
5	..	86 August, 1959
6	..	103 October, 1961
7	..	45 July, 1962
8	..	57 August, 1957
9	..	104 April, 1961
10	..	86 August, 1959

[Chaudhri Ranbir Singh]

MAJITHA DIVISION

Item No.		Particulars of Treasury Voucher—vide which drawn
1	..	5 1st February, 1957
2	..	56 December, 1960 and 144, June, 1961
3	..	216 January, 1957 and 5 April, 1958
4	..	391 October, 1956
5	..	163 December, 1961
6	..	81 February, 1958
7	..	21 October, 1962
8	..	5 February, 1957

PRIVILEGE MOTION

उपाध्यक्षा : एक privilege motion* आई है जिस का नोटिस कामरेड बाबू सिंह मास्टर और भान सिंह भौरा ने दिया है....(There is a notice for raising a question of Privilege by Comrades Babu Singh Master and Bhan Singh Bhaura....)

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बड़ी गैर जिम्मेदारी से काम लिया है, Dr. Bhag Singh ने better class के लिये apply किया था इस के बारे में मेरे पास सबूत है, और उन्होंने अपनी degree Superintendent Jail को भेजी थी लेकिन उन्होंने कहा कि जो attestation है वह ठीक नहीं है इस लिये privilege motion लाने की जरूरत पड़ी है। (*Interruption*)

उपाध्यक्षा : मेरे पास आप लिख कर सब कुछ भेज दें, मैं देख लूंगी। (*Interruption*) (The Hon. Member may please give all these facts to me in writing and I will look into them).

गृह मन्त्री : मुझे इजाज़त दें तो मैं कह दूं।

उपाध्यक्षा : आप ज़रा ठहरें (The hon. Minister may wait a bit).

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : जनाब, मेरी यह गुजारिश है कि उन्होंने कहा है कि मुझे कोई application नहीं मिली है उन्होंने एक fact को deny किया है(*Interruption*)

---

*The Chief Minister while replying to debate on General Administration on 19th March, 1963, intentionally gave wrong information regarding non-submission of application by Dr. Bhag Singh, M.A., Ph. D., ex-M. L. A., a Communist detenu for Better Class. The facts are quite reverse as on his detention he immediately applied to the Deputy Commissioner, Hoshiarpur through the District Superintendent, Jail, Hissar, along with an attested copy of his California University Degree. The Deputy Commissioner rejected the application simply on the plea that the attestation of the Superintendent, Jail is not valid.

In the light of facts as narrated above the information given on the floor of the House by the Chief Minister is quite wrong and amounts to the breach of privilege of this House. Hence we seek leave to move the motion on the subject.

उपाध्यक्षा : क्या माननीय सदस्य इस बारे में चीफ मिनिस्टर या गृह मन्त्री को मिले ? (Did the hon. Member see the Chief Minister or the Home Minister in this connection ?)

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : मुझे तो नहीं बुलाया गया है ।

उपाध्यक्षा : आप आज उन से मिलें सब बात उन को बताएं । अगर आप की तसल्ली नहीं होती तो मुझे बताएं । (The hon. Member may please see the Chief Minister today and discuss the matter with him. If, however, he does not feel satisfied then he may inform me.)

श्री बलरामजी दास टंडन : On a point of order, Madam. चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी कहा है कि हारे हुए Members जीते हुए Members से बेहतर हैं (*Interruptions*)

Deputy Speaker : The hon. Chief Minister has not said so.

श्री बलराम जी दास टंडन : माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रबल शब्द प्रयोग किया है । मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कितने सियाने Legislators मौजूद हैं और कितने ही कानून बनाए हैं चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो शब्द कहे उस से तो House की तोहीन हुई है । This is privilege of the House and I would request that this matter may be referred to the Privileges Committee.

उपाध्यक्षा : इतनी discussion में जाने की कोई जरूरत नहीं है । आप लफ्जों में न जाएं, आप बात का बतंगड़ न बनाएं । (There is no need to go into such a lengthy discussion. The hon. Member should not go afterwards and avoid making a mountain of a note bill.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरा सवाल तो यह है कि यह breach of privilege* है, उस को Privilege Committee में जरूर refer करना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : आप Privilege Motion ले आयें । (The hon. Member may bring in a Privilege Motion).

श्री हरबंस लाल : On a piont of order, Madam. Question Hour तो खत्म हो गया है क्या अब भी उस को take up किया जा सकता है ।

उपाध्यक्षा : इस के बारे में पहले ही ruling दे चुकी हूं, और माननीय सदस्य को कह दिया है कि Privilege Motion ले आएं । Let me perform my duties and if I fail then you can censure me (I have

---

*With your permission, Madam, I want to bring to your kind notice that the privilege of the House has been infringed by the saying of the words in the House "that the defeated persons appointed as personal advisers to the Chief Minister are more powerful than the returned persons in the House".

This utterance of the Chief Minister has infringed the privilege of the House, as such I would request your honour, Madam, to take suitable action in the matter.

Please see page 40 *infra*.

[उपाध्याक्षा]

already ruled that the hon. Member may bring in privilege motion. Let me perform my duties and if I fail then you can censure me.)

श्री हरबंस लाल : अगर आप ने इस बारे में ruling दे दी है तो मैं अपने लफ्ज वापिस लेता हूं लेकिन इतनी अर्ज जरूर करना चाहता हूं कि मैं अपनी राए House में जाहिर कर सकता हूं।

कामरेड राम प्यारा : On a point of order Madam आया इस House से बाहिर के दूसरे आदमी को इस House से ज्यादा preference देने के लिये चीफ़ मिनिस्टर साहिब को कोई इख्तियार दिये गए हैं ?

Deputy Speaker : This is no point of order.

कामरेड राम प्यारा : On a point of order, Madam: हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने remarks दिये हैं। एक ओर तो resent करते हैं और दूसरी तरफ़ protest करते हैं मैं इस बारे में ruling चाहता हूं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब को ऐसे क्या इख्तियार दिए गए हैं ?

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब आप इतने पुराने Parliamentarian हैं आप बार २ point of order raise कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, इस बारे में Presiding Officers की Conference में point उठाया गया था और कहा गया था कि point of order का बहुत misuse होता है और House की proceedings में रुकावट पड़ती है उस वक्त मैं ने point of order को रखने के हक में कहा था। (The hon. Member is an old Parliamentarian. He should not repeatedly rise on a point of order. This is not proper. A point was raised in the Presiding Officers Conference that the privilege of raising of point of order is misused. It obstructs the proceedings of the House. At that time I had spoken in favour of this and defended this right of the hon. Members.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा simple सा point of order है अब इस किस्म के 3 सवाल पूछे गए हैं क्या इस बारे में point of order raise कर सकता हूं ?

उपाध्यक्षा : Question Hours तो खत्म हो गया है, आप कल point of order raise कर लें। (The hon. Member may raise his point of order tomorrow as the question hour is now over.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Ranbir Singh) : Madam, I beg to lay on the Table, the Annual Financial Statement (Budget Estimates for the year 1963-64 of the Punjab State Electricity Board, as required under section 61(3) of the Electricity Supply (Act), 1948.

PRESENTATION OF REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE.

Comrade Ram Chandra (Chairman, Public Accounts Committee) : Madam, I beg to present the Eighteenth Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1960-61 and the Audit Report, 1962 and the Finance Accounts of the Punjab Government for the year 1960-61.

BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS BILL, 1963

Revenue Minister (Sardar Ajmer Singh) : Madam, I beg to move for leave to introduce the Punjab Commercial Crops Cess Bill.

Deputy Speaker : Motion moved :—

That leave be granted to introduce the Punjab Commercial Crops Cess Bill.

Deputy Speaker : Question is :—

That leave be granted to introduce the Punjab Commercial Crops Cess Bill.

The leave was granted

Revenue Minister : Madam, I introduce the Punjab Commercial Crops Cess Bill.

MOTION UNDER RULE 30

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Madam, I beg to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, and the 21st March, 1963.

Deputy Speaker : Motion moved—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 21st March, 1963.

Deputy Speaker : Question is :—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 21st March, 1963.

The motion was carried.

DEMANDS FOR GRANTS

(Nos. 46, 55, 27 and 28)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (चौधरी रणबीर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदया, अगर आप की इजाजत हो तो सारी Demands में इकट्ठी ही हाउस के सामने रख दूं।

Deputy Speaker : Not in details.

Irrigation and Power Minister : Madam, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 7,35,88,540 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

[Irrigation and Power Minister]

That a sum not exceeding Rs 12,84,99,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year1 963-64, in respect of charges under head—Loans to Local Funds Private Parties etc., and Loans to Government Servants.

That a sum not exceeding Rs 4,31,32,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) 44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainge Works (Non-Commercial).

That a sum not exceeding Rs 3,11,32,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head Charges on Irrigation Establishment.

उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं सिर्फ एक बात ही अर्ज करना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्त Electricity Duty के बारे में कुछ कहें। पहले फैसले के मुताबिक जो ड्यूटी लगानी थी उस में कुछ तबदीली लाने के लिये हम ने सदन के सैक्रेटेरियेट को विधेयक भेज दिया है। उस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। पहले जो Electricity Duty लागू थी वह ऐसे थी कि जो आदमी पहले पन्द्रह यूनिट इस्तेमाल करता है उस के ऊपर हम 3.12 नए पैसे duty लेते थे अब हम ने 3 नये पैसे कर दिये हैं। पन्द्रह से ज्यादा जो आदमी 25 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा उस से पहले तो 3.125 नए पैसे duty ली जाती थी अब उस को बढ़ा कर 22 नए पैसे कर दिया गया है। इसी तरह से जो आदमी चालीस यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करेगा उस से 1.562 नये पैसे से बढ़ा कर 28 नये पैसे कर दी गई है यह तो मैं ने घरेलू इस्तेमाल के लिये बिजली के बारे में कहा है। जो लोग commercial purpose के लिये बिजली इस्तेमाल करते हैं पहले उन से तीस यूनिट तक 3.125 नये पैसे ड्यूटी ली जाती थी अब उन से 3 नये पैसे ली जाएगी। तीस यूनिट से ज्यादा 50 यूनिट तक जो आदमी बिजली इस्तेमाल करता है पहले उस से 3.125 नये पैसे ड्यूटी ली जाती थी अब उस से 22 नये पैसे ड्यूटी ली जाएगी। इस से भी आगे जो आदमी 80 से अधिक यूनिट बिजली के इस्तेमाल करता है पहले उस से 2.345 नये पैसे ड्यूटी ली जाती थी अब नये कानून के मुताबिक उस से 28 नये पैसे ड्यूटी ली जाएगी। मुझे उमीद है कि हाउस इस को पास करेगा।

Deputy Speaker : Motions moved :—

That a sum not exceeding Rs 7,35,88,540 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainge Works (Commercial).

That a sum not exceeding Rs 12,84,99,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head Loans to Local Funds—Private Parties, etc., and Loans to Government Servants.

That a sum not exceeding Rs 4,31,32,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainge Works (Commercial) 44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

That a sum not exceeding Rs 3,11,32,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head Charges on Irrigation Establishment.

All the cut motions that have been received to these demands for Grants will be deemed to have been read and moved and may be discussed by the hon. Members along with these demands.

DEMAND No. 46

(99—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, ENBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL))

1. **Comrade Gurbaksh Singh :**
2. **Comrade Babu Singh :**
3. **Comrade Jangir Singh :**
4. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
5. **Comrade Didar Singh :**

That the demand be reduced by Rs 100.

6. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re. 1.

7. **Shri Amar Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1.

DEMAND No. 55

(LOANS TO LOCAL FUNDS—PRIVATE PARTIES, ETC.)

1. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
2. **Comrade Jangir Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Babu Singh :**
5. **Comrade Didar Singh:**

That the demand be reduced by Rs 100.

6. **Sardar Ajaib Singh :**

That the demand be reduced by Rs 100.

DEMAND No. 27

(43—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL)

(44—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (NON-COMMERCIAL))

1. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
2. **Comrade Babu Singh :**
3. **Comrade Jangir Singh :**
4. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
5. **Comrade Didar Singh :**

That the demand be reduced by Rs 100.

DEMAND No. 28

(CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT)

1. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
2. **Comrade Babu Singh :**
3. **Comrade Jangir Singh :**
4. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
5. **Comrade Didar Singh :**

That the demand be reduced by Rs 100.

PRIVILEGE MOTION

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी एक *privilege motion थी। आप ने कहा था कि लिख कर भेज दो। मैंने लिख कर भी भेज दिया है।

उपाध्यक्षा : टंडन साहिब, आप एक दाना आदमी हैं। आप खुद ही ख्याल कीजिये कि जो चीज़ अभी एक मिनट पहले आपने भेजी है उस पर सोचने का तो मौका मिलना चाहिए। (The hon. Member is an able person. He will kindly realise that it will take at least some time to think over the question to which he has just now drawn the attention of the Chair.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं चाहता हूं कि इस बात का फैसला हो जाए and this matter be referred to the Privileges Committee.

Deputy Speaker : I will let you know.

श्री बलरामजी दास टंडन : आज ही इस का फैसला कर दें।

उपाध्यक्षा : कोशिश करूंगी। (I will try.)

DEMANDS FOR GRANTS (RESUMPTION OF DISCUSSION)

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਰਗ (ਪਟਿਆਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ: 46, 55, 27 ਅਤੇ 28 ਜਿਹੜੀਆਂ House ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ House ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Partition ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ Irrigation Works ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ West Punjab ਦੇ ਵਿਚ develop ਹੋਏ ਸੀ। Irrigation ਦਾ share partition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ East Punjab ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 14 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ irrigation ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ Government ਨੇ ਐਸੇ plan ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ plan ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 45 ਲਖ acre irrigate ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 1956 ਦੇ ਵਿਚ 60 ਲਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ 1961 ਦੇ ਵਿਚ 77 ਲਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, Government ਨੇ Lift irrigation ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, Tubewells ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, Gurgaon Canal Project ਦੀ scheme ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ Rewari Lift Irrigation ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਅਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Partition ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ bulk irrigation ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ supply ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ canal ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ projects ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤਕ irrigation ਦੇ ਮੋਘੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਏ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੂੰ 8/9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ total irrigation ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

*See page 35 *ante*.

ਉਹ ਬਹੁਤ negligible ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ total ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ engineers ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ irrigation ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ । Deputy Speaker ਸਾਹਿਬਾ ਏਥੇ Report ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1,236 tube-wells ਲਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਿਤਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ tube-well circle ਭੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 8-8, 9-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ tube-well ਬੰਦ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਚੰਦ tube-wells ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Government ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ tube-wells ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ Co-ordination Committee ਦੀ meeting ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ notice ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ Company ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ tube-well ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਈ tube-well ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ test ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ suitable ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ tube wells ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ investment ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ floods ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਏਥੇ 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ floods ਆਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ 1955 ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ canal system ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ floods ਆਏ ਹਨ। ਜੇ 1955 ਦੇ, 1957 ਦੇ, 60-61 ਔਰ 62 ਦੇ floods ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ man made ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ natural flow ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ Engineers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ natural flow ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹੀ syphons ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ 1962 ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੇ floods ਆਏ ਕਿ ਏਥੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਵਾਣਾ Branch ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Chief Engineer ਔਰ Government of India ਦੇ Flood Control Adviser ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਰਵਾਣਾ branch ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਫੁਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਟੁਟ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ serious ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ floods ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ relief ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ District Administration ਸਾਰੀ ਏਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗੀ ਰਹੀ। Engineers ਵੀ ਆਪਣੇ Works ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ floods ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ control ਕਰਨ ਲਈ emergency scheme ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬੁਹਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ floods ਨੂੰ war basis ਤੇ control ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Deputy Speaker ਸਾਹਿਬਾ floods ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ Compulsory Services Act ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ labour ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ compel ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ free ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ floods ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਏਥੇ House

[ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਰਗ]

ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਛੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ back ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ Drain ਬਣਾਉਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 20-20 ਮੀਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਥੇ Drain ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ programme ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਘੱਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਇਕ scheme ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ top priority ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ Ambala ਅਤੇ Patiala ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ Patiala District ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 20-20 ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ embankment ਦਾ ਜਲਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਅਸੀਂ floods ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ 1962 ਵਿਚ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਨੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 87 ਜਾਨਾਂ ਤਲਫ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ 1947 ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ adequate steps ਨਹੀਂ ਲਏ ਜੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ fertile ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿਲ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਾਈਫਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੇਮੌਕਾ ਹੋਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜੋ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਧ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜ ਦੀ emergency ਦੇ ਵਿਚ defence ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ Defence ਤਾਂ ਹੀ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀਪੁਰ ਲੇਕ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ calling attention motion ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਜ਼ਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਥ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ man made ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15,16 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਇਕ ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ 3-4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਧਾੜਾ ਡਰੇਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ war level ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਕਾ ਇੰਤ-ਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਟਾ ਪੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡਾ Crime ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਰਮਨ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। 1962-63 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 80 ਏਕੜ ਰਖੀ ਹੈ। ਵਧਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ P.W.D., Consolidation, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ S.O. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ alignment ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਉ ਤਾਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛਡੀ ਜਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ acquire ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, alignment ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਕਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉ-

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਿਥੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਝੀਲ ਪੁਟੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਕੇ bore ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਬਾਲੇਵਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿਚ ਚੰਦ ਭਾਨ ਤੇ ਬਾਜਾ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ D.C. ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ catchment area ਵਿਚ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, catchment area ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵਧ ਦਰਖਤ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਸਬ ਜਗਾਹ ਵੇਖ ਕੇ syphons ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ nepotism ਅਤੇ favouritism ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਹੈ, alignment ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ alignment ਟਿਬਿਆਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁੱਛ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। (ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ। (I think the Hon. Member has not sufficient material to speak on.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੇਮ ਨਾਲੀਆਂ ਟੁਟਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Crop Insurance ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਠਾ ਮਿਠਾ ਹੜੱਪ ਤੇ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਥੂਹ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਅਛਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ floods ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ Crop Insurance ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ Crop Insurance ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਐਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੋ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ drainage ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ Co-operation ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੜਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਉਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਲੇ assessment ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦੀ ਯਾ ਕਿਸੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਓਥੇ ਆ ਕੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, indirect ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਓਥੇ ਦੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਘੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਢੀ ਮੰਗੀ।

उपाध्यक्षा : क्या उस ने पैसे लिए ? (Did he take the money?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਹਾਂ।

उपाध्यक्षा : आप ने दिए। (Did the hon. Member give the money ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਰਾਈਏ ਜੋ ਬਾਕੀ Co-sharers ਸਨ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੋਰੀ ਛਪੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਗਲ ਹੈ। ਜਿਥੇ courtesy ਹੈ, disposal ਅੱਛੀ ਹੈ, advice ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, higher officers ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ attend ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਲੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ basic ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਯਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਕੋਲ ਕੋਈ request ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ link ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਮਹੀਦ ਵਿਚ ਦਸਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ background ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। Drainage ਅਤੇ Waterlogging ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। Existing water-supply ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ Existing Canals ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਬਿਆਨਾ, water charges, ਫਸਲਾਂ ਦੀ assessment ਆਦਿ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ touch ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Advisory ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ Estimates ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਯਾ demands ਆਈਆਂ। ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ request ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਸਣ। ਪਰ ਗਲ ਓਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ Existing Canals ਬਾਰੇ ਜੋ Legislation ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਕਿਆ-ਨੂਸੀ Legislation ਨੂੰ re-consider ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ day-to-day ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾ ਤਾਂ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਯਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ electricity ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ small–scale ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ traditions ਹਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇਖਾ ਪਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੇ ਓਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। U.P. ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ traditions ਹਨ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ drastic ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Water Rates ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Floods ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Floods ਵਿਚ immediately ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੌਸਮ next sowing ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਨੇ ਫੀ ਸਦੀ ਐਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਹਨ ਦਾ ਕਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ sowing season ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ District Collector ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ clear ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਕਈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾਬੇ ਦੀ assessment ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਟ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਰਾਬੇ ਦੀ assessment ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਢ ਵੇਖ ਲਉ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਲਉ ਪਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਖੜੀ ਰਖਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਤਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ Inspector ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ assess ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ Water Rates ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ system ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਹੈ, 1943 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ agitation ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ remodelling ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੱਢ ਵੱਤਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਢ ਵਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਬਿਆਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ

ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ fact ਨੂੰ ignore ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੋ ਗਲ ਕਿ water rate charge ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਲਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ predecessors ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ignore ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ heart burning ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ water rate ਇਕੋ ਵੇਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ emergency ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ emergency ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿਉ ਕੋਈ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿਉ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਤੇ Revenue staff ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Revenue ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਹਿਦਾ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ Revenue side ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ, ਤਸੀਲਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਆਬੀਆਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ amalgamate ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ economical ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ amalgamate ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ measure ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ Administrative Machinery ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ Revenue Collector ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ see off ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ Revenue means which comes from any source. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਨਵੇਂ Legislature ਵਿਚ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Waterlogging ਤੇ drainage ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 17 ਲਖ ਪਿਛਲੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ 51 ਲਖ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਜੋ floods ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ estimates ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ revised estimates ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਧਰੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਲ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਖ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਤੀਜੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਜੋ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ flood protection ਵਾਸਤੇ ਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ drainage ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ Anti-Waterlogging Schemes ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ floods ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਆਏ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ]

ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਰ floods ਆਏ ਤਾਂ ਕਈ houses collapse ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬੀਆਨੇ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ Revenue Remission ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਦੁਗਨੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ feature ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ experience ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ emergency ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ Grow More Food ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 21 ਕਰੋੜ ਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ cut ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ cut ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀ-ਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ top priority ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਤੇ 14 ਅਰਥਾਤ 35 ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ 15 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ achievement ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਲਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀ ਗਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਕੇ ਖੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ (ਹਾਸਾ) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਚੰਦਾ ਦਿਤਾ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: On a point of order: जनाब, जब भी सरदार गुरदयाल सिंह जी उठते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वह हमारे इलाके के वज़ीर चौधरी रणबीर सिंह जी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? कभी कहते हैं कि मेरी बीवी का नाम भी यही है, कभी कहते हैं खुंड हैं।

उपाध्यक्षा : आप बीच में interrupt न कीजिए।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : यह ठीक है कि अभी आप की इस स्टेट ने इतना कुछ किया लेकिन इतनी बड़ी आबादी से सिर्फ इतना ही ले सके इसका कुछ कारण है।

मैं drainage के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां पर drainage के लिए ख्याल रखा जा रहा है वहां communication का भी ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि इस का Defence के साथ गहरा सम्बन्ध है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपने इलाके की बाबत कहना चाहता हूं कि एक तरफ Hadiara Drain है दूसरी तरफ U.B.D. Canal है, एक तरफ पाकिस्तान की हद लगती है और दूसरी तरफ River Ravi है वहां पर सारे पुल wash हो गए थे। मेरे हलके की आधी ज़मीन पानी के ज़द में आ गई थी। आप अपने इलाके से अच्छे से अच्छा पहलवान ले आएं, घोड़ी पर या और किसी तरीके से, उस इलाके को पार कर ले तो मान लूंगा कि पिछले साल floods से bridges wash out नहीं हो गए थे। मैंने इस बारे में सवाल किया था तो मुझे बताया गया कि floods से एक bridge wash out हुआ था। वह भी bridge बताया गया है जो कि सड़क पर था और उस का सब को पता था। और जितने दूसरे bridges wash

out हुए हैं उन का कुछ जिक्र नहीं किया। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ हुई और मेरे हल्के में crossing के लिए कुछ नुक्सान हुआ तो उस की ज़िम्मेदारी सरकार पर होगी। एक तरफ तो बड़े जोर से कहते हैं कि Grow More Food पर अमल किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह जमीन Land Utilization Act के अधीन आ जाएगी।

आप ने कई तरह की स्कीमें अर्थात् embankment, drainage, water-logging की स्कीमें बनाई हैं, इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। एक बार मेरे इलाके में चौधरी लहरी सिंह जो कि उस समय Irrigation Minister थे गए, वहां पर उन्होंने जा कर मौके पर हालात देखे थे वह देते तो कुछ नहीं थे, सब्ज बाग ही दिखाते थे। मैंने सोचा कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना है और मैं वहां पर उन को छोड़ कर चला आया। मेरे इलाके के लोगों ने उस का नाम लहरी सिंह की बजाए नहरी सिंह रख दिया। वह हमेशा बातों से ही दूसरों की तसल्ली कराते थे। उन के सब्ज बागों से जनता तंग आ चुकी थी।

उपाध्यक्षा : वह सब्ज बाग नहीं बल्कि नक्शे दिखाते थे। (He not only made high sounding promises but also showed blue prints.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : ठीक है। मुझे उन के बारे में एक बात याद आ गई। जब चौधरी लहरी सिंह ने वहां पर जा कर हालात देखे तो लोगों से कहा कि long belt of tubewells water-logged area में लगवा दूंगा, वहां पर van भेज दूंगा ताकि सारा पानी पम्प के जरिए निकाला जा सके। वह केवल लोगों के सामने जबानी जमा खर्च ही करते थे ताकि लोगों को आश्वासन हो सके। वह practically काम कम ही करते थे ज़्यादा तर आश्वासन देकर ही काम चलाते थे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा न करें जैसा कि चौधरी लहरी सिंह किया करते थे? इस तरह से problems दूर नहीं होंगी बल्कि यह समस्या बढ़ती जाएगी। वह स्वयं देहली चले गए और आप यहां पर आ गए हैं यह मामला between Centre and State and between State and Centre हो गया है।

ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ between the State and the Centre ਦਾ ਹੈ।

11.30 a. m.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस House के सामने Irrigation महिकमे की मुख्तिलफ किस्म की demands रखी गई है और उन पर बहस हो रही है। सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों ने भी काफी कुछ कहा है हमारी Government ने "Punjab on the March" एक किताब छापी है उस को देखने से ऐसा मालूम देता है कि हमारी सरकार ने अपनी सारी ताकत पंजाब के किसानों की बेहतरी के लिए लगाई है। वास्तव में यह बात नहीं है।

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

इस किताब के अन्दर bright पहलू ही दिखाया गया है परन्तु दूसरे पहलू को बिल्कुल touch नहीं किया है। जैसा कि सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों ने बताया है कि emergency की वजह से हमारे Irrigation Minister Sahib ने कई projects suspend कर दिए हैं और सवालों के जवाब में कहते हैं कि emergency के कारण शायद projects पूरे होंगे या कि नहीं। इस किताब में जिक्र किया गया है कि Gurgaon Canal Project को temporary तौर पर suspend कर दिया है, Sirhind feeder के बारे में भी ऐसा किया गया है। Emergency के वक्त जैसे फौज के जवानों की बहुत ज़रूरत होती है वैसे Agriculture और Industries की भी उतनी जरूरत होती है। मैं figures के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं अगर इस विषय में कोई कटु शब्दों का इस्तेमाल करूं तो ठीक न होगा। Punjab on the March जो किताब हमारी सरकार ने छापी है उस के 10 सफा पर लिखा है।

> "This project is to cost about Rs 175 crores out of which Rs 447.50 crores will be spent in the Third Plan".

इस Project के लिए 175 करोड़ रुपए का provision किया गया है और 447 करोड़ रुपए का Third Five-Year Plan में रखे गए हैं।

इस बारे में मुझे एक बात याद आ गई है। एक fellow वकील था जिसका नाम शेख इकरामुल्लहक था। वह Bar को जा रहा था उस को रास्ते में दो तीन औरतें मिलीं जो कपड़ा खरीद कर लाई थीं। उन्हों ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं आप हमारा हिसाब कर दीजिए, औरतों ने कहा कि हम $3\frac{3}{4}$ गज कपड़ा $3\frac{3}{4}$ आने फी गज से खरीद कर लाई हैं तो इस के कितने रुपए बनें हैं। वह वकील मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उस को हिसाब नहीं आता था। उस ने कहा कि अल्लाह आगे भी पौन हैं और पीछे भी पौन हैं। उस ने बड़ी चतुराई से औरतों को पूछा कि आप किस से कपड़ा खरीद कर लाई हैं। तो औरतों ने दुकानदार का नाम बताया। उस ने कहा ठीक है वह दुकानदार बहुत इमानदार है उस ने ज़्यादा रुपए नहीं लगाए हैं। इस तरह वह पीछा छुड़ा कर चला गया। यही युक्ति हमारी सरकार पर लगती है अगर इन के बजट को देखा जाए तो हिसाब ऐसा ही लगता है। मुझे समझ नहीं आई कि इस के लिए 175 करोड़ रुपए अब provide किए गए और 447 करोड़ रुपए Third Five-Year Plan में खर्च के लिए क्यों रखे गए हैं ?

मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हरयाणा की नहरों के अन्दर एक बूंद पानी की नहीं है, फसलें तबाह हो गई हैं। गेहूं की फसलों के लिए कम से कम 3 बार पानी चाहिए लेकिन उस फसल को एक बार भी पानी नहीं मिला है। ज़मीदार तबाह हो रहे हैं, कपास की फसलों के बारे में भी यही हालत है जिन ज़मीनदारों ने बीज बोए थे वह भी पानी न मिलने के कारण उगे नहीं और बाकी की फसलें पानी के न होने से तबाह हो गई हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि 9 तारीख को हमारे प्रधान मन्त्री रोहतक तशरीफ लाए थे वहां पर लोगों ने पानी न मिलने की शिकायत की तो हमारे मन्त्री ने कहा कि 3 dam Jumuna

नदी पर लगाएं जाएंगे और इन की पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। मैं अर्ज़ करूं कि वहां पर हज़ारों जमींदार खड़े हो गए। पानी की मांग की। कहा "पंडित जी, हमें पानी दो, हमारी फसलें सूख गई हैं"। पंडित जी नाराज़ हो गए। कहने लगे कि मेरी जेब में तो पानी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस सूबे में पानी की बाबत, नहरों की बाबत यह हालत हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यह जवाब दें तो वहां पर किसान जमींदार की क्या हालत हो सकती है? यही नहीं, 23 तारीख को साम्पले के अन्दर पंचायतों के सरपंचों की मीटिंग हुई, वहां पर शोर शराबा किया गया कि पानी न मिलने की वजह से हम बिल्कुल मर रहे हैं लेकिन पता नहीं कि हमारे वज़ीर साहिब यहां पर क्या करने के लिए बैठे हुए हैं। वैस्ट्रन जमुना कैनाल के अन्दर पानी बढ़ाना था सिरसा ब्रांच से लेकिन उसको connect कर दिया भाखड़ा से यानी पानी उधर switch over कर दिया। इसी तरह जगाधरी में 250 ट्यूब वैल्ज़ थे। उन से पानी मिलना था जमुना कैनाल को। लेकिन हमें तो पता नहीं कि क्या किया गया। अगर वही पानी वहां पर चला जाता तो वहां पर पानी की कमी कुछ हद तक दूर हो जाती। इसी तरह सुन्दर ब्रांच और भालट ब्रांच जो पैप्सू, जीन्द, रोहतक, हांसी के इलाके को सैराब करती हैं सन् 1953-54 में perennial बनाई गई थीं। उससे पहले वह non-perennial थीं लकिन आज फिर दुबारा non-perennial हो गई हैं क्योंकि उन में पानी तो जाता तक नहीं। इस तरह से जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, सिरसा ब्रांच के पानी को switch over करके भाखड़ा के अन्दर supplement कर दिया। उसका भी हमारे इलाके को कोई फायदा नहीं हुआ, जगाधरी के ट्यूब वैल्ज़ को भी बन्द कर दिया लेकिन हरयाणा की ज़मीन को पानी नहीं मिला। पानी कहां चला गया? मैंने पहिले भी अर्ज़ किया था कि पानी दिया गया देहली की कोठियों और बाग़ात को। वहां तो चौधरी साहिब ने पानी भेज दिया लेकिन पंजाब के किसान भूखे मरते रहे। यह तो वही मिसाल हुई कि गधी तो मरी पड़ी, कुम्हार भाड़ा करता फिरे। पंजाब के किसान तो रोते फिरते हैं और चौधरी साहिब पानी के सौदे दिल्ली के साथ कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, यू. पी. गवर्नमेंट पहिले देहली को पानी दिया करती थी 50 प्रतिशत basis पर। उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम इस पानी से किसानों को महरूम करके देहली के महलों, कोठियों और बाग़ात को नहीं दे सकते लेकिन इधर हमारे वज़ीर साहिब की सखावत देखिए कि यहां के किसान, जमींदार कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं किसी को पानी नहीं मिलता और उधर देहली के लोगों को खुश किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जगाधरी के 250 ट्यूबवैल्ज़ की वजह से और वैस्ट्रन जमुना कैनाल के पानी को बढ़ाने से जो खुशहैसियती टैक्स लगना था उसको तो पास करवा लिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि एक एकड़ नेशकर की फसल पर $37\frac{1}{2}$ रुपए खुशहैसियती टैक्स देना पड़ता है। पहिले तो इतना जुल्म कि पानी दिया नहीं और टैक्स लगा दिया और उसपर भी तुर्रा यह कि अब पांच रुपए और बढ़ा दिए हैं। कहने का मतलब यह कि टैक्स तो उगरा लिया जाता है, लेकिन पानी दिया नहीं जाता। पानी के लिए तो ज़मींदार कराह रहे हैं उन की बात पर कान नहीं धरे जाते और वसूली के

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

लिए जमींदारों की नाश को भी चाटा जाता है। महकमा के दाम तो खरे हो जाते हैं लेकिन बिना पानी दिए खुश हैसियती टैक्स, श्राबयाना, सब कुछ वसूल किया जाता है। इस तरह से, डिप्टी स्पीकर साहिबा आप अन्दाज़ा लगाएं कि हालत बहुत खराब हो चुकी है। जब मनिस्टर साहिब इधर उधर देहातों और गांव के अन्दर गए तो उन के नोटिस में यह सब बातें आई कि पीने के लिए पानी नहीं, नहर के अन्दर खेतों में देने के लिए पानी नहीं। यहां तक कि गांव के अन्दर ponds जौहड़ भी सूखे पड़े हैं, जानवरों तक को पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं होता। अगर पानी दिया भी जाता है, तो किस वक्त ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों जी ने बताया, जब floods आए हुए हों, जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त उधर तुगयानी आई हुई तो तब यहां पर पानी को छोड़ा जाता है। गोया जब आगे ही लोग मुसीबत में मुबतला होते हैं बजाय उन्हें राहत दिलाने के उन्हें पानी में डुबाने के लिए और पानी छोड़ दिया जाता है। जब पानी की ज़रूरत होती है, बारिश भी नहीं होती उस वक्त पानी को दूसरी तरफ divert कर दिया जाता है। सचमुच इस बात को कहते हुए मुझे निहायत अफसोस होता है कि floods में डुबोने के लिए तो हमारे इलाकों के जमींदारों को पानी दिया जाता है लेकिन पीने या फसलों को पानी देने के लिए नहीं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह हालत है। क्या अर्ज़ करूं। कहना पड़ेगा कि वज़ारत में शामिल होकर आदमी के दिमाग का तवाज़न कुछ ठीक सा नहीं रहता। मेरे से पहिले बोलने वाले साथी ने irrigation पर बोलते बोलते ज़िक्र कर दिया रक्षा दल का। अब क्या होगा। आप इस बात को नोट कर लें कि अगर्चि चौधरी साहिब का महकमा तो Irrigation का है लेकिन जब जवाब देंगे तो अपने महकमें को छोड़कर रक्षा दल पर बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि उन का कुछ रवैया ऐसा है, उन को ऐसा ख्याल है कि जैसे सारी हकूमत का बोझ चौधरी साहिब पर ही हो। मुझे एक मिसाल याद आ गई। आप के यहां तो शायद उसे टटीहरी कहते होंगे। वह रात को टांगें ऊपर करके सोती है कि कहीं आसमान नीचे न गिर जाए। सो ऐसे मालूम होता है जैसे सारी हकूमत का दर्द चौधरी साहिब ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। कोई और होता तो हमारे इलाके को पानी मिल जाता, इन के होते हुए भी इस इलाके को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ किया गया है। शायद चौधरी साहिब किसी ग़ैबी दुनिया में परवाज़ करते हैं। उन का जहाज़ भी चलता है। नेफा और लदाख में गए। कीमत का पता नहीं हज़ारों की बताते हैं। (*interruptions*) (Bell) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पानी की बाबत ही अर्ज़ करना चाहता था कि पानी तो हमें मिलता नहीं लेकिन बातें यहां पर कई किस्म की की जाती हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि ढिल्लों साहिब ने फरमाया, मैं महकमे की दूसरी बातों के अन्दर वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मगर हालत यह है कि मोरी की बाबत शिकायत करनी हो तो जाना पड़ता है अफसरान के पास, अगर मोगे के बारे में करनी हो तो जाना पड़ता है अफसरान के पास। इस मोरी और मोगे की बात को भी जाने दीजिए जब ये अफसर लोग गांव में पहुंचते हैं, वहां पर चन्दा इकट्ठा करते हुए चलते हैं। ज़िलेदार पटवारी को साथ लेकर बैठक में बैठ जाते हैं और वहां वाराबन्दी के

लिए सौदेबाज़ी होती है। सौदेबाज़ी के बगैर एक कदम आगे नहीं उठाया जाता हालांकि पंचायत ऐक्ट के मुताबिक पंचायतें वाराबन्दी कर सकती हैं लेकिन फिर भी वही लोग वहां वाराबन्दी करने के लिए जाते हैं और यह काम जो कि पंचायतें खूब अच्छे तरीके से करवा सकती हैं, पैसा लेकर फैसले करवाए जाते हैं। कितनी बुरी हालत है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो Vigilance Department को भी कोसा करता हूं कि तुम आते हो और किसी अहलमद, किसी सिपाही या पटवारी को पकड़ लेते हो लेकिन जहां पर डाके डाले जाते हैं, दिन के वक्त डाके डाले जाते हैं Irrigation और P. W. D. के महकमों में वहां पर तुम कदम नहीं रखते जहां पर इस कदर अन्धेरगर्दी मची हुई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज ही P.A.C. की एक रिपोर्ट हमें मिली है। उसमें इन अफसरान की inefficiency की हालत का खुले लफ्ज़ों में ज़िक्र किया गया है। बताया गया है कि किस कदर misappropriation होती है। सिर्फ S.D.Os. का ही कसूर नहीं higher officers का भी बहुत भारी कसूर है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुंडली गांव के पास से Drain No. 8 निकाली गई। वहां पर जमीन का लैवल जमना के लैवल के 8 फुट नीचे था। डिपार्टमैंट को बारहा कहा गया, कोई बात न मानी। देहली गवर्नमैंट को इस सिलसिले में represent किया गया। उन के इंजीनियर्ज़ वहां आए। उन्होंने खुद देखा कि कुंडली गांव जमना के लैवल से आठ फुट नीचे है। लेकिन फिर भी जिद करके वहां से ड्रेन को निकाला गया और नतीजा यह हुआ कि सैंट्रल गवर्नमैंट को personal level पर interference करके उसको वहां पर बन्द करने का फैसला करना पड़ा, जिस पर चार मील का चक्कर देकर निकालने के लिए दो लाख रुपया खर्च हो चुका था। लेकिन हालत इतनी बुरी है कि उन जमींदारों की ज़मीन जिसे लेकर उस में गढ़े खोद दिए हैं और drain खोद दी है, उस ज़मीन का आज तक उन्हें मुआविज़ा नहीं दिया गया। उस के लिए मैं चौधरी रणबीर सिंह साहब से अर्ज़ की थी कि कुंडली गावों वाले अभी तक मारे मारे फिर रहे हैं उन्हें उन की ज़मीन का मुआविज़ा नहीं मिला। उन्हें मुआविज़ा दिलाया जाए। तो इस पर इन्होंने कहा कि हां उन के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं कोशिश करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज़मीदार लोग दफा 40 के तहत गवर्नमैंट को notice देते हैं लेकिन हमारी गवर्नमैंट इस की परवाह नहीं करती। इस का नतीजा यह होता है कि वे civil suits कर देते हैं जिस की degrees सरकार के खिलाफ हो जाती है और सरकार को खाहमखाह ज़ेर बार होना पड़ता है और घाटा उठाना पड़ता है। जैसा के Supplementary Demands पर उस दिन बोलते हुए मैं ने अर्ज़ की थी कि एक ज़मीन की कीमत इन्होंने कम assess की थी उस का नतीजा यह हुआ कि court ने इन के खिलाफ degree दे दी थी और पौने दो लाख रुपया उस ज़मीन की रकम का interest के तौर पर गवर्नमैंट को देना पड़ गया था। यह हालत है इन की efficiency की। नौ महीने हो गए हैं दफा 40 के तहत उन्होंने सरकार को notice दिया हुआ है लेकिन आज तक इन से किसानों के notice का जवाब नहीं दिया गया। हालात बहुत खराब हैं। फिर यह कहते हैं कि हम efficiency बढ़ा रहे हैं। Efficiency का ढोल पीटा जाता है। Public Accounts Committee ने अपनी इस

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

report में point out किया हुआ है कि S. D. O. के अलावा दूसरे बड़े अफसर भी इन चीजों के लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने सिर्फ एक जगह पर ही यह चीज़ नहीं लिखी बल्कि जगह जगह पर इस report में लिखी है। यहां पर लिखा है --

> "The Committee feel that not only the Executive Engineer who prepared the design but also those senior officers who approved it, were responsible for the defective designing. The Committee, therefore, recommend that suitable action be taken against all those who were responsible for the defects which led to the damage under intimation to the Committee."

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि P.A.C. की यह जितनी report है इस में हरेक point पर उन्होंने बड़े से बड़े अफसरान पर जिम्मेदारी डाली है।

इस के अलावा मैं अर्ज़ करता हूं कि जब वज़ीर साहिब से ज़िक्र करते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारे इलाके में नहर चलेगी या drain खोदी जाएगी तो यह जवाब देते हैं, yes, subject to the availability of funds. उस वक्त तो कह देते हैं हां नहर आएगी, या drain खोदी जाएगी, लेकिन बाद में "subject to availability of Funds" के लफ्ज़ साथ लगा देते हैं। और जब funds के लिए कहते हैं तो कह देते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो funds भी मुहैया हो जाएंगे। उस वक्त भगवान को बीच में ले आते हैं और उस का आसरा ले लेते हैं। इन की यह बात मेरी समझ में नहीं आती जब इन्होंने काम कुछ करना नहीं होता तब कह देते हैं कि काम तो होंगे लेकिन subject to the availability of funds. Emergency की वजह कर के काम तो suspend हो गए हैं लेकिन नई नई posts create करने पर सारा रुपया खर्च कर देते हैं। Schemes तो बना ली जाती हैं और उन के लिए रुपये की provision भी बजट में कर दी जाती है मगर वह स्कीमें कागज़ों पर ही रहती हैं लेकिन तमाम रुपया establishment पर खर्च कर दिया जाता है। अभी ढिल्लों साहिब ने water-logging के बारे में ज़िक्र किया था और कहा था कि हमारी सरकार उसे दूर करने के लिए स्कीमें बना रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हालत यह है कि पंजाब के अन्दर 50 per cent से ज़्यादा land water-logging की वजह से खराब हो गई है। इस को दूर करने के लिए जगह जगह पर नाले तो खोदे गए हैं लेकिन उन पर कोई पुल नहीं बनाया जाता। उन पर क्योंकि पुल नहीं बनाए गए इस कारण से वहां से गुज़रने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। जब औरतें पानी में से होकर गुज़रती हैं तो उन्हें देखने के लिए वहां मर्द खड़े हो जाते हैं। इस तरह से उन औरतों की बहुत बेइज्ज़ती होती है। उस की एक वजह यह है कि हमारी तरफ औरतें आम तौर पर घगरा पहनती हैं। उन औरतों को नैशकर की फसल काट कर लाने के लिए उस drain में से गुज़र कर जाना पड़ता है। अगर वह उस के बीच में से न गुज़र कर जाएं तो उन्हें दो मील का चक्कर काट कर आना जाना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह तमाम हालत चौधरी रणबीर सिंह के notice में लाया था और उन्हें बताया था कि हमारी बहूबेटियों की वहां यह हालत हो रही है। वहां पर नहरें और नाले खुदवाए गए हैं लेकिन उन पर से गुज़रने के

लिए पुल नहीं बनवाए गए। तो इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इस Department के ज़रिए क्या हो सकेगा और क्या न हो सकेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो हैरान हुआ इस चीज़ को देख कर कि किस तरह से हमारी हकूमत इस के अन्दर काम कर रही है और किस तरह से ज़मींदारों पर ज़ुल्म हो रहा है। वैसे तो यहां पर democracy का बड़ा ढोल पीटा जाता है। कल पंडित मोहन लाल जी दत्त ने ठीक कहा था कि यह (Treasury Benches वाले) criminals बैठे हैं और हम छोटे criminals हैं। और इस democracy में 11 महीने तो इन के हिस्से आए हुए हैं जो इन की मर्ज़ी आती है करते रहते हैं और एक महीना हमें दे दिया गया है जिस में हम ने इन के काले कारनामों को नंगा करना होता है जिस के लिए इन की तरफ से कहा जाता है कि हम बकवास कर के चले जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह अलफाज़ हैं इन के जो यह Opposition वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से यह नंगा नाच दिखा कर democracy का खून कर रहे हैं।

उपाध्यक्षा : यह दोनों लफ्ज़ जो आप ने अपने ही लोगों के लिए कह दिए हैं यह bad taste में है। इन को आप वापस ले लीजिए। (It is not in good taste for the hon. Member to use such words for his own colleagues. I would request him to withdraw both these words.)

चौधरी मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप के हुक्म से मैं इन्हें फौरन वापस लेता हूं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करता हूं कि जब हमें इन की करतूतें आप के सामने रखते हैं तब आप कहती हैं कि उस वक्त आप कहां थे जब यह भाई यह चीज़ें कर रहे थे। जैसा के मेरी बहन श्रीमती सरला देवी जी ने कह दिया कि वहां मिनिस्टर साहिब ने दस नम्बर के बदमाश का नाम कटवा दिया तो आप ने कह दिया कि उस वक्त आप कहां थी तुम भी तो उस के पीछे होंगी। क्या करें डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम जब यहां आए थे तो दिमाग तो किसी का खराब था, उन के साथ हमारा भी खराब हो गया है। वहां अपनी वकालत करते थे और अच्छे भले पैसे कमा रहे थे मगर यहां तो पागल से हो रहे हैं। जैसा के कल पंडित जी ने कहा था।

फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, कहते हैं कि हमारी पार्टी की हकूमत है क्योंकि हम majority में हैं। मैं इन से पूछता हूं कि क्या democracy का मतलब यही है? आप भी point out करते हैं और स्पीकर साहिब भी point out करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। इस पर मुझे एक शेर याद आया है —

बना कर फकीरों का हम भेस ग़ालिब,
तमाशाए अहले हरम देखते हैं।

क्या यह democracy है जिस में मिनिस्टर बाहर देहात में जा कर लोगों को धमकियां देते हैं। चाहे यह Temporary Taxation के सिलसिले में गए, चाहे इस emergency के हालात में गए हैं वहां लोगों को धमकियां देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जिस ने हाथ हिलाया उस का हाथ काट दिया जाएगा और जिस ने आंख दिखाने की जुरअत की उस की आंख निकाल लेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, न तो

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

किसी के हाथ हिलाने का सवाल है और न किसी के आंख दिखाने का सवाल है लोग बेचारे तो कुछ नहीं करना चाहते। मैं इन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि फिर यह उन से क्यों लड़ते हैं। अगर लड़ना है तो चीन से जा कर लड़ें। वहां पर तो बहादुर शाह की फौजों वाली बातें करते हैं कि तालियां बजाएंगे और दुशमन भाग जाएगा, उन को क्यों धमकियां देते हो? क्या इस लिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को राए नहीं दी थी.........

उपाध्यक्षा : कभी आप ने इन्हें ऐसे कहते सुना है ? (Has the hon. Member ever heard them say so ?)

चौधरी मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह आम तौर पर कहते रहते हैं कि यह हाथ काट देंगे और आंखें निकाल देंगे। मैं इन्हें कहता हूं कि कौन हाथ उठाता है और कौन आंखें दिखाता है। क्यों बेचारे लोगों को धमकियां देते हो

(*Interruption by Sardar Harchand Singh*)

मैं मिनिस्टर साहिब को बताना चाहता हूं कि अब उन के पीछे भी C.I.D. लगी हुई है। C.I.D. is a bad omen. चौधरी लहरी सिंह के पीछे C.I.D. लगी थी उन का क्या बना, फिर राम्रो वीरेन्द्र सिंह का क्या हुआ। उस का क्या इन्हें पता नहीं। तीसरे थे प्रोफैसर शेर सिंह। उस की लांगड़ भी हम ही सम्भालते फिरते थे। चौथे आप हैं। बीच में राड़ेवाला साहिब आ गए थे मगर वह तो कान को हाथ लगा गए हैं कि इस महकमा के नज़दीक नहीं जायेंगे। यहां तो वही सिकन्दर वाला हाल है :

ऐ सिकन्दर न रही तेरी भी आलमगीरी,
कितने दिन आप जिया किस लिये दारा मारा।

इस महकमें में तो जो आता है उस का यही हाल होता है। तो चौधरी साहिब, गरीबों की हालत देखिये, उन की हालत पर तरस खाइये, उन के काम करिये। उन को जो पानी की दिक्कतें हैं वह दूर कीजिये। दिल्ली को पानी देना बन्द करें। मुझे वह इकबाल का शेअर याद आता है :

रहमतें होती हैं तेरी अग़यार के काशानों पर,
बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर।

(तालियां)

मैं कहता हूं कि बर्क गिरती है तो बेचारे किसानों पर। (तालियां) आप का शुक्रिया।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : On a point of order। हम कई दिन से आप से टाइम मांग रहे हैं कि हमें पांच दस मिनट ही दिये जाएं। आप ने वायदा भी किया था कल भी और परसों भी।

उपाध्यक्षा : आप को 20 मिनट दिये जाएंगे। (The hon. Member will be given 20 minutes to speak.)

राव निहाल सिंह (जातुसाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का बहुत मशकूर हूं जो आप ने मुझे बोलने का वक्त दिया है। आप की मार्फत मैं कुछ अपने इलाके की बातें मन्त्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जातुसाना Constituency में 22 ट्यूबवैल्ज़ के लिये पंजाब सरकार ने मन्ज़ूरी दी थी। इन में से 8 लग चुके हैं मगर बाकी नहीं लगाए गए। मशीनरी वहां पर पिछले साल पड़ी रही मगर बावजूद दरखास्तों के और पैसे का provision होने के यह नहीं लगाए गए। नतीजा यह है कि वहां के लोग यह महसूस करने लग गए हैं कि जब तक तो उनके इलाके का वज़ीर रहा वहां पर काम भी होते रहे मगर यूं ही वहां का वज़ीर न रहा वहां पर काम भी रुक गए। ऐसा impression लोगों में नहीं रहने देना चाहिए और यह ट्यूबवैल्ज़ लगा दिये जाने चाहिएं।

बिजली के बारे में अर्ज़ है कि इस की schemes पहले अलग हुआ करती थीं। चौधरी साहिब ने यह कहा था कि 11 के. वी. लाइन के आधा आधा मील के अन्दर अन्दर ही बिजली दी जावेगी वैसे नहीं। मैं इन को बताना चाहता हूं कि न तो वहां पर गांवों को पहली स्कीम के मुताबिक ही बिजली मिली और न ही इस नई स्कीम के तहत। 21 जनवरी को चौधरी साहिब गांव जहीना में गए थे। यह गांव पहले प्रौजैक्ट में था। वहां पर इन्होंने वायदा किया था कि एक महीने के अन्दर अन्दर बिजली पहुंच जावेगी मगर आज दो महीने हो गए हैं वहां पर बिजली नहीं गई।

कुछ मैं बिजली के महकमे के काम करने के ढंग के बारे में भी कहना चाहता हूं। इन के जो Line Superintendents होते हैं वह महीना महीना अपने headquarters से गैरहाज़िर रहते हैं। मुझे यह बात आप के नोटिस में लाते हुए अफसोस होता है कि उन के खिलाफ शिकायत करने पर भी action नहीं लिया जाता। एक लाइन सुपरिन्टैंडैंट अपने हैडक्वाटर्ज से आठ दस दिन गैरहाज़िर रहा। उतने दिन बिजली बन्द रही। आप जानते हैं कि जिस किसान के खेत को इतने दिन पानी न मिले उस को कितना दर्द होता है। किसान मेरे पास आए। मैं ऐस. डी. ओ. के पास गया। मैं ने कहा कि आप का लाइन सुपरिन्टैंडैंट 8 दिन से मौजूद नहीं है। उस ने कहा कि मैं उस के खिलाफ कोई action नहीं ले सकता। जब मैं X.E.N. को मिला तो उस ने भी यही कहा कि हम उस के खिलाफ ऐक्शन नहीं ले सकते। मैं बड़ा हैरान हूं कि इतने छोटे मुलाज़मों के खिलाफ भी जब कि वह कसूरवार हों ऐक्शन नहीं लिया जाता।

अब मैं थोड़ा सा रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का जिक्र करना चाहता हूं। यह तो वही मामला है कि आंख का अन्धा नाम नैन सुख। इस स्कीम का नाम तो है रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम मगर इस में सिर्फ 8 गांव रिवाड़ी के आते हैं। इस स्कीम के तहत 5 पम्पिंग पावर हौसिज़ बनने थे। एक तो मुकम्मल हो चुका है, दूसरा बन रहा है। बाकी के मुताल्लिक भी दरख्वास्त है कि उन को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और रिवाड़ी के जो दूसरे गांव हैं उन को भी पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाए।

गुड़गांव कैनाल का मुझ से पहले भी जिक्र आ चुका है। इस प्रोजैक्ट पर 75 लाख रुपये सरकार खर्च कर चुकी है। मगर उस के बाद यह कहा गया कि emergency होने की वजह से इस काम को बन्द कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस स्कीम का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा था मगर जबकि पूरा होने को था तो इस को बन्द कर दिया गया लाखों रुपया का जो सामान वहां पर पड़ा था वह रातो रात उठा लिया गया। इस सिलसिले

[राव निहाल सिंह]

में सरकार को लाखों रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जब इस स्कीम पर पहले ही 75 लाख रुपया खर्च हो चुका है तो बाकी भी इस काम को पूरा किया जाए। चाहे इस के लिये आप को Supplementary Demands में ही पैसा मांगना पड़े। इस से जहां सरकार को भी फायदा होगा वहां उस इलाके के लोगों का भी बहुत फायदा होगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कई सालों से इस महकमे का इन्चार्ज मन्त्री हरयाणे के इलाके का होता है। (विघ्न) हमें जब कभी अपनी शिकायतों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब से बात करने का मौका मिलता है तो वह कह देते हैं कि देखो भई मैं ने तो यह महकमा ही तुम्हारे इलाके के आदमी को दे रखा है आप उन के पास अपनी तकलीफ बयान करो। तो मैं अर्ज़ करूं कि अगर हरयाणे के इलाके का वज़ीर होने के बावजूद उस इलाके के लोगों को पानी न मिले, बिजली न मिले तो यह कितने अफसोस की बात है। हरयाणे का वज़ीर अगर वहां पर नहर नहीं पहुंचा सकता तो यह तो कर सकता है कि उस इलाके में बिजली top priority के basis पर पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उस बैकवर्ड इलाके का भी कुछ भला हो सके। आप का शुक्रिया।

उपाध्यक्षा : देखिये मेरी आप सब साहिबान से दरखास्त है कि जब बत्ती की ज़रूरत ना हो तो इसे बुझा दिया करें। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें बिजली की रोशनी में बैठना पड़ता है। जब ज़रूरत न हो तो बुझा दिया करें ताकि यह वेस्ट न हो। (The hon. Members may put off the light when no longer required. It is our misfortune that we have to work in artificial light. This may be put off when not required to avoid waste.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त Irrigation की डिमांड ज़ेरे गौर है और मेरे से पहले बोलने वाले भाइयों ने, खास तौर पर चौधरी मुख्तियार सिंह और चौधरी निहाल सिंह ने अपने इलाके के बारे में जो grievances हैं वह हाउस के सामने रखे। मैं भी उनके साथ अपने आपको शामिल करता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, 12 तारीख को इस सदन में General Administration पर बोलते हुए मैंने कुछ आंकड़े रखे थे, अब आपकी इजाज़त से कुछेक इस irrigation डिमांड के बारे में भी दुहराना चाहता हूं।

हमारा हिन्दी रिजन का रकबा 27,323 मुरब्बा मील है और ज़ेरे आबपाशी जो ज़मीन है वह है 27 लाख एकड़। जबकि पंजाबी रिजन में रकबा 19,981 मुरब्बा मील के लगभग है लेकिन ज़मीन है 50 लाख एकड़ जो ज़ेरे आबपाशी है। और अगर percentage ली जाए तो 48 प्रतिशत पंजाबी रिजन के अन्दर है और हिन्दी रिजन के अन्दर सिर्फ 32 प्रतिशत। इससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाबी रिजन से रकबा

तो हमारा डेढ़ गुना है लेकिन percentage कम है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़िलेवार percentage रखूंगा।

		प्रतिशत
हिसार	..	30.5
रोहतक	..	31.1
गुड़गांव	..	9.9
करनाल	..	38.0
अम्बाला	..	8.7
और पंजाबी रिजन में		
जालंधर	..	61.2
लुधियाना	..	61.1
फीरोज़पुर	..	65.9
अमृतसर	..	85.4

यह है percentage में अन्तर जो irrigation से ताल्लुक रखती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह figures देख कर कहना पड़ता है कि दिये तले अंधेरे वाली बात है। क्योंकि इस डिपार्टमैंट का जो भी वज़ीर रहा है, वह हमारे इलाका का ही रहा है। एक मुद्दत से यह होता रहा है। सब से पहले मरहूम चौधरी सर छोटूराम, एक साल के लिए चौधरी टीकाराम, उसके बाद चौधरी मुहर सिंह, चौधरी लहरी सिंह, प्रोफेसर शेर सिंह, राव बीरेन्द्र सिंह, यह सब हमारे इलाके को belong करते हैं लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इन्होंने भी इधर ध्यान नहीं दिया। कुछ अर्से के लिए सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला साहिब भी वज़ीर रहे हैं, उन्होंने तो मुंह फेर कर भी उधर नहीं देखा। अब हमारे भाई चौधरी रणबीर सिंह इसके मिनिस्टर हैं। लेकिन जब आंकड़ों की तरफ देखता हूं तो अफसोस होता है। एक हमारा ही मिनिस्टर हो, इतना अच्छा department हो, जो अपने area को चाहे तो स्वर्ग बना सकता है लेकिन नहीं, वह बेबस है, मजबूर है, ऐसा नहीं कर पाता। डिप्टी स्पीकर साहिबा यह जानकर बड़ा दुःख होता है। 1963-64 का New Expenditure जो supply किया गया है, इसमें कुछ figures दिए हैं।

Western Jumna Canal Remodelling Project जिस पर 3 लाख 24 हज़ार की डिमांड रखी गई है। इसके पेज 150 पर दिया है, मुझे इजाज़त दें तो मैं पढ़ के बतलाना चाहता हूं।

"Western Jumna Canal Remodelling Project—

The Western Jumna Canal is the oldest canal in the State which takes off from Tajewala Head-works and irrigates Rohtak District as well as very dry tract. The rainfall in this district is scanty and uncertain. If this is sufficient to encourage barani sowings in some areas, there is little maturing of the crops. Hot winds and sand storms are characteristic of the area particularly in pre-monsoon period. The sub-soil water is also generally low. The land is fertile and inhabitants are hardy, but only the rainfall is precarious and spring level too low to permit of a thriving agricultural population.

Due to these factors, the inhabitants of the area suffered considerably from famines in the past and the Government had to incur heavy expenditure.

Although canal irrigation has provided considerable relief yet the areas served by this canal are in dire necessity of additional supply".

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक स्कीम कागज पर बनाई गई है। यह First Five-Year Plan में थी, Second Five-Year Plan में थी और अब Third Five-Year Plan में लगभग 3 साल गुज़र गए हैं। यानी 13 साल से एक स्कीम बनती है, Budget sanction होता है, remodelling के लिए हर साल रुपया reserve किया जाता है लेकिन उसको उठाकर अमृतसर में और गुरदासपुर में खर्च कर दिया जाता है और हमारे इलाके के आदमी मुंह बाए खड़े रह जाते हैं। मैं चौधरी साहिब से पुरज़ोर अपील करता हूं कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। जब सर कटवाने में, कुर्बानी देने में, या फौज में भर्ती होने का वक्त आता है तो हिसार जिला first आता है, शहीद झज्जर के होते हैं और जब पानी का वक्त आता है तो उस देश की सरकार, जिसके लिए लोग कुर्बान हो जाते हैं, वह इन इलाकों को पानी सबसे कम देती है। बस उल्टे बांस बरेली वाली कहावत चरितार्थ होती है।

मेरे पास Public Accounts Committee की रिपोर्ट है जो अभी मिली है, मैं देख नहीं सका लेकिन मैं वज़ीर साहिब का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपके इस महकमे के अन्दर किस तरीके से रुपए को बर्बाद किया जाता है। और अगर अफसरान बाला इस तरफ ध्यान दें तो पंजाब की जनता को जो टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उससे बचाया जा सकता है।

पहिले सफा पर ज़रा रिपोर्ट का मुलाहिज़ा हो......

" *Public Works Department*

(Irrigation Branch)

Audit has pointed out that the amount of arrears of water rate as on the 31st March, 1961, stood at Rs 1.37 crores. This amount did not include information in respect of six divisions, as it had not been recived by Audit".

It has been further stated :

"The departmental representative stated in the course of evidence that the amount of arrears at the end of December, 1962, stood at Rs 1,14,60,725.......

The Committee recommend that effective measures may be adopted to effect recoveries of outstanding dues."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए की रकम बहुत माकूल रकम है, अगर इसकी in time recovery हो जाए तो पंजाब की जनता taxes से बच सकती है।

इसके अलावा एक बात का और मुलाहिज़ा फरमाइये कि 56 tube-wells drill किए गए जिन पर 4 लाख 9 हज़ार रुपए खर्च किया गया, लेकिन हालत क्या है? 56 के 56 defective हैं।

A Committee of three Executive Engineers was appointed to peep into the matter. उसके बाद S.D.O. और Sectional Officer को कसूरवार ठहराया गया लेकिन इस कमेटी ने कहा है कि --

> "....That most of the tube-wells were out of verticality in excess of the tolerance limit of 1½" due to failure to check the verticality of the tube-wells at any stage of drilling........
>
> The Sub-Divisional Officer who drilled 51 of the 56 defective tube-wells was also responsible for the irregularities referred to in para 22 of the Audit Report......
>
> The Committee feel hesitant to accept the version of the Committee of the Executive Engineers to the effect that the entire fault lay with the Sectional Officer and the Sub-Divisional Officer. Since the works in progress, as stated by the departmental representative, were inspected by different Executive Engineers on a number of occasions, the Committee are inclined to feel that the fault lay with the Executive Engineers as well ...."

मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाड़ ही खेत को खाए तो खेत का क्या होगा, 3 Executive Engineers की कमेटी मुकर्रर की गई और उस कमेटी ने S.D.O. तथा Sectional Officer पर कुल्हाड़ा मारा P.A.C. ने कहा कि Executive Engineers भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि Executive Engineers on a number of occassion inspected the works and the fault lay with the Executive Engineers as well. मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वास्तव में कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए। इस के बारे में वज़ीर साहिब जांच पड़ताल करें। 56 tube-wells पर May, 1956 से June, 1958 तक Government ने 4.09 लाख रुपए drilling पर खर्च किए और पंजाब के अन्दर 1,236 tube-wells लगाए तो आप अन्दाजा लगाएं कि कितने रुपए ज़ाया किए गए होंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे officers को discourage किया जाए। यह मैं मानता हूं कि आजकल देश में Emergency आई हुई है और emergency के दौरान Agriculture, Development को बढ़ाया जाना चाहिए और इस काम को top priority basis पर चलाना चाहिए।

दफा 80 के नोटिस के बारे में चौधरी मुख्त्यार सिंह, एम. एल. ए. ने भी इस सदन में बताया है कि दफा 80 के notices को किस तरह से ignore किया जाता है।

Inefficiency in the Administration should not be tolerated.

मैं ने Irrigation Minister Sahib को D.O. लिखी और उन्होंने acknowledge भी की थी। श्री Chand Behari Lal, Advocate, Delhi ने 11 सितम्बर, 1962 को नोटिस जेर दफा 80 C.P.C. M/s Mohan Lal, Harish Chandra, Ishwar Chander, residents of Kundi, Tehsil Sonepat दिया कि drain No. 8 की वजह से हमारी खराब हुई जमीन का Compensation दिया जाए। आज तक महकमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

In spite of the fact that I personally requested the Secretary, Irrigation Department, and the Deputy Secretary, Mr. Mahajan, who happened to be present in a meeting of the Committee on Subordinate Legislation on which I was presiding on the 24th January, 1963 yet the said notice has not been acknowledged so far. P.A.C. और Estimate Committee की रिपोर्ट में भी Section 80 C.P.C. के notice ignore किए जाने की निस्बत Government को condemn किया है।

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

It is imperative on the Government that receipt of notices under section 80, C.P.C. should be acknowledged with 60 days.

लेकिन मैं कहता हूं कि claims जो genuine या frivolous हो 60 दिन के अन्दर जवाब दिया जाना चाहिए। अफसरों का कुछ खर्च नहीं होता। 3 मिनिट का काम होता है Executive Engineer को तो सिर्फ dictation देनी पड़ती है, अगर parties को वक्त पर जवाब चला जाए तो उन की तसल्ली हो जाती है, और unnecessary litigation and expense के भार से सरकार बच जाती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, Irrigation Booking Clerks अर्थात नहर के पटवारी और माल के पटवारी की तनखाहों में काफी फर्क है। पिछले बजट में माल के पटवारियों की तनखाहें बढाई गई थीं जब कि नहर के पटवारियों की तनखाहें नहीं बढाई थीं इस से उन को बड़ा धक्का लगा। इस का नतीजा यह हुआ कि वह दिल लगा कर अपने काम को नहीं करते, एक नहर के पटवारी के हल्के में 8--10 गांव होते हैं। उस को हर पानी दिए हुए खेत की मौके पर पड़ताल कर के गिरदावरी करनी पड़ती है। इस के विपरीत माल के पटवारी को दो गांव होते हैं, इस के साथ नहर के पटवारी की तनखाह कम है। इस का नतीजा यह होता है कि वह काम से जी चुराता है। और सारा आबपाशी किया हुआ रकबा पड़ताल से छूट जाता है इस तरह सरकार को water rates में घाटा रहता है।

मैं वज़ीर साहिब से अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस genuine claim पर गौर करें और उन की तनखाहें बढ़ा कर they should be brought at par with Revenue Patwaris.

स्पीकर साहिब, Northern India Canal and Drainage Act में एक बड़ा defect है जब किसी राजबाह या नहर में breach हो जाता है तो Officers उस को cut बनाने की कोशिश करते हैं, बहरहाल cuts हो या न हो। जिस ज़मींदार के खेत में उस cut या breach का पानी चला जाता है उस को 6 गुना या 10 गुना तवान देना पड़ता है जिस को आबजाया कहते हैं। चाहे उस मालिक का कोई कसूर न हो वह गांव से बाहिर शादी पर गया हो या उस के घर मौत वाकिया हो गई हो। इन बातों की जांच करने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि penality बिना समझे ठौंस दी जाती है। गौर करने की बात यह है कि ऐसे cut या breach से सरकार का कुछ नुक्सान नहीं होता। सरकार का तो तावान मिल जाता है। Cut या breach को दूर करने के लिए compulsory Services Act के द्वारा उस गांव के लोगों से मुफत काम लिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक defect है इस system में।

12 noon

यह एक काबलेगौर चीज है जिस की तरफ हकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए।

उपाध्यक्षा : अब आप वाइंड अप करें (The hon. Member may please wind up now.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : बस एक दो मिनट में खत्म कर दूंगा। हमारे इलाके के अन्दर, जैसा कि चौधरी मुख्तियार सिंह जी ने बताया, पानी न मिलने की वजह से

हाहाकार मचा हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया 23 तारीख को साम्पला में एक कान्फ्रैंस हुई। इस किस्म की कांफ्रैंस हम ने इतने सालों में कभी नहीं देखी थी कि महज़ पानी न मिलने की तकलीफ के सिलसिले में अपनी आवाज गर्वनमैंट तक पहुंचाने के लिए किसान और जमींदार इकट्ठे हुए। ऐसी कांफ्रैंस कभी नहीं देखी गई जिसमें गर्वनमैंट को इस तरह से condemn किया गया हो या rebuke किया गया हो। मैं समझता हूं कि यह उस इलाके की एक निहायत जायज़ मांग है जिसे हर हालत में सरकार को पूरा करना होगा। लोग वहां पर प्यासे मर रहे हैं, मवेशियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। फसलें सूख रही हैं। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस कांफ्रैंस की रिपोर्ट सरकार के पास भी जरूर पहुंची होगा। ज़्यादा न कहता हुआ आप की मार्फत सरकार से मोदबाना गुज़ारिश करूंगा कि लोगों की इस जायज़ शिकायत को दूर करने के लिए सरकार को जलदी ही कोशिश करनी चाहिए वरना इस फसल का बीज खेतों में ही सूख जाएगा। और फसल बिलकुल नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले Irrigation Minister तो यह कह दिया करते थे कि आसमान पर जो बादल घूमते हैं मैं उन के मोड़ को भी काट दूंगा। मोड़ को तो क्या काटना है, मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ हमारे पास मौजूद हैं, दस्तयाब है उसी का अगर जायज़ इस्तेमाल किया जाए तो वही हमारे लिए काफी है। इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हुआ अपनी जगह पर बैठता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम (ऊना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे एक साल के बाद अपने हलके के मुतल्लिक कुछ बोलने का मौका दिया। आज जो सिंचाई के वज़ीर साहिब ने चार डिमांडें हाऊस में पेश की हैं इसी तरह से हर साल करोड़ों रुपए की मांगें सदन में पेश होती रहती हैं। बदकिस्मती से आज तक हमारी तहसील की तरफ इरीगेशन के सिलसिले में कोई ध्यान नहीं रखा गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा तहसील ऊना एक बहुत पिछड़ी हुई तहसील है। बेशक सरकार ने hilly areas को backward areas करार दिया है ताकि इन इलाकों को advanced इलाकों के बराबर लाया जाए। सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं इस के मुताल्लिक सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप ने देखा होगा कि बाकी हिल्ली एरियाज़ के मुकाबले में हमारी तहसील ऊना अभी तक बहुत पीछे है। इसलिए आप की मार्फत गर्वनमैंट से अपील करूंगा कि इस पिछड़ी तहसील की तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, तहसील ऊना अनाज के लिहाज़ से भी हर साल deficite area रही है। इसकी सब से बड़ी वजह यही है कि इस तहसील की तरफ Irrigation के मुतल्लिक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया हालांकि भाखड़ा-नंगल जोकि हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्राजैकट है जहां से नहर निकालकर पंजाब के कोने कोने और यहां तक कि राजस्थान तक के इलाके को सरसब्ज़ करती है, जहां से बिजली पैदा करके हिन्दुस्तान के कोने कोने में ले जाई गई है, इसी ज़िला में है। जो नज़दीक के बसने वाले हैं अगर उन को यहां से पानी मुहैया नहीं होता और वह तमाम अपनी नज़रें आसमान पर लगाए बैठें तो मैं नहीं समझता कि वहां की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है और लोग

[श्री सुरेन्द्र नाथ गोतम]

कैसे खुशहाल हो सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, नंगल-हाईडल चैनल की बाबत हम देखते हैं कि रेगिस्तान तक को बंजर ज़मीन को सरसब्ज करती है लेकिन जिस इलाके के पास से यह गुज़रती है उस को इस से पानी नहीं मिलता। वज़ीर साहिब ने इस 10,000 एकड़ जमीन के लिए एक स्कीम तो बना रखी है लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसलिए मैं आप के द्वारा पंजाब सरकार की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि नंगल से लेकर आनन्दपुर साहिब तक 10,000 एकड़ ज़मीन जो neglected पड़ी है उसकी तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर महोदया, आप मजदूरों की बड़ी हमदर्द हैं। जिस जगह बिजली पैदा हो, जिस भाखड़ा से बिजली पैदा हो और जहां से पानी दूसरे सूबों को दिया जाए, वहां पर जो workers हैं वह हर खतरे को मोल लेकर इमानदारी से काम करें, तनदेही से काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें, भाखड़ा के काम में शहीद हों उन की बाबत मैं आप के द्वारा अपने चीफ मनिस्टर और इरीगेशन मिनिस्टर साहिब से निवेदन करता हूं कि जिन workers ने इतनी कुरबानियां करके वहां पर काम किया उन को उस वक्त सरकार ने work-charge establishment में रखा था। उस वक्त उन से यह agreement किया गया था कि आप को rent-free accommodation मुहैया की जाएगी। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब उन से यह रियायत वापिस ले ली गई है। जो रियायत बहुत देर से चली आ रही थी वह वापिस ले ली गई है। यह उन वर्करों के साथ, जिन्होंने भाखड़ा को तैयार किया, जो भाखड़ा के मैमार रहे हैं, ज़्यादती मालूम होती है। मैं आप के द्वारा सरकार से अपील करूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस से उन के हौसले पस्त हों। उन्हें rent-free accommodation की concession बदस्तूर दी जानी चाहिए। इसी तरह से class IV employees का मसला है। वह पहिले ही महंगाई की वजह से काफी दब गए हैं। उन का भी quarter का allowance अभी अभी सरकार ने वापिस लिया है। ज़्यादा न कहता हुआ इन दोनों categories of employees के लिए मैं सरकार से, चीफ मनिस्टर साहिब और वजीर मुतअल्लिका से प्रार्थना करूंगा कि इनको दी गई concessions को वापिस न लिया जाए।

अब मैं तहसील ऊना की दूसरी मुश्किलात की तरफ आप के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। तहसील ऊना, जैसा कि सब जानते हैं, एक निहायत पिछड़ी हुई तहसील है जिसके तकरीबन 80 मील रकबे में सवां नदी हर साल बाढ़ लाती है, जमीन बरबाद करती है। इस ने ज़रखेज जमीन को सालहा साल से खुर्दबुर्द कर दिया है। जैसा कि वज़ीर आबपाशी ने बताया था कि इस चो को channelise किया जाएगा और इस के लिए स्कीम बन चुकी है, मैं आप के द्वारा उन से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस सवां नदी को जल्द अज़जल्द channelise कर दिया जाए तो तहसील ऊना में हज़ारों एकड़ ज़मीन काबले काश्त हो सकती है और काफी जमीन पैदावार करने के लिए दस्तयाब हो सकती है।

इस के इलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने, इरीगेशन डिपार्टमैंट ने, गारनी खड्ड पर spurs लगाने का तजरुबा किया। इसी तरह झम्बर खड की बाबत भी estimate बना हुआ है। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि इस तहसील के choes को बांधने के लिए अगर वहां पर dams की scheme बनाई जाए तो सवां नदी वगैरा से आने वाला पानी जो नुक्सान करता है वह रुक जाएगा और उस इलाके को काफी फायदा होगा।

अब डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक ऐसे इलाके की बाबत मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं जिसे बीत का इलाका कहते हैं वह सब से पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर कोई सड़क नहीं है। वहां उस इलाके के पास से तीन सड़कें गुज़रती हैं यानी एक गढ़शंकर से नंगल, दूसरी नंगल से होशियारपुर और तीसरी ऊना से जेजों। लेकिन उस इलाके में से कोई सड़क नहीं गुज़रती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन सड़कों के बारे में अब इस लिए ज़िक्र करने लगा हूं क्योंकि मुझे डर है कि कहीं P.W.D. की demand पर मुझे कुछ कहने के लिए शायद वक्त न मिले। इस लिए मैं आप के ज़रिए मिनिस्टर साहिब की तवज्जो उस इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह ऐसा इलाका है जहां लोगों से पीने के लिए पानी पर tax लिया जाता है और वह tax भी तीन रुपए फी-कस है। यह tax अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अदा करता था और अब देश के आज़ाद हो जाने के बाद भी अदा कर रहा है। वहां कोई हस्पताल नहीं है, वहां के लोगों को तरक्की का कोई साधन उपलब्ध नहीं है और न ही वहां कोई आमदोरफ्त के ज़राए मौजूद हैं। मैं आप के द्वारा सरकार की तवज्जोह ऐसे इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं ने पिछली दफा एक सवाल भी Health Minister साहिब से पूछा था कि गोन्दपुर की तरफ जयचन्द गांव में पिछले पंद्रह सालों से वहां के लोगों ने एक building हस्पताल के लिए बनाई थी लेकिन आज तक वहां हस्पताल क्यों नहीं खोला गया? उस building के लिए ज़मीन भी लोगों ने दी थी और इस बात को 15 साल हो गए हैं। यह तब बनी थी जब मैं District Board का मैम्बर था. . . .

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : On a point of order, Madam, क्या hon. Member Irrigation की demand पर बोल रहे हैं?

उपाध्यक्षा : आप ने मेरा काम शुरू कर दिया है। This is my duty. Let me perform it. पंडित सुरेन्द्र नाथ जी आप ने जो कुछ Irrigation की demand पर कहना हो कह लें। बाकी जो कुछ आप ने कहना हो वह लिख कर दे दें। मैं मिनिस्टर concerned के पास भेज दूंगी। (Chaudhri Inder Singh has started performing my duties. This is my duty. He should let me perform it. I would now request the hon. Member Shri Surinder Nath to speak only on the Irrigation demand. About the rest he may give me in writing and I shall forward the same to the Minister concerned.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : बहुत अच्छा जी। मैं ने मिनिस्टर साहिब से यह दरखास्त करनी है कि हमारे इलाके की जहां से सवां नदी गुज़रती है, survey कराई जाए और वहां छोटे २ dam बनवाए जाएं। अगर इस तरह किया जाए तो इस तरह वहां की काफी ज़मीन सेराब हो सकेगी।

इसके इलावा मैं उन से एक और दरखास्त करता हूं कि वहां बीत के इलाके में लोगों पर पीने के पानी के लिए जो तीन रुपये फी कस के हिसाब से tax लगा हुआ है उसे उड़ा देना चाहिए। यह tax उन गरीब लोगों को देना पड़ रहा है जिन के पास कोई अहसासा नहीं है। इस के साथ ही मैं यह अर्ज़ करूंगा कि वहां बाकी जो 18 गांव रह गए हुए हैं जहां के लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया गया और उन्हें पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, वहां भी पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूं जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है।

उपाध्यक्षा : मैं hon. Member की इत्तलाह के लिए बता देना चाहती हूं कि इस demand पर कल भी बहस चलेगी। इस लिए काफी time है। सब को बोलने का मौका मिल जाएगा। (I may inform the House that the discussion on this demand will continue tomorrow also, therefore, there will be enough time for discussion. Everybody will get an opportunity to speak.)

श्रीमती चन्द्रावती (दादरी): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो Irrigation & Power की demand आज हाउस के ज़ेरेबहस है इस पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। इस पर जो कुछ बातें कही गई हैं जो मेरे से पूर्ववक्ताओं ने कहीं हैं उन में से कुछ से तो मैं agree करती हूं और कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जिस से मैं agree नहीं करती हूं। हम यह मानते हैं कि अब की बार जो floods आए, जो इतने ज्यादा आए थे कि इन से लाखों रुपए की फसलें बरबाद हो गईं, उन floods को control करने के लिए हमारे Irrigation & Power Minister ने और महकमा नहर ने और अफसरान ने जिस मुस्तैदी से काम किया, हम उस के लिए मिनिस्टर साहिब को बधाई दिए बगैर नहीं रह सकते।

इन floods को control करने के लिए जो plan बनाया जा रहा है उस के लिए मैं कुछ suggestion भी देना चाहती हूं। हमारी State में जहां floods आये थे वहां कुछ हिस्सों में इतना पानी खड़ा है और वहां की ज़मीन इतनी दलदली सी हो गई है कि वहां फसलें पैदा करने का तो कहना ही क्या वहां तो चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। उस दलदल में काफी कीड़े पैदा होते हैं जिन से हमारे सूबे के नौजवानों, जो सब से ज्यादा मजबूत आदमी होते हैं, की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इन को रोकने के काम को बाकी के सब कामों से preference दी जानी चाहिए। (*Interruption*). तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि वहां जहां दलदल हो गई है, वहां अगर नहरों का पानी आता है तो उस पानी को बजाए वहां देने के ऐसे इलाकों के लिए दे दिया जाए जहां सूखा रहता है। इस के साथ वहां Tube-wells लगा दिए जाएं ताकि sub-soil water level नीचे को चला जाए। यदि इस तरह किया जाए तो वहां अब जो दलदल नज़र आ रही है

फिर दोबारा वहां लहलहाते खेत नज़र आने लगेंगे और हमारी nation को जितना आज अनाज चाहिए वह भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पंजाब के जो किसान हैं वे सब से ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। लेकिन कुदरत की तरफ से जो आफतें आ जाती हैं उनके सामने इन का बस नहीं चलता। आज तो science ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन कुदरती मुश्किलात का सामना करने के लिए उपाय हो सकते हैं। इस लिए मैं इस बात पर जोर देती हूं कि इन चीजों को रोकने के लिए जितनी जल्दी उपाय हो सकें उतनी जल्दी किए जाएं।

Third Five-Year Plan में जमुना नदी पर बांध बांधने के लिए 155 लाख रुपए का खर्च करना हमारी सरकार ने निश्चित किया हुआ है। जब तक यह बांध नहीं बना लिया जाता तब तक जिला महिन्द्रगढ़ और लोहारू को पानी नहीं मिल सकेगा। यह काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ज़िला की ज़मीन बहुत बढ़िया है। जब भी कभी वहां बरसात हो जाती है तो वहां 9 मन फी कच्चे बीघा में से फसल पैदा हो जाती है। वहां के किसान भी बड़े मेहनती हैं लेकिन पानी की कमी है। जब बारिश नहीं होती तो वहां दो-दो तीन-तीन साल अकाल पड़ा रहता है। वहां अगर आप जा कर देखें तो आप को पता चलेगा कि वहां आबपाशी का पानी न होने की वजह से वहां के किसानों का ज़मीन से गुज़र होना भी मुश्किल है। मैं मानती हूं कि दादरी branch को अब जमुना Canal से और पानी दिया गया है। इस के लिए आप का शुक्रिया। लेकिन जितना पानी आना चाहिए था उतना नहीं आया। मैं अर्ज करती हूं कि अप्रैल वगैरह के महीनों में वहां पर कूओं में पानी सूख जाता है और जौहड़ों में भी पानी नहीं मिलता। तब दूर २ से पानी लाना पड़ता है। वहां के लोगों को पीने का पानी दिया जाना चाहिए। एक दो जगहें बनी भी हैं। उन में नहर का पानी जाना चाहिए। मगर पानी सब जगह नहीं जाता। इस के लिए लिफट इरीगेशन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस से एक तो वहां के किसानों को फायदा पहुंच सकता है दूसरे दादरी तहसील के सारे गांव सैराब हो सकते हैं। इस बात की तरफ जल्दी ध्यान दिया जाए। यह काम इसी प्लान में किया जाना चाहिए।

इस के अलावा मैं दो तीन और बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यहां पर ज़िक्र आया कि पटवारी रिश्वत लेते हैं। और कि उन का किसानों से सीधा सम्बन्ध होता है। यह ठीक है मगर कुछ ऊपर के अफसर भी ऐसे हैं जो कि उन से हिस्सा लेते हैं। रोहतक के डिप्टी कलैक्टर के खिलाफ बड़ी शिकायतें हैं। इस तरफ वज़ीर साहिब जल्दी ध्यान दें क्योंकि जिन लोगों का सीधा सम्बन्ध किसानों से हो वह बड़े high moral रखने वाले होने चाहिएं। या तो वह बड़े इमानदार हों या उन की तनखाह ज्यादा हो। बड़े अफसरों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि किसानों की जो harrassment होती है वह खत्म होनी चाहिए।

रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम अच्छी स्कीम है हालांकि इस में हमारे जिले के सिर्फ ८ गांव ही आते हैं। मगर इस का कुछ पता नहीं कि यह कब मुकम्मल होगी तो भी

[श्रीमती चन्द्रावती]

हम चाहते हैं कि इस को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जिन किसानों को पानी नहीं मिलता उनको पानी मिले फिर चाहे वह किसी भी जिले के हों। उन लोगों की हालत सुधर जावेगी जिन को हमारे जैसी ही मुश्किलात का सामना है।

अब मैं कुछ अपनी constituency का जिक्र करना चाहती हूं। उस इलाके में दो तीन जगह पर जैसे कि सनागा माइनर, दादरी माइनर, वगैरह पर पुल न बनाए जाने की वजह से लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। इन पुलों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुरब्बा बन्दी के कारण रास्तों में तब्दीलियां हो गई हैं। कई गांवों के लोगों को तीन-तीन और चार-चार मील का चक्कर लगा कर अपने खेतों में पहुंचना पड़ता है। इस से जहां उन लोगों के काम का हरज होता है वहां साथ ही उन को तक्लीफ भी होती है और वक्त भी जाया होता है। इस लिए सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इन पुलों को जल्दी से जल्दी बनवा दें। इस से उन किसानों को सुविधा हो जायगी। (घंटी) मैं दो चार बातें कह कर ही बैठ जाऊंगी।

कुछ शब्द मैं बिजली के बारे में भी कहना चाहती हूं। (विघन) हमारे यहां दादरी में एक Work Construction Division है। हमें इतलाह मिली है कि सरकार इस को वहां से उठा देने की सोच रही है। इस डिवीज़न के वहां से उठाए जाने के कारण हमारे कसबे को नुकसान होगा और जो गांवों की electrification चलती है उस में कमी आ जावेगी। मेरी इन से यह दरखास्त है कि इस को वहां से न उठाया जाए। वहां पर बरसात तो होती नहीं तो लोग Pumping Sets लगा कर ही पानी हासिल कर सकते हैं। (घंटी) जैसा कि दूसरे भाइयों ने कहा है कि दिल्ली को पानी और बिजली न दी जाए वह तो मैं नहीं कहती। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है तो उस को यह दिये जाएं मगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां तो लोग बिजली को एक luxury समझते हैं। अभी वहां पर जब Marriage Season था तो हजारों यूनिट एक ही दिन में खत्म हो गए। बिजली के ऐसे उपयोग पर रोक होनी चाहिए। मगर किसान तो इस को production के लिए इस्तेमाल करता है। उस को यह जरूर मिलनी चाहिए। (घंटी) जहां पर Sweet water belt है, वहां पर अगर बिजली पहुंच जाए तो लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है, वहां पर पैदावार बढ़ सकती है। (घंटी) मैं ने कहनी तो और बातें भी थीं परन्तु अब समय नहीं है इस लिए फिर कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूंगी।

श्री जगन्नाथ (तोशाम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब स्टेट एक diversities की स्टेट है। यहां एक तरफ तो पहाड़ हैं और दूसरी तरफ desert, एक तरफ तो पानी की बाढ़ आती है और दूसरी तरफ रेत की बाढ़ आती है, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हाय पानी ने मार दिया और दूसरी तरफ लोग प्यासे तड़पते हैं। मगर अफसोस तो इस बात का है कि सरकार कहती तो है कि 35 करोड़ की हमारी योजना है इस बुराई को दूर करने के लिए मगर एक तरफ पानी में डूबे रहे हैं और दूसरी तरफ लोग प्यासे मर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप को यह जो desert areas हैं जैसे महेन्द्रगढ़, भिवानी और गुड़गांव का कुछ हिस्सा इन की हालत

बताता हूं आप अचम्भे में पड़ जाएंगे क्योंकि आप ने यह इलाके देखे नहीं होंगे। अगर देखे होंगे तो आप को मालूम होगा कि उन लोगों पर क्या मुसीबत आती है।

उपाध्यक्षा : आप चेयर को न बीच में लाएं, अपनी बात करें। (The hon. Members should not bring in the Chair. They should keep it to themselves.)

श्री जगन्नाथ : अच्छा जी। तो मैं कह रहा था कि वहां पानी की बड़ी किल्लत है। अगर वहां पर बारिश हो जाए तो लोग पानी को जौहड़ों के अन्दर या पक्के गढ़ों के अन्दर जमा कर लेते हैं। लेकिन जब बारिश न हो तो लोगों के लिए एक बड़ी भारी मुसीबत हो जाती है। पिछले साल बारिश नहीं हुई और इस साल भी नहीं हुई। जौहड़ों में भी वहां पर पानी नहीं रहा। वहां पर मुरब्बाबन्दी के कारण जौहड़ भी सरकार ने तोड़ दिये हैं। अब लोगों को भारी दिक्कत का सामना है। अगर वहां पर कूवां खोदा जाता है तो डेढ़ सौ फुट नीचे जा कर पानी मिलता है और वह भी खारा होता है जिस को पशु अगर पी ले तो मरे बगैर नहीं रह सकता। फिर कूवों से पानी एक दो आदमी नहीं निकाल सकते, चार आदमी हों तो निकाल सकते हैं। जिस घर में दो ही आदमी हों उनको पानी निकालने के लिए दूसरों के साथ Co-operation कर के पानी हासिल करना पड़ता है। और वह भी खारा होता है। मन्त्री महोदय से लोग नहर मांगते हैं, भाखड़ा डैम मांगते हैं, हमें यह कुछ नहीं चाहिए हम तो इन से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगते हैं। हमारी तो यही दरखास्त है कि कम से कम हम को प्यास बुझाने के लिए तो पानी दिया जाए।

जिस सरकार के द्वारा पीने के पानी का भी प्रबन्ध न हो सके तो वह सरकार क्या है। एक प्रताप Water Scheme पानी के लिए बनाई। सन् 1959 के अन्दर वह तैयार हुई लेकिन अधूरी रह गई, मुकम्मल नहीं की गई। क्या यही काम है इस सरकार का कि स्कीम तो बनाए लेकिन पूरी न करे। यह सरकार झूठी है.........

उपाध्यक्षा : झूठ शब्द वापिस लो। (The hon. Member should withdraw the word "jhoot".)

श्री जगन्नाथ : अच्छा जी वापिस लेता हूं। इसी तरह 35 करोड़ रुपया drainage के लिए रखा लेकिन कट करके 15 करोड़ कर दिया। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करता हूं कि जो बाढ़ का पानी होता है, उसके लिए ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि उसे desert area की तरफ divert किया जाए। हांसी तहसील के अन्दर water-logging इतनी ज्यादा है कि वहां का बहुत ज्यादा रकबा बिल्कुल बेकार हो गया है। भिवानी का इलाका जो मेरा इलाका है, अगर वहां पर ट्यूबवैल का प्रबन्ध कर दिया जाए तो बहुत पैदावार हो सकती है।

बिजली के लिए जब वज़ीर साहिब से प्रार्थना की तो कहते हैं भिवानी दूर है? लेकिन मैं पूछता हूं कि जब बटाले को बिजली मिल सकती है तो भिवानी कैसे दूर है? हकीकत कुछ और है डिप्टी स्पीकर साहिबा। किसी गांव में वज़ीर साहिब ने जाकर यह कहा कि अगर चौधरी देवी लाल का साथ जगन्नाथ देगा तो तुम्हे Facilities नहीं मिल सकतीं।

उपाध्यक्षा : आपने खुद सुना क्या? (Did the Hon. Member hear it himself.)

श्री जगन्नाथ : हर एक बात खुद नहीं सुनी जाती। यह सरकार दरअसल कुछ करना नहीं चाहती। जब राजस्थान कनाल से कुछ इलाकों को पानी दिया जा सकता है, बीकानेर के इलाके को पानी दिया जा सकता है तो तोसम, भिवानी, महेन्द्रगढ़, वगैरह को पानी क्यों नहीं मिल सकता। (घंटी) बस, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हुआ वज़ीर साहिब से यही प्रार्थना करता हूं कि इस इलाके की ओर ज़रूर ध्यान दें और बिजली का व पानी का प्रबन्ध जल्दी से जल्दी स्कीमों को पूरा करके करें।

श्री रामप्रकाश (मौलाना, S.C.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सोच रहा हूं कि इस डिमांड के विषय में क्या अर्ज़ करूं। मेरे ज़िले अम्बाले में से दो नहरें गुज़रती हैं लेकिन निहायत अफसोस है कि इन दोनों नहरों से चन्द सौ एकड़ में सिंचाई होती है। और हमारे ज़िले को कोई फायदा नहीं होता। हां, सरकार ने थोड़े बहुत tube-well ज़रूर दिए हैं लेकिन उनकी हालत सभी को पता है कि बगैर बिजली के वह नहीं चलते। जब ज़मीन खुशक हो जाती है, तभी बिजली कम हो जाती है। उस वक्त किसान में लड़ाई भी होती है और मुकदमे चलते हैं। मैं वज़ीर साहिब से यही दरखास्त करता हूं कि जो ज़िला प्यासा है, उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें। वज़ीर साहिब हर जगह जाते हैं मगर मेरे यहां नहीं गए।

उपाध्यक्षा : आपने दावत नहीं दी होगी। (हंसी)

श्री रामप्रकाश : मैं ने डिप्टी स्पीकर साहिबा, तीन बार अर्ज़ की वज़ीर साहिब से कि आप उस इलाके में दौरे करें, लेकिन कोई तवज्जुह नहीं दी गई। अब भी वह ध्यान देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

जहां तक floods का सवाल है, वह तो वहां पर हर साल आते हैं, लेकिन पिछले दिनों floods से जो तबाही हुई है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। और जैसा कि डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको खुद पता है क्योंकि आपने बावजूद सेहत खराब होने के लोगों की floods के वक्त सेवा की। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिब ने जी जान से सहायता की। 12, 12 घंटे पानी में रह कर लोगों को बचाया।

उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहिब तथा सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। मेरे हलके में 5 नदियां गुजरती हैं जिन के नाम चिटांग, सरस्वती, Tangi तथा मारकन्डा आदि हैं। इन दरियाओं के अन्दर गांव हैं और पिछले साल इन गांवों में floods आने के कारण बहुत तबाही हुई थी। सरकार ने affected persons को emergency के दौरान में मकानों के लिए grants दी थीं किन्तु मेरे हल्के के लोगों ने emergency को मद्दे नज़र रखते हुए वह grants सरकार को वापिस कर दी थीं ताकि वह amount Defence के काम में आ जाए।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक इन 5 नदियों का सरकार इन्तजाम नहीं करती तब तक यह floods हमेशा मेरे इलाके में तबाही करते रहेंगे, मैं ने इस बारे में सरकार से प्रार्थना की थी कि floods की रोक थाम फौरी होनी चाहिए। मारकंडा के अपर इलाके धनौर गांव में survey भी हो चुकी है। वहां पर पांच नदियों का पानी इकट्ठा कर के

Dam बनाया जाएगा ताकि इलाके को तबाही से बचाया जाए और लोगों को पानी के लिए तरसना न पड़े, इस के साथ मेरे हलके के 30 के करीब गांव हैं जहां हर साल floods आते हैं और totally तबाह हो जाते हैं। इस के रोक थाम के लिए सरकार को प्रबन्ध करने चाहिएं।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए कर्ज़े दिए जाते हैं जिन लोगों को पक्के मकान की जरूरत नहीं है जहां पर हर साल floods से मकान गिरते हैं तबाह हो जाते हैं लोगों की तकलीफ को देखते हुए सरकार कर्ज़े देने में कमी न रखे। मैं समझता हूं कि यह समस्या सरकार के लिए सिर दर्द बन गई है और यह समस्या खत्म हो सकती है अगर पक्के मकान बनाने के लिए कर्जे दिए जाए। (*Interruptions*)

पहले यह बकवास बन्द करे फिर मैं कहूंगा।

Deputy Speaker : Please withdraw these words.

Chaudhri Ram Parkash : I withdraw these words. (*Interruptions*)

(*Interruption by Shri Jagan Nath*)

Chaudhri Ram Parkash : I would request the hon. Member not to interrupt me like this. I may be allowed to speak.

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे हलके में एक गांव है जिस का नाम गाधवाड़ है। आप ने अखबारों मे पढ़ा होगा और उस गांव की जो हालत थी वह Scenery अखबारों में भी आई थी उस के साथ के गांवों में भी काफी तबाही हुई थी। हमारी सरकार ने इस पानी के निकास के लिए drain खोलनी मंजूर की है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम drain बनाने से पहले हमारे concerned Chief Engineer या अन्य उच्च अधिकारी उस जगह का निरीक्षण तो करें। मैं चाहता हूं कि वहां पर हमारे Irrigation Minister स्वयं जाएं और देखें कि वहां पर जो drain खोदी जा रही है उस से क्या floods का control हो सकेगा, क्या वहां पर drain खोदने से मकसद पूरा हो जाएगा। एक और drain खोदी जा रही है जो कि Markanda Railway line के पास है। मैं समझता हूं कि इस से उस के नज़दीक के गांव घिर जायेंगे। इन गांवों में 3, 4 हज़ार घर बिल्कुल block हो जाएंगे। मैं Irrigation Minister से request करना चाहता हूं कि वह स्वयं जाए और उन गांवों की हालत का जायजा लें और उस drain को खोदने का order मुलतवी कर दिया जाए। वह वहां पर खोदनी चाहिए जहां पर पानी का निकास आसानी से हो सके। इस तरह से गंदौला गांव में भी drain खोदी जा रही है। मैं समझता हूं वहां पर drain खोदने से पानी का निकास बिल्कुल बन्द हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि पंजौर drain की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वहां की जनता floods से बच सके, अंत में मैं एक चीज मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब तक अम्बाला तथा Jagadhri के बीच के मसले को हल नहीं किया जाए तब तक floods का मसला बदस्तूर जारी रहेगा, इस ओर सरकार को effective steps उठाने चाहिएं ताकि लोगों के floods से घर तथा फसलें सुरक्षित रह सकें। मैं आशा रखता हूं कि सरकार मेरे इलाके की तकलीफों को दूर करने में शीघ्र ही यत्न करेगी।

[चौधरी राम प्रकाश]

डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आप का धन्यावाद करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मेरा विचार है कि किसी भी मेम्बर साहिब को, चाहे वह Government Party से सम्बन्ध रखता हो या Opposition से इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा कि हमारी सरकार और Engineers ने नहरें खोदने के लिये और बिजली के द्वारा जनता की भलाई के लिये जो काम किए हैं वह काबिले तारीफ हैं।

(Treasury Benches की तरफ से प्रशंसा)

डिप्टी स्पीकर साहिबा अगर हम आज से 16 साल पहले की हालत देखें तो पता लगता है कि जब मुल्क की तक्सीम हुई तो उस वक्त पंजाब का तकरीबन सारा जरखेज़ इलाका मगरबी पंजाब में चला गया। जितनी भी important नहरें थीं जिस पर पंजाब का ज़रई पैदावार का दारो मदार था वह मगरबी पंजाब में चली गई और मशिरकी पंजाब में सिर्फ खुश्क इलाका हम को मिला। एक परेशानकुन हालत थी हमारे सामने कि जिस पंजाब को Granary of India कहा जाता था उस का अपना गुज़ारा किस तरह से चलेगा। अजीब मुश्किलात थीं। लेकिन आज हम उन इंजिनियरों को दाद दिये बगैर नहीं रह सकते उन की उस काबलियत और हिम्मत पर जिसका उन्होंने सबूत दिया। वह वाकई तारीफ के काबिल हैं और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां तक अनाज के मसले का ताल्लुक है, न सिर्फ हम अपने सूबे की जरूरियात को ही पूरा कर सकते हैं बल्कि पंजाब में से काफी तादाद में अनाज दूसरे सूबों को, हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों को भेज रहे हैं।

किस मैम्बर को यह मालूम नहीं है कि वह भाखड़ा डैम जिस की तामीर के लिये हम इतने मुन्तज़िर थे, जिस की बाबत आपोजीशन के दोस्तों की तरफ से हज़ारों किस्म के ख्यालात, शक ओ शुबहात जाहिर किये जाते थे, नुक्ताचीनी की जाती थी, वह कैसे पूरा हुआ है ? खुशी की बात है कि न सिर्फ वह डैम पूरा ही हुआ है बल्कि पिछले साल 21 लाख एकड़ के करीब रकबा उस से आबपाश भी हुआ है और रेगिस्तान का इलाका, राजस्थान का वह इलाका, हिसार का वह इलाका जहां पीने को पानी नहीं मिलता था आज अगर आपोजीशन के साथी वहां जाकर देखें तो पता लगेगा कि वहां के लोगों की खुशी की क्या हालत है—आज उन में कितनी खुशी की लहर दौड़ी हुई है।

Shri Ram Singh : On a point of order, Madam. The hon. Member is not a Minister, but he is replying to the debate.

Deputy Speaker : It is no point of order.

चौधरी रिजक राम : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हो सकता है कि, जैसा कि आपोजीशन की तरफ से बताया गया, कुछ इलाकों में कमी रह गई हो लेकिन हम ने देखना यह है कि गवर्नमेंट जिस तेजरफतारी के साथ कदम उठा रही है, जो इकदामात लिये जा रहे हैं, जो इखराजात उठाए हैं और जिस खर्चे के लिये आज हाउस के सामने मुतालबा पेश है आया वह जायज़ है या नहीं। मैं तो बल्कि यह निवेदन करना चाहता हूं कि इरीगेशन और बिजली के महकमों के लिये जो खर्च, जो रकम रखी गई है उस में कमी की तरफ जो tendency हुई है वह नहीं होनी चाहिए। यह ऐसे महकमें हैं जिन पर जितना ज्यादा खर्च किया जाए, इरीगेशन और बिजली के फैलाव के लिये जितना रुपया

ज्यादा provide किया जाए उतनी ही ज्यादा इस देश की ताकत बड़ेगी, पैदावार बड़ेगी। डिप्टी स्पीकर महोदया, हमें इस अमर को नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हमारे देश के सामने एक जबरदस्त खतरा, भयानक संकट है। चीन ने हमारे मुल्क पर हमला किया। यह बात साबित हो चुकी है और बड़े से बड़ा आदमी यह ख्याल करता है कि चीन ने यह हमला महज हिन्दुस्तान का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़ा में करने के लिये, थोड़ी सी territory को हथियाने के लिये ही नहीं किया था बल्कि उस ने हमारे देश की economy को और यहां के पैदावार के तरीकाकारों को दरहम बरहम करने के उद्देश्य से किया था। इस लिये उस संकट के सामने अगर हम पैदावार के तरीकाकार को कम करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस से दुश्मन को खुशी ही होगी।

उपाध्यक्षा : यह चीजें आप चौधरी रणबीर सिंह के लिये ही रहने दीजिए। आप ने जो constructive points देने हैं वही बताएं। (The hon. Member may leave these things for Chaudhri Ranbir Singh. He may only give the constructive suggestions that he has to make.)

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई बहस का जवाब नहीं दे रहा बल्कि आप की मार्फत यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कमी emergency के कारण तजवीज़ की गई है वह मुनासिब नज़र नहीं पड़ती क्योंकि अगर किसी कमी की वजह से पैदावार के तरीकों में कोई कमी वाक्या होती है तो उस से दुश्मन को खुशी होगी। उस से दुश्मन का मकसद हल होगा, या पूरा होगा। इस लिये मैं सिफारिश करूंगा कि जहां कहीं भी किसी स्कीम में कोई कटौती की गई है वह नहीं होनी चाहिए।

इस के अलावा मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां अब तक मुतहद डैम बना कर, बयास प्राजैक्ट वगैरह से कितना आबपाश रकबा बढ़ाया गया है यह बहुत ही सराहनीय है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को यह जानकर खुशी होगी कि जहां सन् 1950-51 में 37,00,000 एकड़ रकबा नहरी पानी से आबपाश होता था आज वह रकबा पचास, पचपन लाख एकड़ से भी ऊपर है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी एक बात माननी पड़ेगी कि हिन्दी रिजन और हरयाणा के इलाका में फिर भी कुछ वजूहात की बिना पर पानी की कमी है। जितने पानी की वहां पर ज़रूरत है, मौजूदा हालत में वह ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहिले भी मैं ने यह मुतालबा किया था और अब भी इस ख्याल का कायल हूं कि जैसे भाखड़ा का डैम बनाया गया, बयास प्राजैक्ट आप के सामने है और दूसरे दरियाओं को काबू में लाया गया इसी तरह से अगर जमुना पर भी इसी तरह का डैम बना कर उस के पानी को न रोका गया मेरा पुख्ता यकीन है कि हरयाना के इलाकों की पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकेगी। मैं आबपाशी के वजीर मुतल्लिका चौधरी रणबीर सिंह जी को इस बात के लिये मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इन बजट की proposals में इस बात का संकेत किया है कि गवर्नमेंट ने जमुना पर डैम बनाने के लिये investigation शुरू की हैं। इस बात की बड़ी खुशी है। इस के

[चौधरी रिजक राम]

अलावा अभी दो चार दिन हुए यह खबर भी मुश्तहर हुई कि जैसे भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इसी तरह जमुना कंट्रोल बोर्ड बनाने का फैसला किया है। मैं समझता हूं और आप की मार्फत अपील करता हूं कि गवर्नमैंट को यह प्राजैक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये सभी ज़रूरी इकदाम करने चाहिएं और यह जो फैसला किया गया है उस के लिये मैं उस इलाके की तरफ से गवर्नमैंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरा ख्याल है कि दूसरे मैम्बर साहिबान भी इस बात पर मेरे साथ मुतफिक होंगे कि यह कदम सराहनीय है और हमें सरकार को इस के लिये मुबारिकबाद देनी चाहिए। (*Interruptions*) एक बात डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप के ज़रिए और कहना चाहता हूं और वह यह है कि मैम्बर साहिबान को कुछ तकलीफ होती है यह सुनते हुए कि गवर्नमैंट के अच्छे कामों की सराहना क्यों की जा रही है लेकिन सरदार गुरनाम सिंह जी जैसे पुराने और तजरुबाकार आदमी को भी तकलीफ हो यह बड़े दु:ख की बात है। उन को तो खुश होना चाहिए कि उन का जो उजड़ा हुआ पंजाब था गवर्नमैंट की कोशिशों से, इंजिनियरों की लगन और मेहनत से, यह आज पूरी तरह से सरसब्ज़ और खुशहाल बनता जा रहा है। उन को एक निहायत अच्छे आनरेबल मेम्बर होते हुए इस तरह से interrupt करना और दूसरों से बातें करना शोभा नहीं देता। वैसे इन की जो मर्ज़ी हो करें हम तो इन की इज्ज़त करते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहने जा रहा था कि आप को भी इस बात का इल्म है कि पिछले कई सालों से रोहतक ज़िले में लगातार और जबरदस्त floods आए। रोहतक शहर पानी में डूब गया। खुद पंडित नेहरू और श्री कृष्णा मेनन साबक डिफैंस मिनिस्टर floods के मौके पर रोहतक में आए। इस सम्बन्ध में कई सवालात पालिया-मैंट और असैम्बली में उठाए गए। कई साल तक लगातार ज़िला रोहतक floods से तबाह होता रहा, बरबाद होता रहा। यह एक जबरदस्त मसला लोगों के सामने था। हैरानगी होती थी कि जब हर साल पंद्रह बीस-बीस फुट पानी शहर में आ जाता है तो किस तरह से इस मुश्किल से निजात मिलेगी। लेकिन इस के बावजूद गुज़श्ता साल में पहिला मौका था जब कि इतने सालों के बाद पहली दफा रोहतक ज़िला का एक इंच रकबा भी ज़ेरे floods नहीं आया। लोगों का यह ख्याल था कि ड्रेन नम्बर 8 से यह मसला हल नहीं होगा। उन का ख्याल था कि diversion of drain No. 8 से इतनी जल्दी यह समस्या काबू में नहीं आ पाएगी। कई लोगों को इस के मुताल्लिक शक था। लेकिन मैं इस बात के लिये इंजिनियर्ज साहिबान की दाद देता हूं कि उन्होंने दिन रात काम किया।

उपाध्यक्षा महोदया, आप को यह जान कर खुशी होगी कि वहां Engineer साहिबान ने दिन को और रात को भी बिजली की रोशनी में या लालटैन की रोशनी में काम किया और रोहतक ज़िला के लोगों को बचाया। इस के मुताल्लिक ही मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई चौधरी मुख्तियार सिंह जी अहसान फरामोशी करते हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बतलाता हूं कि चौधरी साहब की मेहरबानी से...... (*Interruptions*)

1.00 p.m.

Deputy Speaker : No interruptions, please. The Honourable Member should wind up.

चौधरी रिजक राम : मैं तो सिर्फ इतनी अर्ज़ कर रहा हूं कि चौधरी साहिब का अपना गांव दरियाये जमुना के सैलाब की ज़द में आता है और सालहा साल से वह गांव तबाहो बरबाद होता रहा और वहां आए साल floods आते रहे हैं । मैं बतलाता हूं कि पिछले साल दरियाए जमुना में peak floods आए थे और खदशा यह हो गया था कि वह इलाका पानी की मार से बच नहीं सकेगा लेकिन आप सुन कर हैरान होंगे कि मैं ने डर कर वज़ीर साहब से दरखास्त की कि आप देखें कि उस इलाका में जो कुछ पिछले दो तीन सालों में होता रहा है फिर से न हो । इस लिये आप Engineer साहिबान को हिदायत करें कि वह efforts करें कि किसी तरह वह इलाका बच जाए । इस पर मंत्री महोदय ने उस इलाके का खुद दौरा किया और सारे इलाके को ,खुद देख कर Engineers को हिदायात जारी कीं । मुझे यह बतलाते हुए बड़ी खुशी होती है कि इतने ज़बरदस्त floods के आने पर भी वहां एक इंच ज़मीन का नुकसान नहीं हुआ । वहां पर बदरें जो खोदी गई थी वह हमारे Engineers ने सराहनीय काम किया है । इस के बावजूद भी चौधरी मुख्तियार सिंह गिला करते हैं । वहां पर drain No. 8 जो खोदी गई है....

उपाध्यक्षा : आप मेरी राये में सिर्फ वह चीज़ें बता लें जो अभी वहां नहीं हो सकीं और गवर्नमैंट को करनी चाहिए। (The hon. Member should now point out what is required to be done there and what the Government has not so far been able to do.)

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर महोदया, जितना काम वहां गवर्नमैंट ने किया है उस के मुताल्लिक तो मैं ने थोड़ा बहुत अर्ज़ कर दिया है । अब मैं एक दो बातें उस के मुताल्लिक कहना चाहता हूं जो लोगों की ज़रूरतें हैं लेकिन अभी पूरी नहीं की गईं । जब drain No. 8 की खुदाई हो रही थी तो कुंडली गांव के पास से वह खोदी गई थी । लेकिन बाद में जब Central Government की हिदायत आई तो वहां उस खोदी हुई drain से कुछ फासले पर दूसरी drain खोदी गई । पहले जो drain खोदी गई थी वह अभी तक उसी तरह पड़ी हुई है और ज़मीदारों को उस ज़मीन का कोई मुआविज़ा नहीं दिया गया हालांकि उन्होंने उस के लिये कई दरखास्तें भी दी हैं । वज़ीर साहिब के notice में भी यह चीज़ लाई गई है लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक उस का मुआविज़ा नहीं मिल सका । वह बड़े छोटे ज़मींदार हैं, किसी की दो बीघे ज़मीन है और किसी की चार बीघे । दो साल से वह बैठे हुए हैं लेकिन आज तक उन को मुआविज़ा नहीं दिया गया । एक बात मैं खाघर के इलाका के बारे में कह कर बैठ जाऊंगा । G.T. Road पर राजपुर minor की जो पिछले साल construction हुई थी, उस के बारे में मेरे notice में यह बात आई है कि उस का level नीचा है जिस के कारण पानी पूरी तरह से उस रकबा में नहीं पहुंच सकता । उस को ठीक करने के लिये बजट में कोई provision नहीं की गई । उस के level को ऊंचा उठाया जाए ताकि उस इलाके के लोगों को जिन के लिये मिनिस्टर साहिब ने इन्तज़ाम किया है, पानी मिल सके ।

[चौधरी रिज़क राम]

आखिर में उपाध्यक्ष महोदया मैं आप का धन्यवाद करता हूं जो आप ने मुझे बोलने के लिये time दिया है।

लाला रुलिया राम : On a point of order, डिप्टी स्पीकर साहिबा, बाकी सब आदमी time ले रहे हैं लेकिन जो जिले पानी में डूबे पड़े हैं उन के representatives को time नहीं दिया जा रहा। उन इलाकों का भी आप को कुछ न कुछ ख्याल रखना चाहिए।

उपाध्यक्षा : इस Demand पर कल भी बहस होनी है, आप को कल time मिल जाएगा। (The hon. Members will get time tomorrow as the discussion on this demand is to be continued tomorrow also.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂਵੇਟ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ........

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਉ। ਫਾਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ Flood Control Board ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। Electricity Board ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਹੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ, 6 ਕਰੋੜ,7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ relief ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ debates ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ floods ਆਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਕਰ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। (Addressing Shri Ajit Kumar) Please listen to me.

Babu Ajit Kumar : I would request you not to interrupt me.

Deputy Speaker : Will you please take your seat or should I take it that you are not prepared to listen to me ?

Babu Ajit Kumar : I am ready to listen to you, but please do not interrupt me.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਨਾਅਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਤੇ reflection ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੀ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁਟਣ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ buildings ਤੇ roads ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ relief ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3/4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ site ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ material ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 12/13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਗਾ। ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਏਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢੁਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ restricted ਨਹੀਂ । ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ in the end of December, 1962, arrear ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ recover ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, P.A.C. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ material ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ heavy taxation ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, Water rate ਤੇ Electricity duty ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਬ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :—

"ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਵਨ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ।
ਚਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਨ ਖਾਉ, ਰਤ ਪਿਤਕੁਤਹੁ ਚਟ ਜਾਉ ।"

ਐਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਿਟੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਢਿਡ ਤੇ ਹਥ ਫੇਰ ਤੇ ਅਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ drains ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਵਧ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰੇਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਜਗਰਾਉਂ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਸੋਵਾਲ ਡਰੇਨ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਕ ਬੱਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ breaches ਹੋਏ। ਇਕ ਬਰੀਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਨਥੋ-ਵਾਲ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ unparliamentary ਹੈ। ਇਹ ਡਰੇਨ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੱਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਨੇ 27 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। Alignment ਗਲਤ ਸੀ, survey ਗਲਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੀ ਜਗਾਹ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਡਰੇਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਯਾ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਡਰੇਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਬਚਾ ਦਿਉ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੱਸੋਵਾਲ ਡਰੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ allocation ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ alignment ਤੇ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਯਾ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨ ਟੁੱਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਕਿ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ allocation ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੋਵਾਲ ਡਰੇਨ ਲਈ allotment for the year 1962-63, 19 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 5,55,000 ਰੁਪਿਆ ਬੱਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1962-63 ਵਿਚ ਜੱਸੋਵਾਲ ਡਰੇਨ ਉਤੇ 19 ਲਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,85,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 19 ਲਖ ਦੀ allocation ਵਿਚੋਂ 1,85,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। Total allocation ਜਿਹੜੀ ਹੈ estimated cost of that work ਉਹ ਹੈ 60,17,000 ਰੁਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਥੇ 7,22,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਉਤੇ 3,15,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ floods ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 4,5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਡੁਬਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਡੁਬਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ, ਤੰਗ ਹੋਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਗੋਤੇ ਦੇਏਗੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ problem ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਲਹਿਦਾ problems ਹਨ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹਨ। ਹਰਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗਏ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਟ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ 'मैं जाटों का Agent हूं, लालों का Agent नहीं हूं'।

ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਰਾਂਚ ਡਰੇਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਇਆਂ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਡਰੇਨ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰੇਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੇਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ represent ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੁਰਾਹੇ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇ ਡੇਢ ਫੁਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਟੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ is most backward ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਚੰਗੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਪਿਟਣਾਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। (The Hon. Member may please use decent language. He should avoid using the words like bewailing and be moaning.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਵੀ ਏਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ most Backward area ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Backward ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਹਨਤੀ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਸਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ water table ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ tube-wells ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਨਾਲ water level ਥਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Tube-wells ਲਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Tube-wells ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀਂ Tube-wells ਲਗਾ ਸਕਣ। (ਘੰਟੀ)

ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਤਿੰਨ Xen. ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ Development Committee ਦੀ ਜਾਂ Co-ordination Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਪੁਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ S.D.O. ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ Xen.

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]
ਮੰਗੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਬਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Xen ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ Xen. ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਸਕੀਮ Gazette ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ aspersoins cast ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ । (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : देखिए यह जो ढंग है, वह ग़लत है। पहले तो और बातें करते रहते हैं, बाद में और समय चाहते हैं । (The hon. Member is not relevant now. Afterwards he will demand more time. This is not proper for him).

ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ Scheduled Caste ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ Emergency ਵਿਚ retreachment ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, reduction ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ retrenchment ਦਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ reduction ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ retrenchment ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਕੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया और आइंदा भी टाइम दे कर मुझे encourage करते रहेंगे।

आज़ादी के बाद इन 15 सालों में हमारे आबपाशी के महकमे ने काफी तरक्की की है। और सरकार ने पानी की supply के लिए जो काम किया है, उस के लिए सरकार धन्यवाद की मुस्तहक है ।

मेरा इलाका भिवानी का इलाका है। और वहां पर पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है । वहां पर गर्मियों के तीन-चार महीनों में बहुत कम पानी मिल पाता है। गवर्नमैंट ने सन् 1933 में, जब कि वहां की आबादी 30,35 हज़ार की थी, Water Works की कुछ Supply मुकर्रर की थी । वही Supply आज तक चली आ रही है, हालांकि वहां की आबादी अब 70-75 हज़ार के करीब हो आई है। इस लिये यह मेरी वज़ीर साहब से दरखास्त है कि सप्लाई दुगनी करनी चाहिए ।

गवर्नमैंट ने पिछले दिनों कुछ सोच कर Municipality को टैंकों की capacity बढ़ाने के लिये कहा भी; और कमेटी ने कुछ किया भी लेकिन Water Supply की मियाद बढ़ाई नहीं गई। मेरी constituency में लुहारू की तरफ जो 20, 30 गांव पड़ते हैं वहां भिवानी शहर से भी ज्यादा दिक्कत पीने के पानी की है। भिवानी

दक्षिण में देवसर, लुहारू वगैरह के गांव आते हैं वहां ऐसी हालत है कि लोग जोहड़ों में पानी इकट्ठा कर लेते हैं। बरसात के दिनों में, फिर सारा साल पीते हैं । वह पानी पशुओं के काम आता है और उसी को इंसान पीता है। नहाने धोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । इसलिये मैं वजीर साहब से दरखास्त करता हूं कि उस इलाके में पीने का पानी जुटाने का इन्तज़ाम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ।

मैं यह मान सकता हूं कि चूंकि वहां पर रेतीली ज़मीन है इस लिये नहरें जल्दी नहीं पहुंचाई जा सकतीं। लेकिन मैं दरखास्त करता हूं कि वज़ीर साहिब अगर वहां पर बिजली पहुंचा दें तो tube-wells लगाए जा सकते हैं । और इस तरह से पीने के पानी की पूर्ति हो सकती है और कुछ आबपाशी भी की जा सकती है । (Shri Sagar Ram Gupta was still on his legs when the House adjourned.)

(The Sabha then adjourned till 9 a. m. on Thursday, the 21st March, 1963)

21117 PVS—387—9-7-63—C.P. and S. Punjab, Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

21st March, 1963

(Morning Sitting)

Vol. I—No. 20

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 21st March, 1963
(Morning Sitting)

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No 20
DATED 21ST MARCH, 1963—(MORNING SITTING)

Read	*For*	*On Page*	*Line*
गवर्नमैंट	गर्नमैंट	(20)2	13th from below
कमिश्नर्ज़	कांमश्नर्ज़	(20)4	3rd from below
N.P.	P.N.	(20)21	13th from below
Canal	Cada	(20)42	23
said patwaris	sa dpatwaris	(20)42	27
residences	resiences	(20)42	32
Minister	M nister	(20)53	4th from below
would	wolud	(20)71	5
ऐसे	एसे	(20)71	17
the	t e	(20)71	25
अगले	अगल	(20)76	18
दूसरे	दुसरे	(20)77	26
इस	इास	(20)89	18
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ	ਪਡਕਸ਼ਨ	(20)98	4
ਸ਼ੁਕਰੀਆ	ਸ਼ਕਰੀਆ	(20)101	last line
ਦਿੰਦੇ	ਦਿਦੇ	(20)105	8
ਤੁਸੀਂ	ਤਸੀਂ	(20)107	20
यनियनिस्ट मिनिस्ट्री	नियनिस्ट यूमिनिस्ट्री	(20)114	15th from below

---

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 21st March, 1963

(*Morning Sitting*)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1 Chandigarh at 9.00 a.m. of the Clock.

ABSENCE OF THE SPEAKER

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Secretary : I have to inform the House that the hon. Speaker is unavoidably absent. Therefore, the hon. Deputy Speaker will occupy the Chair.

(*At this stage hon. Deputy Speaker occupied the Chair*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

FUNCTIONS OF THE DEPUTY COMMISSIONERS/ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONERS

***2355. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of officers appointed as Additional Deputy Commissioners in each district with the detail of functions of the Deputy Commissioners and of the Additional Deputy Commissioners ?

S' ... ohan Lal (Home Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

	Name of the district		*Name of the officer appointed*
	Hissar	..	Shri Murari Singh
..	Rohtak	..	Shri R. C. Kapila, I.A.S.
3.	Gurgaon	..	Shri G.D. Malik
4.	Karnal	..	Shri M.R. Vaid
5.	Ambala	..	Shri Munshi Ram
6.	Kangra	..	1. Shri D.N. Dhir
			2. Shri Gurdarshan Singh (at Kulu)
7.	Hoshiarpur	..	Shri Balinder Singh
8.	Jullundur	..	Shri Sunder Singh, I.A.S. (Retired)
9.	Ludhiana	..	Shri B.S. Randhawa

[Home Minister]

10.	Ferozepore	.. Shri Kuldip Singh Virk.
11.	Amritsar	.. Shri Sunder Singh
12.	Gurdas pur	.. Shri K. R. Bahl
13.	Patiala	.. Shri R. P. Ojha, I.A.S.
14.	Sangrur	.. Shri Harphool Singh
15.	Bhatinda	.. Shri Pritam Singh

The Additional Deputy Commissioners have been put in charge of the normal routine administrative work of the districts, but the Deputy Commissioners continue to be finally responsible for the general good administration of the districts. The Deputy Commissioners have further been made specifically and personally responsible for national defence in all respects, in their districts.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी रिपोर्ट मंगवाई है जिस से मालूम हो कि काम की मिकदार वाकई इतनी बढ़ गई है कि डिप्टी कमिश्नरों की दुगनी तादाद जस्टिफाई होती है ?

मंत्री : जी हां, काम की मिकदार इतनी बढ़ गई है ।

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि कौन से काम की मिकदार इतनी बढ़ गई है ?

Minister : Defence efforts.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि डिफेंस ऐफर्ट्स के सिलसिले में एडीशनल डिप्टी कमिश्नर्ज़ क्या काम करते हैं, महीने में कितने दिन दौरा करते हैं ?

मंत्री : जितना काम भी डिफेंस एफर्ट्स से सम्बन्ध रखता है, सिविल डिफेंस, होम गार्डज़, नैशनल डिफेंस फंड के साथ जितने काम सम्बन्ध रखते हैं उन के लिये पब्लिक ओपिनियन आर्गेनाईज़ करना और जितनी भी स्कीमें इस काम से ताल्लुक रखती हैं उन सब के डिप्टी कमिश्नर खुद डाइरैक्टली इंचार्ज हैं और काम करते हैं ।

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि गर्नमेंट को सी.आई.डी. ने इस किस्म की रिपोर्ट की है कि ऐडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ खुद कहते हैं कि हम तो मियरली डिग्नीफाईड क्लर्क्स हैं ?

उपाध्यक्षा : आप के पास सी० आई० डी० की रिपोर्ट कैसे पहुँच जाती है ? (How does the report of the C.I.D. reach the hon. Member?)

Comrade Ram Piara : Madam, what I would like to know from the hon. Home Minister is whether it is a fact that the C. I. D. has reported to the Government that some of the Additional Deputy Commissioners are openly commenting that they are merely dignified clerks .

मंत्री : मेरे नोटिस में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई ।

कामरेड राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि जो काम डिप्टी कमिश्नर्ज़ और एडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ के दरम्यान बांटा गया है उस की नौइयत क्या है ?

मन्त्री : डिफेंस ऐफर्ट्स से जो काम सम्बन्ध रखता है उस का इन्चार्ज डिप्टी कमिश्नर

है । जिले के काम की जिम्मेदारी उस पर है । बाकी जितना काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव साईड से सम्बन्ध रखता है वह ऐडीश्नल डिप्टी कमिश्नर के पास है । ओवरआल इन्चार्ज डिप्टी कमिश्नर ही है ।

Shri Rup Singh 'Phul' : Madam, may I know Whether the Government, is aware of the fact that during the previous two Great Wars no such Additional Deputy Commissioners were appointed ?

Minister : I would need a separate notice. I do not know the additional appointments that were made during the last two Wars.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ।

कामरेड राम चन्द : मैं वज़ीर साहिब से अपने सवाल का जवाब दो हिस्सों में पूछना चाहता हूँ । एक तो यह कि डिफैंस एफर्ट्स के सम्बन्ध में ऐडीश्नल डी. सीज़ को कब तक का काम सौंपा गया है ? दूसरा यह है कि जहां तक डिफैंस एफर्ट्स का सम्बन्ध है यह बराहेरास्त गवर्नमैंट आफ इंडिया का सम्बन्ध है, आया यह सारे इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्ज़ को दिए गये हैं या एडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ को दिए गये हैं ?

मंत्री : पहली बात का तो यह जवाब है कि जहां तक एडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ की मियाद का सवाल है यह हालात पर डिपैंड करता है, यह उस वक्त तक रहेंगे जब तक ऐमरजैंसी है । दूसरी बात का जवाब यह है कि डिफैंस एफर्ट्स का जहां तक सम्बन्ध है वह बहुत हद तक स्टेट गवर्नमैंट की ही ज़िम्मेदारी है । जितनी भी इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमैंट की ज़िम्मेदारी है वह डिप्टी कमिश्नर्ज़ को सौंपी गई है ।

Sardar Gurnam Singh : Do the Government get weekly, fortnightly or monthly reports from the Deputy Commissioners incharge of defence work about the actual defence work done by them ?

Minister : We do get reports from them about the various activities. But I am not sure whether they are weekly or fortnightly.

कामरेड राम चन्द्र : जहां तक ऐमरजैंसी के सम्बन्ध में चंदे इकट्ठे करने का काम है वह बहुत हद तक खत्म हो चुका है, गो ऐमरजैंसी है । इस के साथ ही होम गार्डज़ की जो संस्था है वह सारी बन चुकी है । इस समस्या को महसूस करते हुए क्या गवर्नमैंट बतायेगी कि एडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ की पोस्ट्स को कब तक रखा जायेगा ?

मंत्री : एडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ को उस वक्त तक जारी रखा जायेगा जब तक कि उन की ज़रूरत महसूस की जाएगी । जहां तक डिफैंस फंड की कुलैक्शन का सवाल है यह उन का ख्याल ग़लत है कि कुलैक्शन बंद हो गई है । डिफैंस बांड्ज़ अब भी सेल होते हैं । इस फंड के लिए लोगों से बदस्तूर चंदा आ रहा है ; अभी बंद नहीं हुआ ।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या डिफैंस एफर्ट्स का काम टाप लैवल की मशीनरी यानी ऐडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ के ही सपुर्द है या जो इन के नीचे काम करते हैं जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार या ई. ए. सी. वग़ैरह हैं

[सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों]

उन के सपुर्द है। यह जो आप ने जवाब दिया है इस में लिखा है कि ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर्ज़ हैं और फैक्ट्स यह दिए हैं--

to attend to routine and normal administrative work in the district with a view to relieving the Deputy Commissioners of such work so that they may devote their whole time and attention to the defence work

मंत्री : डिस्ट्रिक्ट के ओवर-आल इंचार्ज होने के नाते सारे काम को आर्गेनाइज़ करना मुख्तलिफ बात है बनिस्बत निचले लैवल की आर्गेनाईज़ेशन के। जितनी भी गवर्नमैंट की स्कीमें हैं जितनी इन्स्ट्रक्शन्ज़ हैं उनको जानना, उन की सारे जिला में इम्पलीमैंट करवाना और इस तरह डिस्ट्रिक्ट लैवल पर सारा काम कराना एक आदमी की जिम्मेदारी हो सकती है और होनी चाहिए। यह ज़रूरी है वरना काम नहीं चल सकता। इसलिये इस काम से डिप्टी कमिश्नर्ज़ को रिलीव करना ज़रूरी था। बाकी एडीशनल तौर पर जो ड्यूटीज़ उन को दे रखी हैं वह उन को डिस्चार्ज कर रहे हैं।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : डिफैंस के मसले पर तो आपने दो डिप्टी कमिश्नर्ज़ कर दिए। जहां सैपेरेशन आफ जुडीशरी ऐंड एग्ज़ैक्टिव का सवाल है क्या उसके बारे में भी आप यह सोचेंगे कि एक और बढ़ा दिया जाए? अगर आप ऐसा करना चाहें तब भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा।

श्री राम किशन : जहां तक होम गार्ड्ज़ और सिविल डिफैंस का ताल्लुक है, होम मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उनके लिए डी. आई. जी. के रैंक के अलग अलग अफसर मुकर्रर किए हैं। इसी तरह डिफैंस एफर्ट्स के सम्बन्ध में स्माल सेविंग्ज़ के लिए भी अलग डाइरेक्टर रखा है। क्या इन सभी बातों और इकानोमी मेयर्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमैंट इस बात के लिए तैयार है कि एडीशनल डिप्टी कमिश्नर्ज़ की पोस्टस को खत्म कर दिया जाए और सारा काम उसी तरह से चलता रहे जैसे पहले चलता था?

मंत्री : जैसा कि मैंने बताया डी. सी. डिस्ट्रिक्ट का ओवर आल इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट की सभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव विंग की कोआर्डीनेटिंग फोर्स होता है। ठीक है कि होम गार्ड्ज़ और सिविल डिफैंस के लिए अलग अलग कमांडैंट्स भी मुकर्रर किए हुए हैं लेकिन हर बात की कोआर्डीनेशन करने के लिए, डिफैंस के सिलसिले में डिफ्रैंट टाइप्स से पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करने, मुनासिब डाइरैक्शन्ज़ देने और सारा काम आर्गेनाइज़ करने से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातें डिप्टी कमिश्नर्ज़ के परविय् की बातें हैं। इसी के लिये एडीशनल डिप्टी कमिश्नर्ज़ रखने पड़े। इसी तरह जैसा कि आनरेबल मैम्बर साहिबान जानते हैं और जैसा कि मैं ने अभी अभी बताया है डिस्ट्रिक्ट के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्ज़ की कोआर्डीनेशन ऐंड कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं। वही अलग अलग विभागों की, जो कि डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, कंट्रोलिंग अथारिटी होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था एडीशनल डिप्टी कमिश्नर्ज़ को गवर्नमैंट सिर्फ़ उसी वक्त तक रखेगी जब तक कि उन की ज़रूरत होगी या जिस वक्त एमरजैंसी के सिलसिले में डिफैंस ऐफर्ट्स की ज़रूरत महसूस नहीं की जाएगी।

श्रीमती सरला देवी : क्या गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में एक डी. सी. के अलावा दो-दो एडीशनल डिप्टी कमिश्नर्ज़ भी हैं ?

मंत्री : सिर्फ एक ज़िला है—कांगड़ा।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी पहला ही सवाल चल रहा है जब कि 15 मिनट का समय बीत चुका है। अभी 28 फरवरी की ही लिस्ट चल रही है। क्या सप्लिमैंट्रीज़ को लिमिट नहीं किया जा सकता ?

उपाध्यक्षा : सब से ज्यादा सप्लिमैंट्रीज़ आपोज़ीशन की तरफ से ही होती है। However, I will have to fix some time limit. I will put the limit on this question. I will also put a limit on the hon. Member. (Maximum number of supplementaries is put by the opposition. However, I will have to fix some time limit. I will put the limit on this question. I will also put a limit on the hon. Member.)

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि ऐडीश्नल डिप्टी कमिश्नर्ज़ की अप्वाइंटमैंट के बाद उन में और औरिजनल डी. सीज़ में महकमों की जो तक्सीम हुई है इस से एडमिनिस्ट्रेटिव ऐफीशैंसी बढ़ी है या उसके अन्दर कोई कमी वाक्या हुई है ?

मंत्री : एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशैंसी में कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा जो डिफैंस एफर्टस का काम है वह भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।

DONATIONS TOWARDS NATIONAL DEFENCE FUND

***2408. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of money, gold, land and other material donated separately up to date towards the National Defence Fund in the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is laid on the Table.

Donation towards National Defence Fund up to 18th February, 1963

Money	..	Rs. 5,60,56,285
Gold	..	172,921 Grams
Land	...	1,611 acres 479 bighas 1 kanal and 3 marlas

Other Material

Woollens.—34,117 blankets (including 22,557 presented by Government), 18,112 mufflers (including 8,000 presented by Government), 30,911 jerseys, 57,368 pairs of socks, 18,177 pairs of gloves, 14,300 pullovers, 4,044 sweaters, 1 overcoat, 4 coats, 575 mittens, 5,062 caps, 5,686 Balaclava, 12,139 cap-comforters, 1,100 lb of woolen yarn, 866½lb of wool, 251 vests flannel, 200 snow-jackets, 90 woollen-padded jackets and woollen purchase funds Rs. 24,416.

Cotton articles and garments.—10,708 turbans, 90 thaan, 30 bales and 2,150 metres of turban cloth, 2,969 jackets, 2 coats, 105 kurtas, 4,784 pyjamas and pyjama suits, 224 bed-durries, 3,262 quilts, 31 quilt-covers, 680 vests, 6,139 pillow-covers, 44,003 yards

]Chief Minister]

and 4 bales of cloth, 5,093 bed-sheets, 4,607 bush-shirts/shirts, 7 bales of cotton, 1,308 cotton-padded jackets, 1,049 sleeping-bags, 30 bandis, 14 cardigans for nurses, 33,960 under-wears. 101 waist coats, 83 pillows, 561 pillow slopes, 8 pieces of Rasin cloth, 22 mattresses, 119 towels and 7,587 under pants.

Medicines/Medical appliances and apparatuses.—53 phials of pencillin, 12,000 capsules of Gurcomycetin, 1,600 capsules of Virsamycin, 5,000 tablets of sulphaguanidin 6,000 tablets of vitamin B complex, 7 pairs of surgical scissors, 8 thermometers, 10 electric heater bowls, 5 First -aid Boxes, 2 pneumatic rubbers, 101 hot water bottles, 1 fracture case, 100 camphor oil injections, 3 tubes pencillin ointment, 10 vials dumex P.P.F.., 1,004 bandages, 4 packets of sterilized cotton, 1 surgical case and 12 ampoules of Hexamine Injection.

Arms/Ammunitions.—20 revolvers, 24 dummy rifles, 4 rifles, 4 pistols, 5 guns, 25 rounds and 269 cartridges.

Automobiles.—2 cars, 2 jeeps, 1 saloon and 1 motor cycle.

Miscellaneous.—5,400 lb. of skimmed milk, 5,000 lb. of peas/beans, 2 bottles of honey, 8,546 and 2 cases of books, 17 gunny bags of journals and 2,606 magazines, 43 sewing-machines, 12 pairs of hoses, 2 compasses, 3 buffaloes, 387 packets of gur-coated gram, 12 sets of chess-boards and chessmen, 49 pairs of knitting needles, 23 crochets, 300 pencils, 218 kilogrames and 17 boxes of washing soap, 2 cases and 2,196 cakes of toilet soap, 300 self-inking pencils, 2,431 kilograms, 2 boxes, 132 packets, 1 case and 1 tin of dry fruit, 18 tins of ovaltine/bournvita, 2 cycles, 54 stoves including 20 presented by Government, 30 big knives, 5 watches, 31 radio and transister sets, 1 gramophone, 86,964 combs, 10 disc harrows, 1,178 tooth-brushes, 708 tooth-pastes, 63 packets and 57 kilograms of tea, 1 flour mill engine, 54,700 cigarettes, 6,000 Bidis, 4,188 match-boxes 21,484 bottles of fixo, 15,253 beard nets, 69 packets of salted nuts 1, 285 tins and 1,025 kilograms of pickle, 144 tins of milk-powder, 1,364 kilograms, 2 big tins, 51 small tins, 1 box, 4 packages and 50 lb of sweets, 86 toffee boxes 4 big tins of salted sewian-mongra, 7 gunny bags and 952 kilogrames of groundnuts, 253½ maunds of charcoal, 31,228 Gutkas, 10 Ramayans, 10 Gitas, 7,493 kilograms of gur, 32,221 eggs, 4,597 kilograms of reorian, 8,140 blades, 582 packets , 50 tins and 2,202 loose and 138 kilograms of biscuits, 2,692 and 2 packages of kadas 300 empty bottles, 124 beds and other amenities for Jawans costing Rs. 40,000 , 135 bags, 1 ice cap rubber, 1 bed cushion, 2 fly killers, two trunks, 20 maunds and 1,740 bottles of Sarson oil, 4 looking-glasses, 2 handkerchiefs, 3 goats, 5 carpets, 2 bottles of hair-oil, 128 pairs slippers, 100 writing-pads, 1 yak, 564 shaving-sticks, 550 shaving-brushes, 565 safety razors, 106 diaries, 1 package of tomato sauce, 8 tins of murabba, 340 mugs, 702 small tins of boot polish, 24 bottles of shampoo, 12 battery cells, 786 torches, 300 soup-plates, 352 tables, 346 chairs, 24 packets of aggarbatties, 48 packets of playing-cards, 1 tin of tinned fruit and 100 haversacks.

श्री मंगल सेन : जो स्टेटमैंट मुझे दी गई है उसके अन्दर "ऑटोमोबाईल्ज़" के पैरा में बताया गया है दो कारें, दो जीपें, एक सैलून और मोटर साइकल मिला और इसी तरह "मिस्लेनीयस" के पैरा में बताया गया है कि लोगों ने बहुत सी चीज़ें नैश्नल डिफैंस फंड में कंट्रीब्यूट की हैं। क्या गृह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन सभी चीज़ों का सरकार किस प्रकार से प्रयोग करेगी ?

मंत्री : यह जितनी कुलैक्शन्ज़ होती हैं वह हम गवर्नमैंट आफ इंडिया के डिफैंस डिपार्टमैंट को हैंड ओवर कर देते हैं।

श्री मंगल सेन : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सब चीज़ें गवर्नमैंट आफ इंडिया के डिफैंस डिपार्टमैंट को हैंड ओवर कर दी गई हैं ?

मंत्री : मेरे पास इस वक्त उन सब आइटम्ज़ की तफसील नहीं है।

श्री मंगलसेन : जब मिनिस्टर साहिब ने स्पैसिफिकली बताया है कि यह सब चीजें डिफैंस डिपार्टमैंट को भेज दी जाती हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि सारा सामान उन को भेज दिया है या नहीं। या जैसे 17 सैक्टर में जीपें सड़ रही हैं वैसे सड़ रहा है।

मंत्री : मैं ने पहले ही अर्ज़ किया है कि मुझे अलहदा २ आइटम्ज का पता नहीं। अगर आनरेबल मैम्बर यह जानना चाहते हैं तो सैपेरेट नोटिस दें।

STARRED QUESTION NO. 2506.

Shri Jagan Nath : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। यह सवाल पोस्टपोन नहीं होना चाहिये था।

Deputy Speaker : It is no point of Order. The hon. Member should please take his seat.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, will the hon. Minister be able to reply to this Question within five days ?

Deputy Speaker : Next Question Please.

HARIJAN MEMBERS IN CERTAIN COMMITTEES FORMED SINCE PROCLAMATION OF EMERGENCY

***2507. Shri Jagan Nath** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Harijan Members in each of the following Committees and Councils formed at State level after the proclamation of emergency in November, 1962 :—

(a) State Defence Council ;
(b) State Citizen's Committee ;
(c) State Advisory Committee, and
(d) Legislatures Defence Committees ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a) None
(b) Two
(c) None
(d) None

श्री जगन्नाथ : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह कमेटी बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

मंत्री : जहां जो कम्पीटैंटली और यूज़फुली काम कर सकता है इस बात का ख्याल रखा है।

श्री जगन्नाथ : क्या हरिजनों के अन्दर आप को कोई योग्य आदमी नहीं मिले जो इस कमेटी में लिए जा सकते थे ?

मंत्री : हम ने क्लासवाइज़ बात को नहीं सोचा। हम ने तो जो यूज़फुली काम आ सकता था उस को लिया है।

ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ?

ਮੰਤਰੀ : ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Home Minister kindly state whether any T. A. or D.A. was drawn by the Legislatures Defence Committee?

Minister : I cannot give the reply off hand. A separate notice may be given.

Sardar Gurnam Singh : Is the non-inclusion of Harijans in these Committees due to the fact that their utility after the elections ceases ?

Minister : No, not at all. According to my information, there are two Harijan Members in the State Citizen's Committee, but my colleague, Shri Gurbanta Singh, tells me that there are four. I am, however, not sure about it.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know whether it is a fact that Harijans have been ignored, because the Government feel that they are not quite important for defence purposes ?

Minister : No, that is wrong.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि क्या अब भी इन चारों कमेटियों में हरिजनों के नुमायंदे इनक्लूड करने के सवाल पर विचार करेंगे ?

Deputy Speaker : No, please.

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम। सवाल का जवाब देते हुए पहले उन्हों ने कहा है कि स्टेट सिटीज़न्ज़ कमेटी के दो मैम्बर हरिजन हैं। लेकिन बाद में जब उन के कोलीग ने उन्हें बताया कि ज्यादा हैं तब होम मिनिस्टर साहिब ने बताया कि दो नहीं, चार हैं तो दोनों बातों में से कौन सी ठीक है ?

उपाध्यक्षा : हो सकता है कि इस बारे में उन्हें सही इनफरमेशन लेट मिली हो और बाद में इस नम्बर में एडीशन हो गई हो। (It is just possible that the hon. Minister may have received the correct information late and in the meantime the number may have been increased.)

कामरेड राम प्यारा : मेरा सवाल तो यह है कि हाउस किस वरशन को ठीक समझे ? यह कुमिट करें कि कौन सी इनफरमेशन ठीक है ?

मंत्री : मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि मेरे पास जो रिप्लाई आया हुआ है यह उस वक्त का तैयार हुआ है जिस वक्त यह सवाल आया था। इस के मुताबिक यह तादाद दी है। लेकिन अभी अभी मास्टर जी ने बतलाया है कि श्री चान्द राम का नाम बाद में ऐड किया गया है जो इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है कि इसी तरह से किसी और हरिजन का नाम भी बाद में ऐड हो गया हो।

INSTALLATION OF A PADDY SHELLER IN VILLAGE MAKHU, TEHSIL ZIRA, DISTRICT FEROZEPORE

*1232. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** (Put by Comrade Gurbax Singh Dhaliwal) : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of applications received during 1962-63 for the installation of a paddy sheller in village Makhu, tehsil Zira, district Ferozepore ;

(b) whether any licence for the installation of the said paddyshelle r has been granted ; if so, to whom ?

Shri Mohan Lal: (Home Minister) (a) Only one application was received.

(b) Yes, to Shri Mehtab Singh.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਸ਼ੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਤਨੀ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੈਲਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰਜ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know whether it is a fact that the licence for it is given to those who have already been working in this line and not to the new comers ?

Minister : There is a difference between a sheller and a huller. In the case of a huller, the policy is not to give a licence except in cases where the persons concerned have been working earlier than 1958. In the case of a sheller, it is not so because of the procurement policy of the Govenment of India. The procurement is effected through shellers only. A sheller has a bigger capacity of production, whereas a huller is a small machine which can be located anywhere. So the policy that I have stated, relates to hullers only.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਲਰਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ 1958 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਰਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ

[ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ]

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲਰਜ਼ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਡੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਹਸਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

LOANS AND GRANTS FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

***1822. Babu Ajit Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total amount of grants and loans given for Industrial development in the public sector and in private sector in the State, separately, during the Second Five-Year Plan ;

(b) the total amount of grant and loans given for Cottage Industries and large-scale industries, respectively, during the said period ;

(c) the total amounts of grants and loans referred to in parts (a) above and (b) above, given to the members of the Scheduled Castes in the State, districtwise?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

		Rs
(a) Public Sector		Nil
Private Sector—		
Loan	..	2,52,59,710
Grant	..	3,16,385
(b) Loans—		
Cottage & Small-Scale	..	2,39,85,775
Large-scale	..	12,73,935
Grants—		
Cottage & Small-scale Industries	..	3,16,385
Large-scale Industries		Nil

(c)

	District		*Loan*	*Grant*
				Rs
1	Hissar	..	4,07,325	..
2	Rohtak	..	3,07,200	3,500
3	Gurgaon	..	1,19,950	2,000

	District		Loan	Grant
4	Karnal	..	4,28,850	9,700
5	Ambala	..	2,39,833	500
6	Simla	..	7,500	..
7	Kangra	..	60,515	9,700
	(a) Kulu	..	14,600	..
8	Hoshiarpur	..	3,01,950	3,600
9	Jullundur	..	1,69,400	10,000
10	Ludhiana	..	62,700	..
11	Ferozepore	..	1,05,100	400
12	Amritsar	..	93,000	..
13	Gurdaspur	..	82,650	18,400
14	Patiala	..	1,86,500	8,350
15	Sangrur	..	2,45,150	..
16	Bhatinda	..	66,900	..
17	Kapurthala	..	47,000	2,100
18	Mohindergarh	..	2,74,350	1,200
	Total	..	32,20,473	69,450

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਜੋ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਤਨੇ ਘਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਅਗੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲੋਨਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਲੋਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਨ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस रकम में से हिन्दी रिजन को कितनी दी गई है ?

मंत्री : मेरे पास इस वक्त ब्रेक अप नहीं है, नोटिस दें तो बता सकूंगा ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 4 ਲਖ ਰੁਪਿਆ, ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ 3 ਲਖ, ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ 4 ਲਖ, ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ 2½ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 62,700 ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਫ ਹੈਂਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ।

श्री अमर सिंह : हर जिले में हरिजनों ने हज़ारों रुपये अर्ज़ियों पर खर्च किये हैं और यह कहते हैं कि अर्ज़ी आने पर फैसला किया जाता है । मेरे पास ऐसा रिकार्ड है कि हिसार जिले में हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री लगाने के लिए कर्ज़ लेने के लिए अर्ज़ियां दी गईं मगर कर्ज़ मिला है सिर्फ चंद एक को ही ।

उपाध्यक्षा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि ज़िलावार इनफर्मेशन उन के पास नहीं है । (The hon. Minister has already replied that he has not got the district-wise information of the applications received.)

श्री अमर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि हरिजनों के लिये उन की आबादी की परसैंटेज के मुताबिक इन्डस्ट्री इन्सटाल करने के लिये रैज़रवेशन करेंगे ?

मंत्री : मैं हाउस की वाकफियत के लिए यह बता दूं कि अभी अभी जो मैम्बर साहिब ने हवाला दिया है वह शायद उन कर्ज़ों के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं जो कि बिना सिक्योरिटी के परसनल बौंड पर दिये जाते हैं । इस की हद पहले एक हज़ार थी मगर बाद में दो हज़ार कर दी गई थी । हर जिले के लिये इस के बारे में जुदा जुदा हद मुकर्रर होती है कि कुल इतना कर्ज़ फलां ज़िले को बिना सिक्योरिटी के दिया जायेगा । चूंकि इस में कोई ज़मानत नहीं देनी पड़ती तो बहुत अर्ज़ियां आ जाती हैं । सरकार ने इन्डस्ट्री के लिए कर्ज़ देने के सिलसिले में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ मुकर्रर कर रखी हैं । एक तो जिस का मैं ने अभी ज़िक्र किया । दूसरी है ज़िला लैवल पर दो हज़ार रुपए तक जिस के लिये मैम्बर साहिबान की ऐडवाइज़री कमेटी बनी हुई है । इस के अलावा 5 हज़ार रुपए तक डायरैक्टर इन्डस्ट्री देते हैं । उस के बाद बोर्ड बना हुआ है । इस तरह से यह मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं और इन के लिए जुदा जुदा टार्गेट्स मुकर्रर हैं ।

चौधरी देवी लाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या अर्ज़ी देने के लिए कोई फार्म है जिस में कि लोनी का ऐड्रेस वगैरह लिखा जाता है और क्या उस की तसदीक की जाती है कि उस की माली हालत कैसी है ?

मंत्री : मैं ने ज़िक्र किया है कि जो लोन बगैर किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है । उस में किसी लैजिसलेटर या और ज़िम्मेदार पब्लिक मैन या जो दूसरे प्रैस्क्राइब्ड लोग हैं उन से तसदीक करानी पड़ती है उस की क्रैडिट वर्दीनैस के मुताल्लिक ।

चौधरी देवी लाल : पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस में यह ज़ाहिर किया गया है कि जिन लोगों को 40 लाख रुपए कर्ज दिया गया था उन का पता नहीं चलता कि वह कहां हैं। इस की क्या वजह है ?

मंत्री : यह सूचना मेरे पास नहीं है, इस के लिये नोटिस दें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि कर्ज़ देने के लिये ज़िला लैवल पर ऐडवाइज़री कमेटियां बनी हुई हैं। क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या गुज़श्ता साल में इन की मीटिंगें हुईं ? मेरे ज़िले में तो हुई नहीं दूसरे ज़िलों का मुझे पता नहीं है।

मंत्री : इस वक्त मुझे इस बारे में सूचना नहीं है। मैं ने जो कहा है वह उस बैकग्राउंड से कहा जब मैं इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर था। मौजूदा पोज़ीशन का मुझे इल्म नहीं है। इस के लिए नोटिस दें।

ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 32 ਲਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਜੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

NON-AVAILABILITY OF IRON SHEET PERMITS AT ROHTAK

***2375. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have recently received any complaints from the residents of Rohtak regarding the non-availability of iron sheet permits; if so, what action, if any, Government propose to take in the matter ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : Yes. Due to the situation created by the national emergency, fresh supplies of sheets for civil consumption are not being received at present. Limited available stocks are, however, being utilized for meeting emergent requirements.

श्री मंगल सेन : मेरे सवाल के पहले हिस्से के जवाब में होम मिनिस्टर साहिब ने तसलीम किया है कि हां ऐसी कम्पलेंट्स आई हैं--उन्हें चादरों के बारे में ग्रीवैन्सिज़ और शिकायतें मिली हैं। क्या जब तक नैशनल एमरजैंसी रहेगी जो चादरों की जैनुइन डिमांड्ज़ होंगी वे मीट करने के लिये बिल्कुल नहीं देंगे ?

मंत्री : पोज़ीशन इस तरह है--जी. सी. शीटस की डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमैंट आफ इंडिया के ज़रिए कंट्रोल्ड है। जो आपकी मिल्ज़ में उसकी प्रोडक्शन होती है उनकी एलोकेशन वह करते हैं। अब इस वक्त चूंकि डिफैंस के लिए बड़ी ज़रूरत है इस लिए उन्होंने इसका सिविल कोटा बिल्कुल कट कर दिया है। सिवाए इस के कि थोड़ी बहुत एमरजैंट नीड्ज़ के लिये बहुत थोड़ा कोटा दिया है। इस लिए इस मामले में स्टेट हैल्पलैस है। गवर्नमैंट आफ इंडिया से जितना कोटा आएगा, जिस परपज़ के लिये आए उसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब के नोटिस में आया है कि लोगों को जी. सी. शीटस के परमिट नहीं मिल रहे लेकिन मार्किट में बग़ैर परमिट के यह शीटस मिलती हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਐਸੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

श्री मंगल सैन : होम मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि इनकी गवर्नमैंट स्टेट गवर्नमैंट हैल्पलैस है। इसे गवर्नमैंट ग्राफ इंडिया कंट्रोल करती है।

उपाध्यक्षा : जो उन्हों ने कहा है वह न बतायें फरदर पूछिए । (The hon. Member should not please repeat what the hon. Minister has said. He may please ask further supplementaries.)

श्री मंगल सैन : जो उन्हों ने कहा है उसी में से बात कहना चाहता हूँ ।

मंत्री : कहिए ।

श्री मंगल सेन : मैं आप के द्वारा होम मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि यह सरकार लाचार है, मजबूर है और बेबस है। इन्हों ने कहा है कि गवर्नमैंट ग्राफ इंडिया कंट्रोल करती है और जैसे वे देंगे उसके मुताबक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चूंकि लिमिटिड सा कोटा सिविल यूज़ के लिये रखा जाता है। मैं आपके द्वारा होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि जो इस कम्पलेंट में बात दर्ज है वह यह है कि रोहतक वालों ने कम्पलेंट की है कि मुकर्रा कोटा में से नहीं मिला, इसकी क्या वजह है ?

मंत्री : मैं ने तो समझाने का यत्न किया है, पता नहीं क्या बात है। अब मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। 1961-62 के पहले क्वार्टर में इस स्टेट का जी. सी. शीट्स का कोटा 3,723 टन था ; दूसरे क्वार्टर में भी 3,723 टन था। लेकिन 1962-63 के पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में स्टेट को कोई कोटा नहीं मिला। इस वक्त 250 टन मंथली देते हैं। कहां 4,000 टन और कहां 250 टन। सिविल कन्ज़म्पशन की ज़रूरत में ज़रूर दिक्कत आ रही होगी। सिविल पापूलेशन सफर करती है। यह डिफेंस के लिए चाहिए ; हमारी मजबूरी है। जितनी प्रोडक्शन इस वक्त आपकी मिल्ज़ में हो रही है that is going to the defence. Madam, I think, in view of the national needs this point should not be pressed further.

श्री मंगल सैन : मैं होम मिनिस्टर साहिब से यही कहना चाहता हूँ कि जो जैनुइन केसिज़ हैं उनको परमिट दिया करें और सख़्ती कम करें।

TEACHERS OF PROVINCIALIZED SCHOOLS IN THE STATE

***2024. Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the matter of fixation of seniority amongst the cadre of the teachers/masters of the provincialized/nationalized schools and those of the Government schools in the State has been finalized ; if so, the details there of ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : No. These lists are being finalized expeditiously.

Shri Rup Singh Phul : How long will it take to finalize this matter ?

Home Minister : Madam, I cannot make any definite commitment, but what I know is that the work is proceeding very expeditiously and it will be done as soon as it is practicable.

Deputy Speaker : Next question, please.

J.B.T. CLASSES

***2194. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of trainees in J.B.T. classes in State as at present ;

(b) whether untrained teachers working at present in various schools are proposed to be given any preference at the time of admission to J.B.T. classes; if so, to what extent ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a) 24,125 (in both classes of J.B.T.).

(b) An untrained teacher is given the following benefits only in the matter of recurring admission to J.B.T. class :—

(i) He is given three marks for each year's teaching experience upto a maximu m of 6 marks in the interview for admission.

(ii) if he is a Matric third Division and has to his credit three year s' service in a Government or recognized educational institution, he is considered for admission in relaxation of the educational qualification of Matric Second Division, provided First and Second Division Matriculates are not available in sufficient number.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि जे. बी. टी. अनट्रेंड टीचर्ज़ के लिए जो पहला कायदा था कि उन्हें स्टडी लीव दी जाती थी और साथ ½ pay भी दी जाती थी क्या वह अब भी मौजूद है ?

मंत्री : यह मुझे इल्म नहीं है। इस के लिये सैपेरेट नोटिस चाहिए।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : जो अनट्रेंड टीचर्ज़ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और जो गवर्नमैंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन में कोई फर्क तो नहीं रह जाएगा ?

मंत्री : गवर्नमैंट स्कूलों में और रेकगनाइज्ड इंस्टीच्यूशन्ज़ में फर्क नहीं है।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि जो ट्रेनीज़ हैं उनके निकलने के बाद अनट्रेंड टीचर्ज़ का मसला हल हो जाएगा ?

Minister: I cann't say.

MID-DAY MEALS FOR PRIMARY SCHOOLS CHILDREN

***2252. Comrade Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any arrangements have recently been made for the supply of mid-day meals to the primary schools students in the State ;

(b) if the reply to part (a) be in the affirmative, the number of students being benefited by the said Scheme at present and the average expenditure incurred per head per month ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a) Yes. Milk is distributed to school children of primary classes in 81 Development Blocks.

(b) (i) 5,19,445 students.

(ii) Rs 5.04 per head per month.

कामरेड राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इन्होंने मिल्क सप्लाई के बारे में बताया है और मेरा सवाल मिड-डे मील्ज़ के बारे में था तो क्या प्राइमरी स्कूलों के स्टूडैंट्स को मिड-डे मीलज़ सप्लाई की जाती है ?

मंत्री : यह जो मिल्क सप्लाई किया जाता है यह मिड-डे मील्ज़ की स्कीम में ही शामिल है। स्कीम वही है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know the criteria for selecting these eighty-one blocks for the supply of milk ?

Home Minister : Madam, I cannot give this information off hand and would need a separate notice.

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

कामरेड राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि तीसरी पांच साला प्लैन में प्लैनिंग कमिशन की हिदायात आई हैं कि अल्टिमेट्ली तमाम स्कूलों के बच्चों को मिड-डे मील्ज़ सप्लाई किए जाएं ?

मंत्री : आप सैपरेट नोटिस दें तो पता कर लूंगा । दरहकीकत मुझे इस वक्त पता नहीं कि प्लैनिंग कमिशन की तरफ से कोई इंसट्रक्शन्ज़ आई हैं या नहीं ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह जो कंडैन्स्ड या पाउडर मिल्क बच्चों को दिया जाता है यह शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद भी है या नहीं ?

मंत्री : यह दूध बहुत अच्छा और नीट होता है और सेहत के लिए भी अच्छा है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma ; May I know whether it is the Punjab Government that supplies this milk or it is the one that is received from America ?

Minister : This is the milk supplied by the institution kown as Co-operation for American Relief Everywhere, free of cost. The brief name of this institution is CARE.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know if thePunjab Government is spending anything on this scheme ?

Minister : The Punjab Government is spending Rs 5,43,000 on the scheme.

श्री जगन्नाथ : क्या होम मिनिस्टर बतायेंगे कि पाउडर्ड मिल्क की जगह गाए का दूध देने में क्या हर्ज है ?

मंत्री : हमें आज कल दूध Care वालों से मुफत मिल रहा है जो हम तकसीम करते हैं । इसके साथ कुछ ट्रांस्पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च किया जाता है यह क्योंकि लाखों रुपए की मदद दूध की शक्ल में मिल रही है इस लिए इसे अपना लिया है । वैसे गाए का दूध अच्छा है अगर मिल जाए तो ।

कामरेड राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जो 5 लाख के करीब स्टूडैंट्स इस जद में आते हैं क्या तीसरे पांच साला प्लैन के आखर तक बाकी के स्टूडैंट्स भी इस स्कीम के अधीन आ जायेंगे और पंजाब के दूसरे ब्लाक्स भी कवर हो जाएंगे ?

मंत्री : गवर्नमैंट ऐसा इरादा रखती है ।

Deputy Speaker : Next question please.

श्रीमती सरला देवी : Supplementary madam.

उपाध्यक्षा : मैं ने अगला सवाल take up कर लिया है, इस लिए अब पिछले सवाल पर सप्लिमैंट्री नहीं पूछा जा सकता। (I have called the next question. The supplementary on a previous question, therefore, cannot be asked.)

ORGANISATION OF LABOUR AND SOCIAL SERVICE CAMP FOR UNDER-GRADUATE UNIVERSITY STUDENTS

***2253. Shri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any arrangements have been made by Government for organising Labour and Social Service Camps for the under-Graduate University Students, if so, what ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (1) Yes.

(2) Three types of camps, viz., Junior Camps for boy students (aged 13 to 16 years), Senior Camps for boy students (16 and above), and *Local Students Camps* for boys and girls between the ages of 13 to 16 years, and 14 to 16 years, respectively, are arranged.

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जितने कैम्पस का और डिफ़ैंट एज ग्रुप्स का उन्होंने ज़िक्र किया है वह कितने कैम्पस लगाए गए और कितने स्टूडैंट्स ने फायदा उठाया ?

मंत्री : यह तादाद तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर सैपेरेट नोटिस दें तो बतला सकता हूँ।

चौधरी नेत राम : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जैसे तालीम के सम्बन्ध में ग़रीबों के बच्चों और अमीरों के बच्चों के स्कूलों में मतभेद रखा हुआ है, वैसे ही यह दूध की सप्लाई भी क्या अमीरों के बच्चों के लिए होगी या ग़रीब लोगों के बच्चों को भी दूध मिलेगा ?

मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, दर असल मैम्बर साहिब कुछ उखड़ से गए हैं। यह सवाल जिस की बाबत इन्होंने पूछा है, वह तो पीछे रह गया। अब तो उससे अगला सवाल चल रहा है। अब चूंकि इन्होंने पूछा है, इसलिये आप की इजाज़त से मैं उन को बताना चाहता हूँ कि उनको कोई ग़लतफ़हमी हुई मालूम होती है। यह जो मिल्क की सप्लाई की जाती है यह ब्लाक्स में रुरल एरियाज़ में होती है जहां पर आम तौर पर देहात के ग़रीब बच्चों को फायदा होता है। इसलिये इसमें अमीर लोगों के बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता। 81 ब्लाक्स हैं और वह सब देहातों में ही हैं।

श्रीमती सरला देवी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। जब पिछले सवाल पर मैं सप्लिमैंट्री क्वैस्चन पूछना चाहती थी तो आपने कहा था कि जब आपने अगला सवाल. टेक अप कर लिया है तो उसपर सप्लिमैंट्री क्वैस्चन नहीं पूछा जा सकता। अब मिनिस्टर साहिब ने इस सवाल के दौरान भी पिछले सवाल की बाबत जवाब दिया है। क्या यह रूल्ज़ के मुताबिक ठीक था ?

उपाध्यक्षा : मैंने देखा है कि जब कोई बात चल रही होती है तो कुछ आनरेबल मैम्बर आपस में बातों में लगे रहते हैं और जब अगली बात हो रही होती है तो उन्हें पिछली बात के सिलसिले में ख़्याल आ जाता है। मैं आप से कहूँगी कि आप मेहरबानी करके ध्यान से बैठें। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरी यह कोशिश रहती है कि किसी भी आनरेबल मैम्बर को यह कहने का मौका न दूं कि उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। (I have observed that certain hon. Members go on talking amongst themselves. When a question is taken up and they are reminded of it only when this House passes on to the next one. I would request them to be attentive. So far as I am concerned, it has been my endeavour to see that no member complains of not having been provided with an opportunity to express his/her views on the subject.)

श्री राम किशन : क्या गृह मन्त्री जी फरमायेंगे कि उन्हें मुख्तलिफ इंस्टीच्यूशन्ज़ के प्रिंसीपल्ज़ की तरफ से कोई रिपोर्टस मिलीं जिन में उन्हों ने कहा हो कि ये कैम्प्स मुफीद नहीं हैं और इन्हें बन्द कर दिया जाए ?

मंत्री : मैं रिपोर्ट्स के मुताल्लिक तो नहीं कह सकता कि एसी रिपोर्ट्स आईं या नहीं—एसी कोई इनफरमेशन मेरे पास नहीं—लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ यह कैम्प काफी यूज़फुल साबित हुए हैं ।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि अगर गवर्नमैंट के प्वायंट आफ व्यू से ये कैम्प मुफीद साबित हुए हैं तो क्या एसे कैम्पस को आइन्दा जारी रखा जाएगा? अगर ऐसा है तो इस साल के आखिर तक कितने कैम्प लगाए जायेंगे?

मंत्री : तादाद तो नहीं बता सकता लेकिन ऐसे कैम्प दो तरह से लगाए जा रहे हैं—एक तो गवर्नमैंट आफ इंडिया के पैटर्न पर भारत सेवक समाज लगाता है और दूसरे स्कूल्ज़ लगाते हैं ।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि पंजाब गवर्नमैंट की तरफ से भारत सेवक समाज को ये कैम्प आर्गेनाईज़ करने के लिये किस हद तक फंड्ज़ की कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है और गवर्नमैंट आफ इंडिया क्या कंट्रीब्यूशन देती है ?

मंत्री : इसकी बाबत तो पूरी इन्फरमेशन मेरे पास नहीं है । अगर आप सैपरेट नोटिस देंगे तो पता करके बताया जा सकता है ।

श्री राम किशन : क्या मन्त्री महोदय फरमायेंगे कि ऐसे कैम्प लगाने के सम्बन्ध में युनैस्को से ग्रांट मिल सकती है ? अगर मिल सकती है तो क्या उस ग्रांट को हासिल किया गया और किया गया तो किस हद तक ?

मंत्री : इस की बाबत भी मेरे पास इन्फरमेशन मौजूद नहीं । नोटिस भेज दीजिए । पता करके बता दिया जाएगा ।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि जो कैम्प गवर्नमैंट लगवाती है उन को आर्गेनाईज़ करने में पंजाब गवर्नमैंट और मिनिस्ट्री आफ ऐजूकेशन, गवर्नमैंट आफ इंडिया की किस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन होती है ? क्या किसी प्रोपोर्शन से ये कैम्प लगाए जाते हैं या आप अलग लगाते हैं और सैंट्रल गवर्नमैंट अलग लगवाती है ?

मंत्री : इन कैम्प्स के मुताल्लिक मेरे पास ब्रेक-अप नहीं है । इसके लिये सैपरेट नोटिस दीजिए तो पता कर लिया जाएगा ।

TRANSFERS OF SCHOOL TEACHERS/MASTERS FROM THE AREAS OF NARNAUND AND HANSI ASSEMBLY CONSTITUENCIES

***2280. Shri Amar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any school masters and teachers were transferred from the areas of Narnaund and Hansi Assembly Constituencies during the period from 1st November, 1962 to 31st January, 1963 ; if so, their names ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the reasons for which the said transfers were made contrary to Government instructions on the subject of transfer ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a) Yes. (1) Shri Sheodhan, Teacher, Government High School, Thurana, Tehsil Hansi.

(2) Shri Roshan Lal Sharma, Teacher, Government Primary Schhool, Bodh Chappal, Tehsil Hansi.

(3) Shri Raghbir Singh, Head Teacher, Government Primary School, Prithi Nangal Klan, Tehsil Hansi.

(b) On administrative grounds.

श्री अमर सिंह : क्या होम मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि पिछले साल इस हाउस में यह कहा गया था कि साल के आखिर में कोई ट्रांस्फर नहीं की जायेगी मगर दिसंबर के महीने में तीन टीचर्ज़ की ट्रांस्फर की गई ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आया यह एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्ज़ पर की गई हैं ?

मंत्री : नार्मली अब भी यही पालिसी है कि अप्रैल से दिसम्बर तक कोई ट्रांस्फर नहीं की जाती लेकिन कई दफा ऐसी वजूहात हो जाती हैं, किसी की शिकायत आ जाती है या कोई और वजह होती है तो उस की ट्रांस्फर करना ज़रूरी होता है । ऐसा सब कुछ देख कर ट्रांस्फर की जाती है ।

श्री अमर सिंह : मैं वज़ीर साहिब से यह पूछना चाहता हूँ कि जिन नारनौंद और हांसी के 3 टीचर्ज़ की शिकायतें आईं थीं वह कोई खास वजुहात थीं कि खास शख्स के कहने पर की गई थीं ।

मंत्री : पूरी डीटेल तो मैं इस वक्त दे नहीं सकता ; हां, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एजूकेशन डिपार्टमैंट को यह शिकायात आईं थीं जिन की बिना पर उन की ट्रांस्फर की गईं थीं ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਦਾਖਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या गृह मन्त्री यह बतायेंगे कि ऐसी मिसालें भी मेरे पास हैं कि डी. आई. और डी. पी. आई. कें महकमे की कोई शिकायात नहीं मगर कांग्रेस के एक चौधरी, जो कि स्टेट मिनिस्टर थे, के कहने पर उस को तबदील कर दिया गया, जबकि उस के खिलाफ कोई सीरियस शिकायात नहीं थीं ?

Deputy Speaker : Question hour is over now. पंडित मोहन लाल दत्त जी, आपके क्वैस्चन का जवाब कल दिया जायेगा । (Question hour is over now. The answer to the supplementary question of Pandit Mohan Lal Datta will be given tomorrow.)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONSTRUCTION OF HIGHER SECONDARY SCHOOL BUILDING IN BARNALA SUB-DIVISION

508. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the residents of the villages Maur. Sukhpura and Nimwala of Barnala Sub-Division, are constructing a building for the Higher Secondary School with the co-operation of other neighbouring villages ; if so, the aid given by the Government therefor together with stage at which the said building is at present ;

(b) whether the Government has granted recognition to the said school ; if not. the reaosns therefor ; if recognised whether the teaching in the said school has started ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. No aid was given by Government. The building is nearing completion.

(b) Being a Government school, the question of recognition by Government does not arise. Three classes of the old Government High School Matauran were shifted to the new building this year. From next year it has been decided to have two high schools one in the old building and another in the new building.

ARREARS OF SALARY, ETC. DUE TO THE TEACHERS OF PROVINCIALIZED LOCAL BODY SCHOOLS

709. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the steps so far taken or proposed to be taken to clear off the arrears of salary, etc. due to the teachers of provincialized schools of the Local Bodies in the State, as they stood on (i) 1st October, 1957 and (ii) 31st March, 1962, respectively ;

(b) the details of the amount of the said arrears on the said dates ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Necessary grants on graded basis are being paid to the various Local Bodies on the expenditure incurred by them for the purpose. Individual cases of non-payment of arrears are also being pursued with the Local Bodies concerned.

(b) A statement is enclosed.

Statement showing details of the amount of Arrears due to Provincialized Teachers for pre-provincialization period

	Districts	*As on 1st October, 1957*	*As on 31st March, 1962*
		Rs	Rs
1	Ferozepur ..	36,753.83	35715.00
2	Gurgaon ..	2,02,857.71	13,943.00
3	Hoshiarpur ..	4,59,450.52	62,074.45

	District		As on 1st October, 1957	As on 31st March, 1962
4	Ambala	..	1,17,934.00	17,008,.88
5	Kangra	..	7,94,249.52	1,02,732.00
6	Rohtak	..	2,33,845.37	43,375.39
7	Amritsar	..	1,13,561.71	53,128.00
8	Jullundur	..	89,541.59	65,840.00
9	Gurdaspur	..	26,863.39	20,651.78
10	Ludhiana	..	1,78,676.66	91,659.81
11	Hissar	..	88,504.34	24,000.00
12	Karnal	..	5,76,260.00	60,717.85
13	Bhatinda	..	..	1,500.00
	Total	..	29,18,417.64	5,92,346.16

AMOUNT EXPENDED ON VIGILANCE DEPARTMENT

710. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by Government on the Vigilance Department during the years 1961-62 and 1962-63 ;

(b) the number and names of Gazetted/Non-Gazetted Officers, separately, against whom action has been taken during the said period as a result of the recommendations made by the said Department with the nature of action so taken ?

Shri Mohan Lal : (a) Rs 14,40,551.86 N.P. during the year 1961-62.

Rs 10,58,986.51 P.N. from March, 1962 upto 31st December, 1962. It is anticipated that an expenditure of Rs 3,20,000 more will be incurred upto 31st March, 1963.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement of Gazetted Officers and Non-Gazetted Government employees against whom action has been taken on the recommendation of the Vigilance Department.

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
	GAZETTED OFFICERS—1961-62.	
1	Shri Nand Kishore, P.C.S.	.. Warned
2	Shri Ram Narain, P.C.S.	.. Do
3	Shri Hit Ablashi, A.R.O.	.. Do

[Home Minister]

Serial No	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
4	Shri K.S. Puri, Executive Engineer, B & R ..	Warned
5	Shri Gurkirpal Singh, B.D.O. ..	Do
6	Shri Sukhjit Singh, B.D.O. ..	Dismissed
7	Shri K.K. Jagia, S.D.O. ..	Do
8	Shri Piara Lal, P.C.M.S. ..	Do
9	Shri Bhagat Ram, D.I.S. ..	Do
10	Shri R.N. Hoon, S.D.O., I.B. ..	Increment stopped
11	Shri S.L. Maini, Executive Engineer, B & R ..	Warned
12	Shri S.D. Bhalla, S.D.O. ..	Do
13	Shri Joginder Singh, S.D.O., I.B. ..	Censured
14	Shri Inder Jit Singh, S.D.O. ..	Warned
15	Shri D.P. Sondhi, S.E. ..	Recovery of Rs 1,940
16	Shri H.S. Mahal, P.C.M.S. ..	Warned
17	Shri A.S. Dhillon, S.E., B & R ..	Letter of advice
18	Shri Piara Singh Dhillon, B.D.O. ..	Service terminated
19	Shri O.P. Yadav, S.D.O., I.B. ..	Warned
20	Shri Inderjit Vohra, D.I.O. ..	Increment stopped
21	Shri L.C. Gupta, S.D.O., P.S.E.B. ..	Reverted
22	Shri Jawahar Lal, P.C.M.S. ..	Cut in pension
23	Shri K.D. Kampani, S.D.O., B & R. ..	Warned
24	Shri K.S. Bedi, P.C.M.S. ..	Do
25	Shri A.N. Chadha, Assistant Director, Animal Husbandry ..	Cut in pension
26	Shri Piara Lal, C.O. ..	Warned
27	Shri Sukndev Singh, B.D.O. ..	Do
	NON-GAZETTED GOVERNMENT EMPLOYEES—1961-62	
1	Shri Radha Krishan, A.C.O. ..	Censured
2	Shri Darshan Singh, Clerk, Civil Supplies ..	Service terminated

Serial No	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
3	Shri Ram Labhaya, Clerk, D.C. Office	.. Dismissed
4	Shri Dalip Singh, A.S.I., Police	.. Service forfeited
5	Shri Sadhu Singh, H.C., Police	.. Dismissed
6	Shri Harbans Lal, Constable	.. Do
7	Shri Inder Singh, Patwari	.. Do
8	Shri Mehnga Singh, Patwari	.. Increment stopped
9	Shri Inder Sain, Patwari	.. Adverse entry made
10	Shri Arjan Singh, Patwari	.. Ditto
11	Shri Kapur Singh, Patwari	.. Dismissed
12	Shri Pritam Dass, Patwari	.. Do
13	Shri Durga Singh, Clerk, Health	.. Increment stopped
14	Shri Piara Lal, Inspector, Consolidation	.. Ditto
15	Shri Som Dutt, clerk, D.C. Office	.. Ditto
16	Shri Sohan Singh, S.I., Police	.. Censured
17	Shri Sudan Singh, Shop Inspector	.. Compulsorily retired
18	Shri Bhagwan Singh, Patwari	.. Increment stopped
19	Shri Pritam Dass, Patwari	.. Ditto
20	Shri Devi Bose, Patwari	.. Dismissed
21	Shri Prithi Chand, Patwari	.. Name removed from approved list
22	Shri Mohan Lal, Patwari	.. Warned
23	Shri Ram Rattan, A.S.I., Police	.. Service forfeited
24	Shri Baij Nath, S.I., Police	.. Ditto
25	Shri Baldev Krishan, Patwari	.. Service terminated
26	Shri Karam Chand, Patwari	.. Dismissed
27	Shri Gurbachan Singh, Constable, Police	.. Do
28	Shri Phool Parkash, Kanogo	.. Warned
29	Shri Swaran Singh, Forest Guard	.. Censured
30	Shri Darshan Singh, Clerk, D.C. Office	.. Do

[Home Minister]

Serial No.	Name of the defaulter	Punishment awarded
1	2	3
	NON-GAZETTED GOVERNMENT EMPLOYEES—1961-62—*contd.*	
31	Shri Ram Parkash, Clerk, Education	Increment stopped
32	Shri Ramji Dass, S.I., I.B. ..	Ditto
33	Shri Hari Ram, Assistant, Surgeon ..	Warned
34	Shri Mohan Lal, Assistant Surgeon ..	Increment stopped
35	Shri Dilsukh Lal, Peon, Industry ..	Dismissed
36	Shri Saudagar Singh, Patwari ..	Increment stopped
37	Shri Chaman Lal, I.B.C. ..	Ditto
38	Shri Balkishan, Patwari ..	Ditto
39	Shri Gurbachan Singh, Patwari ..	Ditto
40	Shri Pritam Singh, Dy. Ranger, Forest ..	Ditto
41	Shri Inder Nath, Excise Inspector ..	Adverse entry made
42	Shri Harbans Singh, S.O., I.B. ..	Increment stopped
43	Shri Hardial Singh, Clerk, D.C. Office ..	Ditto
44	Shri Kashmiri Lal, Constable ..	Dismissed
45	Shri Dharam Singh, Constable ..	Do
46	Shri Onkar Singh, S.I., Co-operative ..	Warned
47	Shri Zulfi Ram, Driver, Agriculture ..	Increment stopped
48	Shri Mohan Singh, Patwari ..	Warned
49	Shri Bhagat Ram, Naib-Tehsildar ..	Reverted
50	Shri D.R. Sood, Clerk, P.S.E.B. ..	Increment stopped
51	Shri Ram Labhaya, Clerk, P.S.E.B. ..	Ditto
52	Shri Madan Lal, S.O., B & R. ..	Ditto
53	Shri Jaswant Rai, Doctor ..	Ditto
54	Shri M.L. Sehgal, S.O.,I.B. ..	Warned
55	Shri Des Raj, Clerk, D.C. Office ..	Dismissed
56	Shri Brij Bala, A.D.I.S. ..	Warned
57	Shri Om Parkash, Clerk, I.B. ..	Do
58	Shri Ram Nath, Inspector, Civil Supply ..	Service terminated

Serial No.	Name of the defaulter	Punishment awarded
1	2	3
59	Shri Ved Parkash, Inspector, Civil Supply ..	Service terminated
60	Shri Gurmej Singh, Patwari, ..	Warned
61	Shri Ram Radha Mall, Forest ..	Dismissed
62	Shri Kishan Chand, Line Superintendent P.S.E.B. ..	Dismissed
63	Shri D.N. Salwan, S.O., I.B. ..	Do
64	Shri Darbara Singh, S.O.I.B. ..	Do
65	Shri Prabh Dayal, Patwari ..	Compulsorily retired
66	Shri Teja Singh, Patwari ..	Dismissed
67	Shri Pritam Singh, Kanogo ..	Compulsorily retired
68	Shri Om Parkash, Clerk, D.C. Office ..	Dismissed
69	Shri Gurmej Singh, S.O., I.B. ..	Warned
70	Shri Alla Singh, S.O., B. & D.O. ..	Do
71	Shri Jagan Nath, Gram Sewak ..	Removed from service
72	Shri Om Parkash, Court Office ..	Censured
73	Shri Sunder Lal, Patwari ..	Dismissed
74	Shri Sawan Mal, Patwari ..	Increment stopped
75	Shri Hari Lal Forest Guard ..	One increment stopped
76	Shri Rattan Chand Cashier, E. & T. ..	Warned
77	Shri Bishambar Nath, Nasir, E. & T. ..	Do
78	Shri Ishwar Dayal, Assistant Surgeon ..	Increment stopped
79	Shri Baldev Singh, H.C., Police ..	Dismissed
80	Shri Gian Chand, Court Official ..	Do
81	Shri Kewal Krishan, Clerk, Employment Exchange	Do
82	Shri Bishan Dass, Compounder, Health ..	Censured
83	Shri B.R. Chopra, Assistant, B.D.O. Office ..	Warned
84	Shri Chunia Devi, Gram Sewaka ..	Do
85	Shri Karnail Singh, Patwari ..	Adverse entry made
86	Shri Joginder Singh, Clerk, Education ..	Warned

[Home Minister]

Serial No	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
87	Shri A.R. Kohli, S.O., I.B.	.. Dismissed
88	Shri Madan Gopal, Headmaster	.. Increment stopped
89	Shri Gurcharan Singh, Supervisor	.. Censured
90	Shri Makhan Lal, Kanungo	.. Increment stopped
91	Shri Nirmal Parshad, Registry Clerk	.. Ditto
92	Shri Prem Nath Batra, S.O., I.B.	.. Warned
93	Shri Bhim Singh, S.O., I.B.	.. Do
94	Shri Tek Chand, Patwari	.. Dismissed
95	Shri Ram Rakha Mal, Patwari	.. Do
96	Shri Raj Kumar, Pansal Nawis	.. Warned
97	Shri Ram Singh, S.I., Police	.. Dismissed
98	Shri Mohinder Nath, Patwari	.. Do
99	Shri Rajinder Pal, Clerk, E & T	.. Warned
100	Shri Jagdish Lal, Patwari	.. Three Increments stopped
101	Shri Jaswant Singh, Naib-Tehsildar	.. Censured
102	Shri Bhawan Singh, Clerk	.. Warned
103	Shri Karnail Singh, H.C., Police	.. Dismissed
104	Shri Vishwa Pal, Vty. Assistant Surgeon	.. Increment stopped
105	Shri Rameshwar Dass, Patwari	.. Dismissed
106	Shri Puran Singh, Patwari	.. Removed from service
107	Shri Gobind Ram, S.D.C., I.B.	.. Dismissed
108	Shri Krishan Chand, Patwari	.. Name removed from approved list
109	Shri Amar Nath, Patwari	.. Warned
110	Shri Atma Parkash, Court Official	.. Dismissed
111	Shri Ram Saran Dass, Patwari	.. Name removed from approved list
112	Shri Sunder Singh, Patwari	.. Do
113	Shri Tek Chand, Patwari	.. Do

Serial No	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
114	Shri Vishnu Datt, Patwari ..	Dismissed
115	Shri Charan Dass, Patwari ..	Do
116	Shri Om Parkash ..	Increment stopped
117	Shri Ramji Dass, Kanungo ..	Compulsorily retired
118	Shri Ram Pat, Patwari ..	Do
119	Shri Kashmiri Lal, Clerk, Transport Department	Service terminated
120	Shri Umed Singh, Patwari ..	Dismissed
121	Shri Ishwar Singh, Patwari ..	Increment stopped
122	Shri Manohar Lal, Excise Inspector ..	Warned
123	Shri Punnu Ram, S.I., Police ..	Service forfeited
124	Shri Dawarka Nath, Pure Food Inspector ..	Dismissed
125	Shri Daya Ram, Patwari ..	Do
126	S hri Lila Dhar, Constable ..	Service forfeited
127	Shr i Chetan Anand, Clerk, E. & T. ..	Increment stopped
128	Shri Teja Singh, S.I. Police ..	Dismissed
129	Shri Khoobi Ram, Patwari ..	Increment stopped
130	Shri Bahadar Chand, Kanungo ..	Service terminated
131	Shri Tej Ram, S.I., Police ..	Service forfeited
132	Shri Tika Ram, Patwari ..	Increment stopped
133	Shri Chand Ram, H.C., Police ..	Service terminated
134	Shri Kishan Lal, Constable ..	Dismissed
135	Shri Des Raj, Patwari ..	Warned
136	Shri Hari Ram, Patwari ..	Do
137	Shri Om Parkash, Patwari ..	Do
138	Shri Krishan Kumar, Constable, Police ..	Do
139	Shri Ghasi Ram, Constable, Police ..	Do
140	Shri Rattan Lal, Clerk, Vty. Department ..	Dismissed
141	Shri Prabhu Ram, Constable, Police ..	Do
142	Shri Jagan Nath, Patwari ..	Do

[Home Minister]

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
143	Shri Bhagwan Singh, H.C., Police ..	Reverted
144	Shri Lachhman Dass, Constable ..	Service forfeited
145	Shri Manphool Singh, Clerk, Health ..	Dismissed
146	Shri Tirath Dass, S.E.P.O. ..	Warned
147	Shri Sadhu Ram, Patwari ..	Dismissed
148	Shri Amolak Ram, Pump Driver ..	Service terminated
149	Shri Jagdish Singh, H.C., Police ..	Warned
150	Shri Harbans Singh, Patwari ..	Dismissed
151	Shri Tirath Dass, Panchayat Officer ..	Censured
152	Shri Kirpal Singh, Court Official ..	Increment stopped
153	Shri Bachan Singh, Kanungo ..	Do
154	Shri Gurdev Singh, Patwari ..	Do
155	Shri Ram Singh, Election Kanungo ..	Dismissed
156	Shri Rajinder Singh, Excise Inspector ..	Increment stopped
157	Shri Charanji Lal, Excise Inspector ..	Do
158	Shri Bau Ram, Excise Sub-Inspector ..	Do
159	Shri Apajit Singh, Excise Sub-Inspector ..	Do
160	Shri Ripudaman Singh, Excise Sub-Inspector ..	Do
161	Shri Shingar Singh, Excise Sub-Inspector ..	Do
162	Shri Bal Kishan, Excise Sub-Inspector	Do
163	Shri Ram Partap, Kanungo ..	Warned
164	Shri Prem Chand, Patwari ..	Do
165	Shri Jai Krishan, Naib-Tehsildar ..	Increment stopped
166	Shri Des Raj, Supdt., B. and R. ..	Warned
167	Shri Kahan Singh, Constable ..	Reverted from selection grade to Time-scale
168	Shri Chet Ram, Kanungo, Consolidation ..	Warned
169	Shri Jagmohan Lal, Clerk, Health ..	Increment stopped
170	Shri Ram Parkash, Store-Keeper ..	Do
171	Shri Ajaib Singh, Clerk, D.C. Office ..	Dismissed

Serial No	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
172	Shri Hardial Singh, Zilcdar, I.B. ..	Increment stopped
173	Shri Sucha Singh, Patwari ..	Do
174	Shri Jetha Nand, Patwari ..	Dismissed
175	Shri Bachan Singh, P.O. ..	Warned
176	Shri Babu Ram, Tax Inspector ..	Do
177	Shri Sarup Chand, S.I., Consolidation ..	Do
178	Shri Sant Singh, S.I., Consolidation ..	Dismissed
179	Shri Nirmal Singh, S.I., Consolidation ..	Do
180	Shri Chand Singh, H.C., Police ..	Do
181	Shri Padam Parkash, N.T. ..	Increment stopped
182	Shri Tehl Singh, Patwari ..	Dismissed
183	Shri Mohinder Singh, Patwari ..	Do
184	Shri Bharpur Singh, H.C., Police ..	Do
185	Shri Atma Ram, Patwari ..	Do
186	Shri Kulwant Rai, Patwari ..	Increment stopped
187	Shri Ajit Singh, Patwari ..	Do
188	Shri Bachan Singh, Compounder, Vty. ..	Do
189	Shri Ram Sarup, Excise Inspector ..	Dismissed
190	Shri Puran Dass, Patwari ..	Increment stopped
191	Shri Dharam Singh, S.O., P.S.E.B. ..	Dismissed
192	Shri Karnail Singh, S.I., Consolidation ..	Do
193	Shri Joginder Singh, SO.I.B. ..	Increment stopped
194	Shri Walaiti Ram, Patwari ..	Do
195	Shri Sajjan Singh, I.B.C. ..	Do
196	Shri Shamsher Singh, Peon, Health ..	Censured
197	Shri Hans Raj, N.T., Election ..	Dismissed
198	Shri Sarwan Singh, Kanungo, Consolidation	Warned
199	Shri Mathra Dass, Patwari ..	Dismissed
200	Shri Farangi Lal, S.I., Consolidation ..	Do

[Home Minister]

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
201	Shri Jagan Nath, S.O., B. & R. ..	Warned
202	Shri Hazara Singh, S.O., P.S.E.B. ..	Increment stopped
203	Shri Gurdev Singh, Constable, Police ..	Service forfeited
204	Shri Bant Singh, S.I., Consolidation ..	Warned
205	Shri Amin Lal, Beldar, B&R. ..	Removed from service
206	Shri Kulwant Singh, H.C., Police ..	Service forfeited
207	Shri Mast Ram, Patwari, Consolidation	Warned
208	Shri Amarjit Singh Warden, Fisheries ..	Do
209	Shri Hari Kishan, Teh. Welfare Officer ..	Service terminated
210	Shri Babu Singh, Court Official ..	Warned
211	Shri Gopi Chand, Patwari, ..	Increment stopped
212	Shri Brij Mohan Lal, P.S.I., Police ..	Censured
213	Shri Gajjan Singh, S.I., Police ..	Do
214.	Shri Kartar Singh, P.O. ..	Warned
215	Shri Om Parkash, Clerk, D.C., Office ..	Increment stopped
216	Shri Jawala Singh, Constable, Police ..	Censured
217	Shri Sohan Singh, Compounder, Health ..	Warned
218	Shri Shamsher Singh, S.O., B. & R. ..	Service terminated
219	Shri Gopal Krishan, Patwari ..	Warned
220	Shri H.P. Mehta, Deputy Chief Inspector, Shops ..	Increment stopped
221	Shri Rohtas Ram, S.I., Consolidation	Warned
222	Shri Ram Lal, Clerk, D.C. Office ..	Increment stopped
223	Shri Mata Din, Patwari ..	Dismissed
224	Shri Walaiti Ram, Court Official ..	Warned
225	Shri Budh Singh, Partwari ..	Dismissed
226	Shri Ramji Singh, Compounder, Vety. Deptt.	Warned

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
227	Shri Kanwar Lal, Patwari ..	Service terminated
228	Shri Murli Dhar, Patwari ..	Fined
229	Shri Hira Lal, Patwari ..	Dismissed
230	Shri Chaman Lal, Road Inspector, B.&R.	Do
231	Shri Jaswant Rai, Clerk, Education ..	Service terminated
232	Shri R.D. Swami, Doctor ..	Dismissed
	GAZETTED OFFICERS—1962-63	
1	Shri R. N. Rawla, S. D. O., I.B. ..	Increment stopped
2	Shri R.K. Jain, P ·C.M.S. ..	Do
3	Shri Kuljas Rai, S.D.O., I.B. ..	Warned
4	Shri R.N. Gupta, S.D.O., I.B.	Do
5	Shri Tilak Raj, P.C.M.S. ..	Increment stopped
6	Shri Didar Singh, Tehsildar ..	Dismissed
7	Shri Inderjit Vohra, Industry Officer ..	Increment stopped
8	Shri Amin Chand, B.D.O. ..	Service terminated
9	Shri L. R. Chaudhri, S.D.O. ..	Censured
10	Shri B.S. Dewan, .G.M.P.R. ..	Do
11	Shri R.L. Kapur, S. D. O., B. & R. ..	Service terminated
12	Shri S.D. Vohra, E.T.O ..	Cut in Pension
13	Shri A.L Kaystha, XEN ..	Letter of Advice
14	Shri Hans Raj, Tehsildar ..	Censured
15	Shri Balwant Singh, S.E.P.O. ..	Dismissed
16	Shri Dalip Singh, B.D. & P.O. ..	Warned
17	Shri A.L. Kalia XEN., B. & R. ..	Warned
18	Shri Harnam Singh, D.F. & S.C. ..	Do
19	Shri Birinder Singh, Tehsildar	Censured
	NO-GAZETTED GOVERNMENT EMPLOYEES	
1	Shri Ved Parkash, Patwari ..	Increment stopped
2	Sarwan Kumar, Clerk, Health ..	Warned

[Home Minister]

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
3	Shri Jaswant Singh, Girdawar	Warned
4	Shri Pokhar Singh, S.I., Consolidation	Dismissed
5	Shri Jaglit Singh, Patwari ..	Warned
6	Shri Tirlochan Singh, Patwari	Do
7	Shri Abdul Guffar, Patwari ..	Dismissed
8	Shri Kewal Singh, Welfare Officer ..	Warned
9	Shri Karta Ram, Patwari ..	Increment stopped
10	Shri Jodh Singh, Constable ..	Service forfeited
11	Shri Ravinder Kumar, Clerk, B. & R. ..	Increment stopped
12	Shri Roshan Lal, Peon ..	Do
13	Shri Waryam Singh, I. B. C. ..	Do
14	Shri Sardara Singh, I.B.C. ..	Do
15	Shri Kashmira Singh, Clerk, Health ..	Compulsorily retired
16	Shri Mohan Singh, Clerk, Health ..	Dismissed
17	Shri Sohan Singh, Patwari	Warned
18	Shri Kabal Singh, Patwari ..	Do
19	Shri Sat Pal, Clerk, D.C. Office ..	Do
20	Shri Sat Pal, Patwari ..	Dismissed
21	Shri Mam Raj, S.D.C., I.B. ..	Do
22	Shri Bhagirath Singh, Patwari	Fined
23	Shri Gopal Dass, Ward Servant ..	Increment stopped
24	Shri Bhoja Ram, Court Official ..	Do
25	Shri Kewal Krishan, Patwari ..	Warned
26	Shri Raja Ram, Peon, Health ..	Do
27	Shri Piara Singh, Patwari ..	Do
28	Shri Harji Ram, Clerk, Health ..	Warned
29	Shri Bhagat Ram, Clerk, Health	Do
30	Shri Anant Ram, Clerk, Health ..	Do

Serial No.	Name of the Defaulter		Punishment awarded
1	2		3
31	Shri Rama Nand, Patwari	..	Compulsorily retired
32	Shri Sat Pal, Dispenser	..	Warned
33	Shri Jaswant Singh, P.O.	..	Do
34	Shri Hari Singh, Clerk, Health	..	1 year R. I.
35	Shri Sudarshan Chakkar, Clerk	..	Increment stopped
36	Shri Bhoja Ram, Court Official	..	Do
37	Shri Mool Chand, Headmaster	..	Warned
38	Shri Lakhshmi Kant, Headmaster	..	Censured
39	Shri Faqir Singh, Clerk, D.C. Office	..	Increment stopped
40	Shri Dass Ram, Clerk, I.B.	..	Dismissed
41	Shri Rup Dass, Patwari	..	Censured
42	Shri Ajit Singh, N.T.	..	Incremnent stopped
43	Shri Harbans Singh, S.O., B. & R.	..	Warned
44	Shri Sham Singh, E.S.I.	..	Increment stopped
45	Shri Charan Singh, Patwari	..	Service terminated
46	Shri Karam Singh, Patwari		Dismissed
47	Shri Rattan Chand, S.O., I.B.	..	Increment stopped
48	Shri Jagdish Singh, Constable	..	Service forfeited
49	Shri Raj Bahadur, A.C.O.	..	Reverted
50	Shri Kailash Nath, S.O., I.B.	..	Warned
51	Shri Surinder Kumar, Compounder	..	Dismissed
52	Shri Surta Singh, Patwari	..	Do
53	Shri Ravinder Kumar, Clerk, B. & R.	..	Increment stopped
54	Shri Rijhu Ram, Peon, B. & R.	..	Do
55	Shri Mohan Lal, Patwari		6 months R.I.
56	Shri Hazari Lal, Clerk	..	Service terminated
57	Shri Gurbux Singh, A.C.O.	..	Increment stopped
58	Shri Duni Chand, Patwari	..	6 months R.I.

[Home Minister]

Serial No	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
59	Shri Lakhbir Singh, Patwari	Increment stopped
60	Shri Jawahar Lal, Patwari ..	Name removed from approved list
61	Shri Sarwan Singh, Patwari ..	Compulsorily retired
62	Shri Teja Singh, Headmaster	Warned
63	Shri Ajaib Singh, Asstt. Education Deptt. ..	Do
64	Shri Karam Singh, Assitt., D.C. Office ..	Do
65	Shri Uttam Singh, Headmaster ..	Do
66	Shri Waryam Singh, Zilladar ..	Reverted
67	Shri Bakhshish Singh, Girdawar ..	Warned
68	Shri K.D. Kaushal, Sectional Officer, I.B. ..	Increment stopped
69	Shri Surrinder Singh, Teacher ..	Warned
70	Shri B.R. Chopra, Accountant, Block Deveop-ment Office	Increment stopped
71	Shri Ram Rattan, Patwari ..	Bad entry made
72	Shri Ganga Ram, Instructor, Industrial Department	Removed from service
73	Shri Chanan Ram, Assistant District Inspector of Schools	Warned
74	Shri Darbara Singh, Assistant Sub-Inspector ..	Censured
75	Shri Banarsi Dass, Accountant ..	Warned
76	Shri Hari Chand, Clerk ..	Do
77	Shri Pritam Singh, Head Constable, Police ..	1 year R.I.
78	Shri Mehar Chand, Instructor, Punjab Engi-neering College	Warned
79	Shri Natha Ram, Patwari ..	1 year Rigorous Imprison-ment
80	Shri Iqbal Singh, Sany., Inspector ..	Censured
81	Shri Chuni Lal, Asstt, Consolidation Officer ..	Warned
82	Shri B.K. Mahajan, Sectional Officer	Service terminated

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
83	Shri Nirmal Chand, Sectional Officer ..	Service terminated
84	Shri V.P. Malhotra, Asstt. D.I.O ..	Increment stopped
85	Shri Satish Chand, Clerk ..	Do
86	Shri Ram Gopal, Sectional Officer, I.B. ..	Do
87	Shri Rup Lal Gill, Loan Inspector ..	Warned
88	Shri Amar Singh, Headmaster ..	Reverted
89	Shri Mool Chand Gauge, Reader ...	Increment stopped
90	Shri Sunder Singh, Patwari ..	Removed from service
91	Shri Avtar Singh, Teacher ..	Warned
92	Shri Sadhu Ram, Patwari ..	Dismissed
93	Shri Darshan Singh, Sub-Inspector of Police ..	Service forfeited
94	Shri Gopal Krishan, Irrigation Booking Clerk	Increment stopped
95	Shri Ram Dhari, Zilladar, I.B ..	Warned
96	Shri Janardhan Dass Headmaster ..	Reverted
97	Shri Hans Raj, Teacher ..	Warned
98	Shri Puran Chand, Irrigation Booking Clerk ..	Increment stopped
99	Shri Sujjan Singh, Irrigation Booking Clerk ..	Warned
100	Shri Kartar Singh, Headmaster ..	Removed from service
101	Shri Surjit Singh, Zilladar ..	Warned
102	Shri Chattar Bhuj, Jagir Clerk ..	1 year rigorous imprisonment
103	Shri Hans Raj, Zilladar, I.B ..	Warned
104	Shri Faqir Chand, Reader, I.B. ..	Do
105	Shri Yog Raj, Head Constable, Police ..	6 months rigorous imprisonment
106	Shri Vasdev, Clerk, I.B. ..	Increment stopped
107	Shri Mohan Lal, S.O., I.B. ..	Warned
108	Shri Sis Ram, Patwari ..	Do
109	Shri Rawal Singh, Bhatia, Dispenser ..	Do

[Home Minister]

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
110	Shri Natha Singh, Sub-Inspector, Police ..	Service forfeited
111	Shri Vidya Sagar, Prosecuting Sub- Inspector of Police	Do
112	Shri Hoshiar Singh, Headmaster ..	Warned
113	Shri Hira Singh, Asstt., Welfare Department	Do
114	Shri Joginder Singh, Head Clerk ..	Do
115	Shri Balkishan, Patwari ..	Name removed from approved List
116	Shri Ram Saran Dass, Head Constable, Police	Reverted
117	Shri Desh Kumar Sud, Excise Sub-Inspector ..	Dismissed
118	Shri Ved Kumar Tuli, Sectional Officer, B. & R.	Censured
119	Shri Baldev Parkash, M.M. P.S.I. ..	Service forfieted
120	Shri Mohamd Khan, Patwari ..	Service terminated
211	Shri Ram Sarup, A.S.I., Police ..	Reverted
122	Shri Daulat Ram, Clerk, Health ..	Warned
123	Shri M.M. Mehta, Clerk, Health	Do
124	Shri Sat Pal, Clerk, Health ..	Do
125	Shri Kewal Krishan, S.O., I.B. ..	Increment stopped
126	Shri Daulat Ram, Court Official ..	Dismissed
127	Shri Khem Chand, Patwari ..	Warned
128	Shri Nanak Chand, Patwari ..	Convicted by the Judicial Court
129	Shri Surat Singh, Patwari ..	Dismissed
130	Shrl Raghbir Dayal, Kanungo ..	Bad entry made
131	Shri Banwari Lal, Patwari ..	Bad entry made
132	Shri Hira Lal, Teacher ..	Warned
133	Shri Mehar Singh, Sub-Inspector, Agriculture ..	Do
134	Shri Kishan Singh, Assistant Consolidation Officer ..	Reverted

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
135	Shri Nand Lal, Court Official ..	Dismissed
136	Shri Kishan Singh, Kanungo ..	Increment stopped
137	Shri Chandgi Ram, Court Official ..	Reverted
138	Shri Des Raj, Patwari ..	Increment stopped ..
139	Shri D.K. Sharma, Sectional Officer, Irrigation Branch	Warned
140	Shri Jagir Singh, Head Constable of Police ..	Service forfeited
141	Shri Parma Nand, Headmaster ..	Warned
142	Shri Sham Lal, Kanungo ..	Do
143	Shri Manohar Lal, Head Clerk ..	Increment stopped
144	Shri Ram Partap, Clerk of D.C. Office ..	Bad entry made
145	Shri Partap Singh, Ziledar, Irrigation Branch	Warned
146	Shri Baldev Raj, Sectional Officer, Irrigation Branch	Do
147	Shri Gian Chand, Sectional Officer B. and R. ..	Increment stopped
148	Shri Karnail Singh, Patwari ..	6 month's rigorous imprisonment
149	Shri Gurdev Singh, Borer, Tubewell ..	Dismissed
150	Shri Rajinder Singh, Assistant Consolidation Officer	Do
151	Shri Jagir Singh, Sub-Inspector, Consolidation	Warned
152	Shri Vidhya Rattan, Kanungo, Consolidation ..	Do
153	Shri Dhanpat Rai, Kanungo, Consolidation	Increment stopped
154	Shri Paras Ram, Patwari ..	2 increments stopped
155	Shri Dasaundi Ram, Excise Inspector ..	Compulsorily retired
156	Shri Sham Sunder, Reader ..	2 increments stopped
157	Shri Ahota Singh, Constable ..	Service forfeited
158	Shri C.M. Mahajan, Assistant Excise and Taxation Officer	Bad entry made

[Home Minister]

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
159	Shri Bhagat Singh, Inspector, Agriculture ..	Increment stopped
160	Shri O.P. Khurana, Assistant, B. & R. ..	Compulsorily retired
161	Shri Bakhtawr Singh, Naib- Tehsildar ..	Warned
162	Shri Raj Kishan, Patwari ..	Increment stopped
163	Shri Sucha Singh, Tubewell Operator ..	Service terminated
164	Shri Iqbal Singh, Patwari ..	Dismissed
165	Shri Tehal Singh, Patwari ..	Do
166	Shri Gian Singh, Head Constable ot Police ..	Service forfeited
167	Shri Hazura Singh, Patwari	Dismissed
168	Shri Om Parkash, Patwari ..	Do
169	Shri Narinjan Singh, Patwari ..	Increment stopped
170	Shri Sikander Singh, Kanungo ..	Censured
171	Shri Rajinder Singh, Kanungo ..	Do
172	Shri Gurcharan Singh, Kanungo ..	Dismissed
173	Shri Charan Singh, Assistant Consolidation Officer	Increment stopped
174	Shri Lekh Raj, Clerk ..	Do
175	Shri Hari Singh, Road Inspector ..	Reverted
176	Shri Dalip Singh, Mate ..	Do
177	Shri Mulkh Raj, Naib-Tehsildar ..	Censured
178	Shri Tara Chand, Assistant Consolidation Officer	Dismissed
179	Shri Dalip Singh, Headmaster ..	Cut in pension
180	Shri Banarsi Dass, Assistant District Inspector of Schools	Increment stopped
181	Shri Manjit Singh, Kanungo ..	Censured
182	Shri Sat Parkash, Patwari ..	Do
183	Shri Sia Ram, Patwari	Do

Serial No.	Name of the Defaulter	Punishment awarded
1	2	3
184	Shri Jagan Nath, Clerk ..	Service terminated
185	Shri Sewak Singh, Patwari ..	Dismissed
186	Shri Ram Kishan, Clerk ..	Warned
187	Snri Karnail Singh, S.I., Consolidation ..	Increment stopped
188	Shri Karnail Singh, Peon ..	Censured
189	Shri Achhru Ram, Sub-Inspector of Police ..	Service forfeited
190	Shri Hari Kesh, Clerk, I.B. ..	Increment stopped
191	Shri Dalip Singh, Clerk, D.C. Office ..	Warned
192	Shri Joginder Singh, Patwzri ..	Dismissed
193	Shri Kehar Singh, Patwari ..	Do
194	Shri Kartar Singh, Ziledar, I.B. ..	Do
195	Shri Sham Lal, Patwari ..	Services terminated
196	Shri Ganga Ram, Inspector, Consolidation ..	Censured
197	Shri Hans Raj, S. I. Consolidation ..	Do
198	Shri Siri Dat, M.S.I. Consolidation	Increment stopped
199	Shri Gian Chand, S.I., Consolidation ..	Do
200	Shri Mohan Singh, Peon, D.C. Office ..	Warned
201	Shri Om Parkash, Naib-Tehsildar ..	Censured
202	Shri Narinjan Parkash, A.S.I. ..	Dismissed
203	Shri Ansuya Dhari, Headmaster ..	Warned
204	Shri Ranvijay Singh, S.E.P.O. ..	Dismissed
205	Shri Gurdip Singh, Naib-Tehsildar ..	Warned
206	Shri Ram Kanwar, Girdawar ..	Dismissed
207	Shri Laxmi Narain, Patwari ..	Do
208	Shri Mohar Singh, Patwari ..	Do
209	Shri Ram Dev, A.S.I., Police ..	Reverted
210	Shri Rand Lal, Kanungo ..	Increment stopped
211	Shri Dharam Vir, Clerk, Health ..	Do
212	Shri Paras Ram, Patwari .	One year rigorous imprisonment by the Judicial Court

GOETZE(I) LTD. AND ESCORTS LTD., BAHADURGARH

755. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Home Minister be pleased to state whether any complaint was received by Government to the effect that the management of Goetze (I) Ltd. and Escorts Ltd., Bahadurgarh (Patiala), violated rules 40 and 46 of the Industrial Dispute Rules, if so, the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : No. A complaint was, however, received by the Labour Commissioner, Punjab, from the Engineering Workers Union, Patiala, that the management of M/s Goetze (I) Ltd. and M/s Escorts Ltd., Bahadurgarh, had formed Works Committees without complying with the provisions of rules 46(4) and 49(4) of the Industrial Disputes Rules, 1958. On enquiry it was found that they had ignored the Union for holding the elections to the Works Committee as required under rule 42(2) because the Union did not furnish any information as required under rule 41(1) of the Industrial. Disputes Rules, 1958. However, since the workers have agreed that the fault committed by the management being only of a minor technical nature, the management may be advised not to repeat the same in future. The contention of the Union being reasonable was accepted by Government and the management was advised to act accordingly.

ASSISTANT SURGEON INCHARGE VETERINARY HOSPITAL, PATIALA

756. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) whether Government have recently received any complaints against the Assistant Surgeon Incharge, Veterinary Hospital, Patiala ;

(b) if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) The charges were found to be baseless.

LINK ROAD CONNECTING PUNDRIK TO KACHHWA KAUL ROAD NEAR KARNAL

838. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a link road or approach road connecting "Pundrik to Kachhwa Kaul Road just near Karnal" was to be completed before January, 1963 ; if so, whether the same has been completed ; if not, the reasons therefor ;

(b) the amount sanctioned for the said link or approach road, the date when sanctioned and the date of the start of construction work thereon ;

(c) the approximate date by which the said approach road is expected to be completed ?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) and (c) Question does not arise.

CEMENT ALLOTTED TO INDIVIDUALS, CONCERNS AND PARTIES, ETC. IN THE STATE

870. Comrade Ram Piara : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the names of private persons, concerns, parties, etc., to whom cement for one hundred or more bags has been granted at a time either by the District Civil Supplies Officer, D.F.C. or

by the authorities concerned at Chandigarh headquarters and in Hissar, Patiala, Gurgaon and Amritsar Districts and Chandigarh town during the period from 1st January, 1959 to date for purposes other than office/residential purposes and Government work together with the purpose for which the cement was allotted in each case ;

(b) the dates when the cement was granted to each of the individuals, concerns and parties mentioned in part (a) above together with the quantity so allotted in each case ;

(c) whether before the issue of the cement any enquiry for the proper use was made ; if so, by whom in each case ; if not, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : The information asked for in this question relates to period of 4 years beginning from 1st January, 1959 to date. Apart from the date, purpose, quantity asked for, information is required about any enquiry for proper use having been made in individual case and also the authority making that enquiry and, if not, also the reasons. To collect this information individual cases will have to be examined. It will require considerable time, labour and expense. The Government, therefore, regrets its inability to answer this question as asked for.

ARREARS OF PAY/INCREMENT OF THE RETIRED PATWARIS

883. Sardar Kultar Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number and names of Canal Patwaris of Jandiala and Majitha Divisions of Upper Bari Doab Canal, Amritsar, who have retired from service during the period from 1st January, 1959 to 28th February, 1963 ;

(b) whether the arrears of pay/increments of the said patwaris have been paid to them ; if so, when ; if not, the time by which the said arrears are likely to be paid to the said patwaris ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) The following twenty- ix Irrigation Booking-Clerks retired from service from 1st January, 1959 to 28th February, 1963 in Majitha and Jandiala Divisions :—

Majitha Division—

Sarvshri—

(i) Behari Lal.
(ii) Ujagar Singh.
(iii) Sujan Singh.
(iv) Baboo Ram
(v) Lal Chand, son of Maghi Ram.
(vi) Lal Chand, son of Faqir Chand.
(vii) Amar Nath, son of Tulsi Ram.
(viii) Sant Singh.
(ix) Amar Nath, son of Amin Chand.
(x) Charan Dass.

Jandiala Division—

Sarvshri—

(i) Inder Singh.
(ii) Hazara Singh.
(iii) Fauja Singh.
(iv) Naranjan Dev.
(v) Ram Rakha Mal.
(vi) Tara Chand.

[Irrigation and Power Minister]

(vii) Diwan Chand.
(viii) Rulia Ram.
(ix) Ram Kishan.
(x) Milkha Singh.
(xi) Arjan Singh.
(xii) Mohan Lal.
(xiii) Kapur Singh.
(xiv) Kartar Singh.
(xv) Kidar Nath.
(xvi) Budha Singh.

(b) Yes except the following four Irrigation Booking-Clerks whose cases are in hand and are being finalized :—

Sarvshri—
(i) Amar Nath, son of Amin Chand.
(ii) Sant Singh, son of Mangal Singh.
(iii) Lal Chand, son of Maghi Ram.
(iv) Amar Nath, son of Tulsi Ram.

POSTING OF PATWARIS NEAR THEIR PERMANENT RESIDENCES

884. Sardar Kultar Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number and names of canal patwaris of Jandiala and Majitha Divisions of Upper Bari Doab Cada., Amritsar who are at present posted near their homes (permanent residences) stating the reasons therefor;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to transfer the said patwaris from the present place of their postings; if so when ; if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) The following thirty-five Canal patwaris of Jandiala and Majitha Divisions of Upper Bari Doab Canal are at present posted near their homes (permanent resiences) :—

Jandiala Division

Sarvshri—
1. Warryam Singh.
2. Saruari Lal.
3. Kartar Singh.
4. Ajit Singh.
5. Munshi Ram.
6. Amar Singh.
7. Jagdish Chander.
8. Bhagat Singh.
9. Chaman Lal.
10. Joginder Singh, son of Harbans Singh.
11. Raghu Nath.
12. Arjan Singh
13. Ram Chand
14. Kidar Nath.
15. Sardara S.ingh.
16. Gurdarshan Singh.

17. Joginder Singh, son of Shri Narain Singh.
18. Joginder Singh, son of Shri Lachhman Singh.
19. Mehar Chand.
20. Manohar Lal.
21. Kishan Mal.
22. Balbir Singh.
23. Sant Ram.

Majitha Division

Sarvshri—

1. Sohel Singh, son of Bishan Singh.
2. Mikhtiar Singh, son of Sadhu Singh.
3. Jagjit Singh, son of Ujagar Singh.
4. Avtar Singh, son of Wahadur Singh.
5. Kuldip Singh, son of Didar Singh.
6. Daljit Singh, son of Tarlok Singh.
7. Pritam Dass. son of Gian Chand.
8. Manohar Lal, son of Gian Chand.
9. Jasharn Singh, son of Bhagat Singh.
10. Kuldip Singh, son of Balwant Singh.
11. Bram Dutt, son of Faqir Chand.
12. Murat Singh, son of Joginder Singh.

There are no particular reasons for their postings at their present places. They happened to have been posted in routine.

(b) Yes ; during the transfer season.

BREAK-DOWNS IN BUSES OF PUNJAB ROADWAYS, AMBALA DEPOT

888. Sardar Pritam Singh Sahoke : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of buses of the Punjab Roadways, Ambala Depot, involved in the machinery break-downs for the period from 1st January, 1962 to 28th February, 1963 with full particulars of the break-down in each case along with the cost of the repairs for each of such buses ;

(b) the names of the bus drivers operating the said buses at the time of the break-downs referred to above during the said period ;

(c) the reasons for the said break-downs ;

(d) whether the cost of the repairs has been recovered from some of the drivers ; if so, the full particulars of such cases ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) to (d) A statement consisting of Annexures A and B is laid on the Table of the House.

[Chief Minister]

ANNEXURE 'A'

Statement showing the details of break-down vehicle during the period 1st January, 1962 *to* 28*th February,* 1963

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Drivers name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
1	1-1-62	4853	Brake defect	Shri Mangal Singh	Nil
2	2-1-62	4573	Gear defect	Shri Dhani Ram	Nil
3	3-1-62	8405	Shaft broken	Shri Mohan Lal	12.00
4	5-1-62	4853	Cluch plate defective	Shri Dyal Singh	Nil
5	7-1-62	4929	Diesel defect	Shri Paul	Nil
6	8-1-62	416	Water body defect	Shri Mohinder Singh	Nil
7	9-1-62	8330	Gear defect	Shri Didar Singh	Nil
8	14-1-62	8026	Fuel pipe broken	Shri Guran Ditta Mal	4.00
9	15-1-62	8903	Gear defect	Shri Ajmer Singh	Nil
10	17-1-62	8126	Starting trouble	Shri Faqir Chand	Nil
11	18-1-62	4573	Diesel defect	Shri Dhani Ram	Nil
12	19-1-62	885	Gear lever broken	Shri Ram Singh	3.00
13	20-1-62	4923	Engine Noisy	Shri Kapur Singh	Nil
14	20-1-62	4929	Front and Rear spring broken	Shri Paul	36.00
15	21-1-62	233	Automizer sticking	Shri Naib Singh	Nil
16	23-1-62	1033	Engine Noisy	Shri Shankar Dass	Nil
17	23-1-62	8871	Brake defective	Shri Pritam Singh	Nil
18	24-1-62	8771	Clutch plate broken	Shri Sujan Singh	133.92
19	28-1-62	4806	Diesel tank defective	Shri Sat Parkash	Nil
20	2-2-62	8771	Central bearing broken	Shri Sujan Singh	Nil
21	6-2-62	285	Brake defective	Shri Gurnam Singh	Nil
22	7-2-62	8767	Clutch plate defective	Shri Guranditta Mall	Nil
23	8-2-62	8034	Engine Noisy	Shri Sat Parkash	Nil
24	12-2-62	4930	Central baring broken	Shri Jagir Singh	11.00
25	15-2-62	4945	Diesel defect	Shri Nand Singh	Nil
26	16-2-62	236	C.A.V. pump control rod stick	Shri Karnail Singh	Nil

Serial No.	Date.	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Driver's name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
27	18-2-62	8278	Clutch plate defective	Shri Thakur Dass	Nil
28	19-2-62	8782	Left rear spring broken	Shri Dalip Singh	Nil
29	22-2-62	4854	Front wheel came out	Shri Amar Nath	Nil
30	26-2-62	8907	Clutch defective	Shri Sucha Singh	Nil
31	28-2-62	4993	Universal cross broken	Shri Amar Nath	32.00
32	1-3-62	935	Diesel defect	Shri Hari Singh	Nil
33	1-3-62	8776	Engine Noisy	Shri Jaswaut Singh	Nil
34	5-3-62	4901	Mobile pipe broken	Shri Varyam Singh	Nil
35	6-3-62	8879	Central bearing broken	Shri Gurdev Singh	18.00
36	7-3-62	356	Cylinder rod defective	Shri Mohan Lal	Nil
37	9-3-62	8288	Front wheel axle defective	Shri Wazir Chand	Nil
38	10-3-62	8126	Engine noisy	Shri Faqir Chand	Nil
39	10-3-62	414	Diesel defect	Shri Mohinder Singh	Nil
40	11-3-62	4953	Clutch plate broken	Shri Amar Singh	138.42
41	12-3-62	944	Auxiliary nut pipe broken	Shri Ralla Singh	4.00
42	14-3-62	4820	Diesel tank leaking	Shri Nand Lal	Nil
43	14-3-62	8385	Shaft broken	Shri Mani Ram	12.00
44	15-3-62	285	Radiator broken	Shri Ajit Singh	Nil
45	17-3-62	4945	Diesel defect ..	Shri Nand Singh	Nil
46	18-2-62	4923	Clutch Plate broken	Shri Kapur Singh	98.00
47	21-3-62	8385	Shaft broken	Shri Madan Gopal	12.00
48	24-3-62	8385	Clutch plate broken	Do	98.00
49	24-3-62	4857	Diesel defect	Shri Parkash Nath	Nil
50	26-3-62	8798	Engine noisy	Shri Swaran Singh	Nil
51	28-3-62	557	Mobile pipe broken	Shri Bikram Singh	Nil
52	31-3-62	8072	Central bearing defective	Shri Bhag Singh	18.00
53	6-4-62	4872	Front wheel came out	Shri Pritam Singh	Nil
54	6-4-62	8385	Diesel tank broken	Shri Madan Gopal	Nil
55	7-4-62	8330	Defect of Diesel	Shri Amar Nath	Nil
56	9-4-62	4923	Radiator broken	Shri Sampuran Singh	292.00
57	10-4-62	4903	Diesel defect	Shri Sadhu Singh	18.00

[Chief Minister]

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Drivers name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
58	11-4-62	4930	Central bearing broken	Shri Mohinder Singh	Nil
59	14-4-62	241	Clutch plate broken.	Shri Jaswant Singh	Nil
60	14-4-62	8330	Diesel tank broken	Shri Pritam Singh	Nil
61	15-4-62	8385	Clutch plate broken	Shri Ishar Singh	98.00
62	18-4-62	8278	Ditto	Shri Thakur Dass	98.00
63	20-4-62	8907	Central bearing broken	Shri Hakumat Lal	18.00
64	21-4-62	4852	Clutch plate defective ..	Shri Shamsher Jung	Nil
65	22-4-62	4857	Clutch plate defective	Shri Mohinder Singh	Nil
66	25-4-62	4923	Dynamo defective	Shri Saroop Chand	Nil
67	27-4-62	845	Diesel pipe broken	Shri Kapoor Chand	3.93
68	28-4-62	4853	Diesel tank broken	Shri Saroop Chand	214.07
69	28-4-62	4852	Shaft broken	Shri Amar Nath	12.00
70	1-5-62	8907	Clutch plate broken	Shri Banwari Lal	137.26
71	3-5-62	4820	Diesel defect	Shri Rattan Singh	Nil
72	3-5-62	8034	Mobile pipe broken	Shri Bachan Singh	Nil
73	4-5-62	8028	Shaft broken	Shri Joginder Singh	Nil
74	5-5-62	4945	Stub axle broken	Shri Nand Singh	Nil
75	6-5-62	8030	Diesel defect	Shri Dyal Singh	Nil
76	10-5-62	224	Engine noisy	Shri Jagjit Singh	Nil
77	11-5-62	4945	Axle broken	Shri Nand Singh	18.00
78	12-5-62	105	Clutch defective	Shri Harbex Singh	Nil
79	12-5-62	8017	Ditto	Shri Puran Singh	Nil
80	13-5-62	4901	Engine noisy	Shri Varyam Singh	Nil
81	13-5-62	111	Diesel defect	Shri Ujjar Singh	Nil
82	14-5-62	4597	Diesel defect	Shri Giyan Singh	Nil
83	14-5-62	1023	Engine noisy	Shri Shankar Dass	Nil
84	15-5-62	8330	Central bearing defective	Shri Shamsher Chand	Nil
85	20-5-62	1002	Pump defective	Shri Dharshan Singh	18.00
86	20-5-62	8801	Clutch defective	Shri Kartar Singh	Nil

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Driver's name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
					Rs
87	215-62	556	Water body defect	Shri Kesar Singh	Nil
88	25-5-62	1003	Engine noisy	Shri Shiv Lal	Nil
89	26-5-62	1035	Brake pipe broken	Shri Mohan Lal	7.00
90	27-5-62	4853	Diesel defect	Shri Harbans Lal	Nil
91	28-5-62	239	Hose pipe broken	Shri Saroop Chand	6.00
92	29-5-62	235	Clutch plate broken	Shri Sadhu Singh	137.26
93	30-5-62	225	Clutch plate defective	Shri Nair Singh	Nil
94	2-6-62	1149	Pump defective	Shri Sadhu Singh	Nil
95	4-6-62	4945	Shaft broken	Shri Nand Singh	12.00
96	6-6-62	8026	Clutch plate broken	Shri Hari Singh	137.26
9 7	8-6-62	7511	Ditto	Shri Ajit Singh	137.26
98	10-6-62	235	Central bearing broken	Shri Dyal Singh	18.00
99	13-6-62	4852	Coupling defective	Shri Shamsher Jung	Nil
100	13-6-62	4172	Shaft broken	Shri Ram Rattan	12.00
101	15-6-62	8907	Bell huising broken	Shri Banwari Lal	292.00
102	16-6-62	4854	Front stub axle broken	Shri Amar Nath	252.94
103	20-6-62	4929	Ditto	Shri Paul	126.47
104	21-6-62	242	Brake defective	Shri Narinjan Dev	Nil
105	21-6-62	8801	Pump defective	Shri Kartar Singh	Nil
106	22-6-62	241	Dynamo defective	Shri Jaswant Singh	6.00
107	23-6-62	8026	Clutch defective	Shri Dhani Ram	Nil
108	24-6-62	4852	Shaft broken	Shri Saroop Chand	12.00
109	25-6-62	4929	Front wheel came out	Shri Paul	Nil
110	26-6-62	4797	Diesel deffect	Shri Harbans Singh	Nil
111	28-6-62	4678	Dear engine foundation bolt broken	Shri Ram Saroop	12.24
112	28-6-62	225	Engine noisy	Shri Nahar Singh	Nil
113	30-6-62	235	Engine oil pipe broken	Shri Gurcharan Singh	4.95
114	30-6-62	8026	Clutch plate broken	Shri Dhani Ram	137.26
115	3-7-62	105	Ditto	Shri Ajaib Singh	137.26
116	4-7-62	8299	Central Rod defective	Shri Labh Singh	Nil

[Chief Minister]

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Driver's name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
					Rs
117	5-7-62	1411	Engine noisy	Shri Ishar Singh	Nil
118	5-7-62	4929	Dynamo defective	Shri Paul	Nil
119	7-7-62	7511	Engine noisy	Shri Sohan Lal	Nil
120	7-7-62	8797	Radiator broken	Shri Dalip Singh	10.00
121	7-7-62	225	Bell hoising defective	Shri Hukam Singh	Nil
122	10-7-62	8736	Diesel defect	Shri Mehar Chand	Nil
123	10-7-62	8881	Radiator leaking	Shri Gurbachan Singh	15.00
124	13-7-62	4903	Diesel defect	Shri Om Parkash	Nil
125	14-7-62	8034	Clutch plate defective	Shri Mangal Singh	Nil
126	17-7-62	4903	Diesel defect	Shri Om Parkash	Nil
127	17-7-62	8330	Front wheel came out	Shri Rattan Singh	Nil
128	22-7-62	8849	Diesel defect	Shri Mulakh Raj	Nil
129	23-7-62	4394	Engine noisy	Shri Saroop Chand	Nil
130	24-7-62	356	Clutch plate broken	Shri Mohan Lal	96.78
131	26-7-62	225	Clutch plate defective	Shri Ajit Singh	Nil
132	27-7-62	1411	Engine noisy	Shri Prem Chand	Nil
133	28-7-62	4853	Shaft broken	Shri Harbans Lal	12.00
134	30-7-62	4897	Brake defective	Shri Charat Singh	Nil
135	6-8-62	242	Gear box defective	Shri Naranjin Dev	Nil
136	12-8-62	234	Diesel defect	Shri Ajit Singh	Nil
137	12-8-62	237	Diesel defect	Shri Gurbax Singh	Nil
138	18-8-62	8330	Centre bearing broken	Shri Pritam Singh	18.00
139	18-8-62	8026	Clutch plate broken	Shri Dhani Ram	137.26
140	22-8-62	8126	Shaft broken	Shri Saroop Chand	12.00
141	24-8-62	4820	Shaft broken	Shrif Rattan Singh	15.00
142	30-8-62	4929	Engine noisy	Shri Gurbhajan Singh	Nil
143	30-8-62	8330	Clutch plate broken	Shri Pritam Singh	98.00
144	3-9-62	8801	Clutch defective	Shri Charan Dass	Nil
145	6-9-62	853	Bell hoising broken	Shri Sardara Singh	292.00
146	6-9-62	241	Clutch plate broken	Shri Pritam Singh	Nil.

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (ie., reason of break-down) in each case	Driver's Name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
					Rs
147	8-9-62	235	Dynamo Stand broken	Shri Gurcharan Singh	0.44
148	9-9-62	1003	Piston defective	Shri Shiv Lal	10.00
14 9	9-9-62	8330	Clutch plate defective	Shri Pritam Singh	Nil
150	11-9-62	225	Shaft broken	Shri Nahar Singh	12.00
151	12-9-62	2897	Pump defective	Shri Rattan Singh	Nil
152	12-9-62	8034	Front axle broken	Shri Shiv Kumar	120.00
153	18-9-62	585	Clutch plate broken	Shri Gurbhajan Singh	137.26
154	24-9-62	241	Shaft broken	Shri Jaswant Singh	18.00
155	26-9-62	4923	Main leaf broken	Shri Kapoor Singh	11.88
156	29-9-62	4923	Engine noisy	Ditto	Nil
157	3-10-62	602	Diesel pipe broken	Shri Ranbir Singh	4.00
158	3-10-62	4901	Central bearing broken	Shri Rattan Singh	18.00
159	4-10-62	8419	Front wheel right side came out	Shri Ram Lubhaya	Nil
160	7-10-62	4945	Stub axle broken	Shri Nand Singh	120.00
161	7-10-62	899	Universal joint broken	Shri Saroop Singh	4.94
162	8-10-62	2854	Shaft broken	Shri Gajjan Singh	18.00
163	10-10-62	1149	Coupling broken	Shri Ram Singh	36.00
164	10-10-62	8771	Clutch plate broken	Shri Hukam Singh	92.92
165	14-10-62	8499	Ditto	Shri Ram Nath	92.92
166	16-10-62	204	Diesel defect	Shri Karam Singh	Nil
167	22-10-62	8759	Timing out	Shri Hari Singh	Nil
168	22-10-62	4854	Clutch plate defective	Shri Amar Nath	Nil
169	24-10-62	8330	Gear defective	Shri Pritam Singh	22.00
170	25-10-62	8047	Clutch plate broken	Shri Sondha Singh	99.51
171	29-10-62	4072	Diesel defect	Shri Jugraj Singh	Nil
172	29-10-62	237	Clutch plate broken	Shri Gurbax Singh	99.51
173	31-10-62	4872	Shaft broken	Shri Amar Nath	18.00
174	3-11-62	8036	Clutch broken	Shri Jangir Singh	96.17
175	8-11-62	8318	Brake defect	Shri Harbhajan Singh	Nil

[Chief Minister]

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs i.e., reason of break-downs in each case	Driver's name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
176	9-11-62	244	Gear defect	Shri Balwant Singh	22.00
177	11-11-62	4923	Diesel tank broken	Shri Kapoor Singh	10.00
178	13-11-62	8757	Shaft broken	Shri Partap Chand	480.00
179	16-11-62	8126	Clutch plate broken	Shri Faqir Chand	96.17
180	16-11-62	237	Clutch plate defective	Shri Gurbax Singh	Nil
181	16-11-62	232	C.A.V. pump defective	Shri Dalip Singh	15.00
182	19-11-62	8126	Pressure plate broken	Shri Faqir Chand	34.00
183	10-11-62	8318	Diesel defect	Shri Piayara Singh	4.00
184	20-11-62	238	Ditto	Shri Hardyal Singh	6.00
185	23-11-62	237	Clutch plate broken	Shri Gurbax Singh	96.16
186	25-11-62	224	Brake defective	Shri Krishan Lal	4.00
186-A	25-11-62	8007	Shaft broken	Shri Bhajan Singh	15.00
187	26-11-62	8126	Gear box defect	Shri Diyal Singh	8.00
188	29-11-62	8857	Central bearing broken	Shri Harbhajan Singh	18.00
189	1-11-62	105	Clutch brake broken	Shri Sujan Singh	96.28
190	2-12-62	8034	Bell hoising broken	Shri Shiv Kumar	282.70
191	4-12-62	4901	Shaft broken	Shri Nirnajan Lal	10.00
192	4-12-62	944	Filter broken	Shri Rala Singh	5.95
193	5-12-62	4918	Starting trouble	Shri Charan Dass	Nil
194	7-12-62	8759	Cluth plate broken	Shri Himat Singh	96·16
195	9-12-62	4864	Diesel pipe broken	Shri Ram Nath	4.00
196	11-12-62	1206	Clutch plate broken	Shri Ajit Singh	96.16
197	12-12-62	237	Ditto	Shri Gurbax Singh	96.16
198	14-12-62	935	Diesel defect	Shri Hari Singh	Nil
199	17-12-62	7511	Radiator leaking	Shri Ajit Singh	4.00
200	20-12-62	4678	Gear defective bell houising broken	Shri Mohinder Pal Singh	3.00
201	24-12-62	884	Chamber broken with connecting rod	Shri Manmohan Singh	4.00
202	25-12-62	1150	Diesel defect	Shri Pishori Lal	Nil
203	26-12-62	1663	Engine noisy	Shri Ajit Singh	98.00

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Driver's name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
204	28-12-62	8388	Clutch plate defective	Shri Niranjan Singh	6.00
205	30-12-62	1474	Exhauster pipe broken	Shri Suraj Parkash	Nil
206	30-12-62	935	Clutch plate broken	Shri Ajit Singh	96.16
207	31-12-62	1411	Engine noisy	Shri Giyan Chand	Nil
208	31-12-62	4897	Radiator broken	Shri Faqir Chand	2.10
209	3-1-63	224	Cutch plate broken	Shri Gurcharan Singh	Nil
210	3-1-63	235	Wheel bearing broken	Shri Gurcharan Singh	Nil
211	6-1-63	8440	Gear lever broken	Shri Ajit Singh	48.10
212	8-1-63	8736	King Pin broken	Shri Vaishnu Dass	214.00
213	8-1-63	1517	Diesel defect	Shri Foja Singh	4.00
214	8-1-63	8318	Bell houising and shaft broken	Shri Harbhajan Singh	292.00
215	12-1-63	4872	Clutch plate broken	Shri Amar Nath	96.16
216	12-1-63	1024	Ditto	Shri Balbir Singh	96.16
217	14-1-63	8419	King pin broken	Shri Dalip Singh	14.00
218	15-1-63	242	Clutch plate broken	Shri Naranjan Dev	97.75
219	15-1-63	653	Bell housing broken	Shri Sardara Singh	288.71
220	16-1-63	8034	Axle beam broken	Shri Sat Parkash	9.00
221	16-1-63	243	Bell housing broken	Shri Gurmukh Singh	534.73
222	16-1-63	8126	Diesel defect	Shri Faqir Chand	Nil
223	16-1-63	357	Clutch plate defective	Shri Kartar Singh	Nil
224	17-1-63	414	C.A.V. pump bearing broken	Shri Mohan Singh	24.46
225	20-1-63	204	Diesel defect	Shri Karam Singh	Nil
226	21-1-63	224	Clutch plate defective	Shri Jagjit Singh	Nil
227	28-1-63	8879	Engine noisy	Shri Chanan Singh	Nil
228	31-1-63	8126	Clutch plate broken	Shri Faqir Chand	97.96
229	3-2-63	585	piston broken	Shri Gajjan Singh	192.00
230	4-2-63	8871	Clutch plate defective	Shri Pritam Singh	Nil
231	6-2-63	4953	Shaft broken and M. Oil seal leaking	Shri Amar Nath	10.00
232	7-2-63	556	Engine noisy	Shri Sher Singh	Nil

Serial No.	Date	Bus No.	Particulars of break-downs (i.e., reason of break-down) in each case	Driver's name	Cost of repair
1	2	3	4	5	6
233	8-2-63	8879	Engine defect	Shri Gurdev Singh	Nil
234	9-2-63	1474	Gear lever broken	Shri Sujan Parkash	2.00
235	10-2-63	8126	Clutch plate defective	Shri Shiv Kumar	Nil
236	12-2-63	8736	Diesel defect	Shri Vaishnu Dass	4.00
237	13-2-63	1607	Piston broken	Shri Amrik Singh	110.00
238	13-2-63	1730	Grank broken	Shri Gurcharan Singh	680.00
239	18-2-63	556	Clutch plate defective	Shri Sher Singh	Nil
240	21-2-63	8907	Clutch plate defective	Shri Banwari Lal	Nil
241	23-2-63	7511	C.A.V. Pump defect	Shri Ajit Singh	10.00
242	24-2-63	8278	Clutch plate broken	Shsi Gurbax Singh	98.00
243	26-2-63	854	Engine defective	Shri Sadhu Ram	Nil

ANNEXURE 'B'

Statement showing the list of Recoveries from the staff on account of Damages to Vehicles, etc.

Serial No.	Name	Order No.	Date	Amount	REMARKS
				Rs	
1	Shri Sat Parkash, Driver No. 157	1906	2nd January, 1962	15.00	Dead mileage covered (54 miles)
2	Shri Mal Singh, Driver	1837	16th January, 1962	10.00	Damage to Gear Box
3	Shri Waryam Singh, Driver No. 208369	967	20th March, 1962	50.00	Running vehicle with broken exhauster pipe
4	Shri Jagdish Lal, Helper	565	26th June, 1962	25.00	Damage due to collision of vehicle No. 8801 with Vehicle No. 204
5	Shri Partap Chand, Driver No. 35	566	29th June, 1962	70.00	Driving vehicle with punctured tyres
6	Shri Nishan Singh, Electrician	564	29th June, 1962	25.00	Smashed vehicle against the boundary wall

Serial No.	Name	Order No.	Date	Amount	Remarks
7	Shri Atma Singh, Driver No. 112	572	30th June, 1962	15.00	Stricking against a bridge
8	Shri Shiv Kumar, Driver No. 98	590	7th July, 1962	30.00	Accident to vehicle No. 4902
9	Shri Nathu Ram, Driver	591	7th July, 1962	10.00	Due to shortage of diesel on route
10	Shri Kapoor Chand, Driver No. 21	..	26th July, 1962	2.00	Plying bus with a punctured tyre
11	Shri Jagir Singh, Driver No. 190	1205	7th September, 1962	10.00	Wastage of diesel
12	Shri Santa Singh, Driver No. 229	793	24th July, 1962	10.00	Head lamp beam lost on route
13	Shri Harnam Singh, Driver No. 70	..	10th September, 1962	5.00	Running with punctured tyres
14	Shri Ram Rattan, Driver No. 143	1506	9th November, 1962	15.00	Strucking up vehicle No. 1639 in Ghagger river
15	Shri Nirmal Dass, Electrician	585	6th July, 1962	10.00	Damage to vehicle
16	Shri Ram Ditta Mal, Driver	..	6th July, 1962	10.00	Causing accident to vehicle No. 790
17	Shri Ram Kiran, Driver	1526	15th November, 1962	50.00	Causing accident to vehicle No. 8857
18	Shri Mohinder Singh, Driver	1473	22nd October, 1962	50.00	Striking up vehicle No. 111 near Laundran
19	Shri Sudhir Ranjan, Ghosh	7243	16th November, 1962	280.00	Accident with telephone pole
20	Shri Gurdev Singh, Fitter	1948	29th December, 1962	30.00	Accident with vehicle No. 7442 while driving
21	Shri Diyal Singh, Driver No. 149	192	24th January, 1963	3.00	Running short of diesel, on route
22	Shri Hardit Singh, Driver No. 111	144	22nd January, 1963	5.00	Causing accident to vehicle No. 1000
23	Shri Isher Singh, Driver	430	15th February, 1963	30.00	Causing accident to vehicle No. 1413
24	Shri Bua Datta Sharma	190	22nd February, 1963	80.00	Striking the vehicle against an office room

COMMUNTY DEVELOPMENT BLOCKS IN KANRGA DISTRICT

891. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the names of each community development block in Kangra District alongwith the area and population of each ?

Sardar Darbara Singh : Information is laid on the Table of the House.

[Planning and Development Minister]

Names of Community Development Blocks in Kangra District, alongwith the area and population

Name of the C.D. Block		Population	Area
1. Outerseraj (Ani)	..	37,062	36,367 acres
2. Innerseraj (Banjar)	..	26,097	25,429 acres
3. Kulu	..	32,000	842 sq. miles
4. Bawarna	..	44,760	49,037 acres
5. Lambagraon	..	44,674	58,005 acres
6. Kangra	..	45,352	85,008 acres
7. Shahpur (Rait)	..	40,707	1,25,854 acres
8. Hamirpur	..	45,856	62,351 acres
9. Bhoranj	..	46,735	43,900 acres
10. Barsar (Dhundla)	..	27,063	91,995 acres
11. Bhota (Mehra Bani)	..	35,036	63,834 acres
12. Dera Gopipur	..	47,559	1,19,738 acres
13. Pragpur	..	53,198	1,15,852 acres
14. Nurpur	..	50,212	347.6 sq. Miles
15. Indora	..	45,999	226 sq. Miles
16. Naggar	..	29,000	499 sq. miles
17. Nagrota	..	39,333	64,446 acres
18. Baijnath	..	40,277	1,63,284 acres
19. Panchrukhi	..	39,615	77,608 acres
20. Nadaun	..	38,419	48,843 acres
21. Sujanpur	..	27,225	50,611 acres
22. Mangwal	..	41,251	81,375 acres

LAND REVENUE FOR PANCHAYATS WHO HELD UNANIMOUS ELECTIONS

892. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Planning and Development be pleased to refer to the reply to unstarred question No. 177 included in the list of questions for 5th November, 1962 and state whether a list of the Panchayats falling in the districts of Ludhiana, Karnal, Kangra and Lahaul and Spiti which held unanimous Panchayat elections has so far been prepared ; if so, the lists of such Panchayats in Kangra District, Tehsil-wise, along with the amount due and amount paid ?

Sardar Darbara Singh : Yes. The tehsil-wise lists of Panchayats of Kangra District indicating the amount due to them are given below. The grant will, however, be paid to them during the year 1963-64.

Tehsil-wise list of Panchayats of Kangra District whose Elections were held un-opposed indicating the Land Revenue grant Proposed to be given during the year 1963-64

Serial No.	Name of Panchayat	Name of Tehsil	Amount to be paid
			Rs
1	Shamirpur ..	Kangra	121·50
2	Shamirpur Khas ..	Do	976·50
3	Balol ..	Do	760·50
4	Bohrakwalu ..	Do	792·90
5	Lang ..	Do	1,498·50
6	Chandrut (Thana) ..	Do	1,318·50
7	Gohlian ..	Do	1,338·50
8	Thakur Dawara ..	Do	435·60
9	Kachhiari Khas ..	Do	666·00
10	Kharat (Jandrah) ..	Do	945·90
11	Kohala ..	Do	1,583·10
12	Kothar (Pangwar Rajian) ..	Do	711·00
13	Takipur ..	Do	721·80
14	Tiara ..	Do	826·20
15	Zamanabad ..	Do	1,098·90
16	Dari ..	Do	2,303·10
17	Passu ..	Do	2,160·00
18	Sahaura ..	Do	1,717·20
19	Sukkar ..	Do	1,971·00
20	Bhanala ..	Do	1,998·00
21	Boh ..	Do	475·20
22	Kajlot ..	Do	1,469·70
23	Sohwan ..	Do	334·80
24	Sudhed ..	Do	816·30
25	Lapiana ..	Do	447·30
26	Manai Khas ..	Do	540·00
27	Manj Gran ..	Do	1,003·50
28	Pangor ..	Do	1,286·10
29	Sarah ..	Do	546·30
30	Ther ..	Do	1,067·40
31	Dhugiari ..	Do	1,814·40
32	Bedi ..	Do	180·00
33	Rachhialu ..	Do	801·90
34	Airla ..	Do	414·00
35	Ambari ..	Do	927·00
36	Amtrar ..	Do	1,816·20
37	Danoa ..	Do	568·80
38	Hattwas ..	Do	1,514·70
39	Banehar ..	Do	1,449·00
40	Jalot ..	Do	328·50
41	Kaned ..	Do	2,101·50
42	Khandi ..	Do	788·40
43	Khawa ..	Do	576·00
44	Taru ..	Do	175·50
45	Kothi Upperli ..	Do	1,311·30
46	Luhna ..	Do	477·90
47	Muhalkar Khas ..	Do	1,306·80
48	Mumta ..	Do	1,428·30
49	Ronkhar Jassaur ..	Do	2,371·50

[Planning a :d Development Minister]

Serial No.	Name of Panchayat	Name of Tehsil	Amount to be paid
			Rs
50	Sidhbari ..	Kangra	2,055·80
51	Suhni ..	Do	940·50
52	Sadon ..	Do	527·40
53	Ramchar ..	Do	1,026·00
54	Sunehar ..	Do	2,569·50
55	Sera Thana ..	Do	900·90
56	Theru ..	Do	3,047·40
57	Tangroti ..	Do	3,075·30
1	Ladyoh ..	Hamirpur	781·20
2	Taal ..	Do	1,620·00
3	Bhukhar ..	Do	810·90
4	Santana ..	Do	584·10
5	Raili ..	Do	466·20
6	Bara ..	Do	980·10
7	Balduhak ..	Do	1,243·80
8	Bhonpal ..	Do	1,761·30
9	Hathol ..	Do	1,335·60
10	Larha ..	Do	1,303·20
11	Nara Khas ..	Do	719·10
12	Saproh ..	Do	1,899·90
13	Drogan Pattikot ..	Do	1,404·00
14	Annu ..	Do	424·80
15	Swahal ..	Do	1,080·90
16	Hamirpur ..	Do	239·40
17	Tika Chowki ..	Do	823·50
18	Majhog Sultani ..	Do	495·00
19	Dhaned ..	Do	2,104·20
20	Sarakar ..	Do	360·00
21	Dhalot ..	Do	1,533·00
22	Narsin ..	Do	1,796·40
23	Tira Sujanpur ..	Do	160·20
24	Rangra ..	Do	693·00
25	Sujanpur ..	Do	178·20
26	Doli ..	Do	302·60
27	Tika Lambari ..	Do	927·00
28	Dera ..	Do	693·00
29	Awhei Tikka ..	Do	1,726·20
30	Dhoungli ..	Do	488·70
1	Arla ..	Palampur	714·60
2	Bhawarna ..	Do	963·00
3	Dhoda ..	Do	841·50
4	Bhadrol ..	Do	486·00
5	Chowki ..	Do	567·00
6	Chanchhari ..	Do	758·70
7	Garla ..	Do	2,202·30
8	Gaggal ..	Do	1,192·50
9	Ghanotta ..	Do	832·50
10	Jauna ..	Do	648·00
11	Jamala ..	Do	1,237·50
12	Jaind ..	Do	432·00
13	Kahan Phat ..	Do	490·50
14	Kakran ..	Do	1,323·00
15	Marzhun ..	Do	1,350·90
16	Mundi ..	Do	1,051·20
17	Samba ..	Do	571·50
18	Paror ..	Do	770·40

Serial No.	Name of Panchayat		Name of Tehsil	Amount to be paid
				Rs
19	Pharer	..	Palampur	2,178·90
20	Ramehar	..	Do	1,327·50
21	Rajhoor	..	Do	864·00
22	Saloh	..	Do	1,351·00
23	Sehotu	..	Do	1,221·30
24	Degara	..	Do	751·50
25	Balota	..	Do	841·50
26	Bara Bangal	..	Do	108·90
27	Bir	..	Do	1,684·00
28	Bhaduna	..	Do	720·00
29	Durang	..	Do	391·50
30	Dhandal	..	Do	306·00
31	Gadiara	..	Do	859·50
32	Kothi Khad	..	Do	388·80
33	Kothi Swar	..	Do	252·00
34	Lowai	..	Do	206·10
35	Multhan	..	Do	377·10
36	Mungal	..	Do	560·70
37	Pollang	..	Do	196·20
38	Sansai	..	Do	900·00
39	Suribala	..	Do	211·50
40	Averi	..	Do	1,258·20
41	Bhaura	..	Do	396·00
42	Bagora	..	Do	1,084·50
43	Chandpur	..	Do	364·50
44	Chichian	..	Do	1,354·50
45	Kalund	..	Do	670·50
46	Rakh	..	Do	816·30
47	Drati	..	Do	1,197·00
48	Gopalpur	..	Do	621·00
49	Khalet	..	Do	2,097·90
50	Lodoh	..	Do	2,096·10
51	Nauri	..	Do	1,018·80
52	Panghiarkhar	..	Do	1,513·80
53	Rajehr	..	Do	117·00
54	Sungal	..	Do	1,370·70
55	Jarehl	..	Do	1,293·30
56	Tikkari	..	Do	229·50
57	Rajpura	..	Do	819·90
58	Tanda	..	Do	687·60
59	Ashapuri	..	Do	288·00
60	Bair Ghad	..	Do	541·80
61	Bachhwai	..	Do	463.50
62	Bag Kuljan	..	Do	439·20
63	Bharanta	..	Do	1,198·80
64	Bijapur		Do	324·00
65	Barram	..	Do	991·80
66	Balakarupi	..	Do	760·50
67	Bhagottar	..	Do	294·30
68	Dhupkiara	..	Do	625·50
69	Gandar	..	Do	504·00
70	Guga	..	Do	403·20
71	Harsi	..	Do	1,269·00
72	Kona	..	Do	657·00
73	Kosri	..	Do	675·00
74	Lahru	..	Do	1,215·00
75	Majhera	..	Do	319·50
76	Nahlna	..	Do	450·00
77	Sanghol	..	Do	1,071·00
78	Sakoh	..	Do	649·80

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Panchayat		Name of Tehsil	Amount to be paid
				Rs
79	Sanhun	..	Palampur	480·60
80	Sole Banehar	..	Do	1,145·70
81	Talwar	..	Do	965·70
1	Gher	...	Dehra	612·00
2	Paisa	..	Do	1,078·20
3	Dhuwala	..	Do	1,794·60
4	Gumbar	..	Do	2,634·30
5	Ghandhwar	..	Do	2,369·70
6	Bag	..	Do	2,852·00
7	Dab Khariana	..	Do	540·00
8	Mahand Dev	..	Do	1,124·10
9	Khundian	..	Do	1,733·40
10	Bhar Kalan	..	Do	1,330·20
11	Tiri Pal	..	Do	1,412·10
12	Tanankalan	..	Do	1,150·20
13	Kharian	..	Do	919·80
14	Dola	..	Do	488·70
15	Katherh	..	Do	1,350·00
16	Amb	..	Do	835·20
17	Bohn Khas	..	Do	98·10
18	Samralian	..	Do	889·20
19	Dhameta	..	Do	727·20
20	Polian	..	Do	696·60
21	Narhiana	..	Do	3,580·20
22	Duhak	..	Do	3,437·10
23	Sothal	..	Do	4,172·40
24	Bilaspur		Do	522·90
25	Sakkari	..	Do	614·70
26	Kathoh	..	Do	1 744.20
27	Spel	..	Do	656.60
28	Nagrota Surian	..	Do	1,742.40
29	Bhariarian	..	Do	1,311.30
30	Ghar	..	Do	8.10
31	Bashal	..	Do	790.20
32	Bara	..	Do	476.10
33	Bassi	...	Do	1,775.70
34	Barota	..	Do	540.90
35	Chaplah	...	Do	1,136.70
36	Daliara	...	Do	1,088.10
37	Dhonta Khas	...	Do	673.20
38	Dodra	...	Do	814.50
39	Gagruhi	...	Do	1,028.70
40	Ghamrur	...	Do	707.40
41	Garli Town	...	Do	301.50
42	Garnwar	...	Do	1,964.70
43	Ghalor	..	Do	1,197.90
44	Jareondi	...	Do	1,317.60
45	Kaloha Khas	...	Do	1,171.80
46	Kasba Jagir	...	Do	1,556.10
47	Kotu Dhorian	...	Do	1,233.00
48	Log	...	Do	538.20
49	Muhin	...	Do	718.20
50	Mahan	...	Do	370.80
51	Sansarpur	...	Do	1,691.10
52	Santla	...	Do	1,063.80
53	Sialkar	...	Do	1,441.80
54	Sibal	...	Do	1,164.60

Serial No.	Name of Panchayat		Name of Tehsil	Amount to be paid
				Rs
55	Tiamol	..	Dehra	581.40
56	Zipri	..	Do	830.70
57	Ujeh Khas	..	Do	431.10
58	Bharoli	..	Do	3,773.70
1	Ambal	..	Nurpur	1,005.30
2	Bhalakh	..	Do	1,005.30
3	Basa Waziran	..	Do	1,355.40
4	Dhol	..	Do	1,089.00
5	Dagla	..	Do	571.50
6	Gangat	..	Do	405.00
7	Hatheli	..	Do	872.10
8	Hathara Khas	..	Do	643.50
9	Kothi Wandan	..	Do	882.90
10	Kehrian	..	Do	873.00
11	Nadauli Khas	..	Do	832.50
12	Nana	..	Do	1,048.50
13	Sohlda	..	Do	1,044.00
14	Barota Khas	..	Do	621.00
15	Basantpur	..	Do	2,251.80
16	Diana	..	Do	443.70
17	Diankwan	..	Do	345.60
18	Ghoran	..	Do	828.90
19	Gagwal	..	Do	1,116.00
20	Hatholi Khas	..	Do	1,408.00
21	Kath Garh	..	Do	1,548.90
22	Ind Pur	..	Do	1,536.30
23	Lodwan	..	Do	1362.60
24	Manoh	..	Do	832.50
25	Mandoli	..	Do	495.90
26	Malaheri Khas	..	Do	702.00
27	Pral	..	Do	2,137.50
28	Re	..	Do	1,034.10
29	Shamlet	..	Do	825.30
30	Sunhara	..	Do	1,285.20
31	Sunet Khas	..	Do	1,068.30
32	Surajpur	..	Do	1,071.00
1	Barahar	..	Kulu	468.00
2	Kharihar	..	Do	339.30
3	Mangarh	..	Do	350.10
4	Mashna	..	Do	401.40
5	Dunkharigahar	..	Do	476.10
6	Phallan	..	Do	378.90
7	Barsheri	..	Do	531.90
8	Manikaran	..	Do	531.00
9	Pini	..	Do	642.60
10	Shilli Rajgiri	..	Do	281.70
11	Neul	..	Do	273.60
12	Peej	..	Do	694.80
13	Choparsa	..	Do	752.40
14	Shat	..	Do	422.10
15	Bandrol	..	Do	907.20
16	Balh	..	Do	946.80
17	Khokhan	..	Do	680.40
18	Pangan	..	Do	598.50
19	Hurrang	..	Do	1,333.80
20	Bara Gran	..	Do	714.60
21	Bran	..	Do	686.70

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Panchayat		Name of Tehsil	Amount to be paid
				Rs
22	Manchi	..	Kulu	648.00
23	Burwi	..	Do	865.80
24	Vahishat	..	Do	960.30
25	Pruni	..	Do	1,263.60
26	Shirar	..	Do	1,079.10
27	Mandelgarh	..	Do	1,606.50
28	Mullan-II	..	Do	558.00
29	Kais	..	Do	1,893.60
30	Gojia	..	Do	739.80
31	Buchher	..	Do	531.00
32	Rahnu	..	Do	715.50
33	Ghathu	..	Do	754.20
34	Lote	..	Do	1,113.30
35	Nither	..	Do	657.00
36	Sarhan	..	Do	622.80
37	Jhaler	..	Do	608.40
38	Deem	..	Do	382.50
39	Kota	..	Do	988.20
40	Arsu	..	Do	1,029.60
41	Nishani	..	Do	916.20
42	Garejh	..	Do	603.90
43	Nirmand	..	Do	1,161.00
44	Toshna	..	Do	366.30
45	Mari	..	Do	1,568.80
46	Karshaigarh	..	Do	1,024.20
47	Bishla Dhar	..	Do	877.50
48	Kard	..	Do	589.50
49	Rupa	..	Do	622.80
50	Kungash	..	Do	722.70
51	Karana	..	Do	558.90
52	Khani	..	Do	380.70
53	Kohila	..	Do	517.50
54	Sansar	..	Do	577.80
55	Gopalpur No. 1	..	Do	748.80
56	Sichain	..	Do	428.40
57	Kothis Chehni	..	Do	801.90
58	Kotla	..	Do	376.20
59	Mohini	..	Do	382.50
60	Mohanda	..	Do	485.10
61	Shangarh	..	Do	320.40
62	Banogi	..	Do	735.30
63	Shikari	..	Do	1,195.20
64	Tung	..	Do	579.60
65	Thati Bir	..	Do	272.00

LAND RESERVED FOR FORESTS IN PALWAL SUB-DIVISION, DISTRICT GURGAON

893. Chaudhri Har Kishan : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the total area of land reserved at present for forests in Palwal Sub-Division in Gurgaon District;

(b) the total amount of income derived annually from the said area of land;

(c) the total number of trees in the forest area in village Dighot which are more than five years old;

(d) the date when the said forest area in village Dighot was taken over by the Forest Department;

(e) the period up to which the said area is likely to remain under the control of Forest Department ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) 3,153 acres.

(b) Rs 5,400.00.

(c) 300.

(d) 2nd July, 1951.

(e) 1st July, 1976.

CONSTRUCTION OF PUCCA ROAD FROM BHATINDA TO KALJHARAN VIA NARWANA, ETC.

894. Sardar Hardit Singh : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for constructing a pucca road from Bhatinda to Kaljharan via Narwana and Ghudda; if so, when it is likely to be implemented ?

Sardar Darbara Singh : *Part I.*—No; except the portion from Kalchirani to Ghudda.

Part II.—Due to National Emergency it cannot be said when it will be possible to undertake its consttuction.

TRUCK PERMIT-HOLDERS IN GURGAON DISTRICT

895. Shri Harkishan : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names and addresses of holders of permits for plying trucks at present in Gurgaon District;

(b) the names of such permit-holders who have not purchased their own trucks so far;

(c) the names of such permit-holders who have given their permits on hire to others in Gurgaon District;

(d) the details of steps, if any, taken by Government to check the tendency referred to in parts (b) and (c) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) None.

(c) No such case has been brought to notice of the Government.

(d) In view of replies to (b) and (c) above, this question does not arise

List of Public Carrier Permits issued for the residents of Gurgaon District

Serial No.	Name and address of the Permit-holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
1	Parkash Lal, son of Wadhaya Ram, Gurgaon	1377/48	PNG-1880	31-7-67
2	Shanti Narain, son of Malawa Ram, Gurgaon	2365/48	PNE-1773	31-7-67
3	Pritam Dass, son of Malawa Ram, Gurgaon	1375/48	PNR-1738	31-7-67
4	Rishan Sarup Jain, son of Bashe•har Dayal Jain, Gurgaon Cantt.	436/48	PNR-2266	31-7-67

[Chief Minister]

Serial No.	Name and address of the Permit-holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
5	Sant Lal, son of Ram Dass, Rewari	1826/48	PNG-2188	31-7-67
6	Mahabir Parshad, son of Pukhar Mal, Gurgaon	1761/48	PNG-2374	31-7-67
7	Sunder Dass, son of Ram Dass, Rewari	1839/48	PNG-2196	31-7-67
8	Subesh Chander, son of Sunder Lal, Rewari	1315/48	PNG-1925	31-7-67
9	Nand Lal, son of Sant Lal, Rewari ..	1181/48	PNG-2009	31-7-67
10	Messrs Pritam Dass-Lachhman Dass, Gurgaon	968/48	PNW-2295	31-7-67
11	Hakumat Ram, son of Puran Ram, Palwal	1808/48	PNG-1424	31-7-67
12	Messrs Kanwar Bhan-Uttam Chand, Palwal	1819/48	PNG-5079	31-7-67
13	Messrs Bishan Dass-Mool Chand, Palwal	2511/48	PNG-2118	31-7-67
14	Messrs Rijhu Ram-Basakhi Ram, Palwal	1062/48	PNR-2229	31-7-67
15	Messrs Sahib Ditta-Charan Dass, Gurgaon	1618-48	PNK-1764	31-7-67
16	Didar Singh, son of Amar Singh, Gurgaon	1012/48	PNK-2341	31-7-67
17	Messrs Sadhu Singh-Darshan Singh, Gurgaon	2115/48	PNG-1335	31-7-67
18	Messrs Nand Kishore-Naval Kishore, Daulatabad	916/48	PNR-6090	31-7-67
19	Ram Niwas, son of Basheshar Dayal, Rewari	2530/48	PNR-1847	31-7-67
20	Moti Ram, son of Kundan Lal, Palwal	2523/48	PNG-1912	31-7-67
21	Dewan Lok Nath, son of Dewan Mukand Lal, Palwal	2453/48	PNG-5082	31-7-67
22	Chander Bhan, son of Thaker Dass, Gurgaon Cantt	1550/48	PNG-2011	31-7-67
23	Parkash Chander, son of Moti Ram, Gurgaon	954/48	PNR-5133	31-7-67
24	Sita Ram, son of Megh Raj, Palwal	1263/48	PNJ-4990	31-7-67
25	Jai Pur Golden Co. Ltd., Gurgaon	1213/48	PNG-2496	31-7-67
26	Ditto	79/51	PNG-2182	31-7-67
27	Messrs Sant Singh and Sons (P) Ltd., Gurgaon	1559/48	PNG-2079	31-7-67

S. No	Name and address of the Permit holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
28	Kushal Pal Singh, son of Amar Singh, Gumina, Rewari	20/59	PNG-6055	14-4-64
29	Davinder Singh, Nekheri Kheri, Rewari	22/59	PNG-921	15-4-64
30	Ram Chander, son of Budh Ram, Bhagala, Palwal	30/59	PNT-3752	30-4-64
31	Mohinder Singh, son of Lal Singh, Gurgaon	35/59	PNR-2261	6-5-64
32	Janardhan Datt, son of Rama Nand, Rewari	37/59	PNH-6018	13-5-64
33	Mohd Ashraf Khan , son of Mela Khan, Hakhir, Nuh , district Gurgaon	62/59	PNG-2115	13-7-64
34	Messrs Milap Chand-Dev Raj, Sohna	72/59	DLG-5370	21-7-64
35	Bhom Singh, son of Amrao Singh, Nira, Rewari	91/59	PNR-2720	30-7-64
36	Messrs Sis Ram-Sunder Lal, Rewari	92/59	PNR-924	5-8-64
37	Bansi Lal, son of Daya Ram, 129/1, Gurgaon	93/59	PNT-1699	6-8-64
38	Krishan Lal, son of Ram Chand, Palwal	115/59	PNG-5101	14-9-64
39	Tulsi Dass of Palwal ..	120/59	PNF-7725	16-9-64
40	Babu Lal, son of Phool Chand, Rewari	126/59	DLG-5599	17-9-64
41	Som Nath Sethi, son of Ram Narain, Gurgaon	129/59	PNR-1431	17-9-64
42	Dhan Singh, son of Jaswant Singh, Palwal	132/59	PNR-2623	22-9-64
43	Sita Ram, son of Sewa Ram, Faridabad	133/59	UPS-4093	22-9-64
44	Shameshwar Sahai, son of Janki Parshad, Rewari	136/59	PNK-1783	22-9-64
45	Ghisa Ram, son of Nathu Ram, Gurgaon	159/59	PNG-6078	14-10-64
46	Jagat Singh, son of Dayal Singh, Rewari	167/59	PNE-6345	19-10-64
47	Jai Singh, son of Rao Jainarain Singh, Gurgaon	168/59	PNG-2467	19-10-64
48	Hira Singh, son of Ude Ram, Gurgaon	174/59	PNE-4916	26-10-64
49	Mota Din, Rewari ..	175/59	PNW-653	26-10-64
50	Ajudhia Nath, son of Bansi Lal, Rewari	176/59	PNG-6064	27-10-64
51	Sarwan Singh, son of Rao Surat Singh, Rewari	177/59	PNG-6083	28-10-64
52	Parma Nand Kara, son of Narinjan Dass, Palwal	179/59	PNR-1591	5-11-64

[Chief Minister]

Serial No.	Name and address of the Permit holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
53	Messrs Amar Singh-Prem Singh, Palwal	183/59	PNR-1758	16-11-64
54	Khyali Singh, son of Padam Singh, Palwal	198/59	PNW-2566	15-12-64
55	Raj Kanwar, son of Jodha Ram, Rewari	212/60	PNR-2117	23-7-66
56	Shooji Ram, son of Nanwa, Gurgaon	272/60	PNR-2117	12-12-65
57	Ajudhia Nath, son of Bansi Lal, Rewari	276/60	PNG-6084	15-12-65
58	Rao Paras Ram, son of Rao Dhankal Singh, Rewari	15/61	PNG-6079	29-8-66
59	Shri Inder Singh, son of Partap Singh care of Model Co-operative Transport Soceity, Gurgaon	125/T/61	PNG-6079	29-8-66
60	Ram Saran Dass Mahndi Ratta, Gurgaon	130/61	PNR-2620	28-6-67
61	Shri Sunder, Contractor, Gurgaon ..	139/T/61	PNG-1928	26-6-62
62	Sunder Singh Bawa, son of Sabil Dass, Gurgaon	165/61	PNG-2392	5-7-66
63	Sher Singh, son of Ganeshi Lal of Pachgaon	203/61	PNG-1684	30-4-67
64	Hans Raj, son of Krishan Lal, Farei-Pur	207/61	PNG-2093	18-4-67
65	Sohan Lal, son of Chhajju Mal, Sohna	215/61	PNG-1930	27-7-67
66	Joginder Singh, Faridabad ..	227/61	PNA-4857	4-8-66
67	Prehalad Singh, son of Chet Ram, Sukhrali	228/61	PNU-1245	4-8-66
68	Ram Sarup, son of Munshi Ram, Aqlimpur	240/61	PNR-2165	18-4-67
69	Munshi Ram, son of Mehar Singh, Aqlimpur	241/T/61	PNR-2145	19-4-62
70	Ram Singh, son of Taal Dass, Gurgaon Cantt	242/61	PNG-2394	17-4-67
71	Mangtu Ram, son of Singh Ram of Bhondsi	245/61	PNU-2037	23-4-67
72	Wazir Singh, son of Tarlok Chand, Rewari	265/61	PNG-6086	15-4-67

Serial No.	Name and address of the Permit-holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
73	Resal Singh, son of Kahney Ram, Manesar	275/61	PNR-2022	18-5-67
74	Pritam Dass, son of Milawa Ram, Gurgaon	286/61	PNG-1969	10-5-67
75	Ditto	287/61	PNR-2616	14-5-62
76	Bhagwan Dass, son of Ram Lal of Rewari	321/61	PNG-2324	19-9-66
77	Mahanbir Parshad, Government Contractor, Gurgaon	334/61	PNG-2418	11-6-67
78	Narain Singh, son of Resal Singh, Alipur	385/61	PNG-2024	21-6-67
79	Gobind Ram, son of Daulat Ram, Rewari	399/61	PNR-3347	9-11-66
80	Hira Lal, son of Pyare Lal, Palwal ..	414/61	PNR-2607	15-11-66
81	Shri Sher Singh, son of Puran Singh, Tikli	456/T/61	PNG-2103	13-4-62
82	Messrs Lakshmi Rattan Engineer Works Ltd, Gurgaon	466/61	PNG-2468	22-4-67
83	M/s Ram Rang-Jagdish Chander, Gurgaon	8/62	PNK-2127	8-5-67
84	Budh Ram, son of Naneh Singh, Palla, P.O. Faridabad	10/62	PNG-2397	9-5-67
85	Baboo Lal Agg., son of Phool Chand, Rewari	42/62	PNG-6088	1-2-67
86	Siri Chand, son of Tara Chand, Tauru, district Gurgaon	44/62	PNR-2691	10-6-67
87	Sukhdayal, son of Kirpa Ram of Palwal	52/62	PNG-1571	5-6-67
88	M/s Rakha Singh, son of Gulzari Lal, Rewari	55/62	PNG-6063	17-6-67
89	Labh Singh, son of Sant Singh, Gurgaon	74/62	PNE-5245	28-6-67
90	Kirpal Singh, son of Narain Singh, Gurgaon	77/62	PNG-2508	1-7-67
91	Sadhu Singh, son of Anokh Singh, c/o Auto Mobiles, Gurgaon	..	..	..
92	Rakha Singh, son of Gulzari Lal, Rewari	152/62	PNG-2756	2-8-67

[Chief Minister]

Serial No.	Name and address of the Permit-holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
93	Tek Chand, son of Kanaya Lal, Gurgaon	153/62	PNG-6085	30-7-67
94	Ram Chander, son of Khan Chand, Gurgaon	155/62	PNF-7530	2-8-67
95	Sham Lal Jain, son of Kamar Sain, Gurgaon	156/T/62	PNG-2521	2-8-62
96	Brij Lal son of Sobha Ram of Balabhgarh	179/62	PNG-1971	16-8-67
97	M/s Mool Chand-Dharam Chand, Palwal	182/62	PNG-2531	9-8-67
98	Amir Chand, son of Pokhar Dass, Palwal	198/62	PNU-1202	18-9-67
99	Tek Chand, son of Was Dev, Gurgaon	210/62	PNW-6141	2-9-67
100	Rajinder Lal, son of Bodh Raj, Gurgaon	218/62	PNG-2539	5-9-67
101	M/s, Kailash Chand-Khan Chand, Sohna	230/62	PNG-2538	23-9-67
102	Amar Nath, son of Sant Lal, Rewari	273/T/62	PNG-2579	15-10-62
103	Gurmuukh Singh, son of Duni Chand, Nuh	279/62	PNG-1925	22-10-67
104	Jagdish Chander, son of Bhagwan Dass, Palwal	285/62	PNG-2593	18-10-67
105	Ram Rang, son of Bhagwan Dass, Palwal	288/62	PNG-2583	26-9-67
106	Tarlok Chand, son of Dewan Chand, Gurgaon	289/62	PNG-5087	26-9-67
107	Shanker Dass, son of Kirpa Ram Palwal, district Gurgaon	297/62	PNG-2598	17-10-67
108	Shyam Sunder, son of Hari, Gurgaon	299/62	PNG-2582	7-1-68
109	Nand Singh, son of Sunder Singh, Gurgaon	307/62	PNU-1390	29-10-67
110	M/s Northern India Goods Transport Co., Ltd., Gurgaon	309/62	PNG-2605	5-11-67
111	Ditto	310/62	PNG-2608	5-11-67
112	M/s Om Parkash and Co., Balabghgarh	324/62	PNF-3427	28-11-67
113	Bishan Singh, son of Anokh Singh, Gurgaon	325/62	PNG-2607	22-11-67

Serial No.	Name and address of the Prermit-holder	Permit No.	Vehicle No.	Validity
114	Mehar Singh, son of Harnam Singh, Badshahpur	343/62	PNG-2622	5-11-67
115	Niamat Rai, son of Sara Ram of Palwal	342/62	PNG-5094	27-11-67
116	M/s Kailash Mills Stores, Balabhgarh	344/62	PNG-5089	11-12-67
117	Kashmiri Lal, son of Ganga Ram, Gurgaon	350/T/62	PNG-2621	20-4-63
118	Bashamber Singh, son of Hari Singh, Gurgaon	351/62	PNG-2619	28-11-67
119	Amrik Singh, son of Ram Singh, Gurgaon	353/62	PNG-2213	26-12-67
120	Uttam Chand, son of Mittan Lal, Palwal	437/62	PNG-5096	27-12-62
121	Punnu Ram, son of Lal Chand, Gurgaon	446/62	PNW-1163	26-12-67
122	Kehri Singh, son of Moola Ram, Bhaproda	448/62	PNR-1035	9-1-68
123	Bhagwan Dass, son of Ganpat Rai. Palwal	491/62	PNG-5082	13-1-68
124	M/s Peekay Carriers , Palwal	499/62	PNG-2627	15-2-69
125	The Guru Nanak Brick-Kiln Co-operative Industrial Society Ltd., Faridabad	536/62	PNJ-1670	30-1-68
126	Hukam Chand, son of Mool Chand, Gurgaon	541/62	PNG-1311	30-1-68
127	M/s Hota Ram-Surmakh Dass, Faridabad	544/62	PNK-6152	30-1-68
128	Ram Parkash, son of Bhagwan Dass, Palwal	548/62	PNG-5104	4-6-63
129	M/s, Tek Chand-Basant Lal, Faridabad	571/62	PNU-1704	17-2-68
130	M/s Notan Dass-Khushi Ram, Gurgaon	573/62	PNG-2669	19-2-68
131	Jaumman Ram Pinger, tehsil Palwal	582/T/62	PNQ-44	30-6-63
132	M/s Dina Nath-Some Nath, Gurgaon	606/62	PNG-5108	13-3-68
133	Vishkarama Stone Crushing Co., Sona	609/62	PNG-2674	11-3-68
134	Harjit Singh, son of Barkat Singh, Faridabad	613/62	PNW-2287	14-3-68
135	Kailash Chand, son of Umrao Singh, Sona	614/T/62	PNG-2579	16-3-63
136	Harbhajan Singh, son of Chuni Lal, Gurgaon	615/62	PNG-1956	18-3-63

[Chief Minister]

137	Hit Ablashi Sharma, son of Thakar Dass, Gurgaon	622/T/62	PNR-2145	21-3-63
138	Nathi Ram, son of Lila Ram, Palwal	623/62	PNG-5109	17-3-63
139	Shiv Shanker, son of Kirpa Ram, Palwal	636/T/62	PNG-5114	2-4-62
140	Baljit Singh, son of Bikam Singh, c/o Operator Goods Transport, Palwal	643/T/62	PNG-5096	13-4-63
141	Sohan Lal, son of Bosa Ram, Palwal	1853/48	PNG-2082	5-6-63

CASES REGISTERED UNDER SECTIONS 304 AND 302, I.P.C.

896. Sardar Kulbir Singh : Will the Home Minister be pleased to state —

(a) the number of cases registered under section 304, I.P.C. in in each district of the State between 1st July, 1962 and 31st December, 1962 ;

(b) the number of persons murdered in connection with the cases referred to in part (a) above districtwise ;

(c) the number of cases registered under section 302, I.P.C., in each district of the State between 1st July, 1962 and 31st December, 1962 ;

(d) thc number of persons murdered in connection with the cases referred to in part (c) above districtwise ?

Shri Mohan Lal : A Statement is as follows :

Statement showing the number of cases registered under Sections 304 and 302, I.P.C., in the State, Districtwise, during the period from 1st July, 1962 to 31st December, 1962.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Name of District	Number of cases registered under section 304, IPC.	Number of persons murdered in connection with the cases referred to in part (a)	Number of cases registered under section 302, I.P.C.	Nmber of persons murdered in connection with the cases referred to in part (c)
Hissar ..	9	9	34	35
Rohtak ..	5	5	8	8
Gurgaon ..	6	6	10	13
Karnal ..	4	4	22	23

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Name of District	Number of cases registered under section 304 I.P.C.	Number of persons murdered in connection with the cases referred to in part (a)	Number of cases registered under section 302, IPC.	Number of persons murdered in connection with the cases referred to in part (c)
Ambala ..	3	3	9	11
Simla ..	..	..	..	..
Kangra ..	1	1	6	6
Hoshiarpur ..	2	2	9	9
Jullundur ..	3	3	28	32
Ludhiana ..	7	L	23	24
Kapurthala ..	1	1	6	6
Lahaul and Spiti	..	..	1	1
Ferozepore ..	10	10	48	52
Amritsar ..	8	8	23	23
Gurdaspur ..	6	6	6	6
Patiala ..	8	8	19	22
Sangrur ..	12	12	18	22
Bhatinda ..	15	15	33	36
Narnaul ..	4	4	5	5

CASES REGISTERED UNDER SECTIONS 302 AND 304, I.P.C.

897. Sardar Kulbir Singh : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the number of cases registered under section 302, I.P.C., between 1st January, 1950 and 31st December, 1955, districtwise ;

(b) the number of persons murdered, districtwise, in connection with the cases referred to in part (a) above ;

(c) the number of cases registered under section 304, I.P.C., between 1st January 1950 to 31st December, 1955;

(d) the number of persons murdered in connection with the case referred to in part (c) above, distirictwise ?

Shri Mohan Lal : A statement is as follows :

Statement showing the number of cases registered under Sections 302 and 304 , I.P.C., in the State during the period from 1st January 1950 to 31st December, 1955 , Districtwise

Name of district		(a) Cases registered under section 302, I.P.C	(b) Persons murdered in connection with the cases referred to in part (a)	(c) Cases Registered under section 304, I.P.C.	(d) Persons murdered in connection with cases referred to in part (c)
Hissar	..	350	405	61	63
Rohtak	..	221	244	52	52
Gurgaon		128	132	37	37
Karnal	..	191	203	113	113
Ambala	..	182	196	23	23
Simla	..	5	5	6	6
Kangra	..	130	156	50	50
Hoshiarpur	..	140	149	34	34
Jullundur	..	216	227	53	53
Ludhiana	..	261	271	33	33
Kapurthala	..	87	87	21	21
Lahaul and Spiti	..	..	..	..	..
Ferozepore	..	648	683	134	135
Amritsar	..	608	630	165	165
Gurdaspur		210	230	49	49
Patiala	..	242	259	32	32
Sangrur	..	599	668	135	135
Bhatinda	..	579	603	41	41
Narnaul		38	38	9	

QUESTIONS OF PRIVILEGE

1. REGARDING CERTAIN REMARKS MADE BY THE CHIEF MINISTER ABOUT THE HON. MEMBERS

Shri Balramji Dass Tandon : With your permission, Madam, I want to bring to your kind notice that the privilege of the House has been

infringed by the saying of the words in the House "that the defeated persons appointed as personal advisers to the Chief Minister are more powerful than the returned persons in the House".

This utterance of the Chief Minister has infringed the privilege of the House, as such I wolud request your honour, Madam, to take suitable action in the matter.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल इस हाउस के अन्दर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो बात कही थी उसे आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जो उन्हों ने कहा था कि उन के जो एड्वाईज़र हैं वह इस हाउस के आनरेबल मैम्बर्ज़ से भी ज़्यादा प्रबल हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह लफ़्ज़ कह कर इस हाउस के जो चुने हुए मैम्बर हैं उन की और इस सारे हाउस की इज्ज़त पर छापा मारने की कोशिश की है। यह देखने के लिए कि यह कहां तक ठीक है मैं आप से दरखास्त करना चाहता हूँ कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाए। जो हारे हुए आदमी हैं उन को इस हाउस के चुने हुए मैम्बरज़ से ज़्यादा पावरफुल कहना ठीक नहीं है।

उपाध्यक्षा : जो आप की प्रिविलेज मोशन है इसे मैं ने बड़ी अच्छी तरह से ग़ौर से देखा है लेकिन मुश्किल यह है कि मैं ने उन के यह शब्द अपने कानों से नहीं सुने। अगर सुने होते तो मैं उसी वक्त उन्हें यह लफ़्ज़ वापस लेने को कहती। अगर उन्हों ने एसे लफ़्ज़ कहे हैं तो यह नामुनासिब बात है। लेकिन मैं ने यह लफ़्ज़ अपने कानों से नहीं सुने। इस लिए मैं माननीय सदस्य से कहती हूँ कि वह अपनी इस प्रिविलेज मोशन को वापस ले लें।
(I have throughly examined the privilege motion given notice of by Shri BalramJi Das Tandon but the difficulty in giving my ruling on it is that I had not myself heard him saying these words. Had I heard this remark I would have certainly asked him at that time to withdraw the same. It was not proper for him to have used these words. At least I have not heard him saying so. Therefore, I would request the hon. Member to withdraw his privilege motion.)

चौधरी देवी लाल : आप कहती हैं कि आप ने सुने नहीं। अगर उन्हों ने यह लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं तो यह रिकार्ड पर होंगे। आप वह मंगवा कर देख लें। चीफ मिनिस्टर की तो आदत सी हो गई है ऐसी बातें करने की। कौंसिल में इन्होंने कहा था कि इन के एडवाईज़र मैम्बरों से ज़्यादा वाईज़ हैं। इस से साफ ज़ाहर है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

उपाध्यक्षा : जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हों ने कौंसिल में क्या कहा था और प्रैस में क्या आया है I am not concerned with that. (I am not concerned with the words uttered by the hon. Chief Minister on the floor of the Legislative Council and what has been reported in the Press.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : प्रैस में तो कुछ और ही तरह से आया है। हारे हुए और जीते हुए में सोचने का ही फर्क होता है। अगर हारे हुए को किसी ओहदे पर

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]
लगा दिया जाए तो वह भी बड़ा पावरफुल हो जाता है और अगर उसे किसी कमेटी में बैठा दिया जाए तब भी उस की डिसक्वालिफिकेशन दूर हो जाती है। यह तो सोचने की ही बात है।

(इस वक्त श्री बलरामजी दास टंडन बोलने के लिए उठे।)

उपाध्यक्षा : जो मैं कह रही थी मुझे पहले वह कहने दो। हाउस की जो उस दिन की प्रोसीडिंग्ज़ हैं मुझे वह देखने का मौका ही नहीं मिला। वह मैं देख लूंगी और अगर कोई नामुनासिब चीज़ होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उसे चीफ मिनिस्टर साहिब वापस ले लें। मैं नहीं चाहती कि यहां कोई ऐसी चीज़ कही जाए जो इस औगस्ट हाउस की शान को कम करती हो। (Let me first finish what I was just saying. I have not yet been able to go through the proceedings of the House of that day. I would examine those proceedings and if I find that something uncalled for has been said by the Chief Minister, I would request him to withdraw it. I do not like that any such thing should be uttered here which may lower the dignity of this House.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, it is not a question of withdrawal of the words. It is a matter of privilege of the House and it is something on which thoughtful consideration should be given. It is a matter of privilege of the House and should, therefore, be referred to the Committee of Privileges.

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ और वह यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यह बात आप के नोटिस में नहीं आई, इस बारे में मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह लफज़ बड़े ऐम्फैटिकली कहे थे। मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा था कि वह ज्यादा 'परबल' हैं तो मैं ने पूछा कि क्या कहा है। तो उन्हों ने कहा मैं क्यों नहीं समझा। उन्हों ने कहा कि उन्हों ने 'परबल' का लफज़ कहा है जिस को हिन्दी में प्रबल कहते हैं। उन्हों ने यह लफज़ बड़े एम्फैटिकली कहे थे कि उन के पर्सनल एडवाईज़र, जो हारे हुए कैंडीडेट्स हैं, दूसरे चुने हुए मैम्बरों से प्रबल हैं। इस लिए मैं यह समझता हूँ कि यह मामला बड़ा सीरियस है और इसे प्रिविलेज कमेटी के हवाले करना चाहिए।

गृह मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नमैंट के दिल में और चीफ मिनिस्टर साहिब के दिल में इस हाउस के और इस हाउस के मैम्बर साहिबान के जो प्रिविलेजिज़ हैं उन की अच्छी तरह से इज्जत है। जहां तक केवल उन लफजों का सम्बन्ध है चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से वह कहे गए थे। मगर मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप उन लफज़ों को पढ़ लीजिए। मैं उस वक्त यहां बैठा था, मैं ने वह लफज़ सुने थे। 'प्रबल' का लफज़ उन्हों ने इस्तेमाल किया था लेकिन उन की हरगिज़ यह मनशा नहीं थी कि इस हाउस पर या इस हाउस के मैम्बर साहिबान पर किसी किस्म की कोई ऐसपरशन डाली जाए। यह तो उन्हों ने उन आदमियों के मुताल्लिक प्रबल का लफज़ इस्तेमाल किया था जो डीफीटिड थे जो

एडवाईजर्ज़ लगाए गए थे । उन के कहने का मतलब यह था कि एक आदमी इलैक्शन में हार जाता है.... (विघ्न)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : जो अलफाज़ चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस्तेमाल किए थे, अगर उन अलफाज़ की इंटरप्रैटेशन पण्डित जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में उन्हों ने 'प्रबल' नहीं कहा था बल्कि उन्हों ने 'प्राया बल' यानी किसी और का बल कहा था........ (हँसी)

गृह मंत्री : मैं आप की विसातत से मैम्बर साहिबान से यह अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसी बातों पर सैन्सेटिव नहीं होना चाहिये। इस के बावजूद भी मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि जब आप प्रोसीडिंग्ज़ पढ़ कर देखेंगी तो आप भी इसी नतीजा पर पहुँचेंगी कि उन की कोई ऐसी मनशा नहीं थी।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मैं आप की इस बात पर रूलिंग चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति ने इस हाउस के अन्दर पहले कोई बात कही हो तो क्या दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति के बारे में अथारिटेटिवली कह सकता है ?

Sardar Gurnam Singh : Madam, in order to judge the intention of an hon. Member in this House we have to go to the past and we feel, on this side of the House, that the Leader of the House is in the habit of talking like that. In view of what you have suggested the hon: Home Minister's interpretation of the intention of the Leader of the House, in my opinion, is a poor advocacy. I bow before your decision that you would ask the Leader of the House about it. I would request that till then this matter may be kept pending.

उपाध्यक्षा : होम मिनिस्टर साहिब ने मुझे ठीक गाईडैंस दी है। जब तक मैं प्रोसीडिंग्ज़ नहीं देख लेती तब तक के लिए मैं अपनी रूलिंग रिज़र्व रखती हूँ। (The hon. Home Minister has given me the right guidance. I reserve my ruling till I have gone through the relevant proceedings of that day.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं भी उन में से हूँ जिन्हों ने इन के अलफाज़ के खिलाफ प्रोटैस्ट शो की थी और रीजैंट भी किया था।

आप ने जो यह फरमाया है कि पण्डित मोहन लाल जी ने यह मसला हल कर दिया है, यह ठीक नहीं। उन्हों ने तो कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह अलफाज़ कहे थे। इस के पीछे छिपी इंटैन्शन होम मिनिस्टर साहिब कैसे बतला सकते हैं जो अब बतला रहे हैं। जो मनशा इन अलफाज़ के कहने का था वह तो चीफ मिनिस्टर साहिब ही बतला सकते हैं। फिर उन को ऐसे करते यह तीसरा मौका है। यह उन की आदत सी बन गई है। अगर यह मामला ड्राप कर दिया गया तो उन की यह आदत बन्द न होगी।

उपाध्यक्षा : आप ने ठीक कहा है। (The hon. Member may be right.)

कामरेड राम प्यारा : यह मामला एक एम० एल० ए० का नहीं है बल्कि सारे हाउस का है। हम चीफ मिनिस्टर को इजाज़त नहीं दे सकते कि वह हाउस की डिगनिटी को लो करें। इन अलफाज़ के साथ मैं आप से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस मामले को प्रिविलेजज़ कमेटी के सामने भेजा जाए। या फिर वह ओपनली हाउस में माफी मांगें कि उन से गलती हुई और आयंदा के लिये ऐशुरैंस दें कि वह ऐसी गलती नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो सख्त सज़ा भोगने के लिए तैयार होंगे (अोपोज़ीशन की तरफ से तालियां।)

उपाध्यक्षा : आप को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आप पुराने पालियामैंटेरियन हैं। आप बिना काल अपौन किए ही बोल पड़े। आप को यह आदत छोड़नी चाहिए। (विघ्न) जब जज साहिब ने अपनी अच्छी तजवीज दे दी तो मैं खड़ी हुई और उस को मैं ने मनजूर कर लिया। दूसरी प्रिविलेज मोशन के बारे टंडन जी कुछ कह रहे थे मगर आप बीच में ही उठ कर खड़े हो गए और आप ने अपना भाषण कर लिया। (To the hon. Member I would say only this much that he is an old parliamentarian. He started speaking without being called upon. He should get rid of this habit. (*interruption*) I accepted the good suggestion made by Sardar Gurnam Singh. Shri Tandon was on his legs and referring to the second privilege motion, when the hon. Member interrupted him and started making a speech.)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं जब बोल रहा था तो सरदार हरचंद सिंह जी ने रिमार्क किया कि मैं 1947 की पैदावार हूं। मैं इस के खिलाफ रिज़ैंट करता हूं। मुझे पता है कि यह कब कांग्रेस में आए थे। मैं ने अपनी आधी जिन्दगी कांग्रेस में गुजारी है। मैं जेल भी गया हूं। इन से कहा जाए कि यह अपने लफज़ वापस लें। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : पहले मैं आप से कहूंगी कि आप इतने पुराने पालियामैंटेरियन होते हुए भी बिना काल अपौन किए हुए खड़े हो गए। You should withdraw and he too must withdraw. (First I will say that the hon. Member, who is an old parliamentarian, stood up without being called upon by the Chair. He should withdraw and Sardar Harchand Singh too must withdraw such remarks.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ? (*Interruption*)

ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ?

श्री देव राज आनंद : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आप के हुक्म की तामील नहीं की गई। उन्होंने अपने रिमार्कस विदड्रा नहीं किए।

उपाध्यक्षा : आप ने बिना बुलाए बोल लिया। आप वापस ले लीजिए फिर हरचंद सिंह जी भी वापस लें। (The hon. Member spoke without being called upon. He should first withdraw his remarks. After that S. Harchand Singh will also do so.)

कामरेड राम चन्द्र : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। हमें एक मुश्किल हो गई है कि आप हमारी बात को सुनती नहीं हैं और स्नब कर देती हैं। मैं ने पहले भी आप को ऐड्रेस किया था, उस के बाद ही बोला था। आप ने सुना नहीं और मुझे स्नब कर दिया। इसी तरह अब राम प्यारा जी भी बोले तो उन को स्नब कर दिया। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप मुझे इस तरह से क्वैस्चन करें कि मैं विजिलैंट नहीं हूं, आप की बात सुनती नहीं हूं। अभी तो मेरे कान और आंखें दुरुस्त हैं। (तालियां) अगर आप इस तरह से क्वैस्चन करेंगे तो यह चेयर जो

कि हाउस ने युनानीमसली दी है मुझे छोड़नी पड़ेगी । (विघ्न) (I am very sorry to say that the hon. Member thinks that I am not vigilant enough to hear him. As yet my eyes and ears are in good order. (*Cheers*) If the hon. Members start questioning me like this then I will have to give up this Chair which I occupied by the unanimous vote of House.)

Comrade Ram Piara: I wanted to clarify the position.

Deputy Speaker: I never allowed you.

कामरेड राम प्यारा : यह जो कामरेड राम चन्द्र जी ने कहा है मैं इसी को कलैरीफाई करने लगा हूं । हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती और आप की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती । स्पीकर साहिब को भी कई दफा ऐसा ही कहा है । जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो मैं ने कहा था डिप्टी स्पीकर साहिबा ....

उपाध्यक्षा : 'डिप्टी स्पीकर साहिबा' कहने का यह मतलब नहीं है कि इजाज़त मिल गई। अगर मेरी आवाज़ आप को सुनाई नहीं देती तो फिर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती । (तालियां) (If the hon. Member starts speaking with the words 'Deputy Speaker Sahiba' that does not mean that he has been permitted to speak. If the hon. Member cannot hear my voice then he will not be able to hear the voice of anyone.) (*Thumping*).

सरदार लखी सिंह चौधरी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम । आप का आर्डर कम्पलाई विद नहीं हुआ । He must comply with your orders.

उपाध्यक्षा : अगर किसी आनरेबल मैंबर को एक दफा, दो दफा, तीन दफा कहा जाए मगर वह न करे तो क्या उस को फोर्स किया जाए ? (Should I force an hon. Member to withdraw his words if he does not do so on being asked a number of times.)

सरदार लखी सिंह चौधरी : आप उस को बाहर निकाल सकती हैं ।

Deputy Speaker: I am not going to take this action.

II. REGARDING A LETTER ALLEGED TO BE ADDRESSED TO THE CHAIRMAN PUNJAB VIDHAN PARISHAD BY THE CHIEF MINISTER

Shri Balramji Das Tandon: Madam, my second privilege motion reads—

"Respected Deputy Speaker Sahiba,

With your kind permission, Madam, I want to draw the attention of the House to a serious breach of the Privilege of the House by the writings of the Chief Minister to the Chairman, Punjab Vidhan Parishad, as appearing in a section of press yesterday. In that letter it has been said by the Chief Minister "As the Members of the Vidhan Parishad are intelectually grown up his presence in the Parishad is not necessary".

This sentence of the Chief Minister has cast great aspersions on the Vidhan Sabha as a whole and as such calls for a serious action.

These words have ridiculed the position of the Vidhan Sabha and its Members in the eyes of the public of the State especially being said by the Chief Minister makes it all the more important. I would, therefore, request you 'Madam' being the custodian of the rights and privileges of this House to take proper action for restoring the dignity and prestige of the House.

[श्री बलरामजी दास टंडन]

writings of the Chief Minister to the Chairman, Punjab Vidhan Parishad as appearing in a section of press yesterday. In that letter it has been said by the Chief Miniser, "As the Member of the Vidhan Parishad are intellectually grown up, his presence in the Parishad is not necessary".

This sentence of the Chief Minister has cast great aspersions on the Vidhan Sabha as a whole and as such calls for a serious action.

These words have ridiculed the position of the Vidhan Sabha and its Members in the eyes of the public of the State, especially being said by the Chief Minister, makes it all the more important. I would, therefore, request you, Madam, being the custodian of the rights and privileges of this House to take proper action for restoring the dignity and prestige of the House.'

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के साथ अखबारों में छपा है....

उपाध्यक्षा : मैं यहां पर अखबार पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती । कुछ दिन पहले यहां पर कामरेड राम प्यारा जी ने अखबार का हवाला दे कर कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने अपने लड़के को लड़ाई में भेजने का फैसला किया है और एक सिनेमा और एक कोल्ड सटोरेज दान करने का फैसला किया है (विघ्न) मगर अगले ही दिन कन्ट्राडिकशन आ गई । आप तो पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं । आप को पता है कि हाउस के पास तो पहले ही वक्त कम है, काम की बात करें इधर उधर की बातों में टाईम वेस्ट न करें । मैं यहां पर अखबार पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती । [I cannot permit the reading of newspapers here. A few days ago Comrade Ram Piara had stated on the basis of a press report that the Chief Minister had decided to send his son to the battle-field and to donate a Cinema and a cold storage. (*Interruptions*) But the news was contradicted the very next day. The hon. Member is an old parliamentarian and should realise that the time at the disposal of the House being limited it should not be wasted in irrelevant references. I cannot allow the reading of newspapers here.]

श्री बलरामजी दास टन्डन : बात यह है कि यह वह बात छपी है जो इन्हों ने विधान परिषद् के चेयरमैन को लिखी है एक चिट्ठी के तौर पर ।

Deputy Speaker : Where is that letter.

श्री बलरामजी दास टंडन : वह चिट्ठी विधान परिषद् के चेयरमैन के पास है और सारे प्रेस में आई है । (विघ्न)

उन से पूछा जा सकता है कि आया यह ठीक है या कि गलत । चीफ मिनिस्टर साहिब को कदम कदम पर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह बोलते हुए या लिखते हुए (विघ्न) इस हाउस की और इस के मैम्बरों की बेइज़्ज़ती करें । उन को ऐसा वक्तबेवक्त किसी भी समय यह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती

और इस हाउस को सोचना पड़ेगा कि what we should do about the Chief Minister who is using such words in season and out of season. (*Interruptions*).

उपाध्यक्षा : किसी की ताकत नहीं है कि उन को कुछ कह सकें। (विघ्न) (No body dare to ask the Chief Minister.) (*Interruptions*)

श्री बलरामजी दास टंडन : हमारी जो ताकत है वह तो चेयर की ही है you are the custodian of our power.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Madam, the matter that has been brought before the House by Shri Tandon is quite serious in nature. There have been occasions on which some contents of the newspapers were produced. In this particular case there is no question of something that has been published by a certain newspaper. It has a very authentic background. The letter was written by the Chief Minister to the Chairman, Legislative Council. The absence of a Minister in one of the Houses cannot be condoned merely on the plea that certain Members of one House are more intelligent and the Members of the other House are less intelligent and one House needs his presence and the other House does not need that. This is something very material. It is a question of privilege. The hon. Home Minister is looking at me very seriously. He is disapproving it because it is coming from my lips.

गृह मंत्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों ने ही कुछ कह कर मुझे बोलने के लिये मजबूर किया, वरना आप डील कर रही थीं। मेरा कोई विचार नहीं था अपनी राय देने का। उन्हों ने जो सवाल उठाया उसका सम्बन्ध दुसरे हाउस से है कि चीफ मिनिस्टर साहिब वहां पर जाते हैं या नहीं जाते। इसलिये इसके मुतअल्लिक कोमैंट करना आऊट आफ आर्डर है। और यहां तक इस चिट्ठी का सम्बन्ध है, इसका मुझे कोई इल्म नहीं कि यह किया है या इसकी कया इम्पलीकेशन्ज़ हैं।

इसमें दो बातें पैदा होती हैं एक तो यह कि कया चीफ मनिस्टर ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी, और दूसरी यह कि अगर लिखी तो क्या इसकी कोई इम्पलीकेशन्ज ऐसी हैं जिन से इस हाउस पर एसपरशन हो। यह ऐसी बातें है जिन पर डिप्टी स्पीकर साहिबा आप पहिले तसल्ली कर लें।

उपाध्यक्षा : हां मैं देखूंगी। (Yes, I will look into it.)

Sardar Gurnam Singh : So it is kept pending till you find out the contents of that letter.

Deputy Speaker : Yes.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Madam, there is another question which I raised yesterdey and you were pleased to ask me that I should raise that question again today. This question was in relation to your observation that question of a similar nature coming from different hon. Members should not be placed on the Order Paper or the List of questions on the same day. You were also pleased to observe that so many hon. Members send questions which are similar in nature and also relate

[Sardar Gurdial Singh Dhillon]

to one and the same problem. Madam, my argument is that the hon. Members do not consult each other before sending notices of questions to the Vidhan Sabha Secretariat. The only solution that a certain question..

उपाध्यक्षा : मैं एक प्वाइंट किलियर कर देती हूं । मैंने यह कहा था कि ऐसे क्वैशचन न पूछे जाएं जो पहिले ही कई मैंम्बर पूछ चुके हों (I want to clear the point. I said that such questions should not be asked which have already been asked by some hon. Members.)

Sardar Gurdial Singh Dhillon : I agree with you, Madam. You are perfectly right. I withdraw what I have already said.

CALL ATTENTION NOTICE

Comrade Bhan Singh Bhaura : Madam I beg to call the attention of the Chief Minister regarding the strike of the medical students of Government Medical College, Patiala since 20th March 1963 and their demands.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਚੀਫ ਮਿਨਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸਟਰਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ।

सिचाई तथा विद्युत मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, माननीय सदस्य ने जो काल अटैनशन का नोटिस दिया है उस पर पूरा गौर किया जाएगा । और अगर डिमांड ठीक हुई तो मान भी ली जाएगी और अगर डिमांड गलत है तो उस को सपांसर न किया जाए।

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY REGARDING A CERTAIN BILL

Deputy Speaker : Now the Secretary will make some announcement.

Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill 1963, passed by the Punjab Legislative Council on the 18th March, 1963 has been received. I also lay a copy of the said Bill on the Table of the House.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Irrigation and power (Chaudhri Ranbir Singh) : Madam, I beg to lay on the Table the Fourth Annual Administration Report of the Punjab State Electricity Board for the year 1961.62, as required under Section 75 (IA) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

DEMANDS FOR GRANTS

Deputy Speaker : Now the House will resume discussion on the Demands for Grants moved by the Irrigation and Power Minister yesterday on the 20th March, 1963. Shri Sagar Ram Gupta, who was in possession of the House, When it adjourned yesterday, may resume his speech.

Note—Please refer to PVS debate Vol I No. 19 dated 19th March, 1963 regarding discussion on the demands for grants relating to Irrigation etc.,

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : कल मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे यहां भिवानी के इलाके में सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं पीने के लिए पानी की भी बड़ी कमी है । कल मैंने अर्ज किया था कि भिवानी में जो पानी की मिकदार का स्टैंड मुकर्रर किया हुआ है वह बहुत पुराना है, और 30 हज़ार आबादी के हिसाब से फिक्स किया हुआ है । उसे बढ़ा कर 75 हज़ार आबादी के हिसाब से किया जाना चाहिए । इसकी बाबत सरकार के नोटिस में भी बात लाई गई है, कई डैपूटेशन भी मिले हैं लेकिन अभी तक गौर नहीं किया गया । वह किया जाना चाहिए । जो मैं ने बिजली के सम्बन्ध में बात की थी उसके मुतअल्लिक फिर कहना चाहता हूं कि बिजली सप्लाई की जाए । लेकिन जब तक 11 के० वी० की तार नहीं ली जाई जाएगी वह लाईन नहीं लग सकती और न ट्यूब-वैल्ज़ ही लगाए जा सकते हैं । इसलिए 11 के०वी० की तार लगाई जानी ज़रूरी है । मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपने वज़ीर साहिब का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां से मेरी कांस्टीचुएंसी शुरु होती है वहां इनकी खत्म हो जाती है । अगर यह वहां पर पानी न ले गए तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि लोग इनको भूल जाएंगे । मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिब इस तरफ ध्यान दें । ऊपर ही ऊपर अपना ध्यान न रखें ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं थोड़ा सा जिक्र जो कमी फसलों के लिये पानी की है उस का करना चाहता हूं । आप सुन कर हैरान होंगी कि मेरे इलाके में केवल एक भिवानी डिस्ट्रिब्यूट्री है । उस में पानी का डिस्चार्ज 33 फी सदी के करीब है । लेकिन मेरे इलाके के पास ही हांसी और हिसार का सेमज़दा इलाका है वहां पर जो पानी का डिस्चार्ज है वह 70 से 75 प्रतिशत है । उस इलाके में सेम भी है, फ्लड्ज़ भी आते हैं और पानी का डिस्चार्ज भी डिस्ट्रिब्यूट्री में ज्यादा है । मेरे इलाके में पानी की सख्त ज़रूरत है और सच मानिये कि केवल एक तिहाई जो फसलों वाली ज़मीन का हिस्सा है उस को पानी मिल पाता है । आप अंदाज़ा लगाईये कि जब कि डिस्ट्रिब्यूट्री में 30 प्रतिशत पानी का डिस्चार्ज हो तो फसलों को कितना पानी मिल सकता है ? मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत की डिस्क्रिमिनेशन है इस को स्टाप किया जाना चाहिए । अगर मेरे इलाके में कोई और डिस्ट्रिब्यूट्री नहीं दी जा सकती तो कम से कम पानी का डिस्चार्ज तो बढ़ा दें । मैं ने उस दिन भी कहा था कि पंजाब में बाढ़ें बहुत आती हैं । रोहतक में बहुत फ्लड्ज़ आते हैं । ड्रेन नम्बर आठ हमारे पास से गुज़रती है । अगर सरकार कोशिश कर के बाढ़ के पानी को मेरी कांस्टिट्यूंसी और उस से भी आगे लोहारू के इलाके में भेजने का प्रबन्ध कर सकें तो उस इलाके के लोग जो कि पानी को तरसते रहते हैं उन को पानी मिल जाएगा और फ्लड्ज़ से नुक्सान भी कम हो जाएगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों, जब यहां पर सच्चर साहिब चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरे इलाके में दो माईनज़ बनाए गए थे । कुछ ज़मीन को तो उन माईनर्ज़ से पानी मिलता था और आगे जो ऊंची ज़मीन है वहां पर डीज़ल इन्जन

[श्री सागर राम गुप्ता]

लगे हुए हैं । उन इंजनों के जरिये उस ऊंची ज़मीन को पानी पहुंचाया जाता है । जब मन्त्री महोदय वहां पर गए तो उन्होंने माना कि डीज़ल इंजन पूरी तरह काम नहीं कर रहे और पानी कम फैंकते हैं । मैं ने बजट देखा कि शायद इस के लिए कोई प्रोविज़न रखी गई होगी लेकिन उन को इलैक्ट्रिफाई करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखी गई हालांकि मंत्री महोदय ने लोगों के सामने यह बात मानी थी । उन्होंने यह भी कहा था कि नहर का पानी बढ़ाया जाएगा लेकिन वह काम भी पूरी तेज़ी से नहीं किया जा रहा । ज़िला हिसार का कुछ इलाका ऐसा है कि जहां पहले पानी नहीं था, अब वह सैराब हुआ है । लेकिन जो पुराना इलाका वैस्टरन जमुना कैनाल से सैराब होता था वहां पर पानी की बहुत कमी है । इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार एक प्रोजैक्ट बनाना चाहती है लेकिन उस पर भी जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए नहीं हो रहा । उस प्रोजैक्ट को तेजी से मुकम्मल करना चाहिए ताकि पानी की मिकदार बढ़ जाए । साथ ही मैं कुछ बातें बिजली के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां बिजली की यह हालत है कि जब मिनिस्टर साहिब ने दौरे पर जाना होता है तो बिजली का स्टाफ पोल ला कर सड़क पर डाल देता है । लेकिन मिनिस्टर साहिब के वापस जाते ही पोल भी गायब हो जाते हैं । जब चौधरी साहिब मेरी कांस्टिच्युंसी के एक गांव तिगड़ाना में गए तो बिजली वालों ने इधर उधर से ला कर सड़क पर पोल डाल दिए थे । आज एक साल का अरसा हो गया है । पोल खड़े करने की बात तो अलग है, पोल वहां पर नज़र ही कोई नहीं आता । सब पोल गायब हो गए । यह हालत है बिजली के महकमे की । मैं आप के द्वारा चौधरी साहिब से दरखास्त करूंगा कि मेरे इलाके के जो गांव प्लान में इन्क्लूड किये गए थे कि उन को बिजली दी जाएगी, उन को बिजली देने की कोशिश करें ताकि बिजली के ज़रिये पानी का मसला भी हल हो जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ (ਨਾਗੋਕੇ, S.C.): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲ ਤੇ ਅਜ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨੌਮੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠਿਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪਖ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। (**The** hon. Member may please speak about his constituency also.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦਸ ਦਿਉ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹਲ ਕਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਝ ਸੇਮ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਜਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਏ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ]

ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਆਬਿਆਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਤਾਵਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਵਾਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਏਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮਿਲਣੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰ ਬਰਫ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਈਨਮੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਉ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਉ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਉ ਉਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤਵਜੋਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਢਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਇਹੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਰੇਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਉ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ

ਦੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਗਰਗੂੰ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :—

'ਮੇਰੇ ਸਰਕਸ਼ ਤਰਾਨੋਂ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੋ ਇਤਨੀ ਹੈ,
ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਭੂਖੋਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ।'

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘਟ ਉਪਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : मेम्बर साहिबान, मेरे पास दो लिस्टें पड़ी हुई हैं--एक उन मम्बर साहिबान की जो बोल चुके हैं और दूसरी उन की जो अभी बोलना चाहते हैं। मुनासिब बात है कि उन मेम्बर साहिबान को मौका दिया जाए जो पिछले दिनों डिबेट में हिस्सा नहीं ले सके। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब बोलने वाले अपने टाईम का भी ख्याल रखें और मुझे बार बार आप का ध्यान इस तरफ न दिलाना पड़े। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस मामले में मेरे साथ पूरी तरह से कोआप्रेट करेंगे। (Hon'ble Members, I have got with me two lists—one of those Members who have already participated in the discussion and the other is of those who have expressed their desire to be given time to speak. It is desirable that the Members who have not got any opportunity to speak during the last few days, be accommodated. It is possible only when the hon. Members speaking may keep in mind the time allotted to them so that I may not be required to invite their attention to this fact time and again. I hope that the hon. Members will fully co-operate with me in this respect.)

(At this stage the Deputy Speaker called upon Sardar Gian Singh Rarewala to speak)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਔਨ ਏ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : क्या हाउस एग्री करता है कि पांच पांच मिन्ट एक एक ग्रानरेबल मेम्बर के लिए अपनी बात करने के लिए दिए जाएं ? (विघ्न) (Does the House agree that every hon. Member be given five minutes to speak.)

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां ।

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला (सरहंद) : मुहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो किताब, 'Puniab on the March,' हमें सप्लाई की गई है उस में इरीगेशन के महकमा के मुतअल्लिक सब से पहला सैंटैन्स लिखा है--"The Irrigation Department is engaged in regenerating the truncated economy of the State by building afresh new works" इस में इस डिपार्टमैंट की अहमियत का इजहार होता है। अगर मैं यह कहूं कि पंजाब की खुशहाली का सारा दारोमदार ही इस महकमा पर है तो मैं समझता हूं कि मैं मुबालग़ा से काम नहीं ले रहा । सही तौर पर, पंजाब की तक्सीम के बाद इस तरफ तवज्जोह दी गई और आबपाशी से मुतअल्लिका बहुत बड़े बड़े काम शुरू किए गए । आज से पंद्रह साल पहिले भाखड़ा डैम की तामीर शुरू हुई और इस वक्त आकर वह मुकम्मल हुआ है । मैं नहीं समझता कि ब्यास डैम, पौंग डैम, घग्घर डैम वगैरह किस वक्त मुकम्मल होंगे । इस वासते जरूरी है कि पंजाब गवर्नमैंट का सब से ज्यादा ध्यान, सब से ज्यादा तवज्जोह इस महकमा की तरफ लगनी चाहिए । यह महकमा न सिर्फ खेतों को पानी देगा बलिक दुनिया की जो सब से अहम ज़रूरत बिजली है जिसकी बाबत खुद प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बार बार कहा है कि किसी मुल्क की खुशहाली का पैमाना अगर कोई है तो वह बिजली है--उसे भी इसी महकमा ने पैदा करना है । मगर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मुझे मुआफ फरमाएंगी जब मैं यह कहूंगा कि इस डिपार्टमैंट की तरफ वह तवज्जोह नहीं दी गई जो कि मकसूद थी । कभी इरीगेशन सिस्टम पर पंजाब को नाज था । पंजाब को अपने इंजीनियर्ज़ पर नाज़ था ।

लेकिन मैं बड़े दुख से यह महसूस करता हूं कि कुछ अरसा से इस डिपार्टमैंट के साथ जो ट्रीटमैंट हो रहा है इस से इस का हौसला पस्त हुआ है, इस का हौसला बुलन्द नहीं हुआ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस में मैं अपने आप को बरीउलज़िम्मा करार नहीं देता लेकिन यह अर्ज करता हूं कि यहां एक डामीनेटिंग हैंड है, यहां पर एक ऐसी हस्ती है जिस की मौजूदगी में मैं अपने जाती तजुरबे की बिना पर कह सकता हूं कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर हैं वे महज़ एक खिलौना बन कर रह जाते हैं.............

उपाध्यक्षा : तो इस में उन खिलौनों का भी कसूर है। (Then those puppets are also to be blamed.)

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने यह कसूर पहले अपने जिम्मा ले लिया है । मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं कि मेरा हरगिज यह मतलब नहीं कि मैं

किसी के खिलाफ कोई एसपर्शन कास्ट करूं लेकिन मैं इस असलियत की तरफ आप की मार्फत, चीफ मिनिस्टर साहिब का और दूसरे मिनिस्टर साहिबान का ध्यान दिलाना चाहता हूं और हमेशा से कहता आ रहा हूं कि यहां जो टेलैंटिड इंजीनियर्ज़ हैं वह पंजाब से सदा बाहर जाने की कोशिश में रहते हैं । वे इस बात की इन्तज़ार में रहते हैं कि जब सैंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन में कोई जगह खाली हो तो वह वहां चले जाएं । अगर उन्हें किसी प्राइवेट फर्म में जगह मिले तो वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं । उन की हमेशा यहां से बाहर जाने की कोशिश रहती है । सिर्फ यहीं बस नहीं, इस महकमा में तो बड़े टेलैंटिड इंजीनियर्ज़ थे उन्हें ट्राई किया गया जिस से उन्हें इतनी हरैसमैंट हुई जिस के कारण उन्होंने अपनी जान खत्म करने की कोशिश की । मुझे पता है कि एक बड़े काबल इंजीनियर थे, जो सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए एक मायानाज़ इंजीनियर थे जिस के साथ का काबल इंजीनियर सारे हिन्दुस्तान में मिलना मुश्किल था, जिस को बाहर चार या पांच हज़ार रुपए माहवार की पोस्टस आफर हो रही थीं लेकिन वह पंजाब में एक या डेढ़ हज़ार रुपए ले कर सैटिस्फाईड था क्योंकि उसे पंजाब से बड़ा प्रेम था और वह यहां की खिदमत करना चाहता था ; लेकिन वह मजबूर हो गया और उस ने अपनी ज़िन्दगी को खत्म कर दिया । इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि यह जो डीमारेलाईज़ करने की कोशिश रहती है यह बड़ी खतरनाक बात है । यह तमाम महकमा ही डीमारेलाईज़ हो गया है । यहां के इतने अच्छे इंजीनियर्ज़ हैं, जिन का मैं नाम नहीं ले रहा, उन के बारे में मुझे पता है कि उन्हों ने रिकार्ड टाईम में बहुत बड़े बड़े काम मुकम्मल किये हैं ; लेकिन उन के काम की दाद नहीं दी गई बल्कि उन की एक्सप्लेनेशनज़ ही काल की गई हैं । मुझे पता है कि एक आदमी जो हाईएस्ट इन दि डिपार्टमैंट था, को यहां तक ज़लील किया गया कि वह यहां से चला गया । इस लिए मैं गुज़ारिश करता हूं कि जब तक इस तहरीक में इसलाह नहीं होगी, इस डिपार्टमैंट में अच्छे इंजीनियर्ज़ के टिके रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती और अगर यह यहां रहें भी तो यह सारा काम जितना यहां इरीगेशन के बारे में किया जाना है मेरे अन्दाज़ा के मुताबिक अगर यह 30 साल तक भी करते चले जाएं तो भी यह पूरा नहीं कर सकेंगे । इस की वजह यह है कि इन का इनीशियेटिव किल कर दिया गया है । अब इन को हौसला नहीं होता कि यह किसी अजीब काम को चलाएं । (विघ्न) लेकिन इन के साथ सलूक क्या होता है ? सलूक यह होता है कि बजाए इस के कि इन का हौसला बढ़ाया जाए उल्टा इन का हौसला पस्त किया जाता है । हमारे सामने यह बजट की किताबें पड़ी हैं जिन में दिया हुआ है कि यह करना है, वह करना है लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा । मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि हमारा पंजाब एक बड़ा खुशकिस्मत सूबा है, जितने इसके पास रिसोरिस्ज़ हैं अगर इन्हें डिवैलप कर लिया जाए तो क्या कैलीफोर्निया और दूसरी जगहें सब इस का मुकाबला नहीं कर सकेंगी । जहां तक इन फंडामैंटल थिंग्ज़ का ताल्लुक है, बेसीकली यह कहा जाता है this is to be done, this will be done लेकिन इस में जो एचीवमैंट्स हुई हैं वह भी पढ़ कर आप देखें । दिस इज़

[सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला]

दि स्टेट आफ अफेयर्ज़ । इस वास्ते मैं महसूस करता हूं । कल एक क्वेस्चन के जवाब में चीफ मिनिस्टर साहिब में बताया था कि वन-फाईल सिस्टम कई महकमों में जारी कर दिया गया है और कई में नहीं किया जा रहा । मैं ने पूछा था कि क्या यह सिस्टम परमानैंट तौर पर लागू कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि इस से भी कुछ नहीं होगा जब तक इस डिपार्टमैंट और मिनिस्टर के दरमयान जो क्लाग लगा दिया गया है उसे दूर न किया गया । इसे ज़रूर दूर करना चाहिए । पता नहीं कि क्यों चीफ मिनिस्टर साहिब का यह ख्याल है कि आई.सी.एस. या आई. ए. एस. या ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ज्यादा रिलायबल हैं और इस डिपार्टमैंट के जो पहले अफसर हैं वह रिलायबल नहीं हैं । मैं तो समझता हूं कि यह तो इस डिपार्टमैंट की ऐफीशैंसी के रास्ते में क्लाग्ज़ हैं । बेहतर होगा अगर इन को दूर कर दिया जाए । इस से इस महकमे का काम ज्यादा एक्सपिडाईट हो सकता है । मैं समझता हूं इस तरह से यह सिस्टम बड़ा कामयाब साबित होगा । एक चीफ इंजीनियर और मिनिस्टर के दरमयान किसी सैक्रेट्री की ज़रूरत नहीं है । मेरा यह तजुरुबा है कि सैक्रेटरी की कोई यूज़फुल कंट्रीब्यूशन नहीं है । इस से महकमा की एफीशैंसी नीचे को जाती है । यह अजीब किस्सा है कि एक प्रोपोज़ल एक चीफ इंजीनियर बनाता है लेकिन उस को सैक्रेट्री सक्रुटिनी करने के लिए ले कर बैठ जाता है और उस को एक क्लर्क सक्रूटिनाईज़ करता है । आप बताएं कि उस को सक्रूटिनाईज़ करने के लिए एक क्लर्क में क्या कपैसिटी हो सकती है। Even the Secretary or the Deputy Secretary cannot give any technical advice to the minister.

फिर मुझे समझ नहीं आती कि इस में इन्सिस्ट क्यों किया जा रहा है जब यह क्लाग्ज़ हैं और इन की वजह से काम में डिलेज़ होती हैं । मैं ने देखा है कि एक एक महीना डिले हो जाती है और अगर मैं यह कहूं कि कई केसिज़ में तो सालों डिले हो जाती है तो मैं गलत नहीं कह रहा । इस बारे में मैं मिनिस्टर साहिब को कंक्रीट सुझाव दूंगा कि यह जो इन्हों ने कदम उठाया है सिंगल-फाईल सिस्टम लागू करने का, इस को आप मुकम्मल करें । यह तब मुकम्मल होगा जब आप सैक्रेट्री को बीच में से उड़ा देंगे ।

मैं समझता हूं कि दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब में ज्यादा खुशहाली है । इस की वजह यह है कि इस के हालात मुख्तलिफ हैं । दूसरे सूबों का मुझे पता है कि वहां के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट का सैंट्रल इरीगेशन ऐंड पावर बोर्ड माईनर इरीगेशन की डिवैल्पमैंट के लिए ज्यादा ज़ोर देता है और इसी के लिए रुपए भी देता है लेकिन पंजाब के हालात मुख्तलिफ हैं । पंजाब की जो मेजर इरीगेशन स्कीम्ज़ हैं वह बहुत अच्छी हैं। अगर इन को ही मुकम्मल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि माईनर इरीगेशन स्कीम्ज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती । लेकिन आज हमारी जो दूसरी बड़ी प्राजैक्ट्स हैं उन के लिए मैटीरियल नहीं मिल पाता , इस वजह से उन के मुकम्मल होने में डिले हो जाती है ।

फिर मैं अर्ज़ करता हूं कि इलैक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिस ने हमारे हालात को बदलना है । हमें यह भी मालूम है कि हमारा इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो मौजूदा सिलसिला है यानी जो भाखड़ा डैम के पावर-हाउसिज़ बने हुए हैं वह नाकाफी हैं । इस की एक वजह यह भी है कि जब पानी की खेतों को ज्यादा ज़रूरत होती है तो डैम से पानी ज्यादा छोड़ा जाता है जिस से जो उन पावर-हाउसिज़ की फर्म पावर होती है वह कम हो जाती है । इसी कमी को दूर करने के लिए सतलुज-बयास लिंक की स्कीम बनाई गई थी । क्योंकि जब पानी कम हो जाता है तो बिजली कम हो जाती है । इस लिए यह स्कीम बनाई गई थी ताकि पानी की उस कमी को पूरा किया जाए और बिजली में कमी न हो । मैं समझता हूं कि भारत की खुशहाली पावर पर निर्भर है ।मगर पंजाब की खुशहाली एक बड़ी हद तक इस बात पर मुनहिसर है । इसके

10-00 a.m.

बगैर न तो यहां की खेती ही पनप सकती है और न ही इन्डस्ट्री । यह स्कीम है जिससे कि पंजाब को काफी बिजली मिल सकती है,फर्म पावर मिल सकती है और जो कटौतियां की जा रही हैं उन की ज़रूरत नहीं रहेगी । मगर मैं देख रहा हूं कि सारी स्कीम्ज़ प्रो रेटा बेसिज़ पर हैं, यानी इस पर इतना खर्च करना है उस पर इतना खर्च करना है। मैं ने जब इस किताब को पढ़ा तो देखा कि इस में इरीगेशन पर काफी ज़ोर दिया गया है और मैं समझता हूं कि सही ज़ोर दिया गया है । मगर जहां यह इतना बड़ा सिस्टम है वहां ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, इस बारे में पहिले सोचा ही नहीं गया । नतीजा यह हुआ कि पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से में वाटरलौगिंग हो गई है । मीलों तक थूड़ है, सफेद ही सफेद ज़मीन नज़र आती है । इस के रिकलेम करने का काम बहुत बड़ा है । मैं इस पहलू में ज्यादा नहीं जाता क्योंकि इस का ज्यादा सम्बन्ध खेती-बाड़ी से है । मगर इस के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की ज़रूरत है ।

इसी सिलसिला में मैं रीमौडलिंग का ज़िक्र करना चाहता हूं । इस का काम शुरू है । सरहिन्द फीडर बनाया गया है । जो पानी सरहिन्द कैनाल में जाता था वह अब हरिके में जाता है । इस से पानी फालतू हो गया । पैप्सू वह इलाका है जहां अगर मैं गलती नहीं करता तो पंजाब की निसबत आधा पानी जाता था । उन को इस की ज़रूरत थी, तो यह स्कीम बनी कि इस तरह से हरिके पर बंध लगा कर जो पानी सरहिन्द कैनाल में ज्यादा हो गया है वह उस इलाका को दे दिया जाए । इसके मुतअल्लिक मुझे इस किताब में ज़िक्र नहीं मिला । इस में यह तो ज़रूर ज़िक्र है :

> "There was some leeway in the utilizatiion of irrigation potential on the channels of erstwhile Pepsu State and this is now being gradually made up in the Third Plan....................."

मैं वज़ीर साहिब से कहना चाहता हूं कि यह काम काफी सालों से चालू है । मैं समझता था कि इस साल में यह मुकम्मल हो जाना चाहिए था । मगर मुझे पता नहीं चल सका कि यह काम किस स्टेज पर है । पानी सरपलस हुआ, पाकिस्तान से भी समझौता हो गया । मगर पानी के इस्तेमाल करने के लिए इन्तज़ाम नहीं हुआ । जब तक मालेरकोटला ब्रांच की रीमौडलिंग नहीं होती डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी नहीं पहुंचेगा । अगर तो यह

[सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला]

काम मुकम्मल हो गया है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है ; अगर अभी अधूरा है तो अर्ज करूंगा कि इस के न होने की वजह से सरकार का नुकसान हो रहा है, ज़मींदारों का नुकसान हो रहा है । इन सारे नुकसानात से बचा जा सकता है अगर इस काम को जल्दी से जलदी खत्म किया जाए ।

मैं ने इस में यह देखा है कि पुलों का काम पूरा नहीं हुआ । इस से लोगों को बड़ी तकलीफ है । मेरे मुअज़िज़ दोस्त सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने ज़िक्र किया था कि मुरब्बाबंदी की वजह से पुल कहीं हैं और रास्ते कहीं दे दिए गए हैं । यह बड़ी जैन्विन ग्रीवैंस है । वजीर साहिब मुतअल्लिका ने जवाब दिया कि इरीगेशन का कनसौलीडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक हिदायात हैं कि सुपरिटैंडिंग इन्जनियर, ऐक्स०ई०ऐन० और डिप्टी कमिश्नर एक साथ मिल कर फैसला करेंगे कि पुल कहां लगना चाहिए और कहां नहीं लगना चाहिए । यह तो ठीक है कि इन का बराहे रास्त कंट्रोल नहीं है मगर यह कहना ठीक नहीं कि चूंकि इस का ताल्लुक दूसरे महकमे से है इस लिए इन का इन से काम नहीं है ।

उपाध्यक्षा : आप वाइंड अप करें । (Wind up please.)

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : अभी तो मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं ।

उपाध्यक्षा : आप कहें चूंकि आपको परसनल तजरूबा है, आप कहें । (The hon Member may please speak since he has got personal experience.)

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : यह तो जी, हर शख्स के तजरूबे की बातें हैं, मैं कोई खास बात नहीं कह रहा । तो मैं पुलों के बारे बात कर रहा था । यह एक दो जगहों का सवाल नहीं है, यह तो सारे पंजाब का सवाल है । तो मेरी यह दरखास्त है कि जहां पर रीमौडलिंग हो रही है वहां पर साथ ही साथ उन का भी ख्याल रखा जाए । इसके लिए पैसे तो ज़रूर होंगे । यह लोगों की जैन्विन तकलीफ है, इस की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए । मैं ने एक जगह खुद मौका भी देखा है और वजीर साहिब देखेंगे तो मुत्तफिक होंगे कि सौ गज़ पर तो पुल बना हुआ है मगर कनसौलीडेशन वालों ने रास्ता दूसरी तरफ दे दिया है । पटड़ी पर से गुज़रने नहीं दिया जाता । मुझे याद है कि रोपड़ में हम ने लोगों को पटड़ी पर से गुज़रने की इजाज़त दी थी । चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में भी यह बात लाई गई थी । इस तरफ वज़ीर साहिब ध्यान दें ।

मैं कुछ ट्यूब-वैल्ज़ के बारे में भी कहना चाहता हूँ । इन से पूरा फायदा नहीं उठाया गया । मैम्बर्ज़ को याद होगा कि हम ने बिजली की दर चार आने से घटा कर दो आने की थी । मगर इस से भी मसला हल न हुआ । मुझे हैरानी है कि अब सरकल तोड़े जा रहे हैं । तो जो सैंकड़ों की तादाद में ट्यूब-वैल्ज़ हैं उन का कौन ख्याल रखेगा । इन के लिए स्पैशल स्टाफ की ज़रूरत है । यह अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकेंगे । उधर यह डिवीयन तोड़ रहे हैं और दूसरे ऐस्टीमेट्स में दिखाया गया है कि नए ट्यूब-वैल्ज़ लगाने हैं । मैं अर्ज़ करता हूँ कि वाटरलौगिंग को दूर करने के लिए मैं शैलो ट्यूबवैल्ज़ लगाने के खिलाफ नहीं

हूँ। लेकिन अगर इरीगेशन के लिए लगाने हैं तो यह कामयाब नहीं होंगे। इस स्कीम पर रुपया ज़ाया नहीं करना चाहिये।

पानी की तकसीम के मुतअल्लिक हम बहुत देर से सोचते आ रहे हैं इसके मुतअल्लिक बहुत सी शिकायतें हैं। शायद वसूली के मुतअल्लिक तो फैसला दे दिया गया है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मैं मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि वह भी फाइल्ज़ को देखें जिन पर नोटिंग हुई है। मैं एक बात बिलकुल सच कहता हूँ कि इनीशियल एक्सपैंडीचर वर्थ स्पैंडिंग होगा। जहां तक फिगर्ज़ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि यह बिलकुल वहम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन हो गई या इतनी आमदनी हो गई या इतना टैक्स आ गया। हकीक़त यह है कि जिस पानी का कोई फायदा नहीं हुआ उसका भी किसान को पैसा देना पड़ता है। चूंकि किसान बाइ नेचर ऐसा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सोइंग करना चाहता है और एक फसल काटता है तो दूसरी के लिये पानी दे देता है लेकिन उसको फायदा कुछ नहीं होता। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इरीगेशन की वौलूमैट्रिक सिस्टम पर तहकीकात की जाए। और इसका हल अगर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से तलाश कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर दोनों डिपार्टमैंट्स की कोआपरेशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है।

घग्गर प्राजैक्ट का भी ज़िक्र हमने पढ़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिवाए होप्स रेज़ करने के और कुछ नहीं है। घग्घर की स्कीम का मुझे पता है कि यह स्कीम 20 साल से चल रही है लेकिन इसकी तरफ तवज्जोह नहीं दी गई। और हमारे माहरीन ने इस स्कीम को टेक अप करते वक्त यह कहा था कि उन्हें भाखड़ा की पहले ज़रूरत है। लेकिन अब जब फ्लड्ज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उन लोगों को इस स्कीम का ख्याल आया। मैं मिनिस्टर साहिब से इस बात के लिए कहूँगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी की जाए। इससे जहां इरीगेशन का फायदा चन्द ज़िलों को पहुँचेगा वहां बहुत कुछ फ्लड्ज़ की प्रौबलम दूर हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले राजस्थान के सुखाडिया साहिब का बयान मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि घग्घर से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काम को ठंडा न पड़ने दिया जाए। (घंटी)

मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, बिजली के मुतअल्लिक बहुत कुछ बातें रह गई हैं लेकिन टाइम कम होने की वजह से अब उन्हें इस वक्त नहीं कह सकता। सिर्फ मिनिस्टर साहिब से इतना कहना चाहूँगा कि जो बातें मैंने कही हैं, मुझे उम्मीद है कि वे उन पर ग़ौर करेंगे।

चौधरी देवीलाल (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम इरीगेशन और ड्रेनेज वर्क्स की डिमांडज़ पर दो दिन से बहस कर रहे हैं। यहां वाटरलौगिंग का सवाल अब इतना बड़ा रूप धारण कर गया है कि सरकार को इसकी तरफ खासतौर से तवज्जोह देनी पड़ी है और उसके लिए 7 करोड़ 35 लाख रुपया मंज़ूर किया जा रहा है। यहां पर एक कायदा सा बन गया है कि जो एक्स मिनिस्टर हो जाता है वह अपने वक्त में काम पूरा न होने की बेबसी बतलाता है और सिटिंग मिनिस्टर से यह कहता है कि इस पर ग़ौर होना चाहिये और उस पर ग़ौर होना चाहिए, जैसा कि सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला ने बताया है और कहा है

[चौधरी देवी लाल]
कि यहां पर इंजीनियर्ज़ इंडिपैंडैंटली इनीशिएटिव नहीं ले सकते। यह बातें उन सभी आनरेबल मैम्बरान की है जो एक्स हो गए हैं।

जहां तक नहरों का ताल्लुक है, मैं हरियाना की बाबत अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां की बहुत सी ज़मीन रेतीली है। फिर भी वहां पानी कम दिया जाता है। वहां 2 क्यूसैक्स से ले कर 2.4 क्यूसैक्स पानी एक हज़ार एकड़ ज़मीन को दिया जाता है लेकिन पंजाबी रीजन में इसी एक हज़ार एकड़ को 7 क्यूसैक्स पानी दिया जाता है। जब यहां पर ग्रीवैंसिज़ पेश की जाती हैं तो कहा जाता है कि सरकार तो ऐसा नहीं करती।

रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम राव बीरेन्द्रसिंह, प्रोफैसर शेर सिंह के दिनों में बनी लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई जब कि इसे सैकंड फाइव इयर प्लैन में पूरी हो जाना चाहिए था।

(*At this stage Shri Chiranji Lal Sharma, a member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.*)

अगर इस हिसाब से काम को देखा जाए तो यह चौथे फाइव-इयर प्लैन में भी तैयार नहीं हो सकेगी। कारण यह है कि हर काम पोलिटीकल कन्सिड्रेशन पर किया जाता है। गुड़गावां लिफ्ट स्कीम के मातहत चार लाख एकड़ ज़मीन सैराब हो सकती थी। लेकिन वह स्कीम बन्द कर दी गई। रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम बन्द कर दी गई। दादरी और लोहारू के इलाके को ताज्यांवाले मुकाम से क्लोज़ चैनल निकाल कर पानी दिया जा सकता था, भिवानी का इलाका भी सैराब हो सकता था। लेकिन यहां तो हर वक्त दिमाग बदलता रहता है, स्कीमें बदलती रहती हैं। सोचा यह जाता है कि किस इलाके को किस ढंग से विक्टिमाइज़ किया जा सकता है। मौजूदा इरीगेशन मिनिस्टर कहते हैं कि हिसार ज़िले को तो सबक सिखाना है, पानी बिल्कुल नहीं देना। जहां पर कांग्रेस का कैंडीडेट हार गया हो, वहां कहते हैं कि अगर कांग्रेस में आजाओगे तो मोघा मिल सकता है, वरना नहीं। सिरसा में कान्फ्रैंस रखी थी, उस को फ़ेल करने के लिए इरीगेशन मिनिस्टर गए। रास्ते में एक गांव से गुज़रे। वहां पर सैंकड़ों आदमी जमा थे, उन्हों ने मोघे की डिमांड की तो आं जनाब ने जवाब दिया कि तुम तो देवी लाल के खाते में लिखोगे, अगर कैरों के खाते में लिखो तो मोघा मिलेगा। सांपले में कान्फ्रेंस के मौके पर लोगों ने यह बात कही तो चौधरी हरद्वारी लाल कहने लगे कि ऐसी बात तो थोड़ी सी अकल रखने वाला आदमी भी नहीं कह सकता। लोगों ने कहा कि हमारे सामने कही है। मैं कहता हूँ कि यह बात अकेले मिनिस्टर पर डिपैंड नहीं करती, सारी गवर्नमैंट पोलिटीकल कन्सिड्रेशन पर चलती है। फ्लड्ज़ में रुकावट होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। जहां पर पानी की ज़रूरत है वहां पानी दिया नहीं जा रहा। इस तरह से पंजाब कैसे तरक्की कर सकता है। एमरजैंसी में जहां बहादुर नौजवानों ने लड़ना है वहां उन को खुराक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। नहरों का इन्तज़ाम होना चाहिय। और पानी की सही तकसीम होनी चाहिये। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह एक अटानोमस इरीगेशन बोर्ड होना चाहिए ताकि पानी की सही तरीके से तकसीम हो सके। जहां ज़रूरत हो वहां पानी दिया जाए, जहां ज़रूरत न हो वहां न दिया जाए। लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके में इस वक्त ड्रेन्ज़ की खुदाई हो रही है। सारे पंजाब में इस वक्त

110 ड्रेन्ज़ खोदी जा रही हैं। इन में से 83 तो पंजाबी रिजन में खोदी जा रही हैं और बाकी की 27 ड्रेन्ज़ हिन्दी रिजन में खोदी जा रही हैं। लिसाड़ा ड्रेन, सिरहंद ड्रेन, मिरवी चो और सुनाम चो जो लुधियाना वग़ैरह से आते हैं ये सारे के सारे घग्घर में जा कर गिरते हैं। नतीजा यह होता है कि जहां पर वाटर-लाग्ड एरिया है वहां और ज्यादा कम्पलिकेशन पैदा होती है और जहां पर पानी की ज़रूरत है वहां लोगों को पानी नसीब नहीं होता। वाटरलाग्ड एरिया में तो पानी की एवरेज 7 क्यूसक्स पर थाऊज़ेंड एकड़ है लेकिन जहां लोग पानी के लिये तरसते हैं, दादरी, भिवानी और लाहारू के इलाके में, पानी की एवरेज 2 क्यूसैक्स पर थाऊज़ेंड एकड़ है। इस लिए मैं तजवीज़ देता हूँ कि एक अटानोमस इरीगेशन बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो कि सारी स्टेट में पानी की सही तकसीम करे। एक इंजीनियर ऐसा हो जिस का काम यही हो। पोलिटीकल कंसिड्रेशन पर सारे काम नहीं हो सकते। मैं ही यह बात नहीं कहता, आपोज़ीशन की तरफ से कोई मैम्बर उठे, कांग्रेस की तरफ से उठे, सब का एतराज़ यही होता है कि यहां पर हर काम पोलिटीकल कन्सिड्रेशन से होता है। कोई इंजीनियर या हैड आफ दी डिपार्टमैंट इनिशियेटिव नहीं ले सकता। यह हालत पंजाब की है। जहां तक नहरों का ताल्लुक है, गुड़गावां स्कीम ड्राप कर दी गई है। जब तक उस को रीमौडल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट्रीज़ में पानी नहीं जा सकता। रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम के लिये 2 लाख रुपया रखा जा रहा है। इस तरह से तो यह 12 साल में भी कम्पलीट नहीं होगी। यह तो आंखें पोंछने वाली बात है। रिप्रिज़ैंटेटिव्ज़ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने इलाके के लिये हाउस में आवाज़ उठा सकें। सरकार तो हैं नहीं हरकारे बैठे हैं। मैं आप की मार्फत उन से कहना चाहता हूँ कि उन का भी फर्ज़ है कि हरकारे के तौर पर जा कर बात कह दें।

Mr. Chairman : Please try to avoid such remarks.

चौधरी देवी लाल : जनाब, घग्गर डैड रिवर होता था ; इस में सरदियों में कभी पानी नहीं होता था। अब वह हर मौसम में चलता है। 500 क्यूसक्स पानी उस दरिया में चलता है, पहले से 12 गुना पानी उस में आता है। मैं सरकार के रिकार्ड के मुताबिक बता रहा हूँ कि उस दरिया में पहले वाटर डिस्चार्ज़ क्या था। मैं ने एक असैम्बली क्वैस्चन किया था, उस के मुताबिक बता रहा हूँ। चांदपुर के मुकाम पर दरियाए घग्घर भाखड़ा नहर को क्रास करता है। आगे ओटू के मुकाम पर डैम बना हुआ है। जब फ्लड्ज़ आए तो जाखल, बाह्मण वाली, रोजां वाली, चांदपुरा, बन्धगढ़, भब्बनपुर और बादल गढ़ सब गांव डूब गए थे। वहां पर 12, 12 फुट पानी चढ़ गया था। 80, 83 मील के फासले पर ओटू रैज़रवायर है। 1955 में चांदपुर के मुकाम पर वाटर डिस्चार्ज क्या था ; इस की फिगर अवेलेबल नहीं है। ओटू के मुकाम पर 2,055 क्युसक्स वाटर डिस्चार्ज था। 1960 में चांदपुर में 21,000 क्युसक्स और ओटू में 8,000 क्यूसक्स, 1961 में चांदपुर में 17,050 और ओटू में 5,961 क्यूसक्स था। 1962 में ओटू के मुकाम पर वाटर डिस्चार्ज 19,000 क्यूसक्स था। जहां पर इतना ज्यादा पानी गया हो वहां पर फ्लड्ज़ न आएं तो और क्या हो ? राजस्थान कैनाल हरिके पत्तन से निकलती है और कोट कपूरा, फरीद कोट, गिदड़ बाहा, अबूब शहर होती हुई

[चौधरी देवी लाल]
बणी के पास जा कर घग्घर को क्रास करती है। वहां पर साईफन में पानी का डिस्चार्ज 8,000 क्यूसक्स था। इस साल अन्दाज़ा है कि वहां पर पानी का डिस्चार्ज 20,000 क्यूसक्स होगा। पानी का निकास न होने की वजह से ओवरफ्लो होता है और बणी गांव में, जिस की आबादी आठ हज़ार है, 27, 27 फुट पानी चढ़ जाता है। वहां पर किसी मकान का नामोनिशान नहीं रहा। सरकार ने कुछ तवज्जोह नहीं दी। चाहिये तो यह था कि उन लोगों को मदद दी जाती। लेकिन मदद तो एक तरफ रही, सरकार ने उन को ज़मीन भी ऐक्वाइर कर के नहीं दी। वहां पर मगरब से मशरिक को पानी चला और 15 मील तक डुबोता हुआ चला गया। उसी जगह पर इस साल 10,000 क्यूसक्स मज़ीद पानी आ जाने का अन्दाज़ा है जब लिसाड़ा ड्रेन का पानी उस में जाएगा। चार बार लाईन बदली जा चुकी है। आज भी हमारे चीफ इंजीनियर साहिब वहां गए हुए हैं। जहां पर लोगों की किस्मत के फैसले इस तरह से हों, चंद आदमियों के एप्रोच करने से लाईन को बदला जाए, अपने आदमियों को फायदा पहुँचाने की खातिर मुखालिफ पार्टी के लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए, वहां देश कैसे तरक्की कर सकता है? एक तरफ फ़ेवरिटइज़म की जाती है और दूसरी तरफ विक्टिमाईज़ेशन होती है। लिसाड़ा ड्रेन का पानी लो लाईंग एरिया की तरफ निकालना चाहिये। अगर ऊँचे लैवल में से निकालेंगे तो जगह जगह से ड्रेन टूट जाएगी और फिर फ्लड्ज़ आएंगे। कल ही बाबू अजीत कुमार ने बताया था कि दो जगह से नहीं, वह ड्रेन दस जगह टूटी। आप अन्दाज़ा लगाएं कि जहां ड्रेन टूट जाती है वहां कितना बुरा हाल होता है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हर बात पोलिटीकल कंन्सिड्रेशन से होती है। मैं नहीं कहता कि कहां तक सच है या झूठ, लेकिन इस बात की आम चर्चा है। दस दस, बीस बीस लोगों के डैपुटेशन्ज़ बराड़ साहिब के साथ चले जाते हैं और उनकी इंटरफियरैंस से ड्रेन्ज़ को पांच सौ गज़ इधर से पांच सौ गज़ उधर हो जाना मामूली बात है। (विघ्न) बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां पर लाईनिंग तैयार नहीं हुई; बरसात आने को है और इसका क्या नतीजा होने वाला है, आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं। जहां फ्लड्ज़ के बचाव में भी इस तरह पोलिटीकल कन्सिड्रेशन्ज़ चलें वहां इन्साफ कहां से मिल सकता है।

इसके अलावा जो नई ड्रेन्ज़ दरियाए घग्घर में डाली जा रही हैं, मैं समझता हूँ उनसे और ज़्यादा तबाही होगी। इसी तरह से एक बरेटा ड्रेन है। वह रोझांवाली-नंगल के दरम्यान डेढ़ साल से बन्द है। उसने रोझांवाली, बाह्मण वाला, नन्दगढ़, बननपुर, चांदपुर बादलपुर से होते हुए आगे जाना है। वह पूरे डेढ़ साल से बन्द है। उसकी वजह से रोझांवाली, बाह्मणपुर में दस दस फुट पानी चढ़ जाता रहा है लेकिन अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस ड्रेन के पानी से भी उन इलाकों की हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो रही है। (घण्टी)। बस दो मिनट में खत्म कर दूंगा। इसी तरह सरहंद चो, धूरी ड्रेन, लहरा गागा ड्रेन, पटियाला माडल टाऊन ड्रेन और नाभा ड्रेन भी उसी में जाकर मिलेंगी। सरस्वती ड्रेन और टांगरी नदी तो पहले ही हैं। जहां पहले टांगरी और सरस्वती बिल्कुल हमवार थीं, उन को ड्रेन करके घग्घर में डाला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें सब मिला कर इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि अगर इसका फौरी तौर पर कोई इन्तज़ाम न हुआ तो सन् 1955 और 1959 की सर्दियों में जो

फ्लड्ज़ आए थे अब उससे भी ज़्यादा नुक्सान होगा। शायद सरकार के कानों में पहुँच ही जाए, इसलिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि पोलिटीकल कन्सिड्रेशन्ज़ को छोड़ कर पंजाब की डिवैल्पमैंट का ख्याल करते हुए इन इलाकों की तरफ फौरन ध्यान दिया जाए क्योंकि एमरजैंसी की हालत में पंजाबियों ने ही मुल्क की हिफाज़त के लिए सब से ज़्यादा हिस्सा डालना है, लड़ाई में सब से आगे होकर लड़ना है।

इधर कालका के पास भी ड्रेन बनाने की स्कीम सालहा साल से चलती आ रही है लेकिन इम्प्लीमैंट नहीं हो रही। घग्घर को चैनलाईज़ करने की स्कीम की भी पिछले आठ दस साल से चर्चा हो रही है लेकिन जब तक, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, पोलिटिकल कन्सिड्रेशन्ज़ को छोड़ा नहीं जाता, कोई काम ठीक तरह से नहीं होगा। जहां पंजाब में दूसरी तरफ 83 ड्रेन्ज़ हैं हमारे इलाकों में सिर्फ 27 हैं। सब से ज़्यादा नुकसान इधर हो रहा है। घग्घर में जो ड्रेन्ज़ डाली जा रही हैं इन से भी भटिंडा, हिसार वगैरा तक के इलाकों को नुकसान होगा। पैदावार की बढ़ौतरी पर इसका असर होगा। यह मुनासिब मालूम नहीं देता कि एमरजैंसी के नाम पर इन ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर किया जाए। इसलिये जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान दिलाया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि सूबे की समूचे तौर पर तरक्की और डिवैल्पमैंट को सामने रखते हुए सरकार उन पर सीरियसली गौर करेगी। इन अलफाज़ के साथ, चेयरमैन साहिब, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाईम दिया।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय चेयरमैन साहिब, मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे मौका दिया ताकि मैं आप बीती कहानी इस हाउस को सुना सकूं। चेयरमैन साहिब, दो तीन साल रोहतक में भयानक फ्लड्ज़ आए और उनका काफी चर्चा हुआ। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री वहां खुद देखने गए लेकिन मैं एक ऐसे मासूम इलाके का वर्णन आप के सामने करने लगी हूं जिसकी बाबत कोई तस्वीर अखबारों में प्रकाशित नहीं हुई लेकिन जिसकी दर्दनाक दासतान की तरफ अगर सरकार ने ध्यान न दिया तो यह इन्सानियत पर, इरीगेशन डिपार्टमैंट पर एक काला धब्बा बनकर रह जाएगा।

चेयरमैन साहिब, आप ने सुना होगा और अखबारों में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कैथल के इलाके में इस बार बहुत फ्लड्ज़ आए। आप यकीन मानिए कि दो तीन महीने तक वहां की लाईफ बिल्कुल डिस्रप्ट रही। कोई कारखाना नहीं चला, कोई व्यापार नहीं चला। वहां की सड़कें, वहां के खेत लगातार पानी के नीचे रहे। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। इरीगेशन मिनिस्टर साहिब ने मेहरबानी करके खुद वहां का मुलाहिज़ा भी किया। चीफ इंजिनियर साहिब वहां गए लेकिन अभी तक समस्या का कोई मुनासिब हल नहीं ढूंढा गया। चाइनीज़ एग्रेशन हुआ और उसके कारण लोगों ने इस बात के लिए ज्यादा वावेला करना मुनासिब नहीं समझा वरना यह उस इलाके की एक बर्निंग प्रौब्लम थी और है अगर आप वहां पर जा कर देखते तो मीलों तक पानी की झील और दरिया बना हुआ नज़र आता। सड़कें टूट चुकी थीं और अगर उस जगह को देखने के लिए इन्सान पहुंच सकता था तो सिर्फ मोटर बोट्स

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

के ज़रिए ही पहुंच सकता था । मिलटरी वाले वहां मोटरबोट्स में गए और कुछ अफसर भी गए और अंदाज़ा लगाया कि वहां पर कितना नुकसान और तबाही हुई । चेयरमैन साहिब, फ्लड्ज़ के वक्त जब मैं भी वहां जगह जगह पर गई, इरीगेशन डिपार्टमैंट के अफसर भी वहां मौजूद थे और मैं कह सकती हूं कि जितनी टैक्निकल बैंकरुप्सी मैं ने वहां पर देखी शायद ही कहीं देखने को मिलेगी । कोई अफसर अपने ही स्टैंड पर कायम नहीं रहता था । कोई कुछ कहता और दूसरा कुछ राए देता । कोई यह कहता कि इधर से ऐलाईनिंग होनी चाहिए और, दूसरा कहता पानी फलां जगह से निकाला जाना चाहिए । हालत यह थी कि बड़े बड़े इंजीनियर्ज़ उनकी इन बातों में वह जाते थे । टैक्निकली कोई भी अफसर अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहता था जिस से समस्या का कोई इफ़ैक्टिव हल निकाला जा सकता । चेयरमैन साहिब, ताज्जुब होता है कि फ्लड्ज़ के मौके पर तो एक एक्स०ई०एन० ने जा कर स्थिति को देखा भाला समझा और जब फ्लड्ज़ खत्म हुए तो स्कीम किसी दूसरे अफसर के हाथों बनती है और जब उस को इम्पलीमैंट करने का मौका आता है तो कोई तीसरा एक्स०ई०एन० चुना जाता है । हमें तो मालूम भी नहीं कि वह स्कीम मौजूद भी है या नहीं । चेयरमैन साहिब, शायद मैं ने आज खड़ी हो कर हाउस का वक्त न लिया होता अगर निश्चित रूप से मुझे बजट में कुछ इस सम्बन्ध में संकेत मिला होता लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि जिस बात के मुतअल्लिक कैबिनेट का फैसला हुआ हो जिस के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी ऐश्योरैंसिज़ भी दी जा चुकी हों उस स्कीम को मैं बजट में नहीं देख पा रही हूं । शायद मेरे देखने में कोई गलती हुई हो । मैं नहीं कह सकती कि बजट में उन ड्रेन्ज़ को कोई और नाम दिया गया हो लेकिन जहां तक मेरी अक्ल जा सकती है उस स्कीम का इस बजट में ज़िक्र नहीं आया । माननीय इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर को याद होगा कि वह खुद मौके पर गए थे ; उन्होंने खुद वहां लोगों के जोश का निरीक्षण किया था । चारों तरफ पानी ही पानी––मवेशियों को घरों से बाहर निकाल कर ले जाने का कोई रास्ता नहीं था । लोग अपने घरों के आगे बान्ध बान्ध कर बैठे थे । महीनों वे लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके । उन्होंने देखा कि जोश उन में इतना था कि पानी को निकालने के लिए वह रेल की पटरी तक तोड़ने को तैयार थे जब कि उन्हें ऐश्योरैंस दी गई कि लोकल अफसर पंद्रह दिन तक सारे पानी को बाहर निकाल देंगे । लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक इरीगेशन डिपार्टमैंट वालों को, पता तक नहीं कि कौन फाईनैन्सिज़ प्रोवाईड करेगा, कौन पंपिंग सैट्स ले कर देगा । वहां इरीगेशन मिनिस्टर साहिब ने यहां तक कहा कि मैं अपने डिस्क्रीश्नरी फंड्ज़ से पैसा देने को तैयार हूं । मुझे याद है कि मैं ने इस सम्बन्ध में उन्हें कहा था, लेकिन बावजूद इन सब बातों के वहां के लिए कोई स्कीम नहीं बन सकी और अब पता लगा है कि नवम्बर में जब बजट के सप्लिमैंट्री ऐस्टीमेट्स आएंगे तो 30,000 रुपए की एक प्रोपोज़ल उस में शामिल हो कर आएगी । इस के लिए उस वक्त बजट में प्रोवियन किया जाएगा । मुझे समझ नहीं आती कि जब लाखों करोड़ों रुपया मेनटेनैंस ऐंड कंसट्रक्शन आफ ड्रेन्ज़ वगैरा के

लिए दिया जा, रहा है ; वहां एक्स० ई० न० को या एस० ई० को इतनी पावर्ज़ नहीं कि वह इस मकसद के लिए 30,000 रुपया खर्च कर सके । इस से ज़्यादा बदकिस्मती की बात उस इलाके के लोगों के लिए और क्या हो सकती है । चेयरमैन साहिब , यहां जो बाढ़ आए इन के बारे में कहा जाता है...........

Mr. Chairman : The hon. lady Member should please finish her speech within two minutes.

Shrimati Om Prabha Jain : All right, Sir.

मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगी लेकिन मिनिस्टर साहिब से यह ज़रूर कहूंगी कि आज डिबेट का जवाब देते हुए वह ज़रूर इस बात की एश्योरैंस दें कि इस स्कीम को ज़रूर जल्दी पूरा किया जाएगा । अगर कैथल, पिहोवा और बीबीपुर लेक का पानी विदकार तालाब में न जाता तो वहां पानी इतना रहता जिस से कैथल मण्डी बिल्कुल तबाह हो जाती । इस बजट से मुझे पता नहीं लग सका कि उस इलाके को फ्लड्ज़ की मार से बचाने के लिए क्या इन्तज़ाम किया गया है । और इस स्कीम के लिए रखा क्या है । एक बात मैं और कहना चाहती हूं । कैबिनट ने यह फैसला किया था कि इन फ्लड्ज़ की मैनेस को ज़रूर दूर करना है । लेकिन जो फ्लड्ज़ आते हैं उन की सब से बड़ी वजह कनसौलीडेशन होती है और सड़कों की गलत प्लैनिंग होती है । हम देखते हैं कि सड़कें और रेल्वे लाईन्ज़ मीलों लम्बी चली गई हैं लेकिन उन के नीचे कोई कलवर्ट नहीं दिया जाता । नहरों का भी यही हाल है।

मैं इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहती हूं । करोड़ों रुपए की स्कीमें फ्लड्ज़ को रोकने के लिए बनाई गई हैं । पता नहीं कि कितना रुपया इन योजनाओं के पूरा करने में वेस्ट किया जाएगा जैसे कि आप को मालूम है कि भाखड़ा डैम के मुकम्मल करने तक कोई नौ करोड़ रुपए वेस्ट किये गए हैं । इस लिए मैं मिनिस्टर साहिब को सूज्जैस्ट करूंगी कि क्योंकि फ्लड्ज़ को रोकने का काम सारी स्टेट में होना है इसलिए शायद वह हर जगह पर आप न पहूंच सकें, इस लिए कुछ ऐसे लोगों की एक कमेटी बना दें जो रिटाइर्ड इंजनियर्ज़ हों, जो वर्कस इन प्राग्रैस मौके पर जा कर देख सकें और मुलाहज़ा करें कि कहीं रुपया वेस्ट तो नहीं हो रहा। इस से फंड्ज़ की वेस्टेज नहीं होगी । बाढ़ों के सिलसिले में मैं एक और सुझाव पेश करूंगी कि जिन अफसरों ने जहां जहां बाढ़ों के दिनों में दरदनाक हालात वहां रह कर देखे हैं, वहां की स्कीमें बनाने में उन उन अफसरों को ज़रूर कनसल्ट कर लिया जाए। लेकिन मैं देखती हूं कि ऐसा हो नहीं रहा । यह इतना बड़ा महकमा है कि एक अफसर जब एक जगह से चला जाता है तो उस का पता ही नहीं लगता कि कहां पर गया है । जब कैथल में बाढ़ आए थे तो उस वक्त वहां पर ऐक्स०ई०एन० श्री वाई. ऐस. पुरी थे । उस के बाद पता चला कि वह ड्रेनेज डिवियन, टोहाना चले गयें हैं और वहां के एस०ई० श्री डी.डी. सोनी सिरसा बदल गए हैं । अब पता चलता है कि उन का डिवियन कैथल में आ रहा है । लेकिन हकीकत यह है कि उसे वर्कस तो मालूम नहीं हैं । इन चीज़ों की तरफ वज़ीर साहिब को ज़रूर ध्यान देना चाहिए ।

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

वजीर साहिब ने जो मेरे इलाके के लिए माईनर दिये हैं मैं उन के लिए उन का शुक्रिया अदा करती हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫੇਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 1960 ਵਿੱਚ ਆਏ, 1961 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਥਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 15, 15, 20 , 20 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਣ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਫੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਆਰਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਦਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਕ ਬੱਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਥੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਕ ਗਾਰਦ ਲੈ ਜਾਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਲਾ ਲੈਸਨੈਸ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਝੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸੀਆਂ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ

ਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਐਕਸ. ਈ. ਐਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਗਲ ਹੈ ? ਸਟਾਫ ਨਾਅਹਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਾਇਕ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

Mr. Chairman : Please wind up now.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਲਾਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਮਾਂਡਿਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਲਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੋਘਾ ਰੀਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ)। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਏ ਹਨ।

Mr. Chairman : No. The hon. Member has already taken eight minutes.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੱਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਜਿਸ ਭਾਉ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਭਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਲਾਈਨਾਂ ਚੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਮੁਆਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ (ਘੰਟੀ)। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਨਮਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

(*At this stage the Deputy Speaker occupied the chair*)

ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮੰਗਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਨਮਾਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ)।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ। (The time at our disposal is short. Therefore the hon. Member may please resume his seat after saying one or two points more.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਗਲ ਕਹਿ ਲਉ ਪਰ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਉ। (The hon. Member may please finish his point. But the time is short and other hon. Members have also to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਸਿਨਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਉ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।

(The hon. Member may please avoid reference of the cinemas. He should please speak on the demand relating to Irrigation and Power.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨਿਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸ. ਈ. ਐਨ. ਜਾਂ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾ ਲਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ? (ਹਾਸਾ) (What for the hon. Member was there ?) (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਉਥੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਕੇ ਰੋਵੇ। (ਹਾਸਾ) ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ। (I do not want that any hon. Member should cry in the House. (*Laughter*). The hon. Member may please resume his seat now.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

श्री रूलिया राम (घरौंडा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। कैथल के फलड्ज़ बारे बहन ओम प्रभा जी ने भी हालात बताए हैं। रोहतक और हिसार के भाइयों ने अपने इलाके का नक्शा खींचा है कि वह किस तरह से पानी के लिए तरसते हैं। मगर इस के उल्ट यह हाल है कि हमारा करनाल का इलाका पानी में ही डूबा रहता है। हमारे ज़िला को जी०टी० रोड दो हिस्सों में काटती है। एक तरफ तो खादर का इलाका है और दूसरी तरफ सेमज़दा एरिया है। हमारी तहसील कैथल में पिछले साल फलड आया। खादर के एरिया में तो यह हालत होती है कि पांच पांच मील तक पानी ही पानी नज़र आता है। रास्ते बन्द हो जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं आप को बताना चाहता हूं कि कुंजपुरा गांव के पास से जमना की दो शाखाएं हो जाती हैं। अगर दूसरी तरफ से पानी रोक कर बड़ी जमना में डाल दिया जाए तो इस तरीके से लाखों बीघे रकबा को बचाया जा सकता है। वह तमाम इलाका बच सकता है। जो बीच का इलाका है उस का रकबा दो लाख बीघे है। वहां पर 15, 20 गांव आबाद हैं। उन की हालत यह है कि वह बेचारे हर किस्म की सहूलत से महरूम हैं, वहां बिजली तक नहीं है। इतना बैकवर्ड इलाका है कि वहां पर डंगरों के हस्पताल तक नहीं हैं। वज़ीर साहिब को इस तरफ ध्यान दे कर इरीगेशन का इन्तज़ाम करना चाहिए। अब तीन चार महीने में बरसात आने वाली है, वहां पर 5, 6 मील के अन्दर कोई आ जा नहीं सकता। तो अगर इस स्कीम पर अमल करके वह पानी जमना में डाल दिया जाए तो देश को बड़ा फायदा होगा।

फलड्ज़ के बारे में मैं यह तजवीज़ रखता हूं कि जो पानी अम्बाला और पहाड़ी की तरफ से इकट्ठा होकर करनाल में जाता है और जिस ने कि हमारे इलाके को बिल्कुल डुबो दिया है, अगर किसी तरकीब से इस पानी को हिसार और लोहारू की तरफ निकाल दिया जाए तो जहां उस खुश्क इलाके में आबपाशी का प्रबन्ध हो सकेगा वहां हमारे इलाके में यह जो तबाही करता है वह न कर सकेगा।

ट्यूबवैल्ज़ के बारे यह अर्ज़ है कि इन के जो आपरेटर हैं उन की तनखाह पहली मार्च से कम कर दी गई है। पहले 80 रूपए थी, अब 55 रुपए कर दी गई है। इस से तो इन की हालत और भी खराब हो जाएगी। पंजाब में जितने ट्यूबवैल्ज़ फेल हुए हैं इतने और कहीं नहीं हुए। इन के आपरेटर्ज़ की तनखाह तो पहले ही कम थी, अब और कम कर दी गई है। तो जो पहले ही इन की हालत खराब थी वह और भी खराब हो जाएगी। कम तनखाह की वजह से वह कुरप्शन करते हैं। दो तीन घंटे डयूटी देते हैं : एक दफा यह बात चौधरी साहिब के नोटिस में लाया था तो इन्होंने बताया था कि जो जो ट्यूबवैल सरकार लगाती है चूंकि वह नुकसान में जा रहे हैं इस लिए सरकार इन को उन ज़मींदारों को देना चाहती है जिन की ज़मीन में वह लगे हुए हैं मैं भी इस बात को अच्छा समझता हूं। इस से सरकार को जो नुकसान हो रहा है और जो महकमे का बोझ खज़ाने पर पड़ रहा है वह सब खर्च बच जायगा। इन को

[श्री रूलिया राम]
पब्लिक को दे देने से जहां सरकार को फायदा होगा वहां इरीगेशन बढ़ेगी और किसानों को खास तौर पर फायदा होगा।

इसके अलावा मैं चौधरी साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि भाखड़ा डैम की नहर का पानी हमारी छाती से गुज़र जाता है, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि ज़िला करनाल में नहरों का पानी ज़्यादा किया जाए।

इश्तमाल होने के बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे यहां के पटवारियों के पास आज तक कोई शजरा नहीं। वह क्या करते हैं, कि अगर किसी की 10 बीघे आबपाशी हो तो 20 लिख दते हैं और कायदे के मुताबिक जो किसान को कच्ची या पक्की जो भी पर्ची दी जाती है वह नहीं इश्यू करते। इसका नतीजा यह होता है कि उनके ऊपर तिगुना और चौगुना आबयाना पड़ जाता है। इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह आर्डर किया जाए कि उनके पास शजरे हों ताकि नम्बर खसरा देखकर उन्हें पता लग जाए कि कितने बीघे का खेत है।

एमरजैंसी के हालात में सब से बड़ी महत्व की बात यह होनी चाहिए कि अनाज की पैदावार ज्यादा करनी चाहिए। और उसके लिए ट्यूबवैल्ज़ की फैसिलीटीज़ भी दी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई किसान ट्यूबवैल लगाना चाहता है और वह जब उसके लिए दरखास्त देता है तो तकरीबन 3, 3 साल तक कुनैक्शन ही नहीं मिलते और उन्हें हार कर तकावियां वापस करनी पड़ती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके लिए ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि 2 या 3 महीने के अन्दर ट्यूबवैल्ज़ का कुनैक्शन मिल जाया करे।

एक बात मैं ड्रेन के मुतअल्लिक कहना चाहता हूं कि जो ड्रेन घरौंडा से निकलती है वह माला, शेखपुरा होती हुई जी०टी० रोड के पास गिर जाती है। उस में मामूली सा काम है ; उसे ज़रूर पूरा किया जाए क्योंकि उसके कारण हज़ारों बीघा ज़मीन सेम के अन्दर फिर आ चुकी है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਚੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰਚੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਮੁਆਮਲਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਗੋਵਾਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪਾਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਝੋਟਾ ਪਾਲਿਆ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ: ਝੋਟੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਵ੍ਹੀਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਗਰ ਹਨ। ਓਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹੀਲਾ ਤੇਜਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਲਾ ਲਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਡਰੇਨਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਜੂਮਾਨ ਡਰੇਨ ਹੈ। ਜੌੜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਰੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਸੜਕ ਦਾ ਪੁਲ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਡਰੇਨਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੀਵਾਲ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਡੱਕ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਲੇ ਦੀ ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿਚਦੇ। ਲੋਕ ਸੂਏ ਨੂੰ ਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੌੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜੰਤੀਪੁਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰੇਲ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਓਥੇ ਡਰੇਨ ਪੁਟ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਿਚਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਰੇਲ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੀਦਕੇ ਡਰੇਨ ਤੇ ਛਿਛਰੇਵਾਲਾ ਡਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਾਸ ਖਿੱਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਡਰੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले बजट में तीस हज़ार रूपया रसूलपुरकलां और रसूलपुर खुर्द के पास पुल बनाने के लिए रखा गया था लेकिन एक साल गुज़र जाने के बावजूद भी वहां पर कुछ भी काम शुरू नहीं किया गया । तंग आ कर मंत्री महोदय से शिकायत की गई कि हो सकता है कि यह भी कोई विकटेमाईज़ेशन का केस हो । मैं मिनिस्टर साहिब से एशोरेंस चाहूंगा कि उस पुल को जल्दी ही मुकम्मल किया जाएगा । बीबीपुर लेक के बारे में श्रीमती ओम प्रभा जैन ने बहुत कुछ कह दिया है । उन्होंने कहा है कि वहां पर इन्जीनियर्ज़ का कसूर था । लेकिन मेरी राय में वह इन्जीनियर्ज़ का कसूर नहीं था । बल्कि पुलिटिकल अफसरों का कसूर है, जिस की वजह से वह पुल टूटा वरना इन्जीनियर्ज़ ने तो वक्त पर बता दिया था । वह मच्छलियों के ठेकेदार थे जिन्होंने पानी नहीं खोलने दिया । पिछली दफा एस०डी०ओ० ने पानी खोल दिया था तो उस बेचारे को ससपैंड होना पड़ा । मैं चाहता हूं कि इस तरह की पुलिटिकल इन्टरफियरेंस खत्म होनी चाहिए ताकि इन्जीनियर्ज़ इन्डीपैन्डटली काम कर सकें । जब इरीगेशन की डिमांड आती है तो श्री क्लेयर मेरी आंखों के सामने घूम जाते हैं । इसी तरह से और भी बहुत से इन्जीनियर्ज़ के हार्टस फेल हो गए । इन्जीनियर्ज़ की विकटेमाईज़ेशन होती है जिस से वह काम नहीं कर सकते ।

यहां पर ऐलाइनमैंट का ज़िक्र किया गया । मुझे बहुत से केसिज़ का पता है कि जिन में इन्जीनियर्ज़ तो ऐलाइनमैंट देते हैं लेकिन जब केस ऊपर जाता है तो वहां जा कर डिले हो जाती है । वहां एक पावरफुल ऐलीमैंट का दूसरे पावरफुल ऐलीमैंट से झगड़ा हो जाता है । केसिज़ डिले हो जाते हैं । कसूर तो ऊपर वालों का होता है लेकिन पेशियां बेचारे इन्जीनियर्ज़ भुगतते हैं । मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता ; सिर्फ एक दो ज़रूरी बातें ही कहना चाहूंगा । बहुत जगह पर देखा गया है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वह रुपया की कमी की वजह से और एमरजैंसी की वजह से बन्द हो गए हैं । इस के बावजूद जो रुपया ड्रेन्ज़ के लिए बढ़ाया गया उस के लिए मैं मुबारकबाद भी देता हूं । लेकिन जो काम बन्द किए गए हैं उन के लिए भी रुपया मिल सकता है अगर सरकार दूसरे कामों को ज़रा ध्यान से करें । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सांपला पुल पर पांच लाख रुपया लगाया गया था। एक अखबार ने वक्त पर इत्तलाह भी दे दी थी कि पुल में दराड़ आई हुई है, टैक्नीकल डिफेक्ट पड़ गया है । उस को एक्स.ई.एन. ने देखा, एस.ई. ने देखा और सी. ई. ने भी देखा । लेकिन उस वक्त उस बात को नहीं माना गया । अखबार नवीस की विकटेमाईज़ेशन हुई और उस के खिलाफ 500/501 दफात के मातहत मुकदमा चला कर उस को सज़ा भी दिलवा दी गई । हुआ क्या ? हुआ यह कि तीसरे दिन वह ब्रिज कोलेप्स हो गया और काफी नुक्सान हुआ । कितना नुक्सान हुआ इस बात पर भी अभी कन्ट्रोवर्सी है । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार वक्त पर ऐसी बातों की तरफ ध्यान दे तो काफी रुपया बच सकता है और उस रुपए से जो काम बंद किए गए हैं उन को भी मुकम्मल किया जा सकता है । यहां पर स्पीच करते हुए

राड़ेवाला साहिब ने फरमाया कि उन को तजरुबा है, वह भी टाय हाउस के मेम्बर रह चुके हैं । वे एक लफ्ज़ कहना भूल गए । उन्हें कहना चाहिए था कि मुझे बिटर एक्सपीरीएंस है कि मैं जब मिनिस्टर था तो एक खिलौना था । मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं । मैसर्ज़ राम किशन-कुलवन्त राए दिल्ली की एक कम्पनी ने बिजली का सामान सप्लाई किया । वह सामान डिफैक्टिव था । इस लिए इन्जीनियर्ज़ ने उस सामान की पेमेंट रोक दी । उसी केस पर मिनिस्टर साहिब ने भी डेढ़ सफे का नोट लिखा कि पेमेंट नहीं होनी चाहिए । लेकिन इस के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहिब ने पेमेंट कर दी । मैं हैरान हूं कि यह कैसे हुआ । अगर इस केस की इन्क्वायरी करवाई जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दो तीन लाख रुपया लिया गया है । इन्क्वायरी करने से पता लग सकता है कि किस ने लिया है । अगर यही रुपया बचाया जा सके तो वर्कस पर लगाया जा सकता है । बिजली की चोरी बहुत ज्यादा होती है । किसी ने यह बात प्वाईंट आउट नहीं की । मैं ने प्वाईंट आउट किया था । मुझे जवाब में बताया गया कि कुछ केस चोरी के गवर्नमैंट के नोटिस में आए । लेकिन जब यह पूछा गया कि उन के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया तो कहा गया कि फलां केस में एग्ज़ोनरेट हो गया, फलां एग्ज़ोनरेट हो गया और फलां केस फाईल हो गया । मैंने दोबारा चीफ मिनिस्टर साहिब को लिखा और उन्होंने इरीगेशन मिनिस्टर को लिखा । मैं देखना चाहता हूं कि अब उस पर क्या ऐक्शन होता है, उस पर ऐकशन लेने की इन की कितनी हिम्मत है ।

इसके आगे मैं जी०टी० रोड के बारे में कहना चाहता हूं कि 1955-56 में फ्लडज़ आने से और जमना का बांध टूटने से यह सड़क डैमेज्ड हो गई । दिल्ली जाते हुए यह सड़क करनाल के ज़िले में से 80, 90 मील के फासले में से गुज़रती है । सड़क को ठीक करने के लिए मैंने लिखा कि यह जमुना के साथ साथ जाती है, इस को ठीक किया जाना चाहिए । हमारी गवर्नमैंट कहने लगी कि यह दिल्ली वालों का काम है, वे नहीं मानते । मैं ने पूछा कि अगर आप की नहीं सुनते तो क्या मैं लिख दूं । सी. ई. कहने लगा कि हां लिख दो, मैं ने प्राईम मिनिस्टर साहिब को लिखा कि हंगामी हालात में जी० टी० रोड की तो और भी ज्यादा ज़रूरत है, अगर सड़क टूट गई तो हमारी फौजें कैसे गुज़र सकेंगी । प्राईम मिनिस्टर साहिब के सेक्रेटेरिएट में से हमारे चीफ सेक्रेटरी को जवाब दिया गया । लेकिन उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया एक महीने के बाद मैं ने फिर लिखा लेकिन कोई ऐकनालेजमैंट नहीं हुई । मैं ने फिर रिमाईंडर दिया कोई एकनालेजमैंट नहीं की गई । तंग आ कर मैं ने चीफ मिनिस्टर साहिब को लिखा । उन्हों ने जवाब में मुझे डी. ओ. लैटर नं० 4152-सी. एम. 63 लिखा और कहा कि हालात को देख रहे हैं । उस के बाद कोई जवाब नहीं आया । मालूम नहीं कि वे कब तक हालात को देखते रहेंगे । इस में इन्जीनियर्ज़ का कसूर नहीं है । इस का इलाज तो चीफ मिनिस्टर साहिब के पास है । अगर वे इलाज कर सकें तो अच्छा है वरना डिटिरियोरेशन होगी । जहां तक जी०टी० रोड का ताल्लुक है मैं चाहूंगा कि हमें एशोरैंस दी जाए कि जमुना के बांध को ठीक किया जाएगा और जी०टी०रोड

[कामरेड राम प्यारा]
डैमेज नहीं होगी ताकि जब भी जरूरत हो हमारी फौजें आसानी से इधर उधर आ जा सकें ।

अगली बात मैं जमींदारों के बारे में कहना चाहता हूं कि वड्ढवत्तर के लिये गवर्नमैंट बहुत ज्यादा चार्ज करती है । पानी नहीं होता है लेकिन उस के लिए पहले आबयाना भी ले लिया जाता है और बाद में फिर चार्ज किया जाता है । इस के लिए एहतयात की जरूरत है । दिल्ली को जो पानी जाता है । इस के लिए उस से बड़ा नुकसान होता है । कितने साल हो गए मोनक से दिल्ली को ले जाने के लिए नहर खोदने की स्कीम थी । कभी तो कहते हैं कि स्कीम शुरू हो गई है । कभी कहते हैं कि शुरू की गई थी फिर बंद कर दी गई । जो पानी दिल्ली को जाता है अगर नहर खुद जाए तो जो पानी का नुक्सान सीपेज और इवेपोरेशन से होता है वह रोका जा सकता है । और करनाल और रोहतक के लोगों को उस से फायदा पहुंच सकता है । सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली के लोगों को पानी देने से इनकार कर सके । दिल्ली में तो पानी पहुंच जाता है और हमारे लोग तरसते रह जाते हैं इरीगेशन डिपार्टमैंट के पटवारी, जिन को बाद में और नाम दिया गया था उन के बारे में एशोरेंस दी गई थी कि उन की तनखाह रैविन्यु पटवारियों के बराबर कर दी जाएगी । लेकिन अभी तक इस तरफ अमल नहीं किया गया । मैं चाहूंगा कि इरीगेशन डिपार्टमैंट के पटवारियों की तनखाह रैविन्यू पटवारियों के बराबर कर दी जाए । इस से आगे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इरीगेशन डिपार्टमैंट में जो लोग सर्वेयर लगे हुए हैं वे आठ-आठ दस-दस और बारह-बारह साल से बतौर सर्वेयर ही काम कर रहे हैं । उन्हों ने कौनसा गुनाह किया है कि उनकी कुछ तरक्की नहीं होती वे बेचारे सर्वेयरज़ ही रिटायर होंगे । (विघ्न) अब मैं फ्लड्ज़ के बारे में कहना चाहता हूं कि वैस्टरन जमुना कैनाल इतनी बड़ी कैनाल है, उस को दो जगह पर काट देना पड़ा, और भी छोटी-छोटी नहरों पर कट देने पड़े । सड़कों को काटा गया । कई जगह साईफन नहीं । कई जगहों पर ड्रेन्ज़ को चौड़ा किया मगर अगले साईफनों को पानी नहीं दिया गया । जरूरी है कि इस के लिए परमानैन्ट अरेंजमैंट्स किए जाएं । जो इन्जीनियर्ज़ के काम में इन्टरफियरैंस हो रही है उसको रोका जाए क्योंकि इस से काम में रुकावट पड़ती है । तभी, मैं समझता हूं कि, हम ने जो डिवैल्पमैंट के टार्गेट्स निश्चित किए हैं वह पूरे हो सकेंगे । इन अलफाज के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करके अपनी जगह पर बैठ जाता हूं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ

ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ. ਡਬਲੀਊ. ਡੀ., ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਰੇਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਕਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫੇਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਉਥੇ ਸੇਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਫਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਫਲੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਲੱਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਉਤਲੀ ਸਤਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਬਿਆਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਵਧ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਰੇਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਕੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Shri Rup Singh Phul : On a point of order, Madam. So far as hilly areas are concerned, nothing has been said and we also require irrgational facilities in view of the peculiar geographical conditions of those

[Shri Rup Singh Phul]
areas. Therefore, some hon. Members from the hilly areas may also be given some time.

Deputy Speaker : The hon. Members from the hilly areas will definitely be given time to speak.

श्री रूप लाल मेहता : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की भी इरीगेशन के सम्बन्ध में बहुत बड़ी बड़ी प्रौबलम्ज़ हैं। हमें भी बोलने का मौका दीजिए यह भी एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप से मैं प्रार्थना करूंगी कि इस तरह से इन्टरप्ट न करें। जितना ज्यादा आप इन्टरप्ट करेंगे उतने कम आनरेबल मैम्बर साहिबान को बोलने का मौका मिलेगा। (I would request the hon. Member not to interrupt like this. The more the interruptions, the less will be the number of the hon. Members taking part in the discussion)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, टाईम बढ़ा दें ताकि और मेम्बर साहिबान हिस्सा ले सकें।

उपाध्यक्षा : आप को पता ही है कि आज तीन बजे दूसरी सिटिंग भी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेम्बर साहिबान अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें लेकिन आप मेरे साथ इस बात में को-आप्रेट करें और इंटरप्ट न करें। (You know that there is another sitting at 3.00 p. m. today. However, I will try to arrange that the maximum number of the hon. Members have their say but I seak your co-operation in this matter and do not expect interruptions.)

श्री बनवारी लाल : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि एक ज़िले से तो दो-दो तीन-तीन मेम्बरों को टाईम दिया जा रहा है और एक ज़िले से एक मेम्बर को भी नहीं दिया जाता। यह आप मैम्बरज़ के साथ बड़ी ज्यादती कर रहीं हैं। (विघ्न)

Deputy Speaker : No interruptions please. अगर आप इस तरह इन्टरप्ट करते जाएंगे तो मुझे किसी और को यहां बैठाना पड़ेगा। I will leave this Chair. (No interruptions please. If you will continue to interrupt like this then I will have to request some hon. Member from amongst the Panel of Chairmen to take the Chair. I will leave this Chair) (*interruptions*).

श्री निहाल सिंह : मेरी सबमिशन यह है कि जिन्होंने गलत प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ किए हैं उनको टाईम न दिया जाए।

उपाध्यक्षा : मुझे तो टाईम बढ़ाने में भी कोई एतराज़ नहीं। मैं तो मसलसल घंटों तक यहां बैठ सकती हूं, लेकिन, जैसा कि मैंने पहले बताया 3 बजे

फिर दूसरी सिटिंग है । इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इन्टरप्ट न करें और ज्यादा से ज्यादा मेम्बर साहिबान को बोलने दें । (I have no objection to extend the time. As far myself, I can sit here continuously for hours but as I have already pointed out the second sitting is being held at 3.00 p. m. I would, therefore, request you not to interrupt and let the maximum number of Members take part in the discussion).

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ 12 ਕਤਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਮੁੱਰਬੇ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ । ਹਰੀਕੇ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗਲ ਮੈਂ ਵਢ ਵੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਢ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

उपाध्यक्षा : पेशतर इस के कि मैं किसी और मैम्बर को बोलने के लिए काल करूं मैं हाउस की राय लेना चाहती हूं कि क्योंकि तीन बजे दूसरी सिटिंग शुरु होनी है तो क्या $1\frac{1}{2}$ बजे यह मीटिंग बरखास्त कर दी जाए या इस की बजाए 2 बजे तक कर दी जाए । (आवाजें : दो बजे तक कर दीजिए ।) इस सिटिंग का टाईम दो बजे तक extend किया जाता है । (Before I call any other hon. Member to speak. I want to have the opinion of the House that as the Assembly is again meeting at 3 p. m. today, should we adjourn now at 1-30 p.m. or this sitting may be extended up to 2 p. m. (Voices : Please extend it up to 2 p. m. today). All right, the time of this sitting is extended up to 2 p. m.)

श्री बनवारी लाल (कानीना, एस. सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने जो मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है, इस के लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

[श्री बनवारी लाल]
बावजूद इस बात के कि मेरे कई बार कहने के बाद आप ने मुझे टाईम दिया है, फिर भी मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं..............

उपाध्यक्षा : अगर अब इस तरह शुक्रिया करने में ही अपना वक्त गंवाया तो आयंदा टाईम नहीं दूंगी । (If the hon. Member wastes his time in thanking the chair in this way, then in future I would not allow him to speak).

श्री बनवारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर फ्लड्ज़ कंट्रोल के बारे में मेरे बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने ख्यालात इस सदन के सामने रखे हैं लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि फ्लड्ज़ दो किस्म के हैं । पंजाब में टैम्प्रेरी फ्लडज़ के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बताया है लेकिन परमानैन्ट फ्लड्ज़ के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया ।

उपाध्यक्षा : आप इन बातों को रहने दीजिए, डिमांड पर बोलिए । (The hon. Member should leave these things and should speak on the Demand now before the House).

श्री बनवारी लाल : फलडज़ भी तो इस में आ जाते हैं । चलो, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहता । अब मैं यह अर्ज़ करता हूं कि पंजाब की नहरों का जो मामला है यह बहुत टेढ़ा है । कहीं तो 20, 20 फुट पानी चढ़ जाता है और कहीं पीने तक का पानी भी नहीं मिलता । इस लिए सरकार को दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए । जहां पानी बहुत है और नुक्सान करता है अगर वहां से पानी उस तरफ ले जाया जाए जहां पानी की कमी है तो दोनों तरफों की मुश्किल हल की जा सकती है । इस लिए बेहतर होगा कि इधर की कुछ नहरें ज़िला महेंद्रगढ़ को दी जाएं ।

अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं । आज जो हमारे सामने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट रखी गई है इस से पता चलता है कि जहां इधर के इलाके के बहुत से गांवों को इस साल बिजली दी जानी है वहां हमारे इलाके के सिर्फ 15 गांवों के लिए इस में बिजली देने की प्रोवीज़न की गई है । क्योंकि मेरा ज़िला महेन्द्रगढ़ रेतीला इलाका है और वहां पर नहरें आसानी से नहीं जा सकतीं , इस लिए अगर वहां आबपाशी हो सकती है तो वह बिजली के टयूब-वैल्ज से हो सकती है । इस लिए मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह वहां जल्दी से जल्दी तमाम गांवों को बिजली देने का इन्तज़ाम करें और वहां के गरीब किसानों को टयूबवैल्ज़ लगाने के लिए स्पैशल ग्रांट्स दें क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है । तभी वह इलाका फरटाईल बनाया जा सकता है जब वहां ज्यादा से ज्यादा ट्यूब-वैल्ज़ लग जाएं । इस लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर साहिब उस ज़िले को ज्यादा से ज्यादा बिजली देंगे ।

फिर हमारे ज़िला महेन्द्रगढ़ ने मिलिट्री के लिए सब से ज्यादा भरती दी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब जब 31 दिसम्बर को दादरी गए तो वहां इन्होंने कहा था कि जो ज़िला मिलिट्री के लिए सब से ज्यादा भरती देगा उस इलाके की सब से ज्यादा इमदाद सरकार करेगी। हमारा ज़िला जब डिफैंस के काम में सहयोग देने में बाकी सब दूसरे ज़िलों से ज्यादा आगे रहा है तो इस ज़िले की सरकार को सब से ज्यादा मदद करनी चाहिए। अगर वहां काफी बिजली दे कर ट्यूब-वैल लगाए जाएं तो वहां काफी आबपाशी हो सकेगी जिस के नतीजे के तौर पर वहां अनाज काफी मिकदार में पैदा होने लगेगा और हमारे देश को बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ेगा। इस लिए मैं फिर कहूंगा कि वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए और इस ज़िले को खुशहाल बनाया जाए।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इरीगेशन पर वाटर लौगिंग के मसले पर बहस चल रही है। मेरी कन्स्टीच्यूंसी सफीदों के इलाका में 1947 से ले कर 1955 तक हर साल फलड्ज़ आते रहे थे। पिछले साल भी पंजाब में फ्लड्ज़ से कोई 40 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ था। सिंचाई मंत्री चौधरी रणबीर सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले साल हमारे इलाके में फ्लड्ज से कितना भारी नुकसान हुआ था क्योंकि उन दिनों उन्होंने ज़िला रोहतक और हमारे इलाके का दौरा किया था। वह जानते हैं कि पिछले दो सालों से में नाई नाला और ड्रेन नं० 8 से ज़िला रोहतक का बड़ा भारी नुकसान हुआ। इस लिए उन्होंने इस साल ज़िला रोहतक को बचाने के लिए अन्टा साईफन को बन्द करा दिया था। पहले नाई नाला और पवाना ड्रेन का पानी अन्टा साईफन से गुज़र कर ड्रेन नं० 8 में जाता था। अन्टा साईफन के बन्द हो जाने से ज़िला रोहतक तो बच गया लेकिन यह पानी जो हांसी ब्रांच में डाला गया था, उस में डालने से पहले ओवर फलो कर के इस ने भुसलाना, गिमनाबाद, टोडी खेड़ी और सहानपुर आदि गांवों को बरबाद किया। इस लिए मैं दरखास्त करता हूं कि अन्टा साईफन को खोल दिया जाए। इस बजट में पुवाना ड्रेन, ड्रेन नं० 8 और नाई नाला की सफाई के लिए कोई रकम नहीं रखी गई।

चौधरी साहिब हमारे गांव में गए थे। वहां पर उन्होंने देखा है कि बहादुर-पुर सींरब ड्रेन पर पुल नहीं है। जब यह गए तो इंटें डाल दी ईंटें, पम्पिंग सैट भी पानी की निकासी के लिए लगा दिया गया। मैं ने इन से कहा था कि आप के जाते ही यह सब कुछ उठा लिया जावेगा तो इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वज़ारत छोड़ दूंगा। वही बात हुई। इन के जाते ही न वहां पर इंटें रहीं हैं और न ही पम्पिंग सैट रहा मगर चौधरी साहिब ज़रूर यहां पर मौजूद हैं। (हंसी) मेरी इन से दरखास्त है यह पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाए। पानी के निकास के लिए नालियों का इंतज़ाम किया जाए। इरीगेशन की फैसिलटीज़ दी जाएं।। बजट में 73,000 रुपया वहां की ड्रेन के लिए रखा है। मगर इतनी ड्रेन के लिए यह रुपया थोड़ा है, नाकाफी है।

[चौधरी इन्द्र सिंह मलिक]

सफीदों के बागात फ्लड की वजह से बरबाद होते हैं । पवाना ड्रेन की तरफ खास ध्यान दें । इसकी रेग सफाई करके इसके किनारे को ऊंचा किया जावे ।

फिर कई माईनर इरीगेशन स्कीम्ज़ हैं जिन से कि उस इलाका को काफी फायदा हो सकता है । पिछले साल वह मन्ज़ूर भी हुई थीं । 'पंजाब ग्रान दि मार्च,' किताब में ज़िक्र है कि कुछ माइनर्ज़ की रीमौडलिंग की जावेगी । मगर जैसे कि सरदार ज्ञान सिंह जी ने कहा था कि इस का ज़िक्र बजट में या न्यू ऐक्सपैंडीचर में नहीं है और इस बारे में कोई ऐलान किया गया है । सरफाबाद, सफीदों, निड़ानी वगैरा माइनर्ज़ का काम पिछले साल शुरू हुआ था । चौधरी साहिब वहां पर गए थे और इन्होंने वायदा किया था कि इन सारे माइनर्ज़ को मुकम्मल कर दिया जावेगा । इन्होंने कहा कि अगर ज़मींदार या कोई ठेकेदार इन को 12 लाख रुपया दे दे तो यह उन को उसी साल में मुकम्मल करा देंगे । अगले साल के लिये भी वायदा किया था मगर इस साल बजट में एक पैसा भी इस के लिए नहीं रखा गया । जो वैस्टर्न जमना कैनाल के लिए 3,24,000 रुपए रखा गया है यह बिल्कुल नाकाफी है । 12 लाख रुपए की यह पिछले साल की स्कीम है । इस तरफ ध्यान दें । (घंटी)

एक चीज़ जिसकी तरफ मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है थूर और सेम जो कि बढ़ती ही जा रही है । न्यू एक्सपैन्डीचर में गवर्नमैंट ने माना है कि हरियाना में तीन जगह इस से बड़ा नुकसान हुआ है––सफीदों, मूनक और हांसी । सफा 8 पर इन पाईलट ज़ोन्ज़ का ज़िक्र है । लेकिन जहां और जगह काम शुरू हो चुका है, सफीदों में काम शुरू भी नहीं हुआ । यहां लिखा है " Scientific Soil Surveys except for Safidon area have been carried out in all other pilot zones," यह तो मानते हैं कि सेमज़दा इलाका है, बरबाद हो रहा है मगर काम अभी शुरू नहीं किया इस तरफ भी ध्यान दें और सेम को दूर करें ।

अब मैं यह गुज़ारिश करूंगा कि हमारे इलाके से स्टैप मदरली ट्रीटमैंट क्यों होता है । इस की वजह यह है कि हमारे इलाके के लोग टैक्नीकल स्टाफ में बहुत कम हैं । इन्जीनियर्ज़ दर्जा अव्वल के कुल 36 हैं मगर इन में से सिर्फ एक आदमी हिन्दी रिजन का है बाकी 35 पंजाबी रिजन के हैं ।

उपाध्यक्षा : आप के पास बड़ा थोड़ा समय है कुछ और कहें । (The time at the disposal of the hon. Member is very short, he should say something relevant).

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : दर्जा दोम के इन्जीनियर्ज़ में कुल 154 में से हिन्दी रिजन के सिर्फ 6 हैं । स्पैशल ओफिसर्ज़ कुल हैं 327, इन में से 27 हिन्दी रिजन के और 300 पंजाबी रिजन के हैं ।

Deputy Speaker : It is irrelevant.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आबपाशी के इनजीनियर्ज़ दर्जा I-84 में से 5 हिन्दी रिजन के, दर्जा II-57 में से सिर्फ 3 हिन्दी रिजन के, दर्जा III-259 में में से सिर्फ 9 हिन्दी रिजन के ।

उपाध्यक्षा : यह रैलेवेन्ट नहीं है। (The hon. member is not relevent.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मैं यह गुज़ारिश कर रहा हूं कि हमारे इलाके का स्टाफ न होने की वजह से वहां की स्कीमों से पैसा लैप्स कर के पंजाबी रिजन में खर्च कर दिया जाता है। सिवाए राड़ेवाला साहिब के शुरु से ले कर हमारे ही इलाके के वज़ीर के पास यह महकमा रहा है, मगर वह भी यह रेशो ठीक नहीं कर सके।

Deputy Speaker : Please wind up.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : बस जी एक मिनट और दें इन्होंने 56 ट्यूबवैल्ज़ वहां पर लगाए मगर वह इनएफीशैंट साबत हुए। दो का तो पानी ही डिफैक्टिव है। (घंटी) इस तरफ ध्यान दें।

फिर बहुत ज्यादा एरियर्ज़ अभी वसूल करने बाकी हैं। इन की तरफ पी.ए.सी. ने भी ध्यान दिलाया है। इस तरफ भी ध्यान दें। मेरे इलाके को इरीगेशन फैसेलिटीज़ दें ताकि लोगों का भला हो। शुक्रिया।

चौधरी चूहड़ सिंह (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने जो वक्त दिया है इस के लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं। यह जो इरीगेशन की डिमांड है इस पर बहुत से बजुर्गवार भाई अपने विचार आप के सामने रख चुके हैं। मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यह जो डिमांड है मैं इस के साथ इत्तफाक रखता हूं। आज हमारे देश में एमेरजैंसी लागू है। इस समय इरीगेशन की हमें बड़ी ज़रूरत है ताकि हम अनाज की पैदावार को बढ़ा कर इस समस्या का सामना कर सकें। आप के ज़रिए मैं पंजाब सरकार की जो मौजूदा स्कीमें हैं उन के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि उन से काफी फायदा हो रहा है। जैसे दूसरे मैम्बर साहिबान ने अपने-अपने इलाके की ज़रूरतों का ज़िक्र किया है मैं भी कुछ अपने इलाके के बारे इनसे दरखास्त करना चाहता हूं।

भाखड़ा डैम की स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है। इस की तैयारी में 166 करोड़ रुपया लगा है। इस के लिए कर्ज़े पर 30-32 करोड़ रु० तो सूद ही पड़ जाता है। इस के ज़रिए 24 लाख एकड़ ज़मीन को सिंचाई दी गई है। यह बहुत बड़ा काम है जो पंजाब सरकार ने पूरा कर लिया है। इस के लिए यह बधाई की पात्र है।

इस के अलावा मैं पंजाब सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सिंचाई की जो छोटी २ स्कीमें हैं, या छोटे छोटे मसले हैं उन की तरफ भी ध्यान दें। बड़ी स्कीमों से पूरा लाभ उठाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट्रीज़ खोद कर निकाली जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके में पानी पहुंचे। हमारी 80 फी सदी आबादी देहात में रहती है। एक बहुत बड़ी संख्या में किसान और मज़दूर इरीगेशन और बिजली पर निर्भर करते हैं। उन को इन स्कीमों से बहुत लाभ होने वाला है। इन से एक यह भी रिक्वैस्ट है कि हमारे इलाके में बहुत सारे ट्यूब-वैल्ज़ रुके पड़े हैं, कुनैक्शन्ज़ नहीं मिल रहे। यह जा कर

[चौधरी चूहड़ सिंह]

वहां जलसे और जलूसों की बजाए दफतर में जा कर पड़ताल करें कि किसानों की कितनी दरखास्तें पैंडिंग हैं और कितनों को कुनैक्शन्ज़ मिले हैं। हम इन के बड़े मशकूर होंगे। मैं इस में मंत्री महोदय का कसूर नहीं ठहराता। हमारे भाखड़ा डैम और ब्यास डैम तो तैयार हैं मगर अम्बाला डिवीयन में पानी की कमी है और वाकई कमी है। हमारी नहर जमुना दरिया से निकाली गई है, जब जमना पानी देती है, या जब फ्लड आ जाते हैं तो हमारे एरिया को डुबो देती है। और पानी गर्मी में मिलता नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि इस जमना नदी पर भाखड़ा की तरह डैम बनाया जाए। (घंटी) इसी तरह अगर किसानों को बिजली की सहूलतें दी जाएं तो उनका फायदा हो सकता है। इरीगेशन के मोघों की मंजूरी की बड़ी दिक्कत है, चीफ इंजीनियर तक जा जा कर उनकी मनजूरी होती है। अगर एस० ई० साहिब मौका देख कर फैसला कर दिया करें तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी। (घंटी) अन्त में मैं चौधरी साहिब का ध्यान अपने इलाके के लोगों की दरखास्तों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारी दरखास्तें उनके पास पड़ी हैं, उन पर गौर किया जाए और जलसे जलूसों में कम ध्यान लगाया जाए।

श्री रूप लाल मेहता (पलवल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सदन के सामने मंत्री महोदय ने जो डिमांड पेश की है वह तो रुटीन का काम है, कि वह पेश करें और हम मंजूर करें। लेकिन असली बात यह है कि किसी भी तरह से हो किसानों की बेहतरी इस बात में है कि हमारे प्रान्त में इरीगेशन के साधन वसीह हों। और ऐसी बात दिखाई भी देती है कि पहले की निस्बत आज हरियाना का इलाका नहरों के पानी से महरूम नहीं रहा। लेकिन जब मैं सारे प्रान्त के आंकड़े देखता हूँ और गुड़गांव ज़िला पर नज़र डालता हूँ तो हमारे ज़िले में सिर्फ 9 परसैंट इरीगेशन दिखाई देती है। और वह भी यू. पी. की अपर आगरा कैनाल डिवीज़न से सैराब होती है। और लगान की हक़ीकत यह है कि वहां के लोगों को दुगना लगान देना पड़ता है क्योंकि वहां का लगान पंजाब सरकार से ज्यादा है। यही नहीं, जो पानी देने के कुलाबे हैं उनको छोटा बड़ा करने और सिक्योर करने के लिए आगरा और मथुरा जाना पड़ता है और कई साल लग जाते हैं, और हमें परेशान होना पड़ता है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरफ मैंने सरकार की तवज्जुह कई बार दिलाई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता था कि हमारे इलाके के साथ अंग्रेज़ों के वक्त में ही सौतेली मां का सलूक किया जाता था लेकिन मैं देखता हूँ कि करोड़ों रुपया पंजाब के दूसरे इलाकों में खर्च किया जाता है मगर गुड़गांव की नहर को बीच में ही छोड़ दिया गया है और ऐमरजैंसी का नाम लिया जाता है। अगर 40, 50 लाख रुपया दे दिया जाता तो नहर बन कर तैयार हो जाती और 4 तहसीलों को सैराब करती। यह माना कि सोहना के पहाड़ पर पानी नहीं चढ़ सकता था लेकिन निचले हिस्से में तो पानी जा सकता था। लेकिन किसी किस्म का भी प्रोवीज़न नहीं बनाया गया हमारे ज़िले के लिए। इस तरह से मैं समझता हूँ कि 14 लाख बच्चों के साथ इस सरकार ने सौतेली मां का सलूक किया है। मैं जिस कांस्टीचुएंसी की तरफ से इस हाउस में बैठा हूँ वहां एक भी नहर नहीं गई सिवाए आगरा कनाल के। थोड़ा बहुत यह सहारा था कि बिजली के

द्वारा हमें मदद पहुँच सकती थी लेकिन पलवल सब-डिवीज़न के बन्द हो जाने से वह भी सहारा टूट जायेगा। मुझे समझ नहीं आती कि ज़िला गुड़गांव के साथ ऐसी सख्ती क्यों की जाती है। मेरी कांस्टीचुएंसी में 12 ऐसे गांव हैं जिन्हें खादर का इलाका कहते हैं, वहां पर बाढ़ आती है उसका इंतज़ाम किया जाना चाहिये। जब सरकार से बाढ़पीड़ितों के रिलीफ की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि 120 सिरकियां दे दीं और 2,000 रुपये की ग्रांट दे दी, लेकिन कोई माकूल रकम की ग्रांट नहीं दी जाती। मैं ने इरीगेशन मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त की और सवाल पूछा कि सोलागांव के लिए, जो सोलागांव पानी की गिरफ्त में आता है, क्या उसके लिए कुछ इंतज़ाम किया। इस पर जवाब मिलता है, it is too early to give the exact date of arrangements और अब उस गांव को उठाने का हुक्म हो चुका है।

मैं एक और बात सरकार की पालिसी के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह सरकार एक प्राइवेट कम्पनी बेदी एंड को. (पी.) लि., पानीपत में 11 लाख रुपया शेयर इनवैस्ट करना चाहती है और यह कम्पनी बिलकुल प्राइवेट है....

उपाध्यक्षा : मेहता साहब, इस हाउस में लाउड स्पीकर का इंतज़ाम है, इतने ज़ोर ज़ोर से न बोलें। (Mehta Sahib, there is an arrgangement of mike in this House, Please don't speak so loudly.)

श्री रूप लाल मेहता : इस तरह से सरकार मुख्तलिफ प्राइवेट कम्पनियों को रुपया देती है। पानीपत वाली कम्पनी को 11 लाख रुपया दिया है। लेकिन कितने दुख की बात है कि गुड़गांवां कैनाल प्राजैक्ट पर 75 लाख रुपया खर्च कर के उस को बीच में ही छोड़ दिया है और अब एक पाई भी उस पर खर्च करना पसंद नहीं करती।

10.00 p.m.

मैंने चीफ मिनिस्टर साहिब को अपने ज़िले में सड़कों के बारे में लिखा। उन्हों ने यह तो एग्री किया कि यह मिसिंग लिंक्स हैं लेकिन साथ ही कह दिया कि क्या किया जाए इन को बनाने के लिए सरकार के पास रुपया नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कन्स्ट्रक्टिव डिमांड्ज़ हैं उन पर खर्च करने के लिए तो रुपया सरकार के पास नहीं है लेकिन और वेस्टफुल एक्सपैंडीचर होता है। बजट में गुड़गांवां कैनाल प्राजेक्ट के लिए कुछ नहीं रखा गया। प्राइवेट कम्पनियों को पैट्रोनाईज़ किया जाता है। अगर सरकार पसमांदा लोगों की बहबूदी के लिए खर्च करे तो आम लोग बैनीफिट हों और तरक्की कर सकें। ट्यूबवैल्ज़ के लिए बिजली का कुनैक्शन लेने के लिए किसान बेचारे दो दो साल से अर्ज़ियां लिये फिरते हैं लेकिन हमारे इलाके के एस. डी. ओ., पलवल और एक्स. ई. एन., गुड़गांव कुछ ध्यान ही नहीं देते। लाईन खींच कर आगे ले जाते हैं और बीच में बहुत से गांव बिना बिजली दिये ही छोड़ देते हैं। नंगल ब्राह्मण, नया गांव, एहखान को बीच में छोड़ दिया गया है। मैं ने मन्त्री महोदय से सवाल भी पूछा था लेकिन मुझे कुछ जवाब नहीं मिला कि इन गांवों को क्यों छोड़ दिया गया है। जहां पर मैं सरकार को दूसरे कामों के लिए बधाई का पात्र समझता हूँ वहां मुझे गुड़गांव ज़िले को देख कर अफसोस होता है कि वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। (विघ्न) (घंटी की आवाज़)। पिंगारे गांव में एक आदमी का 80 एकड़ का फार्म है। उस की ज़मीन के

[श्री रूप लाल मेहता]

पास से बिजली की लाईन जाती है। लेकिन केवल पांच सौ गज़ के फासले पर भी उस को ट्यूब-वैल के लिए बिजली का कुनैक्शन नहीं दिया जा रहा। एक गांव बाटा में एक आदमी को ट्यूब-वैल के लिए कुनैक्शन दिया जाना था। उस को कहा गया कि खम्बे उठा कर लाओ। वह बेचारा किराये की गाड़ी कर के और सौ रुपया अदा कर के खम्बे उठवा लाया। लेकिन महकमे वाले फिर उठा कर ले गए। उस से कहने लगे कि तुम खम्बे क्यों उठवा कर ले गए। मैं एस. डी. ओ., पलवल के पास गया। चुनांचि उस को कुनैक्शन तो मिल गया है लेकिन सौ रुपए का झगड़ा अभी तक चल रहा है। मैंने एस. डी. ओ. को सुझाव दिया है कि ठेकेदार को पेमेंट मत करो लेकिन उस आदमी के रुपए ज़रूर वापस करो। (विघ्न) (फिर विघ्न) चूंकि एस.ई., टहला के पास मोहना आदि कई गांवों के ऐस्टीमेट्स पड़े हुए थे मैं सुपरिन्टैंडिंग इन्जीनियर दिल्ली के पास गया। मैं ने उन से कहा कि एस्टीमेट्स जल्दी क्यों नहीं मंज़ूर करवाते तो उन के दफतर का सुप्रिन्टैंडैंट कहने लगा कि 70,000 कनज्यूमर्ज़ हैं, हम किस किस को रिमाईन्डर्ज़ दे सकते हैं। उन को हकीकत में पता नहीं था कि मैं एक एम0 एल0 ए0 हूँ। उन्हों ने समझा कि मैं कोई व्यापारी हूँ और बिजली लेने के लिए आया हूँ। मैं ने कहा कि मैं अपने इलाके का रिप्रिज़ेंटेटिव हूँ, आप यहां पर किस वास्ते बैठे हो, आप एक्स. ई. एन. को रिमाईन्डर भेजो कि एस्टीमेट्स को मंगवा कर मंज़ूर करें। इस महकमे में बहुत ज्यादा रिश्वतस्तानी है। अफसोस की बात है कि किसान बिजली हासिल करने के लिए जगह जगह पर परेशान फिरता है लेकिन उस को बिजली नहीं मिलती। इस लिए मैं आप के द्वारा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर एक आदमी यही समझता है कि इस महकमे में रुपया दिये बग़ैर काम नहीं होता। सरकार को इस महकमे में से कुरप्शन और बदअनवानियों को खत्म करना चाहिये ताकि किसान को बिजली मिल सके और वह खुशहाल हो।

सिंचाई मन्त्री से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री के ज़माने में हम ने एक तहरीक चलाई थी जिस का नाम था "नहर लाओ या वापस जाओ"। अब अगर गुड़गांव ज़िले में नहर न लाई गई तो हमें मन्त्री महोदय को कहना पड़ेगा कि "नहर लाओ या वापस जाओ"। (विघ्न) इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूँ। (फिर विघ्न)

(कई माननीय मैम्बर बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री बाबू दयाल शर्मा : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम। इस हाउस में जो ला अबाईडिंग मैम्बर्ज़ हैं क्या आप उन को बोलने का समय नहीं देंगे और उन्हीं को बोलने का वक्त दिया जाएगा जो कि आप के साथ लड़ेंगे और जो ला एबाईडिंग नहीं हैं ?

Deputy Speaker : This is no point of order. Please resume your seat. (*interruption*)

श्री प्रताप सिंह बख्शी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी पहाड़ी आदमी को बोलने का मौका नहीं मिला है।

चौधरी राम सरूप (साम्पला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सिर्फ दो तीन मिनट बोलूंगा बशर्ते कि मुझे इन्टरप्ट न किया जाए। मुझे अपने इलाके की तकलीफ़ात का ज़िक्र करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मेरे इलाके के तो मिनिस्टर साहिब मौजूद हैं

ग्रौर वे मेरी निस्बत मेरे इलाके की तकलीफ के ज्यादा ज़िम्मेदार हैं। मुझे ग्रफसोस होता है कि जो हमारे भाई साहिब, मिनिस्टर साहिब हैं, मैं उन को भाई साहिब कह दूं तो मुझे माफ करें क्योंकि वह मेरे छोटे भाई हैं. . (विघ्न) मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि ग्रगर किसी ग्रादमी के पास कोई गुण है . . . . . .

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम। उधर से ग्रानरेबल मिनिस्टर साहिब की तरफ से भी इशारे हो रहे हैं। ग्रौर यह भी ज्यादा वायलैंट हैं ग्रौर वे भी वायलैंट हैं, कहीं कोई ग्रौर बात न हो जाए। (विघ्न)

चौधरी राम सरूप : हमारे पहले लीडर ग्राफ ग्रापोज़ीशन ने ठीक ही प्वाइंट ग्राउट किया है। मैं तो मानता हूँ कि मैं वायलैंट हूँ। मैं वायलैंट उस सूरत में होता हूँ जब कोई दूसरा मेरे सामने ग्राता है। लेकिन यह तो खाहमखाह ही वायलैंट हो जाते हैं चाहे कोई सामने ग्राए या न ग्राए।

मैं पहले ग्रर्ज़ कर रहा था कि मुझे इन्टरप्ट न किया जाए तो ग्रच्छा है वरना जब इन्टरप्ट किया जाए तो फिर उस का ग्रगर जवाब न दिया जाए तो भी ग्रच्छा नहीं होता।

मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि चूंकि मेरे हल्के के मिनिस्टर साहिब यहां पर हैं इस लिए मुझे ग्रपने इलाके के बारे में चंदा कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ग्रफसोस यह है कि ग्रगर किसी ग्रादमी के ग्रन्दर कोई गुण होता है तो उस को भी डिसक्वालीफिकेशन कहा जाता है। (हँसी) मिनिस्टर साहिब के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। चौधरी देवी लाल ने भी कहा था कि कई इलाके के लोगों को, ग्रगर वे कहते हैं कि हमें मोरी चाहिये तो कहा जाता है कि कांग्रेस में शामिल हो जाग्रो तब मोरी मिलेगी। क्या उन को उन की ईमानदारी की यह सज़ा दी जाती है कि वह सच्ची बात क्यों कहते हैं? (हँसी) वे लोगों को ग़लत बात नहीं बताते। जो बात उन के मन में होती है वह कह देते हैं। हर मामले में वह सिनसियर हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उन की सिनसियरिटी की एक मिसाल दे कर बैठ जाऊंगा। उन के पास कोई स्कूल टीच्रैस दरखास्त लेकर ग्राई। तब्दीली के लिए थी वह दरखास्त। उसने कहा भी कि मैं ग्रपनी बदली करवाना चाहती हूँ। बाज़ ग्रौकात ध्यान नहीं रहता। पूछने लगे कि क्या तुम मोघा चाहती हो? उसने गर्दन नहीं हिलाई होगी। इन्होंने समझा मोघा ही चाहती होगी, हुक्म लिख दिया कि इसे मोघा दे दो। इत्तफाक से वह दरखास्त किसी चीफ़ इंजीनियर के पास चली गई। उन पर इनका बड़ा रोब है। नहीं चाहते कि किसी तरह से भी इनकी हुक्म ग्रदूली की जाए। उसने वह ग्रार्डर एस. ई. के पास भेज दिया। एस. ई. ने एक्स. ई. एन. के पास ग्रौर एक्स. ई. एन. ने ग्रागे इम्पलीमैंट करने के लिए एस. डी. ग्रो. के पास भेज दिया। एस. डी. ग्रो. के पास जब वह कागज़ पहुंचा तो उसने यह जानने के लिये कि मामला क्या है उसको पढ़ा। उसने देखा कि दरखास्त तो है किसी स्कूल मिस्टरैस की ट्रांसफर के लिए लेकिन यहां पर लिख यह दिया है कि इसे मोघा दे दो। (हँसी) सो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या इतना सिनसियर ग्रादमी कहीं ग्रौर मिल सकता है? लेकिन ग्रफसोस है कि इस हाउस में उनके खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। इन ग्रलफाज़ के साथ मैं ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करके बैठ जाता हूं।

श्री प्रताप सिंह बख्शी (पालमपुर): डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल से इरीगेशन डिपार्टमैंट की डिमांड पर बहस चल रही है और इसमें कुछ इलाकाजात के मैम्बरान ने सरगर्म हिस्सा लिया है। पहाड़ी इलाके की हालत, जिससे दरियाओं की रवानी होती है, बड़ी नागुफ्ताबेह है। मैं ज़िला कांगड़ा की बाबत आपकी विसातत से मिनिस्टर मुतअल्लिका की खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। देश आज़ाद होने के बाद पंजाब सरकार की तरफ से वहां सिद्धारथा सुखाहार और लोअर बैजनाथ की कूल्हें निकाली गईं। इनपर लाखों रुपया खर्च हुआ। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हालत यह है कि उनमें पानी की रवानी का नामोनिशां नहीं। मैं किसी तरह की मुबालगामेज़ी नहीं करता लेकिन यह हकीकत है कि सिद्धारथा कूल्ह से, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी, एक इन्च ज़मीन सैराब नहीं हो रही। मैं आप की विसातत से मन्त्री जी की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िला कांगड़ा की तरफ खास ध्यान दिया जाए। वहां पानी की किल्लत को दूर करने के लिए लिफ्ट्स के ज़रिए दरियाओं और खड्डों से पानी ऊपर लाया जा सकता है। इससे भी बहुत सी ज़मीन सैराब हो सकती है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है अभी दो दिन पीछे मैंने एक सवाल भी पूछा था। जवाब देते हुए मन्त्री महोदय ने बताया था कि ज़िला कांगड़ा के लिए हांसी से ट्रांसफार्मर भेजना था लेकिन गोहाना का ट्रांस्फार्मर खराब हो गया और बजाए कांगड़ा भेजने के हांसी से उठाकर वह ट्रांसफार्मर गोहाना भेज दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां दरियाओं से पानी मिलता हो वहां यह हालत है कि रात के वक्त जब रेडियो से खबरें सुननी हों, तो बिजली फेल हो जाती है। रात को रोटी खाने के वक्त लोगों को बिजली नहीं मिलती। यह सिलसिला अर्सा दो साल से ज़िला कांगड़ा में बदस्तूर चलता आ रहा है। मैं आप की विसातत से मन्त्री साहिब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। एक दो का नहीं यह ज़िला कांगड़ा के दस लाख अवाम का मसला है। दो साल से लोग अन्धेरे में रह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शिकायत को जल्द अज़ जल्द दूर किया जाएगा।

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, तहसील हमीरपुर में कृपाल चान कूल्ह की एक्सटैन्शन का सवाल है। इससे गढ़मौला से मुढी और इससे आगे थूरल गांव तक हज़ारों एकड़ ज़मीन सैराब होनी थी। पिछले कई महीनों से नकशे बनते रहे लेकिन मसला अभी तक ज्यूं का त्यूं चला आ रहा है। आप की विसातत से मन्त्री साहिब की खिदमत में गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि कृपाल चान कूल्ह के एक्सटैन्शन के मामले पर जल्दी से जल्दी तवज्जो दी जाए और वाटर लिफ्ट के ज़रिए उस इलाके को आबपाशी के साधन मुहय्या किए जाएं। इन अल्फाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (चौधरी रणबीर सिंह): उपाध्यक्ष महोदया, आज और कल की बहस में, उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण की बहस में, सप्लीमैन्ट्री एस्टीमेट्स और एप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में कोई 56 सदस्यों ने इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री के बारे में बातें कही हैं। उनमें से कई भाइयों को कई दफा मौका मिला और हर बार उन्होंने पहली बातों को दुहराने की ही कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक बिजली और पानी के विभागों का सम्बन्ध है यह साल उनके इतिहास में एक सुनहरी साल है। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सारे पंजाब के लिए यह एक सुनहरी साल है और वह इसलिये कि

31 अक्तूबर, 1962 को हिन्दुस्तान का ही नहीं दुनिया का एक बहुत ऊँचा बांध—भाखड़ा डैम—मुकम्मल हुआ। डिप्टी स्पीकर महोदया, इससे मुझे तो अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई लेकिन मेरे साथी, चौधरी देवी लाल जी के गांव में, जहां पीने के लिए कभी पानी भी नहीं मिलता था, अब कपास पैदा होने लगी है (सरकारी बैंचों की तरफ से तालियां) यही। नहीं, पिछले सारे सालों में बिजली का पीक लोड 3,37,000 K.w. था। इस साल में अब तक जो इन्क्रीज़ हुई है वह 4,34,000 K.w थी यानी 97,000 K.w की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कोई छोटी वृद्धि नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, अगर सन् 1947-48 के आंकड़ों के साथ हमें मुकाबला करना हो तो पता चलता है कि जहां उस वक्त जनरल कुनैक्शन्ज़ की तादाद सारे पंजाब के अन्दर केवल 16,009 थी, अब सन् 1961-62 के आखिर तक 4,52,388 हुई। (सरकारी बैंचों की तरफ से तालियां) उपाध्यक्ष महोदया, इन्डस्ट्रियल कुनैक्शन्ज़ की तादाद जहां सन् 1947-48 में 1,345 थी और इसमें एग्रीकल्चर्ल वैल्ज़ भी शामिल हैं वहां सन् 1961-62 के आखिर तक एग्रीकल्चर्ल वैल्ज़ को निकाल कर इन्डस्ट्रियल कुनैक्शन्ज़ की तादाद 12,525 तक पहुँच गई। इसी तरह 14,278 कुओं को बिजली दी जा चुकी है। जहां तक शहरों में बिजली देने का ताल्लुक है, 3,680 के मुकाबले में अब इन प्वाइंट्स की संख्या 39,944 हो गई है।

फिर यहां पर इस बात की बहुत चर्चा की गई है कि हमारी स्टेट पर बहुत कर्ज़ा बढ़ गया है। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिएं कि नहरों पर कितना ज़्यादा सरमाया लगाया गया है। जहां 1947-48 में 4,58,95,809 रुपया सरमाए के रूप में लगा हुआ था उस के मुकाबला में 1960-61 तक जो सरमाया नहरों पर लगाया जा चुका था यह 1,26,33,97,563 रुपये बनते हैं। इसी तरह जो आमदनी इरीगेशन से पंजाब सरकार को 1947-48 में होती थी यह 88,80,229 रुपए थी लेकिन 1960-61 में यह बढ़ कर 4,59,84,864 रुपए हो गई थी। इस तरह से इरीगेशन से 1947-48 में कुल 2,83,000 रुपया मुनाफ़ा हुआ था तो 1960-61 में यह एक करोड़ 83 लाख हो गया।

इस के अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, हमारे आपोज़ीशन के कुछ भाइयों ने सीधे या टेढ़े तौर पर इस बात की बड़ी चर्चा की कि ज़िला मोहिन्द्रगढ़, तहसील भिवानी वग़ैरह में आबपाशी के लिए पानी का कोई इन्तज़ाम नहीं है। हमारे विरोधी दल के एक सदस्य, जो पहले विरोधी दल के नेता थे, ने कहा कि घघर का इलाका जो पहले सोना पैदा करने वाला कहा जाता था अब पानी की तबाही से वहां के लोगों को डर लगने लग गया है। उन्हों ने वहां के पानी को मोहिन्द्रगढ़ और भिवानी की तरफ मोड़ देने के लिए कहा। इस लिये मैं उन से कहता हूँ कि वक्त आएगा कि जैसा के घघर के इलाका के लोगों को पानी से डर लगने लग गया है वैसे ही भिवानी और मोहिन्द्रगढ़ के लोगों को पानी से डर लगने लगा जाएगा।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदया, बाढ़ों को रोकने के इन्तज़ाम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इन को रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि ड्रेन्ज़ खोदी जाएं और जो मौजूदा ड्रेन्ज़ हैं उन को और गहरा किया जाए ताकि ज़मीन का जो सब-सायल पानी का लैवल ऊपर आ गया है उस को नीचे ले जाया जाए। इस काम को करने के लिए एक करोड़ 58 लाख रुपए की

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]
ड्रैग लाईन्ज़ और दूसरी मशीनें बाहर से मंगवाई जा रही हैं क्योंकि उन के बग़ैर मौजूदा ड्रेन्ज़ को और गहरा करना मुमकिन नहीं।

फिर सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों साहब ने और विरोधी दल के एक और सदस्य ने इस बात का ज़िक्र किया कि चूंकि मैं कई साल तक लोक सभा का सदस्य रहा हूँ और मुझे वहां का काफी तजरुबा हासल है इस लिए मैं फिर वहां चला जाऊं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी सारी ज़िन्दगी में वही सब से ज्यादा फ़ख्र का वक्त था जब मुझे वहां दुनिया के सब से बड़े इनसान के साथ रहने का मौका मिलता था।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मैं ने यह नहीं कहा था।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : आप ने कहा था कि क्योंकि मुझे लोक सभा का तजरुबा हासल है इस लिए मैं वहां जा कर फायदा उठाऊं।

उपाध्यक्षा : उन्हों ने तो आप से अच्छी ही बात कही थी। उन्होंने तो कहा था कि आप सैंन्टर में जा कर अपने प्रान्त का फायदा करें। He had made a useful suggestion to the hon. minister. He had advised him to go to the Parliament again and work there for the benefit of this State)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : तो उपाध्यक्ष महोदया, मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ्लड्ज़ को रोकने के लिए ड्रेन्ज़ खोदी जा रही हैं और ड्रेन्ज़ को खोदने के लिए एक करोड़ 58 लाख रुपये की मशीनें दुनिया भर के देशों से मंगवाई जा रही हैं। इस के अलावा जितने आदमी इन ड्रेन्ज़ को खोदने के काम पर लगे हुए हैं, इस बारे में यह मेरे पास 9-3-1963 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 46,842 आदमी काम कर रहे थे। इस के बावजूद भी यहां बहुत से भाइयों ने कहा है कि इस बारे में कोई काम नहीं हुआ। मैं उन्हें और कुछ नहीं कहता सिर्फ इतना कहता हूं कि उन की वाकफीयत उन्हें मुबारिक हो। सरकार के पास इस काम के लिए जितने पैसे होंगे उतना वह काम करवा सकेगी क्योंकि यह तो सब जानते ही हैं कि जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा होगा।

उपाध्यक्ष महोदया, इस के अलावा बाहर से पैसे, फारेन एक्सचेंज मंगवाने की बात कही गई थी। इस बारे में यह कहा गया था कि ब्यास प्राजैक्ट के लिए बाहर से मशीनरी मंगवाने के लिए फारेन एक्सचेंज नहीं मिली। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस साल हम को 3.5 मिलियन डालर फारेन एक्सचेंज मिल चुकी है और इस के अलावा 6 मिलियन डालर की और सिफारिश हुई है। यह पत्र अभी मुझे सैंन्ट्रल बोर्ड आफ इरीगेशन एंड पावर की तरफ से मिला है, जिस में यह सूचना हमें दी गई है। आप जानते हैं कि आज कल फारेन एक्सचेंज कितनी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इस सूबा की तरक्की के लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने इतनी फारेन एक्सचेंज देने का फैसला किया है। इस से एक थर्मल प्लांट फ़रीदाबाद में लगाया जाएगा, एक दिल्ली में लगाया जाएगा और एक कालाकोट

जम्मू में लगाया जाएगा । हिन्दुस्तान की सरकार ने हमारी सरकार को यह सब लगाने की मन्जूरी दे दी है । इसी पर ही बस नहीं, एक एक हज़ार किलोवाट के डीज़ल प्लांट भी इम्पोर्ट करने की मन्जूरी मिली है ।

बहुत सारे भाई इस डिमांड पर बोले हैं लेकिन किसी ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि किस तरह से इरीगेशन डिपार्टमैंट के खर्च में सेविंग की गई है । शायद उन्हें इस बारे में बोलने के लिए मसाला ही नहीं मिला । मैं उन्हें बताता हूं कि ऐमरजैंसी की हालत को देखते हुए सरकार ने दस सर्कल तोड़ दिए हैं और इस तरह से 10 सुपरिन्टैंडिंग इंजीनियर्ज़ और दो चीफ इंजीनियर्ज़ की पोस्ट्स घटा दी हैं । (एक आवाज़ : पर पांच सर्कल बढ़ा भी तो लिए हैं ।) हां बाढ़ों को रोकने के काम के लिए पांच सर्कल खोले गए हैं ।

इस के अलावा यहां थूर का बड़ा जिक्र किया गया है । एक भाई ने कहा था कि उन के इलाका में 50 प्रतिशत ज़मीन थूर की वजह से सफेद हो गई है । प्रतिशतता की बात जिस तरह उन्होंने की है वह तो आप जानते ही हैं कि वह किस तरह से उन्हों ने इस का हिसाब लगाया होगा । उन से मैं ने एक बात कहनी है । उन्होंने मुझ से पहले इस महकमा के एक वज़ीर साहिब का भी जिक्र किया था जो उन के अपने भतीजे होते हैं । लेकिन माननीय सदस्य जो सोनीपत से चुन कर आए हैं, मुझे अब पता लगा है कि वह कवि भी हैं । एक कवि तो, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ऊंचा इनसान होता है । उस का तखैयल भी बड़ा ऊंचा होता है । उन्होंने नक्शे दिखाने की बात की थी । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अगर उन्हें अपने बने हुए नक्शे नहीं दिखा सकते तो दूसरे इंजीनियर्ज़ और विशेषज्ञों के बने हुए नक्शे तो दिखा सकते हैं । मैं थूर के बारे में अर्ज़ कर रहा था । मैं अर्ज़ करता हूं कि पंजाब सरकार थूर के मामले में कोई सोई हुई नहीं। टोहाना सैक्शन में 22,390 एकड़ ज़मीन में थूर को हटाने के लिए विचार किया जा रहा है । इसी तरह हांसी सैक्शन में से 4,320 एकड़ ज़मीन में, सोनीपत सैक्शन, जहां से माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, में 176 एकड़ ज़मीन में और कैथल सैक्शन में 11,390 एकड़ ज़मीन में और करनाल सैक्शन में 3,153 एकड़ ज़मीन में सर्वे कराया जा रहा है और वहां इसी साल में इस बारे में कोई न कोई तरीका निकाल कर, थूर को दूर करने का काम शुरू हो जाएगा ।

इस के अलावा आप के ज़रिए मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि 6 और एंटीवाटर-लौगिंग स्कीमें चालू हैं । इस बारे में बड़ा ख्याल किया जा रहा है ।

अभी सरदार ज्ञान सिंह जी राड़ेवाला ने भी कहा था कि यह महकमा प्रदेश को बनाने वाला है । लेकिन उन्हें एक गिला है कि काफी बड़े बड़े इंजीनियर्ज़ यहां से सैंटर को चले गए हैं । मुझे मालूम नहीं कि वह क्यों चले गए हैं । लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि पंजाब आज तरक्की के युग में से गुज़र रहा है । यह प्लैन्निंग का युग है, इस लिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हमारे जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्ज़ हैं उन को हम सैंट्रल गवर्नमैंट में दाखल करें ताकि काम अच्छा हो सके । आप जानते

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]

हैं कि अगर उस पैसे का हिसाब लगाया जाए जो स्टेटस को तरक्की करने के लिए सैंटर से मिला है तो पंजाब काफी आगे है । कल को वहां पर अगर इस सूबे के खिलाफ आवाज़ उठ सकती है तो यह निहायत ज़रूरी है कि वहां पर हमारे लायक इंजीनियर्ज़ हों जो इस सूबे की मदद कर सकें । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया, तीसरी योजना के अन्दर अन्दर पानी से पैदा होने वाली बिजली को 854 ऐम. वी.ए. बढ़ाने की स्कीम्ज़ हैं। इसी तरह 31,000 किलो वाट डीज़ल और स्टीम से पैदा होने वाली बिजली को बढ़ाना है ।

सरदार तारा सिंह जी ने इलैक्ट्रिसिटी डयूटी का ज़िक्र किया । इस बारे निवेदन है कि बिजली इस्तेमाल करने वाले काश्तकारों में से आधे वह लोग हैं जो 15 यूनिट से कम शक्ति इस्तेमाल करते हैं । इन पर बोझ कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है । (विघ्न) जो दे सकते हैं उन पर ही इन्सीडैंस बढ़ाया है ।

कुछ दोस्तों ने ज़िक्र किया कि भाखड़ा और नंगल के मोघे कच्चे हैं । मैं मानता हूं कि यह जल्दी पक्के होने चाहिएं । इस की कोशिश करेंगे ।

ज़िक्र आया है कि कन्सालीडेशन होने से कई परेशानियां हुईं । मिसाल के तौर पर 9,001 गांवों में और 19,962 मोघों पर इस का असर पड़ा । कन्सालीडेशन के बाद जहां पर दोबारा वाराबन्दी का काम खत्म किया है उन मोघों की संख्या 5,781 है । मैं मानता हूं कि मेरे महकमे के लिए यह शर्म की बात है कि इस काम में तेज़ी होनी चाहिए थी । वाराबन्दी तब तक नहीं हो सकती जब तक चकबन्दी न हो । इस काम में चकबन्दी का महकमा लगा रहा मगर जिस हिसाब से वह इस काम को करते थे इस में हमें शायद 8-10 साल और लग जाते । अब हम ने उस तरीका को तब्दील किया है और ऐसी हिदायत की गई है ताकि यह काम 3-4 महीने के अन्दर अन्दर खत्म किया जा सके । उन का जो स्टाफ है वह दूसरे काम पर लगा कर हम अपने ही इंजनियरों की मदद से सारे पंजाब में इस काम को तीन चार महीनों के अन्दर खत्म करने की कोशिश करेंगे । चकबन्दी के बिना मोघे नहीं लग सकते ।

राम प्रताप जी ने जो कहा कि बाढ़ जो ज्यादा आने लगी है तो यह भाखड़ा नंगल की वजह से हैं, यह ठीक नहीं है । इस की वजह तो यह है कि जहां पंजाब में पहले 15-20 इंच बारिश हुआ करती थी अब यह 30-40 इन्च होने लगी है । पहली बारिश के अन्दाज़ा से साइफन बनाए गए थे क्योंकि बड़े साइफन बनाने पर पैसा ज़्यादा खर्च आता था और हम पहले ही काफी खर्च कर रहे थे और जो कर्ज़ लिया था उस के ब्याज को पूरा करने के लिये ही बैटरमैंट लैवी लगा रहे थे । इस लिये छोटे साइफन बनाने में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । वह तो सिर्फ पैसे को कम खर्च करने के लिये ही बनाए गए थे ।

मुझे खुशी है कि कम से कम चार करोड़ रुपया जो कि पहले नहर पर चार्ज होना था और जो कि बैटरमैंट लैवी के ज़रिए से वसूल किया जाना था अब बिजली

के महकमे की तरफ डाल दिया गया है क्योंकि जो पानी छोड़ेंगे वह बिजली की पैदावार को देख कर छोड़ेंगे । इस से खेतों को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

हरियाणे की बात बार बार कही गई । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे मालूम नहीं कि यह जो सिरसा ब्रांच का इलाका है यह इन के तसव्वर के हरियाणा के इलाका में आता है कि नहीं । मुझे यह भी मालूम नहीं कि खनौरी, जहां से कि पंजाबी रिजन का इलाका खत्म हो जाता है, उस से नीचे को जो पानी गया है वह हरियाणा में गया है कि नहीं । (विघ्न) इसी तरह से जो 600 क्यूसैक्स पानी हरियाणा मेन ब्रांच से निकला है वह रोज़ाना का पानी है, उस में वाराबन्दी नहीं है । यह नहीं होगा कि वैस्टर्न जमुना कैनाल की दूसरी दो ब्रांचों की तरह वह कभी 8 दिन के लिए बन्द होगा या 10 दिन के लिए बन्द होगा । मैं थोड़े बहुत पानी की बात नहीं कहता । मगर यह पहली दफा है कि 1800 क्यूसैक्स सतलुज का पानी सिरसा ब्रांच के हरियाणा की भूमि को सैराब करेगा । (विघ्न) यह मैं मानता हूं कि इस बार बारिश कम होने की वजह से जमुना में पानी कम था । जब लोगों को पानी की ज़रूरत हो तो यह ज़रूर पूरी होनी चाहिए । मगर जिस तरह से चौधरी राम सरूप जी ने सांपला का ज़िक्र किया पता नहीं वह कहां तक ठीक है । यह मेरे बड़े भाई हैं मगर मेरी समझ में नहीं आया कि यह पानी किस ख्याल से लेंगे । उन के ख्याल से तो वह अर्ज़ी ही बहुत मुतबर्रक थी । मुझे मालूम नहीं कि कौन सी अर्ज़ी की बात करते हैं या खाली वह इन के दिमाग की ही इख्तराह थी । (हंसी) । मुझे खुशी होती अगर चौधरी देवी लाल जो यहां पर हरियाणे की दुहाई देते हैं या चौधरी मुख्तयार सिंह जो हरियाणे के ठेकेदार बने फिरते हैं ....

उपाध्यक्षा : पहले ही बहुत कम समय है । अब आप वाइंड अप करें । (The time is already short. The hon. Minister should wind up.)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मुझे खुशी होती अगर यह भाई या जिन भाइयों ने कहा कि भिवानी में पानी की कमी है या महेंद्रगढ़ में पानी की कमी है अगर वह मुझे बताते कि यह कमी कैसे दूर की जा सकती है । मैं चौधरी रिजक राम जी का मशकूर हूं कि उन्होंने ऐसे सुझाव दिये कि जिन से हरियाणे की तरक्की हो सकती है । उन बातों का उन्होंने ज़िक्र किया । अगर आप की इजाज़त हो तो मैं जमना के ऊपर डैम बनाने के सिलसिले में यू०पी० सरकार और पंजाब सरकार की जो चिट्ठी पत्री है वह टेबल पर रखना चाहता हूं । यू०पी० सरकार के कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा कोई समझौता पंजाब के साथ नहीं हुआ बल्कि पंजाब सरकार को 1 लाख रुपया भी यू०पी० सरकार ने दिया । मेरे पास कुछ चिटिठयां हैं वह मैं हाउस के टेबल पर रखता हूं ।

यहां कई दोस्तों ने इस बात को मज़ाक समझा कि पंडित नेहरू ने उनको यह कह दिया कि मैं पानी जेब में नहीं रखता । यह कौन सी असत्य बात है । पानी पैदा हो सकता है लेकिन देर लगती है । जहां तक सिरसा ब्रांच से सतलुज को जोड़ने का सवाल है मैं मानता हूं कि यदि इसे न जोड़ा जाए तो पानी की तादाद बढ़ नहीं सकती ।

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]

सरदार ज्ञानसिंह जी ने ट्यूबवैल्ज़ का ज़िक्र किया और कहा कि बड़े सर्कल को तोड़ दिया जाए। यह मैं भी जानता हूं लेकिन चीफ इंजीनियर कबूल नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐमरजैंसी के नाम पर उन्हें कबूल करना पड़ा। यह मैं भी जानता हूं कि रेवाड़ी से लेकर अमृतसर का जो इनचार्ज हो, वह कैसे काम कर सकता है। अब जो ट्यूबवैल्ज़ की बात है कि कुछ ट्यूबवैल्ज़ कामयाब नहीं हो सके उसकी वजह यह थी कि तरीका गलत था, अब उसे बदल दिया गया है। और अब ट्यूबवैल्ज़ को चलाने में कौताही नहीं होगी। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन मैम्बर साहिबान को कोई शिकायत हो तो वह मुझे लिख कर दे दें या बतला दें, मैं उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।

एक बात ब्रिजिज़ बनाने के बारे में कही गई और कहा गया कि इंजीनियर्ज़ बनाते हुए डरते हैं। असली बात यह है कि अगर ब्रिज महंगे बनाते हैं तो पैसा चाहिए और सस्ते बनाते हैं तो टूट जाने का डर है। मेरी राय यह है कि सस्ते ब्रिज बनाने चाहिएं। जहां तक टूटने की बात है उस से हमें नहीं घबराना चाहिए।

इरीगेशन पटवारियों को और रैवेन्यू के पटवारियों को मिला दिया गया है। अब वह शिकायत नहीं आएगी जो अलग अलग रहने के कारण आती रही है।

पहाड़ी एरिया के बारे में यह कहा गया कि सरकार को कूहल के लिए ग्रांट देनी चाहिए तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि हम सबसिडी देने के लिए तैयार हैं। और नसराला नाले के बारे में भी मैं बतला दूं कि वहां पर काम हो रहा है। जो भाई बठिंडा के हैं उनकी जानकारी के लिए बतलाऊं कि चांदराम ड्रेन को चैनलाइज़ किया जा रहा है। रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की दो स्टेजों का इसी साल में काम मुकम्मल किया है और वहां पर गन्ने की फसल हुई है। इसकी और दो स्टेजें हैं उनको भी पूरा करेंगे।

जो गुड़गांव कैनाल है उसका मुंह आगरा कैनाल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मेरी कोशिश है कि यू०पी० की सरकार आगरा कैनाल को हमें दे दे और अगर न दे तो हमें पानी चलाने की इजाज़त दे। अगर 500 या 400 क्यूसैक्स की भी इजाज़त दें तो मैं श्री रूप लाल जी को विश्वास दिलाता हूं कि उनके यहां इसी साल पानी आ जाएगा। (प्रशंसा)

उपाध्यक्षा महोदया, टांगरी और मारकंडा के पानी को भी कैनलाइज कर रहे हैं। जमुना के ऊपर छोटे मोटे स्पर बनाने का जहां तक ताल्लुक है जिस काम को हम कायदे और कानून के मुताबिक कर सकते हैं उस को करने की पूरी कोशिश की जाती है। (विघ्न) मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणे का जिक्र किया.............(विघ्न)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम । सारा समय तो चौधरी साहिब ने हरियाणे पर लगा दिया है । हम ने अपनी तरफ का भी रोना रोया था कि वाटर रेट का क्या बनेगा और ड्रेन्ज़ का क्या बनेगा । पुल टूट गए हैं उनका क्या बनेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जहां तक सरदार गुरदयाल सिंह की ड्रेन का ताल्लुक है वह मैं नहीं कह सकता क्योंकि उस से पंजाब और हिन्दुस्तान को घाटा है । हां, अगर कोई बात वह जानना चाहें तो मैं बता दूंगा । ज़िला हिसार में 1950-51 में चार लाख 35 हज़ार एकड़ भूमि को पानी दिया जाता था आज वहां पर दुगनी भूमि को पानी दिया जाता है । (विघ्न) रोहतक ज़िले में डेढ़ गुना ज़मीन को पानी दिया जाता है । (विघ्न) (थम्पिंग) ।

Demand No. 46

99—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL)—RS. 7,35,88,540.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 7,35,88,540. be granted to the Governor to defray the charges tha will come in the course cf payment for theyear 1963-64 in respect of charges under head 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Commercial).

The motion was carried.

Demand No. 55

LOANS TO LOCAL FUNDS-PRIVATE PARTIES, ETC. AND LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS—RS. 12,84,99,140.

Deputy Speaker : Question is—

hat the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Deputy aker : Question is—

That demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

"That a sum not exceeding Rs 12,84,99,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head Loans to Local Funds-Private Parties, etc., and Loans to Government Servants.

The motion was carried.

Demand No. 27

43—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL)

44—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (NON-COMMERCIAL)

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100 .

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,31,32,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Commercial) 44—Irrigation , Navigation, Embankment and drainage works (non-Commercial).

The motion was carried.

Demand No. 28

CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,11,32,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head charges on Irrigation Establishment.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 3.00 p. m. today.

(*The Sabha then adjourned till* 3.00 *p.m. on Thursday, the* 21*st March*, 1963)

21276/PVS—387—14-9-63—C., P. & S., Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

21st March, 1963

(Afternoon sitting)

Vol. I—No. 21

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 21st March, 1963

Price : Rs. 2.25nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. 1, NO. 21, DATED THE 21ST MARCH, 1963 (AFTERNOON SITTING)

Read	*For*	*On page*	*Line*
ਸਰਦਾਰ ਗੁ ਰਚਰਨ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਢਰਨ ਸਿਘ	(21)4	5
ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਦ ਸਿੰਘ	(21)4	3rd from below
न	ने	(21)7	Last but one
parcel	parcal	(21)9	Ditto
presidential	presidental	(21)16	29
it	is	(21)16	Last
आवाज़	आवाज़ा	(21)17	8
ਸਰਕਾਰ	ਸਰਕਰ	(21)31	14
समझ	समझा	(21)36	3rd from below
then	than	(21)38	8
ਆਵਾਜ਼	ਆਬਾਜ਼	(21)41	26

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 21st March, 1963
(Afternoon sitting)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector, 1, Chandigarh at 3·00 p. m. of the Clock.

ABSENCE OF THE SPEAKER

Secretary : I have to inform the House that the Honourable Speaker is unavoidably absent. The Honourable Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

(At this stage, the Deputy Speaker occupied the Chair.)

BILL

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1963 (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, S. C.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਏਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ trucks ਵਾਲੇ, ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਤਨੀਆਂ irregularities ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ amendments ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਸਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ Amendment ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Accounts ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ—ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ transport ਨੂੰ nationalise ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੇ Revenue ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ tax ਦੇ evasion ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ military rally ਹੋਈ, ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧੜਾ ਧੜਾ ਟਰੱਕ ਮੰਗਵਾਏ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ Government ਕੋਲ ਧੜਾ ਧੜਾ trucks ਅਤੇ buses ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਉ ਪਾਕੇ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚਿਟ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ **ਦੇ ਅਡੇ** ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ transport nationalise ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Transport companies ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੇ group ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ policy anti-national ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 50—50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ basis ਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ bus service ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਬਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ permits ਇਕ ਦਮ cancel ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਸ਼ ਉਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ irregularities ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ notice ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ court ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਜ਼ personal enemities ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ permit cancel ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ private operators ਨੂੰ licence ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ private owners ਨੂੰ licence ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਣੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ policy ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ permit ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ permit ਹੀ cancel ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ Amendment ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ transport ਨੂੰ nationalise ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ allagations ਵੀ ਲਗਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

श्री बाबू दयाल शर्मा (पटौदी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो Cinema Tax की चोरी बचाने का सनेमा tax का बिल पेश किया गया है, मैं इस की ताईद करने के लिए खड़ा हूं। अभी अभी जो मैम्बर साहिब बोले उन्होंने कहा कि tax में यह बढ़ौतरी क्यों की जा रही है। आगे चल कर उन्होंने यह बताया कि गवर्नमैंट यह बढ़ौतरी अपने लिये कर रही है। कैसे कर रही है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन को मैं क्या कहूं। मुझे इस सम्बन्ध में एक शेअर याद आ गया है :

"क्या हंसी आती है मुझको हज़रते इन्सान पर
फेअले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर"

लोग जो सनेमा चलाते हैं वह सरकार का टैक्स न देने के वास्ते यत्न करते हैं। जब सरकार इस को रोकना चाहती है तो कुछ Hon. Members कहते हैं कि सरकार लोगों को तंग करती है, सताती है, मैं पूछता हूं कि लोग क्यों सरकार का tax छुपाते हैं। उन लोगों पर यह शेअर ठीक बैठता है। जब खर्च पूरा नहीं होता तो सरकार को नए टैक्स लगाने पड़ते हैं या बढ़ाने पड़ते हैं या जो टैक्स चुराए जाते हैं उन को रोका जावे तो कुछ मेम्ब्रान शोर मचाते हैं जनता गरीब है। टैक्स के बोझ से जनता दबी जा रही है। जनता को चाहिए कि खर्च कम करवाए और टैक्स चोरी न करे। उन आदरणीय सदस्यों से मैं प्रार्थना

करूंगा कि वह लोगों में प्रचार करें लोक राज्य में tax चुराना महापाप है। वह लोग देश के द्रोही हैं जो लोग राज्य को कर नहीं देना चाहते हैं।

पहले तो खुद मूजब हैं taxes की evasion का। इन्होंने खुद बताया है कि tax का evasion हो रहा है। यह इस बात को भी नहीं समझ सके कि tax क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि tax इस लिये बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जो emergency की हालत यहां पैदा हो गई हुई है उस का मुकाबला सरकार ने करना है जिस की वजह से हमारे बजट में 538 लाख रुपये का deficite है। इस deficite बजट को भी तो आखिर पूरा करना है। इन को पता होना चाहिए....

उपाध्यक्षा : आप interruption invite न करें। (The hon. Member should not invite interruption.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : यह तो इन को पता ही है कि यह taxes क्यों लगाने पड़ रहे हैं। खाह मखाह की criticisms करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह आप को भी परेशान करते हैं और....

उपाध्यक्षा : मुझे कोई परेशान नहीं करता। (Nobody bothers me).

श्री बाबू दयाल शर्मा : मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि यह निहायत ही मौड़ बिल है। इसे जरूर पास कर देना चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਬੰਗਾ) : Deputy Speaker ਸਾਹਿਬਾ, Passengers and Goods Tax ਇਸ State ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ rate ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਤੇ 1|8 ਸੀ, ਫੇਰ 1/6 ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1/5 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1|4 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Sardar Gurcharan Singh : This is not that Bill.

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ tax ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਇਤਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ Government ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ recovery ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ amending Bill ਏਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ figures ਦਸਦਾ ਹਾਂ। 1961-62 ਦੇ ਵਿੱਚ 57,08,334 ਰੁਪਏ ਦੀ recovery ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ evasion ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੋ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ recovery ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ Department ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ Transport Department ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ permit fee, route permit, token fee ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ deal ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ tax ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ recovery ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਏਸ Department

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ]
ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Government ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ Department ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Amending Bill ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Transport Operators ਤੇ tax ਲਾਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ operator ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ operator ਦੇ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ Government ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ charge ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ business ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ conductor ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਦੋ ਮਿਨਟ ਵੀ conductor ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ late ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Inspector operators ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ transport company ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ? (Does the hon'ble Member own some transport company ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ transport companies ਦਾ Managing Director ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ delay ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਏਸ Amending Bill ਰਾਹੀਂ Government ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ company ਦੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। Operators ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ courts ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ Bill ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ hon. Member ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ operators ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਲਉ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ income ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਦਨਾਢ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਝਾਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਬ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਉ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਣਾ, S.C.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਕੇ ਉਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਸ ਮਰਹੂਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛਡੋ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50—50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ.........

ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਇਹ ਬਿਲ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। He is wasting the time of the House.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ। (Please let me do my job.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿਘ :—ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਛੇਤੀ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ routes ਹਨ ਜੋ open ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿਉ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਟ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ-ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਡੇ ਵਡੇ ਧਨਾਡ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 100 ਤੇ 200 ਬਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਨਾਡ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ nationalise ਕਰੋ।

आबकारी, कर तथा राजधानी मन्त्री (श्री राम सरन चंद मित्तल) : माननीया उपाध्यक्ष महोदया, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्यों ने इस बिल के, provisions को पूरी तवज्जह से नहीं पढ़ा। इस से न तो nationalisation का और न ही टैक्स

[आबकारी, कर तथा राजधानी मन्त्री]

बढ़ाने का सवाल पैदा होता है। बात सिर्फ यह है कि कई दफा इस बात की शिकायत की जाती है कि बसों वाले या मोटरों वाले सरकार को टैक्स पूरा नहीं अदा करते। टैक्स को evade करते हैं। अपर हाउस के एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि उन के पास ऐसा टिकट है जिस के ऊपर स्टैम्प नहीं लगी हुई। तो इस टैक्स को पूरी तरह वसूल करने के लिये पहले आर्डनैंस लागू किया गया और अब यह बिल है कि हमारे कर्मचारियों को यह अधिकार हो कि वह उन के business premises में जा कर उन के हिसाब किताब को अपने कब्ज़े में ले कर जांच पड़ताल कर सकें और अगर गड़बड़ हो तो उन पर penalty वगैरा लगाई जाए। मनशा तो यह है मगर बहस में कह दिया कि सरकार उन लोगों को तंग करने के लिये यह बिल लाई है जो इस को चंदे नहीं देते, या operators को तंग करना चाहती है। इस तरह से मुखतलिफ बातें कहीं गईं। यह ठीक नहीं हैं। न nationalisation का सवाल है और न ही गरीब अमीर का सवाल है। सवाल सिर्फ evasion को रोकने का है कोई नया टैक्स भी नहीं लगा रहे हैं बाकी सब गैर मुताल्लिका बातें हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That the title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Excise, Taxation and Capital Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal) : Madam, I beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be passed.

श्री बलराम जी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल हाउस के सामने आया है इस के द्वारा सरकार किसी भी बस कम्पनी के दफतर में छापा मार कर उस की किताबों पर कब्जा कर सकेगी और उन के हिसाब किताब की checking कर सकेगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक इस के मनशा का सम्बन्ध है किसी भी व्यक्ति को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती । हर आदमी चाहता है कि जहां कहीं भी revenue leakage होती है वह बन्द होनी चाहिए । ताकि सरकार नित नए टैक्स लगाने की मांग लाकर हाउस के सामने पेश न हो और जनता की जिन्दगी टैक्सों की भरमार से दूभर न बनाए। मगर देखने की यह बात है कि इस बिल के ज़रिये जो सरकार पावर ले कर अपने इन्स्पैक्टरों को दे रही है इस का नतीजा क्या होगा । देखने में यह बात आई है कि जितने अधिकार इन इन्स्पैक्टरों के पास होते हैं उन का दुरुपयोग होता है और खास कर जितने भी complicated कानूनों में दिये गये हैं । नतीजा यह होता है कि सरकार के पास जो पैसा पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता । बल्कि इंस्पैक्टरों की जेबों में पहुंच जाता है । मैं रोज़ देखता हूं कि कितनी ही अच्छी फैक्टरी क्यों न हो एक बार इंस्पैक्टर दाखिल हो जाए अगर उस की जेब गर्म न हुई तो वह कोई न कोई नुक्स निकाले वग़ैर नहीं निकलता । और अगर bargaining हो गई तो चाहे जितनी खराब फैक्टरी क्यों न हो कोई नुक्स वाली बात ही नहीं होती । इतने complicated कानून बन गए कि जिनका misuse होता है ।

पिछले दिनों Medical Officer for factories corruption के केस में पकड़ा गया । उस का रोज़ का यह काम था कि वह 10 या 15 फैक्टरीज़ अपने सामने रख लेता था और उन्हीं का चक्कर लगाता था । जब वह फैक्टरी के दफतर में दाखिल होता था और जिस ने भी 100 रुपये उस को दे दिये तो दफतर से ही चला जाता था और अगर पैसा न मिला तो कोई न कोई खामी निकाल देता था जिस से owner को खर्च भी करना पड़े और खराब भी होना पड़े । इसी तरह Sales Tax Inspector को भी जब यह ताकत मिली कि वह किताबों को कबज़े में कर के जो चाहे कर सकता है तो अमृतसर में कुछ raids हुए और Inspectors दुकानों में गए और किताबों को कब्ज़े में कर के कुछ न कुछ खामी पकड़ी और एकदम bargains strike होने लगे और जब bargain final हो गया तो 4 दिन के बाद वह किताबें दुकानदारों के पास पहुंच गई । तो इस तरह से corruption बढ़ती चली जा रही है और जनता को तकलीफ होती जा रही है । अगर यह corruption सरकार दूर करना चाहती है तो इन complicated कानूनों को simplify किया जाना चाहिए । इस से एक और फायदा यह हो सकता है कि जो टैक्स लगाए जाते हैं वह पूरे के पूरे realise हो सकते हैं और आमदनी बढ़ सकती है ।

यह हक़ीक़त है कि बस कम्पनियों और truck owners को पहले ही सरकार के अधिकार में रहना पड़ता है क्योंकि अगर न रहें तो उन की facilities जल्दी से समाप्त की जा सकती है । जैसे यदि एक आदमी का रूट परमिट कैंसिल हो

[श्री बलरामजी दास टण्डन]

जाए तो उस की 40 या 50 हज़ार की investment व्यर्थ हो जाती है और उसे खराब होना पड़ता है। अमृतसर में एक Motor Vehicle Inspector था। जब ट्रक inspection के लिये quarterly उस के पास जाता था तो वह token लेकर किसी और को दे देता था और ट्रक के मालिक को उस वक्त वापिस किया जाता था जब वह उस से कई कई फेरे अपने निजी कामों के लिये या दोस्तों का माल ढोने के लिये लगवा लेता था। यह एक दिन की बात नहीं, पिछले तीन साल से ऐसा होता रहा है। और इस तरह से वज़ीरों के रिश्तेदारों की बड़ी बड़ी buildings खड़ी हो गई है। क्योंकि न तो उन्हें ट्रक के फेरों की कीमत अदा करनी पड़ी, न सामान की कीमत अदा करनी पड़ी। उधर जब ट्रक वाले इन की सेवा करने के बाद आते थे तो फिर दो फेरे अपने लिए भी लगाने को तैयार होते थे वरना उन का खर्च कैसे पूरा हो सकता था। इस तरह से corruption और ज़्यादा बढ़ी है सिर्फ इन complicated कानूनों की वजह से।

ट्रांस्पोर्ट के मामले में सरकार कहती है कि उसे करोड़ों रुपये का लाभ हुआ। अगर लाभ हुआ तो फिर 50:50 का क्यों हिसाब रखा गया। ट्रांस्पोर्ट सारी की सारी नेशनलाइज़ क्यों नहीं कर लेते ताकि लोगों की जेबों में करप्शन का पैसा जाना बिल्कुल ही खत्म हो जाए और जो पावर इस की वजह से वज़ीरों के लड़कों को करप्शन में हाथ बंटाने की या करवाने की मिलती है, वह भी दूर हो जाए।

उपाध्यक्षा : आप हर वक्त वज़ीरों के लड़कों का नाम न लें। (The hon. Member should not bring in the name of Ministers' sons every time.)

श्री बलराम जी दास टंडन : जनाब, मैं खुद विटनेस हूं और मैं ने यह सब कुछ देखा है।

उपाध्यक्षा : अगर आप eye witness हैं तो लोगों को पकड़वाते क्यों नहीं, corruption करते वक्त ? (If the hon. Member is an eye witness then why does he not get the persons indulging in corruption hauled, up at the proper time.)

श्रीबलराम जी दास टंडन : मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं ने यह खुद देखा है कि मिनिस्टर साहब के साहबज़ादे खुद चोरी करवा रहे थे और एक ट्रक चोरी से रेत भर रहा था। जब मैं और डाक्टर बल्देव प्रकाश वहां पहुंचे और यह सोचा कि किस तरह पुलिस को inform किया जाए इतनी ही देर में वह लोग आए और धमकी दी कि जो भी आगे आएगा वह यह सोच ले कि उसे ज़िन्दगी और मौत का सौदा करना है। ज़िंदगी और मौत का सौदा करने के लिये आते हैं..... (Interruptions) में बताने लगा था कि हम धमकियों से डरे नहीं। हम मौके पर पहुंचे हम ने कहा कि जिस के पास है वह पिस्तौल या बन्दूक ले आओ हम चोरी ज़रूर पकड़वायेंगे। नतीजा यह हुआ कि ट्रक पकड़ा गया, ट्रक वाले के बयानात हुए। वह ट्रक पठानकोट से अमृतसर आया था। उस ने बताया कि मुझे

M.V.I. ने कहा है कि फेरे लगाओ (विघ्न) उस ने बताया कि एक मिनिस्टर साहिब के लड़के हैं उन के साले को token पकड़ा दिया है। (Repeated Interruptions)

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया ने कामरेड राम प्यारा को बोलने के लिये आज्ञा दी।)

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा वज़ीर साहिब का ध्यान clause 2 के part 5 की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां लिखा है

"......shall retain the same only for so long as may be necessary for examination thereof......"

इस में इन्होंने कोई time limit मुकर्रर नहीं की कि किस वक्त तक वह किताबें रख सकेंगे। यह बात checking authority के ऊपर होगी कि वह अपने आप को दो दिन में satisfy करती है, दस दिन में satisfy करता है या कि छः महीने में satisfy करती है। तब तक बेगार लेते रहेंगे, वह फाईल पैंडिग पड़ी रहेगी। कई फाईलें ऐसे ही पड़ी हुई हैं जो कि कई अफसरों के बारे में हैं और कई M.L.As. के बारे में बनी हुई हैं। उन का फैसला नहीं होता है। गुनाहगार तो बरी हो जाते हैं लेकिन बेगुनाह बेचारों को सजा हो जाती हैं। (Interruptions) मैं कहना चाहता हूं कि यह practice stop होनी चाहिये एक period मुकर्र कर दिया जाना चाहिये जो कि उन पर binding हो कि इतने दिनों के बाद किताबें ज़रूर वापस कर दी जाएंगी। जहां पर evasion नज़र आता है वहां अगर सज़ा करते हैं या जुरमाना करते हैं तो मैं इस बात की ताईद करने के लिये तैयार हूं लेकिन किताबों का misuse नहीं होना चाहिए। गवर्नमैंट ने यह माना है कि evasion बहुत ज्यादा होता है। मैं हैरान होता हूं कि गवर्नमैंट ने यह कैसे कह दिया कि वह evasion check करने में नाकामयाब रही है। सवाल तो यह है कि यह evasion traders करते हैं या कि transporters करते हैं और अकेले ही करते हैं या कि किसी आदमी के लड़के के साथ के मिल कर करते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि अगर सरकार चंदे लेने बन्द कर दे तो मेरा अंदाज़ा है कि हमारे पास कोई भी रहम की दरखास्त ले कर नहीं आएगा। पिछले दिनों तीन ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों ने चीफ मिनिस्टर साहिब को करनाल में खाना दिया..............

Deputy Speaker : The hon. Member should try to be relevant. (interruption)

मैम्बर साहिबान जानते हैं कि हाउस की कार्यवाही रोज़ अखबार में जाती है जिस को सब लोग पढ़ते हैं। लोग क्या कहेंगे कि हाउस में debate का standard कितना गिर गया है। आप भी हाउस के part और parcel हैं, आप को debate का standard कायम करने की कोशिश करनी चाहिए।

(The hon. Member should try to be relevant. (interruptions) The hon. Members are aware that the proceedings of the House daily get in to the Press and are read by the public, at large. What would be the reaction of the people when they find that the standard of the debate has fallen so much in the House. The hon. Member is a part and parcal of the House. He should try to maintain the standard of the debate in the House.)

कामरेड राम प्यारा : मैं आप का बहुत मश्कूर हूं कि आप ने मुझे सुझाव दिया है। यह ठीक है कि मैं भी हाउस का part और parcel हूं । (Interruptions) वहां पर दो खाने बने हुए हैं । एक गालियां खाने का और दूसरा लड्डू खाने का । मेरे हिस्से में गालियां खानेका खाना आता है । (Interruptions)

Deputy Speaker : **Order Please.**

(Repeated interruptions)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का ध्यान 28 तारीख के सवाल नम्बर 2069 की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक party का Sales Tax assess हुआ था। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उस में कुछ legal complications थीं । उस के खिलाफ मेरा इल्ज़ाम था कि . . . .(Interruptions) अपील मंजूर हो गई । ये बताते नहीं हैं कि अपील किस तरह से मंजूर करवाई । मैं अमरीका की मिसाल देता हूं। वहां पर बड़े बड़े Practitioners ने बोर्ड लगा रखे हैं कि how to evade income tax, वहां पर इन्कम टैक्स को evade करने के लिये regular practice की इजाज़त दी हुई है । गवर्नमैंट मानती है कि Sales Tax, Passengers Tax और Cinema Tax में evasion होती है और इस evasion को वह बन्द नहीं कर सकी। मैं सुझाव देता हूं कि वे थोड़ा सा मन बनाएं और चंदे मांगने बन्द कर दें। अगर हम नज़र मारें तो पता लगेगा कि पिछले पांच दस साल के अरसे में जो हम ने परमिट दिये हैं वह अपने आदमियों को दिये हैं, जहां जहां जिस की पहुंच थी उन्होंने approach कर के परमिट ले लिये । दूसरे हर वक्त हम को ज़रूरत रहती है और हम चंदे मांगते हैं। नतीजा यह होता है कि न तो transport को nationalise कर सकते हैं और न ही tax evasion को check कर सकते हैं । अगर चीफ मिनिस्टर साहिब strict हो जाएं कि जो भी evasion करता हुआ पकड़ा गया उस को माफ नहीं किया जाएगा तो बहुत सारा revenue इकट्ठा हो सकता है। पिछले दिनों मुझ से मित्तल साहिब ने एक नाम पूछा था जिस का मैं ने reference दिया था । मैं ने नाम नहीं बताया । लेकिन हाउस में मेरे बात करने का नतीजा यह हुआ कि यहां से टैलीफोन पटियाले गया और पटियाले से करनाल गया और evasion में मदद करने वाले को suspend कर दिया गया । अब अगर वे नाम पूछें तो मैं बता दूंगा । मैं तो गवर्नमैंट का revenue बढ़ाने में मदद देता हूं । मैं तो evasion करने वाले को रगड़ा दिलवाने के हक में हूं। मैं तो सुझाव दूंगा कि जो आदमी evasion करने वाले की इत्तलाह दे या उस को पकड़वाए तो सरकार को उसे इनाम देना चाहिये। अगर कोई दस हज़ार रुपये की Sales Tax की या Passenger Tax की चोरी पकड़वाता है तो उस को कुछ फी सदी इनाम मिलना चाहिये । उस का कुछ share मुकर्रर होना चाहिये । (Interruptions)

उपाध्यक्षा : मेम्बर साहिब को यह लफज शोभा नहीं देते । (It ill behoves the hon. Member to use such words.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कई डिपार्टमैंट्स में पहले ही इनाम मुकर्रर हुए हुए हैं कि जो कोई कहीं छापा डलवाता है तो उसे इनाम दिया जाता है। वह तो एक किस्म का remuneration है ; उस के साथ certificate भी मिलता है। उस को जरूर कुछ न कुछ reward मिलना चाहिये क्योंकि उस ने तगड़े आदमी के साथ दुश्मनी डालनी होती है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਮੇਰਾ point of order ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ point of order ਨਹੀਂ। (The hon'ble Member is himself aware that this is no point of order.)

कामरेड राम प्यारा : इस से काफी हद तक mental satisfaction होगी। एक तो गवर्नमैंट को revenues ज्यादा मिलेंगे और दूसरे informers को encouragement होगी। इस से बुराई कम होगी और जो moral values कम होती जा रही हैं, जो इख्लाकी तौर पर corruption बढ़ रही है उस में कुछ check होगा। इन अल्फ़ाज के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Minister ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਨੇਕ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀਆਂ implications ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ compliments ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : Treasury Benches ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ allegations ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ hon. Member ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ corruption ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ certificate ਦੇਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਏਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ Commissioner ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Excise and Taxation Commissioner। ਪਰ ਏਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ or any other prescribed authority। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ Commissioners ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁਸਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ any other outhority ਦਾ ਮਤਲਬ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ clerk ਵੀ transport ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰੇਗ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਥੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਹੋਰ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ or any prescribed authority ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ Excise and Taxation Commissioner ਹੀ ਰੱਖਣ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Reasonable time ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ reasonable time define ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ Act ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ safeguard ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ study ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ time limit ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Democracy ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ safeguard ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿ tax ਦੀ evasion ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ tax payer ਲਈ ਇਹ safeguard ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ time limit ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ individual ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ allegations ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ confiscate ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਸੀਹ power ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ normally ਚਲਦੇ ਹੋਏ tax ਵਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ powers ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Government ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੁਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ transport company ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ tax ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ tax ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਸ਼ਰਤਿ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਏਧਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਓਧਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, Opposition ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ Treasury Benches ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ; ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ main purpose ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ tax ਦੀ evasion ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਬੇਗਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਏਧਰ ਓਧਰ ਹਿਲਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ progressive ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮੂਹਰੀਅਤ

ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ Act ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਏਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ I. G. Police ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ oppression ਹੋਵੇ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ Opposition ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ safeguard ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀਆਂ limits ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਥੇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ rules ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ arbitrary power ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ transport operator ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ individual ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

आबकारी, कर तथा राजधानी मन्त्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो विचार माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर प्रगट किये हैं मैं उन के मुताल्लिक सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि अभी तक मेरे notice में कोई ऐसी बात नहीं आई कि हमारे किसी Taxation Officer ने किसी पार्टी के लिये funds इकट्ठे करने का प्रयत्न किया हो। अगर कोई सदस्य यह कह दें या बतला दें कि उन्होंने कभी पहले मेरे notice में यह चीज़ लाई हो तब तो उन का कहना ठीक हो सकता है। मैं सदन को आप के द्वारा यकीन दिलाता हूं कि जिस वक्त यह बिल बनाया गया था उस वक्त कतई हमारी यह मनशा नहीं थी कि यह बिल बना कर किसी पार्टी को या किसी तब्का को फायदा पहुंचाना है। हमारी यह मनशा कभी नहीं हुई। बिल में दिया है—

> "If the Commissioner or the prescribed authority has reason to suspect that any owner of the motor vehicle is attempting to evade payment of the tax under, this Act, the Commissioner or such authority may, for reasons to be recorded seize such accounts, registers documents or other books............"

मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जो searches होंगी यह किसी responsible officer की मौजूदगी में होनी चाहिएं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि search के वक्त वहां Sub-Inspector या Inspector होंगे लेकिन यह हम rules में provide कर देंगे कि वहां search करते समय कम अज़ कम A. E. T. O. के rank का कोई अफसर ज़रूर मौजूद हो जैसा कि आम तौर पर taxation के सिलसिले में पहले से होता आ रहा है।

[आबकारी, कर तथा राजधानी मन्त्री]

दूसरा उज़र time-limit के prescribe करने की बाबत है। हमारा हरगिज़ यह मकस्द नहीं कि हम किसी के business को paralyse कर दें। कुछ माननीय सदस्यों ने इस के बारे में कहा और Justice सरदार गुरनाम सिंह की राए भी यही है कि इस में time-limit मुकर्रर कर दिया जाए। दरअसल इस बिल में for reasons to be recorded लिखा हुआ है। जब तक कोई prima facie case न बन जाए उस वक्त तक हम ने किसी को नहीं पकड़ना। उस के reasons से जाहर हो जाए तो उन को उतने समय के लिए रखा जाएगा।

"as may be necessary for examination thereof.. ...."

तो इस में भी हर पहलू से विचार किया गया है। हमारा यह मन्शा बिल्कुल नहीं है कि हम ने किसी के business को paralyse करना है। लेकिन यह बात भी fact है कि कई जगह पर account books पकड़ी गई हैं और उन में कुछ न कुछ ऐसी entries मिली हैं जिन से यह पता चला है कि वहां tax का evasion हुआ है।

अब रहा सवाल कि कब तक account books वापस की जाएं। इस के लिये इस में provide किया गया है कि यह तब तक रखी जाएं as may be necessary'। अगर किसी dealer ने किसी से रुपया वसूल करना हो और उस के लिए account books की जरूरत हो तो इस के लिये वह हमारे पास से अपनी account books ले सकता है या inspect कर सकता है। यह safe-guard हम rules में provide कर देंगे। लेकिन हम accounts books को वापस करने के लिये कोई time-limit fix नहीं कर सकते क्योंकि इस में किसी पर prosecution भी करनी होगी, किसी को penalty भी लगानी होगी। इस के लिये अगर आप चाहें कि दो महीने या कुछ और वक्त की limit रख दें यह कभी नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं यह यकीन दिला देता हूं कि किसी की account books सरकार के कब्जा करने से किसी के business को suffer करना न पड़ेगा।

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : अगर आप के notice में ऐसा case लाया जाए जिस में Excise Commissioner ने खुद किसी पर arbitrarily tax लगाया है and he is already using the powers arbitrarily तो....

आबकारी, कर तथा राजधानी मंत्री : अगर account books को examine किये बगैर किसी ने tax लगा दिया है तो इस चीज़ का इस बिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो एक अलग चीज़ हुई। इस के लिये तो आप कह सकते हैं कि Excise and Taxation administration के अन्दर arbitrarily काम होता है। That is a different thing.

Sardar Gurnam Singh : You are too good. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

आबकारी, कर तथा राजधानी मन्त्री : आप साहिबान की शागिर्दी में कुछ समझ जाऊंगा । मेरे friend कामरेड राम प्यारा मुझे जब कभी बताया कि कहीं tax की evasion हो रही है तो हम ने उन की बात पर अमल कर के उस evasion को रोकने की कोशिश की है । वह मुझे इस बात में support करेंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, evasion के check करने की कोशिश की है, बाकी अपनी इनकी बातें हैं सो जानें ।

अब रहा सवाल informers को इनाम देने का। यह बड़ी ticklish चीज है। इस को यहां पर examine करना ठीक नहीं है। बहुत सारे भाइयों ने Inspectors के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन मैं सिर्फ यह कहता हूं कि इन के बगैर काम भी नहीं चलता। यह ठीक है कि Inspectors के खिलाफ शिकायतें होती हैं । लेकिन इन को wholesale condemn करना भी ठीक नहीं है। जिन पर tax लगाए जाते हैं उन की शिकायतें हुआ ही करती हैं और जब arbitrarily tax लगाए जाते हैं तो भी लोग उन की शिकायतें करते हैं ।

इस बिल में ऐसी कोई खास बात तो है नहीं कि जिस की वजह से इस बिल को पास न किया जाए। इस लिये मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker : Question is—

> That the Punjab Passengers and Goods (Taxation Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB DEVELOPMENT OF DAMAGED AREAS (VALIDATION) BILL, 1963

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Madam, I beg to move—

4 p. m.

> That the Punjab Development of Damaged Areas (Validation) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee be taken into consideration.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल जो है इस पर पहले पंजाबी रिजनल कमेटी में विचार हो चुका है। 1947 में, जैसा कि आप जानती हैं कि जब यहां गड़बड़ के हालात हो गए थे तो कई एक शहरों में आग से, लूट मार से और दूसरे तरीकों से काफी नुकसान हुआ । इस लिये 1947 में ऐसे शहरों को आबाद करने के लिये Punjab Damaged Areas Act of 1947 बनाया गया था । उस में सरकार को अख्तियार दिया गया था कि किसी जगह को भी वह Damaged Area करार दे दे। वह Act 1949 में खत्म हो गया। 1949 में फिर एक Act बनाया गया जिस का नाम था The East Punjab Damaged Areas Act, 1949 । फिर Legislature ने 1951 में एक Act पास किया जिस का नाम था The Punjab Development of Damaged Areas Act, 1951, जिस के ज़रिए Improvement Trusts

[Home Minister]
को damaged areas की development का अख्तियार दिया गया । उस में जहां तक अमृतसर का सम्बन्ध है 1947 में सरकार ने Notification के जरिये walled city को damaged area करार दिया था। उस के बाद जब 1949 में या 1951 में जो ऐक्ट पास हुआ था तो उस वक्त कोई Notification नहीं की गई यह समझते हुए कि जो Notification 1947 के Act के बाद की गई थी वही काफी है। यह मामला कोर्ट में गया तो सुपरीम कोर्ट ने फैसला किया कि पंजाब सरकार को दोबारा Notification करनी चाहिए थी । और जो कुछ कार्यवाही अमृतसर के Walled City के मुताल्लिक वहां के Improvement Trust ने की थी वह नाजायज करार दी गई। मैम्बर साहिबान को पता है कि वहां पर बहुत सा काम हुआ है, तरक्की हुई है मगर इस टैक्नीकल गलती की वजह से उस अच्छे काम में रुकावट पैदा हो गई। इस रुकावट को ही दूर करने के लिये यह बिल लाया जा रहा है कि यह हाउस उस काम की मन्जूरी दे जो कि वहां के Improvement Trust ने किया है । मैं आशा रखता हूं कि हाउस इस को मुतफिक्का तौर पर मन्जूरी देगा । जिन मैम्बर साहिब ने Ordinance के मुताल्लिक नोटिस दिया है वह यह कहने में हक्कबजानब होंगे कि ऐसा ordinance सरकार को क्यों करना पड़ा। मगर मैं उन को बताना चाहता हूं कि यह मामला इतना जरूरी था कि इन्तज़ार नहीं किया जा सकता था । मैं ने अभी अभी बताया है कि एक technical गलती की वजह से एक अच्छा काम रुक गया था इस लिये यह ज़रूरी समझा गया कि उस को रुकने न दिया जाए। इस चीज़ की अहमियत को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि मैम्बर साहिबान इस बात से भी इतफाक करेंगे कि इन हालात में Ordinance करना भी जरूरी था । जिस शक्ल में यह बिल पंजाबी रिजनल कमेटी से आया है मैं उसी शक्ल में हाउस को मन्जूरी के लिये पेश करता हूं ।

राव निहाल सिंह : On a point of order, Madam, क्या कोई भी रिजनल बिल दोनों रिजिनल कमेटियों की राए लिये बिना इस हाउस में पेश किया जा सकता है जब कि Presidential Order में है कि दोनों रिजनल कमेटियों की राय ली जायगी ?

गृह मन्त्री : इस के मुताल्लिक यह अर्ज है कि यह बिल सिर्फ अमृतसर की walled city से ताल्लुक रखता है। जिस बिल का ताल्लुक एक ही रिजिनल कमेटी से हो वह उसी के सामने जाना जरूरी है, दूसरी के सामने नहीं।

राव निहाल सिंह : मेरी अर्ज़ यह है कि Presidental Order में ऐसा हुक्म नहीं है कि कोई चीज़ सिर्फ एक ही रिजिनल कमेटी को refer की जाए, दूसरी को न की जाए । यह सिर्फ एक रिजिनल कमेटी से पास हो कर आया है, दूसरी रिजिनल कमेटी के पास नहीं गया।

उपाध्यक्षा : आप तो दाना आदमी हैं। जिस रिजिन का किसी बिल से ताल्लुक होगा उस की कमेटी के पास वह जायगा । इस का ताल्लुक पंजाबी रिजन से है । यह हिन्दी रिजिनल कमेटी के पास कैसे चला जायगा । पंजाबी रिजिनल कमेटी के पास से हो कर आया है । (The hon. Member is a wise man and he knows it. The regional bill is sent to that Regional Committee to which is pertains and this Bill concerns the Punjabi Region.

It has no concern with the Hindi Regional Committee and it has been reported back by the Punjabi Regional Committee.

राव निहाल सिंह : जिस बिल का ताल्लुक हिन्दी रिजन से होगा वह सिर्फ हिन्दी रिजनल कमेटी के ही पास जायगा ?

उपाध्यक्षा : यह रिजनों की बीमारी खत्म करनी होगी किसी दिन । We shall have to do away with this practice one day.)

एक आवाज : पंजाबी सूबा बनने के बाद ।

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Development of Damaged Areas (Validation) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee be taken into consideration.

Shri Balramji Dass Tandon (Amritsar City West) : I beg to move—

That this House disapproves..................

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿਘ ਢਿਲੋਂ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ unanimously ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਆਇਆ। ਉਥੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ note of dissent ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ right ਨਹੀਂ ਕਿ disapproval ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਣ।

श्री बलराम जी दास टंडन : ऐसा लगता है कि ढिलों साहिब ने मेरा नोट आफ डिस्सैंट पढ़ा नहीं। (विघ्न) वह तो circulate होता है सब को ।

उपाध्यक्षा : बीच में resolution मूव करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा किये बगैर जो कहना है कहें । (The hon. Member need not formally move the resolution here. He should proceed with his speech without doing so.)

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1963 के अन्दर जो Ordinance गवर्नर साहिब ने लागू किया है उसी की रू से हकूमत को पावर मिली है कि अमृतसर शहर के अन्दर improvement trust ने जो कार्यवाही की है उस को legalise किया जाए। जहां तक improvement trust के काम का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि वह ठीक तरीके से अपनी डियूटी को बजा लाया है और शहर की तरक्की के काम को उस ने ठीक तरीके से सरंजाम देने की कोशिश की है। इस ऐक्ट के बारे में मुझे दो तीन एतराजात करने हैं ।

एक तो यह कि जब असैम्बली बैठने वाली हो तो उस वक्त इस तरह से Ordinance लागू करना ठीक नहीं। इस को Presiding Officers ने भी कभी ठीक नहीं समझा । उस वक्त जब कि पता नहीं कि असैम्बली कब meet करेगी या कौंसल का Session कब होगा उस हालत में अगर ऐसा Ordinance लागू किया जाए तो बात समझ में आती है। अगर यह कहा जाए कि सुपरीम कोर्ट के फैसले की बिना पर यह Ordinance जारी किया गया तो जहां पर नौ दस महीने पहले इन्तजार किया था वहां पर एक आध महीना और भी इन्तजार किया जा सकता था ।

उपाध्यक्षा : आप को एतराज़ है कि Ordinance क्यों किया गया। आप इस के नकायस बताइये ।

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीका से इस बात को करना गलत है और मैं यह बात बड़े ज़ोर के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह से Executive ने Legislature के rights को usurp करने की कोशिश की है। जब सैशन होने वाला था तो उस से एक महीना पहले इस तरह से Ordinance लागू करना constitution के खिलाफ है। Presiding Officers ने इस को कभी अच्छा नहीं समझा ।

उपाध्यक्षा: आप हाउस के बारे में बात करें, प्रिज़ाइडिंग अफसरों को उन के हाल पर छोड़ दें। (The hon. Member May talk about the House and leave the Presiding Officers alone.)

श्री बलराम जी दास टंडन : यह जो कानून है इस की सारी की सारी धाराएं damaged area के सुधार के लिये किये गये कामों को वैलिड करार देने का ज़रिया होंगी। इस के ज़रिये जो बातें वहां पर वैलिड करार दी जायेंगी उन की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इस के जरिये सरकार अगर कोई जमीन ले तो उस का मुआवज़ा वह तीन साल के के बाद देगी । इस के ज़रिये यह होगा कि जो इलाका सरकार ने आज ले लिया, जिस का कब्ज़ा Improvement Trust ने आज ले लिया वह कम से कम तीन साल के लिये एक तरह से खत्म हो गया। वहां पर कोई कुछ न कर सकेगा । कब्ज़ा ले लिया जायगा मगर कीमत नहीं दी जायगी । नतीजा यह होगा कि जो कीमत लगाने वाले अफसर हैं वह तीन साल के बाद उस की कीमत लगायेंगे। उस की कीमत तीन साल के बाद लगेगी, यह lower limit है । ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक लगेगी, इस की कोई limit नहीं है। पांच साल के अंदर हो जाए या तीन साल भी लग जाएं। लेकिन तीन साल से पहले नहीं लगाते । नतीजा क्या होता है। जब कीमत लगाई जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि Improvement Trust कीमत लगा कर मार्किट के अंदर प्लाट बेचने के लिये लोगों से bids call करता है। कई बार कई जगहों की कीमत पन्द्रह रुपये फी गज़ के हिसाब से मिलती है। जब Evaluation Officer पांच साल के बाद कीमत आंकेगा तो 25 रुपये फी गज़ के हिसाब से आंक देता है। इस तरह से कीमत ज़्यादा लग जाती है। Improvement trust के लोग चीखने लगते हैं । उन्होंने कई बार गवर्नमैंट को लिखा है कि Improvement Trust के काम को भारी नुक्सान हो रहा है । तीन साल के बाद कीमत लगती है। Sale Price पहले ले लेते हैं और purchase price बाद में लगती है। नतीजा यह होता है कि कीमतें ज्यादा देनी पड़ती हैं और Improvement Trust घाटे में जाता है। जिन लोगों के मकान होते हैं उन को मकानों में से निकाल दिया जाता है। जितना रुपया बनेगा उस पर उन को कोई interest नहीं मिलेगा। जब कीमत लगती है तो उस वक्त पैसे मिलेंगें। इस तरह से पब्लिक को भी तकलीफ होती है और Improvement Trust को भी

नुकसान होता है। जहां तक स्कीमें बनाने का ताल्लुक है वह कुछ निश्चित नहीं है कि जब ज़मीन लेंगे उस के कितनी देर बाद सारी स्कीम मुकम्मल होगी। फल यह होता है कि ज़मीनें ले लेने के बावजूद भी प्लाट खाली पड़े रहते हैं। जो लोग पहले वहां रहते होते हैं उन को निकाल दिया जाता है। नये वहां आते नहीं। अमृतसर शहर में जो Parent Act खामियों के साथ लागू किया जाने वाला है उन खामियों को दूर किया जाना ज़रूरी है। जब तक वह खामियां दूर नहीं होतीं तब तक अमृतसर शहर के साथ इनसाफ नहीं होगा। लोगों को इस से बहुत परेशानी होती है। कई एक जगहों पर Improvement Trust कीमतें लगा कर बेचारे लोगों को दे देता है। कई जगहों पर कीमतों की bids ली जाती हैं। नतीजा यह होता है कि कीमत तो दो रुपये के हिसाब से दी जाती है लेकिन जब bids ली जाती हैं, तो आप सुन कर हैरान होंगे कि अमृतसर में एक प्लाट 705 रुपये फी गज़ के हिसाब से बिका। इस हिसाब से तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग ही मार्किट में अड्डा जमा सकते हैं। छोटे छोटे दूकानदार, जिन के परिवार के लोगों ने अपनी उमरें वहां पर गुज़ारी थीं उन को निकाल दिया जाता है। उन के गुज़ारे का कुछ प्रबन्ध नहीं होता। Tenants के तौर पर वहां काम कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से न पैसा पास हुआ और न ही मालिक बन सके। मुश्किल से अपना पेट पालते रहे। उन को स्थान देने की कोई प्रोविज़न सरकार ने नहीं की। इस लिये Parent Act में कुछ तबदीलियां करने की ज़रूरत है। जो लोग 50, 100 साल तक वहां पर रहे उन को uproot कर के उनके बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक तरीका तो यह है कि उन लोगों को सरकार कर्ज़ा दे ताकि वे लोग अपना अड्डा जमा सकें। दूसरा तरीका यह है कि Improvement Trust खुद दूकानें बनाए और उन लोगों को दे जो पहले वहां पर रहते थे और काम करते थे। अगर इन खामियों को दूर कर के शहर के अंदर इस कानून को लागू किया जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी कोई एतराज़ करने का मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव की तरफ ध्यान देगी।

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : अभी अभी टंडन साहिब ने Parent Act की कुछ खामियों का जिक्र किया है। Regional Committee में भी यह बात आई थी उस वक्त भी मैं ने यह बात committee के सामने कही थी कि यह मौका Parent Act में कोई तबदीली लाने का नहीं है। इस बिल का scope limited है, महदूद है। अगर मेम्बर साहिब महसूस करते हैं कि Parent Act में कुछ खामियां हैं तो वह या तो लिख कर मुझे भेजें या Private Bill की शक्ल में भेज दें। जितनी भी खामियां वह मुझे बतलायेंगे, उन के मुताल्लिक मैं खुद जांच पड़ताल कर लूंगा। Improvement Trust और मेम्बर साहिब के साथ भी discussion कर लूंगा। इस वक्त उन खामियों के मुताल्लिक कुछ ज्यादा ज़िक्र नहीं किया चाहता लेकिन एक बात जो टंडन साहिब ने अभी अभी कही कि सरकार कुछ इन्तजाम नहीं करती। दरअसल बात यह है कि Improvement Trust एक autonomous body है, उस की day-to-day working में गवर्नमेंट कोई दखल नहीं दे सकती। जहां तक मैं जानता हूं, जब भी कोई स्कीम बनती है तो उस में जो plots बनते हैं उन के लिये उन लोगों को preference

[गृह मन्त्री]

दी जाती है जिन के मकानात, दूकानात या जगह स्कीम के मातहत Town Improvement Trust ने ली हैं । उन के साथ शरणार्थी भाइयों को भी preference दी जाती है। Plots की allotment के सिलसिले में उन का कुछ हिस्सा होता है । जो नीलामी के ज़रिये plots बेचे जाते हैं। जहां तक tenants का सम्बन्ध है, Act में वाज़ेह तौर पर उन की protection के लिये कोई provision नहीं है। लेकिन जहां भी गवर्नमेंट के नोटिस में ऐसी बात आती है तो हम Town Improvement Trust को यह बात सुझाते हैं कि ऐसे tenants जो पहले उन दूकानों, मकानों या जायदाद में रहते थे, अब uproot हो गए हैं, उन के लिये भी Improvement Trust मुनासिब प्रबन्ध करे। जहां तक मैं जानता हूं, अमृतसर में भी और दूसरे Improvement Trusts, tenants और मालिकान की आपस में बातचीत हो कर कई schemes के बारे में समझौता भी हुआ था। फिर भी अगर कोई कमी या नुक्स हो जो सरकार किसी amendment के द्वारा remove कर सकती हो तो मुझे खुशी होगी। इस लिये कोई बिल आए या ऐसा सुझाव हो तो हम बैठ कर उस पर विचार कर लेंगे। और अगर कोई तरमीम करने की ज़रूरत महसूस हुई तो मुझे रत्ती भर झिझक नहीं होगी ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Development of Damaged Areas (Validation) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee be taken into consideration.

The motion was carried.

श्री बलरामजी दास टंडन : On a point of order, Madam. मेरे resolution पर जो ordinance को disapprove करने के बारे में था वोटिंग नहीं की गई ।

उपाध्यक्षा : वह बात तो पहले ही तय हो गई थी कि आप resolution move नहीं करेंगे और जो कुछ कहना है वह Bill की consideration motion पर कहेंगे (This was decided earlier that the hon. Member would not move his resolution but would have his say on the Consideration Motion of the Bill).

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं ने तो procedural point की तरफ आप का ध्यान दिलाया है।

उपाध्यक्षा : जब शुरू में ही इस का फैसला हो गया था तो अब उस resolution को अलग तौर पर take up करने की जरूरत नहीं । (Acccording to the decision arrived at earlier there is no need now to take up the resolution separately.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मुझे इस बात का नहीं पता । procedure के मुताबिक आप देख लें कि उस पर vote of the House होना चाहिए या नहीं।

उपाध्यक्षा : मैं अपना काम जानती हूं (I know my work.)

The House will now proceed to consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Madam, I beg to move—

That the Punjab Development of Damaged Areas (Validation) Bill as reported by the Punjabi Regional Committee be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Development of Damaged Areas (Validation) Bill as reported by the Punjabi Regional Committee be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Development of Damaged Areas (Validation) Bill as reported by the Punjabi Regional Committee be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 1963

Home Minister (Shri Mohan Lal) : I beg to move—

That the Punjab Cinemas (Regulation) Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल पर इस वक्त मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत साधारण सी मांग रखी गई है कि जहां पर Tax की evasion करता हुआ कोई Cinema का licensee पकड़ा जाए और ऐक्ट के मुताबिक उसे अदालत से तीन दफा सज़ा मिले या वहां का जो compound करने का तरीका है उस में तीन दफा ऐसा हुआ हो और कुछ और penalties जिन का हवाला clause 2 में दिया गया है, उस पर impose हुई हों तो उस सूरत में licensing authority उस के licence cancel करने की मजाज़ होगी। सिर्फ यही मांग इस बिल में रखी गई है। इस का मकसद बिल्कुल साफ है। पहले बिल पर बोलते हुए मेम्बर साहिबान ने भी यही विचार House के सामने रखे कि जो tax की evasion करते हैं उन को पकड़ा जाए, उन्हें सज़ा दी जाए, licence cancel किए जाएं। यह वाकई एक ज़रूरी अमर है। चूंकि

[गृह मंत्री]
पहले ही इस पर काफी चर्चा हो चुकी है इस लिये उस के मुतािल्लक में ज्यादा नहीं कहना चाहता । मैं आशा रखता हूं कि इस बिल के भाव को सामने रखते हुए मेम्बर साहिबान इसे, जिस शक्ल में यह Punjab Legislative Council से पास हो कर आया है, मंजूर फरमाएंगे ।

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Cinemas (Regulation) Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਤਾਪ ਗਰਗ (ਪਟਿਆਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਸੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ compounded offence ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ provision ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ provision optional ਹੈ mandatory ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ powers ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ tax ਦੀ evasion ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। (ਵਿਘਨ) **ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ** : ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ)

Deputy Speaker : No interruption please

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਤਾਪ ਗਰਗ : ਇਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਥੇ tax evasion ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ Professional Tax ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 200 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਕਿ ਉਂਜ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੁਤੇ ਗੰਢਵਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲਾ ਲਏ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ (ਵਿਘਨ) (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ tax arrears ਦੀ collection ਵਾਸਤੇ Inspectors ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇਹੀ powers ਅਸੀਂ Inspectors ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈਏ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ clause ਨੂੰ mandatory ਬਣਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ case ਨੂੰ judiciary ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, judiciary

ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ Inspectors ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, S.C.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ Amending Bill ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਫਾ Tax ਦੀ evasion ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ licence cancel ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ licensee Bombay, Calcutta ਜਾਂ Delhi ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ Tax pay ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਨਮਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Deputy Speaker : Try to be relevant please.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰ ਇਕ ਸਿਨਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1st, 2nd, 3rd, ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ Box ਇਹ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ licence ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ seats ਵੀ sanction ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ seats ਦੀ booking ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ seats ਇਤਨੀਆਂ limited ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਟ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ documentary film ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Central Government ਦਾ information ਅਤੇ broadcasting ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ development ਦੀਆਂ schemes ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ documentary films, ਲਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।

(The Hon. Member is himself referring to a poor man, as an inferior person.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2,3 ਮੀਲ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ documentary film ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਏਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਟਿਕਟ 2 ਰੁਪਏ 25 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਲ੍ਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : What does the Hon. Member want to say ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ Tax ਦੀ evasion ਵਿੱਚ ਜੋ irregularities ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ D. C. ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ police ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੀ Tax ਦੀ evasion ਕਰਾਉਂਦੇ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ families, D. C. ਤੱਕ ਆਕੇ free show ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ Minister ਵੀ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ tax ਦੇ evasion ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ irregularity ਦੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ free show ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਏਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 10—15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4-5 ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਗਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ personal knowledge ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? The hon. Member should avoid to refer such matters about which he has no personal knowledge.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ **ਡਿਪਟੀ** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 20—25 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ Tax ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸੀ ? (The hon. Member should talk about a thing about which he is definite. Was he present on the spot ?)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ। I was there.

उपाध्यक्षा : क्या आप भी बगैर टिकट थे ? (Was the hon. Member also without a ticket ?)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਟਿਕਟ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ M.L.A. ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ telephone ਕੀਤਾ, I. G. Police ਨੂੰ telephone ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਸ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਉ ਕਿ ਕੋਈ officer tax ਦੀ evasion ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਅਬ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

उपाध्यक्षा : Babu Ajit Kumar, I warn you. अगर हर बात पर आप इसी ढंग से बातें करेंगे तो मैं आप को आगे से बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी। (Babu Ajit Kumar, I warn you that if you continue to introduce

such matters on all occasion, then I shall not permit you to speak in future.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ Tax Bill ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ evasion ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ। Communist party ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ evasion ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ evasion ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Communist ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਕਰੋ। (It would be better if the Honourable member avoids bringing in the Communist Party and the Congress Party and confines himself to the Members of this House only.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਨ ਦਫਾ Tax ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ penality ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ licence cancel ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ plan ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ security ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ security deposit ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ licence cancel ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੀ security ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ cinemas ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੀਲਮ, ਡੀਲਾਈਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ one man's monopoly ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਨਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ licence cancel ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : बहुत बेहतर होगा अगर आप हाउस में कांग्रेस पार्टी का कोई ज़िक्र न करें। (It would be better, if the hon. Member does not discuss Congress party here.)

(Interruption by Comrade Babu Singh Master.)

उपाध्यक्षा : इस हाउस के सारे hon. मैम्बरों की यह feeling है कि tax का evasion होता है। इस लिये उस evasion को रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। (This is the feeling of all the hon. Members of this House that evasion of this tax does take place. This bill has been brought to stop that evasion.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : Deputy Speaker ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ licence cancel ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ licence cancel ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ House ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਨਮੇ ਤੇ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਵਤ ਕਰਕੇ licence cancel ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ industry ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਾਏ licence cancel ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਰਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ licence cancel ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ professional tax ਜਮਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ notice ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Deputy Speaker : Please resume your seat now.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ licence cancel ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੋਚੋ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज यह जो The Punjab Cinemas (Regulation) Amending Bill हाउस के अन्दर पेश किया गया है मैं इस की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बात यह है कि इस बिल के ज़रिये सरकार बड़ी powers अपने हाथों में ले रही है। इस के मुताबिक जब किसी Cinemas Operator को तीन बार सज़ा हो चुकी होगी या तीन बार उस का offence compound हो चुका होगा उस cinema operator का licence cancel कर दिया जाएगा। इस बिल में एक बात तो बताई ही नहीं गई। इस में जो तीसरी बार का offence बताया गया है आया वह for future शुरू होगा या यह पीछे से शुरु हो चुका है जिस की बिना पर उस का licence cancel हो सकेगा। यह तो सरकार ने बताया ही नहीं कि यह कब से लागू होगा। पता नहीं सरकार ने यह clear करना मुनासिब क्यों नहीं समझा। इस बारे में इस बिल में यह clear किया जाना चाहिए था कि यह कब से लागू होगा। आया यह उन cinema operators पर पहले से लागू होगा जिन्हें पहले कई बार सजा हो चुकी है और जिन के offences पहले compound हो चुके हैं या उन की पिछली सज़ा वगैरह को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ? इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि इस हाउस के अन्दर इस बात को definite तौर पर clear करें कि बिल कब से लागू समझा जाएगा। क्या किसी की पीछे जो offences हैं वह भी इस बिल के purposes के लिये count होंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल इस लिये लाया गया है कि जो entertainment duty लगी हुई है उस में बड़ा evasion होता है। Cinemas के सिलसिले में दो तरह के taxes लगे हुए हैं। एक तो entertainment duty होती है और दूसरा tax होता है जो हर सिनेमा वाले से जितने show वह कर दिखाता है और हरेक show में जितने आदमी देखने आते हैं उस की कुछ percentage के हिसाब से लगता है। जो entertainment duty होती है यह हरेक टिक्ट पर देनी पड़ती है और यह अब मौजूदा Tax Bill लाया जा रहा है उस के तहत 50 per cent of the value of each ticket हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह economics की बात है कि the heavier the tax the greater the evasion. जितना tax ज्यादा होगा उतना उस का evasion ज्यादा होगा क्योंकि हर एक को tax evade करने की temptation होगी। जितना थोड़ा tax होगा उतनी उस की कम evasion होगी। मुझे पता है कि अमृतसर की Municipal Committee ने एक चीज़ पर Octroi आठ आने से बढ़ा कर पांच रुपये फी मन के हिसाब से लगा दी। जब उस मद पर 8 आने फी मन के हिसाब से Octroi लगी हुई थी तो उस वक्त उस की evasion नहीं होती थी और उस item से उस कमेटी को सवा लाख रुपये की आमदनी होती थी। लेकिन जब उस चीज़ पर Octroi 5 रुपये फी मन कर दिया गया तो उस में चोरी होने लगी और उस मद से कमेटी की आमदनी घट कर एक लाख से भी कम रह गई। इस की वजह यही थी कि लोग octroi की चोरी करने लग गये थे और माल को पहले शहर के बाहर कहीं उतार लेते थे और बाद में उसे चोर दरवाज़ों से Octroi pay किए बगैर लाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिये वहां की Municipal Committee को squad बनाना पड़ा था। इस लिये सरकार को सोचना चाहिए कि यह जो इतनी heavy taxation हो रही है इस का उतना ही ज्यादा evasion होगा। इस लिये इसे यह बिल वापस ले कर दूसरे तरीके से यह tax लगाना चाहिये कि जिस से यह सारी की सारी evasion बन्द हो जायगी evasion को रोकने के लिये सरकार को inspectors भी नहीं रखने पड़ेंगे और सरकार को सारा tax ही अपने आप मिलने लगेगा और इस से tax की collections पर जो खर्चा होता है उस में भी कमी हो जायगी। इस के लिये मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि इस को चाहिए कि सारी State के सिनमों की classification कर दें, इन की आमदनी को देख कर इन की तीन Categories A, B और C कर दें और उन की monthly income को देख कर सरकार उन पर levy लगा दे। जो बड़े सिनमे हैं उन पर पांच हज़ार या तीन हज़ार रुपये levy लगा दे, इसी तरह से दूसरी categories के लिये मुकर्रर कर दे। अगर इस तरह कर दिया जाए तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि एक एक Ticket को देखा जाए, या पन्द्रह दिन की उन लोगों को returns भर कर देनी पड़ें। Inspectors की ज़रूरत नहीं रहेगी, evasion की कोई शिकायत सरकार के कानों तक नहीं आएगी और इसे घर बैठे बिठाए

[श्री बलरामजी दास टंडन]

मिल जाएगा। सब से बड़ी बात यह है कि जो दो रुपये का ticket होता है उस पर अब एक रुपया और लगेगा; तो तीन रुपये का ticket हो जायगा। जो कुछ सिनमा operators किया करते हैं वह मैं आप के notice में लाना चाहता हूं। Cinema वाले जिन्हें oblige करना चाहते हैं उन्हें free pass देते हैं। लेकिन करते क्या हैं? उन्हें कहते हैं कि साहिब आप की टिकट के पैसे तो नहीं लेते लेकिन टैक्स माफ नहीं कर सकते; आप को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एक रुपया tax का ले लेते हैं। उन्हें ले जाकर high class में बैठा देते हैं। जब शो शुरु हो जाता है तो आठ आने वाली टिकट पर चार आने की Entertainment Duty की टिकट लगा कर अन्धेरे के वक्त उस की जेब में डाल देते हैं ताकि अगर कोई ticket check करने वाला आए तो उसे वह टिकट दिखा दी जाए। इस तरह Entertainment Duty का जो एक रुपया लिया होता है उस से भी चार आने गवर्नमेंट के खजाने में पहुंचते हैं और 12 आने वह खुद अपनी जेब में डाल लेते हैं। इस तरह से, आप अन्दाजा लगाएं कि किस कदर tax की evasion होती है। 50 प्रतिशत होने के बावजूद Entertainment Duty की realisation जो सरकार को होती है वह बहुत कम है। इस से ज्यादा बड़ा सबूत evasion का और क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि इस तरह की legislation लाकर न सिर्फ सरकार के लिये और भी कई तरह की complications बढ़ेंगी बल्कि Inspectors को और ज्यादा ताकत मिलेगी और इस तरह से corruption ज्यादा होगी। इस लिये मैं earnestly सरकार के सामने अपील करूंगा कि taxes के मौजूदा system को बदल कर जैसा मैं ने सुझाव दिया है cinemas की classification कर दी जाए। उन को A,B,C तीन दर्जों में बांट दिया जाए और एक lump sum उन से वसूल की जाए। इस से collection वगैरा पर सरकार को भी ज्यादा मदद नहीं करनी पड़ेगी और टैक्स की रकम भी बिना किसी प्रकार के evasion के पूरी की पूरी सरकारी खज़ाने में पहुंच जाया करेगी।

5 p.m.

उपाध्यक्षा : अब आप wind up करें। (Please wind up now.)

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्दर आज ऐसी अवस्था बनी हुई है कि जिस के पास ताकत है उस की तरफ कोई आदमी आंख उठा कर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। अमृतसर के अन्दर मुझे देखने का मौका मिलता है और दूसरी जगहों से भी reports मेरे पास आती हैं कि tax लेने के लिये तो क्या Inspectors और बड़े बड़े Excise and Taxation Department के दूसरे officers उन cinemas के अन्दर झांकने की जुर्रत तक नहीं कर सकते।

उपाध्यक्षा : आप खुद जाया करें, गवर्नमेंट की मदद करें। (Let the hon. Member himself go there and help the Government.)

श्री बलरामजी दास टंडन : तौबा! मैं ने वहां जाकर डांगों से सिर फटवाना है। कल को Police ही आकर मुझे पकड़ लेगी कि वहां पर झगड़ा करवाने के लिये खामख्वा

interference कर रहा है। जहां पर चोरी हो रही हो उसे पकड़ने के लिये तो जाया जा सकता है लेकिन जहां पर इतने powerful आदमी डाका डाल रहे हों वहां किसी ने अपनी जान खतरे में डालनी है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, वहां पर तो कोई आंख उठा कर देख भी नहीं सकता। मुझे शक है कि इस कानून का नाजायज़ इस्तेमाल होगा, दुरुपयोग होगा। लाइसैंसों की cancellation बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वरना पंजाब के अन्दर cinemas की monopoly create हो जाएगी इस लिये cancellation को खत्म करके सज़ा का provision रखा जाए, security जब्त कर ली जाए, जेल के अन्दर भेजने का provision कर लिया जाए। जब आप उस का लाइसैंस ही खत्म कर देंगे जो जिस ने 15 लाख रुपया लगा कर cinema तैयार किया होगा वह उस बिल्डिंग मात्र को क्या करेगा? उसका सारे का सारा रुपया jam हो जाएगा। वह बेचारा building को जला देगा, अपने आप जला देगा, खुदकुशी कर लेगा। इससे उसके साथ बहुत भारी बेइन्साफी होगी, अन्याय होगा। अगर, डिप्टी स्पीकर साहिब, सरकार इस को in the teeth of opposition पास करवाएगी तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इसके नतीजे के तौर पर सूबा के अन्दर एक नई किस्म की तानाशाही लागू हो जाएगी। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से गुज़ारिश करूँगा कि वह मेरी बातों पर संजीदगी से विचार करें इनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करें ताकि इस किस्म की कोई बात पंजाब के अन्दर न होने पावे। ऐसी बात करें जिससे evasion भी रुक जाए और tax की collection भी गवर्नमैंट को पूरे तौर पर हो जाए। मेरी तजवीज़ों से ये दोनों बातें बिना कोई खर्च किए पूरी हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूँ।

पंडित भागीरथ लाल (पठानकोट) : माननीया डिप्टी कमिश्नर साहिबा.......

(*Loud Laughter*)

उपाध्यक्षा : कोई बात नहीं, पंडित भागीरथ लाल जी आप बैठिए। मैं आप को बताती हूँ कि सन् 1950 में जब मैं Chair पर बैठी हुई थी तो एक आनरेबल मैम्बर ने point of order उठाया था और उस से यह मुश्किल काफी हल हो गई थी। उस वक्त मुझे कोई Sir कहकर address करता था, कोई Madam कह कर और कोई किसी ढंग से। उस वक्त मैंने कहा था कि बजाए इतनी लम्बी बातों में पड़ने के आप मुझे "श्रीमती जी" कह कर address कर लिया करें। बात यह है कि Chair पर कभी स्पीकर साहिब बैठते हैं, कभी मैं और कभी panel of Chairmen के मैम्बर। इसलिये मैं समझती हूँ कि जब कोई बहन यहां बैठी हो तो "अध्यक्षा" कह दिया करें और जब कोई भाई बैठा हो तो "अध्यक्ष" कह कर सम्बोधित कर लिया करें। इससे मूंह में से कोई ग़लत बात भी नहीं निकलेगी। (Addressing Pandit Bhagirath Lal) The hon. Member, may please take his seat. When I was a presiding officer in 1950, an hon. Member raised a point of order about this matter. It helped to a great extent to solve this problem. At that time some Memebrs addressed me as 'Sir' and some as 'Madam' and so on. At that time I had told the hon. Members that it could be better if they addressed me while in the Chair 'Shrimati Jee'. Question is that some time chair is occupied by the Spea-

[उपाध्यक्षा]

ker, sometimes by myself and sometimes by a member of the Panel of Chairmen. Therefore, I think it 's advisable that when the chair is occupied by a Lady Member they should address her as 'Adhyaksha' and when it is occupied by a Member, they should address him as 'Adhyakash'. In this way such a slip of tongue will not occur.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

पंडित भागीरथ लाल : उपाध्यक्षा महोदया, इस समय सदन के अन्दर cinema के सम्बन्ध में, टैक्स न देने के परिणामस्वरूप, कुछ परिवर्तन की चर्चा चल रही है। इस बहस के दौरान कई सुझाव बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। मैं भी आप के द्वारा गवर्नमैंट से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पंजाब के अन्दर केवल Inspectors की ही हकूमत कायम न करो। क्यों? जिधर हम देखते हैं उधर हमें Inspectors ही Inspectors नजर आते हैं। Pure food पर Inspector लगा हुआ है, Sales Tax का अलग Inspector लगा हुआ है। माप और तौल का Inspector अलहदा है। उपाध्यक्षा महोदया, अभी lobbies में बैठे हम लोग इसी सम्बन्ध में बातें कर रहे थे कि जो दीवाली पीछे गुजरी उस दीवाली के दिन Sales Tax के एक Inspector को मिठाई के 300 तोफे आए। दीवाली के मौके पर यह हालत थी, इसके अलावा दूसरे त्यौहार अलग हैं। इसी तरह से इन्स्पैक्टर इस सिलसिले में भी दखल देते होंगे और देंगे। अगर आप कभी इस चीज़ का जायजा लगाएं तो, मैं पठानकोट और गुरदासपुर की बाबत कह सकता हूँ, कि हज़ार रुपया महीना होगी। उन के फी दुकान हर महीने पैसे बन्धे होते हैं। किसी दुकान की जाकर Inspector checking नहीं करता। इस तरह से ये Inspector दो चार ग़रीब लोगों को पकड़कर अपनी महीने की कारगुज़ारी बता देते हैं। मैं मानता हूँ कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, गवर्नमैंट का मनशा बहुत अच्छा है कि टैक्स की चोरी को ज्यादा से ज्यादा पकड़कर हम उस पैसे को देश भलाई के कामों पर लगाएं। लेकिन जब Inspectors को इतने वसीह अधिकार दिए जाते हैं तो यह मनशा ठीक ढँग से पूरा नहीं होने वाला। सब जगह taxes की चोरी होती है। अगर कोई enquiry की जाए तो मैं अपने ज़िले की बाबत बता सकता हूँ। उनके बिल check करें और देखें कि उनका बिजली का खर्च क्या है। Inspectors के बारे में जो श्री बलरामजी दास टंडन ने सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा सुझाव है। उनको लाज़मी लगा दिया जाए; 500 या 5,000 जैसी भी किसी की capacity है, पिछली आमदन देख ली जाए। गवर्नमैंट को इस बात पर अड़ा नहीं रहना चाहिये कि Opposition की अच्छी बात भी नहीं माननी। अगर Opposition वाले कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो मानना चाहिये। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर इस तरह से Inspectors को बढ़ाते चले जाएंगे तो गवर्नमैंट की हकूमत नहीं, Inspectors की हकूमत हो जाएगी। जो दलील टंडन जी ने दी है वह सचमुच ठीक दलील है।

उपाध्यक्षा : कहीं टंडन जी आपको उधर न ले जाएं। (I am afraid lest Shri Balramji Dass Tandon should bring the hon. Member to his side.)

पंडित भागीरथ लाल : मैं ही उन्हें इधर ले आऊंगा । जो दलील उन्हों ने दी है वह ठीक है । अगर किसी को तीन रुपए का pass देते हैं, एक रुपया सरकार tax का ले लेती है । ठीक इसी ढंग से ऐसा होता है । गवर्नमैंट का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है । क्योंकि tax लगाया जा रहा है इसीलिये फजूल department बनाया जा रहा है । इसके मुतअल्लिक कुछ और गौर से सोचें कि हम ने करना क्या है, हम टैक्सों की चोरी किस ढंग से हटा सकते हैं । मैं तो कहता हूँ कि इस Inspectors राज से बचें, नहीं तो बड़ी बुरी हालत होगी । आपका धन्यवाद ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ (ਨਾਗੋਕੇ, S.C.) : ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ reaction ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ reaction ਹੋਏਗਾ। Some thing is better than nothing. ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ taxation ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ capitalist ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲਾ 3 ਦਫਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਨ ਦਫਾ compound ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ licence cancel ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ licence cancel ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਦਾ licence cancel ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ judicial inquiry ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਧਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨਮੇ ਹਨ। (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ amendment ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ judicial inquiry court ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ corruption ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ licence ਜ਼ਰੂਰ cancel ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਯਾ political influence ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕੋਰਟ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ under ਨਾ ਹੋਵੇ। (ਹਾਸਾ) ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਵੇ— Judiciary executive ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਿਨਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਏ ਜੇ ਇਨਸ-ਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਿਧਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰਤ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ right ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਠੋਕੋ ਤੇ judicial ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : श्रीमती डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैम्बर साहबान को कुछ ग़लतफहमी हुई है । मेरा काम है कि मैम्बर साहिबान की वह ग़लतफहमी दूर करूँ ।

[गृह मंत्री]

जो ग़लतफहमी मुझे मालूम होती है वह यह है कि इस bill के ज़रिये किसी Inspector को कोई अख्तयार दिया जा रहा है। आपने फैसला तो किया था कि हिन्दी और गुरमुखी में अगर बिलों का तरजुमा चला जाए तो अच्छा है और मैम्बर साहिबान के लिये सहूलत हो जाए। Bill इस तरह जाता है, इस लिए मैम्बर साहिबान के सामने सारी बात नहीं आती। इस में जो दरअसल amendment या तरमीम की जा रही है वह clause 2 के मुताबक है यानी Section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1962 में amendment की जा रही है। अब खतरा जाहर किया जा रहा है कि किसी की cinema का licence वैसे ही cancel कर दिया जाएगा। मैं Section 8 of the original Act मैम्बर साहिबान की वाकफीयत के लिए पढ़ देता हूँ। उस में सिरफ यह है :—

"Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government or the licensing authority may at any time suspend, cancel or revoke a licence granted under Section 5 on one or more of the following reansons"—

Licensing Authority की तारीफ दफा 4 में इस तरह है :—

"The authority having power to grant licences under this Act shall be the District Magistrate'

Licence को suspend, cancel या revoke करने का अख्तयार District Magistrate को है या State Government को है। इसमें Inspector किसी तरह से picture में नहीं आता। इस वास्ते मुझे बहुत हैरानगी हुई। श्री राम प्रताप गर्ग पढ़े लिखे member हैं। उम्मीद है उन्होंने Act पढ़ा होगा। किसी Inspector को न अख्तियार है और न ही दिया जा रहा है। उनके मुंह से Inspector की बात ग़लती से निकल गई। इस लिए मैम्बर साहिब ने बात उठा ली कि Inspectors को अख्तियार दिए जा रहे हैं। जहां तक इस bill का ताल्लुक है इस में सिर्फ cinema का licence cancel करने का सवाल है। वह किस वक्त cancel होगा ? इस में यह अख्तियार मांगा गया है कि जब किसी cinema वाले को Court से तीन दफा सज़ा मिल चुकी हो, जो कि एक जुर्म है जिसके मातहत पहले उस पर मुकद्दमा चलना है, सज़ा होनी है, उस का हवाला Clause (e) में दिया गया है, वह इस तरह है :—

"The licensee has been convicted for not less than three times of an offence, punishable under clause (a) of sub-section (I) of section 15 of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955
or has compounded such offence for not less than three times under section 16 of that Act ;"

जहां पर entertainments duty tax के सिलसिले में compound करेगा फिर उसका चलान हो और उस चलान की बिना पर अगर उसे तीन दफा सज़ा हो जाए तो उस सूरत में cinema के licence को grant करने वाली authority को ही अख्तियार दिया जा रहा है कि वह ऐसे licence को cancel कर दे।

मैं मैम्बरान की वाकफियत के लिए यह बताना चाहता हूँ और यह मुनासिब भी समझता हूँ कि cinema के licence को grant करने के अख्तियार Home Department के Home Secretary के पास हैं और District Magistrate की Jurisdiction में आते हैं। Entertainment tax का कानून मुखतलिफ है और वह सम्बन्ध रखता है Excise and Taxation Department से और Excise and Taxation Commissioner से। इस लिये यह बिल Home Department की तरफ से मैं ने पेश किया है Excise Minister साहिब ने पेश नहीं किया।

श्री बलरामजी दास टंडन ने एक तजवीज़ हाउस के सामने रखी है मुझे वह तजवीज़ ज़ाहरन पसंद आई है, और मैं ने उसी वक्त अपने Cabinet colleagues को जो कि Excise Duty Act के Incharge हैं कहा है कि वह इस तजवीज़ को examine कराएं। जब वह इस तजवीज़ को examine करेंगे तो मुशक्लात पैदा होंगी। Excise Duty वह आदमी देता है जो टिकट खरीदता है अर्थात् cinema goer देता है। यह Picture हाउस के मालक पर नहीं पड़ता। तो क्या ऐसा हो सकेगा कि टिकटों की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दे दी जाए अगर वह पहले एक रुपया लेता था अब सवा रुपया वसूल करे। इस बात को भी examine करना होगा अगर examin करने के बाद इसे practical शक्ल दी जाए और इससे चलान, Inspector की ओर से बच सकता हो तो इस माकूल तजवीज़ पर ग़ौर हो सकता है। मैं ने प्रार्थना की है कि टंडन साहिब की तजवीज़ माकूल है और इसके मुताबिक हमें ऐसे basis बनाने होंगे कि जिस से टैक्स वसूल हो सके। वह basis बने और जो हमने show tax की classification कर रखी है इसको भी सामने रखा जाए। हम show tax को A,B,C. की classification के अनुसार लेते हैं, 4 रुपया, 3 रुपया वग़ैरा show tax में इस किस्म की classification है। इसी तरह अगर Entertainment Duty में कोई दिक्कत पैदा न हो तो टंडन जी की यह तजवीज़ सोची जा सकती है कि categorisation की जाए।

फिर मेरे एक कम्यूनिस्ट दोस्त ने एक बात कही और कह कर बाहिर चले गए। मुझे हैरानी हुई उनकी बात सुन कर कि वह एक तरफ तो इस बात को तसलीम करते हैं कि entertainment duty tax की evasion होती है और फिर यह फरमाते हैं कि यह Anti-National बात है। कोई भी A,B,C या D सिनमे में जाने वाले को अगर licensee मुफत ले जाए या वह खुद ही ऐसा करे तो यह जो बात है यह Anti-National बात है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह तो Nation के interest में है कि जो tax evasion करते हों उन्हें रोका जाए फिर यहां पर वह प्रबन्ध कर दिया गया है कि जो कोई tax evasion करता हुआ तीन दफा अदालत से सज़ा पा चुका हो ऐसे आदमी के लिये किसी के पास भी soft corner नहीं हो सकता। अगर कोई licensee जुर्म करता है या इसका मौजब बनता है तो उसे सज़ा न हो यह कैसे हो सकता है। Entertainment Duty Act, के नीचे जुर्म करे तो उस हालत में Home Department के नाते मेरा यह फर्ज़ बन जाता है कि action लिया जाए। यदि कोई ऐसा काम करता हुआ पकड़ा

[गृह मंत्री]

जाए, duty evade करता हुआ और जनता का रुपया लोगों का रुपया हज़म करता हुआ, कौम का रुपया हज़म करता हुआ पकड़ा जाए तो वहां पर District Magistrate या State Government को इख्तियार हो कि licence को cancel कर दें। यह वह authority है जो cinema को licence अता करती है और उसकी Jurisdiction में है कि वह licence cancel कर सकती है, फिर यह कहा गया कि licensee का दो, चार या सात लाख रुपया जो उसने लगाया हुआ है वह आर्ज़ी तौर पर बेकार हो जाएगा। इस बात में कोई वज़न मालूम नहीं देता क्योंकि जो बेइमानी, चोरी, डाका या इस तरह का कोई और काम करे तो उसके साथ हमदर्दी नहीं की जा सकती। जो दो चार लाख का ज़िक्र किया गया है मैं समझता हूँ कि अगर यह cancelling provision रहे तो जब वह देखेगा कि अगर वह tax की evasion करेगा तो इसके तहत उसका licence भी cancel हो सकेगा तो उसको होश आ जाएगा, पता चल जाएगा कि अगर मैं जुर्म करता हुआ पकड़ा गया तो licence cancel हो जाएगा। इस clause का detering असर होगा, इस लिये मैं opposition को और खास कर अपने communist दोस्त से कहूँगा कि वह शायद इस clause को समझ नहीं पाए।

टंडन जी ने एक सही बात पूछी थी कि इसको कब से लागू किया जाएगा। हमने इस की अहमियत को सामने रख कर 11 जनवरी, 1963 को Ordinance जारी किया था उसी date से इसको लागू किया जाएगा। इस से पहले अगर कोई conviction हो तो उस पर यह लागू नहीं होगा, इस को retrospective effect नहीं दिया है, न दिया जा सकता था। Ordinance लागू करने का मतलब यही था कि उसी दिन से इसे लागू किया जाए, और इस को लागू कर दिया गया। इस से पहले जिस ने सज़ा पाई हो वह इसकी ज़द में नहीं आता। यही मकसद था इस Ordinance का।

जहां तक इसके provisions के दुरुपयोग का सवाल है यह शायद mis-understanding के कारण उठाया गया था। मेरी अर्ज़ यह है कि यह बिलकुल नहीं हो सकती क्योंकि इसका आधार है Court की convictions पर वहां से सज़ा हो या compoundable offence समझा जाए तो penalty लगेगी किसी को जा कर पकड़ने का सवाल नहीं। सवाल conviction का है इस लिए इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। Licensing authority के misuse करने का सवाल नहीं और ऐसा अंदेशा मैम्बर साहिबान को नहीं करना चाहिये।

श्रीमती डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आशा रखता हूँ कि जितने point Member साहिबान ने उठाए थे और उनकी जो ग़लत फहमी थी मैं ने उनको दूर करने की कोशिश की है और अपना point समझाया है इस लिये मैं आशा रखूंगा कि इस बिल को उसी शक्ल में जिस में कि यह Council से आया है मुतफिका तौर पर मनज़ूरी देंगे।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Cinemas (Regulation) Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

श्री राम प्रताप गर्ग (पटियाला) : होम मनिस्टर साहिब ने Punjab Cinemas Regulation Act, 1952 की clause 8 को पढ़ कर सुनाया है यह ठीक है कि Licensing Authority D. C. है लेकिन उस में है 'he may'. 'May' के लफ्ज़ से साफ है कि वह cancel कर सकता है और जिस तरह District level पर काम होता है वह सब को पता है। इस लिए मैं ने ज़िक्र किया था कि अब पंजाब के अन्दर क्या हो रहा है। Recoveries हो रही हैं और D.C. के चपड़ासी वारंट लिए फिरते हैं, Sales Tax की recovery के लिए power तो E.T.O. के पास हैं लेकिन उसके दफतर के clerk वारंट लिए फिर रहे हैं। इसी तरह Inspector भी D.C. का नुमाइन्दा समझा जाता है इस लिए या तो इसको mandatory बना दिया जाए कि जो तीन दफा सज़ा पा चुके उस का licence ज़रूर cancel कर दिया जाएगा या फिर इस को Court के फैसले पर छोड़ दो। दूसरी जो मेरी अर्ज़ है वह यह है कि मैंने एक amendment दी है वह यह है—

In sub-clause (2), *delete* proposed clauses (f) and (g).

कलाज़ (f) इस प्रकार से है।

"(f) a penalty under section 14A of the Act referred to in clause (d) has been imposed for not less than three times on the licensee ; or"

और अगर अब हम इस clause को पढ़ें ' penalty under section 14 of the Act'. मगर अगर Act, 1955 जो पास हुआ अगर उस को देखा जाये तो उस की Section (e) के अन्दर ऐसी किसी penalty का ज़िक्र नहीं है। Inspection की गर्ज़ से Inspector किसी जगह भी enter हो सकता है। जब इस clause में कोई difficulty है ही नहीं तो फिर इसे लाने की क्या ज़रूरत है इस लिये मैं ने कहा है कि इस को delete किया जाये।

जहां तक इस की clause (g) का तआल्लुक है जो कि इस तरह है :

"(g) a tax exceeding two hundred rupees has been assessed on the licensee in any one case under sub-clause (ii) of clause (e) of section 2 of the Act, referred to in clause (e)".

मैं समझता हूँ कि यह भी कोई ऐसी efficient clause नहीं है इस लिये मैं ने इस को delete कराने को ही कहा है।

उपाध्यक्षा : देखिए राम प्रताप जी, या तो आप इसे withdraw करें या Minister-in-charge इस को मान जायें तभी कोई बात हो सकती है।

(Addressing the Hon. Member Shri Ram Partap Garg) Either the hon. member should withdraw his amendment or the Minister-in-charge should accept as only then this can prove to be effective.)

गृह मन्त्री : यह ही withdraw कर लेंगे जी ।

Deputy Speaker : Motion moved--

In sub-clause 2, delete proposed clauses (f) and (g)

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : जहां तक clause 2 का ताल्लुक है Home Minister साहिब ने इस के ऊपर मेरी discussion का जवाब देते हुए कुछ कहा है, मेरी तजवीज़ का कुछ जवाब दिया है। आपके द्वारा Deputy Speaker साहिबा मैं चंद बातें Home Minister साहिब की खिदमत में रखना चाहता हूँ। जहां तक entertainment duty का ताल्लुक है, यह उस आदमी पर ही लगती है जो सिनेमा देखने जाता है। जैसा कि आप ने कहा कि इस की modification में एक कानूनी अड़चन है, मगर मैं यह बात clear करनी चाहता हूँ कि क्या कोई कानूनी दिक्कत दूर नहीं की जा सकती। हो सकता है कि इस के अन्दर कोई legal flaws हों मगर क्या यह कमी किसी amendment के ज़रिये दूर नहीं की जा सकती ? अगर हम चाहते हैं कि यह कमी दूर हो और अगर हम चाहते हैं कि Tax की evasion को हम ने रोकना है, तो इस के लिये कोई ना कोई हल तो ढूंढ़ना ही होगा। Inspectors को इतनी powers इस लिये ही दी जाती हैं कि उसने tax की evasion को रोकना है। Corruption को रोकना है। अगर इस रास्ता में कोई legal flaws हैं, इस रास्ता में कोई रुकावटें हैं तो सरकार किसी हालत में इस को surpass नहीं कर सकती। हमें इस का legal examination करना होगा और जिस ढंग से भी इस को ठीक किया जा सकता हो हमें इस को ठीक करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिये, सरकार को इस में amendment लानी चाहिये या इस की जगह सरकार कोइ और हल introduce कर सकती है। हमें हर हालात में corruption को रोकना चाहिये जो collecting authorities हैं उन को चाहिये कि वह सरकार के खज़ाने के अन्दर जो भी पैसा वसूल होना चाहिये वह collect करके दें, हर हालत में टैकस का पैसा पहुँचना ही चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहनी चाहता हूँ वह यह है कि Home Minister साहिब ने यह कहा है कि Inspectors को powers नहीं हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन देता है powers। आज Inspectors के लिये powers demand करना यह Taxes की evasion को set aside करना है। मुझे यह बात डिप्टी स्पीकर साहिबा बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि Executive और Judiciary पंजाब के अंदर अलग नहीं हैं मगर बदकिसमती से पंजाब के अंदर कुछ ऐसे शकूक पैदा कर दिये गये हैं कि आम आदमी का वह confidence win कर ही नहीं सकते। मगर सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर Judiciary और Executive इकट्ठे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर अलग हों तो वहां पर भी सरकार उतनी ही powerful है किसी बात को करने के लिये। दोनों में side-by-side intelligent अदामी हैं। मैं नहीं समझा सका कि आम आदमियों के दिमाग़ से इस ग़लत फहमी को दूर करने के लिए Judiciary को अलग ही क्यों न मान लिया जाये।

I

उपाध्यक्षा : आप अपने विषय से बाहिर न जाइये । (Please be relevant)

श्री बलरामजी दास टंडन : बहुत अच्छा जी । Courts की conviction का क्या मतलब है ? किसी भी case में Magistrate या A.D.M. कानून के खिलाफ इधर उधर नहीं जा सकता, conviction की हालत हो, चाहे set aside करने का सवाल हो । मगर Executive की approaches एक दूसरे से different हैं । आज अगर किसी employee पर Home Secretary खुश नहीं इस का नतीजा यह होता है कि अगर वह अमृतसर में बैठा है तो उस को किसी ऐसी जगह post किया जाता है जहां कोई भी facility न हो, उस को कांगड़ा या हमीरपुर की तहसील में तबदील किया जाता है या उसे महेंद्रगढ़ लगा दिया जाताहै । इस तरह से justice हो नहीं सकती अगर सरकार सच्चे दिल से चाहती है कि सभी को इनसाफ मिले तो उसे मेरी बात को ध्यान में रखना होगा । अगर सरकार यह कहती है कि इनसाफ दोनों हाथों से ही ठीक चलता है, जहां पर Judiciary और Executive इकट्ठे हैं वहां पर भी और जहां पर नहीं हैं वहां पर भी, तो इस तरह की बात के लिये मैं सरकार से कहूँगा कि वह लोगों को इनसाफ नहीं देना चाहते, बल्कि एक बहाना तलाश कर रहे हैं । Minister साहिब कहते हैं कि Pepsu एक पिछड़ी हुई State है, मगर वहां पर भी अंग्रेज़ों के वक्त से Judiciary पर किसी का दखल नहीं था । मगर यह बड़े ही अफसोस की बात है कि Courts के अन्दर जो कुछ होता है वह इस तरक्की पसंद State के अन्दर एक तमाशा से कम नहीं । एक Judicial Officer को इस बात की इजाज़त नहीं कि वह एक चोरी करने वाले को जिस के लिये किसी के भी दिल में हमदर्दी नहीं हो सकती, उस को छुपाये लेकिन यहां आज वह लोग जो सरकार के करोड़ों रुपये के Taxes चोरी करते हैं, उन को बड़ी बड़ी जगह पर इज्जत से लेते हैं उन का आदर सम्मान करते हैं । आम लोग यह समझते हैं कि यहां इनसाफ नहीं होता क्योंकि चोरी करने वाले को तो सज़ा की बजाये सम्मान दिया जाता है वह समझते हैं शायद यहां चोर को चोर ही नहीं समझा जाता । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या Home Minister साहिब इस बात का जवाब देंगे कि चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़के की जो आज जायदाद है आया 7-8 साल पहले थी ? अगर नहीं तो यह आई कहां से ? अगर उन में हिम्मत है तो जवाब दें ।

Home Minister : Quite irrelevant, Sir.

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि उन को अपनी बात जाननी चाहिये ।

Deputy Speaker : Don't be personal, please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ (ਹਾਸਾ)

श्री बलरामजीदास टंडन : मैं यह बात clear कर रहा था कि चोरी करने वाले के लिये किसी भी आदमी के दिल के अंदर हमदर्दी नहीं होनी चाहिये । एक बार नहीं कई बार

[श्री बलरामजी दास टंडन]

इस House के अंदर बताया जा चुका है कि Chief Minister का लड़का, बिजली की चोरी करता है, octroi की चोरी करता है, रेत की चोरी करता है, बजरी की चोरी करता है......

उपाध्यक्षा : आप चीफ मिनिस्टर साहिब और उन के लड़के का क्यों बार बार ज़िक्र करते हैं, मैं ऐसी हालत में आपको और ज्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकती।

(Why does the hon. Member bring in the Chief Minister and his son again and again? If he persists than I can not allow him to speak any further.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं आप से केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार वाकई चोरी बंद करना चाहती है तो इन को छोटे और बड़े को यकसां समझ कर चोरी को बंद करना चाहिये और जो व्यक्ति जिस किस्म की चोरी करता है उस के लिये सख्ती से काम करना चाहिये। मैं कहता हूँ कि अगर बड़े आदमियों के चार cases भी पकड़ कर आप पंजाब की जनता के सामने रखेंगे तो लोगों के दिलों में विश्वास हो जाएगा कि आप इन्साफ करते हैं और वह बड़े आदमी जो जुर्म करते हैं उन के साथ भी हमदर्दी नहीं करेंगे। Government यह कानून पास कर रही है कि Cinema का licence cancel किया जाएगा और licence cancel करने की authority उसी को होगी जो licence दे सकता है। वह authority Deputy Commissioner है, Home Secretary है या Home Department है। Licence देते वक्त सब से बड़ी बात यह देखी जाती है कि कोई cinema हस्पताल के नज़दीक तो नहीं। कुछ फासला Government ने रखा हुआ है कि अगर उस distance के अंदर अंदर कोई cinema हो तो उसे licence नहीं दिया जा सकता। (interruption) लेकिन होता क्या है ? डिप्टी स्पीकर साहिबा जब licence देना होता है चाहे नीचे का officer कितनी ही सही बात लिखे अगर वह cinema वाला बड़ा आदमी है तो वह सब बातें ignore कर दी जाती हैं और ऊपर से ही सब कुछ हो जाता है और Deputy Commissioner घर जा कर उस बड़े आदमी को licence दे कर आता हैं। मुझे Amritsar के एक case का पता है, उस को छः महीने तक licence नहीं मिला था।

Deputy Speaker : The hon. member should avoid personal matters. He may give some suggestions.

श्री बलरामजी दास टंडन : Deputy Speaker साहिबा, इस तरह की बातें बहुत सी होती हैं ; licence देते वक्त भी उन का ख़्याल नहीं रखा जाता। जो power Deputy Commissioner और Home Secretary को दी गई है उस का misuse होगा। जहां पर इन की मर्ज़ी होगी 'May' in favour use किया जाएगा। जहां पर चाहेंगे against use करेगी। सरकार को अपने impartiality दिखाने के लिए इन बातों से दूर रहना चाहिये जिस से कि किसी के मन में शक पैदा हो। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहिब इन सब बातों को ध्यान में रखे और जो रोज़ की बेइन्साफियों को देख कर लोगों के मनों में fears पैदा हो चुके हैं उन को दूर करने की कोशिश करें।

गृह मन्त्री : Deputy Speaker साहिबा, इस clause पर discussion सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात है जिस का मैं जवाब दिया चाहता हूं और वह है जो amendment श्री राम प्रताप गर्ग जी ने clauses (f) और (g) को delete करने के लिये दी है। Clause G के मुताल्लक उन्होंने फरमाया है। दरअसल इस clause के जो rules हैं मैं ऐसा ख्याल करता हूं कि वह मेम्बर साहिब के ध्यान में नहीं आए। Rules के ज़रिए वह assessing authority assessment करती है और जहां तक 14 (a) का ताल्लुक है इस की amendment भी इस House ने Punjab Entertainment Duty Act, 1955 में कर दी है। इस लिये यह दोनों clauses जो इस वक्त रखी गई हैं (f) और (g) यह ज़रूरी मालूम होती हैं। मैं आशा रखता हूं कि मेम्बर साहिब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी amendments को withdraw कर लेंगे। इस लिये यह clause जिस तरह से है इसी शक्ल में House को पास करने के लिये request करूंगा।

Shri Ram Partap Garg : I withdraw my amendment.

Deputy Speaker : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker : Question is —

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Pandit Mohan Lal) : *Madam, I beg to move—

That the Punjab Cinemas (Regulation) Amendment Bill as passed by the Punjab Legislative Council be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Cinemas (Regulation) Amendment Bill as passed by the Punjab Legislative Council be passed.

---

*Moved in Hindi.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰਖਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Entertainment Duty ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ cinema ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਣੇ ਤਾਂ tax ਉਸ ਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ cinema ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ cinema ਵਾਲੇ ਨੂੰ tax ਦੇ evasion ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ 'A' ਜਾਂਦਾ ਹੈ cinema ਵੇਖਣ, ਉਸ ਨੇ Entertainment Duty ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ tax ਦੀ evasion ਕਰੇ ਔਰ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ property ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ Home Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਐਸਾ notice ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ Districts ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ official cinema free ਨਾ ਵੇਖੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ free ਸਿਨਮਾ ਵੇਖਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ tax ਦੀ evasion ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਉਹ official ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ cinema proprietors ਤੇ pressure ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ officials ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ cinema ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਫੀਸ਼ਲ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਨਮਾ ਮੁਫਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਨਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਛਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਆਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਥੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਛਡੇ ਉਥੇ 8 ਆਨਿਆਂ ਪਿਛੇ ਕੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਹਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ with good grace ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਛਡ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ 8 ਆਨੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ (ਹਾਸਾ) ਜੋ ਟੈਕਸ evasion ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ proportionate ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ oppression ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ oppression ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੀ fact ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਕ victim ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 11 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ with one stroke of pen ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 100 ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਡੀ. ਸੀ. ਹੋਣਗੇ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸ-ਪੋਰਟਰਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਦਰਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇ ਖਾਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਰਜੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਤਕ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਮੁਢ cancel ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹੋ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ allegations ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਇਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਸਟਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਿਨਮੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਦਾਉ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਮਹਿਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ penalise ਨਹੀਂ

ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ property ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ? ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ............

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ objective view ਲਉ। ਇਹ ਜੋ provision ਤੁਸੀਂ cancellation ਦਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ sentimental ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ law ਦਾ trend ਕੀ ਹੈ ਤੇ Penal Code ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਆਦਮੀ 420 ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਉ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ enhanced sentence ਦੇ ਦਿਉ। Penal Code ਵਿੱਚ ਇਹ provision ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ offence ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ enhanced punishment ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਉ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਉ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਇਹ cancel ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ proportion ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਫਤ ਖੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਉਹ 3 ਦਫਾ guilty ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ property ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ unprecedented ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ guilty ਤਾਂ ਖੁਦ ਡੀ. ਸੀ. ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ licence ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿਉ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਉ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ lightly treat ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ implications ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ evasion ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ proportion ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ provision ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਇਸ ਸਿਨਮੇ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੇਸ਼ਕ ਵਧ ਹੋ ਜਾਵੇ।

चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरमीमी बिल के aims and objects पढ़ने से ज़ाहर होता है कि यह सरकार entertainment tax की चोरी रोकना चाहते हैं। ठीक है चोरी रोकनी चाहिए लेकिन यह जो इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है उस से यह खदशा है और सही मायनों में खदशा है कि जो approach न रखने वाले proprietors होंगे उन के कहीं licences cancel न हो जाएं। जो approach वाले हैं उन के Cinemas आखिर कौन check करने की हिम्मत रखेगा ? मैं ऐसे Cinemas के बारे में आपको मिसालें पेश कर सकता हूं और साबत कर सकता हूं कि उन को पूछने वाला कोई नहीं है। अमृतसर का कोई Parkash Theatre—उस की दो टिकटें मेरे पास हैं जिन को मैं यहां हाउस की Table पर रखता हूं। इन पर entertainment duty 75 नए पैसे लिखी हुई है लेकिन actually 12 नए पैसे के टिकट लगाए गए हैं। मैं ने cinemas के बारे में एक सवाल किया था जिस का जवाब देते हुए वज़ीर साहिब ने cinema वालों के नाम बताए थे जो इस तरह हैं। मैं इन को पढ़ देता हूं। Capital Cinema, Patiala इस के मालिक हैं M/s M.S. Movies Exhibitors, Patiala, Nilam Cinema, Chandigarh और मालिक हैं Sarvshri Surinder Singh Kairon, Gurdip Singh Kairon and Shrimati Gurdial Kaur। एक Allied Cinema है हिसार में उस के मालिक हैं Shri Gurdip Singh c/o Nandesh Exhibitors, Hissar. फिर एक Parkash Theatre, Amritsar है जिसके मालिक हैं Shri Harbans Singh and Shrimati Kusum Kumari, इसी तरह एक Nandan Cinema, Amritsar है जिस के मालिक हैं Shri Gurrinder Singh ......

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब आप इतने पुराने Parliamentarian हो कर ऐसी बातें न करें। यह कोई Question Hour थोड़ा है कि सवाल और जवाब यहां इस वक्त पढ़े जाएं। आप अमृतसर की बात बता रहे हैं। हो सकता है आपको इसमें misguide किया गया हो इस लिये आप हिसार की बात करें और वह आपके personal knowledge की होगी। (Addressing Chaudhri Devi Lal) The hon. Member is an old Parliamentarian and he should not talk such things. This is not a Question Hour in which questions are asked and answers given. The Hon. Member should talk of Hissar only about which he can have personal knowledge and he should not talk of Amritsar about which he might have been misguided.)

चौधरी देवी लाल: मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि 28 फरवरी को रात के 10 बजे मेरे पास किसी ने इत्तलाह दी कि नीलम सिनेमा में 150 आदमी बगैर entertainment tax दिये बैठे हैं। मैं ने 10 बज कर 35 मिनट पर 48 नंबर पर D.S.P. श्री बैनीवाल को

telephone किया । उस ने कहा कि ऐसा तो होता ही है, E.T.O. के कहने पर छापा मारेंगे फिर मैं ने 10 बज कर 39 मिनट पर 39 नम्बर पर Estate Officer श्री परमार को telephone किया। उसने कहा कि मुझे तो अख्तियार नहीं, मेरी transfer हो गई है, मेरी जगह दूसरा आदमी आएगा; E.T.O. या D.C. अम्बाला को telephone करें । फिर मैं ने 62 नम्बर पर I.G. को 10 बज कर 42 मिनट पर telephone किया । उस के बाद मैं ने Labour and Taxation Minister को disturb किया। फिर मैं ने 10 बज कर 48 मिनट पर 53 नम्बर पर Home Minister को telephone किया । उस पर Home Minister साहिब के हां से इत्तलाह मिली कि श्री मुरारजी देसाई जालन्धर आ रहे हैं वह जालन्धर गए हुए हैं। उस के बाद मैं ने 59 नम्बर पर Chief Minister को telephone किया, वहां से इत्तलाह मिली कि वह अमृतसर गए हुए हैं चूंकि 3 March को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अमृतसर आना था।

उपाध्यक्षा : आपने किसी को सोने नहीं दिया । (The hon. Member disturbed all of them.)

चौधरी देवी लाल : ऐसा करना पड़ा। बावजूद इस चीज के 150 आदमी बगैर entertainment tax दिये बैठे थे । मैं ने Chief Minister, Home Minister और Labour and Taxation Minister को ही telephones नहीं किये बल्कि गवर्नर साहिब के Military Secretary, Mr. सौंधी को भी telephone किया । Secretary साहिब ने मुझे मज़ाक में जवाब दिया चौधरी साहब क्या करें, आप जानते ही हैं । फिर मैं ने किरन सिनेमा में telephone किया। मैं ने पूछा कि यहां आप के E.T.O. साहिब आएं हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वह चले गए, सवेरे 9 बजे आएंगे, message बता दें। उस के बाद मैं ने नीलम सिनेमा में telephone किया । फिर मैं ने एक और सिनेमा में telephone किया पता नहीं उस का क्या नाम है ।

एक माननीय सदस्य : जगत सिनेमा ।

चौधरी देवी लाल : खैर, जब यह पता लगा कि कोई शुनवाई नहीं करता तो मैं ने फिर दोबारा नीलम सिनेमा को telephone किया। वहां कोई सरदार गुरदीप सिंह बोले। मैं ने कहा कि मैं देवी लाल बोल रहा हूं। उन दिनों मेरे नाम के साथ Opposition के Leader की पूंछ लगी हुई थी ।

एक माननीय सदस्य : अब तो नहीं है।

चौधरी देवी लाल : लग जाएगी। Deputy Speaker साहिबा, मैं अर्ज़ कर रहा हूं मेरे पास यह इत्तलाह मिली। मैं ने सब जगह कोशिश कर ली, छापा मारने के लिये कोई नहीं मिला। वे बड़े फ़ख्र से कहें कि हां हमारे पास आदमी बैठे हैं। अजीब ढंग है । यह amending Bill ला रहे हैं कि जो तीन दफा इस कानून की खिलाफ वर्ज़ी

[चौधरी देवी लाल]

करे उस का Licence ज़बत किया जाए। पता नहीं कितने सिनेमा हैं; यह सारे के सारे सिनेमा के Licences ज़बत करेंगे। मैं इस Bill की मुखालिफत करता हूं। ऐसा Bill pass नहीं होना चाहिए। इतनी सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए। Licence cancel न हो; जुर्माना हो जाए वह बरदाश्त कर सकते हैं। मैं ने यह टिक्टें रखी हैं; मैं यह House में पेश करता हूं। मुझे अंदेशा दिखाई देता है, Bill के aims and objects ऐसे हैं, बातें ऐसी दिखाई देती हैं कि बड़े बड़े सिनेमा के Licences नहीं रहेंगे और यह सब के Proprietors बन जाएंगे।

उपाध्यक्षा : आपने सारी राजधानी हिला दी लेकिन आप वहीं बैठे रहे। (The Hon. Member tried to contact almost every concerned high up, but he himself remained sitting there.)

चौधरी देवी लाल : वहां गुंडे रखे हुए हैं।

ਇਕ ਮਾਨ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਉਹ ਪਸਤੌਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।

उपाध्यक्षा : आपने बहादुरी नहीं की। (The Hon. Member did not show enough courage.)

चौधरी देवी लाल : आयंदा करूंगा।

(At this stage the Deputy Speaker called upon the Home Minister to Speak)

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : Deputy Speaker साहिबा....

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਕ point ਦੀ clarification ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : मैं आप की बात सुनती हूं; कभी आप मेरी भी सुन लिया करें। (I always listen to the Hon. Members. He should also pay heed to my words.)

कामरेड राम प्यारा : पंडित जी मुझे खड़ा देख कर बैठ गये थे। पंडित जी से पूछिए।

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, I have already started.

(At this stage Comrade Ram Piara persisted to speak.)

Deputy Speaker ; I would request the Hon. Member to take his seat.

कामरेड राम प्यारा : जब मेम्बर खड़ा हो तो उसे बोलने का हक है।

Deputy Speaker : No please. Take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : On a point of order ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ House ਸਾਢੇ ਛੇ ਬਜੇ ਜਾਂ ਸਤ ਬਜੇ ਤਕ meet ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ time ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। Home Minister ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

गृह मन्त्री : Deputy Speaker साहिबा ने मुझे Call कर लिया था। (I was called by the Deputy Speaker).

उपाध्यक्षा : House साढ़े छः बजे तक है, इस में कोई शक नहीं। अगर जरूरत हो तो 10 बजे तक भी बैठ सकते हैं। मैं ने कामरेड राम प्यारा को नहीं देखा। यह मेरा ruling है। I called upon Pandit Mohan Lal. (There is no doubt the sitting of the House is up to 6-30 P.M. It can be extended up to 10 P. M., if necessary. Comrade Ram Piara did not catch my eye. This is my ruling. I called upon the Home Minister, Pandit Mohan Lal.)

कामरेड राम प्यारा : मैं सिर्फ 5 मिनट ही लूंगा।

Deputy Speaker : Please resume your seat. I will never allow you.

कामरेड राम प्यारा : यह Bill बड़ा जरूरी है।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ Deputy Speaker ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ Call ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ, therefore I did start.

कामरेड राम प्यारा : सिर्फ पंडित जी यह कह दें कि वह मुझे खड़ा देख कर बैठे हैं या नहीं।

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, Justice गुरनाम सिंह जी ने..... (विघ्न)

(Comrade Ram Piara again persisted to speak).

Deputy Speaker : I have already called upon Shri Mohan Lal

कामरेड राम प्यारा : वह कह दें कि वह मुझे खड़ा देख कर बैठे नहीं।

गृह मन्त्री : श्रीमती डिप्टी स्पीकर साहिबा, Justice गुरनाम सिंह जी ने दो तीन बातें कही थीं....

श्री जगन्नाथ : On a point of Order. डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो श्रीमती का word है इस में कुछ amendment होनी चाहिए।

Deputy Speaker : This is no point of order.

गृह मन्त्री : Justice गुरनाम सिंह जी ने फरमाया था कि जो Tax की evasion होती है उस में Licensee का क्या कसूर है। इन्होंने मिसाल के तौर पर यह भी कहा कि जब कोई official वहां Free चला जाता है तो वह Tax नहीं देता, अगर Licensee डर के मारे उस से Tax नहीं मांगता तो उस का क्या कसूर है। वैसे उनकी इत्तलाह के लिये मैं अर्ज करूं कि यहां तक मेरी याददाश्त काम करती है गवर्नमैंट ने पहले चंद दिनों से खास तौर पर instructions जारी कर रखी हैं कि कोई official बगैर टिकट लिये और बगैर Entertainment tax दिए न जाए।

6.00 p.m.

जो कोई Government official ऐसा करता है और Government instructions की मुखालिफत करता है वह मुजरिम है।

[गृह मंत्री]

मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जब भी किसी offence के मुतालिक पता चले और वह सरकार के notice में लाया जाए तो हम enquiry करेंगे और जो भी सज़ा का मस्तूजब होगा उसे सज़ा दी जाएगी लेकिन इस तरह कह देने से licensee अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता ।

जो टंडन साहिब ने अपनी Speech में ज़िक्र किया कि छोटी टिकट लेकर box में या higher class में बिठाने के cases होते हैं और ऐसी भी सूर्त है जहां कि कोई official थोड़े पैसे देकर higher class में बैठ जाएं licensee ही बिठाता है और कई बार वह ticket ही Issue नहीं करता और बिठा देता है तो इस हालत में सीधी जिम्मेवारी licensee की आती है ऐसी बात भी हो सकती है जहां पर वह किसी officer के नाजायज़ दबाव की वजह से कुछ काम करे और अपनी ज़िम्मेवारी न समझे । लेकिन ऐसा नहीं कि उस की ज़िम्मेवारी होती ही नहीं ।

दूसरी बात उन्होंने यह फरमाई थी जो सज़ा इस में तजवीज़ की गई है वह ज्यादा है कम होनी चाहिए, श्रीमती जी, इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि दो तरह की राएं थीं इस में एक तो यह थी कि जो तीन बार सज़ा पा चुके उसका licence cancel कर दिया जाए इस राए में वज़न भी था, लेकिन हमने middle course adopt किया है । ऐसी तजवीज़ भी आई कि दो दफा सज़ा हो तो Licence cancel कर दिया जाये । और हमारे सामने यह भी तजवीज़ आई कि तीन बार सज़ा पाए या फिर यह कि 8 बार सज़ा पाए तो हम ने मुनासिब समझा एक middle course adopt करने का कि तीन दफा अगर सज़ा पा चुके तो उस के licence के cancellation का provision किया जाए। यह सज़ा मुनासिब है। इस लिये मैं फ़िर हाउस से दरखास्त करूंगा कि इस को पास कर दिया जाए ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Cinemas (Regulation) Amendment Bill as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

After ascertaining the votes of the Members present by voices, the Deputy Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. The bells were sounded. The question was put again and carried by a voice vote.

The motion was declared carried.

6·15 p. m.

(*The Sabha then adjourned till* 9·0 *A. M. on Friday, the 22nd March,* 1963).

20892/PVS— —24-6-63—C., P. & S., Punjab, Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

22nd March, 1963

Vol. I—No. 22

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday the 22nd March, 1963

Price Re : Rs. 4.60 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 22, DATED THE 22ND MARCH, 1963.

Read	*for*	*on page*	*line*
State	St te	(22)2	6
pleased	p eased	(22)3	3
Morinda	Mor nda	(22)9	12
ਰਹੀ	ਰਹ,	(22)12	8
रीम्रम्बरसमेंट	रीग्रम्वरमसेंट	(22)18	8
Shri Mohan Lal	Shri Moahn Lal	(22)29	8
Luggage	Lggaag:	(22)30	12th from below
dining	dinning	(22)31	21
reply	rep y	(22)32	9th from below
Parentage	Perentage	(22)37	Annexure I column head 2
Shri Achhar Singh	Shri Achar Singh	(22)37	Serial No. 2 column 2
class	classe	(22)39	Heading column 4
alias	olias	(22)40	Annexure II at Serial No. 3 column 2
Interruptions	Interuptions	(22)43	4
demand	deamdn	(22)46	7
Comrade Jangir Singh Joga	Comrade Jangir Sinth Joga	(22)46	40
ਸੈਸ	ਸੈਂਸ	(22)46	46
Delete last "ਜੋ"		(22)47	Last
ਜ਼ਿੰਦਗੀ	ਜਿਦਗੀ	(22)48	8
ਚੰਗਿਆਈ	ਚਗਿਆਈ	(22)48	15
ਪਿਛਲੇ	ਪਿਛਲ	(22)48	24
Delete one "ਨਾ"		(22)48	25
ਖਰੀਦ	ਸਜੀਦ	(22)48	27
ਜਿਹੜੇ	ਜਿਹਛੇ	(22)48	28

Read	*for*	*on page*	*line*
ਕਹਿਲਾ	ਕਹਿਲ	(22)48	34
ਇਕ	ਹਿਕ	(22)49	3
ਮਿੰਟ	ਫ਼ਿੰਟ	(22)49	13
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ	ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਸਕੇ	(22)49	21
ਕਿਰਾਇਆ	ਕਿਗਇਆ	(22)49	22
ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼	ਨੈਸਨੇਲਈਜ਼	(22)49	29
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ	ਇਲੁਕਸ਼ਨਾਂ	(22)49	Last but one
ਤਕਲੀਫ	ਤਕਲਾਫ	(22)50	11
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ	ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ	(22)50	19
उपाध्यक्षा	उपध्यक्षा	(22)50	20
अन्दर	अन्द्र	(22)51	13
मेनटेनेंस	मैंनटेंनस	(22)51	14
का मश्यारें	काम श्यार	(22)51	19
हूं	हं	(22)53	18
बारहा	बाराहा	(22)57	9
आदत	आहत	(22)58	11
में	मैं	(22)59	2
प्रोत्साहन	प्रोत्सादन	(22)61	13
अपने	अयने	(22)64	3rd from below
ग्रहण	गृहण	(22)65	10th from below
भी	भो	(22)67	5th from below
बढ़	बड़	(22)68	19
इम्तिहान	इम्तहान	(22)69	7th from below
Delete second 'मे'		(22)71	14
तब	जब	(22)72	17
ही	हो	(22)81	10
ਕੇ	ਦੇ	(22)82	22
ਪੈਂਦਾ	ਪੈਦਾ	(22)84	3

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 22nd March, 1963

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock.

ABSENCE OF THE SPEAKER.

Secretary : I have to inform the House that the hon. Speaker is unavoidably absent. The hon. Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

(*At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 2280

पण्डित मोहन लाल दत्त : क्या कोई मंत्री किसी टीचर को अपनी कलम की नोक से ट्रांस्फर कर के उन्हें दूर दराज़ जगहों में भेज कर उनका गला काट सकता है खासतौर पर उस वक्त जब कि उनके खिलाफ कोई शिकायत न हो ?

मुख्य मंत्री : गला नहीं काटा जा सकता, भेजा जा सकता है ।

पण्डित मोहन लाल दत्त : साल के दौरान क्या किसी टीचर को कोई मंत्री बगैर शिकायत के तबदील कर सकता है ?

मुख्य मंत्री : एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर तबदील किया जा सकता है लेकिन चाहिए या न चाहिए सेपेरेटली देखा जा सकता है ।

उपाध्यक्षा : आपको पंडित जी गला काटने जैसे लफ़ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिएं । (The hon, Member should please avoid the use of words like cutting the throat.)

पण्डित मोहन लाल दत्त : यह एक अहम समस्या बन गई है, इस पर आध घंटे का डिसकशन होना चाहिए तो पता चलेगा कि बड़ी भारी बेइंसाफी हो रही है । मेरे हल्के में दिसम्बर में और जनवरी में दो ट्रांस्फर हुए हैं । जब मैंने चीफ मनिस्टर के नोटिस में यह बात लाई और उन्होंने डिप्टी डाइरैक्टर को जब कहा तो वह लिखता है कि यह कम्पलेंट की बिना पर ट्रांसफर किए गए । जब मैं ने बताया कि उन के खिलाफ कोई कम्पलेंट नहीं है तो डी. पी. आई. ने लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांस्फर हुई । मैं समझता हूं कि उनकी ट्रांस्फर पोलिटिकल ग्राउंड पर हुई है । मेरे पास दो चिट्ठियां हैं जो मैं हाउस के मेज़ पर रखता हूं ।

मुख्य मंत्री : यह ठीक है । आप मेरे नोटिस में लाएंगे तो मैं देखूंगा । यह तो हमारा काम ही है ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मिड टर्म में कोई ट्रांस्फर की जा सकती है ?

मुख्य मंत्री : आर्डीनेरीली मिड टर्म में ट्रांस्फर नहीं करते लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर करना पड़े तो फिर करना ही पड़ता है ।

Note : Starred question No. 2280 and reply thereto appears in the P.V.S. Debates Vol. I N). 20, dated 21st March, 1963.

कामरेड राम प्यारा : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में क्या क्या चीज़ शामिल हैं ?

मुख्य मंत्री : यह एक डिटेल की बात है जो यहां नहीं बताई जा सकती ।

GOVERNMENT SCHOOL FOR BOYS IN DHURI

***2412. Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Chief Minister be pleased to st te whether there is any Government Schcol for Bcys in Dhuri, District Sangrur, if not, the reascns therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : There are three Government Primary Co-educational Schools where boys can read. In addition, there are three Private High/Higher Secondary Schools.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ । ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ । ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਫਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਆਲਰੈਡੀ 3 ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ।

ACCOMMODATION IN THE HOSTEL OF GOVERNMENT COLLEGE, MALERKOTLA

***2413. Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the accommodation available in the Hostel of Government College, Malerkotla is nct adequate, if so, whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a new Hostel ?

Sardar Partap Singh Kairon. (i) Yes.

(ii) Not at present.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ 'ਏ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਅਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਲਈਏ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ ? ਫੰਡਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

PUBLIC CARRIERS TRANSPORT PERMITS IN AMBALA DISTRICT

***1418. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Chief Minister be p eased to state :—

(a) the number of public carriers transport permits issued by the Government tehsilwise in Ambala District during the period from September, 1961 to August, 1962, a ong with the names of owners thereof ;

(b) whether any of the said permits were withdrawn by the Government during the said period ; if so, the names of the owners thereof, tehsilwise and the reasons for such withdrawal in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon :

Ambala Tehsil		153
Jagadhri Tehsil	..	34
Rupar Tehsil	..	18
Kharar Tehsil	..	27

The statement showing the names of the owners is laid on the table of the House.

(b) None.

STATEMENT

TEHSIL AMBALA.

No.	Name		Permit
1	Ram Lubhaya Kapur,son of Ram Chand Kapur, Chandigarh		PNE-7970
2	Sarwan Singh, son of Amar Singh, Ambala Cantt.	..	PNU-1055
3	Shiv Charan, son of Prabh Dayal, Kalka	..	PNE-4951
4	M/s Raja Ram, Shori Lal, Chandigarh	..	PNE-7380
5	Hazara Singh, son of Nand Singh, Kanthala	..	PNU-1045
6	Surinder Nath Gupta, Chandigarh	..	PNE-6449
7	Bhupinder Singh, son of Sujan Singh, Chandigarh	..	PNU-5062
8	Kartar Chand, son of Boota Ram, Chandigarh	..	PNU-5086
9	Mukhtiar Singh, son of Chuhar Singh, Chandigarh	..	PNU-5039
10	Tara Singh, son of Arjan Singh, Chandigarh	..	PNU-5011
11	Shiv Pal Singh , son of Nardev Singh, Ambala Cantt.		PNF-5315
12	Amarjit Singh, son of Harnam Singh, Chandigarh		PNE-7091
13	Roshan Lal, son of Paras Ram, Chandigarh	..	PNE-7521
14	Bahader Singh, son of Sant Singh, Chandigarh	..	PNR-2196
15	Smt. Satya Sharma, w/o Girdhar Lal, Chandigarh	..	PNE-7919
16	Girdhari Lal, son of Sohan Lal, Chandigarh	..	PNU-5035
17	Nirmla Devi wd/o Sham Lal Gupta, Chandigarh	..	PNK-2161
18	Sardar Singh, son of Bhagat Singh , Ambala Cantt.	..	PNU-1170

[Chief Mintster]

19	Bahader Singh, son of Phuman Singh, Ambala ..	PNU-547
20	Dharam Pal, son of Charan Dass, Chandigarh ..	PNK-1688
21	Pritam Singh, son of Harnam Singh, Chandigarh ..	PNU-5038
22	Tirlochan Singh, son of Inder Singh, Chandigarh ..	PNU-5067
23	M/s Duni Chand Gian Chand, Chandigarh ..	PNU-5072
24	Rattan Chand, son of Mani Ram, Chandigarh ..	PNU-5077
25	Hans Raj, son of Rulia Ram, Ambala City ..	PNU-1155
26	Om Parkash, son of Daya Ram, Ambala City ..	PNE-6454
27	Sundri Devi; daughter of Lachhman Dass, Ambala City ..	PNU-1153
28	Sadhu Singh, son of Attar Singh, Chandigarh ..	PNU-5078
29	Raj Kaur, w/o Ranjit Singh, Ambala Cantt ..	PNE-6459
30	M/s Matto Ram Onkar, Ambala Cantt, ..	PNU-922
31	Harbhajan Singh, son of Sewa Singh, Chandigarh ..	PNE-4624
32	Gian Singh, son of Mota Singh, Chandigarh ..	PNE-7908
33	Sohan Lal Ahuja, son of Charan Dass, Chandigarh ..	PNK-1580
34	Dewan Shanti Sarup, son of Raghbir Dayal, Chandigarh	PNU-5097
35	Tilak Raj, son of Gurcharan Dass, Chandigarh ..	PNR-1863
36	Joginder Pal Singh, son of Bachiter Singh, Chandigarh	PNF-7735
37	Surajan Singh, son of Mansha Singh, Ambala City ..	PNE-937
38	Kartar Singh, son of Pala Singh, Ambala City ..	PNU-1019
39	Pat Ram, son of Ram Parshad, Ambala City ..	PNU-1135
40	Pritam Singh, son of Arjan Singh, Chandigarh ..	PNU-1143
41	Aya Singh, son of Balik Ram, Chandigarh ..	PNU-1175
42	Mansha Singh, son of Balwant Singh, Ambala ..	PNE-8898
43	Mool Singh, son of Ravel Singh, Chandigarh ..	PNU-5107
44	M/s Friends Carrier, Ambala City ..	PNU-1189
45	Surjan Singh, son of Badan Singh, Chandigarh ..	PNU-5117
46	Dewan Shanti Sarup, Chandigarh ..	PNU-5120
47	Shori Lal, son of Ujjagar Mal, Ambala City ..	PNR-2129
48	Mushi Ram Bhasin, son of Des Raj Bhasin, Chandimandir	PNS-539
49	Amar Singh Ajit Singh, Chandigarh ..	PNU-5122
50	Gurbachan Singh, son of Sunder Singh, Ambala City ..	PNU-1202
51	Arjan Singh, son of Wazir Singh, Ambala City ..	PNE-8078
52	Hindustan Transport Co., Chandigarh ..	PNJ-6599

53	Kailash Mohan Gupta, Ambala Cantt. ..	PNU-1216
54	Kirpal Singh, son of Nand Singh, Ambala City ..	PNU-1227
55	Fateh Singh, son of Chuhar Singh, Chandigarh ..	PNT-1975
56	Niranjan Singh, son of Mehtab Singh , Chandigarh ..	PNE-7376
57	Nanak Chand, son of Sukhraj Mal, Ambala City ..	PNT-2731
58	Behari Lal, son of Mohan Lal, Ambala ..	PNE-7589
59	Daljit Singh, son of Mool Singh,Chandigarh ..	PNU-5133
60	Madan Lal, son of Dewan Chand, Chandigarh ..	PNE-7677
61	Lalit Mohan, son of Ram Kishan, Chandigarh ..	PNK-1994
62	Manmohan Bajaj , son of Kartar Chand, Chandigarh ..	PNU-1197
63	Gian Singh, son of Mota Singh, Chandigarh ..	PNE-7972
64	M/s Mangat Ram Dharam Pal, Ambala City ..	PNU-1235
65	M/s Chanan Singh Mohinder Singh, Chandigarh ..	PNT-3782
66	Janki Das, son of Badri Nath, Ambala City ..	PNE-7784
67	M/s Kidar Nath & Co., Ambala ..	PNU-865
68	Partap Singh , son of Sant Singh, Kalka ..	PNU-1277
69	R.K.R. Sewa Ram, Kalka ..	PNE-4785
70	M/s Sohan Lal Tara Chand, Kalka ..	PNE-4775
71	Gurbux Singh, son of Santa Singh, Ambala City ..	PNB-5155
72	M/s Daffo Bros., Chandigarh ..	PNU-5072
73	Vidya Wati, Chandigarh ..	PNE-6411
74	Sushil Kumar, son of Daulat Ram ..	PNE-7751
75	Pritam Singh, son of Arajan Singh, Ambala City ..	PNU-1295
76	Partap Singh, son of Gopal Singh, Ambala City ..	PNU-1272
77	Roshan Lal, son of Paras Ram, Chandigarh ..	PNS-518
78	Mohinder Singh, son of Mangat Singh, Ambala City	PNU-1265
79	Amarjit Singh, son of Atma Singh, Chandigarh ..	PNU-5174
80	Tarlochan Singh Gopal Singh, Chandigarh ..	PNU-5067
81	Harbans Singh, son of Harnam Singh, Ambala City ..	PNU-1294
82	Mehar Chand, son of Puran Chand, Chandigarh ..	PNU-1321
83	M/s Duni Chand Gian Chand, Chandigarh ..	PNU-5175
84	Brij Bhushan Lal, son of Amar Nath, Ambala Cantt...	PNU-1126
85	Desa Singh, son of Lal Singh, Ambala City ..	PNU-1301
86	Rup Singh, son of Bhagwant Singh, Chandigarh ..	PNU-1290

[Chief Minister]

87	Jaswant Singh, son of Ram Singh, Ambala City ..	PNC-406
88	Mehtab Singh, son of Kartar Singh, Ambala City ..	PNW-2547
89	M/s Jager Singh Rattan Singh, Ambala City ..	PNU-1323
90	Amarjit Singh, son of Bhagat Singh, Chandigarh ..	PNU-1291
91	Kharaiti Lal, son of Harbhagwan Dass, Chandigarh ..	PNU-1201
92	Balwant Singh, son of Sadhu Singh, Chandigarh ..	PNU-1289
93	M/s Kehar Singh Sarwan Singh, Chandigarh ..	PNR-2818
94	Hans Raj, son of Alwela Ram, Barara ..	PNU-495
95	Pritam Singh, son of Anokh Singh, Ambala Cantt ..	PNU-1329
96	Atma Ram Uppal, son of Ranak Ram, Chandigarh ..	PNU-1320
97	M/s Chaman Lal Jiwan Dass, Chandigarh ..	PNU-1175
98	M/s Woodgate & Co., Chandigarh ..	PNP-5208
99	M/s Nawal Kishor & Sons, Ambala Cantt ..	PNJ-1008
100	M/s Nawal Kishor & Sons, Ambala Cantt ..	PNJ-3703
101	Shanti Sarup Prop. C/o M/s Shanti Sarup & sons, Ambala Cantt	PNU-1358
102	The Ambala Ex-Servicemen Transport Co-operative Society Ltd., Ambala City	PNU-1365
103	Babu Ram, son of Toat Ram, Ambala City ..	PNU-1361
104	Balwant Singh, son of Tara Singh, Ambala City ..	PNU-1371
105	D. S. Bist, son of Chanchal, C/o M.S. Goods Transport Co., Ambala Cantt	PNE-1348
106	Iqbal Rai Krishan Lal, Chandigarh ..	PNU-1351
107	Mohinder Singh, son of Uttam Singh, Ambala Cantt ..	PNU-1325
108	Gurmukh Singh, son of Isher Singh, Chandigarh ..	PNU-1370
109	Kishori Lal, son of Paras Ram, C/o Gainda Mal Charanji Lal, Kalka ..	PNE-7652
110	M/s Kidar Nath & Co., Ambala Cantt ..	PNU-1399
111	Rabindier Nath, son of Balbir Chand, Chandigarh ..	PNE-7742
112	M/s Balwant Singh Balbir Singh, Ambala Cantt ..	PNU-7524
113	Mohan Singh, of Chandigarh ..	PNE-6411
114	Washershar Dass, son of Nand Kishor, Ambala City	PNU-1415
115	Bhagwan Singh, son of Chand Singh, C/o Patiala Bus Service, Ambala Cantt	PNU-1421
116	M/s R.B. Wisakha Singh Sons, Chandigarh ..	PNU-5259
117	Ditto ..	PNU-5258
118	Ditto ..	PNU-5278

119	The Ambala Ex-Servicemen Transport Co-operative Society, Ambala City	PNU-1449
120	Rajinder Singh, son of Tara Singh, Ambala City ..	PNU-1466
121	Partap Singh, son of Ragbir Singh, Chandigarh ..	PNU-5263
122	Balwant Singh & Sons, Ambala Cantt ..	PNU-1433
123	The Ex-Servicemen Transport Co-operative Society, Ambala City ..	PNU-1466
124	M/s Pathankot Bajri Co., Devi Nagar ..	PNU-5305
125	Satpal, son of Birinder Kumar, Chandigarh ..	PNU-5260
126	Sita Ram, son of Shankar Dass, Ambala Cantt ..	PNC-404
127	Parkash Devi, w/o Siri Ram, Ambala City ..	PNU-1013
128	Ajit Singh, son of Balwant Singh, c/o Gurdial Singh	
129	Mansa Singh, Kalka ..	PNS-589
130	Harbans Lal & Sons, Chandigarh ..	PNU-5346
131	M/s Puran Singh Hardial Singh, Chandigarh ..	PNE-7917
132	Gurbachan Singh, son of Nagya Singh, Rampur ..	PNU-1518
133	Mohinder Kumar, son of Madan Mohan, Ambala Cantt ..	PNU-1519
134	Puran Singh, Ambala Cantt ..	PNU-1566
135	Gulshan Kumar, son of Pindi Dass, Chandigarh ..	PNU-1545
136	M/s P.R.K. Transport, Chandigarh ..	PNU-5385
137	Ranjit Rai, son of Dina Nath, Chandigarh ..	PNU-5387
138	Om Parkash, son of Ram Chand, Chandigarh ..	PNU-5389
139	M/s Rati Ram Sardar Singh, Ambala Cantt ..	PNU-1568
140	Mansha Singh, son of Balwant Singh, Ambala City ..	PNT-2474
141	Sujit Singh Dhilon, son of Gurdial Singh, Chandigarh ..	PNK-2349
142	M/s Matu Ram Onkar, Ambala Cantt ..	PNU-1189
143	Amarjit Kaur, w/o Daya Singh, Chandigarh ..	PNU-5397
144	Jaswant Singh, son of Bhagat Singh. Chandigarh ..	PNT-1913
145	Washesar Nath Kochar, son of Dewan Gainda Mal, Ambala City ..	PNA-7215
146	Darshan Lal, son of Piara Lal, Ambala City ..	PNU-1612
147	Northern India Goods Transport Co., Ambala Cantt ..	PNL-3699
148	Oma Chand, son of Krishan Kumar, Chandigarh ..	PNU-5412
149	M/s Param Pal Singh Kehar Singh, Chandigarh ..	PNF-5711
150	Ambala Ex-Servicemen Transport Co-operative Society Ltd., Ambala City	PNU-1611

[Chief Minister]

151	Gulzara Singh Phuman Singh, Sarda Heri	..	PNE-4636
152	M/s Tulsi Ram Om Parkash Kalka	..	PNE-7802

TEHSIL JAGADHRI

1	Sant Ram, son of Sahib Ditta Mal, Yamunangar	..	PNE-6457
2	Dharam Chand, son of Mangat Ram, Yamunanagar	..	PNE-6175
3	Amar Nath, son of Dina Nath, Yamunanagar	..	PNE-6460
4	Dharam Singh, son of Sh. Lachhman Singh	..	PNE-6385
5	Tapishwar Kumar, son of Mohan Lal, Chandigarh		PNU-1142
6	Ram Lal, son of Ram Rakha Mal, Yamunanagar	..	PNE-6463
7	Madan Lal Vasudev, son of Laxmi Das, Yamunanagar	..	PNU-1169
8	Didar Singh, son of Sham Singh, Yamunanagar	..	PNU-1155
9	Balwant, son of Tirath Ram , Yamunanagar	..	PNE-6472
10	Hazara Singh, son of Bhan Singh, Yamunanagar	..	PNE-6300
11	Amin Chand, son of Ganga Ram, Bania	..	PNE-6481
12	Kharaiti Lal, son of Kanshi Ram, Yamunanagar	..	PNE-6469
13	Bawa Amrit Singh, Yamunanagar	..	PNU-1312
14	Kartar Singh, son of Bhag Singh, Jagadhri	..	PNU-5196
15	M/s Aulakh Raj Madhsudan Lal, Yamunanagar	..	PNU-5169
16	Ranjit Singh, son of Pal Singh, Yamunanagar	..	PNE-6503
17	Dharam Singh, son of Bhagwati Parshad , Yamunanagar		PNK-2297
18	M/s Surinder Singh, Hardit Singh, Yamunanagar	..	PNE-6511
19	M/s Bachitter Singh Didar Singh, Jagadhri	..	
20	Des Raj, son of Kanshi Ram, Yamunanagar	..	PNE-6520
21	Smt. Tara Wati, w/o Chaman Lal, Yamunanagar	..	PNU-1431
22	Risaldar Wasdev Singh, son of Capt. Gurdit Singh Chhachhrauli		PNU-5348
23	Ved Parkash, son of Bhagirath Singh, Yamunanagar	..	PNE-6375
24	Darshan Singh, son of Hari Singh, Yamunanagar	..	PNK-1524
25	Teja Singh, son of Labh Singh, Yamunanagar	..	PNK-154
26	Rattan Lal, son of Sain Das, Yamunanagar	..	PNE-6470
27	M/s Shibu Mital Workshop, Jagadhri	..	PNE-6537
28	Sardul Singh, son of Teja Singh, Yamunanagar		PNE-6160
29	M/s Bahadur Singh Jaga Singh, Yamunangar	..	PNE-6150
30	Siri Ram, son of Dewan Mutwal Chand, Yamunanagar	..	PNR-1339
31	Swaran Singh, son of Jewan Singh, Nanakpura Tehsil Jagadhri		PNE-6509

32	Balwant Rai Sapra, son of Ram Narain Sapra	.. PNE-6220
33	Ditto	.. PNE-6305
34	Krishan Lal, son of Siri Ram , Jagadhri	.. PNE-6473

RUPAR TEHSIL

1	M/s Oberai Carrier Builders Phol Chaksu, Rupar	.. PNE-1912
2	Gurbachan Singh, son of of Kapur Singh, Rupar	.. PNE-5228
3	M/s Mewa Singh Prabh Dayal, Rupar	.. PNE-5231
4	Gurmail Singh, son of Amar Singh, Bharatgarh	.. PNU-1181
5	Jagir Singh, son of Niranjan Singh, , Morinda	.. PNE-5232
6	Pashori Lal, son of Sita Ram, Rupar	.. PNJ-1768
7	Shri Nirmal Singh Sukha Singh, Khawas pur	.. PNU-123
8	M/s Prem Singh Bahadur Singh Morinda	.. PNL 2215
9	Mohinder Singh, son of Ram Singh, Barwan Kalan	.. PNL-2675
10	Jagir Singh Ganesh Singh, son of Babu Singh, Rupar	PNF-5473
11	Sucha Singh, son of Amar Singh, Bahu Majra	.. PNE-5247
12	Khiali Ram Budhi Raja, son of Fateh Chand, Rupar	.. PNU-1547
13	M/s Pritam Singh Nand Lal, Barhmi Devi C/o Daljeet & Co., (P) Ltd.,Rupar	.. PNE-5248
14	Nand Lal, son of Harbhajan Das, Chandigarh	.. PNU-5372
15	M/s Balwant Singh & Sons , Ambala Cantt	.. PNU-1550
16	M/s Hem Raj Charan Das, Chandigarh	.. PNU-1531
17	Nagina Singh, son of Ram Ditta Mal, Kultar Niwas	.. PNE-5249
18	M/s Malkiat Singh Gurdial Singh	.. PNE-8726

TEHSIL KHARAR

1	Hari Chand, son of Shri Matu Ram, Haripur, Kharar	.. PNE-7527
2	Bant Singh, son of Surajan Singh, Kharar	.. PNE-8924
3	Balwant Singh, son of Gujar Singh, Kharar	.. PNU-7503
4	Shamsher Singh, son of Basant Singh, Khanpur	.. PNU-7527
5	M/s Des Raj & Sons, Chandi-Mandir	.. PNU-5079
6	M/s Lekh Ram Devi Chand, Chandigarh	
7	Arjan Singh, son of Raninder Singh, Bajwara	.. PNJ-1987
8	Mehar Singh, son of Pakhar Singh, V. Sahna	.. PNU-7511

[Chief Minister]

9	Amar Singh, son of Shiv Sararn Singh, Bajwara	..	PNE-8426
10	Sarwan Singh, son of Ram Singh, Ladupur	..	PNUE-7437
11	Smt. Pritam Kaur, daughter of Sher Singh, Bajwara	..	PNJ-4096
12	Ram Singh, son of Desa Singh, Bajwara	..	PNU-7507
13	Kishan Singh, son of Uttam Singh, Kharar	..	PNU-7504
14	Smt. Gurdip Gil, w/o Pritam Singh	..	PNU-7513
15	Gulzar Singh, son of Rulda Singh, Shahpur	..	PUN-5123
16	M/s Sucha Singh Jaswant Singh, Sidy, Kharar	..	PNU-1293
17	Khushi Ram, son of Durga Parshad, Kurali	..	PNE-5049
18	Bakshi Des Raj & Sons, Chandimandir	..	PNU-5216
19	Daulat Ram, son of Biru Ram, Kharar	..	PN U-5720
20	Bakshi Des Raj Bahsin & Sons, Chandimandir	..	PNU-5191
21	Sushil Kaur, c/o Auto Service Manimajra	..	PNE-7751
22	Charan Singh, son of Karam Singh	..	PNU-7525
23	Piara Singh, son of Kartar Singh, Manimajra	..	PNE-4998
24	Revti Lal Dharam Raj, Manimajra	..	PNE-4086
25	Jagir Singh, son of Desa Singh, Balomajra	..	PNU-7515
26	Gurbachan Singh, son of Inder Singh, Truck Union, Kurali		PNU-7526
27	Tarlochan Singh, son of Qabal Singh, Kurali	..	PNU-7529

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ 'ੲ' ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸ਼ਟ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਐਲਿ-ਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੋ ?

उपाध्यक्षा : क्या आप के पास कोई पक्की इन्फरमेशन है ? या आप वैसे ही शैडूल्ड कास्टस की बात बहस में ले आते हैं ? (Has the hon. Member got any definite information on the point or he only brings in scheduled castes in the discussion as a matter of routine ?)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੱਕੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ; ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ।

श्री जगन्नाथ : चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेट्री साहिब ने कहा है कि माननीय सदस्य को ग़लत फहमी हो गई है, क्या वह परमानैंट तौर पर ग़लत फहमी दूर करने की कोशिश करेंगे ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : जो ट्रक खरीद कर लाएगा उस को ज़रूर परमिट मिलेगा ।

DRIVERS, CONDUCTORS AND INSPECTORS IN THE TRANSPORT DEPARTMENT

***1823. Babu Ajit Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state: –

(a) the total number of Drivers , Conductors and Inspectors in the Transport Department, separately, at present together with the number of those amongst them belonging to Scheduled castes and backward classes separately ;

(b) the total number of Conductors promoted as Inspectors since 1st April, 1951 upto-date and number of those amongst them belonging to Scheduled castes and Backward classes?

Sardar Partap Singh Kairon : Statements are placed on the Table of the House.

Statement showing the total number of drivers, conductors and Inspectors in the Trasnsport Department at present with number of those amongst them belonging to Scheduled Castes and Backward Classes.

	Total	Scheduled Caste	Backward Classes
1	2	3	4
Drivers	1208	71	38
Bus Conductors/adda Conductors ..	1333	137	24
Inspectors ..	144	5	7

Statement showing the total number of Conductors promoted as Inspectors, from 1st April, 1951 to date.

Total number of conductors promoted as Inspectors since 1st April, 1951 to date	Number amongst them belonging to	
	Scheduled Caste	Backward Classes
119	..	7

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਲਈ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 % ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਲਈ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਾਬ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Deputy Speaker : Next question please.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

Deputy Speaker : No please.

Babu Ajit Kumar : I would request the Chair to allow me one more supplementary in regard to the reservation of posts for Scheduled Castes and Backward Classes.

Deputy Speaker : No please.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : No please, sit down.

बाबू अजीत कुमार : मैं ने एक सप्लीमेंटरी ज़रूर करना है। मैं नहीं बैठूंगा।

Deputy Speaker : In that case I will have to name the hon. Member.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਹੈ........

Deputy Speaker : Mr. Ajit Kumar, will you please sit down ?

Babu Ajit Kumar : I will request the Chair to allow me to put one supplementary at least, which is very important.

Deputy Speaker : I will not allow at the present moment.

बाबू अजीत कुमार : मैं ने सवाल ज़रूर करना है; अभी तक सप्लीमेंटरी बहुत कम हुए हैं।

Deputy Speaker : No, I will not allow it.

Babu Ajit Kumar : I will stage a walk out against the attitude of the Chair.

(At this stage Babu Ajit Kumar staged a walk out)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : On a point of order, Madam, इस प्रश्न पर थोड़े सप्लीमैंटरी पूछे गए हैं जबकि एक प्रश्न पर 3, 4 सप्लीमैंटरी पूछने की आज्ञा है आप उन्हें एक सप्लीमेंटरी प्रश्न करने की इजाजत दे देवें ।

उपाध्यक्षा : आप को क्या पता कि कितने हुए हैं । मैं समझती हूं कि काफी हो गए हैं । Next question please. (The hon. Member is not aware of it. I think quite a number of supplementaries have been put. Next question please.)

BUS COMPANIES WITH HEADQUARTERS AT AMRITSAR

*2227. **Shri Balramji Dass Tandon:** Will the Chief Minister be pleased to state the names of Bus Companies operating with headquarters at Amritsar at present together with the number of routes with each one of them and the daily mileage covered by each ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement is laid on the Table of the House.

List of permits held by the Transport Companies/Co-operative Societies, Amritsar district.

Sr. No.	Name of Company/Co-operative Society	Number of routes	Daily mileage operated
1	New Suraj Tpt. Company, ASR ..	6	1329
2	Nishat Malwa & Shahkot Transport Co. Amritsar	2	452
3	Kishan Workers Tpt. Co-operative Society, Amritsar	1	648
4	Rohtak District Tpt. Co-operative Ltd., Amritsar ..	5	1011
5	New United Tpt. Co. Ltd., ASR ..	2	921
6	Azad Tpt. Co-op. Society, Ltd., Amritsar ..	6	854
7	Punjab Tpt. Co-op. Society, Ltd., Amritsar ..	4	1025
8	Sandhu Roadways (P) Ltd., ASR ..	8	992
9	Sandhu Tpt. Co. Ltd., ASR ..	6	946
10	New Payar Bus Service Ltd., Amritsar. ..	7	848
11	Randhawa Tpt. Co. (P) Ltd., Amritsar ..	8	1054
12	District Tpt. Coop. Society, Amritsar ..	10	1180
13	Amritsar Majha Frontier Tpt. Coop. Society, Ltd., Amritsar ..	7	2953

श्री बलरामजी दास टंडन : जो स्टेटमेंट ले की गई है उसे देख कर पता चलता है कि कई आप्रेटरज़ ऐसे हैं जिन के पास रूट परमिट तो एक ही है लेकिन माइलेज उन की 12/12 सौ मील रोज की बनती है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस की क्या वजह है ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਿਉ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ASI KALAN CO-OPERATIVE THRIFT AND CREDIT SOCIETY ASI KALAN DISTRICT LUDHIANA

***1842. Comrade Harnam Singh Chamak** (on his behalf Comrade Babu Singh Master) : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Asi Kalan Co-operative Thrift and Credit Society, Asi Kalan district Ludhiana has been placed under liquidation, if so, the names of the Official Liquidator appointed in respect thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes.

Shri Chhajju Ram of village Pakhowal, Tehsil and District Ludhiana has been appointed its liquidator.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਪਵਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲਿਕਵੀ-ਡੇਟਰ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ।

CONTROL OF DEPUTY COMMISSIONER OVER THE CO-OPERATIVE SUGAR MILLS

***2196. Pandit Charanji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to put the Co-operative Sugar Mills in the State under the control of the Deputy Commissioners of the respective districts; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : No.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि डी. सी. को आथोराइज़ड कंट्रोलर थोड़े समय के लिए लगाया था ?

मुख्य मंत्री : नहीं जी, उस में डिप्टी कमिश्नर मेम्बर होगा , कन्ट्रोलर नहीं रखा ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वहां दोनों शूगर मिलों का कन्ट्रोलर डिप्टी कमिश्नर है और बोर्ड आफ डायरैक्टर को हटा दिया गया है , अभी तक कोई एड हाक अरेंजमैंट नहीं हुआ । क्या यह सही नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर कन्ट्रोलर के तौर पर काम कर रहा है ?

मुख्य मंत्री : यह सही है । लेकिन हम नया बोर्ड बना रहे हैं, इस लिए उस को हटा रहे हैं । Deputy Commissioner will be a member of the Board and not the authorised controller.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि नया बोर्ड कब तक बन जाएगा और डायरैक्टरज़ लेने का क्या क्राइटीरिया है ?

मुख्य मंत्री : इस के लिए आप नोटिस दें, मैं पता करके बता दूंगा । मुझे सिर्फ इतनी इतलाह आई है कि बोर्ड बन गए हैं और आर्डरज़ जारी होने वाले हैं । Deputy Commissioner should give over the charge.

चौधरी राम सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि पहला जो बोर्ड बना हुआ था वह इन की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था इस लिये अपने आदमियों को ले कर नया बोर्ड बना रहे हैं ?

Deputy Speaker : It is not a supplementary question.

Chief Minister : Perhaps, he has gone to the court. So far as my information goes the case is possibly pending in the Supreme Court. Let that be judged if it is wrong.

श्री मंगल सेन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जो बोर्ड यह बनाने जा रहे हैं क्या वह नया बोर्ड भी उसी कराइटीरिया पर बनाएंगे जिस पर कि पहला बनाया गया था ?

मुख्य मंत्री : इस का जवाब मैं ने दे दिया है ।

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो बोर्ड हटाया गया है उस के खिलाफ कोई शिकायत आई थी; अगर आई थी तो उस के खिलाफ कोई इन्क्वायरी हो रही है ?

मुख्य मंत्री : शिकायत पहुंची थी । लेकिन इन्कवायरी क्या हुई, इस बात का मुझे पता नहीं है ।

कामरेड राम प्यारा : क्या उन्होंने इन्क्वायरी का आर्डर दिया है ?

मुख्य मंत्री : आफ हैंड नहीं कह सकता ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो बोर्ड बनाए जाते हैं इन की कोई टाईम लिमिट होती है या कि टाईम लिमिट से पहले ही हटा दिये जाते हैं ?

मुख्य मंत्री : उस बोर्ड के खिलाफ गवर्नमेंट आफ इंडिया रूलज़ के मातहत शिकायात आई थी कि देश को नुक्सान का अंदेशा है इस लिए उस को हटाना पड़ा ।

CONVERSION OF DISPENSARY AT VILLAGE KALWA TEHSIL JIND INTO SUB-PRIMARY HEALTH CENTRE

***2449. Chaudhri Inder Singh Malik** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for making the present dispensary at village Kalwa in Tehsil Jind of Sangrur district as a Sub-Primary Health Centre, if so, the time by which the same is expected to be immplemented ?

Chief Minister : No, Sir.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि गवर्नमेंट की ऐसी पालिसी है कि हर एक ब्लाक में एक प्राइमरी हैल्थ सैंटर या सब-प्राइमरी हैल्थ सैंटर होना चाहिए लेकिन सफीदों ब्लाक में न तो कोई प्राइमरी हैल्थ सैंटर है और न ही कोई सब-प्राइमरी हैल्थ सैंटर है ?

मुख्य मंत्री : चाहिये जरूर, लेकिन हो सकता है कि अभी न बन पाया हो कोई दिक्कत होगी । पूछ कर बता सकता हूं ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : पिछले सेशन में भी मैं ने अर्ज की थी कि क्या सफीदों प्रापर में प्राइमरी हैल्थ सैंटर है। वह म्युनिसिपल कमेटी ऐरिया है लेकिन ब्लाक कमेटी उस के स्टाक की पेमेंट करती है । मैं ने पहिले भी गुजारिश की थी कि उस सैंटर को रूरल एरिया को दे दिया जाना चाहिए क्योंकि पेमेंट रूरल एरिया से होती है । Will the Chief Minister please consider this demand ?

मुख्य मंत्री : आप के प्रश्न से यह पता चला है कि ब्लाक का जो एरिया है उस में सफीदों शामिल नहीं है और सफीदों म्युनिसिपल कमेटी है । आप के जवाब से पता चलता है कि वहां पर हैल्थ सैंटर तो है लेकिन वह है म्युनिसिपल कमेटी का । शायद यह वजह भी हो कि चारों तरफ से लोगों को आने में सहूलत हो । यह कोई बुरी बात नहीं है ।

EXPENDITURE INCURRED TO GUARD THE PAKISTAN BORDER.

*1234. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** (Comrade Babu Singh Master on his behalf) : Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) whether Government has ever made a request to the Union Government to bear the expenditure incurred at present by the state Governmet on P. A. P. etc. to guard the borders;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details of the request made and the reply, if any, received from the Union Government ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes;

(b) The Government of India was requested to reimburse the state Governmet fully for the expenditure incurred on border P. A. P. They have not so far agreed to the request made.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आप ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को कब रीक्वैस्ट की थी ?

गृह मंत्री : जब फिनानस कमिशन की सिफारिश आई थी और उसके बाद जो स्पैशल ग्रांट-इन-ऐड स्टेट गवर्नमेंट को मिली थी और उन्होंने बंद कर दी थी उस के बाद भी रीक्वैस्ट की गई थी । फिर हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहिब ने गवर्नमेंट की तरफ से फिनानस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को भी रीप्रैजेंट किया हुआ है ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया यह खर्च बरदाश्त करने के लिए तैयार न हुई तो क्या आप पी. ए. पी. को डिसबैंड करने के लिए हक बजानब हैं कि नहीं ?

मंत्री : बार्डरज़ की हिफाज़त करने के लिए पी.ए.पी. का कायम रखना पंजाब सरकार का फर्ज़ है । हम मरकज़ी सरकार को रीप्रैज़ेंट करेंगे और जितनी हमारी ताकत है उस के ज़रिए हम पूरे ज़ोर से अपना प्वाइंट आफ़ व्यु रखेंगे लेकिन पी. ए. पी. को हमें जारी रखना होगा ।

श्री बलरामजी दास टंडन : अभी तक जो उन्होंने इस बात को नहीं माना है कि पी.ए.पी. का खर्च देना है उसकी कोई वजह दी है ?

मंत्री : मैं ने अभी अभी अर्ज़ किया है कि हम ने जो फाईनान्स कमिशन मुकर्रर हुआ था उस के सामने अपना केस रखा था । पहले जो दो कमीशन बने थे उन्हों ने तो पंजाब के लिए सबसीडाईज्ड ग्रांट-इन-एड की सिफारिश की थी जो हमें मिली थी लेकिन तीसरे कमीशन ने इसे रैकमैंड नहीं किया और उसको मानते हुए सैंट्रल गवर्नमैंट ने बन्द कर दी थी । हम फिर रीप्रैज़ेंट कर रहे हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਇਹ ਜੋ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਰਖਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਰਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जिन और स्टेटस के साथ बार्डर लगता है उनके बारे में सरकार ने पता किया है कि उनको सैंटर मदद दे रहा है या नहीं ?

मुख्य मंत्री : जहां तक मेरा ख्याल है मैं पक्की बात नहीं कह सकता—कि काश्मीर और आसाम को शायद देते हैं लेकिन अभी बंगाल, राजस्थान, और पंजाब को नहीं देते हैं । राजस्थान तो खैर वैसे का वैसा है, बंगाल में ज़रूर कमी हुई है । उनका अमीर सूबा होगा, हम जो उजड़ कर आए हैं जिन को 19 ज़िले देने पड़े, ज़मीन भी कमजोर मिली, जान और माल भी हम बहुत खो आए और फिर बार्डर पर भी हमारे हां पाकिस्तान की ताकत का ज्यादा बेट है इसलिए भारत सरकार को, मैं और की बात नहीं करता मगर पंजाब की पी.ए.पी. का खर्च और चार्ज खुद ले लेना चाहिए ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि पहले दो कमीशनों की सिफारिशों पर जो मदद हमें मिली थी पी.ए.पी. रखने के लिए तो क्या हम वह सारी रकम जो हम पी.ए.पी. पर खर्च करते रहे मिलती रही या कुछ हिस्सा ही मिला था ?

मुख्य मंत्री : जो ग्रांट-इन-एड पहले या दूसरे कमीशन की सिफारिशों पर मिली थीं वह स्टेट की ओवर ग्राल नीडज़ को देख कर, जिस में सब से ज्यादा पी. ए. पी. की बात थी, दी गई थी । पहले कमीशन ने $1\frac{1}{4}$ करोड़ रुपए सालाना और दूसरे कमीशन ने $2\frac{1}{4}$ करोड़ रुपए सालाना दिलाया था । इस वक्त भी उसी बेसिज़ पर और भी दूसरी बातें कह कर सारा केस कमीशन के सामने रखा था लेकिन अनफारचूनेटली उन्हों ने हमारी बात नहीं मानी ।

कामरेड राम प्यारा : मैं ने यह पूछा था कि पी. ए. पी. पर जो खर्च होता है उसकी टोटल रीअम्बरसमेंट हम को होती है या उसका कुछ पोरशन ?

मंत्री : टोटल रीअम्बरसमेंट नहीं होती । इसके इलावा सारी की सारी ग्रांट-इन-एड पी. ए. पी. के लिए नहीं और न ही जितना खर्च होता है उसकी रीअम्बरसमेंट होती है । पी. ए. पी. और दूसरी बातों को ध्यान में रखकर यह ग्रांट-इन-एड दी थी ।

कामरेड राम प्यारा : होम मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि पहली दो कमिशनों ने रेकमैंड किया, वह रुपया हमें मिला । तीसरे कमीशन ने रेकमैंड नहीं किया, इसलिए नहीं मिला । क्या वह बता सकेंगे कि वह कौन सी वजूहात थीं जिन की बिना पर जो पैसे पहले मिलते थे तीसरी कमीशन ने उनकी सिफारिश नहीं की ?

मंत्री : फिनानस कमिश्न की रिपोर्ट एक छपी हुई किताब है, पब्लिक डाकूमैंट है । उसमें मुनासिब रीज़न्ज़ दिए हुए हैं । मेम्बर साहिब अगर उसको पढ़ लें तो पता चल जाएगा ।

उपाध्यक्षा : बजाय इसके कि आप हाउस में सप्लीमेंटरी करते जाएं, मैं आप को सलाह दूंगी कि सब मिल कर गवर्नमैंट आफ इंडिया पर ज़ोर डालें कि इसका खर्च पंजाब को वहीं से मिलना चाहिए । (Instead of continuing to ask supplementaries in this House I would advise the hon. Members that all of them should join hands to impress upon the Government of India that they should reimburse this expenditure to Punjab.)

ARMS LICENCES ISSUED IN AMBALA DISTRICT

***1419. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the number of Arms Licences issued by the Government, tehsil-wise in Ambala District during the period from September, 1961, to August, 1962, month-wise along with the names of those to whom issued;

(b) whether any of the said licences were withdrawn by the Government during the said period; if so, their number month-wise and tehsil-wise along-with the reasons for such withdrawal in each case ?

Shri Mohan Lal : (a) It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

(b) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be drived by the Member. However, an enquiry will be made by Government into any particular case that the Member may wish to bring to their notice.

श्री बलरामजी दास टंडन : जवाब में बताया गया है कि "it is not in public interest to disclose" क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कौन सा पब्लिक इन्ट्रस्ट आता है कि नाम बताने में भी गुरेज किया जाए ?

मंत्री : कई दफा इस सिलसिले में चेयर की रूलिंग आ चुकी है । कई दफा यह प्वाइंट रेज़ भी हुआ कि आरम्ज़ लाइसंस के मुताल्लिक नाम या तादाद-वगैरा बताना पब्लिक इंट्रस्ट में नहीं होता ।

PROPERTIES CONFISCATED UNDER SECTION 88 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE IN DISTRICT AMRITSAR

***2045. Sardar Kulbir Singh :** Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) whether the immovable properties of any inhabitants of village Tur, Police station Sahali, Tehsil Tarn Taran District Amritsar were confiscated under section 88 of the Criminal Procedure Code during the period 1st January, 1959 to 31st December, 1962; if so, their names and the detail of properties confiscated in each case ;

(b) the details of criminal cases registered against each of the said persons during the said period with the details of the cases sent up in the court of law against each ;

(c) the number of cases registered against each of the said persons in connection with the Punjabi Suba Agitation;

(d) the total number of cases registered in the district of Amritsar in connection with the Punjabi Suba agitation of 1960 and also the number of the persons arrested in connection therewith.

(e) whether any persons involved in the cases referred to in part (d) above were discharged after the withdrawal of the said cases; if so, the number, thereof and also the number of the persons so discharged ?

Shri Mohan Lal : (a) 296 Kanals and 4 Marlas of land of Shri Mohan Singh son of Jagat Singh Jat of village Tur was attached on 20th July, 1960 by the orders of Collector Amritsar in a case under section 107/150, Cr. P. C.,P. S. Sarhali . The said land was released on 3rd November, 1962, by Sh. K.D. Shorey, MIC in favour of Shri Mohan Singh Tur. The house of Sh. Mohan Singh Tur valued Rs. 3,500 was also attached in above mentioned case which was also released by Sh. K.D. Shorey, MIC Amritsar.

No other immovable property in village Tur was attached during the period 1st January, 1959 to 31st December, 1962.

(b) the List of cases is attached.

(c) 53 cases relating to Punjabi Suba Agitation were registered against Sh. Mohan Singh Tur.

(d) 665 cases were registered in the district of Amritsar in connection with the Punjabi Suba agitation of 1960 and 13,431 persons were arrested in connection therewith.

(e) 601 cases out of these 665 were withdrawn and 12,381 persons were so discharged.

Requisite information is laid on the Table of the House.

[Home Minister]

List of cases against Jathedar Mohan Singh Tur.

Sr. No.	Case F.I.R. No.	Offence & P. S.	Date of order	Order
1	232/61	Under section 188, IPC & 6 Cr. L.A. Act. PS'E' Divn. Amritsar	17th August, 1962	4 month's RI by Sh. K. D. Shorie, MIC.
2	233/61	Ditto	18th August, 1962	3 month's RI & Rs 100, or in default one month's RI.
3	236/61	Ditto	21st August, 1962	4 month's RI.
4	240/61	Ditto	20th August, 1962	Ditto
5	238/61	Ditto	Ditto	Ditto
6	241/61	Ditto	17th August, 1962	Ditto
7	242/61	Ditto	Ditto	Ditto
8	247/61	Ditto	18th August,1962	3 month's RI Rs 100 or in default one month's RI.
9	246/61	Ditto	Ditto	Ditto
10	251/61	Ditto	Ditto	Ditto
11	252/61	Ditto	..	Discharged on 16th December, 1961
12	253/61	Ditto	21st August, 1962	4 month's RI.
13	262/61	Ditto	17th August, 1962	Ditto
14	264/61	Under section 188 and section 9 PS E Div.	19th June, 1962	Untraced. Discharged on 16th December,1961
15	265/61	Under section 188 & section 6 Cr. L.A. PSE Div.	21st August,1962	4 month's RI.
16	269/61	Ditto	17th August, 1962	Ditto
17	270/61	Ditto	Ditto	Ditto
18	273/61	Ditto	Ditto	Ditto
19	274/61	18th August, 1962	18th August, 1962	3 month's RI & Rs 100 or in default one month's RI.
20	275/61	Under section 188 and 9 Pb. sec. Act. PSE Div.	21st August, 1962	4 month's RI.

Srl. No.	Case F.I.R. No.	Offence & P. S.	Date of order	Order
21	277/61	Under section 188 and 9 Pb. sec. Act, PSE Div.	20th August, 1962	4 months RI.
22	279/61	Under section 188 PSE Div.	Ditto	Ditto
23	280/61	Ditto	30th June, 1962	9 month's RI under section 9 Pb. Sec. Act.
24	281/61	Under section 188 & 9 Sec. Act.	20th August, 1962	4 month's RI. under section 188.
25	289/61	Ditto	20th August, 1962	4 month RI.
26	290/61	Under section 188 & 9 Security Act OSE Div. ASR.	20th August, 1962 12th September, 1962	4 month's RI. 9 months RI under section 9 Sec. Act.
27	292/61	Under section 188 PSE Division	12th September, 1962	4 month's RI.
28	293/61	Under section 188 and 9 Security Act, PSE Division ASR.	19th June, 1962	*Untraced* — *Discharged* on 11th October, 1961.
29	294/61	Ditto	17th August, 1962	4 month's RI & Rs 100 or in default one month's RI.
30	295/61	Under section 188 & 9 Pb. Security Act PSE, Division	18th August, 1962	3 month's RI & Rs 100 or in default one month's RI.
31	299/61	Ditto	21st August, 1962	4 month's RI.
32	303/61	Ditto	18th August, 1962	3 month's RI & Rs 100 or in default one month's RI.
33	304/61	Ditto	17th August, 1962	4 month's RI.
34	307/61	Ditto	21st August, 1962	Ditto
35	310/61	Ditto	Ditto	Ditto
36	311/61	Ditto	20th August, 62	4 month's RI under section 188
37	315/61	Ditto	17th August, 1962	Ditto
38	316/61	Ditto	18th August, 1962	3 month's RI & Rs 100 or in default one month's RI.
39	317/61	Ditto	20th August, 1962	4 month's RI.

[Home Minister]

Srl. No.	Case F.I.R. No.	Offence & P.S.	Date of order	Order
40	319/61	21st August, 1962	21st August, 1962	4 month's RI.
41	321/61	Ditto	19th June, 1962	*Unrtaced* *Discharged* on 11th October, 1961
42	322/61	Ditto	18th August, 1962	3 months RI & Rs 100 or in default one month RI.
43	324/61	Ditto	21st August, 1962	4 months, RI.
44	325/61	Ditto	18th August, 1962	3 months, RI under section 9 Pb. Sec. Act.
45	326/61	Ditto	30th June, 1962	3 months, RI & Rs 100 or in default one month's RI.
46	328/61	Ditto	20th August, 1962	4 months, RI.
47	332/61	Ditto	21st August, 1962	Ditto
48	333/61	Ditto	Ditto	Ditto
49	337/61	Ditto	Ditto	Ditto
50	341/61	Ditto	20th August, 1961	Ditto
51	306/61	Ditto	Ditto	Ditto
52	386/61	Under section 307/353/186 IPC PSE, Division, Amritsar	6th October, 1962	Ditto
53	758/60	Under section 307/342/392 PSE Division, Amritsar	..	Pending trial
54	209/60	Under section 342 PSE Division ASR,	..	Ditto
55	204/61	Under section 4/5 Explosive Act. OB 302 IPC. PS Sarhali	Main conspiracy case	Pending trial

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਦ ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਣ ਸਿਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ।

गृह मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सवाल से यह सप्लीमेंटरी पैदा नहीं होता । अगर आप इजाजत दें तो मैं मेम्बर साहिब को अर्ज़ कर सकता हूं, मुझे इलम है ।

उपाध्यक्षा : जो आपके पास इत्तला है दीजिए । (The hon. Minister may please give the information available with him.)

मंत्री : श्री मोहन सिंह तुड़ को तकरीबन 50 केसों में सज़ायाबी हो चुकी है और उन में वायलैंस के केस हैं ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ऐसे वायलैंस के केस कई और भी थे जो उस एजीटेशन के दौरान पकड़े गए थे वे केस वापिस लिए गए हैं ।

मंत्री : अगर मेम्बर साहिब पूरी तफसील जानना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस देना चाहिए । मगर और केस हैं जिन में कि सज़ा हुई है और वह आदमी इस वक्त जेल में है ।

श्री मंगल सेन : क्या गृह मंत्री महोदय बताएंगे कि श्री मोहन सिंह तुड़ को इस लिए जेल में डाला गया क्योंकि वह चीफ मनिस्टर के मुखालफ कैंडीडेट थे ?

Deputy Speaker : This is no supplementary.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या गृह मंत्री साहिब बताएंगे कि यह जो वायलैंस के केस थे यह सिर्फ उसी अर्सा तक महदूद रहे जिस वक्त एजीटेशन थी या उस से आगे पीछे के भी थे ?

मंत्री : इतनी तादाद में केस हैं, हर केस की तफसील तो जानता नहीं सिवाए इसके कि कई केसों में सज़ा हुई । पीरियड क्या था वायलैंस का यह पता नहीं ।

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब मेरी इत्तला के लिए बताएंगे कि यह वही मोहन सिंह तुड़ हैं जो चीफ मिनिस्टर के मुकाबला में 34 वोटों से हारे थे ?

उपाध्यक्षा : आप अंदाज़ा लगा लें । This is no supplementary. (The hon. Member may please guess himself. This is no supplementary.)

कामरेड राम प्यारा : क्या गृह मंत्री साहिब बताएंगे कि यह वही हैं जिन का केस सुप्रीम कोर्ट ने यहां से ट्रांस्फर किया है क्योंकि उन्हें पंजाब में इनसाफ मिलने की उम्मीद नहीं ?

Deputy Speaker : This is no supplementary.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 53 ਕੇਸ ਹਨ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (The hon. Member should please think before asking such a supplementary question.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ: (ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਲਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਏਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ?

ਮੰਤਰੀ: ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ consideration ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ: ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ?

ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਕਿਥੇ ਉਹ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਵਿਚ ਇਨਵਾਲਵਡ ਸਨ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਚਾਲਾਨ ਹੋਏ, ਓਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਇਨਵਾਲਵਡ ਸਨ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिलों: क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो रिप्रेज़ैंटेशन उन के लिए की गई थी क्या यह उन के फैमिली मेम्बर्ज़ की तरफ से की गई थी या यह अकाली दल या किसी दूसरी संस्था की तरफ से की गई थी ?

मंत्री: यह संत फतह सिंह जी की तरफ से की गई थी ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ: ਆਇਆ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਡਿਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

मंत्री: इस बारे में अन्दाज़ा ही लगाया जा सकता है यकीनी तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता । क्योंकि वह एक पार्टी की नुमायन्दगी करते हैं इस लिए मेरा अन्दाज़ा है कि उन्होंने यह रिप्रैज़ेंटेशन अपनी पार्टी की तरफ से दी थी ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾ-ਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि जब सरदार तेजा सिंह स्वतंत्र के खिलाफ जितने मुकद्मे थे वह सरकार ने वापस ले लिए हैं तो क्या सरदार मोहन सिंह तुड़ के खिलाफ जो केस है वह वापस नहीं लिए जा सकते ?

श्री बलरामजी दास टंडन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि अगर सरदार मोहन सिंह तुड़ सौगन्ध उठा लें कि उन्हों ने चीफ मनिटस्र साहिब को मारने की कोशिश नहीं की तो उन्हें छोड़ देने पर सोचा जा सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ मनिस्टर साहिब इस बात की खुद सौगन्ध उठाने के लिए तैयार हैं कि सरदार मोहन सिंह तुड़ ने उन्हें मारने की कोशिश की थी ?

उपाध्यक्षा : यह तो चीफ मिनिस्टर साहिब और सरदार मोहन सिंह तुड़ का आपसी मामला है । (This is a matter between the Chief Minister and Sardar Mohan Singh Tur.)

चौधरी देवी लाल : चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि या तो सरदार मोहन सिंह तुड़ सौगंध उठा ले या वह अपनी गलती मान लें, इसी तरह से परसों उन्होंने मेरे लिए कहा था कि मुझे राम्रो बिरेन्द्र सिंह की तरह मुआफी दी जा सकती है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डैमोक्रेटिक सैट-अप में यह जरूरी है कि हरेक मुखालिफ से मुआफी मंगवाई जाए ?

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : मैं अर्ज़ करता हूं कि चौधरी देवी लाल की यह बिना बिल्कुल गलत है । इन का मुकाबला सरदार मोहन सिंह तुड़ से तब किया जा सकता है अगर यह पहले उन की तरह अन्दर हो आएं ।

PERSONS ARRESTED UNDER THE DEFENCE OF INDIA RULES IN DISTRICT AMRITSAR

***2137. Sardar Gurdial Singh Dhillon :** Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the number of persons recently arrested in district Amritsar under the Defence of India Rules together with the details of offences committed by each and the final action taken thereon ;

(b) the number of cases of the said persons under review in accordance with the procedure prescribed by the Government under the Defence of India Rules ?

Shri Mohan Lal : (a) Thirty-five persons, out of whom twenty-nine were arrested under section 35/41 of the Defence of India Rules, twenty-three persons were arrested for causing artificial scarcity in refusing to sell kerosene Oil, one person for hoarding kerosene Oil, one person for making objectionable speech and one for refusing to sell a sari which was available at his shop. Six persons (Communists) were arrested under section 30(1)(b) of the Defence of India Rules.

(b) Cases of 25 persons were put up before the Tribunal. 24 ended in conviction and one in acquittal. The cases of four persons are still under investigation. The cases of six Communists detained under rule

[Home Minister]

30(1)(b) of the Defence of India Rules, were reviewed by the Government and rejected.

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : होम मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि कुछ लोग अन्दर कर दिए हैं । कुछ हमारे साथी और कुछ आपके साथी अन्दर कर दिए तो इस पर आपको इतराज़ नहीं करना चाहिए । डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ के मुतालिक जब तक सख्ती न हो काम बनता नहीं । मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता था कि आर्टीफीशल का क्या मतलब है ? किसी आदमी के बारे में है ? (हंसी)

मंत्री : आर्टीफीशल का मतलब आर्टीफीशल ही है और कुछ नहीं ।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : वैसे तो आर्टीफीशियल प्राइसिज़ ही होंगी लेकिन इनका जवाब ज़रूर आर्टीफिश्यल है । (हंसी) मैं यह पूछना चाहता हूं कि मार्कीट में जो प्राइस लिस्टस हैं उनके बारे में खरीददारों को पता होता है तो क्या आपको खरीददार आके इत्तलाह देते हैं कि वहां पर शरारत हो रही है । या टंडन साहिब बतलाते हैं या और कोई एम. एल. ए. है जिसके तआवन से आपको पता चलता है ? आप कैसे इन बातों का पता लगाते हैं कि फलां दुकानदार ने ऐसा किया । क्या कोई ऐजन्सी है इसके लिए ?

मंत्री : मैं ने आर्टीफिश्यिल सकेयरसिटी का ज़िक्र किया था । कुछ मेम्बर साहिबन भी बता देते हैं, इन्फारमर्ज़ भी इतलाह देते हैं and that becomes the source of information.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन आदमियों को डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ के तहत डिटेन किया गया है वह कौन कौन से हैं ?

गृह मंत्री : मेरे पास इस समय उनके नाम नहीं हैं ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ के तहत जो लोग पकड़े गए थे इन में से किसी के केस को विदडरा भी कर लिया गया है ?

Minister : I am sorry, Madam; I have got the names. यह मेरे पास एफ. आई. आर. है इसमें सिर्फ केसों का नम्बर है, डेट है और पुलिस स्टेशन है, नाम नहीं हैं ।

श्री बलरामजी दास टंडन : On a point of order, Madam. क्या कोई एफ. आई. आर. जिस में किसी का नाम न दर्ज हो उसे कम्पलीट समझा जा सकता है ?

उपाध्यक्षा : वह इस बात को दरयाफत करेंगे । (The hon. Minister will look into it.)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : आप इन्हें क्या कहते हैं यह तो आदी हैं इस बात के कि एफ. आई. आर. में नाम न दर्ज किया जाए; यह तो आपको भी टंडन साहिब फायदा है । मैं होम मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहूंगा कि जो कम्युनिस्ट सज्जन अभी जेल में हैं उनकी तरफ से कोई रीप्रैज़ेंटेशन आई हैं कि वह चीन के एक्शन के खिलाफ हैं और देश की, सारे हिन्दुस्तान की चीन के खिलाफ कारवाईयों में देश के साथ हैं तो क्या इस बिना पर उन्हें छोड़ा जाएगा ?

मंत्री : मैं इस वक्त ठीक सिचूएशन नहीं बता सकता । उनकी तरफ से एक रीप्रैज़ेंटेशन आई थी और वह मैरिटस पर विचार करने के बाद रीजैक्ट हो गई थी ।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : अगर आपको पूरी गारंटी हो कि वह चीन के विरुद्ध हैं और हमारे देश की नैशनल फोर्सिज़ के साथ हैं तो क्या इन्हें छोड़ दिया जाएगा ?

मंत्री : यह एक हाइपोथैटीकल सवाल है । इस में अगर है; फिर भी जब यह सवाल हमारे सामने आएगा तो इसको इसके मेरिटस पर एगज़ामिन करेंगे और डिसकस करेंगे तब ही किसी फैसला पर पहुंच पाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ; ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। (The hon. Member also knows it.)

मंत्री : दरअसल इन को भी इस बात का पता है कि जो बात सबजुडिस हो उस के मुताल्लिक सवाल नहीं करना चाहिए । इस के मुताल्लिक हाई कोर्ट में रिट पैंडिंग है । इस लिए जवाब देना मुनासिब नहीं होगा ।

कामरेड राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने कहा कि उन लोगों ने आर्टीफिश्यिल सकेयरसिटी पैदा की थी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन की तलाशियां ली गईं ? अगर ली गईं तो क्या उन से माल बरामद हुआ ?

मंत्री : ऐसे तीस के करीब केसिज़ हैं । हरेक की डिटेल मेरे पास नहीं है । नोटिस दें तो डिटेल दी जा सकती है ।

श्रीबलरामजी दास टंडन : मैं ने जो दूसरा सप्लीमैंटरी किया था उस का जवाब नहीं दिया गया । मैं दूसरा सवाल रीपीट करता हूं । क्या कोई केस विदडरा किया गया ?

मंत्री : इस के लिए नोटिस दीजिए ।

SUSPENSION/DISMISSAL OF OFFICERS/OFFICIALS OF POLICE DEPARTMENT

***2374. Shri Mangal Sein :** Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of officers/officials of the Police Department who were suspended during the year 1962 and the month of January, 1963 on charges of corruption and similar other charges ;

(b) whether services of any such officers/officials have since been dispensed with ; if so, their number ?

Shri Mohan Lal : (a) 54.

(b) Yes. The services of 9 Police Officers/officials out of the above 54 have been dispensed with.

श्री मंगल सेन : मन्त्री महोदय ने बताया है कि 54 कर्मचारियों को ससपैंड किया गया और 9 को छुट्टी दे दी गई है । बाकियों को क्या किया गया ?

मंत्री : कुछ केसिज़ पेंडिंग हैं और कुछ का फैसला हो चुका है ।

श्री मंगल सेन : इन्होंने कहा कि कुछ के केसिज़ पैंडिंग हैं और कुछ का फैसला हो चुका है । मैं ने डैफीनेटली यह पूछा है कि बाकी आदमी जिन्होंने रिश्वत ली या दूसरे जुर्म किए और जिन के लिए वह मुअतल हो गए थे उन के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है ?

मंत्री : आप ने जो पूछा था कि कितने ससपैंड हुए तो मैं ने बताया 54 । दूसरे हिस्से के जवाब में मैं ने बताया कि जिन को नौकरी से अलग किया गया है उन की गिनती 9 है । आप ने बाकी लोगों के बारे में पूछा तो मैं ने कहा कि कुछ के केस में इन्वैस्टीगेशन जारी है और कुछ का फैसला हो गया है । तो इस में आपत्ति किस बात पर है ?

श्री मंगल सेन : मैं पूछना चाहता हूं कि जिन के बारे में फैसला हो गया है वह क्या फैसला हुआ है ?

मंत्री : आप ने पूछा कि कितने लोगों की सर्वेसिज़ डिसपैंसड् विद की गईं तो वह मैं ने बता दिया है । बाकी के केसिज़ में क्या हुआ यह जानने के लिए सैपेरेट नोटिस दें ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मन्त्री साहिब यह बताएंगे कि जो 45 बकाया केसिज़ हैं उन में से कितने को रीइन्स्टेट कर दिया गया है और कितने अभी अन्डर ससपैंशन हैं ?

मंत्री : यह मुझे जबानी याद नहीं है । नोटिस दें ।

श्री मंगल सेन: जब यह कहते हैं कि कुछ के मुताल्लिक फैसला कर दिया तो सप्लीमैंटरी पैदा होता है कि क्या फैसला किया गया है ?

उपाध्यक्षा : इस के लिए नोटिस दें ।

REPRESENTATION FROM MRS. DILRAJ SINGH

*2405. **Shrimati Sarla Devi :** Will the Home Minister be pleased to state whether Government have recently received any representation from Mrs. Dilraj Singh stating that her husband was implicated in a false case in Thana Barsar, Hamirpur, and requested for an enquiry into the matter through a special officer deputed from Headquarters at Chandigarh ; if so, the action, if any, taken in the matter ?

Shri Moahn Lal : Yes, a representation was received from Shrimati Gian Devi, wife of Dilraj Singh, resident of Tika Karndola, tehsil Hamirpur, on 11th November, 1962 to the effect that her husband was arrested on 5th September, 1962 by the Officer-In-Charge, P.S. Sujanpur (not Thana Barsar, Hamirpur) for the alleged possession of a live cartridge under section 19/11/78 Arms Act ; two bottles of illicit liquor under section 61/1/14 Punjab Excise Act ; and dynamite under the Explosive Substances Act. She requested an enquiry by a "senior Gazetted responsible police officer". The complaint was referred to the Superintendent of Police, Kangra district, for enquiry by a Gazetted Police Officer. Since the three cases against the accused had been put in court and the matter was sub-judice, no further enquiries could be held.

श्रीमती सरला देवी : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब यह प्रार्थना की गई थी कि इन्क्वायरी चंडीगढ़ का कोई अफसर भेज कर करवाई जाए, धर्मसाला का कोई आदमी न लें तो ऐसा न करने की क्या वजह है ?

मंत्री : यह सरकार का अपना काम है कि वह इन्क्वायरी किसी से करवाए ।

श्रीमती सरला देवी : क्योंकि हमें इनसाफ मिलने की उमीद नहीं थी इस लिए चंडीगढ़ से आदमी मांगा गया था और होम मिनिस्टर साहिब ऐसा करने के लिए मेरे से मान गये थे क्या यह सही नहीं ?

मंत्री : मैम्बर साहिबा को ग़लत फहमी हुई है; मेरे साथ उन की कोई ऐसी बात नहीं हुई ।

श्रीमती सरला देवी : क्या सरकार अब इस स्टेज पर कोई कार्यवाई करने को तैयार है जब केस कोर्ट में चला गया हो क्योंकि एक शख्स को गलत सज़ा दी जा रही है ।

उपाध्यक्षा : आप तो समझदार लैजिसलेटर हैं । जब केस ही अदालत में चला जाए तो सरकार क्या कर सकती है ? (The hon. Lady Member is an intelligent legislator. She should know that when a case goes in the court the Government cannot interfere in it.)

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब यह फरमायेंगे कि जब रीप्रेजैंटेशन आई तो क्या उस वक्त केस के चालान का अंदराज हो चुका था या नहीं ?

मंत्री : तारीख तो इस वक्त मेरे याद नहीं; इतना ज़रूर पता है कि जिस वक्त रीप्रेजैंटेशन आई मैं ने कागज़ात एस. पी. को भेज दिए, जिस ने यह लिखकर इतलाह भेजी कि केस सब-जुडाइस है इस लिए हम कुछ नहीं कर सकते ।

Shri Rup Singh 'Phul' : Madam, may I know whether the Government is aware of the fact that accused Shri Dilraj Singh has since been acquitted ?

Minister : I do not know the result of the case.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PAY SCALES OF P.C.S. OFFICERS

711. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year when the pay scales of P.C.S. Officers were fixed for the first time and also the years when the said scales were revised from time to time ;

(b) if no revision in the said scales has so far been made, the reasons for the same ;

(c) whether the Punjab P.C.S. Associations, the District P.C.S. Associations (Executive Branch) made any representations to Government about the revision of their pay scales in the years 1961 and 1962 ; if so, the copies thereof be laid on the Table of the House ;

(d) the details of action so far taken or proposed to be taken in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Prior to 1929.

(ii) 1936 and 1945.

(b) Does not arise.

(c) Yes. The time and labour involved in laying on the Table of the House the copies of all the representations received from P.C.S. (Executive Branch) Associations will not be commensurate with the results to be achieved.

(d) Matter under consideration.

NON-OFFICIAL VIGILANCE COMMITTEE

712. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total amount spent by Government on the non-official Vigilance Committee ;

(b) a copy of the final report of the said Committee be laid on the Table of the House ?

Shri Mohan Lal : (a) Rs 74,125.22 nP. (including Rs 12,621.06 nP. on account of purchase of Car for the Chairman).

(b) As the proceedings of the said Committee are to be kept strictly confidential, a copy of the Final Report is not being laid on the Table of the House.

LGGUAGE PERMISSIBLE TO BE CARRIED ON THE VEHICLES OF THE P.R.T. CORPORATION, PATIALA

757. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state the list of articles and luggage permissible to be carried at present, on the vehicles of the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala along with the quantity or number of each item and the rates charged in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Each passenger is permitted to carry 30 lbs. of luggage free of charge.

(b) The following articles belongings may be carried on payment at the rates indicated against each item. Other articles, if not covered within the

Reply to unstarred question No. 930, received late from the Government, is printed annexure to this debate.

free allowance, are charged for by weight at half the lower class fare per maund :—

(i) Typewriter (Portable) ..	Free
(ii) Typewriter (Standard) ..	Do
(iii) Tricycle ..	Do
(iv) Birds in cage (one bird to a cage)	Free (but not inside the bus)
(v) Fruits in baskets ..	Free up to 10 seers per passenger.
(vi) Baby chair ..	Within free allowance
(vii) Stool	Ditto
(viii) Fan (Table) ..	Ditto
(ix) Gramophone ..	Ditto
(x) Radio ..	Ditto
(xi) Sewing machine not fitted with paddles	Ditto
(xii) Charpoy (folded) ..	Ditto
(xiii) Chair baby chairs excluded)	1/4th of the lower class fare
(xiv) Table (Small) ..	1/3rd of the lower class fare
(xv) Teapoy ..	1/4th of the lower class fare
(xvi) Table office/dinning ..	1 lower class fare
(xvii) Table dressing ..	1/2 lower class fare
(xviii) Sofa chairs. ..	1/2 Lower class fare.
(xix) Almirah(2′× 2 ×5′) ..	1 lower class fare.
(xx) Almirah big size ..	2 lower class fare
(xxi) Sofa couch ..	1 lower class fare
(xxii) Pedestal fan ..	1/4th lower class fare
(xxiii) Sewing machine fitted with paddles	1/4th lower class fare
(xxiv) Charpoy (not folding)	1/4th lower class fare
(xxv) Palang ..	1/2 lower class fare
(xxvi) Bicycle ..	1/3rd lower class fare
(xxvii) Dogs ..	Dogs will be allowed in the upper class compartment only when carried in the owners lap.. When carried in lower class compartment, they shall be in-charge of some one travelling in that compartment (other than the conductor and be charged at one lower class fare), for every dog thus charged one passenger shall be carried less.
(xxviii) Birds in crate ..	1/4th of the lower class fare
(xxix) Milk in cans .	1/2 of the lower class fare per maund minimum fraction to be reckoned as 10 seers.

(c) Carriage of goods of the following type is also prohibited :—

(i) Inside the bus—goods likely to foul the interior or make it insanitary or cause inconvenience to the passengers.

(ii) On the top of the bus—goods which drip or emit foul smell, including fish.

RATES CHARGED BY COOLIES AT BUS STAND, PATIALA

758. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the rates which the coolies working at the Bus Stand, Patiala are allowed to charge from the passengers have been fixed, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes.

5 N.P. per maund or per package.

POST OF DIRECTOR OF AYURVEDA, PUNJAB

871. **Comrade Ram Piara :** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the post of the Director of Ayurveda Punjab has been abolished ; if so, since when together with the reasons therefor ;

(b) the date when the post of the Director of Ayurveda, Unani was created with Headquarter at Patiala together with the name of the Director who was appointed on the newly created post of the Director ;

(c) whether the officer appointed as Director when the new post of Director Ayurvedic was created, was already in the Department/Government Service ; if so, the designation of the post held by him before this appointment as Director ;

(d) whether it is a fact that the above said Director had been leaving his Headquarters for Bombay and other States very oftenly ; if so, the dates when permission or leave in different periods/months had been granted to him during the period from January, 1960 todate together with the purpose for which he has been proceeding to other States and the designation of the authority who had been granting permission/leave ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes Sir, from the date Shri Kanti Narain Missar, the present incumbent is relieved of his duties. The control of Ayurvedic/Unani dispensaries having been transferred to the Zila Parishads, the work of disbursement of pay of the field staff working in these dispensaries is to be handled by the District Medical Officers of Health while the administrative control will be with the Deputy Commissioners. thus there remained little justification for keeping such a whole-time post in the grade of Rs 950—50—1200.

(b) No new post of Director of Ayurveda was created. The designation of the post of Rajya Vaidya in the erstwhile State of Pepsu was changed to that of the Director of Ayurveda with effect from 22nd July, 1952. Shri Ram Parshad the then Rajya Vaidya was designated as Director of Ayurveda because of change in the designation.

(c) As explained in reply to (b) above.

(d) Since the above said Director retired in the year 1954 the question of stating dates from January, 1960 to date does not arise. However, the present Director of Ayurveda availed of leave for visiting Bombay on the following dates :—

Dates (Period)	*Purpose*
(1) 11th to 21st January, 1960	Domestic affairs
(2) 28th November to 18th December, 1960	Change of climate after illness

(3) 26th July, to 3rd August, 1962 — Domestic Affairs
(4) 8th and 9th September, 1962 — Ditto
(5) 29th September to 7th November, 1962 — Ditto

ACCIDENTS ON THE BYE-PASS OF KARNAL NEAR KUNJPURA

874. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the total number of road accidents occurred on the bye-pass of Karnal together with the number of persons killed and wounded during the period from 1960 todate ;

(b) whether any steps have been taken or proposed to be taken by Government to avoid further accidents or to reduce the numberof said accidents, if so, the details thereof ?

Sardar Darbara Singh : (a) Only one accident occurred in which two persons were killed and five wounded.

(b) There is no defect in the road and the question of taking any steps does not arise.

GRANT OF *Adhoc* PAY TO PATWARIS OF JANDIALA AND MAJITHA DIVISIONS

885. Sardar Kultar Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government during the last three years or four years decided to give *ad hoc* pay to the canal patwaris in the State, if so, when ;

(b) the total number and names of canal patwaris of Jandiala and Majitha Divisions of Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar, who have been given the said *ad hoc* pay and also the total number and names of those who have not been paid such pay so far, with the reasons therefor;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to pay the arrears of the *ad hoc* pay to the said patwaris, if so, when and the time by which the arrears of the said *ad hoc* pay are likely to be paid ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes ; with effect from 1st April, 1961.

(b) The total No. of patwaris in Jandiala Division is 96 and that of Majitha Division is 82. All have been paid *adhoc* pay and no amount is due to them. Their names are given below :—

Serial No.	Name of Irrigation Booking-Clerk
	JANDIALA DIVISION
	Sarvshri—
1	Raghu Nath
2	Avtar Singh
3	Roshan Lal
4	Joginder Singh, son of Deva Singh
5	Tara Chand
6	Kartar Singh
7	Chanan Singh
8	Joginder Singh, son of Harbhajan Singh
9	Ved Parkash

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of Irrigation Booking Clerk
10	Madan Lal
11	Baldev Raj
12	Ajit Singh
13	Om Parkash
14	Sain Ditta
15	Surjan Dass
16	Saudagar Mal
17	Piara Singh
18	Sardari Lal
19	Budh Singh
20	Waryam Singh
21	Munshi Ram
22	Bakhshish Singh
23	Kartar Singh, son of Hira Singh
24	Bhagat Singh
25	Jagdish Chander
26	Harnam Dass
27	Jagan Nath
28	Bashamber Nath
29	Ram Chand
30	Dyal Singh
31	Ram Parkash
32	Mehnga Singh
33	Paul Singh
34	Rup Lal
35	Dharam Paul
36	Tara Singh
37	Ved Parkash
38	Bhan Singh
39	Kidar Nath
40	Arjan Singh
41	Om Parkash
42	Baldev Raj, son of Gauri Shanker
43	Bhagat Ram
44	Bahadur Singh
45	Shadi Lal
46	Gurbhej Singh
47	Rup Lal
48	Sardar Singh
49	Mohan Lal
50	Khushwaqat Rai
51	Jaswant Singh
52	Surrinder Singh
53	Nathu Ram
54	Shangara Singh
55	Pritam Singh, son of Hakam Singh
56	Baldev Raj, son of Khushi Ram
57	Rattan Singh
58	Gurdial
59	Pritam Singh, son of Sunder Singh
60	Surjit Singh
61	Krishan Narain Singh
62	Mukhtiar Singh
63	Kartar Singh, son of Bhagwan Singh
64	Pritam Singh, son of Lal Singh
65	Sant Ram
66	Gurdarshan Singh
67	Joginder Singh, son of Narain Singh
68	Saudagar Mal
69	Sarup Singh
70	Kartar Singh, son of Vir Singh
71	Dalbir Singh

Serial No.	Name of Irrigation Booking Clerk
72	Kartar Singh, son of Thakar Singh
73	Kishan Singh
74	Chanchal Singh
75	Joginder Paul
76	Kartar Chand
77	Chaman Lal
78	Ganpat Rai
79	Jagir Singh
80	Joginder Singh, son of Lachhman Singh
81	Arjan Singh
82	Surain Singh
83	Girdhari Lal
84	Mehar Chand
85	Mohinder Singh
86	Mohan Lal
87	Kesar Mal
88	Manohar Lal
89	Dewarka Dass
90	Ram Rakha
91	SharanJit Singh
92	Buta Singh
93	Sudarshan Lal
94	Jagdish Mittar
95	Kapur Singh
96	Balbir Singh
	MAJITHA DIVISION
	Sarvshri—
1	Ujagar Singh
2	Som Dutt
3	Kewal Krishan
4	Sampuran Singh
5	Amar Singh
6	Harbans Lal
7	Darshan Singh
8	Babu Ram
9	Sohel Singh
10	Ram Saran Dass
11	Kashmir Singh
12	Mohinder Sai, son of Khushi Ram
13	Kharaiti Lal
14	Madan Lal
15	Pritam Singh, son of Hukam Singh
16	Gurmukh Singh
17	Chaman Lal
18	Kewal Singh
19	Mohinder Sai, son of Ganga Ram
20	Kundan Singh
21	Behari Lal, son of Dewan Chand
22	Sohan Singh
23	Gurdas Singh
24	Karnail Singh
25	Prem Sagar
26	Pritam Singh, son of Hari Singh
27	Parshotam Dass
28	Bishan Singh
29	Madan Lal, son of Gaur Nand
30	Guran Ditta
31	Balwant Singh
32	Jasmer Singh
33	Dalip Singh
34	Harbhajan Singh

Serial No.	Name of Irrigation Booking Clerk
35	Lal Singh
36	Mukhtar Singh
37	Amar Singh
38	Dhanpat Rai
39	Makhan Singh
40	Shiv Dyal
41	Mohan Lal
42	Kundan Lal
43	Gurbakhsh Singh
44	Kulwant Rai
45	Nand Lal
46	Kartar Singh
47	Vidya Parkash
48	Chanan Singh
49	Ishar Dass
50	Charan Dass
51	Dwarka Parshad
52	Brahm Dutt
53	Manohar Lal, son of Karam Chand
54	Mukhtar Singh
55	Murat Singh
56	Ram Chand
57	Tek Chand
58	Jashkaran Singh
59	Inderjit
60	Barkat Ram
61	Hardam Singh
62	Daljit Singh
63	Kuldip Singh, son of Didar Singh
64	Kuldip Singh, son of Balwant Singh
65	Manohar Lal, son of Gian Chand
66	Jagjit Singh
67	Ramesh Chander
68	Hardyal Singh
69	Boota Singh
70	Raja Ram
71	Baij Nath
72	Adalat Singh
73	Jhanda Ram
74	Kashmira Singh
75	Jamna Dass
76	Arjan Singh
77	Pritam Dass
78	Piara Singh
79	Avtar Singh
80	Behari Lal
81	Gurdip Singh
82	Dara Singh

(c) Does not arise.

PERSONS DETAINED UNDER THE DEFENCE OF INDIA RULES

898. Sardar Kulbir Singh : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the names of persons detained under the Defence of India Rules in the different Jails of the State as on 15th February, 1963 and with their full home addresses ;

(b) the class in which each of them has been placed for his treatment in Jail ;

(c) the daily expenses incurred by Government per detenu class wise in the Jails ;

(d) the nature of the facilities (amenities) afforded to the detenus in Jails, classwise ;

(e) whether any detenus have been released so far, if so, their names with full home addresses ?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) The requisite information is as per annexure I below.

(c) A and B class detenus are given a diet allowance of Rs 2.25 nP. and 1.75 nP. per day respectively, and 'C' class detenus are given diet on the same scale as allowed to criminal prisoners of class 'C' under Rule 5 of Punjab Detenu Rules, 1950. The cost of diet issued to 'C' class prisoners is about 60 nP.

(d) The detenus detained under the Defence of India Rules, 1962 are governed by Detenus Rules, 1950, in the matter of Maintanence, discipline and facilities, etc. All the amenities enumerated in the following rules are being provided to the detenus according to the class in which they have been placed :—

(1) Rule 4 .. Accommodation
(2) Rule 5 .. Diet
(3) Rule 6 .. Clothing and bedding
(4) Rule 7 .. Furniture
(5) Rule 8 .. Funds.
(6) Rule 9 .. Toilet articles
(7) Rule 16 .. Interview
(8) Rule 30 .. Newspapers/Weeklies.
(9) Rule 31 .. Books
(10) Rule 32 .. Supply of books etc.
(11) Rule 37 .. Writing material
(12) Rule 38 .. Examinations
(13) Rule 43 .. Watches
(14) Rule 44 .. Recreation
(15) Rule 45 .. Smoking
(16) Rule 49 .. Medical treatment

(e) The requisite information is enclosed as per annexure II.

ANNEXURE I

Serial No.	Name with perentage	Home address	Class in which placed
1	2	3	4
1	Shri Shamsher Singh Josh, son of Shri Bhakhtawar Singh	Village Kakron, district Ambala	B
2	Shri Harnam Singh Chamak, M.L.A., son of Shri Achar Singh	Village Lohat Badi, district Sangrur	B
3	Master Hari Singh, M.L.C., son of Shri Isher Singh	Village Bhaddon, police station Mahilpur, district Hoshiarpur	. . B

Serial No.	Name with parentage	Home address	Class in which placed
1	2	3	4
4	Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A., son of Shri Gujjar Singh	Village Tarsikka, district Amritsar	B
5	Shri Hardit Singh Bhattal, M.L.A., son of Shri Ram Singh	Village Bhattal, district Sangrur	B
6	Shri Sultan Singh, son of Shri Nand Ram	Village Modal Shahpur, district Rohtak	B
7	Shri Raghbir Singh, son of Shri Prit Singh	Village Jharhi, Police Station Salhawas, district Rohtak	B
8	Shri Des Raj Chadha, son of Shri Duni Chand	Jullundur	B
9	Dr. Bhag Singh, son of Shri Sunder Singh	Village Maksudpur, Police Station Mahilpur, district Hoshiarpur	B
10	Shri Hazara Singh Hamdam, son of Shri Gurdit Singh	Village Janadpur, Police Station Sidhwan Bet, district Ludhiana	C
11	Shri Bhag Singh, son of Shri Nihala	Village Sajjon, Police Station Sadar Hoshiarpur	C
12	Shri Gurcharan Singh, son of Shri Teja Singh	Village Sainsara, Police Station Majitha, district Amritsar	C
13	Shri Tikka Ram Sukhan, son of Sohan Lal	Model Town, Karnal	C
14	Shri Ajit Singh Manakpuri, son of Shri Inder Singh	Village Manak Puri, district Jullundur	C
15	Shri Amarmit Singh, son of Shri Chaman Singh	Village Dewanwali, district Gurdaspur	C
16	Shri Satwant Singh, son of Shri Niranjan Singh	Of Montgomary now at Sangrur	C
17	Shri Dalip Singh Tapiala, son of Shri Janmeja Singh	Village Tapiala, district Amritsar	C
18	Shri Fauja Singh, son of Shri Arur Singh	Village Bhullar, district Amritsar	C
19	Shri Chanan Singh Brar, son of Shri Zora Singh	Village Phide now Barawali, Police Station Muktsar, distict Ferozepur	C
20	Shri Bishan Singh, son of Shri Sawan Singh	Village Bianpur, Police Station Dinanagar, district Gurdaspur	C
21	Shri Ghuman Singh, son of Shri Pala Singh	Village Ugrahan, district Sangrur	C
22	Shri Raghbir Singh, son of Shri Ram Parkash	Village Dhansauli, Police Station Sadar Panipat, district Karnal	C

Serial No.	Name with parentage	Home address	Classe in which placed
1	2	3	4
23	Shri Dhanpat Rai Nahar, son of Shri Mehnga Ram .	Village Shankar, district Jullundur	C
24	Shri Dalip Singh Johal, son of Shri Inder Singh	Village Sarhali, district Amritsar	C
25	Shri Mota Singh Jhabal, son of Shri Atma Singh	Village and police Station Jhabal, district Amritsar	C
26	Shri Darshan Singh Jhabal, son of Shri Bawa Singh	Village Jhabal Kalan, Police Station Jhabal, district Amritsar	C
27	Shri Karnail Singh Phide, son of Shri Sarwan Singh	Village Phide, Kalan, Police Station Faridkot, district Bhatinda	C
28	Shri Chanan Singh Dhut, son of Shri Basant Singh	Village Dhut Kalan, Police Station Hariana, district Hoshiarpur	C
29	Shri Gurbux Singh Atta, son of Shri Partap Singh	Village Atta, Police Station, Phillaur, district Jullundur	C
30	Shri Harkishan Singh Surjit, son of Shri Harnam Singh	Village Bundala, Police Station Nurmahal, district Jullundur	C
31	Shri Jarnail Singh, son of Shri Parduman Singh	Village Bhungarni, district Hoshiarpur	C
32	Shri Satya Mandan, son of Rao Madho Singh	Of Mandi, now Mohala Nalapur district Narnaul	C
33	Shri Rachhpal Singh, son of Shri Bishan Singh	Village Burj Hari Singh, Police station, Raikot, district Ludhiana	C
34	Shri Mange Ram Vats, son of Shri Hazari Lal	Village Mandauthi, Police Station Bahadurgarh, district Rohtak	C
35	Shri Pirthi Singh, son of Shri Des Raj	Jat of Village Mundala, Police Station Gohana, district Rohtak	C
36	Shri Rameshwar Das, *alias* Rameshar Gwalison, son of Shri Pirthi Singh	Village Gwalison, district Rohtak	C
37	Shri Puran Chand, son of Shri Kidar Nath	House No. 5704, Ambala Cantt.	C
38	Shri Rajinder Singh, son of Shri Batan Singh	Village Sarinh, Police Station Nakodar, district Jullundur	C
39	Shri Sarwan Singh Cheema, son of Shri Banta Singh	Jat of village Cheema Police Station Nurmahal, district Jullundur	C

[Home Minister]

Serial No.	Name with parentage	Home address	Class in which placed
1	2	3	4
40	Shri Jagtar Singh, son of Shri Shankar Singh	Village Khambara, district Jullundur	C
41	Shri Prem Chand, son of Shri Jai Sita Ram	Village Dera Basi, district Patiala	C
42	Shri Gurcharan Singh, son of Shri Panna Singh	Village Randhawa, Police Station Phillaur, now at Bhatinda	C
43	Shri Sulakhan Singh, son of Shri Partap Singh	Batala, district Gurdaspur	C
44	Shri Sohan Singh Josh, son of Shri Lal Singh	Village Chetanpur, district Amritsar, Police Station Majitha	C
45	Shri Bakshi Ram, son of Shri Ramjhu	Village Bundala, Police Station Nurmahal, district Jullundur	C
46	Shri Dula Singh, Jalaldiwal, son of Shri Hazari Singh	Village Jalaldiwal, Police Station Barnala, district Sangrur	E

ANNEXURE II

Statement

Serial No.	Name of Detenu with parentage	Address	Date of release
1	2	3	4
1	Shri Jagir Singh Joga, M.L.A., son of Shri Uttam Singh	Village Joga, P.S. Bhikhi, District, Bhatinda	8th December, 1962
2	Shri Piara Singh alias Ram Nath, son of Shri Mela Ram	Jamnanagar, district Ambala	Ditto
3	Shri Lakhbans Singh Tunda, son of Shri Sarwan Singh olias Sawaran Singh	Village Rasona, P.S. Zira now Moga, district, Ferozepur 8th	Ditto
4	Shri Gurbux Singh Dewan, son of Shri Ishar Singh	House No. 2437, G.T. Road, Ambala City	Ditto
5	Shri Tulsi Ram, son of Shri Khushi Ram	Kangra now Amritsar	Ditto
6	Shri Gurbux Singh Mehta, son of Shri Brij Lal	Patiala	Ditto
7	Shri Parduman Singh, son of Shri Ram Singh	Civil Lines, Amritsar	Ditto
8	Shri Nazar Singh, son of Shri Natha Singh	Village Tarewal, P.S., Moga, district Ferozepur	Ditto

Serial No.	Name of Detenu with parentage	Address	Date of release
1	2	3	4
9	Shri Karam Chand, son of Shri Mangat Ram	Village Maniara, P.S. Palampur, district Kangra	8th December, 1962
10	Shri Tera Singh Chan, son of Shri Mela Singh	Jullundur	Ditto
11	Baba Gurmukh Singh, son of Shri Hoshnak Singh	Village Lalton Khurd, District Ludhiana	18th December, 1962
12	Shri Makhan Singh, son of Shri Lakha Singh	Mohala Bagran City Ludhiana now Bhiwani District Hissar	Ditto
13	Shri Vidya Dev, son of Shri Kanshi Ram	Village Longowal, district Sangrur	Ditto
14	Shri Paras Ram, son of Shri Jai Karan	Village Kotala, now Ghurkari, district, Kangra	15th January, 1963
15	Shri Ram Kishan Bharolian Ex M.L.A. son of Shri Munshi Ram	Village Bharolian, district Hoshiarpur	Ditto
16	Shri Liladhar Dukhi, son of Shri Chajju Ram	Sirsa, district, Hissar	Ditto
17	Shri Sheo Narain Vats, son of Shri Gobind Ram	Village Dhab, district Rohtak	Ditto
18	Shrimati Shakuntala Sukhan, wife of Shri Tikka Ram	Model Town, Karnal	Ditto
19	Shri Rachhpal Singh, son of Shri Haweli Ram	Bhiwani, district, Hissar	14th January, 1963
20	Shri Daya Singh Prem, son of Shri Kalu	Village Kandwala Nazar Khan, now Akalgarh, P.S. Fazilka, district Ferozepur	15th January, 1963
21	Shri Chanan Singh Ghail, son of Shri Jagat Ram	Talwandi Fatho, P.S., Banga, district Jullundur	14th January, 1963
22	Shri Mal Singh Deillon, son of Shri Albel Singh	Village Bhogpur, P.S. Sahnewal, district Ludhiana	6th February, 1963

PERSONS ARRESTED IN CONNECTION WITH CRIMINAL CASES REGISTERED AGAINST THEM

899. Sardar Kulbir Singh : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the number of persons sent up for trial in the courts of law in each district between 1st January, 1950 and 31st December, 1955 by the Police in connection with the criminal cases registered against them together with the names of those who convicted ;

[Sardar Kulbir Singh]

(b) the number of persons arrested by the Police in connection with the criminal cases registered against them between 1st January, 1956 and 31st December, 1962 ?

Shri Mohan Lal : The time and labour involved in collecting the requisite information will not be commensurate with any possible benefit to be derived therefrom. However, if the information regarding any specific case or cases is desired by the Hon. Member, the same will be supplied.

10-00 a.m.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या आप बतलाएंगी कि कल का जो प्रिविलेज मोशन है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया ?

उपाध्यक्षा : आनरेबल मैम्बर को खुद पता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल सका । **(The hon. Member is himself aware of the fact that I could not get any time to do so.)**

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या सोमवार तक पता चल जाएगा ?

उपाध्यक्षा : ज़रूर । (Certainly.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ।

Madam, I beg to raise a question of privilege. Dr. Gopi Chand Bhargava, Finance Minister, revealed yesterday on the floor of the Legislative Council that teachers in the State have been instructed not to see the legislators to get redress of their grievances. The statement of the Finance Minister and the orders of the Punjab Government thus curtail upon the constitutional rights of voters of the State. Moreover, imposing such like restrictions on our rights to have relations with the voters of our State being their elected representatives........

उपाध्यक्षा : सरदार गुरबख्श सिंह जी, यह मेरे पास नहीं आया है । दफतर में 9 बजने में दो मिनट पर आया है इसलिए आफिस ने भी अभी नहीं देखा है । **(This motion has not yet come up to me. It was received in the office two minutes to nine and, therefore, it has not been scrutinised by the office yet.)**

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ consider ਕਰ ਲੈਣਾ ।

*CALL ATTENTION NOTICE

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, रामनवमी बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है । इसकी छुट्टी सब जगह हो रही है लेकिन पंजाब गवर्नमैंट नहीं कर रही । मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि इसकी छुट्टी जरूर होनी चाहिए । (*Interuptions*)

ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਰ ਛੁਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਛੁਟੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

पंडित भागीरथ लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, रामनवमी की छुट्टी तो सारे हिन्दुस्तान में हो रही है, यह सच है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है । और इसकी छुट्टी अवश्य होनी चाहिए ।

उपाध्यक्षा : मैं हाउस की इतला के लिए कहती हूं कि यह मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जा सकता है । यह तो म्यूचली डिसाइड करने वाली बात है । मैं चीफ मनिस्टर साहिब को भी यही कहूंगी कि म्यूचली अगर मुनासिब हो सके तो वह कर सकते हैं । (I would like to inform the House that this matter can be placed before the Business Advisory Committee. It has to be decided mutually. I would suggest to the Chief Minister also to see if it could be decided mutually.)

श्री बलरामजी दास टंडन : एडवाइज़री कमेटी तो हाउस के मीट करने या न करने के बारे में विचार करेगी लेकिन हिन्दुस्तान में सब जगह छुट्टी है, और यह इतना बड़ा त्यौहार है अगर इसकी छुट्टी यहां न हो तो यह बड़ी नाजायज़ बात है ।

उपाध्यक्षा : चीफ मिनस्टर साहिब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ? (Would the Chief Minister like to say something in the matter ?)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ।

Chief Minister : The hon. Member is raising this issue on communal grounds. Communalism has no place here. जहां तक हाउस की मीटिंग का सवाल है मैं समझता हूं कि किसी दिन दो सिटिंग्ज़ कर लो और उस दिन छुट्टी कर लो ।

---

*Shri Balramji Dass Tandon }
Shri Mukhtiar Singh Malik } : With your kind permission Madam, we want to draw the attention of the Government and the House that State Government is not observing any holiday on RAM NAUMI day falling on 2nd of April, 1963. On that day even the House is meeting.

This is really very strange that when almost all the State Governments are observing holiday on that most important and religious day of the country, but one Government is badly failing in it. We would request the Government to do the needful in the matter immediately.

चौधरी देवी लाल : छुट्टी के बदले दो सिटिंग्ज़ का क्या सम्बन्ध है ?

मुख्य मंत्री : पहले करते रहे हो । जहां तक सारे दफतरों और गवर्नमैंट आफिस क्लोज़ होने का सवाल है उसके बारे में यह है कि कैबेनेट का जो फैसला है, वह फैसला है । वैसे मेरा तो खुद दिल करता है कि काम करते चले जाओ, 365 दिन की छुट्टी कर लो ।

पंडित भागीरथ लाल : यह रामनवमी 2 अप्रैल को है, अगर इसके वास्ते कुछ करना है तो अभी से डाइरैक्टिव दिया जाना चाहिए ताकि ऐन वक्त के लिए बैठा न रहना पड़े यह सनातन धर्मियों का खास त्यौहार है, और जिसके नाम पर सरकार भी रामराज्य करना चाहती है उसके लिए अगर छुट्टी न हो तो नामुनासिब बात है (थम्पिंग) अगर आप नहीं चाहते कि एक छुट्टी और ज्यादा हो तो मैं कहता हूं कि किसी और छुट्टी को कम कर लीजिए लेकिन रामनवमी की छुट्टी करना जरूरी है ।

मुख्य मंत्री : जैसा कि इन्होंने कहा है कि इसके बदले और कोई छुट्टी कम कर लो, इन व्यू आफ दिस मैं सोचूंगा ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : राज के साथ राम भी साथ रहा तो कोई हर्ज नहीं है कि इस राज के साथ रामनवमी की छुट्टी हो जाए ।

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Deputy Speaker : Now the Secretary will make some announcement.

Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the following motion carried by the Punjab Legislative Council at its sitting held on the 19th March, 1963, referring the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Bill, 1963, to a Joint Select Committee, has been received for the concurrence of the Punjab Vihan Sabha, and in case of its concurrence, for the nomination of its members to serve on the Joint Select Committee :—

"That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Bill, 1963, be referred to a Joint Select Committee consisting of the following members of the Punjab Legislative Council :—

(1) Shri Krishan Lal,
(2) Shri Daya Krishan,
(3) Shri Des Raj
(4) Shri Mohan Lal,
(5) Acharya Prithvi Singh Azad,
(6) Doctor Dina Nath Saggar,

and eighteen members of the Punjab Vidhan Sabha with a direction to report to the House by the 15th August, 1963."

DEMANDS FOR GRANTS

1. 28 -EDUCATION
2. 57 -ROADS AND WATER TRANSPORT SCHEMES.
3. 113 -CAPITAL OUTLAY ON RAIL ROAD CO-ORDINATION SCHEMES.
4. 114 -CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES.

उपाध्यक्षा : मेरे सामने 4 डिमांडज़ हैं । मैं हाउस की सैंस लेना चाहती हूं कि क्या चारों डिमांडज़ हाउस में इकट्ठी रख दी जाएं या अलग अलग रखी जाएं ।

(There are four Demands before the House. Is it the sense of the House that these should be discussed together or taken up one by one ?)

आवाजें : सारी डिमांडज़ इकट्ठी पेश कर दी जाएं ।

Deputy Speaker : Very Well.

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Madam, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 15,03,29,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 28—Education.

That a sum not exceeding Rs 3,74,87,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 57—Roads and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs 10,68,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under the head 113—Capital Outlay on Rail Road Co-ordination Schemes.

That a sum not exceeding Rs 1,16,53,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under the head 114—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

Deputy Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 15,03,29,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 28—Education.

That a sum not exceeding Rs 3,74,87,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 57—Roads and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs 10,68,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 113—Captial Outlay on Rail Road Co-ordination Shcemes.

That a sum not exceeding Rs 1,16,53,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 114—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

I have received notices of cut-motions to these Demands for Grants from the various hon. Members. These will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the motions in respect of Demands for Grants.

28—EDUCATION

1. **Comrade Babu Singh :**
2. **Comrade Gurbaksh Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Singh Joga :**
5. **Comrade Didar Singh :**
6. **Sardar Gurcharan Singh :**
   That the demand be reduced by Rs 100.
7. **Shri Rup Singh Phul :**
   That the demand be reduced by Re 1.
8. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri :**
   That the demand be reduced by Rs 100.
9. **Sardar Pritam Singh Sahoke :**
   That the demand be reduced by Re 1.
10. **Sardar Ajaib Singh Sandhu :**
    That the demand be reduced by Rs 100.

[Deputy Speaker]

11. **Sardar Jagir Singh Dard :**
That the demand be reduced by Rs 1.
12. **Shri Amar Singh :**
That the demand be reduced by Rs 1.
13. **Lala Rulya Ram :**
That the deamdn be reduced by Rs 1.

57—ROADS AND WATER TRANSPORT SCHEMES

1. **Shri Babu Dayal Sharma :**
That the demand be reduced by Rs 100.
2. **Comrade Babu Singh :**
3. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
4. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
5. **Comrade Jangir Singh Joga :**
6. **Comrade Didar Singh :**
7. **Sardar Gurcharan Singh :**
That the demand be reduced by Rs 100.
8. **Shri Rup Singh Phul :**
That the demand be reduced by Rs 100.
9. **Shrimati Sarla Devi :**
That the demand be reduced by Rs 100.
10. **Sardar Ajaib Singh Sandhu :**
That the demand be reduced by Rs 100.
11. **Sardar Pritam Singh Sahoke :**
That the demand be reduced by Re 1.
12. **Shri Amar Singh :**
That the demand be reduced by Rs 100.

113—CAPITAL OUTLAY ON RAIL-ROAD CO-ORDINATION SCHEMES

1. **Comrade Babu Singh :**
2. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
3 **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Singh Joga :**
5. **Comrade Didar Singh :**
6. **Sardar Gurcharan Singh:**
That the demand be reduced by Rs 100.

114—CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES

1. **Comrade Babu Singh Master :**
2. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Sinth Joga :**
5. **Comrade Didar Singh :**
6. **Sardar Gurcharan Singh :**
That the demand be reduced by Rs 100.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮੀ ਸੈੱਸ ਆਇਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮੀ ਸੈਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਅਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦ-ਤੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ-ਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ-ਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਕਚੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਘੁਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਲੇ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਵਡੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲਬਾ ਦਾ ਤਲੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲਚਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਚਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂ-ਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਾਲੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਾਲੀਮ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਗਰੀਬ ਬਚੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ। ਜੋ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 35 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 56 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ-

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ-ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਡਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਰ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਕੂਲ ਛਡ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਪੈਚੂਅਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੂਰ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਐਤਕੀ ਨਾ ਦਹੁਰਾਈ ਜਾਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(Addressing Sardar Kulbir Singh : The Hon. Member may please consult his notes a bit quickly.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬਣੀ

ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਹੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਕ ਵਡੀ ਉਣਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਸ ਬਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛਡ ਕੇ ਓਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀ-ਦੀਆਂ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਦੋ ਛਿੰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾਉਣ ਲਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਇਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। (The Hon. Member has taken much time. The time at our disposal is short.)

ਸਰਦਾਰ **ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ**: ਜੇ. ਬੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਆਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : (The Hon. Member may please wind up.) ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਜਾ ਹੁਣੇ ਏਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। (The Hon. Member may please wind up. His memory is not so short at this age. He may speak without consulting his notes.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ੨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੌਰਨ ਨੈਸਨੇਲਈਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਲਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਨੈਸਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੀਤੀ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਜਾਏ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਿਲਾ ਹੈਡਕੋਆਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਸਲ ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲੌਕ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਣ। (ਘੰਟੀ) ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਉਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲਾਫ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੜਕੂ ਲਗਿਆ ਰਹੇ। ਪਹਾੜੀ ਰੂਟ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੂਟ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਰੂਟ ਹਨ ਇਹ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਵੀਲੀਜ਼ਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ) ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਾਈਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਈਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੇਸਿਜ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਨਾਂਸਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ।

उपाध्यक्षा : मैं ग्रानरेबल मैंबर्ज़ को फिर रीमाईंड करवाना चाहती हूं कि समय बहुत थोड़ा रह गया है ग्रौर बहुत से मेम्बरान बोलना चाहते हैं। इसलिए थोड़े समय में ही ग्रपने विचार हाउस में रख लें। **(I want to remind the hon. Members once again that the time at the disposal of the House is very short and many hon. Members want to speak. They should, therefore, express their views in brief.)**

प्रिंसिपल रला राम (मुकेरियां) : उपाध्यक्ष महोदया, हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि पिछले तीन चार साल में शिक्षा विभाग ने जो ग्रापा धापी की उस पर काबू पाने का काफी हद तक प्रयत्न हुग्रा है ग्रौर उस में सफलता भी हुई है। उस के लिए मैं शिक्षा विभाग ग्रौर शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इस बजट के ग्रन्दर शिक्षा के लिये जो रुपया रखा गया है वह टोटल बजट का 14% है। मैं यह समझता हूं कि किसी भी उन्नतिशील राष्ट्र के लिए टोटल बजट का 14% शिक्षा के लिए बहुत ही थोड़ा है। यह ठीक है कि एमरजैन्सी है, संकट काल है ग्रौर इस लिए कहीं कहीं बचत करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं ग्रापके द्वारा यह बात ग्रपने शिक्षा मन्त्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि इंगलिस्तान में पिछले दो विश्व युद्धों में जो शिक्षा की उन्नति हुई ग्रौर इस क्षेत्र में बड़े बड़े सुधार हुए वह इन्हीं दो युद्धों के दरम्यान में हुए। क्योंकि प्रत्येक राज्य ग्रौर राष्ट्र इस बात को भलीभांति समझता है कि जब हम दुश्मन

का मुकाबिला करने के लिए अपने नौजवानों को सही ढंग से तैयार करेंगे तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर सही ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं यह जो 14% की एलोकेशन शिक्षा के लिए की गई है बहुत थोड़ी है। इस में कोई संदेह नहीं कि संकट के इस मौके पर दूसरे विभागों में तो बहुत बचत हो और होनी ही चाहिए लेकिन में यह समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक कामों को छोड़कर बचत करने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। में चाहूंगा इस मद के लिए बजट के अन्दर कम से कम 20% की एलोकेशन होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अगर शिक्षा के सम्बन्ध में आप दूसरे उन्नतिशील राष्ट्रों के बजटों को देखें तो पता लगता है कि वहां पर 33% और कई जगह पर 40% खर्च होता है लेकिन हमारे राज्य में यह एलोकेशन सिर्फ 14% की गई है। मैं इसे तसल्लीबखश नहीं समझता। इसलिए आप के द्वारा में शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस एलोकेशन को बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में मैं यह भी अनुभव करता हूं कि बचतों के अन्द्र एक दो जगह पर ऐसी बचतें की गई हैं जिन का शिक्षा की उन्नति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो मेनटेंनस ग्रांटें कालेजों और स्कूलों को दी जाती थीं उन के अन्दर भी कटौती की गई है। उपाध्यक्ष महोदया, इस का प्रभाव अध्यापकों की तन्खाहों पर पड़ेगा। इस संकटकाल में यह उचित नहीं है कि किसी ढंग से टीचर्ज की सैलरीज़ को कम किया जाए। इसलिए में समझता हूं कि मेनटीनेंस ग्रांटस के बारे में चाहे वह कालेजों की हो या स्कूलों की, हमें इस बचत को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे राज्य का यह लक्ष्य है कि किसी तरह से भी शिक्षा काम ग्यार न गिरने पावे। उपाध्यक्षा महोदया, हमारे राज्य के अन्दर प्राइवेटली मैनेज्ड कालेजों और इन्स्टीचूशनों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी की सेवा में प्रार्थना करूंगा कि कालेजों और स्कूलों की मेनटेनेंस ग्रांटस को हरगिज़ कम न किया जाए।

ठीक है, में भी इस बात को मानता हूं कि वर्तमान समय में एजूकेशनल स्टेंडर्ड उन्नति नहीं कर रहा बल्कि ऐसा विचार है कि यह कई अंशों में नीचे की तरफ जा रहा है। में समझता हूं कि यह नुक्ताचीनी किसी हद तक ठीक ही है। लेकिन इस दिशा में हमारे राज्य के शिक्षा विभाग ने कई कदम उठाए हैं जिन्हें मैं सराहनीय समझता हूं। मिसाल के तौर पर प्राइमरी की पांचवीं जमात के बाद बच्चों का डिपार्ट-मेंटल एगजामीनेशन होना ताकि टीचर्ज के काम पर कुछ न कुछ चैक हो। यह बढ़ा अच्छा कदम है। इस के अलावा मिडल स्टेंडर्ड एगज़ामीनेशन जारी किया गया। मैं समझता हूं कि यह भी एक निहायत जरूरी कदम था जो उठाया गया। अब प्रयत्न यह करना चाहिए कि इस इम्तहान को इस योग्यता के साथ चलाया जाए कि आजकल जो वसीह पैमाने पर अनफेयरर मीन्ज़ इस्तेमाल होते है, वह न हों। हमें इस बीमारी को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह बीमारी इसी स्टेज से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। इम्तहान का रखना बिल्कुल सही बात है लेकिन जैसा कि मैं ने निवेदन किया इसके लिए ऐसे कदम उठाने चाहिएं कि इम्तहानों को ज्यादा से ज्यादा एफैक्टिवली

[प्रिंसिपल रला राम]
चलाया जा सके ताकि अनफेयर मीन्ज़ इस्तेमाल करने की जो वबा है इस पर काबू पाया जा सके। मैं मानता हूं कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में यह वबा कम है लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे पंजाब के स्टैंडर्डज़ अपने हैं, दूसरों से ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहने चाहिएं हर दिशा में ऊंचे रहने चाहिएं। जैसे भ्रष्टाचार के सिलसिले में मुझे यह स्वीकार करने में हर्ष होता है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में हम बहुत ऊंचे हैं लेकिन अपने निजी स्टैंडर्डज़ के लिहाज़ से मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही है वह तसल्लीबख्श नहीं है। हमारे स्टैंडर्डज़ के प्रतिकूल यहां पर अनफेयर मीन्ज़ काफी वसीह पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। डिपार्टमैंट को चाहिए कि इस सम्बन्ध में मुनासिब और एफैक्टिव कार्यवाही करे ताकि यह जो इम्तहान जारी किया है इसके सही नतीजे निकलें और हमारी शिक्षा का स्तर पंजाब के अन्दर ऊंचा हो सके।

इस के अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, अभी अभी शिक्षा विभाग ने टीचर्ज़ की प्रोमोशन्ज़ के लिए कुछ स्टैंडर्डज़ कायम किए हैं। मैं चूंकि प्राईवेट कालेज और संस्थाओं के अन्दर काम करता रहा हूं इसलिए मैं आपको बताऊं कि इस बात में काफी सचाई है कि प्राईवेट संस्थाओं के मुकाबले में वाकई गवर्नमेंट इन्स्टीटयुशन्ज़ में नतीजे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता रहा। अब डिपार्टमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया है उसके लिए मैं डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो स्टैंडर्डज़ गवर्नमेंट ने ले डाउन किए हैं, it is the swing of the pendulum to the other end of the extreme. यह दूसरी तरफ बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। मसलन मैं नहीं समझता कि सभी सबजैक्टस के लिए एक जैसे ही स्टैंडर्डज़ निर्धारित किए जा सकते हैं। अगर मेरा सबजैक्ट अंग्रेज़ी है तो उसके अन्दर पास प्रतिशतता 80 नहीं हो सकती। कालेजों के अन्दर तो मैंने देखा है कि अगर बाकी सबजैक्टस के अन्दर पास प्रतिशतता 60, 70 हो तो इन्गलिश के अन्दर 40 या 45% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यह जो अन्तर है यह तो इस समय भी हमें करना ही होगा वरना टीचर्ज़ के साथ बहुत सख्त नाइन्साफी होगी। मैं तो यह समझता हूं कि सेफिस्ट स्टैंडर्ड इन टीचर्ज़ के प्रोमोशन करने में यही होगा कि यूनीवर्सिटी की पास प्रतिशतता को ही एफीशेंसी के लिए मिनीमम स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाए। इस से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट आरबिटरेरली अपने स्टैंडर्ड मुकर्रर करता है तो टीचर्ज़ के साथ भारी अन्याय होगा। डिपार्टमेंट को इस सम्बन्ध में यही करना चाहिए कि उसी हालत में किसी टीचर का काम तसल्लीबख्श समझा जाएगा जिसके नतीजे की पास प्रतिशतता यूनीवर्सिटी की पास प्रतिशतता से ऊंची हो। ऐसा करना, मैं समझता हूं कि काफी हद तक जस्ट मयार होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। बाकी जो कदम उठाए गए हैं उन के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं।

जहां तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह महसूस करता हूं कि किसी भी टीचर का काम जज करने के लिए केवल नतीजा ही एक क्राइटीरियन

नहीं हो सकता । इसके अलावा यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह एक्सटरा करीकुलर एक्टिवीटीज़ में कितना भाग लेता है, डिस्पलिन को कैसे मेनटेन करता है, गेम्ज़ के अन्दर कितना हिस्सा लेता है । यह सभी फैक्टर्ज़ भी ध्यान में रखे जाने चाहिएं तभी हम टीचर के साथ इन्साफ कर सकते हैं । अगर हम केवल रीज़लटस को ही ध्यान में रखेंगे तो फिर हम अपने शिक्षा के सिस्टम को केवल एगज़ामीनेशन रिडन ही बना पाएंगे । आगे ही यह काफी हद तक एग्ज़ामीनेशन रिडन है । इस के अन्दर काफी करैमिंग होती है । खुद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने लखनऊ कान्फैंस में कहा था कि हमें करैमिंग को डिसकरेज करना चाहिए । मैं इस बात में उन के साथ बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि हमारा सिस्टम एग्ज़ामीनेशन रिडन नहीं रहना चाहिए । इसलिए आप जी के द्वारा शिक्षा मंत्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि टीचर्ज़ के काम को जज करने के लिए सिर्फ यही कराइटेरियन नहीं रखा जाना चाहिए कि उसकी पास प्रतिशतता कितनी है । इस के साथ ही साथ उन दूसरे फैक्टरज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिनका मैंने अभी अभी वर्णन किया है ताकि हम एजुकेशनल स्टैंडडर्ज़ को ऊंचा उठाने में सफल हों । उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक निरीक्षण यानी इन्स्पैक्शन का ताल्लुक है, मुझको इस में, प्रसन्नता है कि आगे की निस्बत इस तरफ काफी उन्नति हुई है और काफी परिवर्तन हुए हैं । इन्स्पैक्टोरेट और इन्स्पैक्शन दोनों में तब्दीलियां हुई हैं लेकिन मैं आप के द्वारा एक बात अपने शिक्षा मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे ख्याल में अभी तक भी 15 फीसदी लाग बुक बिना स्कूलों में जाए लिख दी जाती हैं, अपने पास मंगवा कर लिख दी जाती हैं । स्कूलों का निरीक्षण होता ही नहीं। बहर हाल, आम तौर पर इस दिशा में भी काफी सुधार हुआ है जिस के लिए मैं महकमा को बधाई देता हूं लेकिन साथ ही यह भी कह देना ज़रूरी समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में ज्यादा कड़ाई नहीं करेगी, हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं जैसा कि उन्होंने लखनऊ कानफ्रैन्स के अन्दर कहा था कि हम अपनी एजुकेशन को बिल्कुल एकडैमिक टाइप की नहीं बनाना चाहते और बनानी भी नहीं चाहिए । वह इस को साइंटिफिक टच देना चाहते हैं । मैं इन सारी बातों के लिए उन्हें बधाई देता हूं लेकिन एक बात की तरफ आप के द्वारा उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । 1962 के बाद का भारत पहले के भारत की तरह नहीं हो सकता । चीनियों के हमले के बाद अब पहले वाला भारत नहीं रह सकता । चीन के हमले ने यहां एक भारी क्रांति पैदा की है और यह क्रांति आनी भी चाहिए थी । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि उन्हों ने पहले कहा है कि वह साइंस और टैकनीकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और इस के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं । मैं इन्हें इस के लिए बधाई देता हूं लेकिन इस के साथ यह कहता हूं कि हमारे सिस्टम आफ एजुकेशन में भाषाओं

[प्रिंसिपल रला राम]

के अध्ययन में बड़ी भारी कमी है जिस की वजह से हम चीनी लोगों का या दूसरे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे । हमारी जो हिमालियन भाषाएं हैं हमारे हरेक नौजवान को वह ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिएं । इस के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकेगा । भाषाओं की स्टडी जो है यह हमारे स्कूलों और कालेजों में बड़ी डैटेरेंट है । हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो यहां के स्कूलों और कालेजों में पढ़े होते हैं वह न तो हिन्दी में और न पंजाबी में अच्छी तरह से खत भी लिख सकते हैं । It is essential to encourage the study of as many languages as possible from the international view point also. हमारा जो पहला वातावरण है वह बदल चुका है । अगर अब हमारे नौजवान ज्यादा से ज्यादा भाषाएं नहीं पढेंगे तो यह दूसरे देशों के नौजवानों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे । यह ठीक है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह सुझाव दिया है कि विकेशन्ज के अन्दर यह पढ़ानी चाहिएं । मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं लेकिन मैं कहूंगा कि दो या तीन महीने के अन्दर कुछ पढ़ा जाने वाला नहीं यह ठीक है कि इन का इस तरफ ध्यान है लेकिन इन्हें इस चीज़ को पूरा करना होगा हमारे लदाख के फ्रन्ट से जो बड़े बड़े अफसर आए हैं उन में से बहुत से मेरे शगिरद हैं, वे कहते हैं कि वह इस पर हैरान होते थे कि चीनी औरतें लाऊड स्पीकर पर किस अच्छे तरीके से हिन्दी और पंजाबी बोल रही हैं । उन्हें पता भी नहीं लगता था कि वह कौन बोल रही हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बारे में हम बहुत पीछे हैं मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं ।

इस के अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं । Our young men are nurtured too much on idealism which is no longer applicable to moral eminence. अगर हम अपने करीकुलम को इस किस्म का नहीं बनाएंगे जिस से हमारे नौजवान कनिंग बनें हम सफल नहीं हो सकते । क्योंकि मैं यह समझता हूं कि इस के बगैर हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिन लोगों से हमारा मुकाबला है । इस लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि कृपा करके बच्चों को हितोपदेश और पंचतन्त्र की कहानियां पढ़ाई जाएं या और हमारे बहादुरों की जो कहानियां हैं वह पढ़ाई जाएं । जिस से वह कनिंग बन सकें । If we do not make them cunning enough—I understand the sense of the word cunning. It is not bad—I do not want them to be deceitful but I want them to be cunning. अगर आप उन्हें ऐसा नहीं बनाएगे तो आप देखेंगे कि वह इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे । मैं इस बारे में शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस तरफ विशेष ध्यान दें क्योंकि वह इस बारे में काफी सुचेत हैं— They should make efforts in this connection so that our youngmen become cunning enough to face the enemy.

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदया, आप का धन्यवाद कर के अपनी सीट पर बैठता हूं ।

कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे खुशी है कि तालीम को नई ओरियन्टेशन देने की कोशिश की जा रही है । हाल ही में हमारे केन्द्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हों ने अपने भाषण में कहा है कि अब हम साइंस की ओर ज्यादा तवज्जुह देंगे और हम तालीम में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इसका जो फैलाव है वह जारी रहेगा । इसी तरह से हमारे मुख्य मंत्री साहिब फरमाते रहते हैं कि तालीम का जो प्रसार है उस में कमी नहीं आने दी जाएगी । लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब कोई अमल की बात आती है तो उस में कुछ नुक्स रह जाते हैं ।

दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब हम ने तालीम फैलानी है तो तालीम फैलाने के लिए यह ज़रूरी है कि इस के लिए स्कूलों की बिल्डिंगें भी हों और टीचर्ज़ भी हों । मैं इस बात में यकीन नहीं रखता हूं कि बच्चों को स्कूल बिल्डिंग के बगैर या टीचर्ज़ के बगैर या साइंस के सामान के बगैर पढ़ाया जा सकता है । मेरा तो यह ख्याल है कि अगर तालीम को फैलाना है तो स्कूलों की बिलिडंगों का बढ़ाना भी ज़रूरी है । अब जो सरकार ने यह फैसला किया है कि अब फिर बच्चों से फीसें लेने का सिस्टम जारी किया जाएगा इस पर बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया है लेकिन जब फीसें माफ की गई थीं मैं ने तब भी कहा था कि फीसें माफ न की जाएं और जो फीसों से रुपया सरकार को वसूल हो उस मे स्कूलों की बेहतरी की जाए क्योंकि अगर फीसें माफ कर देते हैं तो स्कूलों की बेहतरी नहीं हो पाती । खैर, अब सरकार ने बड़ा अच्छा किया है जो इस ने फीसें कुछ रियायतों के साथ फिर से लगा दी हैं । कुछ लड़कों को फीसें बिल्कुल माफ भी कर दी गई हैं और कुछ से आधी फीस ली जाएगीं । अगर फीसें सब की माफ कर दी जाएं और स्कूलों की हालत यह हो जाए कि वहां साइंस का कमरा न हो, सांइस का सामान न हो या स्कूल की बिल्डिंग पूरी न हो या वहां टीचर्ज़ कम हों तो यह अच्छी बात न होगी । इस लिए हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि तालीम पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर के यह सारी सहूलतें स्कूलों में मुहैया करें । अभी मेरे से पहिले प्रिंसिपल रला राम जी बोल रहे थे उन्होंने बताया कि सरकार बजट में दिखाए गए सारे खर्च का 14 प्रतिशत तालीम पर खर्च करने जा रही है । मैं समझता हूं कि यह कम है । इस के लिए अगर 20 या 25 प्रतिशत रखा जाता तो बेहतर होता । हमारे ज़िला कांगड़ा में स्कूलों की बहुत कमी है और स्कूलों की बिल्डिंगे भी पूरी नहीं हैं और वहां जो मास्टर या मास्टरानियां पढ़ाती हैं, बाज गांवों में तो उन के रहने के लिए जगह भी नहीं होती । अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा । इस के अलावा मैं आप के द्वारा सरकार से यह भी दरखास्त करूंगा कि धर्मसाला, नूरपुर और हमीरपुर जैसे शहरी स्थानों पर लड़के और लड़कियों के ठहरने के लिए होस्टल बनाने चाहिएं ।

[कामरेड राम चन्द्र]

इस के अलावा मैं एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहता हूं । यह जो कहा गया है कि स्कूलों की अप-ग्रेडेशन बिल्कुल बन्द कर दी गई है यह ठीक नहीं किया क्योंकि इस के बन्द हो जाने से हमारे ज़िला कांगड़ा जैसे इलाकों की जहां पहले ही बहुत कम और कम इकदिपड स्कूल हैं, की हालत तालीम के लिहाज़ से सबुरु नहीं पाएगी । हां यह तो हो सकता है कि जिन इलाकों में पहले से ही काफी मिडल और हाई स्कूल हैं वहां अपग्रेडेशन बेशक बन्द कर दी जाए लेकिन जहां यह कम हैं वहां अप-ग्रेडेशन का बन्द करना गलती होगी क्योंकि इस के न करने से हमारे ज़िला कांगड़ा के बच्चे जो दूर के स्कूलों में नहीं जा सकेंगे उन की तरक्की रुक जाएगी । इस लिए जहां जहां पहले सिर्फ मिडल स्कूल हैं वहां हायर सैकेंडरी स्कूल भी होने चाहिए ; वहां साइंस के कमरे भी बनाने चाहिएं और साइंस का सामान भी मुहैया करना चाहिए और साथ ही साइंस के टीचर्ज़ भी भेजने चाहिएं । हमारी तहसील नूरपुर में दो साल पहले नूरपुर तथा जवाली दो स्थानों में स्कूल अपग्रेड किए गए थे लेकिन वहां अभी तक बिल्डिंग नहीं बढ़ाई गई । साइंस का कमरा भी नहीं बनाया गया । इस में इस महकमे का कसूर नहीं । इन्हों ने तो रुपये की मन्ज़ूरी दे दी हुई है लेकिन अभी तक पी. डब्लियु. डी. वालों ने वहां बिल्डिंग बनानी शुरु नहीं की । इसलिए मैं सम्बंधित मंत्री से दरखास्त करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें ।

इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक और चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । कांगड़ा बहुत गरीब ज़िला है वहां के लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए दूर स्थानों में नहीं भेज सकते । इसलिए उन के घरों के नज़दीक स्कूल और कालेज होने चाहिएं । अगर ऐसा कर दिया जाए तो वहां के बच्चों को काफी आसानी हो जाएगी । इसलिए सरकार से दरखास्त करता हूं कि वह नूरपुर में एक आर्टस और साइंस का कालेज खोल दे । इस के साथ ही धर्मसाला में पहले जो डिग्री कालेज खुला हुआ है वहां पर एम. ए. और एम. एस. सी. की कलासें जारी करने का भी इन्तज़ाम किया जाए जिस के लिए मैं ने पिछले साल भी कहा था और चौधरी हरि राम जी भी काफी देर से कहते चले आ रहे हैं । इस बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी इस बात की इजाज़त नहीं देती । मगर वहां के विद्यार्थियों को यहां मैदानों में हायर स्टडीज़ के लिए आने में बड़ी दिक्कत होती है इस लिए वहां एम. ए. की कलासें जारी करना अत्यावश्यक है। आखिर अगर गवर्नमेंट इस के लिए ज़ोर दे तो कोई तरीका निकल सकता है और वहां पर एम. ए. और एम. एस. सी. की कलासें जारी की जा सकती हैं ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब स्कूल मास्टरों की तरक्की बाकायदा नहीं होती तो बड़ी बेचैनी पैदा होती है । जब वक्त पर सीनियौरिटी लिस्ट नहीं बनती तो डिस्सैटिसफैक्शन बढ़ती है । जो प्राइवेट स्कूल नैशनलाइज़ एक साल पहले किये गए उन की सीनियौरिटी लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई । इस की वजह से बेचैनी है । इस को दूर किया जाए ।

उस्तादों की तरक्की के बारे यह बात सभी कहते हैं कि बैकवर्ड इलाके में उस्ताद नहीं जाते । मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में न जाने वालों की किसी किस्म की पैट्रनाइजेशन नहीं होना चाहिए । जिस की तरक्की हो उसे लाज़मी तौर पर वहां जाने के लिए मजबूर करना चाहिए । ट्रेंड टीचरों की कमी का एक कारण यह भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन टीचरों के चुनाव और नियुक्ति में बड़ी देरी लगा देता है । अगर यह काम पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी नहीं कर सकता तो कोई और इन्डीपैंडैंट बाडी बना दीजिए चाहे लैजिसलेटर्ज़ की या किसी और की । उस के पास उन की अर्ज़ियां आएं और जल्द से जल्द उन की तरक्कीयां हों । यह बात बाराहा देखने में आती है कि एक तरफ तो ट्रेंड टीचर्ज बेकार घूमते रहते हैं और दूसरी तरफ स्कूलों में जगहों को भरने में देर की जाती है : इश्तिहार निकालना, इन्टरवियू कर के चुनाव करना फिर बोर्ड का चुनाव करने में हर स्टेज पर काफी देर लगा दी जाती है । यह देर नहीं होनी चाहिए । इस का हल निकालना चाहिए ।

एक बात और जिसका ज़िक्र शायद सरदार कुलबीर सिंह जी ने किया था कि गांव के जो उसताद हैं उन को तनखाह हासिल करने में बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं । उन को अपना ही किराया खर्च करके तहसील हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है और वहां भी कई किस्म की तकलीफें दरपेश रहती हैं । इस मुश्किल का हल निकाला जाना चाहिए । चाहे उन को मनी आर्डर द्वारा पैसे भेजे जाएं या किसी और तरीका से मगर तनखाह उन को पहली तारीख को मिलनी चाहिए ।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे स्कूलों में किसी न किसी किस्म की मौरल ऐजुकेशन ज़रूर दी जानी चाहिए । आज कल यह नहीं है और इस की वजह से हर तरफ से इनडिसिपलन की बात उठती है । डिसिपलन पैदा करने के लिये ऐन. सी. सी. की ट्रेनिंग पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और इस के साथ साथ नैशनल डिसिपलन स्कीम की तरफ भी ध्यान दिया जाए । इन के यूनिटस ज्यादा से ज्यादा जगहों पर खोले जाएं ।

जो स्कूलों में वक्त के घंटे बढ़ाए गए हैं इस बारे यह कहूंगा कि अगर कहीं खास हालात हों जैसे कि पहाड़ी इलाका हो या रास्ता खराब हो तो इन में थोड़ी बहुत तरमीम भी की जा सके तो अच्छा हो । वैसे इस तरह से इन के बढ़ाए जाने से मैं मुतफिक हूं और इसे एक अच्छा कदम समझता हूं । इस के साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि स्कूल के लड़कों को पब्लिक कामों में भी लगाया जाना चाहिए जैसे कि स्कूल की अपनी हालत को सुधारें, बिल्डिंग को बनाएं ऐसे छोटे छोटे पब्लिक हित के काम उन से लिये जाने चाहिएं । मुझे आशा है कि ऐसी इन्स्ट्रक्शन्ज़ जारी की जाएंगी. मुझे लड़कों की आजकल की जैंटलमैनी अच्छी नहीं लगती । इस के लिए तरीके निकाले जाएं । जहां सरकार खुद खर्च करती है जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग्ज़ हैं या मुकामी रोडज़ हैं इन में वहां के लड़कों से थोड़ी बहुत लेबर ली जानी चाहिए । जहां वह लड़के आठ घंटे दिमागी मेहनत करें वहां यह भी ज़रूरी है कि उनके लिए जिसमानी

[कामरेड राम चन्द्र]

मेहनत भी कुछ वक्त के लिए रायज करनी चाहिए । प्राइमरी स्कूलों में यह था कि वह खाद के गढ़े खोदने में मदद दें । इस चीज को बाकायदा आर्गेनाइज़ किया जाए कि स्कूलों के लड़के बहुत सी पढ़ाई के बाद कुछ वक्त पब्लिक हित के कामों में लगाएं। उन में डिगनिटी आफ लेबर पैदा की जाए । मैं हैरान होता हूं जब कभी गाड़ी से उतरते हुए नौजवानों को एक छोटे से हैंड बैग के लिये भी कुली की इन्तज़ार करते देखता हूं । मेला राम वफा का एक शेयर है :

कुली बुलाओ कोई हैंडबैग उठाने को ।
वह बांधते हैं कमर खिदमते वतन के लिए ।

मतलब यह है कि लड़के इतने नाज़ुक हो गये हैं कि मामूली सा भी काम खुद नहीं करते । अगर स्कूलों में उन से जिसमानी काम लिया जायगा तो उन को इस की आद्दत हो जाएगी तो इन को लेबर की डिगनिटी का इल्म हो जाएगा और यह किसी काम में पीछे नहीं रहेंगे । इस सिलसिले में मुझे एक अंग्रेज इन्जीनियर की याद आती है। मैं एक फर्म में नौकर था । वहां पर एक अडरमा मशीन खरीदी गई थी । इस मशीन में नुक्स पैदा हो गए तो अडरमा फर्म का एक इन्जनियर आया उस की तनखाह 3,000 रु० माहवार थी । उस ने मुझ से पूछा तो मैं ने बताया कि मशीन खराब हो गई है । उस ने सुनते ही अपना कोट उतारा खुद ही मिट्टी में लेट कर उस को ठीक करने लगा । एक घंटे में उस ने उसे ठीक कर दिया । मैं बड़ा हैरान हुआ कि यह तीन हज़ार रुपए माहवार वेतन पाने वाला अंग्रेज मिट्टी में अपना कोट बिछा के काम करने में बेइज्ज़ती महसूस नहीं करता । मगर हमारे लड़कों को अगर अपने कपड़े भी धोने पड़ें तो नहीं धोएंगे । यह जो डिगनिटी का एक गलत आइडिया है यह दूर किया जाना चाहिए । (घंटी)

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : उपाध्यक्षा महोदया, राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है । यह बुन्याद है राष्ट्र निर्माण की और यह मेरा मत है कि शिक्षा के लिए एक अलग ही मन्त्री होना चाहिए जो इस के लिए बहुत सा वक्त दे सके, गम्भीरतापूर्वक विचार कर सके । यह बहुत बड़ा और बुन्यादी काम है । इस के लिए तो कोई बड़ा ही अच्छा शिक्षा शास्त्री नियत किया जाना चाहिए । मगर शोक की बात है कि यह इतना बड़ा काम हमारे मुख्य मंत्री जी के पास है जिन को और कामों से ही फुरसत नहीं । वह शिक्षा के बारे में कैसे कुछ सोच सकते हैं । मैं एक मिसाल पेश करता हूं । हमारे स्कूलों में जो बच्चों से फंड लेने का तरीका है वही पुराने तरीके का चला आ रहा है । इन में एक मैडीकल ग्रांट रखी हुई है । उस में जो रुपया जमा होता है मैं ने उस के सदोपयोग के लिए सुझाव दिया था कि यह जो पैसा है इस से बच्चों को दूध दिया जाना चाहिए, दवाईयां जो रखी जाती हैं उन का कोई लाभ नहीं । इन्होंने जवाब में खत भेजा और लिखा 'I am very grateful to you for this very good suggestion.' मगर इन को तो फुरसत ही नहीं वह सुझाव वहीं का वहीं रह गया है । कुछ और भी त्रुटियां हैं उन के बारे

में भी कुछ नम्र निवेदन करूंगा। एक तो यह बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रापर और रियलिस्टिक प्लैनिंग नहीं है। जहां जी में आया स्कूल खोल दिया। एक एक फरलांग पर हाई स्कूल खुले हुए हैं। मैं लुध्याना गया तो मुझे बताया गया कि सड़क पर ही दो स्कूल पास पास ही खुले हुए हैं। पता चला कि जिस के हाथ में सत्ता थी वह भी चाहता था कि वहां पर एक अपना स्कूल खोले और खोल दिया। इस बारे में यह मेरी ही राय हो यह बात नहीं है। हिन्दी मिलाप में श्री ऐम० ऐस० टैकर, सदस्य प्लैनिंग कमिशन के पंजाब की स्थिति के बारे शब्द पढ़ कर सुनाता हूं :

'बिना किसी उचित और पर्याप्त तैयारी के हम ने सुधार कार्य को लागू किया जिस का परिणाम यह हुआ कि हमें उस स्थिति का सामना करना पड़ा कि सुधार कार्यक्रम में ही हमारा विश्वास जाता रहा। दूसरे बहुत सारे सुधार एक साथ किए गए और इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि स्कूल कर्मचारियों और सुधार सम्बन्धी हमारी सीमाएं क्या हैं।"

11-00 a.m.

दूसरी चीज जो गलत है वह यह है कि शिक्षा में भी रेजीमेंटेशन हो रही है। और इस पार्टी की हकूमत शिक्षा को एक पद्धति में ही एक ढांचे में ढालना चाहती है। और इस बात की कोशिश हो रही है कि जो स्वतन्त्र रूप में पाठशालाएं चल रही हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह दोनों ही बातें बहुत बुरी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्क जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कि प्राइवेट संस्थाएं हैं यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट हैं जो शिक्षा देती हैं और शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाती हैं तो फिर यहां क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों को या पाठशालाओं को खत्म कर दिया जाए। अभी अभी जो मेनटीनेंस ग्रांट सरकार ने खत्म कर दी है उस के बन्द हो जाने से इंस्टीटयूशन्ज़ पर कुल्हाड़ा चला है।

हमारे देश के कुछ महापुरुषों ने यहां पर बुनियादी तालीम की पद्धति चलाई लेकिन अब वह भी नाम मात्र को रह गई है। क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वह उन महापुरुषों के असूलों पर जिन में सब से ऊपर महात्मा गांधी आते हैं, नहीं चलते। अब मुझे यह पता चला है कि यहां पर अब रूस की पद्धति को अपनाया जा रहा है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहां इस धरती पर पैदा हुए महात्मा, उसकी पालिसी को, उसकी पद्धति को और इस देश के विचारों को तो खत्म किया जा रहा है लेकिन रूस के विचारों और वहां की पद्धति को लिया जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है। यह एक तथ्य है कि विदेशी पद्धति में चरित्र निर्माण के बारे में कतई कोई ख्याल नहीं किया जाता। और अब इनको खबर आयी है कि वैसी ही तालीम यहां लागू की जाए। ठीक है, यह लागू भी कर सकते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों का ही चरित्र इस ढंग का है। इनके सामने मौरल वैल्यूज़ का ख्याल तो रत्ती भर भी नहीं है। यह जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, यह तो चरित्र निर्माण के लिए

[पण्डित मोहन लाल दत्त]

एक ज्योतिस्तंभ के रूप में हैं लेकिन अब यह उन्हें बन्द कर के और नई पद्धति लागू करके इंसान की बजाए हैवान क्रिएट करना चाहते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि जब मौरल रिजनरेशन का कोई ख्याल ही न हो तो यह देश कैसे ऊंचा हो सकता है और कैसे बड़े जरनैल और नेता व ताजिर पैदा हो सकते हैं । दो चीजों से इंसान ऊंचा उठता है, एक तो विज्ञान और दूसरा आध्यात्म ज्ञान । यह दोनों ही नहीं पनप रहे हैं । जहां तक विज्ञान का सवाल है वह तो बिल्कुल थियोरेटीकल चलता है और आध्यात्म ज्ञान तो इन्होंने बिलकुल खत्म ही कर दिया है । आज कल तो ऐसी तालीम चल रही है :

जाना था कि इल्म से कुछ जानेंगे,
लेकिन जाना तो यह जाना कि कुछ नहीं जाना ।

ट्रांस्पोर्ट के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहते हैं कि ऊना और अम्ब के दरम्यान सड़क, पक्की सड़क बने एक साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन सर्विस नहीं जारी हुई । तालिब साहिब को भी कहा था, उस के बाद ट्रांस्पोर्ट अथोरिटीज़ को भी कहा लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया । मेरी समझ में नहीं आता कि बात क्या है, उधर जनता चीखोपुकार करती है इधर हम चीखोपुकार करते हैं लेकिन कहीं कोई बात नहीं सुनी जाती । (घंटी) बस मैं आप का धन्यवाद करता हुआ अपनी जगह लेता हूं ।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस हाउस में शिक्षा विभाग पर विवाद हो रहा है खैर आप ने तालीम के विषय में बोलने के लिए जो मौका दिया है उस के लिए सहृदय धन्यवाद करता हूं । इस हाउस में चीफ मिनिस्टर साहिब को अनेक बार धन्यवाद देने के मौके आए हैं लेकिन किसी ने भी इस विषय पर हमारे मुख्य मंत्री को धन्यवाद नहीं दिया । मैं मुख्य मंत्री को अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूं कि उन्हों ने पंजाब के अन्दर हिन्दी तथा पंजाबी भाषा को पढ़ने के लिए प्रोतसाहन दिया है । चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह बड़ा अहम कदम उठाया है । उस के लिए मैं मुबारकबाद ज़रूर देना चाहता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी हिन्दी और पंजाबी को मान्यता देंगे और जो अंग्रेजी भाषा जिस को मलेच्छ भाषा कहते हैं उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए इस के विपरीत हिन्दी तथा पंजाबी को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा दूसरे कर्मचारियों को 100 रुपए से कम तंख्वाह न दी जाए ।

उपाध्यक्षा : आप मलेच्छ शब्द वापिस लें (The hon. Member may withdraw the word 'मलेच्छ')

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं अंग्रेज़ी भाषा के लिए मलेच्छ शब्द वापिस नहीं लेना चाहता । यदि आप हुक्म करें तो मैं यह वापिस ले लेता हूं । यदि हिन्दी और पंजाबी को जरूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिस से हम समझें कि हमारी निजी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जनता को अपनी भाषा के प्रयोग

का पूरा हक हासिल होना चाहिए देश में आज़ादी आने से पूर्व जिस ने भी इस देश पर आक्रमण किया अर्थात मुगलों ने राज्य किया उन्होंने अपनी भाषा को प्राथमिकता दी, उन्होंने अरबी फारसी को अपनी भाषा अपना कर हमारे देश की असली भाषा की अवहेलना करके नज़र अन्दाज़ किया । इसी तरह से अंग्रेज़ों की हकूमत आई । उसने अंग्रेज़ी भाषा में ही सरकार का काम शुरू किया, जो हिन्दी भाषा को जानते थे उन को सरकारी पोस्टस से महरूम रखा जिस से लोग हिन्दो भाषा तथा पंजाबी भाषा को कम पढ़ते थे और इस भाषा का प्रयोग न होने से भाषा दुर्बल होती गई, लेकिन हम राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के आभारी हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न किए, और साथ ही अपनी भाषा को मान्यता दिलवाने का यत्न किया। इस में कोई शक नहीं है कि भाषा तथा बोली एक दूसरे पर अवलम्बित हैं । आज देखा जाए कि इस देश के अन्दर 45 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख के करीब लोग हैं जो कि अंग्रेज़ी भाषा को ठीक जानते हैं लेकिन हमारी सरकार भी अंग्रेज़ी भाषा को प्रोत्सादन देती आ रही है । सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि इस देश की राष्ट्र भाषा को ही मान्यता दी जाए । जो पिछड़ी हुई जनता है उस को ऊपर उठाना चाहिए । लेकिन इसके विपरीत, कुछ ही संख्या में लोग हैं जो अंग्रेज़ी की गुलामी करके अभी मुफत में ऐश्वर्य लूट रहे हैं और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े उन को खत्म कर दिया है ।

मैं चाहता हूं कि हिन्दी और पंजाबी को मान्यता दें, हमारे चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि हिन्दी और पंजाबी के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों को 100 रुपए से कम तंखाह न दी जाए । आज से कुछ समय पूर्व जो कोई हिन्दी पढ़ता था तो उस को डिसकरेज करते थे और कहते थे कि हिन्दी पढ़ कर ब्राह्मण का काम करना है, पोथी पढ़नी है या शादी में मंत्र पड़ने हैं, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पहले हिन्दी भाषा की कोई कदर नहीं करता था । लोग अंग्रेज़ी को ही महानता देते थे अमीर जनता हिन्दो की कदर नहीं करती थी, इसी तरह से अंग्रेज़ों के समय हिन्दी भाषा की ओर कम ध्यान दिया जाता था । मैं चाहता हूं कि कोई अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए तैयार न हो बल्कि लोगों को हिन्दी भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा अपनानी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा इस हाउस से कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के लिए कृषि उद्याग धन्धे की शिक्षा दी जाए । मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में 'क' 'ख' की शिक्षा न दी जाए बल्कि उन को खेती और मशीनरी की शिक्षा दी जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, बच्चों के दिमाग तभी अच्छे हो सकते हैं जब कि उन को साथ साथ टैक्निकल शिक्षा दी जाए लेकिन यहां पर दो किस्म के स्कूल खुले हैं एक स्कूल अमीरों के बच्चों के लिए और दूसरे स्कूल गरीबों के बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए और बैक्वर्ड लोगों के लिए हैं । यह नीति ठीक नहीं है मैं आप के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे

[चौधरी नेत राम]

दोनों किस्म के स्कूलों वाली भेद भाव की नीति को छोड़ कर एक प्रकार के ही स्कूल स्थापित किए जाएं ताकि एक ही ढंग की तालीम लें। यह नहीं होना चाहिए कि अमीरों के बच्चों के लिए अलिहदा स्कूल और हैडमास्टर रखे जाएं। पहली हकूमत की पालेसी थी कि अमीरों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे और अच्छी जगहें प्राप्त कर लेते थे। अमीरों के बच्चों को पहली ही क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी जबकि गरीबों के बच्चों को 6-7 क्लास से अंग्रेजी की शिक्षा शुरू होती थी। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह कम्पीटीशन्ज़ आदि में मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी तरह सर्विसिज़ में बड़े लोगों के बच्चे ज्यादा आते रहे। इसी तरह से अंग्रेजों के वक्त में जो खुशामद करते रहे तथा उन के पिट्ठू बन कर रहे वह अपना उल्लू सीधा करते रहे और अपना फायदा उठाते रहे इस के विपरीत गरीब जनता, मज़दूरों के बच्चों तथा किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती रही और आज भी गरीब बच्चों के साथ शिक्षा के बारे में मजाक बनाया जा रहा है। इस के साथ आप शहरों तथा गांवों में शिक्षा के स्तर देखें उन में भी बहुत अन्तर है।

मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी उचित प्रबन्ध किए जाएं। मैं चाहता हूं कि उन की शिक्षा लाज़मी करार दी जानी चाहिए क्योंकि स्त्री ऐसी होती है जो सारे देश को ऊपर उठा सकती है, जैसा कि हम ने कहानी सुनी है और हम अपने शास्त्रों तथा ग्रन्थों में भी पढ़ते हैं। इस से हमारा उत्साह बढ़ता है कि अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही व्यूह चक्र की शिक्षा ग्रहण कर ली थी क्योंकि अर्जुन ने सुभद्रा को गर्भावस्था में इस शस्त्र का ज्ञान करा दिया था। उन्होंने देश को ऊपर उठाने के लिए बड़े बड़े काम किए हैं।

इस लिए अगर हम लड़कियों के लिए तालीम लाज़मी कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब कि हमारे देश में फिर से सीता, सावित्री और द्रौपदी जैसी माताएं पैदा होंगी और स्याने और सुलझे हुए बच्चों को जन्म देंगी। वे बच्चे देश को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे और चीन जैसे देश को, जिस ने हमारी आन को ललकारा है, हमारे गौरव को ललकारा है, उचित सबक सिखाएंगे। मैं आप के द्वारा चीफ मनिस्टर साहिब से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राईवेट स्कूलों में बच्चे ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते इस लिए उन को भी सरकारी तहवील में ले लेना चाहिए। ऐसे नाम, जो कि फिरका परस्ती को जन्म देते हैं जैसे जाट स्कूल, जाट कालेज, जैन कालेज आदि भी, बन्द होने चाहिएं। इस से फिरका परस्ती की नफरत फैलनी बन्द हो जाएगी।

प्राइमरी स्कूलों में 50 बच्चों के लिए एक टीचर अवश्य होना चाहिए। कई स्कूलों में बच्चे तो दो, दो सौ हैं और टीचर एक ही है। इस की वजह से पढ़ाई अच्छी नहीं होती। कई जगह पर स्कूल तो होते हैं लेकिन मास्टर नहीं मिलते, कई जगह पर बिल्डिगें ही नहीं हैं, बिल्डिगें हैं तो बैठने के लिए पटरीयां नहीं हैं, जिन स्कूलों में अमीरों के बच्चे और बड़े बड़े अफसरों के बच्चे शिक्षा पाते हैं वहां

पर काउचों का प्रबन्ध होता है । इस लिए उन स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए और वहां पर बच्चों के बैठने का उचित प्रबन्ध करना चाहिए । मैं तो कहता हूं कि यह और भी अच्छा हो कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियां प्रोवाईड की जाएं ताकि बच्चों में इनफीरियारिटी कांप्लैक्स न पैदा हो और वे जहां भी जाएं अपने लिये कुर्सी का प्रबन्ध करा सकें । आज कल थानेदारों के मिज़ाज बिगड़े हुए हैं । जब सरपंच थानों में जाते हैं तो उन को कुर्सी नहीं देते । अगर थानेदार उनको कुर्सी दे भी देते हैं तो वे ऊपर बैठने से डरते हैं । उन में कसरे नफसी है । इस लिये बच्चों में कुर्सी पर बैठने की आदत डालनी चाहिए ताकि वह जहां भी जाएं अपने लिए कुर्सी हासल कर सकें ।

जहां तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, इसको नैशनेलाइज़ करना चाहिए, कौमीकरण होनी चाहिए । जो बसें जालन्धर, लुधियाना और अमृतसर के इलाके में चलती हैं उन का मेक बड़ा अच्छा है और उनकी हालत भी बहुत अच्छी है लेकिन जो बसें हिसार गुड़गांवां के इलाके में चलती हैं उन की हालत बड़ी खराब है । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि बसें हर जगह पर एक जैसी होनी चाहियें । चीफ मनिस्टर साहिब से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले ऐसी वरदी पुलिस वालों की होती थी । आज तो ड्राइवर और कंडक्टर भी वैसी ही वरदी पहन कर अपने आप को बड़े अफ़सर समझते हैं । (*Interruptions*) एम. एल. एज़ की भी प्रवाह नहीं करते, उन को सहूलतें नहीं देते । (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो ठीक बात बता देता हूं, दूसरे मेम्बर बताते नहीं हैं । वे लोग इन को धक्के देते हैं ।

Deputy Speaker : Please wind up.

चौधरी नेत राम : बहुत अच्छा जी । हिसार में एक रेलवे फाटक है । वह 24 घंटे रुका रहता है । वहां पर एक पुल ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है । मैं नुक्ताचीनी की खातिर कोई बात नहीं कह रहा, बल्कि सही बातें कह रहा हूं । तालीम के सम्बन्ध में मैं ने बधाई दी है । बधाई तो दरअसल दिल से दी जाती है । पिछले दिनों पंडित मोहन लाल जी मनिस्टरी को कम करने के लिये चीफ मनिस्टर को बधाई देने के लिए कह रहे थे । मैं आप के द्वारा अर्ज़ करूंगा कि अगर इन्होंने मिनिस्ट्री कम की है तो बनाई भी तो इन्होंने ही थी, सम्पूर्णानन्द तो आ कर नहीं बना गए थे । (विघ्न) अपनी बीवी को बेगम कहने से वह बेगम नहीं बन जाती । (विघ्न) (घण्टी की आवाज़) इस से आगे मैं यह अर्ज़ करूं कि रेगस्तानी इलाकों के लिए जैसे लोहारू है, भिवानी है, जो वाटर-सप्लाई सकीमज़ बनी हुई हैं, उन को बहुत जल्दी इम्पलीमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो । इंडस्ट्रीज़ को फरोग दिया जाए ताकि बेकार लोगों को काम मिल सके । सड़कें ज़्यादा बनाई जानी चाहिएं । इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्रीमती सरला देवी (बरसर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सदन में एजुकेशन, वाटर और ट्रांसपोर्ट की डिमांड्ज़ पर बहस चल रही है । मैं सब से पहले एजुकेशन

[श्रीमती सरला देवी]

पर कहूंगी । देश के अन्दर हंगामी हालात को देखते हुए एजुकेशन के लिए 15 करोड़ के करीब रुपया रखा गया है। यह रुपया बहुत कम है। मैं इस लिए यह बात कहती हूं क्योंकि आज के साइंस के युग में अगर हम ने साइंटिस्ट पैदा करने हैं तो उन के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है । खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए अगर हम ने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पैदा करने हैं तो वे भी तालीम के द्वारा ही प्रोड्यूस किये जा सकते हैं । यदि हम ने देश की रक्षा के लिए बहादुर जरनैल पैदा करने हैं तो वे भी स्कूलों के ज़रिये ही पैदा करने हैं । हमारे देश का नव निर्माण तभी हो सकता है अगर हमारे स्कूलों और कालेजों के अन्दर तालीम देने का ढंग बहुत अच्छा हो । अंग्रेज़ों के समय में हमारे देश में हिस्टरी और जुग्राफी के सबजैक्टस लाज़मी होते थे । आज कल यह सबजैक्टस लाज़मी न रहने से हमारे बच्चों को अपने देश के बार्डर का भी पता नहीं है । उन्हें मालूम नहीं है कि बरमा कहां है या चीन कहां है । चीन के साथ लड़ने में भी इसी लिये काफी मुश्किल पेश आई । इस लिए मैं सुझाव देती हूं कि तालीम में हिस्टरी और जुगराफिए का होना लाज़मी है ताकि बच्चे सारे संसार की हिस्टरी और भूगोल को समझ सकें ।

इस बात का सर्वे किया गया कि स्कूल कहां कहां पर होने चाहिएं । वह सर्वे बिल्कुल गलत किया गया । अगर स्कूल मंज़ूर होते हैं और टीचर वहां पर जाते हैं तो मालूम होता है कि उस नाम का स्कूल या गांव ही नहीं है । लोगों को भारी दिक्कत पेश आती है । इस लिए मैं तजवीज़ करती हूं कि यह सब नए सिरे से किया जाना चाहिए ताकि सही पोज़ीशन मालूम हो सके कि कहां कहां पर ज़्यादा स्कूलों की जरूरत है और कहां कहां पर स्कूल की इतनी जरूरत नहीं है। दर असल स्कूलों को माइलेज के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। जग्राफीकल सर्वे के द्वारा यह मालूम किया जाना चाहिए, और खास तौर पर पहाड़ी इलाके में इस की ज़्यादा ज़रूरत है, कि पहाड़ कहां कहां पर हैं, खड्डें कहां कहां पर हैं, फासला कितने मीलों का है और वहां पर कितने स्कूलों का होना ज़रूरी है । मैं ने देखा है कि बजट में 2,35,970 रुपए कुरुक्षेत्र और जींद कालेज के लिए रखे गए हैं । मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करनी चाहती हूं कि वह हमीरपुर में अपने हाथों से पत्थर रख आए थे और कहते थे कि वह इलाका फौजी सिपाही ज़्यादा पैदा करता है, फौज में भरती ज़्यादा देता है इस लिये वहां पर तालीम का प्रबन्ध भी उस के मुताबिक ही होना चाहिए ।

अगर कालेज की बिल्डिंग के लिए नए सिरे से पैसा न निकाला जा सकता हो तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो बेसिक स्कूल की बिल्डिंग है उसी में इसी साल से कलासें शुरु कर दी जाएं ताकि जो बच्चे धर्मशाला और होशियारपुर चले जाते हैं, वहीं अपने इलाके में तालीम हासिल कर सकें और बेसिक स्कूल को उसी बिल्डिंग में ले जाया जाए जहां पर कि वह पहले हुआ करता था। मैं आशा करती हूं कि मेरे इस सुझाव पर शिक्षा मन्त्री जी अवश्य गौर करेंगे ।

इसी सम्बन्ध में एक बात और है । इस बजट के अन्दर एक लाख पचास हज़ार रुपया नई बिल्डिंग्ज़ बनाने के लिए रखा गया है । ठीक है कि ज़िला कांगड़ा नीचे वाले ज़िलों यानी अमृतसर, लुध्याना, जालन्धर, हिसार वगैरा के ज़िलों के साथ तो नहीं मिल सकता क्योंकि इंडस्ट्रीयल प्वाइंट आफ व्यु से भी यह बहुत पीछे है, ज़रायती लिहाज से भी इसका कहीं नाम नहीं लेकिन फिर भी मुझे ज़िला कांगड़ा पर फख्र है कि जब कभी भी हमने एजूकेशन डिपार्टमेंट से स्कूलों की डिमांड की तो पहिले उन के लिए बिल्डिंग्ज़ तैयार की ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें लेकिन फिर भी आज हमें हमीरपुर में लड़कियों के होस्टल के लिए बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप के द्वारा मन्त्री जी से प्रार्थना करती हूं कि इस तरफ फौरी तौर पर ध्यान दें और लड़कियों के लिए यह होस्टल जल्दी से जल्दी मंज़ूर करें । चीफ मिनिस्टर साहिब की मेहरबानी से वहां पर हायर सैकंडरी स्कूल खुला हुआ है । सांईस का सामान भी पड़ा हुआ है लेकिन बिल्डिंग नहीं । मैं प्रार्थना करती हूं कि इस रुपए में से वहां पर बिल्डिंग बनाई जाए । इस के अलावा घनेटे में जो स्कूल चल रहा है उसकी बिल्डिंग भी गिर रही है । वहां भी इसकी बहुत सख्त ज़रुरत है । उसका भी फौरन इन्तज़ाम किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को तकलीफ न हो क्योंकि जब तक बच्चे अच्छे वातावरण में तालीम हासिल नहीं करेंगे , जब तक योग्य अध्यापकों द्वारा उन्हें तालीम नहीं दी जाएगी तब तक वह कैसे अच्छे आदमी बन सकते हैं ।

इस के अलावा 9,63,600 रुपया इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि 180 मास्टर स्कूलों के अन्दर रखे जाएं । मैं समझती हूं कि 180 मास्टर बहुत कम हैं । आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे ज़िला कांगड़ा के अन्दर और हमीरपुर सब डिविज़न के अन्दर एक एक स्कूल में चौदह चौदह सौ बच्चे हैं । वहां पर सिर्फ तीन तीन या चार चार बी. ए. बी. टी टीचर हैं । यह बहुत कम हैं । जब हम ऐजूकेशन डिपार्टमैंट के पास जाते हैं तो वहां से यह जवाब मिलता है कि हमारे पास टीचरों की कमी है । फाईनैंस डिपार्टमैंट पैसे नहीं देता । आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर चौदह चौदह सौ बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ तीन या चार बी. ए. बी. टी टीचर हों तो वहां पर बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा गृहण कर पाएंगे । ऐसी हालत में मैं दावे से कह सकती हूं कि स्कूलों के टीचर 90 फीसदी रीज़ल्टस कभी भी नहीं दे सकते । इसका नतीजा क्या होगा ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब गवर्नमैंट के इस फैसले के मुताबिक अब क्या होगा । जब कभी कोई अफसर स्कूल की इन्स्पैक्शन के लिए जाएगा तो स्कूल के मास्टर पास खड़े होकर बच्चों से पेपर करवाएंगे ताकि स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा रहे । ऐसी हालत में बच्चों की तालीम का स्टैंडर्ड कभी ऊंचा नहीं हो सकता । इसलिए जो सुझाव प्रिंसिपल साहिब ने दिया है मैं भी उसका समर्थन करती हूं कि किसी टीचर की योग्यता जानने के लिए यूनिवर्सिटि के रीज़ल्टस को ही उसके रीज़ल्टस का मयार कबूल किया जाए ।

उपाध्यक्षा : अब आप वाइंड अप करें । (Please wind up now.)

श्रीमती सरला देवी : मैं दो मिनट और लूंगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब गवर्नमैंट की मेहरबानी से हमारे सब डिवियन में 22 हाई स्कूल हैं । उन्हीं में हायर सैकंडरी स्कूल भी हैं । लेकिन तपा ढिढवाल एक ऐसा इलाका है जहां पर एक ही हाई स्कूल है । चीफ मनिस्टर साहिब खुद वहां पर जाकर हो आए हैं । उसके इर्द-गिर्द मिडल स्कूल भी कोई नहीं । बच्चों को वहां से तेरह तेरह चौदह चौदह मील दूर जाना पड़ता है । अगर वह चाहें तो बेशक इन्क्वायरी करवा कर देख लें । तो मैं प्रार्थना करूंगी कि वहां मिडल स्कूल और हाई स्कूल और दिए जाने चाहिए ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े और वहीं पर तालीम हासिल कर सकें ।

उपाध्यक्षा : जल्दी करिए, अब खत्म करिए । (Please be quick and wind up now.)

श्रीमती सरला देवी : बस जी, दो मिनट में ही खत्म कर रही हूं । इसके अलावा यह फैसला किया गया है कि लड़कों और लड़कियों के लिए साइंस स्कूल और कालेज एक कर दिए जाएं । मैं भी इस हक में हूं कि साइंस कालेज एक ही होना चाहिए क्योंकि बहुत कम लड़कियां साईंस का मज़मून लेती हैं । हमारे साथी आनरेबल मेम्बर श्री कुलबीर सिंह जी ने कहा है कि को-ऐजुकेशन नहीं होनी चाहिए । मैं समझती हूं कि को-एजुकेशन होनी ही चाहिए तभी देश का कैरक्टर बन सकता है नहीं तो देश का करैक्टर नहीं बन सकता ।

अब मैं दो मिनट में पानी और ट्रांस्पोर्ट के बारे में कह कर खत्म करती हूं ।

उपाध्यक्षा : आप ने आगे ही दो दफा दो दो मिनट कह कर टाल दिया । अब यह तीसरी बार आप कह रही हैं कि दो मिनट में खत्म कर दूंगी । ज़रूरी नहीं कि आपने सभी बातें आज ही कह डालनी हैं । अब दूसरों ने भी बोलना है । वाइंड अप करो । (The hon. Lady Member has already said twice that she would wind up in two minutes. Now she is repeating it for the third time. It is not necessary that she should say every thing today. Others have also to speak. She should wind up now).

श्रीमती सरला देवी : एक एक बात कह कर खत्म कर दूंगी । जहां तक पानी का ताल्लुक है हमारी पंजाब सरकार ने पब्लिक हैल्थ के हैड में 2,22,45,400 रुपया खर्चा बताया है । मैं आप के द्वारा पब्लिक हैल्थ के मनिस्टर साहिब से निवेदन करूंगी कि अगर आप हमीरपुर के नक्शे को देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता । लुगयालती, दयोटसिद्ध और सौलांसिद्धी धार वगैरा गांव के लिए पैसा देने तक के लिए तैयार हैं । स्कीमें तो बन जाती हैं लेकिन उन को लागू नहीं किया जाता । क्योंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिए ज़्यादा न कहती हुई उन से प्रार्थना करूंगी कि वहां पर चूंकि लोगों को बहुत तंगी है इसलिए उनकी तकलीफ की तरफ ध्यान करते हुए जल्दी ही कोई मुनासिब प्रबन्ध किए जाएं ।

जहां तक ट्रांस्पोर्ट का ताल्लुक है हमारे इलाके में पंचायतों ने सड़कें बना रखी हैं । चीफ मनिस्टर साहिब लुगयालती जाकर देख भी आए थे कि वहां पर पत्थर ही पत्थर थे । वहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से सड़कें बनाईं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहां पर बसें नहीं चलाई गईं । जहां पंजाब गवर्नमैंट हर ज़िला हैडक्वार्टर को चंडीगढ़ के साथ मिला रही है, वहां मैं आप से प्रार्थना करूंगी कि धर्मशाला से सीधी चंडीगढ़ भी सर्विस चालू की जाए । वहां पर सड़कें बनाने के बावजूद अगर बसें न चलाई जाएं तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है । यहां तक कि हमारे फौजी भाइयों को भी अपने कन्धों पर सामान उठाकर चार चार पांच पांच मील पैदल चलना पड़ता है । इसलिए मैं आप के द्वारा पंजाब गवर्नमैंट से प्रार्थना करूंगी कि जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान दिलाया है उन की बाबत ज़रूर फौरी तौर पर इन्तज़ामात किए जाएं । आप का धन्यवाद करती हुई मैं अपनी जगह पर बैठती हूं ।

श्री रूप सिंह फूल (हमीरपुर ऐस. सी.) : नायब सदरे मोहतरिमा, एक तो समय बहुत कम है दूसरे प्वाइंट्स ज़्यादा हैं । कहूं तो क्या कहूं । एक शेअर याद आ गया :

क्या कहूं हाल दर्दे पिनहानी
वक्त कोतहा है किस्सा तूलानी ।

फिर भी मुख्तसिर तौर पर कुछ बातें आप के सामने रखने की कोशिश करूंगा । जहां तक ट्रांस्पोर्ट का ताल्लुक है, चीफ मनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज़ करूं कि आप खुद उस इलाके का दौरा करके आए हैं और आपको यकीन हो गया होगा कि पहाड़ी इलाके की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर कम्युनीकेशन्ज़ की सहूलियात बहम न पहुंचाई जाएं । आप के ज़रिए चीफ मनिस्टर साहिब को याद दिलाना चाहता हूं कि ऊहल के मकाम पर लोगों ने खुद सड़क बनाई । पी. डब्ल्यू. डी. के अफसरान साहिबान ने यह अंदाजा लगाया था उस सड़क को बनाने पर 1,58,000 रुपए की लागत आएगी लेकिन लोगों की कोआप्रेशन से वह सड़क सिर्फ 36,000 रुपए की लागत से तैयार हुई । आप ने वहां के लिए बसों का रूट भी रिलीज़ कर दिया हुआ है मगर किसी कम्पनी को अभी तक परमिट अलाट नहीं किया गया । वहां पर अभी तक कोई बस सर्विस नहीं चल रही । इसी तरह दूसरी जगहों की हालत है । आप को मालूम है कि वह इलाका इंटायरली मारशल है । वहां पर 90 फीसदी घरानों के लोग इस वक्त नेफा और लद्दाख के फ्रंट पर डटे हुए हैं । अर्सा चार पांच साल से वह सड़क बनी हुई है । उसका फिटनस सर्टीफिकेट भी आ चुका हुआ है मगर मोटर सर्विस वहां नहीं चलती । इसी तरह से पटा से आवाहा देवी पंद्रह मील का टुकड़ा है । नंगल से आवाहादेवी बरास्ता पटा भी रूट मंजूर हो चुका है, फिटनस सर्टीफिकेट भी आ चुका है मगर अभी तक वहां पर कोई कम्पनी बसें नहीं चला रही। इजाज़त ही नहीं मिली । वहां पर हमीरपुर कोआप्रेटिव सोसाईटी है । यह ज़्यादा तर ऐक्स सर्विसमेन ने ही बनाई हुई है । बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि उन को रूट दिया जाए लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ । मुख्तसिर तौर पर ही बात करता हुआ मैं मुख्य मन्त्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि पहाड़ी इलाकों में कम्युनिकेशन्ज़ के

[श्री रूप सिंह फूल]

लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की जरूरत है। जरूरी है कि वहां पर ट्रांस्पोर्ट यानी बस सर्विस चालू की जाए। आज साइंस का युग है। लेकिन हमारे ज़िला कांगड़ा को आईडल रोडज़ भी नहीं मिल पा रही। In other countries man is proposing a flight to the Moon and Mars, but in Kangra even motor transport facilities are not available. एक और बात है। जहां गोबिन्द सागर बना है उसके बनने की वजह से ऊना से जो पहले सड़क मण्डी को जाती थी उस को अब 20 मील का चक्कर काट कर ले जाया गया है। उस सड़क पर अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन अब हंगामी हालात की वजह से उस पर खर्च होने वाली रकम में अब कट लगा दिया गया है। अब वह सड़क कच्ची रह गई है जिस कर के एक सवारी को वहां पर बस में सफर करने के लिए $1\frac{1}{2}$ रुपये ज्यादा अदा करना पड़ रहा है। इसलिए मैं गवर्नमैंट से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीका से और जिन मोद्बाना अलफाज़ के साथ, बगैर किसी किस्म की एजीटेशन के किए अपने आप को बेघर होना मन्ज़ूर कर लिया था लेकिन उसकी वजह से उन्हें $1\frac{1}{2}$ रुपये फी सवारी के हिसाब से किराया फालतू अदा करना पड़ रहा है। वह माफ कर दिया जाए और हमारी कुरबानियों का एहतराम किया जाए या गवर्नमैंट यह कराया अपने पास से सबसिडाइज़ करे क्योंकि उन लोगों की ही वजह से ही मैदान के बाकी हिस्सों के लोगों को उस डैम से सहूलतें मिल रही हैं लेकिन उन के लिए जो सड़क वहां पर बनाई गई है एक तो वह कच्ची है और दूसरा 20 मील का चक्र और बढ़ जाने से उन्हें $1\frac{1}{2}$ रुपये फी सवारी ज्यादा अदा करने पड़ रहे हैं। और अब जो सरकार और कर लगा रही है तो यह $1\frac{1}{2}$ रुपया भी बढ़ कर शायद दो रुपये ही हो जाएं।

सदरे मोहतरिमा, जहां तक तालीम का ताल्लुक है मैं मानता हूं कि इसी पर देश की उन्नति निर्भर करती है क्योंकि इसी के ज़रिए बच्चों का करैक्टर बनता है। लेकिन आजकल यह जो बेसिक ट्रेनिंग तालीम और हायर सैकंडरी पैटरन की एजुकेशन हैं, मैं समझता हूं कि यह दोनों तरीके ग़लत हैं और नाकामयाब साबित हो चुके हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री साहिब से अर्ज़ करूंगा कि इन दोनों एजुकेशनल सिस्टमज़ के लिए पंजाब स्टेट को एक्सपैरीमैंटल ग्राउंड न बनाएं और इन दोनों सिस्टमों को खत्म कर दिया जाए जो पहले वाला सिस्टम था वह ठीक था यानी हाई स्कूलों वाला सिस्टम मौजूदा हायर सैकंडरी स्कूलों से बेहतर था। आज कल हम देखते हैं कि जो बच्चे गयारह जमात पास करके निकलते हैं वह एक सादा खत भी नहीं लिख सकते। लेकिन जो मैट्रिक पास कर के आते हैं वह इन से बेहतर होते हैं। यह बेसिक ट्रेनिंग और हायर सैकंडरी सिस्टम दोनों नाकारा साबित हुए हैं। इनमें खर्च तो ज्यादा है लेकिन नतीजा उस के मुकाबले में कुछ नहीं होता। 25 हजार रुपया तो एक हायर सैकंडरी स्कूल को साइंस के सामान के लिए दिया जाता है लेकिन वहां हालत यह होती है कि वहां इसके लिए बिल्डिंग नहीं होती, जरूरी सामान नहीं होता, और सांइस टीचर्ज़ नहीं होते। फिर इस सिस्टम के लिए टीचर्ज़ भी ज्यादा

दरकार होते हैं और इस के मुकाबले में हाई स्कूलों में थोड़े टीचरों से काम चल जाता है ।

फिर सरकार ने लोकल बाडीज़ के जो स्कूल प्रोविनशिलाइज़्ड किए थे उन के टीचरों की सीनियारटी का केस कई सालों से लटक रहा है। वह फाइनिलाइज़ हो जाना चाहिए । इस के अलावा जिला बोर्ड कांगड़ा के जो स्कूल अप ग्रेड हुए थे उन की मैनेजिंग कमेटियों ने साइंस के सामान और बिल्डिंगें बनाने के लिए 15, 15 या 20, 20 हज़ार रुपये सरकार के पास जमा कराए थे, वह रुपए अभी तक उन्हें रिलीज़ नहीं किए गए । इस बारे में मैंने एक सवाल भी पूछा था और उस के जवाब में बताया गया था कि वह जल्दी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इस तरह का कई लाख रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह रुपया जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए। इसी तरह से बहुत से मास्टरों को उन की तनखाह के बकाये और प्रोवीडेंट फंड का रुपया कई सालों से जो पड़ा हुआ है उन्हें नहीं मिला। वे बेचारे बार बार दरखास्तें दे रहे हैं लेकिन उन्हें उनका रुपया नहीं मिल रहा। वह जल्दी उन्हें मिल जाना चाहिए ।

सदरे मोहतरिमा, एक अर्ज़ मैं और करनी चाहता हूं । हम रोज़ कहते हैं कि सूबा के अन्दर बल्कि सारे मुल्क के अन्दर कुरपशन बहुत है, इस कुरपशन को दूर करने का जो वाहद इलाज मैं समझता हूं वह नैशनल करैक्टर को बिल्ड करना है । अब कुरपशन का ज़ोर होने का कारण यह है कि देश का करैक्टर फारन हो चुका है । मैं समझता हूं कि जब तक हमारे सामने नैशनल करैक्टर को बिल्ड करने का कोई प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा उस वक्त तक यह कुरपशन भारत से दूर नहीं हो सकती । इसलिए ज़रूरी है कि नैशनल करैक्टर को बिल्ड करने का कोई तरीका रायज़ किया जाए। कोई ऐसा तरीका रायज किया जाए जो सारी स्टेटस में हावी हो जाए। मेरे गुरु प्रिंसिपल रला राम जी जैसे व्यक्ति जो इस वक्त सदन में मौजूद नहीं हैं, यदि उनको कहा जाए या अन्य लैजिस्लेटरों को कहें तो वह इसके मुताल्लिक किताबें लिख सकते हैं और जो तरीका वह तजवीज़ करें हम उसे अपना सकते हैं ।

इसके अलावा एक गुज़ारिश मैं अपने चीफ मनिस्टर साहिब से और करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे स्कूल मास्टर जो एम. ए. बी. एड. होते हैं या बी. ए. पास होते हैं उन बेचारों की तनखाहें बहुत कम होती हैं जब वह दूसरी जगहों पर इम्तहान वगैरह लेने जाते हैं तो वहां उन के ठहरने का कोई ठिकाना नहीं होता हांलाकि उन के मुकाबला में जो सरकार के दूसरे क्लास II अफसर होते हैं वे रैस्ट हाउसों में या दूसरे डाक बंगलों में ठहर सकते हैं । मेरा सुझाव यह है कि तहसील हैड-क्वार्टरज़ पर उन टीचरों के लिए भी कोई न कोई जगह यानी रैस्ट हाउस ठहरने की बनाई जाए । इन इमारतों के बनाने के लिए कुछ रकम गवर्नमैंट अपने पास से दे और कुछ वहां की ज़िला परिषद् और कुछ टीचर तहसीलवार दे सकते हैं । (घंटी की आवाज़)

[श्री रूप सिंह फूल]

बस, सदरे मोहतरिमा, एक बात और कह कर मैं बैठ जाता हूं। हमारे सूबा में जो पब्लिक स्कूल हैं उन में अव्वल तो हरिजनों के बच्चे दाखल नहीं किये जाते और अगर कुछ दाखल हो जाते हैं तो वहां उन की फीसें माफ नहीं की जातीं; वज़ीफा मिलना तो दरकिनार। आम तौर पर देखा गया है कि जो बच्चे बड़े हो कर आई.ए.एस और पी.सी.एस. के एग्ज़ामीनेशन में कामयाब होते हैं वह इन पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं। अगर हरिजन बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह किसी ऐसे इम्तहान में कामयाब हो सकेंगे। इस लिए मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि पब्लिक स्कूलों में भी हरिजन बच्चों को वही सहायता मिलनी चाहिए जो उन्हें दूसरे स्कूलों में मिलती है।

Deputy Speaker : The hon. Member should please wind up.

श्री रूप सिंह फूल : बस जी मैं बैठने लगा हूं। सिर्फ एक बात और मैंने चीफ मनिस्टर साहब की खिदमत में कहनी है और वह यह है कि रकबा और आबादी के लिहाज़ से हमारा ज़िला कांगड़ा सारे हिमाचल के बराबर है लेकिन जहां कांगड़ा में सिर्फ एक कालेज है वहां हिमाचल में 6 कालेज हैं और उनमें से एक मैडिकल कालेज है। हां, अब इन्हों ने हमीरपुर में एक कालेज दिया है जिसके लिए मैं इन्हें मुबारिकबाद देता हूं। और अर्ज़ करता हूं कि वहां पर जल्दी क्लासें शुरू कर दी जाएं। हम से रुपया कालिज की बिल्डिंग के लिए नकद कन्ट्रीब्यूशन के रूप में न मांगा जाए।

श्री बाबू दयाल शर्मा (पटौदी) : श्रीमती उपाध्यक्षा, मैं शिक्षा विभाग के इस बजट के लिए चीफ मनिस्टर साहिब को बधाई देता हूं क्योंकि यह जो बजट बनाया गया है बिल्कुल सोच समझ कर बनाया गया है। किसी मुल्क की तरक्की के लिए यह निहायत जरूरी होता है कि तालीम के लिए उस देश के बजट में एक बड़ा अहम हिस्सा हो। इस नजर में तालीम की मद के लिए 15 करोड़ 3 लाख रुपया रखा गया है जो बाकी की सब मद्दों से ज्यादा है और कुल बजट के 15 फी सदी के करीब है। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आती जो यहां आपोज़ीशन के बहुत से मैम्बर साहिबान ने कही है................

उपाध्यक्षा : एक बात मैं आप सब मेम्बर साहिबान से अर्ज़ कर देना चाहती हूं कि वह इधर उधर की बातों में न पड़ें और जो काम की बातें उन्हों ने कहनी हैं वही कहें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, बाद में चीफ मिनिस्टर साहिब ने बोलना है। (I would request the hon. Members not to waste time in saying unnecessary things. The time at our disposal is very short, and the Chief Minister has also to reply to the Debate. They should say only those things which they consider to be very important.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि हमारे मुल्क का यह ध्येय है कि यहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम किया

जाए। मगर इस के कायम करने के लिए जिस तरह की विद्या की ज़रूरत है वह हमारे देश में नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक है :

विद्या ददाति विनियम
विनियात याति पात्रित्वां
पात्रित्वा धन्वापनोति
धनात् धर्मं ततः सुखं।

विद्या कैसी होनी चाहिए। विद्या वह होनी चाहिए कि जिस से मनुष्य विनयी हो जाए यानी इनसान की ऐफीशैंसी बढ़ जाए। मगर आज यहां की विद्या क्या सिखाती है। यही सिखाती है शराब पियो, अहंकारी बनो, क्रिटिक बनो या व्यभिचारी बनो। (विघ्न) इस लिए विद्या को सुधारना बहुत ज़रूरी है। इस के साथ ही साथ विद्या पढ़ाने के ढंग को भी बदलना होगा। हम चाहते हैं कि सोशलिस्ट समाज बने मगर देखते यह हैं कि एक ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का तो नैक्टाई और सूट बूट कस के जाता है और उस का साथी दूसरा लड़का फटे पुराने कपड़े पहन कर आता है। तो मैं अपने मुख्य मंत्री जी से जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं से पूछता हूं कि हमारे देश में जो हम समाज कायम करने के दावे बांधते हैं वह कैसे कायम होगा। और स्कूलों की इमारतों का जो बुरा हाल है जो हालत है वह भी देखने के ही काबिल है। जमालपुर एक गांव की मिसाल पेश करता हूं। वहां के स्कूल की छत का शहतीर टूटा हुआ है। जहां विद्यार्थियों की मौत का पैगाम खड़ा दिखाई दे रहा है। परन्तु अध्यापक साहिब भी उसी छत के नीचे ऐसी दलेरी से बच्चे पढ़ा रहा है जैसे चीन के मोर्चे पर भारत का सिपाही लड़ रहा हो। मैंने मास्टर जी से कहा कि बच्चों को बाहिर बैठाओ क्यों इनकी हत्या का पाप अपने सिर लेते हो। कहीं यह शहतीर गिर गया तो बड़ा बुरा हो जायगा और कितने ही बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाएगी। उस शहतीर बारे रिपोर्ट भी की गई मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर शीघ्र ध्यान दें। नैशनलाइज़ेशन और फीस माफ की बात करना तो बाद की बात है। मगर इससे भी काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि काम तो तब चलेगा, हम तब ही अपने ध्येय की तरफ जा पाएंगे जब जो अपना पुराना तरीका है गुरुकुलों का वही चालू किया जायगा। बच्चों को तालीम देना सरकार की ज़िम्मेदारी है। जहां 6 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसे गुरुकुल में भेजा जाए। जहां पर एक जैसी वर्दी, एक जैसी खुराक मिले और आपस में कोई भेद भाव न रहे। अब तो अमरीका से आया हुआ दूध का पाउडर देने से बच्चों का स्वास्थ्य बनेगा या ब्रह्मचर्य रहने से स्वास्थ्य बनेगा ? इस विदेशी शिक्षा के प्रभाव से हमारे नौजवानों की यह हालत है कि 600 नौजवान भर्ती होने के लिए जाते हैं मगर लिये जाते हैं 12 या 13। गुड़गांव में एम्पलायमैंट ऐक्सचेंज वालों ने 500, 600 लड़के टैक्नीकल तालीम के लिए फौज में भर्ती होने के लिये भेजे मगर लिये गए 12 या 13। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि नौजवान 25 साल तक इस को प्राप्त करे और जब इसे पूरा करे तो उस का माइंड और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो। इस बात को तो अब सायंटिस्ट

[श्री बाबू दयाल शर्मा]

भी मानने लगे हैं कि 25 साल तक पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को बढ़िया खुराक साफ शुद्ध हवा मिले ताकि वह पूरी तरह से मेहनत कर सकें। हम तो अपने देश में वह स्टैंडर्ड भी कायम नहीं रख सके जो विदेशियों ने यहां की फौज के लिए नियत किया था। (घंटी) यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। कहते हैं कि उन की 21 फीसदी पूरी करनी है। मगर हालत यह है कि एक इंच छाती और कद में कमी की रियायत देने के बावजूद 500 में से पांच सात ही लड़के लिये जा सकते हैं। यह सारा नुक्स हमारी प्लैनिंग का है, हमारी विद्या का है। (घंटी) टीचिंग का जो तरीका है वह समझना चाहिए। आज का तरीका ठीक नहीं है ....

उपाध्यक्षा : यह सब टीचिंग का तरीका समझते हैं। आप ने अपने हलके की कोई बात कहनी हो तो कह लें और वाइंड अप कीजिए। (All of them know the methods of teaching. Whatever the hon. Member wants to say about his constituency, he should say that and wind up.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : हां यह समझते हैं मगर करते कुछ नहीं। मैंने इन को इन्जैक्शन लगाना है। मैंने अपना कर्त्तव्य पालन करना है। जब तक ऐसी हालत नहीं होगी, विद्या ददाति विनियम, जब तक हम योग्य नहीं होंगे.....................

उपाध्यक्षा : आप खुद तो इसका अर्थ गलत कर रहे हैं। विनय का मतलब तो नम्रता होता है। (The hon. Member is giving an incorrect meaning'. The meaning of the word. 'विनय' is 'नम्रता')

श्री बाबू दयाल शर्मा : अगर आप की लुगात में नम्रता का यही अर्थ है और आप यह चाहती हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ.......................

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ। (The hon. Member has only five minutes at his disposal. Therefore, he should talk relevant).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਠਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.........................

उपाध्यक्षा : मुझे बार बार घंटी बजाने पर मजबूर होना पड़ता है। बहुत से मेम्बर साहिबान बोलने वाले हैं। इसलिए घंटी का ध्यान रखा करें। (Please pay heed to the sounding of the bell. I have to ring the bell time and again. Many hon. Members have yet to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

12.00 noon

ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੀ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰਫਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੂਟਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਲਜ ਵਿਚ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬੂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਸ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਮਿਆਬ ਰੂਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਦੱਬੂ ਵਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ., ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਬੂ ਵਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਟ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀ. ਐਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Deputy Speaker : Don't be personal.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : All right; I am sorry. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਟ ਦਿਤਾ ਹੈ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤਕ। ਮਾਲਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ—ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਮਾਲਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਏਥੇ ਹੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣੀ-ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਮਲੋਟ। ਉਥੇ ਇਕ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੇਠ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਸਰਸੇ ਤਕ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿ-ਟਿਕਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦ-ਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।

Deputy Speaker : Don't be personal.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : I am not personal; these are facts. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਰਸੇ ਦਾ ਬਾਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾ-ਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50 ਬੇਸਿਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਵੀ ਚਲਣਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣਾਂ ਹੈ ? (Has the hon. Member to speak on this Department only ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (The hon. Member has already spoken for seven minutes.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 12 ਬਜੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 50-50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਲਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸ-ਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਰੇਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਤੋਂ 1000 ਜਾਂ 1500 ਆਦਮੀ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਣਨ

ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਣ ਗੀਆਂ। ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

उपाध्यक्षा : सरदार गुरचरण सिंह जी, मुझे बार-बार बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, 5 मिन्ट में कह डालिए। इधर उधर जाने की कोशिश न कीजिए। **(Addressing Sardar Gurcharan Singh. The hon. Member should not compel me to speak again and again. He should say within five minutes whatever he has to say. He should try to be relevant.)**

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਾ ਕਿ 50-50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਦੇ, ਸਹਿਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਢ ਲੈਣ।

ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਜਾਨ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਪਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਧਕਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਲਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਏਥੇ ਆਕੇ ਕਾਊਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੁਬਾ 7 ਬਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਬਜੇ ਤਕ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਵਾਸਤਾ ਰਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

कामरेड राम किशन (जालन्धर शहर उत्तर पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो एजूकेशन की डीमांड इस सदन में पेश की गई है उससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि एजुकेशन को कितना महत्व दिया जा रहा है। एजुकेशन में सुधार लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो कमीशन बनाए गए हैं जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, राधा कृष्णन कमिशन तथा हायर सैकैंडरी कमिशन। इन कमिश्न्ज़ से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी सरकार ने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है। अगर हम एजुकेशन के नुक्तानिगाह से देखें तो पता चलता है कि सारे इंगलैंड की यूनिवर्सिटियों में जितने ग्रैजुएट हर साल एपीयर होते हैं उतने यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी की 1962 की रिपोर्ट के मुताबिक एपीयर हुए हैं। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एजुकेशन को काफी महत्व दिया जा रहा है। तीसरी पांच वर्षीय योजना में भी एजुकेशन के लिए काफी रकम रखी गई, और उस में 130 करोड़ रुपया इस बात

[कामरेड राम किशन]

के लिए वकफ है ताकि गरीब और लायक विद्यार्थियों को वज़ीफे दिए जाएं । 1944 के अन्दर बटलर कमिशन बनाया गया । उस कमिशन ने रिपोर्ट दी थी कि इतनी एजुकेशन में कोई लाभ नहीं होगा अपितु लारज स्केल पर एजुकेशन के प्रबन्ध करने चाहिए । इसके साथ ही दूसरी बड़ी जंग के अन्दर जापान तथा रूस में पोस्ट-वार रीकन्स्ट्रकशन के वक्त एजुकेशन के क्षेत्र में सब से ज्यादा महत्व दिया गया था इस लिहाज़ से मैं समझता हूं कि जिन बातों की तरफ एजुकेशन को बढ़ाने की तवज्जह दी गई वह एक हद तक सराहनीय है। बहुत सी बातें हैं और समय की कमी के कारण उन की तफसील में नहीं जाया जा सकता लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के सारे सिस्टम को रीकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए । उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है । हम ने हायर सैकेंडरी का नया सिस्टम शुरु किया है और सारे पंजाब में हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गए हैं लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पंजाब में यह सिस्टम बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहा है । यह ठीक है कि दिल्ली में यह सिस्टम कामयाब रहा है क्योंकि वहां पर 96% से 98% ग्रांटस भारत सरकार देती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब में यह हालत है कि जितने हमारे हायर सैकेंडरी स्कूल इस वक्त मौजूद हैं उन के लिए एन्करेजमैंट की ज़रूरत है । लेबारेटरीज़ की ज़रूरत है, टीचर्ज़ की ज़रूरत है । मैं समझता हूं कि हमारे पास यह साधन मौजूद नहीं हैं । अगर सरकार का हायर सैकेंडरी सिस्टम को जारी रखने का विचार है तो इस के लिए 5 करोड़ रुपए नान-रीकरंग और एक करोड़ रुपए एनुअल रीकरंग एक्सपैंडीचर की ज़रूरत है । पंजाब की हालत बहुत पूअर है । मुझे शक है कि शायद ही हमारी सरकार इस सिस्टम को जारी रखने के लिए इतनी भारी रकम सरकारी खज़ाने से निकाल सके । पंजाब में केवल तीन हायर सैकेंडरी स्कूल हैं जो कि परफैक्ट समझे जा सकते हैं और जहां पर एम. एस. सी टीचर्ज़ हैं । अगर हम ने हायर सैकेंडरी स्कूल रखने हैं तो उन के लिए हमारे पास टीचर्ज और लैक्चरर्ज़ भी होने चाहिएं । इन हालात को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम को बदला जाए अथवा इस में सुधार लाया जाए। यदि सरकार ने यह सिस्टम लागू करना है तो मैं चीफ मनिस्टर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए जिस में कोई भी पोलीटीकल सदस्य न लिया जाए । पंजाब के अन्दर 4 यूनिवर्सिटियां-कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी अग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं । मैं चाहता हूं कि इन यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, प्रिंसिपल पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, प्रिंसिपल मैडीकल कालेज तथा जनरल कुलवंत सिंह की एक कमेटी बनाई जाए जो कि 3 महीने के अन्दर रिपोर्ट दे कि यह हायर सैकेंडरी सिस्टम पंजाब में जारी रखना चाहिए अथवा नहीं । उस कमेटी की फाइंडिंग्ज़ को अमल में लाया जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी बहन ने सरकार की तवज्जुह दिलाई है कि पंजाब में जुगराफिए के सबजैक्ट को लाज़मी किया जाना चाहिए । तथा इस विषय पर विशेष

ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं भी कहना चाहता हूं कि अब जुगराफिए की वह अहमीयत हासिल नहीं है जो कि दूसरी बड़ी लड़ाई में थी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, लड़ाई में एलाइज़ को रीवरसिज़ हुई। उस की वजह यह थी कि उन्होंने जुगराफिए के सबजैक्ट को कम अहमियत दी थी । मिल्टरी एक्सपर्टस ने उस समय अपनी रिपोर्ट छापी थी। उस रिपोर्ट के अन्दर लिखा था कि एलाइज़ की टापोग्राफी और मैप-रीडिंग की सब से कम जानकारी है और एक्सिज़ को इस बारे में बहुत जानकारी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस सबजैक्ट को ज़रूर महत्व देना चाहिए और मैप-रीडिंग को पंजाब में लाज़मी सबजैक्ट कर देना चाहिए ताकि स्टूडैंट्स को दुनिया के बारे में ज्ञान हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब में रूसी सिस्टम को लागू किया जा रहा है। पहले स्टैंडर्ड से 11वें स्टैंडर्ड तक उन का करीकुलम इस ढंग का होता है कि उस को 4-5 सबजैक्टस पढ़ाए जाते हैं। अगर सरकार ने यह सिस्टम लागू करना है तो हाफ हार्टिडली लागू न करें । रूसियों के सारे कोर्सिज़ को देखने से पता चलता है कि उन के अन्दर हिसाब के लिए 2118 घंटे जुगराफिए के लिए 434 घंटे और नैचरल साईंस के लिए 155 घंटे रखे गए हैं । फिज़िक्स, बाओलोजी, एस्ट्रोनोमी, कैमिस्ट्री तथा विदेशी भाषाओं के लिए 1288 घंटे रखे हुए हैं। टैक्निकल एजुकेशन पहली जमात से शुरू की जाती है वहां पर पहले स्टैंडर्ड में धात और पत्थर के ज़माने से ले कर आखिर में ऐटम बंब के चित्र के द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहां पर 5-6 साल के बच्चे को प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है । मैं चाहता हूं कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन के साथ टैक्निकल शिक्षा भी दी जानी चाहिए । इस से हमारी टैक्निकल एजुकेशन की बेहतरी तथा प्रसार होगा और लोग अपना काम चालू कर सकेंगे । सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जापान के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । जापान में पोस्ट वार रीकन्सट्रक्शन के बावजूद भी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए ऐसे प्रबन्ध किए जिससे एजुकेशन का मियार ऊंचा हो सके । वहां पर टैक्निकल शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। पांचवीं जमात से फंडामेंटल ला बनाए हुए है कि उनको सोशल स्टडीज़, मैथीमैटिक्स, म्यूज़िक मैनुअल ट्रेनिंग , होम ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एजुकेशन, हैल्थ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स पढ़ाए जाते हैं । आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भिन्न भिन्न मुल्कों में कितने ज्यादा सबजैक्टस स्टूडैंटस को पढ़ाए जाते हैं। इस लिए मेरा विचार है कि यहां पर भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाना चाहिए ।

मैं आपकी मार्फत चीफ मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी लैवल पर मिल्टरी साइंस की ट्रेनिंग के सबजैक्टस की तालीम दी जानी चाहिए । स्टेट लाइब्रेरियों में माडरन वार के सम्बन्ध में किताबें होनी चाहियें ताकि हमारे नौजवान उन किताबों को पढ़ें और उन को माडरन वार का ज्ञान हो । मुझे याद है कि फर्सट वलर्ड वार में जब जर्मनी हार गया था तो उसे सार का इलाका खोना पड़ा। जब हिटलर पावर में आया तो जो नक्शे स्कूलों

[कामरेड राम किशन]

में पढ़ाए जाते थे उन में 'सार.' को काले रंग से दिखाया जाने लगा। विद्यार्थी पूछते थे कि यह इलाका काला क्यों किया गया है तो उनको बताया जाता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम इस इलाके को हार गए थे। तो बचपन से ही बच्चों में यह भावना पैदा की गई कि इस इलाके को हम ने वापस लेना है। मैं हिटलर के तरीकों को पसन्द नहीं करता, मैं उस की विचार धारा को पसन्द नहीं करता लेकिन मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हिटलर पावर में आया तो उस ने इस तरीके से नौजवानों के मन में देश-भक्ति भरी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के हालात के मुताबिक हमें सारा ढांचा बदलना चाहिए।

हम ने यहां पर लाज़मी शिक्षा की। यह बड़ी अच्छी बात है, लाज़मी और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात को भी देखें कि अप्रैल के महीने में जिन दिनों स्कूलों और कालिजों में दाखिले होते हैं तो सैंकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में बच्चों की गलियों और मुहल्लों में लाइनें लगी होती हैं। उन को दाखिले नहीं मिलते। जिस तरह से मैडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों में मुशकिल होती है उसी तरह से दूसरे स्कूलों में दाखिला मुश्किल होता है। मैं आप की मार्फत चीफ मनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं कि रूस की ट्रेनिंग और शिक्षा के सिस्टम को पढ़ें। रूस में जो सातवीं पांच वर्षीय योजना 1970-71 में लागू होगी उसका हिसाब उन्होंने लगाया है कि उस वक्त कितने स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे, कितने नौजवान उस वक्त कालेज और यूनिवर्सिटी लैवल पर पढ़ते होंगे। डैथ रेट और बर्थ रेट का हिसाब लगा कर उन्होंने उसीसे वर्क आउट कर लिया है कि उस वक्त हमें कितने प्राइमरी स्कूल चाहियें, कितने हाई स्कूल चाहिए और कितने कालेज चाहियें, कितने टैक्निकल इन्स्टीटयूशन चाहियें। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक पलैनिंग सैक्शन बनाना चाहिए जो यह देखे कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ताकि किसी को स्कूल में दाखिल के लिए तकलीफ न हो। हो सकता है कि बिल्डिंग की कमी हो। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि 1917 में रूस आज़ाद हुआ। उन्हों नें 35 साल के अन्दर मास्को यूनिवर्सिटी बनाई। 24 साल के बाद उन्होंने शिक्षा को लाज़मी किया उस समय रूस में बड़ी बड़ी बिल्डिगें नहीं थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां नहीं थीं। चुनांचे उन्होंने मड हट्स में और थैचड रूफस के नीचे स्कूलों को चलाया। चाइना का केस ले लें। जिस वक्त जापान और चीन की लड़ाई हो रही थी उस समय देखें कि चीन वालों ने अपनी विद्या के काम को किस तरह से आगे बढ़ाया था। यू. एस. ए. और सकंडेनेवियन देशों के इतिहास को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें भी आज कल के हालात के मुताबिक अपने सिस्टम को पूरे तौर पर बदलना होगा। चीफ मिनिस्टर साहिब अमरीका में पढ़े हैं, उनको तजरुबा है। रूस का तजरुबा देखें और जापान का तजरुबा देखें और अपने एजुकेशनल सिस्टम को बदलें क्योंकि एजुकेशन पर ही देश की उन्नति और नैशनल कैरैक्टर निर्भर करता है। हमें देखना होगा कि अपने नौजवानों को किस तरह से देश-रक्षा के लिए ट्रेनिंग देनी है। उस के मुताबिक सारी चीज़ को चलाने की कोशिश करनी होगी। अगली बात मैं आप से अर्ज़ करूं कि हमें इतिहास के सलेबस

को बदलना होगा । सकण्डेनेवियन देशों में, डेनमार्क में, स्वीडन में और नारवे में सौ सौ साल तक लड़ाई होती रही । बच्चे स्कूलों कालिजों में पढ़ते थे तो उन के मन में वैसी ही भावना पैदा होती थी । चुनांचे उन्होंने अपना सारा लिट्रेचर बदला, हिस्ट्री बदली तो उन देशों में इंटैग्रेशन हुई और लड़ाई पुराने ज़माने की बात हो गई । अगर हमने सारे देश को इंटैग्रेट करना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है तो ज़रूरी है कि सारी हिस्ट्री को हालात के मुताबिक बदलें । लोगों के मन में देश-भक्ति भरने वाला और कौमी-कैरेक्टर बनाने वाला लिट्रेचर तैयार करें वरना कुछ काम नहीं हो पाएगा ।

जब तक हम टीचरों का स्टैंडर्ड-रेज़ नहीं करते उस वक्त तक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होनी मुमकिन नहीं है । हमें आजकल टीचर्ज़ नहीं मिलते । ब्राज़ील, टरकी रूस और जापान में टीचर्ज़ और एग्ज़ेक्टिव अफसरों की तनखाहों में 1 : 3 की रेशो होती है । हमारे देश में टीचर्ज़ और एग्ज़ेक्टिव अफसरों की तनखाहों में 1 और 80 की रेशो है । हमें हैड मास्टरों का स्टेटस बढ़ाना होगा । इंगलैंड के पब्लिक स्कूल भी इसी लिए कामयाब हुए क्योंकि वहां पर हैड-मास्टरों का स्टेट्स ऊंचा किया गया । इस लिये अगर हम सारे सिस्टम को कामयाब बनाना चाहते हैं तो अध्यापकों और हैड मास्टरों का स्टेट्स बढ़ाना होगा । इसी तरह से अगर हम लैक्चररज़ की तनखाहें नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उन को गज़ेटिड कर दें ताकि उन को समाज में सत्कार की दृष्टि से देखा जाए, यह बड़ी ज़रूरी चीज़ है । इस की तरफ तवज्जोह देने की ज़रूरत है । हम ने अपनी फिस्कल पालेसी के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी इकानो-मिस्ट्स और कालेज इकानोमिस्टस की मदद नहीं ली । जितने भी इंजीनियरिंग कालेज हैं उन के अच्छे अच्छे प्रोफैसर, कैमिस्ट्री के और साइंस के हैं उन को फिस्कल पालेसी के साथ एसोशियट किया जाना चाहिए । वे लोग बड़ा इम्पर्टैंट पार्ट पले कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे यहां पब्लिक हाउस बनाये जाने चाहियें जहां से अच्छी अच्छी किताबें बच्चों को मुहैया हो सकें और बच्चे किताबों से महरूम न रह जाएं । हमें इस बात को भी नज़र-अंदाज़ नहीं करना चाहिए कि पंजाब की इकोनोमी साउंड नहीं है, वीक है । यहां पर प्रति व्यक्ति आय 261 रुपये सालाना है । एक स्कूल जाने वाले बच्चे पर 5--7 सौ रुपए सालाना खर्च होता है । कालेज में पढ़ने वाले बच्चे पर एक हज़ार रुपया सालाना खर्च आता है । इस का मतलब यह हुआ कि तीन आदमियों की आमदनी से एक स्कूल के बच्चे का खर्च चल सकता है और अगर पांच आदमियों की पर कैपिटा इन्कम हो तो एक लड़का कालिज में पढ़ सकता है । यह हमारी समस्या है । हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को वज़ीफे दे कर उन को पढ़ने के काबिल बनाएं । हिन्द सरकार ने भी इस काम के लिये 130 करोड़ रुपया पृथक किया है । सरकार को ज्यादा से ज्यादा वज़ीफे देने की कोशिश करनी चाहिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि " Battle of Waterloo was won on the playgrounds of Eton and Harrow" इसी लिये,

[कामरेड राम किशन]

मैं अर्ज़ करता हूं कि सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम, कालेज सिस्टम और स्कूलों के सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हम नई नई कम्पनियों में यंग कैडिटस को तैयार कर रहे हैं। हमें ऐसे यंगमैन को ट्रेनिंग देनी होगी जिन को नैशनल और इंटरनैशनल प्राबलम की अंडरस्टैंडिंग हो और देश के नव-निर्माण में सही मानों में काम कर सकें। मैं आशा करता हूं कि जिन बातों की तरफ मैंने सरकार की तवज्जोह खींचने की कोशिश की है सरकार उन पर ग़ौर करेगी और पंजाब, जो कि सौर्ड आर्म आफ इंडिया कहलाता है, जिसको हम एक वैलफेयर बार्डर स्टेट बनाने जा रहे हैं, यहां के यंगमैन को इस तरह से ट्रेन करेगी कि वक्त की पुकार और काल आफ नेशन के समय पूरे उतरेंगे।

चौधरी राम सरूप (साम्पला) ; डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी भी देश की तरक्की के लिए तालीम सबसे जरूरी चीज़ होती है। इसलिए मैं आज चीफ मिनिस्टर साहिब का ध्यान एक ऐसे इलाके की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां वैसे तो किसी लिहाज से भी तरक्की नहीं हुई, लेकिन तालीम के लिहाज़ से तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। वह इलाका कौन सा है ? यह है डिप्टी स्पीकर साहिबा, देहात। जितनी भी तरक्की की स्कीमें सरकार ने चलाई हैं सब की सब शहरों में। जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं वह सभी शहरों में। वह पैसा तो लिया जाता है दिहातियों से लेकिन खर्च किया जाता है शहरों में। देहात से यह फर्क क्यों है ? इसी तरह से चन्दा तो इकटठा किया जाता है देहात से और जो अच्छे अच्छे टीचर होते हैं वह शहरों में स्कूलों को दिए जाते हैं। देहातों में वही टीचर भेजे जाते हैं जिन के खिलाफ शहरी स्कूलों में शिकायतें हो चुकी होती हैं या जिन को सज़ा देनी होती है। (इस समय श्रीमती ओमप्रभा जैन मुख्य मन्त्री जी से बातें कर रही थीं) मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को भी सुन लें। मैं उन्हीं की सेवा में कुछ अर्ज़ कर रहा हूं।

मुख्य मंत्री : आप की बावत ही कह रही हैं कि यह बहुत अच्छी स्पीच है।

चौधरी राम सरूप : अच्छी तो तब है अगर अमल करेंगे।

मुख्य मंत्री : वह यह भी कह गई हैं कि इस पर अमल करना चाहिए।

चौधरी राम सरूप : कहने को तो बहुत सी बातें कहते हैं। यह भी कहते हैं कि हरिजनों के साथ बहुत हमदर्दी है लेकिन पूछिए देहात के हरिजनों को कि उनके साथ कितनी हमदर्दी का सबूत दिया है। बहरहाल इस वक्त तालीम की बावत ही अर्ज करूंगा। तो मैं कह रहा था कि उसी टीचर को देहात में लगाया जाता है जिसको सज़ा दी जानी होती है, जो शहर में नाकारा हो गया होता है, जिसके खिलाफ हैडमास्टरों ने शिकायत की होती हैं। इन हालात में आप ही बताएं कि कैसे वहां पर तालीम का मयार ऊंचा हो सकता है, किस तरह से लोग वहां तरक्की कर सकते हैं। यह तो वही बात हुई कि नीम हकीम खतरा जान। जब तक उनको सही तरीके से तालीम नहीं दी जाती वहां के बच्चे किस तरह से जिन्दगी में

ऊंचे उठ सकते हैं । यही वजह है कि तालीम का मयार अच्छा न होने से और ठीक तरीके से उन की पढ़ाई न होने से वह क्रिमिनल मांइडिड बन जाते हैं जिन्हें बाज दफा डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कहती हैं कि वायलैंट हो जाते हैं । आप की विसातत से मैं चीफ मनिस्टर साहिब से अर्ज करूंगा कि वह इस तरीके को बदल दें कि जिसको सज़ा देनी हो उसे देहात में भेज दिया, जिस अफसर को सज़ा देनी हो उसे वहां लगा दिया । ठीक है कि आप देहातियों को ऊंचा उठाना चाहते हैं लेकिन अगर आप सही मायनों में उन की मदद करना चाहते हैं, उन पर मेहरबानी करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके उन की तरफ देखें तभी उनका सुधार हो सकता है । मैं यूनियनिस्ट वक्त की बात क्या करूं, वह तो आप को अच्छी नहीं लगेगी मगर इस वक्त तो यही कहूंगा कि आप हो उन का भला कर सकते हो । आप खुद देहात के हो, जहां पैदा हुए हो, जिन के साथ रहते हो अगर उन का ही ध्यान न रखोगे तो और कौन करेगा । उन के साथ अगर कोई रियायत न करें तो कम अज़ कम उन से होने वाली बेइन्साफी को तो दूर करो । इस सिलसिले में एक दो बातें हैं जो कि मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं । सब से पहिले बात तो यह है कि वहां पर तालीम का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए । उसके लिए ज़रूरी है कि वहां पर अच्छे टीचर भेजे जाएं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि टीचरों को साफ तौर पर यह बता दिया जाना चाहिए कि तरक्की ही उन की होगी जो पहिले इतना अर्सा देहात में काम कर पाएंगे । उन को यह भी बताया जाए कि जो पहिले देहात में बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे उन को शहरों में नहीं लगाया जाएगा । दूसरी बात यह है कि जहां तक रोहतक ज़िले का ताल्लुक है जितने स्कूल इस ज़िले में लोगों ने अपने पैसे से बढ़ाए हैं उतने शायद किसी और ज़िले में नहीं होंगे लेकिन फिर भी उन को इग्नोर किया जाता है । बिल्डिंगें बनाई हुई हैं । वह चाहते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उन को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया जाए वह पैसा भी दाखिल करवा चुके हैं, पांच साल के लिए रुपया जमा करवा दिया है । रुड़की गांव ज़िला रोहतक में अर्सा दो साल से एक लाख रुपए की बिल्डिंग तैयार की, पंद्रह हज़ार रुपया उन्होंने दो साल से दाखिल करवा रखा है लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां पर स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया ।

इस के अलावा एक ग्रांट-इन-ऐड 50,000 रुपए के करीब दी जाती थी । सुना है उसको भी बन्द कर दिया है । मैं हैरान हूं कि बैकवर्ड इलाकों को किस तरह से सहायता पहुंचाई जा रही है ।

इसके अलावा एक बात को-एजुकेशन के सिलसिले में अर्ज़ कर दूं । मालूम ऐसा होता है कि शायद वह यह बात महसूस नहीं करते कि को-एजुकेशन देहात के लिए किसी तरह मौज़ूं नहीं है । प्राइमरी स्टेज तक तो बेशक कर लें लेकिन जहां मिडल स्टेज पर बच्चे पहुंचते हैं तो लड़के और लड़कियों को एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ाना मुनासिब नहीं । आप को पता नहीं कि अभी तक हमारे देश ने इतनी तरक्की नहीं की

[चौधरी राम स्वरूप]
कि औरत और मर्द में फर्क समझा जाए । एक दूसरे का ख्याल रखा जाए । यह तो कुदरती चीज़ है कि इस स्टेज पर आकर उन दोनों को एक दूसरे से जितना दूर रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा है । इसलिए, मेरे ख्याल में यह कोई अच्छा कदम नहीं होगा कि पांचवीं के बाद उनको इकट्ठा एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए । इन अल्फाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੁਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਐਜੂ-ਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੇਮੌਕਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਮ ਖੁਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਉ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਦੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। (The hon. Member should leave this topic.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤਅਲੁੱਕ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਰਾਮਪੁਰ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5, 7 ਮੀਲ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 20 ਪਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7, 8 ਮੀਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਚੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ 5, 7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 15, 20 ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ 7, 8 ਮੀਲ ਜਾਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਮੈਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਜੀਫੇ ਇਤਨੇ ਲੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਮਤਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੀਫਾ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। "ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਦੀ ਮਾਰਚ" ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1961–62 ਵਿਚ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖੇ ਸਨ ਤੇ 3,887 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦਿੱਤੇ। 1962-63 ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 14 ਲਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 938 ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ 3,691 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ 15 ਲਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਗ੍ਹਾਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਜੀਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਜੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਹਰੀਜਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਜਨ ਬੱਚੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਨਾਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਥੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਬਨਣ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਸਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੜਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰਿਜਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਟੈਂਪੋ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਤੇ ਨ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੰਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਟੈਂਪੋ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ (ਘੰਟੀ)। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਜਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੌਣਾ ਹਿਸਾ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੇਲਾ ਤਕ ਹੀ ਇਕ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਰ ਅਗੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਬੇਲਾ ਤਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਬੇਹਰਾਮਪੁਰ ਬੇਟ ਤਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਹੋਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਧ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋ ਉਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸਾਂ ਨਾ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਲੇ ਵਾਲੀ ਬਸ ਨੂੰ ਬੇਹਰਾਮਪੁਰ ਬੇਟ ਤਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों (तरन तारन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बड़ी २ और ज़्यादा तफसील की बातें हैं उन के मुतािल्लक मैं इस वक्त अर्ज़ नहीं करूँगा। जो छोटी २ बातें हैं उन के मुतािल्लक ही इस वक्त अर्ज़ करूँगा।

पहली बात तो इस डिमांड के मुताल्लिक यह कहना चाहता हूँ कि एक तो इस बड़ी ही ज़रूरी मांग के लिये आखरी दिन रखा गया है दूसरे इस को दूसरी डिमांड्ज़ जैसे कि ट्रांस्पोर्ट वगैरा के साथ जोड़ दिया गया है। कहां तालीम का मसला और कहां बसों का मसला यह बड़ा अजीब सा मेल दिखाई देता है।

मेरा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ काफी देर का सम्बन्ध चला आ रहा है। इस की सैनेट के साथ, इस की सिंडीकेट के साथ जो ताल्लुक रहा उस की बिना पर मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वह हाउस के सामने रखता हूँ। जहां तक ऐजुकेशन के तरीके और इसके कोर्सिज़ का ताल्लुक है जो व्यक्ति भी तकरीर करता है उस का इस से चाहे कभी वास्ता न पड़ा हो, उस को चाहे इस के फील्ड वर्क का तजरूबा न के बराबर हो तो भी वह उठ कर यही कहता है कि इस तरीका तालीम को बदलना चाहिये। हमें किसी तरह से गैरज़िम्मेदाराना नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि ऐजुकेशन का कोई भी ढंग क्यों न हो उस को तेज़ी के साथ और ज़रा ज़ोर लगा कर करो ताकि उस में कामयाबी मिले। चाहे यह यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया जाए या डिपार्टमैंट की तरफ से चलाया जाए उस को इस ढंग से रीआर्गेनाइज़ किया जाए कि उस में कामयाबी मिले।

यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे यह कहना है कि जो युनाइटिड पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐक्ट कुछ तबदीलियों के बाद यहां पर लागू रहा उस का यह तजरूबा रहा कि उस में जो इलैक्शन का ऐलीमैंट है वह बहुत ज़्यादा है। आए साल इलैक्शन्ज़ होती हैं, कभी सैनेट की, कभी सिंडीकेट की, कभी फेकल्टीज़ की, कभी कई तरह के बोर्डों की, जैसे बोर्ड आफ स्टडीज़ वगैरह की। इन इलैक्शन्ज़ ने सारा वायुमण्डल गन्दा कर दिया है, ऐटमासफियर विशियेट कर दिया है। इन बातों को देख कर इस ऐक्ट में अहम तब्दीलियों की ज़रूरत महसूस होती है। एक तो वाइस चेयरमैन की अप्वायंटमैंट का तरीका और उस के बाद जो फेकल्टीज़ हैं उन की इलैक्शन का तरीका और सैनेट की इलैक्शन का तरीका वगैरह में तब्दीली लाने की ज़रूरत महसूस होती है। आप हैरान होंगे कि सारा साल पंजाब यूनिवर्सिटी की इलैक्शन का धंधा चला रहता है। इन चुनावों की वजह से वहां पर धड़ेबाज़ी हो गई है और यह किसी सिस्टम या असूल की बिना पर नहीं है। यह दो तरह की है। एक तो कुछ डिनौमीनेशनल इन्स्टीटयूशन्ज़ हैं जैसे कि डी० ए० वी० और खालसा वगैरह या दूसरी तरह की ही ग्रुपबाजी है। इस हालत में सही किस्म के आदमी का इलैक्ट होना मुश्किल हो गया है। अगर किसी तरह से ग्रुपों से ऊपर उठ भी जायें तो फिर और तरह के इन्टरैस्ट काम करते हैं। किसी ने ऐग्ज़ामीनर बनना होता है, कोई पेपर सैटर बनना चाहता है, कोई चाहता है कि उस की किताब लग जाए, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। इस तरह के इन्टरैस्ट वर्क करते हैं। जो बुराइयां इलैक्शन्ज़ की पुलीटीकल फील्ड में हैं वही इस ऐकडैमिक फील्ड में भी नज़र आने लगी हैं। कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिस में पंजाब यूनिवर्सिटी के भिन्न भिन्न महकमों और कालिजों की कोआर्डीनेशन तो हो जाए मगर यह जो इलैक्टिव सिस्टम है यह न हो। वाइस चांसलर की एप्वायंटमैंट हो। फेकलटीज़ के चुनाव, स्कूल बोर्ड्ज़, और जो दूसरी सीट्स हैं उन पर माने हुए टीचर और प्रोफैसर लिये जा सकें। हमारा ख्याल था कि यहां पर विधान सभा में

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

पालिटीशियन्ज़ की वजह से ऐसा ऐटमसफीयर होता होगा और अकैडमिक ऐटमसफीयर कुछ अच्छा होगा मगर वहां पर हम ने देखा है कि कई दफा बुरी किस्म की धड़ेबाज़ी होती है, ग्रुप-बाज़ी है जोकि ऐफीशैंसी पर असर डालती है, बस यूंही काम चल रहा है । एक वहां पर लैजिसलेटर्ज़ का ही ग्रुप ऐसा होता है जिस ने न तो कोई अपनी किताब लगवानी होती है और न ही किसी ने ऐग्ज़ामीनर बनना होता है । लेकिन उस के मुतल्लिक भी तरह २ की बातें बनाई जाती हैं । जब वह एक तरफ वोट देते हैं तो कहा जाता है कि कहीं ऊपर की तरफ से इशारा आ गया होगा । मुझे शर्म आती है कि वह लोग हमें इस तरह के समझते हैं कि हम में इतनी स्ट्रिंग्ज़ काम करती हैं । इस के अलावा वाइस चांसलर को इतनी वाइड पावर्ज़ नहीं होनी चाहिएं कि जितनी कि उसे दे रखी हैं । उन की पावरज़ मुख्तलिफ डिपार्टमैंटों के हैडज़ को डेलीगेट कर देनी चाहियें । सिन्डीकेट में भी ग्रुप्स होते हैं, कोई डी० ए० वी० वालों के ग्रुप का मैम्बर है और कोई सिख ग्रुप का और कोई किसी और का । यह सोचा जाना चाहिये कि इस माहौल में कैसे तब्दीली की जाए ।

इस के साथ ही मैं यह भी अर्ज करूँगा कि हमें फख्र है कि पंजाब ने नए सिरे से निहायत ही शानदार नई यूनिवर्सिटी कायम करके, नई इमारतें बना कर सारे ही हिन्दुस्तान को लीड दी है । उस में जो नए २ और तरह २ के डिपार्टमैंट्स कायम किए हैं और जो बाहर के मुल्कों से प्रोफैसर वगैरह आए हैं उन्होंने न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की रौनक को ही बढ़ाया है बल्कि काफी काम भी किया है । मगर आप हैरान होंगे कि आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी को इमारतों के लिये सिर्फ 17 लाख रुपया पंजाब सरकार की तरफ से मिला है जबकि युनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन ने उन को 35 लाख रुपया दिया है । वह बाहर से इतना रुपया ले आए हैं । मगर यह नहीं होना चाहिये उन को युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की खुशामदें करनी पड़ती हैं । जहां तक इमारतों के बारे में प्रोग्राम, जो फाइनल हो चुका है, का ताल्लुक है उस के बारे में पंजाब गवर्नमैंट को और वाइस चांसलर को मिल कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि पंजाब यूनिवर्सिटी हर लिहाज़ से इमारतों, स्टडीज़ और स्टाफ के लिहाज़ से अपनी किस्म की आप हो । अब कुछ हायर सैकन्डरी सिस्टम बारे भी अर्ज करूँगा । मुझे खुशी है कि इस की तजवीज़ मुदालियार कमिशन की तरफ से आई । देश में इस की काफी चर्चा चली । इस को बड़े शौक से अपनाया गया । इस के जो कोर सबजैक्ट्स थे और जो इलैक्टिव सबजैक्ट्स थे उन से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं । मगर हुआ यह कि एक दम चेंज से नए कोर्सिज़ और पुराने कोर्सिज़ का झमेला खड़ा हो गया । यह नया सिस्टम एक कन्ट्रावर्सी का कारण बन गया है । और देहात में तो मैं ने देखा है कि बोर्ड तो नया लगा है मगर सिवाय चंद सैक्शन्ज़ के बाकी सब कुछ पहले की तरह से ही है ।

1.00 p.m.

बिल्डिंग वही है, स्टाफ वही है, सिर्फ कोर्सिज़ में चेंजिज़ हैं । इसके अलावा एक डुअल सिस्टम चल रहा है । मेरी राय यह है कि इतना कनफ्यूज़न है सारे सिस्टम में कि यह चल नहीं सकेगा । मेरे साथी ने 5 करोड़ रुपए का हिसाब बताया लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 10 करोड़ रुपए भी हायर सैकंड्री की कनवरशन के लिए खर्च कर दिए जाएं तो भी काफी नहीं है । मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूँ कि सारी जिन्दगी हम लोगों की लग जाए इसमें तो भी हम चेंज नहीं कर सकते । इसके तो जो शुरू

करन वाले थे अब वही क्रिटिक्स हो गए तो और लोगों का क्या कहना । मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह इस मामले में ज़रूर ली जानी चाहिये । यहां पर कई बातें कही गईं कि मूंज के जूते भी डाले जा सकते हैं, दरख्तों के नीचे और छप्पर डाल कर भी पढ़ाया जा सकता है, यह हो सकता है और वह हो सकता है, लेकिन मेरी राय यह है कि अगर स्कूल हो तो वह स्टैंडर्ड स्कूल हो वरना उसे खत्म कर देना चाहिये । मैंने देखा कि इज़रायल में 80 छोटे छोटे ऐग्रीकल्चरल स्कूल हैं और यहां एक भी नहीं है । आप मॉडल स्कूल खोलें चाहे 5 मील के एरिया में खोलें लेकिन स्कूल मौडल ही हो । कोई बात नहीं कि कुछ लोगों को दूर से आना पड़े मगर शिक्षा तो अच्छी मिलेगी । और इसके लिये पंचायतों को अधिकार देना चाहिये कि वह स्कूल सैस उगरा सकें और अगर उनको नहीं देना अधिकार तो एक सैस ही लगा दें । और जो स्टाफ रखें उसके लिए एपटीच्यूड टैस्ट करके लोग रखने चाहियें ताकि स्टैंडर्ड टीचर मिल सकें जो बच्चों को ज़िन्दगी में आगे बढ़ाने के लिये तालीम दे सकें । अभी टीचर्स का स्टैंडर्ड बहुत लो है ।

पिछले दिनों मैं यूनिवर्सिटी लैक्चरर के सिलैक्शन में गया हुआ था । वाइस चांसलर ने चन्द एक फार्मूले मैथेमैटिक्स के पूछे थे बाकी आर्डिनरी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी से ताल्लुक रखने वाले सवाल थे जैसे मिसाइल्ज़ क्या है, स्पुतनिक क्या है, यहां तक कि इनकी हाइट कैसे जानी जाती है । स्पीकर साहब, यह जनरल नालिज की बात है और एवरी डे साइंस और आर्ट की और दूसरे सबजैक्ट्स की मैगज़ीन हर जगह मिलती है जिनको बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़े लिखे भी पढ़ते हैं और इस तरह के कई मज़मून किताबों और रिसालों में भी आते रहते हैं । लेकिन उन्होंने किसी ने भी ठीक जवाब नहीं दिया और न ही उनको मालूम था । इससे पता चलता है कि वह लिटरेचर को पढ़ते ही नहीं । इसलिये जो टीचर्स हैं चाहे स्कूल्ज़ के हों, कालेज के हों या यूनिवर्सिटीज़ के हों उनका स्टैंडर्ड रेज़ करना चाहिए । इस सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिये कि जिन बच्चों की रूरल बैकग्राउंड है वह अरबन एरिया के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि वहां न तो अखबार ही पहुँचती हैं न सिनेमा है और न वह किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठ ही पाते हैं । तो कम्पीटीशन के लिये भी कुछ न कुछ क्राइटेरिया मुकर्रर कीजिए । और रूरल एरियाज़ में स्कूलों को इक्विप कीजिए ।

स्पीकर साहिब, मैं पंजाब गवर्नमैंट को यह कहना चाहता हूँ कि टीचर्स जो मुकर्रर किए जाते हैं उनको सर्विसिज़ में लेने से पहले यह देखना चाहिये कि उनको पढ़ाने का एप्टीचूड है और एप्टीचूड टैस्ट करने के लिये हमें कार्रवाई करनी चाहिये । इसके अलावा मैं यह सुझाव भी दूंगा कि टीचर्स को रिसर्च माइंडिड बनाने के लिये गवर्नमैंट कुछ समय के बाद रिफरेशर कोर्स जारी करे ताकि वह लोग यहां आ कर ज्ञान ले सकें और रिसर्च माइंडिड बन सकें । इसके लिये बजट में प्रावीज़न किया जाना चाहिये । फिर टीचर्स की नालिज को अप टु डेट करने के लिए हर दूसरे साल तालीम या यूनिवर्सिटी के महकमे की तरफ से कोई वर्कशाप्स और ऐजुकेशन मैथड्स पर कोर्सिज़ हों जिस पर लेटैस्ट नालेज और रिसर्च अप टु डेट की जाए ताकि वह बच्चों को ज्यादा ज्ञान दे सकें इसके लिये भी रुपया मंजूर करना चाहिये ।

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

बच्चों के स्कूल टाईमिंग्ज़ के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि टाईमिंग ऐसे हों जिनसे उन्हें असुविधा न हो। ऐसे टाईमिंग्ज़ नहीं होने चाहियें कि जो बच्चों की सेहत और स्टडी दोनों के लिहाज़ से हैल्दी न हों।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। 15 करोड़ की मांग ऐजुकेशन के सिलसिले में यहां रखी गई है। आज के हालात में जब हमें ऐजुकेशन में क्वालीटेटिव इम्प्रूवमैंट करने की ज़रूरत है, यह डिमांड काफी कम है। सन् 1961-62 में 11 करोड़ की थी। आज बजट का तकरीबन 14 फीसदी हिस्सा जो 15 करोड़ बनता है उसकी मांग हमारे सामने है। डिप्टी स्पीकर साहबा, बहुत से मुल्क ऐसे होते हैं, जहां पर इंडीविजुअल के डिवलपमैंट पर ध्यान दिया जाता है, बहुत से मुल्क ऐसे होते हैं जहां सोसाइटी और कम्युनिटी के वैलफेयर पर ध्यान दिया जाता है लेकिन हमने अपने देश में जो कांस्टीचूशन अख्तियार किया हुआ है उसमें इंडीविजुअल और सोसाइटी दोनों की तरफ ध्यान दिया जाता है। इसलिये एजुकेशन का जो मियार हमने बनाना है वहां यह ध्यान देना होगा कि इंडीविजुअल, सोशल, पालिटीकल और इकानमीकल डिवलपमैंट के साथ साथ ऐजुकेशन की डिवैलपमैंट भी हो। आज डैमाक्रेसी में हमने इकनामिक प्लैनिंग डिसैंट्रलाइज़ की है और वह गांव से शुरू होती है और जब तक हमारी ऐजुकेशन गांवों में न फैल जाए और इतनी न हो कि हम गांव से लीडरशिप पैदा कर सकें तब तक जितना पैसा खर्च किया जाए उसका कोई अर्थ न होगा। *(At this stage Sardar Gurnam Singh, a Member of Panel of Chairmen, occupied the Chair.)* इसमें कोई शक नहीं इस साल ऐजुकेशन के बारे में काफी इम्प्रूवमैंट हुई है और जो ऐजुकेशन बिल हमने पास किया उसको एडाप्ट करके काफी इम्प्रूवमैंट की गई और इस साल के अन्दर सरकार ने कालेजों में जो सुधार किया है वह सराहनीय है।

मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे मुख्य मंत्री ने स्कूलों में अच्छे नतीजे निकालने की ओर ध्यान दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन लेते समय किसी के साथ बेइंसाफी हो जाए और कुछ टीचर भी मुअत्तल किए जाएं जिन का कोई कसूर न हो, मैं इस सिलसिले में मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि बैकवर्ड ऐरिया में ऐसे बहुत से स्कूल थे जहां पर अंग्रेज़ी के टीचर, हिसाब के टीचर और साइंस के टीचर कई सालों से नहीं पहुँचे और वहां पर टीचर न होने के कारण अच्छे नतीजे नहीं निकल सकेंगे। मैं इस बारे में प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि वहां के टीचरों के विरुद्ध एक्शन लिया गया तो उन के साथ बड़ी ज्यादती होगी। हमारी सरकार ने इन्स्पैक्टोरेट स्टाफ में रीआरगनाइज़ेशन की है। यह शिक्षा की हिस्ट्री में एक नया कदम उठाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जो कदम उठाया है उस से रैड-टेपिज़िम और करपशन की समस्या हल होगी और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी ऊंचा होगा।

सरकार ने स्कूलों के आवर्ज़ भी बढ़ाए हैं, और छुट्टियां कम करने का निश्चय किया गया है, स्थान की कमी होने के कारण भी स्कूलों की संख्या बढ़ायी गयी है। जहां पर आवर्ज़ के बढ़ाने तथा डबल शिफ्ट के सिस्टम को लागू करने पर काफी नुक्ताचीनी की गई है, और कहा गया कि

इस से तो बच्चों को असुविधा होती है मैं इस के बारे में कहना चाहती हूँ कि सरकार ने अनपढ़ता को दूर करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। ऐसी अवस्था में सरकार के पास कोई चारा नहीं रह जाता जबकि बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। और स्कूलों की बिल्डिंगों की कमी है जहां पर डबल शिफ्ट सिस्टम चालू किया गया है, वहां पर हर सिस्टम के लिये अलग अलग टीचर प्रोवाईड किए गए हैं, पहाड़ी इलाके में स्कूलों के टाइम का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि वहां के विद्यार्थियों को असुविधा महसूस न हो। को-एजुकेशन प्राईमरी में शुरू की जा रही है। 700/800 स्कूल में इस साल चालू होंगे। इस के बारे में भी माननीय सदस्यों ने सरकार की नुक्ताचीनी की है और कहा कि गांवों में अनहैल्दी अटमासफियर होगा। मैं उन की सूचना के लिये बता देना चाहती हूँ कि इस से इकानोमी ज़रूर होगी। मैं विशेष तौर पर हरियाने के इलाके की बाबत कह सकती हूँ कि वहां पर इस सिस्टम के लागू करने से इकानोमी होगी। मैं ने हरियाने का नाम इस लिये लिया है कि कांगड़ा जिला में इस सिस्टम को पसंद करते हैं। वहां पर लड़के तथा लड़कियां काफी संख्या में स्कूल में जाती हैं तथा एक ही स्थान पर शिक्षा प्राप्त करती हैं किन्तु हरियाने के इलाके में लोग लेडी टीचर्ज़ की मांग करते हैं। लेडी टीचर्ज के न मिलने से इस सिस्टम पर क्या असर होगा लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस सिस्टम के प्रचलन से ज़रूर फायदा होगा। इस से इकनोमी होगी, और यह लाभदायक तरीका है। *(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair.)*

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसा देखा गया है कि पंचायतें गर्लज़ स्कूलों की बिलकुल देखभाल नहीं करतीं। मेरे पास ऐसी लेडी टीचर आई जो कि गांवों में काम करती है। उन्होंने बताया कि पंचायतें लड़कियों के स्कूल की निसबत लड़कों के स्कूल को ज्यादा महत्त्व देते हैं, तथा लेडी टीचर्ज़ की सुविधाओं का भी कुछ ध्यान नहीं रखा जाता। उस का नतीजा यह होता है कि लेडी टीचर्ज़ जो कि बहुत काम करना चाहती हैं; वहां दिल लगा कर काम नहीं कर सकतीं। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि पंचायतों तथा गांव के लोगों को चाहिये कि लेडी टीचर्ज़ को को-आप्रेशन दें ताकि वहां पर लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले और लेडी टीचर्ज़ भी अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमैंट को कुछ स्कीमों के लिये ग्रांट्स देती है। कई स्कीमों में शत प्रतिशत तथा कई स्कीमों में 75 प्रतिशत ग्रांट्स मिलती हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सरकार उन ग्रांट्स को पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाई है। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में लेडी टीचर्ज़ के लिये रिहायशी कवार्टरों के लिये रकम एलोकेट की गई है। मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है कि उन के लिये 33% ही कवार्टर बने हैं। 700 के लगभग कवार्टर बनाए जाने थे किन्तु उन में 200—300 मकान बनाए गए हैं, उन मकानों की हालत यह है कि वहां पर लेडी टीचर्ज़ नहीं रह सकतीं और अब वहां कवार्टर पशुओं को बांधने के लिये इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एजुकेशन डिपार्टमैंट विद्या के प्रसार के लिये कुछ सबसिडाइज़ करता है। यह रकम डिप्टी कमिश्नर की डिस्पोज़ल पर रखी जाती है और वह पंचायतों को वितरण करता है लेकिन पंचायतें इस रकम को ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करती हैं। इस के

प्रति उन का रवैया कैलस है। तीसरी पांच वर्षीय योजना में जितनी रकम क्वार्टरज तथा अन्य सम्बन्धित कामों के लिये प्रोवाइड की है वह अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं की जा रही है। उस में अभी तक जो प्रोग्रस हुई है वह बहुत ज्यादा असंतोषजनक है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय का विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कम्युनिटी डिवैल्पमैंट मिनिस्टर साहिब ने जितनी रकम पंचायतों को एलोकेट की है उन को वह पूरी तरह से इस्तेमाल करे जिस से लड़कियों की शिक्षा का प्रसार हो सके और उन का स्टैंडर्ड रेज़ हो सके। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सैंट्रल गवर्नमैंट राज्य सरकार को प्राइमरी तथा हायर सैकेंडरी स्कूलों तथा कालेजों के लिये सहायता देती है जिस से शिक्षा का क्षेत्र विकसित हो, लेकिन हमारी सरकार मिडल कलासिज़ के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है। इस का नतीजा यह होता है कि मिडल कलासिज़ निगलैक्ट हो चुकी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मिडल स्कूलों के लिये क्रमशः लड़के तथा लड़कियों के लिए 3 लाख और $1\frac{1}{2}$ लाख रुपए प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उस से मिडल कलासिज़ की एजुकेशन को पूरा फायदा नहीं होगा। इसी तरह गर्लज़ हायर सैकेंडरी स्कूलों के नतीजे अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पर लेडी टीचर्ज़ नहीं पहुँचती। खास तौर पर इंगलिश और मैथेमैटिक्स का कम्बीनेशन, बहुत कम मिलता है। इस के साथ ही मैं चीफ मिनिस्टर साहिब को बधाई देना चाहती हूँ कि इन्स्पैक्टोरेट की रीआरगनाइज़ेशन से बी.ए., बी.टी. जो कि पहले ए.डी.आई. की पोस्टों पर नियुक्त थीं, वह अब अनइम्पलाइड हो चुकी हैं, उन को भी अबजार्ब किया जा रहा है। उन को वहां से हटा कर बैकवर्ड ज़िलों तथा गांवों में लेडी टीचर के तौर पर लगाया जा रहा है। उन को काफी तजरुबा है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेज़ हो जाएगा।

Deputy Speaker: The hon. lady Member should finish her speech within two minutes.

श्रीमती ओमप्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो मैंने बहुत सी बातें कहनी थीं किन्तु आप के हुक्म को मानकर 2-3 मिन्ट में ही खत्म कर दूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमैंट की तरफ से पी. डब्लियु. डी. को हर साल स्कूलों की बिल्डिगें बनाने के लिये तथा उन की मुरम्मत कराने के लिये रकम एलोकेट की जाती है लेकिन पी. डब्लियु. डी. के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते जिस का नतीजा यह होता है कि बच्चे बाहर बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते हैं अथवा छोटे 2 कमरों में 50—100 के लग भग भेड़ बकरियों की तरह बैठते हैं। मैं ने शहरों में देखा है कि बच्चे अकामोडेशन की कमी के कारण नालियों पर पटड़ियां रख कर बैठते हैं। मैं समझती हूँ कि पी. डब्लियु. डी. अथारेटीज़ उन की मुश्किलों को महसूस नहीं करते इस तरह से भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरता है। इस के साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि पी. डब्लियु. डी. अथारेटीज़ को एजुकेशन डिपार्टमैंट की ओर से अमाऊंट एलोकेट की जाती है वह आम तौर पर 50-60 प्रतिशत लैप्स हो जाती है। मैं इस के बारे में आप के सामने आंकड़े पढ़कर सुना देती हूँ। 1959-60 में 43 लाख रुपये मंजूर हुए थे जिस में 19 लाख रुपए खर्च हुए, 1960-61 में 60 लाख रुपए जिस में से 25 लाख रुपए खर्च किए गए और 1961-62 में 78 लाख रुपए एलोकेट किए गए थे, उस में से 36 लाख रुपए

खर्च हुए। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि इस ओर काफी मात्रा में अमाऊंट लैप्स हो रही है जिस से स्कूलों की इमारतें नहीं बन रही हैं मैं चाहती हूँ कि जितनी भी पी. डब्लियु. डी. अथारेटीज़ को अमाऊंट एलोकेट की जाती है उस को इस्तेमाल करने के लिये इफैक्टिव स्टैप्स उठाए ताकि यह फंड लैप्स न हो। मिनिस्टर साहिब ने पिछले साल स्कूलों की बिल्डिगों के लिये डिसक्रेशनरी फंड से कुछ पैसे दिए थे। मैं इस के बारे में पहले भी लिख कर दे चुकी हूँ। कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों को पैसे नहीं दिये जा सकते। इस लिये पैसे रिलीज़ नहीं किए गए। जब तक पैसे रिलीज़ न किये जायें तब तक न खर्च हो सकता है और न ही बिल्डिगें इम्प्रूव हो सकती हैं। अव्वल तो जितने गवर्नमैंट स्कूल हैं उन की बिल्डिगें पंचायत की मलकीयत हैं उन पर यह शर्त लागू नहीं होनी चाहिये लेकिन अगर यह शर्त है भी तो भी गांव की डिवैल्पमैंट के लिये उन को पैसे दिये जाने चाहियें क्योंकि सब से पहले तो स्कूल की बिल्डिग की डीमांड की जाती है। (घंटी)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਭੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਨਹਾਰ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇਸਕਰਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੇਸ਼ਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਵਲ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋ ਪੇਡ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲ ਠੀਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਝਾਕਣਾ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]

ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਵੀ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬ ਵੱਧ ਛੱਪੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਮੇਂਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ 40 ਲਖ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਕੁੰਜਪੁਰ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਰੁਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਕਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੜਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ strike ਤੇ ਹਨ।

Deputy Speaker : The hon. Member should go and see the Minister concerned in this connection.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਉਂਦੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Deputy Speaker : Will you please resume your seat ..?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੜਕਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਜ ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਂ ਹੀ ਟਾਂਗਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇੱਹੋ ਗਲ ਕਹਿਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ 50--50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈ।

(At this stage, many Members rose to speak)

Chief Minister : Only one hour remains. I have been given only 45 minutes. How will I be able to reply to the debate within this short period ?

QUESTION OF PRIVILEGE

उपाध्यक्षा : ढिल्लों साहिब, आप को प्रिविलिज मोशन का नोटिस मेरे पास पहुँचा है। क्या कहना चाहते हैं आप ? (I have received the notice of privilege motion from Sardar Gurdial Singh Dhillon. May I know what does he want to say on this matter?)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मैंने तो यह समझा था कि आप इसे सोमवार को टेक-अप करेंगी।

उपाध्यक्षा : आपने जो कुछ कहना हो एक मिनट में कह लीजिए। फिर जो कुछ मैं ने कहना होगा कह दूंगी। (The hon. Member may have his say within a minute. Thereafter, I will give my ruling.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक अखबार है इंडियन ओबजर्वर। यह देहली में छपता है। यहां पर एक सवाल पिछले दिनों हुआ जिस में किसी आनरेबल मैम्बर साहिब ने पूछा था कि मुख्तलिफ अखबारात को कितने कितने इश्तहारात दिए जाते हैं और किस बेसिज़ पर दिए जाते हैं। सप्लीमैंटरीज़ के दौरान मेरा ख्याल है कि मैंने एक सप्लीमैंटरी प्रश्न यह पूछा कि 'tone' से गवर्नमैंट का क्या मतलब है। इस अखबार की कापी मुझे आज ही मिली है इस में एक आर्टीकल लिखा हुआ है. . . . . .

उपाध्यक्षा : ढिल्लों साहिब, चूंकि यह अखबार का मामला है इसलिये आप से मैं दरखास्त करूँगी कि इस को आप भी अच्छी तरह से देख लें और मैं भी देख लूंगी और जैसा कि आप का ख्याल था इसे सोमवार को ले लेंगे। (Since this matter concerns a newspaper, I would request the hon. Member to study it further. Meanwhile, I will also examine this matter and just as he has suggested, we will take it up on Monday.)

Note :—For further proceedings on the subject, please refer to the PVS Debate Vol I No. 23, dated 25.3.63.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मैं भी यही चाहता था कि इसको अच्छी तरह से देख लिया जाए ताकि किसी तरह से कोई ग़ैर जिम्मेदारी की बात न हो जाए। मैं भी यही मुनासिब समझता था कि इसे सोमवार को ही टेक-अप किया जाए। मैंने इस अखबार को अभी अभी देखा है। दर असल इस का रवैया यह बना हुआ है कि चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिये हर उस आदमी की पगड़ी उछालेगा जिसकी बाबत उसे यह पता लगे कि उसके चीफ मिनिस्टर साहिब से differences हैं। इस तरह से यह अखबार कोई सर्विस नहीं कर रहा। मुझे पता लगा है कि इस ने सरदार दरबारा सिंह जी की बाबत भी लिखा, दूसरों की बाबत भी; और सरदार ज्ञान सिंह जी राड़ेवाला की तो फैमिली की बाबत भी लिखा है। जो लिखना हो लिखे मुझे इस से कुछ नहीं लेना लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातें हाऊस में हों उन का इस क़दर अजीब ढंग से बयान करना.... खैर इस वक्त मैं ज्यादा नहीं कहता। आप से इजाज़त चाहूँगा कि सोमवार ही को इस पर अपनी बात कहूँ ताकि इस वक्त कोई ऐसी बात न हो जाए जो ग़ैर जिम्मेदारी की हो।

उपाध्यक्षा : इसीलिये मैंने कहा है कि इसे सोमवार को टेक-अप कर लिया जाएगा। यह बात सारे सूबे के साथ ताल्लुक रखती है, इसके लिये मुनासिब बात यह होगी कि आप भी इसको देख लें और मैं भी देख लूं। (That is why I suggested that it may be taken up on Monday. Since the matter concerns the whole State I would request the hon. Member to study it further. I will also examine it.)

DEMANDS FOR GRANTS (RESUMPTION OF DISCUSSION)

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੂੰਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਿਸਦਾ ਇਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਬਜੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਬਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ **ਹੀ** ਕੀਤੀਆਂ (ਹਾਸਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਪਣਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਹਨੇ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਨੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇ ਦਿਉ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅੰਧੇਰ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੇਇੰਗ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸਾਂ ਚਲਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਇੰਗ ਰੂਟ ਸਨ ਉਥੇ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ 4 ਟਰਿਪ ਲਾਉ ਉਥੇ 10 ਟਰਿਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੈਂਜਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼

ਇਤਨੇ ਸੰਗੀਨ ਅਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਟੰਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਟ ਲਾਈਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਨੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50: 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਦੋਸਤ ਜੋ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਉਂ 50 : 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਝਾੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈ-ਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪਖ ਅਖ-ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਤਰਕਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਮੈਨ ਪਤ੍ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਬਲਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰ-ਤਾਉ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 50: 50 ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹਨੇਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 50 : 50 ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਹਨ। ਜੋ ਰੂਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਮ ਐਲ. ਏਜ਼. ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖੇ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਕਿਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ (ਤਾਲੀਆਂ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦਿਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਫੰਡ ਲਈ ਚੰਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥਲੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੰਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ]

ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦੇ ਕਿਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਮੂਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਬਸ ਫੜੋ 11 ਬਜੇ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਥੇ ਖੂਬ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਸ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਬਜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਉ। ਇਤਨੀ ਸਹੂ-ਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਤਨੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : आप को इस तरह 12 बजे की बात नहीं करनी चाहिए थी। (The hon. Member should not have made any reference to 12 O'clock like that).

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

मुख्य मंत्री : ऐसे ही कह दिया होगा, कोई लगा कर नहीं कहा।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਬਜੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ 12 ਬਜੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ। (No, the hon. Member should withdraw the words.)

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਚੰਗਾ, ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 12 ਨਹੀਂ $12\frac{1}{4}$ ਬਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਹਾਸਾ)।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਕਢ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਬਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬਾਰਾਂ ਬਜੇ ਪੰਡਤ ਭਗੀਰਥ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਏਹੀ ਗਲ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਖਾਹ ਮੁਖਾਹ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਪੁਰਾਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਹ ਗਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਉਹ ਐਂਟੀ-ਕਮਿਊਨਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਨਾ ਉਹ ਆਨਿਸਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਜੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਏਹੀ ਤੇਹੀ ਫੇਰਨ ਲਗ ਜਾਏ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਈ ਤੇਹੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ (*thumping*)। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਰਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਓਮ ਪਰਭਾ ਜੈਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਸ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਦ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਏਥੋਂ ਤਕ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਕਤ ਰਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਬਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕੋ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਸਤ ਬਜੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਬਜੇ ਤਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕ ਬਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਬਜੇ ਤਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ? ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । (ਪਰਸੰਸਾ) ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਫਬਦੀ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਏਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸ-ਟਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਧੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਠੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਿਲਵਰਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਉਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੜਕੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਰਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਉਚਾ ਆਚਰਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਤਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ। ਇਕਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਝਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਲਗ ਕੀਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਘਟ ਮਿਲਣ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਸਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਚੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਅਨਿਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਮਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾ-ਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਧੀ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਓਥੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸਤਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਹਨ ਉਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਦ ਤਕ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਈਏ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਸਤਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ-ਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ (ਵਿਘਨ) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਸੁੰਦਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਟੀ-ਚਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਓਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਗੇ ਬਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਵਾਂਙ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਜ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਜ਼ ਪੈਦਾ

ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਕ ਲਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਵਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਉਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਖਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਘਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਹਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੁਰਾਈਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂਟਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਕ ਬਤਖ ਵਾਂਗ ਤਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਾ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਤਰਦਾ ਹੈ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੰਗਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖੀਏ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਐਂਬੈਸੇਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਨਾਂਸ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਲਈਦੀ ਏ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਜ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖਤ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਣ। ਅਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪ-ਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਚਲਾਣ ਲਗਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ-ਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਅਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜ ਕਲ ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਾਇਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਕ ਭਰਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਂਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਲੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਇਹ ਜੋ ਵਿਹਲੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੀ-ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਅਜ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋ ਹਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਦਸ ਉਂਗਲਾਂ ਹਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦਸ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਹਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਜੋ ਇਕ ਹਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹਥ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿ-ਆਦਾ ਇਜ਼ਤ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੇਠ ਜੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਠ ਹੋਰੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਇਸ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) (ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ) ਜੇਕਰ ਅਜ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਕਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੀਲ ਊਨਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ-ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂ । (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਸ ਢਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਝੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੂਣੀ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਾਂਗੇ । ਤਕਲੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਸਨ ਹਥੀਂ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਟ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਕਲ-ਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਦਮੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਜ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਅਠ ਨੌ ਮੀਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੂਨੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਇਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਵਿਚ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਇਕ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਲਗ ਰਏ ਹਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਦਲਿਆਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਕੁਝ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਾਕਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਜ ਕਲ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਮ. ਏਜ਼. ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਮਾਊ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਐਮ. ਏ. ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐਮ. ਏ. ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 10 ਘਟ ਦੇ ਦਿਉ, 180 ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬੀ. ਏ ਵਾਲਾ ਗਰੇਡ 80, 100 ਜਾਂ 110 ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ : ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2.00 p.m. | ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਨਕਸ਼ੇ ਖਿਚ ਖਿਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਣਪ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਰੋਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਡਿਅਲ ਐਪਰੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਵਿਘਨ)। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕ-ਲਖਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ-ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹਨ ਮਾਸ-ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੁਮਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਭੈਣ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਗਲ ਮੈਂ ਅਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਏਥੇ ਕਈ ਸੁਝਾਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ, ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਦੱਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਹਾਇਰਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਤਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 11 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਅਜ ਹਟਾਈ ਸੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫੀਸ ਰਹੇ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਝਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 10 ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਕਤ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧੇ ਕੁ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਮਜਮੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ

ਨਰਮੀ ਵਰਤਨਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ (*thumping*)। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਡੀ.ਏ. ਵੀ,ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚ ਸਕਣ। ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੋਕ ਏਥੋਂ ਉਠਾਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਢਣ। ਇਹ ਗਲ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਟੁਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਗੇ ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਾਣੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਕਿ ਆਪ ਐਥੋ ਹੋ ਲਓ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੇ ਦੁਕਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲੀਸੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ see to the downest level whether that policy is being implemented or not। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇ ਇਕ Teacher ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਕ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Pandit Mohan Lal Datta : But this is being done on a large scale.

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਮੈਂਨੂੰ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ 40 ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵੀਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਰ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰਕੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀ ਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਅਗਾਉਂ ਤਰਕੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ 80 ਤੋਂ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਜਨਕ ਸਮਝਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਜ਼ੀਰੋ ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਲਭ੍ਰੂ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 40-40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਥੇ ਘਟ ਹਨ ਉਥੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪੀਰਅਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤਪੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਪੜੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈਡਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਤੇ ਚਲ ਸਕਾਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਕ ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਸਕੂਲ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੌਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਹਨ ਔਰ ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਪਾਨ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਸਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਫੇਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸਖਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 1965 ਤਕ ਅਸੀਂ 28,500 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਿਰ ਜਾਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲੜਕੇ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸਕੰਡਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਭ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਲਬਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਲ

ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੇਲੂਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੱਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੇੜਾਂ ਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਫ਼. ਅਸ. ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਘਟ ਦਸਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੀ. ਅਸ. ਸੀ. ਇੰਜੀਨਿਆਰੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਸ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੌ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਬਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਦ-ਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਔਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸ-ਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਇੰਡਸ-ਟਰੀਅਲ ਬਾਇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਾਇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਧਾਰਮਕਵਾਦ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਲਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਤੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਉ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ ਜਿਸ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੋ ਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ ਫੇਰ ਇਧਰ ਵੀ ਆਵਾਂ ਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਆਲੋਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਜਾਗ-ਰਫੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਦਾ, ਮੈਪ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ ਜਿਧਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਹਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। If the result is below 70% then I shall alert the Head Masters of Government Schools and I shall tell them they are coming down and they should watch themselves. ਜੇਕਰ ਰੀਜ਼ਲਟ 60 ਤੇ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ Headmaster ਨੂੰ ਸੈਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ 50 ਤੇ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਕਮੁਲੇ-ਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ 30 ਤੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਲਟ ਕਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ increments ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ tolerate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਰਨੇ ਹਨ (ਤਾਲੀਆਂ) ਇਹ ਜੋ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ:....................

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ....

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? (*noise*)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਛ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ । ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਥੋਂ ਲਉਗੇ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਹੋਰ ਆਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਉ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਕਰਿਟੇਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਵਾਕਈ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੈਸਟ ਆਦਮੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਹਾਈ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਲੀਟੀਸੀਅਨਜ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ (ਹਾਸਾ) । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਲੀਟੀਸੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਿਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਲ ਕਢੋ । ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾ ਲਉ, ਵਧਾ ਲਉ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਉ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਸੀ, ਪਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ

ਰੁਬਲੈਸਲੀ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿਉ ਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢ ਕੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 50 : 50 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਣੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਧੱਰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਟੰਗ ਅੜਾ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਗ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲ ਲੈਣ ਦਿਉ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਉ। ਸਭ ਕੰਮ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੋਣੇ ਹਨ।

उपाध्यक्षा : अगर चीफ मिनिस्टर साहिब कुछ और कहना चाहते हों तो हाउस का समय बढ़ा दिया जाए ? (If the Chief Minister wants to speak any more, the time of the sitting of the House may be extended.)

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਨਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਐਨੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮਾਂਡਾਂ ਪੁਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਮਾਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿਉ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਖ ਜਾਂ ਸੌਖ ਹੋਵੇ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੈ ਕੋਈ ਵੇਹਿਲਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ (*cheers*)

Deputy Speaker : Now, I will put the cut motions in respect of various Government Demands for Grants one by one to the vote of the House.

28—EDUCATION

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be recuced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

That a sum not exceedings Rs 15,03,29,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 28—Education.

The motion was carried.

57—ROADS AND WATER TRANSPORT SCHEMES

Deputy Speaker : Now I will put cut-motions to Demand No. 33 to the vote of the House.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the Demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,74,87,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64. in respect of charges under head 57—Roads and Water Transport Schemes.

The motion was carried.

113—CAPITAL OUTLAY ON RAIL-ROAD CO-ORDINATION SCHEMES

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 10, 68,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 113—Capital Outlay on Rail-Road Co-ordination Schemes.

The motion was carried.

114—CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,16,53,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 114—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

The motion was carried.

2.30 p.m.

(*The Sabha then adjourned till* 2.00 *p.m. on Monday, the* 25*th March*, 1963.)

21265 PVS—387—23-7-63— C., P. & S., Pb., Chandigarh

ANNEXURE

[*Please see foot note at page (22) 30 of this debate*]

T.A. DRAWN BY D.C., S.D.Os., TEHSILDARS, NAIB TEHSILDARS AND B.D.Os. OF HISSAR DISTRICT.

930. **Chaudhri Tek Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of T. A. drawn by D. C., S. D. Os., Tehsildars, Naib Tehsildars and B. D. Os. of Hissar district from October, 1962 to February, 1963 monthwise ?

Sardar Ajmer Singh: (*Revenue Minister*)

	Rs.	N. P.
Total amount of T. A. drawn by D. C., S. D. Os., Tehsildars, Naib Tehsildars and B. D. Os. of Hissar District during the period October, 1962 to February, 1963.	6183	39

Monthwise detal is as under :—

Designation of officers	T. A. drawn during October, 1962	November, 1962	December, 1962	January, 1963	February, 1963
Deputy Commissioner	180.62	91.87	118.12	..	..
Sub-Divisional Officers.	38.50	233.88	..	..	..
Tehsildars	59.36	60.95	16.26	1071.47	27.50
Naib Tehsildars	56.66	51.47	..	261.84	76.64
Block Development Officers.	925.12	939.27	718.31	706.39	549.16
Total :	1260.26	1377.44	852.69	2039.70	653.30

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 23, DATED THE 25TH MARCH, 1963.

Read	*or*	*on page*	*line*
Monday	Monay	Title	7
by	b	(23)3	5
Majitha	Maztthа	(23)10	14
competitive	ompetitive	(23)13	11
free	fee	(23)15	8
Speaker	Speaer	(23)15	26
House	Houe	(23)15	26
districtwise	dstrictwise	(23)15	7th from below
नहीं	नहुीं	(23)35	26
ਪੇਪਰ	ਪਪਰ	(23)54	16th from below
Sardar Gurdial Singh Dhillon	Sar dar Gurdial Singh Dhilion	(23)55	21st
sitting	seting	(23)58	14
If	I.	(23)58	18
observations	ovservation	(23)59	heading
official	of icial	(23)59	5
changing	chang ng	(23)59	14th and 15th from below
presentation	peesentation	(23)60	30
ਮਹਿਕਮੇ	ਮਕਿਹਮੇ	(23)61	4th from below
ਨਹੀਂ	ਣਹੀਂ	(23)62	24
ਇਹ	ਇਢ	(23)63	4
ਰੁਪਿਆ	ਰੁਪਿਅ	(23)66	6
ਹੁੰਦੀ	ਹੰਦੀ	(23)72	Last

read	*for*	*on page*	*line*
ਗੜੇ	ਗੇੜੇ	(23)75	First
ਇਹ ਜ਼ਿਬਹ	ਇਨ ਜ਼ਿਬਦ	(23)75	8th from be'ow
Zibah	Zivah	(23)75	7th from below
he	be	(23)76	Last
their	theire	(23)81	7th from below
ਉਤੇ	ਉਤੋਂ	(23)87	17
ਕੀਤੇ	ਕਿਤੇ	(23)87	18
Delete "।" between "ਨੇ" and ਮੁਰਕ		(23)87	24
ਕੁਝ	ਕੁਲ	(23)91	Last
ਖਾਦ	ਖਦ	(23)92	Last but one
ਤਪਾਧ੍ਯਕ਼ਸ਼ਾ	ਤਪਾਕ਼ਸ਼ਾ	(23)94	1
generally	generaly	(23)94	4
ਕਿਹੜੀ	ਕਿਹੜੇ	(23)94	18
ਹੋ	ਹ	(23)96	6
Read ਵਿਚ" between "ਫਾਰਮ" and "ਟਿਊਬ ਵੈੱਲ"		(23)97	15
ਪੁੱਛੀ	ਪਛੀ	(23)97	Last line
ਟੀਚਾ	ਟੀਸਾ	(23)98	—do—
ਰਜਿਸਟਰਡ	ਰਜਿਸਟਰਾਂ	(23)98	18
ਨਾ	ਨ	(23)100	8th from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 25th March, 1963

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the clock. Mr. Speaker* (*Shri Prabodh Chandra*) *in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CHALLANS MADE UNDER SECTION 107/151, CR.P.C., IN HAMIRPUR SUB-DIVISION

***2406. Shri mati Sarla Devi :** Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the number of challans made by the Police under section 107/151, Cr. P.C., during the years 1960-61, 1961-62 and 1962-63 to date thana-wise in Hamirpur Sub-Division of Kangra District ;

(b) whether he himself or the S.P., Kangra, has received any representation from an M.L.A. regarding some false challans ; if so, the action taken thereon?

Shri Mohan Lal : (a) Hamirpur Sub-Division —

	1960-61	1961-62	1962-63 *to date*
P.S. Hamirpur	9	31	29
P.S. Barsar	34	16	19
P.S. Jawalamukhi	3	1	5
P.S. Sujanpur	6	1	6

(b) Yes. The complaint being of a general nature, S.P., Kangra, had requested the M.L.A. to furnish concrete instances, but his reply was awaited.

श्रीमती सरला देवी : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे, कि जब एम. एल. ए. की चिट्ठी ऐस. पी. के पास पहुंची कि पुलिस झूठे केस बना रही है तो वहां मुकामी अफसरों ने उस पर क्या एक्शन लिया ?

गृह मंत्री : मेरे पास यही इत्तलाह है, कि जनरल नेचर की शिकायतें हुई थीं और एस. पी. ने स्पैसिफिक केसिज़ इनस्टांसिज़, या वाक्यात मांगे थे और उसको वह सप्लाई नहीं किए गए ।

श्रीमती सरला देवी : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे, कि जब उनके नोटिस में यह बात लाई गई, कि वहां पुलिस 107/151 के झूठे केस बना रही है, तो उन्होंने वहां की लोकल पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

मंत्री : जैसा कि अभी अभी बताया, जनरल नेचर की शिकायात थीं और उन की तरफ एस. पी. का ध्यान दिलाया गया था। लेकिन अगर कोई स्पैसिफिक केस नोटिस में लाया जाए तो उस सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराई जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई केस आज तक गवर्नमैंट के नोटिस में नहीं आया।

श्रीमती सरला देवी : क्या होम मिनिस्टर साहिब इस बात का यकीन दिलाएंगे. . . .

Mr. Speaker : It is a suggestion for future action. It is not a supplementary question.

श्रीमती सरला देवी : स्पीकर साहिब, पहिले भी एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि. . . . . .

Mr. Speaker : The hon. Lady Member should put the question in the proper form.

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे, कि एस. पी. ने उस एम.एल. ए. को स्पैसिफिक इंसटांसिज़ बताने के लिए ज़बानी तौर पर कहा था, या कि कोई चिट्ठी लिखी थी ?

मंत्री : मेरे पास जो इत्तलाह है वह यही है, कि उनसे रिक्वैस्ट की गई। यह मैं नहीं कह सकता कि चिट्ठी लिखकर दरियाफत किया गया या ज़बानी।

ENQUIRY AGAINST FORMER SECRETARY, BATALA MARKET COMMITTEE

***1664. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Home Minister be pleased to state whether any enquiry was held by the Vigilance Department against Shri Balraj Kapur, when he functioned as Secretary of Batala Market Committee ; if so, with what result ?

Shri Mohan Lal : Yes. He was dismissed from the service of the Market Committee, Batala, after the enquiry. On appeal, however, he was reinstated but he resigned and left the job.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे, कि उस के खिलाफ क्या क्या ऐलीगेशन्ज़ थे, जिन की बिना पर पड़ताल की गई ?

गृह मंत्री : कुछ शिकायात एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की तरफ से थीं और कुछ जांच पड़ताल विजिलैंस डिपार्टमैंट ने भी की थी। शिकायात जनरल नेचर की थीं, यानी ताक़त का नाजायज़ इस्तेमाल वगैरह की। इसके अलावा उसने अपने नाम पर और अपनी पत्नि के नाम पर इंशौरैंस की एजंसी करा रखी थी। इस किस्म की जनरल किस्म की शिकायतें थीं।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे. कि जब इंक्वायरी के अन्दर सभी फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो गए,तो अपील किस के पास सुनी गई, जिस के आधार पर उसे रीइन्स्टेट किया गया ?

Home Minister : Government in the Agriculture Department.

ENQUIRY AGAINST DISTRICT WELFARE OFFICERS, KARNAL

***2427. Sardar Piara Singh :** Will the Home Minister be pleased to state whether the Vigilance Department and the C.I.D., Karnal, have recently conducted any enquiry against the District Welfare Officer, Karnal, if so, with what result ?

Shri Mohan Lal : Yes, an enquiry has been conducted by the Vigilance Department. The allegations, however, remained unsubstantiated.

APPOINTMENT OF EXECUTIVE OFFICER, MUNICIPAL COMMITTEE, RUPAR

***1663. Comrade Shamsher Singh Josh** (put by C mrade Babu Singh Master): Will the Home Minister be pleased to state whether Government obtained the concurrence of the Municipal Committee, Rupar, while making appointment of an Executive Officer there ; if not, the reasons for which Government have appointed one ?

Shri Mohan Lal : Government is competent to appoint an Executive Officer at Rupar under section 3(4) of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931. The Municipal Committee, Rupar, noted the appointment of the Executive Officer, in its resolution No. 3(0), dated 22nd January, 1962, and no objection was raised.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ?

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਖਰੀ ਇਨਕੁਅਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या यह वही कर्मचारी है, जिसका हाउस में ज़िक्र आया था कि डिसमिस्ड कर्मचारी लगाया गया है ?

मंत्री : पिछले सवाल में मैंने अभी अभी जवाब दिया है ।

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਈ. ਓ. ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤਕਰਰੀ ਹੋਈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ: ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।

श्री बलराम जी दास टंडन क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि योग्यताओं की बिना पर उसे एगज़ेक्टिव अफ़सर नियत किया गया ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ।

BRICK-KILN LICENCES ISSUED UNDER FORGED SIGNATURES

***2071. Comrade Ram Piara :** Will the Home Minister be pleased to state —

(a) whether any brick-kiln licences have recently been found to have been issued under forged signatures in the State during the period from 1st January, 1958 to date, if so, their number, the names of those to whom issued and when in each case ;

(b) whether it is also a fact that some raids were conducted on the premises/houses of some of the employees of the Civil Supplies Department, employed in the Chandigarh office ; if so, when and with what results ;

(c) whether any of the said employees have so far been arrested ; if so, their names together with the details of the enquiry if any, so far conducted against each of them ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. 18 such cases have been detected. A list containing names of the persons required and the date of issue is placed on the Table of the House.

(b) Yes. House search of two employees of the Civil Supplies Department was conducted at Chandigarh on 6th January, 1963. The matter being *sub-judice*, it will not be proper to give more details.

(c) Yes. The aforesaid two employees by the name Raj Paul Singh and Parkash Nath Bhanot have been arrested. Since the case is to be decided by a court of law and the matter is *sub-judice*, it will not be appropiate to give details of the enquiry.

STATEMENT

List of persons to whom the brick-kiln licences were issued with dates of issue of letter of sanction in each case.

Serial No.	Name of person	No. of letter of sanction and date
1	Shri Ram Narain, Jat, resident of Khizarpur, tehsil Sonepat, district Rohtak	1457-IS-62/66211, dated 17th November, 1962
2	M/s Ashoka Brothers, r/o 34, Model Town, Sonepat, District Rohtak	1357-IS-62/65105-7, dated nil
3	Shri Hari Ram, s/o Shri Sahlu, r/o Depalpur, district Rohtak	1354-IS-62/66319-21, dated 17th November, 1962
4	M/s Bhagwan Singh Zila Singh, r/o Sisang, for village Sanghi, district Rohtak	1339-IS-62/65099-101, dated 8th November, 1962
5	Shri Ram Chander, r/o Ismaila, district Rohtak	1083-MI-IS-62/53160, dated 7th September, 1962
6	Shri Jage Ram, Jamadar, r/o Gandhara, district Rohtak	1081-MI-IS-62/53163, dated 7th September, 1962
7	Shri Sujan Singh, r/o 214, Model Town, Rohtak	1077-MI-IS-62/59100, dated 10th October, 1962
8	M/s Joginder Singh Mohinder Singh, r/o Sampla, district Rohtak for Jhajjar	1084-MI-IS-62/57216-18, dated 27th September, 1962
9	M/s Satvir Singh Ram Singh, r/o Bhainswal, district Rohtak	661-MI-IS-61/55876, dated 11th October, 1961
10	M/s Rathi Brothers, r/o Bhaprauda, district Rohtak	1085-MI-IS-62/57219, dated 27th September, 1962
11	M/s Sukhbir Singh Nahar Singh, r/o Kasandi, district Rohtak	853-MI-IS-61/69253, dated 8th December, 1961
12	M/s Sher Singh Phool Singh, r/o Bhainswal, district Rohtak	121-MI-IS-61/6772, dated 5th Januauary, 1962
13	Shri Karan Singh, r/o Kasandi, district Rohtak, for village Isapur Kheri	916-MI-IS-61/799-801, dated nil
14	M/s Mange Ram Nafe Singh, r/o Kasandi, district Rohtak, for Teori	132-MI-IS-62/8420, dated 14th February, 1962
15	Shri Deep Chand, son of Parbhu, r/o Kasandi, district Rohtak, for village Sargthal	132-MI-IS-62/8420, dated 14th February, 1962
16	Shri Jit Singh Ruldu, resident of Nizampur, for Baroda, district Rohtak	132-MI-IS-62/8182-84, dated 12th February, 1962
17	M/s Om Parkash Dalip Singh, resident of Julana, district Sangrur, for village Bibipur	1182-MI-IS-62/59097, dated 10th October, 1962
18	M/s Ram Kumar Nand Lal,, resident of Paule, tehsil Jind, district Sangrur	1403--IS-62/65102, dated 8th November, 1962

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतांएगे कि पिछली दफा कब यह केस डिटेक्ट हुआ और कब नोटिस में आया ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ, 1962 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ; ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे, कि यह जो 18 भट्ठे वाले जिन्होंने जाली लाइसेंस जारी करा लिए थे, जो गवर्नमैंट के नोटिस में आ गए थे, उन्हें अपने भट्ठों के लिए कोई कोयला मिला था कि नहीं मिला था या उन का कोयला बन्द कर दिया गया था ?

मंत्री : उनके पास तो जाली लाइसेंस थे, उन्हें गवर्नमैंट की तरफ़ से तो कोई लाइसेंस जारी भी नहीं हुआ था, इस लिए उन्हें कोयला मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। They were not proper licencees.

कामरेड़ राम प्यारा : मैं यह पूछना चाहता हूँ, कि इन 18 भट्ठे वालों को, जिन्हें जाली दस्तख़तों से लाइसेंस जारी हो गए थे, उन्हें क्या अब तक कोई कोयला दिया गया है ?

Mr. Speaker : How can the hon. Member expect the hon. Minister to give this information off hand. He does not carry with him the details of all the files.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18 ਭੱਠੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

मन्त्री : इस वक़्त मेरे पास इस बार में इत्तलाह नहीं हैं। नोटिस दे दें। पता कर के जवाब दे दूंगा ।

COAL SUPPLIED TO BRICK-KILNS IN AMRITSAR DISTRICT

***2226. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Home Minister be pleased to state.—

(a) the number of wagons of coal issued to each brick-kiln in Amritsar District during the last one year ;

(b) the names of the owners of each of the said brick-kilns, together with their locations ?

Shri Mohan Lal : (a) & (b) The required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of Brick-kiln Owner		Location	Number of slack coal Wagons issued to each Brick-kiln Owner during a year from 1st January, 1962 to 31st December, 1962
1	Shri Kahan Chand Khanna	..	Fatehpur Rajputen	3½
2	Shri Behari Lal Khanna	..	Thriewal	3½
3	Shri Roshan Lal Bhalla	...	Bal Kalan	1
4	Shri Munshi Ram	..	Bal Khurd	3½
5	Shri Sardari Lal Khanna	..	Kathu Nangal	2½
6	Shri Hira Singh Harnam Singh	..	Jethuwal	2½
7	Shri Sudarshan Kumar	..	Mudhal	2½
8	Shri Darshan Singh	..	Varpal	3½
9	Shri Janta Finance Ltd	..	Pandori Varaich	3½
10	Shri Jagan Nath Sudarshan Kumar	..	Verka	2½
11	Shri Arjan Dev Kuldip Chand	..	Pandori Varaich	7
12	Shri Raja Ram Sardari Lal	...	Rampur	2
13	Shri Anant Ram Rameshwar Pal	...	Gilwali	4½
14	Shri Bahadur Singh	...	Mehta Nangal	..
15	Shri Rajinder Singh and Bros	..	Rupowali Brahmanan	3½
16	Shri Tara Chand Dwarka Dass	..	Channanke	3½
17	Shri Prem Nath Tulsi Ram Gurbachan Singh		Bal Khurd	3
18	Shri Hari Chand Hans Raj	..	Chogawan	2
19	Shri Gupta Brothers	..	O/s Bhagtanwala	2
20	Shri Hari Chand Hans Raj		Do	7½
21	Shri Guru Nanak Brick works		Do	3
22	Shri Harnam Singh Nagi	..	Do	3½
23	Shri Gokal Chand Bhatia & Bros	..	Kot Khalsa	2
24	Shri Gupta Brothers	..	Bala Chuk	1
25	Shri Kunj Lal Aggarwal & Co.	..	Do	1

Serial No.	Name of the Brick-kiln Owner		Location	Number of Slack Coal Wagons issued to each Brick-kiln Owner during a year from 1st January, 1962 to 31st December, 1962
26	Shri Dwarka Dass Mohan Lal	..	O/s Sultanwind Gate	3½
27	Shri Sardari Lal Gupta	..	Ditto	3½
28	Shri Waryam Singh & Sons.	...	Fattahpur	4½
29	Shri Gurdial Singh	..	Near Old Jail	2
30	Shri Waryam Singh & Sons	..	Fathapur	3½
31	Shri Gajinder Singh Randhir Singh	..	Dhapai	3½
32	Shri Balwant Rai Tarsem Lal	..	O/s Gilwali Gate	2½
33	Shri Parama Nand Faqir Chand	..	Chabhal Road	4½
34	Ditto	..	Hakimanwala Gate	2½
35	Kale Ghanupur Co-operative Society		Kale Ghanupur	–
36	Shri Wassawa Ram & Co.	..	Nangli	2½
37	Shri Peyare Lal Rakha Ram	..	Do	2½
38	National B.K. Industries	..	O/s Chatiwind Gate	4½
39	Shri Mehar Singh Ahluwalia	..	Kot Khalsa	2½
40	Shri Lachman Singh & Sons.	..	Do	..
41	Shri Sant Singh, s/o Dayal Singh	..	Dhapai	..
42	Shri Munshi Ram Aggarwal & Sons	..	Gilwali	2
43	Shri Munshi Ram Amar Nath, Ram Tirath Road		Mahal	2
44	Shri Bhalla & Co.	..	Wadala	1
45	Shri Moti Ram Aggarwal & Co.	..	Mahal	..
46	Shri Lachman Singh Sundhu	..	Do	3½
47	Shri Ram Singh Kapur	..	Ram Tirath Road	1
48	Shri Mahi Singh	..	Harsa Chhina	1

Serial No.	Name of the Brick-kiln Owner	Location	Number of Slack Coal Wagons issued to each Brick-kiln Owner during a year from 1st January, 1962 to 31st December, 1962
49	Shri Uttam Singh ..	Bhakhe	3½
50	Shri Dwarka Dass & Sons ..	Guru Ka Bagh	2½
51	Shri Mangal Singh Sarup Singh ..	Raja Sansi	3
52	Shri Tara Chand Khanna ..	Lopoke	5½
53	Shri Sardari Lal Malhotra ..	Chabhal Road	2
54	Col. Buta Singh ..	Naushehra Nangli	2
55	Shri Amarjit Singh ..	Do	2
56	Shri Narinder Chand Khanna ..	Sangrana	1
57	Shri Thakar Singh Darshan Singh ..	Chatiwind Road	
58	Shri Sohan Singh ..	Beas	3
59	M!s Kanshi Ram Sadhu Ram ..	Tangra	2
60	Shri Beant Singh & Co. ..	Butala	2½
61	Shri Karta Ram Dewan Chand ..	Jalalpur	2½
62	Shri Lekh Raj Gupta ..	Rayya	3½
63	Shri Karta Ram Bachan Singh ..	Buttar	3½
64	Shri Ram Singh ..	Jandiala	4½
65	Shri Hans Raj Dewan Singh ..	Sarli Kalan	3½
66	Butari B.K. Co-operative Society ..	Butari	2½
67	Shri Hari Chand Hans Raj ..	Jandiala	1
68	Shri Radha Swamy Colony ..	Dera Baba Jaimal Singh	2½
69	Jandiala Co-operative Industrial Estate, Jandiala	Jandiala	2
70	Shri Sadhu Ram Bua Ditta	Sathiala	3
71	Nagoke B.K. Co-operative Society, Nagoke	Nagoke	4
72	Dasaundhi Ram Faqir Chand	Virowal	2½
73	Shri Romesh Kumar Manohar Lal	Majitha	3½

[Home Minister]

Serial No	Name of the Brick-kiln Owner	Location	Number of Slack Coal Wagons issued to each Brick-kiln Owner during a year from 1st January, 1962 to 31st December, 1962
74	Shri Rohsan Lal Bhatla	Mazttha	1
75	Shri Haveli Ram Bhalla & Sons	Chheharata	3
76	Hargopal Bhalla & Sons	Do	..
77	Madan Mohan & Co.	Do	1
78	Sant Singh & Co.,	Do	3
79	Balwant Singh	Rampura Bawaian	1
80	Munshi Ram Mukhtiar Singh	Kathanian	1
81	Kanshi Ram Bua Ditta	Gumanpura	..
82	Gurbachan Singh Gurkirtan Singh	Attari	2½
83	Girdhari Lal Sharma	Dhand Kesel	3
84	Kairon B. K. Co-operative Society	Kairon	4
85	Kairon Brick-kiln Co-operative Society	Lauka	10
86	Majha Brick Manufacturing Association	Thethian	3½
87	Surinder Singh	Patti	3
88	Kishan Chand Lachman Dass	Pahuwind	3½
89	Gurdit Singh & Co.	Khalra	3½
90	Tara Singh Harbhajan Singh	Chusewal	3½
91	Gharyala B.K. Industries Society	Gharyala	3½
92	Sur Singh B.K. Co-operative Society	Sur Singh	5
93	Bricks Manufacturing Association	Patti	4
94	Santokh Singh	Khemkaran	6
95	Ralia Ram Puran Chand	Muradpur	3½
96	Majha Bricks Supply Co.	Kalha	5½
97	Basant Singh Kunj Lal	Kathupura	4½
98	Sat Pal Sharma	Gohlwar	2
99	Sakkatar Singh Salamat Rai	Naushera Punnuan	1

Serial No.	Name of the Brick-kiln Owner	Location	Number of Slack Coal Wagons issued to each Brick-kiln Owner during a year from 1st January, 1962 to 31st December, 1962
100	Brij Mohan	TarnTaran	2½
101	Sardari Lal Khanna	Fatehbad	4½
102	Parkash Chand Harbans Lal	Chohla Sahib	..
103	Jhabhal Kalan M.P. Co-operative Society	Chabhal	..
104	Dhotian Brick-kiln Co-operative Society	Dhotian	9½
105	Kunj Lal Aggarwal & Co.	Bugha	5½
106	Sant Dalip Singh Uttam Singh	Khadur Sahib	3½
107	Community Development Bhatta	Dode	4
108	Dwarka Dass Mohan Lal	Ajnala	9
109	Lachman Dass Shori Lal	Mohan Bhandarian	7
110	Hazara Singh Sohan Singh	Matte Nangal	3
111	Kahna Farming Co-operative Society	Dibbipura	2
112	Village Panchayat	Dall	2

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या गृह मन्त्री जी बतलायेंगे, कि यह जो स्टेटमैंट इन्होंने दी है, इसमें जितने भट्ठे बताये गए हैं, क्या यह सभी के सभी काम कर रहे हैं ?

मंत्री : इन भट्ठे वालों की बहुत सारी तादाद है। यह 112 के क़रीब हैं। जब तक खास तौर पर आप दरियाफ्त न करें, मैं सब के मुताल्लिक कुछ नहीं बता सकता।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे, कि इस लिस्ट में दिए गए जिन भट्ठे वालों को कोई कोयला नहीं दिया गया वे कैसे काम कर रहे हैं ? इस लिस्ट में कई भट्ठे वालों के नाम कोई कोयले का वैगन इशू किया हुआ नहीं दिखाया गया, मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ।

मंत्री : मैंने नहीं कहा, कि वह काम कर रहे हैं। कई भट्ठे वाले अकेले काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम ने उन्हें पूल करने की इजाज़त दे रखी है और उनके पास कोयला कम होता है। इस लिए दो तीन भट्ठे वाले मिल कर एक भट्ठा चला लेते हैं। इस तरह से वह बारी बारी अपने भट्ठे चला लेते हैं।

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरा मतलब आप समझे नहीं। मेरा मतलब यह है कि इस लिस्ट में दिए गए भट्ठे वालों में से कुछ को कोई कोयले का वैगन इशू नहीं किया गया। जिनको कोई कोयला दिया ही नहीं गया, वह कैसे फंक्शन करते हैं ?

मंत्री : जिन भट्ठे वालों को कोयला नहीं मिला उन के भट्ठों ने इस अर्से में फंक्शन ही नहीं किया।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या गृह-मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो कोयले के वैगन की अलाटमैंट भट्ठे वालों को होती है वह किस आधार पर की जाती है ? इस लिस्ट को देखने से पता चलता है, कि कई भट्ठों को 10 वैगन अलाट किए गए हैं और बाकी को एक एक या दो दो वैगन अलाट किए गए हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि इन की वैगन की अलाटमैंट के क्या बेसिज़ हैं ?

मंत्री : आम तौर पर जितनी अलाटमैंट होती हैं वह एक जैसी होती है, लेकिन कई जगह पर ज़िला अथारिटीज़ स्थानीय आवश्यकताओं को देख कर कई भट्ठे वालों को ज़्यादा कोयला अलाट कर देती हैं। अगर किसी भट्ठे वाले ने किसी संस्था को या गवर्नमैंट को ईंटें सप्लाई करनी हों तो उन्हें ज़्यादा कोयला अलाट कर दिया जाता है।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵੈਗਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਰੋਂ ਬਰਿਕ ਕਿਲਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ 10 ਵੈਗਨ ਕੋਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵਧ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mr. Spea'er : The hon. Member specifically wants to know why ten wagons have been given to this particular kiln ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਡੇਫੀਨਿਟ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 85 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਭੱਠਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 10 ਵੈਗਨ ਕੋਇਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਡ-ਹੌਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ।

PRICE MARKING MEASURES

*2251. **Comrade Ram Kishan :** Will the Home Minister be pleased to state the effect of th price marking measures recently adopted in the State ?

Shri Mohan Lal : Apart from the obvious advantages of marking and display of prices, a competition has come about in the trade and prices have tended to come down to reasonable levels; also articles which had gone underground or in which there was heavy profiteering have come out and are now available in the market at ompetitive prices.

कामरेड राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि सैंट्रल बजट या प्रोविंशल बजट के पेश होने के बाद मुख्तलिफ चीजों की कीमतों का ऊपर की तरफ चढ़ाव हुआ है ? अगर हुआ है, तो इसका क्या असर पड़ा है ?

मंत्री : इससे तो डाइरैक्ट क्वैस्चन पैदा नहीं होता। प्राइसिज़ का जो कम्पैरेटिव टेबल है अगर आप अलग नोटिस दें तो बता दूंगा लेकिन जनरल इन्फरमेशन की बिना पर कह सकता हूँ कि फ्लक्चुएशन्ज़ हुई थीं, लेकिन ऐबनार्मल राईज़ नहीं हुआ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਰੀਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। How can yo expect the hon. Minister to reply questions about individual Districts ? He does not carry with h m the list of all the districts tehsilwise.

(If the hon. Member puts a comprehensive question the hon. Minister will certainly give a reply. How can the hon, Member expect him to reply to questions about individual districts ? He do s not carry with him the list of all the districts, tehsilwise.)

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि सैंट्रल बजट के पेश होने के बाद जो ज़रूरियाते ज़िन्दगी हैं, क्या उनकी कीमतें बढ़ गई हैं ? अगर बढ़ गई हैं, तो क्या इनको बढ़ाने की इजाज़त सरकार ने दे दी है ?

मन्त्री : सैंट्रल गवर्नमैंट ने जब सैंट्रल एक्साईज़ ड्यूटी बढ़ाई तो प्राइसिज़ को बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी।

कामरेड राम किशन : यह जो जरूरियाते ज़िंदगी हैं, इनमें मिट्टी का तेल भी था। गवर्नमेंट जो कीमतों का स्तर बनाए रखना चाहती है, उस की वजह से आज मिट्टी का तेल पंजाब की मुख्तलिफ जगहों पर खास कर देहाती इलाकों में, नहीं मिलता है। इसका सरकार क्या इन्तज़ाम कर रही है ?

Minister : I need a se-arate notice.

कामरेड राम किशन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह जो प्राईस डिस्पले आर्डर है, क्या यह उन होल सेल डीलर्ज़ पर भी लागू होता है जो मिल से माल लाकर गोदाम में रखते हैं और उसके किराये को कीमत में लगाकर माल बेचते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप एक कम्परीहैन्सिव सवाल का नोटिस दे दें। The hon. Home Minister will make a comprehensive reply. (The hon. Member should give notice of a comprehensive question and a comrehensive reply will be given by the Home Minister.)

श्री बलरामजी दास टंडन : सरकार जगह जगह पोस्टर लगाती है कि प्राइस लाइन को होल्ड करना है, क्योंकि जंग जीतने के लिए यह ज़रूरी है। तो क्या यह कीमतों को जो बढ़ाने वाले फैक्टर हैं, उनके खिलाफ इकदामात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कहेंगे ही कि यह कर रहे हैं। (He will give the reply in affirmative.)

श्री बलरामजी दास टंडन : सैंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बजट प्रोपोज़ल्ज़ के ज़रिए से कीमतें बढ़ा दी हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि कीमतें मत बढ़ाओ मगर दूसरी तरफ वह खुद ही ऐसा करते हैं, तो इस बात के खिलाफ पंजाब सरकार को प्रोटैस्ट करना चाहिये कि आप ही तो कीमतें बढ़ा रहे हो।

श्री अध्यक्ष : यह तो उनके लिए है जो कि टैक्स तो लगे चार आने और कीमत बढ़ा दें आठ आने। (The Price Control Order is meant for Curbing the activities of profiteers who raise the prices quite out of proportion with the increase in taxes.)

श्री बलरामजी दास टंडन : गवर्नमेंट खुद ही तो कीमतें बढ़ाती है। एक तरफ पोस्टर लगाए जाते हैं और खुद ही उस के खिलाफ फैक्टर पैदा किए जाते हैं तो इस सरकार को ऐक्शन लेना चाहिये। सैंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहिये और प्रोटैस्ट करना चाहिये कि आप कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं ?

Mr. Speaker : The hon. Member should avoid making speeches during question hour.

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं ने पूछा है कि इन्हों ने इस सिलसिला में क्या ऐक्शन लिया है ?

DAMAGE DONE TO CROPS BY WILD ANIMALS IN TEHSIL UNA, DISTRICT HOSHIARPUR

***2086. Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Planning and Development be please to state —

(a) whether it is a fact that the crops of the cultivators are frequently damaged by wild animals in the hilly and jungle areas of tehsil Una, district Hoshiarpur ; if so, the steps, if any, so far taken by Government to help the cultivators in this behalf ;

(b) the measures, if any, so far taken by Government to protect the said crops from rats, insects and pests ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. 17 Crop Protection-Gun-Licences have been issued to cultivators.

(b) A note (Annexure) is placed on the Table of the House.

ANNEXURE

The plant protection staff of the Agriculture Department assists the cultivators in the protection of their crops from rats, insects and pests. This staff gives free technical guidance to cultivators. Plant protection equipment is also supplied on 50 per cent subsidized rates. Insecticides are provided at cost price. For pests like rats, kutra, locusts, etc., which occur in an epidemic form, the insecticides are given free to cultivators.

Mr. Speaker : Is it not contradictory to the policy of the Government to state that so many licences have been issued ?

Planning and Development Minister : These are specifically for crop protection.

पंडित मोहन लाल दत्त : वहां पर उस इलाके में जंगली गौएं फिरती हैं। क्या सरकार उन के लिए गौ सदन खोलने को तैयार है? क्या उनके बारे में सरकार की कोई और योजना है?

मन्त्री : यह सवाल तो इससे उठता नहीं है?

श्री बलरामजी दास टंडन : जो सरकार ने गौसदन खोले हैं, क्या सरकार उन का नाम स्लाटर हाउस रखने का विचार कर रही है?

Mr. Speaker : It need not be replied.

श्री बलरामजी दास टंडन : वहां यह हालत है, कि हर रोज़ अखबारों में निकलता है कि आज 80 गौएं मर गईं और आज 100 मर गईं।

Mr. Speaker : It is not fair to the House to make insinuations like this. The hon. Member can make such a reference in his speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It does not arise out of this.

पंडित मोहन लाल दत्त : उस इलाके में बन्दर भी बहुत हैं उनका क्या इलाज किया गया है ?

AMOUNT ALLOTTED FOR LOCAL DEVELOPMENT SCHEMES

***2496. Shri Partap Singh Bakshi :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the total amount allotted, districtwise, in the State under Local Development Schemes during 1962-63 ;

(b) the total amount allotted tehsilwise in Kangra District for the purpose during the said period ?

Sardar Darbara Singh : (a) Statement 'A' is placed on the Table of the House.

(b) Statement 'B' is placed on the Table of the House.

[Minister for Planning and Development]

STATEMENT 'A'

			Rs
1.	Kangra	..	5,00,000
2.	Hoshiarpur	..	1,70,000
3.	Gurdaspur	..	1,40,000
4	Ferozepore		1,30,000
5.	Amritsar	..	1,00,000
6.	Jullundur	..	1,30,000
7.	Gurgaon	..	1,15,000
8.	Ambala	..	1,30,000
9.	Hissar	..	1,20,000
10.	Rohtak		1,20,000
11.	Simla	..	40,000
12	Karnal	..	1,00,000
13.	Mohindergarh	..	1,65,000
14.	Bhatinda	..	1,00,000
15.	Sangrur	..	1,20,000
16.	Patiala	..	70,000
	Grand total	..	22,50,000

STATEMENT 'B'

			Rs
1.	Kulu	..	1,00,000
2.	Hamirpur		1,00,000
3.	Palampur	..	1,50,000
4.	Kangra	..	65,000
5.	Dehra	..	65,000
6.	Nurpur		20,000
	Grand Total	..	5,00,000

कामरेड राम चंद्र : क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकता हूँ कि यह जो डिवैलूपमैंट के लिये अलाटमैंट की जाती है, यह किस बेसिज़ पर की जाती है?

मन्त्री : आम तौर पर बैकवर्ड एरिया के लिहाज़ से फंड्ज़ रखे जाते हैं।

कामरेड राम चंद्र : क्या बैकवर्ड एरिया में भी कोई मापदंड होता है ? अगर यह होता है, तो किस बेसिज़ पर ?

मन्त्री : वहां ज्यादा फंड्ज़ दिये जाते हैं, जो इलाके ज्यादा बैकवर्ड होते हैं ।

कामरेड राम चंद्र : कांगड़े का ज़िला सब से ज्यादा बैकवर्ड है, क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे, कि इस ज़िले को ग्रांट देते वक्त किस बात का ख्याल रखा गया ?

श्री अध्यक्ष : आप देखेंगे कि सब से ज्यादा ग्रांट कांगड़ा के ज़िला को ही दी गई है अगर वह सब से ज्यादा बैकवर्ड है । (The hon. Member will find that the biggest amount of grant has been given to Kangra District. It is proportionate to its backwardness.)

कामरेड राम चंद्र : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ग्रांट देने का क्राइटीरियन क्या है ?

Mr. Speaker : None of the supplementaries could arise out of this question. It was courtesy on the part of the Minister that he gave the replies.

CHILD WELFARE BLOCK

***2497. Shri Partap Singh Bakshi :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Child Welfare Project was originally allotted for Bhawarna Block in Kangra District ;

(b) whether it is also a fact that the said allotment was later on cancelled and transferred to Nilokheri ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes. This charge was made on the advice of the Government of India, Ministry of Education, who pointed out that the Project being one of integration of existing services, a block with optimum existing development and facilities should be selected for its location.

श्री प्रताप सिंह बख्शी : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि भवारना ब्लाक के तहत कब तक काम हुआ है ?

Mr. Speaker : The hon. Member should not expect the Minister to give the reply off hand.

श्री प्रताप सिंह बख्शी : मैं, जनाब, यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह प्राजैक्ट साल भर चलता रहा तो अब बिला वजह वहां से क्यों उठा दिया गया है ?

Mr. Speaker : The honourable Member should give a separate notice.

श्री प्रताप सिंह बख्शी : मैं जनाब , यह जानना चाहता हूँ कि जब यह प्राजैक्ट दिया गया था तो क्या इस साल के लिए स्टाफ और फंड्ज़ की प्रोवीज़न भवारना ब्लाक के तहत हुई थी ?

Minister : I need a separate notice for it.

Mr. Speaker ; Supplementary does not arise.

श्री प्रताप सिंह बख्शी : जब प्राजैक्ट दिया गया तो क्या सारी बातों का ख्याल नहीं रखा गया था ?

श्री अध्यक्ष : यह काम आप के अहद में ही तो होता रहा है । (This project was functioning during the period when the hon. Member was himself a Minister.)

श्री प्रताप सिंह बख्शी : मैं , जनाब, सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि काम 10 महीने तक चलता रहा मगर इसकी क्या वजह है कि यह उठा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह जब उठा तो आप भी तो कैबिनेट में थे। (The hon Member himself was in the Cabinet when this project was transferred.)

श्री प्रताप सिंह बख्शी : जब यह ब्लाक लिया गया उस वक्त मैं कैबिनेट में नहीं था।

Mr. Speaker : I think, the honourable Member was in the Cabinet at that time.

Shri Partap Singh Bakshi : No. I was not in the Cabinet then.

क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि जब यह ब्लाक खोला गया था क्या उस वक्त गवर्नमैंट आफ इंडिया से पूछ कर और सारी बातों का ख्याल कर के नहीं किया गया था ?

RURAL WATER-SUPPLY SCHEME FOR VILLAGE KAURIAN IN DISTRICT SANGRUR

***2422. Sardar Pritam Singh Sahoke :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether Government has recently received any representation regarding the Rural Water-supply Scheme for village Kaurian, tehsil Sunam, district Sangrur, from the inhabitants of the said village; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken by Government in the matter.

Dr. Gopi Chand Bhargava : Yes, Sir. Instructions have already been issued for the preparation of a water-supply scheme for the above village. The Block Development and Panchayat Officer, Sunam, has, however, reported that the Panchayat appears to be reluctant to contribute their 12 per cent share. Further action will be taken after the Panchayat agrees to make its contribution.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਪੀ. ਟੀ. ਓ. ਪੀ. ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼. ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾਂ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਰੂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੰਤਰੀ: ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : No, please: This point does not arise here.

HANDING OVER CHARGE OF VILLAGE PANCHAYAT, BHAMIPURA, TEHSIL JAGRAON

***1656. Comrade Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that ex-Sarpanch of village Bhamipura, tehsil Jagraon, district Ludhiana, has not yet handed over the complete charge to the newly-elected Sarpanch of that village ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that two ex-Sarpanches Sarvshri Gajjan Singh and Jai Singh of the same village have with them some funds of the said Panchayat ; if so, the net amount so due from them and the action; if any, taken to recover the same ;

(c) whether any case of embezzlement has been got registered against the ex-Sarpanches referred to in part (b) above ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The ex-Sarpanch has failed to hand over certain Panchayat funds to the newly-elected Sarpanch.

(b) Yes.

		Rs
Shri Gajjan Singh	..	3,218·03
Shri Jai Singh	..	456·21

Action is being taken to recover the amounts from them.

(c) Action is being taken to get the case registered against them with the Police.

RAMGARH-NIHAL SINGH WALA ROAD

***1597. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct Ramgarh-Nihal Singh Wala Road in Sangrur/Ferozepore Districts, in the Third Five-Year Plan period ; if so, the time by which the construction work on the above road is likely to be started ?

Sardar Darbara Singh : *Part I.*—Yes ; in Ferozepur District.

Part II.—Not before 1964-65 in any case, subject to the availability of funds.

NON-PAYMENT OF WAGES TO LABOURERS ENGAGED FOR THE CONSTRUCTION OF TRACT KOSRIN THANA-KALAN ROAD

***1841. Comrade Harnam Singh Chamak** (Put by Comrade Bhan Singh Bhaura) : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether the labour employed for the construction of Seerho Kalan Thana Kalan Tract of Kosrin Thana Kalan Road has not been paid their wages so far ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : *Part (i).*—The labour has been paid.

Part (ii).—Does not arise.

CONSTRUCTION OF ROADS IN HISSAR DISTRICT

***2281. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the length of roads in miles, constructed by the Public Works Department and the District Board, respectively, in Hissar District during 1st and 2nd Five-Year Plan periods ;

(b) the number of link roads and the mileage thereof constructed during the said period which connect different villages of the aforesaid district ?

Sardar Darbara Singh : (a) (1) The length of roads constructed by P.W.D. in Hissar District—

		Miles
(i) During 1st Year Plan period	..	68·00
(ii) During 2nd Year Plan period	..	355·03
Total	..	423·03

(2) Length of roads constructed by the District Board, Hissar, during 1st and 2nd Five-Year Plan period is 1.25 and 10.25 miles, respectively.

(b) Forty-four miles of 11 link roads have been constructed during the said period which connect different villages of the district Hissar.

CONSTRUCTION OF APPROACH ROAD FROM KHERISHARFALI TO THAL, TEHSIL KAITHAL

***2557. Shrimati Parsanni Devi :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government to construct any approach road from Kherisharfali to Thal, tehsil Kaithal, district Karnal ; if so, the steps being taken to implement the same ?

Sardar Darbara Singh : *Part I.*—No.

Part II.—Question does not arise.

CONSTRUCTION OF ROADS IN KARNAL DISTRICT

***2558. Shrimati Parsanni Devi :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the names of the roads with total mileage thereof proposed to be constructed in Karnal District during the current year ?

Sardar Darbara Singh : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Names of the roads and their mileage under construction in Karnal District

	Name of work		*Mileage proposed to be built in* 1962-63
1.	Panipat-Assandh-Kaithal-Patiala Road (including bridge over Ghaggar)		Work to be completed
2.	Jhansa to Ambala-Hissar Road	..	2.00
3.	Pehowa-Gulah Road	..	7.00
4.	Approach from Ramba to Karnal-Indri Road	..	1.00
5.	Salwan-munak Road	..	1.00
6.	Moonak-Kohand Road	..	1.00

ENACTMENT FOR THE PROHIBITION OF THE BURNING OF COW-DUNG IN THE STATE

***2481. Sardar Gurmit Singh :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to enact any legislation regarding the prohibition of the burning of cow-dung in the State ; if so, the time by which it is likely to be introduced in the Legislature ?

Sardar Gurbanta Singh : *Part I.*—No.

Part II.—Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਗੇ ਕਿ ਗੋਹੇ ਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ?

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਜਹ ਨਾਲ ਜਦ ਉਪਜ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਤਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

SUPPLY OF SPRAY PUMPS AND INSECTICIDES TO THE FARMERS

***2482. Sardar Gurmit Singh :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under the consideration of Government to provide spray pumps and insecticides to the farmers on a large scale on a subsidized basis ; if so, the total amount sanctioned so far for the purpose ;

(b) the total expenditure incurred so far on the supply of spray pumps and insecticides to the farmers on a subsidized basis ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) *First part.*—Yes. The supply of Plant Protection Equipment is subsidized.

Second Part—

Year		*Amount sanctioned (rupees in thousands)*
1958-59	..	118
1959-60	..	118
1960-61	..	118
1961-62	..	200
1962-63	..	250

(b)

Year		*Expenditure incurred (rupees in thousands)*
1958-59	..	108
1959-60	..	104
1960-61	..	100
1961-62	..	156
1962-63	..	250

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੋਚੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਏਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖੇ ਸੀ ਉਤਨੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

SETTING UP OF SEED TESTING LABORATORIES

*2433. **Sardar Gurmit Singh :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to establish seed testing laboratories at various stations in the State ; if so, the time by which it is likely to be implemented and the names of the places where the said laboratories are likely to be set up ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) No.
(b) Question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ 'ਸੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਅਰਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਦੀ ਐਗਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੀਜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ?

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ: ਉਹ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

EVACUEE LAND PURCHASED IN LUDHIANA DISTRICT

*1820. **Babu Ajit Kumar :** Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the total area of evacuee land purchased by the State Government so far from the Central Government in Ludhiana District, tehsil-wise ;

(b) the total area of the said land under cultivation by members of scheduled castes, tehsil-wise ;

(c) the total area of the said land disposed of through auction and the area purchased by members of the scheduled castes therefrom ;

(d) the action being taken or proposed to be taken to settle the scheduled castes occupants of the said land ?

Sardar Ajmer Singh (Revenue Minister) : Sir, may I, with your permission, lay the reply to Starred Question No. 1820 on the Table of the House ?

Mr. Speaker : No objection.

(a) The following area has been purchased by the State Government from Government of India in a package-deal with effect from 1st April, 1961. These figures are highly approximated :—

Serial No.	Name of the tehsil	AREA PURCHASED IN ORDINARY ACRES		
		Cultivated	Banjar	Ghairmumkin
1	Ludhiana ..	4,445	5,081	5,676
2	Samrala ..	1,076	1,838	912
3	Jagraon ..	3,986	2,482	2,448

(b) Of the above area, area to the following extent is under cultivation of the scheduled castes :—

Tehsil Ludhiana .. 1,179 ordinary acres
Tehsil Samrala .. 531 ordinary acres
Tehsil Jagraon .. 3,161 ordinary acres

(c) Total area sold out of (a) above by public auction and that purchased therefrom by the members of scheduled castes is given below :—

Serial No.	Name of the tehsil	AREA SOLD BY PUBLIC AUCTION IN ORDINARY ACRES					
		Cultivated		*Banjar*		*Ghairmumkin*	
		Total area sold	Purchased by Scheduled Castes	Total area sold	Purchased by Scheduled Castes	Total area sold	Purchased by Scheduled Castes
1	Ludhiana	1,732	30	1,998	303	798	28
2	Samrala	264	68	127	67	65	20
3	Jagraon	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

[Revenue Minister]

(d) With a view to transferring the area under cultivation of the members of scheduled castes and others at concessional rates, applications were invited from them by the 31st of August, 1962. These apalications are being processed and the area is being transferred to such of them as are found eligible according to the entries in revenue record.

Mr. Speaker : Reply to this question has been laid on the Table of the House. Supplementaries to this question will be allowed tomorrow.

Next question please.

RESIGNATION FROM STATE LAND APPROVAL COMMITTEE

***2070. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) whether any legislator tendered his resignation from the State Land Approval Committee during the month of November, 1962 ; if so, a copy of the resignation so tendered be laid on the Table of the House ;

(b) whether he and the Secretary , Harijan Welfare Department, and the Director, Harijan Welfare and Scheduled Castes and Backward Classes Department, also received copies of the resignation referred to in part (a) above ; if so, when in each case ;

(c) whether any action has so far been taken on the resignation ; if so, when, the details of the action taken and by whom ;

(d) whether any other member has been nominated to the State Land Approval Committee, after the receipt of the above-said resignation ; if so, the name of the member so nominated ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. A copy of the letter of resignation is laid on the Table of the House.

(b) Yes. On 18th December, 1962, 18th December, 1962 and 24th November, 1962, respectively ;

(c) It is under consideration of Government.

(d) Not yet.

STATEMENT

Ram Piara, Comrade, M.L.A.

Phone No. 172
L/309, Model Town, Karnal.
17-11-1962

To

Shri Surjit Singh, I.A.S.,
Secretary to Government, Punjab,
Scheduled Castes and Backward Classes Department,
Chandigarh.

Subject.—Functioning of the State Land Approval Committee and Resignation of Shri Ram Piara, M.L.A., Karnal, from the Committee.

DEAR SIR,

Please refer to your letter No. 13877-WGI-ASO2-62/23061, dated 15th November, 1962, addressed to the Director and copies to all the four members of the State Land Approval Cmmittee, received by me on 16th November at 8 p.m. on my return from Chandigarh.

2. I have noted the contents carefully and as a result am tendering my resignation from this committee to enable the relatives of the Chief Minister and others in or near the Government to sell their lands to the Harijan Welfare Department through backdoors.

3. I fully realise the limitations and difficulties of your Department which is bound to act according to the wishes of the Chief Minister and others connected with him even if the rules are to be violated.

4. I agree that the work of the committee is suffering as many or almost all are not attending the meetings since long, but I would like to draw your attention towards my letters addressed to the Director, Harijan Welfare, in which I had constantly been emphasising that Ram Piara, M.L.A. (myself), shall not be attending any meeting until and unless a meeting is called at Chandigarh, the file relating to the land purchase of village Dhani, district Sangrur belonging to the mother-in-law of Sardar Surinder Singh Kairon, son of S. Partap Singh Kairon, Chief Minister), is placed before the members of the committee for final approval as the approval of the said land at Jind is unconstitutional, illegal and liable to be challenged in any court of law. The reluctance of the Director or his helplessness to convene the meeting is a positive proof of the *mala fide* in this deal. I agree that the Director as well as Ministers including the Secretariat cannot afford to annoy the Chief Minister. You will agree with me that no meeting for the approval of any land can be held at any place except for Chandigarh, and in this case as no meeting has been held at Chandigarh so the approval is unconstitutional and a favour to the Chief Minister which unfortunately could not be swallowed by me. So I did not attend any meeting, nor I wish to attend any meeting and hence am tendering my resignation so that the work may not suffer and the relatives of Chief Minister may have free hand in availing the will and whim of the Chief Minister by grabbing lot of money.

5. I do not know why other members of the committee have not been attending the meeting.

6. The note of the Deputy Minister approving the proposal of the Director, dated 20th April, 1962, duly approved by the State Minister on the same date 20th April, 1962 and approval of the Chief Minister on 26th April 1962,—*vide* circular No. 5369/WGI (ASO-2)-62/12633, dated the 22nd June, 1962—immediately clearly indicates that lands are not available, then why the Chief Minister is hesitant to sell a considerable part of the evacuee lands to this Department particularly when myself has constantly been writing to him since August, 1962. Directly and indirectly the big landlords related to the Chief Minister or close to him are being benefited or are to be benefited and Dhani was the first instalment and gift.

7. Part (c) of your letter is most objectionable where it is written, "unless a proposal is unanimously opposed by the State Land Approval Committee, it should be treated as rejected". The Department should know that it is a democratic set-up and not a dictatorial regime. M.L.As nominated on the committee are elected ones. When 3 out of 4 object, you want to ignore their advice and opinion, how is it possible ? The Chief Minister can throw away the committee but cannot overrule the verdict of the 3/4th. Hence no self-respecting person can work under such circumstances particularly when humiliation and sword is hanging on his back. So the resignation is submitted.

8. Again in your para No. 2 you have fixed the date with effect from 4th October, 1962, where as you are writing this Letter on 15th November 1962, how is it possible? Your this letter cannot have retrospective effect and so I cannot help except to doubt the *bonafide* of the Government. The Government is bent upon to act according to the whims of the Chief Minister rather than to adhere to the rules and regulations and so I cannot be a party to these serious irregularities. Hence it is necessary to resign.

9. Why a special favour to Chief Minister's family for the purchase of surplus lands though not declared so far yet surplus, and in declaring it surplus the good offices of the Chief Minister have been utilised to the best. If this was the policy, may I know why this could not be advertised, applications could not be invited ? I fail to understand the reasons for not adopting a proper procedure. Again all concerned know that lacs of rupees are lying in the State Land Mortgage Bank, unfortunately fetching no interest, why so ? Is it not correct that someone most powerful has been availing this money ? Could more lands not be purchased out of this money lying in the Bank contrary to the rules ? Who is to be held responsible for this loss of this interest ?

10. The Government is requested to make certain rules giving a retrospective effect to regularise the deal of village Dhani, distrct Sangrur, belonging to the relatives of Chief Minister otherwise it will remain as challengeable at any time in the Court of law.

11. Can the Department quote any other case or example which might have matured within 3 months whereas this case has been completed in only 19 days, after all why so ?

[Minister for Agriculture and welfare]

12. Why my registered A.D. letter, dated 25th July, 1962, is not traceable in the office of Director as written by him in his letter No. A/6/L-20/19569, dated 14th August, 1962. I have no other compliments to pay except to say that there has been an exhibition of indecent haste in this very deal resulting into the *mala fide* of the Chief Minister himself in which Rs 2,64,000 have been grabbed by the mothers-in-law of his sons. I cannot be a party to it and to the such coming events and so tender my resignation with the hope that the same shall be accepted forthwith and I shall be informed accordingly.

13. As there is no change in my stand already taken by me that until and unless the file of village Dhani is placed before the meeting at Chandigarh, I am not going to attend any meeting so the question of attending any meeting "in view of the helplessness of the Department" does not arise. Hence the acceptance of my resignation by the Government immediately is most necessary, for which I shall feel obliged. Thanking you.

Yours faithfully,
(Sd.) RAM PIARA,
(Ram Piara, M.L.A.),
Karnal.

COPIES to :—

(1) Planning Minister, Chandigarh.

(2) State Minister, Harijan Welfare Department, Chandigarh.

(3) Deputy Minister, Harijan Welfare Department, Chandigarh.

(4) All the members of the State Land Approval Committee.

(5) The Director, Harijan Welfare Department, Chandigarh.

कामरेड राम प्यारा : मुझे अस्तीफा दिए हुए 4 महीने हो चुके हैं किन्तु अभी तक मंज़ूर नहीं हुआ है। क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इस की क्या वजह है ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that it is under consideration of the Government.

कामरेड राम प्यारा : मैं ने सरकार को 4 रिमाइंडर भेजे हैं लेकिन सरकार ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, इस की मैं वजह पूछना चाहता हूँ ?

श्री अध्यक्ष : सरकार आप की सर्विसिज़ को युटीलाइज करना चाहती है इस लिये आप का अस्तीफा मंज़ूर नहीं किया गया । (The Government was to utilize the services of the hon. Member. That is why his resignation has not been accepted.)

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि धानी की ज़मीन खरीदी गई है ?

Mr. Speaker : No, please.

Comrade Ram Piara : Sir, this is part of the question that I have asked.

Mr. Speaker : Whatever may be the reason, I cannot permit the supplementary in this form. However, the hon. Member can put the supplementary in the form "Why is there this inordinate delay in accepting the resignation"?

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन लैजिस्लेटर्ज़ ने अस्तीफे दिए हैं उन के नाम क्या हैं तथा किस बिना पर उन्होंने अस्तीफे दिए हैं ?

मंत्री : कामरेड राम प्यारा, एम. एल. ए. ने अस्तीफ़ा दिया है।

Mr. Speaker : I may inform the hon. Members that it is the convention all over the world wherever this parliamentary system of Government functions, that the hon. Member who sends certain registered letters/information to the Government does not put questions about the correspondence that passes between him and the Government because it does not look fair on the part of the Member himself. The hon. Member can, however, suggest to some other hon. Member to put questions on that subject.

कामरेड राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि किन वजूहात के कारण अस्तीफा दिया गया था और उस पर अब तक विचार क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप ने स्वयं अस्तीफा दिया और खुद ही सवाल कर रहे हैं ? (The hon. Member has tendred his resignation and is now himself putting the question.)

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मिनिस्टर साहिब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है।

Mr. Speaker : If someone else were to put this question, there was justification for it.

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मिनिस्टर साहिब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप उन्हें कहें कि मेरे सवाल का जवाब दें।

Mr. Speaker : As already stated, it does not bring any credit to our House when questions are asked by an hon. Member about the correspondence that he had with an hon. Minister. I do not blame the Opposition only. They have been rather co-operating with me. So, I would request the Members of this House to maintain certain standards and dignity. Supposing, a Member writes a letter of resignation giving reasons for resignation and then asks for those reasons on the floor of the House, then it does not bring any credit either to the hon. Member or to the House.

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, आप ने दूसरे मुल्कों की कनवैंन्शन बताई है इस लिए मुख्य मंत्री साहिब को भी वहां की कनवैंन्शन फालो करनी चाहिये।

Mr. Speaker : I am sorry, I have been requesting the hon. Member to keep the dignity of the House, but he has not listened to my advice.

Comrade Ram Piara : Sir, the Government may also be advised to act in the manner that raises the dignity of the House.

Mr. Speaker : I have been requesting the Government, but not shouting in the House. I myself told the hon. Chief Minister and the Home Minister that these are my difficulties and have tried to overcome the same. That is the best way. Similarly the hon. Member may sit and discuss matters with the hon. Minister and the results will definitely be better.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਲੇਕਿਨ [ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Mr. Speaker : Did the hon. Member write to me ?

Comrade Ram Piara : Yes, Sir. I wrote to you. Your Secretariat reminded the Government three times, but the Government is not coming forward with the answer. I don't know why the Government should have any difficulty in supplying the information.

Mr. Speaker : Leave aside the Government. Is the hon. Member, in this way, adding to the dignity of the House ?

Comrade Ram Piara : Sir, I am eliciting information as to why favour has been shown to the Chief Minister ?

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹਨ ?

Mr. Speaker : Well, the hon. Member can certainly ask for the reasons. the hon. Minister needs notice to answer this supplementary.

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ....

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। (He should have addressed him as Shri Ram Piara.)

ਮੰਤਰੀ : ਚੰਗਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣ ਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ...

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸਿਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (He may straight away say that notice is required.)

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈ ...

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਲੈ ਲਵੇ । (That's not the thing the question relates to the resignation but hon. Minister is talking about lands. He should say that if the hon. Member wants some information about some particular land he should give notice and obtain the details thereof.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਆਇਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵਜੂਹਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

श्री अध्यक्ष : सोचने का मतलब है कि एगज़ामिन किया जा रहा है। (consideration means that the resignation is being examined.)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, इस वक्त एक तरफ तो कामरेड राम प्यारा एगज़ामिन हो रहा है और दूसरी तरफ अस्तीफा भी एगज़ामिन हो रहा है। इस्तीफा तो किसी वक्त भी दिया जा सकता है लेकिन इस के साथ और भी कई चीजें होंगी जो कि एगज़ामिन हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमैंट कामरेड राम प्यारा की सर्विसिज़ को पूरी तरह से युटीलाइज़ करना चाहती है इस लिये जल्दी इस्तीफा नहीं मंज़ूर करना चाहती । (Since the Government wants to fully utilize the services of Comrade Ram Piara, it does not want to accept the resignation at an early date.)

LAND GIVEN TO HARIJANS IN GURGAON DISTRICT

*2393. **Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the names of Harijans who have been given land in Gurgaon District under the Harijan Welfare Scheme ;

(b) the names of Harijans who have been given financial assistance to buy land under the said scheme through the Land Mortgage Bank in Gurgaon District ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) and (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

[Minister for Agriculture and Welfare]

STATEMENT

Serial No.	(a) Name of the beneficiary who has been given land	(b) Names of the Harijans who have been given financial assistance to buy land
1	2	3
1	Shri Bhagwana	Beneficiaries at Serial Nos. 1 to 20 who are settled in village Daruhera in the form of co-operative soeiety had raised a loan of Rs 50,000 as a body from the Gurgaon Central Co-operative Bank Ltd., Gurgaon
2	Shri Budh Ram, son of Nathu	
3	Shri Kharati	
4	Shri Khillan	
5	Shri Ram Sarup	
6	Shri Bhola	
7	Shri Parshadi	
8	Shri Budh Ram, son of Lekh Ram	
9	Shri Ram Karan, son of Khub Ram	
10	Shri Ramji Lal	
11	Shri Ghisa Ram	
12	Shri Sohan	
13	Shri Ram Karan, son of Tulsi	
14	Shri Kaseria	
15	Shri Kaundan, son of Balram	
16	Shri Harnam Singh	
17	Shri Balu Ram	
18	Shri Kundan, son of Tikala	
19	Shri Bidhu Ram	
20	Shri Hardyal	
21	Shri Phagni	
22	Shri Prabhati	Beneficiaries at Serial Nos. 21 to 24 who enrolled themselves as members of a co-operative society already functioning in the village raised loan from the resources of this society
23	Shri Sawanta	
24	Shri Sagwa	
25	Shri Maman	
26	Shri Darbha	
27	Shri Har Lal	
28	Shri Dodi Ram	
29	Shri Ramji Lal, son of Mirchoo	
30	Shri Lila Ram	
31	Shri Krishan Lal	
32	Shri Bodan	
33	Shri Baharu	
34	Shri Roop Chand	
35	Shri Har Phool	
36	Shri Ram Lal, son of Khem Chand	
37	Shri Lilu	
38	Shri Dev Karan	
39	Shri Bhuru	
40	Shri Mangalia	
41	Shri Mohan Lal	
42	Shri Puran Chand	
43	Shri Hem Ram	
44	Shri Roshan Lal	
45	Shri Ram Phool	
46	Shri Salu	
47	Shri Dil Sukh	
48	Shri Sukh Ram	
49	Shri Ram Saroop	
50	Shri Phool Singh	
51	Shri Thawaria	
52	Shri Budhi	
53	Shri Prabhati, son of Has Ram	
54	Shri Kaloo	
55	Shri Bhakhtawar	

Serial No.	(a) Name of the beneficiary who has been given land	(b) Names of the Harijans who have been given financial assistance to buy land
1	2	3
56	Shri Sular	
57	Shri Ram Dyal	
58	Shri Kishan Lal	
59	Shri Kundan, son of Ramoo	
60	Shri Raghbar	
61	Shri Daya Ram	
62	Shri Amin Lal	
63	Shri Ram Kanwar	
64	Shri Surete	
65	Shri Sohan Lal	
66	Shri Sher Singh	
67	Shri Pehlad	Beneficiaries noted at Serial Nos. 67 to 70 have raised loan at the rate of Rs 2,500 each from the Land Mortgage Bank
68	Shri Chokh Ram	
69	Shri Mangla	
70	Shri Munshi Ram	
71	Shri Ram Lal, son of Man Sukh	

GRANT TO HARIJANS IN THE SHAPE OF HOUSES IN CHANDNI BHOG, PANIPAT

***2428. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Deputy Commissioner, Karnal, had refused to give grant in the form of 7 houses to the Harijans in Chandni Bhog, Panipat ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that the same grant is now being given to the Harijans ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Out of 7 houses for Harijans of Chandni Bhog, Panipat, Government have received recommendations from the Director, Welfare, for 2 houses to be constructed there. The remaining five recommended by the District *ad hoc* Committee were under the Scheme "Houses for Scheduled Castes engaged on unclean occupation". As the persons engaged on unclean occupation could not get sites in the colony, their cases were not recommended to Government.

(b) Yes ; the Director, Welfare, has recommended to Government that the remaining five houses may be sanctioned for Harijans of village Barot, tehsil Karnal, who are engaged on unclean occupation and have got sites. This matter is under consideration.

WATERLOGGED AREA IN AMBALA DISTRICT

***1423. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the waterlogged areas at present in Ambala District together-with the areas where the subsoil table is 0′ to 5′ and those where the subsoil water-table is 5′ to 10′ ;

(b) whether there has been any increase of waterlogged area in the said district from 1957 todate ; if so, to what extent ;

(c) the total such area reclaimed since 1957 todate ;

(d) whether Government have chalked out any scheme for reclaiming the rest of the areas which are still waterlogged ?

Shri Ram Saran Chand Mittal (Excise, Taxation and Capital Minister) : A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

[Excise, Taxation and Capital Minister]

STATEMENT

(a) The districtwise information regarding area under different categories of subsoil water depths is not available. Figures of subsoil water level depths are, however, available in respect of different canal-irrigated tracts and are given in Annexure I.

(b) The increase of waterlogged area since 1957 to 1961 in respect of I Bhakra Main Line Circle, II Bhakra Main Line Circle, Sirhind Canal Circle and W. J. C., East Circle, is as under :—

YEAR 1957		YEAR 1961		DIFFERENCE 1957 *and* 1961	
—5′ to 5′	5′—10′	—5′ to 5′	5′—10′	—5′ to 5′	5′—10′
643,891	1,182,606	810,700	1,469,644	166,809(+)	287,038(+)

(c) As the work of reclamation was taken up for the first time from Kharif 1962, the requisite information is not available.

(d) Requisite information in this regard is not available.

ANNEXURE I

Statement showing area in acres under various depths of water-table during October, 1957 to October, 1961 in canal irrigated tracts of Punjab (India)

Name of Circle	October, 1957				October, 1958				October, 1959			
	—5—5 ft.	5—10 ft.	10—15 ft.	Total	—5—5 ft.	5—10 ft.	10—15 ft.	Total	—5—5 ft.	5—10ft.	10—15 ft.	Total
U.B.D.C. Circle	490,291	647,578	181,862	1,319,731	779,783	43851	135,168	1,353,802	919,143	346,522	106,906	1,372,571
Bist Doab Circle	30,720	108,134	130,253	269,107	61,440	127,795	135,168	324,403	61,930	115,507	143,280	320,717
Ferozepore Circle	258,048	84 787	20,890	363,725	307,200	54,067	12,288	373,555	271,811	79,625	18,432	369,868
Grey Canal Circle	384,614	141,312	61,440	587,366	469,402	92,160	55,296	616,858	398,130	170 803	38,093	607,260
Sirhind Canal Circle	274,022	688,128	258,048	1,220,198	743,424	411,648	138,754	1,293,826	424,550	645,120	233,472	1,303,142
I. B. Circle, Patiala	104,697	669,696	587,366	1,361,759	340,378	724,992	388,300	1,453,670	388,670	863,478	372,326	1,624,474
W. J. C, East Circle	347,751	363,725	115,507	826,983	500,102	265,192	70,270	835,584	409,802	3,069,424	73,782	842,9 64
W.J.C., West Circle	163,431	157,286	176,947	497,664	215,040	217,407	129,024	561,561	116,738	260,506	206,438	583,682
First Bhakra Main Line, Circle	22,118	130,253	135,160	287,539	101,990	148,685	122,880	373,555	132,710	192,922	103,219	428,851
Second Bhakra Main Line, Circle	..	500	9,830	10,330	1,228	3,686	9,830	14,744	1,106	7,004	14,746	22,856
Grand Total	2,075,692	2,991,399	1,677,311	6,744,402	3,520,007	2,484,573	1,196,978	7,201,558	3.124.590	3,040,911	1,310,640	7 476,141

Name of Circle	October, 1960				October, 1961			
	—5—5 ft.	5—10 ft.	10—15 ft.	Total	—5—5 ft.	5—10 ft.	10—15 ft.	Total
U.B.D.C. Circle ..	347,750	707,789	270,336	1,325,875	806,092	452,198	122,880	1,381,170
Bist Doab Canal ..	24,491	127,795	148,998	302,284	39,322	129,024	147,456	315,802
Ferozepore Circle ..	219,954	125,338	23,347	368,639	257,434	94,002	13,517	364,953
Grey Canal Circle ..	278,938	260,506	55,296	594,740	333,005	190,464	70,042	593,511
Sirhind Canal Circle ..	226,099	7,065,060	393,216	1,325,875	257,740	872,448	253,440	1,383,628
I. B. Circle, Patiala ..	421,478	922,829	382,157	172,464	243,302	1,030,963	458,342	1,732,607
W. J. C., East Circle ..	468,173	360,038	99,491	857,702	454,656	347,750	44,237	846,643
W. J. C., West Circle ..	345,293	234,700	131,482	711,475	195,379	301,056	120,422	616,857
First Bhakra Main Line Circle ..	178,176	196,608	99,533	474,317	95,846	239,616	159,744	495,206
Second Bhakra Main Line Circle ..	2,458	18,432	24,576	45,466	2,458	9,830	22,118	34,406
Grand Total ..	2,517,810	3,660,595	1,554,432	7,732,837	2,685,234	3,667,351	1,412,198	7,764,783

ENQUIRY INTO THE CAUSES OF BREACHES IN BIBIPUR LAKE IN KARNAL

***1715. Comrade Shamsher Singh Josh** Put by Comrade Babu Singh Master) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Chief Minister has recently ordered an enquiry against an official of the Irrigation Department in connection with the breaches that occurred in the Bibipur Lake in Karnal ;

(b) the basis of the complaint against the said official and the action, if any, taken or proposed to be taken against him ?

Shri Ram Saran Chand Mittal (Excise, Taxation and Capital Minister) : Government had received a complaint that the breaches in the Bibipur Lake embankment during the recent floods took place on account of negligence of the Irrigation Branch staff. In order to know the correct position in this regard it was decided that the Lahour and Taxation Minister and the Minister for Technical Education should hold an enquiry into the matter an' report their findings to the Government. An enquiry into the matter has actually been held and the Report is under consideration of Government.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

मंत्री : तीन अक्तूबर 1962 को हुई थी ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ?

मंत्री : आखिरी रिपोर्ट इसी महीने में आई है । तारीख ठीक याद नहीं है । नोटिस दें तो दरियाफ़त कर के बताई जा सकतीं है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय फरमायेंगे कि उस रिपोर्ट पर क्या ऐक्शन लिया गया है ?

मन्त्री : आप ने सुना नहीं है मैं ने बताया है कि रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

सरदार प्यारा सिंह : पहले दो मन्त्री मुकर्रर किए गए थे बाद में एक ही भेजा गया इस का क्या कारण था ?

मन्त्री : उन में से एक अस्तीफ़ा दे गए थे ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Please try to avoid such things.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਾੜੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ।

Mr. Speaker : Whatever appears in the Press is not a gospel truth.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ।

STARRED QUESTION NO. 1777

Mr. Speaker : Next Question (No. *1777) is postponed.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

Minister for Excise, Taxation and Capital : Sir, I have got the answer to this question ready, and if you permit, I may answer the question.

Mr. Speaker : In future I will strictly adhere to the practice that unless a reply reaches me, I will not allow it to be answered. The Government must respect the established conventions and the reply must reach here before it is read on the floor of the House.

Minister : I presume it must have reached your Secretariat when it has reached me. Anyway, if you permit, Sir, then I may answer the question.

Mr. Speaker : The other day it was also insisted that the reply had reached my Secretariat which was perhaps not correct.

Anyway, the hon. Minister may read out the answer.

REMODELLING OF TEMPORARY OUTLET ON RAIKOT DISTRIBUTARY IN TEHSIL MOGA

***1777. Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that temporary outlet was given at Burji No. 123, 525-R of the Raikot Distributary of Sirhind Canal during the year 1954-55 to irrigate certain areas of village Dhurkot-Tan-Seehn in tehsil Moga ;

(b) whether it is also a fact that the inhabitants of the village mentioned in part (a) above had made representations to the Government for getting the said temporary outlet remodelled ;

(c) if answers to parts (a) and (b) above be in affirmative, the action being taken or proposed to be taken by the Government in this connection ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Temporary outlet is being made permanent immediately.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ? ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Mr. Mittal, try to expedite it. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ । (The hon. Minister may please try to expedite the matter. The hon. Member says that the representation is pending since long.)

मंत्री : कर रहे हैं ।

IMPROVING THE DRAINAGE SYSTEM

***1824. Babu Ajit Kumar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total expenditure incurred on improving the drainage system in the State, districtwise, since 15th August, 1947 and the steps, if any, likely to be taken to improve the said system during the current year ?

Shri Ram Saran Chand Mittal (Excise, Taxation and Capital Minister): The expenditure on Flood Control and Drainage to improve the drainage system in the State is not maintained districtwise. However, the following expenditure has been incurred on improving the drainage system in the State :—

		Rs
2nd Five-Year Plan	..	506·00 lacs
During the year 1961-62	..	262·58 lacs
During the year 1962-63 (up to September, 1962)	..	153·48 lacs

To speed up the Drainage Programme, during the current financial year the constructional organization has been expanded from 3 Circles to 8 Circles.

DIVERSION OF FLOOD-WATER TOWARDS VILLAGE KALER IN LUDHIANA DISTRICT

***1916. Babu Ajit Kumar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that during the recent heavy rains the X.E.N., Drains, and S. D. M., under the orders of the Deputy Commissioner, Ludhiana, diverted the flood-water towards village Kaler from its natural flow from approach road to Gurdwara Nanaksar Kaler, breaking Ferozepore Road at a distance of two miles from Jagraon; if so, the reasons for the diversion of the water towards the said village ;

(b) the total estimated loss, if any, caused to crops of villages Kaler and Ghalib Kalan on account of this diversion of water from its natural flow ?

Shri Ram Saran Chand Mittal (Excise, Taxation and Capital Minister) : (a) Flood-water was diverted on technical consideration as natural drainage line runs along village Kaler and across the road which was cut and temporary opening was provided underneath.

(b) Nil.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਹਾ ਵਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ?

मंत्री : इस के लिए नोटिस चाहिए ।

(At this stage, Babu Ajit Kumar rose to ask a supplementary question).

Mr. Speaker : The hon. Member may ask supplementaries to this question tomorrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CASES REGISTERED BY POLICE AGAINST SHRI R. P. KAPUR, EX-COMMISSIONER, PATIALA

713. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered by the Police against Shri R. P. Kapur, ex-Commissioner, Patiala Division;

(b) the number of cases out of those mentioned in part (a) above which have so far been decided and the result thereof ?

Shri Mohan Lal : The require information is as below:—

(a) Four.

(b) In two cases he has been discharged, but petitions for special leave to appeal to the Supreme Court are being filed by the State. The other cases were filed as "untraced" and the matters connected with them are '*inter alia*' the subject-matter of the inquiry under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850.

PROVINCIALISATION OF LOCAL BODIES SCHOOLS

714. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of untrained teachers, with their qualifications, working in the local Bodies Schools (D. B.) and Municipal Committees in Amritsar District at the time of provincialisation of the said schools in 1957;

(b) the names of the teachers mentioned in part (a) above who have applied for the Special Certificates so far, with the names who have been given the Special Certificates to date ?

Sardar Partap Singh Kairon (Chief Minister) : (a)—

1.	F.A., Prabhakar	1
2.	Matric, Prabhakar	1
3.	Prabhakar	3
4.	Matric	201
5.	Middle	65
6.	Primary	1
7.	Music	1
	Total	273

(b) A list is enclosed.

STATEMENT

Serial No.	Name of the teacher who applied for the award of Special Certificate	School	Whether Special Certificate awarded or not
1	2	3	4
	Sarvshri/Smt.—		
1	Ram Krishan	Primary School, Bundala	Not yet
2	Kuldip Singh	Devi Dass Pura	Do

Serial No.	Name of the teacher who applied for the award of Special Certificate	School	Whether Special Certificate awarded or not
1	2	3	4
	Sarvshri/Smt.—		
3	Jaswant Kaur	.. Talwandi Dogran	Not yet
4	Karam Singh	.. Varpal	Do
5	Mohinder Kaur	.. Chhapa Ram Singh	Do
6	Pritam Singh	.. Mana Wala Kalan	Certificate awarded
7	Amarjit Kaur	.. Mana Wala Khurd	Do
8	Baldev Raj	.. High School, Jandiala Guru	Do
9	Balbir Singh	.. Middle School, Chabba	Not yet
10	Gurdip Singh	.. High School, Varpal	Do
11	Natha Singh	.. Primary School, Bhakna Kalan	Do
12	Marain Singh	.. Primary School, Cheecha	Do
13	Gurbax Singh	.. Primary School, Gandiwind	Certificate awarded
14	Chanan Singh	.. Primary School, Bhainy Rajputan	Do
15	Hari Singh	.. Primary School, Sohal	Not yet
16	Ganga Ram	.. Sohal	Do
17	Gurnam Singh	.. Mana Mallan	Do
18	Mohinder Singh	.. Mavelian	Do
19	Amar Kaur	.. Bhuchar Khurd	Do
20	Kehar Singh	.. Sugge	Do
21	Nand Gupal	.. Balare	Do
22	Mangat Ram	.. Dode	Certificate awarded
23	Pawinder Kumar	.. Banka	Do
24	Narinder Kumar Singh	.. Thath Garh	Do
25	Jarnail Singh	.. Cheema Khurd	Not yet
26	Tarlok Chand	.. Kilchian Khurd	Do
27	Prem Singh	.. Cheng	Do
28	Darshan Kumar	.. Wadalla Virum	Certificate awarded
29	Joginder Singh	.. Sohian Kalan	Do
30	Anand Kaur	.. Government Primary School, Chande	Do

[Chief Minister]

1	2	3	4
	Sarvshri/Smt.		
31	Gian Chand ..	Ajainwali	Certificate awarded
32	Om Parkash ..	Jethuwal	Do
33	Hardip Singh ..	Wadalla Virum	Not yet
34	Girdhari Lal ..	Pakhar Pura	Do
35	Surjit Singh ..	Dadhe	Do
36	Dev Datt ..	Mardi Kalan	Do
37	Singara Singh ..	Bege Wal	Do
38	Mohan Singh ..	Manga Sarai	Do
39	Mokand Lal ..	Chacho	Do
40	Narinjan Dass ..	Nimak Mandi	Do
41	Harbans Lal ..	Do	Do
42	Narinder Kumar ..	High School, Rajoke	Do
43	Tilak Raj ..	Primary School, Panadori Varrach	Certificate awarded
44	Gulzari Lal ..	Primary School, Bhillowal	Do
45	Amar Singh ..	Chak Makand	Do
46	Paritam Singh ..	Middle School, Tahli Sahib	Do
47	Singara Singh ..	High School, Chhehrata	Do
48	Krishna Khurana ..	Akal Garh Dhapian	Do
49	Kanohar Lal ..	Matewal	Do
50	Gian Kaur ..	Udo Nangal	Do
51	Harbans Singh ..	Sadolehal	Not yet
52	Sawaran Singh ..	Arjan Manga	Do
53	Piara Singh ..	Banian	Do
54	Mehar Singh ..	Middle School, Dhulka	Do
55	Gurbachan Singh ..	Do	Do
56	Roshan Lal ..	Do	Do
57	Gurdev Singh ..	Malowall	Do
58	Kundan Singh ..	Jethuwal	Certificate awarded
59	Harbans Singh ..	High School, Mehta	Do
60	Sardara Singh ..	Ram Diwal (High School)	Do
61	Darbara Singh ..	Government Primary School, Kotli Saru Khan	Not yet

1	2	3	4
	Sarvshri/Smt.—		
62	Neet Kant	.. Bhalai Pur Dogran	Certificate awarded
63	Ajit Singh	.. Bharowal	Do
64	Harcharan Kaur	.. Kang	Not yet
65	Gurmukh Singh	.. Rankh Denewal	Do
66	Gurmej Singh	Do	Do
67	Amar Kaur	.. Vero Wali Bavian	Do
68	Sulakhan Singh	.. Dhotha	Certificate awarded
69	Jagjit Singh	.. Khakh	Not yet
70	Vir Singh	.. High School, Kang	Awarded
71	Ajit Singh	... Do	Do
72	Kundan Singh	.. Do	Do
73	Guwardhan Parshad	.. High School, Mian Wind	Do
74	Surinder Singh	.. Do	Not yet
75	Ram Rakha	.. Middle School, Khaila Kalan	Awarded
76	Madan Mohan Anand	.. High School, Lopoke	Not yet
77	Raj Bindra	.. Higher Secondary School, Attari	Do
78	Teja Singh	.. Middle School, Sakri	Awarded
79	Avtar Singh	.. Middle School, Mahrana	Not yet
80	Joginder Singh	.. High School, Fatehbad	Do
81	Sarda Singh	.. Do	Awarded
82	Harnam Singh	.. Do	Do
83	Kansi Ram	.. Do	Do
84	Harnam Singh	.. Do	Do
85	Sohan	.. Higher Secondary School, Ratta Gudda	Not yet
86	Gurdip Singh	.. High School,Ali Pur	Do
87	Avtar Kaur	.. High School, Nathu Pur Toda	Not yet
88	Faquir Chand	.. High School, Nabi Pur	Do
89	Teja Singh	.. Bhathal Sehja Singh	Awarded
90	Sarnagat Singh	.. Jaurake	Not yet
91	Raja Singh	.. Shekh	Do

[Chief Minister]

1	2	3	4
	Sarvshri/Smt.—		
92	Joginder Singh	.. Sheih	Not yet
93	Jaswant Kaur	.. Chhabali	Do
94	Ram Piari	.. Butari	Do
95	Jaswant Rai	.. High School, Butala	Do
96	Harbans Kaur	.. Primary School, Sabhra	Do
97	Romesh Chand	.. High School, Khem Karan	Awarded
98	Jagdish Chand	.. Ditto	Do
99	Tarlok Singh	.. High School, Herr	Do
100	Sawinder Singh	.. Ditto	Not yet
101	Puran Chand	.. Kirtowal	Do
102	Gupal Dass	.. Middle School, Chharyala	Awarded
103	Harbans Singh	.. Primary School, Seron	Not yet
104	Hari Narain	.. Sakhira	Do
105	Surjit Kaur	.. Sakhira and Raja Sinsi	Do
106	Opar Kaur	.. Raja Sinsi	Do
107	Joginder Singh	.. Adliwala	Do
108	Bhupinder Singh	.. Maha Wala	Do
109	Harbhajan Singh	.. Chak Kemal Khan	Do
110	Bachan Singh	.. Kotli Sagga	Do
111	Gurbachan Kaur	.. Lashkari Nangal	Do
112	Kashmir Singh	.. Qiam Pura	Do
113	Joginder Singh	.. Sangat Pura	Do
114	Lakhbir Singh	.. Abban Said	Do
115	Darshan Singh	.. Jasraun	Do
116	Baljit Singh	.. Jons Mohar	Do
117	Kulbir Singh	.. Ajnala	Do
118	Harbans Singh	.. Primary School, Abu Said	Awarded Special Certificate
119	Karam Chand	.. Primary School, Doge Dogran	Do
120	Kartar Singh	.. Primary School, Awan	Do
121	Meh Raj	.. Uggar Aulakh	Do
122	Surjit Singh	.. Dhari Wal l	Do
123	Gurnam Kaur	.. Government Girls Primary School, Vachhoha	Not awarded
124	Kailash Wati	.. Government Girls Primary School, Gohalwar	Do
125	Vidya Wati	.. Government Girls Middle School, Khem Karan	Do
126	Hans Kaur	.. Government Girls Middle School, Uavowal	Do
127	Sumitra	.. Government Girls Middle School, Chetanpura	Do
128	Shila Devi	.. Government Girls Middle School, Khelra	Do
129	Gurdial Kaur	.. Government Gilrs Middle School, Sarhali Kalan	Do

1	2	3	4
	Sarvshri/Shri		
130	Kamla Sharma	.. Primary School, Surwind	Not yet
131	Amarjit Kaur	.. Nursery School, Kairon	Do
132	Chand Rani	.. Government Girls High School, Tarn Taran	Rejected
133	Lal Chand	.. Government Girls Higher Secondary School, Mahan Singh Gate, Amritsar	Not yet

VEHICLES, ROUTES, ETC., OF P.R.T. CORPORATION, PATIALA

759. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of vehicles, routes and workers, categorywise, at present in the P.R.T. Corporation, Patiala ?

Sardar Partap Singh Kairon :

Total number of vehicles ..	Buses ..	184
	Truck ..	1
Total number of routes	..	54
Total number of workers ..	*Operational*.—(Covering Inspectors, Drivers, Conductors, Booking Clerks and Diesel Pump Attendants) ..	596
	Workshop ..	114
	Class IV.—(Helpers, Cleaners, Store-boys, Chowkidars, Sweepers, etc.) ..	166
	Establisment.—(Including Store, Audit, Cash, Bill Branches, etc.) ..	86
	Total ..	962

DIRECTOR OF AYURVEDIC, PUNJAB

788. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Shri Kanti Narain Missar, Director of Ayurveda, Punjab, had stated on 3rd October, 1961, before the Senior Sub-Judge, Patiala, that he has got Ayurvedacharya M.A.,M.S. Degree from the S. D. P. G. Ayurvedic College (Lahore), New Delhi, privately ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether there was any such provision in the prospectus of the said institution; if not, what action has been taken against the above official ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, although the exact date of the statement is not known to Shri Kanti Narain Missar.

(b) Yes. Under regulation 5अ(च) of the Prospectus of the Institution Shri Missar could appear in the said examination.

LIQUOR SHOPS IN THT STATE

875. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state—

(a) the number of liquor shops in each district headquarters of the State at present giving the final bid of auction in the years 1959-60, 1960-61, 1961-62 and 1962-63 in each case ;

(b) the quantity of liquor supplied to each of the shops during this period ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : (a) and (b) A statement containing the information is laid on the Table of the House.

[Excise, Taxation & Capital Minister]

STATE

Serial No.	Name of the district	1959-60			
		Number of shops		Amount of final bid of auctions	
		Country liquor	Foreign liquor	Country liquor	Foreign liquor
1	2	3		4	
		(a)	(b)	(a)	(b)
				Rs	Rs
1	Hissar ..	1	1	3,40,000	65,500
2	Rohtak ..	..	1	..	107*
3	Gurgaon ..	1	1	1,61,000	32,500
4	Karnal ..	1	1	1,78,100	34,600
5	Ambala ..	3	3 { (1) (2) }	6,11,000	{ 1,17,600 2,41,500 }
6	Sim'a ..	4	3	2,00,600	35,000
7	Mohindergarh ..	3	1	70,000	700
8	Kangra ..	2 { 1 1 }	1	{ 33,300 4,500 }	3,500
9	Hoshiarpur ..	2	1	2,56,000	30,000
10	Jullundur ..	2	2 { 1 1 }	3,53,100	{ 90,500 55,200 }
11	Ferozepore ..	2	1	3,00,000	29,400
12	Amritsar ..	5	2	14,00,000	1,80,000
13	Gurdaspur ..	1	1	1,19,100	15,000
14	Kapurthala ..	2	1	1,10,000	7,600
15	Patiala ..	10	1	7,20,000	70,100
16	Bhatinda ..	3	1	7,31,000	40,000
17	Sangrur ..	1	1	2,95,000	25,100
18	Ludhiana ..	3	1	9,46,000	1,34,000

**Note*.—Total figures of license fee and liquor issued have been given in respect.

MENT

1959—60					1960-61		
Quantity of liquor supplied			*Amount of final bid of auctions*		*Quantity of liquor supplied*		
Country Liquor	Foreign Liquor		Country Liquor	Foreign Liquor	Country Liquor	Foreign Liquor	
5			6		7		
(a)	(b)		(a)	(b)	(a)	(b)	
B. G.	B. G.		Rs	Rs	B. G.	B. G.	
5,700	Liquor	2,088	3,63,200	65,500	6,200	Liquor	2,188
	Beer	1,743				Beer	1,932
..	Brandy	5.5	..	154.78*	..	Brandy	3.8
3,100	Liquor	3,376	1,80,000	25,000	3,100	Liquor	697
	Beer	1,466				Beer	1,642
3,702	Liquor	825	2,25,300	20,000	3,701	Liquor	1065
9,572	Liquor	?95	5,80,000	1,17,700	12,692	Liquor	217
	Beer	893				Beer	319
	Liquor	743		24,200		Liquor	399
	Beer	930				Beer	767
5,880	Liquor	3,732	2,56,100	33,000	6,280	Liquor	3,521
2,235	Liquor	25	78,000	1,100	2,235	Liquor	64
						Beer	159.6
900	Liquor	720	35,000	3,600	900	Liquor	555
150			4,500		150		
5,900	Liquor	417	3,00,100	30,500	5,900	Liquor	455.5
	Beer	976				Beer	1,200.5
8,300	Liquor	3,296	4,20,000	85,000	8,900	Liquor	2,672
	Beer	3,916				Beer	4,337
	Liquor	2,343		50,000		Liquor	1,887
	Beer	1,797				Beer	1,375
7,046	Liquor	760	3,15,000	28,000	7,338	Liquor	564
	Beer	1,485				Beer	1,363
37,353	Liquor	4,500	16,20,000	1,50,000	37,353	Liquor	4,500
	Beer	3,700				Beer	5,580
2,760	Liquor	171	1,37,100	15,000	2,760	Liquor	183
	Beer	366				Beer	372
3,000	Liquor	219	1,15,000	8,000	3,000	Liquor	340
	Beer	759				Beer	904
17,643	Liquor	1,664	8,01,000	65,000	17,643	Liquor	1,587
	Beer	2,906				Beer	3,532
15,500	Liquor	5,880	7,50,000	40,000	15,500	Liquor	867
						Beer	5,489
5,600	Liquor	..	2,50,000	15,000	5,600	Liquor	425
	Beer	1,309				Beer	1,847
15,420	Liquor	6,827	12,51,000	1,30,000	16,224	Liquor	3,927
	Beer	10,664				Beer	6,807

of vends which are auctioned in groups. In other cases the figures have been shown separately.

[Excise, Taxation and Capital Minister]

1961-62

Serial No.	Name of the District	Amount of final bid of auctions		Quantity of liquor supplied		
		Country liquor	Foreign liquor	Country liquor	Foreign liquor	
		8		9		
		(a)	(b)	(a)	(b)	
		Rs	Rs	B G.	B. G.	
1	Hissar ..	3,96,000	50,000	9,600 6.197	Liquor Beer	19,71 20,73
2	Rohtak ..	..	224	..	Brandy	11.5
3	Gurgaon ..	2,10,000	15,000	6,027.5	Liquor Beer	1,070 1,572
4	Karnal ..	2,37,000	20,100	6,545	Liquor	1,295
5	Ambala ..	5,90,000 —	1,17,900 — —2,42,000 —	— 13,948	Liquor Beer Liquor Beer	241 321 2,727 2,731
6	Simla ..	2,72,000	39,000	7,275	Liquor	3,521
7	Mohindergarh ..	75,000	1,000	1,522.375	Liquor Beer	2.6 269
8	Kangra ..	37,000 5,050	3,700	—1,104 180	Liquor	560
9	Hoshiarpur ..	3,25,000	31,000	8,000	Liquor Beer	365 839
10	Jullundur ..	4,50 000*—	90 500* — — 55,200 —	11,210 — — —	Liquor Beer Liquor Beer	2,795 3,116 1,856 957
11	Ferozepur ..	3,00,000	30,000	8,365	Liquor Beer	706 1,780
12	Amritsar ..	15,00,000	2,50,000	40,00275	Liquor Beer	4,580 66,10
13	Gurdaspur ..	1,20,000	20,000	3,000	Liquor Beer	186 334
14	Kapurthala ..	1,04,500	13,000	3,000	Liquor Beer	422 840
15	Patiala ..	7,51,000	65,000	32,073	Liquor Beer	1,056 2,806
16	Bhatinda ..	6,51,000	30,000	11,875	Liquor Beer	868 5,153
17	Sangrur ..	2,12,000	8,000	4,600	Liquor Beer	381 1,885
18	Ludhiana ..	*13,25,000	1,35,000	25,838	Liquor Beer	4,897 7,229

1962-63					
Amount of final bid of auctions		*Quantity of liquor supplied*			REMARKS
Country Liquor	Foreign Liquor	Country Liquor	Foreign Liquor		
10		11			12
(a)	(b)	(a)	(b)		
Rs	Rs	B. L.	B. L.		
5,14,000	45,000	45,005	Liquor	2,782·91	
			Beer	10,664·11	
..	382	.·.	Brandy (up to 31st December, 1962)	26,878	*There is a prohibition in Rohtak District. No liquor shop is sold by auction in this district. However, there is one license in Form P.N.1. at Rohtak for sale of Brandy on permits. The license fee is assessed on actual sales.
3,03,000	25,100	27,300	Liquor	5,015	
			Beer	7,105	
2,77,600	15,100	6,600	Liquor	833	
		43,416·615			
6,36,000	1,18,200 —		Liquor	2,301·968	
	—2,43,000	—	Beer	17,850·912	
		—	—Liquor	4,516·279	
		—	Beer	14,200·475	
2,99,000	39,500	27,821	Liquor	12,515·811	
86,000	1,000	4,276·022*	Liquor	216	Up to the end of February, 1963
			Beer	1,296	
56,000	2,500 —	5,100	Liquor	2 500	
5,000	780 —				
4,50,000	20,000	36,365·837	Liquor	1,473	
			Beer	2,977	
5,76,000	—86,000	— 56,810	Liquor	10,780	*Third Country liquor shop was opened with effect from the 1st April, 1961 at Jullundur
		—			
	— 51,000	—	—Beer	15,600	
		—			
			— Liquor	7,468	
			— Beer	4,132	
*2,31,100	30,000	30,840	Liquor	2,515	*Third country liquor shop was opened with effect from 1st April, 1962
			Beer	5,958	
17,00,000	3,50,000	1,81,849·402	Liquor	20,834	
			Beer	16,445	
1,20,000	20,000	13,640	Liquor	1,319	
			Beer	2,281	
1,08,000	13,000	13,056·912	Liquor	1,375·280	
			Beer	1,809·018	
7,75,000	65,000	*Figure not clear in the Govt. reply	Liquor	3,805	
			Beer	12,418	
6,49,100	30,000	43,648.80	Liquor	3,949	*On re-auction it was raised to Rs 77,000 but in view of High Court decision its original license for Rs 30,000 was restored and re-auction cancelled.
			Beer	26,284	
2,40,000	7,000	21,114.375	Liquor	1,572.41	
			Beer	6,531	
14,10,000	1,41,000	1,17,643.10	Liquor	18,683	*Third shop of Country liquor was opened with effect from 1st April, 1961
			Beer	30,697	

HAND-PUMPS ALLOTTED/GRANTED TO HARIJANS IN KARNAL CITY

876. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of hand-pumps allotted to the Harijans in Karnal City including the outer skirts, i.e., Hansi Road, Bhatta Ghulam Nabi, Yashwant Nagar Colony, Prem Nagar, Ram Nagar during the period from 1st January, 1957 to date together with the name of the location of each pump giving the date when the hand-pump was installed ;

(b) whether it is a fact that some of the said hand-pumps have since been removed; if so, when and the authority with whose permission these were removed ;

(c) whether any enquiry in respect of the removal of the said hand-pumps has been conducted by Harijan Welfare authorities at Karnal; if so, the details thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Three. One in Bhatta Ghulam Nabi which was completed on the 22nd September, 1959, remaining two in Yashwant Nagar Colony. These were completed in February, 1962.

(b) Yes. The hand-pump installed at Bhatta Ghulam Nabi was reported to have been removed unauthorisedly in August, 1962, by Shri Ram Kishan Azad, the then member of the District *Ad hoc* Committee.

(c) Yes. The matter was reported to the Superintendent of Police, Karnal.

CASES SENT UP FOR TRIAL IN COURTS UNDER SECTION 107, CR. P. C.

900. Sardar Kulbir Singh : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the number of persons sent up for trial in the law courts under section 107, Cr. P. C. (Security Proceedings), by the Police in each district during each year between 1st January, 1960 and 31st December, 1962 ;

(b) the number of persons convicted by the courts in connection with the cases referred to in part (a) above during each year ;

(c) the number of persons sent up for trial in the law courts in each district under section 107, Cr. P. C., during each year between 1st January, 1953 and 31st December, 1955 ;

(d) the number of persons convicted in connection with the cases referred to in part (c) above ?

Shri Mohan Lal : (a), (b), (c) & (d) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefits sought to be derived by the member. The reply can be furnished regarding any specific person/case if called.

---

901. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state—

(a) the total mileage of pacca roads, districtwise, in the State as on 15th August, 1947 ;

(b) the total mileage of pucca roads, district-wise, in the State as on 31st December, 1955 ;

(c) the total mileage of pucca roads, districtwise, as on 31st December, 1962 ?

Sardar Darbara Singh :

(a) 3,179 miles
(b) 4,328 miles
(c) 6,860 miles

Districtwise details are given in the statement given below, which shows the total mileage in the State maintained by the P.W.D. as well as the District Boards.

Statement showing districtwise metalled Mileage of P.W.D. Roads and D.B. Roads in the State at the time of Partition on 31st December, 1955 and 31st December, 1963

Seial No.	Name of District	Metalled Mileage as on		
		15th August, 1947	31st December, 1955 or 31st March, 1956	31st December, 1962
1	Gurgaon ..	205·27	270·35	569·36
2	Rohtak ..	302·88	371·04	482·63
3	Hissar ..	342·17	353·20	754·06
4	Karnal ..	190·33	235·34	465·02
5	Ambala ..	217·45	307·38	456·52
6	Ludhiana ..	182·34	186·50	295·30
7	Ferozepur ..	296·82	368.19	539.10
8	Jullundur ..	193·19	222·53	311·02
9	Hoshiarpur ..	113·16	205·39	348·07
10	Amritsar ..	259·88	328·39	459·82
11	Gurdaspur ..	144·98	258·56	313·32
12	Kangra (including Lahaul and Spiti) ..	147·46	215·22	215·88
13	Simla ..	80·45	*31·95	75·40
14	Patiala ..	259·51	410·80	363·09
15	Sangrur ..	111·06	206·49	476·77
16	Bhatinda ..	100·34	171·29	393·41
17	Kapurthala ..	100·10	125·15	142·80
18	Mohindergarh ..	31·88	60·88	197·41
	Total .	3,179·27	4,328·65	6,860·69

*Mileage in Simla District has decreased due to the transfer of some roads to Himachal Pradesh Government.

*Mileage in Patiala District has shown a decline due to the reason that Kandaghat and Nalagarh tehsils were transferred to Simla and Ambala Districts, respectively. during the year, 1961.

Note.—The above figures indicate the total mileage in the state maintained by the P.W.D. as well as the Districts Boards as on 15th August, 1947, 31st December, 1962, 31st December, 1955.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ Privilege motion ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ late ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

3.00 p.m.

"Dr. Gopi Chand Bhargava, Finance Minister, revealed yesterday on the Floor of the Legislative Council that teachers in the State have been instructed not to see the Legislators to get redress of their grievances. The statement of the Finance Minister and the orders of the Punjab Government thus curtail upon the constitutional rights of voters of the State. Moreover, imposing such like restrictions on our rights to have relations with the voters of our State being their elected representatives and members of this House, is nothing except that of breach of our privileges. Hence, we seek leave to move and demand through Privilege Motion that matter be examined through Privileges Committee".

श्री अध्यक्ष : मैंने सिर्फ कर्टसी के तौर पर आप को इजाज़त दे दी थी कि आप अपनी प्रिविलेज मोशन को पढ़ दें । This House cannot take cognizance of what happens in the other House or what the Ministers say there. You were absolutely justified in raising this point अगर वह इस हाऊस में कोई ऐसी बात कहते । इसके अलावा यह एक सरकार की अपनी चीज़ है कि वह अपने कर्मचारियों को क्या इंसट्रक्शन देती है । इसमें हाउस के प्रिविलेज का कोई सवाल नहीं उठता । (I had permitted the hon. Member to read out his privilege motion just out of courtesy. This House cannot take cognizance of what the Ministers say there. You would have been absolutely justified in raising this point if the Government had said anything on the Floor of this House. Moreover, the Government is competent to issue whatever instruction they want to their employees. This does not involve any breach of privilege of the House.)

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या जो बात इस हाउस के अन्दर नहीं होती, हाउस के बाहर होती है, लेकिन मैम्बर साहिबान के प्रिविलेजिज़ को एफैक्ट करती हो, उसे इस हाउस के अन्दर प्रिविलेज के तौर तर लिया जा सकता है ?

Mr. Speaker: Yes, it can be taken up.

श्री बलरामजी दास टंडन : तो अब बात बिल्कुल सीधी सी है ; उन्होंने अपर हाउस में जो बात कही कोई भी मिनिस्टर ऐसी बात बाहर भी कह सकता है । सरकार ने सभी अध्यापकों को यह गश्ती चिट्ठी भेजी है कि कोई भी अध्यापक अपनी शिकायत लेकर किसी लैजिस्लेटर को नहीं मिल सकता । इस सम्बन्ध में वहां उन्होंने जवाब ले किया है । सवाल यह नहीं कि चूंकि कौंसिल के अन्दर यह बात कही गई इसलिये यहां पर उसे टेक-अप नहीं किया जाना चाहिये सवाल तो यह है कि वह बेसिस क्या है जिसके पेशेनज़र यह प्रिविलेज मोशन लाई गई है । और वह यह है कि सरकार ने अध्यापकों को हिदायतें जारी की हैं कि वह किसी भी लैजिस्लेटर को अपनी मुश्किलों के सम्बन्ध में न मिलें । मैं समझता हूँ कि इस तरह से हाउस की तौहीन की गई है । आखिर लैजिस्लेटरज़ यहां बैठे किस लिए हैं ? वह अपने

वोटरों की तकालीफ को यहां बताने के लिये बैठे हैं। अगर वह गवर्नमैंट की गलतियों और ज्यादतियों को यहां वर्णन नहीं कर सकते तो फिर यह ठीक ही है।

Mr. Speaker: The hon. Members are aware of the fact that the proceedings of both the Houses are privileged. जो कुछ वहां कहा जाता है उस पर हम इस हाउस में एक्शन नहीं ले सकते। इस के अलावा अपर हाउस में अध्यापकों का अलग तौर पर हलका है। वहां पर तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि अध्यापकों के नुमाइंदा होते हुए, वह उन को शिकायतें क्यों नहीं बता सकते लेकिन उस हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ का नोटिस लेकर यहां पर प्रिविलेज मोशन करना– यह ग़ैर कानूनी है। यह कैसे हो सकता है कि जो कुछ यहां कहा जाता है उसके बारे में बाहर कोई एक्शन लिया जाए। इन हालात में मैं इसे आउट आफ आर्डर करार देता हूँ। (The hon. Members are aware of the fact that the proceedings of both the Houses are privileged. We cannot take any action on the basis of what is said on the floor of that House. Besides there is a separate constituency of teachers in the Upper House. This question can, of course, be raised there as to why should there be any bar to present the grievances of the teachers, by their representatives. But it is unconstitutional to take here a privilege motion on the proceedings of that House. How can any action be taken outside on what is said here on the Floor of the House. In the circumstances, I rule this motion out of order.)

(At this stage Shri Balram Ji Dass Tandon again rose to speak)

Mr. Speaker : The hon. Member delivers a lecture on every occasion. It does not look proper. I may tell the hon. Member that there is no Teachers' constituency in the Assembly which is specifically for the teachers, professors or the graduates. There could be reasonable grounds for raising such a question in the Council but not in the Assembly.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आप की रूलिंग के बारे में एक अर्ज़ है। आपने कहा कि इस हाउस के अलावा भी कहीं पर कोई बात ऐसी कही जाए जो प्रिविलेज को इफेक्ट करती हो तो यह कंसिडर हो सकती है। सवाल यह है कि सरकार ने जो सर्कुलर लैटर भेजा है वह है क्या ? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अध्यापकों की कोई शिकायात हों तो कोई बात नहीं गवर्नमैंट को पूरा हक है कि जैसी हिदायतें चाहे जारी करे लेकिन सवाल तो यह है कि अध्यापकों की बतौर वोटर्ज़ भी कई मुश्किलें हो सकती हैं। हरेक एम. एल. ए. के चुनाव-क्षेत्र में अध्यापक भी वोटर होते हैं। इसलिये उन का नुमाइंदा होते हुए एम. एल. ए. को हक है कि उनकी ग्रीवैंसिज़ को यहां पर बताये। ऐसी सूरत में मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि वह अध्यापक अपनी ग्रीवैंसिज़ को लेकर एम. एल. ए.ज़ के पास जा सकते हैं या नहीं।

Mr. Speaker : The Government is competent to issue instructions from time to time to its employees to maintain discipline. We must try to understand the point.

श्री बलरामजी दास टंडन : इस का मतलब यह है कि हरेक एम. एल. ए. के चुनाव-क्षेत्र में दो दो, तीन तीन हज़ार टीचर्ज़ हैं, वह उन की ग्रीवैंसिज़ दूर करवाने के लिए न यहां पर बोल सकते हैं और न अध्यापक उनके पास आ सकते हैं। इस तरह तो एक के बाद एक, गवर्नमैंट हर गवर्नमैंट सरवैंट को इस तरह की हिदायतें जारी कर देगी कि वह हमें न मिलें। इस तरह से सरकारी मुलाज़िम यह समझेंगे कि हम तो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। वह समझेंगे कि हम सरकारी मुलाज़िमों की नज़रों में शैड्यूल्ड कास्ट हैं। हमें नहीं सिर्फ आठ मिनिस्टरों को ही मिल सकते हैं ...... (*Interruptions*) (*Noise*)

श्री अध्यक्ष : आप बतायें कि ज़ोर लगाने से या शोर मचाने से भी कोई बात बनती है? You have already said enough. Please resume your seat now. (Let the hon. Member tell me if he can carry his point by shouting and making noise. He has said enough. He may resume his seat now.)

श्री बलरामजी दास टंडन : लेकिन सवाल तो पालिसी का है।

श्री अध्यक्ष : इस के लिए हमें कोई लाईन आफ डीमारकेशन खींचनी पड़ेगी। अगर मुलाज़िमों के किसी वर्ग के साथ कोई ग्लेयरिंग ज़्यादती होती है फिर तो मैं समझता हूँ कि you are within your rights to raise that question लेकिन अगर किसी सरकारी मुलाज़िम की किसी लैजिस्लेटर के साथ वाकफियत है और वह उसकी पोज़ीशन को युटिलाईज़ करके अपने पर्सनल एंड्ज़ को ऐचीव करता है तो यह बहुत नामुनासिब है। Generally तो there can be no objection of teachers or any-body also meeting the M. L. As. but the Government is perfectly within its rights to take notice of the actions of a particular employee अगर वह एम. एल. ए. के साथ वाकफियत की बिना पर ग़लत तौर पर नाजायज़ फायदा उठाने की कोशिश करता है।

(For that we will have to draw a line of demarcation. If there was any glaring type of injustice done to any set of employees then, I think, the hon. Members are within their rights to raise that question but it is most undesira-ble if any government servant exploits his acquaintance with a legislator for achieving his personal ends. Generally there can be no objection to teachers or anybody else meetings the M. L. A.'s but the Government is perfectly within its rights to take notice of the actions of a particular employee if he tends to exploit his personal acquintance with any M. L. A. for deriving any undue advantage.)

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो हिदायतें जारी की गई हैं उन के मैरिटस का सवाल नहीं और न ही उनके मैरिटस पर डिस्कशन हो रही है कि किस लिए मिल सकता है या किस लिए नहीं मिल सकता। सवाल तो यह है कि टीचर्ज़ का लैजिस्लेटर्ज़ को मिलना एलाऊड है या नहीं। (विघ्न)

Mr. Speaker : The hon. Member has been taking more time of the House. I have put up for a very long time with his speeches, long speeches whether they were relevant or irrelevant. I will not put up with his speeches any more now. I have told that you have to differentiate between the valid and invalid grounds of approaching the M.L.As. If some wrong has been done to a teacher, he or group of teachers or their union can approach their elected representatives so that their cause could be represented to Government collectively. But if anybody pesters an M.L.A. for personal favours this has to be checked. Instead of Government's writing to them the Members should themselves see that nobody comes to them for such purposes.

Chief Minister : Sir, if a question is put I will be able to know what the circular is ; its language, the rule and code of conduct that has been referred to in the circular. I can only say something if a question is put. It is not possible for me to keep information about each and every circular issued by Government from time to time.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਤਰਨਤਾਰਨ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ । ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

> "I wish to ask for the Speaker's consent to raise a question of privilege in relation to an article published in 'The Indian Observer' of Delhi, dated March 18, 1963, in connection with my speech on 13th March on the answer to Question No. 2224 on the 14th March and supplementaries thereto in which the said paper by writing what it has done has distorted the proceedings of this House in so far as my speech or supplementary questions were concerned. My supplementary questions were of a general nature but this paper has put questions and other matters into my mouth which I never asked or expressed in the House even in any other statement on any other date.
>
> I attach a copy of the said paper and also some other issues for your information".

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ —

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । I have not been keeping fit all these days. ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ । ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (I would request the hon. Member, Sardar Gurdial Singh Dhillon, before be should say any thing in this connection that I have not been keeping fit all these days. The hon. Member also does not seem to be fully prepared. I am also not feeling well. He should keep his papers ready for discussion on any other day.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਗਲਤ ਮਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

'Indian Observer', dated March 18, 1963, Page 7 :—

> "Sardar Gurdial Singh Dhillon, former Speaker, Punjab Legislative Assembly, in one of his crudest attacks against Sardar Partap Singh Kairon alleged in the Punjab Vidhan Sabha on Wednesday last that advertisements to the tone of Rs. one lakh, twenty thousands were given to a newsweekly published from New Delhi. The reference was apparently to the Indian Observer ; because there is no other newsweekly or daily in the Capital, or for that matter anywhere in any part of the country which claims greater affection and admiration of Sardar Partap Singh Kairon than the Indian Observer".

ਦੂਸਰੀ ਜਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

> " .. .. .. such an irresponsible statement should have come from a person expected to be fully alive to legislative responsibilities . . . "

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ, ਜੋ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ । ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਹੋਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

> " . . . Gurdial Singh Dhillon is not a lieutenant of any Akali Jathedar who could be expected to speak out whatever comes in his mind . . . "

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫੇਰ ਡਿਸਕੱਸ ਕਰਾਂਗੇ । (The hon. Member should leave the matter here, it will be discussed later on.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਪਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

> "What comes out from his lips must, therefore, be authentic and hundred per cent responsible. What he speaks, moreover, should be based on principles and not on personal prejudices......"

ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ;—

> 'I like to ask from Gurdial Singh Dhillon, is a lakh and twenty thousand too high a price for the sublime ideal of national integration ? If he thinks like that, one will only have to mourn the fate of this country where men of such enlightenment and thinking exist".

Mr. Speaker : I think this is enough. The hon. Member may bring more papers. We should stop it here. I would request the Press Gallery Members to exert their influence on the gentleman concerned before I refer this matter to the Committee of Privileges. So far the relations between the Press and the House have been very cordial and before I refer the matter concerning a Press correspondent to the Committee of Privileges

I would ask the members of the Press community to sit amongst themselves and if they are convinced that there is something wrong, I feel that there is and if they express regret or the person concerned expresses regret I would request the hon. Member not to pursue the matter. It does not lead us anywhere.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, there are......

Mr. Speaker : The hon. Member has said enough. He is attaching more importance to the paper than it deserves.

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ने फरमाया है कि और कागज़ देने हैं। (The hon. Member has stated that he would like to submit some more papers.)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : मैं, स्पीकर साहिब, बताना चाहता हूँ कि उस अखबार ने इस हाऊस के बारे में क्या कहा है......

Mr. Speaker, Without listening to what the hon. Member is going to say I admit that this should not have been written. But , as I have already said, before referring the matter to the Committee of Privileges, I would request my friends in the Press to exert their influence with the gentleman concerned. In fact, we should not impair the relations which exist between the Government, the House and the Press.

Sardar Gurdial Singh Dhillon: I respect your views, but I would crave your indulgence for another few minutes. This paper has further stated at another place about other Members :—

> "Within the organisation, an army of dissidents had sprung up but where have they all gone. Men who were never tired of dubbing the Chief Minister as tyrant, corrupt, vindictive, dishonest and what not and used to run, every third day with their pockets full of complaints against Sardar Partap Singh Kairon are nowhere visible on the political horizon of Punjab".

Mr. Speaker : The hon. Member should not attach more importance to the Paper. By what has been written it does not bring credit to Sardar Partap Singh or discredit to Sardar Gurdial Singh. I would request my friends in the Press to ask the person concerned to mend his manners.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, further it is written—

> "An attractive salary of Rs 800 per month, a car and a lovely bungalow in Chandigarh and a name plate of Deputy Minister or Minister for State overnight turned them into loyalists. Certain section of the press had objected to this expansion of Punjab Ministry then, we remember, but the world has ultimately seen that there was nothing wrong with the Chief Minister's decision. It has, instead, proved that no ideology like dissidents existed. It was a personal annoyance, pure and simple for not receiving share in the Government. That class too is conspicuous by its absence in the Punjab today".

Again he writes about Sardar Darbara Singh in his issue, dated February 18, 1963 -

" * * * * * * *

> But there is something to be ashamed of also inasmuch as the Punjab politicians have not lagged behind in retaining their character of leg-pulling of their leaders. Otherwise there was absolutely no reason for Sardar Darbara Singh to gloat over and create a sensation both in the press and in the public.

[Sardar Gurdial Singh Dhillon]

Who does not know that Darbara Singh is the creation of Partap Singh Kairon ? The Working Committee of the Congress is too big a thing and the office of the Presidentship of the Pradesh Congress Committee, too high an office to be accessible to the men of intellectual calibre and political acumen by Sardar Darbara Singh. It is only the characteristic generosity of Sardar Partap Singh Kairon towards his friends that he picks up men some time from the dust and takes them to the top though he had invariably had to pay the price for his large-heartedness".

* * * * * * *
* * * * * * *

Then, Sir, under another column 'Darbara Singh's "Undivorced Political Wife" ' it has been written—

* * * * * *
* * * * * *

Nobody could be dearer to Mr. Ahuja than Sardar Darbara Singh as nobody could be more acceptable to Sardar Darbara Singh as Mr. Ahuja.

* * * * * *
* * * * * *

But if only the Prime Minister had not intervened, and an actual tussle had taken place, it is doubtful the eight leaders of Darbara Singh group could have been able to get the nineth man to vote for their candidate.

* * * * * *
* * * * * *

Mr. Speaker : The hon. Member is a very seasoned politician. Do these words bring any credit to the House ? There were two Privilege Motions from Shri Balramji Das Tandon. I have not been able to go through them. We will decide about them tomorrow.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਿਉ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

Mr. Speaker : This should be taken in a very light-hearted manner.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : He is the symbol of the dignity of the House next to the Chair. If he insults the House or any Member of it, he insults himself. I would like the Chief Minister to say a few words in this connection.

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਆਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਰੀਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੀਟਾਰਟ ਤਾਂ ਹਾਉਸ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

**Note.*—For reference to these Questions of Privilege, please *see* P.V.S. Debate Volume I, No. 20, dated 21st March, 1963 (Morning Sitting).

I was merely retorting to the frequent criticism about the defeated persons. I did not mean any disrespect to any Member of the House.

Mr. Speaker : The matter should end now. He did not mean any discourtesy to any person or to the House. He is the last person to insult the House.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : He is the last person to say anything which brings insult to the House.

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker : There is a *Call Attention Notice by Comrade Gurbakhsh Singh.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ 5/6 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਅਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ।

Mr. Speaker : I would call attention of the Government to this matter.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, राम नौमी की छुट्टी करने के बारे में मैं ने काल अटैंशन का नोटिस दिया था । चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि विचार करके सोमवार को बतायेंगे । यूनियन गवर्नमैंट और हाई कोर्ट में भी छुट्टी है ।

Mr. Speaker : I think, it will be better, if the Business Advisory Committee meets and decides the matter.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह काल अटैंशन का जो नोटिस था यह गवर्नमैंट आफिसिज़ में छुट्टी के लिए था हाउस के बारे में नहीं था । आप शायद यह समझे कि यह हाउस के लिए था ।

LEAVE OF ABSENCE

Mr. Speaker : I have received an application, dated 19th March, 1963, from Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A., detained in the Central Jail, Ambala, asking for leave of absence from the sittings of the House. It reads :

> "Through you, I, Shamsher Singh Josh, now detained without trial in the Central Jail, Ambala, by the orders of the Punjab Government, under the Defence of India Rules, request the House to grant me leave of absence from the House, as I am here detained without trial. I shall feel obliged for the same".

Is it the pleasure of the House that leave of absence be granted to Comrade Shamsher Singh Josh ?

---

*We beg leave to call the attention of the Chief Minister regarding heavy loss of immovable property including about a dozen shops and eight houses with fire at Ambala Cantt. on 22nd March, 1963 and the failure of the fire brigades to do much for a long time owing to the difficulty in obtaining water.

(Sd.) GURBAKHSH SINGH, Com.,
M.L.A.

Voices : Yes.

The leave of absence was granted.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY REGARDING A BILL

Mr. Speaker : The Secretary will now make some announcement.

Secretary : Sir, under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, 1962, and the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, 1962, passed by the Punjab Legislative Council on the 21st March, 1963, have been received. I also lay a copy each of the said Bills on the Table of the House.

Sardar Gurnam Singh : On the second of April, 1963, on account of 'Ram Naumi', there may not be any sitting of the House, and if the Leader of the House agrees, the sitting of the House may be extended for another day.

Mr. Speaker : That may not be possible, as the House is adjourning on Friday, the 12th April. If the sitting is extended, we shall have to meet on Monday, the 15th April thereby incurring an expenditure of Rs 12,000 or so on account of T.A., etc. for Members. It is, however, possible that we may meet on Saturday, the 13th and not disperse on Friday, the 12th.

Sardar Gurnam Singh : The House can adjourn on Saturday, the 13th.

Chief Minister : That is not possible on account of 'Baisakhi'.

Home Minister : It will be better if the matter is discussed threadbare in the Business Advisory Committee, when we will have all the Bills, etc., before us.

Mr. Speaker : The Committee will meet today at 3·45 p.m. to discuss the matter.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : उस दिन चीफ मिनिस्टर साहिब ने हाउस में विश्वास दिलाया था कि राम नौमी की आफिसिज़ के लिए छुट्टी, हाउस के लिए नहीं, बारे वह विचार कर के हाउस को बतायेंगे। उस के लिए इन का क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : मैं राम नौमी की बात तो नहीं कर रहा लेकिन हिन्दुस्तान सारी ही दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिस में सब से ज्यादा छुट्टियां होती हैं। We should avoid having more holidays rather than adding to them. (I am not talking particularly about Ram Naumi when I say that India enjoys the highest number of holidays among all the countries of the world, we should avoid having more holidays rather than adding to them.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : लेकिन क्या राम नौमी की छुट्टी ही काटनी है ?

श्री अध्यक्ष : मैं ने यह नहीं कहा। मगर छुट्टी ज़रूर कटनी चाहिए। (I did not say so, but there should be a cut in the number of holidays.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : इस के लिए कमेटी बनाई जाए कि कौन सी छुट्टी कटनी चाहिये।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

Mr. Speaker : Let it be at 3 p. m.

STATEMENT BY THE LEADER OF THE OPPOSITION

Mr. Speaker : Now, Sardar Gurnam Singh will make a statement.

Sardar Gurnam Singh : Sir, The Akali Legislature Party have been given the status of the official Opposition in the Punjab Legislative Assembly and the Party have chosen me as their leader. This could not have been possible without the guidance and goodwill of two great Akali Leaders—Sant Fateh Singh and Master Tara Singh. I see in this early hopes of complete Panthic unity. My entire efforts would be directed to this end.

My immediate reaction to this development is a grave realisation of how heavy is the burden that has been placed on the shoulders of the Akali Party and how serious and demanding the duties that the Party have entrusted to me. In full understanding of the nature of this burden and the magnitude of these duties, I wish solemnly to assure the people of the Punjab as well as those who are carrying on the duties of the Government of the State that my party and I shall discharge our duties in the best interests of the people and without fear or favour, without bias or malice and always fully determined to advance the cause of democracy and peaceful development in the Punjab.

This statement would not be complete unless I mention here the ability and fearlessness with which Chaudhri Devi Lal carried on the onerous duties of Leader of the Opposition. The breach in his party on account of crossing of the Floor is most regrettable.

In the end, I would earnestly seek the co-operation and guidance of the other Opposition groups to enable me to advance the cause of democracy. I thank you, Sir.

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : I am happy to find that there is again an organised Opposition in the House. That will facilitate my work to a very large extent. I assure the new Leader of Opposition that he can expect all co-operation from the Chair. What is due to the Opposition will never be denied to them whatever the consequences. But, I would like to sound a note of warning to some of the Members. Of late, we have made a laughing stock of ourselves. Everyday, a Member has been going from this chair to the other. That has been complicating the matters. I do hope that changing of seats every now and then will be stopped. I am also sure that the Government too will be very happy to have an Opposition Leader of the eminence of Sardar Gurnam Singh. I take this opportunity to congratulate Chaudhri Devi Lal and other Group Leaders who have been giving to me their co-operation all these days. In spite of my shortcomings, they have always extended to me the maximum possible co-operation that any Speaker could expect from the Opposition. So have done the Leader of the House and his other colleagues. They have very willingly and in good faith submitted to all the rulings, etc., given by the Chair. Once again, I congratulate Sardar Gurnam Singh on his elevation as the Leader of the Opposition, and I assure him again that I will do my best to maintain the healthy traditions of the democratic Government.

खान अब्दुल ग़फ़ार खां : मिस्टर स्पीकर, मैं उस वक्त भी अर्ज़ करने लगा था लेकिन जनाब ने दूसरे मैम्बर साहिब को काल अपौन कर लिया था इसलिए मैं बैठ गया था। मैं

[खान अब्दुल गफ्फार खां]
छुट्टियों के सिलसिले में ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहां सरकार कोई छुट्टी बढ़ाने की कोशिश करे तो एक छुट्टी मुसलमानों की भी बढ़ा दी जाए। क्योंकि मुसलमानों के भी कई ऐसे इम्पारटैंट फैस्टीवल्ज़ होते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਦਲਾਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫ਼ਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲ ਲਗਣ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ।

PRESENTATION OF THE INTERIM REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Mr. Speaker : Now, the Chairman of the Committee of Privileges will present the Interim Report of the Committee.

Chaudhri Hardwari Lal (Chairman, Privileges Committee) : Sir, I beg to present the Interim Report of the Committee of Privileges on the matter relating to the handcuffing of Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.

I also beg to move that the time for the presentation of the Final Report be extended up to the 29th March, 1963. There is nothing in the Interim Report to explain except to say that despite our best endeavours, the Committee has not been able to finalise its Report so far. In a couple of days, we shall certainly produce the Report on the issues which have been referred to us for examination.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the peesentation of the Final Report be extended up to the 29th March, 1963.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 29th March, 1963.

The motion was carried.

DEMANDS FOR GRANTS

Agriculture and Welfare Minister (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 2,93,57,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 31—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs 24,37,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Mr. Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 2,93,57,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 31—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs 24,37,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The following cut motions given notice of by various hon. Members in respect of these Demands will be deemed to have been read and moved :—

DEMAND NO. 19
(31—*Agriculture*)

1. **Comrade Babu Singh Master :**
2. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Singh Joga :**
5. **Comrade Didar Singh :**
6. **Sardar Gurcharan Singh :**
   That the demand be reduced by Rs 100.
7. **Shri Rup Singh Phul :**
   That the demand be reduced by Re 1.
8. **Sardar Ajaib Singh Sandhu :**
   That the demand be reduced by Rs 100.
9. **Shri Amar Singh :**
   That the demand be reduced by Re 1.

DEMAND NO. 43
(95—*Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research*)

1. **Comrade Babu Singh Master :**
2. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Singh Joga :**
5. **Sardar Gurcharan Singh :**
6. **Comrade Didar Singh :**
   That the demand be reduced by Rs 100.

(*At this stage, Sardar Gurmit Singh rose to speak.*)

Mr. Speaker : These are small Demands. Let each Member take 7/8 minutes, so that a large number of Members can participate in the Debate.

Sardar Gurmit Singh (Malaut) : Sir, I may be given a little more time. There will be no repetition.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਮਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਝਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਐਮਰਜੇਂਨਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10/12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਿਹਮੇ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦੋ ਗੁਣਾ, ਕਪਾਹ ਢਾਈ ਗੁਣਾ, ਚੌਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]
ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ । (ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੇਅਰ ਸੰਭਾਲੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਸੁਝਾਉ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਤੀਸਰੇ ਪਲੈਨ ਆਉਟਲੇ ਵਿੱਚ 873 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 136 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ, ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਰਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸੋਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਖੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.08 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.54 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਬੇਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਟੱਨੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਮਾਈਨਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵਖਾ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਤਨਾ ਵਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਨੇਫ਼ਾ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਏ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਹਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਉ ਰਖਾਂਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ 1965-66 ਵਿੱਚ 18 ਔਂਸ ਖੁਰਾਕ ਫੀ ਆਦਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਫੀ ਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ । 1949 ਤੋਂ 1961 ਤਕ ਅਸੀਂ ਪੈਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਰਕਬਾ ਹੈ । ਹਿਸਾਰ ਯਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ-ਸੁਧਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 1950-51 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ 767 ਪੌਂਡ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ, 1961 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1077 ਪੌਂਡ ਫੀ ਏਕੜ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਕਪਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ 1950-51 ਵਿੱਚ 221 ਪੌਂਡ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ, 1957-58 ਵਿੱਚ 214 ਪੌਂਡ ਫੀ ਏਕੜ ਰਹੀ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ 238 ਪੌਂਡ ਫੀ ਏਕੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਧ ਨਾ ਕਰੀਏ । ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ

ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ । ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਬਾਰੇ ਉਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਾਨਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਚੇਚਕ, ਪਲੇਗ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕੋਮਾ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾ ਆਦਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 15, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪਾਸ ਅਤੇ 15, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ । ਫੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਥਰਡ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ । ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਟਿਊਬ-ਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ੨ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਭਾਖੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ੨ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਮੁਦਕੀ ਮਾਈਨਰ ਸਬੰਧੀ ਮੋਘਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 1954 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 1954 ਤੋਂ ਐਸ. ਈ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੋਘਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ 111 ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਅੰਡਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਫ ਪੋਸਟਿੰਗ ਭੇਜੇ ਹਨ, 28 ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ 6 ਤਾਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਘਾ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ । ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,50,000 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਗਲ ਹੈ । ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਛਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਉ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]
1,50,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਅਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ 75,000 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੜੇ ਦੇ ਭਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਭਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 1,50,000 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 42,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟ ਹੈ । ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਬਾਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੇਬਾਰੇਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਬੋਹਰ ਫਾਰਮ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਤਾ । ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਧੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਉਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 4 ਮਣ ਸ਼ਲਗਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਿਆ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਬੀਜ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 3,300 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਐਗਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਪਾਹ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਕੈਂਡੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਕਸਡ ਤੇ ਅਡਲਟ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਐਗਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਛੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ।

ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਐਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਨਿਰਖਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ।

ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਰਿਆਇਤੀ ਨਿਰਖਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਥੇ ਘਟ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਹਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖਿਲੌਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਰਖ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਮਲੀਮੈਂਟਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ । 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਲ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਪਜ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ।

ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਤਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਦਿਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਸੀਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਸਸਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਡੀਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਾਪੇਗੇਸ਼ਨ ਲਈ 96 ਲਖ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ 3 ਲਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਲਈ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 96 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਡੀਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕਠਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ, ਡਿਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਇਸ ਪਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਕੈਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਪੇਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੀਪ-ਕਮ--ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਗਡੀਆਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਿਅ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 2,500 ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਦੀ ਭਰੀ ਚੁਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਪਜ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰਜ ਕੇ ਖਾਹ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ 6 ਦਫਾ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ 24 ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਤੇ 12 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਸਮਾਂ ਚਾਰੇ ਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 12 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਤੇ 24 ਬੈਲ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਪਾਹ 13% ਤੇ ਚਾਰਾ ?5% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਪਾਹ 19% ਤੇ ਚਾਰਾ 19% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ 25% ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ 42·28 ਯੂਨਿਟ ਹਾਇਰਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਾਇਰਡ ਲੇਬਰ 20·25 ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ 48.83 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡੀਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਪਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫ਼ੀਲਡ ਆਇਲ ਲੁਬਰੀਕੇਂਟਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾ ਡੇਢ, ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ $3\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 100 ਗੈਲਨ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Deputy Speaker : Kindly wind up.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਅਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 5,36,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ । ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰੁਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 1954 ਦੀ ਵਾਲਿਊਮ II ਪੈਰਾ 29 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 60 % ਉਪਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਜੋ ਉਪਜ ਵਿਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ, ਤੇ ਟਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸਫਾ 383 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60% ਕਣਕ, 65% ਕਪਾਹ ਤੇ 70% ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮਾਰਕਿਟ ਸਰਪਲਸ 50% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ । ਮਾਲ-ਗੁਦਾਮ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡ ਹਨ । ਐਵੇਂ ਨਾਉਂ-ਮਾਤਰ ਸ਼ੈਡ ਹਨ । ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਮਧਰੀਕ ਸ਼ੈਡ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਬਾਬੂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ । ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵੇ ਜੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 60% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ 40% ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ । ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸੁਭਾਗ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]

ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ ਦਸ ਆਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਈਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ-ਅਜ਼-ਕਮ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਪਲਾਨਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਫ਼ੇਅਰ ਪਰਾਈਸ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1954—57 ਤਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 185.31 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ 15½ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 15 ਜਾਂ 15½ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚੇ 14 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਢ ਲਈਏ ਤਾਂ 5.11 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੋਰਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨੀਅਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਕੀਮਤ ਨੀਅਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਬੀਨ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛਡ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਆਦਮੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਰਾਈਸ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ। ਜੋ ਯਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫਲੋਰ ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਗ ਸਟੇਪਲ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ 795 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,165 ਰੁਪਏ ਤਕ ਫੀ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਭਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਲੋਰ ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧ ਮੁਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 1929 ਦੇ ਨਿਰਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ । ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ $1\frac{1}{2}$ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ । ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

4.00 P. M.

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਡਿਮਾਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ । ਖਾਦ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ' ਨਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟਾਫ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਣ । ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਵਧ ਉਪਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]

ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਥੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਤੋਂ $2\frac{1}{4}$ ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ । ਏਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 83 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਾਈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿਸਾ

ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਯਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 79 % ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 % ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਜੁਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਵੱਜੁਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 6 ਪਰਸੈਂਟ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੰਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਇਕ ਬੰਦੇ ਚਾਲਾਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਉਂ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਫਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਉਂ ਮਾਤ੍ਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦੇ ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਉ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਾਤੇ-ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣ । ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਉਂ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਐਸੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਾਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗ ਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰੋਵੀਯਨ ਵੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : 36 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : 36 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮਨਿਸਟਰ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਤੱਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਫਾਰਮਾਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਵਗੈਰਾ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਾਕਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15% ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦਸਣ ਲਈ ਲਫਜ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨੈਗਲੈਕਟਿਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਲਿਉਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਢੋਲਣ, ਚਚਰਾਲੀ, ਦਾਰਦੇਕੇ ਡੱਲਾ, ਮੱਲਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਲੱਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : Wind up ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਲਉਗੇ ? (The hon. Member should please wind up. How much more time will he take?)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ।

ਮੈਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਇਹ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਵਜੁ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਡਰੇਨਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਆਦ, ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਡਰੇਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਤ ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ... ...

चौधरी नेतराम : श्रान ए प्वाइंट आफ आर्डर मैडम । मैं यह जानना चाहता हूँ कि हाउस में कोरम के लिए कितनी गिनती चाहिए ?

उपाध्यक्षा : कोरम पूरा है। गिनती 16 है। (The quorum is there. Sixteen Members are needed for that).

चौधरी नेतराम : नहीं जी, 16 की गिनती नहीं है।

(*At this Stage the quorum bells were sounded and the House proceeded with the business when the quorum was complete.*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ

ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਅਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੇੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਤਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਾਣੇ ਲੈਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਫੇਰ ਲੁਟ ਮਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਉ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਉ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਹਾ ਕੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਹ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ... ...

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹੋ। (The hon. Member was speaking quite nicely, why has he gone off the track now.)

ਅਵਾਜ਼ਾਂ : ਇਹ ਜ਼ਿਬਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ? (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ . ਤੁਸੀ ਇਨ ਜ਼ਿਬਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ। (The hon Member should with draw the word 'Zivah'.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ੮੦ ਫੀ ਸਦੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਜੂਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅਪਣੇ ਸਾਰ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਓ ਮੰਗਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ੧੫/੧੬ ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੀਚਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਉ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਉ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਉ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ । ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਡਲ-ਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਲੁਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰਖ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਉ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੈ । ਇਸ ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 'ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉ' ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । (ਘੰਟੀ) ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । (ਜੋ) ਅਸਲ ਮੁਵੇਸ਼ੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ । ਮੁਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਤਵਜੁਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । (ਘੰਟੀ) ਤਾਕਿ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੋ 5/7 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਰਖੇ ਹਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਇਕ ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਦ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਗੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਦ ਲਈ ਵਧ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਗੇ ।

Captain Rattan Singh (Garhshankar) : Madam Deputy Speaker, through you, I would like to congratulate the Honourable Minister for Agriculture for making a provision in the budget a little more this year than the last year, in spite of the present Emergency. I would have wished that this budget might have been more than what it is, but due to financial stringency, we are trying to make the best of a bad bargain. We have, madam, shown alround improvement in per acre yield over the last ten years.

Voices : Please speak in Hindi or Punjabi.

Captain Rattan Singh : I have got the Statistical Abstract. If any Honourable Member wants to see the figures regarding the yield per acre, he can see them. The yield per acre in all the crops in our State is practically

the best in India, although we have not shown higher yields in sugarcane and cotton as we should have done. I am very sorry to point out that in spite of the fact that we in Punjab have the best yields in our country, but as compared with the other modern countries which have developed their agriculture on most scientific lines, we are far behind them. I will take only cotton. Our average yield of cotton (American variety) is hardly 280 pounds per acre. In other countries, this variety yields 30 maunds per acre, or nearly ten times more than we get here. Our yield is only three maunds per acre. We should also aim at 30 maunds per acre. But, this is possible, madam, only through mechanisation. Farmers in the Abohar area have produced this yield, but their number is quite negligible. Why cannot the others do this, is the question before us ? I must bring to your notice, madam, that agriculture, our biggest industry, is mis-managed, ill-managed, and also financially the capital that is utilized on it, is the minimum, compared to any other country in the world. I would, therefore, request the Minister that he should pay more attention to make the farmer more progressive. In fact, we have reached a limit. I can tell you, madam, that if we do not have mechanised cultivation by tractors, etc., we will become static. The break-through is not possible through bullock power. It can come through mechanical power only. Some of our friends have been recommending that we must work with our bullocks. I may assure them that unless they desist from that preaching, we will not be able to go beyond a limit where we are to-day, in the development of agriculture.

एक माननीय सदस्य : आनरेब्ल मैम्बर को कहें कि हिन्दी अथवा पंजाबी में अपनी स्पीच करें ताकि सब को समझ आ जाए।

उपाध्यक्षा : अगर माननीय सदस्य अंग्रेज़ी की बजाए हिन्दी में बोलें तो अच्छा है। (It would be better if the hon. Member were to deliver his speech in Hindi instead of English).

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम। कैप्टन रत्न सिंह जी ने काटन के बारे में बताया है। मैं आनरेबल मैम्बर को रिक्वैस्ट करता हूँ कि वह मक्की के स्कैंडल के बारे में भी बताएं जो कि 18 रुपए खरीदी जाती है और 40 रुपए बेची जाती है।

उपाध्यक्षा : दिस इज़ नो प्वाइंट आफ आर्डर। जब आप को टाईम मिलेगा तो आप ने कह लेना। (This is no point of order. The hon. Member may say so in his speech.)

Captain Rattan Singh : I can only sympathise with the ignorance of the Honourable Member. I will not involve myself in any controversy. I only pity him. The break-through is to come through mechanical power. We must realise that our holdings, which are very small, being only 4/5 acres, cannot be worked economically by the bullocks. We have to bear in mind the cost of the bullocks, their up-keep and the man, who works behind the bullocks. This man will not be able to think intelligently after putting in full day's hard labour, and if there is no intelligence behind any work, that proposition will not be paying. I can assure my friends through you, madam, that Japan has smaller holdings than even we have in this country, but their income per acre is much higher than us simply because they have adopted mechanical means of cultivation. In a very short span, they have changed over to tractor cultivation from hand cultivation. My friend, Sardar Gurmit Singh, pleaded for establishing a farming school at Abohar

[Captain Rattan Singh]
and for arranging jeep-cum-tractors for cultivators. But, due to the present Emergency, such projects have been kept in abeyance.

I was just going to tell you, madam, that we have to improve the lot of the farmer in the Punjab. There were two items in the Demand to which I would wish to draw your attention too. One is the scheme for intensification of grapevine cultivation in the Punjab during the year and the other is the Parvati Project. We have earmarked only a lakh of rupees for grapevine cultivation. This is not enough. I would request the Honourable Minister to allot more funds for this purpose. The minimum investment required for it is Rs 1,500 per acre. It may, however, vary from Rs 1,500 to Rs 3,000 per acre for carrying out such a scheme. The Government will have to advance loans to farmers for this purpose. The income derived therefrom may vary from Rs 10,000 to Rs 30,000 per acre. I must draw the attention of the Minister that the Punjab in the last few years has developed and progressed very much in the development of potatoes cultivation.

Deputy Speaker : Please wind up.

Captain Rattan Singh : I shall take another five minutes, Madam.

Deputy Speaker : No, please, it is not the discretion of the hon. Member.

Captain Rattan Singh : All right, Madam.

Madam, I was going to say that the farmer in our State has lost whatever he invested in sowing the potato because the price of potato was very low. I do not know why we have not gone to our neighbours in Far East and Middle East countries where we can push up the export of potatoes, onions and chillies. A lot of incentive is being given to industry for earning foreign exchange. I would suggest to the hon. Chief Minister, who is also the Industries Minister that a team should be sent out to find out the possibilities of exporting these three crops, which we can raise abundantly in Punjab. This will help improve the condition of the farmer and will earn foreign exchange as well. Therefore, I would suggest that immediate steps should be taken in this direction so that we can export potatoes chillies and onions.

Deputy Speaker : The hon. Member should please wind up now.

Captain Rattan Singh : All right, Madam. Finally I would say that we must modernize our agriculture. We have no doubt made attempts in this direction. But modernization is a continuous process. Therefore we must not stop with the plough and the subsidy that is being given under this head (*Laughter by Minister for Agriculture*). Since the hon. Minister has himself laughed, I won't laugh but it is really ridiculous. If you want to increase production you have to increase and improve your implements ; you have to improve your plant-protection measures and you have to see that your intensity per acre increases. Our intensity with the irrigational facilities that we have is very very poor (*Bells*).

Madam, one point more and I have done, and that is that the Agriculture Department spent a lot of time last year in the division of work between the Agriculture University and the Department itself. Now this has been crystalized. So, I would request the hon. Minister to see that the departmental heads spend more time in the field than on the files because this is one thing that I have found out that most of our officers who can

direct on the files do not give directions in the field and I think without proper direction in the field, it is difficult to achieve encouraging results.

Madam, if I have your permission, I would like to......

Deputy Speaker : The hon. Member is to teach discipline to others. He should be mindful of his responsibility.

Captain Rattan Singh : All right, Madam. Thank you please.

चौधरी राम सिंह (जींद) : श्रीमती डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज की डीमांड का सूबे के सारे महकमों के साथ डायरैक्ट ताल्लुक है। एग्रीकल्चर को हम किसी भी चीज़ से अलग नहीं कर सकते। इलैक्ट्रिसिटी, रोड्ज़, कोआप्रेशन आदि सभी ऐसी चीजें हैं जो एलाईड हैं और इस के साथ वाबस्ता हैं। मैं 1947 से 1952 तक की फिगर्ज़ पेश करता हूँ और फिर 1952 से 1960 तक की फिगर्ज़ पेश करता हूँ और इन का कम्पैरीज़न करता हूँ। फिर हम आए साल जापान और अमरीका के फिगर्ज़ लेकर देश की और तमाम असैम्बलीज़ में पेश करते रहते हैं। और यह बात लगातार 1947 से आज तक की जा रही है। अगर यह सारे टारगेट हम पूरे कर सकें तो हमें बाहर से अनाज मंगवाने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यह टारगेट तो वज़ीर साहिबान की फाईल्ज़ में ही रहते हैं। वरना यह कैसे मुमकिन है कि हम अपने टारगेट पूरे करने के बावजूद अनाज बाहर से मंगवाएं। आप ने इलैक्शन्ज़ लड़े हैं, आप अपने हलकों में गए होंगे और आप ने देखा होगा कि पंजाब में लाखों बीघा ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, जो कि बहुत ज़रखेज़ है। जो ज़मीन ज़ेरकाश्त है उस पर बहुत प्रैशर दिया जाता है। एग्रीकल्चेर के अफसर लेकचर देते हैं, एन. ई. एस. बलोक्स के ज़रिये ग्रो मोर फूड पर ज़ोर दिया जाता है और कहा जाता है कि ज़मींदारों को पैदावार बढ़ानी चाहिये। यहां पर मेरे दोस्त मिसालें देते हैं कि जापान में यह हो रहा है, चीन में यह हो रहा है और अमरीका के अन्दर इस तरह से खेती की जाती है। हमारे एक दोस्त जो इस समय हाउस में नहीं बैठे, चीन गए थे, उन्हों ने वहां पर कम्युनिस्टों का तजरुबा देखा कि उन्हों ने तमाम चिड़ियां मार कर खत्म कर दीं। जैसे हम यहां पर बंदर मारा करते थे, शायद आज भी वह स्कीम चालू हो। चीन ने यह हुक्म दिया कि चिड़ियां बहुत दाने खाती हैं और करोड़ों चिड़ियां तो करोड़ों मन अन्न खा जाती हैं इन को समाप्त कर दो। चुनांचि उन्हों ने तमाम चिड़ियां खत्म कर दीं। मेरे दोस्त ने यहां पर लैकचर दिया कि चीन इस तरह से तरक्की कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दरअसल हमारे हां औरतों ने ज्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दिये इस लिये हमारी पैदावार बढ़ती हुई आबादी के साथ कंम्पीट नहीं कर सकी वरना हमारे हां अनाज काफी पैदा होता था। चिड़ियां मारने से कुछ नहीं होता।

Deputy Speaker : The hon. Members should use decent language.

चौधरी राम सिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि कुदरत ने कोई चीज़ फालतू पैदा नहीं की। चिड़ियां उन कीड़ों को खाया करती थीं जो कि खड़ी क्राप को डेमेज करते हैं। नतीजा यह हुआ कि चिड़ियां खत्म करने से कीड़े बहुत ज्यादा हो गए और उन्हों ने क्राप डेमेज कर दीं और कहत पड़ गया। कुदरत का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता।

Deputy Speaker : A reference was made to Japan and not to China.

चौधरी राम सिंह : मुझे उन की बातों का जवाब नहीं देना है मैं ने तो अपनी बात कहनी है। मैं कह रहा था कि हम को अपने देश के हालात के मुताबिक तजरुबा करना चाहिये। हमारे देश में खेती-बाड़ी के लिए, पानी के लिये नहरों पर ज़्यादा डिपैंड किया जाता है। नहरें कुदरत पर डिपैंड करती हैं। अगर दरियाए जमुना, सतलुज और बयास में पानी नहीं होगा तो नहरों में पानी कहां से आएगा ? जमुना में पानी की बहुत कमी रही, नहरों में पानी न आया और बारिश भी कम होने की वजह से हरियाने में रबी की तमाम फसल तबाह हो गई। कुछ ऐसे तरीके सोचे जाने चाहियें कि जिन से अरबों मन पानी जो ज़मीन के अन्दर हर समय जमा रहता है उस को हासिल किया जा सके। किसी साल वर्फ नहीं पड़ती और किसी साल बारिश नहीं होती लेकिन अगर हम ज़मीन के नीचे वाले खज़ाने को हासिल कर लें तो हमें पानी की कमी नहीं होगी। अगर ट्यूब-वैल लगा कर ज़मीन से पानी निकालना शुरू कर दें तो मैं कह सकता हूँ कि अकेला पंजाब इतना अनाज पैदा कर सकता है कि तमाम हिन्दुस्तान को काफी होगा। मास्टर जी ने अमरीका की मिसाल दी है। उन को पता नहीं कि अमरीका की बीस फीसदी ज़मीन लैंड इरोज़न की वजह से तबाह हो गई है अब वह देश भी हम को ज्यादा देर तक अन्न नहीं दे सकेगा। हम को स्पून फीडिंग पर डिपैंड नहीं करना चाहिये। अपने रिसोर्सिज़ टैप करने चाहियें। सरकार रुपया खर्च करती है लेकिन इस का रुपया खर्च करने का ढंग ग़लत है। इस की बजट प्रणाली ग़लत है। यह कल्चर पर चलती है लेकिन कल्चर तो प्राइवेट काम है सरकार का काम नहीं है।

Deputy Speaker : The hon. Member should try to be relevant and wind up his speech.

चौधरी राम सिंह : जी मैंने तो अभी कहा ही कुछ नहीं है। मैं मास्टर जी से डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने के लिये हमारे इंजीनियर्ज़ को क्या करना चाहिये। मास्टर जी टेक्नीकल आदमी नहीं हैं इस लिये वह सारी चीज़ को समझ नहीं सकते। वहखुद मानते हैं कि वह एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट नहीं हैं। मैं आप के ज़रिये उन को बताना चाहता हूँ कि जहां तक ज़मीन की ज़रखेज़ी का ताल्लुक है इस अंग्रेज़ी खाद को जिसे इनआरगैनिक खाद भी कहते हैं, अगर इसी तरह से इस्तेमाल किया गया जिस तरह कि आप ज़ोर दे रहे हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह देना चाहता हूँ कि सौ साल तक सारा मुल्क रेगिस्तान बन जाएगा। जब तक आरगैनिक खाद, हरी खाद, गोबर की खाद का इस्तेमाल काफी मिकदार में न हो तब तक अनाज की पैदावार नहीं बढ़ सकती और जो ज़मीन है यह बढ़ती हुई आबादी का बोझ नहीं बरदाश्त कर सकती। इस के अलावा मैं हैरान हूँ कि गांव के अन्दर पशुओं को चराने के लिये तो गुंजायश छोड़ी ही नहीं गई। बावजूद इस बात के कि आप ने विलेज कामन लैंड्ज़ एक्ट बनाया, यूटिलाइज़ेशन आफ वैस्ट लैंड्ज़ एक्ट बनाया और गांव के अन्दर एक इंच जगह नहीं मिलती जहां पर डंगर खड़े हो सकें। आज हालत यह है कि किसी भी ज़मींदार के पास सिवाय दो बैलों या एक आध भैंस के और डंगर रहे ही नहीं। जब कि पहिले उन के पास कितनी कितनी भैंसें हुआ करती थीं और दूध का व्यापार उन का साईड बिज़नेस हुआ करता था। आप बेशक अपनी तरफ से टारगैट्स मुकर्रर करते जाओ कि इतने सालों में पैदावार इतनी बढ़ाई जाएगी लेकिन मैं आप को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़मीन से इतनी ही उपज होगी जितनी पहिले हुआ करती थी, जितनी आज होती है। उन्नीस बीस का फर्क हो तो हो लेकिन ज्यादा नहीं हो सकी और न हो सकती

है। उन की आमदन नहीं बढ़ सकती। आज अगर आप देखें तो पंद्रह सौ रुपए का एक बैल ही आता है। पंद्रह सौ रुपए की एक ज़मींदार की साल की फसल नहीं होती। लेकिन बैलों को चराने के लिये, जो एकाध भैंस उस के पास होती है उसके लिये चरागाहें गांव में नहीं छोड़ीं। दिन रात वह मेहनत करके आप के लिये अनाज पैदा करता है। बजाय उसको कोई इनाम देने के अब इस बजट में पांच रुपए फी एकड़ का रैविन्यु बढ़ा दिया है (घंटी) पंद्रह दिनों में मैं पहिली बार ही तो बोल रहा हूँ। खैर, जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो मैं मास्टर जी का ध्यान एक बात की तरफ और दिलाता हूँ। आप ने क्राप इंशोरैंस की स्कीम रखी। यह है तो एक बहुत टैक्नीकल चीज़ लेकिन मैं उन को बताता हूँ कि इस सिलसिले में एक चीज़ और करो। आप ज़मींदार के डंगर की इंशोरैंस क्यों नहीं चालू करते। जब फसल के दिनों में ज़मींदार का हज़ार पंद्रह सौ रुपए का बैल मर जाता है तो उस की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तहसीलदार उसे 150 रुपए दे देता है तो क्या 150 रुपए से बैल खरीदा जा सकता है? नहीं। नतीजा यह होता है कि उन रुपयों को वह ज़मींदार शराब में ही ज़ाया कर देता है। इसलिये मैं आप को सुझाव दूंगा कि उसके बैलों की भी इंशोरैंस करो ताकि उसे कोई राहत तो मिले। 150 रुपए में तो बकरी भी नहीं मिलती बैल क्या खरीदेगा। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : मेहरबानी करके अब आप तशरीफ रखिए। (The hon. Member should resume his seat now.)

चौधरी राम सिंह : अभी खत्म करता हूँ। बेशक मास्टर जी इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हैं फिर भी वह इस बात को ख़्याल में रखकर बैलों की इंशोरैंस को शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा।

आखिर में बीजों के मुताल्लिक एक बात कहकर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। देहली में बीजों की इन की अपनी एक कम्पनी बनी हुई है। 40 रुपए मन वहां जाता है, 18 रुपए मन मक्की के बीज का रेट है लेकिन हम को देहातों में जाकर वह 60 रुपए मन मिलता है। अव्वल तो मिलता ही नहीं और अगर बीज ज़मींदारों को मिल भी जाए तो इतना महंगा मिलता है। और गेहूँ का बीज तो उस वक्त देहात में आता है जब कि गेहूँ की फसल एक एक फुट ऊंची हो चुकी होती है। बाजरे और जवार का बीज तो मिलता ही नहीं। रिटेल डीलर्ज़ के पास ही बिक जाता है। जो बीज गवर्नमैंट की तरफ से सप्लाई होता है वह आज तक गांव के अन्दर नहीं पहुँचा। इसलिये मैं प्रार्थना करूँगा कि इस तरफ ज़रूर ध्यान दें।

उपाध्यक्षा : चौधरी राम सिंह जी, अब आप बैठ जाइए। बहुत कुछ कह लिया है आप ने। दूसरों को भी मौका दीजिए। (I would request Chaudhri Ram Singh to resume his seat. He has said enough. Others may also be given a chance to have theire say.)

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला (सरहंद) : मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज दुनिया में जितने अहम सवाल हैं उन में खुराक का मसला अगर सब से ज्यादा अहम नहीं तो दूसरा अहम मसला तो ज़रूर है। अभी अभी दुनिया के अन्दर भूख के खिलाफ़ आन्दोलन किया गया। सारी दुनिया के नुमाइन्दे इकट्ठे हुए। उन्होंने इस पर सोचा, ग़ौर किया—खास तौर पर अनडिवैलप्ड या अंडरडिवैलप्ड मुल्कों के बारे में जिनमें हिन्दुस्तान भी शामिल

[सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला]
है । इसलिये हमारे लिए तो यह खुराक का मसला और भी ज्यादा अहमियत रखता है । युनाइटिड नेशन्ज़ भी आज 'फूड फार आल' कहता है यानी सब को खुराक मुहैया की जाए । क्यों की जाए ? उन का कहना है कि भूखी दुनिया कभी पीसफुल वर्ल्ड नहीं हो सकती । यही वजह है कि आज दुनिया के अन्दर हर तरफ खिचाव है । जब यह मसला इतना अहम हो तो कुदरती तौर पर यह देखना पड़ेगा कि इसको हल कैसे करना है । इस के लिये हमें अपने मुल्क पर और दूसरे मुल्कों पर निगाह डालनी होगी । जहां मग़रबी देशों के अन्दर इंडस्ट्रियल रैवोल्यूशन्ज़ हुए वहां आज से दो सौ साल पहिले की हिस्ट्री को अगर देखें तो एग्रीकल्चरल रैवोल्यूशन्ज़ भी हुए और मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने मुल्क के अन्दर इस तरीके से नहीं सोचेंगे एग्रीकल्चरल सिस्टम को रैवोल्यूशनाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और जिस तरीके से हम इस मुल्क में ज़रायत के मसले को, खुराक के मसले को हल करने की कोशिश पिछले पन्द्रह सालों से कर रहे हैं उसी तरह से करते रहे तो मैं समझता हूँ कि इसका हल हम शायद एक लम्बे अर्सा तक न कर पायें । जैसे हमने हर शोबे में दुनिया के दूसरे तरक्की याफता मुल्कों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की है हमें इस सिलसिले में भी उन के तजरुबा से फायदा उठाना होगा लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि एग्रीकल्चर के नुक्तानिगाह को या तो नज़र अन्दाज़ किया गया है या इसकी अहमियत का ख्याल नहीं रखा गया । हमें अपने 'ग्रो मोर फूड कैम्पेन' को इस कदर एक्सैलरेट करना चाहिये कि हम अपने ही मुल्क में इतना अनाज पैदा कर पायें जिस से हम दूसरे मुल्कों के दस्ते निगर न रहें लेकिन जो इकदामात किए गए हैं उनकी बाबत ज्यादा तो नहीं कहता । शेखसाअदी का कौल याद आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मक्का जाने के लिए मक्का का रास्ता पकड़ना चाहिये, तुर्किस्तान का नहीं । आप देखेंगे कि मग़रबी मुमालिक ने इस मसले का हल कैसे किया ? उन्होंने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से मैकेनाइज़ कर दिया । इस लिये हमारे लिये भी यह पहली चीज़ है कि हम

5.00 p.m.

एग्रीकल्चर को मैकेनाइज़ करें और अगर कोई दूसरी चीज़ ज़रूरी है तो मैं उस का नाम कैमिकलाइज़ेशन ले सकता हूँ ।

(कम्युनिस्ट ग्रुप के एक माननीय सदस्य की ओर से विघ्न)

मैं अर्ज़ करता हूं कि लिट्रेचर बहुत मुहैया किया गया है । दो चीज़ें हैं जो उन्हों ने अपनाई हैं--मैकेनाइज़ेशन पहली चीज़ है ।

यह सब से ज़रूरी चीज़ है, अगर हम खेतीबाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं । हम ने देश में खुद कोशिश की है और ट्रैक्टर लिये हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पांच सात साल के बाद वह ट्रैक्टर भी फेल हो रहे हैं और अब लोग ट्रैक्टर के इस्तेमाल करने से गुरेज़ कर रहे हैं । हालात ऐसे हैं कि इन का इस्तेमाल करना नामुमकिन सा होता जा रहा है । अभी मेरे दोस्त सरदार गुरमीत सिंह मीत ने कहा है कि डीज़ल आयल बड़ा महंगा हो गया है । तो अब कोई कैसे ट्रैक्टर चलाएगा । फिर उन की मुरम्मतों के लिये कोई वर्कशाप नहीं है । अगर मार्शल किस्म के ट्रैक्टर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो उसे रीप्लेस करना मुश्किल हो जाता है । यहां तक कि वह दिल्ली से भी नहीं मिलता और बाज़ दफा उसे बम्बई से मंगवाना पड़ता है । इस तरह से मैकेनाइज़ेशन कैसे हो सकेगी । लेकिन अब मैकेनाइज़ेशन के बगैर हमारी निजात नहीं है । दूसरे देशों का लिट्रेचर जो मैं ने देखा है उस से पता चलता है कि उन्हों ने 25 साल के अर्सा में 60 फी सदी ज्यादा अनाज पैदा किया

है । और वहां यह जो इज़ाफा किया गया है वह उस ज़मीन में से किया गया है जिस में पहले काश्त होती थी ; यह इज़ाफा हमारी तरह नया रक्बा काश्त कर के नहीं किया गया । आप यहां की फिगर्ज़ देखें तो आप को पता चलेगा कि यहां पैदावार में जो इज़ाफा हुआ है वह सिर्फ नया रक्बा ज़ेर काश्त लाने की वजह से हुआ है । यहां फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ी । 1948-49 से लेकर 1961-62 तक गंदम जो हमारी स्टेपल फूड है उस की काश्त के लिए जितने रक्बे में इज़ाफा हुआ है वह है 20 लाख 88 हज़ार एकड़ । जब रक्बा जो गंदम के लिए ज़ेर काश्त था, में इतना इज़ाफा इस अर्सा में हुआ तो कुदरती तौर पर पैदावार बढ़नी ही थी । मेरी मालूमात के मुताबिक हम फी एकड़ पैदावार गंदम की नहीं बढ़ा सके । जब 20 लाख 88 हज़ार एकड़ ज़ेर काश्त रक्बा बढ़ा हो और चार या पांच मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार हुई हो तो ज़रूरी है कि आन दि होल पैदावार में इज़ाफा हो । मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब वह स्टेज आ गई है जब यह पैदावार स्टैगनैंट हो जाएगी और बढ़ेगी नहीं जब तक हम फी एकड़ इसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे । मैं आबादी की फिगर्ज़ भी देखता रहा हूँ । अनाज की पैदावार के मुकाबिला में आबादी ज्यादा बढ़ रही है । अगर इन फिगर्ज़ को देखा जाए जो हमें मरदमशुमारी की रिपोर्टों में दी जाती हैं तो पता चलता है कि 10 साल के अन्दर शायद 30 फी सदी आबादी बढ़ गई है और आयंदा दस साल के अन्दर आबादी 30 फी सदी और बढ़ेगी । पैदावार में फी एकड़ हम ज़रा भी इज़ाफा नहीं पा रहे । यही वजह है कि पण्डित जवाहर लाल जी नेहरु और श्री एस. के. पाटिल इस बात पर बार बार ज़ोर देते हैं । दरहकीकत यह बड़ा गम्भीर और अहम मसला है । मैं समझता हूं कि जब तक गवर्नमैंट अपनी पूरी तवज्जुह इस तरफ नहीं देगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकेगा । मैं बजट में देखता हूँ कि बहुत सी स्कीमें एक वक्त पर जारी कर दी हैं । कुछ हज़ार यहां पर खर्च कर दिया, कुछ लाख वहां खर्च कर दिया और कुछ लाख कहीं और खर्च कर दिया लेकिन जो नतीजा है उस का सम टोटल कुछ भी नहीं बनता । इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि ज़रूरत इस बात की है कि कुछ मदों को लेकर उन पर कान्सैंट्रेट किया जाए तब जाकर हमारे मुल्क की निजात होगी ।

फिर यह कहा जाता है कि हमारे देश में कमाद और अमैरिकन कपास की पैदावार भी बढ़ी है । यह ठीक है लेकिन यह भी इस लिये बढ़ी है क्योंकि इन फसलों के ज़ेर काश्त रकबे में भी इज़ाफा हुआ है । जहां यह रक्बा 1948-49 में 46 हज़ार एकड़ था वहां यह बढ़ कर 1961-62 में 652 हज़ार एकड़ हो गया था । जब इन फसलों के ज़ेर काश्त रक्बा इतना बढ़ा हो तो कुदरती तौर पर इन फसलों की पैदावार भी बढ़ जानी थी । फी एकड़ पैदावार में कोई नुमायां तरक्की नहीं हुई । इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां एग्रीकल्चर में मैकेनाइज़ेशन की ज़रूरत है वहां इस के कैमीकलाइज़ेशन की भी ज़रूरत है । अब इस के लिए वक्त आ गया है लेकिन अब कैश क्राप्स की पैदावार पर हमारी सरकार ने टैक्स लगा दिया है । यह टैक्स पांच रुपए फी एकड़ के हिसाब से लगाया गया है । इस टैक्स के लगाने के लिए हमारे रैविन्यू मिनिस्टर ने उस दिन बिल भी पेश कर दिया था । मेरा ख्याल है कि शायद उन्हों ने देहात का दौरा कर के वहां के असली हालात को नहीं देखा कि किस तरह से सारा कमाद दीमक खुर्दा हो गया था . . . . (घंटी की आवाज़)

Deputy Speaker : Will you please wind up?

Sardar Gian Singh Rarewala : Not so soon. I would request you to give me at least ten minutes more.

तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि उस वक्त इन्हों ने यह नहीं देखा कि कमाद को बचाने के लिए कोई इन्तज़ाम नहीं है। हमारी सरकार के पास कोई इन्तज़ाम नहीं है कि उन बीमारियों का इलाज कर सके। कोई इमदाद ज़मींदारों को नहीं पहुंचती। उम्मीद है कि ज़रायत के वज़ीर साहिब मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूँ कि वह इस तरफ पूरी तवज्जुह नहीं दे पाए। वह खुद देहात से आए हैं और देहात में दौरा करते रहते हैं, उन्हों ने अब ज़मींदारों की जो हालत है देखी होगी। अभी अभी मेरे एक भाई ने यह बताया था कि देहात के ज़मींदार आज कर्ज़ से दबे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जब सर छोटू राम नें ज़मींदारों की मदद कर के उन्हें कर्ज़े से निजात दिलाने की कोशिश की थी, उस वक्त जितना कर्ज़ा ज़मींदारों के ऊपर था उतना ही कर्ज़ आज भी उन पर है। आज भी देहात के 90 फीसदी ज़मींदार मकरूज़ हैं। अगर वह मकरूज़ हैं तो उन की हालत बेहतर होने की बात कुछ मायने नहीं रखती। यह अलग बात है कि अब उन्हों ने कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ से कर्ज़ा लिया हुआ है या और कहीं से लिया हुआ है।

एक माननीय सदस्य : उन्हों ने सरकार से तकावियां भी ली हुई हैं।

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : मैं तकावियों का ज़िक्र नहीं करता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ज़मींदारों पर आज इतना बोझ है कि वह अपनी हालत को आप बदलनें की कोशिश भी नहीं कर सकते।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि एग्रीकल्चर में कैमिकलाइज़ेशन लाने की कोशिश की जाए। आज यहां इन्सैक्टिसाइड्ज़ और प्लांट प्रोटैक्शन का कोई इन्तज़ाम नहीं है। मैं इन चीज़ों की डिटेल्ज़ में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम थोड़ा है। इसलिये इन बातों की तरफ इशारतन कुछ अर्ज़ करूँगा।

कम्युनिटी डिवैल्पमैंट का जो महकमा बनाया गया है और उस के नीचे जो विलेज लैवल वर्कर्ज़ छोड़े गए हैं इस बारे में मैं यह अर्ज़ करूँगा कि यह शीयर वैस्ट आफ गवर्नमैंट मनी है और पब्लिक फंड्ज़ को बरबाद किया जा रहा है। अगर किसी भाई को यह ख्याल हो गया है कि विलेज लैवल वर्कर्ज़ कुछ काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वह धोखे में हैं। विलेज लैवल वर्कर किस कैटेगरी में से रखे गए हैं। वह एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते। उनको खत्म करना चाहिये। वह सिवाए नावल पढ़ने के और क्या करते हैं? हां कभी किसी से चिट ज़रूर जा कर ले लेते हैं कि उसे कौन सा कैमिकल चाहिये। इसलिये उनको खत्म किया जाना चाहिये। मैं इस बात का मुद्दाह हूँ कि ऐग्रीकल्चर महकमे को मज़बूत किया जाए।

अब मैं इसके बाद ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो दिमाग में यह ख्याल था कि इस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन असली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी भी तो आदमियों के बिना काम नहीं कर सकती। जब तक प्रापर आदमी प्रापर प्लेसिज़ पर तैनात न हो तब तक यह काम आगे नहीं चल सकेगा।

मैं मार्केटिंग कमेटी के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने एक सवाल किया था और उसका जवाब भी मिला था। उससे मिनिस्टर साहिब आप कनविंस हों तो हों लेकिन हाउस का कोई मैम्बर कनविंस नहीं हुआ। यह मालूम नहीं हुआ कि मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन को लगाते वक्त क्या क्राइटीरियन रखा गया। कमेटियों के लिये हुक्म जो जारी होते हैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ कि 5 तारीख को यह हुक्म होता है कि 15 तारीख तक हर मार्किट कमेटी का रैस्ट हाउस बना हुआ होना चाहिये। लेकिन इतनी जल्दी वहां क्या हो सकता था। हुआ क्या, वह भी बताता हूँ। मैं जब बठिंडे गया तो वहां देखा कि सिर्फ एक कमरा था जो रैस्ट हाउस के नाम पर था। मैं जहां तक समझ पाया हूँ, वह यह है कि यह सब कुछ महज़ प्रापेगंडे की खातिर किया जाता है।

मैं सीड की तरफ भी मिनिस्टर साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब फसल का वक्त निकल जाता है तब सीड मुहैया करने की कोशिश की जाती है। इसको वक्त पर मिलना चाहिये। अभी आपोज़ीशन की तरफ से हाइब्रड मेज़ के बारे में कहा गया कि 1957-58 में इसकी मनौपली एक ही कंसर्न को दे दी गई और हमारी सरकार उससे 50 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदती रही। और वही लोगों में तकसीम करते रहे। जब सरकार ही 50 रुपए मन उसको खरीदती थी तो खर्च वगैरह सब मिला कर 60 रुपए के भाव पर किसान को दी जाती थी। लेकिन किसान इस महंगी भाव नहीं खरीद सकते थे तो वह मंडी में बिकती थी। और मैं सुनकर हैरान हो गया हूँ कि उन्हीं दोस्तों ने मिल कर एक और एग्रीकल्चर सोसाइटी बना ली, जो प्रोड्यूसर भी वही, बांटने वाले भी वही, और न बिके तो खरीदने वाले भी वही। इस तरह से जो फायदा गवर्नमैंट को 10 रुपए का किसानों से हो सकता था वह भी नहीं हुआ। मैं गवर्नमैंट से पूछना चाहता हूँ कि आया इसके मुताल्लिक गवर्नमैंट ने कोई इकदामात उठाए हैं। और आया यह सरकार ज़मींदारों को इसी 60 रुपए के भाव से खरीदते रहने के लिये मजबूर बनाए रहने देगी ? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि पंजाब में कोई भी ज़मींदार इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर इस पर कास्ट आफ प्रोडक्शन 10 रुपए ज़्यादा भी आए तो भी उसकी कीमत इतना ज़्यादा नहीं हो सकती। यह काबिले ऐतराज़ बात ही नहीं बल्कि काबिले ऐक्शन भी है। (घंटी) प्लैन प्रोडक्शन के बारे में भी यह कहना चाहता हूँ कि पैदावार बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और इसके सैंटर बन्द हो गए हैं। मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मार्फत गवर्नमैंट से यह कहने की जुर्रत करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में एक ग़लत प्रापेगंडा हो गया है कि पंजाब इंडस्ट्रियली बड़ा एडवांस हो गया है। यह बात मैं कह देना चाहता हूं कि आप सब देखेंगे कि 5, 6 साल बाद लुधियाना जिसका बड़ा चर्चा किया जाता है उसका क्या हश्र होगा।

जहां तक अनाज की पैदावार का सवाल है उसके बारे में यह हो रहा है कि लाखों एकड़ ज़मीन फ्लड की वजह से बरबाद हो गई है। और जिस ज़मीन से अच्छी पैदावार हो सकती थी वह भी खराब होती जा रही है। उसके रिक्लेमेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वह यह है कि छोटे छोटे पैचेज़ पर रिक्लेमेशन हो रही है और अगर इसी स्पीड से रिक्लेमेशन होती रही तो हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर को जो

[सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला]

प्रायर्टी मिलनी चाहिये वह दी जानी चाहिये । और खास तौर से इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये । थैंक यू, मैडम ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਮਦ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੁੜ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ੮੦ o/o ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ-ਵਾਹਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਲ ਵਾਹਕ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਦੋਂ ਤਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ 'ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ' ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਨੇਂਸੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਰਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ। (ਵਿਘਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹੋ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ (The time at our disposal is short.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਉਂ ਹੇਠ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਹੇਠ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਹੇਠ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਟੇਨੇਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਟ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80% ਜਾਂ 85%

ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸੇਮ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਓਸੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰਖੇ ਅਤੇ ਓਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ੨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ । (The hon. Member may please now wind up and help me.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੇ । ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਕਾਮਿਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਮੁਰਕ" ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । "ਮੁਰਕ" ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੁਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਅਬਲਖਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸਪਾਲੋਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਓਥੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਕਿ ਓਥੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਪਰ ਓਥੇ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਜ਼ਾਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਟਨੈਂਸੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਮੁਰਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੀਡਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਰ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਏ ਹਨ । ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਹਨ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸੈਕੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੋ । (The hon. Member may please say with responsibility).

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹਾਈਬਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਮੱਕੀ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਚਿਥੀ ਜਿਹੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਏਸੀ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਬਰਿਡ ਮੱਕੀ 6 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਬੀਜਨ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਢੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ 13 ਜਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੇਗਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦਾ ਯੋਗ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਗੰਨੇ ਉਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਉਤੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ੨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ । ਇਹ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ !! ਜੇ ਗੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਦੇ ਘਟ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ । (Sometimes the hon. Member may please speak less.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਨੌਤੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਕ ਨੌਤੋੜ ਦੇ ਸਵੇਂਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । (ਘੰਟੀ)

Deputy Speaker : Sardar Gurbakhsh Singh, will you take your seat ?

Captain Rattan Singh : On a point of personal explanation.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member should not rise on a point of personal explanation over minor matters).

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ (ਜਾਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਜ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਮਕਿਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਾਸ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਘਾ ਜਾਂ ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਟੁਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ । ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਨਾਣ ਜਾਂ ਚੰਗੇਰਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ । ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਸਨ । ਇਸ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 71.2 ਰੁਪਏ ਸੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਨਲ ਸੂਦ 348.38 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਵਿਆਜ 71.2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੀਨਲ ਸੂਦ 348.38 ਰੁਪਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਨੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਨੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਸੂਦ ਲੈਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮ ਚਮ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਘਟੋ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧ ਕੀਮਤ ਵਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਜਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ 12 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 13 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਭਾ ਤੇ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੁੰਜੇ ਲਥ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸ ਦੀਆਂ ਘਟੋ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਦਾਇਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਯੂ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਣਕ' ਮਕਈ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਜ ਦਾ ਘਟੋ ਘਟ ਮੁਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਖਾਦ, ਔਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਾਪ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੀਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ, ਹਰ ਤਸੀਲ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨਸ ਦੀਆਂ ਘਟੋ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੀਨਲ ਸੂਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ । (ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਅਰ ਸੰਭਾਲੀ ।)

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਥੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਗਏ । ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ? ਤੇ ਜਦੋਂ report ਆਈ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹਲ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੀਨਲ ਸੂਦ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖੇਗੀ । ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ।

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) ਅਜ ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼

[ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ। 70-80 ਪਰਸੈਂਟ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) (ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੇਅਰ ਸੰਭਾਲੀ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕਾਫੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : No interruption please.

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ..

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ। (The hon. Minister is being disturbed knowingly so that he may go off the track).

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗਲਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿਚ ਬੜੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ

ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨਾਪਲੀ ਹੈ । ਖਾਦ ਸਰਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਛਟਾਂਕ ਖਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਦ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । (ਵਿਘਨ)

Sardar Gurnam Singh : On a point of Order, Madam. The Chair should see that the dignity of the House is maintained and the Leader of the House should be more jealous of the dignity of the House. The hon. Chief Minister has crossed the line between the Chair and the Minister speaking, which he should not have done.

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖ ਦੀ ਲਾਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਏਥੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਖ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ । ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਆਂਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬੇਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ।

(Although the hon. Minister has used the words meeting of the eyes by the way yet the use of such words is not in good taste. It is my job to satisfy the point of order raised by Sardar Gurnam Singh. He has not done a proper thing by interfering in the matter. It would be better if the hon. Minister withdraws these words.)

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉਧਰੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

उपाध्यक्षा : ग्राम तौर पर मनिस्टर साहिबान बहस का जवाब देने के लिए एक घंटा या सवा घंटा लिया करते हैं लेकिन जब से मैं यहां बैठी हुई हूं मैंने किसी मनिस्टर को

[उपाध्यक्षा]

45 मिन्ट से ज्यादा का वक्त नहीं दिया और वह इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मेम्बर साहिबान डिबेट में हिस्सा ले सकें। इसलिए आप इस तरह से इन्टरपशन न करें। यह अच्छा और मुनासिब मालूम नहीं होता। (Generaly the Ministers take an hour, or an hour and a quarter to reply to the debate but eversince I have occupied this Chair I have been allowing them at the most 45 minutes for this purpose so that opportunity may be afforded to the maximum number of hon. Members to participate in the discussion. Therefore I would request the hon Members not to cause interruptions like this. This is not desirable.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर मैडम। जो सरदार साहिब ने 'आंख मिलने' वाले लफज कहे थे क्या वह पालियामैंटरी हैं ?

उपाध्यक्षा : वह तो उन्होंने वापिस ले लिए हैं। (He has already withdrawn those words.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : On a point of order, Madam. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਫੱਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। (ਹਾਸਾ)

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਉ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੀਜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਮਣ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 1,50,000 ਮਣ ਬੀਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਘਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਓਧਰਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਨਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਏਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।

ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਏਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ 49.41 ਲਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 61.84 ਲਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 78 ਲਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 84 ਲਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅਨਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੇਜਿਸਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਕਾਲਤਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਡਿਉਢੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ

[ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ]

ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵਜੋ ਨਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੀਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹ 751 lbs. per acre ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1077 lbs. ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ—

	ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ	ਪੰਜਾਬ
ਗਰਾਮ :	993 lbs	733 lbs
ਚਾਉਲ :	909 ,,	934 ,,
ਮੱਕੀ :	815 ,,	894 ,,
ਗੰਨਾ :	3323 ,,	3362 ,,

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ ਕਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਗਾ।। ਤੁਸੀਂ ਹਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। (ਵਿਘਨ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ 22 ਪਰਸੈਂਟ ਯੀਲਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੀਲਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ । ਉਹ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ।

6.00 p. m.

ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ । ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖੂਹ ਲਾਕੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਖੂਹ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ । ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 222 ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਹਨ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਇਕ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 129 ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਹਨ । 9 ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 62 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 16 ਮਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 24 ਮਣ ਤਕ ਹੈ, 42 ਫਾਰਮ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 16 ਫਾਰਮ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਯੀਲਡ 10 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੀਲਡ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ 28.5 ਮਣ ਤੇ 28.32 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਤਕ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ dislocate ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ satisfactory ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉ । ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਯੀਲਡ ਕਿਤਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛੀ ਹੈ ! ਫੇਰ ਕੈਮੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

[ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ]

ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਨਡੈਟਿਡਨੈਸ ਜੋ ਇਤਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਵਗੈਰਾ ਛਡ ਕੇ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲਗਾਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਜਾਂ 26 ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਨੀਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵਗੀ। ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੀਲਡ ਕਿਤਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਕਬਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੀਲਡ ਇਨ੍ਹਾਂ 5, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਫੀ ਸਦੀ ਫੀ ਏਕੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਸੀ . . . .

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਯੀਲਡ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀ ਹੈ ?

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1955-56 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਟੰਨ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਜੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ 4 ਲਖ ਟਨ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਆਣ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਦ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਦ, ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ੨ ਦੂਜੀ ਖਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਾਂ 14 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ । ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਅਸੀਂ 20 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ । ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਣ । (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 20 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਪਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ—ਲਕੜੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਬੀਮ ਸਕੇਲ ਚਲੇ ਗੀ । ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਭਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇ । ਇਹ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਓਥੇ ਰੇਡੀਓ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । (ਵਿਘਨ)

[ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਗਾਹ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਤੋਲੇ ਅਤੇ ਪਲੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਦਿਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। (The hon. Minister may please reply to all the points of the hon. Members)

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ੨ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪਾਈਲਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ, ਚੰਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੀਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪਾਹ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 15, 15 ਅਤੇ 16, 16 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 22,50,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਇਆਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕੀੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨ ਕਰੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਲਾਗਤ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋ ਲਖ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ

ਹਨ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਵਤੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਥੇ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 150 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਾਇਲ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇਲ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 8 ਲਖ ਇਕ ਅਤੇ 6 ਲਖ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ । ਏਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਜਿਥੇ੨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ । 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਗਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ crop insurance ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਸਨ ਕੇਵਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ । ਅਸੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ।

ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸੰਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਦ ਤਕ ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸ਼ਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਇਨਸ-ਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਂ

[ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੀਲੋਂ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਸਭ ਹਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਘੰਟੀ)

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰੇਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਢਦੇ ਹੋ।

ਕੋਠੀਆਂ ਛਡ ਕੇ, ਵਕਾਲਤਾਂ ਛਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿਥੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਛਡ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਗੇਗੜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ।

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਛਡ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DEMAND NO. 19

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 2,93,57,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 31—Agriculture.

The motion was carried.

DEMAND NO. 43

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 24,37,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Tuesday, the 26th instant.

The Sabha then adjourned till 9.00 *a.m. on Tuesday, the* 26*th March,* **1963.**

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th March, 1963

Vol. I—No. 24

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 26th March, 1963.

Price : Rs. 5.05 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 24, DATED THE 26TH MARCH, 1963

Read	*For*	*On page*	*Line*
Demands	emands	Title	2nd from below
DIVISION	DIVISIGN	(24)4	4
VESTED	VISTED	(24)27	13th from below
है	ह	(24)32	6
Facilities	Facilitires	(24)34	14th from below
गया	गय	(24)36	19
statements	statments	(24)37	19th from below
with	wiht	(24)38	10th from below
ਹੁੰਦੇ	ਹੰਦੇ	(24)43	12
31 ਦਸੰਬਰ	32 ਦਿਸੰਬਰ	(24)43	8th and 7th from below
Will	Wlil	(24)46	14th from below
And	Sand	(24)48	Heading
Division	Di ision	(24)48	7th from below
Allowances	Allowancs	(24)58	2
Do	Zo	(24)63	Last line
बहुत	वहु	(24)84	7th from below
ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼	ਸੁਸਾਸਿਟੀਜ਼	(24)89	11
ਪੰਚਾਇਤ	ਪੰਚਾਇਤਾਂ	(24)91	20
ਢੂੰਢ	ਫੰਡ	(24)102	12
तो	वो	(24)104	10
Question	Quecion	Annexure	14

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 26th March, 1963

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock.

ABSENCE OF THE SPEAKER.

Secretary : I have to inform the House that the Honourable Speaker is unavoidably absent today. Therefore, the Honourable Deputy Speaker will take the Chair.

(*The Deputy Speaker then occupied the Chair.*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TAXATION PROPOSAL FOR DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS.

***2505 Shri Jagan Nath** : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is contemplating bringing forward any Legislative measures for raising taxes for providing funds for the development of backward areas in the State ?

Sardar Gurbanta Singh : (Agriculture and Welfare Minister) No.

श्री जगन्नाथ : सवाल का जवाब 'नो' मिला है। यह सवाल मैं ने बहुत ध्यान से पूछा था पिछले साल यहां शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए टेम्परेरी टैक्सेशन बिल पास हुआ। वह बिल ऐक्ट बना और उसके ज़रिए हरिजनों के लिए काफी पैसे आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर हरिजन और बैकवर्ड एरियाज़ एक ही लाईन में आते हैं, जहां हरिजनों की डिवैल्पमैंट हो रही है वहां बैकवर्ड इलाकों की डिवैल्पमैंट ज़रूरी नहीं ?

खेती बाड़ी तथा भलाई मंत्री : हरिजन और बैकवर्ड एरिया एक कैटेगरी में नहीं आते।

उपाध्यक्षा : आपको पता नहीं है कि क्या सप्लीमेंट्री करना है ? (The hon. member does not know as to what supplementary is to be asked.)

श्री जगन्नाथ : क्या ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जहा पर बैकवर्ड एरियाज़ की कोई खास डिवैलपमैंट नहीं हो रही क्या नियर फ्यूचर में बैकवर्ड एरियाज़ की बजाए उन्हें निगलेक्टिड एरियाज़ करार देने की तजवीज़ है ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਈ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ । ਜੇ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਰੇਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ । ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਸਿਰਫ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ ਯਾ ਨਾਨ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ, 10 o/o ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੇਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਯਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन टेक्नीकल इंस्टीच्यूशन्ज की तरफ वे इशारा कर रहे हैं उन में हरिजनों के लिये भी कुछ रैजरवेशन है या बैकवर्ड क्लासिज़ के लिये ही है ?

मंत्री : हरिजनों के लिए 19 फीसदी रैज़रवेशन है और दो फीसदी बैकवर्ड क्लासिज़ के लिये रैज़रवेशन है । यह रैज़रवेशन दस फी सदी के इलावा है ।

PURCHASE OF BOOKS FROM SITAL SAHITYA BHAWAN, AMRITSAR

***1226. Comrade Makhan Singh Tarsikka** (Put by Comrade **Gurbakhsh Singh Dhaliwal**) : Will the Chief Minister be pleased to state the names of Government schools in the State which have so far purchased books published by "Sital Sahitya Bhawan" Bazar Mai Sewan, Amritsar, for placing in their libraries together with the price paid therefor by each schools?

Sardar Partap Singh Kairon : A list of the Government Schools which have so far purchased books published by "Sital Sahitya Bhawan" Bazar Mai Sewan, Amritsar, together with the price paid therefor by each school is placed on the Table of the House.

Serial No.	Name of the School.	Price of the books purchased from M/s. Sital Sahitya Bhavan, Amritsar.
	AMBALA DIVISION	
		Rs
1.	Government Girls Higher Secondary School, Sector No. 18, Chandigarh	6·43
2.	Government Girls Higher Secondary School, Sector No. 8, Chandigarh	17.53
3.	Government Girls Higher Secondary School, Nalagarh.	50·00
4.	Government Girls Higher Secondary School, Ballabhgarh—Bhiwani	15·22
5.	Government High School, Nalagarh	90·00
6.	Government High School, Ballabhgarh	13·50
7.	A. D. I. S., Chandigarh	79·00
8.	Government High School, Simla	17·47
9.	A.D.I.S. Gharaunda (Karnal)	80·20
10.	A.D.I.S., Panipat II (Karnal)	202·50
11.	A.D.I.S., Samalkha (Karnal)	761·40
12.	A.D.I.S., Nalagarh East (Ambala)	360·00
13.	A.D.I.S., Morinda No. I (Ambala)	251·10
14.	A.D.I.S., Rupar (Ambala)	1,206·00
15.	Government Middle School, Kishanpura (Ambala)	16·00
	JULLUNDUR DIVISION	
1.	Government High School, Gajjanwal (Ludhiana)	397.93
2.	Government High School, Ghawadi	19.14
3.	Government High School, Bhugpnr (Jullundur)	75.65
4.	Government High School, Hargobindpur	77.34
5.	Government High School, Dyalpur	6.00
6.	Government High School, Sultanpur Lodhi	7·00
7.	Government High School, Hoshiarpur	25.15
8.	Government High School, Barundi	17.62
9.	Government High School, Saleh (Hoshiarpur)	13.44
10.	Government High School, Fatehabad (Amritsar)	26·99
11	Government High School, Dharowali	20.00

[Chief Minister]

Serial No.		Name to the School	Price of the books purchased from M/s Sital Sahitya Bhavan Amritsar
		JULLUNDUR DIVISIGN	
			Rs
12.	Goverament High School,	Ahnala	221.19
13.	Government High School,	Nawshahr Paruna	21.97
14.	Government High School,	Chirk	14.31
15.	Government High School,	Dalhousie	48.12
16.	Government High School,	Gangath	3.06
17.	Government High School,	Phagwara	6.36
18.	Government High School,	Bhambika Bhai	65.00
19.	Government High School,	Sanehwal	13.50
20	Government High School,	Sarwan	7.87
21.	Government High School	Halwara	5.65
22.	Government Primary School,	Lakhowal	6.50
23.	Government Primary School,	Shathian Bedaspur	6.50
24.	Government Primary School,	Dualpur	6.50
25.	Government Primary School,	Kallu Ghuman	6.50
26.	Government Primary School,	Wadalan Kalan	6.50
27.	Government Primary School.	Dadalan Khurd	6.50
28.	Government Primary School,	Beas	6.50
29.	Government Primary School,	Chapplanwali	6.50
30.	Government Primary School,	Doule Nangal	13.50
31.	Government Primary Schooll,	Manibala	6.50
32.	Government Primary School,	Waraich	6.50
33.	Government Primary School,	Ghamar Bhana	6.50
34.	Government Primary School,	Pallah	6.50
35.	Government Primary School,	Rajdhan	13.00
36.	Government Primary School,	Bhuderkalan	6.50
37.	Government Primary School,	Mangli	6.50
38.	Government Primary School,	Saidpur	6.50
39.	Government Primary School,	Jaswal	6.50
40.	Government Primary School,	Mohsampura	6.50
41.	Government Primary School,	Butala	6.50

Serial No.	Name of the School		Price of the books purchased from M/s Sital Sahitya Bhavan Amritsar
	JULLUNDUR DIVISION		
42,	Government Primary School,	Jhalari	6·50
43.	Government Primary School,	Sharpur	6.50
			Bs
44.	Government Primary School,	Satobal	6·50
45.	Government Primary School,	Jodha	6·50
46.	Government Primary School,	Khanpur	6.50
47.	Government Primary School,	Sheron	6.50
48.	Government Primary School,	Bhinder	6.50
49.	Government Primary School,	Kalchian	6.50
50.	Government Primary School,	Butari	6.50
51.	Government Primary School,	Jamalpur	6.50
52.	Government Primary School,	Fatuwal	6.50
53.	Government Primary School.	Ratangarh	6.50
54.	Government Primary School,	Thothian	6.50
55.	Government Primary School,	Chajjalwadi	6.50
56.	Government Primary School,	Muchhal	6.50
57.	Government Primary School,	Trinowal	6.50
58.	Government Primary School,	Tangla	6.50
58.(A)	Government Primary School,	Chohan	6·50
59.	Government Primary School,	Kotla Bathoorgarh	6.50
60.	Government Primary School,	Jabowal	6.50
61.	Government Primary School,	Dehriwala	6.50
62.	Government Primary School,	Dholka	6·50
63.	Government Primary School,	Bhalicpur	6.50
64.	Government Primary School,	Jodha Nagri	6.50
65.	Government Primary School,	Banian	6.50
66.	Government Primary School,	Sudhar	6·50
67.	Government Primary School,	Jaloopur Khera	6.50
68.	Government Primary School,	Lobgarh	6.50
69.	Government Primary School,	Kotah Wind	6.50
70.	Government Primary School,	Sarja	6·50
71.	Government Primary School,	Balsarai	6·50
72.	Government Primary School,	Nariangarh	6·50
73.	Government Middle School,	Gharyala	29·49

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the School		Price of the books purchased from M/s Sital Sahitya Bhavan Amritsar
	JULLUNDUR DIVISION—CONTD		
74.	Government Middle School,	Bhail	0.70
75.	Government Middle School,	Dhulka pur	6.50
76.	Government Middle School,	Lalpur	6.76
77.	Government Primary School,	Verka	30.00
78.	Government Primary School,	Waryam Nangal	30.00
79.	Government Primary School,	Dhode	42.00
80.	Government Primary School,	Ram Diwali	42.00
81.	Government Primary School,	Chatiwindlehal	30.00
82.	Government Primary School,	Lola	42.00
83.	Government Primary School,	Mehnian Kahura	46.00
84.	Government Primary School,	Tanel	51.00
85.	Government Primary School,	Rasool pur Kalan	42.00
86.	Government Primary School,	Raipur Kalan	30.00
87.	Government Primary School,	Udho Nangal	30.00
88.	Government Primary School,	Udhoke	42.00
89.	Government Primary School,	Nawan Pind	42.00
90.	Government Primary School,	Nathewal	12.00
91.	Government Primary School,	Mehta	12.00
92.	Government Primary School,	Malowal	12.00
93.	Government Primary School,	Sialka	12.00
94.	Government Primary School,	Talwandi Singh	12.00
95.	Government Primary School,	Khaba Rajputana	12.00
96.	Government Primary School,	Fateh garh Sabu Chand	12.00
97.	Government Primary School.	Bagga	12.00
98.	Government Primary School,	Tanel Braid	12.00
99.	Government Primary School,	Fatehpur Rajputan	12.00
100.	Government Girls High School,	Tarn Taran	15.00
101.	Government Special School,	Nangal Township	00.37
102.	Junior Model School,	Millerganj Ludhiana	28.67
103.	Government Girls Higher Secondary School, Ferozepore City		8.11
104.	Government Girls, Higher Secondary School, Nawan Kot (Amritsar)		40.00

Serial No.	Name of the School	Price of the books purchased from M/s Sital Sahitya Bhavan Amritsar
	JULLUNDUR DIVISION—CONCLD	
105.	Government Girls Higher Secondary and Basic School, Kapurthala	17·26
106.	Government Girls High School, Zira	1.33
107.	Government Girls High School, Nalangwal	22.76
108.	Government Girls High School, Kamalpura	8·50
109.	Government Girls Higher Secondary School, Civil Lines, Ludhiana	13.50
110.	Government Girls High School, Dasuya	3.00
111.	Government Girls Middle School, Gill (Ludhiana)	4.25
112.	Government Girls High School, Butala (Amritsar)	12.22
	PATIALA DIVISION	
1.	Government High School, Bhadaur	5.24
2.	Government Basic Training School, Faridkot	13·44
3.	Government High School, Driwa	9.52
4.	Government High School, Kauhrian	9.92
5.	Government High School, Baja Khana	1.40
6.	Junior Middle School, Nabha	8.00
7.	Government Girls High School, Goniana Mandi	11·60
8.	Government Girls High School, Dhanaula	5.35
9.	Government Girls Middle School, Kothagulu	2.96
10.	Government Middle School, Tanda Bada	1.40
11.	Government Middle School, Dyalpur	4.02
12.	Government Middle School, Tanda Mashungan	12.28
13.	Government Middle School, Ranni	12.06
14.	Government Middle School Dakla	7.50
15.	Government Middle School, Sheron	23.00
16.	A.D.I.S. Dhuri	44·10

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो किताबें सीतल साहित्य भवन से स्कूल की लाइब्रेरीज़ में भेजी गई हैं उन के लिये कितनी कीमत दी गई है ?

मुख्य मंत्री : हम तो केवल यह कह देते हैं कि "You can buy the books.

श्री बलरामजी दास टंडन : यह बात सवाल में पूछी गई है "together with the price paid therefor by each school" क्या यह बात उन के नोटिस में आई है कि इन किताबों की बहुत ज्यदा कीमत अदा की गई है ?

मुख्य मंत्री : यह बात मेरे नोटिस में नहीं आई । अगर आप ध्यान दिलवाएंगे तो मैं पता कर लूंगा ।

REPAIRS TO THE ROOF OF MIDDLE SCHOOL JAMALPUR, TEHSIL AND DISTRICT GURGAON

*2269. **Shri Babu Dayal Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any representations were received from the people and the Legislators of the Ilaqa by the District Inspector of Schools Chairman, Block Samiti and Block Development Officer, for the repairs of the roof of Government Middle School Jamalpur, tehsil and district Gurgaon;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the necessary repairs have been carried out; if not, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon (a) No.

(b) Question does not arise.

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री साहिब फरमाएंगे कि अगर उन के पास कोई शिकायत नहीं आई तो क्या वह इस के बारे में दरियाफत करेंगे कि स्कूल कितनी बुरी हालत में है ?

Chief Minister : Please send the complaint to me and I will find out.

NEW COAL DEPOTS ALLOTTED IN THE STATE

*2416. **Sardar Piara Singh** ; Will the Home Minister be pleased to state the total number of new coal depots allotted in the State during the period from 1st January, 1962, to 31st December, 1962, together with the names and addresses of the allottees and the locations of these depots?

Shri Mohan Lal: A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House.

List of Coal Depots allotted during the period from 1st January, 1962 *to* 31*st December,* 1962

Serial No.	Name and address of the coal depot-holder	Location of the coal depot
1	Shri Inder Singh, Dogra Basti, Faridkot ...	Old Jail Road, Faridkot (District Bhatinda)
2	Shri Kalyan Das, Rohtak ...	Qilla Mohalla, Rohtak
3	M/s Prem Sanjiv and Co. Rohtak ...	Shivaji Colony, Rohtak
4	Shri Surjan Singh Chauhan, Ward No. 7, House No. 177, Mohalla Majeed, Bahadurgarh	Bahadurgarh, (District Rohtak)
5	M/s Rameshwar Das Jain and Sons, Madlauda ...	Madlauda
6	Shrimati Dalip Kaur, Prem Nagar, Karnal	Prem Nagar, Karnal

Serial No.	Name and address of the coal depot-holder	Location of the coal depot
7	Shri Bhai Mehla Ram, Ward No. 7, Panipat	Panipat.
8	Shri Amar Nath Kaushak, Panipat ..	Panipat
9	Shrimati Parkash Kaur, w/o Major Bharpoor Singh, 7-S-5A, Sector 7-A, Chandigarh	Moga.
10	Shri Chanan Lal Kataria, Abohar ..	Abohar
11	Shri Pritam Chand, Abohar	Abohar
12	M/s Rur Chand-Subash Chand, V.P.O. Rewari ..	Rewari
13	M/s Chandan Singh-Raghuraj Singh, V.P.O., Sohna, district Gurgaon	Sohna
14	Anant Ram, Captain Singh, c/o Punjab Saw Mills Gurgaon	Gurgaon
15	Shri R.K. Kakkar, c/o Chaudhri Ram Narain of Gram Sahyog Samaj, Faridabad	Faridabad
16	M/s Milkhi Ram and Sons, Hamirpur ..	Hamirpur
17	Shri Mangat Ram Kaistha, Sullah ..	Palampur
18	M/s Dina Nath-Naranjan Dass, Chherharta ..	Chheharta
19	Shri Saudagar Singh, Chheharta ..	Chheharta
20	Shrimati Dilmohan Kaur, Batala (Amritsar) ..	Butela
21	Shri Kishan Chand, Ajnala ..	Ajnala
22	Shri Amolak Ram, Tarn Taran ..	Tarn Taran
23	Shri Chuni Lal, Patti ..	Patti
24	Shri Kartar Singh, Amritsar ..	Amritsar
25	Shri Jowanda Ram, Amritsar ..	Do
26	Shri Amir Chand, Amritsar ..	Do
27	Shri Rajinder Pal Mohan Lal ..	Do
28	Shri Bagirath Singh, Amritsar. ..	Do
29	Shri Ram Lal Malhotra, Amritsar ..	Do
30	Shri Gauri Shankar, Amritsar ..	Do
31	Shri Inderjit Singh, Amritsar ..	Do
32	Shri Sukhpal Singh, Amritsar ..	Do
33	M/s Chattar Singh-Mohinder Singh, Amritsar ..	Do
34	Shri Dewan Chand, Mehta, Amritsar	Do
35	Shri Jai Ram Dass, Amritsar ..	Do

[Home Minister]

Serial No.	Name and address of the coal depot-holder	Location of the coal depot
36	Shri Chanan Singh, Amritsar ..	Amritsar
37	Shri Onkar Singh, Amritsar ..	Do
38	Shri Mela Ram, Amritsar ..	Do
39	M/s Birbhan Amar Nath, Raipur Rani ..	Raipur Rani
40	M/s Parshotam Dutt-Amar Singh, Pinjore ..	Pinjore
41	The Rajpura Co-operative Agricultural Society, Rajpura	Rajpura
42	Shri Charan Singh, Morinda ..	Morinda
43	Shri Ram Lal Sahni, Yamuna Nagar ..	Yamunanagar
44	M/s Bahadur Singh-Amrik Singh, Yamuna Nagar ..	Do
45	Shri R.N. Kashyap, Yamuna Nagar ..	Do
46	Shri Mahtab Chand Sahni, Jagadhri ..	Jagadhri
47	M/s Krishan Lal:Lachhman Sarup ..	Jagadhri
48	Shri Chandan Lal, Bilaspur ..	Bilaspur
49	Shri Jagat Ram, Buria ..	Buria
50	Shri Arya Nand Sharma ..	Ambala City
51	Shri Om Parkash, Nalagarh ..	Nalagarh
52	Shrimati Swarn Kaur, Mubarikpur ..	Mubarikpur
53	Shrimati Jasmer Kaur, Ambala Cantt. ..	Ambala Cantt.
54	Principal, T.T.I. Mills, Bhiwani ..	Bhiwani
55	Shri Rattan Singh Azad, Bhiwani	Near Liberty Cinema, Bhiwani
56	Shri Ram Sarup Das, c/o Shri Ganga Ram Jain, Bhawani, Khera, Tehsil, Hansi	Patram Gate, Bhiwani
57	Shri Om Parkash, Ellanabad ..	Ellanabad
58	Shri Tulsi Ram, c/o M/s Pirdhan Rai-Parshotam Das Loharu	Loharu
59	Shri Sant Ram, Fatehabad ..	Mandi Fatehabad
60	Shri Lachhi Ram, Mandi Adampur ...	Mandi Adampur
61	Shri Satya Paul Sawhney, c/o M/s Sohan Lal-Piare, Lal, Iron Hard Ware Merchants, Mandi Dabwali	Mandi Dabwaly
62	Shri Harcharan Singh, Brown Road Ludhiana ..	Ludhiana
63	Shri Avtar Singh-Dina Nath, Prem Nagar, Ludhiana	Do

Serial No.	Name and address of the coal depot-holder	Location of the coal depot
64	Shri Balkishan, Jagraon Road, Ludhiana ..	Ludhiana
65	Shri Chattarjit Singh, Ludhiana ..	Do
66	Shri Amar Nath, G.T. Road, Ludhiana	Do
67	Shri Brahm Dutt, Kucha Laloo Mal, Ludhiana ..	Do
68	Shri Dharam Pal, Civil Lines, Ludhiana ..	Do
69	Shri Om Parkash ,opposite Daya Nand Hospital, Ludhiana	Do
70	Prahlad Das, Industrial Area, Ludhiana ..	Do
71	Shri Kewal Krishan Jain, Near Canal Rest House, Ludhiana	Do
72	Shri Rattan Singh, Village Gill ..	Gill
73	Shri Ujjal Singh, Model Town, Ludhiana ..	Do
74	Shri Sant Ram, Ludhiana ..	Do
75	Shri Gauri Shankar, Industrial Area 'B' Ludhiana	Ludhiana
76	Shri Janardhan Dutt, Millerganj, Ludhiana ..	Do
77	Shri Karam Chand Bhalla, Ludhiana ..	Do
78	Shri Devinder Bibra, Ludhiana ..	Do
79	Shri Parshotam Dutt Bagai, Khanna ..	Khanna
80	Shri Hira Lal, Opposite Agricultural Farm ..	Ludhiana
81	Shri Rajinder Kumar, Gaushala Road, Ludhiana	Do
82	Shri Mohinder Singh, Civil Lines, Ludhiana	Do
83	Shri Dharam Singh, village Gill, District Ludhiana	Do
84	Shri Gujjar Mal, Ludhiana ..	Do
85	Shri Romesh kumar Dewan, Sadar Bazar, Malerkotla	Malerkotla
86	Shri Dewan Singh, village Raju Manza (Sangrur)	Barrala
87	Shri Aroor Chand, Mission Road, Pathankot ..	Pathankot
88	Shri Sudarshan Kumar Orhri, Pathankot ..	Do
89	Shri Partap Singh, village Fatehgarh Churian (district Gurdaspur)	Fatehgarh Churian
90	M/s Devi Das-Dharam Pal, Kocha Gita Bhawan Road, Gurdaspur	Gurdaspur
91	Shri Dharam Dutt, Onkar Nagar, Gurdaspur ..	Do
92	Shri Sardari Lal Mehta, Mohalla Prem Nagar, Pathankot	Malikpur Sarna Link Pathankot

[Home Minister]

Serial No.	Name and address of the coal depot-holder	Location of the coal depot
93	Shri Harbans Lal, V. and P.O. Kahnuwan (Gurdaspur)	Kahnuwan
94	M/S Kharak Singh-Pritam Singh, village Anoop Shahr, P.O. Sunder Chak (Gurdaspur)	Pathankot
95	Shri Ram Lubhaya, Dhariwal (Now Cancelled) ..	Dhariwal
96	Shri Pishori Lal, Nabha Gate, Patiala ..	Patiala
97	Shri Makhan Singh, Shernwala Gate, Patiala ..	Patiala
98	Shri Mathra Das, Tarbeni Chowk, Patiala	Do
99	Shri D.K. Singla Bagichir Het Ram sheran wala Gate, Patiala	Do
100	Shri Balwant Singh, Mohalla Jai Raj, Ward No. 8, Patiala	Do
101	M/s Mohalla Committee, Raghomajra, Patiala ..	Do
102	Shri Brij Kishore, Alipurian Street, Patiala ..	Do
103	Shri Shanti Sarup Jain, Chatta Nanu Mal, Patiala	Do
104	Shri Karam Singh, Yadwindra Colony, Patiala ..	Do
105	Shri Mohinder Singh, c/o Shri Mehtab Singh, Municipal Commissioner, Patiala	Do
106	Shri Himmat Singh, House No. 74/6, Patiala ..	Do
107	Shri Nathu Lal, Kapur, Bhindian Street, Patiala ..	Do
108	M/s Punjab State Electricity Board, Employees Consumers Co-operative Stores, Patiala ..	Do
109	Shri Chanan Singh, village Marori, Tahsil Samana	Samana
110	Shri Manmohan Singh, village Sanghool, tahsil Samana	Bassi Pathana
111	M/s Ram Murti-Om Parkash, Doraha ..	Gobindgarh
112	Shri Inder Singh, Basti Danishmunda, Jullundur ..	Jullundur
113	Shri Ram Parkash, village Jandiala (Jullundur) ..	Do
114	Shri Sahib Singh, EE-46, Bagh Karin Bux, Jullundur City	Do
115	Shri Ram Nath, V. and P. O. Ajrawar (Patiala) ..	Do
116	Shri Mohinder Singh, H. No. 8/6J, Sector No. 16, Chandigarh	Do
117	Shri Amrik Singh, WE-678, Bazar Sheikh, Jullundur City	Do
118	Shri Jagjit Singh Chaman, village Dalla, district Jullundur	Alawalpur

Serial No.	Name and address of the coal depot-holder	Location)of the coal depot
119	Shri Piara Lal, House No. 519-E9, Mohalla Abadpur Jullundur City	Abadpur
120	Shri Sant Ram, Kharar, district Ambala ..	Jullundur
121	Shri Bhagat Ram, H. No. NB-352, Mohalla Santokhpura, Jullundur City	Jullundur City
122	Shri Hans Raj, c/o Madan Flour Mills, Jullundur City	Do
123	Shri Dalip Singh-Satpal Singh 377, Rajganj, Jullundur	Do
124	Shri Upinder Nath Joshi, Goraya ..	Goraya
125	M/s Kulbhushan and Bros. c/o Shri Om Parkash Sharma, Delhi Transport Co., Rohtak	Jullundur
126	Shri Charan Singh President, Bopa Rai Agriculture Implement Supply and Marketing Co-operative Industrial Society, Boparai	Boparai, Tahsil Phillaur
127	Shrimati Janak Dulari, village Jadla, tehsil Nawan-Shahr	Banga
128	Master Mohan Lal Rishi, Goraya ..	Goraya
129	M/s Gandu Mal-Dhari Lal, Jullundur ..	Jullundur
130	Shri Mehar Singh, Goraya	Goraya
131	Shri Daulat Ram, Hoshiarpur ..	Hoshiarpur
132	Shri Ranjit Singh, Talwara (Hoshiarpur) ..	Talwara
133	Honorary Secretary, Beas Dam, Talwara ..	Do
134	Shri Janak Singh, Hoshiarpur ..	Hoshiarpur
135	Shri Madan Lal Marwaha, Tanda ..	Tanda
136	Shrimati Shakuntla Rani, Hoshiarpur ..	Hoshiarpur
137	Shri Des Raj, Talwara ..	Talwara
138	Shri Kartar Singh, Anandpur Sahib ..	Anandpur Sahib
139	Shri Tirath Rami Darapur (Tanda) ..	Darapur

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?

गृह मंत्री : इस वक्त मेरे पास अलग लिस्टें नहीं हैं। लेकिन जहां कहीं किसी डिज़र्विंग शैडयूल्ड कास्टस ऐपलीकेंट्स ने एप्लाई किया हो उसको तरजीह दी जाती है।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि कोयले की किल्लत के पेशेनज़र आइन्दा भी सूबे के अन्दर नए कोल डिपो अलाट करने का गवर्नमेंट का इरादा है ?

मंत्री : यह चीज़ न सिर्फ कोल-सप्लाई पर डिपैंड करती है बल्कि इलाके की जरूरियात पर भी डिपैंड करती है। जहां इस सिलसिले में कमी हो या कोई डिफिकल्टी महसूस की जा रही हो वहां के बारे में विचार किया जा सकता है बेशक पहले ही काफी कोल डिपो अलाट किए गए हैं लेकिन किसी इलाके की जरूरियात के पेशेनज़र अगर और बढ़ाने की जरूरत महसूस हो तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जब पंजाब के कोल डिपो होल्डर्ज़ की ऐसोसियेशन का डैपुटेशन उनसे मिला तो उन्होंने उनको यह ऐशोरेंस दी थी कि आइन्दा कोई कोल डिपो अलाट नहीं किए जाएंगे ?

मंत्री : आनरेबल मैम्बर को उन्होंने सही इत्तलाह नहीं दी। कोई ऐसी ऐशोरेंस नहीं दी गई और न ही दी जा सकती थी। बाकी यह ज़रूर है कि वहीं अलाट किए जाएंगे जहां ज्यादा से ज्यादा ज़रूरत महसूस हो।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ: ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਡਿਪੋਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫਿਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ?

मन्त्री : डिज़रविंग की तारीफ है मुस्तहिक, हकदार।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि कोल डिपो अलाट करने के लिए आजकल क्या क्राइटीरिया अपनाया हुआ है ?

मंत्री : जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इलाके की ज़रूरियात का ख्याल किया जाता है ताकि कोयले के डिपुओं के जरिए कंज्यूमर्स को कोयले की सप्लाई की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। डिपुओं का बटवारा इन बातों को देख कर ही किया जाता है।

DISCRETIONARY GRANTS SANCTIONED BY MINISTERS, STATE MINISTERS AND DEPUTY MINISTERS

***2297. Shri Babu Dayal Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of discretionary grants, if any, sanctioned by Ministers, **State Ministers** and Deputy Ministers during the year 1961-62, districtwise ;

(b) the purpose for which each said grant was sanctioned together with the amount thereof and the particulars of the recipients of each ;

(c) the number of the said grants cancelled with the reasons therefor;

(d) the detail of the said grants not paid so far with the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) & (b) Statement 'A' *indicating the required information is placed on the Table of the House.

(c) Statement 'B'* indicating the required informationos placed on the Table of the House.

(d) Statement 'C' *indicating the required information is placed on the Table of the House.

श्री बाबू दयाल शर्मा : स्टेटमैंट से पता चलता है कि ज़िला गुड़गांव को डिस्क्रीशनरी ग्रांटों से बहुत कम रुपया दिया गया है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इसकी क्या वजह है ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

कामरेड राम प्यारा : क्या कम्युनिटी डिवैल्पमैंट मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि डिस्क्रीशनरी ग्रांट देते वक्त किसी बैकवर्ड एरिया का भी ख्याल रखा जाता है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਪਰੋਚ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

श्री राम किशन : क्या मन्त्री महोदय फरमाएंगे कि एमरजैंसी के पेशेनज़र डिस्क्रीशनरी ग्रांट्स को विदड्रा किया जाएगा या कायम रखा जाएगा ?

ਮਤਰੀ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

SUBSIDY GIVEN FOR CONSTRUCTION OF WELLS IN DISTRICT GURGAON

***2291. Shri Roop Lal Mehta** :Will the Minister for Agriculture and Welfare be pleased to state:—

(a) the total amount of subsidy given by Government to the zamidars in Gurgaon District under the Grow-more Food Campaign for the construction of wells for irrigation purposes during the year 1949 together with the names of persons to whom given ;

(b) the number of wells constructed by the persons referred to in part (a) above during the specified period ;

(c) whether any recovery proceedings have been started against any defaulters ; if so, their number;

(d) whether Government recieved any applications for exemption of payment on the ground that the applicants were not actually defaulters ; if so, the number of such applicants;

(e) whether Government have recently received any representation from the Zamindars of Gurgaon District requesting for the stay of recovery proceeding as they were wrongly considered as defaulters ;

(f) whether any enquiry was conducted by any officer against such officials who did not record the construction of the wells in time ; ..

---

*Statement 'A', 'B' and 'C' are receipt in the Library.

[Shri Roop Lal Mehta]

(g) whether there is any proposal under the consideration of Government to appoint a Committee to investigate into the irregularities of the Revenue of the Agriculture Officers who are responsible for their negligence and causing harrassment to the Zamindars by not making entries of wells constructed in time ?

Sardar Dabara Singh: (a) Rs 1,92,624.09 List of persons is laid on the Table of the House .

(b) 243

(c) yes, against 35 defaulters.

(d) yes 17

(e) yes.

(f) No

(g) No

Statement showing the names of persons to whom loan was advanced on subsidy basis during year 1949 in the Gurgaon Disrtict

Serial No.	Name of tehsil		Name of cultivator to whom loan was givn
1	Ferozepur-Jhirka	..	Sh. Shitab Khan
2	Do	..	Sh. Umed Khan
3	Do	..	Sh. Islam Khan
4	Do	..	Sh. Mohd Khan
5	Do	..	Sh. Nabi Khan
6	Do	..	Sh. Poar
7	Do	..	Sh. Saimla
8	Do	..	Sh. Sher Khan
9	Do	..	Sh. Mohtab Khan
10	Do	..	Sh. Chahat
11	Do	..	Sh. Gordhan
12	Do	..	Sh. Hassan Khan
13	Do	..	Sh. Zain Khan
14	Do	..	Sh. Niwaj Khan
15	Do	..	Sh. Mwasi
16	Do	..	Sh. Sumer Khan
17	Do	..	Sh. Hissaina
18	Do	..	Sh. Jumma

Serial No.	Name of tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
19	Ferozepur-Jhirka	.. Sh. Assa
20	Do	.. Sh. Chahat Khan
21	Do	.. Sh. Janki
22	Nuh	.. Sh. Sufaid Khan
23	Do	.. Sh. Shankar Singh
24	Do	.. Sh. Bhajan Lal
25	Do	.. Sh. Chittar
26	Do	.. Sh. Jaisukh
27	Do	.. Sh. Bhajan Lal
28	Do	.. Sh. Radhe Lal
29	Do	.. Sh. Mohd. Yusaf
30	Do	.. Sh. Mehar Chand
31	Do	.. Sh. Ram Lal
32	Do	.. Sh. Pitam
33	Do	.. Sh. Yadu
34	Do	.. Sh. Ram Lal
35	Do	.. Sh. Sanwalia
36	Do	.. Sh. Man Singh
37	Do	.. Sh. Khilli
38	Do	.. Sh. Jiya Ram
39	Do	.. Sh. Mawasi
40	Do	.. Sh. Ganga Lal
41	Do	.. Sh. Ibrahim
42	Do	.. Sh. Sukha
43	Do	.. Sh. Deep Chand
44	Palwal	.. Sh. Palal Singh
45	Do	.. Sh. Giasi Etc.
46	Do	.. Sh. Ramji Lal
47	Do	.. Sh. Gokal
48	Do	.. Sh. Rup Ram
49	Do	.. Sh. Bhagwan Sahai

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
50	Palwal	.. Shri Giasi Lal
51	Do	.. Shri Chhjawa
52	Do	.. Shri Kharikia
53	Do	.. Shri Teja
54	Do	.. Shri Chhaju
55	Do	.. Shri Durga
56	Do	.. Shri Sukhdan
57	Do	.. Shri Harbans
58	Do	.. Shri Dharam Singh
59	Do	.. Shri Arjan
60	Do	.. Shri Jit Ram
61	Do	.. Shri Het Ram
62	Do	.. Shri Harphool
63	Do	.. Shri Indraj
64	Do	.. Shri Ghurey
65	Do	.. Shri Mohar Ram
66	Do	.. Shri Madan Lal
67	Do	.. Shri Prabhu
68	Do	.. Shri Amin Chand
69	Do	.. Shri Ram Phul
70	Do	.. Shri Shib Lal
71	Do	.. Shri Kundan Lal
72	Do	.. Shri Khiali Ram
73	Do	.. Shri Rura
74	Do	.. Shri Dobi Singh
75	Do	.. Shri Rattan Singh
76	Do	.. Shri Kunj Lal
77	Do	.. Shri Teja
78	Do	.. Shri Kishan Lal
79	Do	.. Shri Tika Ram
80	Do	.. Shri Bhure

Serial No.	Name of Tehsil	Name of cultivator to whom loan was given
81	Palwal	.. Shri Paras Ram
82	Do	.. Shri Keshev Dev
83	Do	.. Shri Sohan Lal
84	Do	.. Shri Albel Singh
85	Do	.. Shri Samandar Singh
86	Do	.. Shri Het Ram
87	Do	.. Shri Shib Charan
88	Do	.. Shri Bhola
89	Do	.. Shri Gokal
90	Do	.. Shri Mohan Lal
91	Do	.. Shri Bhagirath Singh
92	Do	.. Shri Lala
93	Do	.. Shri Jeet Ram
94	Do	.. Shri Amin Lal
95	Do	.. Shri Amir Chand
96	Do	.. Shri Cheti
97	Do	.. Shri Rang Lal
98	Do	.. Shri Giasi
99	Do	.. Shri Kanshi Ram
100	Do	.. Shri Des Raj
101	Do	.. Shri Kali
102	Do	.. Shri Ram Sarup
103	Rewari	.. Sh. Amin Lal
104	Do	.. Shri Prabhu Dayal
105	Do	.. Shri Shiv Chand
106	Do	.. Shri Ghabar
107	Do	.. Shri Chhaju
108	Do	.. Shri Chhana
109	Do	.. Shri Chhaju
110	Do	.. Shri Durjan

[planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
111	Rewari	.. Shri Chuna
112	Do	.. Shri Bhori
113	Do	.. Shri Mangtu
114	Do	.. Shri Harchand
115	Do	.. Shri Mohar Singh
116	Do	.. Shri Parbhati
117	Do	.. Shri Kanshi Ram
118	Do	.. Shri Dharam Chand
119	Do	.. Shri Raj Rup
120	Do	.. Shri Shimbhu
121	Do	... Shri Shivjee Ram
122	Do	.. Shri Tara Chand
123	Do	.. Shri Gopal Singh
124	Do	.. Shri Gordhan
125	Do	.. Shri Ram Rakha
126	Do	.. Shri Moher Singh
127	Do	.. Shri Ram Dutta
128	Do	.. Shri Dev Karan
129	Do	.. Shri Lachhman Singh
130	Do	.. Shri Har Chand
131	Do	.. Shri Jhabar
132	Do	.. Shri Fateh Singh
133	Do	.. Shri Pat Ram
134	Do	.. Shri Dig Ram
135	Do	.. Shri Kahni Singh
136	Do	.. Shri Ram Parshad
137	Do	.. Shri Nathu
138	Gurgaon	.. Shri Gordhan
139	Do	.. Shri Nathu
140	Do	.. Shri Gordhan

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
141	Gurgaon	.. Shri Dilsukh
142	Do	.. Shri Deen Dyal
143	Do	.. Shri Kuria
144	Do	.. Shri Har Narain
145	Do	.. Shri Shiv Narain
146	Do	.. Shri Dhani Ram
147	Do	.. Shri Rohtak
148	Do	.. Shri Khushia
149	Do	.. Shri Khubi Ram
150	Do	.. Shri Surjan etc.
151	Do	.. Shri Ram Sarup
152	Do	.. Shri Ram Sarup
153	Do	.. Shri Pirbhu
154	Do	.. Shri Mawasi Ram
155	Do	.. Shri Hukam
156	Do	.. Shri Narain Dass
157	Do	.. Shri Ram Kishan
158	Do	.. Shri Har Dhain
159	Do	.. Shri Maina
160	Do	.. Shri Jog Ram
161	Do	... Shri Kanhaya
162	Do	.. Shri Mangal
163	Do	.. Shri Ghisa
164	Do	.. Shri Chhaju
165	Do	.. Shri Badlu
166	Do	.. Shri Gori
167	Do	.. Shri Ram Jiwan
168	Do	.. Shri Moti
169	Do	.. Shri Amin Lal
170	Do	.. Shri Mool Chand
171	Do	.. Shri Dhan Singh

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
172	Gurgaon	.. Shri Nathy Ram
173	Do	.. Shri Pat Ram
174	Do	.. Shri Ram Sarup
175	Do	.. Shri Tota Ram
176	Do	.. Shri Budha
177	Do	.. Shri Harnam
178	Do	.. Shri Jagmal
179	Do	.. Shri Umrao
180	Do	.. Shri Siri Chand
181	Do	.. Shri Daula
182	Do	.. Shri Sanwalia
183	Do	.. Shri Nand Lal
184	Do	.. Shri Man Singh
185	Do	.. Shri Phusa
186	Do	.. Shri Mehtab Singh
187	Do	.. Shri Pirbhu
188	Do	.. Shri Phula
189	Do	.. Shri Tota
190	Do	.. Shri Ram Singh
191	Do	.. Shri Ram Saran
192	Do	.. Shri Raghunath
193	Do	.. Shri Shiv Lal
194	Do	.. Shri Bhola
195	Ballabgarh	.. Shri Lachhman Singh
196	Do	.. Shri Chuni
197	Do	.. Shri Ram Saran
198	Do	.. Shri Onwa
199	Do	.. Shri Jodha
200	Do	.. Shri Kirpa Ram
201	Do	.. Shri Ganga Lal

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
202	Ballabgarh	Shri Mohar Singh
203	Do	Shri Chhida
204	Do	Shri Bhim Singh
205	Do	Shri Khazan Singh
206	Do	Shri Radhe Lal
207	Do	Shri Chakar Singh
208	Do	Shri Taria
209	Do	Shri Ghura
210	Do	Shri Balram
211	Do	Shri Nawal Singh
212	Do	Shri Ganeshi
213	Do	Shri Bhura
214	Do	Shri Hari Ram
215	Do	Shri Duli Chand
216	Do	Shri Mani Lal
217	Do	Shri Ram Lal
218	Do	Shri Giasi
219	Do	Shri Nain Singh
220	Do	Shri Gajraj Singh
221	Do	Shri Ram Chander
222	Do	Shri Har Lal
223	Do	Shri Than Singh
224	Do	Shri Raghbir
225	Do	Shri Parshadi Lal
226	Do	Shri Bharta
227	Do	Shri Chuna
228	Do	Shri Ganga Dan
229	Do	Shri Bali
230	Do	Shri Amar Singh
231	Do	Shri Balram
232	Do	Shri Shiv Chandi

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
233	Ballabgarh	Shri Dungar
234	Do	Shri Nanak Chand
235	Do	Shri Moshgal
236	Do	Shri Amin Chand
237	Do	Shri Mam Raj
238	Do	Shri Chuni Singh
239	Do	Shri Shiv Lal
240	Do	Shri Lakhi Singh
241	Do	Shri Ish Lal
242	Do	Shri Baj Raj
243	Do	Shri Bola
244	Do	Shri Chashul Singh
245	Do	Shri Kishan Lal
246	Do	Shri Sohan Lal
247	Do	Shri Shiv Charan
248	Do	Shri Ram Sarup
249	Do	Shri Narain Singh
250	Do	Shri Chhajjan
251	Do	Shri Soshari Lal
252	Do	Shri Ram Phal
253	Do	Shri Sobha
254	Do	Shri Ram Chander
255	Do	Shri Nand Lal
256	Do	Shri Angad
257	Do	Shri Kubhora
258	Do	Shri Josi Ram
259	Do	Shri Boor
260	Do	Shri Bidoshi
261	Do	Shri Manglu
262	Do	Shri Moti
263	Do	Shri Lajja

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
264	Ballabgarh	Shri Baid Ram
265	Do	Shri Dalip Singh
266	Do	Shri Lal Singh
267	Do	Shri Ram Singh
268	Do	Shri Jugla
269	Do	Shri Sis Ram
270	Do	Shri Narain Singh
271	Do	Shri Pirtha Ram
272	Do	Sh. Kanhya
273	Do	Shri Maid Singh
274	Do	Shri Ram Chand
275	Do	Shri Jhangir
276	Do	Shri Mangtu
277	Do	Shri Budhu
278	Do	Shri Topha
279	Do	Shri Hari Krishan
280	Do	Shri Tirlok Chand
281	Do	Shri Balwant
282	Do	Shri Ganeshi
283	Do	Shri Har Lal
284	Do	Shri Kanwar Singh
285	Do	Shri Tek Chand
286	Do	Shri Ramji Lal
287	Do	Shri Phakesh
288	Do	Shri Mangtu
289	Do	Sh. Khaderu
290	Do	Shri Chuni Lal
291	Do	Shri Babu Ram
292	Do	Shri Thakur Lal
293	Do	Shri Ghisa Ram
294	Do	Shri Daulti
295	Do	Shri Maid Singh

[Planning and Development Minister]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of cultivator to whom loan was given
296	Ballabgarh	Shri Attar Singh
297	Do	Shri Kanwar Singh
298	Do	Shri Chaju
299	Do	Shri Bhutan
300	Do	Shri Kalu
301	Do	Shri Bhokli
302	Do	Shri Kishan Lal
303	Do	Shri Kali
304	Do	Shri Teja
305	Do	Shri Budha
306	Do	Shri Than Singh
307	Do	Shri Musa
308	Do	Shri Pat Ram
309	Do	Shri Shoshin Lal
310	Do	Shri Dalu
311	Do	Shri Sarup Singh
312	Do	Shri Ram Sarup
313	Do	Shri Sub. Maj. Parshadi Singh
314	Do	Shri Ranjit Singh
315	Do	Shri Munshi etc.
316	Do	Shri Mehar Singh
317	Do	Shri Bhajan Lal
318	Do	Shri Brij Ballabh
319	Do	Shri Toka Ram
320	Do	Shri Ant Ram
321	Do	Shri Charan Singh etc.
322	Do	Shri Brij Gopal etc
323	Do	Shri Hardey Ram
324	Do	Shri Krishan Sahai

श्री रूप लाल मेहता : क्या योजना मन्त्री साहिब बताएंगे कि जिन लोगों को कुएं बनाने के लिए ग्रांटें दी गई थीं और उन्होंने कुएं तो बनवा लिए थे लेकिन रैवेन्यू स्टाफ ने उन का इन्दराज नहीं किया था, उन से क्या उन ग्रांटों की वसूली जबरदस्ती की जा रही है ? जिन रैवेन्यू अफसरों ने इन्दराज नहीं किया था क्या सरकार उन के खिलाफ ऐक्शन लेने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री : अब आठ साल के बाद आप उन की शिकायत करने लगे हो । इस का अब क्या फायदा ?

श्री रूप लाल मेहता : उन लोगों ने कई २ दरखास्तें दे रखी हैं कि उन्होंने कुएं बना लिए हैं लेकिन रैवेन्यू स्टाफ ने उन के इन्दराजात अपने कागज़ात में नहीं किए । हालांकि इस बात का सबूत मौजूद है लेकिन बावजूद इस बात के उन से उन ग्रांटों की रिकवरी की जा रही है. . .

उपाध्यक्षा : यह सवाल है, इस में आप तो स्पीच करने लग गए हैं । क्वैस्चन आवर में स्पीच करने की इजाज़त नहीं होती । (The hon. Member has started making a speech in the question hour. A speech is not allowed in the question hour.)

योजना मंत्री : अगर कोई ऐसा केस है जिस ने कुआं बना लिया था लेकिन कागज़ात में इन्दराज नहीं हुआ तो मेरे नोटिस में लाएं ।

मुख्य मंत्री : बात यह है कि 1948 में सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुएं बनाने के लिए कुछ पैसा दिया था । जब वह रुपया लोगों को दिया गया था तो यह कहा गया था कि अगर वह एक साल के अन्दर अन्दर कुएं बना लेंगे तो वह सबसिडी समझी जायगी। और अगर किसी ने कुआं न बनाया तो उस के बाद वह तकावी हो जायगा । 1948 के बाद अब 1963 हो गया है । अब तक जिस ने कुआं नहीं बनाया तो उस से वह रकम वसूल की ही जाएगी । जिस ने 10, 12 साल तक दरखास्त ही नहीं दी कि उस ने कुआं बना लिया है तो अब उसका क्या हो सकता है ।

श्री रूप लाल मेहता : एक स्पैसिफिक केस मैं मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं । समरण सिंह, अमर पुर का सरपंच जो है, he was locked up and unnecessary harassment was caused to him for the recovery of the amount. उसके मवैशी कुर्क कर लिए गए थे हालांकि उस ने कुआं बना लिया था और इस बारे में अपनी दरखास्त भी दे दी थी जो रिकार्ड में मौजूद है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह पैसा जो उन्हें ग्रांट के तौर पर दिया गया था अब रिकवर क्यों किया जा रहा है ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਲਟੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ rather the report is to the contrary.

COMMON LAND VESTED IN PANCHAYATS

***2013 Pandit Mohan Lal Datta** :Will the Minister for Planning and Development be pleased to state —

(a) the total area of common land vested in the Panchayats in the State, districtwise; ;

(b) the area of cultivated and banjar common land at present owned by the panchayats in each district;

(c) the area of common land owned by the panchayats whose possession has not so far been delivered or transferred to the panchayats ;

(d) the number of suits, applications and appeals filed by the panchayats regarding common land vested in them at present pending in courts ;

[Pandit Mohan Lal Datta]

(e) the steps taken or proposed to be taken by Government to enable the Panchayats to take the possession of the common land referred to above vested in them ?

Sardar Darbara Singh : (a) , (b), (c) and (d) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(e) A copy of the recent instructions on the subject to Panchayat Samitis and the Deputy Commissioners in the State is placed on the Table of the House.

	Name of District	Total area of common lands vested in panchayats	*Area of land owned by Panchayats* (*a*) Cultivated (b) Banjar		Area of which possession has not been delivered or transferred to panchayats	No. of Suits, applications and appeals filed by panchayats at present pending in Courts.
1	Hissar	182899	76076	10623	5843	38
2	Rohtak	109121	24352	84769	2167	42
3	Gurgaon	141577	27421	114156	38871	101
4	Karnal	134912	57695	76317	13512	34
5	Ambala	130215	6344	123871	6500	---
6	Simla	34927	1166	33761	—	—
7	Patiala	58084	33772	24312	4396	49
8	Bhatinda	44369	13751	30618	1876	15
9	Sangrur	73283	10068	63215	615	15
10	Kapurthala	17914	4841	13073	749	—
11	Mohindergarh	67541	5534	62007	8395	3
12	Kangra	503097	17465	485632	436937	—
13	Hoshiarpur	152286	35180	117106	22520	6
14	Ludhiana	25565	10645	14920	—	
15	Jullundur	10503	5097	5406	37	—
16	Ferozepur	23791	15033	8758	1611	5
17	Gurdaspur	23396	7830	15566	453	10
18	Amritsar	30218	13994	16224	5026	3
19	Lahaul & Spiti	62	26	36	—	—

Top Priority D. O. No. PS/ FC(D)-63/86

A. L. Fletcher,
Financial Commissioner, Dev., &
Secretary to Government,Punjab,
Development & Panchayat Department.

Chandigarh February 14,1963.

Subject.—Utilisation of Shamilat Lands vested in Panchayats.

DEAR SIR,

As you are no doubt aware, shamilat lands vested in gram panchyats and these lands properly utilised, can not only increase the agricultural production of our state—which is all the more vital in the current emergency, but also bring considerable income to our panchayats. Unfortunately, many panchayats have either not been able to get possession of thier shamilat lands or these lands have been leased out to friends and relatives for nominal amounts , There are also several panchayats with large areas of culturable land lying waste, although in their possession.

PREVIOUS COMMUNICATIONS ON THE SUBJECT

Ever since the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, was enacted, Government have been impressing upon panchayats and B. D. P. Os. the importance of putting the lands to the best possible use and where such lands are not in the possession of panchayats, taking steps to secure their possession .In this connection, your attention is invited to the following communications:—

(1) Memo No.29410-588, dated 12th June,1961 from Government to all Assistant District Development and Panchayat Officers and Block Development and Panchayat Officers in the State.
(2) Memo No. GR-15-A 61/95183, dated 16th August, 1961 from Government to all District Development and Panchayat Officers , with copies to all Block Development and Panchayat Officers,etc.
(3) Memo No. CL-6-62/7588-7604, dated 12th February,1962 from Government to all Deputy Commissioners and B. D. P.Os.
(4) Memo No GR-15-A-Policy-62/30704-21 dated 31st October,1962 from Government to all D. Cs, with copies to all Chairmen of Panchayat Samitis in the State, etc.
(5) Letter, dated 23rd November,1962, from the Director of Panchayats to all Chairmen of Zila Parishads and Panchayat Samitis and B. D. P. Os. in the State intimating the appointment of the Land Development Officer and requesting all Panchayat Samitis to supply information in two *proformas* in respect of villages which have over 200 acres of shamilat land.

It is highly regrettable that B. D. P.Os and the Block staff have not done much in this important matter paricularly in moving the authorities concerned for putting panchayats in possession of their shamilat lands or in the development of these lands. Government take a very serious view of these lapses and propose to send officers from headquarters to all blocks in the state, in orde to verify on the spot the action taken by the B. D. P. Os on the various communications issued from time to time by Government.

STEPS NOW TO BE TAKEN

(1)*An assessment of the area of shamilat land in each block to be made immediately.*

For this purpose , every panchayat samiti is requested to open a register in the form at Annexure 'A'. This register will not only give information about the areas of shamilat land available in the block but also—

(a) how much of it is in the possession of the panchayat:
(b) the area with lessees;
(c) the area in possession of unauthorised persons ;
(d) the income to panchayats from the shamilat land; etc. etc.

Depending on the total area of shamilat land available in the Bolck, the Panchayat Samiti is hereby authorised to employ one or more retired/retrenched patwaris for 3 months, on a temporary basis and on a fixed pay which may not exceed Rs 100 per mensem. The patwari/patwaris so employed should be required, with the help of your V. L. Ws, to complete this register in 3 months. If, for unavoidable reasons, an extension in this period is required, the sanction of Government should be taken before the expiry of the period.

[Planning and Development Minister]

(2) *Immediate and effective action to be taken for putting panchayats in possession of shamilat lands*

As soon as the register mentioned above is complete, or even before that, the Panchayat Samiti, in the manner explained below, should initiate action for the ejection of unauthorised occupants of shamilat lands, cancellation of unprofitable leases and for demarcation of shamilat lands allotted to Panchayats as a result of consolidation.

As regards unauthorised occupants, attention is invited to section 7, clauses (1) and (2) of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961. As will be seen from this section, the Assistant Collector 1st grade, having jurisdiction in the area is the authority competent to put the panchayat in possession of shamilat land. For this purpose an application has to be made to him by the panchayat, but where the shamilat land is in the wrongful or unauthorised possession of any person, the Assistant Collector can *suo motu* or on an application made to him by a Panchayat or an inhabitant of the village, eject the trespasser. It is possible that in certain cases the panchayat may be apathetic or unwilling to take action for the ejection of a person in wrongful or unauthorised possession. In such cases, it should be the duty of the Assistant Collector, 1st grade to take necessary action or, in the alternative, for the Panchayat Samiti to get an application from one of the inhabitants of the Village. Sub-divisional Officers (C), who are ex-*officio* members of the Panchayat Samiti, and who are also invested with the powers of an Assistant Collector 1st grade, are being specially asked to take the initiative in this matter of ejectment of persons in unauthorised or wrongful possession.

In order that a proper check is kept on the ejectment of persons in unauthorised or wrongful possession of shamilat lands in your block, you are requested to maintain a register in the form given at Annexure 'B'.

Panchayat Samitis, in whose jurisdiction substantial areas of shamilat land are in the wrongful or unauthorised possession of persons who have to be ejected, are authorised to employ a lawyer for the drafting of applications and their further prosecution in the court of the assistant Collector, 1st grade. It would be advisable for such Samitis to have the services of a standing counsel, who may be paid a suitable monthly remuneration or may be employed on a fee-basis, whichever arrangement is more economical. The fees or remuneration paid to the lawyer can later be recouped from the panchayat as soon as possession of the land is delivered to it. Panchayat Samitis who decide to empoly lawyers for this purpose are requested to send their proposals, regarding payment of fees /remuneration to them to Government for necessary approval.

(3) *Action to be taken for the development of shamilat lands*

(a) *Classification of villages in terms of area of shamilat land.*—A classification of the villages in your Block in term of the area of shamilat land is essential for this purpose. The villages in the block should be classified as follows:—

Category 'A' Villages with shamilat land of area not exceeding 50 acres.
Catagory 'B' Villages with shamilat land of area between 50 and 200 acres.
Category 'C' Villages with shamilat land of area exceeding 200 acres.

(*b*) *Responsibility for the preparation of plans for the development of shamilat area.*— Category 'A' The V. L. W. concerned should prepare the necessary plan, which may be vetted by the Extension Officer (Agriculture).

Category 'B'.—Extension Officer (Agr.) should prepare the plan and where he needs guidance he should obtain it from the District Agricultural Officer.

Category. 'C'.—In the letter referred to at (5) of paragraph 2, all Samitis were requested to send certain particulars about villages having more than 200 acres of shamilat land. Plans for the development of these areas will be prepared by the Land Development Officer of the Community Development and Panchayati Raj Department. A special scheme for the development of these large areas is being prepared by the Land Development Officer, details of which will be communicated to you shortly.

Note.—(i) It is essential that all plans for the development of shamilat areas, whether they belong to Category 'A', 'B' or 'C', are placed before the panchayat concerned and approved by it.

(ii) A Manual for the guidance of Panchayats, Panchayat Samitis, V. L. Ws and Extension Officers (Agr.) in the preparation of plans for the proper development of shamilat lands is under preparation. and will be sent to all concerned in the near future.

4. *Rules framed under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act*

The existing Rules are those framed under the Act of 1954. These Rules were published with Revenue Department Notification No. 5557-R(CH)54-216, dated 18th February.

1955. A new set of Rules under the Act of 1961 is under preparation, and will be issued in the near future. The action explained in paragraph 3 should, however, be initiated immediately. The first step, as pointed out in that paragraph, is the assessment of the areas of shamilat land available in the block. The next step will be putting panchayats in possession and the ejectment of persons in wrongful or unauthorised possession. The third step will be preparation of plans for the development of these lands, followed by actual implementation. Where shamilat lands are already in possession of the panchayats concerned, the first and second steps will be unnecessary, and action for the proper utilisation of the land should be taken be immediately.

5. In view of the National Emergency and the need to increase agricultural production not to mention the financial resources of panchayats, these instructions deserve your immediate and active consideration. The task is to be undertaken on a top priority basis.

As mentioned earlier, officers from headquarters will very soon be visiting the blocks assigned to them in ordr to judge on the spot the action that has so far been taken and is being taken on the basis ot these instructions.

yours sincerely,

(Sd/-) A. L. Fletcher.

To

All Chairmen of Panchayat Samitis in the State

No PS/FC(D)-63/87, dated the 14th February, 1963 .—

(1) Copies to All Deputy Commissioners in the State, who are requested to pay special attention to this problem and to ensure that Panchayat Samitis take effective action in accordance with the above instructions. In the case of Panchayat Samitis which do not lie within the jurisdiction of a Sub-division, they are also requested to intimate the name of the Assistant Collector 1st grade, to whom applications are to be made under section 7 of the Punjab Village Common lands (Regulation) Act of 1961.

(2) Chairmen of all Zila Parishads in the State, who are requested to take an interest in this particular matter and to ensure that Samitis in their respective districts take effective action, as directed in these instructions.

(3) All Sub-divisional Officers (c) in the State, who are requested, as *ex-officio* members of Panchayat Samitis within their jurisdiction, to take a special interest in this work, and, as Assistant Collectors, 1st grade, to make full use of the powers conferred on them under section 7(2) of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961. They are also requested to deal expeditiously with all applications made to them under this section.

(4) Director of Panchayats /D. D. P. Os/L. D. O/Assistant- Directors of Panchayats /District Agricultural Officers, who are requested to pay special attention to this problem, and , in the course of their inspections of blocks, to see how the work is progressing.

(Sd.) A. L. Fletcher

ANNEXURE A

Serial No	Name of Gram Panchayat	Name of villages constituting the panchayat	Area in acres of shamilat land in village	*Particulars of possession and utililisation*		
				With lessees under Panchayat	With persons in unlawful possession	Directly cultivated by panchayat
1	2	3	4	5	6	7

[Planning and Development Minister]

Area lying waste		*Income from shamilat Land*			
In Panchayat's possession	In unlawful possession of others	From lessees	From direct cultivation by panchayat	From other uses	REMARKS
8	9	10	11	12	13

ANNEXURE B

Register of shamilat lands in unlawful possession.

Serial No.	Name of Gram panchayat	Name of Villages constituting the panchayat	Name of persons in unlawful possession of shamilat land
1	2	3	4

Area in unlawful possession of the persons mentioned in Col. 4	1. Has any application been made by panchayat/ an individual to Assistant Collector, I Grade under Section 7 of the Act. If so date of application. 2. Has Assistant Collector, I Grade, *suo motu* taken up the case under section 7(2) of the Act ? 3. If no action as at 1 or 2 above has been taken, reasons.
5	6

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या योजना मंत्री जी बताएंगे कि सवाल के जवाब में मुझे यह जो सूचना दी गई है इस में दिया हुआ है कि लाखों एकड़ शामलात ज़मीन अभी तक पंचायतों के नाम ट्रांसफर नहीं हुई ? आठ साल कानून को लागू हुए हो गए ह तो यह जमीन अभी तक पंचायतों के नाम टरांसफर क्यों नहीं हुई ? इस का क्या कारण है ?

मंत्री : सारी ज़मीनों की डीमारकेशन करने में टाइम लगेगा ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कितना टाइम और लगेगा?

मंत्री : हम तेज़ी के साथ कर रहे हैं लेकिन इन चीज़ों में फिर भी टाइम लग जाता है ।

पंडित मोहन लाल दत्त : बहुत सारी शामलात ज़मीन कुछ कोआप्रेटिव सोसायटियों ने अपने कब्ज़े में ले रखी है जो कोंसोलिडेशन से पहले की बनी हुई हैं; वह भी उन का कुछ हिसाब नहीं दे रहीं। क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस बारे में सरकार ने क्या किया है ?

मंत्री : वह अंडर ऐक्शन है ।

Deputy Speaker : Next question please.

पंडित मोहन लाल दत्त : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह क्वैस्चन बड़ा ज़रूरी है.....

उपाध्यक्षा : अब मैं ने नैक्स्ट क्वैश्चन बुला लिया है । (Now I have called the next question.)

BACKWARD AREAS

***2506. Shri Jagan Nath** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the details of the backward areas, districtwise in the State at present ;

(b) the criteria kept in view to declare any area as backward area ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) the details* of the backward areas in the State are laid on the Table of the House.

(b) The following three factors are generally kept in view while declaring any area as 'Backward' :—

(i) Economic position of the area :

(ii) nature and extent of developmental activities and :

(iii) means of communication and marketing facilities available in the area.

श्री जगन्नाथ : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो एरिया बैकवर्ड करार दे रखा है क्या उस को डिवैल्प करने के बाद आम इलाके में शामिल कर लिया जाएगा ?

मंत्री : वह इलाका जिसे बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया है जब वह भी दूसरे इलाकों के बराबर हो जाएगा, वहां भी कम्युनिकेशन्ज ठीक हो जायगी तो फिर उस को हम ने बैकवर्ड इलाका की लिस्ट में क्यों रखना है ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या यह हकीकत नहीं है कि आप ने बहुत सा इलाका बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया मगर उस को ऊपर उठाने के लिए आप के पास पैसा नहीं है और यह जो आप की कार्यवाही है यह सिर्फ कागज़ी कार्यवाही हो कर रह गई है ?

उपाध्यक्षा : आप तो सूचना दे रहे हैं । (The hon. Member is giving information.)

पंडित मोहन लाल दत्त : नहीं मैं ने पूछा है कि आया यह हकीकत है या नहीं कि इन्होंने बहुत ज्यादा इलाका बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया हुआ है मगर उस की डिवैलपमैंट पर कोई पैसा ख़र्च नहीं हो रहा ?

चौधरी अमर सिंह : क्या सरकार इस बात का निश्चय करेगी कि वह इलाका जो कि वाटर लॉगिंग से पैदावार के नाकाबिल हो चुका है उस को बैकवर्ड डिक्लेयर करेगी ?

मंत्री : इस का तरीका यह है कि हम तो लोकल अथारिटी से सिफारिशें मांगते हैं । जब वे रिकमैंड करते हैं कि कोई इलाका बैकवर्ड है तो उस को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है । अगर कोई लोकल अथारिटी ऐसी कोई रिकमैंडेशन भेजेगी तो उस को जरुर डिक्लेयर कर देंगे ।

*Statement kept in the Library.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਐਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸੇਮ ਅਤੇ ਥੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ।

श्री मंगल सैन : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, जनाब । क्या इस हाउस में बैठ कर नाखुन काटे जा सकते हैं (विघ्न) मुख्य मंत्री जी काट रहे हैं ।

उपाध्यक्षा : कभी सीरियस भी हुग्रा करें । (The hon. Member should be serious sometime.)

श्री मंगल सैन : मैं तो इसे सीरियसली ही देख रहा हूं ।

Deputy Speaker : It is no point of order.

श्री राम किशन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने जो बैकवर्ड क्लासिज़ कमिशन की सिफारिशों के बारे में एक पैम्फलेट निकाला है क्या उन सिफारिशात को मद्देनज़र रख कर ही उन इलाकों को सहूलतें दी गई हैं ?

मंत्री : मैं ने उस कमिशन की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, पढ़ कर बताऊंगा ।

Shri Chand Ram : What are the facilitires and concessions that are provided for the bakward areas ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਜ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

श्री चांद राम : मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्पैशल ग्रलाटमैंट भी ऐसे इलाकों की डिवैल्पमैंट के लिए की गई है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜੇ ਕਰ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

Deputy Speaker. No repetition please.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार ने किसी ढंग पर तहसीलवार सर्वे किया है कि कितना हिस्सा बैकवर्ड एरिया है और कितने परसैंट हैं ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

श्री रूप लाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हिन्दी रीजन में नूह और झिरका को बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है तो दूसरे इलाकों को क्यों नहीं किया गया । गुड़गांव को डिक्लेयर नहीं किया गया ।

ਮੰਤਰੀ : ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Sardar Lachhman Singh Gill : Will the hon. Minister for Agriculture please state if the backward area this year has increased from what it was last year ?

ਮੰਤਰੀ : ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਫਿਰ ਦਸਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਮੰਤਰੀ : ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਰੇਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

THEFT IN AMRITSAR DRAINS DEPARTMENT

***1233. Comrade Makhan Singh Tarsikka** (Put by Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:—

(a) the total weight of iron-bars (saria) in tons and the cost thereof recently stolen from the stores of Amritsar Drains Department ;

(b) whether any report in this connection was got registered with the police by the said Department; if so, the actoin if any, taken by the Police ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) 3.767 metric tonnes costing Rs 2,671 only.

(b) Yes. The findings are still awaited.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इस बारे में जो रिपोर्ट हुई उस से किस आदमी को इन्क्वायरी पर लगाया गया था ? क्या यह केस पुलिस के पास है ?

श्री बलरामजी दास टंडन : यह केस किस मरहले पर है क्या इसका चालान पेश किया जा चुका है , कोई आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है या यह पुलिस इन्वेस्टीगेशन तक महदूद है ?

मंत्री : मेरे पास पूरी सूचना नहीं है इतनी ज़रूर है कि केस पुलिस के पास है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । (The Minister has already given the reply that he does not know about the actual date of theft.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਥੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਕਿਹੜਾ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : यह सप्लीमेंटरी नहीं है । (It is not a Supplementary Question).

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ? ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਪਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । (The hon. Member should please see whether the question asked makes a supplementary or not.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि बाबू अजीत कुमार अपना सप्लीमेंट्री पूछ कर अभी बैठे ही थे कि मैं खड़ा हो गया था मगर आप ने देखा नहीं । मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह सवाल जो है यह एक बहुत ही स्पैसिफिक क्वैस्चन है । हाल ही में अमृतसर के अन्दर कुछ सरिये की चोरी हुई मगर इस की रिर्पोट दर्ज नहीं हुई । यह एक स्पैसिफिक क्वैस्चन है जिस के नोटिस की ज़रूरत नहीं है । इस का जवाब तो आना ही चाहिए ।

मंत्री : तारीख पूछ कर ही इस का जवाब दिया जा सकता है ।

INCLUSION OF AREAS IN THUR RECLAMATION SCHEME IN DISTRICT SANGRUR

*2419. **Sardar Pritam Singh Sahoke** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Director, Research and power Institute, Amritsar received and representation in August/September, 1962 , for the inclusion of certain areas of village Kakra, district Sangrur, in the Thur Reclamation Scheme ; if so, the copy of the same be laid on the Table of the House together with the action proposed to be taken by Government theron ?

Chaudhri Ranbir Singh: Yes , copy of the representation received from Shri Pritam Singh Sahoke is laid on the Table of the House. Two reclamation outlets at R.D. 17460 and 19,080 TR of Minors 4 of Bhawanigarh Distributary were sanctioned for the reclamation of 'Thur' area of village Kakra and will be fixed shortly.

From

Sardar Pritam Singh Sahoke,
M.L.A. (Lehra),
Village and Post Office Sahoke,
Tensil and District Sangrur.

To

The Director,
Irrigation and Power Research Institute,
Amritsar.
No. SPL/Lehra/10th October, 1962

Subject.—Survey of Thur area of village Kakra on Minor No. 4 and Minor No. ; Bhiwanigarh Distributary, tehsil and district Sangrur.

DEAR SIR,

Jai Hind.

The field staff under your kind control has surveyed nearly 100 acres of Thur area of the said village on Minor No. 4 and has proposed two outlets on it at R.D. 17000 R and R.D. 19000R. The beneficiaries of the Thur area of the said village at R.D., 14900R, have approached me with the request that their Thur area may also be included on the proposed outlet of R.D. 17000R and the R.D. be shifted to R.D. 14,900 right which could conspicuously cover the area of R.D. 17,000 right.

The Thur area on minor No. 5 of the village may kindly be investigated and an outlet at the commandable position be proposed.

I hope you shall personally look into the matter immediately and shall very kindly acknowledge the action taken by you.

Thanking you.

Yours faithfully,

PRITAM SINGH SAHOKE,
M.L.A.

DAMAGE DONE TO KHARIF CROPS BY WATER LOGGING

*1036. **Comrade Harnam Singh Chamak** : (Put by comrade Bhan Singh Bhaura) : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the parts of the State where the last kharif crops were damaged due to waterlogging with the extent of damage done to crops ;

(b) the steps , if any, taken by Government to ward off the menace of waterlogging and the relief, if any, so far provided to the affected people ?

Sardar Ajmer Singh : (a) and (b) Two statments containing the requisite information are laid on the table.

(a) Statement showing the parts of the State where the last kharif crops were damaged due to waterlogging with the extent of damage done to crops.

Serial No.	Name of District	Name of Tehsil	No. of villages where the last kharif crops were damaged due to water-logging	Total area in acres of the crops for the last kharif, damaged due to warerlogging of the villages, shown in column No. 4	Total value of crops damaged in the last khrif harvest due to water-logginggg of the villages shown in column No. 4
1	2	3	4	5	6
				Acres	Rs
1	Gurdaspur	Gurdaspur	166	140	65,000
		Batala	119	40	
		Pathankot	26	63	
2	Ludhiana	Jagraon	5	652	96,367

[Revenue Minister]

3	Patiala	Patiala	28	1,802	1,80,200
		Nabha	7	59	5,900
		Sirhind	6	170	17000
4	Sangrur	Barnala	28	2,475	2,38609
		Sangrur	159	8,540	16,56,000
		Malerkotla	14	559	42,350

Statement showing the steps taken by Government to ward off the menace of waterlogging and the relief, if any, so far , provided to the effected people.

(b)(i) The steps taken by the Government to ward off the menace of waterlogging are given as under :—

(1) Several Nallah/Drains totalling 1,100 miles in length had already proposed for excavation purpose. This includes canalizing the existing drains. Out of 1,100 miles drainages, about 700 miles of drains have been surveyed and Schemes prepared for execution either departmentally or voluntarily.

(2) The drainage system already existing is being improved upon by desilting the existing drains so that the bed of the drain when gets lowered could provide means to dewater the waterlogged areas. This shall depress the water table and ultimately waterlogging shall decrease,

(3) In Block No. 1 near Kathunangal main seepage drain 17,000 feet in length has been excavated to a depth of about 6 feet which is about 4 feet below sub-soil water-level. In this main see page drain field seepage drain which collects seepage water of the area outfalls at about 1,000 feet apart on both sides. This shall reduce the menace of waterlogging in the area considerably.

(4) Similary in bock No. II near Majitha, field seepage drains are being excavated to reduce the menace of waterlogging in that area.

(5) To guard against the waterlogging in the areas enclosed between K.B.L. and Rasulpur Distributary, K.B.L. and Tarn Taran Distributary the K.B.L. is being lined wiht double tile layers and the lining of Rasulpur and Taran Taran Distributary is under consideration with the Government.

(6) Number of other schemes in U.B.D.C., Bist and Ghaggar tracts have been prepared for checking the floods effectively are given as under :—

(1) Diverting Langarpur and Dasuya Group of Chos into river Beas upstream of Bein Regulator.

(2) Training Dholbaha group of Chos from foot of hills to Muhan village.

(3) Training Dholbaha and Januari Group of chos from Mohan Village to river Beas.

(4) Training Mehangerwal group of chos from foot of hills to river Beas.

(5) Training Taragarh Cho along its old bed from Taragarh village to its outfall in East Bein.

(6) Training Kingranwala Choe along its old bed from Nand Chaur village to its outfall in West Bein.

(7) Canalising East Bein in Hoshiarpur, Jullundur and Kapurthala Districts.

(8) Canalising West Bein in Hohshiarpur, Jullundur and Kapurthala Districts.

(9) Diverting Besu Khad and other chos to river Sutlej through syphon at R.D. 83,400 of Bist Doab Canal.

(10) Canalising Ranjini Devi, Lalwani and Jaijon Choe.

(11) Canalising chosbetween Balachaur and Rupar.

(12) A scheme for the protection of Kahnuwan Bet area against flood and waterlogging.

(13) Canalising Mehlanwali group choes.

(14) Scheme for protecting village and the valley land on the left bank of river Beas between Mirthal Bridge and Dasuya against erosion and flooding.

(15) Canalising Soan river between Daulatpur and junction of Sutlej river.

(16) Scheme for training Chhaunch Khad from upstream of Kandori village to its out fall in river Beas upstream of Mirthal Bridge.

(17) A Scheme for canalising Chakki river between Dhangu Bridge and Mirthal Bridge.

(18) Scheme of proposed training works on river Beas upstream of Indora Town.

(19) Diversion of Sakki Nalah into river Ravi near Ram Dass in Amritsar District.

(20) Diversion of Kasur Nallah into river Beas near Batala.

(21) Diversion of Patiala Janta Devi Ki Rao to river Sutlej-Continued Scheme.

(22) Diversion of Tangri and Markanda to Jumna River.

(b) (ii) The land revenue of the area affected by waterlogging is remitted under the Punjab Land Revenue (Thur, Sem, Chos and Sand) Remission and Suspension Rules, 1960.

WATERLOGGED AREAS IN TEHSIL UNA, DISTRICT HOSHIARPUR

*2009. **Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) Whether Govenment have recently made any survey with a view to find out the extent of water-logged area in the backward areas of tehsil Una, district Hoshiarpur, if so, the details of such waterlogged areas, if any, in the Blocks of Una, Gagret and Amb, respectively ;

(b) the steps taken or proposed to be taken by Government to check and clear the menace of waterlogging in such areas ?

Sardar Ajmer Singh : (a) No.

(b) The question does not arise.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड एरिया को इस सम्बन्ध में क्यों नज़र अंदाज़ किया गया ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक मेरा इलाका नज़र अन्दाज़ करने की क्या वजह है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਉ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि 80 मील तक का एरिया स्वां नदी की वाटर-लागिंग ने घेरा हुआ है। आया गवर्नमैंट इस के लिए कोई प्रबन्ध जल्दी ही करने को तैयार है ?

मंत्री : बिल्कुल तैयार है । आप इस के मुताल्लिक चौधरी रनबीर सिंह को लिख दें और मुझे भी लिख दें ।

RETRENCHMENT IN THE REVENUE DEPARTMENT

***2060. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any Government employees have recently been retrenched in the Revenue Department, if so , the number of employees, so retrenched, together with their designations ?

Sardar Ajmer Singh : Part (a)—yes.

Part (b) The total number of the employees retrenched in the Revenue/ Consolidation Departments, designationwise, is given belown

Designation	Number
(1) Editor Gazetteers	1
(2) Naib Tahsildars	12
(3) Kanungos	24
(4) Patwaris	2467
(5) Clerks	21
(6) Peons (Class IV Government servents	481
(7) Chairmen (Special Assessment)	25
Total	.. 3031

चौधरी अमर सिंह : इन रिट्रैंचड एम्पलाईज़ में से शैड्यूल्ड कास्ट एम्पलाईज़ कितने हैं ।

मंत्री : मैं एक बात बतला दूं इसके मुताल्लिक कि गवर्नमैंट ने यह फैसला ले लिया है कि शैड्यूल्ड कास्ट जितने एम्पलाईज रिट्रैंच हुए हैं, या डिमोट हुए है, उनको उन्हीं जगहों पर लगा दिया जाएगा। (तालियां)

श्री बलरामजी दास टंडन : इन रिट्रैंच किए हुए एम्पलाईज़ में गज़ेटिड अफसर कितने हैं ?

मंत्री : मैं रिट्रैंचमैंट का मतलब पहले बतला दूं ताकि गलतफहमी न रहे। इसका मतलब यह नहीं, कि वे सर्विसज़ से बाहर कर दिए गए बल्कि एक डिपार्टमैंट में अगर रिट्रैंचमैंट हुई तो उन्हें दूसरे डिपार्टमैंट में जहां मांग थी वहां भेज दिया, या जहां लियन था उसे वहां भेज दिया गया। हां, जो बिल्कुल टैम्परेरी हैंडज थे, उन्हें ज़रूर रिट्रैंच किया गया।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ in view of the retrenchment Revenue Department ਅਤੇ Irrigation Department ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ scheme ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਮਪਲਾਈਜ਼ ਸੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਰਿਟਰੈਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਐਂਮਪਲਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਰਿਟਰੈਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

श्री बल राम जी दास टंडन : जो पोसटें सैकरेटेरियट के स्तर पर खत्म की गई हैं वह कितनी हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

Shri Chand Ram : How much time will it take to reinstate or re-employ the retren hed employees ?

Minister : We have taken the decis on very re ently and we are sending these instructions to the districts. The retrenched employees will be reinstated very soon.

Shri Chand Ram : By what date these orders are likely to be implemented ?

Minister : Very soon, please.

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि 2,000 पटवारियों को रिट्रैंच करने का क्या क्राईटीरिया रखा गया ?

मंत्री : सीनियारिटी और जूनियारिटी को सख्ती के साथ कंसिडर किया गया।

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि ऐसे पटवारी जो डिप्टी कमिश्नर ने लगाए थे उन्हें सीनियर और जो सुबार्डिनेट सर्विसिज़ सीलैक्शन बोर्ड के ज़रिए ऐप्वायंट हुए हैं उनको जूनियर ट्रीट किया गया ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ from which date their period of service begins ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । It all depends upon the actual cases to be investigated.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰੇਂਚਮੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜੇ ਖਬੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੂਅਲੀ ਹਟਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਟਵਾਰੀ 2,467 ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਉਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ।

Shri Balramji Dass Tandon : Madam, in my question I had asked—

"Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any Government employee have ecently been retrenched in the Revenue Department.........."

मैं पुछना चाहता हूं कि सेक्रेटेरियट लैवल पर जो रिट्रैंचमैंट हुई है वह भी शामिल है ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟਰੇਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

श्री जगन नाथ : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो गजे़टिड अफसर रिट्रैंच किया गया है वह दूसरे गजे़टिड अफसरों से जूनियर था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ।

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਰੀਟਰੇਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ।

श्री राम किशन : वज़ीर साहिब ने फरमाया था कि ऐसे पटवारियों की जिनको डी.सीज़. ने किसी वेकैंसी के अगेंस्ट लिया और बोर्ड ने उनको कन्फर्म कर दिया उनकी सीनियारटी होती है । क्या वह बताएंगे कि ऐसे पटवारी जिनको डी. सीज़. ने वेकैंसीज़ के अगेंस्ट लिया है लेकिन बोर्ड ने कन्फर्म नहीं किया है उनके मुकाबिले में जो बोर्ड के सीलेक्ट शुदा रिट्रेंच किए हैं वह केसिज़ उनके नोटिस में आए हैं और क्या वह उन पर इस जवाब की रौशनी में गौर करने को तैयार हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਥੇਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਦਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ।

श्री राम किशन : क्या ऐसे पटवारियों को जो डी. सीज़ ने रखे बोर्ड के दायरा अख्तियार से निकाल दिया गया था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸਦੇ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਜੇਕਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

STARRED QUESTION No. 2069.

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Madam. My question No. 2069 regarding "Sales Tax Assessed Against the Management of Gum Gawar Factory, Bhiwani" appearing in the list of Starred Question for 28th March, 1963, was postponed. It has not been included in the list of Postponed Questiones for to-day. I want to know the reasons therefor.

Deputy Speaker : I will look into it.

SUPPLEMENTARARIES TO STARRED QUESTION NO. 1820

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ, 1962 ਤਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ transfer according to entries in revenue record ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡੇਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 32 ਦਿਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਥੇ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, therefore the date was extended up to 31st December, 1962 in those cases and throughout the State ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Note.—Starred Question No. 1820 and reply thereto appeares in Punjab Vidhan Sabha Debate, Vol. I No. 23, dated 25th March, 1963.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਖਰੀਫ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ 1732 ਏਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਏਕੜ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਵਿਚ 268 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 68 ਏਕੜ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਕਲਟੀਵੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਈ । ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਸੇਸ਼ਨਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਖਰੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 43,518 ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 24,381 ਹਨ ਤੇ 19,137 ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਨੀਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਖਰੀ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਿਸੰਬਰ 1962ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੀ ਅਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਅਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 1916,*

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕਲ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਗਾਲਿਬਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨੈਚਰਲ ਫਲੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡਜ਼ ਤੇ ਪਾਨੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡਜ਼ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ?

Note : Starred Question No. 1916 along with its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I, No. 23, dated 25th March, 1963.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : उस पानी को मोगा ड्रेन में डालने के लिए ऐसा किया गया था और उन्होंने साईफन के बारे में ज़िक्र किया है । मैं मानता हूं कि साईफन सड़क के नीचे होना चाहिए था और आगे इस विषय में ख्याल किया जा रहा है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕੀ ਦਫ਼ਾ 80 ਸੀ: ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

मंत्री : यह काम नोटिस दिये जाने के कारण नहीं किया गया । सरकार ने पानी ड्रेन में डालने के लिए इंतजाम किया है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਫ਼ਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : ऐसा कोई विचार नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : सरकार की गफलत की वजह से कोई नुक्सान नहीं हुआ । हम ने मोगा ड्रेन की मार्फत पानी उतारने की कोशिश की है और वहां तक पहुंचाने के लिए रास्ते में जो रुकावटें आईं उन को दूर किया । उन में से एक रुकावट सड़क के नीचे साईफन की थी, उस रुकावट को दूर करने के लिए साईफन बनाया गया ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ; ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2—2½ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਰੀਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : माननीय सदस्य तो दूसरे गांवों की बात कर रहे हैं । वहां पर ऐसी बात नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਰੀਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : मैं समझता हुं कि वहां पर डीप्रैशन की वजह से पानी खड़ा है उस डीप्रैशन के लिए वालंटरी सरविस के नुक्ता निगाह से ड्रेन बनाई उसके मुकम्मल होने के बारे में इस समय नहीं कहा जा सकता है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ (ਬੀ) ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ—

> "The total estimated loss if any caused to crops of villages Kaler and Ghalib on account of this diversion of water from its natural flow".

ਦੂਜੇ ਵਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ "no" ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

मंत्री : माननीय मित्तल साहिब ने जो जवाब दिया था वह मेरा ऐप्रूव किया हुआ था।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

मंत्री : यह मेरे इल्म में नहीं है।

INSTALLATION OF EXPLORATORY TUBEWELLS IN GAGRET-AMB BLOCK

***2089. Pandit Mohan Lal Datta :** Wlil the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government is considering any scheme for the instalation of exploratory tubewells in the sub-mountainous tracts of Gagret and Amb Block during the next year or in the nea r future ; if so, the details thereof if not,the reasons therefor ?

Chaudhri Ranbir Singh : The mater is under active considerati on of the Government.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीमज़ कब तक अंडर कंसिड्रेशन रहेंगी ? क्या इन स्कीमों को कंसिडर करने के लिए साल या दो साल लगेंगे ?

मंत्री : वहां पर एक्सपलोरेटरी ट्यूबवैल्ज़ 1957 में लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर ट्यूबवैल्ज़ फेल रहे। इसलिए वहां पर कोई कार्यवाही करने से पहले काफी सोचना पड़ेगा।

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने गगरेट के इलाके के नज़दीक ऐसा कोई एक्सपैरिमैंट नहीं किया । मंत्री महोदय को यह इन्फरमेशन कैसे मिल गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक्सपैरिमैंट किए गए हैं तो कहां पर किए गए हैं ?

मंत्री : 1957-58 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्ज़ की टीम भेजी थी उन्होंने ट्यूबवैल्ज़ डरिल करने की कोशिश की थी और वह वहां पर कामयाब साबित नहीं हो सके । इसलिए काम छोड़ दिया गया था ।

GURGAON CANAL PROJECT

***2396. Shri Rup Lal Mehta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Gurgaon Canal Project has been closed down and all construction work thereon stopped.

(b) whether there is any scheme under the consideration of Government to revive the said project to provide irrigation facilities to the zamindars of Gurgaon District. if so, the sources of securing water for the distributaries and water sources of this project ;

(c) whether the Chhainsa Distributaries of Gurgaon Canal Project schemes are expected to start functioning ; if so, the time by which they are expected to be completed ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes.

(b) Yes. The water required for Gurgaon Canal System is proposed to be brought from Bhakra Dam. The method of carrying and delivering the supply from Bhakra Dam to Gurgaon canal is under the active consideration of Government.

(c) Nothing can be said at this stage. It is subject to availability of funds and consent of U.P. Government to the use of Agra Canal for carrying the discharge required for Chhainsa Distributary.

श्री रूप लाल महता : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि गुड़गांव कैनाल प्राजैक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए कब तक फंड्ज़ एवेलेबल हो जाएंगे ?

मंत्री : यह मामला अभी तक ज़ेरे गौर है ।

श्री रूप लाल मेहता : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम कब शुरू होगी ?

मंत्री : इस स्कीम की प्लैनिंग कमिशन ने अभी तक मंज़ूरी नहीं दी है ।

श्री रूप लाल मेहता : वज़ीर साहिब ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमैंट ने अभी तक यह स्कीम मंज़ूर नहीं की है तो इसे शुरू करके 75 लाख रुपए क्यों ज़ाया किए गए हैं ?

मंत्री : यह गुड़गांव के इलाके को जल्दी पानी देने के लिए किया गया था ।

UNSTARRED QUESTIONS SAND ANSWERS

LAND RECLAMATION DEPARTMENT

715. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue/Irrigation be pleased to state —

(a) the total amount spent so far on the Land Reclamation Department of the State with its headquarters at Amritsar, yearwise.

(b) the quantum of work done so far by the said Department, districtwise and yearwise.

(c) the number and names of all the employees with their qualifications working in the said Department giving the scale of pay, salaries and allowances being drawn by each ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yearwise expenditure incurred on Land Reclamation is given below :—

1961-62	*1962-63*
Rs. 4,33,946	Rs 9,26,456

(b) The quantum of work is not maintained districtwise but maintained by irrigation Divisionwise and detail is given under :—

1961-62

Name of Division	Area selected	Area Put under leaching	Area put under Rice
1	2	3	4
	Acres	Acres	Acres
Majitha Division of U. B. D.C. ..	6,128·51	1,891·56	1,148.12
Jandiala Division ..	441·01	213.45	143.53
Phagwara Division ..	413.80	6·00	6.00
Sangrur Division	181.00	57.90	57.90
Ferozepore Division ..	402·19	252·00	252.00
Hussainiwala Division ..	90·00	55.00	55.00
Total	7,656.51	2,475.91	1,662.55
Say ..	7,657.00	2,476.00	1,663.00

Note. Regarding unstarred Question No, 877, please see Annexure at the end of this debate.

1962-63

Majitha Division	..	13,032.00	8,557.00	4,402.00
Jandiala Division	..	1,168.00	901.00	593.00
U.B.D.C. Circle Ferozepore Division of Sirhind Canal Circle	..	1,266.00	678.00	466.00
Eastern Division of Ferozepore Canal Circle		1,013.00	736.00	408.00
Hussainiewala Division	..	373.00	155.00	143.00
Sangrur Division I.B. Circle	..	1,600.00	676.00	163.00
Lehal Division, I.B. Patiala		181.00	85.00	42.00
Devigarh Division Patiala		104.00	33.00	13.00
Karnal Division of W.J.C., East Circle		2,887.00	1,962.00	1790.00
Delhi Division, W.J.C. (East Circle)		423.00	208.00	141.00
Rohtak Division of W.J.C. (West)		93.00	64.00	60.00
Hissar Division of W.J.C. (West)		1501.00	777.00	626.00
1st B.M.L. Division of 1st B.M.L. Circle		927.00	271.00	186.00
Pehowa Division	..	1,150.00	596.00	466.00
Tohana Division	..	1,835.00	908.00	486.00
Total	..	29,757.00	17,729.00	10,652.00

[Irrigation and Power Minister]

(ii) In addition to above the following works of Land Reclamation have also been done in Kapurthala and Jullundur Districts :—

	1961-62	1962-63
	Acres	Acres
Initial breaking of land ..	27	Nil
Crops sown ..	172	145
Malta garden ..	5	5

(c)The total number of staff employed on reclamation schemes is 224 number in all as per list enclosed showing requisite particulars of each officer/official.

GAZETTED AND RESEARCH STAFF

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Scale	Salaries and D, A. Allowances	RMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Sarvshri—			Rs	Rs	T.A. Rs
1	U.S. Dalal ..	Deputy Director	B. Sc. (Agri)	625—40—1,025/50—1,275	945+100	
2	C.L. Dhawan	Do	M.Sc. (Hons) Ph. D.F.N.A. Sc.	Do	985+100	
3	Kanshi Ram ..	Land Reclamation Officers	B.Sc. (Agri)	375—30—625/40—685/40—925/50—1,275	685+85	
4	Madan Mohan Lal ..	Do	B.Sc. (Agri)	Do	685+85	
5	Hakim Singh ..	Assistant Land)Reclamation Officer	B.Sc.	250—25—550/25—750	275+60	25
6	Ranjodh Singh ..	Do	Do	Do	250+50	25
7	Kundan Lal Malhotra	Sub-Divisional Officer	O.E.S. Eng., R.C.C. Course, D.R.E. & D.P.E.	Do	550+85	25
8	Ram Parkash	Deputy Collector	B.A.	250—25—550	250+50	25
9	Rajwant Singh ..	Do	Do	Do	250+50	25
10	Suraj Singh ..	Assistant Land Reclamation Officer	B.Sc.	250—25—550/25—750	250+50	25
11	D.S. Chowhan ..	Do	Do	Do	275+60	25
12	Shanti Lal ..	Do	Do	Do	375+70	25

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Scale	Salaries and Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Sarvshri—			Rs	Rs	
1	Bakhtawar Singh ..	Research Assistant	B.Sc.	100—7—135—10/10—185/15—275	107+40	
2	Sushil Kumar ..	Do	Do	Do	Do	
3	Sukhdev Singh	Do	Do	Do	Do	
4	Davinder Pal ..	Do	Do	Do	Do	
5	Ranjit Singh ..	Do	Do	Do	100+40	
6	Hari Rai ..	Do	Do	Do	Do	
7	Jagtar Singh ..	Do	Do	Do	107+40	
8	Himmat Rai	Do	Do	Do	Do	
9	Madan Lal ..	Do	Do	Do	100+40	
10	Naranjan Singh ..	Do	Do	Do	135+40	
11	Dharam Pal ..	Do	Do	Do	100+40	

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Scale of pay	Salaries and Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Sarvshri—			Rs	Rs	
1	Hans Raj Monga ..	Superintendent	B.A.	300—20—400	300+80	
2	Lakhi Ram Jain ..	Head Clerk	Matric	150—10—200/10—300	170+65	
3	Om Parkash Bhandari	Do	Do	Do	180+65	
4	Budha Singh ..	Do	Do	Do	170+65	
5	Amolak Singh Mago	Stenographer	Do	106—6—160/8—200	112+52	
6	Ram Chand	Do	Do	Do	Do	
7	Amar Singh	Accounts Clerk	Do	Do	148+52	
8	Anup Singh ..	Do	Do	Do	118+52	
9	Narinder Kumar Sharma	Do	B.A.	Do	118+52	
10	R.P. Bhatnagar ..	Do	Matric	Do	115+52	
11	Rattan Lal Parbhakar ..	Do	Do	Do	118+52	
12	Mahabir Singh ..	S.D.C.	Do	60—4—80/5—120/5—175 20 Special Pay	100+40	
13	Arjan Singh ..	Do	Do	Do	Do	
14	Bhawani Dass ..	Do	Do	Do	105+40	
15	Kultaran Singh ..	Do	Do	Do	115+40	
16	Shri Ram Parkash ..	Do	Do	Do	100+40	
17	K.K. Seth ..	Divisional Accountant	M.A.	175—15—235/15—400	220+50	

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Scale of pay	Salaries and Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Sarvshri—			Rs	Rs	
1	Raghbir Singh ..	Clerk	Matric	60—4—80/5—120/5—175	64+40	
2	Kasturi Lal	Do	Do	Do	Do	
3	Avtar Singh ..	Do	Do	Do	Do	
4	Kuldip Rai	Do	Do	Do	Do	
5	Miss Daljit Kaur ..	Do	Do	Do	Do	
6	Gurdial Singh ..	Do	Do	Do	60+40	
7	Satya Parkash ..	Do	Do	Do	Do	
8	Ram Kishan ..	Do	Do	Do	Do	
9	Brij Mohan	Do	Do	Do	Do	
10	Brij Lal Arora ..	Do	Do	Do	Do	
11	Bhola Ram	Do	Do	Do	76+40	
12	Shri Pritam Singh ..	Do	Do	Do	60+40	
13	Kewal Krishan ..	Do	Do	Do	Do	
14	Asa Ram ..	Do	Do	Do	Do	
15	Rajinder Kumar ..	Do	Do	Do	Do	
16	Rup Chand ..	Do	Do	Do	Do	
17	Jaswant Rai ..	Do	Do	Do	Do	

18	Miss Gurdeep Kaur	Do	Do	Do	Do
19	Miss Santosh Kumari	Do	Do	Do	Do
20	Miss Swaran Lata ..	Do	Do	Do	Do
21	Sarvshri Iqbal Singh ..	Do	Do	Do	Do
22	Inderjit Kapoor ..	Do	Do	Do	Do
23	Sohan Lal ..	Do	Do	Do	68+40
24	Devki Nandan ...	Do	Do	Do	60+40
25	Banarsi Dass ..	Recorder-cum-Store-Keeper	Do	Do	68+40
1	Mahesh Kumar ..	Circle Head Draftsman	Matric	250—15—355	250+75
2	Nanak Chand ..	Draftsman	Do	100—8—140—10—160/ 10—200	108+56
3	Durga Parshad ..	Do	Do	Do	Do
4	Narinder Pal Singh ..	Tracer	Do	60—4—120/5—150	60+40
5	Kamal Dev	Do	Do	Do	68+40
6	Madan Lal ..	Draftsman	Do	100—8—140/10—160	132+56
7	Yash Pal ..	Tracer	Do	60—4—120/5—150	72+40
8	Narinder Singh ..	Do	Do	Do	60+40
1	Hem Raj ..	Zilladar	F.A.	100—10—200/10—300	100+40
2	Harbhajan Singh ..	Do	B.A.	Do	110+60
3	Balwant Singh ..	Do	F.A.	Do	100+40+70

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Scale of pay	Salaries and Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Sarvshri—			Rs	Rs	
4	Moti Ram ..	Zilladar	Matric	100-10-200/10-300	100+40	
5	Mehman Singh	Do	B.Sc.	Do	190+65+70	
6	Lal Chand ..	Do	Matric, F.A., English only	Do	100+40	
7	Gurdial Singh ..	Do	F.A.	Do	110+60	
8	Jaswant Singh ..	Do	Matric	Do	100+40	
9	Ganesh Datt	Do	Do	Do	Do	
10	Waryam Singh ..	Do	Intermediate	Do	140+40+70	
11	Joginder Singh	Do	F.A.	Do	100+40	
12	Balbir Singh ..	Do	B.A.	Do	140+60	
			HEAD VERNACULAR CLERK			
	Sarvshri—					
1	Tarlok Chand ..	Head Revenue Clerk	Matric	116—8—180—10—250	116+56	
2	Bhagwan Dass ..	Do	Do	Do	Do	
			REVENUE CLERK			
1	Shri Mangal Singh ..	Revenue Clerk	Matric	60—4—80/5—120/5—175	105+50	
1	Ram Saran Dass ..	Assistant Revenue Clerk	F.A.	60—4—80/5-120/5—175	60+40	
2	Baboo Ram ..	Do	Matric	Do	68+40	
3	Bal Krishan Dass ..	Do	Do	Do	Do	
4	Mehnga Singh ..	Do	Do	Do	Do	

5	Gurbachan Singh ..	Do	Do	Do	80+40
6	Gurdev Singh ..	Do	Do	Do	Do
7	Achhar Singh ..	Do	Do	Do	Do
8	Ram Chand	Do	Do	Do	Do
9	Waryam Singh	Do	Do	Do	60 +40
1	Kashmir Singh ..	Field Assistant	Matric	50—1—60/2—80	50+30
2	Parshotam Lal ..	Do	Do	Do	Do
3	Gurcharan Singh ..	Do	Do	Do	Do
4	Narinder Singh ..	Do	Do	Do	Do
5	Surjit Singh ..	Do	Do	Do	Do
6	Niranjan Singh ..	Do	Do	Do	Do
7	Bakshish Singh ..	Do	Do	Do	Do
8	Amar jit Singh ..	Do	Do	Do	51+40
9	Amarjit Singh, son of Shri Jagan Nath	Do	Do	Do	50+30
10	Dharam Paul ..	Do	Do	Do	Do
11	Rabinder Nath ..	Do	Do	Do	Do
12	Jagat Ram ..	Do	Do	Do	Do
13	Surjan Singh ..	Do	Do	Do	Do
14	Hari Chand ..	Do	Do	Do	Do
15	Baldev Raj ..	Do	Do	Do	Do

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Scale of Pay	Salaries and Allowancs	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
				Rs	Rs	
	Sarvshri—					
16	Hari Dass ..	Field Assistant	Matric	50—1—60/2—80	50+30	
17	Banarsi Lal ..	Do	Do	Do	Do	
18	Gurdial Singh ..	Do	Do	Do	52+40	
19	Girdhari Lal ..	Do	Do	Do	50+30	
20	Parkash Chand ..	Do	Do	Do	Do	
21	Gurdial Singh ..	Do	Do	Do	Do	
22	Surjan Singh ..	Do	Do	Do	Do	
23	Arjan Singh ..	Do	Do	Do	Do	
24	Bahadur Singh	Do	Do	Do	Do	
25	Paras Ram ..	Do	Do	Do	Do	
26	Pran Nath ..	Do	Do	Do	Do	
27	Mohinder Singh ..	Do	Do	Do	Do	
28	Bhagwant Singh ..	Do	Do	Do	Do	

29	Amrit Lal ..	Do	Do	Do	Do
30	Manohar Lal ..	Do	Do	Do	Do
31	Malha Singh ..	Do	Do	Do	Do
32	Gurbax Singh ..	Do	Do	Do	Do
33	Prem Singh ..	Do	Do	Do	Do
34	Harbhajan Singh ..	Do	Do	Do	Do
35	Harbans Lal ..	Do	Do	Do	Do
36	Ram Saran ..	Do	Do	Do	Do
37	Ram Sawarup ..	Do	Do	Do	52+40
38	Hari Chand ..	Do	Do	Do	50+30
39	Gurdip Singh ..	Do	Do	Do	Do
40	B.K. Rabinder Nath ..	Do	Do	Do	Do
41	Jagat Singh ..	Do	Do	Do	Do
42	Makand Singh ..	Do	Do	Do	Do
43	Amrit Lal ..	Do	Do	Do	Do
44	Kirpal Singh ..	Do	Do	Do	Do
45	Darshan Kumar ..	Do	Do	Do	Do
46	Arjan Singh ..	Do	Do	Do	Do
47	Kartar Singh ..	Do	Do	Do	Do
48	Kewal Krishan, son of Shri Gurbhagat Singh	Do	Do	Do	Do
49	Kewal Krishan, son of Shri Behari Lal	Do	Do	Do	Do

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Scale of pay	Salaries & Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
				Rs	Rs	
	Sarv shri—					
50	Prem Singh ..	Field Assistant	Matric	50-1-60/2-80	50+30	
51	Balkrishan ..	Do	Do	Do	Do	
52	Ram Singh ..	Do	Do	Do	Do	
53	Suraj Mal ..	Do	Do	Do	Do	
54	Joginder Singh ..	Do	Do	Do	Do	
55	Surinder Pal ..	Do	Do	Do	Do	
56	Amar Nath ..	Do	Do	Do	Do	
57	Ajmer Singh ..	Do	Do	Do	Do	
58	Kashmir Singh ..	Do	Do	Do	Do	
59	Charan Singh ..	Do	Do	Do	Do	
60	Boota Singh ..	Do	Do	Do	54+40	
61	Gurmel Singh ..	Do	Do	Do	50+30	
62	Gello Ram ..	Do	Do	Do	Do	
63	Mata Dev ..	Do	Do	Do	Do	

64	Mani Ram ..	Do	Do	Do	Do
65	Surjit Singh ..	Do	Do	Do	Do
66	Dalip Singh ..	Do	Do	Do	Do
67	Sarwan Ram	Do	Matric with Patwar pass	Do	Do
68	Mohinder Singh ..	Do	Do	Do	Do
69	Piara Singh ..	Do	Do	Do	Do
70	Sadhu Singh ..	Do	Do	Do	Do
71	Ram Rattan ..	Do	Do	Do	51+40
72	Surjit Singh ..	Do	Do	Do	Do
73	Dharam Pal ..	Do	Do	Do	Do
74	Sansari Lal ..		Do	Do	Do
75	Bhagwan Dass ..	Do	Do	Do	50+30
76	Sohan Lal ..	Do	Do	Do	Do
77	Jagdish Singh ..	Do	Do	Do	Do
78	Joginder Singh ..	Do	Do	Do	52+40
79	Dayal Singh ..	Do	Do	Do	Do
80	Mohinder Singh ..	Do	Do	Do	57+40
81	Maghi Ram ..	Do	Do	Do	50+30
82	Hari Krishan Lal ..	Do	Do	Do	Do
83	Mohinder Singh ..	Do	Do	Do	52+40
84	Bakshish Singh ..	Do	Do	Do	50+30
85	Hari Singh ..	Do	Do	Do	51+40

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Scale of pay	Salaries & Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
				Rs	Rs	
	Sarvshri—					
86	Jarnail Singh ..	Field Assistant	Matric with Patwar pass	50—1—60/2—80	50+30	
87	Ranjinder Kumar ..	Do	Do	Do	Do	
1	Puran Chand ..	Peon	Literate	30—½—35	35·50+30	
2	Kapur Singh ..	Do	Do	Do	35+30	
3	Om Parkash ..	Do	Do	Do	Do	
4	Raghunandan Lal ..	Do	Do	Do	Do	
5	Sardari Lal ..	Do	Do	Do	Do	
6	Hans Raj ..	Do	Do	Do	Do	
7	Dalip Singh ..	Do	Do	Do	37·50+30	
8	Romesh Chander ..	Do	Do	Do	35+30	
9	Thakar Singh ..	Do	Do	Do	Do	
10	Roshan Lal ..	Do	Do	Do	Do	
11	Ghanshyam Dass ..	Do	Do	Do	Do	

12	Moji Ram	Do	Do	Do	Do
13	Baboo Ram	Do	Do	Do	Do
14	Mohan Behari Lal	Do	Do	Do	Do
15	Bhagwat Saroop	Do	Do	Do	Do
16	Mohan Lal	Do	Do	Do	Do
17	Sadhu Ram	Do	Do	Do	Do
18	Kul Bhushan Lal	Do	Do	Do	Do
19	Shiri Ram	Do	Do	Do	Do
20	Sarwan Dass	Do	Do	Do	Do
21	Kanshi Ram	Do	Do	Do	Do
22	Hachanoo Ram	Do	Do	Do	Do
23	Jagdish Ram	Do	Do	Do	Do
24	Bhagat Ram	Do	Do	Do	Do
25	Diwan Chand	Do	Do	Do	Do
26	Avtar Singh	Do	Do	Do	Do
27	Sita Ram	Do	Do	Do	Do
28	Ajudhya Parkash	Do	Do	Do	Do
29	Khushi Ram	Do	Do	Do	Do
30	Sham Lal	Do	Do	Zo	Do

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Scales	Salaries & Allowances	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
				Rs	Rs	
	Sarvshri—					
1	Jagdish Singh ..	Daftri	Under-Matric	35—1—50	40+30	
2	Joti Ram ..	Sweeper-cum-Chowkidar	Literate	30—½—35	35+30	
3	Dhan Singh ..	Do	Do	Do	Do	
4	Kartar Ram ..	Do	Do	Do	Do	
5	Man Singh	Do	Do	Do	Do	
1	Sat Dev ..	Azo Operator	Matric	100—8—140/10—200	108+56	
1	Ajmer Singh ..	Laboratory Attendant	Literate	32—1—42	39+30	
2	Pars Ram ..	Do	Do	Do	Do	
1	Joginder Singh ..	A. L. A.	Do	24—1—27	35+30	

WATERLOGGED AREA IN AMRITSAR AND GURDASPUR DISTRICTS

716. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the level of waterlogging in Amritsar and Gurdaspur Districts at present ;

(b) the anti-waterlogging measures so far taken by the Government in the said districts with the detail of expenditure incurred on each measure ;

(c) the steps, if any, so far taken and proposed to be taken to give suggestions to the cultivators of the affected area to grow such crops, which give much yield ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) The sub-soil water depths are not maintained distrit-wise but are maintained on the canal irrigation tracts. The U.B.D.C. tract serves the Amritsar and Gurdaspur Districts and levels of waterlogging together with the area under different condititons of water depths are given as under :—

	Acres
(i) —5 to 5′ ..	2,685,234
(ii) 5 to 10′ ..	3,667,351
(iii) 10 to 15′ ..	1,412,198

(b) Number of anti-waterlogging flood control works have already been taken up. The accounts are not maintained district-wise because a scheme can fall in more than one district.

Serial No.	Name of scheme	Expenditure	District in which the scheme falls
		Rs	
1	Construction F.C. Bund embankment in the left bank of river Beas Mirthal to Dasuya	0.02	Gurdaspur and Hoshiarpur
2	Constructing Gandi Wandi Drain ..	0.07	Amritsar
3	Constructing Chogawan Drain ...	1.52	Do
4	Widening Kasur Nallah ...	2.69	Do
5	Widening Patti Nallah ..	1.00	Do
6	Widening Hydiara Nallah ..	1.35	Do
7	Widening Hydiara, Majitha and Tarpal Drain ..	0.10	Do
8	Widening and deepening Khilchiar Drain ..	0.06	Do
9	Constructing Sahal Drain ..	0.06	Do
10	Canalising Kasur Nallah ..	6.68	Do
11	Constructing Patti Nallah ...	2.03	Do

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of scheme	Expenditure	District in which the scheme falls
		Rs	
12	Constructing Chabbal Drain (including Panwar Drain)	1.33	Amritsar
13	Constructing Jaura Drain ..	0.06	Do
14	Constructing Muradpura Drain ..	0.06	Do
15	Constructing and excavating Doda Drain ..	0.05	Do
16	Constructing Mari Mehga Drain ..	0.01	Do
17	Constructing Majju Pur Drain ..	0.17	Do
18	Constructing Hudiara Nallah ..	0.54	Do
19	Constructing Tung Dhal-cum-Gumtal and Talwandi Bharat Drain	0.14	Do
20	Constructing Hudiara Majitha and Tar Pai Drain	0.10	Do
21	Constructing Attari Drain ...	0.41	Do
22	Constructing Kasel Padhana Drain ..	0.01	Do
23	Ring Bund around P.A.P. Picket in Gurdaspur District	0.41	Gurdaspur
24	Further raising of B.B. Dera Baba Nanak to Kamalpur	0.04	Amritsar
25	Constructing Kairon Drain ..	0.73	Do
26	Constructing Shahbaz Drain ..	0.05	Do
27	Constructing Othian Drain ..	0.01	Do
28	Constructing Sangne Drain ..	0.01	Do
29	Excavating Khilchian Drain ...	0.59	Do
30	Excavating Fatehgarh Drain ..	0.58	Gurdaspur
31	Excavating Nabipur Cut Drain ..	0.52	Do
32	Excavating Qadian Drain ..	..	..
33	Excavating Khozala Drain ...	0.05	Gurdaspur
34	Excavating Batala Drain ...	0.99	Do
35	Excavating Nagoke Drain ...	0.02	Amritsar
36	Excavating Chakki Drain ...	0.13	Do
37	Excavating Allachuk Drain ...	0.03	Do
38	Excavating Wadala Viram Drain ..	0.06	Do
39	Constructing Ring Bund around P.A.P. pickets in Gurdaspur District	0.06	Gurdaspur
40	Constructing B.B. spur to protect Dina Nagar-Narot Jaimal Singh Road	0.45	Do
41	Constructing spur at R.D. 76,500 F.P.E. above Dera Baba Nanak	1.17	Amritsar

(c) No steps are being taken for giving suggestion to the cultivators as this depends upon the particular type of soil and this implication concerns Agriculture Department. However, it is recommended that the sugarcane and rice-crop can give much yield in the waterlogged area as these crops can stand in high water-table conditions

---

NON-PAYMENT OF T.A./D.A. TO THE FIELD STAFF AND OTHERS IN THE AYURVEDIC DEPARTMENT

789. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Finance be pleased to state: whether it is a fact that T.A. and D.A. have not been paid to the field staff as well as other staff in the Ayurvedic Department, Punjab, for a numbr of months/years, if so, the reasons therefor ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No, Sir. Excepting some T.A. Bills which are under correspondence either with the individual official or with the Accountant-General, Punjab, the T.A. and D.A. have been regularly paid to the field staff and other staff in the Ayurvedic Department, Punjab.

GOVERNMENT COLLEGE AT KARNAL

878. Comrade Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Government colleges for boys and women in each district of the State together with location of each such college;
(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to open a Government College at Karnal; if so, when it is likely to be implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The requisite information is placed on the Table of the House.

(b) No.

Amritsar District

1. Government College for Women, Amritsar.

Ambala District

1. Government College, Chandigarh.
2. Government College, Rupar.
3. Government College for Women, Chandigarh.
4. Government College for Home Science, Chandigarh.
5. Government Basic Training College, Chandigarh.

Simla District

1. Government Training College for Women, Simla.

Bhatinda District

1. Government Rajindra College, Bhatinda.
2. Government Brijindra College, Faridkot.
3. Government Training College, Faridkot.

Kangra District

1. Government College, Dharamsala.
2. Government Basic Training College, Dharamsala.

Gurdaspur District

1. Government College, Gurdaspur.

[Chief Minister]

Gurgaon District

1. Government College for Women, Gurgaon.

Hissar District

1. Government College, Hissar.

Hoshiarpur District

1. Government College, Hoshiarpur.
2. Government College, Tanda Urmar.

Jullundur District

1. State College of Sports, Jullundur.
2. Government Training College for Teachers, Jullundur.

Kapurthala District

1. Government Randhir College, Kapurthala.

Ludhiana District

1. Government College, Ludhiana.
2. Government College for Women, Ludhiana.

Ferozepore District

1. Government College, Muktsar.

Patiala District

1. Government College (Mohindra), Patiala.
2. Government Ripudaman College, Nabha.
3. Government College for Women, Patiala.
4. State College of Education, Patiala.
5. Government College of Physical Education, Patiala.
6. Government Bikram College of Commerce, Patiala.

Mohindergarh District

1. Government College, Narnaul.

Rohtak District

1. Government College, Rohtak.
2. Government College for Women, Rohtak.

Sangrur District

1. Government College for Boys, Sangrur.
2. Government College for Women, Sangrur.
3. Government College, Malerkotla.
4. Government College, Jind.

Karnal District

1. Government College for Women, Kurukshetra.
2. College of Education, Kurukshetra.

INDIAN POLICE CADRE IN THE STATE

902. **Sardar Kulbir Singh** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the list of personnel in the Indian Police Cadre in the State as on 1st April, 1962, seniority-wise;

(b) the rank of each of the persons referred to in part (a) above as on 1st April, 1962 ;

(c) the rank of those as on 15th February, 1963 ;

(d) whether any of the persons referred to in part (a) above were promoted between 1st August, 1962 and 15th February, 1963; if so, their list, together with the rank they were promoted to?

Shri Mohan Lal : (a) , (b), (c) and (d) A statement showing the relevant details is laid on the Table of the House.

List of I.P.S. Officers of the Punjab Cadre as on 1st April, 1962

Serial No.	Name	Rank held on 1st April, 1962	Rank held on 15th February, 1963	Whether promoted between 1st August, 1962 and 15th February, 1963
1	Shri Wazir Chand Mehra	Inspector-General of Police (on deputation to J. & K. State)	Retired on 11th September, 1962 while serving in J.& K. State	..
2	Shri Gurdial Singh ..	Inspector-General of Police	Inspector-General of Police	..
3	Kr. Shamsher Singh	Additional Inspector-General of Police	Additional Inspector-General of Police	..
4	Shri Balbir Singh ..	Deputy Inspector-General of Police	Deputy Inspector-General of Police (on deputation to Government of India)	..
5	Shri Ram Singh ..	Ditto	Deputy Inspector-General of Police	..
6	Shri F.B. Manley ..	Ditto	Ditto	..
7	Shri Piare Lal ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police	..
8	Shri A. Kumar	Deputy Inspector-General of Police	Deputy Inspector-General of Police	..
9	Shri J.R. Chhabra ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police (On deputation to Government of India)	..
10	Shri H.C. Saxena ..	Ditto	Ditto	..
11	Shri Bhagwan Singh Rosha	Deputy Inspector-General of Police	Deputy Inspector-General of Police	..

[Home Minister]

Serial No.	Name	Rank held on 1st April, 1962	Rank held on 15th February, 1963	Whether promoted between 1st August, 1962 and 15th February, 1963
12	Shri A.S. Midha ..	Deputy Inspector-General of Police	Deputy Inspector-General of Police (On deputation to Government of India)	..
13	Shri Ajaib Singh ..	Ditto	Deputy Inspector-General of Police	..
14	Shri M.L. Nanda ..	Ditto	Retired on 13th September, 1962	..
15	Shri D.S. Grewal ..	Assistant Superintendent of Police	Assistant Superintendent of Police (Under suspension)	..
16	Shri B.N. Muttoo ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police	..
17	Shri R.N. Shukla ..	Deputy Inspector-General of Police	Retired on 6th May, 1962	Yes, as S.P./ Selection Grade from 10th July, 1958 to 5th April, 1959 and from 14th April, 1959 onwards
18	Shri M.L. Puri ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police (Officiating in Selection Grade)	Yes, as S.P/Selection Grade from 17th December, 1962
19	Shri J.C. Vachher ..	Deputy Inspector-General of Police	Deputy-Inspector-General of Police	Yes, as S.P./ Selection Grade from 10th July, 1958 to 5th April, 1959 and from 14th April, 1959 onwards vice Shri R.N. Shukla on deputation to Government of India
20	Shri B.R. Chadha ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police (Officiating in S.G.)	Yes, as S.P./ Selection Grade from 9th July, 1962

Serial No.	Name	Rank held on Ist April, 1962	Rank held on 15th February, 1963	Whether promoted between Ist August 1962 and 15th Februrary, 1963
21	Shri K.R Singh ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police (Officiating in S. G.)	Yes, as S.P/ Selection Grade from 9th July, 1962, vice Shri B.R. Chadha on deputation to Delhi
22	Shri V.N. Bakshi ..	Ditto	Superintendent of Police	..
23	Shri P.A. Rosha ..	Ditto	Superintendent of Police (Officiating in S.G.)	Yes, as S.P/ selection grade from Ist December, 1962 vice Shri S.N. Mathur promoted D.I.G.
24	Shri H.R.K. Talwar ..	Ditto	Superintendent of Police	..
25	Shri S.N. Mathur ..	Ditto	Deputy Inspector-General of Police	Yes, as S.P./ Selection Grade from 31st May, 1959 and as D.I.G. of Police from Ist December, 1962
26	Shri T.S. Sachdeva ..	Ditto	Superintendent of Police	..
27	Shri Chhabil Lal ..	Ditto	Committed suicide on 9th July, 1962	Yes, promoted S. P./Selection Grade from 23rd March, 1960 to 8th July, 1962
28	Gurpuran Singh ..	Ditto	Superintendent of Police	..
29	Shri Puran Singh ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police (Officiating in S.G)	Yes, promoted as S.P/Selection Grade from Ist December, 1962 vice Shri P.A. Rosha on deputation to Government of India
30	Shri Madan Gopal Singh	Ditto	Superintendent of Police	..
31	Shri Ranjit Singh ..	Ditto	Deputy Inspector-General of Police	Yes, as S.P/Selection Grade from 20th April, 1960 and as D.I.G. from 17th December, 1962

[Home Minister]

Sl. No.	Name	Rank held on Ist April, 1962	Rank held on 15th February, 1963	Whether promoted between Ist August 1962 and 15th February, 1963
32	Shri S.S. Bajwa ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police	..
33	Shri Harjit Singh ..	Ditto	Ditto	..
34	Shri Surrinder Nath ..	Ditto	Ditto	..
35	Shri Bhagwan Singh Danewalia	Ditto	Ditto	..
36	Shri Birbal Nath ..	Ditto	Ditto	..
37	Shri J.S. Bawa ..	Ditto	Ditto	..
38	Shri M.S. Bhatnagar ..	Ditto	Ditto	..
39	Shri P.C. Wadhwa ..	Assistant Superintendent of Police	Assistant Superintendent of Police	..
40	Shri Bishamber Nath ..	Superintendent of Police	Superintendent of Police	..
41	Shri Dalip Singh ..	Ditto	Ditto	..
42	Shri A.C. Pushong ..	Ditto	Ditto	..
43	Shri Jaswant Singh ..	Ditto	Ditto	..
44	Shri Parkash Chand ..	Ditto	Ditto	..
45	Shri Brijinder Singh ..	Ditto	Ditto	..
46	Shri Manmohan Singh	Ditto	Ditto	..
47	Shri Dharam Singh ..	Superintendent of Police	Supperintendent of Police	..
48	Shri I.M. Mahajan ..	Ditto	Ditto	..
49	Shri Avinash Chandra	Ditto	Ditto	..
50	Shri V.K. Kalia ..	Ditto	Ditto	..
51	Shri Inderjit Verma ..	Ditto	Ditto	..
52	Shri Baljit Rai Sur ..	Ditto	Ditto	..
53	Shri V.S. Seigelle ..	Ditto	Ditto	..
54	Shri C.K. Sawhney	Ditto	Ditto	..
55	Shri M.S. Bawa ..	Ditto	Ditto	..
55	Shri Inderjit Singh Sodhi	Ditto	Ditto	..
57	Shri Baljit Singh Dhaliwal	Ditto	Ditto	..
58	Shri Krishan Kumar ..	Ditto	Ditto	..
59	Shri D.D. Kashyap ..	Ditto	Ditto	..

S. No.	Name		Rank held on 1st April, 1962	Rank held on 15th February, 1963	Whether promoted between 1st August 1962 and 15th February, 1963
60	Shri M.L. Bhanot	..	Assistant Superintendent of Police	Superintendent of Police	Yes, as S.P. on 6th November, 1962
61	Shri G.S. Mander	..	Ditto	Ditto	Yes, as S.P. on 6th November, 1962
62	Shri K.L. Dewan	..	Ditto	Assistant Superintendent of Police	The case of promotion under consideration of Government
63	Shri H.R. Swan		Ditto	Superintendent of Police	Yes, as S. P. on 13th December, 1962
64	Shri P.S. Shukla	..	Ditto	Ditto	Yes, as S.P. on 9th December, 1962
65	Shri P.S. Bhinder ..	..	Ditto	Assistant Superintendent of Police	..
66	Shri J.S. Anand	..	Ditto	Ditto	..
67	Shri S.S. Brar	..	Ditto	Ditto	..
68	Shri D. Singh	..	Ditto	Ditto	..
69	Shri K.K. Zutshi	..	Ditto	Ditto	..
70	Shri H.C. Jatav	..	Ditto	Ditto	..
71	Shri Kalyan Rudra	..	Ditto	Ditto	..
72	Shri Rattan Lal	..	Ditto	Ditto	..
73	Shri H.S. Sekhon	..	Ditto	Ditto	..
74	Shri R.R Singh	..	Ditto	Ditto	..

MAGISTRATES AND CASES DECIDED BY THEM

903. Sardar Kulbir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of 1st, 2nd and 3rd Class Magistrates, respectively, in the State as on 1st January, 1956 ;

(b) the number of cases decided by them between 1st January , 1956 and 31st December, 1959 classwise ;

(c) the number of the officers referred to in part (a) above classwise as on 1st January, 1963 ;

(d) the number of cases decided by them between 1st January , 1960 and 31st December, 1962?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) to (d) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit sought to be obtained.

EXTENSION GIVEN TO DIRECTOR, AYURVEDA, PUNJAB

918. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the post of Director, Ayurveda, Punjab, has since been abolished ; if so, the date thereof ;

(b) whether the Director of Ayurveda, Punjab, had been given extension thrice ; if so, the reasons therefor and the dates of the said extensions ;

(c) the date on which the Director of Ayurveda, Punjab, was relieved of his duties ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) The post of Director of Ayurveda, Punjab has been decided to be abolished with effect from the date Shri Kanti Narain Missar, the present incumbent, is relieved of his duties which date is yet to be fixed.

(b) No, Sir. However, the date of retirement (on compensation pension) of Shri Missar has been postponed for some time, in public interest.

(c) The Director of Ayurveda, Punjab, is still in office.

LOAN ADVANCED UNDER THE LOW/MIDDLE INCOME HOUSING SCHEMES

944. Shri Mangal Sein : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the amount of loans advanced under the Low Income Housing Sch me and the Middle Income Housing Scheme in the State and in District Rohtak, separately during the period from the year 1957 to date together with the names of the recipients of such loans ?

Sardar Darbara Singh : The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

PRE-SELECTION TRAINING FOR EMERGENCY COMMISSION

10 A.M.

***3423. Chaudhri Devi Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government employees who join the Pre-Selection Training Course for Emergency Commission in the army are also required to attend to their regular office work in their respective offices, if so, the reasons therefor and the action, if any, Government intend taking to remove the hardship on such employees ;

(b) the number of Government employees who have so far taken the said training together with the number who applied for the same and not allowed to undergo the training stating the reasons therefor in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon (a) No.

(b) The figures are being collected and will be made available as soon as collected.....

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਾਰਟ (ੲ) ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ।

चौधरी देवी लाल : क्या यह हकीकत नहीं है कि डिप्टी सेक्रेटरी फिनांस इस बारे में अपने मातहतों को हदायतें देते हैं कि दफ्तर में काम करना ज़रूरी है एमरजेंसी कमिशन की क्लास में जाओ या न जाओ ?

मुख्य मंत्री : अगर आनरेबल मेम्बर की इत्तलाह है तो मुझे बतलाइए, यह मेरी इन्फरमेशन में नहीं है । मैं ऐसे नोटिस नहीं लिया करता ।

The hon. Member should please let me have in writing so that I may ascertain the same.

POINT OF ORDER

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਚਾਨਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦਸਾਂਗੇ । (I shall see when a specific instance is brought to my notice.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : जो आपने अभी प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था आपको उसका जवाब मिल चुका है, मैंने अपने आफिस से पता किया है, आपका सवाल अनस्टार्ड ट्रीट किया गया है । (Answer has been given to the point of order just raised by the hon. Member. I have inquired from my office. The question of the hon. Member has been treated as unstarred one.)

(Comrade Ram Piara rose to speak)

Deputy Speaker : Yes please. What has the hon. Member to say ?

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਂਡ ਸੀ । ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਸਟਾਰਡ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : मेरी इत्तलाह है कि स्पीकर साहिब ने उसे अनस्टार्ड ट्रीट किया था । (My information is that the hon. Speaker treated that question as an unstarred one).

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਜਿਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਫਰਮ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : जो बात स्पीकर साहब तय कर चुके हैं मेरा काम नहीं कि मैं उस में जाऊं। (I am not to go into a case which has been decided by the hon. Speaker.)

QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा मेरी एक प्रिविलेज मोशन थी।

उपाध्यक्षा : स्पीकर साहिब ने दोनों तीनों बातें कह दी थीं। (The hon. Speaker made his observations on all the two or three questions raised by the hon. Member.)

श्री बलरामजी दास टंडन : एक के बारे में ही हुआ था। दूसरे के लिए उन्हों ने कहा था कि मैं एग्ज़ामिन कर लूं, कल इस के बारे में जवाब दूंगा। I was sitting in the House.

उपाध्यक्षा : अभी उन्होंने एग्ज़ामिन नहीं किया होगा। इसलिए मैं उन से सलाह करके जवाब दूंगी। Let me have some time. (The hon. Speaker might not have examined it so far. Therefore, I shall give my ruling after consulting him. Let me have some time.)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਇਹ ਡੇਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : मुझे पता है कि उन्होंने फैसला कर दिया था। (I know that the hon. Speaker gave his ruling on it and had decided it.)

श्री बलरामजी दास टंडन : तो क्या कल इसका फैसला हो जाएगा ?

उपाध्यक्षा : मैं दरियाफ्त कर लूं। (Please let me inquire about it).

Sardar Gian Singh Rarewala : Madam, I rise to refer to the question of privilege sought to be raised yesterday in the House by the hon. Member on my right. The Speaker was pleased to remark that that particular Weekly did not deserve any special attention. The Speaker further remarked that he would refer the matter to the Press Gallery Committee because he expected that the Members of the Press Gallery Committee would persuade the Paper to express regret.

Madam, I find that the Editor of that particular Weekly is not a member of this Press Gallery Committee and he does not possess any Press Card for the Press Gallery of the Assembly Chamber, Chandigarh. I, therefore, think that the matter raised by the Ex-Speaker of this House did constitute

a breach of privilege. After the Speaker had given his decision yesterday, I also examined those Papers. In those Papers, not only the proceedings have been mis-reported but I say with confidence that they have been completely distorted and fabricated and it has made insinuations not only against one hon. Member of this House but against several hon. Members. The Editor of this Paper does not deny that he has been receiving patronage from this Government to the extent of lakhs of rupees. Madam, I dare say that not only this Weekly but there are more Weeklies which are indulging in black-maili g. I am reminded of the days when the Princely Rulers used to bribe them just for personal propaganda. The same thing is being repeated now. The more you see these Weeklies, the more you will be convinced that the matter which was sought to be raised in the House yesterday by the hon. Member Sardar Gurdial Singh Dhillon, is a fit case of being referred to the Privileges Committee of the Vidhan Sabha. I, therefore, earnestly request and insist that the question of privilege which was raised in the House by my learned friend Sardar Gurdial Singh Dhillon yesterday be referred to the Privileges Committee. I would request the Chair to revise the decision given yesterday.

डा० बलदेव प्रकाश : कल यह मुआमला हाउस में आया था..........

उपाध्यक्षा : मैं सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों को सुनना चाहूंगी अगर वह कुछ कहना चाहें। (I would like to listen to Sardar Gurdial Singh Dhillon if he wishes to say something in this connection).

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Madam, I am very thankful to you for giving me this opportunity. As a matter of fact, I was deeply frustrated yesterday at the hon. Speaker's decision. It was, in fact, I who as Speaker had decided that all matters pertaining to mis-reporting of speeches, etc. should be decided in consultation with the Members of the Press Gallery Committee. But in this particular case, there was no question of mis-reporting or anything else. The question is that it was a complete concoction and a fabricated speech has been put into the mouth of a Member of this House, i.e., myself, without, of course, a trace of that on the record of the proceedings of this House. I think it was very unfair on the part of the Speaker. I do not reflect on his ruling but it appears that he gave his ruling without going into the background of the case a d without hearing me in detail on this point. The Editor of this Paper has maligned and disgraced me and some other Members of this House but the Speaker simply asked the Members of the Press Gallery Committee to persuade the Editor to express regret. I have all respect for the Members of the Press Gallery Committee. If the Editor had misreported or said something undesirable, then certainly the Press Gallery Committee could have persuaded him to express regret. In this particular case, the Editor has distorted, fabricated, concocted and in fact thrust a speech on me. Therefore, the hon, Speaker's ruling which he gave yesterday needs revision. The hon. Speaker should have heard in more detail what the Editor of this Weekly has said.

उपाध्यक्षा : सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों, आप इस आगस्ट हाउस के स्पीकर रहे हैं, आप इस की डिगनिटी के कस्टोडियन रहे हैं। जहां तक मुझे इल्म है मैं कह सकती हूं कि वह स्पीकर साहिब की एक सजेस्शन थी। उन्हों ने कोई रूलिंग नहीं दिया था। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं इस मामले को आनरेबल स्पीकर

[उपाध्यक्षा]

के साथ डिस्कस कर के इस पर रोशनी डालूंगी । (The hon. Member, Sardar Gurdial Singh Dhillon, has been the Speaker of this August House and as such he has been the custodian of the dignity of the House. So far as I know I can say that that was only a suggestion by the hon. Speaker. He had not given his final ruling in the matter. If, however, the hon. Member gives me some time I will discuss this matter with the hon. Speaker and throw light on it in the House.)

Sardar Gian Singh Rarewala : This is right, Madam.

FOURTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Deputy Speaker : I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to holding of double sitting on the 29th March, 1963, and keeping 1st and 2nd April, 1963, as off days, etc. The Report of the Business Advisory Committee is as under—

The Committee met on the 25th March, 1963.

Besides the Speaker, the following attended the meeting—

1. Shri Mohan Lal, Home Minister.
2. Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary.
3. Sardar Gurnam Singh.
4. Comrade Babu Singh Master.
5. Babu Bachan Singh.
6. Dr. Baldev Parkash.

The Committee made the following recommendations—

(1) There will be two sittings on Friday, the 29th March, 1963—

First Sitting .. From 9.00 a.m. to 1.30 p.m.

Second Sitting .. From 3.00 p.m. to 6.00 p.m. (with no Question Hour)

(2) There will be no sitting on Monday the 1st April and Tuesday, the 2nd April, 1963. To make up the deficiency, the Speaker may extend the time of sitting by one hour on any subsequent day.

(3) (i) On Monday the 8th April, 1963 the House will meet from 1.00 p.m. to 5.00 p.m. instead of from 2.00 p.m. to 6.30 p.m. to enable the Members to meet a distinguished visitor.

(ii) The Speaker may adjust the time of sitting of Vidhan Sabha on any day when any dignitary comes to meet the Members of the State Legislature.

The 25th March, 1963 PRABODH CHANDRA,
Speaker.

Sardar Gulab Singh : (Chief Parliamentary Secretary) Madam I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried

DEMANDS FOR GRANTS

37—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS

MISCELLANEOUS

Planning and Development Minister (Sardar Darbara Singh) : Madam I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 2,81,89,820 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 37—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs 8,97,11,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 71—Miscellaneous.

Deputy Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 2,81,89,820 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64, in respect of charges under head 37—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs 8,97,11,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 71—Miscellaneous.

The cut-motions given notice of by the various hon. Members to these Demands for Grants will be deemed to have been read and moved.

37—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS;

1. **Comrade Babu Singh, Master.**
2. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Singh Joga :**
5. **Comrade Didar Singh :**
6. **Sardar Gurcharan Singh :**

That the demand be reduced by Rs 100.

7. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re 1.

8. **Shri Amar Singh :**

That the demand be reduced by Re 1.

71—MISCELLANEOUS

1. **Comrade Babu Singh Master :**
2. **Comrade Gurbakhsh Singh :**
3. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**
4. **Comrade Jangir Singh Joga :**
5. **Comrade Didar Singh :**
6. **Sardar Gurcharan Singh :**

That the demand be reduced by Rs 100.

7. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re 1.

बाबू बचन सिंह (लुधियाना उत्तर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हम ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जिस को रैवोल्यूशनरी दौर कहा जाता है । दुनिया में सायंस और टैक्नोलोजी ने हालात को इस कदर तबदील कर दिया है कि पिछले साठ और बासठ सालों में जितनी तबदीली इस दुनिया में आई है, जिस वक्त दुनिया बनी थी उस वक्त से ले कर उन्नीसवीं सदी के खत्म होने तक इतनी तबदीली नहीं आई थी । अब तबदीली की स्पीड और भी ज्यादा तेज़ हो रही है । हमें इस बात को मद्देनज़र रख कर कि दुनिया किस स्पीड से चल रही है और दुनियां के कैसे हालात हैं , इन आइटम्ज़ पर बहस करने की जरूरत है । आज हमारे देश में और सारी दुनिया में दो लहरें चल रहीं हैं । एक तो दुनिया में डिक्टेटरशिप की लहर चल रही है, चाहे फौजी डिक्टेटरशिप हो या कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हो या कोई और डिक्टेटरशिप हो । वे इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि दुनिया में मैटीरियल डिवैल्पमेंट तो हो लेकिन उस में इनसान की इंडिविज्युल डिगनिटी को पांव तले रौंद कर उसे सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए । दूसरी तरफ डैमोक्रेटिक असूल के मातहत यह है कि इंडिविज्युल की डिगनिटी को कायम रखते हुए इनसानी तरक्की को आगे ले जाया जाए । जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, कांस्टीच्यूशन फ्रेम करने वालों ने इस बात का ख्याल रखा है कि इस देश में इंडिविज्युल की डिगनिटी सब से ज़्यादा मुकद्दम है । अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखेंगे तो सही बहस कर सकेंगे । इस वक्त हमारे सूबे में इस बात को मद्देनज़र रख कर कम्युनिटी डिवैल्पमेंट और पंचायती अदारे या दूसरी चीज़ें चलाई गई हैं । यह हम ने देखना है कि क्या यह सब कुछ जमहूरी असूलों के मुताबिक किया जा रहा है या कि देहाती लोगों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की गवर्नमैंट की तरफ से कोशिश की जा रही है । मुझे यह कहने में ज़रा भी आर नहीं है कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब के लोग बहुत हिम्मती हैं, इन में इनीशियटिव है, पंजाब के लोग काम करना जानते हैं और मुश्किलात का सामना करना भी वे जानते हैं । लेकिन सवाल यह है कि आया हमारी गवर्नमैंट की तरफ से वह चीज़ें जिन की तरफ मैं ने तवज्जुह दिलाई है ठीक ढंग से की जा रही हैं या नहीं की जा रहीं । इस वक्त सब से बड़ा सवाल कम्युनिटी डिवैल्पमेंट का है । चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन यह हकीकत है कि हमारा देश सारी दुनिया में तो पिछड़ा हुआ है एशिया में भी हमारा मियारे ज़िन्दगी और हमारी फी कस आमदनी दो तीन देशों को छोड़ कर सब से नीचे है । इस में कोई शक नहीं है कि पंजाब बाकी सूबों से बेहतर हालात में है । लेकिन फर्क इतना ही है कि जैसे दो कोढ़ियों में से एक का कोढ़ कुछ ज्यादा हो और दूसरे का कोढ़ कुछ कम हो । जहां तक हमारी गुरबत का ताल्लुक है यह एक मुसल्लमा अमर है कि यूरोप के देशों के मुकाबले में हमारी आमदनी 1/10 है यानी हमारी जिन्दगी सबसिस्टेंस लैवल पर है, हमारी औकात इस से ज्यादा नहीं है , इस से ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है । लेकिन सवाल यह है कि देश की जो मौजूदा हालत है उसको सुधारने के लिए जो यत्न किए जा रहे हैं वह राईट डाइरेक्शन में हैं या गलत डाइरेक्शन में । आज ज़रूरत इस बात की है कि हम राईट वे से लोगों की को-आप्रेशन हासिल करें । और को-आप्रेशन

हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी के अन्दर विलिंगनेस हो, वह खुद यह चाहता हो, खुद इस बात का खाहिशमन्द हो कि दूसरों के साथ मिलकर काम करे । लेकिन इस समय हमारे सूबे में जो हालत है उसे देखकर मैं बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं कि सूबे में को-आप्रेशन के लिए कोई विलिंगनेस नहीं है । इस के अलावा मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क की रूलिंग पार्टी ने एक रैज़ोल्यूशन नागपुर में पास किया कि देश के अन्दर को-आप्रेटिव फार्मिंग होना निहायत ज़रूरी है तभी हम ज़रायत के मामला में तरक्की कर सकते हैं । मैं भी उन लोगों में से हूं जो इस बात में यकीन रखते हैं कि हिन्दुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि यह को-आप्रेटिव फार्मिंग को कबूल न करे । लेकिन को-आप्रेटिव फार्मिंग को कैसे कबूल किया जा सकता है जब तक कि लोगों को अपनी गवर्नमैंट के ऊपर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तुरन्त सम्पर्क में आने वाले अफसरों के ऊपर एतबार न होगा । हकीकत में रूलिंग पार्टी की खाहिश अपने इस नाग पुर रैज़ोल्यूशन को अमली जामा पहनाने की थी या नहीं मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन यह एक मसल्लमा अमर है कि हमारी गवर्नमैंट अपने इस उद्देश्य में बुरी तरह से फेल हुई है । क्यों फेल हुई है ? इसलिए कि आजकल इस देश में जिसके हाथ में अख्तियार आता है, ताकत आती है वह दूसरों के हितों को कुचल देता है, दूसरों के फंड्ज़ का ग़बन करता है । इस सिलसिले में ही मैं यह अर्ज़ करता हूं कि जहां तक क्रेडिट सोसायटियों का ताल्लुक है अगर्चि वह सूबे के अन्दर कुछ हद तक कामयाब हुईं लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जहां तक लोगों का ताल्लुक है, जहां जहां लोगों की तरफ से फंड्ज़ लगाने का सवाल है, वहां गवर्नमैंट बुरी तरह से फेल हुई है । आप देखें कि हमारे सूबे के अन्दर कोआप्रेटिव शूगर मिल्ज़ की क्या हालत है । कोआप्रेटिव शूगर मिल्ज़ में गवर्नमैंट ने खुद काफी रुपया लगाया, कितनों को गारंटियां दीं, करोड़ों रुपए के डीबैंचर खरीदे गए मगर हकीकत यह है कि पिछले साल हमारे सामने जब यह सवाल आया कि कोआप्रेटिव शूगर मिल्ज़ कामयाब हुई हैं या नहीं तो गवर्नमैंट ने हाउस से लाखों रुपया की मंज़ूरी इसलिए ली कि उस से उन को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज़ की मदद करनी है क्योंकि उन्हें बुरी तरह से घाटा पड़ा है । इससे ज्यादा बदनामी की बात गवर्नमैंट और रूलिंग पार्टी के लिए और क्या हो सकतो है जब कि हालत यह हो हिन्दुस्तान के अन्दर चीनी की कमी हो और सेन्ट्रल गवर्नमेंट 32/33 लाख टन ऐडीशनल चीनी पैदा करने के लिए स्कीमें बना रही हो और इधर हमारी को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज़ घाटे में जा रही हों ? मैं महसूस करता हूं कि इस में ज़िम्मेदारी मिल्ज़ की नहीं ; बल्कि इनके लिए ज़िम्मदारी उन बेइमानियों पर है जिन के लिए गवर्नमैंट का बड़े से बड़ा वज़ीर ज़िम्मेदार है । एक बात और है । हमारे सूबे के अन्दर इस वक्त जो हालत चल रही है ; उसकी रौशनी में मैं कह सकता हूं कि जहां तक स्टेट में डिगनिटी आफ इंडीविज्युल का ताल्लुक है उसे पांव तले रौंदा जा रहा है और हर बात में सिवाए पालेटिक्स के और किसी क्राइटीरियन को सामने नहीं रखा जाता । कहा यह जाता है कि पंचायतों को पालेटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाए, पंचायतों

[बाबू बचन सिंह]
को झगड़ों का अखाड़ा न बनाया जाए, पंचायतों को धड़े बाज़ी का अखाड़ा न बनाया जाए लेकिन इस वक्त दरहकीकत हालत है क्या ? इस वक्त बुराइयों की सब से बड़ी अगर कोई ब्रीडिंग ग्राउंड है तो वह पंचायतें हैं । इन में सब से बढ़ चढ़ कर धड़ेबन्दी है । और इसका सबूत यह कि खुद हमारे चीफ मिनिस्टर को दयाल भड़ंग में यह ऐलान करना पड़ा कि पंचायतों में बहुत ज़बरदस्त धड़े बाज़ी है । लेकिन उस के लिए जो इलाज ढूंढा गया वह मेरे ख्याल में मर्ज़ से भी बदतर है । उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर को अख्तियार दूंगा, सुपरिनटेंडेंट आफ पुलिस को अख्तियार दूंगा और चार पब्लिक मेन उनके साथ एसौशियेट करूंगा जो गांव में जा कर लोगों को इस बात की तलकीन करेंगे कि वह धड़ेबाज़ियों से बालातर रहें । क्या यह तरीका है धड़ेबाज़ी छुड़ाने का ? क्या यही तरीका है लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने का कि वह आपस में मिल कर रहें ? मैं समझता हूं कि डैमोक्रेसी में कभी इस तरह का आफिशियल दबाव नहीं डाला जाता । लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए यह तरीका अपनाना डिक्टेटरशिप है कि उन्हें अफसरों के अंगूठे के नीचे रखा जाए । असल बात और कुछ है जो इस की आड़ में की जाने वाली है । इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि रजिस्टेंस किसी किस्म की हो चाहे किसी नेक काम के लिए की जाए , चाहे सचाई के लिए की जा रही हो, सरकार की गलतियों के खिलाफ की जा रही हो: उस रजिस्टेंस को नेस्तोनाबूद किया जाए । यहां पर वह औरंगज़ेब की हकूमत कायम करना चाहते हैं जहां पर किसी आदमी को उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने की जुरअत न हो, ताकत न हो ।

उपाध्यक्षा : आप इस में औरंगज़ेब का नाम क्यों ला रहे हो ? (Why is the hon. Member importing the name of Aurangzeb in the debate ?)

बाबू बचन सिंह : इसलिए कि वह एक महा ज़ालिम इन्सान था । डिप्टी स्पीकर साहिबा , मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि दुनियां में डैमोक्रेसी का बुनियादी असूल यह है कि लोकराज में अदना से अदना चीज ग्रास रूट्स---छोटे से छोटा आदमी भी यह महसूस करे कि हकूमत उसी की है और उसका हकूमत पर उतना ही हक है जितना कि किसी और का हो सकता है । मैं पूछता हूं क्या इन्हीं लाइन्ज़ पर पंजाब की डिवैल्पमैंट की जा रही है ? क्या पंचायत राज, कोआप्रेटिव सिस्टम और कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के कामों को इन्हीं लाइन्ज़ पर डिवैलप किया जा रहा है ? अगर वाकई ही इन लाइन्ज़ पर डिवैल्प किया जा रहा है तो मैं उसके लिए गवर्नमैंट को मुबारिक-बाद तक देने के लिए तैयार हूं लेकिन, मैडम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब के अन्दर इस वक्त इन बातों का कतई तौर पर ख्याल नहीं किया जा रहा। आप देखिए, जहां तक हमारे पंचायत राज के अदारों का ताल्लुक है इन में एक बात ऐसी की गई है जो सारी दुनिया की डैमोक्रसी से निराली है । मसलन ब्लाक समितियों के जो नुमाइन्दे ज़िला परिषदों में भेज गए हैं या भेजे जाने हैं उनके सिलसिले में क्या

किया गया है ? दुनिया के अन्दर जहां डैमोक्रेसी है लोगों ने कहा कि सिंगल मेम्बर कांस्टीच्युंसी लोगों की खाहिशात को पूरा नहीं करती, कोशिश की जाए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो ताकि छोटी से छोटी माइनारिटी को भी अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। लेकिन यह पंजाब गवर्नमेंट है जिसने यह फैसला किया; कितना अजीब फैसला डैमोक्रेसी के नाम पर किया कि किसी भी ज़िला परिषद में कोई माइनारिटी कायम नहीं हो सकती। इन का साफ मतलब यह है कि हर ब्लाक समिति में इनकी मैजारिटी हो, रूलिंग पार्टी की मैजारिटी हो और इसी तरह ज़िला परिषदों को भी अपने काबू में रखा जाए। क्या यही लोक राज है ? अगर यही लोक राज है तो फिर डैमोक्रेसी को खत्म ही क्यों नहीं कर देते ? अगर आप समझते हैं कि पंचायतों की मुन्तखिब शुदा जमात ब्लाक समितियों ने ही ज़िला परिषदों को नामज़द करना है, इन्डायरेक्ट इलैक्शन के ज़रिए नुमाइन्दे भेजने हैं तो डैमोक्रेसी एक मज़ाक बन गई। अगर इन अदारों के अन्दर लोकराज को इंट्रोड्यूस नहीं करना, मैजारिटी के साथ साथ माइनारिटी को काम करने का मौका नहीं देना और जब तक मेजारिटी के कामों पर चेक रखने के लिए माइनारिटी फंकशन नहीं करती तो याद रखिए कि मुल्क के अन्दर डैमोक्रेसी कभी कायम नहीं रह सकती।

एक आवाज : यूनैनिमस फैसले होंगे।

बाबू बचन सिंह : मैं जानता हूं कि यूनैनिमसली फैसले वहां किस तरह से होते हैं। इस सिलसिले में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। under the thumb of the B. D. Os., under the thumb of the District Development Officers and under the thumb of the Deputy Commissioners. किस तरह फैसलों पर अंगूठे लगवाए जाते हैं। क्या इन्हीं को आप यूनैनिमस फैसले कहते हैं ? आप उन में कोई इनिशियेटिव क्रियेट नहीं होने देते। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, रीकाल का तरीका इख्तियार किया गया है। पहले तो इन्होंने यह किया कि दूसरी पार्टियों के लिए इनअदारों में कम से कम चांस रहने दिया। अब जब एक ही पार्टी के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो रीकाल हुआ। पटियाला, जालंधर और कई ज़िलों में ऐसी सूरत पैदा कर दी कि जो मेम्बर ब्लाक समिति ने ज़िला परिषद् में नामज़द किए हैं उन्हें अब कोई और काम करना सूझता ही नहीं। उनके लिए तो वहां अब सिर्फ एक ही काम रह गया है कि फलां आदमी को रगड़ दो, फलां आदमी का बस्ता बांध दो, फलां के आदमी को यूं कर दो, फलां के आदमी को यूं कर दो। अब मीटिंग्ज़ होती हैं तो रीकाल के नोटिस जारी होते हैं। वहां पर कुछ काम नहीं होता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे कुछ पुराने वक्त की बात याद आ गई।

मालेरकोटला के नवाब के एक चचा थे। उस वक्त पटियाला के महाराजा सरदार भूपिन्दर सिंह थे। वह नौजवान थे और उन्हें बड़ा शौक था अपनी रियासत को तरक्की देने का। उन्होंने सर जोगेन्द्र सिंह और नवाब ज़ुलफकार अली खां को अपने दरबार में रख लिया था। वह हर वक्त मसरुफ रहते थे। नवाब साहिब से किसी ने पूछा

[बाबू बचन सिंह]
था कि नवाब साहिब आप हर वक्त मसरूफ रहते हैं, क्यों क्या काम ज्यादा है ? तो वह कहने लगे कि हमें तो इतना काम है कि हम दिन रात काम में लगे रहते हैं, ज़रा भी चैन नहीं । तो उस ने कहा अच्छा इतना काम है । तो वह कहने लगे कि हमें तो सर खुजलाने को भी फुरसत नहीं, गवर्नमैंट आफ इंडिया से भी ज्यादा काम है और दुनिया भर की बड़ी बड़ी गवर्नमैंटस से भी ज्यादा काम है । तो उस ने पूछा कि काम क्या है ? तो वह कहने लगे कि काम यहीं है कि जो पुराने खलीफे हैं वह कोशिश करते हैं हम निकल जाएं और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम वहां जमे रहें । आज हमारी गवर्नमैंट की भी यही हालत है और इस ने यह सारी वबा ब्लाक समितियों और ज़िला परिषदों में फैला दी है । वहां भी अब यही काम होता है । वहां जो डिवैल्पमेंट का काम होना है उस के बारे भी आप सुन लीजिए । इस महकमा के एक बहुत बड़े अफसर यानी फिनांशल कमिश्नर साहब ने करनाल में एक तकरीर की और तकरीर में उन्होंने फरमाया है कि पंजाब की पंचायतों के पास 14 लाख एकड़ ज़मीन है और उस 14 लाख एकड़ में से 8 लाख एकड़ पर कबज़ा नाजायज़ है । ज़रा आप गौर फरमाइए, जिस गवर्नमैंट का यह हाल हो कि पंचायतों की 14 लाख एकड़ ज़मीन में से 8 लाख एकड़ ज़मीन कबज़ा नाजायज़ में हो वहां आम नथू खैरे का क्या हाल हो सकता है । अगर एक आम आदमी की चोरी हो जाती है या उस से कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीन ली जाती है तो उस को उस के वापस मिलने की कैसे तवक्को हो सकती है । जब पंचायतों की 8 लाख एकड़ ज़मीन पर लोगों का नाजायज़ कब्ज़ा है और उन्हें वह वापस नहीं मिल सकी तो एक आम आदमी का क्या बनेगा ? अब सवाल यह है कि जो 8 लाख एकड़ ज़मीन पंचायतों की नाजायज़ कब्ज़ा में है वह कब से है ? यह तब से है जब हमारे सूबा में 1952 से लैंड कंसोलिडेशन कम्पलसरी करार हो गई उस के बाद अंडर कम्पलशन ज़मीन काट कर दी गई और उस की डीमारकेशन की गई । तो अब सवाल यह है कि वे कौन लोग हैं जिन्हों ने उस ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है ? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह वह लोग हैं जो वज़ीरों के इर्दगिर्द चक्र काटने वाले हैं । अगर पंचायतों की यह हालत है कि उन की ज़मीन पर कुछ लोग नाजायज़ कब्ज़ा कर लें और उसे छोड़ने के लिए तैयार न हों और फिनांशल कमिश्नर साहब कहें कि हम सोच रहे हैं । आज ही हमारे एक वज़ीर साहिब ने कहा था कि हम वह जल्दी ही इस बारे में कदम उठा रहे हैं । मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह हमें बताएं कि 8 लाख एकड़ पर कौन से साल से नाजायज़ कब्ज़ा है, किस किस ने यह कब्ज़ा किया हुआ है और उस ज़मीन को वापस लेने के लिए कौन कौन सी कार्वाई की गई है ? मैं समझता हूं कि अगर यही हालत जारी रही तो जब तक हमारी यह तदबीरें चलेंगी तब तक लोग खत्म हो जाएंगे ।

अब मैं दूसरी बात की बाबत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । एक बात साफ है.............

उपाध्यक्षा : आप कितना वक्त और बोलना चाहते हैं ? (How much time the hon. member would like to take more?)

बाबू बचन सिंह : मैं पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूंगा ।

उपाध्यक्षा : नहीं 15 मिनट ज्यादा हैं। आप दस मिनट और बोल लीजिए। (Fifteen minutes are too much. I can give you ten minutes more.)

बाबू बचन सिंह : तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप दो मिन्ट कम कर दें और 13 मिनट और बोलने दें ।

अब दूसरी बात यह है कि हमारे सूबा में यह बात बहुत कही जाती है कि कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के सिलसिले में हम लोगों से बड़ी को-आप्रेशन हासल कर रहे हैं । इस सिलसिले में मैं लैंड कंसौलिडेशन के बारे में लोगों के ख्याल रखना चाहता हूं । कुछ वक्त हुआ है , मिनिस्टर साहिब को शायद मालूम होगा —मैं गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहा हूं , एक हुक्म जारी हो गया कि जिन लोगों की ज़मीनें पहले कंसौलिडेट हो गई हैं उन लोगों की ज़मीनें फिर कंसौलिडेट कर दी जाएं । इस पर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी यानी सैंकड़ों रिट पैटीशनें हाई कोर्ट में दायर हो गईं । जिन लोगों की ज़मीन की कंसौलिडेशन पहले हो चुकी थी वह दोबारा कराना नहीं चाहते । तो यह लोगों की कोआप्रेशन किस तरह कहते हैं । अब और लीजिए कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के सिलसिला में को-आप्रेशन की बात वालंटरी ड्रेनेज डिगिंग के सिलसिले में कितनी ही जगहों पर लोगों ने रेजिस्ट किया है और और बारे में भी हाई कोर्ट में पैटीशन्ज़ हुई हैं। इस के बावजूद भी यह लोग कहते हैं कि लोग इन्हें कोआप्रेशन देते हैं लेकिन असलियत यह है कि लोग तो हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को यह भी पता है कि अभी जो ज़िला संगरूर, पटियाला वगैरह में इलेक्शन्ज़ हुई हैं और उनके खिलाफ इलेक्शन पैटीशन्ज़ हुई हैं ।

एक आवाज़ : पटियाला में तो इलेक्शन्ज़ हुए ही नहीं ।

बाबू बचन सिंह : तो पटियाला में रीकाल का सिलसिला ही चलता है । असल बात क्या है ? असल बात तो यह है कि सरकार एक हाथ से एक छटांक देती है और दूसरे हाथ से सेर ले लेती है । दूसरी बात यह है कि सरकार लोगों को टूल बना कर रखना चाहती है । यह कहते हैं कि गांव में धड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ यह कर रहे हैं कि ब्लाक समितियों और ज़िला परिषदों के मैम्बरों को अपर हाउस के मैम्बर चुनने का मौका देते हैं जिन के लिए यह कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े करते हैं । अजीब बात है एक तरफ तो कहते हैं कि गांवों में धड़ेबाज़ी बन्द की जाए लेकिन दूसरी तरफ यह धड़े बाज़ी को खुद बढ़ावा देते हैं । डैमोक्रेटिक सेट-अप में सब से ज़रूरी चीज़ है डीसेंट्रेलाइज़ेशन आफ पावर लेकिन डीसेंट्रेलाइज़ेशन के सिलसिले में इन्होंने क्या किया है । क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि डिसेंट्रेलाइज़ेशन के सिलसिले में एक गांव की पंचायत और ब्लाक समिति में क्या ताल्लुक है ? कानून की रू से एक ब्लाक समिति को गांव की पंचायत के काम को सुपरवाइज़ करने के कितने अख्तियारात

[बाबू बचन सिंह]
हासल हैं और सरकार की तरफ से कितने अख्तियारात ब्लाक समिति या जिला परिषद् को मिले हैं जिस से उन में लिविंग कांटेक्ट हो जाता हो । फिर देखें कि इन्होंने लोकल बाडीज़ से तालीम का महकमा तो छीन ही लिया है । बाकी सारे मुल्कों में लोकल गवर्नमैंट प्राइमरी तालीम चलाती हैं लेकिन हमारी गवर्नमैंट का इस बारे में उल्टा हिसाब है ।

फिर आप देखिए, ब्लाक समितियों को सड़कें बनाने के लिए फण्ड्ज़ कितने दिए हैं । यह बजट में ज़िला परिषद को, ब्लाक समितियों को सड़कें बनाने के फण्डज़ देने के लिए तैयार नहीं लेकिन डीसेंट्रेलाइज़ेशन की बातें कर रहे हैं । यह उन्हें फण्ड्ज़ न दे कर ब्रिटिश गवर्नमैंट की तरह उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं । उस राज्य में लोकल बाडीज़ के पास फण्ड्ज़ की कमी रहती थी और वह अपने काम ठीक तरह से कर नहीं सकते थे , जिस से उस सरकार को उन्हें बदनाम करने का मौका मिलता था । आप के पास एक अरब रुपए का बजट है जिस में से 40 करोड़ रुपए डिवैल्पमेंट के कामों के लिए हैं लेकिन आप ने लोकल बाडीज़ को, ज़िला परिषदों और ब्लाक समितियों को कितने फण्ड्ज़ देने की प्रोवीज़न इस बजट में की है ? फिर आप कहते हैं कि ग्रांट्स देते हैं । वह ग्रांटें देने का मतलब यह है कि वह आप के दरे दौलत पर हाज़िर हों, आप की कदम बोसी करें और आप के पांव चाटें । क्या आप ने उनको लैंड रैवेन्यू देने का फैसला किया है ? अगर आप ज़िला परिषद से किसी काम की तवक्को रखते हैं , अगर आप के दिल में यह इरादा है तो क्या आप उन को सारे का सारा लैंड रैवेन्यू देने के लिए तैयार हैं ? यह उन को क्यों नहीं दिया जाता? क्या वह सड़कें नहीं बनवा सकते , क्या वह वैटर्नरी हस्पताल और दूसरे हस्पताल कायम नहीं कर सकते ? और फिर आप बातें करते हैं कि कोअपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए से काम कराना है और पंचायतों के ज़रिए से उपज बढ़ाना है । मगर गांव की अगर उपज बढ़ानी है तो उस के लिए फंड चाहिएं । इस के बिना यह कुछ काम नहीं हो सकता । यह बाडीज़ कामयाब नहीं हो सकतीं । आप ने यह सारा फार्स बना रखा है, यह मखौल और तमाशा बना रखा है और कहा जा रहा है कि इतना नम्बर हो गया सोसाइटियों का । क्या आप नम्बर में ही यकीन रखते हैं, क्या आप क्वान्टिटी पर यकीन रखते हैं या क्वालिटी पर। अगर आप क्वांटिटी पर यकीन रखते हैं तो आप यकीनन खुद भी धोखा खाएंगे और पंजाब के लोगों को भी नुक्सान पहुंचाएंगे । जरूरत क्वालिटी की है और वह मौजूद नहीं है । देहात की, क्रैडिट सोसाइटियों की यह हालत है कि वह दस रोज़ पहले कर्ज़ा वापिस किया हुआ दिखा देती हैं और दस ही रोज़ के बाद नया कर्ज़ा ले लिया जाता है । किसी बैंक की किताब देख लें , किसी क्रैडिट सोसाइटी की किताब देख लें यही हालत सब जगह मिलेगी । । और यह किस्सा एक या दो केसिज़ में नहीं हज़ारों केसिज़ में नज़र आयेगा । यह जो सूरत पैदा हुई है इस की वजह यह है कि हमारे देश की हकूमत दो चीज़ें कामयाब करने के लिए इमानदारी से काम नहीं करती । इन में से एक तो यह है कि यह नहीं चाहती कि यहां के गांव के लोग अपने पांव पर खड़े हो सकें। और अपनी तरक्की की

बात सोच सकें । अगर यह चाहती है कि यहां के देहात तरक्की करें तो जो सैंट्रेलाइज़ेशन है चाहे वह मुग़लों के ज़माने से चली आ रही है या अंग्रेज़ों के ज़माने से, इस को खत्म करने के लिए इमानदारी से लोगों को इख्तयार दें ।

दूसरी बात है को-अपरेशन की । अगर सरकार लोगों से कोअपरेशन चाहती है तो इस के लिए लोगों में विलिंगनैस पैदा करनी होगी और यह तब पैदा होगी जब लोगों को इस के अफसरों पर यकीन होगा और उन को इस बात का यकीन होगा कि इस काम के करने से मुल्क में तरक्की होगी । यह बात मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि पुराने तरीकों से देश तरक्की नहीं कर सकेगा । इस मुल्क को मैकेनाइज़ेशन की ज़रूरत है, ऐगरीकल्चर को भी मैकेनाइज़ करने की ज़रूरत है और वह तभी हो सकेगी जब सरकार इमानदारी से लोगों को इख्तयार दे, उन पर एतबार करे इस के उल्ट आज हालत यह है कि पांव पांव पर दखल दिया जा रहा है और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं । अगर्चे इस सूबे में पीछे बहुत गलतियां हुई हैं (घंटी) बहुत खराबियां हुई हैं तो भी मैं इन को बताना चाहता हूं कि मैं इनसानी नेकी में यकीन रखता हूं और वज़ीर इनचार्ज से दिल से बात करना चाहता हूं । यह किसी ज़माने में मेरे साथ आज़ादी की लहर में जेल में थे । हम ने जेल में वह दिन बिताए हैं जो निहायत सख्ती के थे, जो निहायत दुख और तकलीफ के थे । उन दिनों हम ने अपने देश की आज़ादी के लिए हौसला बुलन्द रखा । आज मैं वज़ीर साहिब से कहता हूं कि वह जेल की काल कोठड़ी के खड्डे से उठकर वज़ारत की कुर्सी पर बैठे हैं । आज मुल्क उन से तवक्को रखता है , आशा रखता है कि वह लोगों में कन्फीडैंस पैदा करेंगे, विलिंगनैस पैदा करेंगे, डिगनिटी आफ इंडिविजुअल पैदा करेंगे । अगर यह ऐसे करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और मैं आशा रखता हूं कि यह इस काम को करने के लिए तैयार होंगे । मैं आप का मशकूर हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਰਾਏਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ । ਜੋ ਬਲਾਕ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਬਲਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਲਾਕਸ ਖੋਲਣ ਦੇ । ਜੋ ਬਲਾਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਫੇਸਿਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ੨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ 5,000 ਰੁਪਿਆ ਕਦੀ 6,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੇਰ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜੋ ਬਲਾਕਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਅਲਗ ਪੈਸੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ । ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇ-ਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਰਾਹੀ ਇਮਪਰੂਵਡ ਸੀਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਸਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤਰਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਕਾਨੌਮੀ ਤਰਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਇਕ ਅਰਜ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚਲਾਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਜ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਜ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲੋਟੀਨ ਵੀ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲ ਲਉ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

(The hon Minister for Development will reply to the demand under discussion today. Since quite a good number of hon. Members were anxious to speak I have taken a few minutes from the time alloted to the hon. Minister. He will reply at exact 12.00. noon As the guillotine is also to be applied today, I would request the hon. Member to wind up his speech within two or three minutes so as to enable the other hon. Members to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਸੰਬਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਸਿਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓਜ਼. ਪਾਸ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ

ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੋ ਵਡੇ ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿੰਗ ਟੇਢ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਅਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਗਏ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 'ਟਰਮ' ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖਰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰੋਪ੍ਰਾਇਟੀ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਚੰਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਫਾਰਮਲ ਐਪਰੂਵਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਦੇ ਰਕਮ ਕਢ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੱਕਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੀ. ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ । ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਦਮੀ ਲਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ 107/15 ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇ ਸੁਨਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਉ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ: ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਐਸ.ਡੀ. ਓ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਇਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇਸ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਨਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ।

श्री चांद राम (सल्लाहावास S.C.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कम्युनिटी प्राजेक्टस

11.00 a.m.

का एक ऐसा महकमा है जिस के मुताल्लिक किसी की भी दो रायें इस बात पर नहीं हो सकतीं कि यही एक महकमा है जिस के ज़रिए देहातों को ऊपर उठाया जा सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब के वे शब्द कि हर गांव में पंचायत हो, कोआप्रेटिव सोसायटी हो और स्कूल हों , आज भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं । और यह हम को इस बात की याद दिलाते हैं कि किस तरह से गांव की डिवैल्पमैंट हो सकती है । जहां तक बजट की अलाटमेंट का ताल्लुक है मैं इस सवाल में जाना नहीं चाहता । जहां तक इम्पलीमेंटेशन का सम्बन्ध है इस के मुताल्लिक मेरी ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की राय है, कि इस में बहुत भारी कमी है । इसके मुताल्लिक पंजाब में एक कमेटी बनी श्री राजेन्द्र सिंह की प्रधानता में । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन की थी, एक ऐसा सुझाव दिया था जिस के, मैं समझता हूं, बहुत बड़े मायने थे । जिस पर कि आज तक हम ग़ौर नहीं कर पाये हैं । उनका कहना था कि हम स्कीमें जो बनाते हैं उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं करते , प्रेक्टीकली उस में खुद को नहीं आजमाते । यही नहीं बल्कि सैंटर में भी इसी तरह की एक हाई पावर कमेटी श्री जय प्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी उन्होंने भी लिखा था कि यह प्राजेक्ट कम्युनिटी डिवलपमेंट का सब प्लैन्ज़ के मुकाबले में एक तरह का वीकर-सैक्स है । हालांकि डैमोक्रेसी के ढांचे के मुताबिक आज हम कल्याणकारी क्षेत्र बनाने चले हैं ।

सारे मुल्क को आज सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी पर लाया जा रहा है लेकिन जो लोग कम्युनिटी ब्लाक लैवल पर काम करते हैं किसी भी कम्युनिटी प्राजेक्ट के अन्दर उनकी मिशनरी स्पिरिट काम करने की होनी चाहिए। वैसे तो इस परपज़ को पूरा करने के लिए वह वहां पर रखे हुए हैं मगर वह पुराने और प्रोसीजरल ढंग के लोग हैं जिन में मिशनरी स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। मगर मुलक की तरक्की के लिए यह बात जरूरी है कि जो भी स्टाफ पर पैसा खर्च हो वह मिशनरी स्पिरिट से काम करने वालों पर खर्च होना चाहिए। इस तरह से जैसे जैसे भी मुलक की तरक्की होती है वैसे ही त्रुटियां दूर होती जाती हैं और इस तरह से हमारी आर्थिकता बढ़ती है। मैं थोड़ा बहुत इस महकमे से एसोशियेट रहा हूं कि इसलिए हमेशा मैं इस बात पर क्रिटिकल रहा हूं कि हमारा मौजूदा पैटर्न जो है वह हमें बदलना चाहिए। जब यह ऊंचे दर्जे की कमेटी बनी थी तो जय प्रकाश नारायण जी जैसे नेता, जिन्होंने इस हलके में ज्यादा से ज्यादा काम किया है ने बहुत अच्छी सिफारिशात की थीं। उन्होंने कहा था कि हमें मुलक में भेद भाव की नीति दूर करके मुलक के अंदर इन्डिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट को दूर करने की नीति को सब से पहले अपनाना चाहिए। सब से बड़ी बात जो लोगों में पैदा करने वाली है वह विश्वास की है। डैमोक्रेसी अगर वर्क करती है तो विश्वास से ही करती है। बदकिस्मती यह है कि सही ढंग से जो डिफैंस की कैपैसिटी हम में होनी चाहिए थी वह भी पूरी नहीं होती। आज जो इस महकमा में हम काम कर रहे हैं यह एक प्रोसीजरल ढंग से हो रहा है. यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब कहते हैं। मुझे अकसर काम काज देहात में जा कर देखने का मौका मिलता रहता है। बी.डी.पी.ओज़. के पास जीपें हैं जो काम करने की गर्ज़ से अकसर दौरे करते रहते हैं मगर वह काम नहीं हुआ जोकि होना चाहिए था। मैं आप को अपने तजरुबे की बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने एक दफा गांव में जा कर दरियाफत किया था वहां के बी.डी.पी.ओ. से कि आपके हलके की मौजूदा पैदावार कितनी है और प्लैन के मुताबिक वह और कितनी बढ़नी चाहिए तो सच पूछिए आप कि वह जवाब ही नहीं दे सका। हकीकत क्या है कि चंडीगढ़ से सर्कुलर जारी किये जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लैन्ज़ बनाई जाती हैं, जाकर उन को हिदायतें दी जाती हैं कि किस तरीका पर आप ने विकास के काम करने हैं मगर इन को तो यह प्लैन्ज़ पढ़ने की कोई फुर्सत ही नहीं है। इन को कोई पता ही नहीं है कि खेती बाड़ी की प्लैन्ज़ को चला कर कैसे पैदावार को बढ़ाना है। दिहातों में इंडस्ट्री को कैसे फ्लरिश करना है। इन सब बातों का गांव वालों को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। यह लोग पंचायत वालों से कभी सलाह मशवरा ही नहीं करते। इतनी सर्कुलर की सर्कुलेशन की जाती है कि अजीब हालत है उन को कोई पढ़ता तक भी नहीं, अमल तो क्या करना था। हमारे जो फिनांशल कमिश्नर हैं या और स्टेट लैवल पर काम करने वाले अफसरान हैं उन की नीति भी अजीब ढंग की है। वह इस कदर मारेली बाऊंड हैं कि अगर उन के द्वारा कोई डीफाल्टर पकड़ा भी जाए तो वह ऐसी पोज़ीशन में हैं कि उस के खिलाफ कोई ऐक्शन भी नहीं ले सकते और ऐसी बहुत सी मिसालें मेरे नोटिस में आई हैं जहां वह बोल्डली उनके खिलाफ कोई ऐक्शन

[श्री चांद राम]
नहीं ले सकते हैं । इस बारे में सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए । सरकार के जितने भी आज सर्कुलर लैटर जारी होते हैं मैं नहीं समझता कि बी.डी.पी.ओज़. उन को पढ़ते भी हैं, बगैर पढ़े ही वह उन को एस.इ.पी.ओज़. के पास भेज देते हैं और इस तरह वह रद्दी के अंबार बन कर रह जाते हैं । कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता । आज जो स्कीमें बनती हैं सवाल यह है कि उन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए, यह एक बड़ा भारी काम है जो अगर प्रेक्टिकली टेक-अप किया जाए तो इस के बड़े अच्छे नतायज निकल सकते हैं ।

मैं एक बात आम तौर पर देखता रहा हूं वह यह है कि जो पंचायतों के मुलाज़िम हैं, उन के सेक्रेटरीज़ हैं उन से सलाह मशविरा करके कोई बात ही नहीं करते कि क्या उनके अधिकार में है और क्या उन्हें करना चाहिए । इस बात पर मुझे सख्त इतराज़ है । इस सिलसिला में ना सरकार का कन्ट्रोल है ना किसी और हायर अथारिटी का कंट्रोल है, पता नहीं कि यह किस तरीका पर काम करते हैं । मैं ने एक गांव में जा कर देखा कि लोग अपनी मन मरज़ी के ही रैज़ोल्यूशन बना लेते हैं और उस पर पंचों सरपंचों के दस्तखत करा लेते हैं और बाद में असल बात का पता चलता है । एक आदमी को बगैर किसी नोटिस देने के जुर्माना किया गया, जब उसकी रियालाइज़ेशन का सवाल पैदा हुआ तो वह कहने लगा कि मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला जो कि रूल्ज़ के मुताबिक उस से रियलाइज़ेशन करने से पहले उसे मिलना चाहिए था । इस तरह के वाक्यात हैं जो अक्सर होते ही रहते हैं । रैज़ोल्यूशन पास करके अगर कोई सेक्रेटरी उन के इशारे पर काम नहीं करता तो वह हटा दिया जाता है । उस को कोई ऐसी हिदायत ही नहीं कि वह पंचायतों के काम को कन्ट्रोल कैसे करे और यह उस वक्त तक कंट्रोल कर ही नहीं सकता । जब तक कि उस की सर्विसिज़ की कोई सेफगार्ड ना हो । इसके इलावा मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी चाहता हूं वह यह है कि ग्राम सेविका, पंचायत अफसर और रैवेन्यू का पटवारी जो हैं यह गांव के हालात से बखूबी वाकिफ होते हैं । इन में से ही अगर किसी को पंचायत का सेक्रेटरी लगा दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इस से सरकार का काम भी होता रहेगा और महकमे का तालमेल भी ठीक तरह से चलता जायेगा । इस तरह से आपस में कोआप्रेशन करने से इस महकमे का काम बखूबी चलाया जा सकता है ।

मैं अपने तजरुबे की बिना पर कहता हूं कि जब भी हम ब्लाक लैवल पर काम करते हैं तो केस रजिस्ट्रेशन के लिए सीधा ए. आर. को भेज दिया जाता है । मगर कई दफा ऐसा होता है जब कि लिमिट से कम एमांउट की कोआप्रेटिव सोसायटी हो वहां पर पहले कोआप्रेटिव सोसायटी के इन्स्पैक्टर या सब-इन्स्पैक्टर को इन्स्पैक्शन की गर्ज़ से पहले भेजा जाता है फिर सोसायटी रजिस्टर होती है मगर जब ब्लाक लैवल पर काम हो तो यह ज़रूरत ही महसूस नहीं होती ।

एक बात मैं पंचायतों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि शामलात देह के मुताल्लिक बड़ी बड़ी हिदायात जारी की गई हैं और यह भी फैसला किया गया था कि $\frac{1}{3}$rd

शामलात जमीन बैकवर्ड क्लासिज़ को दी जायेगी । अब जहां तक इन आर्डरज की इम्पलीमैंटेशन का सवाल आता है तो मैं समझता हूं कि यह अहकाम बेमायनी हैं । फिनांशल कमिश्नर की तरफ से जो फिगर्स, लैंड के कब्जा के मुतालिक अखबारों में शाया हुए हैं उन से यह पता चलता है कि 14 लाख एकड़ ज़मीन में से 8 लाख एकड़ ज़मीन एन्क्रोचड है और यह अन-आथोराइज्ड मालकान के कब्जा में है । इस के इलावा रैवेन्यू डीपार्टमेंट ने लैंड यूटिलाइज़ेशन ऐक्ट के तहत 20-20 साल के लीज़ पर ज़मीन दे दी है और इन अन-आथोराइज्ड लैंड होल्डर्ज़ के लिए चार आने बीघा ज़मीन का मालिया भी मुकर्रर कर दिया । हमारा मकसद जो था वह यह था कि हम पंचायतों की आमदनी बढ़ाएंगे । और उसके लिए हम ने एविक्शन ऐक्ट लागू भी किया था लेकिन वह भी अब डैड लैटर हो गया है । मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि डी.सी.ज. को ज़िम्मेवार बनाया जाए और उनसे लेकर लोअर लैवल तक डायरी लागू की जाए तो बड़ा काम हो सकता है । (घंटी)

एक बात मैं ब्लाक्स के बारे में कहना चाहता हूं कि ब्लाक्स की डिमारकेशन बड़ी डिफैक्टिव है, बड़े बड़े लम्बे लम्बे ब्लाक्स हैं जिनका कोई ढंग ही नहीं है । इसलिए ब्लाक्स की जो डिमारकेशन होनी चाहिए वह ठीक होनी चाहिए ।

बैकवर्ड एरिया के मुतालिक एक बात है कि उस को ऊपर उठाने के लिए सरकार को चाहिए कि स्पैशल अलाटमैंट करे और रूरल एरिया में आर्टस और क्राफट्स इंडस्ट्रीज अलाट की जानी चाहिएं और जो हरिजनों के या बैकवर्ड क्लासिज़ के मुहल्ले हैं या गलियां हैं उनको रिहैबिलीटेट करने के लिए काम होना चाहिए । (घंटी)

मैं जी अब समाप्त ही करता हूं । जो पंचायत समितियां, या ज़िला परिषद् हैं उनमें अगर हरिजनों की रिज़र्वेशन नहीं की जाती तो इफैक्टिवली काम नहीं हो सकता । अभी कोआपशन होती है और उसका नतीजा यह होता है कि जो मैजारिटी पार्टी बन जाती है हरिजनों को उनकी 'हां, में 'हां' मिलानी पड़ती है और हरिजन उन्हीं की राय के हो जाते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी रिज़र्वेशन होनी चाहिए ताकि कास्टइज्म और कम्युनलिज्म पर हैलदी इफैक्ट पड़ सके और यह कम हो सके । इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हुआ बैठता हूं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਡਿਟ ਕਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਰੁਪਿਆ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਏ । ਔਰ ਵਸੂਲ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਥਲੇ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੇਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿੰਡ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੂ ਇਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਦਫਾ 107/151 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਠਿੰਡਾਂ, ਔਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਬੀਲਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।

ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਓਵਰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕ ਓਵਰਸੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 4,5 ਸਕੂਲ ਪਏ ਹਨ । ਬੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਥੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਓਵਰਸੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ । ਪਿੰਡ ਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ । ਔਰ ਉਹ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਫਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਖੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੀਹਾਇੰਡ ਦੀ ਸੀਨ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਚਲਦੀ ਹੈ ।

ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸਤ-ਸਤ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਅਜੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਇਹ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਪ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਪੀਆਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ । 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ । ਬਸ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

WALK OUT

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ । ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

[*Sardar Gurcharan Singh walked out of the House*]

Deputy Speaker : This is not the right procedure.

श्री मंगल सेन : डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे ग्रुप से कल भी कोई नहीं बोला । मैं प्राथना करूंगा कि हमें बोलने का मौका दिया जाए ।

Deputy Speaker : Resume your seat please.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Deputy Spaker : Please sit down. I have called upon the Minister for Community Development.

योजना तथा विकास मंत्री : (सरदार दरबारा सिंह) : मैडम, मुझे इस बात का अफसोस है कि इन डीमांड्ज़ पर बोलने का मैम्बर साहिबान को टाईम कम मिला है क्योंकि इन डिमांड्ज़ को वक्त मुकर्रा पर पास करना है और 12 बजे गिलोटीन ऐप्लाई होनी है । यह महकमा जैसा कि मैम्बर साहिबान ने कहा है खास अहमियत रखता है क्योंकि इस का उन लोगों से ताल्लुक है जो देहात में 85 प्रतिशत की आबादी में रहते हैं । यह पंचायती राज जो है जिस में कम्युनिटी डिवैल्पमैंट और पंचायतें आती हैं यह इस लिए अहमियत रखता है क्योंकि देहात की इकानोमी इस में पोशीदा है । मैं चाहता था कि मैम्बर साहिबान को टाईम ज्यादा मिलता ताकि वह अपने मन की बातें कह सकते और मैं उन्हें जहां तक होता उन बातों का जवाब देता । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नावाजब तौर पर किसी बात को डिफैंड नहीं करना चाहता । मैं ने जो सही बात है वह ही अर्ज करनी है । मैडम, आज कल दुनिया के हालात जैसे हैं उन के पेशेनज़र मैं सब कुछ अर्ज़ करूंगा । बाबू बचन सिंह जी ने कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें कहीं हैं । मैं पर्सनल बातों को छोड़ कर बाकी बातों के साथ इत्तिफाक रखता हूं । इस की खास अहमियत इस लिए है कि इस में हम डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन करके पंचायतों के ज़रिए अवाम को ताकत दे रहे हैं । अगर मैडम, पंचायती राज अपने पांव पर खड़ा हो जाए तो मुझे इस में कोई शक नहीं कि यह दुनिया के लिए एक उद्देश्य साबत होगा । मेरा ज़ाती तौर पर भी यह ख्याल है कि जो पैटर्न महात्मा गांधी के वक्त से आज तक चला आ रहा है अगर उस को पूरे तौर पर अमल में लाया गया हो तो लाज़मी तौर पर वह बात हमारे सामने आएगी कि आया इन हालात के पेशेनज़र हम वहां तक पहुंचे हैं या नहीं । मैं अर्ज़ करूंगा कि बहुत से आनरेबल मैम्बर जो बोले हैं उन्होंने कँस्ट्रक्टिव चीज़ें सजेस्ट की हैं । कुछ साहिबान को वक्त नहीं मिल पाया । मैं उन्हें कहूंगा कि जब भी उन्हें टाईम हो वह मेरे से बात कर सकते हैं । मैं तो चाहता हूं कि इस डीपार्टमैंट की जांच-पड़ताल सारी मैम्बर साहिबान के हवाले करूं ताकि इस को दुरुस्त बनाया जा सके । जब हम ने हकूमत चलानी है तो लाज़मी है कि जहां भी कमजोरियां हों वह हमें दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए । यह जो महकमा है इस से सारे महकमे जुड़े हुए हैं । यह जो कम्युनिटी प्राजेक्ट का महकमा है इस के पीछे एक हिस्ट्री है । वह सब मैम्बर साहिबान के ज़ैहन में होनी चाहिए । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम्युनिटी डिवैल्पमैंट के लिए सेन्ट्रल गवर्नमैंट पैसे देती है ताकि लोग इस बात की जांच कर सकें कि हम डिवैल्प किस तरह हो सकते हैं और हम मिल कर कैसे काम कर सकते हैं। इस का असली मकसद यह है कि लोगों के अंदर अपनी डिवैल्पमैंट करने का इतना उत्साह पैदा हो जाए कि वह खुद ही अपने पास से पैसे खर्च करके अपने विकास के काम कर सकें । हमारा यह जो निशाना है उस पर पहुंचने के लिए सरकार ग्रांट्स वगैरह देती है । हम लोगों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं । इस में कोइ शक नहीं कि जमहूरियत हम कायम करना चाहते हैं । आज संसार का जो लिट्रेचर है उस ने लोगों को कन्शियस कर दिया है कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम ने कैसे उन को हासिल करना है । मैडम, मुझे यह कहते हुए फखर महसूस

होता है कि हमारा जो इण्डिया का पराइम मिनिस्टर है उस ने जिस तरीके से डीसैन्ट्रे-लाइजेशन की है उसकी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया में आप को कोई लीडर ऐसा नहीं मिल सकता जिस ने अपने हाथों से सारी ताकत छोड़ी हो। पंचायती राज जो है यह अपने पांव पर खड़ा हो कर दुनिया को बताएगा कि डैमोक्रेसी कैसे खड़ी हो सकती है। मैडम, आप जानते हैं कि पिछले 50 सालों में सायंस ने बहुत तरक्की की है और सायंस के युग में हम अभी 200 साल पीछे हैं. इस युग में संसार में सायंस तेजी से तरक्की कर रही है, कोई स्पुतनीक ऊपर भेज रहा है, इन्सान ऊपर जा रहे हैं और इनसान के कल पुरज़े बदले जा सकते हैं, दिमाग के अपरेशन किए जा रहे हैं, दिल तक बदल कर और लगाए जा रहे हैं और इस ढंग से सारे काम तेज़ी से हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम इस संसार में बहुत पीछे हैं लेकिन हम ने इस तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाना है और बाकी संसार के साथ चलना है। इस तरक्की के लिए हम डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन कर रहे हैं ताकि लोग मज़बूत हों और हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं चाहे वह किसी किसम की हो। आज भी संसार में ऐसी हकूमतें हैं जिन में उन हकूमतों के पराइम मिनिस्टर बंद आर्म्ड कारों में ही फिरते हैं। लोगों के सामने नहीं आ सकते हैं उनसे बात नहीं कर सकते उनकी बात मिलकर नहीं सुन सकते। इस की यही वजह है, कि वहां डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन नहीं है। तो मेरी अर्ज़ है कि अगर डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन करनी है तो यह बातें करने से नहीं होती हैं अमल से होती हैं। मेरी यह ज़बरदस्त ज़ाती ख्वाहिश है कि जो ताकत चंडीगढ़ में इकट्ठी है और लोगों की दी हुई है वह उन लोगों के पास ही जानी चाहिए जिन्होंने दी है। यह ताकत हर मर्द और औरत के पास आनी चाहिए ताकि वह लोग मज़बूत हों और जो वहां भूख है, अफलास है वह खत्म हो। इस में शक नहीं के हम पीसफुल रैवोल्यूशन ला रहे हैं और संसार में जो ब्लडी रैवोल्यूशन्ज़ आई हैं उनको रोकने के लिए यह काउंटर रैवोल्यूशन है जो कि ब्लडशैड करने की बजाए पीसफुली लोगों के सारे हालात को बदल कर रख देगी। अगर आप पिछले 50 साल की संसार की हिस्ट्री देखें तो पता चलेगा कि जितनी रैवोल्यूशन्ज़ हुई हैं उन में लोगों को काटा गया, उनका खून बहाया गया और मसमार की हुई इमारतों पर उन्हों ने अपनी डिक्टेटरशिप खड़ी कीं लेकिन इसके बावजूद कि इतना खून बहा और तानाशाही हकूमतें बनीं किसी में एग्रीकल्चर की तरक्की नहीं हुई, किसी ने इंडस्ट्री में तरक्की नहीं की और किसी देश में और तो क्या खाने के लिए रोटी पैदा नहीं हुई है और लोग भूखों मर रहे हैं। खैर मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता कि उनके आदेश क्या हैं। यह उनकी बात है जैसा चाहें करें। लेकिन हम इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं, इस सैंट्रेलाइज़ेशन के खिलाफ हैं और हम डैमोक्रेसी को कायम कर चुके हैं और इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ताकत उन लोगों के पास ही जाए जिनकी ताकत से यह सरकार बनी है। यह ताकत उन के पास जाने में जो रुकावटें हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं। मैं इस सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार यह चाहती है और इस बात की पूरी

[योजना तथा विकास मंत्री]

कोशिश कर रही है कि लोगों के पास ताकत जाए और डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन हो और सरकार की यह निश्चित पालीसी है कि जो लोग दिहात में बैठे हैं, जिनकी ताकत से यह सरकार बनी है उनके हाथ में ही सारी ताकत हो जाए । मैम्बर साहिबान चाहे वह अपोज़ीशन के हों या और दूसरे हों वह इत्तफाक करेंगे कि हमारी जो डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन की पालिसी है उस का आगाज़ हो चुका है । इस सिलसिले में जो रुकावटें हैं उनके बारे में अर्ज़ करता हूं . .

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ।(ਵਿਘਨ)

Minister : I would request you, Madam, not to allow the Member to interrupt me. I did not interrupt anybody.

Deputy Speaker No interruptions, please.

योजना तथा विकास मंत्री : हमारा समाजवाद जो है उसके बारे में भी नुक्ताचीनी की जाती है । पता नहीं इसकी क्यों तारीफ नहीं करते हैं । समाजवाद वह है जिस में हर इन्सान को मौका मिल सके कि वह अपनी मेहनत से जिस ढंग से काम करना चाहे करे और जो सरमाए में और उसकी एक्युमुलेशन में फर्क है उसको कम से कम किया जाए और एक ऐसा पैटर्न कायम कर दिया जाए जिस में हर एक को अपनी तरक्की के बराबर मौके मिलें । यह जो डीसैन्ट्रेलाइज़ेशन है वह हमें उधर ले जाती है । अभी मैं मानता हूं लोगों में देहात में इफलास है और उनके पास आरामो आसायश के समान तो कहां दूसरे जरूरी सामान भी नहीं हैं । इसलिए हमें उनकी ताकत को बढ़ाना है क्योंकि उनकी ताकत से ही डीसैंट्रेलाइज़ेशन की ताकत बढ़ती है । तो इस तरफ जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनके बारे में ही मैं अर्ज़ करना चाहता हूं । बाबू बचन सिंह जी ने कुछ असूली बातें कही हैं । कुछ बातों में उन से इत्तफाक है । इस में शक नहीं कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस में शख्सी राज की कोई गुन्जाइश नहीं । इस बात को न पंडित जवाहर लाल जी और न कोई और चाहता है क्योंकि शख्सी ताकत लोगों के राइट्स पर चोट लगाती है.....

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਉ । (ਵਿਘਨ)

योजना तथा विकास मंत्री : इस में दो राएं नहीं हैं कि जहां कहीं भी डिक्टेटरशिप है चाहे कम्युनिस्टों की हो, मज़हब वालों की हो या दूसरों की हो उसमें कोई आदमी अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकता है, कलम नहीं चला सकता, ज़बान नहीं खोल सकता है, और कोई एसोसियेशन नहीं बना सकता है । खैर मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आपको खुद अपने करदारों का पता है बाकी सब को पता है कि क्या हैं इसलिए क्यों टोकते हो । जैसा बाबू जी ने कहा है हम साथ साथ जेलों में रहे हैं और हम ने वहां काफी किताबें पढ़ी हैं हमें पता है कि कम्युनिज़्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, डैमोक्रेसी क्या है और मैं यह भी जानता हूं कि हमारे निज़ाम में ही हर कोई अपनी बात कह सकता है । तो मैं अर्ज करता हूं कि हम सैन्ट्रेलाइज़ेशन के हक में नहीं हैं जिस में से

डिक्टेटरशिप की बू आए । यही वजह है कि हम ने लोकल बाडियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए हैं और दे रहे हैं, पंचायती राज कायम किया है और 'थ्री टायर सिस्टम' कायम किया है । बाबू बचन सिंह जी ने दो तीन प्वायंट्स उठाए हैं कि यह कैसे काम चलता है इस में कन्फ्यूज़न है । मैं उनकी एक एक बात के बारे अर्ज़ करता हूं । हमारे इस सारे सूबा में जो पंचायतें बन चुकी हैं और काम करती हैं उनकी तादाद 13,566 के करीब है और यह 20 हज़ार से ज्यादा गांव में हैं । पहले मैं यह अर्ज़ कर दूं कि यह थ्री टायर सिस्टम' क्या है । पंचायतें, पंचायत समितियां और ज़िला परिषद् यह थ्री टायर हैं इस सिस्टम के पंचायत हर गांव में जिसकी आबादी 500 या इस से ऊपर है कायम है ताकि लोग आपस में बैठकर ग्राम सभा में सारे फैसले करें । मैं मानता हूं कि ग्राम सभाओं की मीटिंग्ज़ वैसे नहीं हुई हैं जैसे होनी चाहिए थीं । हमारा मुद्दा यही था कि असैंबली की तरह पंच और सरपंच इकट्ठे हो कर साल में दो दफा ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएं और उसके सामने अपना हिसाब किताब रखें और सारी प्लैनिंग की स्कीमें उसके सामने रख कर बात करें फिर उस सारी चीज़ को पंचायत समिति में आगे भेजें । मैं मानता हूं कि बहुत कम पंचायतों की और ग्राम सभाओं की मीटिंग्ज़ हुई हैं । इसी सिलसिले में जल्दी ही इस सदन में एक बिल आएगा जिसमें यह प्रोवीज़न दिया है कि ग्राम सभाओं की साल में दो दफा हाढ़ी और सावनी में ज़रूर मीटिंग्ज होंगी । हम ने "शैल" का लफ़्ज़ उसमें लिखा है यानी लाज़मी होगा । अगर कोई पंचायत ऐसा नहीं करेगी तो कायम नहीं रह सकेगी । हम चाहते हैं कि हर चीज़ गांव लैवल पर ही खत्म हो जाए और ऊपर न आए । यह ठीक है पंचों, सरपंचों और नीचे अफसरों के खिलाफ अकसर शिकायतें आती हैं । उनकी इन्क्वायरी सीनियर अफसर करते हैं । उन में अकसर ऐसा पाया जाता है कि शिकायतें अन्दरूनी झगड़ों और आपोज़ीशन की वजह से की जाती हैं । जो ठीक होती हैं उनके लिए हम आर्डर करते हैं कि केसिज़ रजिस्टर किए जाएं और हमें पता दिया जाए कि क्या किया है। हम पुलिस को ऐसे केसिज़ दे देते हैं । एक दोस्त ने कहा कि डी.सी. और उस के नीचे भी डीसैंट्रेलाइज़ेशन कर देनी चाहिए ।

बाबू बचन सिंह ने कहा है कि गांवों में पंचायतों का समझौता कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर, और सुपरिनटैंडैंट आफ पुलिस तथा दूसरे आदमियों को भेजा जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात में हम को कोआप्रेशन दें । हम उन से कोआप्रेशन मांगते हैं कि समझौता कराने के लिए अपने आप को आफर करें ताकि गांवों में झगड़े खत्म हो सकें । मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में पार्टी faction बने हुए हैं और जिन को इलेक्शनों में शिकस्त हुई है, वह ऐसे नुक्स निकालते हैं जिस से पंचायतों के काम में रुकावट पड़े । पिछले इलेक्शन को अपसेट करने के लिए कोशिश की जाती है ताकि नए इलेक्शन फिर हो जाएं । वहां पर ऐसे चार्जिज़ लगाए जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस होते हैं । जब उन को पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि उस की अकड़ को दूर करने के लिए ऐसी बातें की हैं । मैं समझता हूं कि जो नुक्स निकाले जाते हैं वह बिल्कुल बेसलेस होते हैं । यह ठीक है कि बहुत से लोग जो देहात में पंच और

[योजना तथा विकास मन्त्री]
सरपंच लगे हुए हैं वह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हिसाब-किताब को अच्छी तरह से रख सकें । यहां पर गांवों के सेक्रेटरीज़ की बात कही गई है । मैं समझता हूं कि गांवों में जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वह आदमी हिसाब-किताब रखने के लिए तैयार हैं तो उन को सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त कर लिया जाए । हम उन को अपनी पकड़ में नही रखना चाहते बल्कि सेक्रेटरीज़ को पंचायतों में ज़िम्मेदारी दी है कि वह हिसाब-किताब रखें जिस से हिसाब–किताब में कोई गड़बड़ न हो ।

उपाध्यक्षा : आप उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें । (The hon. Minister should try to educate them.)

योजना तथा विकास मंत्री : अगर सदन फैसला करे कि पढ़े लिखे पंच और सरपंच हो सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है । उस के लिए भी हमें सोचना होगा । अगर हम उन अनपढ़ों से वोट ले कर यहां पर आ सकते हैं तो मेरा विचार है कि वह वहां पर भी रह सकते हैं अगर माननीय सदस्य इस के बारे में कोई हल ढूंड सकें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है । इस बात के लिए कामनसैंस होनी चाहिए ।

सरदार गुरनाम सिंह : आजकल कामनसैंस बहुत 'रेयर' है ।

योजना तथा विकास मंत्री : मैं मानता हूं कि कामनसैंस बहुत रेयर है । जो पढ़ लिख जाते हैं वह सरदार गुरनाम सिंह की तरह बन जाते हैं गांवों में पढ़े-लिखे भी ऐसे लोग हैं जिन को नौकरी नहीं मिलती और उनकी हालत दिगरगूं है । मैं अर्ज़ कर रहा था कि पंचायतों के मैम्बर या सरपंच अनपढ़ होते हैं । वे पंचायतों का हिसाब किताब अच्छी तरह से नहीं रख सकते हैं । इस का नतीजा यह होता है कि हिसाब किताब के बारे में शिकायतें आती हैं । उन की तकलीफों को दूर करने के लिए पंचायतों में पढ़े-लिखे सेक्रेटरीज़ एप्वायंट किए जा रहे हैं, ताकि वह अच्छी तरह से एकाउंट्स रख सकें और एकाउंट्स में कोई गड़बड़ न हो सके । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि माननीय सदस्य हमें कोआप्रेशन दें ताकि पंचायतों में समझौते हो सकें । मेरा विचार है कि पंचायतों का यह काम नहीं है कि मुकद्दमों का फैसला करें, जस्टिस दें । मैं समझता हूं कि जस्टिस के लिए और जगहें हैं । पंचायतें लोगों की बेहतरी के लिए सोचें और उनकी डिवैल्पमैंट के लिए सोचें । यह तभी हो सकता है कि अगर सारे गांव वाले इकट्ठे हो कर गांव की बेहतरी के लिए सोचें । पंचायतों को पार्टी की निगाह से नहीं, मज़हब की निगाह से नहीं, फैक्शन की वजह से नहीं सोचना चाहिए । पंचायत में सारे लोग इकट्ठे हो कर ज़मीनों के बारे में, देहातों की सफाई के लिए, स्कूलों के लिए तथा हास्पिटल्ज़ की इम्प्रूवमैंट के लिए सोचें । इन बातों को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए ताकि लोगों के आपस के झगड़े निपट सकें ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बाबू बचन सिंह ने कहा है कि प्राइमरी ऐजुकेशन का इंतज़ाम पंचायतों के पास होना चाहिए । मैं उन के साथ सहमत हूं लेकिन ऐसा करने के लिए समय लगेगा । यहां कामन लैंड के बारे में भी बहुत सी बातें हुई हैं । इस के बारे

में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ने अभी तक बहुत काम करने हैं । हम ने स्ट्रिप आफ लैंड इयरमार्क करनी है जहां पर हवाई जहाज़ों को उतारा जा सके । मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि 20 सालों तक देहात को बहुत आगे ले जाएंगे । हम हर गांव में कंसौलिडेशन की स्कीमज़ के तहत 20-25 एकड़ ज़मीन रखेंगे । हम ने अवाम की भलाई के लिए हस्पताल बनाने हैं और डिवलपमैंट एक्टिविटीज़ बढ़ानी हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी की ज़मीन ली जाती है तो वह रोने लगता है। यहां पर कम्युनिज्म से रवोल्यूशन के आने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर रवोल्यूशन नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर माफिक हालात नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हम ने पंचायतों को और ज़िम्मेदारियां देनी हैं जिस से गांवों में डिवैल्पमैंट हो सके और देहात की इक्तसादी हालत ठीक हो सके । हम पंचायतों में इम्प्रूवमैंट लाना चाहते हैं, उनकी सोशल लाईफ को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं । हम स्कूल खोलेंगे, सोशल स्टेडियम बनाएंगे और इस के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम देहात की सोशल इकानोमी और पुलिटीकल स्टेटस को ऊंचा कर सकें, यह सब बातें रीआर्गेनाइज़ेशन के द्वारा करेंगे । मैं बाबू बचन सिंह से कहना चाहता हूं कि यह सब बातें ज़बरी तौर पर नहीं कर सकते, देहात की सरगिमयों को पंचायतों के द्वारा चैनेलाइज़ करना होगा, यह ठीक है कि कोई अनफेयर थिंग्ज़ न हों । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनको फ़्री लैंसर्ज़ का स्टेटस नहीं देना चाहिए ताकि उनकी फ़्रीडम एडर्वसली एफक्ट न हो । इस के साथ यह भी देखना है कि डमोक्रेसी को कोई चोट न पहुंचे । उन सब बातों को रोकना है जो कि डिक्टेटरशिप या टोटलीटेरियनिज्म की तरफ जाती है । इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे देश के लीडर पंडित जवाहर लाल नेहरू डमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां पर डमोक्रेसी अच्छी तरह से पनप सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ब्लाकों की इमारतें नहीं बना सके हैं और जो रकमें इमारतें बनाने के लिए रखी थीं वह रकमें डिफैंस एफर्टस के लिए खर्च की गई हैं क्योंकि पहिले हम ने अपने देश की रक्षा करनी है और मुल्क को तामीर करना है । अगर मुल्क की रक्षा कर सकेंगे तो हम डिवैल्पमैंट कर सकते हैं इस लिए एमरजेंसी के वक्त यह बहुत ज़रूरी था कि वह राशि देश के लिए खर्च की जाए । इसके बाद मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि शामलात के मुताल्लिक हमारी काफी लम्बी चौड़ी फहरिस्त है । बहुत सारी ज़मीन तो हमारी ज़मीन बंजर कदीम है, नाकाबले काश्त ज़मीन है, कल्लर है, शोरे वाली है । जो एरिया पहाड़ी इलाकों में है वहां छोटे देहात हैं । एक एक दिहात के 15-15, 18-18 हिस्से हैं । उनकी ज़मीन अभी तक हमारे काबू में नहीं आई है । वह उनके पास है जिनके पास थी । जहां हमें शामलात की ज़मीन मिलती है वहां हमें जो उस में दरख्त हैं उनका हक नहीं मिला । मैं पंडित मोहन लाल जी से कहूंगा यकीन करें ऐसा ही फैसला करेंगे जो पंचायतों के हक में हो । । इसे लीगल तौर पर एगज़ामिन करवा रहे हैं जो मान लिया था । मैं इस हवक में हूं हम चाहते हैं कि पंचायत की जितनी आमदनी बढ़ सके सरकार को

[योजना तथा विकास मन्त्री]

फायदा है । उनको 10 फी सदी मालिया देना है, लोन्ज़ एडवांस करने हैं, ब्लाक समिति और ज़िला परिषद् में तकसीम करना है, पंचायतों को तकसीम करते हैं । मैं बाबू बचन सिंह जी से अर्ज़ करूंगा कि ज़िला परिषद् में तीन कमेटियां हैं । यह ठीक है कि एडवाइज़री बोर्ड पहली पंचायत है । मैं इस बारे में डीटर्मिंड हूं कि ब्लाक समिति की, जिस को हम पंचायत समिति कहते हैं, डीलिमिटेशन इस तरह हो कि इस हल्के से एक मैम्बर आएगा । (तालियां) मैं इस हक में हूं । जब ऐसी अमैंडमैंट आएगी तो मैं उसे कबूल करूंगा । मैं यह भी चाहता हूं कि जैसे सरपंच सीधे चुने जाते हैं, अगर सदन इस हक में हो कि ब्लाक समितियों के members सारी पंचायतों में से चुने जाएं तो ठीक है । नो-कान्फिडेंस नहीं होनी चाहिए । मैं बाबू बचन सिंह जी से कहूंगा कि नो-कान्फिडेंस किसी स्ट्रक्चर में सीक्योरिटी नहीं देती । लोगों में यकीन है कि अगर आज हम नो-कान्फिडेंस ला सकें तो इसे उतार सकते हैं । किसी ताकत या पुश से इस बात के लिए बहकाते रहें यह ठीक नहीं । 10 आदमी इक्ट्ठे हुए और उसको निकाल देंगे । हम इस हाउस में अमैंडमैंट्स ला रहे हैं जो रिजनल कमेटियों से वापस आएंगी । अगर एक साल में न कर सका तो नो-कान्फिडेंस आएगा आयंदा के लिए जो दो-तीन साल की मियाद में नहीं कर सकेगा, यह चीज़ बन रही है । मुझ से बाबू बचन सिंह और दूसरे दोस्त इस बात की तवक्को करें कि यह जो तजरूबा है, पंचायतों के बाद पंचायत समिति और ज़िला परिषद तक यह उतनी देर तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक जो लोग वहां गए हुए हैं उन में यह कान्शियसनैस न आ जाए । कोई पार्टी हो मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है और सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात की हिदायत दी है कि किसी भी देहात की पंचायत में बतौर पार्टी दखल नहीं देंगे ताकि पंचायतों के सिस्टम में दखल न हो । यह पंचायत सिस्टम कामयाब तभी हो सकता है । देहात में रहने वाले सब इक्ट्ठे हो कर अगर यह राज़ जान लें तो ऐसी वोटों से जितना बुग्ज़ है वह न रहे । मैडम, बहुत सी बातें रह जाएंगी क्योंकि वक्त कम है । मैं थोड़ी सी बात पंचायती राज के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । पंचायती राज एक अफ़ज़ल बात है । कहा गया कि एक बहन पंच बनेगी । जो चुन कर न आ सके जिसको ज़्यादा वोटें मिली हों उसको पंचायत ने नौमिनेट करना है समिति और ज़िला परिषद् के सतह पर । ऐसे ही हरिजनों को यह रियायत दी है ताकि वीकर सैक्शन जो चुन कर न आ सके उसे नामज़द कर दिया जाए, वक्त पाकर अपने अपने कौम्प्लेक्सिज़ और वीकनैस दूर कर सके । पंचायती सिस्टम में निहायत ज़रूरी है कि वीकर सैक्शन––औरतों और हरिजनों को ताकत दी जाए ताकि वे अपने पांव पर खड़े हो जाएं ।

उपाध्यक्षा : इन्हें कब तक वीकर कहते रहोगे ? (How long will they be called the weaker section ?)

योजना तथा विकास मंत्री : उस वक्त तक जब तक इन्हें ताकतवर नहीं बना देते और यह अपने आप को ऐसा महसूस न करने लग जाएं जैसा कि दूसरे लोग अपने

आप को महसूस करते हैं । मैडम, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक सवाल उठाया गया । हम ज़िलों में जिसको डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट अफसर कहते हैं हम उनको पूरी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं । उन से कोई और काम नहीं लेंगे । उन से सेक्शन्ज़ 107/151 आई.पी.सी. के केस डील करने का ज्यूडीशियल काम नहीं लेंगे । उनकी ड्यूटी और काम के लिए नहीं लेंगे । डिस्ट्रिक्ट का जितना डिवैल्पमैंट का काम है उसके बगैर वे किसी काग़ज़ को हाथ नहीं लगा सकेंगे । सारे ज़िलों में एक एक डिवैल्पमैंट अफ़सर और काम नहीं कर सकेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕਦੋਂ ਤਕ ਕਰੋਗੇ ?

योजना तथा विकास मंत्री: ਫੌਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। अब मैं रीकाल के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । अफसोस है कि अवाम में जब ताकत का ख्याल आ जाए और ड्यूटीज़ का ख्याल कम हो जाए तो ऐसी बात है कि लोकल इंट्रेस्ट्स हैं, मैं उनको कहीं दूर नहीं कर सकता लोगों में यह बात है कि फलां आदमी बन गया है, उस मैम्बर को वापस बुला लें, इस मैम्बर को भेजें । अगर वोटर्ज़ रीकाल करना शुरू कर दें तो यहां शायद कोई मैम्बर न रह सके ।

चौधरी देवी लाल : चीफ मिनिस्टर भी न रहे ।

योजना तथा विकास मंत्री : कोई भी न रह सके । जनता में कान्फ़िडैंस पैदा करने के लिए निहायत ज़रूरी है, मैं सदन के मैम्बरान से कहूंगा कि सरकार इस तरफ ही नहीं, पंचायती राज को कामयाब करने के लिए सरकार अकेली नहीं कर सकती, यह सब ने मिल कर करना है, कोआप्रेशन से करना है । कोआप्रेशन के बारे में बाबू जी ने बातें कहीं । कोआप्रेशन मेरा सबजेक्ट नहीं।

बाबू बचन सिंह : मैं ने कम्युनिटी डिवैल्पमैंट के बारे में कहा है ।

योजना तथा विकास मंत्री : कोआप्रेशन अफज़ल चीज़ है । इसका न प्राइवेट सैक्टर से ताल्लुक है और न पब्लिक सैक्टर से । मुझे तो चाहिए कि कोआप्रेशन सैक्टर मज़बूत हो । इस में दोनों बातें ऐड की जा सकती हैं ।

ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਤ : ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੇ।

योजना तथा विकास मंत्री : किसी पास रहे । कोआप्रेशन सैक्टर को मज़बूत करने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सर्विस कोआप्रेटिवज़ को एप्लाई किया है ताकि लोगों की इकानौमी को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। परचेज़िंग कपेसिटी सामने रख कर चीप चीज़ें मुहैया की जाएं। फर्टिलाइज़र ही नहीं जो सर्विसिज़ रखी गई हैं उन्हें सर्विस कोआप्रेटिव ज़ में कन्वर्ट करना है तो क्वालिटी रखनी चाहिए। क्वांटिटी नहीं । जो चीज़ आप एपेरेंटली देख रहे हैं मुझे तवक्को है कि वे इस बात को लाज़मी तौर पर करेंगे । लेकिन इसके साथ साथ जब तक कोआप्रेटिव फार्मिंग नहीं करते उतनी देर तक तरक्की नहीं हो सकती । लोगों ने मुखालफत की कि कोआप्रेटिव फार्मिंग नहीं होनी चाहिए । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं किसी बायस का हूं ऐसा नहीं । फ़्रैगमैंटेशन आफ लैंड को किसी ढंग से लेना है, जिस में पैदावार हो सके । लोगों को

[योजना तथा विकास मन्त्री]
सहूलत मिल सके । इस फ्रैगमैंटेशन को इकट्ठा करके लाज़मी तौर पर कोआप्रेटिव फार्मिंग चल सकती है । जो लोग इस को इंडस्ट्री समझते हैं जो ज़मीन है उसे काश्त करके कमर्शलाइज़ कर सकते हैं । उसके मुताल्लिक एक क्लाज़ सरकार ने सीक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज़ एक्ट में रखी हुई है । (घंटी) जनाब मैं एक दो मिनट और लूंगा ।

12.00 Noon | सरदार जंगीर सिंह जोगा ने और श्री चांद राम जी ने कुछ प्वायंट्स उठाए हैं । मुझे पूरा ध्यान है कि वह बात ऐसे नहीं है कि ओवरसियर नहीं है । उस ने प्लान तैयार नहीं किया या उस ने अमल नहीं किया तो मैं जांच कर लूंगा, अगर कसूर हुआ तो उस को मुनासिब दंड दिया जाएगा । अगर कोई आदमी काम नहीं करता तो उस को सज़ा मिलनी ही चाहिए । बैठने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि जो कमियां मैम्बर साहिबान मेरे नोटिस में लाएंगे उन को दूर किया जाएगा ।

उपाध्यक्षा : अगर आप की मर्ज़ी हो तो मैं तमाम डीमांड्ज़ हाउस के सामने इकट्ठी पुट कर दूं । **(If it is the pleasure of the House I may put all the demands together before the House.)**

आवाज़ें : नहीं जी । सब अलग अलग पुट करें । हम ने राजे महाराजाओं वाली डीमांड पर डिबियन करवानी है ।

DEMAND NO. 23

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 2,81,89,820 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1963-64 in respect of charges under head 37—Community Development Project. National Extension Service and Local Development Works.

The motion was carried.

DEMAND NO. 39

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 8,97,11,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64, in respect of charges under head 71—Miscellaneous.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 2,49,06,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 9—Land Revenue.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 15,64,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 10—State Excise Duties.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 6,85,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 11—Taxes on Vehicles.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 23,54,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 12—Sales Tax.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 34,37,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 13—Other Taxes and Duties.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 6,21,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 14—Stamps.

The motion was carried.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं एक सुझाव देता हूं । यह तो गिलोटीन पीरियड है, इस में न कोई तजवीज़ आ सकती है और न ही डिस्कशन हो सकती है । इस लिए आप सब डीमांड्ज़ को इकट्ठा ही पुट कर दें ।

उपाध्यक्षा : मैं तो यही चाहती थी । लेकिन हाउस मेरा इम्तहान लेना चाहता है कि मैं बोल सकती हूं या नहीं । अब हाउस की क्या राए है ?

(I too wanted the same thing. But it appears that the House wants to put me to a test whether I can speak or not. Now what is the desire of the House ?)

आवाज़ें : हम ने डीमांड नम्बर 36 पर डिवीज़न करवानी है इसलिए उस को छोड़ कर सब इकट्ठी पुट कर दें ।

Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that Demands Nos. 7 to 35 be put together to the vote of the House ?

Voices : Yes.

Deputy Speaker : Now, these Demands will be put together.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,05,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 15—Registration Fees.

That a sum not exceeding Rs 29,20,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 18—Parliament and State Legislatures.

That a sum not exceeding Rs 55,20,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 21—Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs 80,13,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 22—Jails.

That a sum not exceeding Rs 3,80,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 25—Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs 34,67,670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 26—Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs 2,60,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 27—Scientific Departments.

That a sum not exceeding Rs 3,81,22,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 29—Medical.

That a sum not exceeding Rs 2,22,45,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 30—Public Health.

That a sum not exceeding Rs 1,37,63,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 33—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs 1,15,93,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 34—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs 2,26,93,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 35—Industries.

That a sum not exceeding Rs 2,97,64,590 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 38—Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs 36,91,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 39—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

That a sum not exceeding Rs 8,09,76,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 42—Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs 2,69,24,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 50—Public Works.

That a sum not exceeding Rs 1,91,43,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a sum not exceeding Rs 1,31,09,160 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 52—Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs 4,14,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 56—Aviation.

That a sum not exceeding Rs 1,00,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 64—Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs 2,19,14,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 65—Pensions and other Retirement Benefits.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 8,01,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 67—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

The House then divided.

Ayes 63
Noes .. 25

The motion was declared carried.

AYES

1. Ajmer Singh, Sardar.
2. Amar Nath, Shri.
3. Babu Dayal, Sharma, Shri.
4. Bal Krishan, Dr.
5. Balwant Singh, Sardar.
6. Banwari Lal, Shri.
7. Bhagirath Lal, Pandit.
8. Bhag Singh, Lieut.
9. Bhagwat Dayal, Shri.
10. Chandi Ram Verma, Shri.
11. Chand Ram, Shri.
12. Chandrawati, Shrimati.
13. Dalip Singh, Sardar.
14. Darbara Singh, Sardar.
15. Dasondhi Ram, Chaudhri
16. Dev Raj Anand, Shri.
17. Dilbagh Singh, Sardar.
18. Gian Chand, Shri.
19. Gian Singh Rarewala, Sardar.
20. Gulab Singh, Sardar.
21. Gurmej Singh, Sardar (Gumanpura).
22. Gurmit Singh Sardar.
23. Guran Dass Hans, Bhagat.
24. Gurbanta Singh, Sardar.
25. Gurdarshan Singh, Sardar.
26. Gurmail, Shri.
27. Gurdial Singh Dhillon, Sardar.
28. Harchand Singh, Sardar.

[Deputy Speaker]

29. Harinder Singh Major, Sardar.
30. Hari Singh, Sardar.
31. Har Kishan, Chaudhri.
32. Hira Lal, Shri.
33. Jagjit Singh, Tikka.
34. Jai Inder Singh, Sardar.
35. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
36. Kesra Ram, Shri.
37. Khurshed Ahmed, Shri.
38. Manphul Singh, Shri.
39. Mohan Lal, Shri.
40. Multan Singh, Shri.
41. Narain Singh, Sardar (Shahbazpuri).
42. Nihal Singh, Shri.
43. Narinjan Singh, 'Talib', Sardar.
44. Om Prabha Jain, Shrimati.
45. Partap Singh, Bakshi, Shri
46. Prem Singh 'Prem', Sardar.
47. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
48. Rala Ram, Principal.
49. Ram Chandra, Comrade.
50. Ram Dhari Gaur, Pandit.
51. Ram Pal Singh, Kanwar.
52. Ram Partap Garg, Shri.
53. Ram Rattan, Chaudhri.
54. Ranbir Singh, Chaudhri.
55. Rattan Singh, Capt.
56. Rizaq Ram, Chaudhri.
57. Roop Lal Mehta, Shri.
58. Rup Singh 'Phul', Shri.
59. Sarla Devi, Shrimati.
60. Sumitra Devi, Rajkumari.
61. Sunder Singh, Chaudhri.
62. Ujagar Singh, Sardar.
63. Zail Singh, Giani Sardar.

NOES

1. Ajaib Singh, Sardar.
2. Ajit Kumar, Babu.
3. Babu Singh, Master, Comrade.
4. Bachan Singh, Baboo.
5. Baldev Prakash, Dr.
6. Balramji Das Tandon, Shri.
7. Bhan Singh, Bhaura Comrade.
8. Devi Lal, Chaudhri.
9. Fateh Chand Vij Shri.
10. Gurmej Singh, Sardar (Fatehgarh).
11. Gurbux Singh, Dhaliwal, Comrade.
12. Gurbakhsh Singh, Sardar (Dhariwal).
13. Gurcharan Singh, Sardar.
14. Gurnam Singh, Sardar.
15. Hardit Singh, Sardar.
16. Jagir Singh Dard, Sardar.
17. Lachhman Singh Gill, Sardar.
18. Mohan Lal Datta Pandit.
19. Net Ram, Chaudhri.
20. Om Parkash Agnihotri, Shri.
21. Ram Sarup, Chaudhri.
22. Satya Dev, Chaudhri.
23. Shamsher Singh, Sardar (Ludhiana).
24. Tara Singh, Lyalpuri, Sardar.
25. Bansi Ram, Lala.

Deputy Speaker : Is it the sense of the House that Demands Nos. 37 to 54 be put together to the vote of the House ?

Voices : Yes.

Deputy Speaker : Now, all these Demands will be put together to the vote of the House.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,93,13,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 68—Stationery and Printing.

That a sum not exceeding Rs 1,76,55,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of the charges under head 70—Forest.

That a sum not exceeding Rs 7,45,810 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 76—Other Miscellaneous Contribution and Assignments.

That a sum not exceeding Rs 15,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 78—Preparation Payments.

That a sum not exceeding Rs 87,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 78A—Expenditure connected with National Emergency, 1962.

That a sum not exceeding Rs 1,47,59,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 96—Capital Outlay on Industrial Development.

That a sum not exceeding Rs 10,38,37,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 98—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs 4,90,48,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 103—Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs 1,28,39,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of the charges under head 105—Chandigarh Capital Outlay.

That a sum not exceeding Rs 2,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 109—Capital Outlay on Other Works.

That a sum not exceeding Rs 23,28,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 112—Capital Outlay on Aviation.

That a sum not exceeding Rs 3,62,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of the charges under head 120—Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs 7,94,44,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1963-64 in respect of charges under head 124—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

The motions were carried.

12.20 p.m.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Wednesday, the 27th March, 1963.

(*The House then adjourned*)

21310 PVS —387-63—C., P. & S., Pb., Chandigarh.

ANNEXURE

(Please see page (26) 48 of this debate)

MIDDLE, HIGH AND HIGHER SECONDARY SCHOOLS IN THE STATE

877. **Comrade Ram Piara,** —Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the total number of Middle/High/Higher Secondary Schools in the State districtwise, together with the number of students in each district from 8th Class to the final year of the High/Higher Secondary School, etc. ;

(b) the number of schools which were upgraded during the last year districtwise ?

Subject:—Unstarred Assembly Question No. 877 by Comrade Ram Piara, M. L. A. regarding Middle, High and Higher Secondary Schools in the State.

The answer to Unstarred Assembly Quection No. 877 appearing in the list of Unstarred Question on the 26th March, 1963 in the name of Comrade Ram Piara M. L. A. is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-
CHIEF MINISTER, PUNJAB.

To

The Secretary.
Punjab Vidhan Sabha,
Chandigarh.

U.O. No. 877-AQ-ED. VI. 63 dated Chandigarh the 25th March, 1963